वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड



उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व
भविष्य के लिए नवाचार

उत्कृष्टता के साथ नेतृत्व, **भविष्य** के लिए नवाचार

पाँच दशकों से भी अधिक समय से, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) भारत की समुद्री यात्रा का अग्रदूत रहा है, जो इंजीनियरिंग उत्कृष्टता पर आधारित, नवाचार से प्रेरित और राष्ट्र निर्माण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है।

देश के पहले स्वदेशी वायुयान वाहक पोत के निर्माण से लेकर विश्वस्तरीय हाइब्रिड और विद्युत-चालित जलयानों के निर्माण तक, सीएसएल ने पोत निर्माण, मरम्मत और समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निरंतर नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं।

जैसे-जैसे हम एक गतिशील वैश्विक समुद्री परिदृश्य में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान भविष्य के लिए तैयार ऐसे समाधान तैयार करने पर केंद्रित है जो स्मार्ट, टिकाऊ और कार्यनीतिक हों। चाहे वह अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे में निवेश करना हो, जटिल रक्षा परियोजनाओं को पूरा करना हो या हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाना हो, हम भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पोत निर्माण की नई कल्पना कर रहे हैं।

कुशल कार्यबल द्वारा संचालित और निरंतर सीखने और सहयोग की संस्कृति से सशक्त, सीएसएल देशी और अंतर्राष्ट्रीय जलक्षेत्र में नए साहसिक रास्ते तैयार कर रहा है। हम भारत और दुनिया के लिए क्षमताओं, साझेदारियों और एक लचीले समुद्री भविष्य का निर्माण कर रहे हैं।



02-38
निगमित अवलोकन

02	टेरामारिस: सीएसएल की विरासत का शाश्वत प्रतीक
04	हमारे बारे में
06	हमारी उपस्थिति
08	हमारा कार्यक्षेत्र
12	अध्यक्षीय भाषण
16	वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां
18	वित्तीय निष्पादन
20	प्रचालन उत्कृष्टता
24	इंफ्र परियोजनाओं की मुख्य झलकियां
26	पुरस्कार और सम्मान
27	हमारे लोग
30	पर्यावरण
31	सामाजिक
34	शासन
35	निदेशक मंडल
38	निगमित सूचना

39-149
सांविधिक रिपोर्ट

39	निदेशकों की रिपोर्ट
74	निगमित शासन पर रिपोर्ट
98	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट
113	व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट

150-367
वित्तीय विवरण

151	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलॉन)
169	सीएंडएजी की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलॉन)
170	स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण
254	स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (समेकित)
265	सीएंडएजी की टिप्पणियाँ (समेकित)
266	समेकित वित्तीय विवरण

368-387
सूचना

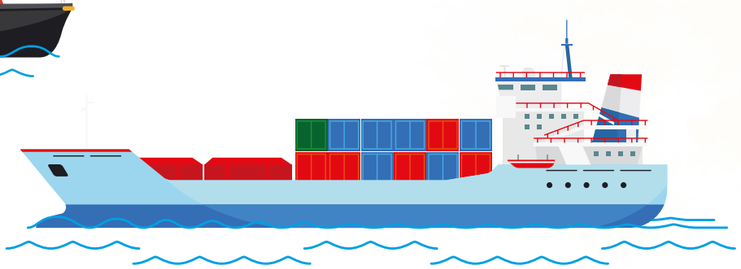
368	53वीं वार्षिक आम बैठक

QR कोड स्कैन करें या हमारी वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
www.cochinshipyard.in

भविष्य-उन्मुख कथन

इस रिपोर्ट में कुछ जानकारी भविष्य-उन्मुख कथनों को शामिल कर सकती है, जिसमें कंपनी की अपेक्षित वित्तीय स्थिति और परिचालन परिणाम, व्यवसाय योजनाएँ और संभावनाएँ आदि से संबंधित कथन शामिल हैं। ये कथन आम तौर पर भविष्य-उन्मुख शब्दों जैसे 'विश्वास', 'योजना', 'पूर्वानुमान', 'जारी रखना', 'अनुमान', 'अपेक्षा', 'हो सकता है', 'होगा' या अन्य समान शब्दों द्वारा पहचाने जाते हैं। भविष्य-उन्मुख कथन उन धारणाओं या आधारों पर निर्भर करते हैं जो इन कथनों के पीछे हैं। हमने इन धारणाओं या आधारों को सच्चे मन से चुना है, और हमारा मानना है कि ये सभी महत्त्वपूर्ण दृष्टिकोणों से उचित हैं। हालांकि, हम चेतावनी देते हैं कि वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या उपलब्धियाँ इन भविष्य-उन्मुख कथनों में व्यक्त या निहित परिणामों से काफी भिन्न हो सकती हैं। हम किसी भी भविष्य-उन्मुख कथन को अद्यतन या संशोधित करने का कोई दायित्व नहीं लेते, चाहे वह नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्य किसी कारण से हो।





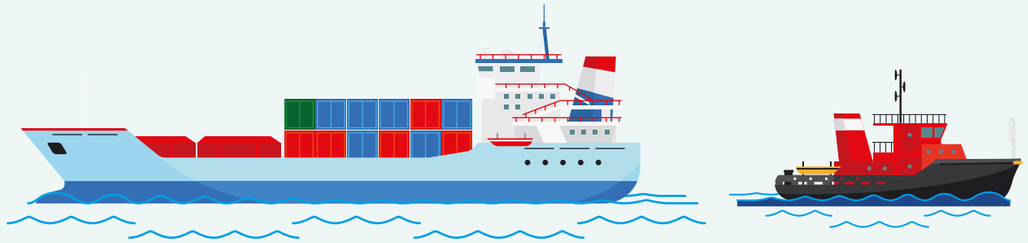
टेरामारिसः सीएसएल की विरासत का शाश्वत प्रतीक

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अपनी स्वर्ण जयंती मनाई, और इस अवसर पर एक भव्य स्वप्न साकार हुआ-एक ऐसा स्वप्न जो समय से परे होगा, पीढ़ियों को प्रेरित करेगा और शिपयार्ड की अदम्य भावना का प्रमाण बनेगा। यह स्वप्न टेरामारिस नामक एक भव्य मूर्ति के रूप में साकार हुआ, जो सीएसएल की उत्कृष्टता की यात्रा को आगे बढ़ाने वाले कार्यबल के प्रति एक विस्मयकारी श्रद्धांजलि है।

सीएसएल के भीतर एक ऊर्जा बिंदु के रूप में परिकल्पित, यह मूर्ति शिपयार्ड के प्रगतिशील विकास का प्रतिनिधित्व करती है, जो परिवर्तन को अपनाती है, अपने लोगों की शक्ति का दोहन करती है, और समुद्र तथा पोत निर्माण के सार को मूर्त रूप देती है। अगले 1000 वर्षों तक टिके रहने के लिए डिज़ाइन की गई, यह विशाल संरचना एक कलात्मक चमत्कार से कहीं अधिक है-यह प्रेरणा का एक प्रकाश स्तंभ है, आंतरिक ऊर्जा को प्रज्वलित करती है और भविष्य के लिए सीएसएल की महत्वाकांक्षाओं को ऊर्जा प्रदान करती है।

धातु और पत्थर में गढ़ी एक दृष्टि

श्री पी. वी. रामचंद्रन, जिन्हें मरप्रभु रामचंद्रन के नाम से भी जाना जाता है, की कलात्मक प्रतिभा से निर्मित यह मूर्ति गतिज और संभाव्य ऊर्जाओं के संगम को दर्शाती है, जो सीएसएल के कार्यबल की रचनात्मक और सृजनात्मक भावना का प्रतीक है। यह उन समुद्री अग्रदूतों के प्रति एक गंभीर श्रद्धांजलि भी है, जिनके नवाचारों ने आधुनिक उद्योग को आकार दिया है। इस मूर्ति को स्वर्णिम अनुपात के अनुसार डिज़ाइन किया गया है और प्रोफेसर सण्णी कुरियाकोस द्वारा इसकी जाँच की गई है। 28.5 फीट ऊँची इस मूर्ति में स्टेनलेस स्टील (एसएस 316) का ढाँचा है, जो उत्तम तांबे की चादरों से ढका है और इसे वेंकला पैतृका ग्रामम, एर्णिमाला, कन्नूर के कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक हस्तनिर्मित किया गया है। ग्रेनाइट से आच्छादित आधार, जटिल रूप से डिज़ाइन किया गया मंच और सजावटी तांबे के अलंकरण इसकी भव्यता को बढ़ाते हैं, जिससे यह सीएसएल के इतिहास में एक अद्वितीय कृति बन जाती है। सीएसएल के मुख्य कार्यालय भवन के पश्चिमी भाग में कार्यनीतिक रूप से स्थित यह मूर्ति दृश्यता सुनिश्चित करती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसका प्रतीकवाद शिपयार्ड से गुजरने वाले प्रत्येक कर्मचारी, आगंतुक और समुद्री उत्साही के दिलों में अंकित रहे।





पत्थर और तांबे में गढी एक विरासत

इस ऐतिहासिक परियोजना के साकार होने में तीन प्रमुख महत्वपूर्ण उपलब्धि शामिल हैं:

- **30 अप्रैल, 2022 -** माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मूर्ति के डिज़ाइन का डिजिटल अनावरण करके सीएसएल के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया।
- **30 नवंबर, 2024 -** मूर्ति का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अपनी भव्यता और अद्वितीय शिल्प कौशल के लिए इसे एशिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स में प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई।
- **7 अप्रैल, 2025 -** माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सीएसएल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मूर्ति का लोकार्पण किया।

प्रगति का एक कालातीत प्रतीक

टेरामारिस के साथ, सीएसएल ने न केवल अपने अतीत को अमर बनाया है, बल्कि भविष्य की नींव भी रखी है-एक ऐसा भविष्य जहाँ परंपरा का नवाचार से, कला का इंजीनियरिंग से, और इतिहास का अनंत काल से मिलन होता है। यह स्मारकीय मूर्ति उत्कृष्टता के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता का एक अटूट प्रमाण है, जो शिपयार्ड के आदर्श वाक्यः सदैव आगे बढ़ते रहना, सदैव विकसित होते रहना, को प्रतिध्वनित करती है।

हमारे बारे में

उत्कृष्टता व नवाचार से भारत के समुद्री भविष्य का निर्माण

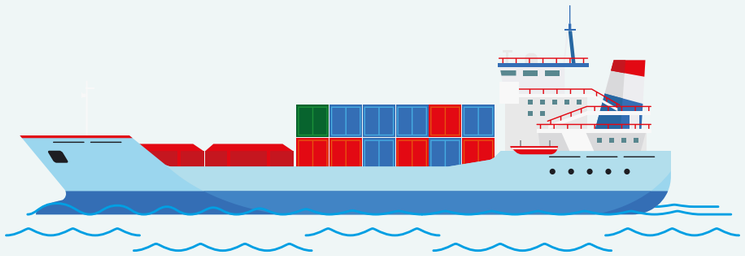
पाँच दशकों से भी ज़्यादा की समृद्री विरासत के साथ, कोचीन शिपयार्ड, इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और नवाचार के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के बल पर, पोत निर्माण और पोत मरम्मत के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय अग्रणी कंपनी के रूप में उभरा है। 1972 में स्थापित, हमने उद्योग की बदलती ज़रूरतों को लगातार पूरा किया है और रक्षा एवं वाणिज्यिक, दोनों क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के जलयान उपलब्ध कराए हैं। कुशल और समर्पित कार्यबल द्वारा समर्थित हमारा अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचा हमें जटिल परियोजनाओं को सटीकता और विश्वसनीयता के साथ पूरा करने में सक्षम बनाता है।

पिछले कई वर्षों में, हमने भारत में कुछ सबसे बड़े और सबसे उन्नत जलयानों का निर्माण और मरम्मत की है, जिसमें देश का पहला स्वदेशी वायुयान वाहक पोत, आईएनएस विक्रांत का निर्माण भी शामिल है। हमारी प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर फैली हुई है, जिसमें नॉर्वे, नीदरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, बहामास, सऊदी अरब, लाइबेरिया और यूएई जैसे देशों के कुछ सबसे अधिक मांग वाले ग्राहकों को पोत निर्यात किए गए हैं। हमने रोल्स रॉयस मरीन (नॉर्वे), जीटीटी (फ्रांस), वर्ड ग्रुप (नॉर्वे), आईएचसी हॉलैंड बीवी (नीदरलैंड), रॉबर्ट एलन लिमिटेड (कनाडा) और कोनोशिप इंटरनेशनल बीवी (नीदरलैंड) सहित वैश्विक फर्मों के साथ सहयोग किया है। हमने पर्यावरणीय जिम्मेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए देशी और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जलयानों जैसे टिकाऊ समाधान भी दिए हैं। सीएसएल तेल अन्वेषण क्षेत्र के जलयानों सहित विभिन्न प्रकार के जलयानों की मरम्मत, उन्नयन और रखरखाव में भी सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक अनुसूची-ए सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) के रूप में, हमें अपनी बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, अग्रणी वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग और बाज़ार में बदलावों के अनुकूल ढलने की अपनी क्षमता पर गर्व है। अनुसंधान एवं विकास, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और स्वदेशीकरण पर हमारा अटूट ध्यान हमें मैरीटाइम इंडिया विज़न (एमआईवी) 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विज़न (एमएकेवी) 2047 के तहत सरकार की समुद्री महत्वाकांक्षाओं में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करता है।

दृष्टिकोण

- विश्वस्तरीय व्यापारिक और नौसैनिक पोतों, अपतटीय जलयानों और संरचनाओं के निर्माण हेतु एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पसंदीदा शिपयार्ड के रूप में उभरना।
- रूपांतरण और उन्नयन सहित पोत मरम्मत के लिए भारत में बाज़ार में अग्रणी बनना।
- हमारे मूल्यवान ग्राहकों द्वारा हमारी उपलब्धियों के लिए प्रशंसा, हमारी नैतिकता के लिए सम्मान और हमारी उत्कृष्ट सेवा के लिए विश्वास प्राप्त करना।



लक्ष्य

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप पोतों और अपतटीय संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करना तथा मूल्यवर्धित गुणवत्तापूर्ण इंजीनियरिंग सेवाएँ प्रदान करना।
- प्रतिस्पर्धी वातावरण में कॉर्पोरेट विकास को बनाए रखना।
- एक ज़िम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनने की दिशा में कार्यप्रणालियों को अपनाना और कार्यान्वित करना।

उद्देश्य

- प्रौद्योगिकी उन्नयन और क्षमता वृद्धि के माध्यम से पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों को बनाए रखना और बढ़ाना।
- नई सुविधाओं की स्थापना सहित शिपयार्ड की गतिविधियों का विस्तार/विविधीकरण करने के लिए निरंतर प्रयास करना।
- पोत निर्माण प्रक्रियाओं में मौजूदा और उभरती प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास करना।
- अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग की ओर बढ़ना, भारत में अपनाए जाने वाले सर्वोत्तम पोत निर्माण मानकों के साथ बेंचमार्क करना।
- बेहतर विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों को प्रेरित करना।
- स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना।
- क्षमता को अधिकतम करने के लिए आक्रामक बोली और सुरक्षित ऑर्डर के साथ डाउनटाइम का लाभ उठाना।
- सकारात्मक ग्राहक-उन्मुख पहल सुनिश्चित करना।
- सीएसआर और स्थिरता परियोजनाओं और कॉर्पोरेट प्रशासन सिद्धांतों के अनुपालन के माध्यम से एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक की छवि का निर्माण करना।

मुख्य विशेषताएं (वित्त वर्ष 2024-25)

₹4,820 करोड
अब तक का सर्वाधिक कारोबार

₹1,125 करोड
अब तक का सर्वाधिक कर-पूर्व लाभ (पीबीटी)

26%
ईबीआईटीडीए मार्जिन

17%
पीएटी मार्जिन

₹827 करोड
अब तक का सर्वाधिक कर-पश्चात लाभ (पीएटी)

₹1,267 करोड
अब तक का सर्वाधिक ईबीआईटीडीए

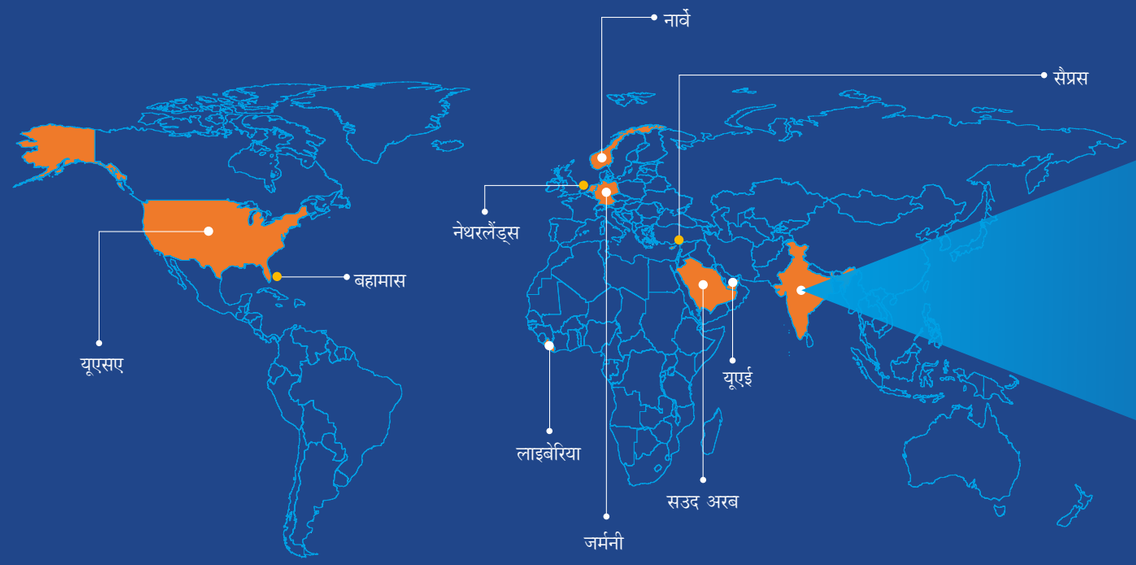
₹5,579 करोड
अब तक का सर्वाधिक निवल मूल्य

23%
कर पूर्व लाभ मार्जिन



हमारी उपस्थिति

सशक्त सफर, वैश्विक विश्वास का आधार





निर्यातक देश

देश	निर्यात किए गए जलयानों की संख्या
यूएई	2
बहामास	6
सैप्रस	8
जर्मनी	4
सउद अरब	9
नेथरलैंड्स	4
नार्वे	6
यूएसए	4
लाइबेरिया	4

(मानचित्र का पैमाना वास्तविक नहीं है, केवल प्रदर्शन हेतु है।)

निर्मित और वितरित जलयान (दिनांक 31 मार्च, 2025 तक)

22
बडे जलयान

35
अपतटीय सहायक जलयान

106
छोटे और मध्यम जलयान

31
रक्षा जलयान

यूनिट

1. कोच्ची स्थित सीएसएल मुख्य शिपयार्ड, जिसमें 3 ड्राई डॉक हैं (हाल ही में जनवरी 2024 में एक नए बड़े ड्राई डॉक का उद्घाटन किया गया है)
2. कोच्ची पत्तन, कोच्चि स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) (हाल ही में जनवरी 2024 में उद्घाटन किया गया है)
3. मुंबई पत्तन, मुंबई स्थित सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता स्थित सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)
5. पोर्ट ब्लेयर स्थित मरीन डॉकयार्ड स्थित सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू)

पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियां

6. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल), हावडा, पश्चिम बंगाल
7. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल), उडुपी, कर्नाटक



हमारा कार्यक्षेत्र

विविध बेडे के माध्यम से समुद्री शक्ति की पहचान

पोत निर्माण

₹2,955 करोड

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पोत निर्माण से अब तक की सर्वाधिक कुल आय।

रक्षा


वायुयान वाहक


अगली पीढ़ी का मिसाइल जलयान


पनडुब्बी रोधी युद्धक उथला जल पोत


प्रौद्योगिकी प्रदर्शन जलयान


तैरते सीमा चौकी जलयान


तीव्र गति के गश्ती जलयान


जल सर्वेक्षण जलयान


अपतटीय गश्ती जलयान


प्रदूषण नियंत्रण जलयान

वाणिज्यिक


तेल टैंकर


थोक वाहक


ड्रेजर


यात्री जलयान


टग


विशेष प्रयोजन जलयान


डेक कार्गो/जैकेट लॉन्च बार्ज


विद्युत स्वायत्त जलयान


विद्युत यात्री नौकाएं


रो-पैक्स जलयान


विशेष मत्स्यग्रहण जलयान


समुद्री एम्बुलेंस


कमीशनिंग सेवा संचालन पोत


हाइब्रिड सेवा संचालन जलयान


शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान

अपतटीय



प्लेटफ़ॉर्म आपूर्ति जलयान



लंगर संचालन/टग आपूर्ति जलयान

पोत मरम्मत



वायुयान वाहक और अन्य रक्षा जलयानों का रखरखाव और मरम्मत



तेल रिग उन्नयन, मरम्मत परियोजनाएँ और रूपांतरण





टैंकरों, थोक वाहकों, सभी प्रकार के वाणिज्यिक और विशिष्ट जलयानों की मरम्मत और रखरखाव

₹1,865 करोड़

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पोत मरम्मत से अब तक की सबसे अधिक कुल आय।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान

सीएसएल का समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटी), भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 1993 से एक वर्षीय स्नातकोत्तर समुद्री इंजीनियरिंग (जीएमई) पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है और समुद्री उद्योग के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह पाठ्यक्रम कैडेटों को समुद्री करियर के लिए उन्नत तकनीकी कौशल और व्यावहारिक ज्ञान से सुसज्जित करता है। इसके अलावा, मेटी कई विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है जैसे कि बुनियादी अग्निशमन व्यावहारिक प्रशिक्षण, तेल और रासायनिक टैंकर परिचय, फिटर संवर्द्धन प्रशिक्षण, वेल्डर ब्रिजिंग प्रशिक्षण, समुद्री संरचनात्मक फिटर प्रशिक्षण, रिगर प्रशिक्षण आदि। उद्योग जगत की अग्रणी कंपनियाँ जैसे कि मेर्स्क ए/एस, डेनमार्क, बीएसएम इंडिया और केरल सरकार का एएसएपी, उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए मेटी के साथ साझेदारी कर रहा है।

मेटी की निरंतर उत्कृष्टता ने इसे कई पुरस्कार और मान्यताएँ दिलाई हैं।

102

स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग कैडेटों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया गया

650+

प्रतिभागियों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विशेष प्रशिक्षणों से लाभ हुआ







कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

पारंपरिक पोत निर्माण और पोत मरम्मत से परे अपनी राजस्व धाराओं में विविधता लाने के लिए, हमने एक समर्पित वर्टिकल - सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) की स्थापना की है। यह प्रभाग समुद्री क्षेत्र में उभरते अवसरों का पता लगाने के लिए कार्यनीतिक और ज्ञान-संचालित तकनीकों का लाभ उठाने पर केंद्रित है। सी-एसएएस के माध्यम से, हम भविष्य के लिए तैयार, टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं जो उद्योग की बदलती गतिशीलता के अनुरूप हों।



अध्यक्षीय भाषण



मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मुझे यह साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैंडअलोन और समेकित आधार पर अपनी अब तक की सबसे अधिक कारोबार, कर पूर्व लाभ और कर पश्चात् लाभ हासिल की, जो कंपनी की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रिय शेयरधारक,

मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के निष्पादन की मुख्य बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह वर्ष रिकॉर्ड कारोबार, कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर-पश्चात लाभ (पीएटी), अच्छे क्रियान्वयन और कार्यनीतिक प्राथमिकताओं में उल्लेखनीय प्रगति के लिए जाना जाता है। हमने रक्षा, वाणिज्यिक और हरित पोत क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति मजबूत की है, साथ ही प्रमुख सहयोगों के माध्यम से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार भी किया है। प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, जैसे कि नई ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा, के प्रचालन की शुरुआत ने जटिल और उच्च-मूल्य वाले कार्यों को निष्पादित करने की हमारी क्षमता को बढ़ाया है। विविध ऑर्डर बुक और प्रचालन उत्कृष्टता पर स्पष्ट ध्यान के साथ, सीएसएल देश की समुद्री विकास गाथा में सार्थक योगदान दे रहा है।

वित्तीय निष्पादन

मुझे यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्टैंडअलॉन और समेकित आधार पर अपना अब तक का सर्वोच्च कारोबार, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर पश्चात लाभ (पीएटी) हासिल किया है, जो कंपनी की विकास यात्रा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। समेकित आधार पर, सीएसएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में ₹4,820 करोड़ का कारोबार दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹3,830 करोड़ था। पोत निर्माण से प्राप्त आय ₹2,955 करोड़ थी, जबकि पोत मरम्मत से प्राप्त आय ₹1,865 करोड़ थी। कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के ₹1,071 करोड़ से बढ़कर ₹1,125 करोड़ हो गया। इस वर्ष कर पश्चात लाभ ₹827 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह ₹783 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर ₹5579 करोड़ हो गई।.

बोर्ड ने ₹5 प्रति शेयर मूल्य वाले 26,30,80,780 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर ₹2.25 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। इससे पहले, वर्ष के दौरान शेयरधारकों को ₹4.00 और ₹3.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश, कुल मिलाकर ₹7.50 प्रति इक्विटी शेयर, का भुगतान किया गया था। इससे वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश ₹9.75 प्रति इक्विटी शेयर (195%) हो जाता है, जो ₹256.50 करोड़ होता है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने अक्तूबर 2024 में, बिक्री प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से सीएसएल में अपनी 4.95% हिस्सेदारी का विनिवेश किया, जिससे सार्वजनिक हिस्सेदारी बढ़कर 32.09% हो गई और शेष 67.91% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास रही।

प्रचालन कार्य निष्पादन

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल ने स्थिर प्रचालन निष्पादन बनाए रखा। पोत निर्माण के क्षेत्र में, सीएसएल को एक यूरोपीय ग्राहक से हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन जलयान (एसओवी) के डिज़ाइन और निर्माण का ऑर्डर मिला। हाइब्रिड बैटरी सिस्टम से सुसज्जित इस जलयान का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता में सुधार और उत्सर्जन में कमी लाना है, और यह यूरोपीय बाज़ार में अपतटीय पवन फार्मों की सेवा और रखरखाव संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगा, जहाँ स्थायी ऊर्जा समाधान तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सीएसएल ने कोच्ची नगर निगम के साथ एक रो-रो जलयान के निर्माण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। हालाँकि यह परियोजना वित्तीय दृष्टि से बड़ी नहीं है, लेकिन कोच्ची में यातायात को कम करने, यात्रा के समय को बचाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने में मदद करके समाज के लिए इसका बहुत मूल्य है।

वर्ष के दौरान, सीएसएल ने कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए पाँच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल पोत वितरित किए। इसके अलावा, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन पोत सीएसएल से वाराणसी के लिए रवाना किया गया, जो स्थायी समुद्री समाधानों की दिशा में देश की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ।

पोत मरम्मत क्षेत्र की बात करें तो, सीएसएल ने भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित अपनी पाँच पोत मरम्मत इकाइयों में कुल 187 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उल्लेखनीय है कि सीएसएल ने भारतीय नौसेना के वायुयान आईएनएस विक्रमादित्य की संक्षिप्त मरम्मत और ड्राई डॉकिंग पूरी की और अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (एमएसआरए) पर हस्ताक्षर किए, जिससे सीएसएल को मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के पोतों की मरम्मत का कार्य करने में सक्षम बनाया गया।

वर्ष के दौरान, सीएसएल ने भारत के पोत डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'भारत में डिजाइन, विश्व के लिए डिजाइन' विषय के अंतर्गत पोत डिजाइन कॉन्क्लेव 'संकल्प' का आयोजन किया।

सीएसएल का कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान प्रभाग (सी-एसएएस)

उद्योग के रुझानों को ध्यान में रखते हुए, सीएसएल अपने कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) प्रभाग के माध्यम से उभरते अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है। सी-एसएएस प्रभाग ने 2024-25 के दौरान अच्छी प्रगति की है। पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन अब संबद्ध एच2 ईंधन अवसंरचना के साथ वाराणसी में तैनात किया गया है। डीआरडीओ के लिए एचईएयूवी के पहले सतही परीक्षण के बाद, जिसने सभी मिशन मानकों को पूरा किया, सी-एसएएस अब एक स्वायत्त पोत के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके लिए हमने एमओपीएसडब्ल्यू की अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत 50% वित्त पोषण प्राप्त किया है। अत्याधुनिक तकनीकों, विशिष्ट सेवाओं और कार्यनीतिक साझेदारियों पर ध्यान केंद्रित करके, सी-एसएएस सीएसएल के पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा है और हमारी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत कर रहा है।

सी-एसएएस, सीएसएल की 'उषस' समुद्री स्टार्टअप योजना का भी नेतृत्व कर रहा है, जो समुद्री क्षेत्र में आशाजनक स्टार्टअप्स की पहचान और समर्थन करके नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। आईआईएम कोषिकोड लाइव और आईआईटी मद्रास चयन, निगरानी और हितधारक समन्वय के लिए समीक्षा और अनुशंसा अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं। अब तक, डीप टेक, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों में विशेषज्ञता रखने वाले 11 स्टार्टअप्स को ₹5.1 करोड़ की प्रतिबद्धता जताई गई है।

सहायक कंपनियाँ

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

पश्चिम बंगाल के नज़ीरगंज स्थित हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी हुगली-सीएसएल ने वर्ष के दौरान अपने प्रचालन को मज़बूत करना जारी रखा। यार्ड को इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड से दो 40 टन एएसडी बोलार्ड पुल टग का ऑर्डर मिला। यह वित्त वर्ष 2024 के दौरान दिए गए दो समान जलयानों के पिछले ऑर्डर के अतिरिक्त है। इसके अलावा, हुगली-सीएसएल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए छह हाइब्रिड विद्युत कैटामारन यात्री जलयान और जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 2,200 टन का एक बहुउद्देश्यीय जलायन भी बना रही है। इन परियोजनाओं के साथ-साथ, हुगली-सीएसएल असम के पांडु में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए आईडब्ल्यूएआई के सलाहकार के रूप में कार्य कर रही है।

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, हुगली-सीएसएल ने पिछले वर्ष के ₹2,072 लाख के मुकाबले ₹5,775 लाख का कारोबार दर्ज किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023-24 में ₹3,006 लाख के नुकसान की तुलना में ₹1,738 लाख का घाटा दर्ज किया। इन परियोजनाओं के निरंतर कार्यान्वयन के साथ, कंपनी आने वाले वर्षों में प्रचालन निष्पादन में सुधार और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने पर केंद्रित है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)

कर्नाटक के उडुपी स्थित हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, उडुपी-सीएसएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान छोटे और मध्यम आकार के जलयान खंड में अपनी पकड़ मजबूत की है। यार्ड की मजबूत निष्पादन क्षमताओं के कारण संतुष्ट ग्राहकों से बार-बार ऑर्डर मिले, जिनमें बारह 70 टन बोलार्ड पुल टग; ओशन स्पार्कल लिमिटेड से ग्यारह और पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से एक और विल्सन एएसए, नॉर्वे से आठ 6,300 टन वजनी ड्राई कार्गो जलयान शामिल हैं। निरंतर निष्पादन और ग्राहकों के विश्वास के साथ, उडुपी-सीएसएल ने लगभग ₹2,200 करोड़ की एक अच्छी ऑर्डर बुक तैयार की है।

उडुपी-सीएसएल की मजबूत निष्पादन क्षमताओं के कारण संतुष्ट ग्राहकों से बार-बार ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनमें बारह 70टी बोलार्ड पुल टग शामिल हैं; ग्यारह ऑर्डर ओशन स्पार्कल लिमिटेड से और एक पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से, साथ ही नॉर्वे की विल्सन एएसए से आठ 6,300 टी डीडब्ल्यू ड्राई कार्गो वेसल्स के ऑर्डर शामिल हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, उडुपी-सीएसएल ने ₹26,564 लाख का कारोबार दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹17,972 लाख था। कंपनी ने ₹263 लाख का लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह ₹111 लाख था।

निगमित शासन

कंपनी उत्तम निगमित शासन प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के लागू निगमित शासन विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और संबंधित गैर-अनुपालनों के।

दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, सीएसएल के बोर्ड में छह स्वतंत्र निदेशकों की सांविधिक आवश्यकता के विपरीत, एक महिला निदेशक सहित कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। यह स्थिति स्वतंत्र निदेशक श्री पृथ्वीराज हरिचंदन के दिनांक 2

मई, 2024 से ओडिशा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने और शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल दिनांक 21 नवंबर, 2024 को पूरा होने के बाद उत्पन्न हुई। सीएसएल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है। तदनुसार, इन रिक्तियों की सूचना भारत सरकार को दी गई और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से मामले की अनुवर्ती कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप, मई 2025 में, सरकार ने डॉ. सीमा सूरी को सीएसएल के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। इस नियुक्ति के साथ, सीएसएल हितधारक संबंध समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निगमित सामाजिक दायित्व एवं सतत विकास समिति का गठन करने में सक्षम हो गया है, क्योंकि इन समितियों का गठन एक स्वतंत्र निदेशक के साथ किया जा सकता है। कंपनी अभी भी पाँच और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद लागू नियमों के पूर्ण अनुपालन में अन्य सांविधिक समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा।

सीएसएल के सुरक्षा प्रबंधन प्रयासों को वर्ष के दौरान कई मंचों पर मान्यता प्राप्त हुई। कंपनी ने केरल सरकार के फैक्ट्रीज़ और बॉयलर्स विभाग से केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2024 जीता। सीएसएल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा बहुत बड़े कारखानों - इंजीनियरिंग श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए 'श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया।

मानव संसाधन

सीएसएल में, हम अपने कर्मचारियों को अपनी सफलता की नींव मानते हैं। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, हमारी कुल श्रमशक्ति 3,542 थी, जिसके पूरक के रूप में 1,083 प्रशिक्षु थे, जो यार्ड में संरचित कार्यस्थल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष के दौरान, हमारे बढ़ते प्रचालन क्षेत्र के अनुरूप, प्रशिक्षुओं सहित विभिन्न श्रेणियों में 1,310 नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। सभी स्तरों पर क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, हमने आंतरिक और प्रमुख संस्थानों में, कुल मिलाकर लगभग 4,650 मानव दिवसों के 200 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम तकनीकी, सुरक्षा, कार्यात्मक और नेतृत्व क्षेत्रों पर केंद्रित थे, जिनसे 3,350 से अधिक प्रतिभागियों को लाभ हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि कुल 40 कर्मचारियों ने जापान में एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जो अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 के दौरान दो बैचों में आयोजित किया गया था। दूसरे बैच में 50% महिलाओं की भागीदारी थी, जो कार्यबल में कौशल उन्नयन और लैंगिक विविधता को बढ़ावा देने पर हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। निरंतर सीखने और नेतृत्व विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए, सीएसएल ने अपनी नेतृत्व वार्ता श्रृंखला, प्रज्योति और प्रज्ञान की शुरुआत की। ये सत्र विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा दिए गए संक्षिप्त व्याख्यानों के माध्यम से कार्यबल को प्रेरित और संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस पहल के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रज्योति के 4 सत्र और प्रज्ञान के 3 सत्र आयोजित किए गए। सीएसएल ने इस वर्ष प्रगतिशील मानव संसाधन सुधारों को भी लागू किया, जिसमें बाल देखभाल अवकाश और गंभीर बीमारी अवकाश के प्रावधान शामिल हैं, जो एक देखभाल और समावेशी कार्यस्थल के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। सीएसएल ने कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से अपने कर्मचारी कल्याण प्रयासों को भी जारी रखा।

औद्योगिक संबंध

सीएसएल ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखा, और कंपनी में श्रमिक अशांति के कारण मानव-घंटों की कोई हानि नहीं हुई। सभी स्तरों के कर्मचारी, जिनमें अधिकारी, गैर-संघीय पर्यवेक्षक और कामगार शामिल हैं, कंपनी के उद्देश्यों के प्रति समर्पण, अनुशासन और समन्वय का प्रदर्शन करते रहे। प्रबंधन, ट्रेड यूनियनों, संघों और विभिन्न हितधारकों के बीच पारस्परिक सम्मानपूर्ण संबंध, जो हमेशा यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि सीएसएल हमारी सोच के केंद्र में रहे, सीएसएल की एक पहचान रही है।

सीएसएल अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भी पूरा ध्यान रखता है और 2,000 से अधिक सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को नकद रहित चिकित्सा लाभ प्रदान करता है और लगभग 850 लोगों को दवाइयाँ भी उपलब्ध कराता है। चिकित्सा योजना के अलावा, सीएसएल विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इसमें 'शिपयार्ड आश्वासन किरणम' और 'शिपयार्ड सांत्वना स्पर्शम' योजनाओं के तहत 33 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायता शामिल है। इसके अलावा, 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की अमूल्य सेवाओं का सम्मान करने के लिए, सीएसएल ने 'संयम प्रभा' योजना शुरू की है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके 75 वें जन्मदिन पर और उसके बाद हर पाँच साल में नकद उपहार दिए जाते हैं। इस योजना के तहत कुल 307 कर्मचारियों को नकद उपहारों से सम्मानित किया गया है।

अपने सतत सहयोग और समर्थन उपायों के माध्यम से, कंपनी ने एक स्थिर और सहयोगात्मक कार्य वातावरण कायम रखा, जिससे उसके प्रचालन में प्रगति संभव हुई।

सततता

सीएसएल में, हमारा उद्देश्य अपने प्रचालन के हर पहलू में सततता को समाहित करना है। हम मानते हैं कि पोत निर्माण का भविष्य ऐसी प्रथाओं को अपनाने में निहित है जो पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार और प्रचालन की दृष्टि से कुशल दोनों हों। पर्यावरण अनुकूल पोतों के निर्माण के अलावा, सीएसएल जल्द ही अपने प्रचालन के लिए 100% स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की दिशा में भी काम कर रहा है, जिसका लक्ष्य पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय शिपयार्ड बनना है। सततता में हमारे नेतृत्व को सीआईआई ग्रीनको फ्रेमवर्क में 'गोल्ड' रेटिंग में अपग्रेड करके और भी मान्यता दी गई है। हरित ऊर्जा के अलावा, पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सिद्धांतों पर सीएसएल का ध्यान हमारी भविष्य की कार्यनीति का अभिन्न अंग है।

सीएसएल देश के व्यापक सततता लक्ष्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित है और हम स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-कुशल बुनियादी ढांचे में निवेश करना जारी रखेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे प्रचालन भविष्य के लिए तैयार और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बने रहें।

सुरक्षा

सीएसएल में सुरक्षा एक प्रमुख संगठनात्मक प्राथमिकता बनी हुई है, जो हमारी संरचित प्रणालियों, निरंतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति प्रतिबद्धता में परिलक्षित होती है। कंपनी आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन और आईएसओ 45001:2018 व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन के अनुरूप एक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का रखरखाव करती है, जो सर्वोत्तम एचएसई प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करती है। मार्च 2025 में, सीएसएल ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना और अनुरक्षण के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करके अपने ढांचे को और मजबूत किया।

सुरक्षा जागरूकता और क्षमता निर्माण को मज़बूत करने के लिए, सीएसएल एक समर्पित एचएसई योग्यता विकास केंद्र संचालित करता है जो हमारे कर्मचारियों को संरचित प्रशिक्षण प्रदान करता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रचालन क्षेत्रों में विभिन्न एचएसई पहलों में निवेश जारी रखा। सीएसएल सभी स्तरों पर संभावित खतरों की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें कम करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा, निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन भी करता है। वर्ष के दौरान, सीएसएल ने 'भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की ओर अग्रसर करना' विषय पर दो दिवसीय एचएसई कॉन्क्लेव 'संश्रया' का भी आयोजन किया, जिसका उद्घाटन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी. के. रामचंद्रन आईएएस ने किया। इस कॉन्क्लेव में देश भर के प्रमुख शिपयार्ड पोत निर्माण और पोत मरम्मत में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सुरक्षा की संस्कृति को मज़बूत करने के लिए एक साथ आए।

वर्ष के दौरान सुरक्षा प्रबंधन में सीएसएल के प्रयासों को कई मंचों पर मान्यता मिली। कंपनी ने केरल सरकार के कारखाना एवं बॉयलर विभाग से केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2024 (उप श्रेणी II) हासिल किया। सीएसएल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) द्वारा अति विशाल कारखाना - इंजीनियरिंग श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा निष्पादन के लिए 'श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया।

निगमित सामाजिक दायित्व

सीएसएल एक ज़िम्मेदार निगमित नागरिक के रूप में अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध है और अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहलों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़ता है। एक संरचित सीएसआर ढाँचा मौजूद है, जिसे एक समर्पित सीएसआर प्रकोष्ठ द्वारा समर्थित किया जाता है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की उचित योजना, क्रियान्वयन और निगरानी सुनिश्चित करता है। पिछले कुछ वर्षों में, सीएसएल ने पूरे भारत में 900 से अधिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया है, जिनका कुल सीएसआर व्यय ₹140 करोड़ से अधिक है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक विकास पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹13.88 करोड़ के निर्धारित बजट के मुकाबले ₹17.90 करोड़ खर्च किए और स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को मुख्य विषय बनाकर 108 सीएसआर परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया। डीपीई के निर्देशों के अनुरूप, महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी वाला एक आकांक्षी जिला, वायनाड, एक प्रमुख फोकस क्षेत्र था। सीएसआर परियोजनाएँ न केवल केरल में, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश के अन्य भागों में भी शुरू की गईं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सीएसएल को उसके सीएसआर प्रदर्शन के लिए दो पुरस्कारों से सम्मानित किया गया - एक राष्ट्रीय कार्मिक प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएम), कोच्ची चैप्टर द्वारा, और दूसरा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) द्वारा उसकी प्रभावशाली सीएसआर पहलों के लिए।

भविष्य की ओर

जैसा कि हम आगे देखते हैं, सीएसएल लगभग ₹21,000 करोड़ के मजबूत ऑर्डर बुक के साथ नए वित्तीय वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जो देशीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में रक्षा, वाणिज्यिक और हरित पोत खंडों में दृश्यता और स्थिरता प्रदान करता है। सीएसएल समूह में, हमारे पास कुल 75 जलयानों का ऑर्डर है, जिनमें से 50 वर्तमान में निर्माणाधीन हैं, जिनमें से 28 सीएसएल में और 11-11 हुगली-सीएसएल और उडुपी-सीएसएल में हैं।

नए ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा सहित हमारी उन्नत अवसंरचना ने बड़ी और जटिल परियोजनाओं को निष्पादित करने की हमारी क्षमता को मजबूत किया है, जिससे सीएसएल वैश्विक ग्राहकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित हो गया है।

मैरीटाइम इंडिया विजन (एमआईवी) 2030 और मैरीटाइम अमृत काल विजन (एमएकेवी) 2047 के तहत सरकार के समुद्री दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 20 से अधिक विभास और एनएवीआईसी प्रकोष्ठों की स्थापना की है। सीएसएल, 21 ऐसे प्रकोष्ठों में शामिल अपने अधिकारियों के साथ, देश के समुद्री रोडमैप में कार्यनीतिक योगदान देते हुए, एक सक्रिय भूमिका निभाता है। एमआईवी 2030, एमएकेवी 2047 जैसी राष्ट्रीय पहलों और 2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के अनुरूप, सीएसएल ने इस परिवर्तनकारी यात्रा में अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्रूस $2030^{2.0}$ नामक एक कार्यनीतिक रोडमैप तैयार किया है। पोत निर्माण और पोत मरम्मत में अपने पाँच दशकों के अनुभव, विस्तारित बुनियादी ढाँचे, उभरते वैश्विक समुद्री रुझानों और सरकार के नीतिगत समर्थन का लाभ उठाते हुए, सीएसएल समुद्री क्षेत्र में टिकाऊ, तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है।

हमारी कार्यनीति क्रूज़ $2030^{2.0}$ दो स्तंभों पर आधारित है - राजस्व सृजन और प्रचालन उत्कृष्टता। इस रोडमैप के तहत चिन्हित प्रमुख पहलों में बड़े जलयानों के निर्माण में कार्यनीतिक साझेदारी स्थापित करना, पोत मरम्मत क्लस्टरों की स्थापना, समुद्री विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना और पोत डिज़ाइन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावनाएँ तलाशना शामिल है। ये पहल, जिनमें से कुछ पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, क्षमताओं के निर्माण पर हमारे ध्यान को दर्शाती हैं जो न केवल हमारी प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेंगी बल्कि भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास में भी सार्थक योगदान देंगी।

समापन टिप्पणी

अंत में, मैं सीएसएल समूह की पूरी टीम के प्रति उनके समर्पण, व्यावसायिकता और हमारे प्रचालन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने की क्षमता के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों, व्यावसायिक साझेदारों और निवेशकों को भी कंपनी के प्रति उनके विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

मैं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक की राज्य सरकारों तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा दिए गए सहयोग और प्रोत्साहन की ईमानदारी से सराहना करता हूं, जो हमारी आकांक्षाओं को साकार करने में सहायक रहे हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम नवाचार, स्थिरता और प्रचालन उत्कृष्टता के माध्यम से भारत की समुद्री क्षमताओं को मज़बूत करने के अपने मिशन में निरंतर लगे हुए हैं। अपनी मज़बूत ऑर्डर बुक, आधुनिक बुनियादी ढाँचे और कुशल कार्यबल के बल पर, सीएसएल भविष्य के अवसरों और चुनौतियों का सामना करने, अपने हितधारकों को दीर्घकालिक मूल्य प्रदान करने और देश की विकास गाथा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।

धन्यवाद, जय हिंद।

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राप्त प्रमुख उपलब्धियां

नींव से शिखर तक : हमारी प्रगति की पहचान



अप्रैल 04, 2024

सीएसएल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ मास्टर पोत मरम्मत समझौता (एमएसआरए) पर हस्ताक्षर किए। इससे सीएसएल में मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के तहत अमेरिकी नौसेना के पोतों की मरम्मत में सुविधा होगी।

अप्रैल 11, 2024

उडुपी- सीएसएल को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से एक 70 टी बोलार्ड पुल टग के निर्माण का आर्डर मिला।

अप्रैल 15, 2024

कोच्ची मेट्रो को 23 हाइब्रिड कैटामारन हल पोतों के कुल ऑर्डर में से चोदहवां पोत वितरित किया गया।

मई 09, 2024

उडुपी- सीएसएल को पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड से एक 70 टी बोलार्ड पुल टग कोन्ना स्टार वितरित किया।

मई 09 : 10, 2024

सीएसएल ने 'भारतीय शिपयार्डों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की ओर अग्रसर करना' विषय पर दो दिवसीय एचएसई कॉन्क्लेव 'संश्रया' का आयोजन किया। इस सम्मेलन में भारत के शीर्ष शिपयार्डों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रथाओं को बेहतर बनाने तथा पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत में उत्कृष्टता लाने के लिए एक मंच पर लाया गया।

जून 27, 2024

उडुपी- सीएसएल को विल्सन एएसए, नॉर्वे से चार 6300 टीडीडब्ल्यू ड्राइ कार्गो वेसल्स के निर्माण का ऑर्डर मिला।

मई 30, 2024

उडुपी- सीएसएल को ओशन स्पार्कल लिमिटेड से तीन 70 टी बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण का ऑर्डर मिला।

मई 18, 2024

सीएसएल द्वारा डिज़ाइन और विकसित भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन पोत वाराणसी के लिए रवाना हुआ।

मई 13, 2024

सीएसएल को एक यूरोपीय ग्राहक से हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल (हाइब्रिड एसओवी) के डिज़ाइन और निर्माण का ऑर्डर मिला।

जुलाई 15, 2024

हुगली- सीएसएल को इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड से दो एएसडी बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण का ऑर्डर मिला।

जुलाई 20, 2024

कोच्ची मेट्रो को 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल पोतों के कुल ऑर्डर में से पंद्रहवां पोत वितरित किया गया।

अगस्त 12, 2024

लक्षद्वीप प्रशासन के एचएससी पराली के सफल डॉकिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया गया।

अगस्त 30, 2024

कोच्ची मेट्रो को 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल पोतों के कुल ऑर्डर में से सोलहवां पोत वितरित किया गया।

सितंबर 13, 2024

माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए बनाए जा रहे 12000 घन मीटर क्षमता वाले टेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर का शिलान्यास (वर्चुअल मोड में) किया।

सितंबर 11, 2024

उडुपी- सीएसएल ने पोलस्टार मैरीटाइम लिमिटेड को एक 70 टी बोलार्ड पुल टग मोगरा स्टार वितरित किया।

सितंबर 09, 2024

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे दो पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जल क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) का जलावतरण किया गया।

सितंबर 07, 2024

एचएस सर्विस जीएमबीएच एंड कंपनी केजी, जर्मनी के लिए बनाए जा रहे दो एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी पोत का शुभारंभ किया गया।



सितंबर 27, 2024

उडुपी- सीएसएल को विल्सन एएसए, नॉर्वे से चार 6300 टीडीडब्ल्यू ड्राइ कार्गो वेसल्स के निर्माण का ऑर्डर मिला।

अक्तूबर 24, 2024

सीएसएल ने 'भारत में डिज़ाइन, विश्व के लिए डिज़ाइन' विषय पर एक दिवसीय पोत डिज़ाइन कॉन्क्लेव 'संकल्प' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में एक मज़बूत पोत डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना और वैश्विक निर्भरता को कम करने के लिए बारत में डिज़ाइन को प्रोत्साहित करना था।

नवंबर 12, 2024

सीएसएल ने स्टार्ट-अप सहायता कार्यक्रम 'उषस' के तहत तीन आशाजनक स्टार्ट-अप को 90 लाख रुपए की सीड फंडिंग प्रदान की।

नवंबर 13, 2024

सीएसएल ने कोच्ची नगर निगम के साथ रो-रो जलयान के निर्माण के लिए एक ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए।

दिसंबर 12, 2024

एक यूरोपीय ग्राहक के लिए बनाए जा रहे एक कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल (सीएसओवी) का कील बिछाना।

नवंबर 30, 2024

- आईएनएस विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
- टेरामारिस को इसकी भव्यता और अद्वितीय शिल्प कौशल के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्डस और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्डस दोनों से प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त हुई।

नवंबर 25, 2024

कोच्ची मेट्रो को 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल पोतों के कुल ऑर्डर में से सत्रहवां पोत वितरित किया गया।

नवंबर 22, 2024

सीएसएल ने भारतीय बाजार के लिए जैक-अप रिग डिजाइन विकसित करने के लिए सीट्रियम लेटर्न्यू यूएसए, इंक, (एसएलईटी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

दिसंबर 16, 2024

भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे एक अगली पीढ़ी के मिसाइल पोत की स्टील कटिंग।

दिसंबर 17, 2024

भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे एक पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) का कील बिछाने का कार्य।

दिसंबर 27, 2024

उडुपी- सीएसएल को ओशन स्पार्कल लिमिटेड से आठ 70 टी बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण का ऑर्डर मिला।

जनवरी 09, 2025

कोच्ची मेट्रो को 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल पोतों के कुल ऑर्डर में से अठारहवां पोत वितरित किया गया।

जनवरी 29, 2025

भारतीय नौसेना के लिए निर्मित किए जा रहे 8 पोतों की श्रृंखला में 7 वें एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी के लिए कील बिछाई गई।

मार्च 22, 2025

सीएसएल ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए आईएसओ 27001:2022 के अनुसार प्रमाणन प्राप्त किया।

फरवरी 25, 2025

एक यूरोपीय ग्राहक के लिए निर्मित हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल (हाइब्रिड एसओवी) की स्टील कटिंग।

फरवरी 18, 2025

सीएसएल ने इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग और सर्विसिंग, टेक्सटाइल और कॉयर क्षेत्रों में बडे उद्योगों के बीच वर्ष 2024 के लिए राज्य सरकार के अंतर्गत कारखाना और बॉयलर विभाग द्वारा स्थापित औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार जीता।

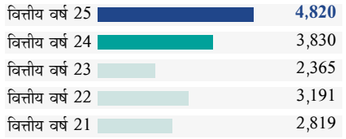


वित्तीय निष्पादन

वित्तीय सतर्कता के साथ विकास की दिशा में अग्रसर

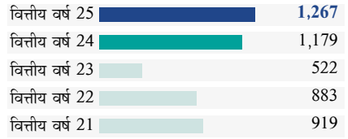
कुल कारोबार

(₹ करोड़) 26% वार्षिक



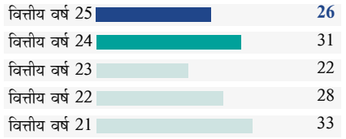
ईबीआईटीडीए

(₹ करोड़) 7% वार्षिक



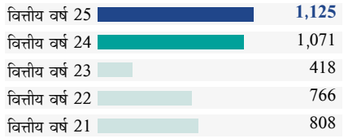
ईबीआईटीडीए मार्जिन (%)

(%) (16%) वार्षिक



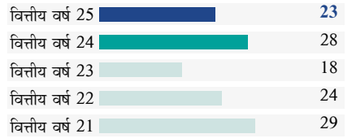
कर से पहले का लाभ (पीबीटी)

(₹ करोड़) 5% वार्षिक



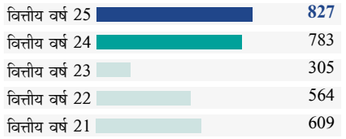
पीबीटी मार्जिन (%)

(%) (18%) वार्षिक



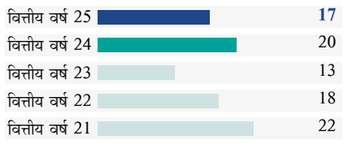
कर पश्चात् लाभ (पीएटी)

(₹ करोड़) 6% वार्षिक



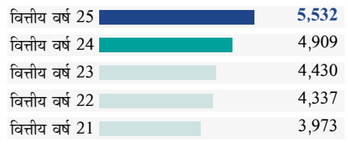
पीएटी मार्जिन

(%) (15%) वार्षिक



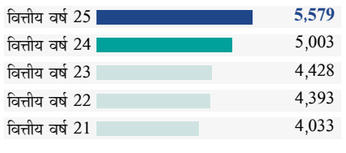
व्यवसाय के लिए आवश्यक मूलधन

(₹ करोड़) 13% वार्षिक



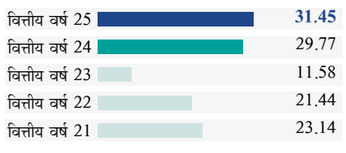
निवल मूल्य

(₹ करोड़) 12% वार्षिक



ईपीएस

(₹) 6% वार्षिक



नोट: ऊपर प्रस्तुत ईपीएस आंकडे जनवरी 2024 में स्टॉक विभाजन के परिणामस्वरूप शेयरों के नए अंकित मूल्य पर आधारित हैं। तुलना में आसानी के लिए पिछले वर्षों के आंकड़ों को समायोजित किया गया है।

10- वर्षीय कार्य-निष्पादन समीक्षा

प्रमुख संकेतक	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
ईपीएस (₹ प्रति शेयर)	31.45	29.77	23.16	42.87	46.27	48.05	35.47	31.00	28.44	24.28
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
ईबीआईटीडीए / सकल कारोबार (%)	26.28	30.77	22.09	27.66	32.61	27.80	26.87	27.73	26.38	23.71
निवल लाभ मार्जिन (%)	17.16	20.45	12.89	17.67	21.59	18.47	16.13	16.83	15.65	13.78
निवल संपत्ति पर प्रतिफल (%)	14.83	15.66	6.88	12.84	15.09	16.98	14.35	12.17	15.86	15.88
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)	21.04	22.49	10.24	18.75	21.63	24.16	22.93	18.82	24.47	24.93

(₹ करोड़ों में, जब तक कि अन्यथा न कहा जाए)

विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
कुल बिक्री	4819.95	3830.45	2364.55	3190.95	2818.90	3422.49	2962.16	2355.12	2058.87	1995.89
कुल आय	5209.02	4140.64	2571.57	3453.76	3009.72	3667.58	3188.97	2544.35	2222.45	2109.77
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	1125.17	1070.94	418.44	765.94	808.13	857.72	747.52	604.24	494.00	424.08
मूल्यह्रास और राइट-ऑफ	103.18	74.58	68.84	69.66	59.83	48.94	34.20	37.51	38.51	37.19
कर पश्चात लाभ (पीएटी)	827.33	783.28	304.71	563.96	608.66	632.01	477.79	396.26	322.15	275.03
इक्विटी सेयर पूंजी	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28
आरक्षित और अधिशेष	5447.72	4871.80	4296.11	4261.64	3901.91	3591.34	3197.10	3119.54	1917.83	1618.87
निवल संपत्ति	5579.26	5003.34	4427.65	4393.18	4033.45	3722.88	3328.64	3255.47	2031.11	1732.15
सकल अचल संपत्ति	3572.91	1396.21	1319.25	1197.61	1035.31	857.96	426.93	369.79	599.97	662.18
निवल अचल संपत्ति	3034.10	949.45	943.30	905.44	803.98	700.48	313.24	284.47	302.85	370.22
सीएसएल के कर्मचारियों की संख्या (स्थायी)	2140	2133	1883	1756	1727	1710	1744	1781	1829	1671

प्रमुख संकेतक- भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

प्रमुख संकेतक (समेकित)	2024-25	2023-24
उत्पादन मूल्य (करोड रुपए में)	4825.29	3829.78
पूंजीगत व्यय (करोड रुपए में)	461.44	561.58
निर्यात/ विदेश से आय (करोड रुपए में)	728.27	261.36
पिछले वर्ष की तुलना में परिचालन से प्राप्त राजस्व के प्रतिशत के रूप में कुल आयात में कमी (%)	15.98	28.68
राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीआईटीडीए (%)	24.32	28.47
निवल संपत्ति पर प्रतिफल (%)	15.84	16.80
परिसंपत्ति कारोबार अनुपात (%)	38.88	34.38
परिचालन से प्राप्त राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्त (दिनों की संख्या)	17.03	28.92
अनुसंधान एवं विकास /नवाचार पहलों पर व्यय, पीबीटी के प्रतिशत के रूप में (%)	2.02	1.94

प्रचालन उत्कृष्टता

इंजीनियरिंग दक्षता: सतह के नीचे से क्षितिज तक

हम पूरे भारत में कार्यनीतिक रूप से स्थित पोत निर्माण और मरम्मत सुविधाओं का संचालन करते हैं, जिनमें से प्रत्येक विशिष्ट ग्राहक और खंड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। हमारा बुनियादी ढांचा जटिल नौसैनिक प्लेटफार्मों, बड़े वाणिज्यिक जलयानों और अंतर्देशीय/तटीय जलयानों को संभालने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें उत्पादकता, गुणवत्ता और समय-सीमा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सुविधाएँ समुद्री हितधारकों के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हमारी स्थिति को और मज़बूत बनाती हैं।

कोच्ची, केरल

कोच्ची मे हमारे प्रचालन हमारे पोत निर्माण और मरम्मत क्षमताओं का आधार हैं। अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे से सुसज्जित, इस इकाई का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने विभिन्न प्रकार के 175 से अधिक जलयानों की आपूर्ति की है और 2,500 से अधिक पोत मरम्मत परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। भारत के पहले स्वदेशी वायुयानवाहक 'आईएनएस विक्रांत' का सफल निर्माण और वितरण हमारी तकनीकी उत्कृष्टता का प्रमाण है। हाल ही में जोड़े गए नए बड़े ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) ने हमारी क्षमताओं का उल्लेखनीय विस्तार किया है। नया बड़ा ड्राई डॉक हमें 70,000 टन विस्थापन तक के भविष्य के वायुयान वाहक पोतों जैसी कार्यनीतिक संपत्तियों के साथ-साथ केपसाइज़ और स्वेजमैक्स जलयानों, जैक-अप रिग्स, एलएनजी जलयानों आदि सहित बड़े वाणिज्यिक पोतों को संभालने के लिए सक्षम बनाता है। आईएसआरएफ से हमारी मौजूदा पोत मरम्मत क्षमताओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करने की उम्मीद है और कोच्चि को एक वैश्विक पोत मरम्मत केंद्र के रूप में बदलने की आकांक्षा है। हम रक्षा, वाणिज्यिक और अपतटीय क्षेत्रों में देशी और वैश्विक ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की सेवा करते हैं।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), कोच्ची

ड्राई डॉक 1: 255 × 43 × 9 मीटर

ड्राई डॉक 2: 270 × 45 × 12 मीटर

ड्राई डॉक 3: 310 × 75/60 × 13 मीटर (नई)

बर्थ : 1.3 के.मी.

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ), कोच्ची

पोत लिफ्ट: 6000टी (130 × 25 मीटर)

6 कार्य केंद्र

समर्पित शॉप और मैरिटाइम पार्क

बर्थ: 1.4 कि.मी.



मुंबई, महाराष्ट्र

मुंबई में हमारे प्रचालन का संचालन मुंबई पत्तन पर स्थित सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) द्वारा किया जाता है। जनवरी 2019 में प्रचालन शुरू करने के बाद से, इस इकाई ने 125 से अधिक जलयानों की मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी की है। अपनी बढ़ती क्षमताओं के साथ, सीएमएसआरयू ने पश्चिमी तट पर हमारी उपस्थिति को मज़बूत किया है, जिससे विश्वसनीय और समय पर पोत मरम्मत सेवाओं के लिए हमारी प्रतिष्ठा और मज़बूत हुई है। सीएमएसआरयू ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 22 पोत मरम्मत परियोजनाएँ शुरू कीं और ₹177 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।



सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू)

ड्राई डॉक : 300 × 30 × 9 मीटर

बर्थ: 1 कि.मी. (अपतटीय मरम्मत के लिए)



कोलकाता, पश्चिम बंगाल

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) पूर्वी तट की पोत मरम्मत संबंधी ज़रूरतों को पूरा करती है और वाणिज्यिक तथा रक्षा, दोनों क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर कार्यनीतिक रूप से स्थित इस इकाई ने अक्तूबर 2019 में प्रचालन शुरू किया और तब से कई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ पूरी की हैं। सीकेएसआरयू प्रचालन उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता के साथ निरंतर, उच्च-गुणवत्ता वाले मरम्मत समाधान प्रदान करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीकेएसआरयू ने 6 मरम्मत परियोजनाओं को संभाला है और ₹41 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है।

सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू)

ड्राई डॉक: 172 × 23 × 8 मीटर (2 सं.)

श्री विजयापुरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

श्री विजयापुरम (पूर्व में पोर्ट ब्लेयर) स्थित मरीन डॉकयार्ड में स्थित सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू) ने नवंबर 2021 में प्रचालन शुरू किया। यह यूनिट इस क्षेत्र के लिए एक मज़बूत पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और स्थानीय समुद्री आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक और कुशल सेवाएँ प्रदान कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएएनएसआरयू ने लगभग 25 प्रमुख मरम्मत परियोजनाओं के साथ-साथ कई आपातकालीन छोटी मरम्मत गतिविधियों को भी संभाला, जिससे ₹186 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ।



सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू)

ड्राई डॉक 1: 88 × 20 × 7 मीटर

ड्राई डॉक 2: 68 × 16 × 5 मीटर

सिल्पवे: 25 × 8 मीटर (5 सं.)

हावड़ा, पश्चिम बंगाल

हुगली नदी के तट पर नज़ीरगंज में स्थापित, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) उच्च-गुणवत्ता वाले अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के निर्माण के लिए समर्पित एक विशेष सुविधा है। अगस्त 2022 से प्रचालन में, यह सुविधा ऐसे जलयानों की बढ़ती मांग को पूरा करती है और असाधारण उत्पादन प्रदान करने के लिए अपने कॉम्पैक्ट लेआउट और कार्यनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है। हुगली-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹62 करोड़ की कुल आय दर्ज की है और इसकी ऑर्डर बुक लगभग ₹150 करोड़ की है।



हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

सिल्पवे: 136 x 40 मीटर

3 आउटफिटिंग जेट्टी

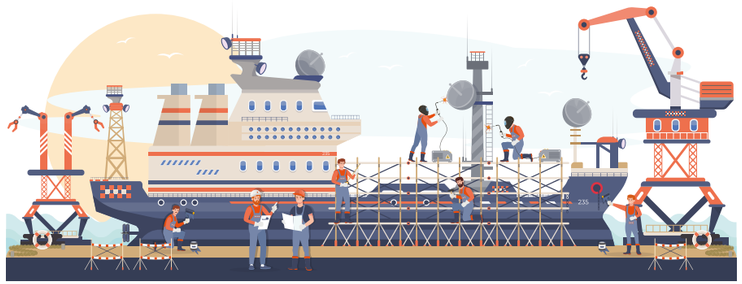


उडुपी, कर्नाटक

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल), सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, का 2020 में अधिग्रहण किया गया और जुलाई 2021 में इसका संचालन शुरू हुआ। उडुपी में स्थित, यह सुविधा देशी और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए छोटे और मध्यम आकार के जलयानों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है। उन्नत बुनियादी ढाँचे और कार्यनीतिक फोकस के साथ, उडुपी-सीएसएल हमारे विविध पोत निर्माण पोर्टफोलियो में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उडुपी-सीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹3 करोड़ के निवल लाभ के साथ ₹279 करोड़ की कुल आय दर्ज की है। उडुपी-सीएसएल के पास लगभग ₹2,200 करोड़ की एक मजबूत ऑर्डर बुक है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)

सिल्पवे : 96 x 22 मीटर



इंफ्रा परियोजनाओं की मुख्य झलकियां

प्रगति की धारा में कार्यनीतिक संपत्तियां और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता

वर्ष के दौरान, हमने दो मेगा बुनियादी ढाँचा सुविधाएँ जोड़ीं जो हमारी क्षमता विस्तार यात्रा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। नई बड़ी ड्राई डॉक और अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) दोनों का उद्घाटन जनवरी 2024 में भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया, जिससे भारत की समुद्री क्षमताओं को आगे बढ़ाने और पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत में राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता का समर्थन करने में हमारी भूमिका सुदृढ़ हुई।

नया बड़ा ड्राई डॉक

हमारे मौजूदा परिसर में स्थित, यह ड्राई डॉक सुविधा कुछ सबसे बड़े श्रेणी के जलयानों के निर्माण और मरम्मत के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे भविष्य के रक्षा और वाणिज्यिक जलयानों के संचालन के लिए हमारी बुनियादी ढाँचागत तैयारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ₹1,799 करोड़ की लागत से निर्मित, यह 310 मीटर लंबा, 75/60 मीटर चौड़ा और 13 मीटर गहरा है। यह एक भारी-भरकम 600 टन गैन्ट्री क्रेन और दो 75 टन/40 टन एलएलटीटी क्रेन से सुसज्जित है। इसका डिज़ाइन जीवन 100 वर्ष है और यह 70,000 टन डॉकिंग विस्थापन वाले वायुयान वाहकों, केपसाइज़ और स्वेज़मैक्स जलयानों सहित बड़े वाणिज्यिक जलयानों, जैक-अप रिग, एलएनजी जलयानों आदि को आराम से संभाल सकता है।

परियोजना के बारे में सादृश्य और जानकारी

- 70,000 मीट्रिक टन स्टील फॉर्म का इस्तेमाल किया गया - एफिल टॉवर में इस्तेमाल हुए स्टील की मात्रा का 10 गुना।
- 7.2 लाख टन कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया - बांद्रा वर्ली सी लिंक में इस्तेमाल हुए कंक्रीट की मात्रा का 1.25 गुना।
- 242 मिलियन लीटर पानी धारण करने की क्षमता - 95 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर।
- विशाल जल निकासी पंप जो 3.5 घंटे में डॉक से पानी निकाल सकते हैं।
- 5,000 आरसीसी पाइल - बुर्ज खलीफा में लगाए गए पाइल की संख्या का लगभग 26 गुना।
- 5,50,000 घन मीटर उत्खनन सामग्री समुद्र में फेंकी गई - 300 फुटबॉल मैदानों के बराबर।
- विद्युत केबल लगभग 80 किलोमीटर तक फैली हुई है।
- सर्विस पाइप लाइनें लगभग 20 किलोमीटर तक फैली हुई हैं।
- 22 मिलियन से अधिक सुरक्षित मानव घंटे प्राप्त किए गए हैं।



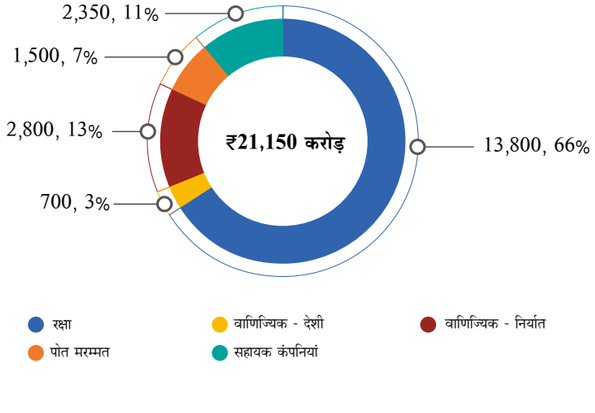
अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

₹970 करोड़ की लागत से निर्मित आईएसआरएफ में 6000 टन क्षमता का एक पोत लिफ्ट और स्थानांतरण प्रणाली है जो अधिकतम 130 मीटर x 26 मीटर आकार के पोतों को संभालने के लिए उपयुक्त है। इसमें 6 कार्य केंद्र हैं जो छह जलयानों की स्वतंत्र और एक साथ मरम्मत की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे यह सुविधा प्रति वर्ष लगभग 82 पोतों की मरम्मत कर सकेगी। आईएसआरएफ से हमारे पोत मरम्मत क्षमता में वृद्धि होने के साथ-साथ कोच्ची को पोत मरम्मत के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है।

आदेश बही स्थिति (मार्च 31, 2025 तक)

परियोजना श्रेणी	जलयानों की सं.	आदेश मूल्य (₹ करोड में)
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		
पोत निर्माण		
रक्षा	14	13,800
वाणिज्यिक - देशी	15	700
वाणिज्यिक - निर्यात	14	2,800
कुल	**43**	**17,300**
पोत मरम्मत	-	1,500
कुल		**18,800**
सहायक कंपनियां		
हुगली-सीएसएल	5	150
उडुपी-सीएसएल	26	2,200
कुल योग	**74**	**21,150**

नोटः उपर्युक्त तालिका में दिया गया आदेश मूल्य 31 मार्च, 2025 तक मान्य किए जाने वाले ऑर्डर की शेष राशि (निकटतम 50 करोड़ तक पूर्णांकित) है।





पुरस्कार और सम्मान

समुद्र और तट पर उत्कृष्टता की स्वर्णिम पहचान

केरल राज्य उत्पादकता परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता प्रदर्शन पुरस्कार 2024 (एफएसीटी एमकेके नायर स्मारक उत्पादकता पुरस्कार) विजेता।

केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2024 - उप-श्रेणी II विजेता।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) द्वारा अति विशाल कारखानों - इंजीनियरिंग श्रेणी में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए 'श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार'।

ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली वाले कारखानों के लिए पुरस्कार श्रेणी में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) द्वारा द्वितीय पुरस्कार।

वर्ष 2023-24 के लिए 'ग' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (सर्वोच्च)।

200 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के लिए प्रथम पुरस्कार।

कोच्चि नगर निगम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की ओर से हिंदी गृह पत्रिका 'सागर रत्न' के लिए प्रथम पुरस्कार।

संयुक्त हिंदी पखवाड़ा समारोह, 2024 के लिए समग्र चैंपियन हेतु प्रथम उपविजेता।

एमएमडी, कोच्ची द्वारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह (एनएमडीसी) पर मेटी के लिए आयोजित सेमिनार में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी पुरस्कार और खेलकूद हेतु समग्र चैंपियन की रोलिंग ट्रॉफी तथा सर्वश्रेष्ठ पेपर पुरस्कार (छात्र सत्र)।

वर्ष 2025 के लिए सीआईपी ऑडिट में नौवहन महानिदेशालय की ओर से एलआर क्लास द्वारा मेटी को ए1 ग्रेड (उत्कृष्ट ग्रेड)। मेटी को लगातार तीन वर्षों से ए1 उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त हुआ है।

सीएसएल की समावेशी सीएसआर पहलों के सम्मान में फिक्की द्वारा विशेष प्रदर्शन पुरस्कार।

सीएसएल के समग्र सीएसआर प्रदर्शन के सम्मान में एनआईपीएम कोच्ची द्वारा सर्वश्रेष्ठ सीएसआर प्रदर्शन पुरस्कार।





हमारे लोग

हमारी प्रगति के सच्चे मार्गदर्शक

हमारा मानना है कि हमारे लोग नवाचार, दक्षता और दीर्घकालिक सफलता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा दृष्टिकोण हमारे प्रतिभा पूल को मज़बूत करने, कौशल विकास में निवेश करने और एक सुरक्षित, समावेशी और प्रदर्शन-प्रधान कार्यस्थल संस्कृति विकसित करने पर केंद्रित है। संरचित जुड़ाव और क्षमता-निर्माण पहलों के माध्यम से, हमारा लक्ष्य एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ व्यक्ति संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप विकसित हों।

मानव संसाधन दृष्टिकोण

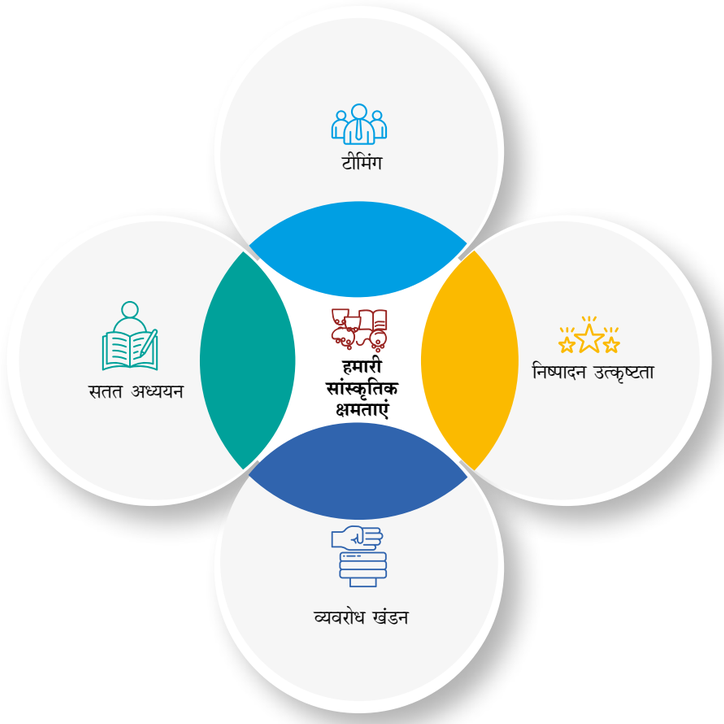
कॉर्पोरेट मिशन वक्तव्य में निहित लक्ष्यों और उद्देश्यों से प्रेरित होकर, सीएसएल का कार्यनीतिक मानव संसाधन दृष्टिकोण एक अद्वितीय संस्थान का निर्माण करना है जो यार्ड के कार्यबल के कार्य जीवन की गुणवत्ता में सर्वांगीण सुधार के लिए रचनात्मकता, नवाचार, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और उत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को एकीकृत करता है।

मानव संसाधन लक्ष्य

यार्ड में कार्यरत सभी लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए एक जीवंत मंच प्रदान करना और व्यक्ति एवं संगठन दोनों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना।

मानव संसाधन नीति

मानव संसाधन नीतियाँ मानव संसाधनों का सही मिश्रण प्रदान करने, उन्हें सशक्त बनाने और समृद्ध बनाने पर केंद्रित होती हैं ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणामों को प्राप्त किया जा सके।



कार्यबल प्रोफ़ाइल

हमारा कार्यबल विभिन्न कार्यों और सुविधाओं में कार्यरत अधिकारियों, पर्यवेक्षकों, कामगारों और संविदा कर्मियों का एक संतुलित मिश्रण है। इसके अतिरिक्त, हम संरचित प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप कार्यक्रमों के माध्यम से भावी प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हम कार्यबल प्रबंधन के सभी पहलुओं में समावेशिता, योग्यता और निष्पक्षता की संस्कृति को बढ़ावा देना जारी रखते हैं।

3,542

31 मार्च, 2025 तक
कुल कार्यबल

1,083

नियुक्त प्रशिक्षु

1,310

वर्ष के दौरान प्रशिक्षुओं सहित नए कर्मियों की भर्ती की गई

अध्ययन और विकास

हम अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल संवर्धन और ज्ञान निर्माण को प्राथमिकता देते रहेंगे। ये कार्यक्रम कार्यात्मक, तकनीकी और नेतृत्व क्षेत्रों को कवर करते हैं, और इनकी विषय-वस्तु आंतरिक विशेषज्ञों और बाहरी भागीदारों द्वारा प्रदान की जाती है। कर्मचारियों को पोत निर्माण उद्योग में भविष्य की भूमिकाओं और तकनीकी प्रगति के लिए तैयार करने वाली कौशल उन्नयन पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सतत अध्ययन की संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए, हमने अपनी नेतृत्व वार्ता श्रृंखला, प्रज्योति और प्रज्ञान, भी शुरू की है, जिसमें विविध क्षेत्रों के विचारक शामिल होते हैं। इन सत्रों का उद्देश्य कर्मचारियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाना और समग्र विकास को बढ़ावा देना है।

200+

वित्त वर्ष 2024-25 में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए

4,650+

वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यदिवस पूरे किए गए

3,350+

प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभ हुआ

प्रदर्शन और प्रतिभा प्रबंधन

हमारी प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) संरचित लक्ष्य-निर्धारण और नियमित प्रतिक्रिया के माध्यम से व्यक्तिगत आकांक्षाओं को व्यावसायिक परिणामों के साथ संरेखित करने में मदद करती है। विकासात्मक हस्तक्षेपों और उत्तराधिकार नियोजन के लिए उच्च प्रदर्शन करने वाले और उच्च क्षमता वाले कर्मचारियों की पहचान की जाती है। हमारा लक्ष्य चुनौतीपूर्ण कार्यभार, करियर विकास के मार्ग और मान्यता-आधारित पुरस्कार प्रदान करके प्रतिभाओं को बनाए रखना है।



कल्याण और जुड़ाव

हमारे कर्मचारी कल्याण ढाँचे में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य शामिल है। स्वास्थ्य जाँच, सुरक्षा प्रशिक्षण, परामर्श और मनोरंजक कार्यक्रम कर्मचारी जुड़ाव का एक नियमित हिस्सा हैं। ये कार्यक्रम संगठनात्मक जुड़ाव को मज़बूत करने और एक स्वस्थ, प्रेरित कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। हम अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए नकदरहित चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करके, उनके बुढ़ापे में उनकी सहायता के लिए डिज़ाइन की गई अन्य लक्षित योजनाओं के साथ, उनके प्रति भी गहरी चिंता रखते हैं।

महिलाओं की क्षमता का समर्थन

हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक अधिक समतामूलक और प्रगतिशील समाज के निर्माण के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। हमारा संगठन एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ महिलाओं को नेतृत्व करने, योगदान देने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, हमारी प्रमुख पहलों में से एक जापान में एओटीएस प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों के बैच में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है। अपनी महिला कर्मचारियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझते हुए, एओटीएस ने बाल देखभाल अवकाश नीति के पहले चरण को लागू किया है, जिससे उन्हें अधिक लचीलापन और सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित महिला कल्याण अधिकारी की नियुक्ति महिला-केंद्रित कल्याणकारी उपायों और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप सशक्तिकरण गतिविधियों पर केंद्रित प्रयासों को सुनिश्चित करती है। मार्च 2025 में, एओटीएस ने समावेशी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसने पूरे संगठन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और योगदान को मान्यता देने के लिए प्रोत्साहित किया। हम लैंगिक समानता को न केवल एक नीतिगत उद्देश्य के रूप में, बल्कि एक मूल मूल्य के रूप में बढ़ावा देना जारी रखते हैं जो हमारे कार्यबल को मजबूत बनाता है और सतत विकास को गति देता है।



314

31 मार्च, 2025 तक
महिला कर्मचारी

सीएसएल स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सुरक्षा को एक प्रमुख संगठनात्मक मूल्य मानता है। वर्ष 2024 में, हमने अपने संगठनात्मक एचएसई सूचकांक में 8.9% की वृद्धि हासिल की, जो हमारी सक्रिय एचएसई शासन प्रणाली और मजबूत सुरक्षा संस्कृति की प्रभावशीलता को दर्शाता है। वर्ष 2024 के लिए हमारी आवृत्ति दर सराहनीय 0.13 रही, जो रोकथाम और बेहतर रिपोर्टिंग पर हमारे फोकस को रेखांकित करती है। 'संश्रया' सुरक्षा सम्मेलन और एचएसई प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित योग्यता विकास केंद्र (सीडीसी) की शुरुआत जैसी पहलों के माध्यम से, हमने उद्योग सहयोग और आंतरिक क्षमता निर्माण को सुदृढ़ किया। हमने एक कठोर उपठेकेदार मूल्यांकन ढाँचा भी बनाए रखा, उपठेकेदारों को सीएसएल एचएसई स्टार रेटिंग प्रदान की, जिससे हमारे उच्च सुरक्षा मानकों के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित हुआ।

आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और आईएसओ 45001:2018 मानकों के तहत आईएमएस मान्यता प्राप्त, सीएसएल, पोत निर्माण क्षेत्र में अपनी सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि गुणवत्ता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और साइबर लचीलेपन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।



पर्यावरण

पर्यावरण-संरक्षण: हमारे भविष्य की दिशा-सूचक

हम अपने सभी कार्यों में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसके लिए हम स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाते हैं, दक्षता में सुधार करते हैं और अपने कर्मचारियों में पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यवहार को प्रोत्साहित करते हैं। हमारा ध्यान उत्सर्जन को कम करने, संसाधनों की खपत को अनुकूलित करने और हरित भविष्य का समर्थन करने वाली तकनीकों में निवेश करने पर केंद्रित है।

ऊर्जा संरक्षण पहल

ऊर्जा दक्षता में सार्थक सुधार लाने के लिए, हमने अपनी सभी सुविधाओं में कई लक्षित हस्तक्षेप लागू किए। इनमें डीजल से चलने वाले प्लेटफ़ॉर्म ट्रक को इलेक्ट्रिक संस्करण में बदलना और पुराने पारंपरिक मॉडलों की जगह इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट खरीदना शामिल था। हमारे संचालन को आईओटी-आधारित दूरस्थ ऊर्जा निगरानी प्रणालियों की स्थापना से भी लाभ हुआ, जिससे वास्तविक समय में अनुकूलन और ऊर्जा अपव्यय को न्यूनतम करने में मदद मिली।

हमने अपनी पोत मरम्मत सेवा सुरंग में सेंसर-आधारित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की, नई इमारतों को उच्च-दक्षता वाली एलईडी प्रकाश व्यवस्था से विद्युतीकृत किया, और पारंपरिक एयर कंडीशनिंग इकाइयों को इन्वर्टर-आधारित प्रणालियों से प्रतिस्थापित किया। अतिरिक्त पहलों में बीएलडीसी मोटर-आधारित पंखे और मैन कूलर लगाना, संपीड़ित हवा और गैस रिसाव को ठीक करना, लगभग एकसमान पावर फैक्टर बनाए रखना और निष्क्रिय अवधि के दौरान एयर कंप्रेसर को बंद करना शामिल था।

हमने पोस्टरों, संगोष्ठियों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से पूरे संगठन में ऊर्जा जागरूकता को बढ़ावा दिया, जिससे ज़िम्मेदारी और स्थिरता की संस्कृति को बढ़ावा मिला।

2.60 लाख यूनिट

संरक्षण उपायों से अनुमानित ऊर्जा बचत

₹82 लाख

ऊर्जा संरक्षण उपकरणों में पूंजी निवेश

नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग

हमने सौर ऊर्जा के उपयोग का विस्तार करके पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करना जारी रखा है। हमारे मौजूदा रूफटॉप सौर संयंत्रों ने वर्ष के दौरान स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न की, और हमने ओपन एक्सेस तंत्र के माध्यम से अतिरिक्त रूप से हरित ऊर्जा प्राप्त की। अपनी दीर्घकालिक स्थिरता दृष्टि के तहत, हम 100% हरित ऊर्जा अपनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय शिपयार्ड बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हम एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना की योजना बना रहे हैं - जिसमें पवन और सौर ऊर्जा को मिलाकर अपनी रूफटॉप सौर क्षमता का विस्तार किया जाएगा, जिससे हम अपनी खपत के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा उत्पन्न कर सकेंगे।



16.83 लाख यूनिट

1672 केडब्ल्यूपी की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता से उत्पन्न ऊर्जा (मार्च 2025 तक स्थापित क्षमता)

49.34 लाख यूनिट

ओपन एक्सेस (ग्रीन डे अहेड मार्केट) के माध्यम से खरीदी गई नवीकरणीय ऊर्जा

सामाजिक

लोग पहले: समावेशी और सशक्त समाज का निर्माण

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व हमारी मूल्य प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, जो वैधानिक दिशानिर्देशों और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के अनुरूप एक सुस्पष्ट नीति द्वारा निर्देशित है। समय के साथ, हमारी नीतियाँ उभरती प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुई हैं, जिनमें समावेशिता, नवाचार और मापनीय परिणामों पर ज़ोर दिया गया है। हम विचारशील और पारदर्शी पहलों के माध्यम से सामाजिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।



सीएसआर दृष्टिकोण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, अपने निगमित दृष्टिकोण के अनुरूप, एक जिम्मेदार निगमित नागरिक होने की सर्वोत्तम परंपरा को जारी रखने के लिए तत्पर है, जिसे अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के लिए मान्यता प्राप्त है और साझा समावेशी विकास के मार्ग पर चलते हुए व्यवसाय करने के अपने नैतिक तरीके के लिए सम्मान प्राप्त है। इस प्रकार, वह अपनी समृद्धि का लाभ समाज के जीवन स्तर में सुधार लाने और सतत विकास के लिए पर्यावरण और प्रकृति में योगदान देने में प्रदान करता है।





सीएसआर दृष्टिकोण

सीएसएल आशा करते हैं कि :

- सीएसआर आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी समृद्धि और संसाधनों का एक हिस्सा लोगों और पर्यावरण के साथ साझा करना।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और अपने आसपास की दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना।
- आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से नागरिकों के हाशिए पर पड़े वर्गों को जीवन की मुख्यधारा में लाने के लिए उनका साथ देना।
- एक सकारात्मक और लोगों और ग्रह के अनुकूल कॉर्पोरेट छवि प्रस्तुत करना।
- परिसंपत्ति निर्माण, बुनियादी ढाँचे के विकास आदि के माध्यम से लक्षित आबादी और स्थान पर ठोस और मापनीय प्रभाव सुनिश्चित करना।
- राष्ट्र निर्माण के इंजन को समन्वित करने के लिए अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं, सरकारी अंगों, जनप्रतिनिधियों, अन्य समान विचारधारा वाली एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना।
- सीएसआर को व्यवसाय संचालन के एक तरीके के रूप में अपनाना और इसे अपनी संगठनात्मक संस्कृति का हिस्सा बनाना।
- अपने सीएसआर उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सीएसएल के सभी हितधारकों जैसे इसके कर्मचारियों और ठेकेदारों को शामिल करना।
- सीएसएल की मुख्य क्षमताओं और संसाधनों का लाभ उठाना, जिसमें पोत निर्माण और पोत मरम्मत सेवाएँ, शासन, मानव संसाधन, व्यावसायिक संचालन और विकास, सुविधाएँ और नेटवर्क शामिल हैं, ताकि साझा मूल्य सिद्धांत पर समाज और पर्यावरण में सुधार लाया जा सके।
- सीएसएल के सीएसआर हस्तक्षेपों के मापन, निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग सहित प्रासंगिक क़ानूनों, दिशानिर्देशों आदि के ढांचे के भीतर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति और योजनाओं को अपनाना और लागू करना।

वर्ष की मुख्य सीएसआर विशेषताएं

₹13.88 करोड
सीएसआर बजट

₹17.90 करोड
सीएसआर व्यय

108
की गई सीएसआर परियोजनाएं



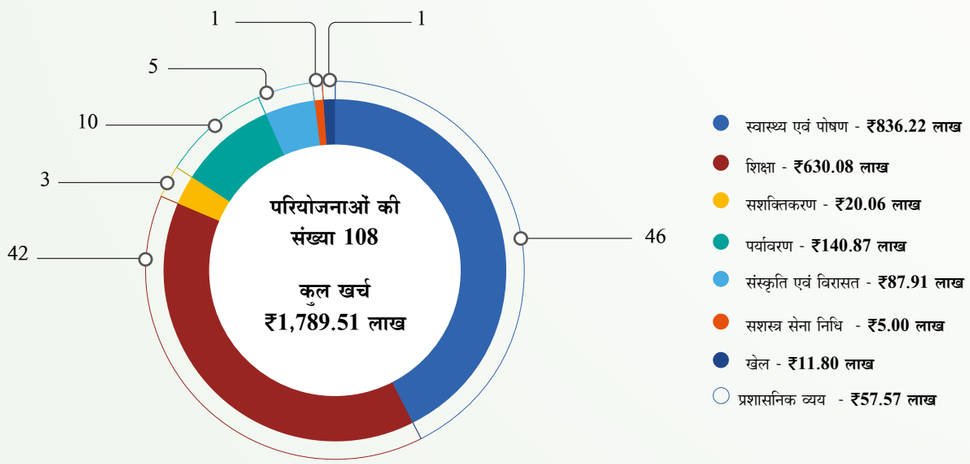
स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना: कोच्चि नगर निगम में खुले हवा वाले जिम



हरित स्थानों का संरक्षण: कोच्चि शहर के ह्रदयस्थल पर स्थित सुभाष बोस पार्क का रखरखाव।

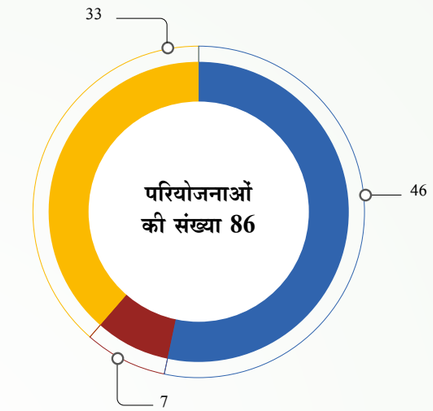
स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

वर्ष का विषय



- स्वास्थ्य एवं पोषण - **₹836.22 लाख**
- शिक्षा - **₹630.08 लाख**
- सशक्तिकरण - **₹20.06 लाख**
- पर्यावरण - **₹140.87 लाख**
- संस्कृति एवं विरासत - **₹87.91 लाख**
- सशस्त्र सेना निधि - **₹5.00 लाख**
- खेल - **₹11.80 लाख**
- प्रशासनिक व्यय - **₹57.57 लाख**

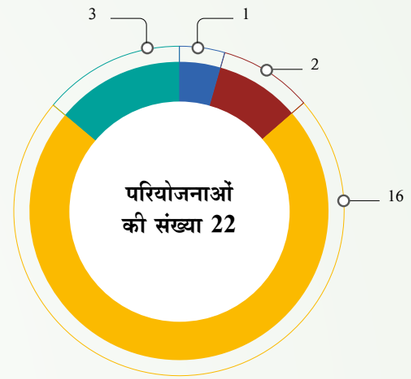
कुल खर्च: ₹1,344.12 लाख



केरल

- एर्णाकुलम - **₹605.06 लाख**
- वायनाड - **₹86.40 लाख**
- अन्य जिले - **₹652.66 लाख**

कुल खर्च: ₹387.82 लाख



अन्य राज्य

- पूर्वोत्तर - **₹11.80 लाख**
- द्वीपीय राज्य - **₹53.10 लाख**
- अन्य राज्य - **₹282.52 लाख**
- पूरे भारत में - **₹40.40 लाख**

सीएसआर - अब तक

900+
की गई परियोजनाएं

₹140+ करोड
खर्च की गई राशि



शासन

नैतिकता पर आधारित, उत्तरदायित्व से निर्देशित

हमारा शासन दर्शन पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और निष्पक्षता के आधार पर निर्मित है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में, हम वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन करते हुए नैतिक आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखते हैं। हमारी शासन संरचना सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

सुशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, सीएसएल ने कई प्रमुख नीतियों और पहलों को लागू किया है:

- बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता
- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति
- आईटी और साइबर सुरक्षा शासन ढाँचा
- बोर्ड विविधता नीति
- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न निवारण नीति
- नैतिकता और सत्यनिष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम
- मुखबिर और धोखाधड़ी निवारण नीति
- अंदरूनी व्यापार संहिता
- संबंधित पक्ष लेनदेन नीति
- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति
- जोखिम प्रबंधन नीति
- नामांकन और पारिश्रमिक नीति

ये नीतियाँ विकसित होते नियामक ढाँचों और हितधारकों की अपेक्षाओं के अनुरूप ढलने में सीएसएल के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। हम एक गतिशील व्यावसायिक वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी शासन पद्धतियों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही एक ज़िम्मेदार निगमित नागरिकता भी सुनिश्चित करते हैं।

निदेशक मंडल



श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



श्री बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
(मई 31, 2025 तक)



श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी



श्री श्रीजित के नारायणन
निदेशक (प्रचालन)
(मई 31, 2025 तक)



श्री राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
(अगस्त 27, 2025 से)



डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
(अगस्त 27, 2025 से)



श्री राजेष कुमार सिंहा आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(अगस्त 07, 2025 तक)



श्री वेंकटेशपति एस आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(अगस्त 07, 2025 से)



श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(मई 31, 2025 तक)



श्री पी बी नूह आईएएस
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जून 20,2025 से)



डॉ सीमा सूरी
अंशकालिक सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(मई 21, 2025 से)

श्री मधु शंकुण्णी नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री मधु शंकुण्णी नायर ने दिनांक 01 जनवरी 2016 को कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने कोचीन विज्ञान विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (नौसेना वास्तुकला और पोत निर्माण) की उपाधि और ओसाका विश्वविद्यालय, जापान से इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि (नौसेना वास्तुकला और समुद्री इंजीनियरिंग) हासिल की है। उन्हें आईएचआई में पोत निर्माण प्रणालियों में प्रशिक्षित किया गया है और ऑवरसीज़ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, टोक्यो और ओसाका इंटरनेशनल सेंटर, ओसाका, जापान में जेआईसीए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया और जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में मास्टर्स के दौरान जॉइनिंग एंड वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च किया। जून 1988 में कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में शामिल होने के बाद से शिपयार्ड प्रबंधन के संपूर्ण क्षेत्र में उनके पास कंपनी के साथ 37 वर्षों से अधिक पेशेवर अनुभव हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी भागीदारों के साथ कंपनी के सफल सहयोग और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आदेश हासिल करने के पीछे प्रेरक शक्ति थे। उनके कार्यकाल के दौरान, एक सफल आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के बाद सीएसएल एक सूचीबद्ध कंपनी बन गई और इसे अनुसूची ए सीपीएसई में भी उन्नत किया गया था, जो सीपीएसई द्वारा प्राप्त किया जानेवाला उच्चतम वर्गीकरण है। उनके नेतृत्व में सीएसएल एक एकल इकाई कंपनी से एक बहु-इकाई कंपनी बदल गई है, जिसमें सात इकाइयां शामिल है - पोत निर्माण और पोत मरम्मत में सक्रिय मुख्य यार्ड, चार पोत मरम्मत इकाइयां और दो सहायक कंपनियां, जो भारत के दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी तट पर फैली हुई हैं। वह लोगों की शक्ति में दृढ़ विश्वास रखते हैं और उनके द्वारा परिकल्पित लोग पहले नीति का उद्देश्य सीएसएल को एक ज्ञान संगठन के रूप में स्थापित करना है। वह द रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स, यू के के फेलो और इंस्टीट्यूशन ऑफ नेवल आर्किटेक्ट्स, भारत के फेलो हैं। उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता के रूप में उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इनमें से कुछ है, 2024 प्रबंधन नेतृत्व पुरस्कार, रोटरी आइकन 2023 पुरस्कार, कुसाट प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2022, समुद्र मंथन प्रोफेसर के आर भंडारकर पुरस्कार 2022, प्राइड ऑफ केएमए पुरस्कार आदि। वह सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष भी हैं।

श्री बिजोय भास्कर

निदेशक (तकनीकी) (मई 31, 2025 तक)

श्री बिजोय भास्कर दिनांक 05 अप्रैल 2018 से 31 मई, 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक कंपनी के निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्यरत रहे। उन्होंने केरल विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी और स्वर्ण पदक के साथ प्रौद्योगिकी स्नातक (यांत्रिक) की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास से प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर (यांत्रिक) की उपाधि भी प्राप्त की है। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में उन्नत डिप्लोमा प्राप्त किया है। वे 29 जून 1988 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हुए। उन्हें 2017 में केरल प्रबंधन संघ द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंपनी में उनके पास 37 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है, जिसमें वे कंपनी के पोत डिज़ाइन, पोत निर्माण, आउटफिट और पोत मरम्मत विभागों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 31 मई 2025 तक सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्री जोस वी जे

निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री जोस वी जे ने अगस्त 2019 से कंपनी के निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के एक सदस्य हैं और सरकारी लॉ कॉलेज, एर्णाकुलम से कानून में उपाधि भी प्राप्त की है। हाल ही में उन्हें दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जर्नल द्वारा सर्वश्रेष्ठ रिटर्न (लार्ज कैप) श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सीएफओ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उन्हें विविध क्षेत्रों जैसे वित्तीय प्रबंधन, कार्यनीति योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग का भी नेतृत्व कर रहे हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) में निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है।

श्री श्रीजित के नारायणन

निदेशक (प्रचालन) (मई 31, 2025 तक)

श्री श्रीजित के नारायणन ने दिनांक 21 जुलाई 2022 से 31 मई 2025 को अपनी सेवानिवृत्ति तक कंपनी के निदेशक (प्रचालन) के रूप में कार्यरत रहे। उनके पास क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज, कालीकट से बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी (मैकानिकल) की उपाधि और कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलजी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से व्यापार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि है। वह दिनांक 16 जून 1988 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हुए और उनके पास पोत निर्माण, पोत डिज़ाइन और पोत मरम्मत में 37 वर्षों से अधिक का कार्य अनुभव है। उन्होंने 31 मई 2025 तक सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया।

श्री राजेष गोपालकृष्णन

निदेशक (तकनीकी) (अगस्त 27, 2025 से)

श्री राजेष गोपालकृष्णन ने दिनांक 27 अगस्त 2025 क कंपनी के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। वे दिनांक 30दिसंबर 1995 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में शामिल हुए और निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त होने से पहले कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत) के पद तक पहुँचे। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नॉलजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता सहित व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री है। उन्हें केपनी में पोत निर्माण, पोत मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता वायवसायिक रणनीति, व्यवसाय निर्माण, अनुमान, अनुबंध प्रबंधन, प्रापण, योजना, परियोजना प्रबंधन, चालान, बिक्री के बाद और ग्राहक संबंधों से लेकर संपूर्ण क्षेत्र को कवर करती है। वह हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी- सीएसएल) के निदेशक भी हैं, जो सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।

डॉ हरिकृष्णन एस

निदेशक (प्रचालन) (अगस्त 27, 2025 से)

डॉ. हरिकृष्णन एस ने 27 अगस्त, 2025 को कंपनी के निदेशक (प्रचालन) का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 30 दिसंबर, 1995 को एक कार्यपालक प्रशिक्षार्थी के रूप में कंपनी में अपना करियर शुरू किया और निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त होने से पहले कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण) के पद तक पहुँचे। उनके पास मेकानिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एमबीए और मेकानिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री है। कंपनी में लगभग तीन दशकों के अनुभव के साथ, वे पोत निर्माण और पोत मरम्मत के विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं, जिनमें डिज़ाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, प्रापण, योजना और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं। वे हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल), सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में भी निदेशक हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह आईएएस

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

(अगस्त 07, 2025 तक)

श्री राजेश कुमार सिन्हा, आईएएस, 21 नवंबर, 2022 से 7 अगस्त, 2025 तक कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। श्री राजेश कुमार सिन्हा (आईएएस-1994-केरल कैडर), वर्तमान में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही, एमओपीएसडब्ल्यू के मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उन्होंने केरल सरकार में ज़िला कलेक्टर, वित्त विभाग के सचिव और विद्युत, वन/वन्यजीव विभाग के प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने भारत सरकार में शहरी विकास, मानव संसाधन विकास और ऊर्जा क्षेत्रों में भी कार्य किया है।

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

(अगस्त 07, 2025 तक)

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस को 07 अगस्त, 2025 को कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। वह केरल कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना विश्वविद्यालय से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान, उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिसमें सब कलेक्टर (इडुक्की, देवीकुलम और कासरगोड), सचिव (तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन), प्रबंध निदेशक (सप्लाईको), जिला कलेक्टर (मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम), निदेशक (मत्स्य विभाग) और प्रबंध निदेशक (केरल जल प्राधिकरण) शामिल हैं। वह शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सरकार द्वारा नामित निदेशक भी हैं।

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त)

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

(मई 31, 2025 तक)

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त) ने 02 जनवरी, 2023 से 31 मई, 2025 तक कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में कार्य किया। वह एक आईएएस अधिकारी थे, 30 अप्रैल, 2025 को केरल सरकार के सचिव (उद्योग और परिवहन) के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उनके पास प्रौद्योगिकी (केमिकल इंजीनियरिंग) में स्नातक की डिग्री और व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री है। वह लॉ ग्रेजुएट भी हैं। उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जैसे कि सचिव, स्थानीय स्वशासन (शहरी) विभाग, सचिव, सामाजिक न्याय और महिला एवं बाल विकास विभाग, सचिव, लोक निर्माण विभाग, जिला कलेक्टर, त्रिवेंद्रम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, राज्य लॉटरी के निदेशक, सार्वजनिक निर्देश के निदेशक, आईटी @ स्कूल के कार्यकारी निदेशक - विक्टर्स चैनल आदि। इसके अलावा, उन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, कोच्चि वाटर मेट ो लिमिटेड, केरल रेल विकास निगम लिमिटेड, मलबार इंटरनेशनल पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड, रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड और बैतरणी वेस्ट कोल कंपनी लिमिटेड सहित विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्य किया है।

श्री पी बी नूह आईएएस

अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक

(जून 20, 2025 से)

श्री पी बी नूह आईएएस को 20 जून, 2025 को कंपनी के अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। केरल कैडर के 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी, वे वर्तमान में केरल सरकार के परिवहन विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं और केरल परिवहन विकास वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पद भी संभालते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल से प्राणीशास्त्र में स्नातक की डिग्री, केरल कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की डिग्री और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। अपने कार्यकाल के दौरान, श्री नूह ने केरल सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें शामिल हैं: केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सप्लाईको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पर्यटन विभाग के निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पतनमथिट्टा के जिला कलेक्टर, अट्टपालम के उप-कलेक्टर, लाइफ मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अट्टपाडी में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी। वे अपने गतिशील नेतृत्व, जन-केंद्रित दृष्टिकोण और शासन में, विशेष रूप से सामाजिक विकास, सार्वजनिक सेवा वितरण और जनजातीय कल्याण के क्षेत्रों में, प्रभावशाली योगदान के लिए जाने जाते हैं।

डॉ. सीमा सूरी

गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

(मई 21, 2025 से)

डॉ. सीमा सूरी 21 मई, 2025 से कंपनी की गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से कला में स्नातकोत्तर और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से बी.एड. की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भागलपुर द्वारा विद्या सागर की उपाधि से मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर (डी.लिट.) और साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा समाज भूषण - पीएचडी (विद्यावाचस्पति) की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1999 से 2016 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज में एक शिक्षिका और ब्लॉक प्रभारी के रूप में कार्य किया। वह रेडियो और दूरदर्शन पर विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतकर्ता भी थीं। डॉ. सीमा सूरी सर्व सेवा संस्थान की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनमें बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को गोद लेना, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करना, मीडिया कार्यशालाएँ आयोजित करना, मासिक स्वच्छता अभियान चलाना, पेड़ लगाना और बेटी बचाओ अभियान के तहत वंचित बच्चों की मदद और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम चलाना शामिल है। उनके योगदान को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा, वह वर्तमान में फिल्म सेंसर बोर्ड सलाहकार समिति, दिल्ली की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

निगमित सूचना

निदेशक मंडल

श्री मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
(मई 31, 2025 तक)

श्री जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री श्रीजित के नारायणन
निदेशक (प्रचालन)
(मई 31, 2025 तक)

श्री राजेष गोपालकृष्णन
निदेशक (तकनीकी)
(अगस्त 27, 2025 से)

डॉ हरिकृष्णन एस
निदेशक (प्रचालन)
(अगस्त 27, 2025 से)

श्री राजेष कुमार सिंहा आईएएस
विशेष सचिव
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(अगस्त 07, 2025 तक)

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस
संयुक्त सचिव
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(अगस्त 07, 2025 से)

श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त)
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(मई 31, 2025 तक)

श्री पी बी नूह आईएएस
विशेष सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार
अंशकालिक सरकारी (नामिति) निदेशक
(जून 20,2025 से)

डॉ सीमा सूरी
अंशकालिक सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
(मई 21, 2025 से)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ सी पाण्डी सेल्वा दुरई, आईओएफएस

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी

श्री श्यामकमल एन

नेतृत्व दल

श्री एल्दो जॉण
मुख्य महाप्रबंधक (तकनीकी)

श्री षिराज वी पी
मुख्य महाप्रबंधक (योजना, परि.प्र.)

श्री दीपू सुरेंद्रन
मुख्य महाप्रबंधक (सी-एसएएस)

श्रीमती अंजना के आर
मुख्य महाप्रबंधक (डिज़ाइन)

श्री शिवकुमार ए
महाप्रबंधक (पोत मरम्मत)

श्री सुनिल कुमार के आर
महाप्रबंधक (आईएसी व रक्षा परियोजनाएं)

श्री जयन के तंपी
महाप्रबंधक (पोत निर्माण)

श्री शिवराम नारायण स्वामी
महाप्रबंधक (व्यापार विकास-पोत निर्माण)

श्री सुबाष ए के
महाप्रबंधक (मानव संसाधन व अध्ययन विकास)

श्री संतोष फिलिप
महाप्रबंधक (सामग्री)

श्री षिबु जॉण
महाप्रबंधक (वित्त)

श्री हरिकुमार के
महाप्रबंधक (कार्यनीति व नया पहल)

पंजीकृत कार्यालय

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची- 682 015, केरल, भारत

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक
कैनरा बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
एक्सिस बैंक लिमिटेड
बैंक ऑफ बड़ौदा
इन्डसइंड बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
यूको बैंक
फेडरल बैंक लिमिटेड
साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन.
सनदी लेखकार
परमालया- करिमपेटा रोड, कोच्ची- 682016

सचिवीय लेखापरीक्षक

मेसर्स एसईपी व असोसिएट्स
कंपनी सचिव
भवन सं. सीसी 31/1590
फेलिक्स रोड, तम्मनम
कोचीन - 682 032

लागत लेखापरीक्षक

मेसर्स. राजेन्द्रन मणि व वारियर
लागत लेखाकार
आलप्पाट बिल्डिंग, आलप्पाट रोड, रविपुरम
कोच्ची- 682 016

डिबेंचर ट्रस्टी

एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
चौथी मंज़िल, मिस्त्री भवन
122 दिनशा वच्चा रोड, चर्चगेट, मुंबई-400 020

रजिस्ट्रार एवं ट्रांस्फर एजेंट

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लि.
(पूर्व लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.)
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंतिल नगर के पीछे, सौरीपालयम रोड,
कोयंबत्तूर - 641 028

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारियों,

1. आपके निदेशकों को कंपनी की 53वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में संतोष है।

वित्तीय निष्पादन

2. विविध परिचालन खंडों और उत्पाद प्रोफाइल ने कंपनी को वर्ष 2023-24 में रु 3,645.28 करोड रुपए की तुलना में वर्ष के लिए 4,527.84 करोड रुपए का कारोबार हासिल करने में मदद की। कर पूर्व लाभ पिछले वर्ष के 1,093.62 करोड रुपए की तुलना में इस वर्ष 1,133.85 करोड रुपए है। पिछले वर्ष के 813.10 करोड रुपए की तुलना में निवल लाभ 842.91 करोड रुपए है।

3. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.2,50,00,00,000 है, जो रु.5 अंकित मूल्यवाले 50,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रु.1,31,54,03,900 है, जो रु.5 अंकित मूल्यवाले 26,30,80,780 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

वित्तीय विशिष्टताएं

(₹ करोड में)

क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
(i)	कुल आय	4,908.29	3,952.66
(ii)	वित्तीय लागत, मूल्यह्रास व कर पूर्व लाभ एवं आसाधारण मदें	1,253.94	1,182.10
(iii)	वित्तीय लागत	36.45	31.55
(iv)	मूल्यह्रास व बट्टा खाता	83.64	56.93
(v)	कर पूर्व लाभ	1,133.85	1,093.62
(vi)	कर व्यय	290.94	280.52
(vii)	निवल लाभ	842.91	813.10

लाभांश

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (डीआईपीएएम) विभाग द्वारा जारी दिनांक 18 नवंबर 2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 5/2/2016-पॉलिसी के अनुसार, हर सीपीएसई कर पश्चात् लाभ के 30% और निवल-मूल्य के 4% जो भी अधिक हो, का न्यूनतम वार्षिक लाभांश अदा करना है। तदनुसार, आपके निदेशकों प्रत्येक 5रु. के 26,30,80,780 पूर्ण रूप से प्रदत्त शेयरों पर प्रति इक्विटि शेयर 2.25/- का अंतिम लाभांश देने के लिए सिफारिश करने में प्रसन्नता है। इससे पहले, वर्ष 2024-25 के दौरान शेयरधारकों को 4 रुपए और 3.50 रुपए के अंतरिम लाभांश, कुल मिलाकर 7.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर, का भुगतान किया गया था। इस प्रकार वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश 9.75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (195%) है, तो 256.50 करोड है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में किसी भी दावा न किए गए लाभांश (पिछले वर्षों के) को अंतरित नहीं किया जाना था।

बिक्री हेतु प्रस्ताव

5. अक्तूबर 2024 के दौरान, भारत सरकार ने लागू सेबी विनियमों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरों की बिक्री प्रस्ताव की थी, जिसमें अपनी 4.95% हिस्सेदारी, जो 1,30,15,689 इक्विटी शेयरों के बराबर थी, का विनिवेश किया गया था। परिणामस्वरूप, सीएसएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 67.91% रह गई।

लाभांश वितरण नीति

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 43 ए के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाएं एक लाभांश वितरण नीति तैयार करेगी। तदनुसार, लाभांश वितरण नीति को उन मापदंडों और परिस्थितियों को निर्धारित करने के लिए अपनाया गया है जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण और / या व्यवसाय में लाभ को बनाए रखने के निर्धारण में ध्यान में रखा जाएगा। यह नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

ब्लू बॉन्ड के माध्यम से धन जुटाना

7. कंपनी का 100% हरित परिवर्तन की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए, सीएसएल ब्लू बॉन्ड जारी करके धन जुटाने की योजना बना रही है – जो किसी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। दिनांक 07 नवंबर 2024 को हुई अपनी बैठक में, बोर्ड ने 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक की कुल राशि के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के गैर-परिवर्तनीय वरिष्ठ अप्रतिभूत निश्चित दर नोट जारी करके धन जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से कंपनी की पात्र स्थायी परियोजनाओं या लागू कानून के अनुसार अन्य अनुमेय अंतिम उपयोगों के वित्तपोषण के लिए है। सीएसएल की योजना इसे विदेश में किसी एक या अधिक एक्सचेंजों या गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी में सूचीबद्ध करने की है। यह प्रस्ताव वर्तमान में प्रशासनिक मंत्रालय के पास अनुमोदन के लिए लंबित है।

आरक्षित निधि में अंतरण

8. आरक्षित निधि में अंतरित राशि का विवरण दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 22 में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास 5479.11 करोड रुपए की राशि की आरक्षित निधि और अधिशेष हैं, जो कंपनी की अंतर्निहित वित्तीय ताकत को दर्शाता है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 574 (ई) के माध्यम से अधिसूचित कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में किए गए संशोधन के अनुसार, कंपनी को अपने द्वारा जारी किए गए बांड के संबंध में ऋण पत्र प्रतिदान आरक्षित बनाने की आवश्यकता नहीं है। दिनांक 31 मार्च 2025 तक, सीएसएल के लिए केवल 23 करोड रुपए के 8.72% कर मुक्त, प्रतिभूत, मोचनीय, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड बकाया है, जो मार्च 2029 में परिपक्व होंगे।

पोत निर्माण

9. कंपनी ने वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 2663.27 करोड रुपए की कुल पोत निर्माण आय हासिल की, जबकि वर्ष 2023-24 में रु. 2638.91 करोड थी। इसके अलावा, सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को पांच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल जलयानों की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोणोवाल ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए निर्मित किए जा रहे 12000 घन मीटर क्षमतावाले टेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर का (वर्चुअल मोड) में शिलान्यास किया।

पोत मरम्मत

10. वर्ष के दौरान, कंपनी ने पोत मरम्मत से कुल रु.1,864.57 करोड की आय अर्जित की, जबकि पिछले वर्ष यह आय रु.1,006.37 करोड थी। सीएसएल, कोच्ची यार्ड में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में वायुयान वाहक पोत आईएन विक्रमादित्य, आईएनएस ज्योति, आईएनएस सुजाता, आईएनएस सुनयना, आईएनएस सुदर्शनी, आईएनएस निरीक्षक, विश्व उदय, सागर युवराज, सागर सम्राट, आईएनएस व्यास और आईएनएस नाशक के एसआरडीडी शामिल है।

11. अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) में वर्ष के दौरान मरम्मत किए गए प्रमुख जलयानों में भारतीय नौसेना का जलयान आईएनएस शारदा और यूटीएलए के जलयान जैसे चेरियापानी, वलियापानी, एम पी तिन्नक्करा, एचएससी ब्लैक मार्लिन, एचएससी ब्लू मार्लिन, एचएससी पराली और एम वी लक्षद्वीप सागर शामिल हैं। वित्त वर्ष 2025 के लिए आईएसआरए से प्राप्त राजस्व रु.124.24 करोड है।

12. सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएसआरयू) ने प्रचालन शुरू होने के बाद से लगभग 126 जलयानों की मरम्मत सफलतापूर्वक की है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएमएसआरयू ने 22 जलयानों की ड्राई डॉक और अफ्लोट मरम्मत का कार्य किया, जिसमें सामान्य मरम्मत, विभिन्न सरकारी अभिकरणों और भारतीय तटरक्षक बल के लिए लघु मरम्मत। साथ ही विभिन्न वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए छोटी/बडी मरम्मत शामिल है, जिससे कुल रु.177.04 करोड का राजस्व प्राप्त हुआ।

13. अक्तूबर 2019 में नेताजी सुबाष डॉक (एनएसडी), कोलकाता में प्रचालन शुरू करने के बाद से, सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट (सीकेएसआरयू) ने 27 मरम्मत परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, छह मरम्मत किए गए हैं, जिनमें से डीसीआइ ड्रेज XVI, की आपातकालीन मरम्मत, डीसीएस पोत एम वी सेंटिनल, टग जेन प्राइड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता से एनएसडी नंबर 1 बॉक्स कैसन की रीफिट सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद जारी रहनेवाली अन्य प्रमुख परियोजनाओं में डीएसएस पोत एम वी स्वराज द्वीप की ड्राई डॉक मरम्मत और सीकेएसआरयू में पहले तटरक्षक पोत, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार का संक्षिप्त पुनर्निर्माण शामिल है। सीकेएसआरयू ने वित्त वर्ष 2025 में कुल रु.41.11 करोड का राजस्व अर्जित किया। एनएसडी में मरम्मत सुविधा के लिए रु.50 करोड की एक व्यापक उन्नयन योजना विकसित की गई है और इसके प्रारंभ होने के बाद से पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की गई है। मध्यवर्ती डॉक गेट, एक टावर क्रेन और एक रिंग मेन फायर सिस्टम की स्थापना सहित प्रमुख बुनियादी ढांचे में सुधार वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पहले ही पूरा कर लिया गया है।

14. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएएनएसआरयू ने 14 जलयानों की ड्राई डॉक मरम्मत पूरी की और 11 जलमग्न मरम्मत कार्य किए, साथ ही कई आपातकालीन लघु मरम्मत गतिविधियां भी कीं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप रु.185.58 करोड का उल्लेखनीय कारोबार हुआ।

15. पोत मरम्मत सुविधाओं को और बढाने तथा पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए, सीएएनएसआरयू ने मेसर्स किटको के सहयोग से समुद्री डॉकयार्ड के आधुनिकीकरण के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है, जिसे अंडमान प्रशासन को विचारार्थ प्रस्तुत कर दिया गया है।

पोत निर्माण आदेश बही स्थिति

16. वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल को एक यूरोपीय ग्राहक के लिए 1 हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन जलयान (एसओवी) के निर्माण हेतु जलयान निर्माण का ऑर्डर प्राप्त हुआ। इसके अलावा, सीएसएल को कोच्ची नगर निगम के लिए 1 रो-रो जलयान के निर्माण का भी ऑर्डर मिला। दिनांक 31 मार्च 2025 तक ऑर्डर बुक की स्थिति निम्नानुसार है :

जलयान का प्रकार	संख्या
भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी वायुयान वाहक चरण III के कमीशन के बाद के कार्य	01
भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान	08
भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढी का मिसाइल पोत	06

जलयान का प्रकार	संख्या
एक यूरोपीय ग्राहक के लिए एचएस इको फ्रेटर 7000 डीडब्ल्यूटी पोत	08
एक यूरोपीय ग्राहक के लिए सेवा संचालन पोत का कमीशन	02
एक यूरोपीय ग्राहक के लिए शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत	02
एक यूरोपीय ग्राहक के लिए हाइब्रिड सेवा संचालन पोत	02
ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर	01
अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 1200 यात्री सह 1000 मीट्रिक टल मालवाहक पोत	02
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन यात्री पोत	06
केएमआरएल के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल पोत	05
कोच्ची नगर निगम के लिए रो-रो जलयान	01

सीएसएल कार्यनीति एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

17. मौजूदा पोत निर्माण और पोत मरम्मत श्रेणी से परे नई राजस्व सृजन धाराओं को हासिल करने के लिए, कंपनी को कार्यनीतिक और समुद्री क्षेत्र में ज्ञान संचालित भविष्य की प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने में सक्षम बनाने हेतु सीएसएल कार्यनीति और उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग का गठन किया गया। सी-एसएएस स्थायी और भविष्योन्मुख व्यापार मॉडल की पहचान और विकास में लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई विभिन्न अभिनव पहलों को प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में अधिक विशेष रूप से शामिल किया गया है।

संकल्प – डिज़ाइन कॉन्क्लेव

18. सीएसएल ने अक्तूबर 2024 में भारत में डिज़ाइन, विश्व के लिए डिज़ाइन विषय पर एक दिवसीय डिज़ाइन कॉन्क्लेव संकल्प का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य भारत में एक मज़बूत पोत डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी के रामचंद्रन आईएएस ने इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया।

19. यह कॉन्क्लेव, प्रमुख शिपयार्ड, पोत डिज़ाइन हाउस, वर्गीकरण सोसाइटियां, भारतीय नौसेना, वैधानिक प्राधिकरण और सीईएमएस, आईआईटी आई आईएमयू जैसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों सहित, पोत डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। केंद्रित सत्रों और सहयोगात्मक चर्चाओं के माध्यम से, कॉन्क्लेव में नवाचार को बढ़ावा देने, स्वदेशी क्षमताओं को मज़बूत करने और भारत में पोत डिज़ाइन के भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न प्रमुख पहलों की खोज की गई। कॉन्क्लेव से प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि और कार्यान्वयन योग्य सिफारिशों को संकलित करके आगे के विचार और कार्रवाई के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

विस्तार परियोजनाएं

20. प्रमुख परियोजनाओं और पहलों की स्थिति निम्नानुसार है :

i) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ)

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 17 जनवरी, 2024 को आईएसआरएफ परियोजना का उद्घाटन किया। नॉर्वे स्थित सिंक्रोलिफ्ट एएस द्वारा आपूर्ति की गई 6000 टन भारोत्तोलन क्षमतावाली पोत लिफ्ट प्रणाली चालू की गई और पोत लिफ्ट प्लेफॉर्म पर पहला पोत डॉकिंग किया गया। आईएसआरए 6000 टन भोरोत्तोलन क्षमता, छह कार्यस्थानों और लगभग 1400 मीटर बर्थ से सुसज्जित है, यह अधिकतम 130 मीटर लंबाई वाले जलयानों को संभालने के लिए उपयुक्त है। यह सुविधा शुष्क कार्यस्थानों पर एक साथ छह ऐसे जलयानों की मरम्मत कर सकती है। दिनांक 31 माच 2025 तक, मरम्मत कार्यों के लिए आईएसआरए में 10 जलयान लाए गए थे।

इसके अलावा, समुद्री उद्योग में दस विश्व प्रसिद्ध कंपनियां पहले चरण में समुद्री पार्क में अपनी यूनिटें स्थापित करने केलिस सीएसएल के साथ साझेदारी की गई, और पांच कंपनियों ने अपना प्रचालन शुरू कर दिया है। सीएसएल को उम्मीद है कि आईएसआरएफ के चालू होने से कोच्ची एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा।

ii) नई सूखी गोदी परियोजना

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिनांक 17 जनवरी 2024 को नए ड्राई डॉक का उद्घाटन किया। 310 x 75/60 x 13m आकार और 600 टन गैन्ट्री क्रेन से सुसज्जित यह अत्याधुनिक सुविधा, कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर स्थित है। नया ड्राई डॉक कंपनी की पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षमता को बढ़ाएगा, जो विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जलयानों जैसे एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता वाले वायुयान वाहक, जैक अप रिग, ड्रिल पोत, बडे ड्रेजर जैसे विशिष्ट और तकनीकी रूप से उन्नत जलयानों के निर्माण और अपतटीय प्लेटफॉर्मों व बडे जलयानों की मरम्मत की बाज़ार क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक है। 600 टन क्षमतावाली गैन्ट्री क्रेन का परीक्षण और कमीशनिंग 11 फरवरी 2025 को सफलतापूर्वक पूरा हो गया। कंपनी नए ड्राई डॉक के ग्रैंड असेंबली क्षेत्र और डॉक फ्लोर में पोत निर्माण गतिविधियां एक साथ संचालित करती है।

सहायक कंपनियां

i) हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल)

हुगली-सीएसएल को शुरू में सीएसएल और हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था। केन्द्रीय मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद, हुगली-सीएसएल दिनांक 01 नवंबर, 2019 से सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

कंपनी ने नज़ीरगंज में एक नया अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा केंद्र स्थापित किया और 16 अगस्त 2022 को भारत सरकार के माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इस सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह सुविधा हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड क्षेत्र में 175.20 करोड रुपए की लागत से स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के लिए भारत के पूर्वी तट पर एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करना है।

हुगली-सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 6 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामरैन पोत के निर्माण के लिए दिनांक 23 मार्च 2024 को सीएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामरैन सेगमेंट में प्रवेश किया। हुगली-सीएसएल को इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 40 टन 4 एएसडी बोलार्ड पुल टग के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य भी मिला। इसके अलावा, कंपनी जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 एमपीवी (2200 टन) का निर्माण कर रही है और असम के पांडु में एक नई पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ सलाहकार के रूप में भी कार्यरत है। यार्ड सीएसएल से बॉक्स कैसन गेट के डिज़ाइन, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के आदेश को पूरा करने की दिशा में भी कार्यरत है, जिसे कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर नेताजी सुबाष डॉक पर स्थापित और चालू किया जाएगा।

हुगली-सीएसएल ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6,239.63 लाख रुपए की कुल आय दर्ज की है, जबकि पिछले वर्ष यह 2404.47 लाख रुपए थी। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 1737.67 लाख रुपए का घाटा दर्ज किया है, जब कि पिछले वर्ष यह 3005.81 लाख रुपए था।

ii) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल)(पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड (टीएसएल) से जाना जाता था)

उडुपी-सीएसएल, उडुपी स्थित सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है और मुख्य रूप से छोटे एवं मध्यम आकार के जलयानों के निर्माण में लगी हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, उडुपी-सीएसएल ने परियोजना निष्पादन और ऑर्डर प्राप्त करने, दोनों ही मामलों में मज़बूत निष्पादन किया। उडुपी-सीएसएल की मज़बूत निष्पादन क्षमताओं के कारण संतुष्ट ग्राहकों से अनुवर्ती ऑर्डर प्राप्त हुए, जिनमें ओशन स्पार्कल लिमिटेड के ग्यारह 70 टन बोलार्ड पुल टग और विल्सन एएसए, नॉर्वे के आठ 6300 टन ड्राई कार्गो जलयान शामिल थे। अपने निरंतर प्रदर्शन और ग्राहकों के विश्वास के बल पर, उडुपी-सीएसएल ने लगभग 2,200 करोड का एक मज़बूत ऑर्डर बुक तैयार किया है।

वित्तीय स्थिति की बात करें तो, उडुपी-सीएसएल ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कुल आय रु.27,862.12 लाख दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष यह रु.18,646.58 लाख थी। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रचालन से प्राप्त राजस्व बढकर रु.26,563.60 लाख हो गया, जो वित्त वर्ष 2023-24 में रु.17,971.62 लाख था। कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 में रु.262.78 लाख का लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में रु.111.38 लाख का लाभ हुआ था।

श्रमशक्ति की स्थिति

21. दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी की श्रमशक्ति 3,542 थी, जिसमें 515 अधिकारी, 180 पर्यवेक्षक, 1445 कर्मचारी और 1402 संविदा कर्मचारी (199 अधिकारी और 1203 कर्मचारी) शामिल थे। इसके अलावा, दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी में 1083 प्रशिक्षार्थी भी थे, जिनमें से 467 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत है, 5 समुद्री एवं पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र, जो भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा स्थापित एक उच्च-स्तरीय कौशल विकास केंद्र है, से और 8 प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत थे।

22. वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल ने कुल 1310 कर्मियों की भर्ती की, जिनमें 36 अधिकारी, 2 पर्यवेक्षक, 14 कामगार, 683 अनुबंध कर्मचारी (98 अधिकारी और 595 कामगार), 565 प्रशिक्षु शामिल हैं, जिनमें प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत 431 प्रशिक्षु, सीईएमएस से 6 प्रशिक्षु और पीएमआईएस के तहत 10 प्रशिक्षु शामिल हैं।

औद्योगिक संबंध

23. सीएसएल ने वर्ष के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण बनाए रखना और बढावा देना जारी रखा। विशेष रूप से कंपनी को जिम्मेदार कारणों से श्रमिक अशांति के कारण काम के घंटे का कोई नुकसान नहीं हुआ था।

24. कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों ने भी वर्ष के दौरान कंपनी को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना जारी रखा।

25. संयुक्त प्रबंधन मंच जैसे संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर सुरक्षा समिति, अनुबंध कार्यकर्ता सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट आदि प्रभावी ढंग से कार्य करते रहे।

26. विभिन्न स्वैच्छिक योजनाओं जैसे कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार योजना, कर्मचारी शैक्षिक सहायता योजना आदि के माध्यम से कर्मचारियों और उनके आश्रितों के कल्याण एवं भलाई का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है।

मानव संसाधन विकास

27. सीएसएल कर्मचारियों के विकास को सशक्त बनाने और उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को बेहतर व्यावसायिक निष्पादन चलाने के लिए अत्यधिक महत्व देता है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, सीएसएल ने निरंतर अध्ययन को अपनी सांस्कृतिक दक्षताओं में से एक के रूप में निर्धारित किया है और लगातार कार्यबल को उन्नत करने में लगा हुआ है।

28. उपरोक्त अनुरूप, वर्ष 2024-25 के दौरान तकनीकी और गैर-तकनीकी कार्यबल को कवर करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कई शिक्षण और विकास गतिविधियां आयोजित की गईं। कंपनी ने एक प्रशिक्षण योजना प्रज्वलित मन

प्रख्यापित की है, जिसमें कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया था, जैसे कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए कार्यनीतिक विश्लेषण, परियोजना, कार्यक्रम और पोर्टफोलियो प्रबंधन, व्यापार नेतृत्व के लिए वित्त मास्टर क्लास, आईआईएम बैंगलोर द्वारा प्रभावी नेतृत्व के लिए माइंडफुलनेस, परिवर्तनकारी नेतृत्व, परियोजना प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में जीतने के लिए कार्यनीतियां, आईआईएम अहमदाबाद द्वारा द विनिंग एज: नेताओं के लिए संचार कार्यनीतियां, कार्यनीतिक नेतृत्व पर एमडीपी, एमडीआई गुडगांव द्वारा गैर-वित्त अधिकारियों के लिए वित्त पर एमडीपी, नेतृत्व विकास, प्रबंधकों के लिए विश्लेषण: आईआईएम लखनाऊ द्वारा विवरण संचालित निर्णय लेना आदि।

जापान में एओटीएस प्रशिक्षण (विदेशी तकनीकी सहयोग और सतत भागीदारी संघ) प्रशिक्षण

29. कुल 40 कर्मचारियों ने जापान में एक अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया, जो अप्रैल 2024 और फरवरी 2025 में 20-20 प्रतिभागियों के दो बैचों में आयोजित किया गया था। प्रत्येक बैच में एक कार्यपालक, दो पर्यवेक्षक और 17 कर्मचारी शामिल है। कौशल विकास पहलों में अधिक लैंगिक प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के लिए, फरवरी 2025 में आयोजित दूसरे बैच में 50% प्रतिभागी महिला कर्मचारी थीं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कक्षा प्रशिक्षण और जापान के शिपयार्ड सहित कारखाना दौरों का एक संयोजन था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जापानी कार्य संस्कृति, कार्यस्थल प्रबंधन, सामाजिक व्यवहार, सार्वजनिक स्थानों पर जापानियों द्वारा प्रदर्शित संस्कृति जैसे क्षेत्रों को शामिल किया गया तथा इसमें पोत निर्माण कंपनी और अन्य प्रमुख उद्योगों का दौरा भी शामिल था, ताकि वहां प्रयोग में आनेवाली नवीनतम प्रौद्योगिकी, सुरक्षा प्रबंधन पद्धतियां, क्रियाशील रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी, 5 एस और काइज़ेन के माध्यम से उत्पादकता सुधार पद्धतियों की जानकारी प्राप्त की जा सके।

30. एक वरिष्ठ कार्यपालक ने सितंबर 2024 के दौरान जापान में डीएक्स-संबंधित कार्यनीतिक प्रबंधन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपयोग पर कार्यक्रम नामक दो सप्ताह के एओटीएस प्रशिक्षण में भाग लिया।

अन्य विदेशी प्रशिक्षण

31. तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने नेतृत्व, परिवर्तन प्रबंधन और नवाचार विषयों पर केंद्रित दो सप्ताह के उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम 2024 में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय और यूरोपीय घटक शामिल थे। इस कार्यक्रम का भारतीय घटक एएससीआई, हैदराबाद के संकाय द्वारा दिनांक 05 से 16 अगस्त, 2024 तक और यूरोपीय घटक एएससीआई और मिलान के एक प्रमुख बिज़नेस स्कूल एसडीए बोकोनी के बीच सहक्रियात्मक सहयोग से दिनांक 07 से 21 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया।

अनुकूलित आंतरिक प्रशिक्षण

32. वित्तीय वर्ष 2024-25 में, सीएसएल ने अपने अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की दक्षता बढाने के लिए विभिन्न अनुकूलित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। ये कार्यक्रम संगठन की विशिष्ट आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए थे और प्रमुख कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है :

- आईएसडी कर्मियों के लिए उन्नत व्यावसायिक अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग पर एक आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोषिक्कोड द्वारा प्रबंधकों और वरिष्ठ प्रबंधकों के दो बैचों के लिए सामान्य प्रबंधन पर तीन दिवसीय अनुकूलित एमडीपी।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वित्तीय नियोजन और स्वास्थ्य संबंधी अभिविन्यास सत्र।
- प्रभावी संचार कौशल, समस्या समाधान एवं निर्णय लेने के कौशल, अंतर-कार्यात्मक टीमिंग और संपर्क कौशल पर कार्यक्रम।
- प्राथमिक चिकित्सा, पोष अधिनियम (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013) पर प्रशिक्षण सत्र।
- सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण जैसे एचएसई पुनश्चर्या प्रशिक्षण, एचएसई नेतृत्व एवं सांस्कृतिक हस्तक्षेप और सुरक्षा नेतृत्व का महत्व।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के संबंध में आदर्श सीडीए नियम, सतर्कता की दृष्टि से खरीद, सतर्कता प्रशासन, निवारक सतर्कता, साइबर स्वच्छता एवं सुरक्षा, सीएसएल आंतरिक लेखापरीक्षा अनुपालन आवश्यकताए और सेवा शर्तों पर सत्र आयोजित किए गए।
- इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक विशेष छह दिवसीय समुद्री एचवीएसी प्रशिक्षण कार्यशाला।
- मेसर्स डीएनवी द्वारा जलयानों पर खतरनाक क्षेत्रों में स्थापनाओं पर आंतरिक प्रशिक्षण।
- परियोजना प्रबंधन पर योग्यता विकास और मूल्यांकन कार्यक्रम पर प्रमाणन पाठ्यक्रम (आईपीएमए स्तर डी प्रमाणन)।
- कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए युवा अधिकारी योग्यता विकास कार्यक्रम और पर्यवेक्षकों के लिए पर्यवेक्षक योग्यता विकास कार्यक्रम।
- मेंटर्स और मेंटीस के लिए मेंटरिंग योजना पर आंतरिक सत्र।

33. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल ने आंतरिक और प्रमुख संस्थानों में 200 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 4650 कार्य दिवस आयोजित किए, जिससे 3350 से अधिक भागीदार लाभान्वित हुए। निरंतर

सीखने और नेतृत्व विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए, सीएसएल ने अपनी नेतृत्व वार्ता श्रृंखला, प्रज्योति और प्रज्ञान की शुरुआत की। ये सत्र विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा दिए गए संक्षिप्त व्याख्यानों के माध्यम से कार्यबल को प्रेरित और संलग्न करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इस पहल के तहत, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रज्योति के चार सत्र और प्रज्ञान के तीन सत्र आयोजित किए गए।

कर्मचारियों के बच्चों के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति

34. वर्ष 2016 से शुरू की गई शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना "शिपयार्ड परिवार प्रतिभा पुरस्कार" का उद्देश्य सीएसएल के नियमित कर्मचारियों के बच्चों में उत्कृष्ट निष्पादन करनेवालों को पुरस्कृत और प्रोत्साहित करना है। कक्षा 12वीं की अंतिम परीक्षा में बच्चों द्वारा प्राप्त सर्वोच्च अंकों के क्रम में अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 25,000 रूपए की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वर्ष 2024-25 के दौरान, उक्त योजना के अंतर्गत सोलह पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

उत्कृष्टता की पहचान

35. सीएसएल ने सहायक महाप्रबंधकों के स्तर से नीचे के कर्मचारियों के बीच नवीन विचारों और प्रथाओं के पुरस्कार और मान्यता की परिकल्पना करते हुए कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सर्वोच्च पुरस्कार 15,000 रुपए के नकद मूल्य और प्रशस्ति पत्र के साथ अध्यक्षीय पुरस्कार है। वर्ष 2024-25 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान, 31 कर्मचारियों (कार्यपालक-5, पर्यवेक्षक-4, कामगार-16, अनुबंध कामगार-6) को अध्यक्ष प्रशस्ति से सम्मानित किया गया, जिसमें 2,000/- नकद पुरस्कार दिया जाता है।

36. वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान, कुल 36 कर्मचारियों (कार्यपालक-8, पर्यवेक्षक - 1, कर्मचारी-19, अनुबंध कर्मी - 8) को अध्यक्ष प्रशस्ति और 2,000 रुपए के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

37. कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके एक भाग के रूप में, सीएसएल ने तनाव दूर करने, अच्छी स्वास्थ्य आदतों को बढावा देने और मानसिक/भावनात्मक स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से योग को बढावा देने हेतु दिनांक 21 जून 2024 को सामान्य योग प्रोटोकॉल अभ्यास का आयोजन किया। इसके अलावा, कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की भागीदारी के लिए कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध कराई गई।

संविधान दिवस

38. सीएसएल में भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढकर संविधान दिवस मनाया गया। केरल उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एन नागरेश इस समाराह के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढी और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया।

समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान (मेटी)

39. मेटी ने कुल 102 स्नातक समुद्री इंजीनियरिंग कैडेटों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया, जिन्होंने भारत सरकार के नौवहन महानिदेशालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया। इसके अतिरिक्त, 140 जीएमई वर्तमान में पाठ्यक्रम कर रहे हैं। डीजी शिपिंग ने मेटी को मौजूदा 140 जीएमई से 160 जीएमई तक प्रवेश क्षमता बढाने के लिए मंजूरी दे दी है।

40. मेटी ने श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चेन्नई के 4 वर्षीय समुद्री इंजीनियरिंग कार्यक्रम के 16 छात्रों के लिए 6 महीने का अफ्लोट प्रशिक्षण भी प्रदान किया। कुल 18 एसवीसीई छात्र वर्तमान में पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

41. वर्ष 2024-25 के दौरान, मेटी ने बाहरी उम्मीदवारों के लिए एक दिवसीय/तीन दिवसीय बुनियादी अग्निशमन व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के 23 बैच (395 छात्र) आयोजित किए। मेटी ने मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट (एमएमडी), कोच्ची द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह 2024 में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके इसे दिनांक 05 अप्रैल, 2025 को एमएमडी, कोच्ची से प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त हुए। मेटी ने विश्व रक्तदाता दिवस भी मनाया और जीएमई के 49वें और 50वें बैच के लिए आंतरिक संगोष्ठी आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, छात्रों ने अक्तूबर 2024 में स्वच्छता के लिए श्रमदान में भाग लिया।

42. मेटी ने सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 61 छात्रों के लिए तेल एवं रासायनिक टैंकर परिचय पाठ्यक्रम के 4 बैच और 27 छात्रों के लिए गैस टैंकर पाठ्यक्रम के 2 बैच आयोजित किए। दिनांक 03 मार्च 2025 को मेटी ने उम्मीदवारों से मिलिए और अभिवादन कीजिए 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों के 100 छात्रों ने भाग लिया, जो प्रतिष्ठित नौवहन कंपनियों से जीएमई-प्रायोजित सीटों के लिए इच्छुक थे। आईएमईसी, यूके सहित कई नौवहन कंपनी के अधिकारियों ने भी मेटी का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की।

43. आईएमओ विनियम और भारत सरकार के अमृत काल दृष्टिकोण के अनुरूप, सीएसएल मेटी और बर्नहार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (बीएसएम) ने बीएसएम नाविकों के लिए एक दिवसीय व्यावहारिक अग्निशमन और आईजीएफ (बेसिक और उन्नत) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। डीजीएस द्वारा अनुमोदित ये पाठ्यक्रम गैस या अन्य निम्न फलैश पॉइंट ईंधन का उपयोग करनेवाले पोतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संहिता के अनुरूप डिज़ाइन किए गए हैं। सीएसएल ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत 4 बैचों में 54 नाविकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है।

44. सीएसएल और डेनमार्क की मेर्सक ए/एस ने विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन, भारत सरकार के समुद्री भारत विज़न (एमआईवी) 2030 और समुद्री अमृत काल विज़न (एमएकेवी) 2047 के अनुरूप विश्वस्तरीय क्षमताओं के निर्माण हेतु वैश्विक मानकों पर ज्ञान के आदान-प्रदान को बढावा देता है, जो भारत को एक प्रमुख वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में देखने की परिकल्पना करते हैं।

45. सीएसएल मेटी ने मेर्सक के नाविकों के लिए कौशल-संवर्धन कार्यक्रम विकसित किए हैं, जैसे 5 दिवसीय फिटर संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम और 5 दिवसीय वेल्डर ब्रिजिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब तक सीएसएल ने मेर्सक के 40 नाविकों के 4 बैचों के लिए उपरोक्त कौशल-संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। सीएसएल ने प्रशिक्षण के अगले बैच की भी योजना बनाई है, जिसमें अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक प्रति माह कम से कम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।

46. प्रशिक्षण संस्थान ने एक्ट प्रशिक्षुओं और प्रशिक्षुता कार्यक्रम पूरा करनेवाले प्रशिक्षुओं के लिए रोज़गारपरकता, संचार कौशल, कठिन परिस्थितियों के लिए सॉफ्ट सिक्ल और नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए। इसके अलावा, सीएसएल प्रशिक्षण संस्थान ने देश भर के विभिन्न कॉलेजों के कुल 1104 डिग्री और प्रबंधन छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की। वर्ष 2024-25 के दौरान, प्रशिक्षण संस्थान कुल 271 आईटीआई प्रशिक्षुओं, 94 डिप्लोमा प्रशिक्षुओं और 79 डिग्री प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके अलावा,सीएसएल प्रशिक्षण संस्थान ने कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2 वर्षीय रिगर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के 2 बैच शुरू किए हैं।

47. एएसएपी केरल सहयोग : भारत सरकार के बढते समुद्री उद्योग के लिए श्रमशक्ति के कौशल, पुनर्कौशल और उन्नयन के कार्यक्रम के अनुसार, सीएसएल और केरल सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आनेवाली धारा 8 कंपनी, अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम, केरल ने आईटीआई प्रमाणित युवाओं को पोत निर्माण, पोत मरम्मत और समुद्री इंजीनियरिंग में बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अनुसार, एएसएपी 2 महीने का सैद्धांतिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। सीएसएल 3 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण और 9 महीने का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। सीएसएल प्रशिक्षण के बाद एक वर्षीय अनुबंध रोज़गार प्रदान करता है। सीएसएल और एएसएपी द्वारा एक संयुक्त प्रमाणन प्रदान किया जाता है।

48. सीएसएल ने मरीन स्ट्रक्चरल फिटर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित किया है, जो एक बहु-कौशल पहल है और फरवरी 2022 में शुरू हुई। अब तक, लगभग 190 उम्मीदवारों के पाँच बैचों ने यह कार्यक्रम पूरा कर लिया है, और 63 उम्मीदवार वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

49. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मेटी को निम्नलिखित पुरस्कार और मान्यताएं प्राप्त हुईं :

    i) एमएमडी, कोच्ची द्वारा राष्ट्रीय समुद्री दिवस समारोह (एनएमडीसी) पर मेटी के लिए खेलकूद हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी पुरस्कार और समग्र चैंपियन रोलिंग ट्रॉफी तथा संगोष्ठी में सर्वश्रेष्ठ शोधपत्र पुरस्कार (छात्र सत्र)।

    ii) वर्ष 2025 के लिए सीआईपी लेखापरीखा में नौवहन महानिदेशालय की ओर से एलआर क्लास द्वारा ए1 ग्रेड (उत्कृष्ट ग्रेड)। मेटी को लगातार तीन वर्षों तक ए1 उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त हुआ है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस)

50. सीएसएल कुशल और सक्षम कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य से राष्ट्रीय पहलों का समर्थन करके भावी पेशेवरों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के प्रमुख चरण के तहत, सीएसएल ने 8 प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया है। सीएसएल को उम्मीद है कि पीएमआईएस के तहत इंटर्नशिप की संख्या में वृद्धि होगी, जिसका उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और पेशेवर कार्य के बीच की खाई को पाटना और इस प्रकार युवाओं में कौशल विकास और रोज़गारपरकता को बढावा देना है।

कर्मचारी कल्याण उपाय

51. बाल देखभाल अवकाश (सीसीएल) - कैलेंडर वर्ष 2025 से, वे कर्मचारी (कार्यपालक, पर्यवेक्षक या कर्मचारी) जिनकी सीएसएल में दो वर्ष की नियमित सेवा हो, वे दो वर्ष (अर्थात् 730 दिन) तक के बाल देखभाल अवकाश के लिए पात्र होंगे। आश्रित दिव्यांग बच्चों (40% या अधिक दिव्यांगता) वाली सभी महिला कर्मचारी बिना किसी आयु प्रतिबंध के सीसीएल के लिए पात्र हैं। नाबालिंग आश्रित बच्चों (18 वर्ष तक) वाले सभी एकलन अभिभावक (पुरुष या महिला) भी पूरी सेवा के दौरान परीक्षा या बीमारी जैसे उद्देश्यों के लिए सीसीएल के लिए पात्र हैं।

52. कर्मचारी कल्याण क्राउंड फंडिंग योजना - सीएसएल ने कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में उसके शोक संतप्त परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए कर्मचारी कल्याण क्राउड फंडिंग योजना कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी परिवार परिरक्षक योजना शुरू की है। यह योजना इस प्रकार संचालित होती है कि नियमित कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में कंपनी के रोल पर प्रत्येक कर्मचारी से 600/- रुपए की राशि एकत्र की जाएगी। इस योजना के अनुसार, कंपनी प्रत्येक प्राकृतिक मृत्यु के मामले में 15,00,000/- रुपए की सीमा के अधीन, कर्मचारी क्राउड फंडिंग के माध्यम से एकत्रित निधि के 1.5 गुना की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से आश्रितों को प्रदान किया जानेवाला अधिकतम लाभ 25,00,000/- रुपए होगा।

53. कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी पारस्परिक एवं सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट के तहत राहत में वृद्धि - सीएसएल ने किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट के सदस्यों के आश्रितों के लिए वित्तीय मृत्यु राहत को बढाकर 8,00,000 रुपए और अंतिम संस्कार व्यय को 25,000 रुपए कर दिया है।

54. दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए कल्याण सहायता और विशेष आकस्मिक अवकाश - सीएसएल उन सभी स्थायी कर्मचारियों को 4,500/- रुपए की मासिक कल्याण सहायता प्रदान कर रहा है, जिनके पास दिव्यांग बच्चे हैं। उन्हें आपातकालीन स्थितियों में बच्चे की देखभाल के लिए समय भी दिया जाता है, जो एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 5 विशेष आकस्मिक छुट्टी तक सीमित है।

55. संशोधित सीएसएल चिकित्सा सहायता योजना - सीएसएल ने सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए एर्णाकुलम जिले में 34 अस्पतालों (सुपर-स्पेशियलिटी/मल्टी-

स्पेशियलिटी/स्पेशलिटी और अन्य-स्पेशलिटी अस्पतालों) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना को संशोधित किया है। इन 34 सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राप्त इनपेशेंट/डे केयर उपचार के लिए खर्च सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को दिया जाएगा। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, स्वीकार्य उपचार व्यय कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

56. सीएसएल रडुर - कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि, सूचित निर्णय : नई डिजिटल परिवर्तन पहल के एक भाग के रूप में, एक नया मोबाइल एप्लिकेशन विकसित और लॉन्च किया गया है। यह एप्लिकेशन सीएसएल उपयोगकर्ताओं को कई नई सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इस एप्लिकेशन का उपयोग आंतरिक उपयोगकर्ताओं दोनों द्वारा किया जा सकता है जैसे अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और कामगारों सहित सभी स्थायी कर्मचारी और बाहरी उपयोगकर्ता जैसे आपूर्तिकर्ता, उप ठेकेदार, सेवानिवृत्त कर्मचारी आदि। कर्मचारी प्रोफाइल, उपस्थिति विवरण, वेतन पर्ची, छुट्टी का विवरण, चिकित्सा दावों की स्थिति, आश्रितों की जानकारी, ऋण विवरण, पीएफ डेटा, रिपोर्टिंग समय कैप्चर करना आदि कुछ विशेषताएं हैं जो रडुर में शामिल हैं।

57. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए बंध्यता उपचार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में बंध्यता उपचार योजना शुरू की गई थी। प्रति चक्र 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र) से अधिक की राशि या वास्तविक लागत जो भी कम हो, प्रतिपूर्ति के लिए अनुमत है और पूर्व अनुमोदन के साथ अधिकतम तीन नए चक्रों तक इसकी अनुमति दी जाएगी। बंध्यता उपचार के हिस्से के रूप में प्रक्रियाओं से गुज़रने हेतु, एक कर्मचारी की सेवा के दौरान एक वर्ष में अधिकतम 10 दिनों के लिए और अधिकतम 20 दिनों के लिए विशेष अवकाश दिया जा रहा है। मार्च 2025 तक कुल 27 कर्मचारियों को इस योजना के तहत लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी।

58. सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना की सुविधा के लिए सीएसएल में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की गई थी। अप्रैल 2021 से नियोक्ता अंशदान के रूप में सीएसएल कर्मचारियों के व्यक्तिगत खाते में वेतन (बेसिक अ डीए) का 10% योगदान दे रहा है। यह योजना कर्मचारियों को आकर्षक आयकर लाभ प्रदान करती है और सेवानिवृत्ति के बाद परेशानी मुक्त जीवन भी सुनिश्चित करती है।

59. सीएसएल ने वर्ष 2019 में कंपनी के पुरुष कर्मचारियों के लिए पितृत्व अवकाश की शुरुआत की, जिसमें एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने का अवकाश शामिल है।

60. सीएसएल एक लोगों को सर्वोपरि रखनेवाला और लोगों की देखभाल करनेवाला संगठन है, जिसने कैंसर के उपचार, अंग विफलता और अंग प्रत्यारोपण जैसी दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों के कारण छुट्टी लेनेवाले कर्मचारियों की सहायता करने की आवश्यकता महसूस की। कैलेंडर वर्ष 2023 से, सभी नियमित कर्मचारियों को कैंसर के उपचार जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी या अंग विफलता या अंगदान के लिए सेवा अवधि के दौरान 180 दिनों की विशेष छुट्टी मंजूर की गई है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां कर्मचारियों के आश्रित समान स्थिति में हैं और कर्मचारियों को उनकी देखभाल के लिए छुट्टी लेनी पडती है। बीमार परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए, कर्मचारी अपने आश्रितों की कीमोथेरेपी, अंग प्रत्यारोपण के लिए आवश्यक दिनों के लिए भी विशेष छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं।

61. यह भी देखा गया है कि सीएसएल के कई कर्मचारी ज़रूरतमंदों को रक्तदान कर रहे हैं जो एक नेक कार्य है और जीवन रक्षक है। सभी नियमित कर्मचारियों को रक्तदान के लिए एक दिन की विशेष छुट्टी लेने की भी अनुमति है, जो साल में अधिकतम तीन बार हो सकती है।

विचारोत्तेजक विचारों को प्रोत्साहित करना

62. "नेतृत्व संवृद्धि योजना" नेतृत्व गतिवृद्धि कार्यक्रम वर्ष 2016 में शुरू किया गया था ताकि भारत और विदेश दोनों के प्रमुख संस्थानों में उच्च अध्ययन करने के लिए ग्रेड ई 1 से ई 4 में अधिकारियों को प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। इस योजना के तहत मुख्य लाभ न केवल दो साल के लिए अध्ययन अवकाश का अनुदान है, उनके वापस आने और ड्यूटी के लिए शामिल होने के बाद ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति, किश्तों में अदा किया जाएगा। लीप योजना के तहत सालाना आधार पर अधिकतम तीन आवेदकों पर विचार किया जाता है।

63. वर्ष 2016 में वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा व्यक्तिगत विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए मेंटर-मेंटी योजना शुरू की गई थी। यह सहयोग कनिष्ठ अधिकारियों, जो नए हैं, को जुडाव, अपनेपन की भावना देता है और संगठन में अंतर और अंतर-व्यक्तिगत संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देता है, जिससे बेहतर प्रतिधारण होता है।

व्यावसायिक आकलन

64. एक विस्तृत योग्यता मानचित्रण कार्य के माध्यम से, सीएसएल के लिए चार सांस्कृतिक दक्षताओं अर्थात् टीमिंग, निष्पादन उत्कृष्टता, बाधा तोडने और निरंतर सीखने की पहचान की गई है। इन सांस्कृतिक दक्षताओं को सभी मानव संसाधन उप प्रणालियों जैसे भर्ती, प्रशिक्षण, प्रदर्शन प्रबंधन, कैरियर विकास आदि में शामिल किया गया है।

आरक्षणों पर राष्ट्रपति के निदेशों को लागू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर स्थिति

65. कोचीन शिपयार्ड ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग /आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और राष्ट्रपति के मार्गनिर्देशों को सख्ती से पालन किया गया है। कंपनी ने आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक संपर्क अधिकारी और अन्य पिछडे वर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए एक अलग संपर्क अधिकारी को नियुक्त किया है। आरक्षण प्रतिशत को भारत सरकार द्वारा निर्धारितानुसार पद आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

66. दिनांक 31 मार्च 2025 को पदों के विभिन्न समूहों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति और अल्पसंख्यक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल श्रमशक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	आ.क.व.	पीडब्ल्यूबीडी	अल्पसंख्यक
वर्ग क	388	51	21	111	0	9	107
वर्ग ख	186	20	9	85	3	1	46
वर्ग ग	1,171	155	15	613	1	29	282
वर्ग घ	395	49	5	273	1	11	100
कुल	**2,140**	**275**	**50**	**1,082**	**5**	**50**	**535**

महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रावधान

67. कार्यस्थल में महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 और इसके तहत बनाए गए नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है, जिसमें आंतरिक शिकायत समितियों का गठन भी शामिल है, जिनकी अध्यक्षता वरिष्ठ महिला अधिकारी करती है। कंपनी ने संगठन भर में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने सहित यौन उत्पीडन की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। समिति को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक का निपटारा कर दिया गया है और दूसरी 31 मार्च 2025 तक लंबित है।

68. सीएसएल में एक महिला कल्याण अधिकारी है जो विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को बढावा देने और कंपनी की महिला कर्मचारियों की ज़रूरतों के अनुसार कल्याणकारी उपायों को तैयार करने और लागू करने के लिए है। सीएसएल ने मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत ही आकर्षक तरीके से मनाया।

एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

69. कोचीन शिपयार्ड ने आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों के तहत अपनी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को बनाए रखा। आगामी वर्षों में सीएसएल की सभी सहायक इकाइयों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है।

सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस)

70. कोचीन शिपयार्ड ने सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि संवेदनशील सूचनाओं की सुरक्षा, साइबर-लचीलापन को बढावा देने और प्रचालन उत्कृष्टता को बढावा देने के लिए सीएसएल के समर्पण को रेखांकित करती है। सीएसएल, पोत निर्माण क्षेत्र में आईएसएमएस लागू करनेवाली पहली कंपनी है, जिसने उद्योग में सूचना सुरक्षा के लिए एक नया मानक स्थापित किया है।

सुविधा उन्नयन एवं पूंजी व्यय

71. वर्ष 2024-25 के दौरान हुए कुल पूंजी व्यय 461.44 करोड रुपए की राशि थी। यह, नवीकरण एवं प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण और विस्तार, नई सूखी गोदी, आईएसआरएफ, सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू, सीएएनएसआरयू, सहायक कंपनियों आदि के लिए आधारिक संरचना आदि से संबंधित है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

72. राजभाषा (संघ के आधिकारिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में, भारत सरकार ने भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया है कि कंपनी के 80% अनुसचिवीय कर्मचारियों ने हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान/दक्षता प्राप्त कर ली है।

73. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को वर्ष 2023-24 के लिए 'ग' क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोचीन शिपयार्ड को भारत भर में ग-क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तीसरा स्थान दिया गया है और यह चौथी बार है जब कोचीन शिपयार्ड को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

74. सीएसएल में दिनांक 14 से 28 सितंबर 2024 तक हिंदी पखवाडा समाराहे बडे उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। सीएसएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी सुलेख, हिंदी टंकण, शब्द पहली, कविता पाठ, कविता लेखन, समाचार वाचन, प्रशासनिक शब्दावली, प्रश्नोत्तरी, स्मृति परीक्षा, फिल्मी गीत, निबंध लेखन, टिप्पण एवं प्रारूपण तथा अनुवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हिंदी पखवाडा समारोह के संबंध मे एक विशेष कार्यक्रम के रूप में, कर्मचारियों के बच्चों के लिए श्रुतलेख, कविता पाठ, सुलेख, हिंदी फिल्मी गीत, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। प्रत्येक प्रतियोगिता में 60 से अधिक कर्मचारियों/बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हिंदी पखवाडा समारोह

के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके पोत मरम्मत विभाग ने ऑवरऑल चैंपियनशिप रोलिंग ट्रॉफी जीती।

75. हिंदी पखवाडा समारोह के उपलक्ष्य में, एर्णाकुलम जिले के सभी महाविद्यालयों के लिए हिंदी में एक लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लघु फिल्में मुख्यतः रिश्तों पर सोशल मीडिया का प्रभाव, एक इंसान के रूप में प्रकृति और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता, बुरी आदतें छोडना : बुरी आदतों पर काबू पाने और नशीली दवाओं के सेवन से बचने के लिए सकारात्मक जीवनशैली में बदलाव की कहानी और स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता और सफाई को बढावा देना जैसे विषयों पर आधारित थीं। प्रतियोगिता में कुल 15 महाविद्यालयों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

76. हिंदी को राजभाषा घोषित किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, कंपनी ने दिनांक 22 नवंबर 2024 को सीएसएल, कोच्ची में एक राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें कोच्ची की तीनों (बैंक, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गैर-हिंदी कर्मचारियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य गैर-हिंदी भाषी कर्मियों ने हिंदी भाषा के प्रति जागरूकता पैदा करना और कार्यस्थल पर इसके अधिकतम प्रयोग को बढावा देना था। इस संगोष्ठी में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

77. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने दिनांक 10 जनवरी 2025 को एर्णाकुलम जिले में स्थित दो स्कूलों (चोट्टानिक्करा वीएचएसएस और सेक्रेड हार्ट यू पी स्कूल, कर्तेडम) में बडे उत्साह के साथ विश्व हिंदी दिवस मनाया। इस अवसर पर, हिंदी भाषा को बढावा देने और छात्रों में इसके महत्व के प्रति जागरूकता बढाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। हिंदी साहित्य में रुचि पैदा करने और समझ बढाने के लिए, छात्रों के बीच हिंदी पुस्तकें वितरित की गईं। कविता पाठ प्रतियोगिता में छात्रों ने भावपूर्ण और भावपूर्ण ढंग से हिंदी कविताएं प्रस्तुत कीं। भाषण प्रतियोगिता में, उन्होंने हिंदी भाषा के महत्व, इसकी सांस्कृतिक विरासत और दैनिक जीवन में इसकी भूमिका पर अपने विचार साझा किए। इन प्रतियोगिताओं में कुल 26 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने उत्साह और प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

78. सीएसएल कर्मचारियों के लिए मौखिक हिंदी प्रशिक्षण का पांचवां बैच आयोजित किया गया। कक्षाएं सप्ताह में दो बार एक-एक घंटे के लिए आयोजित की गईं। यह सत्र मई 2024 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रशिक्षण सत्र में कुल 23 कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

79. हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न के 16वें अंक का विमोचन दिनांक 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान सीएसएल, कोच्ची में किया गया। हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न के 17वें अंक का विमोचन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मधु शंकुण्णी नायर ने दिनांक 04 मार्च 2025 को निदेशक (प्रचालन) श्री श्रीजित के नारायणन को एक प्रति सौंपकर किया।

80. महाराजास कॉलेज, एर्णाकुलम के पांच छात्रों और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, एर्णाकुलम के पांच छात्रों ने अप्रैल-मई 2024 के दौरान हिंदी इंटर्नशिप कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, एर्णाकुलम के एमए हिंदी और अनुवाद डिप्लोमा के दो छात्रों और कुसाट के दो छात्रों ने इंटर्नशिप प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

81. वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाएं और राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी पारंगत पाठ्यक्रम (जुलाई-नवंबर 2024) का सेवाकालीन प्रशिक्षण जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ। यह पाठ्यक्रम 5 महीनों में संचालित किया गया। कार्यालय के कुल 22 कर्मचारी पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद दिनांक 10 नवंबर 2024 को आयोजित परीक्षा में सम्मिलित हुए। सभी कर्मचारी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और प्रत्येक 10,000 रुपए के नकद पुरस्कार के पात्र हुए।

82. वरिष्ठ अधिकारियों ने राजभाषा की समझ विकसित करने के लिए, सहायक महाप्रबंधक स्तर तक के अधिकारियों के लिए दिनांक 30 मई 2024 को एक राजभाषा प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉ मधुशील आयिल्यत्त, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा), भारतीय रिज़र्व बैंक, कोच्ची द्वारा किया गया। उन्होंने राजभाषा नीति, वार्षिक कार्यक्रम, संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित रिपोर्ट, यूनीकोड आदि पर गहन व्याख्या प्रस्तुत की। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका, उत्तरदायित्व और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित मुख्य पहलुओं पर भी चर्चा की गई।

कर्मचारियों का विवरण और संबंधित खुलासे

83. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक जून 05, 2015 के अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी गई है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

84. विवरण अनुलग्नक। में दिया गया है।

जोखिम प्रबंधन

85. सीएसएल ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जिसे निदेशक मंडल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित अपनी 214वीं बैठक में अनुमोदित किया था और बाद में दिनांक 12 फरवरी 2021 को आयोजित 259वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया। कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक संरचित और निर्धारित प्रक्रिया स्थापित करना है।

86. नीति के अनुसार, सीएसएल बोर्ड जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समग्र निगरानी करता है। बोर्ड समय-समय पर जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया की समीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रमुख जोखिमों की उचित पहचान की जा रही है और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है। सीएसएल प्रबंधन, जिसमें बोर्ड-स्तर और बोर्ड-स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल हैं, को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपा गया है। इस उद्देश्य से, सीएसएल ने पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने के लिए कार्यात्मक जोखिम प्रबंधन समितियों और एक बोर्ड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति की स्थापना की है। ये समितियां जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया और नीति की नियमित समीक्षा करती हैं ताकि उनकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुरूप, सीएसएल के पास दिनांक 21 नवंबर 2024 तक कंपनी के समग्र कॉर्पोरेट जोखिम प्रबंधन की देखरेख के लिए एक बोड-स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति थी। हालांकि, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण समिति का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। भारत सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद समिति का पुनर्गठन किया जाएगा।

87. सीएसएल के विविध उत्पाद मिश्रण में रक्षा और वाणिज्यिक पोत निर्माण के साथ-साथ पोत मरम्मत भी शामिल है, जो कंपनी को बाज़ार जोखिमों के खिलाफ एक प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है। यह विविधीकरण किसी विशेष बाज़ार खंड में उतार-चढाव के प्रति कंपनी के जोखिम को कम करने में मदद करता है, जिससे व्यवसाय की समग्र लचीलापन बढता है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

88. सीएसएल में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के अनुकरणीय मानकों के प्रति हमारा समर्पण सर्वोपरि है, जो हमारे कर्मचारियों, ग्राहकों और हितधारकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करता है। हम एक सक्रिय एचएसई संस्कृति का विकास करते हैं, जो संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें कम करने पर केंद्रित एक सावधानीपूर्वक डिज़ाइन की गई प्रबंधन प्रणाली पर आधारित है। हम मानते हैं कि एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण हमारे सभी हितधारकों के समग्र कल्याण और सफलता का अभिन्न अंग है।

89. हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे संगठनात्मक एचएसई सूचकांक प्रतिशत में पिछले वर्ष 2023 की तुलना में 8.9% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) के लिए किए गए प्रयासों से लगातार सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं, जो घटनाओं और दुर्घटनाओं को सक्रिय रूप से कम करने में हमारी मज़बूत एचएसई शासन प्रणाली की प्रभावशीलता को दर्शाता है। प्रतिक्रियात्मक प्रतिक्रियाओं के बजाय सक्रिय उपायों के प्रति यह समर्पण हमारे समग्र और विभागीय स्तर के एचएसई सूचकांक में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, जो हमारे एचएसई प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख मानदंड के रूप में कार्य करता है और संगठन के सभी कार्यात्मक स्तरों पर सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।

90. मई 2024 में, सीएसएल ने भारत के पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षेत्र में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण दो दिवसीय सुरक्षा सम्मेलन संस्रया का आयोजन किया।भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव, श्री टी के रामचंद्रन आईएएस द्वारा उद्घाटन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में एचएसई प्रथाओं को आगे बढाना और भारतीय शिपयार्ड के लिए रूपरेखाएं तलाशना था। डीजीएफएएसएलआई, एफएंडबी (केरल सरकार), पीईएसओ, बीआईएस, भारतीय नौसेना, वर्गीकरण समितियों और प्रमुख शिपयार्ड के प्रतिनिधियों सहित भारत और विदेश के गणमान्य व्यक्तियों और विशेषज्ञों की भागीदारी वाले इस सम्मेलन ने समुद्री अमृत काल विज़न 2047 के अनुरूप ज्ञान के आदान-प्रदान और सहयोग को सुगम बनाया। इस सफल आयोजन ने सुरक्षा उत्कृष्टता को बढावा देने और उद्योग में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सीएसएल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

91. वर्ष 2024 के लिए सीएसएल की आवृत्ति दर 0.13 है। कंपनी के एचएसई प्रदर्शन के एक प्रमुख संकेतक के रूप में इस मीट्रिक पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। सीएसएल इस उपलब्धि का श्रेय कंपनी के सक्रिय दृष्टिकोण और समग्र रिपोर्टिंग संस्कृति में सुधार देता है।

92. सीएसएल के सहयोगात्मक दृष्टिकोण में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि उप-ठेकेदारों के पास सुरक्षित कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षण हो। एचएसई के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी और रचनात्मक प्रतिक्रिया, सुधार को बढावा देने के लिए अभिन्न अंग बने हुए हैं। उच्च सुरक्षा मानकों को बनाए रखने में उप-ठेकेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए, सीएसएल की मज़बूत मूल्यांकन प्रक्रिया, सीएसएल के एचएसई मानकों और नियामक आवश्यकताओं के साथ निरंतर संरेखण सुनिश्चित करती है।

93. एचएसई स्टार रेटिंग प्रणाली, जो यार्ड में 20 या अधिक कर्मियों को नियुक्त करनेवाले उप-ठेकेदारों के वार्षिक एचएसई प्रदर्शन का मूल्यांकन कैलेंडर वर्ष के आधार पर करती है, इस प्रयास में एक प्रमुख तंत्र बनी रही। यह रेटिंग प्रणाली सीएसएल को हितधारकों के बीच एचएसई मानकों में निरंतर सुधार की निगरानी और प्रोत्साहन प्रदान करती है। तीन स्टार से लेकर पांच स्टार तक की ये रेटिंग, सीएसएल के उप-ठेकेदारों द्वारा अपनाए गए कठोर मानकों के प्रमाण हैं। 23 उप-ठेकेदारों को सीएसएल एचएसई रेटिंग प्रदान की गई। सुव्यवस्थित प्रशिक्षण वितरण के माध्यम से एचएसई शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एचएसई के लिए एक समर्पित योग्यता विकास केंद्र है।

औद्योगिक सुरक्षा

94. सीएसएल राष्ट्रीय महत्व का एक महत्वपूर्ण संगठन है और इसे राज्य और केंद्र सरकार दोनों द्वारा विशेष सुरक्षा क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इस प्रतिष्ठान की सुरक्षा राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। वर्ष के दौरान कंपनी की समग्र सुरक्षा बिना किसी गंभीर सुरक्षा चिंता के सुदृढ बनी रही। प्रतिष्ठान की प्राथमिक सुरक्षा का दायित्व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की इकाई को सौंपा गया है, जिसकी कमान उप कमांडेंट,

सीआईएसएफ के अधीन है। सीएसएल ने क्यूआरटी टीम के अलावा सशस्त्र सीआईएसएफ कर्मियों के साथ चौबीसों घंटे जल क्षेत्र गश्त की व्यवस्था की है। सीएसएल ने सभी महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों सहित संपूर्ण परिधि को शामिल करते हुए एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली (सीसीटीवी) स्थापित की है। कंपनी में शुरू की गई और स्थापित सभी सुरक्षा प्रणालियां और उपाय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। किसी भी सुरक्षा खतरे, सुरक्षा उल्लंघन, संकट या आपदाओं का मुकाबला करने के लिए सीआईएसएफ बल की तैयारी का आकलन करने के लिए खुफिया ब्यूरो, राज्य पुलिस, राज्य अग्निशमन विभाग, बम निरोधक दस्ते और नौसेना के समन्वय से समय-समय पर मॉक ड्रिल अभ्यास आयोजित किए जाते हैं।

95. सीएसएल को अक्तूबर 2023 में यूआईडीएआई द्वारा सी-डैक, मुंबई के तहत सब-एयूए का दर्जा दिया गया है और प्रवेश पास जारी करने से पहले व्यक्तियों की पहचान के लिए आधार अधिनियम के तहत आधार आधारित सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रक्रिया सीएसएल तक पहुंच प्राप्त करने से प्रतिरूपण को खत्म करने में मदद करती है।

96. सीएसएल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बैंगलोर के माध्यम से एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली लागू की है जिसका उद्देश्य यार्ड के भीतर निगरानी, केंद्रीय कमांड और नियंत्रण कक्ष, विद्युत स्मार्ट पावर फेंस, प्रवेश नियंत्रण प्रणाली और आगंतुक प्रबंधन को बेहतर बनाना है। यह प्रणाली वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है।

97. सीएसएल ने मौजूदा बलों को सहायता प्रदान करने के लिए डीजीआर प्रायोजिक पूर्व सैनिक सुरक्षा एजेंसी को भी नियुक्त किया है, जो मुख्य रूप से सीएसएल की बाहरी संपत्तियों और आंतरिक विशिष्ट स्थानों की देखभाल करती है।

पुरस्कार और मान्यताएं

98. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसएल को निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए :

i) विजेता, केरल औद्योगिक सुरक्षा पुरस्कार 2024 उप-श्रेणी II।

ii) श्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार - राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) की ओर से सबसे बडे कारखाना- इंजीनियरिंग श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट सुरक्षा प्रदर्शन के लिए पुरस्कार।

iii) ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली वाले कारखानों के लिए पुरस्कार श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से द्वितीय पुरस्कार।

iv) वर्ष 2023-24 के लिए ग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (सर्वोच्च)।

v) कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा 200 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में राजभाषा कार्यान्वयन हेतु प्रथम पुरस्कार।

vi) कोच्ची नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू) द्वारा हिंदी गृह पत्रिका सागर रत्न हेतु प्रथम पुरस्कार।

vii) संयुक्त हिंदी पखवाडा समारोह, 2024 के समग्र चैंपियनशिप हेतु प्रथम उप-विजेता।

99. इसके अलावा, सीएसएल अधिकारियों और उप-ठेकेदारों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (केरल चैप्टर) से क्रमशः टूल बॉक्स टॉक और एचएसई प्रबंधन प्रणालीवाले ठेकेदार श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त हुए।

निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

100. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में 12 निदेशक शामिल थे, जिनमें 6 गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल थे। हालांकि, दिनांक 02 मई 2024 से श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएनः 01351097) ने ओडिशा विधानसभा चुनाव लडने के लिए अपने इस्तीफे के बाद गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। इसके अलावा, शेष पांच गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों ने दिनांक 21 नवंबर 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अपने पद छोड दिए।

101. तदनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 तक सीएसएल के बोर्ड में 6 निदेशक शामिल थे, जिनमें एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 3 पूर्णकालिक निदेशक और 2 अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति) शामिल थे।

102. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	जनवरी 01, 2016	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)	अप्रैल 05, 2018	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
3.	श्री जोस वी जे [1]	08444440	निदेशक (वित्त)	अगस्त 01, 2019	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
			मुख्य वित्तीय अधिकारी	अगस्त 13, 2019		

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि	अभ्युक्तियां
4.	श्री श्रीजित के नारायणन [2]	09543968	निदेशक (प्रचालन)	जुलाई 21, 2022	जारी	कोई परिवर्तन नहीं
5.	श्री श्यामकमल एन	लागू नहीं	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी	फरवरी 01, 2020	जारी	कोई परिवर्तन नहीं

[1] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पत्र संख्या एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक 03 जुलाई 2024 के माध्यम से श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) का निदेशक (वित्त) के रूप में कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त 2024 से 28 फरवरी 2027 तक, अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए बढा दिया है। दिनांक 30 सितंबर 2024 को आयोजित 52वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों ने इसे मंजूरी दी।

[2] श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएन: 009543968), जिनका निदेशक के रूप में पद रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होनेवाला था और पात्र होने के कारण उन्हें दिनांक 30 सितंबर 2024 को आयोजित कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा और बैठक

103. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी को कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों से इस बात की पुष्टि मिली है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 15 जुलाई 2024 और दिनांक 07 नवंबर 2024 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों का विवरण

104. वर्ष 2024-25 के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं और दो बैठकों के बीच का अंतर वैधानिक अवधि से अधिक नहीं था। जिन तारीखों को बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं, वे इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड की श्रमशक्ति	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	अप्रैल 22, 2024	12	12
2.	मई 24, 2024	11	10
3.	अगस्त 08, 2024	11	10
4.	नवंबर 07, 2024	11	09
5.	फरवरी 06, 2025	06	04
6.	मार्च 28, 2025	06	05

105. निदेशक, वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड और समिति की बैठक और इन बैठकों में उपस्थिति के संबंध में अधिक जानकारी के लिए निगमित शासन रिपोर्ट का संदर्भ लें, जो निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग है।

पारिश्रमिक नीति / बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन

106. कोचीन शिपयार्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन एक भारत सरकार की एक कंपनी है। वर्तमान में कंपनी के निदेशकों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनके पारिश्रमिक सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार तक किया जाता है। तदनुसार सीएसएल के संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) बताते है कि राष्ट्रपति निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण करेंगे। चूंकि बोर्ड स्तर पर नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, इसलिए ऐसे नियुक्त व्यक्तियों के निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। हालांकि, वर्ष के दौरान गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की दिनांक 15 जुलाई 2024 और 07 नवंबर 2024 को अलग-अलग बैठकें हुईं, जिनमें गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति नहीं थी बैठक में सभी गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक उपस्थित थे। बैठक में अध्यक्ष, गैर-कार्यकारी निदेशकों और समग्र रूप से बोर्ड के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया और इसके लिए पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की गई। बोर्ड ने कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का उनके निष्पादन और स्वतंत्रता मानदंडों की पूर्ति के संदर्भ में भी मूल्यांकन किया और इसे संतोषजनक पाया।

निदेशकों के पारिश्रमिक पर कंपनी की नीति पर नामांकन व पारिश्रमिक समिति की रिपोर्ट

107. वर्तमान में, बोर्ड स्तर पर नियुक्त व्यक्तियों के पारिश्रमिक डीपीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप में निर्धारित किया जाता है। सीएसएल ने दिनांक 14 दिसंबर 2016 को आयोजित अपनी 228वीं बोर्ड बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक नीति को स्वीकार किया गया है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों के अनुपालन में है। सीएसएल ने दिनांक 24 मई, 2018 को आयोजित अपनी 241वीं बैठक में और आगे दिनांक 31 अक्तूबर, 2018 को आयोजित 245वीं बोर्ड बैठक में पॉलिसी को संशोधित किया गया। यह नीति कंपनी के https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 उपलब्ध है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व कथन

108. आपके निदेशक प्रकट करते है कि:

i) दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट की गई

अपेक्षाओं के साथ पठित लागू लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया गया है और वही से कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं किया है।

ii) आपके निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियां चुन लिया और सुसंगत रूप से उन्हें लागू किया है तथा निर्णय और अनुमान किया गया जो युक्ति संगत और विवेकपूर्ण है, ताकि दिनांक 31 मार्च 2025 की तिथि पर कंपनी के मामलों की स्थिति तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ से संबंधित सच्चा और निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत किया जा सके,

iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने तथा छल कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है।

iv) निदेशकों ने चालू कारोबार के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है।

v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालनार्थ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किया है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है, और

vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार कर ली है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त है तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्थाएं

109. कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी ने संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने के लिए एक नीति बनाई है और यह कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उपलब्ध है।

110. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए थे। उन लेनदेनों के लिए लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की पूर्व सर्वव्यापी स्वीकृति प्राप्त की जाती है जो पूर्वानुमानित और दोहरावदार प्रकृति के होते हैं। सभी संबंधित पक्ष लेनदेन तिमाही आधार लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड के समक्ष समीक्षा के लिए रखे जाते हैं।

111. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध, व्यवस्थाएं और लेनदेन व्यवसाय के सामान्य क्रम में और एकतरफा आधार पर थे। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया गया है, जिस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधान लागू होते हों। इसलिए कंपनी अधिनियमृ 2013 की धारा 134 (3) (एच) के तहत फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पक्ष लेनदेन का खुलासा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागू नहीं है और इसलिए यह इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा, आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट 51 की ओर आकर्षित करते हैं, जिसमें भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटीकरण निर्धारित किए गए हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास समिति (सीएसआर और एसडी समिति)

112. सीएसएल के बोर्ड में एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास (सीएसआर और एसडी समिति) समिति थी, जिसके अध्यक्ष श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर, (डीआईएन : 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440), निदेशक (वित्त) दिनाक 21 नवंबर 2024 तक सदस्य थे। स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर 2024 से अपना पद त्याग दिया। परिणामस्वरूप, भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, सीएसएल दिनांक 22 नवंबर 2024 से सीएसआर एवं एसडी समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। सीएसआर व एसडी समिति की अनुपस्थिति में, सीएसआर प्रस्तावों पर बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों के आधार पर सीधे बोर्ड द्वारा विचार किया जाता था।

113. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर और एसडी) समिति ने कंपनी द्वारा की जानेवाली गतिविधियों को इंगित करते हुए एक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति (सीएसआर नीति) तैयार की है और बोर्ड को सिफारिश की है, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3 पर देखा जा सकता है।

114. कोचीन शिपयार्ड ने सरकारी कंपनियों पर लागू सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सीएसआर गतिविधियां शुरू कीं। सीएसएल ने एक प्रभावी सीएसआर नीति और कार्यान्वयन तंत्र स्थापित किया है। सीएसआर कार्यान्वयन मशीनरी में तीन स्तरीय प्रणाली शामिल है : टीयर । सीएसएल बोर्ड, टीयर ॥ सीएसएल बोर्ड स्तर सीएसआर समिति जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में बोर्ड के चार सदस्य शामिल हैं और टीयर ॥। सीएसएल सीएसआर कार्यकारी समिति जिसमें कंपनी के विभिन्न विभागों में वरिष्ठ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

115. वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी सार्थक सीएसआर पहलों में शामिल हो सकती है, जिसे केरल और राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली।

116. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 13.88 करोड रुपए के लक्षित अनिवार्य सीएसआर खर्च के मुकाबले 17.90 करोड खर्च किए है। वर्ष 2024-25 के लिए सीएसएल द्वारा सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए स्वास्थ्य और पोषण को सामान्य विषय के रूप में अपनाया गया है।

117. सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक II में दी गई है।

लेखापरीक्षा समिति

118. सीएसएल की लेखापरीक्षा समिति में श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, अध्यक्ष, श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565) गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और श्री अभिजीत विश्वास (डीआईएन: 09419083), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य शामिल थे। दिनांक 02 मई 2024 को श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097) के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा समिति का पुनर्गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष श्री अभिजीत बिसवास (डीआईएन: 09419083), गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक और श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य थे।

119. स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर 2024 से अपना पद त्याग दिया। अत: स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, सीएसएल दिनांक 22 नवंबर 2024 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। वर्ष के दौरान, जब तक लेखापरीक्षा समिति अस्तित्व में थी, लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

120. लेखापरीक्षा समिति के बारे में विवरण कार्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट में बोर्ड समितियां अनुभाग के अंतर्गत प्रदान किया गया है।

निगमित शासन

121. कंपनी निगमित शासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और एक प्रभावी निगमित शासन प्रणाली स्थापित की है। कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागू विनियमों और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। कंपनी इस संबंध में डीपीई द्वारा अनुशंसित प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर निगमित शासन पर अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। निगमित शासन पर रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

122. एक अलग खंड 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया गया है और यह निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

123. कंपनी ने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कंपनी ने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता की समीक्षा करने और सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए उचित और पर्याप्त प्रणालियां मौजूद हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया और कोई भी रिपोर्ट योग्य भौतिक कमज़ोरी नहीं देखी गई, और वर्ष के दौरान नियंत्रण परिवेश में कोई बडा बदलाव नहीं आया।

124. कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, कंपनी के पास एक प्रणाली है जिसमें निदेशक मंडल की वित्तीय शक्तियां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रत्यायोजित की जाती हैं। दिन-प्रतिदिन सुचारू और कुशल संचालन के लिए इन शक्तियों को विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को उप-प्रत्यायोजित किया जाता है। विभिन्न परिचालन और वित्तीय मामलों की व्यापक लेखापरीक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र मौजूद है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक आधार पर अनुपालन लेखापरीक्षा भी की जा रही है।

125. निदेशक मंडल/लेखापरीक्षा समिति ने आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, कंपनी प्रक्रियाओं और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रदर्शन और रिपोर्टों पर भी गौर किया। कंपनी ने जुलाई 2014 से एक एकीकृत ईआरपी (एसएपी) प्रणाली लागू किया गया है और अप्रैल 2022 से इसे नवीनतम संस्करण एस/4 हाना में उन्नत किया है, जो बेहतर प्रबंधन नियंत्रण को सक्षम कर रहा है।

सांविधिक लेखापरीक्षक

126. मेसर्स.आनंद एवं पोन्नप्पन (फर्म पंजीकरण सं. 000111एस), सनदी लेखाकार, एर्णाकुलम को वर्ष 2024-25 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। शेयरधारकों ने बोर्ड को सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक को तय करने की शक्ति सौंपी है और तदनुसार, बोर्ड द्वारा इसे तय किया गया है।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

127. मेसर्स आनंद एवं पोन्नप्पन, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलॉन और समेकित वित्तीय विवरण पर अपनी रिपोर्ट दिनांक 15 मई, 2025 को प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट में किसी पात्रता, आरक्षण या प्रतिकूल अभ्युक्ति या अस्वीकृति शामिल नहीं है।

नियंत्रक व लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

128. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट के एक अभिन्न भाग है।

लागत लेखापरीक्षक

129. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत अपेक्षित रूप से अपनी पोत निर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी लागत रिकॉर्ड रखती है। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा करने के लिए मेसर्स राजेंद्रन मणि और वैरियर, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000006), कोच्ची को लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लागत लेखापरीक्षक के पारिश्रमिक को दिनांक 30 सितंबर 2024 को आयोजित 52वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक

130. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा के आयोजन के लिए मेसर्स एसईपी एंड एसोसियेट्स, प्राक्टीसिंग कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक- III के रूप में अंकित करके संलग्न है।

(i) दिनांक 02 मई 2024 से कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक (एक कम) नहीं थे, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा, दिनांक 22 नवंबर 2024 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17, अधिनियम की धारा 149, और सपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य है।

(ii) कंपनी के बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 17 के तहत अनिवार्य है, और दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अधिनियम की धारा 149 के तहत अनिवार्य रूप से एक महिला निदेशक की नियुक्ति की जानी थी।

(iii) कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18, अधिनियम की धारा 177, और दिनांक 22 नवंबर 2024 से प्रभावी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत आवश्यक रूप से गठित लेखापरीक्षा समिति नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 18(2)(a) और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

(iv) कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 19, अधिनियम की धारा 178, और 22 नवंबर 2024 से सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक विधिवत् गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है।

(v) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर 2024 से प्रभावी सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 20 और अधिनियम की धारा 178 के तहत आवश्यक विधिवत् गठित हितधारक संबंध समिति नहीं है।

(vi) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर 2024 से प्रभावी अधिनियम की धारा 135 के तहत अपेक्षित विधिवत् गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति नहीं है।

(vii) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर 2024 से प्रभावी, सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत आवश्यक विधिवत् गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत अनिवार्य जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

(viii) सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 17 के तहत अनिवार्य रूप से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक के कोरम की आवश्यकता दिनांक 06 फरवरी 2025 और 28 मार्च 2025 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठकों में पूरी नहीं हुई क्योंकि दिनांक 22 नवंबर 2024 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

131. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर बोर्ड का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है :

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तदनुसार, सीएसएल के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा चयन की उचित प्रक्रिया का पालन करके की जाती है। कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचनाएं भेज दी हैं और लगातार अनुवर्ती कार्रवाई भी की

जा रही है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के रिक्त पदों को भरने का मामला भारत सरकार के पास लंबित है। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण कंपनी उपरोक्त वैधानिक समितियों का पुनर्गठन और उनकी बैठकें आयोजित नहीं कर सकी। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति अपेक्षित संख्या में होने के बाद की जाएगी।

आंतरिक लेखापरीक्षक

132. बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करने हेतु मेसर्स एलियास जॉर्ज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कोच्ची को नियुक्त किया है।

वार्षिक विवरणी

133. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित कंपनी का वार्षिक विवरणी कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55 पर उपलब्ध है।

निवेशक सेवाएं

134. कंपनी के शेयर बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') में सूचीबद्ध हैं। सीएसएल ने बीएसई और एनएसई को लिस्टिंग फीस का भुगतान समय पर किया है। एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) इन इक्विटी शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है।

135. दिनांक 31 मार्च 2025 तक, सीएसएल के लिए केवल 23 करोड मूल्य के 8.72% कर-मुक्त, प्रतिभूत, प्रतिदेय, गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड बकाया हैं, जिनकी परिपक्वता मार्च 2029 में होगी। उक्त बॉन्ड, दोनों डिपॉज़िटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास पूरी तरह से डीमैटेरियलाइज्ड हैं और बीएसई के थोक ऋण बाज़ार ('डब्ल्यूडीएम') खंड में सूचीबद्ध हैं। वर्ष के दौरान, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और केयर रेटिंग्स ने सीएसएल इंस्ट्रुमेंट्स की क्रमशः आईएनडी एएए/स्थिर और केयर एएए/स्थिर रेटिंग की पुष्टि की। सीएसएल ने बॉन्ड के संबंध में बीएसई को समय पर लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया है। एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट है और एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड बॉन्ड के संबंध में डिबेंचर ट्रस्टी है।

सतर्कता

136. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग विभिन्न निवारक सतर्कता गतिविधियां करता है, सभी कर्मचारियों के बीच सतर्कता के बारे में जागरूकता पैदा करता है और सक्रिय सतर्कता बरतता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी और पता लगाने की पहल करता है। सतर्कता विभाग पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने, प्रणाली में दक्षता लाने और सभी खरीद में प्रतिस्पर्धात्मकता लाने का प्रयास करता है। सख्त अनुपालन के लिए विभाग प्रमुखों के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग के महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों पर चर्चा की जाती है। निवारक सतर्कता के लिए, अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के बीच सतर्कता संवेदनशीलता पर ज़ोर दिया जाता है।

137. सतर्कता क्षमताओं को मज़बूत करना डॉ सी पांडी सेल्वा दुरई, आईओएफएस, पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्यरत है, जो सतर्कता विभाग का नेतृत्व करते हैं। इस विभाग में सीएसएल में प्रतिनियुक्ति पर एक सतर्कता अधिकारी (केरल पुलिस से डीएसपी रैंक का पुलिस अधिकारी), दो सीएसएल अधिकारी और तीन सहायक कर्मचारी भी शामिल हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सीएसएल की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों, हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) के सतर्कता कार्यों की देखरेख भी करते हैं।

138. प्रणालीगत सुधार और निरीक्षण - सतर्कता विभाग ने गहन प्रकार की जांच की और निष्कर्षों के आधार पर विभिन्न प्रणालीगत सुधारों की सिफारिश की। सिविल विभाग, पोत निर्माण और पोत मरम्मत प्रभागों में चुनिंदा प्रमुख कार्यों और खरीद पर सीटीई-प्रकार के निरीक्षण किए गए। वित्तीय वर्ष के दौरान, विभाग ने विभिन्न अनुबंधों और लेखापरीक्षा रिपोर्टों की निगरानी की, और विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में आकस्मिक/आवधिक निरीक्षण भी किए, जहां भी आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया। सीवीसी को सभी रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत की गईं।

139. सतर्कता जागरूकता पहल - सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 की प्रस्तावना के रूप में, दिनांक 16 अगस्त 2024 से 15 नवंबर 2024 तक तीन महीने का अभियान आयोजित किया गया, जिसमें अधिकारियों और पर्यवेक्षकों में सतर्कता जागरूकता और संवेदनशीलता बढाने हेतु विभिन्न गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह, अक्तूबर-नवंबर 2024 के दौरान भी उचित ढंग से मनाया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम

140. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों को सही मायने में लागू किया है और कंपनी में एक समर्पित केंद्रीकृत आरटीआई सेल के साथ एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है, ताकि इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत नागरिकों को जानकारी प्रदान की जा सके। वर्ष 2024-25 के दौरान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त सभी आरटीआई आवेदनों और अपीलों पर कार्रवाई की गई और अधिनियम में निर्धारित समयबद्ध तरीके से सूचना प्रदान की गई।

141. कंपनी गैर-अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा सूचना का

अधिकार अधिनियम के संबंध में कंपनी पर कोई जुर्माना या प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

सतर्कता तंत्र

142. दिसंबर 14, 2016 को आयोजित 228 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कोचीन शिपयार्ड की जागरण तंत्र और मुखबिर नीति सीएसएल के सतर्कता तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधडी रोकथाम और जांच नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बडा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने दिनांक 12 नवंबर 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में एक संयुक्त नीति अर्थात् मुखबिर नीति और धोखाधडी रोकथाम नीति को अपनाया। सीएसएल की विसिल ब्लोअर और धोखाधडी रोकथाम नीति https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षकों द्वारा धारा 143 के अधीन रिपोर्ट किए धोखाधडी का विवरण

143. शून्य

ऋण, गारंटी या निवेशों का विवरण

144. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने

क) किसी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है।

ख) किसी अन्य निगमित निकाय या व्यक्ति को ऋण के संबंध कोई गारंटी दी हो या प्रतिभूति प्रदान की हो, और

ग) कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 186 के तहत निर्धारित किसी अन्य निगमित निकाय की प्रतिभूतियों को सदस्यता, खरीद या अन्यथा के माध्यम से अर्जित किया हो :

महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता

145. कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हुए, कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धता नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन का विवरण

146. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

निक्षेप

147. आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के चैप्टर ज के अधीन सार्वजनिक से कोई निक्षेप स्वीकार नहीं किया है।

सचिवालय मानक

148. कंपनी ने भारत के कंपनी सचिवों द्वारा जारी किए गए लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

महत्वपूर्ण आदेश

149. कंपनी की चालू स्थिति और इसके प्रचालनों को प्रभावित करते हुए विनियामकों या किसी अदालतों या न्यायालय द्वारा कोई महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है।

दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कार्यवाही

150. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कंपनी के खिलाफ कोई आवेदन नहीं किया गया या कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी।

व्यापार उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

151. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार पूंजीकरण के आधार पर मुख्य 1000 सूचीबद्ध संस्थानों को व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआर रिपोर्ट) को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में शामिल करना अनिवार्य किया है। कंपनी ने निर्धारित प्रारूप में बीआरएसआर प्रदान किया है जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। बीआरएसआर जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश के सिद्धांतों के खिलाफ कंपनी के निष्पादन को इंगित करता है। यह सदस्यों को कंपनी के पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी पहलों के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में सक्षम करेगा।

अन्य सांविधिक प्रकटीकरण

152. निम्नलिखित मदों के संबंध में कोई प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग नहीं की गई है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

- लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में अंतर अधिकारियों के साथ इक्विटी शेयरों का कोई मुद्दा नहीं था,
- कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को इक्विटी शेयर (स्वेट इक्विटी शेयर सहित) को कोई मुद्दा नहीं था,
- कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारियों या ट्रस्टियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए कंपनी के पास कोई योजना या धन का प्रावधान नहीं है,

- किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एकमुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था,
- कंपनी के निदेशकों को इसकी किसी भी सहायक कंपनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन नहीं मिला है,
- कंपनी किसी भी निगमित कार्रवाई को लागू करने में विफल नहीं रही है, और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत कंपनी के वित्तीय विवरणों और/या निदेशकों की रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया था।

अभिस्वीकृति

153. निदेशक मंडल माननीय केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सभी अधिकारियों द्वारा दिए गए अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहरी सराहना व्यक्त करता है। बोर्ड भारत सरकार, केरल सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, कर्नाटक सरकार, महाराष्ट्र सरकार, अंडमान और निकोबार प्रशासन, विभिन्न स्थानीय निकायों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षक, सचिवीय लेखापरीक्षक, लागत लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और बैंकरों के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सहयोग और सहायता के लिए भी हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता है।

154. इसके अलावा, बोर्ड अपने मूल्यवान शेयरधारकों, निवेशकों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और उप ठेकेदारों को उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता है। बोर्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों के सभी कर्मचारियों के समर्पण और प्रतिबद्धता को भी मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है।

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में,

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

अनुलग्नक - I

क. ऊर्जा संरक्षण

क. वर्ष 2024-25 के दौरान ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	**उठाए गए कदम** • ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, प्रचालन लागत कम करने और ध्वनि प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ समग्र प्रदर्शन और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए, एक डीज़ल-चालित प्लेटफॉर्म ट्रक (जंबो) को विद्युत-चालित ट्रक में आंतरिक रूप से परिवर्तित किया गया। इसके लिए यार्ड में उपलब्ध सामग्री और घटकों का उपयोग किया गया। • पारंपरिक डीज़ल मॉडलों के स्थान पर दो इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट खरीदे गए, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, रखरखाव लागत में कमी, शांत संचालन और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए। • ऊर्जा उपयोग को अनुकूलित करने के लिए एक आईओटी-आधारित दूरस्थ ऊर्जा निगरानी प्रणाली लागू की गई, जिससे वास्तविक समय पर ट्रैकिंग संभव हुई और ऊर्जा की बर्बादी को कम करने में मदद मिली। • पोत मरम्मत सर्विस टनल में सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण स्थापित किए गए ताकि यात्रियों की संख्या के आधार पर प्रकाश व्यवस्था को स्वचालित रूप से समायोजित करके ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जा सके, जिससे ऊर्जा की खपत कम हुई और सुरक्षा एवं सुविधा में वृद्धि हुई। • उच्च दक्षतावाली एलईडी लाइटिंग की स्थापना के साथ नए भवनों का विद्युतीकरण पूरा किया, जिससे ऊर्जा की खपत में उल्लेखनीय कमी आई और रखरखाव लागत में कमी आई। • पुराने एयर कंडीशनिंग यूनिटों को इन्वर्टर-आधारित एसी सिस्टम में बदला गया, जो कंप्रेसरों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करते हैं और इस प्रकार अधिक कुशल शीतलन प्रदान करते हैं। • पारंपरिक इंडक्शन मोटरों की तुलना मे बीएलडीसी तकनीक की दक्षता का लाभ उठाते हुए, बीएलडीसी मोटर-आधारित और 5-स्टार रेटेड सीलिंग पंखे और कूलर लगाए गए, जिससे यांत्रिक ब्रशों की आवश्यकता समाप्त हो गई, ऊष्मा उत्पादन न्यूनतम हुआ और अधिक सुचारू एवं विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित हुआ। • प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करने, ऊर्जा हानि को कम करने और प्रचालन विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संपीडित वायु वितरण और औद्योगिक गैस लाइनों में रिसाव की नियमित निगरानी और मरम्मत की गई। • पावर फैक्टर की निगरानी की गई और उसे एक के करीब बनाए रखा गया, जिससे नुकसान को कम करके और समग्र प्रणाली स्थिरता में सुधार करके इष्टतम ऊर्जा प्रदर्शन और दक्षता सुनिश्चित हुई। • भोजन अवकाश के दौरान मुख्य वायु कंप्रेसर को बंद करके ऊर्जा संरक्षण लागू किया गया, और कंप्रेसर को पुनः चालू करने पर पुनः दबाव के दौरान अनावश्यक ऊर्जा खपत को रोकने के लिए रिसीवर टैंक में दबाव बनाए रखा गया। • पोस्टर, स्टिकर, सेमिनार और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से ऊर्जा जागरूकता को बढावा दिया गया, ताकि बिजली के जिम्मेदार उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और पूरे यार्ड में स्थिरता की संस्कृति को बढावा दिया जा सके। **प्रभाव** ऊपर निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के साथ ऊर्जा की बचत लगभग 2.60 लाख यूनिट प्रति वर्ष है।
ख. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए उठाए गए कदम	• वर्ष 2024-25 के दौरान 1672 केडब्ल्यूपी क्षमतावाले मौजूदा सौर ऊर्जा संयंत्रों से 16.83 लाख यूनिट ऊर्जा उत्पन्न की गई। • ओपन एक्सेस (ग्रीन डे अहेड मार्केट) के माध्यम से 49.34 लाख यूनिट नवीकरणीय ऊर्जा खरीदी गई।
ग. ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	• ऊपर निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन के लिए लगभग 82 लाख रुपए की राशि का निवेश किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार

क. प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास।

- स्वदेश निर्मित जल-जेट मॉडलों का उपयोग करके एनएसटीएल, विशाखपट्टनम में एनजीएमवी परियोजना के सीकीपिंग और मन्युवरिंग मॉडल परीक्षण कार्यक्रम का संचालन किया गया।
- पैनल विधियों पर आधारित शिपफ्लो बेसिक सॉल्वर प्राप्त किया गया, जो तरंग प्रतिरोध के संदर्भ में पतवार के आकार का शीघ्र मूल्यांकन करने में उपयोगी होगा। इस सॉल्वर को तरंग प्रतिरोध हेतु पतवार के आकार के अनुकूलन हेतु सीएईएसईएस सॉफ्टवेयर के साथ जोडा जा सकता है।
- ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करके आंतरिक सीएफडी क्षमता को बढाने हेतु ओपनफोम सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हाइड्रोडायनामिक्स पर बुनियादी शोध के लिए कुसाट को नियुक्त किया गया।
- एम.टेक परियोजना मार्गदर्शन :
  - एनआईटी कालिकट और कुसाट के पाँच एम.टेक छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे संरचनात्मक डिज़ाइन और सीएफडी विश्लेषण के क्षेत्र में आंतरिक क्षमता में वृद्धि हुई। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा द्वारा आयोजित ओएसआईसीओएन-25 और एनआईटी कालिकट द्वारा आयोजित आरएआईडी 2024 में संबंधित सम्मेलन पत्र प्रस्तुत किए।
- स्नातक परियोजना मार्गदर्शन :
  - आईआईटी मद्रास और कुसाट के आठ बी.टेक छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक विषयों पर मार्गदर्शन प्रदान किया, जिससे पोत डिज़ाइन और सीफडी विश्लेषण के क्षेत्र में आंतरिक क्षमता में वृद्धि हुई।
  - एनआईडी, आंध्र प्रदेश के एक बी.डिज़ाइन छात्र को अंतर्देशीय यात्री नौकाओं के लिए सौंदर्यशास्त्र और उत्पाद डिज़ाइन पर मार्गदर्शन प्रदान किया।
- एनएसटीएल, विशाखापत्तनम में आयोजित एयूवी प्रौद्योगिकियों में प्रगति पर सतत शिक्षा कार्यक्रम में एयूवी के लिए प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली पर तकनीकी प्रस्तुति दी।
- दिल्ली में राष्ट्रीय जलमार्गों में उथले ड्राफ्ट जलयान की प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर आईडब्ल्यूएआई द्वारा आयोजित कार्यशाला में उथले जल पोत डिज़ाइन पर तकनीकी प्रस्तुति दी।
- कुसाट में इंजन प्रोपेलर मिलान पर तकनीकी प्रस्तुति दी।
- कार्यशालाओं/प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया :
  - मैकग्रेगर द्वारा सेल गाइड की स्थापना पर 2-दिवसीय सत्र,
  - डीएनवी द्वारा जलयान पर खतरनाक क्षेत्र स्थापना पर 1-दिवसीय तकनीकी सत्र,
  - पोतों के लिए साइबर सुरक्षा संकेतन पर डीएनवी द्वारा 1-दिवसीय सत्र,
  - एनएसटीएल, विशाखापत्तनम में एयूवी प्रौद्योगिकियों में प्रगति पर 5-दिवसीय सतत शिक्षा कार्यक्रम,
  - कैडमैटिक हल और आउटफिटिंग पर सामान्य उपयोगकर्ता और व्यवस्थापक प्रशिक्षण, और
  - भारतीय तापन, प्रशीतन और वातानुकूलन इंजीनियर्स सोसाइटी (आईएसएचआरएई), नई दिल्ली द्वारा आयोजित 6-दिवसीय समुद्री एचवीएसी प्रशिक्षण कार्यशाला।
- एमआईवी 2030 और एमएकेवी 2047 के अनुरूप पोत निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से देश के प्रमुख यार्डों, डिज़ाइन हाउसों, क्लास सोसाइटियों और अन्य हितधारकों को एक साथ लाने के लिए कोच्ची में एक-दिवसीय डिज़ाइन में कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया।
- डसॉल्ट 3डी एक्सपीरियन्स प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित की जा रही यार्ड परियोजनाओं के लिए विस्तृत 3डी मॉडलिंग और उत्पादन चित्र।
- एयूवी के लिए नियंत्रण स्टेशन का प्रारंभिक डिज़ाइन।
- डीआरडीओ के साथ मिलकर काम करके एयूवी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एकीकरण कौशल हासिल किया।

- आईएनएस विक्रांत के गैस टर्बाइनों के पूर्वानुमानित रखरखाव हेतु डिजिटल टिव्न का कार्यान्वयन।
- मानवरहित क्षेत्र के लिए स्वदेशी रडार तकनीक, विज़न सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम के विकास हेतु स्टाटअप्स सहित विभिन्न कार्यनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारों की भागीदारी।
- एएसवी पोत के मॉडल परीक्षण और गणितीय मॉडल व्युत्पन्न के लिए आईआईटीएम और एनएसटीएल के साथ सहयोग किया।
- एयूवी के लिए एक अनुकूलित गुरुत्वाकर्षण केंद्र मापक उपकरण विकसित किया।
- एलएआरएस (लॉन्च एंड रिकवरी सिस्टम) डिज़ाइन के लिए पेटेंट दाखिल करने का कार्य प्रगति पर है।
- एक प्रौद्योगिकी साझेदार के सहयोग से एक उन्नत वेल्डिंग प्रक्रिया का स्वदेशी विकास प्रगति पर है।
- टीम के सदस्यों द्वारा भौतिक, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में स्वायत्त प्रणालियों, पावर टु एक्स, डीकार्बोनाइज़ेशन, ऊर्जा दक्षता और नए हरित समाधानों पर सम्मेलनों/कार्यशालाओं में भाग लिया गया।

ख. प्रौद्योगिकी नवाचार की दिशा में किए गए प्रयास

- उडुपी-सीएसएल के लिए वर्कबोट का मूल डिज़ाइन विकसित किया।
- केएमआरएल के लिए 15 इलेक्ट्रिक कैटामरैन फेरी के लिए बोली डिज़ाइन का विकास।
- रिवर क्रूज़ पोत के लिए बोली डिज़ाइन का विकास।
- तटीय गश्ती पोत के लिए बोली डिज़ाइन का विकास।
- भारतीय नौसेना के लिए 250 यात्री हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी के लिए अवधारणा डिज़ाइन का विकास।
- अंडमान और निकोबार प्रशासन के लिए 250 यात्री इलेक्ट्रिक फेरी के लिए अवधारणा डिज़ाइन का विकास।
- एएसटीडीएस जीटीटीपी (ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम) के लिए मानक विनिर्देश के विकास में सहायता की।
- 3डी एक्सपीरियंस सिमुलिया में निम्नलिखित परियोजनाओं पर परिमित तत्व विश्लेषण किया :
  - एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी के लिए इलेक्ट्रो-ऑप्टिक उपकरण नींव का कंपन विश्लेषण,
  - 12 के ड्रेजर के लिए इओटी क्रेन हेतु इंटरफेस समर्थन का शक्ति विश्लेषण,
  - सीएसओवी के पेंटर बूम में संरचना का शक्ति विश्लेषण,
  - सीएसओवी के लिए हेलिडेक समर्थन संरचना का डिज़ाइन और शक्ति विश्लेषण, और
  - सीएसओवी के लिए एलिवेटर टावर लिफ्टिंग हेतु स्प्रेडर बीम का डिज़ाइन और विश्लेषण।
- आईटीटीसी बेंचमार्क मामलों (जेबीसी, केसीएस, डीटीएमबी) के लिए ओपनफोम में पोत प्रतिरोध के लिए बेंचमार्क अध्ययन किए।
- जोरेस द्वारा आयोजित ब्लाइंड सीएफडी कार्यशाला (पोत स्केल प्रतिरोध भविष्यवाणी पर खुली कार्यशाला) में भाग लिया और सीएफडी अध्ययन किए।
- जोनोआ, इटली में आयोजित आरआईएनए आईसीसीएएस 2024 में भारत में अंतर्देशीय नदी नौवहन के लिए इलेक्ट्रिक कैटमरैन फेरी डिज़ाइन का अनुकूलन : एक कुशल पैरामीट्रिक दृष्टिकोण शीर्षक से तकनीकी शोधपत्र प्रस्तुत किया।
- एचईएयूवी के लिए प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली का विकास।
- समुद्री ग्रेड स्टेनलेस स्टील और एल्यूमीनियम मिश्र धातु की वेल्डिंग पर एक डॉक्टरेट थीसिस सफलतापूर्वक प्रस्तुत की।
- वेल्डिंग इंटरनेशनल जर्नल में यूएनएस एस 32760 सूपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील पर फ्लक्स बाउंडेड टीआईजी वेल्डिंग पर एक शोधपत्र प्रस्तुत किया।
- स्वायत्त सतही पोत के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण प्रणालियों का डिज़ाइन और विकास, जिसमें एक कमांड और नियंत्रण स्टेशन, रडार तकनीक, कैमरा तकनीक और स्वायत्तता स्टैक शामिल हैं।
- समुद्री और गैर-समुद्री कार्गो हैंडलिंग कार्यों के लिए एक सक्रिय भार स्थिरीकरण प्रणाली डिज़ाइन।
- प्रौद्योगिकी साझेदारों के माध्यम से डीसी स्विच बोर्ड का आंतरिक डिज़ाइन, विकास और कार्यान्वयन।
- एयूवी के लिए एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन का उच्च स्तरीय अवधारणा डिज़ाइन।
- एक अभिनव सेंसर-सहायता प्राप्त डॉकिंग सिस्टम का डिज़ाइन।
- एक प्रौद्योगिकी साझेदार के सहयोग से एक उन्नत वेल्डिंग प्रक्रिया का स्वदेशी विकास प्रगति पर है।

अवशोषण के संबंध में विवरण का प्रकटीकरण

क.	उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे व्युत्पन्न लाभ।	विशिष्ट एवं अग्रणी फर्मों के साथ सहयोग करके महत्वपूर्ण समुद्री वाहनों और संबंधित उप-प्रणालियों का स्वदेशी विकास।
ख.	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित वित्तीय वर्ष की शुरूआत से माना जाता है) निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की जा सकती है।	
i.	आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण	i) शिपफ्लो ii) वीएमई आधारित स्वचालन प्रणाली प्रशिक्षण किट, इटली। iii) एनयूपीएएस कैडमैटिक iv) नेवकैड प्रीमियम
ii.	आयात का वर्ष	(i) 2024-25 (ii) 2023-24 (iii)2023-24 (iv)2023-24
iii.	क्या प्रौद्योगिकी पूरी तरह से अवशोषित हो गई है	जी हां, आयात के वर्ष में ही।
iv.	यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है, तो, ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है, और इसके कारण	लागू नहीं
ग.	अनुसंधान एवं विकास/ नवाचार पहल पर किया गया व्यय	2,272.91 लाख रुपए

ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन और व्यय

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2023-24
विदेशी मुद्रा से आय		
पोत निर्माण से	45,080.77	28,069.00
पोत मरम्मत से	72.27	274.38
कुल	**45,153.04**	**28,343.38**
विदेशी मुद्रा से व्यय		
सामग्री (सीआईएफ मूल्य)	94,358.80	1,64,624.62
डिजाइन एवं डॉकुमेन्टेशन	4,066.78	6,513.85
सेवा प्रभार और अन्य	9,747.50	25,193.18
कुल	**1,08,173.08**	**1,96,331.65**

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

अनुलग्नक II

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी में सीएसआर गतिविधियां सीएसआर नियमों के तहत सांविधिक प्रावधानों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों और कंपनी की सीएसआर नीति के अनुरूप की गईं।

कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार, प्रशासनिक सुविधा के लिए कंपनी लघु परियोजनाओं की श्रेणियों के तहत परियोजनाओं का संचालन करती है, जो कि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से 10 लाख रुपए या उससे कम मूल्य की अत्यावश्यक प्रकृति की हैं, जो कि कुल खर्च का 10% तक सीमित है। अन्य सभी परियोजनाओं को प्रमुख परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कुल व्यय का 5% प्रशासनिक व्यय के लिए निर्धारित किया जाता है, जिसमें विभाग में कार्यरत सीएसआर कर्मचारियों द्वारा वेतन, प्रशिक्षण और यात्रा पर व्यय शामिल है।

वर्ष का मुख्य विषय : स्वास्थ्य एवं पोषण तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना

2. सीएसआर समिति की संरचना

बोर्ड की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं धारणीय विकास (सीएसआर एवं एसडी) समिति समय-समय पर बोर्ड के अनुमोदन हेतु सीएसआर परियोजनाओं की अनुशंसा करती है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों का कार्यकाल पूरा होने और उसके बाद भारत सरकार द्वारा नए पदाधिकारियों की नियुक्ति न किए जाने के कारण, दिनांक 22 नवंबर 2024 से सीएसआर एवं एसडी समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। तदनुसार, दिनांक 22 नवंबर 2024 से, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर प्रस्तावों पर सीधे विचार किया गया, जो बोर्ड स्तर की सीएसआर कार्यकारी समिति की सिफारिशों पर आधारित था। दिनांक 21 नवंबर 2024 तक सीएसआर एवं एसडी समिति की संरचना निम्नानुसार है :

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम / निदेशकता की प्रकृति	सीएसआर एवं एसडी समिति की बैठकों की संख्या	
			वर्ष के दौरान आयोजित	वर्ष के दौरान उपस्थित
1.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन : 09419082)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक अध्यक्ष	3	3
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405)	गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य	3	3
3.	श्री बिजोय भास्कर (डीआईएन : 08103825)	निदेशक (तकनीकी) - सदस्य	3	3
4.	श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)	निदेशक (वित्त) - सदस्य	3	3

3. वेब लिंक जहां सीएसआर और एसडी समिति की संरचना, बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया जाता है।

सीएसआर एवं एसडी समिति का गठन	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
सीएसआर नीति	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab10

4. कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का वेब लिंक सहित कार्यकारी सारांश।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई प्रभाव मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

पिछले वर्षों के दौरान किए गए प्रभाव मूल्यांकनों की पूरी रिपोर्ट https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab8 लिंक से देखी जा सकती है।

5. क. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : 77.884.04 लाख रुपए

ख. अधिनियम की धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत : 1557.68 लाख रुपए

ग. पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष : शून्य

घ. वित्तीय वर्ष के लिए समायोजित करने के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो। : 170.00 लाख रुपए

ड. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर देयता (ख + ग - घ) : 1387.68 लाख रुपए

6. क. सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना दोनों के अलावा) पर खर्च की गई राशि : 1731.94 लाख रुपए

ख. प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि : 50.77 लाख रुपए

ग. प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : 6.80 लाख रुपए (वित्त वर्ष 2024 के दौरान किया गया, वित्त वर्ष 2025 के दौरान भुगतान किया गया)

घ. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (क + ख + ग + घ) : 1789.51 लाख रुपए

ड. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (रु)	अव्ययित राशि (रु)				
	अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि		अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
1789.51 लाख	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

समायोजन के लिए अतिक्ति राशि, यदि कोई हो।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत।	1,387.68 लाख
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	1,789.51 लाख
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि ((ii) - (i))	401.83 लाख
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों से उत्पन्न अधिशेष या पिछले वित्तीय वर्षों की गतिविधियां, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि ((iii) - (iv))	401.83 लाख

* वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान अतिरिक्त व्यय को समायोजित करने के बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सीएसआर दायित्व।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी राशि का विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर लेखे में अंतरित राशि (रु)	अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 6 के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि(रु)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रु)	अधिनियम 6 की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जानेवाली शेष राशि (रु)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रु)	अंतरण की तिथि		
1.	2023-24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
2.	2022-23	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य
3.	2021-22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं	शून्य

8. क्या वित्तीय वर्ष में खर्च की गई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से कोई पूंजीगत संपत्ति बनाई गई या अर्जित की गई है :

◉ जी हां जी नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत संपत्तियों की संख्या दर्ज करें 42

वित्तीय वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व राशि के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई ऐसी संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें :

कृपया **अनुलग्नक II क** देखें।

9. यदि कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

लागू नहीं।

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 07376798

मई 15, 2025

अनुलग्नक II क

वित्तीय वर्ष 2024-25 में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों पर व्यय की गई राशि से संबंधित विवरण

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण तिथि	सीएसआर पर खर्च की गई राशि (रु)	पंजीकृत मालिक की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)		
1.	ए पी वर्की मिशन अस्पताल, अरक्कुन्नम, एर्णाकुलम के लिए रोगी देखभाल उपकरणों की खरीद के लिए सहायता।	682313	10.07.2024	35,39,941	सीएसआर 00024800	ए पी वर्की मिशन अस्पताल	अरक्कुन्नम, एर्णाकुलम 682313
2.	सूखे कचरे के निपटान के लिए अर्ध-स्वचालित 5 टीपीडी आरआरएफ की स्थापना हेतु डिवीजन 61 में सर्वसुधि रविपुरम के लिए समर्थन।	673005	05.10.2024	14,34,606	सीएसआर 00003721	ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा	1/99, टेम्पल रोड, वेस्ट हिल, कोझिक्कोड -673005
3.	सीईएफईई, एर्णाकुलम द्वारा न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर में दिव्यांग बच्चों के लिए वाहन की खरीद के लिए सहायता।	682016	06.03.2024	47,011	सीएसआर 00054567	सशक्तिकरण एवं संवर्धन केंद्र (सीईएफईई)	डीएच रोड, जोस जंक्शन, एर्णाकुलम - 682016
4.	दर्द एवं प्रशामक देखभाल सोसाइटी, तृश्शूर को प्रशामक देखभाल गृह देखभाल कार्यक्रमों के लिए वाहन खरीदने हेतु सहायता।	680001	21.03.2024	62,540	सीएसआर 00018532	दर्द एवं उपशामक देखभाल सोसाइटी	दर्द एवं प्रशामक देखभाल सोसाइटी, पुराना जिला अस्पताल भवन, राउंड ईस्ट, तृश्शूर-680001
5.	तुरवूर, आलप्पुझा स्थित मानसिक रूप से मंदित संजो सदन स्कूल के दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बस खरीदने हेतु सहायता।	688532	15.03.2024	1,77,000	सीएसआर 00052432	सेंट जोसफ सोशल सेंटर	संजो सदन, साउथ तुरवूर पी ओ, आलप्पुझा-688532
6.	तेजस स्पेशल स्कूल, वेचूर, वैक्कम के लिए क्षमता निर्माण।	686144	02.11.2023	1,77,000	सीएसआर 00000283	सामुदायिक स्वास्थ्य कार्रवाई सोसाइटी (एसएसीएच)	253, 2 तल, शाहपुर जाट, नई दिल्ली-110049
7.	एर्णाकुलम के उदयमपेरूर में स्थित आदश चैरिटेबल ट्रस्ट के विशेष व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आदर्श सेंटर फॉर एम्पावरमेंट में ऑन ग्रिड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए समर्थन।	682305	30.01.2024	4,34,515	सीएसआर 0001511	आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट	आदर्श चैरिटेबल ट्रस्ट, कुरीकाड, एर्णाकुलम -682305
8.	पश्चिम बंगाल के दक्षिण सुंदरबन क्षेत्र में ट्यूबवेल की स्थापना के लिए सहायता।	743374	06.11.2024	10,62,000	सीएसआर 00001189	दक्षिण सुंदरबन जन कल्याण संघ	रघुनाथपुर पी ओ - माधवनगर, जिला-दक्षिण 24 परगाना, पश्चिम बंगाल -743374
9.	सरकारी जनजातीय विशेषज्ञ अस्पताल, नल्लूरनाद, वायनाड में उन्नत ऑन्कोलॉजी पुनर्वास इकाई की स्थापना के लिए समर्थन।	670645	03.06.2024	19,23,400	सीएसआर 00068596	जिला निर्मिति केंद्र	आरडी कार्यालय परिसर, मानंतवाडी, वायनाड-670645
10.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एर्णाकुलम में गणित प्रयोगशाला की स्थापना के लिए समर्थन।	682016	29.02.2024	2,95,000	सीएसआर 00022791	विरासत, पर्यावरण और विकास केंद्र (सी - एचईडी)	निगम भवन, कच्चेरीपडी, कोच्ची-682018

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण तिथि	सीएसआर पर खर्च की गई राशि (रु)	पंजीकृत मालिक की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)		
11.	राजकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, वैपिन, एर्णाकुलम के लिए पेयजल सुविधाओं हेतु सहायता।	682503	30.03.2024	6,66,700	सीएसआर 00063863	सरकारी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, एर्णाकुलम जिला	वैपिन, एर्णाकुलम - 682503
12.	सेवाभारती, कोट्टयम के लिए एक एम्बुलेंस की खरीद के लिए सहायता।	686001	05.08.2024	8,85,000	सीएसआर 00011962	सेवाभारती, कोट्टयम	तिरुनक्करा, कोट्टयम - 686001
13.	कुसुमगिरी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, काक्कनाड, एर्णाकुलम के ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल बस खरीदने हेतु सहायता।	682030	22.11.2024	11,80,000	सीएसआर 00017954	कुसुमगिरी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र	कुसुमगिरी पी ओ, काक्कनाड, एर्णाकुलम - 682030
14.	आयुरारोग्य सौख्यम फाउंडेशन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए पुनः प्रयोज्य सैनिटरी पैड के लिए सैनिटरी पैड निर्माण इकाई के लिए समर्थन, केरल के तटीय क्षेत्र में 200 से अधिक ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार प्रदान करना।	690546	26.01.2024	4,72,000	सीएसआर 00026582	आयुरोग्य सौख्यम फाउंडेशन	सौख्यम पुनः प्रयोज्य पैड, माता अमृतानंदमयी मठ, अमृतपुरी पी ओ, कोल्लम-690546
15.	तिरुवनंतपुरम के वषुतक्काडु में विशेष देखभाल की आवश्यकतावाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान में खेल उपकरणों की स्थापना हेतु सहायता।	695010	25.06.2024	2,95,000	सीएसआर 00015553	विशेष देखभाल की आवश्यकतावाले बच्चों के लिए रोटरी संस्थान	वषुतक्काडु, तिरुवनंतपुरम - 695010
16.	आईआईटी मद्रास में सहायक प्रौद्योगिकी अनुभव केंद्र के लिए समर्थन।	600004	21.08.2024	59,00,000	सीएसआर 00000434	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम)	सं.82, डॉ राधाकृष्णन सलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004
17.	केरल व्यास संस्कृत विद्यापीठम, शारदा गुरुकुलम, चेम्मांडा, इरिन्जालाकुडा, तृश्शूर में कंप्यूटर बाह्य उपकरणों के माध्यम से संस्कृत भाषा सीखने के लिए डिजिटल कक्षा का समर्थन।	680711	15.07.2024	2,36,000	सीएसआर 00016273	केरल व्यास संस्कृत विद्यापीठम	शारदा गुरुकुलम, चेम्मांडा, करालम पी ओ, तृश्शूर - 680711
18.	फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी, त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा में आउटरीच शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए वाहन की खरीद के लिए समर्थन।	799143	19.11.2024	11,80,000	सीएसआर 00061036	फ्रांसिस्कन क्लैरिस्ट शैक्षिक और सामाजिक कल्याण सोसाइटी	सेंट अल्फोन्सा कॉन्वेंट, सिंदुकपत्थर टी ओ, मनुबाज़ार, दक्षिण त्रिपुरा-799143
19.	तणल चैरिटेबल ऑर्गनाइज़ेशन, कवरत्ती, लक्षद्वीप द्वारा संचालित लक्षद्वीप (अमिनी और एंद्रोथ द्वीपसमूह) में डयालिसिसि केंद्रों के लिए दो मेडिकल एम्बुलेंस की खरीद के लिए सहायता।	682555	02.11.2024	17,70,000	सीएसआर 00035963	तणल चैरिटेबल संगठन	प्रशासनिक कार्यालय, कवरत्ती, केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप - 682555
20.	वायनाड गिरिजना सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री शारदा सेवा मेडिकल क्लिनिक, वेल्लामुंडा, वायनाड जिले द्वारा दवाओं के वितरण और उपचार प्रदान करने के लिए एक वाहन की खरीद के लिए सहायता।	670731	24.09.2024	7,57,370	सीएसआर 00011224	वायनाड गिरिजन सेवा ट्रस्ट	मट्टिलयम पी ओ, वेल्लामुंडा, वायनाड-670731

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण तिथि	सीएसआर पर खर्च की गई राशि (रु)	पंजीकृत मालिक की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)		
21.	विमुक्ति स्पेशल स्कूल, कलमश्शेरी, एर्णाकुलम के लिए स्कूल बस की खरीद के लिए सहायता	683503	11.11.2024	11,80,000	सीएसआर 00067262	मार ग्रेगोरियस चैरिटेबल सोसाइटी	हिदायत नगर रोड, एचएमटी कॉलनी पी ओ, कलमश्शेरी, एर्णाकुलम - 683503
22.	सरकारी जनजातीय विशेषज्ञ अस्पताल, नल्लूरनाद, वायनाड में उन्नत रक्त भंडारण इकाई की स्थापना के लिए समर्थन।	670645	05.09.2024	11,80,000	सीएसआर 00068596	जिला निर्मिति केंद्र	आरडी कार्यालय परिसर, मानंतवाडी, वायनाड-670645
23.	अरीके पैलिएटीव केयर सर्विस, एर्णाकुलम के लिए वाहन, चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए सहायता।	682025	13.12.2024	11,00,680	सीएसआर 00016600	अरीके डे केयर नर्स	43/707, पी के नायर रोड, पालारिवट्टम, एर्णाकुलम - 682025
24.	सेंट तेरेसा कॉलेज, एर्णाकुलम में न्यूट्री फुट लैब के लिए समर्थन।	682011	03.08.2024	17,70,000	सीएसआर 00027592	सेंट तेरेसास कॉलेज वेलफेयर सोसाइटी	सेंट तेरेसा कॉलेज, पोर्क एवेन्यू रोड, मरीन ड्राइव, एर्णाकुलम - 682011
25.	दिव्यांगजन यात्रा के लिए समर्थन □ गांधी भवन, पठानपुरम, कोल्लम में दिव्यांगजनों के लिए एक एम्बुलेंस की खरीद।	689695	21.11.2024	8,85,000	सीएसआर 00012601	गांधी भवन, अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट	पोस्ट बॉक्स नं. 39, कुंडयम पी ओ, पत्तानपुरा, कोल्लम - 689695
26.	अक्कारा फाउंडेशन, कासरगोड द्वारा संचालित विशेष विद्यालय में ऑडियोलॉजी लैब की स्थापना के लिए समर्थन।	671318	19.02.2025	21,24,000	सीएसआर 00035359	अक्कारा फाउंडेशन	बेकल, XVI, 16/485, अक्कारा गेस्ट हाउस, कोट्टीकुलम पी ओ,बेकल, कासरकोड-671318
27.	युवती के लिए समर्थन - बटरफ्लाई कैंसर केयर फाउंडेशन, एर्णाकुलम द्वारा कैंसर प्रभावित महिलाओं/परिवारों के लिए पुनर्वास और सशक्तिकरण कार्यक्रम।	682024	18.10.2024	2,95,000	सीएसआर 00025950	बटरफ्लाई कैंसर केयर फाउंडेशन	वृंदावन बिज़नेस सेंटर, इडप्पल्ली पी ओ, एर्णाकुलम - 682024
28.	एर्णाकुलम और पडोसी जिलों के स्कूलों के लिए रोबोटिक किट के लिए समर्थन।	695012	28.09.2024	38,58,600	सीएसआर 00011888	केरल शिक्षा के लिए बुन्-ियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी (केआईटीई)	राज्य कार्यालय, पूजप्पुरा, तिरुवनंतपुरम-695012
29.	अय्यम्पुषा ग्राम पंचायत में उपशामक देखभाल गृह देखभाल कायक्रम के लिए वाहन की खरीद हेतु सहायता।	683581	22.10.2024	5,11,000	सीएसआर 00052141	सचिव, अय्यम्पुषा ग्राम पंचायत	अय्यमपुषा पी ओ, अंगमाली, एर्णाकुलम - 683581
30.	मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए असीसी आशा भवन विशेष स्कूल, तलयोलापरम्बु, कोट्टयम के लिए स्कूल बस की खरीद हेतु सहायता।	683105	30.01.2025	20,36,000	सीएसआर 00075265	असीसी आशा भवन मानसिक रूप से दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूल	तलयोलापरम्बु पी ओ, कोट्टयम-683105
31.	महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ मास कम्युन्-िकेशन, चलप्पुरम, कोषि्क्कोड में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के लिए समर्थन।	673002	24.03.2025	8,85,000	सीएसआर 00072156	हिंदुस्तान प्रकाशन ट्रस्ट	केसरी भवन, चलप्पुरम पी ओ, कोषि्क्कोड-673002
32.	मानसिक स्वास्थ्य केंद्र, पेरूरकडा, तिरुवन्-तंतपुरम के अस्पताल के विभिन्न वार्डों में भोजन वितरण के लिए वाहन की खरीद हेतु सहायता।	695043	04.12.2024	4,97,016	सीएसआर 00074709	जिला कलेक्टर, तिरुवनंतपुरम	सिविल स्टेशन, कुडप्पनकुन्नु पी ओ, तिरुवनंतपुरम-695043

क्र. सं.	संपत्ति या परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)	संपत्ति या परिसंपत्तियों का पिनकोड	निर्माण तिथि	सीएसआर पर खर्च की गई राशि (रु)	पंजीकृत मालिक की संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)		
33.	राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, तृश्शूर में ओटी और ओपी ब्लॉक के नवीनीकरण के लिए सहायता।	680596	22.11.2024	23,59,740	सीधे	अधीक्षक, सरकारी दंत चिकित्सा महाविद्यालय	मेडिकल कॉलेज पी ओ, तृश्शूर-680596
34.	आदि शंकर निलयम, चिन्मया विश्व विद्यालय, पेप्पथी, एर्णाकुलम में मुख्य परिसर में सौर्यीकरण के लिए सहायता।	682313	19.11.2024	63,72,000	सीएसआर 00019852	चिन्मया इंटरनेशनल फाउंडेशन	आदि शंकर निलयम, आदि शंकर मार्ग, वेलियानाड पी ओ, एर्णाकुलम-682313
35.	रामकृष्ण मठ, कायमकुलम में कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए समर्थन।	690502	04.12.2024	2,95,000	सीएसआर 00002806	अध्यक्ष, रामकृष्ण मठ	कायंकुलम पी ओ, आलप्पुष़ा-690502
36.	डॉन बॉस्को तट्टायष़म एल पी स्कूल, वडुतला, एर्णाकुलम में इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड के साथ स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना के लिए समर्थन।	682006	14.01.2025	5,90,000	सीएसआर 00001435	डॉन बॉस्को वेलफेयर सेंटर सोसाइटी	पल्लुरुत्ती, कोच्ची - 682006
37.	नाज़रेथ हाउस, करुकुट्टी, एर्णाकुलम में बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल के विकास, डिज़ाइन और रखरखाव के लिए एक पार्क के निर्माण हेतु सहायता।	683582	07.11.2024	5,90,000	सीएसआर 00059721	इंस्ट्यूट ऑफ दि सिस्टेर्स ऑफ नज़रेथ और दि हाउस ऑफ रिफ्यूज	पदुआपुरम पी ओ, करुकुट्टी, एर्णाकुलम-683582
38.	दिव्यांजनों के लिए डे केयर सेंटर के निर्माण तथा मारुति ईको वाहन की खरीद के लिए सहायता।	680312	03.01.2025	25,96,000	सीएसआर 00071228	सेवाभारती, पुदुक्काड	चेंगलूर पी ओ, तृश्शूर-680312
39.	कुसाट, कलमश्शेरी, एर्णाकुलम में विश्वविद्यालय परिसर में सौर प्रकाश व्यवस्था की स्थापना के लिए समर्थन।	682022	27.01.2025	2,36,000	सीएसआर 00027765	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कलमश्शेरी, कोच्ची-682022
40.	जिला अस्पताल,आलुवा मे उपशामक देखभाल प्रशिक्षण केंद्र के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन।	683101	06.02.2025	11,21,000	सीएसआर 00073918	एचएमसी आलुवा जिला अस्पताल सीएसआर निधि	जिला अस्पताल, आलुवा-683101
41.	सरकारी एल पी स्कूल, कक्कूर, कूत्ताट्टुकुलम, एर्णाकुलम में किड्स पार्क की स्थापना के लिए सहायता।	686662	14.02.2025	3,03,260	सीएसआर 00049582	सचिव, तिरुमाराडी ग्राम पंचायत	तिरुमाराडी पी ओ, कूत्ताट्टुकुलम - 686662
42.	सरकारी मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, चेरुवट्टूर, एर्णाकुलम में बेहतर गणित प्रयोगशाला के लिए समर्थन।	682030	24.02.2025	5,89,991	सीएसआर 00018797	सचिव, एर्णाकुलम जिला पंचायत	काक्कनाड पी ओ, एर्णाकुलम-682030

नोट : उपरोक्त तालिका में केवल वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत सृजित या अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का विवरण दिया गया है। पूर्ण और अर्जित परिसंपत्तियों का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करने कलिए वर्तमान में विकासाधीन या प्रगति पर चल रही परियोजनाओं को सूची से बाहर रखा गया है।

अनुलग्नक - III

फार्म सं. एमआर-3

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी
(प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं.9 के अनुसार)

सेवा में
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरूमानूर, कोचीन
एर्णाकुलम, केरल भारत - 682015

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीआईएन : L63032KL1972GOI002414) (जिसे बाद में कंपनी कहा जाएगा) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे निगमित कार्यों के पालन के सचिवीय लेखापरीक्षा आयोजित की। सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरह से किया गया था कि हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए रखे अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन के आधार पर और सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के अनुसार, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष में शामिल लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, जो इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन है :

हमने निम्न प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाए रखे बही, कागज, कार्यवृत्त बही, प्रपत्र और फाइल किए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम" और इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 "एससीआरए" और इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम और इसके अधीन बनाए गए उपनियम ;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी सीधा निवेश, समुद्रपार सीधा निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार राशियों की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम व विनियम; (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 "सेबी अधिनियम" के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और मार्गनिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनिमय, 2015

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, ('सेबी एलओडीआर विनियम')

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018

ड. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)।

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं है।)

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का असूचीयन) विनियम 2021 (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है) और

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018, (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं)।

vi. जैसा कि हमें सूचित किया गया है, निम्नलिखित अन्य कानून कंपनी पर विशेष रूप से लागू होते हैं :

क. कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उप नियम।

ख. खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989।

ग. खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और सीमापार संचलन), नियम, 2008।

घ. बैटरियां (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2001।

ड. उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

च. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

छ. वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

ज. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

झ. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

ञ. औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

त. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम।

थ. विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

द. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010 (सीपीएसई के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व दिशानिर्देश) और

ध. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता पर दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की जांच भी की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी बोर्ड (एसएस1) और आम बैठकों (एसएस2) से संबंधित सचिवीय मानक,

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड "एनएसई" और बीएसई लिमिटेड "बीएसई" के साथ किया गया सूचीबद्धता समझौता।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, कानूनों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है।

i) दिनांक 02 मई 2024 से कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक (एक कम) नहीं थे, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा, दिनांक 22 नवंबर 2024 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17, अधिनियम की धारा 149, और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य है।

ii) कंपनी के बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी, जैसा कि सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 17 के तहत अनिवार्य है, और दिनांक 22 नवंबर 2024 से अधिनियम की धारा 149 के तहत अनिवार्य रूप से एक महिला निदेशक थी।

iii) कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 18, अधिनियम की धारा 177, और दिनांक 22 नवंबर 2024 से सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत आवश्यक विधिवत् गठित लेखापरीक्षा समिति नहीं है। नतीजतन, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 18(2)(क) और सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है।

iv) कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियम 19, अधिनियम की धारा 178 के तहत और दिनांक 22 नवंबर 2024 से प्रभावी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के अनुसार अपेक्षित विधिवत् गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है।

v) कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 20 और अधिनियम की धारा 178 के तहत दिनांक 22 नवंबर 2024 से अपेक्षित विधिवत् गठित हितधारक संबंध समिति नहीं है।

vi) कंपनी के पास अधिनियम की धारा 135 के तहत दिनांक 22 नवंबर 2024 से अपेक्षित विधिवत् गठित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व समिति नहीं है।

vii) *कंपनी के पास सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत दिनांक 22 नवंबर 2024 से विधिवत् गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 21 के तहत अनिवार्य जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के प्रावधानों के अनुपालन नहीं कर रही है।*

viii) *सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक के कोरम की आवश्यकता दिनांक 06 फरवरी 2025 और दिनांक 28 मार्च 2025 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठकों में पूरी नहीं हुई क्योंकि दिनांक 22 नवंबर 2024 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।*

हमने पाया है कि बोर्ड ने ऐसे गैर-अनुपालनों को विधिवत् नोट कर लिया है और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु उचित अनुरोध भारत सरकार को भेज दिए गए हैं। कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है।

कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक (डीआईएनः 01351097) श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने दिनांक 01 मई 2024 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से पद से इस्तीफा दे दिया है। यह पत्र कंपनी को दिनांक 02 मई 2024 को प्राप्त हुआ और यह इस्तीफा कंपनी द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि अर्थात् दिनांक 02 मई 2024 से प्रभावी होगा। उनका इस्तीफा ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव लडने के कारण दिया गया है।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सीएसएल के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों अर्थात् श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे, (डीआईएन : 09415405), श्री नाहर सिंह माहेश्वरी, (डीआईएनः 09419082), श्री अशोक शर्मा (डीआईएनः 09414565), श्री वेंकटेशन एम (डीआईएनः 07667728) और अभिजीत बिसवास (DIN: 09419083), का कार्यकाल, जिन्हें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एसवाई 11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 22 नवंबर 2021 के तहत तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था, जो दिनांक 21 नवंबर 2024 को समाप्त हो गया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रिकॉर्ड तिथि की सूचना देने में देरी के लिए बीएसई द्वारा जुर्माना लगाया गया है और सेबी एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित निगमित प्रशासन शर्तों के गैर-अनुपालन के लिए बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा निम्नानुसार जुर्माना लगाया गया है :

क्र.सं.	विवरण	जुर्माना राशि	द्वारा लगाया गया
1*	सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 60(2) का गैर-अनुपालन अर्थात् कंपनी के 8.51% कर मुक्त, प्रतिभूत रिडीमेबल गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड (आईएसआईएन : आईएनई 704P07014) पर ब्याज के भुगतान के लिए नवंबर 2021 में निर्धारित रिकॉर्ड तिथि की सूचना देने में एक कार्यदिवस की देरी।	रु. 11,800/- (जीएसटी सहित)	बीएसई
2#	दिनांक 30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान निदेशक मंडल (एक स्वतंत्र निदेशक की कमी) की संरचना के संबंध में सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 17(1) का गैर-अनुपालन।	रु. 3,48,100/- (जीएसटी सहित)	बीएसई और एनएसई
3#	दिनांक 31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान सेबी एलओडीआर विनियमों के विनियमन 17 (1) (निदेशक मंडल की संरचना - एक महिला निदेशक सहित अपर्याप्त / कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं) और विनियम 18, 19, 20 और 21 (लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारकों की संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन का गैर-अनुपालन) का गैर-अनुपालन।	प्रत्येक का मूल्य रु. 9,10,960/- (जीएसटी सहित) प्रत्येक का मूल्य	बीएसई और एनएसई

* कंपनी द्वारा दिनांक 15 मई 2024 को भुगतान किया गया।

कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है। यह देखा गया है कि एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हेतु उचित अनुरोध भारत सरकार को भेजे गए हैं। यह सूचित किया गया है कि चूंकि उक्त गैर-अनुपालन न तो कंपनी की लापरवाही/चूक के कारण था और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में था, इसलिए लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए उचित अनुरोध, जुर्माने से छूट की मौजूदा नीति के अनुसार, यथासमय स्टॉक एक्सचेंजों में प्रस्तुत किए जाएंगे।

हम आगे सूचित करते हैं कि :

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल का गठन दिनांक 22 नवंबर 2024 से कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों जिनमें स्वतंत्र निदेशक भी शामिल हैं, उनके उचित संतुलन के बिना किया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में हुए परिवर्तन, ऊपर बताए गए प्रावधानों को छोडकर, अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, कार्यसूची और विस्तृत टिप्पणियां कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं और बैठक से पहले कार्यवृत्त मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टकरण प्राप्त करने और कम समय की सूचना के मामले को छोडकर बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों में लिए गए निर्णय बहुमत के आधार पर लिए गए और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया गया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा कोई असहमतिपूर्ण विचार व्यक्त नहीं किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं मौजूद हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित कोई भी घटना नहीं हुई :

i. सार्वजनिक / अधिकार/ अधिमान्य निर्गम सहित प्रतिभूतियों का निर्गमन।

ii. अधिनियम की धारा 180 के अनुसरण में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय।

iii. प्रतिभूतियों का मोचन।

iv. प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।

v. विलय/एकीकरण/पुनर्निर्माण।

vi. विदेशी तकनीकी सहयोग।

इस रिपोर्ट को हमारे **समसंख्या के** पत्र के साथ पढा जाना चाहिए, जिसे अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न किया गया है और यह इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

भवदीय,
कृते एसईपी एंड एसोसियेट्स

स.सं. : 3050 सीओपी सं. : 2210
कंपनी सचिव
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 3693/2023

सी एस पुष्नकरा शिवकुमार
प्रबंध भागीदार
स.सं. : 3050
सीओपी सं. : 2210
यूडीआईएन : F003050G000296310

स्थान : एर्णाकुलम
तिथि : 08.05.2025

समसंख्यक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक क

सेवा में
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोच्ची
एर्णाकुलम, केरल भारत - 682015

हमारी सम-तिथि की सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढी जानी है।

1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे आगे "कंपनी" कहा जाएगा) पर लागू सभी कानूनों, नियमों, विनियमों और मानकों के प्रावधानों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से नमूना जांच के आधार पर अभिलेखों और प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

2. लागू कानूनों के सचिवीय और अन्य अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी कंपनी द्वारा बनाए गए और हमें प्रदान किए गए संगत अभिलेखों के लेखापरीक्षण के आधार पर, आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण सहित, एक सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है।

3. लेखापरीक्षा के दौरान, हमने सचिवीय और अभिलेखों की विषय-वस्तु, कानूनी अनुपालन तंत्र और निगमित आचरण की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए, यथायोग्य प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और प्रथाएं हमारी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

4. कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता सत्यापित नहीं की गई है।

5. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही यह इस बात का आश्वासन देती है कि प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों को कितनी दक्षता या प्रभावशीलता से संचालित किया है।

6. अनुपालन पर राय बनाते समय और सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करते समय, हमने 31 मार्च 2025 के बाद लेकिन रिपोर्ट जारी होने से पहले कंपनी द्वारा की गई अनुपालन संबंधी कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखा है।

7. हमने स्वतंत्र कानूनी/पेशेवर राय के आधार पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून के अनुपालन में माना है, जहां भी कई व्याख्याओं की गुजांइश थी।

कृते एसईपी एंड एसोसियेट्स
स.सं. : 3050 सीओपी सं. : 2210
कंपनी सचिव
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र सं. 3693/2023

सी एस पुष़न्करा शिवकुमार
प्रबंध भागीदार
स.सं. : 3050
सीओपी सं. : 2210
यूडीआईएन : F003050G000296310

स्थान : एर्णाकुलम
तिथि : 08.05.2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में
मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

निगमित शासन पर रिपोर्ट

निगमित शासन पर कंपनी की धारणा

1. कोचीन शिपयार्ड एक आदर्श कार्पोरेट के रूप में प्रकट होने के लिए निगमित शासन का महत्व पहचानते हैं। कंपनी ने नीतियों तथा प्रक्रियाओं को अपनाया है जो बडे पैमाने पर समाज और विभिन्न हितधारकों अर्थात् शेयरधारकों, लेनदारों, ग्राहकों और कर्मचारियों को प्रभावी ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के उद्देश्य से अपनाया है। सीएसएल दृढता से मानता है कि कंपनी केवल अच्छी और ठोस निगमित प्रशासन सिद्धांतों के माध्यम से ही एक मजबूत वैधिक नेता के रूप में उभर सकता है। लगातार पिछले कुछ सालों से कंपनी ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार निगमित शासन कार्यों में उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है।

निदेशक मंडल

2. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) का निदेशक मंडल अच्छा निगमित शासन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के बोर्ड का संयोजन कंपनी अधिनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम) और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों के प्रावधानों द्वारा शासित होती है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डी आई एन)	निदेशकों की श्रेणी
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर	07376798	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
2.	श्री बिजोय भास्कर	08103825	निदेशक (तकनीकी)
3.	श्री जोस वी जे [(1)]	08444440	निदेशक (वित्त)
4.	श्री श्रीजित के नारायणन [(2)]	09543968	निदेशक (प्रचालन)
5.	श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	05351383	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिति)
6.	श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	03093072	अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी नामिति)
7.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे [(3)]	09415405	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
8.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी [(3)]	09419082	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
9.	श्री अशोक शर्मा [(3)]	09414565	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
10.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन [(4)]	01351097	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
11.	श्री वेंकटेशन एम [(3)]	07667728	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक
12.	श्री अभिजीत बिसवास [(3)]	09419083	गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक

[(1)] भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्लू) ने पत्र संख्या एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक 03 जुलाई, 2024 के माध्यम से निदेशक (वित्त) के रूप में श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) का कार्यकाल दिनांक 01 अगस्त, 2024 से 28 फरवरी, 2027 तक, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है।

[(2)] श्री श्रीजीत के नारायणन (डीआईएन: 09543968), जिनका निदेशक के रूप में पद रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने वाला था और पात्र होने के कारण उन्हें 30 सितंबर, 2024 को आयोजित कंपनी की 52वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कंपनी के निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया।

[(3)] श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएन: 09415405), श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएन: 09419082), श्री अशोक शर्मा (डीआईएन: 09414565), श्री वेंकटेशन एम (डीआईएन: 07667728) और श्री अभिजीत बिसवास (डीआईएन: 09419083), जिन्हें दिनांक 22 नवंबर, 2021 को एमओपीएसडब्ल्यू पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल के माध्यम से तीन साल की अवधि के लिए सीएसएल के बोर्ड में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उनक कार्यकाल दिनांक 21 नवंबर, 2024 को समाप्त हो गया।

[(4)] श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएन: 01351097) ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के कारण अपने इस्तीफे के परिणामस्वरूप दिनांक 02 मई, 2024 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं रहेंगे। उन्होंने पुष्टि की है कि ऊपर बताए गए कारण के अलावा उनके इस्तीफे का कोई अन्य ठोस कारण नहीं है।

3. इस रिपोर्ट की तिथि तक निदेशक पद पर कार्यरत निदेशकों का विवरण, विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता की प्रकृति सहित, वार्षिक रिपोर्ट के पहले भाग में दिया गया है। निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों और समिति पदों का विवरण नीचे 'अन्य निदेशक पद और समिति पद' शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है।

4. निदेशकों के बीच पारस्परिक संबंध का प्रकटीकरण : शून्य

5. कंपनी के किसी भी निदेशक ने उन सभी सूचीबद्ध कंपनियों में, जिनमें वे निदेशक पद पर हैं, दस से अधिक समितियों में सदस्य या पाँच से अधिक समितियों में अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया। कंपनी के किसी भी निदेशक ने सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशक पद नहीं संभाला। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशकों ने किसी अन्य सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक पद नहीं संभाला। इसके अतिरिक्त, कंपनी के किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए प्रासंगिक नियम, निदेशकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैठकों में भाग लेने हेतु आवश्यक व्यवस्था की है और निदेशकों ने आवश्यकतानुसार उक्त सुविधा का उपयोग किया है।

7. निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट तरीके से आयोजित की गई हैं।

बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति

8. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान छह बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं। बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	बोर्ड बैठक						एजीएम
	2024				2025		2024
	अप्रैल 22	मई 24	अगस्त 08	नवंबर 07	फरवरी 06	मार्च 28	सितंबर 30
श्री मधु शंकुण्णी नायर	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री बिजोय भास्कर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री जोस वी जे	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री श्रीजित के नारायणन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	✓*	✓*	✓*	⊗	⊗	✓*	✓
श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	✓	✓	✓	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
श्री अशोक शर्मा	✓*	✓	✓*	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	✓*	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री वेंकटेशन एम	✓*	✓*	✓*	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	✓
श्री अभिजीत बिसवास	✓*	✓*	✓*	✓	लागू नहीं	लागू नहीं	✓

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भाग लिया

वार्षिक आम बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई।

एन.ए. – लागू नहीं

अन्य निदेशकता और समिति पद

9. दिनांक 31 मार्च 2025 की तिथि पर निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता की कुल संख्या और समितियों पर सदस्यता/ अध्यक्षता का पद नीचे दिया जाता है :

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री मधु शंकुण्णी नायर	2	2	-	-	-	-
श्री बिजोय भास्कर	-	2	-	-	-	-
श्री जोस वी जे	-	2	-	-	-	-

निदेशक का नाम	अन्य सार्वजनिक कंपनियों में अन्य निदेशकता की संख्या		सार्वजनिक कंपनियों में अन्य बोर्ड समिति पद		अन्य सूचीबद्ध इकाई का नाम जहां व्यक्ति एक निदेशक है	सूचीबद्ध इकाई में निदेशकता की श्रेणी
	अध्यक्ष	सदस्य	अध्यक्ष	सदस्य		
श्री श्रीजित के नारायणन	-	2	-	-	-	-
श्री राजेश कुमार सिंहा आईएएस	-	3	-	-	(i) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ii) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड	नामित निदेशक
श्री बिजु प्रभाकर आईएएस	-	8	-	1	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	निदेशक

टिप्पणी

(i) ऊपर उल्लिखित अनुसार निदेशकों द्वारा धारित निदेशकता में निजी कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनियों में एवजी निदेशकता और निदेशकता शामिल नहीं है।

(ii) केवल सभी सार्वजनिक कंपनियों और सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा समितियों और हितधारक की संबंध समितियों की सदस्यता/ अध्यक्षता विचार किया गया है।

10. निम्नलिखित को छोडकर कोई भी निदेशक को दिनांक 31 मार्च 2025 की तिथि पर कंपनी में कोई भी शेयर नहीं है:

निदेशक का नाम	धारित इक्विटी शेयरों की संख्या
श्री मधु शंकुण्णी नायर	2,000

बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता

11. सीएसएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से की जाती है। कंपनी से संबंधित व्यवसाय के संदर्भ में, बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/योग्यता की आवश्यकता भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और तदनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन सरकार द्वारा किया जाता है। इस प्रकार, कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों के पास उद्योग की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञता और योग्यता है।

स्वतंत्र निदेशक

12. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 के अनुपालन में, दिनांक 01 मई, 2024 तक सीएसएल में एक महिला निदेशक सहित छह स्वतंत्र निदेशक थे। हालाँकि, श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएनः 01351097) ओडिशा विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के कारण अपने त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, दिनांक 02 मई, 2024 से कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नहीं रहे। इसके अतिरिक्त, शेष पाँच स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप दिनांक 21 नवंबर, 2024 को अपना पद त्याग दिया। सीएसएल ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के पद को भरने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को आवश्यक सूचना प्रदान कर दी है।

13. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू में 3 साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो के लिए की जाती है। नियुक्ति की मुख्य शर्तें https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent पर देखी जा सकती है।

14. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचितीकरण कार्यक्रम आम तौर पर बोर्ड प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड / समिति बैठकों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित पर अविरत आधार पर अद्यतन किया जाता है:

- उद्योग की प्रकृति जिसमे कंपनी संचालित होती है।
- कंपनी के विभिन्न व्यापार प्रभागों के व्यापार परिस्थिति और संचालनात्मक मॉडल जिसमें भविष्य के महत्वपूर्ण विकास शामिल है।
- कंपनी पर प्रभाव वाले नियामक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव।

15. स्वतंत्र निदेशकों को परिचितीकरण कार्यक्रम का विवरण https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent में प्राप्त किया जा सकता है।

16. बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक सेबी सिस्टिंग विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान प्रबंधन से स्वतंत्र थे।

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकें

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 - 25 के दौरान दिनांक 15 जुलाई, 2024 और 07 नवंबर, 2024 को कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई थी और सभी स्वतंत्र निदेशक बैठक में उपस्थित थे:

बोर्ड के सदस्यों को सूचना की उपलब्धता

18. कंपनी के भीतर की तथा कर्मचारी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बोर्ड को पूरा अधिकार है। बोर्ड के बैठकों में कार्यपालकों जिनको बैठक में चर्चा की जानेवाली मद संबंधी अतिरिक्त अंतर्दृष्टि दी जा सकती है, की उपस्थिति स्वागत करती है। बोर्ड के समक्ष रख जाने के लिए साधारण रूप से आवश्यक जानकारियों में निम्नलिखित सूचनाएं शामिल करना है:

- शेयरों पर बकाया राशि के संबंध में शेयरधारकों को निर्देश देना।
- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद को प्राधिकृत करना।
- भारत और विदेश में ऋण पत्र सहित प्रतिभूतियों को जारी करना।
- पैसा उधार में लेना।
- कंपनी की निधियों का निवेश।
- ऋण के संबंध में प्रतिभूति प्रदान करना या गारंटी देना या ऋण मंजूर करना
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट का अनुमोदन करना।
- कंपनी के व्यापार में विविधता लाना।
- समामेलन, विलय या पुनर्निमाण का अनुमोदन करना।
- कंपनी का बदलाव, या किसी अन्य कंपनी में एक नियंत्रित लाभ या पर्याप्त शेयर प्राप्त करना।
- मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति या हटाव।
- आंतरिक लेखापरीक्षक और सचिवीय लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
- निदेशकों के हित में सामान्य सूचनाएं।
- बोर्ड समितियों के विचारार्थ विषय
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त, परिचालन के जरिए पारित संकल्प और सहायक कंपनी की बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त भी।
- व्यापार, पूँजी बजट और किसी अद्यतन की वार्षिक प्रचालन योजनाएं।
- कंपनी और इसके प्रचालन प्रभागों या व्यावसायिक क्षेत्रों की तिमाही परिणाम।
- लाभांश की घोषणा।
- ऐसे निवेशों, सहायक कंपनियों और संपत्तियों की बिक्री जो कारोबार के सामान्य प्रक्रिया में नही है।
- विदेशी मुद्रा विनिमय की अवस्थिति विनिमय दर की प्रतिकूल गति के जोखिम सीमित करने के लिए प्रबंध द्वारा लिए गए कदम, यदि महत्वपूर्ण है, का तिमाही विवरण।
- आंतरिक लेखा-परीक्षा के निष्कर्षो तथा बाह्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट (लेखा परीक्षा समिति के जरिए)
- कारोबार जोखिम विवरणों की स्थिति, उसके प्रबंध और संबंधित क्रिया योजनाएं।
- किसी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौता का विवरण।
- कारण दिखाने, माँग, अभियोजन सूचनाएं और दंड सूचनाएं जो वस्तुत महत्वपूर्ण है।
- घातक या गंभीर दुर्घटनाएं, खतरात्मक घटनाएं, किसी भी द्रव्यात्मक स्रव अथवा प्रदूषण समस्याएं।
- कार्यान्वयन के लिए विचार किए तथा शुरू किए सभी नीति संबंध मामलों।
- कंपनी को या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए पर्याप्त और भुगतान तथा कंपनी को या कंपनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक।
- कोई भी मुद्दे जिसमें पर्याप्त प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता के दावें शामिल हो, जो कंपनी के आधार पर पारित गुण-दोष व्यवस्था हो, या एक अन्य उद्यम के बारे में प्रतिकूल दृष्टि कोण लिए हो, जो कंपनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक पर जानकारी।
- किसी भी नियामक का गैर अनुपालन, सांविधिक या सूचीकृत आवश्यकताएं तथा शेयरधारकों की सेवाएं अर्थात् लाभांश का गैर- भुगतान, शेयर स्थानांतरण में देरी आदि।

- महत्वपूर्ण श्रम समस्याओं तथा उसके प्रस्तावित समाधान मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों जैसे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन में किसी भी महत्वपूर्ण विकास।

- पूंजीगत बजट और कोई भी अद्यतन।

- लेनदेन जिसमें सद्भावना, ब्रांड इक्विटी, या बौद्धिक संपत्ति की ओर सारभूत भुगतान शामिल है।

- विदेशी मुद्रा अरक्षितता का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर संचलन, यदि महत्वपूर्ण है, के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।

पहले से वितरित बोर्ड सामग्री

19. आपातकालीन बैठकों को छोडकर, प्रत्येक बोर्ड और समिति की बैठकों की सूचना पहले ही सात दिनों के भीतर सभी सदस्यों को भेज दी जाती है। सभी बोर्ड के सदस्यों की सहमति के साथ आपातकालीन बैठकों को छोडकर, प्रत्येक बोर्ड बैठकों / समितियों के लिए कार्यसूची टि प्पणियां अध्यक्ष से परामर्श करके प्रारूपित और निश्चित कार्यसूची प्रपत्र में पहले ही सात दिनों के भीतर निदेशकों को परिचालित किया गया। बैठक में अर्थपूर्ण एवं संकेन्द्रित चर्चाओं की सुविधा के लिए सभी सामग्री की जानकारी शामिल किया है। जहाँ यह साध्य नहीं हो कि दस्तावेज को संलग्न करना कार्यसूची के साथ किसी उक्त विषय कार्यसूची के विषय के विशिष्ट संदर्भ के साथ पर रखे जाते हैं। विशेष एवं असाधारण परिस्थितियों में, बैठक में उपस्थित सभी निदेशकों की अनुमति से कार्यसूची पर अतिरिक्त या पूरक मद (मदें) अनुज्ञप्त है।

20. सीएसएल ने अपनी बैठकों को एक बोर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर की शुरुआत से जैसे डेस डिजिटल बैठक, जो डिजिटल प्रारूप में बैठक दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से सृजित करने, वितरित करने और प्रबंधित करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड और समिति के सदस्यों को सही समय पर और सुरक्षित रूप से सूचना प्राप्त होता है। यह बोर्ड प्रबंधन सॉफ्ट वेयर कार्यसूची दस्तावेज तैयार करने से लेकर बैठकों के कार्यवृत्त को अंतिम रूप देने तक पूरी बैठक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, जिससे समय, प्रयास और लागत में बचत होगी और शासन में सुधार होगा।

बोर्ड एवं समिति बैठकों में कार्यवृत्त का कार्यवाहियों का अभिलेखन

21. प्रत्येक बोर्ड और समिति बैठकों के कार्यवृत्त की कार्यवाहियों का अभिलेख कंपनी सचिव करता है। कार्यवृत्त का मसौदा बोर्ड/ समिति के सभी सदस्यों को उनकी टिप्पणियों के लिए बैठक की समाप्ति से पंद्रह दिनों के भीतर परिचालित करता है। अंतिम कार्यवृत्त बैठक के समापन से 30 दिनों के भीतर कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज करता है।

बैठक के बाद आगे की कार्यवाही तंत्र

22. बोर्ड / समिति बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों तुरंत संबंधित विभागों/ प्रभागों को भी भेजी जाती है। प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति, जहां भी आवश्यक हो, आगामी बैठकों में बोर्ड /समिति को अवगत कराया जाता है।

अनुपालन

23. बैठक (बैठकों) की कार्यसूची पर टिप्पणी, कार्यवृत्त आदि तैयार करते वक्त लागू कानूनों तथा विनियमों का पालन आवश्यक है और यह सुनिश्चित करने को कंपनी सचिव जिम्मेदार है जिसमें कंपनी अधिनियम, अधिनियम, 2013 के साथ पढे और उसके तहत बनाए जारी नियमों और कंपनी सचिव सहित संस्थान द्वारा जारी की गई सचिवीय मानकों और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित भी शामिल हैं।

बोर्ड समितियां

24. वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सीएसएल के बोर्ड में पांच सांविधिक समितियां थीं, जैसे, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति।

25. भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सभी स्वतंत्र निदेशकों के अवकाश ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सांविधिक समितियों का पुनर्गठन नहीं कर सका।तदनुसार, जब तक समितियों का पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ पुनर्गठन नहीं हो जाता, तब तक प्रस्तावों पर बोर्ड द्वारा सीधे विचार किया जा रहा है।

लेखा-परीक्षा समिति

26. सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति का गठन दिनांक 21 अगस्त, 2008 को हुआ था। तब से निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया जा चुका है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 2 मई, 2024 को हुआ था। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ देंगे, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारार्थ विषय

27. लेखा-परीक्षा समिति का विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :

    (i) सूचीबद्ध संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और इसके वित्तीय सूचना के प्रकटीकरण का निरीक्षण से यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है;

(ii) भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक के आदेश के आधार पर हमारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिश, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तें।

(iii) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को उनके द्वारा दी गई किसी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान की मंजूरी;

(iv) निम्न विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरणों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना:

क. निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरण में शामिल करनेवाले अपेक्षित मामलों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है,

ख. लेखांकन नीतियों और कार्यों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और वही के लिए कारण,

ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के आधार पर अनुमानों को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां,

घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय वक्तव्यों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन,

ङ. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन,

च. किसी भी संबंधी पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण

छ. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संशोधित राय।

(v) अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के पहले प्रबंधन के साथ तिमाही वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना।;

(vi) प्रबंधन के साथ, मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार मुद्दे, अधिमान्य मुद्दे आदि) के जरिए उठाए गए निधियों का उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, पेशकश दस्तावेज/विवरण-पुस्तिका/नोटिस में बताए गए कार्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयुक्त निधियों का विवरण और सावर्जनिक या अधिकार मुद्दे के आय के उपयोग की जांच करते हुए निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट समीक्षा करना और इस मामले पर कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिश देना।

(vii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्य-निष्पादन, और लेखापरीक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा और जांच करना;

(viii) संबंधी पार्टियों के साथ हमारी कंपनी के लेनदेन के लिए अनुमोदन या किसी आगामी संशोधन;

(ix) अंतर-निगमित ऋण और निवेश की जांच;

(x) जहां भी आवश्यक हो, हमारी कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन;

(xi) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;

(xii) प्रबंधन के साथ सांविधिक और आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन, आतंरिक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की समीक्षा करना;

(xiii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी के स्टाफिंग तथा वरिष्ठता, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कवरेज और आतंरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों यदि कोई हो, की उपयुक्तता की समीक्षा करना,

(xiv) कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष के लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और इसपर अनुवर्ती कार्रवाई;

(xv) आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा उन मामलों में जहां सामान प्रकृति के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के संदेहास्पद धोखाधडी या अनियमितता या एक विफलता, पर कोई आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना और बोर्ड को मामले के बारे में सूचित करना;

(xvi) लेखापरीक्षा शुरू होने के पहले, लेखापरीक्षा की प्रकृति तथा विषय के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा साथ ही साथ विचार के किसी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट-ऑडिट चर्चा;

(xvii) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर ध्यान दें;

(xviii) मुखबिर तंत्र के कार्यों की समीक्षा करना;

(xix) उम्मीदवार के योग्यता, अनुभव, पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुमोदन;

(xx) निम्नलिखित सूचना की समीक्षा:

क. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और कार्रवाई के परिणाम,

ख. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पक्ष के लेनदेन के महत्वपूर्ण विवरण (लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित अनुसार)

ग. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों का प्रबंधन पत्र/पत्रों,

घ. आंतरिक लेखा कमियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, और

ङ. मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, पदच्युति और पारिश्रमिक की शर्तें लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होगी।

च. विचलन का विवरण:

(i) निरीक्षण अभिकरण की रिपोर्ट सहित विचलन के तिमाही विवरण, यदि लागू हो, सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32(1) के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया है;

(ii) सेबी सूचीकरण विनियमों के विनियमन 32(7) के अनुसार पेशकश दस्तावेज/प्रोस्पेक्ट्स/नोटिस में बताए कार्यों को छोडकर अन्य उद्देश्यों के लिए उपयुक्त निधियों का वार्षिक विवरण;

(xxi) नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर समीक्षा;

(xxii) लागत लेखा परीक्षकों और सचिवीय लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक तय करने की सिफारिश करना;

(xxiii) लेखापरीक्षा समिति नियंत्रित कंपनी जो 100 करोड से अधिक है, या नियंत्रित कंपनी के परिसंपत्ति आकार 10% से अधिक हो, जो भी कम हो, जिसमें इस प्रावधान लागू होने की तिथि को मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश शामिल हैं, नियंत्रित कंपनी द्वारा दिए गए निवेश से ऋणों और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करेगी।

(xxiv) वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार संशोधितानुसार, सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा।

(xxv) सत्यापित करें कि आतंरिक नियंत्रण के लिए संशोधितानुसार अपेक्षित प्रणाली सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार बनाए रखा जाना आवश्यक है और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं : तथा

(xxvi) समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए अनुसार अन्य किसी कार्यों को करना।

लेखा-परीक्षा समिति का अधिकार

28. निम्नलिखित अधिकार समिति को सौंप दिया जाता है:

(क) अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी गतिविधि का जांच करना।

(ख) किसी कर्मचारी पर और से सूचना तलाशना।

(ग) निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन बाह्य कानूनी अथवा अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना; और

(घ) यदि आवश्यक समझते हैं, तो संगत विशेषज्ञता सहित बाहरी आदमियों की उपस्थिति प्राप्त करना।

29. लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित वित्तीय प्रबंधन से संबंधित किसी मामला पर लेखा- परीक्षा की समिति की सिफारिशें, बोर्ड पर बाध्य होगा।

30. यदि बोर्ड लेखा-परीक्षा समिति के सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वह इसका कारण अंकित करेंगा और शेयरधारकों को ऐसा कारण संसूचित करेगा।

गठन

31. दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, सीएसएल की लेखा परीक्षा समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री अभिजीत बिसवास (डीआईएनः 09419083), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री अशोक शर्मा (डीआईएनः 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक और श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएनः 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक सदस्य शामिल थे। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ दिया, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (डीआईएनः 01351097) के त्यागपत्र के परिणामस्वरूप, दिनांक 02 मई, 2024 को समिति का एक बार पुनर्गठन किया गया। श्री अभिजीत बिसवास (डीआईएनः 09419083) को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया और श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएनः 09419082) को श्री अशोक शर्मा (डीआईएनः 09414565) के साथ समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

32. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में कंपनी के निदेशक (वित्त), सचिवीय लेखा परीक्षकों, सांविधिक लेखापरीक्षकों और आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रतिनिधि भाग लिया जाता है। आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य सनदी लेखाकारों के एक फर्म को बाह्यस्त्रोतीकृत किया है। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकें और उपस्थिति

33. वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की तीन बैठकें हुईं। इन बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था। इन बैठकों में उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	2024		
		मई 24	अगस्त 08	नवंबर 07
1.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	श्री अभिजीत बिसवास	✓*	✓*	✓
3.	श्री अशोक शर्मा	✓	✓*	✓
4.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	✓	✓	✓

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

एन.ए. - लागू नहीं

नामांकन व पारिश्रमिक समिति

34. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के पारिश्रमिक समिति, दिनांक 13 दिसंबर 2008 को स्वीकृत परिपत्र संकल्प के द्वारा गठित की गई।कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के बाद, दिनांक 02 जनवरी 2023 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। सरकार द्वारा निर्धारित उनकी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना कार्यालय खाली कर दिया, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारणीय विषय

35. नामांकन व पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है:

(i) कंपनी अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण करने के लिए वार्षिक बोनस/ निष्पादन वेतन/ परिवर्तनीय वेतन पूल दिवस व नीति का निर्णय करना,

(ii) अधिकारियों एवं असंघीकृत पर्यवेक्षकों को प्रदान करने वाले परिलब्धियों और भत्ताओं के लिए योजना की संरूपण और संशोधन,

(iii) अधिकारियों, असंघीकृत पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति के किसी नई योजना जैसी चिकित्सा योजना, पेंशन आदि जैसे मामला हों, और

(iv) सेबी सूचीकरण विनियमों और अन्य किसी कानून के प्रावधानों द्वारा इसे सौंपे गए अन्य भूमिकाओं और समय-समय पर इसके संशोधनों का प्रयोग करना।

गठन

36. दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री अशोक शर्मा (डीआईएनः 09414565), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बीजु प्रभाकर (डीआईएनः 03093072), अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति) और श्री अभिजीत बिसवास (डीआईएनः 09419083), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, सदस्य शामिल थे। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद त्याग दिया था, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित नामांकन व पारिश्रमिक समिति की बैठकें तथा उपस्थिति:

37. वर्ष 2024-25 के दौरान समिति की दो बार बैठक हुई। इन बैठकों में आवश्यक कोरम उपस्थित था। इन बैठकों में उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र. सं.	सदस्यों का नाम	अप्रैल 22, 2024	अगस्त 08, 2024
1.	श्री अशोक शर्मा	✓*	✓*
2.	श्री बिजु प्रभाकर	✓	⊗
3.	श्री अभिजीत बिसवास	✓*	✓*

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

पारिश्रमिक नीति

38. कंपनी की संगम नियमावली के अनुच्छेद 21 (क) के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निश्चित जैसे पारिश्रमिक निदेशकों को दिया जाएगा। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों को वेतन और भत्ते नियुक्ति की शर्तों, उपर्युक्त विषय में सार्वजनिक उद्यम विभाग के मार्गनिर्देशों के अनुरूप में और अन्य लाभ और परिलब्धियां सीएसएल के नियमों के अनुरूप में दिया जाता है। बोर्ड स्तर के कार्यपालकों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार और प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा अनुमोदित रूप में हैं। कामगारों का पारिश्रमिक प्रबंधन और मान्यताप्राप्त श्रमिक संघों के बीच दीर्घकालीन समझौता के अनुसार है।

---

39. पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं	नाम और पदनाम	कुल मूल वेतन, डीए, एचआरए और अन्य भत्ते और अनुलब्धियां	कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान (पीआरपी)	कुल
1.	श्री मधु शंकुण्णी नायर अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक	58.50	15.99	74.49
2.	श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	55.79	10.69	66.48
3.	श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त)	48.63	9.79	58.42
4.	श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन)	53.31	9.22	62.53

टिप्पणियां

(i) उपरोक्त तालिका में उल्लिखित पीआरपी 2022-23 की अवधि से संबंधित है, जिसका भुगतान 2024-25 के दौरान किया गया है। पूर्णकालिक निदेशकों को भुगतान किया गया पीआरपी कंपनी के सभी अधिकारियों और असंघीकृत पर्यवेक्षकों पर लागू निष्पादन भुगतान योजना के अनुसार है, जिसे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया गया है।

(ii) पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति का पारिश्रमिक, कार्यकाल और अन्य नियम व शर्तें सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रशासनिक मंत्रालय (पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय) द्वारा जारी पत्र के अनुसार हैं। पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति पद के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से या सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी जल्द से जल्द हो, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। अनुबंध की अवधि से पहले सेवा छोडने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने है या नोटिस अवधि के अभाव में, 3 महीने के वेतन का भुगतान किया जा सकता है।

(iii) वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया गया था।

बैठक शुल्क

40. गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड या उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000 की दर से बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक सरकारी निदेशकों (सरकारी नामिति) को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैं: https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent

41. वर्ष 2024-25 के लिए गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को भुगतान की जाने वाली बैठक शुल्क निम्नानुसार है:

क्र. सं.	नाम	शुल्क (रुपए में)
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	3,00,000.00
2.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	3,60,000.00
3.	श्री अशोक शर्मा	3,30,000.00
4.	श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	30,000.00
5.	श्री वेंकटेशन एम	2,10,000.00
6.	श्री अभिजीत बिसवास	3,60,000.00

42. चूंकि भारत के राष्ट्रपति गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकों को नियुक्त करते है, इसलिए ऐसे निदेशकों की निष्पादन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। तथापि, वर्ष के दौरान बोर्ड ने कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों का उनके कार्यनिष्पादन और स्वतंत्रता मानदंडों की पूर्ति के आधार पर मूल्यांकन किया था और उसे संतोषजनक पाया था।

हितधारक संबंध समिति

43. सीएसएल की हितधारक संबंध समिति का गठन दिनांक 20 सितंबर, 2016 को किया गया था। तब से निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया जा चुका है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 20 दिसंबर, 2021 को हुआ था। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ चुके हैं, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से हितधारक संबंध समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारणीय विषय:

44. हितधारक संबंधी समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:

(i) कंपनी के प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/अंतरण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की अप्राप्ति, नए/अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी करना, आम बैठकें आदि शामिल हैं;

(ii) शेयरधारकों द्वारा मतदान के अधिकार के प्रभावी कार्य के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;

(iii) रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जारी विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध संस्था द्वारा अपनाई गई सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

(iv) कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अदावे लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/ सांविधिक सूचना की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध संस्था द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

गठन

45. दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, हितधारक संबंध समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री वेंकटेशन एम (डीआईएनः 07667728), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजॉय भास्कर (डीआईएनः 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य शामिल थे। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ दिया, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2024 -25 के दौरान आयोजित हितधारक संबंध समिति की बैठकें और उपस्थिति

46. वर्ष 2024-25 के दौरान हितधारक संबंध समिति की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आवश्यक कोरम उपस्थित था। इस बैठक में उपस्थिति इस प्रकार थी:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	नवंबर 07, 2024
1.	श्री वेंकटेशन एम	✓
2.	श्री बिजोय भास्कर	✓
3.	श्री जोस वी जे	✓

अनुपालन अधिकारी का नाम, पदनाम और पता

श्री श्यामकमल एन
कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन,कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015
टेली : +91 (484) 2501306
ईमेलः secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट : www.cochinshipyard.in

सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 13(3) के अंतर्गत 31 मार्च, 2025 तक निवेशक शिकायतों की स्थिति

दि. 01 अप्रैल 2024 की तिथि पर शिकायत	2
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	35
वित्तीय वर्ष के दौरान हल किया गया	37
शेयरधारकों के समाधान तक नही सुलझाया	0
दि. 31 मार्च 2025 की तिथि पर लंबित	0

जोखिम प्रबंधन समिति

47. सीएसएल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुरूप दिनांक 8 फरवरी, 2019 को किया गया था। तब से, निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया गया है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 14 अक्तूबर, 2022 को हुआ था। समिति के गठन से पहले, बोर्ड और लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय-समय पर जोखिमों की समीक्षा की जाती थी। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ रहे थे, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारार्थ विषय

48. निम्नलिखित जोखिम प्रबंधन के विचारार्थ विषय हैं:

(i) साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम सहित जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा;

(ii) यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित जोखिम दस्तावेजीकरण तिमाही आधार किया जाता है।

(iii) जोखिम प्रबंधन पर अद्यतन प्रदान करें और निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त करना। और

(iv) ऐसे अन्य कार्य जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

गठन

49. दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, जोखिम प्रबंधन समिति में अध्यक्ष के रूप में श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएनः 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएनः 08103825), निदेशक (तकनीकी), श्री जोस वी जे (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) और श्री श्रीजित के नारायणन (डीआईएनः 09543968), निदेशक (संचालन) सदस्य शामिल थे। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ दिया था, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2024 - 25 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकें और उपस्थिति:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	सितंबर 20, 2024
1.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	✓
2.	श्री बिजोय भास्कर	✓
3.	श्री जोस वी जे	✓
4.	श्री श्रीजित के नारायणन	✓

निगमित सामाजिक दायित्व और धारणीय विकास (सीएसआर और एसडी) समिति

50. निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 05 सितंबर 2008 को हुई 181 वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड में एक उप समिति का गठन (संकल्प सं. 181/09 देखें) किया था।

51. दिनांक 23 नवंबर 2011 को हुई 197 वीं बोर्ड बैठक में सतत विकास समिति, बोर्ड के एक उप समिति गठित की गई। सीपीएसईयों में सतत विकास पर डीपीई ने का.ज्ञा.सं. 3(9)/2010- डीपीई (एमओयू) 23 सितंबर 2011 द्वारा सतत विकास पर विस्तृत दिशा निर्देशों जारी किया है।

52. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने हेतु निगमित सामाजिक दायित्व समिति और सतत विकास समिति का विलय करने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 8 मार्च, 2013 के परिपत्र संकल्प के अनुसरण में उपरोक्त दोनों समितियों का निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास (सीएसआर एवं एसडी) समिति में विलय कर दिया गया। तब से,

निदेशकों में परिवर्तन के कारण समिति का कई बार पुनर्गठन किया जा चुका है और नवीनतम पुनर्गठन दिनांक 20 दिसंबर, 2021 को हुआ था। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशक भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ देंगे, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सीएसआर एवं एसडी समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

विचारार्थ विषय

53. निगमित सामाजिक दायित्व और सतत विकास समिति के विचारणीय विषय निम्नलिखित है:

(i) बोर्ड को सीएसआर और सतत विकास नीति सिफारिश करना।

(ii) कार्रवाई योजना और परियोजनाएं जो सीएसआर और सतत विकास के लिए अल्प, माध्यम और दीर्घ काल में शुरू करना है, सिफारिश करना।

(iii) वार्षिक सीएसआर व सतत विकास योजना और बजट की सिफारिश करना।

(iv) सीएसआर और सतत विकास नीति, योजनाएं तथा बजटों का आवधिक समीक्षा।

गठन

54. दिनांक 21 नवंबर, 2024 तक, सीएसआर एवं एसडी समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (डीआईएनः 09419082), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (डीआईएनः 09415405), गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक, श्री बिजोय भास्कर (डीआईएनः 08103825), निदेशक (तकनीकी) और श्री जोस वी जे (डीआईएनः 08444440), निदेशक (वित्त) सदस्य शामिल थे। चूँकि सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपनी नियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2024 से अपना पद छोड़ दिया था, इसलिए सीएसएल दिनांक 22 नवंबर, 2024 से समिति का पुनर्गठन नहीं कर सका।

वर्ष 2024-25 के दौरान हुई निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सतत विकास समिति की बैठकें और उपस्थिति:

55. वर्ष 2024-25 के दौरान सीएसआर एवं एस डी समिति की तीन बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अपेक्षित कोरम उपस्थित थे। इस बैठक की उपस्थिति नीचे दी हैं:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	2024		
		अप्रैल 17	अगस्त 08	नवंबर 07
1.	श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	✓*	✓	✓
2.	श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	✓*	✓	✓
3.	श्री बिजोय भास्कर	✓*	✓	✓
4.	श्री जोस वी जे	✓	✓	✓

*इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए भाग लिया।

आम निकाय बैठकें

56. पिछली तीन वार्षिक आम निकाय बैठकों की तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष संकल्प
2023-24	सितंबर 30, 2024	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य
2022-23	सितंबर 28, 2023	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	शून्य
2021-22	सितंबर 29, 2022	11:00 घंटे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी	7

डाक मतपत्र

57. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

58. आगामी वार्षिक आम बैठक में प्रस्तावित किसी भी कार्य के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

59. इसके अलावा, डाक मतपत्र के माध्यम से किसी भी प्रस्ताव को पारित करने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। हालाँकि, यदि आवश्यक हो, तो इसे लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में पारित किया जाएगा।

वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक का विवरण

60. सीएसएल ने कंपनी के महाप्रबंधक और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों, इकाई प्रमुखों, आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और कंपनी सचिव को सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 16(1)(घ) के तहत वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के रूप में वर्गीकृत किया है। दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री राजेष गोपालकृष्णन	कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत)
2.	डॉ हरिकृष्णन एस	कार्यकारी निदेशक (पोत निर्माण)
3.	श्री एलदो जॉण	मु.म.प्र. (तकनीकी)
4.	श्री षिराज़ विलंतेकातु पुथियापुरयिल	मु.म.प्र.(योजना व परियोजना प्रबंधन)
5.	श्री दीपू सुरेंद्रन	मु.म.प्र. (सी-एसएएस)
6.	श्रीमती अंजना के आर	मु.म.प्र. (डिज़ाइन)
7.	श्री शिवकुमार ए	म.प्र.(पोत मरम्मत)
8.	श्री सुनिल कुमार के आर	म.प्र.(आईएसी व रक्षा परियोनाएं)
9.	श्री जयन के तंपी	म.प्र.(पोत निर्माण)
10.	श्री शिवराम नारायण स्वामी	म.प्र.(व्या.वि- पो.नि.)
11.	श्री सुबाष ए के	म.प्र.(मा.सं.व अ.वि.)
12.	श्री संतोष फिलिप	म.प्र.(सामग्री)
13.	श्री शिबु जॉण	म.प्र.(वित्त)
14.	श्री हरिकुमार के	म.प्र.(कार्यनीति व नई पहल)
15.	श्रीमती मेरी रंजित एब्रहाम	उ.म.प्र. (आं.ले.परीक्षा) - लेखापरीक्षा के प्रमुख
16.	श्री सनिल पीटर	उ.म.प्र.(सीकेएसआरयू) - यूनिट प्रमुख
17.	श्री श्यामकुमार जी	उ.म.प्र.(सीएमएसआरयू) - यूनिट प्रमुख
18.	श्री श्रीकांत वीरप्पन	उ.म.प्र.(सीएएनएसआरयू) - यूनिट प्रमुख
19.	श्री श्यामकमल एन	कंपनी सचिव

61. वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, नीचे बताए गए को छोड़कर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

क्र. सं.	नाम	अभ्युक्तियां
(i)	श्री नीलकंठन ए एन	दिनांक 31 अगस्त, 2024 को अधिवर्षिता के कारण कंपनी की सेवाओं से सेवानिवृत्त हो गए।

संचार का माध्यम

62. सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी और मामलाएं जो शेयरधारक के लिए महत्वपूर्ण है, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ कंपनी की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध है को प्रकट किया जाता है। एक्सचेंजों को सभी प्रस्तुतीकरण संबंधित इलैक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के माध्यम से किया जाता है।

63. तिमाही / अर्ध वार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए थे:

तिमाही/ अर्ध वार्षिक/ वार्षिक	महीने में
30 जून 2024 को समाप्त तिमाही	अगस्त, 2024
30 सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही/अर्ध वार्षिक	नवंबर, 2024
31 दिसंबर 2024 को समाप्त तिमाही	फरवरी, 2025
31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	मई, 2025

64. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक परिणाम, सामान्य बैठकों से संबंधित नोटीस और जानकारी इत्यादि प्रमुख समाचार पत्रों जैसे दि बिजिनेस लाइन/बिज़िनस स्टैंडर्ड (अखिल भारतीय प्रकाशन), मातृभूमि (कोच्ची प्रकाशन) और जनसत्ता (सभी प्रकाशन) में प्रकाशित किए जाते हैं और सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत अपेक्षित अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों को अधिसूचित किया जाता है।

65. तिमाही/ अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम और शेयरधारकों और स्टॉक एक्सचेंजो को अन्य सूचना, अन्य बातों के साथ साथ, संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों, प्रेस विज्ञप्ति आदि कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in में 'निवेशक' अनुभाग में उपलब्ध कराया जाता है। उन्हें एनएसई इलेक्ट्रानिक एप्लिकेशन प्रोससिंग सिस्टम (एनईएपीएस) और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के साथ बीएसई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के साथ भी फाइल किया जाता है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी

66. वित्तीय वर्ष 2025 के लिए वार्षिक आम बैठक

तिथि	समय	स्थान
सितंबर 29, 2025	11:00 बजे	लागू नहीं है क्योंकि बैठक इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से आयोजित की गई थी

67. वित्त वर्ष : अप्रैल 01, 2024 से मार्च 31, 2025 तक

लाभांश भुगतान

68. एजीएम में अनुमोदित होने पर दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश दि. 28 अक्तूबर 2025, को या उसके बाद स्रोत पर कर की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा।कंपनी जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी।

69. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में घोषित लाभांश के विवरण नीचे दिए गए है:

(₹)

वित्तीय वर्ष	प्रति इक्विटी शेयर अंतिम लाभांश		प्रति इक्विटी शेयर अंतरिम लाभांश			
			01st		02st	
	राशि	अंकित मूल्य	राशि	अंकित मूल्य	राशि	अंकित मूल्य
2024-25	2.25	5	4.00	5	3.50	5
2023-24	2.25	5	8.00	10	3.50	5
2022-23	3.00	10	7.00	10	7.00	10

दावा न किए गए लाभांश और शेयर - निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरण

70. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के साथ पठित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 के अनुसार, अवैतनिक लाभांश खाते में अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावाकृत लाभांश को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरित किया जाएगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा गठित एक निधि है। इसके अतिरिक्त, वे सभी शेयर जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों या उससे अधिक समय तक लाभांश का भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ के नाम अंतरित किया जाएगा।

71. कंपनी शेयरधारकों को अनुस्मारक पत्र भेजती है, जिसमें उन्हें अवैतनिक लाभांश के लिए अपना दावा दर्ज करने की सलाह दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, कोई भी अवैतनिक लाभांश या शेयर आईईपीएफ में स्थानांतरित होने के लिए देय नहीं थे। अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश (वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश) और पात्र इक्विटी शेयरों का आईईपीएफ में पहला स्थानांतरण 15 सितंबर, 2025 को देय है। जिन शेयरधारकों के शेयर/लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित होने वाले हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट पर इस लिंक पर उपलब्ध है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58।

72. कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों का दावा कर सकते हैं।

शेयरों की सूचीकरण

73. कंपनी के इक्विटी शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध है और वर्ष 2024-25 के लिए लिस्टिंग शुल्क स्टॉक एक्सचेंजों को चुकाया गया है।

(i) बीएसई लिमिटेड
फिरोस जिजीभोई टॉवर,
दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001

(ii) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
एक्सचेंज प्लासा, सी-1, ब्लॉक जी,
बांद्रा-कुरला कोम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व),
मुंबई - 400 051

74. कंपनी के शेयरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) आईएनई704पी01025 है।

निलंबित प्रतिभूतियों का विवरण

लागू नहीं

रजिस्ट्रार और ट्रांस्फर एजेन्टस (आरटीए)

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सूर्या, 35, मईफ्लवर एवेन्यू,
सेन्तिल नगर के पीछे,
सौरिपालयम रोड, कोयम्बत्तूर,
तमिलनाडु- 641 028
टेलिः +91 (422) 2314792, 2315792
ई मेलः coimbatore@in.mpms.mufg.com

शेयर स्थानांतरण प्रणाली

75. कंपनी के शेयर अनिवार्य डीमैट सूची में होने के कारण जमाकर्ता प्रणाली के माध्यम से हस्तांतरणीय है।

शेयर होल्डिंग का वितरण

76. दि. 31 मार्च 2025 को फोलियो की संख्या के आधार पर शेयर होल्डिंग का वितरण

धारित शेयरों की संख्या	सदस्य		शेयर	
	संख्या	%	संख्या	%
1-500	1026179	98.84	37770774	14.35
501-1000	7580	0.73	5528814	2.10
1001-2000	2771	0.27	4074570	1.55
2001-3000	684	0.07	1705993	0.65
3001-4000	311	0.03	1125110	0.43
4001-5000	196	0.02	911323	0.35
5001-10000	260	0.02	1849741	0.70
>10000	253	0.02	210114455	79.87
कुल	**1038234**	**100.00**	**263080780**	**100.00**

शेयरों और लिक्विडिटी का डिमेटीरियलाइसेशन

77. कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डिमटीरियलाइस्ड रूप में व्यापार किया जाता हैं और दोनों जमाकर्ताओं यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल पर व्यापार के लिए उपलब्ध है।

धारित शेयरों की प्रतिशतता

प्रत्यक्ष रूप से	:	0.00
एनएसडीएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में	:	84.54
सीडीएसएल के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में	:	15.46

78. कंपनी के शेयर नियमित रूप से बीएसई और एनएसई पर व्यापार किया जाता है।

बकाया वैश्विक डिपोजिटरी खरीद (जीडीआर) या अमेरिकी डिपोजिटरी रसीद (एडीआर) या वारंट या किसी भी परिवर्तनीय उपकरण, परिवर्तन तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कोई नहीं।

विदेशी मुद्रा जोखिम और गतिविधियों की प्रतिरक्षा

79. कंपनी को बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति और बाजार स्थितियों के आधार पर विदेशी मुद्रा अनावरण हेड किया जा रहा है।

80. कंपनी विदेशी मुद्रा बाजार के उतार-चढ़ाव पर भी निरंतर नज़र रख रही है और प्रभावी कार्यशील पूंजी प्रबंधन के एक भाग के रूप में क्रेता ऋण आदि जैसे विदेशी मुद्रा उधार के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है। विदेशी मुद्रा जोखिम की स्थिति और हेंड्जिंग स्थिति की समीक्षा लेखा परीक्षा समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड द्वारा, जहाँ भी लागू हो, की जाती है।

संयंत्र स्थान

- सीएसएल कोच्ची मुख्य इकाई - पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधा, पेरुमनूर पी ओ, कोच्ची - 682015
- सीएसएल अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) कोचीन पत्तन परिसर, विल्लिंगडन द्वीप, कोच्ची - 682003
- सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत इकाई (सीएमएसआरयू) मुंबई पत्तन परिसर, मुंबई - 400001
- सीएसएल कोलकाता पोत मरम्मत इकाई (सीकेएसआरयू) श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह परिसर, कोलकाता - 700024
- सीएसएल अंडमान और निकोबार पोत मरम्मत इकाई (सीएएनएसआरयू) मराइन डॉकयार्ड, पोर्ट ब्लेयर - 744101

पत्राचार के लिए पता

कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड,
प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर,
पेरुमानूर, कोच्ची, केरल - 682015
टेलिः +91 (484) 2501306
ईमेलः secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइटः www.cochinshipyard.in

साख दर

दस्तावेज	आईएसआईएन	दर- निर्धारण	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संशोधन, यदि कोई हो
8.72% कर मुक्त प्राप्त प्रतिदेय गैर-परिवर्तनीय बांड	INE704P07030	इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च (भा.रे.) और केयर रेटिंग्स द्वारा एएए	शून्य

अन्य प्रकटीकरण

संबंधित पार्टी लेनदेन

81. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन नहीं थे, जो कि कंपनी के हित से बडे पैमाने पर संघर्ष थे या संघर्ष हो सकते थे। कंपनी को संबंधित पार्टी लेनदेन की एक नीति है, जिसे निम्न लिंक पर प्राप्त कर सकता है : https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68।

कंपनी द्वारा गैर अनुपालन

82. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई जुर्माना/निषेध नहीं लगाया गया है, सिवाय निम्नलिखित के:

वर्ष	प्राधिकरण का नाम	अनुपालन न करने की प्रकृति	अनुपालन न करने की अवधि	लगाए गए जुर्माने/ दंड की राशि	टिप्पणियाँ
2024-25	बीएसई	कंपनी के 8.51% कर-मुक्त, सुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड पर ब्याज के भुगतान के लिए नवंबर 2021 में निर्धारित रिकॉर्ड तिथि की सूचना देने में एक कार्यदिवस की देरी	दिनांक 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही	₹11,800 (जीएसटी सहित)	कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना अदा कर दिया है।
	बीएसई और एनएसई	निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर-अनुपालन (एक स्वतंत्र निदेशक की कमी)	दिनांक 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही	₹3,48,100 प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)	सीएसएल, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को उचित अनुरोध प्रेषित किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त गैर-अनुपालन न तो कंपनी की लापरवाही/चूक के कारण था और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में था, लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए उचित अनुरोध, जुर्माना माफी की मौजूदा नीति के अनुसार, यथासमय स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे। स्टॉक एक्सचेंजों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माना माफ किया हैं।
	बीएसई और एनएसई	निदेशक मंडल की संरचना (एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की कमी/अपर्याप्तता) तथा लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में गैर-अनुपालन।	दिनांक 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त तिमाही	₹9,10,960 प्रत्येक (18% जीएसटी सहित)	

83. दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, सीएसएल के बोर्ड में छह की सांविधिक आवश्यकता के सामने कोई स्वतंत्र निदेशक (महिला निदेशक सहित) नहीं है। श्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने ओडिशा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने के बाद दिनांक 02 मई, 2024 से गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और शेष पाँच गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 21 नवंबर, 2024 को अपने पद त्याग दिए। उक्त रिक्तियों की सूचना भारत सरकार को दे दी गई है। इसके अतिरिक्त, पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने पर सांविधिक समितियों का भी पुनर्गठन किया जाएगा।

सतर्कता तंत्र और मुखबिर नीति

84. सीएसएल ने 22 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 198वीं बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित मुखबिर नीति को अपनाया था, जिसे दिनांक 14 दिसंबर, 2016 को आयोजित 228 वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया था। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसएल ने दिनांक 16 सितंबर, 2014 को आयोजित 214 वीं बोर्ड बैठक में धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीति को अपनाया था। चूंकि दोनों नीतियों का बड़ा उद्देश्य समान था, इसलिए सीएसएल ने 12 नवंबर, 2019 को आयोजित 252वीं बोर्ड बैठक में मुखबिर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति नामक एक संयुक्त नीति को अपनाया। उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 पर उपलब्ध है। सीएसएल भारत सरकार का उपक्रम है और किसी भी अवैध या अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग के लिए सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है। निदेशकों/कर्मचारियों/हितधारकों/कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/मुख्य सतर्कता अधिकारी या अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को नियमों, विनियमों और अनैतिक आचरण के किसी भी उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट करने की स्वतंत्रता दी गई है। निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन ऐसी रिपोर्टिंग की गोपनीयता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं कि मुखबिरों को किसी भी उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की जाए और उन्हें किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार का सामना न करना पड़े। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान किसी भी कर्मचारी को लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।

अंतरंग व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता

85. कंपनी को भारत के प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 के अनुपालन में अपने नामित व्यक्तियों के लिए अंतरंगी व्यापार के रोकथाम हेतु एक आचरण संहिता है। कोड दिशानिर्देशों को निर्धारित करते हैं, जो कंपनी के शेयरों के लेनदेन के समय और उल्लंघनों के परिणामों की चेतावनी देते समय प्रक्रियाओं का पालन करना और प्रकटन किया जाना चाहिए के संबंध में उन्हें सलाह देते हैं। अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता कंपनी के वेबसाइट पत्र होस्ट की जाती है और निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68।

अनिवार्य अपेक्षाएं

86. कंपनी द्वारा सभी लागू निगमित कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन की स्थिति पर एक व्यापक रिपोर्ट तिमाही आधार पर बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी और समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है। कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (झ) में निर्दिष्ट निगमित शासन संहिता की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, सिवाय निदेशक मंडल की संरचना के, अर्थात एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप सांविधिक समितियों से संबंधित अनुपालन।

गैर अनिवार्य अपेक्षाएं

87. कंपनी ने निगमित शासन से संबंधित लिस्टिंग विनियमों के निम्नलिखित गैर अनिवार्य अपेक्षाओं का पालन किया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची क्ष्क के भाग ई के साथ पढे गए विनियम 27 (1) में सूचीबद्ध गैर अनिवार्य अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति निम्नानुसार है:

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के वित्तीय विवरणों में कोई लेखापरीक्षा योग्यता नहीं है। कंपनी अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय को सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाती रही है।
- गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन के सदस्यों की उपस्थिति के बिना, स्वतंत्र निदेशकों की अलग-अलग बैठकें वित्तीय वर्ष के दौरान दिनांक 15 जुलाई, 2024 और 07 नवंबर, 2024 को आयोजित की गईं, जिनमें कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने भाग लिया।

सहायक कंपनी

88. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16 एक भौतिक सहायक को एक सहायक कंपनी के रूप में परिभाषा करता है, जिसकी आय या निवल मूल्य तुरंत पूर्ववर्ती लेखांकन वर्ष में सूचीबद्ध कंपनी और उसके सहायक कंपनी के क्रमशः समेकित आय या निवल मूल्य के 10% से अधिक है। इस परिभाषा के तहत, कंपनी को भारत में निगमित कोई असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी नहीं है।

89. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 को हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में निगमित किया गया था। हालाँकि, दिनांक 1 नवंबर, 2019 से, हुगली-सीएसएल, सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसके अलावा, सीएसएल ने दिनांक 15 सितंबर, 2020 को सांविधिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड का अधिग्रहण कर लिया, जिससे यह सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई। इसके बाद, दिनांक 22 अप्रैल, 2022 को टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड का नाम बदलकर उडुपी कोचीन शिपयार्ड्स लिमिटेड कर दिया गया।

90. सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 16(1) (ग) के तहत स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने महत्वपूर्ण सहायक निर्धारित करने के लिए एक नीति तैयार की है जिसे कंपनी की वेबसाइट पर निम्नलिखित वेब लिंक पर प्रकाशित किया गया है: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68।

निगमित शासन दिशा निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार अनुपालन का विवरण:

91. निगमित शासन के डीपीई दिशा निर्देश के संदर्भ में इस रिपोर्ट के लिए निगमित शासन दिशा निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में प्राक्टीसिंग कंपनी सचिव से प्रमाणपत्र **अनुलग्नक I** में रखा गया है।

चालू वर्ष और पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देशों की विवरण तथा उसके अनुपालन:

92. कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के निर्देश का अनुपालन किया है।

93. खाते की पुस्तकों में व्यय की मदों को लिखा गया है, जो बिसिनस के प्रयोजनों के लिए नहीं है: **शून्य**

94. किए गए खर्च, जो व्यक्तिगत है और उच्चतम प्रबंधन और बोर्ड निदेशकों के लिए है : **शून्य**

95. वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी का प्रशासनिक और कार्यालय व्यय कुल व्यय का 1.69% था, जबकि 2023-24 में यह 2.52% था। वित्तीय व्यय 2024-25 में कुल व्यय का 0.97% रहा, जबकि पिछले वर्ष यह 1.10% था।

96. व्यवहार में, कंपनी सचिव के एक प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक सेबी/कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय/ या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। प्रमाणपत्र को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक II** में संलग्न किया है।

97. कंपनी ने मेसर्स आनंद एंड पोन्नप्पन, कंपनी सेवा प्रदान करनेवाले सांविधिक लेखापरीक्षक और नियंत्रित कंपनियों को ₹29.85 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	3
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	2
वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1

आचरण संहिता

98. बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध को एक आचरण संहिता ('संहिता') निर्धारित किया है। सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंध कार्मिकों को वर्ष 2024-25 के लिए इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। संहित कंपनी के वेबसाइट में होस्ट किया गया है और https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68 लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है।

99. कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षर की गई एक घोषणा नीचे दिया गया है:

मैं एतत्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों, से अभिपुष्टि प्राप्त की है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के संबंध में निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता के साथ अनुपालन किया है।

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन:07376798

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

100. वर्ष, के लिए वित्तीय विवरणी का सीईओ/सीएफओ प्रमाणन **अनुलग्नक III** में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया

101. सीएसएल ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति लागू की है, जिसे दिनांक 16 सितंबर, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 214 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था और बाद में 12 फरवरी, 2021 को आयोजित 259वीं बोर्ड बैठक में संशोधित किया गया। उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) जोखिम प्रबंधन दूरदर्शिता विवरण: संगठनात्मक जोखिमों को एक स्वीकार्य स्तर तक कम करें और जोखिम प्रबंधन कार्यों को अपनाए जिससे कंपनी को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब उसी समय जोखिम की कमी सुनिश्चित होती है।

(ii) जोखिम प्रबंधन नीति:

(क) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, जेखिमों को रोकने और समय पर जोखिमों का पता लगाना सुनिश्चित करने की कंपनी की क्षमता को सुधारने के लिए कार्यान्वित किया जाता है।

(ख) जेखिम और उसके समान की पहचान करना।

(ग) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाना है।

(घ) जोखिम की सूचना का आदान प्रदान सुगम करें।

102. जोखिम प्रबंधन नीति, एक प्रभावी जोखिम प्रबंधन ढाँचा और एक उचित रिपोर्टिंग प्रणाली प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। कोचीन शिपयार्ड के प्रबंधन समय समय पर विविध जोखिमों की पहचान करेंगे और कंपनी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण का आकलन करेंगे। जोखिम का शमन और प्रबंधन उपायों को, इन जोखिमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। बोर्ड व्यापार माहौल में परिवर्तन के साथ नीति को श्रेणीबद्ध करने के लिए समय समय पर परिवर्तित करने हेतु अनुमोदन देंगे।

जोखिम प्रबंधन प्रणाली और संरचना

103. बोर्ड ने सीएसएल के भीतर जोखिम प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है। बोर्ड आवधिक अंतराल पर समीक्षा सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।सीएसएल बोर्ड स्तर को और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों शामिल सीएसएल प्रबंधन को जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के कार्यान्वयन साथ जोड दिया जाएगा। इस संबंध में सीएसएल में नीति को कार्यान्वित करने के लिए जोखिम प्रबंधन समितियों और जोखिम प्रबंधन संचालन समितियों को गठित की गई।

104. सीएसएल द्वारा किए गए व्यापार की विशेष प्रकृति के कारण, यह अपने माल से संबंधित जोखिमों दूर करता है:

105. पूरे वर्ष में संस्था द्वारा सामना की जानेवाली माल और माल जोखिमों के लिए सूचीबद्ध इकाई का अनावृत्ति:

(क) माल में सूचीबद्ध इकाई की कुल अनावृत्ति (आईएनआर में): ₹ 124.52 करोड

(ख) सूचीबद्ध इकाई का विभिन्न वस्तुओं के प्रति जोखिम:

माल का नाम	विशेष माल की ओर आईएनआर में अनावृत्ति	विशेष माल की ओर मात्रा के संदर्भ में अनावृत्ति	माल व्युत्पन्नों के जरिए हेड्ज किए अनावृत्ति का प्रतिशत				
			देशी बाजार		अंतर्राष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	₹124.52 करोड	14,763.60 टन	-	-	-	-	-

(ग) इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित जोखिम से बचने के लिए, कंपनी पोत निर्माण अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय सभी प्रमुख इनपुट के लिए चरणबद्ध सुपुर्दगी के साथ आदेश देती है। अनुमानित लागत निकालने के लिए प्रस्तावों की जाँच अनुमानों से की जाती है। पोत मरम्मत के मामले में, प्रमुख पुर्जे आमतौर पर पोत मालिकों को लागत के अतिरिक्त आधार पर दिए जाते हैं क्योंकि पुर्जे आमतौर पर मालिक की पसंद के होते हैं।

शेयरधारिता पैटर्न

106. कंपनी प्रत्येक ₹5 के 26,30,80,780 इक्विटि शेयरों जारी किया है, जिसका विवरण दिनांक 31 मार्च 2025 को निम्नानुसार है :

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	प्रतिशत (%)
केंद्र सरकार	1	17,86,71,239	67.9150
निकासी सदस्य	11	616	0.0002
अन्य निगमित निकाय	1419	32,26,310	1.2263
निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और निदेशकों के रिश्तेदार	3	3,001	0.0011
हिंदू अविभाजित परिवार	8,819	11,77,284	0.4475
म्यूचुअल फंड	63	89,90,815	3.4175
राष्ट्रीयकृत बैंक	1	5,000	0.0019
गैर-राष्ट्रीयकृत बैंक	1	220	0.0001
अनिवासी भारतीय	7,213	14,52,112	0.5520
अनिवासी (गैर-प्रत्यावर्तनीय)	5,659	8,52,252	0.3240
सार्वजनिक	10,14,737	5,19,78,393	19.7576
ट्रस्ट	12	28,613	0.0109
बीमा कंपनियाँ	14	89,15,578	3.3889
निगमित निकाय - सीमित देयता भागीदारी	143	1,96,674	0.0748
विदेशी संविभाग निवेशक (निगमित)	126	75,60,476	2.8738
आरबीआई के साथ पंजीकृत एनएफबीसी	8	19,296	0.0073
वैकल्पिक निवेश कोष - III	4	2,901	0.0011
कुल	**10,38,234**	**26,30,80,780**	**100.0000**

बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस)

107. अक्तूबर 2024 के दौरान, भारत सरकार ने लागू सेबी विनियमों के अनुसार, स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से कंपनी के इक्विटी शेयरों की बिक्री हेतु प्रस्ताव (ओएफएस) जारी किया था, जिसमें अपनी 4.95% हिस्सेदारी, जो 1,30,15,689 इक्विटी शेयरों के बराबर थी, का विनिवेश किया गया था। परिणामस्वरूप, सीएसएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 67.91% रह गई।

संचार का साधन

108. बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही/अर्धवार्षिक वित्तीय परिणाम बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों में विज्ञापित किया जाता है और साथ ही इसके अभिग्रहण के बाद 48 घटे के भीतर अखिल भारत में प्रचालन प्राप्त एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिकी और कम से कम एक मलयालम राष्ट्रीय दैनिको कोच्ची एडिशन में प्रकाशित भी किया जाएगा। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट www.cochinshipyard.in वेबसाइट में विज्ञापित की जाती है। कंपनी की वेबसाइट सभी सरकारी विज्ञप्तियों को भी प्रदर्शित करता है।

लेखापरीक्षा योग्यताएं

109. कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षक मै. आनंद व पोन्नप्पन द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में किसी योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

प्रशिक्षण, बोर्ड के सदस्य

110. सीएसएल के बोर्ड के सदस्य बहुत वरिष्ठ अधिकारी है जिन्हें शिक्षा, उद्योग, रक्षा प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशासन आदि के क्षेत्रों में बहुत व्यापक, विस्तृत तथा विभिन्न में अनुभव है। सीएसएल को अपने दृष्टिकोण तथा ज्ञान से लाभ मिला है। बोर्ड के लिए उनकी प्रेरणा पर कंपनी के प्रदर्शन व्यापार मोडल, कोर्पोरेट योजना और भविष्य के दृष्टिकोण पर बोर्ड के सदस्यों के लिए प्रस्तुतियाँ बने हैं। इसके अलावा बोर्ड/ समिति और बैठकों में वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों/ प्रोफशनल्स ने व्यापार से संबंधित मुद्दों या जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतियाँ बने रहे है। निदेशकों को उनके प्रभाविता को सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रमों में भाग लेने और इसे पहचानने लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा नवनियुक्त स्वतंत्र निदेशकों को डीपीई द्वारा आयोजित संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया जाता है। निदेशकों के प्रशिक्षण के संबंध में बोर्ड ने एक नीति स्वीकार भी की है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

अनुलग्नक I

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अंतर्गत निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र

सदस्यों के लिए

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

1. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [सीआईएन: L63032KL1972GOI002414] द्वारा तैयार की गई और जिसका पंजीकृत कार्यालय प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरुमानूर, कोचीन, एर्णाकुलम, केरल, भारत, 682015 में है (जिसे आगे से 'कंपनी' कहा जाएगा), इसमें दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए निगमित शासन के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, यथा संशोधित ('सूचीबद्धता विनियम') ('लागू मानदंड') के प्रावधानों द्वारा अपेक्षित विवरण शामिल हैं।

प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

2. निगमित शासन रिपोर्ट तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है, जिसमें सभी प्रासंगिक सहायक अभिलेखों और दस्तावेज़ों की तैयारी और रखरखाव शामिल है। इस ज़िम्मेदारी में निगमित शासन रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है।

3. निदेशक मंडल के साथ-साथ प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए भी ज़िम्मेदार है कि कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन करती है।

हमारी ज़िम्मेदारी

4. सत्यापन के लिए चुनी गई प्रक्रियाएँ, निगमित शासन रिपोर्ट के लागू मानदंडों के अनुपालन से जुड़े जोखिमों के आकलन सहित, निर्णय पर निर्भर करती हैं। अपनाई गई प्रमुख प्रक्रियाओं में शामिल हैं:

   i. कंपनी द्वारा तैयार की गई और उसकी निगमित शासन रिपोर्ट में शामिल की गई जानकारी को पढ़ना और समझना;

   ii. यह प्राप्त करना और सत्यापित करना कि कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में निदेशक मंडल की संरचना पूरी रिपोर्टिंग अवधि के दौरान पूरी हुई है;

   iii. दिनांक 31 मार्च, 2025 तक निदेशकों का रजिस्टर प्राप्त करना और पढ़ना और सत्यापित करना कि वर्ष के दौरान बोर्ड में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक थीं;

   iv. दिनांक 30 सितंबर, 2024 को आयोजित वार्षिक आम बैठक के कार्यवृत्त प्राप्त किए और पढ़े;

   v. दिनांक 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक आयोजित निदेशक मंडल और निदेशक मंडल की समितियों के कार्यवृत्त प्राप्त किए और पढ़े;

   vi. स्वतंत्र निदेशकों सहित कंपनी के निदेशकों से आवश्यक अभ्यावेदन और घोषणाएँ प्राप्त कीं; और

   vii. प्रबंधन से आवश्यक पूछताछ की और प्रबंधन से आवश्यक विशिष्ट अभ्यावेदन भी प्राप्त किए।

   उपर्युक्त प्रक्रियाओं में निगमित शासन रिपोर्ट में दिए गए विवरणों का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत हमारे कार्यक्षेत्र में कंपनी की किसी भी वित्तीय जानकारी या समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की निष्पक्षता या सटीकता पर राय व्यक्त करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा परीक्षण करना शामिल नहीं था।

राय

5. हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर, हमारा यह मत है कि कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लागू सूचीकरण विनियमों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय निम्नलिखित के:

   क) सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के तहत दिनांक 2 मई, 2024 से कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक (एक कम) नहीं थे। इसके अलावा, सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के तहत दिनांक 22 नवंबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे;

ख) सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य रूप से दिनांक 22 नवंबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड में कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी;

ग) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 के तहत आवश्यक रूप से गठित लेखा परीक्षा समिति नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी सूचीकरण विनियमों के विनियम 18(2)(क) के तहत अनिवार्य लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है;

घ) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सूचीकरण विनियमों के विनियमन 19 के तहत आवश्यक विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है;

ड़) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर, 2024 से सूचीकरण विनियमों के विनियम 20 के तहत आवश्यक विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति नहीं है;

च) कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के तहत आवश्यक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी सूचीकरण विनियमों के विनियम 21 के तहत अनिवार्य जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है; और

छ) सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 के तहत अनिवार्य रूप से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक के कोरम की आवश्यकता दिनांक 06 फरवरी, 2025 और 28 मार्च, 2025 को आयोजित कंपनी की बोर्ड बैठकों में पूरी नहीं हुई क्योंकि दिनांक 22 नवंबर, 2024 से कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

अन्य मामले और उपयोग पर प्रतिबंध

6. यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

7. यह प्रमाणपत्र कंपनी के सदस्यों को संबोधित है और केवल निगमित शासन के प्रासंगिक विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीकरण विनियमों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रदान किया गया है और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं : 6215/2024
यूडीआईएनः F003067G000303301

कोच्ची
08th मई, 2025

निगमित शासन प्रमाणपत्र

(जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर जारी दिशानिर्देशों में निर्धारित है)

सेवा में,
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुम्मानूर, कोचीन
एर्णाकुलम, केरल - 682015

हमने 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड [सीआईएन: L63032KL1972GOI002414]** (कंपनी) द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए निगमित शासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है ('सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देश')।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी जाँच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई राय व्यक्त करना है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी जांच और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है, जहां भी लागू हो, जैसा कि सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, सिवाय इसके कि:

क) *सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य रूप से 2 मई, 2024 से कंपनी के बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक (एक कम) नहीं थे। इसके अलावा, सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 3.1 के तहत अनिवार्य रूप से दिनांक 22 नवंबर, 2024 से कंपनी के बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं थे;*

ख) *कंपनी के पास दिनांक 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.1 के तहत आवश्यक विधिवत गठित लेखा परीक्षा समिति नहीं है। नतीजतन, कंपनी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 4.4 के तहत अनिवार्य लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रही है; और*

ग) *कंपनी के पास 22 नवंबर, 2024 से प्रभावी सीपीएसई के लिए सीजी दिशानिर्देशों के खंड 5.1 के तहत आवश्यक रूप से विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति नहीं है।*

हम आगे कहते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067G000303301

कोच्ची
08th मई, 2025

अनुलग्नक II

निदेशकों की अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दयित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची v अनुच्छेद ग खंड (10)(i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्य
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुम्मानूर, कोचीन
एर्णाकुलम, केरल – 682015

हमने **सीआईएन : L63032KL1972GOI002414** वाले और प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची, एर्णाकुलम, केरल - 682015 (इसके बाद "कंपनी" के रूप में संदर्भित) में पंजीकृत कार्यालय वाले **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** के निदेशकों से प्राप्त संगत पंजी, रिकॉर्ड, फॉर्म, विवरणी और प्रकटीकरण की जांच की है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V पैरा -ग उप खंड 10 (i) के साथ पढित विनियम 34 (3) के अनुसार, इस प्रमाणपत्र जारी करने क उद्देश्य के लिए कंपनी द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया था।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापनों (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण, प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दी गई छूट पर विचार करते हुए, हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिनांक **31 मार्च, 2025** को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम. सं.	निदेशकों का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	मधु शंकुण्णी नायर	07376798	01/01/2016
2	वलियपरंबिल जेकब जोस	08444440	01/08/2019
3	बिजोय भास्कर	08103825	05/04/2018
4	राजेश सिंहा कुमार	05351383	21/11/2022
5	बिजु प्रभाकर	03093072	02/01/2023
6	श्रीजित कट्टायंकोट नारायणन	09543968	21/07/2022

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर अपनी राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा कंपनी के कार्यों के संचालन की दक्षता या प्रभावशीलता का।

कृते एसवीजेएस एंड एसोसियेट्स
कंपनी सचिव

विन्सेंट पी डी
प्रबंध साझेदार
एफसीएस. 3067
सीपी सं. 7940
समकक्ष समीक्षा प्रमाणपत्र सं .: 6215/2024
यूडीआईएन: F003067G000303312

कोच्ची
08th मई, 2025

अनुलग्नक III

सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,
निदेशक मंडल
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोचीन - 682015

प्रिय महोदय,

1. हम ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड के रोकड प्रवाह विवरण के साथ पढे वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है और जहाँ तक हमारा पता है और विश्वास है, हम स्पष्ट करते है कि:

   (i) इन विवरणों में किसी महत्वपूर्ण असत्य विवरण शामिल नहीं है, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य नहीं छोड दिया है अथवा पथभ्रष्ट करने वाले किसी विवरण शामिल नहीं किया है;

   (ii) ये विवरण कंपनी के मामलों का सही एवं निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करते हैं और चालू लेखाकरण मानकों, लागू नियमों और विनियमों के अनुसार है।

2. जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी, अवैध या कंपनी के आचरण संहिता का उल्लंघन है।

3. हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की ज़िम्मेदारी स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमने लेखा परीक्षकों को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिज़ाइन या संचालन में कमियों, यदि कोई हों, के बारे में बताया है, जिनके बारे में हमें जानकारी है और इन कमियों को दूर करने के लिए हमने जो कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव रखते हैं, उनके बारे में भी बताया है।

4. हमने लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि:

   (i) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नही है;

   (ii) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है, वित्तीय विवरणों के लिए अपेक्षित टिप्पणियां, और

   (iii) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभानेवाले प्रबंधन या कर्मचारी की भागीदारी के साथ महत्वपूर्ण धोखाधडी के किसी भी उदाहरण के बारे में पता नहीं है।

5. हम आगे प्रमाणित करते है कि निगमित सामाजिक उत्तदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के लिए संवितरित धनराशि का उपयोग कंपनी के उद्देश्यों के लिए और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और समय -समय पर निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित तरीकों से किया गया है।

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) और मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन: 08444440

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

प्रबंधन की चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

दूरंदेशी विवरण

1. कंपनी के प्रबंधन की चर्चा और वित्तीय स्थिति का विश्लेषण और प्रचालनों का परिणाम के विवरण में कंपनी के लक्ष्य, उम्मीद या भविष्य वाणियों को चित्रित करता है, जो लागू प्रतिभूति कानूनों और विनियमों की दृष्टि में दूरंदेशी हो सकता है। दूरंदेशी विवरण भविष्य की घटनाओं की कुछ धारणाओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। कंपनी गारंटी नहीं दे सकती है कि ये धारणाएं और अपेक्षाएं सटीक हैं या उसे समझा जाएगा। कंपनी किसी भी आगामी विकास, सूचना या घटनाओं के आधार पर सार्वजनिक रूप से दूरंदेशी विवरण में संशोधन, आशोधन या सुधार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। वास्तविक परिणाम विवरण में व्यक्त किए से वस्तुतः भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के संचालन को प्रभावित करनेवाले महत्वपूर्ण कारणों में नौसेना के प्लेटफार्मों के अधिग्रहण से संबंधित सरकार की रणनीति, सरकारी नियमों में परिवर्तन, कर कानून, देश के भीतर आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर ऐसे अन्य कारक शामिल हैं। वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार पारंपरिक लागत कन्वेन्शन के अधीन तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के साथ अनुपालन किया जाता है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रबंधन ("सीएसएल" या "कंपनी") ने दूरंदेशी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

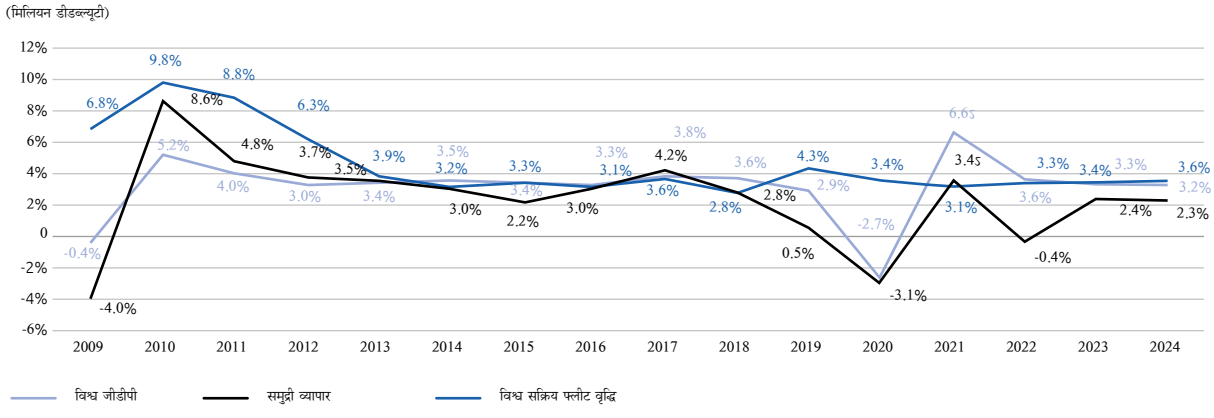
2. हमारी वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चा को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण के साथ एक साथ पढा जाना चाहिए और इन विवरणों की टिप्पणियां वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया है।

पोत निर्माण उद्योग

वैश्विक पोत निर्माण उद्योग

3. वैश्विक जीडीपी 3.2% बताई गई है जो आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार 3.1% के अनुमानित आंकड़े से थोड़ा बेहतर है। भारतीय जीडीपी वृद्धि दर 6.8% के अनुमान के मुकाबले 6.4% बताई गई है। इसी प्रकार, व्यापार की मात्रा, जो 2024 में अपेक्षित 2.9% की दर से बढ़ी थी और जिसके इसी तरह बढ़ने की उम्मीद थी, नए टैरिफ और व्यापार युद्धों के कारण बुरी तरह प्रभावित हो सकती है, जिससे जलयानों की संख्या और मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिसका आने वाले वर्ष में नौवहन मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

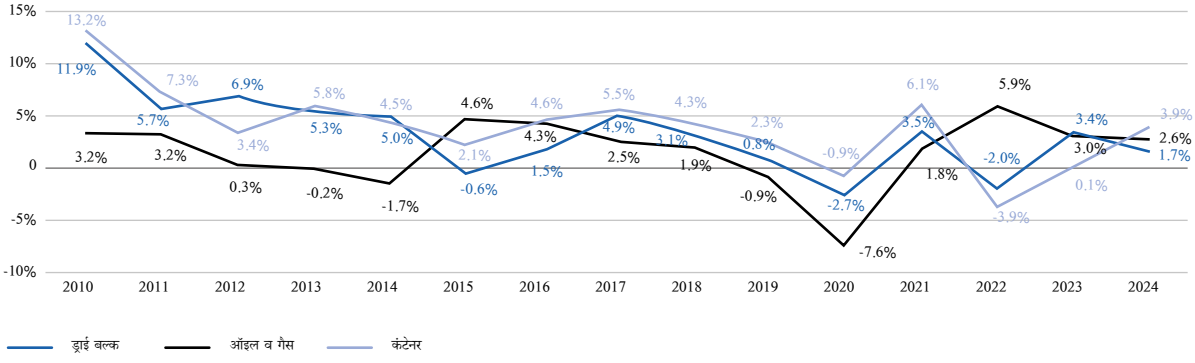
वैश्विक व्यापार, विश्व जीडीपी और सक्रिय फ्लीट वृद्धि



स्रोत: बीआरएस वार्षिक समीक्षा 2025

4. कार्गो विस्तार के संदर्भ में, पिछले वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग निष्पादन देखने को मिले। ड्राई बल्क और तेल एवं गैस व्यापार दोनों में मंदी आई क्योंकि उनकी वृद्धि क्रमशः 3.4% से घटकर 1.7% और 3% से घटकर 2.6% हो गई। हालाँकि, कंटेनर लाइनर खंड में 3.8% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 2021 के बाद से नहीं देखे गए स्तरों के करीब पहुँच गई, जब दुनिया कोविड से बाहर निकल रही थी। 2024 में वैश्विक परिदृश्य अप्रत्याशित बना रहा क्योंकि यूक्रेनी युद्ध जारी रहा और मध्य पूर्व में संघर्ष बेरोकटोक जारी रहा। लाल सागर में हूथी हमलों ने पूर्व और पश्चिम के बीच दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त जलमार्गों में से एक को अनिवार्य रूप से काट दिया है। इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और बढ़े हुए टैरिफ की घोषणाओं, जो आर्थिक युद्ध का कारण बन सकती हैं, ने पूछताछ को जन्म दिया है, हालाँकि नौवहन बाजारों पर इसका पूरा प्रभाव अभी भी अनुमान लगाना कठिन है और यह भविष्य के बाजार के लिए अनिश्चितता लाता है।

समुद्री व्यापार वृद्धि (मिलियन मैट्रिक टन)



स्रोत: बीआरएस वार्षिक समीक्षा 2025

5. पिछले साल, पोत निर्माण बाज़ार में सुपुर्दगी के बढ़ते समय और ऊँची कीमतों के बावजूद, जिनमें कोई कमी नहीं दिखी, फल-फूल रहा था। 2023 की तुलना में नए ऑर्डरों में 50% से ज़्यादा (डीडब्ल्यूटी आधार पर) वृद्धि हुई, जबकि 2022 की तुलना में इसमें पहले ही 37% की वृद्धि देखी जा चुकी थी। 2024 की एक खास बात यह रही कि चीन ने अपनी ऑर्डर बुक में उल्लेखनीय वृद्धि की, जिससे वैश्विक पोत निर्माण बाज़ार में उसकी हिस्सेदारी 9.7% बढ़ गई, जिससे जापान (-4.3%) और दक्षिण कोरिया (-5.1%) की कीमत पर उसकी प्रमुख स्थिति और मज़बूत हुई। इस बीच, मज़बूत बाज़ार स्थितियों ने मालिकों को अपने पुराने टन भार को पुनरावृत्ति करने से हतोत्साहित किया।

सारांश		2022	2023	2024
आदेश	मिलियन डीडब्ल्यूटी	93.6	128.4	193.1
	पोत	1,698	2,045	2,488
सुपुर्दगी	मिलियन डीडब्ल्यूटी	80.1	83.6	86.0
	पोत	1,377	1,388	1,564
आदेश पुस्तिका	मिलियन डीडब्ल्यूटी	239.1	281.7	387.3
	पोत	3,958	4,560	5,468
सक्रिय फ्लीट	मिलियन डीडब्ल्यूटी	2,146	2,219	2,298
	पोत	42,242	43,321	44,607
आदेश पुस्तिका/ सक्रिय फ्लीट	मिलियन डीडब्ल्यूटी	11.1%	12.7%	16.9%
	पोत	9.4%	10.5%	12.3%

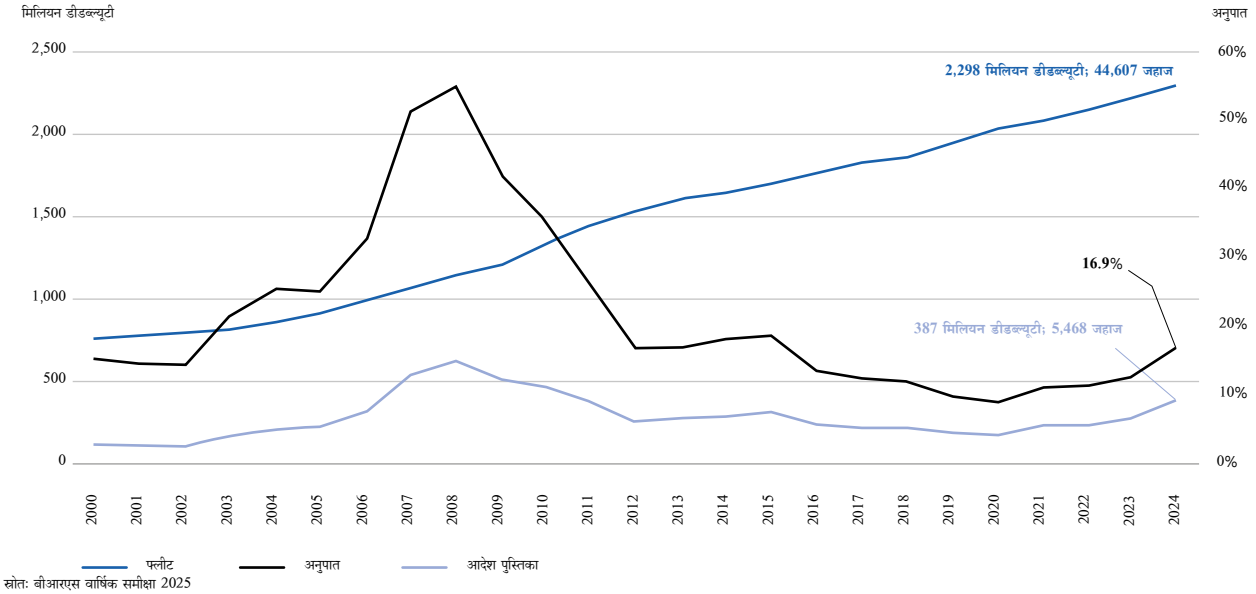
केवल बल्क, टैंकर और कंटेनर

स्रोत: बीआरएस वार्षिक समीक्षा 2025

6. मानक जलयानों (बल्कर, टैंकर, कंटेनर वाहक) के लिए 2024 में नए निर्माण के ऑर्डरों में पहले से ही बढ़े हुए स्तरों से आकस्मिक वृद्धि देखी गई, जो 128.4 मिलियन डीडब्ल्यूटी से बढ़कर 193.1 मिलियन डीडब्ल्यूटी हो गए। हालांकि, सुपुर्दगी, जो मौजूदा पोत निर्माण उत्पादन को दर्शाती है, 2023 से केवल मामूली रूप से बढ़ी है। कंटेनर लाइनरों ने पिछले साल नए ऑर्डरों में सबसे बड़ी वृद्धि देखी, क्योंकि वे 2023 में 20.6 मिलियन डीडब्ल्यूटी से दोगुने से अधिक बढ़कर 49.8 मिलियन डीडब्ल्यूटी हो गए। प्रमुख कंटेनर लाइनों ने बड़े जलयानों के ऑर्डर देने का सिलसिला जारी रखा है। कई यार्ड, जिन्होंने 2023 में कंटेनर ऑर्डरों में कमी के कारण अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था, ने अपना ध्यान वापस कंटेनर पोतों पर केंद्रित कर लिया है।

हालांकि, कंटेनर वाहक अकेले ऐसे नहीं थे जिन्होंने अधिक ऑर्डर दिए; टैंकर खंड में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो 2023 में 37.7 मिलियन डीडब्ल्यूटी से बढ़कर 2024 में 63 मिलियन डीडब्ल्यूटी हो गया। खासकर, बड़े कच्चे तेल के टैंकरों की माँग ज़ोरदार रही। इस बीच, थोक खंड में 14% की वृद्धि हुई और यह 59.1 मिलियन डीडब्ल्यूटी तक पहुँच गया - जो इस दशक का रिकॉर्ड उच्च स्तर है।

फ्लीट और आदेश पुस्तिका विकास



स्रोत: बीआरएस वार्षिक समीक्षा 2025

7. विशेषीकृत पोत खंड में लगातार तीसरे वर्ष, विशेषीकृत टन भार के लिए नए निर्माण की गतिविधि मज़बूत रही और लगभग 20 मिलियन डीडब्ल्यूटी के ऑर्डर दिए गए। यह मोटे तौर पर 2022 और 2023 के बराबर था, जब क्रमशः 18.6 मिलियन डीडब्ल्यूटी और 15.3 मिलियन डीडब्ल्यूटी के ऑर्डर दिए गए थे। तुलना के लिए, 2012-21 का वार्षिक औसत 7.5 मिलियन डीडब्ल्यूटी था। इसी प्रकार, बाजार में लंबे अंतराल के बाद तेल और गैस सहायक पोतों (एएचटी/पीएसवी) के लिए कम संख्या में नए ऑर्डर देखे गए, जो दर्शाता है कि पुराने प्रतिस्थापन बाजार की वापसी हो रही है।

विश्व फ्लीट और आदेश पुस्तिका

कुल कार्गो	समाप्त वर्ष				01 मार्च 25		आदेशपुस्तिका व सुपुर्दगी कार्यक्रम					
फ्लीट, मिलियन डीडब्ल्यूटी	2021	2022	2023	2024	सं.	मिलियन डीडब्ल्यूटी	सं.	मिलियन डीडब्ल्यूटी	ऽ वृद्धि	2025	2026	2027अ
क्रूड टैंकर	434.9	453.1	461.6	462.5	2,327	462.4	242	49.9	10.8ऽ	6.4	16.8	26.7
उत्पाद टैंकर	196.0	199.5	203.5	206.9	10,339	208.6	691	40.2	19.3ऽ	10.7	13.6	15.8
केमिकल टैंकर	48.9	50.4	51.5	53.2	4,299	53.4	484	9.2	17.2ऽ	2.5	3.5	3.1
अन्य टैंकर	1.0	1.0	1.1	1.1	429	1.1	0	0.0	0.0ऽ	0.0	0.0	0.0
बल्कर्स	947.8	975.3	1,005.2	1,035.0	14,204	1,040.3	1,356	108.8	10.5ऽ	32.6	40.3	36.0
कोम्बोस	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.1	0	0.0	0.0ऽ	0.0	0.0	0.0
एलपीजी कैरियर्स	28.4	30.2	33.2	35.0	1,686	35.1	298	13.1	37.3ऽ	1.7	3.7	7.8
एलएनजी कैरियर्स	55.6	58.1	60.7	65.6	817	66.4	341	31.8	47.9ऽ	8.5	8.6	14.8
कंटेनरशिप	296.0	307.7	331.6	363.8	6,838	367.9	793	93.8	25.5ऽ	19.5	16.4	57.9
बहु-प्रयोजन	30.3	31.1	31.3	31.6	3,365	31.8	202	4.2	13.1ऽ	1.6	1.0	1.5
सामान्य कार्गो	43.0	44.4	45.5	46.6	16,921	46.5	436	3.1	6.6ऽ	1.5	1.2	0.4
रो-रो	7.2	7.4	7.5	7.7	837	7.7	21	0.2	2.6ऽ	0.2	0.0	0.0
कार- कैरियर	12.4	12.5	12.7	13.6	829	13.8	201	4.4	32.0ऽ	1.3	1.3	1.9
रीफर्स	4.5	4.5	4.4	4.4	1,551	4.4	31	0.4	8.0ऽ	0.2	0.1	0.1
ऑफशोर (एएचटीएस/पीएसवी)	9.2	9.2	9.2	9.2	4,349	9.2	138	0.4	4.5ऽ	0.1	0.2	0.1
विश्व कार्गो फ्लीट	**2,116.4**	**2,185.5**	**2,260.0**	**2,337.3**	**68,803**	**2,349.8**	**5,234**	**359.4**	**15.3ऽ**	**86.8**	**106.6**	**165.9**
कुल विश्व फ्लीट	**2,203.8**	**2,275.6**	**2,352.5**	**2,431.9**	**112,812**	**2,444.7**	**6,890**	**366.4**	**15.0ऽ**	**88.9**	**108.5**	**169.0**
कुल विश्व फ्लीट	**1,310.2**	**1,290.6**	**1,375.6**	**1,523.2**		**1,510.9**		**488.4**	**32.3ऽ**	**116.2**	**133.5**	**238.7**

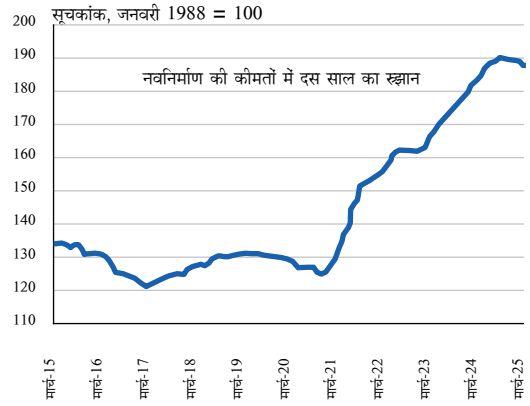
स्रोत: क्लार्कसन रिपोर्ट

8. वर्तमान में, दुनिया भर में लगभग 348 परिचालनरत शिपयार्ड हैं, जिन्होंने पिछले वर्ष या तो नए अनुबंध प्राप्त किए हैं या सुपुर्दगी पूरी की है। यह 2007 के लगभग 700 सक्रिय यार्डों के शिखर का लगभग 50% है। यह उल्लेखनीय है कि हाल ही के वर्षों में शिपयार्डों के बीच महत्वपूर्ण एकीकरण देखा गया है। इससे सक्रिय यार्डों की कुल संख्या कम हुई है, लेकिन समग्र उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, जबकि निष्क्रिय यार्डों को पुनर्जीवित करके पुनः प्रचालन में लाया जा रहा है।

9. ऑर्डर बुक की स्थिति के संदर्भ में, चीन पोत निर्माण उद्योग में अपना दबदबा बनाए हुए है और वैश्विक पोत निर्माण ऑर्डरों में लगभग तीन-चौथाई हिस्सेदारी रखता है। इस प्रभुत्व ने अन्य देशों में चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे देशी पोत निर्माण क्षमताओं को पुनर्जीवित करने पर चर्चाएँ शुरू हो गई हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण बाजार में अपनी उपस्थिति फिर से पुष्ट की है, और तीन बड़े देशों (चीन, कोरिया, जापान) और यूरोप के अलावा अन्य देशों के समूह में छठे स्थान से चौथे स्थान पर पहुँच गया है। 68 पोतों के ऑर्डर के साथ, यह संख्या 2023 में 48 और 2022 में 30 से बढ़कर 2022 में 30 हो गई है। मुख्य योगदान यह रहा कि चौगुले शिपयार्ड ने अपनी नई मैंगलोर सुविधा में डच कंपनी वर्टोम के लिए 10,740 डीडब्ल्यूटी सामान्य मालवाहक पोतों के छह अनुबंध हासिल किए। सरकारी स्वामित्व वाली कोचीन शिपयार्ड ने नॉर्वे की विल्सन के लिए आठ 6,375 डीडब्ल्यूटी सामान्य मालवाहक पोतों के ऑर्डर हासिल किए। मझगांव शिपयार्ड डेनमार्क के नेवी मर्चेंट्स के लिए छह 7,500 डीडब्ल्यूटी सामान्य मालवाहक पोत बना रहा है, जबकि गार्डन रीच शिपयार्ड (जीआरएसई) के पास चार 7,800 डीडब्ल्यूटी शुष्क मालवाहक पोत हैं।

10. बल्कर्स, टैंकर्स और कंटेनर कैरियर्स के लिए नए निर्माण की कीमतों में 2024 में मामूली वृद्धि देखी गई। शिपबिल्डर्स और शिपब्रेकर्स के एक पैनल द्वारा तैयार किया गया चीनी न्यू बिल्डिंग प्राइस इंडेक्स (सीएनपीआई) 2024 में 6% बढ़ा। इस बीच, बल्कर्स, टैंकर्स और कंटेनर कैरियर्स से संबंधित व्यक्तिगत सूचकांक क्रमशः 7%, 7% और 3% बढ़े। पहली और दूसरी तिमाहियों में मामूली उछाल के बाद, कीमतें स्थिर हो गईं। तेजी से बढ़ते कंटेनर बाजार ने कीमतों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, साथ ही पुराने जलयानों की कीमतों में भी काफी वृद्धि हुई। इस बीच, शिपयार्ड की लागत लगातार बढ़ रही है। वेतन में वृद्धि हुई है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण कारक मुद्रास्फीति और बढ़ती मांग के कारण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कीमतों में बढ़ोतरी रही है। बाजार में स्पष्ट 'उछाल' के बावजूद, शिपयार्ड अभी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। बढ़ती निर्माण लागत नई इमारतों की कीमतों में वृद्धि से आगे निकल रही है, जिससे शिपयार्ड उम्मीद से कम संतुष्ट हैं।

नवनिर्माण मूल्य सूचकांक



स्रोत क्लार्कसन रिपोर्ट

11. 2024 की तरह, जो ऑर्डरिंग के लिए एक मज़बूत वर्ष था (2007 के बाद दूसरा), और कुछ क्षेत्रों के ऑर्डर बुक पहले ही 2028 और उससे आगे तक पहुँच चुके हैं, 2025 उतना उत्साहजनक नहीं हो सकता है, लेकिन कई घटक हैं जैसे नए पर्यावरणीय नियमों और विनियमों का पालन करने की आवश्यकता, पुराने बेड़े को बदलने की आवश्यकता और सीआईआई जैसी मध्यवर्ती आवश्यकताओं का पालन करने के लिए गति कम करने की आवश्यकता, जो ऑर्डर बुक को जारी रखने में मदद कर सकते हैं। हालाँकि, पोत निर्माण उद्योग में 2005 और 2010 के बीच वितरित किए गए जलयानों की बड़ी संख्या को बदलने के लिए एक नए सुपर-साइकिल की संभावना बनी हुई है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग और सरकारी पहल

12. भारत सरकार के दीर्घकालिक समुद्री दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत के पोत निर्माण और नौवहन क्षेत्र कार्यनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (एमआईवी 2030) और मैरीटाइम अमृत काल विज़न 2047 (एमएकेवी 2047) के माध्यम से, सरकार ने 2030 तक पोत स्वामित्व और पोत निर्माण में भारत को विश्व में दसवें और 2047 तक पाँचवें स्थान पर पहुँचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों द्वारा समर्थित हैं।

13. सरकार का अनुमान है कि अगले 23 वर्षों में पोत निर्माण क्षमता में 4-5 मिलियन सकल टन (जीटी) की वार्षिक वृद्धि होगी। भारतीय माल ढुलाई के लिए पोत निर्माण का कुल उत्पादन 237 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जिसमें सहायक आपूर्तिकर्ताओं से 142 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त मूल्यवर्धन संभावित है। इस पैमाने को प्राप्त करने के लिए पोत निर्माण, मरम्मत और सहायक क्षेत्रों में लगभग 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमानित निवेश की आवश्यकता होगी। प्रमुख नीतिगत उपायों में पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) 2.0 शामिल है, जो देशी पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, साथ ही अमोनिया, मेथनॉल, हाइड्रोजन और हाइब्रिड प्रणोदन प्रणालियों जैसे वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले बड़े, तकनीकी रूप से उन्नत और हरित जलयानों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान करती है।

14. सरकार गुजरात, ओडिशा, आंध्रा प्रदेश और तमिलनाडु जैसे संभावित तटीय राज्यों में एकीकृत पोत निर्माण समूहों के विकास को भी बढ़ावा दे रही है। तटीय भूमि की गहराई, औद्योगिक और सामाजिक अवसंरचना, कुशल कार्यबल और राज्य समर्थित पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कारक इन स्थानों को पोत निर्माण समूह स्थापित करने के लिए विचारणीय बनाते हैं।

15. पूंजीगत लागत संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए, केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹ 25,000 करोड़ के एक समर्पित समुद्री विकास कोष (एमडीएफ) की घोषणा की गई है। एमडीएफ का उद्देश्य पोत अधिग्रहण, शिपयार्ड विकास, पोत मरम्मत अवसंरचना और अंतर्देशीय/तटीय परिवहन प्रणालियों के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना है।

16. शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट योजना भारत में पोतों के पुनर्चक्रण को और बढ़ावा देती है। यह पोत मालिकों को पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिसे किसी भारतीय शिपयार्ड में नए जलयान के निर्माण की लागत के बदले प्रतिदेय है। अगले दशक में, लगभग 17 मिलियन टन (एलडीटी) विदेशी जलयानों और 5,71,000 टन (एलडीटी) भारतीय जलयानों के स्क्रैप होने की उम्मीद है।

17. आंतरिक माँग को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने प्रमुख उपयोगकर्ता मंत्रालयों में माँग एकत्रीकरण की पहल की है। इसमें 2035 तक लगभग 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के 80 पोतों की खरीद, 2036 तक ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के अंतर्गत 200 ग्रीन टग (लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और 2035 तक हरित नौका कार्यक्रम के अंतर्गत 1,000 अंतर्देशीय जलयानों (लगभग 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की खरीद शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2030 तक 40 ड्रेजरों की अनुमानित आवश्यकता की पहचान की गई है, जो लगभग 2.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।

18. पोत मरम्मत के क्षेत्र में, कोच्ची में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के चालू होने से उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वाडिनार में एक दूसरे पोत मरम्मत समूह की योजना बनाई गई है, जिसकी परियोजना रिपोर्ट समीक्षाधीन है और इसमें लगभग 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमानित निवेश होगा।

19. अन्य सक्षमकारी उपायों में पोत निर्माण सामग्री पर आयात शुल्क छूट का विस्तार और बड़े जलयानों के लिए बुनियादी ढांचे की स्थिति शामिल है, जिसका उद्देश्य लागत कम करना और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना है।

20. वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए, भारत ने विदेशी निवेश आकर्षित करने और समुद्री क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया जैसे मित्रवत नेतृत्व करने वाले पोत निर्माण देशों के साथ सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय नौवहन लाइनों को भारत में जलयानों को चिह्नित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिससे देशी पोत निर्माण गतिविधि को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकार ने गिफ्ट सिटी में पोत स्वामित्व और पट्टे के लिए आकर्षक कर ढांचा भी तैयार किया है, जिससे पोत निर्माण उद्योग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

21. कुल मिलाकर, सरकार भारत को पोत निर्माण और पोत स्वामित्व के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की स्पष्ट आशय दिखा रही है और इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और लचीले समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रख रही है।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में वीआईबीएचएएस और एनएवीआईसी कार्यात्मक प्रकोष्ठों का गठन

22. विकसित भारत की दिशा में काम करने के लिए 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (एमआईवी 2030)' और 'मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 (एमएकेवी 2047)' में सूचीबद्ध सरकार के व्यापक उद्देश्यों की प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन के लिए एक विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता की पहचान करते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने कुल 20 से अधिक विकसित भारत संकल्प (वीआईबीएचएएस) सेल और नील अर्थ विजन कार्यान्वयन सेल (एनएवीआईसी) का गठन किया।

23. ये प्रकोष्ठ यातायात-कार्गो, परियोजना योजनाएं और पीपीपी, पोत निर्माण-मरम्मत पुनर्चक्रण, समुद्री वित्त, प्रौद्योगिकी, कानूनी, मानव संसाधन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं और इनका दो-स्तरीय ढांचा है, जिसमें वीआईबीएचएएस सदस्य मुख्य रूप से समीक्षा, निगरानी और समन्वय के लिए एमओपीएसडब्ल्यू के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जबकि एनएवीआईसी सदस्य एमओपीएसडब्ल्यू (प्रमुख पत्तन, डीजीएस, आईडब्ल्यूएआई, आदि) के तहत विभिन्न संगठनों से होते हैं, जो कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

24. एमआईवी 2030 और एमएकेवी 2047 पहलों को कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है: एक विभास प्रकोष्ठों के अंतर्गत और दूसरा नाविक प्रकोष्ठों के अंतर्गत। विभास प्रकोष्ठ मुख्य रूप से नीतियों, कानूनों और भारत सरकार स्तर के समाधानों और पहलों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार हैं। वे नाविक प्रकोष्ठों को मार्गदर्शन/इनपुट भी प्रदान करते हैं। नाविक प्रकोष्ठ एमआईवी/एमएकेवी पहलों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जहाँ सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, वहाँ विभास प्रकोष्ठों को इनपुट/फीडबैक प्रदान करते हैं।

25. विभास और नाविक प्रकोष्ठों ने समुद्री क्षेत्र में प्रमुख सुधारों और पहलों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके उल्लेखनीय योगदानों में पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) 2.0 का पुनर्गठन, भारत में पोत पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने हेतु क्रेडिट नोट योजना का

शुभारंभ, समुद्री विकास कोष की स्थापना और उद्योग के विकास को समर्थन देने हेतु आयात शुल्क में छूट की सुविधा प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा, पोत निर्माण, मरम्मत और समुद्री कौशल जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए मित्रवत नेतृत्व करने वाले पोत निर्माण देशों के साथ सक्रिय सहयोग जारी है। इसके समानांतर, पोत प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की गई हैं और विचाराधीन हैं, जिनका उद्देश्य देशी क्षमताओं को मजबूत करना और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।

26. सीएसएल जो जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, 21 विभास और नाविक प्रकोष्ठों में अपने अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस संस्थागत तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएसएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पोत निर्माण-मरम्मत-पुनर्चक्रण प्रकोष्ठ के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि पूर्णकालिक निदेशकों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी पाँच महत्वपूर्ण प्रकोष्ठों के संयोजक के रूप में कार्य करते हैं, जो सरकार के समुद्री विजन रोडमैप के कार्यनीतिक और प्रचालन लक्ष्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

27. विभास और नाविक प्रकोष्ठ, एमआईवी 2030 और एमएकेवी 2047 में उल्लिखित सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यह संस्थागत तंत्र दृष्टिकोण और कार्यान्वयन के बीच की खाई को पाटता है, जिससे केंद्रित योजना और नीति-से-अभ्यास में निर्बाध परिवर्तन संभव होता है।

सीएसएल द्वारा ध्यान केंद्रित किए गए कुछ प्रमुख क्षेत्र जो भारतीय मांग के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्कर चालकों के अनुरूप हैं :

टग और पोर्ट क्राफ्ट

28. एएसटीडीएस के अंतर्गत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) की नीति के अनुसार, हार्बर टग निर्माण की मांग में लगातार सुधार हो रहा है और कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों, जैसे उडुपी-सीएसएल और हुगली-सीएसएल, के माध्यम से और अधिक ऑर्डर प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके अलावा, ग्रीन टग पर नए जीटीटीपी कार्यक्रम के साथ, कंपनी हरित टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने हरित टग चलाने के लिए तैयार है, जिससे कंपनी को और अधिक ऑर्डर मिलने की संभावना है।

छोटा समुद्र/ तटीय

29. वैकल्पिक ईंधन और हरित तकनीकों से युक्त नई पीढ़ी के जलयान, पुराने होते छोटे समुद्री यूरोपीय नौवहन क्षेत्र के प्रतिस्थापन बाजार में अपार संभावनाओं का संकेत दे रहे हैं। कंपनी नए नियमों के अनुरूप नवीन तकनीकों से युक्त ऐसी परियोजनाएँ प्राप्त करने में सफल रही है। आने वाले वर्ष में और भी ऑर्डर मिलने की संभावना है।

अंतर्देशीय जलयान

30. सरकार पत्तन और अंतर्देशीय जल अवसंरचना में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे भारतीय यार्डों के लिए बेहतर माँग के साथ इस बाज़ार में भाग लेने के अवसर बढ़ेंगे। कंपनी की हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित कटमरैन पोत की शुरुआती परियोजना वाराणसी में प्रचालन के लिए तैयार है। इसी तरह की परियोजनाओं पर चर्चा चल रही है और इनसे अच्छी माँग उत्पन्न होने की उम्मीद है। जल मेट्रो बैटरी हाइब्रिड यात्री नौकाओं के लिए आगे भी चर्चा चल रही है और इन्हें विभिन्न शहरी गतिशीलता वाले भारतीय बाज़ारों में लागू किए जाने की संभावना है।

नवीकरणीय और अपतटीय पवन खंड

31. हरित ऊर्जा मिश्रण लक्ष्यों को पूरा करने के अनिवार्य कारणों से, विश्व ऊर्जा क्षेत्र में समग्र विद्युत उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण जारी रहा। गहरे समुद्र में नए बड़े अपतटीय पवन फार्मों के बुनियादी ढाँचे का विस्तार हो रहा है और अपतटीय पवन फार्मों के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास, संचालन और रखरखाव में सहायता हेतु विभिन्न प्रकार के जलयानों की माँग, जैसे कि कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स (सीएसओवी) बाजार, जहाँ सीएसएल ने अपनी उपस्थिति स्थापित कर ली है, से ऐसी परियोजनाओं के ऑर्डर बुक में और वृद्धि होने की संभावना है।

रक्षा पोत निर्माण

32. भारतीय रक्षा पोत निर्माण उद्योग भारत सरकार द्वारा भारी व्यय के साथ अच्छी स्थिति में है और सीएसएल भविष्य की कई परियोजनाओं में शामिल है, जिन पर चर्चा चल रही है।

बड़े व्यापारी जलयान

33. यद्यपि सीएसएल ने पूर्व में तरल और थोक माल ढोने के लिए व्यापारिक जलयानों का निर्माण किया था, फिर भी पिछले 18 वर्षों से, कंपनी बाजार की स्थितियों और बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप बड़े टन भार वाले जलयानों की पेशकश करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक प्रगति नहीं कर पाई है। हालाँकि, नए बड़े सूखी गोदी के निर्माण के साथ-साथ भारत सरकार की बड़े टन भार वाले जलयानों की मांग को बढ़ावा देने की नीति के साथ, भारतीय निर्मित और भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों के लिए मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, सीएसएल को इस बाजार में प्रवेश करने और कंपनी के लिए बेहतर मूल्य लाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है।

पोत मरम्मत उद्योग

भारत और वैश्विक पोत मरम्मत उद्योग

34. वर्तमान वैश्विक पोत मरम्मत बाज़ार वर्ष 2030 तक $40 बिलियन+ तक पहुंचने की उम्मीद है। क्षेत्र के भीतर समुद्री व्यापार गतिविधियों में वृद्धि के कारण एशिया-प्रशांत पोत मरम्मत और रखरखाव सेवाओं के बाज़ार पर हावी है। चीन, सिंगापूर, कोरिया और मध्य पूर्व में शिपयार्ड बडे पैमाने पर कुशल कार्यबल और नवीनतम तकनीक की उपलब्धता

के कारण पोत मरम्मत उद्योग में हमेशा सबसे आगे रहे हैं। पोत की मरम्मत और रखरखाव सेवा के वैश्विक बाज़ार में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के बाज़ारों में विकास से समर्थित है। क्षेत्र में सुधारों के कारण वर्ष 2024 से 2029 की अनुमानित अवधि के दौरान यूरोप में भी महत्वपूर्ण वृद्धि देखने की उम्मीद है। यद्यपि वैश्विक पोत मरम्मत में भारत की हिस्सेदारी वर्तमान में 1% से कम है, देश प्रमुख व्यापार मार्गों / नौवहन मार्गों के संबंध में अनुकूल स्थिति में है और वैश्विक व्यापार का 7 से 9% समुद्र तट के 300 एनएम के भीतर गुज़रता है। इसके अतिरिक्त, भारत रक्षा क्षेत्र में मरम्मत सेवाओं की पेशकश करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, जो भारतीय रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं दोनों के लिए पोत मरम्मत सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है क्योंकि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होने के नाते जो संरक्षित किया जाना है, हिंद महासागर क्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है।

35. भारत का वार्षिक पोत मरम्मत बाज़ार लगभग 2,000 रुपए होने का अनुमान है जिसकी कुल अनुमानित क्षमता 6,000 करोड रुपए है। हालांकि, 30% से अधिक वाणिज्यिक पोत की मरम्मत इस बाज़ार की पूर्ति के लिए भारत के बाहर की जाती है। हालांकि, अगले 10 वर्षों में, भारत में 14,000+ करोड रुपए से अधिक का पोत मरम्मत बाज़ार बनाने की क्षमता है, जो देश में पोत मरम्मत व्यवसाय को स्वदेशी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

36. भारत के पास एक मज़बूत कार्यबल है जो संभावित रूप से श्रम प्रधान पोत मरम्मत उद्योग को पूरा कर सकता है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत व्यापार में अप्रयुक्त क्षमता को प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्ड की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जहाजों की मरम्मत में भारतीय यार्ड की क्षमता के अंतर हेतु जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। लागत के नुकसान के अन्य कारणों में वित्त पोषण की उच्च लागत, भारत में जहाज के पूर्जों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों में पोत मरम्मत निष्पादन चक्र समय बढाना शामिल है।

37. इन कमियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार, एमआईवी 2030 पहल के तहत, कई पहलों के माध्यम से उद्योग को सक्रिय रूप से समर्थन दे रही है। इनमें आत्मनिर्भर भारत नीति का लाभ उठाकर देशी मांगों को शामिल करना, वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से बुनियादी ढांचे का विकास करना और मुक्त व्यापार डिपो और समुद्री समूह बनाकर उद्योग में समग्र विकास और उन्नत व्यवसाय के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना शामिल है।

पोत मरम्मत में सीएसएल पहल

38. नए अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत केंद्र (आईएसआरएफ) के साथ, सीएसएल पोत मरम्मत बुनियादी ढांचे को विश्वस्तरीय बनाया गया है, जिससे प्रति वर्ष लगभग 100 अतिरिक्त जलयानों को संभालने में सक्षम बनाया जा सकेगा। विलिंगडन द्वीप, कोच्ची स्थित इस केंद्र में छह स्वतंत्र कार्य केंद्रों के साथ एक अत्याधुनिक पोत लिफ्ट प्रणाली है। इस केंद्र का 12 अगस्त, 2024 को उद्घाटन किया गया, जिसमें पहला जलयान एचएससी पराली मरम्मत के लिए डॉक किया गया था। कोच्ची में दक्षिणी नौसेना कमान के निकट स्थित यह नया ग्रीनफील्ड केंद्र 130 मीटर लंबाई और 6000 टन विस्थापन तक के जलयानों को समायोजित करने में सक्षम होगा।

39. अप्रैल 2024 में, सीएसएल ने अमेरिकी नौसेना के साथ प्रतिष्ठित मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट (एमएसआरए) पर हस्ताक्षर किए, जो अमेरिकी नौसेना के जलयानों की मरम्मत को सक्षम करने वाले कठोर क्षमता मूल्यांकन के बाद यार्ड की वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा।

40. सीएसएल का पोत मरम्मत व्यवसाय तेज़ी से बढ़ा है। कोच्ची में पोत मरम्मत सुविधाओं के अलावा, कंपनी ने मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में भी पोत मरम्मत इकाइयाँ स्थापित की हैं। पोत मरम्मत प्रभाग व्यवसाय की मात्रा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यार्ड पोत मरम्मत बाज़ार के नए क्षेत्रों जैसे हथियार प्लेटफ़ॉर्म, अपतटीय निर्माण, रूपांतरण आदि में भी प्रवेश करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

41. अप्रैल 2025 में, सीएसएल ने भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में, डीपी वर्ल्ड की एक कंपनी, ड्रायडॉक्स वर्ल्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, ताकि पोत मरम्मत समूह का विकास किया जा सके और आपसी क्षमताओं का समन्वय किया जा सके। इससे देश में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को शामिल करने और महत्वपूर्ण क्षमताएँ जोड़ने की उम्मीद है।

42. भारत सरकार के एमआईवी 2030 के लागू होने तथा भारत में पोत मरम्मत समूह की स्थापना के लिए सरकार की पहल सहित विभिन्न पहलों से प्रेरित होकर, सीएसएल भविष्य में उद्योगी पोत मरम्मत व्यवसाय के लिए अच्छी तरह तैयार है।

प्रचालन

43. कंपनी का कुल कारोबार 4,527.84 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष यह 3,645.28 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान पोत निर्माण की आय 2,663.27 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष यह 2,638.91 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान पोत मरम्मत की आय 1,864.57 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले वर्ष यह 1,006.37 करोड़ रुपए थी। वर्ष के दौरान सीएसएल ने कोच्ची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) को हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों की पांच सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की। माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए बनाए जा रहे 12000 घन मीटर क्षमता वाले टेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर का (वर्चुअल मोड में) शिलान्यास किया।

वित्तीय सूचना

44. कंपनी की पिछले दशक से संबंधित वित्तीय सूचना नीचे दी गई है:

(रुपए करोड में जब तक अन्यथा न कहा जाए)

वर्ष	प्रदत्त पूंजी	शेयरों की अंकित मूल्य (रु.प्रति शेयर)	उपयोगित पूंजी	निवल मूल्य	करपूर्व लाभ	प्रदत्त लाभों पर कर	निवल लाभ	ईपीएस (₹)	लाभांश	खर्च अनुपात
2024-25	131.54	5	5,549.91	5,610.65	1,133.85	290.94	842.91	32.04	256.50	0.30
2023-24	131.54	5	4,971.89	5,025.87	1,093.62	280.52	813.10	30.91	256.50	0.32
2022-23	131.54	10	4,480.05	4,423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
2021-22	131.54	10	4,355.75	4,359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
2020-21	131.54	10	3,964.27	3,977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
2019-20	131.54	10	3,748.78	3,731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
2018-19	131.54	10	3,327.72	3,332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
2017-18	135.94	10	3,271.03	3,255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
2016-17	113.28	10	2,062.02	2,028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
2015-16	113.28	10	1,749.31	1,814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32

मुख्य वित्तीय अनुपात

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में परिवर्तन (% में)	25% या अधिक के परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
1.	ऋणी कारोबार	13.52	8.52	58.69	कुल कारोबार में वृद्धि और व्यापार प्राप्य में कमी के कारण
2.	स्टॉक कारोबार	3.34	5.57	-40.04	परियोजना-विशिष्ट सामग्रियों और उपकरणों के कारण जलयानों का निर्माण कार्य वर्तमान में विभिन्न चरणों में है।
3.	ब्याज कवरेज	17.4	15.49	12.33	लागू नहीं
4.	वर्तमान अनुपात	1.34	1.32	1.52	लागू नहीं
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.00	0.00	0.00	लागू नहीं
6.	प्रचालन लाभ सीमांत (%)	25.85	30.87	-16.26	लागू नहीं
7.	निवल लाभ सीमांत (%)	18.62	22.31	-16.54	लागू नहीं

निवल मूल्य पर वापसी

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में परिवर्तन (% में)	परिवर्तन हेतु विस्तृत विवरण
निवल मूल्य पर वापसी (%)	15.02	16.18	-7.17	प्रमुख पूंजीगत व्यय परियोजनाओं के पूंजीकरण और ब्याज आय में कमी के कारण मूल्यह्रास प्रभाव।

प्रस्तावित / घोषित लाभांश

45. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी 18 नवंबर, 2024 के कार्यालय ज्ञापन एफ.सं.5/2/2016 - नीति के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई को कर पश्चात लाभ का 30% या निवल मूल्य के 4% न्यूनतम वार्षिक लाभांश देना होगा, जो भी अधिक हो। तदनुसार, आपके निदेशक प्रत्येक 5/ रुपए के 26,30,80,780 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों पर 2.25 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश करते हैं। इससे पहले, 2024-25 के दौरान शेयरधारकों को 4/- रुपए और 3.50 रुपए के अंतरिम लाभांश, कुल मिलाकर 7.50 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2024-25 के लिए कुल लाभांश 9.75 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (195%) करोड़ रुपए की राशि है।

खंडवार / उत्पादवार निष्पादन

46. कंपनी दो प्रमुख गतिविधियों में संलग्न है: पोत निर्माण और पोतों/अपतटीय रिगों की मरम्मत आदि। उपरोक्त आधार पर खंडवार विश्लेषण किया गया है और उचित आधार पर राशि आबंटित की गई है। खंडवार प्रदर्शन नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31.03.2025 को	31.03.2024 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	8,22,323.58	5,70,597.30
पोत मरम्मत	3,48,784.30	3,03,008.95
अनाबंटित	1,33,441.35	3,14,420.86
कुल	**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	4,36,865.61	4,14,480.77
पोत मरम्मत	1,01,917.29	47,383.19
अनाबंटित	2,04,701.13	2,23,576.06
कुल	**7,43,484.03**	**6,85,440.02**
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	2,66,326.95	2,63,891.24
पोत मरम्मत	1,86,457.20	1,00,636.73
अनाबंटित	38,044.61	30,738.25
कुल	**4,90,828.76**	**3,95,266.22**
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	43,421.67	59,920.68
पोत मरम्मत	72,919.61	36,320.76
अनाबंटित	(2,956.74)	13,120.96
कुल	**1,13,384.54**	**1,09,362.40**

47. कंपनी के दो प्रमुख व्यावसायिक खंड हैं - 'पोत निर्माण' और 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण के अंतर्गत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: एक ग्राहक) से 2,06,665.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष: 2,30,672.72 लाख रुपए) शामिल हैं, जो कुल पोत निर्माण राजस्व का लगभग 78% है, और पोत मरम्मत के अंतर्गत दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से 1,53,005.55 लाख रुपए (पिछले वर्ष: 63,351.17 लाख रुपए) शामिल हैं, जो कुल पोत मरम्मत राजस्व का लगभग 82% है।

शक्तियां, अपर्याप्तता, मौकाएं और धमकियां

शक्तियां:

(i) पोत निर्माण और मरम्मत में विविध उत्पाद पोर्टफोलियो;

(ii) रक्षा पोतों, वाणिज्यिक पोतों और अपतटीय पोतों सहित एक बहुत अच्छा उत्पाद मिश्रण अनुकूलता;

(iii) पदानुक्रम के सभी स्तरों पर औसतन 15 वर्षों के अनुभव के साथ उच्च प्रशिक्षित, प्रेरित और जानकार जनशक्ति, जिसके परिणामस्वरूप अत्यंत उच्च-गुणवत्ता वाली कारीगरी प्राप्त होती है;

(iv) सुनियोजित और व्यवस्थित शिपयार्ड के साथ अत्याधुनिक सुविधाएँ, जो सुचारू कार्य प्रवाह और कुशल उत्पादन को सक्षम बनाती हैं;

(v) देश भर में फैली सात इकाइयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति, जिससे बाजार की माँगों को पूरा करने के लिए अधिक लचीलापन मिलता है;

(vi) उच्च प्रशिक्षित, अनुभवी और सक्षम नौसेना वास्तुकारों/इंजीनियरों, ड्राफ्ट्समैन आदि द्वारा संचालित एक आधुनिक अत्याधुनिक डिज़ाइन केंद्र;

(vii) पोतों के मॉड्यूलर निर्माण की अनुमति देने वाली अत्यधिक विकसित पोत निर्माण प्रक्रियाएँ और प्रथाएँ; और

(viii) गुणवत्तापूर्ण उप-ठेकेदारों और अच्छे आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क की उपलब्धता।

अपर्याप्तता:

(i) वस्तुतः स्वदेशी सहायक उद्योगों का अस्तित्व न होना और परिणामस्वरूप भारत में प्रमुख उपकरणों/कच्चे माल की अनुपलब्धता;

(ii) वर्तमान उत्पाद श्रृंखला के भाग के रूप में मानक डिज़ाइन वाले उत्पादों की अनुपलब्धता;

(iii) प्रत्यक्ष देशी मांग की अनुपलब्धता जिसके कारण कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर रहती है;

(iv) उच्च वित्तीय और रसद लागत जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के लिए उच्च इनपुट लागत होती है;

(v) सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के कारण तुलनात्मक रूप से उच्च सामाजिक और कर्मचारी उपरिव्यय; और

(vi) सरकारी प्रणाली के कारण प्रक्रियात्मक विलंब।

मौकाएं:

(i) देशी वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए पोतों की आवश्यकता में अनुमानित वृद्धि, भारत सरकार की मांग एकत्रीकरण और इसे 'मेक इन इंडिया' नीतियों के लिए निर्देशित करने की नीति के कारण;

(ii) रक्षा क्षेत्र में अनुमानित मांग;

(iii) भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और भारत को उद्योग के लिए एक अनुकूल गंतव्य के रूप में देखा जाना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय और देशी बाजारों के नए नियमों को पूरा करने के लिए हरित प्रौद्योगिकी वाले नई पीढ़ी के जलयान;

(v) हरित टग बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी की अग्रणी स्थिति और तैयारी;

(vi) भारतीय भागीदारों के सहयोग से जलयान निर्माण में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी एकीकरण के लिए पूर्ण स्वदेशी समाधान प्रस्तुत करने का प्रथम प्रस्तावक लाभ;

(vii) समुद्री अंतरिक्ष में वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के साथ कार्यनीतिक साझेदारी;

(viii) अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा और तेल एवं गैस उद्योग की वापसी का समर्थन करने वाले जलयान;

(ix) वाणिज्यिक और रक्षा पोतों की मरम्मत के लिए भारी मांग-आपूर्ति अंतर और भारत में लगभग कोई प्रतिस्पर्धा नहीं;

(x) पुराना होता वैश्विक बेड़ा, बढ़ता समुद्री व्यापार और कठोर पर्यावरणीय नियम, जिनके कारण नियमित रखरखाव और पुन:संयोजन की आवश्यकता होती है।

धमकियां:

(i) प्रतियोगियों की संकटकालीन मूल्य निर्धारण नीतियाँ;

(ii) भारतीय पोत निर्माण कंपनियों के कम प्रदर्शन के कारण भारतीय पोत निर्माण उद्योग पर प्रतिकूल प्रतिष्ठा प्रभाव;

(iii) श्रम और सामग्रियों की बढ़ती लागत;

(iv) खरीद नीतियों पर गैर-लचीले सरकारी नियमन के कारण उत्पाद वितरण समय-सीमा और लागत में देरी;

(v) अनुभवी कार्यबल के तेजी से बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवास के कारण कुशल श्रमशक्ति का उपयोग करने में कठिनाई; और

(vi) प्रतिकूल भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ और व्यापार युद्ध की अनिश्चितताएँ।

क्रूज़ 2030 2.0

48. पिछले कुछ वर्षों में, सीएसएल ने अपनी दीर्घकालिक परिवर्तन पहल, क्रूज़ 2030 (एकीकृत कार्यनीतिक उत्कृष्टता के माध्यम से सीएसएल राजस्व अनलॉक) के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति की है। इस कार्यक्रम ने लक्षित विस्तार, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण के माध्यम से भविष्य के विकास के लिए एक मज़बूत आधार तैयार किया है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में तीन नई पोत मरम्मत इकाइयों (एसआरयू) - सीएमएसआरयू, सीकेएसआरयू और सीएएनएसआरयू - की स्थापना और प्रचालन, और सीएसएल की सहायक कंपनियों हुगली-सीएसएल और उडुपी-सीएसएल का प्रचालन सुदृढ़ीकरण शामिल है। डिजिटल प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे में बड़े निवेश किए गए, जिनमें एसएपी एस/4 एचएएनए का कार्यान्वयन, डसॉल्ट 3 डी एक्सपीरियंस प्लेटफ़ॉर्म का एकीकरण और अत्याधुनिक डिजिटल निगरानी प्रणाली की तैनाती शामिल है। सीएसएल के सभी कार्यों में डिजिटल परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए एक समर्पित डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र (डीसीओई) भी बनाया गया। इसके अलावा, सीएसएल ने उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने और संपूर्ण समुद्री समाधान प्रदान करने के लिए एक तीसरा वर्टिकल - सीएसएल कार्यनीतिक एवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) की शुरुआत की।

49. प्रारंभिक क्रूज़ 2030 रोडमैप के उद्देश्यों को काफी हद तक प्राप्त करने के बाद, सीएसएल ने अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करने और बदलती वैश्विक समुद्री गतिशीलता और नए व्यावसायिक अवसरों के आलोक में आगे का रास्ता तय करने के लिए एक रणनीतिक समीक्षा शुरू की। अक्तूबर 2024 में, कुमरकम में एक लीडरशिप ऑफसाइट बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीसीजी के वरिष्ठ अधिकारी और रणनीति सलाहकार एक साथ आए। इस दो दिवसीय सम्मेलन में सीएसएल को वित्त वर्ष 31 तक 12,000 करोड़ रुपये की कंपनी बनाने के सामूहिक दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श किया गया। इस विकास को समर्थन देने के लिए कार्यान्वयन योग्य प्राथमिकताओं और कार्यनीतिक सक्षमताओं की पहचान करने पर चर्चा हुई।

50. इन विचार-विमर्शों के आधार पर, सीएसएल ने अब क्रूज़ 2030 2.0 (क्रूज़ 2030 को बढ़ाकर 2.0 कर दिया गया है) का जलावतरण किया है, जो एक नया और दूरदर्शी रोडमैप है जो पिछले कुछ वर्षों में रखी गई नींव पर आधारित है। क्रूज़ 2030 2.0 के अंतर्गत प्रमुख पहलों में कोच्ची और वडिनार में पोत मरम्मत समूहों की स्थापना, डिज़ाइन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समुद्री विद्युतीकरण प्रौद्योगिकियों में निवेश, पैमाने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए पोत खंड बनाने की सुविधा का विकास और उन्नत बाज़ारों तक पहुँचने के लिए यूरोपीय शिपयार्ड के साथ कार्यनीतिक साझेदारी की संभावनाएँ तलाशना शामिल है। प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, मासिक प्रगति पर नज़र रखने, कार्यनीतिक निगरानी प्रदान करने, पाठ्यक्रम सुधारों की सिफ़ारिश करने और समय-समय पर बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए उच्चतम स्तर पर एक क्रूज़ 2030 2.0 कार्यनीतिक समीक्षा दल का गठन किया गया है। ये पहल एमआईवी 2030 और एमएकेवी 2047 के तहत राष्ट्रीय समुद्री लक्ष्यों के अनुरूप हैं और समुद्री क्षेत्र में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, नवाचार-आधारित नेता के रूप में उभरने की सीएसएल की महत्वाकांक्षा को दर्शाती हैं।.

सीएसएल कार्यनीतिक और उन्नत समाधान (सी-एसएएस)

51. हमारे मुख्य पोत निर्माण और पोत मरम्मत पोर्टफोलियो से परे विस्तार करते हुए, सीएसएल ने समुद्री क्षेत्र में कार्यनीतिक और ज्ञान-संचालित भविष्य की

प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्यम करने के लिए सीएसएल कार्यनीतिकएवं उन्नत समाधान (सी-एसएएस) नामक एक समर्पित प्रभाग की स्थापना की है। सी-एसएएस टिकाऊ और भविष्योन्मुखी व्यवसाय मॉडल की पहचान करने और विकसित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सी-एसएएस प्रभाग द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

- भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी उच्च क्षमता वाले स्वायत्त पनडुब्बी वाहन (एचईएयूवी) का प्रणाली एकीकरण: सी-एसएएस टीम ने तीन वाहकों का एकीकरण और परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाहक-3 का सतह और जलमग्न, दोनों स्थितियों में वाहन की गतिशीलता के लिए सोनार और संचार प्रणालियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ कई बार परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, सी-एसएएस ने एकीकरण जिग के पाँच सेट और ट्रसल्स के छह सेट सफलतापूर्वक वितरित किए। सी-एसएएस ने एचईएयूवी परियोजना के तहत एक अभिनव गुरुत्वाकर्षण केंद्र मापन उपकरण भी विकसित किया है। प्रक्षेपण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली का स्वदेशी विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

- सी-एसएएस वर्तमान में उच्च क्षमता वाले स्वायत्त पनडुब्बी वाहन (एचईएयूवी) के जलावतरण नियंत्रण स्टेशन का विकास कर रहा है, जो एचईएयूवी के कमांड, नियंत्रण और संचार प्रचालन का प्रबंधन करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक पूर्णतः एकीकृत प्लेटफॉर्म है।

- भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल-आधारित पोत ने आईआर श्रेणी की अनुशंसा के अनुसार वाराणसी में 100 घंटे का क्षेत्रीय प्रचालन पूरा कर लिया है। वाराणसी में सी-एसएएस टीम द्वारा एक अस्थायी हाइड्रोजन वितरण प्रणाली और एसी चार्जिंग प्रणाली भी सफलतापूर्वक चालू की गई। इसके अलावा, सी-एसएएस टीम ने भारतीय नौवहन रजिस्टर (आईआरएस) के साथ मिलकर काम करते हुए ईंधन सेल प्रणाली की नियंत्रण प्रणाली, स्वचालन प्रणाली और समुद्री वर्गीकरण के विकास में योगदान दिया। यह पोत शीघ्र ही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को सौंप दिया जाएगा और वाराणसी में इसका वाणिज्यिक प्रचालन शुरू हो जाएगा।

- सी-एसएएस टीम ने दिसंबर 2023 में नौसेना भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला (एनपीओएल), डीआरडीओ कोच्ची को 40 पनडुब्बी तापमान माप प्रणालियों का विकास और वितरण पूरा कर लिया है और यह प्रणाली वर्तमान में विभिन्न प्रेरण और प्लेटफ़ॉर्म स्तर के परीक्षणों से गुजर रही है।

- आईएनएस विक्रांत (आईएसी) के लिए डिजिटल ट्विन कार्यान्वयन: सी-एसएएस ने भारतीय नौसेना के लिए आईएनएस विक्रांत (आईएसी) पर डिजिटल ट्विन कार्यान्वयन का कार्यभार संभाला है। डिजिटल ट्विन सॉफ्टवेयर मेसर्स जीई वर्नोवा से और गैस टर्बाइन नियंत्रकों के साथ आवश्यक इंटरफेसिंग सॉफ्टवेयर मेसर्स एल3 हैरिस से प्राप्त किया गया था। डेटा सर्वर, हार्डवेयर उपकरण और इंटरफेसिंग समाधान, जलयान पर और तटीय कार्यालय कार्यान्वयन सी-एसएएस टीम द्वारा प्रदान किए गए थे। आईएनएस विक्रांत पर डिजिटल ट्विन का कार्यान्वयन मार्च 2025 में पूरा हुआ और यह प्रणाली अप्रैल 2025 में सफलतापूर्वक चालू हो गई।

- सी-एसएएस वर्तमान में भारतीय विकास साझेदार फर्मों के साथ सहयोग करके एक पूर्णतः स्वदेशी स्वायत्त सतह पोत (एएसवी) प्रारंभिक परियोजना के विकास पर काम कर रहा है। पोत निर्माण पहलुओं के अलावा, एएसवी प्रारंभिक परियोजना में सीएसएल और स्टार्ट-अप सहित चिन्हित भारतीय कार्यनीतिक साझेदार फर्मों द्वारा समुद्री स्वायत्तता और उससे संबंधित महत्वपूर्ण उप-प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी सह-विकास भी शामिल है। इस संदर्भ में, पाँच अनुबंध प्रदान किए गए और संबंधित उप-प्रणालियों सहित पोत निर्माण कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर है। स्वदेशी एएसवी और उसकी प्रमुख उप-प्रणालियों/प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रमाणन के लिए आईआर श्रेणी अनुबंध पर भी काम चल रहा है।

ईएसजी पहल

52. पिछले कुछ वर्षों में, सीएसएल ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और संसाधनों के संरक्षण के उद्देश्य से कई सक्रिय कदम उठाए हैं, जिससे पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की वैश्विक अनिवार्यता के अनुरूप, सीएसएल ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में एक व्यापक यात्रा शुरू की है। कंपनी ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतो की ओर संक्रमण करने और समग्र प्रचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित पहलों के माध्यम से सुधार को आगे बढ़ा रही है। इस संबंध में की गई प्रमुख पहल नीचे सूचीबद्ध हैं:

(i) सीएसएल परिसर में वर्तमान में स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता (सौर) 1972 केडब्ल्यूपी है, जिसे शीघ्र ही 3572 केडब्ल्यूपी तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

(ii) ओपन एक्सेस (ग्रीन डे अहेड मार्केट) के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद।

(iii) स्वच्छ परिवहन के महत्व को समझते हुए, यार्ड में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क ऊर्जा प्रदान करने वाले 9 सौर ऊर्जा चालित विद्युत दोपहिया चार्जिंग डॉक स्थापित किए गए हैं। यह न केवल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव का समर्थन करता है, बल्कि कर्मचारियों को हरित यात्रा विकल्पों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

(iv) बिल्डिंग डॉक पोर्ट साइड पर 50 टन ओबीई एलएलटीटी क्रेन के होइस्ट के लिए पारंपरिक रोटर प्रतिरोध गति नियंत्रण को वेरिएबल फ़्रीक्वेंसी ड्राइव (वीएफडी) से बदलने से समग्र दक्षता में वृद्धि और पर्याप्त ऊर्जा बचत हुई है। वीएफडी मोटर को सुचारू रूप से चालू और बंद करने में भी सक्षम बनाता है, जिससे प्रचालन विश्वसनीयता में सुधार होता है।

(v) स्टैटिक फ़्रीक्वेंसी कन्वर्टर (एसएफसी) की स्थापना के माध्यम से एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो पारंपरिक मोटर जनरेटर सेटों के एक स्थायी विकल्प के रूप में कार्य करता है। यह डॉक और घाटों को 60 हर्ट्ज़ आवृत्ति पर विश्वसनीय बिजली प्रदान करता है, जिससे ऊर्जा हानि कम होती है और दक्षता में सुधार होता है।

(vi) यार्ड को सीएसएल और मेटी के बाहर नए पार्किंग क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटिंग का भी लाभ मिल रहा है, जो सुविधा प्रचालन के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

53. कंपनी अपने मौजूदा उपकरणों को गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हरित ईंधन में परिवर्तित करने की संभावना भी तलाश रही है और उसने कई सामग्री हैंडलिंग उपकरणों (एमएचई) में संशोधन का कार्य किया है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

54. इसके अलावा, सीएसएल ने ऊर्जा दक्षता में सुधार और प्रचालन लागत को कम करने के उद्देश्य से कई स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन और स्वचालन उपाय लागू किए हैं। ये पहल वास्तविक समय में ऊर्जा उपयोग की निगरानी, नियंत्रण और अनुकूलन के लिए उन्नत तकनीकों का लाभ उठाती हैं। प्रमुख उपायों में शामिल हैं:

(i) ऊर्जा उपयोग की निगरानी के लिए, एक आईओटी-आधारित दूरस्थ ऊर्जा निगरानी प्रणाली लागू की गई है, जो ऊर्जा खपत/उत्पादन के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग और विश्लेषण को सक्षम बनाती है।

(ii) बुद्धिमान ऊर्जा उपयोग के अनुरूप, पोत मरम्मत भंडार और सेवा सुरंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सेंसर-आधारित प्रकाश नियंत्रण स्थापित किए गए हैं। ये प्रणालियाँ अधिभोग के आधार पर प्रकाश व्यवस्था को स्वचालित रूप से समायोजित करती हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा का उपयोग केवल आवश्यक होने पर ही किया जाए।

(iii) शीतलन ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए वीआरएफ (परिवर्तनीय रेफ्रिजरेंट प्रवाह) एयर कंडीशनिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, बीएलडीसी 5 -स्टार रेटेड सीलिंग पंखे और मैन कूलर पेश किए गए हैं, जो आराम मानकों को बनाए रखते हुए ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं।

(iv) महत्वपूर्ण उन्नयनों में दुकानों, वेल्डिंग स्किड्स, एलएलटीटी और गैन्ट्री क्रेन जैसे विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर उच्च-दाब वाले पारा वाष्प प्रकाश फिटिंग को ऊर्जा-कुशल एलईडी लाइटों से बदलना भी शामिल है।

(v) इष्टतम विद्युत निष्पादन सुनिश्चित करने और अपव्यय को कम करने के लिए पावर फैक्टर की बारीकी से निगरानी की जाती है और उसे लगभग एकता में बनाए रखा जाता है।

55. सीएसएल के दीर्घकालिक स्थायित्व दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में, कंपनी ने अपने प्रचालनों के लिए 100% स्वच्छ ऊर्जा अपनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे सीएसएल पूरी तरह से हरित ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय शिपयार्ड बन जाएगा। इसके लिए, सीएसएल केरल राज्य में एक उपयुक्त स्थान पर पवन और सौर ऊर्जा के एक संयुक्त हाइब्रिड पावर प्लांट की स्थापना और रूफटॉप सौर क्षमता को 4 मेगावाट तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। इन पहलों से सामूहिक रूप से, प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में हरित ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो सीएसएल की वर्तमान औसत ऊर्जा खपत से कहीं अधिक होगी। सीएसएल के नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रम का मार्गदर्शन करने के लिए ईएमसी, केरल को एक परामर्श अनुबंध प्रदान किया गया है, जिसमें पवन और सौर ऊर्जा दोनों स्रोतो को एकीकृत करने वाले एक हाइब्रिड पावर प्लांट के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

56. ऊर्जा दक्षता के अलावा, सीएसएल सतत विकास और दीर्घकालिक मूल्य सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक (ईएसजी) पहलों की एक व्यापक श्रृंखला को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है। इन पहलों में शामिल हैं:

(i) अंतराल विश्लेषण, भौतिकता मूल्यांकन और ईएसजी रोडमैप।

(ii) प्रशिक्षण संस्थान केंद्र का नेट-ज़ीरो/ग्रीन बिल्डिंग में रूपांतरण।

(iii) डीजल फोर्कलिफ्ट का सीएनजी में पायलट रूपांतरण।

(iv) बैटरी चालित फोर्कलिफ्ट (2, 3 टन क्षमता) की खरीद।

(v) विभिन्न स्थानों पर सूक्ष्म शैवाल आधारित तरल वृक्ष प्रणालियों का कार्यान्वयन।

(vi) उप-ठेकेदार कामगारों के लिए साइट डाइनिंग सुविधाएँ (दो स्थान)।

(vii) केरल वन अनुसंधान संस्थान (केएफआरआई) के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए वनरोपण अध्ययन।

57. सीएसएल की मज़बूत पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों और सतत प्रथाओं में सक्रिय पहलों को मान्यता देते हुए, सीएसएल को अक्तूबर 2020 में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा 'ग्रीनको सिल्वर' रेटिंग से

प्रमाणित होने वाली नौवहन क्षेत्र की पहली कंपनी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद में सीएसएल को 'ग्रीनको गोल्ड' में अद्यतन किया गया।

जोखिम और चिंताएं

58. कंपनी के लिए जोखिम पोत निर्माण उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति से उत्पन्न होता है। वर्षों से कंपनी के राजस्व का एक अनिवार्य हिस्सा वाणिज्यिक जहाज निर्माण से है जो प्रकृति में अत्यधिक चक्रीय है। वाणिज्यिक पोत निर्माण उद्योग की संभावनाएं विश्व व्यापार और तेल, प्राकृतिक गैस, शिप्पिंग, परिवहन और अन्य व्यापार से संबंधित उद्योगों की चक्रीयता पर निर्भर है। उद्योग की अंतर्निहित प्रकृति के कारण यार्ड तटीय क्षेत्रों में स्थित होने के कारण जलवायु परिस्थितियों में बदलाव और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के स्तर में वृद्धि से प्रभावित हो सकता है।

59. कंपनी की गतिविधियों के प्रमुख हिस्से में बडी इस्पात संरचनाओं का निर्माण और नवीनीकरण शामिल हैं और इसके निर्माण में क्रेन और अन्य भारी मशीनरी और अन्य ऑपरेटिंग खतरों का संचालन होगा। कंपनी के सामने आनेवाले परिचालनगत जोखिमों के कारण आग और विस्फोट आदि भी हो सकते हैं। हालांकि इस तरह की घटनाओं के कारण होनेवाले नुकसान को एक मानक आग और विशेष खतरों नीति के तहत शामिल किया जाता है, लेकिन सीएसएल के पास व्यापार रुकावट के लिए बीमा नहीं है। ये जोखिम कंपनी को व्यक्तिगत चोट, गलत तरीके से मौत, उत्पाद, दायित्व, संपत्ति की क्षति, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय नुकसानों के लिए पर्याप्त देयता को उजागर करवा सकते हैं।

60. कंपनी के लिए एक और उच्च जोखिम वाला क्षेत्र प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता और कीमत है। प्रमुख कच्चे माल में स्टील (ग्रेड और गुणवत्ता, प्रत्येक परियोजना में, लागी वर्गीकरण नियमों पर निर्भर करता है) और अन्य सामग्री, उपकरण और अन्य घटक जैसे पंप, प्रोपलर और इंजन शामिल है। वित्तीय वर्ष क्रमशः 2023, 2024 और 2025 में कंपनी की समाग्री की खपत की लागत कुल लागत का क्रमशः 51.29%, 56.87% और 52.50% थी। विशेष रूप से खरीदे गए घट कों को इन हाल ही के वित्तीय वर्षों में हमारे कुल कच्चे माल की लागत का लगभग 91.41% हिस्सा है।

61. कच्चे माल की आपूर्ति में कमी के कारण इन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए, भारत में स्टील के संबंध में आपूर्ति-पक्ष की बाधाएं हैं जिन्हें हम भविष्य में जारी रखने की उम्मीद करते हैं। भारतीय स्टील उद्योग विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रहा है इसलिए कि भारत सरकार ने देशी स्टील उद्योग की रक्षा के लिए चीन जैसे अन्य राज्यों से स्टील के आयात पर महत्वपूर्ण शुल्क लगाया है। इससे प्रापण की लागत में वृद्धि करके सीएसएल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक कच्चे सामग्रियों जैसे कि स्टील, अलुमीनियम, कॉपर आदि के लागत, वैश्विक आपूर्ति और मांग में किसी भी बदलाव के साथ-साथ उतार-चढाव आ सकती है और इस प्रकार सामग्री की लागत को प्रभावित कर रहा है।

62. यदि कंपनी की कच्ची सामग्रियों की कीमत में वृद्धि हुई है, तो, कंपनी अपने मौजूदा ठेके में अपने ग्राहकों को इन मूल्यों में वृद्धि नहीं कर पाएगी और अपने व्यापार, वित्तीय स्थिति और प्रचालनों का परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

63. मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन हमारे परिचालन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक रूप से, दुनिया भर में सभी पोत बिक्री लेनदेन और अपतटीय संरचनाओं की खरीद का एक बडा हिस्सा आम तौर पर यूएसडी और यूरो में आयोजित किया जाता है। इस जोखिम को कम करने हेतु कंपनी निर्यात प्राप्तियों पर शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का बचाव करती है। हालांकि, पोत निर्माण/ पोत मरम्मत अनुबंध के संदर्भ में आयात घटकों के मामले में रुपए में मूल्यवर्ग में गिरावट दर्ज की गई है, सीएसएल विनिमय दर में उतार-चढाव के जोखिम से अवगत कराया जाता है जब तक कि पोत के मालिक के साथ अनुबंध विनिमय भिन्नता प्रतिपूर्ति खंड के लिए प्रदान नहीं करता है। वर्तमान में पोत निर्माण के कुछ अनुबंधों में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसलिए, मुद्रा दरों में प्रतिकूल उतार-चढाव हमारे संचालन के परिणामों को प्रभावित और प्रवृत्त करेगा।

उत्पाद विविधीकरण

64. सीएसएल उभरती प्रौद्योगिकियों और स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए उत्पाद विविधीकरण के प्रयास कर रही है। भाग के रूप में, सीएसएल ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का समर्थन करते हुए, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सहायता से भारतीय भागीदारों के साथ मिलकर भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन जलयान का डिज़ाइन और निर्माण किया। कंपनी कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों का भी निर्माण कर रही है, जिनमें से 19 की आपूर्ति हो चुकी है, और आईडब्ल्यूएआई के लिए 8 समान जलयानों का निर्माण कर रही है, जिनमें से 2 की आपूर्ति हो चुकी है। सीएसएल ने यूरोप में अपतटीय पवन फार्म समर्थन के लिए एक हाइब्रिड सेवा प्रचालन पोत के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर प्राप्त किया है, जहाँ स्थायी ऊर्जा समाधानों की अत्यधिक मांग है। स्वायत्त क्षेत्र में, सीएसएल उभरते समुद्री क्षेत्र में क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 'स्वयत' स्वायत्त सतही पोत और एक उच्च क्षमता वाला स्वायत्त जलगत वाहन विकसित कर रहा है। इसके अलावा, सीएसएल के स्टार्ट-अप एंगेजमेंट फ्रेमवर्क 'यूएसएचयूएस' के माध्यम से, जिसे शुरुआती 50 करोड़ रुपए की राशि से लॉन्च किया गया है, कंपनी का लक्ष्य समुद्री स्टार्ट-अप्स को समर्थन प्रदान करना है। अब तक, डीपटेक, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण-सामग्री जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे 11 स्टार्ट-अप्स को 5.1 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह फ्रेमवर्क वित्तीय, तकनीकी और परामर्श सहायता प्रदान करता है, जिसमें भारतीय प्रबंधन संस्थान कोषिकोड लाइव (आईआईएमके लाइव) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम) चयन, निगरानी और हितधारक समन्वय के लिए समीक्षा और अनुशंसा अभिकरणों के रूप में कार्य करते हैं।

आंतरिक नियंत्रण

65. कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ मौजूद हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य सनदी लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा किया जाता है जो एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता वाली बोर्ड स्तरीय लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षा कार्यक्रम के आधार पर महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की गहन समीक्षा करता है।

मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध

66. मानव संसाधन विकास और औद्योगिक संबंध से संबंधित विवरण को अधिक विशेष रूप से निदेशकों की रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

स्त्री सशक्तिकरण

67. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने कार्य स्थान पर महिलाओं के यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच अधिनियम) नामक नए कानून के तहत निर्धारित दिशा निदेशों और मानकों के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्षता कंपनी की एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक है। श्रमिकों के लिए लागू प्रमाणित स्थायी आदेश में यौन उत्पीडन एक दुराचार अधिनियम के रूप में शामिल है। आंतरिक शिकायत समिति को प्रमाणित स्थायी आदेश और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियमों और नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऐशी शिकायतों की जांच करने का अधिकार है।

68. सीएसएल ने 9 से 13 दिसंबर, 2024 तक 'यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह 2024' मनाया है, जिसमें सीएसएल की सभी महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इस सप्ताह के दौरान बाहरी संकाय द्वारा पोश अधिनियम पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन, सभी सीएसएल कर्मचारियों के लिए निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी और पोस्टर डिज़ाइन जैसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी।

69. सीएसएल की महिला सशक्तिकरण पहल में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है शिशु देखभाल अवकाश (सीसीएल) की शुरुआत है। आश्रित दिव्यांग बच्चों (40% या उससे अधिक दिव्यांगता) वाली महिला कर्मचारी बिना किसी आयु सीमा के 730 दिनों तक की सीसीएल के लिए पात्र हैं। नाबालिग आश्रित बच्चों (18 वर्ष तक) वाले एकल अभिभावक (पुरुष या महिला) भी परीक्षा या बीमारी जैसे उद्देश्यों के लिए सीसीएल के लिए पात्र हैं।

70. सीएसएल ने अपने कर्मचारियों की महिला जीवनसाथियों के लिए समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच कार्यक्रम के तहत कैंसर का शीघ्र पता लगाने की जाँच (ईसीडीएस) आयोजित की है। इसके अलावा, सीएसएल महिला समुदाय को सुरक्षित और रक्षात्मक ड्राइविंग, उनके वाहन की कार्यप्रणाली, बुनियादी वाहन रखरखाव, आपात स्थिति में यांत्रिक समस्याओं से निपटने आदि के बारे में शिक्षित करने के लिए, सभी स्थायी महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग बैचों में 'अपने वाहन को जानें' नामक एक व्यावहारिक कार्यशाला आयोजित की गई।.

71. सीएसएल ने दिनांक 12 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य रूप से मनाया। एक पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि द्वारा उद्घाटन सत्र और उसके बाद 'पेरेंटिंग' पर एक जागरूकता सत्र शामिल था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव के एक भाग के रूप में सीएसएल महिला कर्मचारियों की प्रतिभाओं का भी प्रदर्शन किया गया।

72. इसके अलावा, कंपनी संयुक्त परिषद, शॉप परिषद, केंद्रीय सुरक्षा परिषद, शॉप सुरक्षा परिषद, कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट, कोचीन शिपयार्ड मनोरंजन क्लब, कोचीन शिपयार्ड उपभोक्ता सोसायटी, कोचीन शिपयार्ड अधिकारी कल्याण केंद्र आदि सहित विभिन्न मंचों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करती है।

सार्वजनिक प्रापण नीति 2012 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)

73. सीएसएल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसई) से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कंपनी ने एमएसई से 59.6%, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से 0.61% और महिला उद्यमियों से 4.72% की कुल स्वदेशी खरीद हासिल की है, जबकि समझौता ज्ञापन में क्रमशः 25%, 4% और 3% का लक्ष्य रखा गया था। सीएसएल वर्ष के दौरान 25 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और 100 महिला उद्यमियों को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने में सफल रहा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसई की भागीदारी बढ़ाने के प्रयास जारी हैं, ताकि क्रमशः 4% और 3% के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

74. वर्ष 2024-25 के दौरान, सीएसएल ने एमएसएमई डीएफओ, त्रिश्शूर, राष्ट्रीय लघु उद्योग (एनएसआईसी), कोच्ची और एयरोस्पेस इंडस्ट्री डेवलपमेंट एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु (एआईडीएटी), तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीआईडीसीओ), तमिलनाडु के एमएसएमई को सुविधा प्रदान करने वाले (एफएएमईटीएन), इंडिया बोट एंड मराइन शो (आईबीएमएस), कोच्ची आदि अभिकरणों के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं सहित एमएसई के लिए विभिन्न विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) आयोजित किए हैं। उपरोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान विभिन्न एमएसएमई के लिए 'सीएसएल के एक्सपोजर दौरे' आयोजित किए गए। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान आयोजित और भागीदारी वाले ऐसे कार्यक्रमों का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) केरल के वीडीपी और बी2बी बैठकें, एमएसएमई डीएफओ, त्रिश्शूर के सहयोग से दिनांक 04 दिसंबर, 2024 को त्रिश्शूर में आयोजित की गईं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों सहित 350 से अधिक एमएसएमई ने वीडीपी सत्र में भाग लिया, सीएसएल प्रदर्शनी स्टॉल का दौरा किया और पोत निर्माण, पोत मरम्मत और सीएसएल की अन्य सामान्य आवश्यकताओं में व्यावसायिक संभावनाओं पर सीएसएल अधिकारियों के साथ बातचीत की।

(ii) दिनांक 18 जनवरी, 2025 को एआईडीएटी और टीआईडीसीओ, चेन्नई के सहयोग से होटल रेडिसन ब्लू, कोयंबत्तूर में विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) और बी2बी बैठकें आयोजित की गईं। यह आयोजन एयरोस्पेस/रक्षा क्षेत्र में सुस्थापित संभावित एमएसएमई विक्रेताओं के साथ बातचीत को सुगम बना सकता है जो समुद्री उत्पादों/सेवाओं में भी अवसरों की तलाश कर रहे हैं। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों सहित लगभग 90 एमएसएमई ने भाग लिया।

(iii) सीएसएल ने एफएएमईटीएन, चेन्नई द्वारा तमिलनाडु के एमएसएमई के लिए आयोजित 'समुद्री उत्पादों और सेवाओं' के लिए विशेष वीडीपी में विक्रेता विकास और जागरूकता कार्यक्रम पर एक सत्र आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय पोत निर्माताओं और पोत मरम्मतकर्ताओं के साथ अवसरों पर केंद्रित था। दिनांक 31 जनवरी, 2025 को कोयंबत्तूर में आयोजित इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग सहित लगभग 85 एमएसएमई ने भाग लिया। भारत के सभी सरकारी/रक्षा शिपयार्डों के साथ-साथ कुछ निजी शिपयार्डों ने वीडीपी में भाग लिया और यह समकक्ष उद्योगों द्वारा अपनाई जा रही अच्छी प्रथाओं को समझने का एक अवसर था।

(iv) सीएसएल ने दिनांक 3 मई, 2024 को तिरुप्पुर लघु उद्योग समूह और दिनांक 21 मई, 2024 को तिरुच्चिरापल्ली इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी समूह (ट्रीट) जैसे औद्योगिक संघों के लिए यार्ड का प्रदर्शन दौरा आयोजित किया गया, ताकि सीएसएल के पोत निर्माण और मरम्मत गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री/सेवाओं की प्रकृति से परिचित कराया जा सके। तिरुप्पुर और त्रिची समूहों के दौरों के माध्यम से, सीएसएल लगभग 15-20 एमएसई के साथ बातचीत कर सका। बाद की चर्चाओं और निविदा प्रक्रिया के बाद, सीएसएल आउटसोर्सिंग सेल ट्रीट, त्रिची को ए-फ्रेम निर्माण के लिए कार्य आदेश भी दे सका।

(v) मुवाट्टुपुषा तालुक अनुसूचित जाति श्रम संविदा सहकारी समिति के लिए दिनांक 07 अक्तूबर, 2024 को एक और प्रदर्शन दौरा/परिचितीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया ताकि समिति के सदस्य पोत निर्माण/पोत मरम्मत हेतु श्रम आवश्यकताओं के व्यावहारिक पहलुओं को समझ सकें। इसके बाद, पोत निर्माण प्रभाग के माध्यम से वेल्डिंग और ग्राइंडिंग कार्य में उनके सदस्यों के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

(vi) वीडीपी और एक्सपोजर विजिट के परिणामस्वरूप, तमिलनाडु के साथ-साथ केरल के कई आपूर्तिकर्ताओं ने सीएसएल जीईएम निविदाओं में भाग लेना शुरू कर दिया है और केरल के लगभग 49 एमएसई और तमिलनाडु के 18 एमएसई ने सीएसएल के साथ स्थायी आपूर्तिकर्ताओं के रूप में नामांकन कराया है।

75. अन्य पहलों में विक्रेताओं के लिए लाभकारी एमएसएमई से संबंधित जानकारी के साथ सीएसएल वेबसाइट का समय-समय पर अद्यतनीकरण, एमएसएमई मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार 'एमएसएमई संबंध' और 'एमएसएमई समाधान' पोर्टलों पर खरीद डेटा, भुगतान डेटा और अन्य प्रासंगिक जानकारी को नियमित रूप से अपलोड करना आदि शामिल हैं। सीएसएल टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दे रहा है और लगभग 300 एमएसएमई विक्रेता पहले ही टीआरईडीएस पोर्टल से जुड़ चुके हैं और कुछ इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

अन्य सूचना

76. कंपनी की सीएसआर गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण पहलों, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन प्रयासों, अक्षय ऊर्जा में प्रवेश, विदेशी मुद्रा संरक्षण आदि के बारे में विवरण निदेशकों की रिपोर्ट और उसके अनुलग्नक में प्रदान किए गए हैं।

सचेतक विवरण

77. इस प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्य, प्रत्याशा, अभिधारणा अथवा भविष्यवाणी का वर्णन करते हुए विवरण लागू कानून विनियमों के आशय के अंदर अग्रवर्ती विवरण हो जाएं। वास्तविक परिणाम अभिव्यक्त या विवक्षित उन परिणामों से प्रस्तुत भिन्न हो सकता है- मांग/ पूर्ति, देशी और अंतर्देशीय बाजार में मूल्य स्थितियों, सरकारी नीतियों और विनिमय, संविधियों पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक स्थितियां एवं अन्य आनुषंगिक घटकें शामिल हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

मधु शंकुण्णी नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07376798

कोच्ची
मई 15, 2025

व्यापार उत्तरदायित्व और धारणीयता रिपोर्ट

भाग क : सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1	सूचीबद्ध इकाई का कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L63032KL1972GOI002414
2	सूचीबद्ध इकाई का नाम	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	निगमन की तिथि	1972
4	पंजीकृत कार्यालय पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची – 682015 केरल, भारत
5	कॉर्पोरेट पता	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर, पेरूमानूर, कोच्ची – 682015 केरल, भारत
6	ई-मेल	secretary@cochinshipyard.in
7	दूरभाष	+91 484 2501306
8	वेबसाइट	www.cochinshipyard.in
9	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	अप्रैल 01, 2024 से मार्च 31, 2025
10	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
11	प्रदत्त पूंजी	₹1,31,54,03,900
12	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (दूरभाष, ई-मेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है	श्यामकमल एन दूरभाष : +91 484 2501306 ईमेलः secretary@cochinshipyard.in
13	रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के तहत खुलासे स्टैंडअलॉन आधार पर किए गए हैं (यानी केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (यानी इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ लिया गया है)	स्टैंडअलॉन
14	मूल्यांकन या आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं*
15	प्राप्त मूल्यांकन या आश्वासन का प्रकार	लागू नहीं*

* मौजूदा विनियमों के अनुसार अनिवार्य नहीं है।

II. उत्पाद /सेवाएं

16. व्यापार गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90% हिस्सा है)

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यापार गतिविधि का विवरण	इकाई का कुल कारोबार का %
1.	निर्माण	पोत निर्माण	58.82
2.	सेवा	पोत मरम्मत	41.18

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद / सेवाएं (इकाई के कुल कारोबार का 90% हिस्सा):

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	योगदान दिए कुल कारोबार का %
1.	पोत निर्माण	301	58.82
2.	पोत मरम्मत	331	41.18

III. प्रचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या प्रचालन / कार्यालय स्थित हैं :

क्र.सं.	स्थान	संयंत्रों की संख्या	कार्यालयों की सं.	कुल
1	राष्ट्रीय	5	0	5
2	अंतर्राष्ट्रीय	0	0	0

19. इकाई द्वारा प्रदत्त बाज़ार :

क. स्थानों की सं.

क्र.सं.	स्थान	संख्या
1	राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)[1]	11
2	अंतर्राष्ट्रीय (देशों की सं.)[2]	10

[1] पोत निर्माण / पोत मरम्मत के हमारे व्यवसाय की अंतर्निहित प्रकृति के कारण, कंपनी आम तौर पर देश के तटीय राज्यों और राष्ट्रीय जलमार्गवाले राज्यों के साथ-साथ देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करती है।

[2] कंपनी ने दुनिया भर में नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी, डेनमार्क/बहामास, साउदी अरब और यूएई लाइबेरिया और यू के में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का प्रतिशत के रूप में योगदान क्या है ?

11.80%

ग. विविध प्रकार के ग्राहकों पर एक संक्षिप्त जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) देशीय और अंतर्राष्ट्रीय पोत निर्माण बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी है। देशीय मोर्चे पर हमारे प्रमुख पोत निर्माण ग्राहकों में भारतीय नौसेना, गृह मंत्रालय, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विभिन्न पत्तन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और अंडमान और निकोबार प्रशासन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर सीएसएल ने नॉर्वे, नेथरलैंड, साइप्रस, अमेरिका, जर्मनी डेनमार्क/बहामास, सउदी अरब और यूएई में कुछ सबसे अधिक मांगवाले ग्राहकों को 47 जलयानों का निर्यात किया है। सीएसएल ने तेल अन्वेषण उद्योग के पोतों के उन्नयन के साथ-साथ पोतों के आवधिक रखरखाव, मरम्मत और जीवन विस्तार सहित विभिन्न प्रकार के पोतों की मरम्मत का कार्य भी किया है।

IV. कर्मचारीगण

20. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण :

क. कर्मचारी और कामगार (दिव्यांगों सहित):

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
	कर्मचारीगण					
1	स्थायी (घ)	695	605	87.05	90	12.95
2	स्थायी के अलावा (ड.)	199	152	76.38	47	23.62
3	**कुल कर्मचारीगण (घ + ड.)**	**894**	**757**	**84.68**	**137**	**15.32**
	कामगार					
4	स्थायी (च)	1445	1317	91.14	128	8.86
5	स्थायी के अलावा (छ)	1202	1153	95.92	49	4.08
6	**कुल कामगार (च + छ)**	**2647**	**2470**	**93.31**	**177**	**6.69**

ख. दिव्यांग कर्मचारी और कामगार:

क्र.सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं.(ख)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)
	दिव्यांग कर्मचारीगण					
1	स्थायी (घ)	12	11	91.67	1	8.33
2	स्थायी के अलावा (ड.)	0	0	0.00	0	0.00
3	**कुल दिव्यांग कर्मचारीगण (घ + ड.)**	**12**	**11**	**91.67**	**1**	**8.33**
	दिव्यांग कामगार					
4	स्थायी (च)	38	34	89.47	4	10.53
5	स्थायी के अलावा (छ)	8	8	100.00	0	0.00
6	**कुल दिव्यांग कामगार (च + छ)**	**46**	**42**	**91.30**	**4**	**8.70**

21. महिलाओं की भागीदारी / समावेश / प्रतिनिधित्व :

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
		सं. (ख)	%(ख/क)
निदेशक मंडल *	12	1	8.33
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5	0	0

* उपरोक्त तालिका में दिया गया आँकड़ा सीएसएल के बोर्ड की स्वीकृत संख्या है, जो दिनांक 1 मई, 2025 तक उपलब्ध थी। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक, बोर्ड में 6 निदेशक थे, जिनमें से सभी पुरुष थे। बोर्ड की संरचना और उसमें हुए परिवर्तनों का पूरा विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

22. स्थायी कर्मचारियों और कामगारों के लिए कुल कारोबार दर :

(पिछले 3 वर्षों के रुझानों का खुलासा करें)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार दर)			वित्तीय वर्ष 2024 (पूर्व वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार दर)			वित्तीय वर्ष 2023 (पिछले तीन वर्ष से पहले के वर्ष में कुल कारोबार दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	4.13	1.18	3.75	5.63	2.65	5.27	5.78	4.00	5.56
स्थायी कामगार	0.90	3.83	1.16	1.27	0.78	1.22	2.09	1.83	2.06

V. नियंत्रक, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. क. नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियां/ संयुक्त उद्यमों का नाम

क्र.सं.	नियंत्रक/सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या यह नियंत्रक/सहायक/ सहयोगी/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा संभाले गए शेयरों का %	क्या कॉलम क में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यापार उत्तरदायित्व पहल में भाग लेती है? (जी हां/जी नहीं)
1.	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं
2.	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक	100	जी नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. i. क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है : **जी हां**

ii. कुल कारोबार (रु.में) : **4,527.84 करोड़**

iii. निवल मूल्य (रु.में) : **5,610.65 करोड़**

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यापार आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायत

हितधारक समूह जिनसे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब लिंक प्रदान करें)	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (पिछले वित्तीय वर्ष)		
		वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की सं.	वर्ष के अंत में समाधान हेतु लंबित शिकायतों की सं.	अभ्युक्तियां
समुदाय	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	8	0	-	14	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0	-	0	0	-
शेयरधारक	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	35	0	-	17	2	-
कर्मचारी एवं कामगार	जी हां, सीएसएल इंट्रानेट	0	0	।	0	0	।
ग्राहक	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0	-	0	0	-
मूल्य श्रृंखला भागीदार	जी हां, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	2	1	पर्याप्त विवरण/ समर्थन दस्तावेजों के बिना की गई शिकायत।	0	0	-

* इस रिपोर्ट के सिद्धांत 5 के अंतर्गत आवश्यक संकेतकों की क्रम संख्या 6 के अंतर्गत शामिल शिकायत को छोड़कर।

26. इकाई के महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यापार आचरण के मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरण और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यापार आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यापार के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, इसकी पहचान करने के लिए तर्क, जोखिम को अनुकूलित करने या कम करने के दृष्टिकोण के साथ -साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बताएं।

क्र.सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
1	जलवायु परिवर्तन	जोखिम	सीएसएल द्वारा शुरू की गई अधिकांश पोत निर्माण परियोजनाएं जीवाश्म ईंधन से संचालित होती हैं। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बारे में बढती जागरूकता से ऐसे पोतों की मांग कम हो जाएगी और सीएसएल के संचालन पर असर पडेगा।	सीएसएल ने हरित नौवहन पहल शुरू की है। सीएसएल ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामारन जलयान पहले ही निर्मित और वितरित कर दिया हैं। इसके अलावा, सीएसएल ने नॉर्वे के एएसकेओ मैरीटाइम एएस के लिए 2 स्वायत्त विद्युत जलयान भी निर्मित और वितरित किए हैं। 67 मीटर लंबे इन जलयानों को 1846 किलोवाट घंटे क्षमता वाली बैटरी द्वारा संचालित पूर्ण-विद्युत परिवहन नौकाओं के रूप में वितरित किया गया। सीएसएल ने कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों में से 19 का निर्माण और वितरण किया है, जो अपनी तरह का एक अनूठा, आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल जलयान है। सीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 8 हाइब्रिड विद्युत कैटामारन यात्री जलयानों मे से 2 का निर्माण और वितरण किया है। इसके अलावा, सीएसएल विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए 2 कमीशनिंग सेवा संचालन जलयान, 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर जलयान और 2 हाइब्रिड सेवा संचालन जलयान भी बना रहा है।	नकारात्मक निहितार्थ

क्र.सं.	पहचान की गई प्रत्यक्ष मुद्दे	बताएं कि जोखिम है या अवसर (जो/अ)	जोखिम/अवसर की पहचान के लिए तर्क	जोखिम के मामले में अनुकूलन या कम करने का दृष्टिकोण अपनाएं	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इंगित करें)
2	जलवायु परिवर्तन	अवसर	शून्य उत्सर्जन जलयानों की मांग में वृद्धि	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इस उद्देश्य की दिशा में पहले ही कई उपाय शुरू कर दिए हैं, जिसमें सीएसएल समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए हरित शिपिंग पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इन हरित पहलों के तहत, सीएसएल कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन हल जलयानों का निर्माण कर रहा है। यह परियोजना एक आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल समाधान प्रस्तुत करती है जो शहरी जल परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी और कोच्ची के नागरिकों को निर्बाध परिवहन प्रदान करेगी। इसके अलावा, सीएसएल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लिए 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन यात्री जलयान भी बना रहा है। सीएसएल की हरित पहलों के प्रति प्रतिबद्धता नॉर्वे स्थित एएसकेओ मैरीटाइम एएस को दो स्वायत्त इलेक्ट्रिक जलयानों की आपूर्ति से और भी स्पष्ट होती है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए दो कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन जलयान, दो शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत और दो हाइब्रिड सर्विस प्रचालन जलयान बना रहा है।	सकारात्मक निहितार्थ

भाग ख : प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

नीति और प्रबंधन प्रक्रिया

1. क. क्या आपकी इकाई की नीति एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों को शामिल करती है। (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

नीतियों को बोर्ड/संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों के अनुसार अनुमोदित किया गया है।

ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68								

2. क्या इकाई ने नीति को प्रक्रियाओं में अनुवादित किया है। (जी हां / जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? जी हां/जी नहीं)

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	जी हां	-	जी हां	जी हां

4. आपकी इकाई द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों (उदाहरण के लिए फॉरसेट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रूस्टिया) मानकों (जैसे एसए 8000, ओएचएसएएस, आईएसओ, बीआईएस) का नाम और प्रत्येक सिद्धांत से मैप किया गया।

पी1	सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) के लिए आईएसओ/आईईसी 27001:2022 मानक, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आदर्श व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता, आचरण अनुशासन और अपील नियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग दिशानिर्देश और नियमावली।
पी2	आईएसओ 9001:2005 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक।
पी3	आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक, कर्मचारी कल्याण और कौशल विकास उपाय जैसा कि निदेशकों की रिपोर्ट में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।
पी4	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण पर भारत सरकार के निदेश। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशकों की रिपोर्ट देखें।
पी5	सीएसएल मानवाधिकारों के संबंध में सभी लागू राष्ट्रीय कानूनों, सिद्धांतों और मानदंडों के साथ जुडा हुआ है। मानवाधिकारों के प्रति सीएसएल की प्रतिबद्धता बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण एवं आचार संहिता में शामिल है, जो मानवाधिकार सिद्धांतों के पालन को स्पष्ट रूप से संबोधित करती है।
पी6	आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली।
पी7	लागू नहीं।
पी8	सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं का उद्देश्य देश भर में निम्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के समुदायों को लाभान्वित करना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न सीएसआर अनुभाग देखें।
पी9	आईएसओ 9001: 2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक।

5. इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और निर्धारित समय-सीमा के साथ लक्ष्य, यदि कोई हो।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9

सीएसएल लगभग 14 मेगावाट की कुल क्षमता वाले एक पवन-सौर हाइब्रिड पावर प्लांट को लागू करके और चरणबद्ध तरीके से सीएसएल के अंदर रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को 1.8 मेगावाट से बढ़ाकर 4 मेगावाट तक विस्तारित करके पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर काम करने की योजना बना रहा है।

पवन-सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र का कार्यान्वयन वर्तमान में भूमि अधिग्रहण पर निर्भर है, जो प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण स्वाभाविक रूप से समय लेने वाला है। परिणामस्वरूप, वर्तमान में परियोजना के पूरा होने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, सीएसएल के अंदर रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों का उपरोक्त विस्तार 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है।

इन पहलों से सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो सीएसएल की वर्तमान औसत वार्षिक ऊर्जा खपत से अधिक है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके, सीएसएल का लक्ष्य अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को कम करना है, जिससे स्थायी ऊर्जा प्रथाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। यह रणनीति सीएसएल के कार्बन फुटप्रिंट को उल्लेखनीय रूप से कम करेगी और एक स्थायी भविष्य की दिशा में और अधिक योगदान देगी।

6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन और उन्हें पूरा न होने की स्थिति में कारण भी बताएं।

पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9

कंपनी ने एक पवन-सौर हाइब्रिड विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। हालाँकि इस परियोजना को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन उपयुक्त भूमि अधिग्रहण पर निर्भर है। चूँकि प्रक्रियागत और नियामक जटिलताओं के कारण भूमि अधिग्रहण आमतौर पर एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, इसलिए वर्तमान में परियोजना के पूरा होने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

शासन, नत्तृत्व और निरीक्षण

7. व्यापार उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक का वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उव्यलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है

सीएसएल उद्योग के सामने आने वाली पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ईएसजी) चुनौतियों का समाधान करने और 2070 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक सीपीएसयू के रूप में, सीएसएल ने सतत विकास में योगदान देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

सीएसएल विभिन्न पहलों के माध्यम से संधारणीय समुद्री समाधानों को आगे बढ़ा रहा है। हमने भारत का पहला हाइड्रोजन-ईंधन वाला विद्युत पोत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) को दिया है और अब तक कोच्ची जल मेट्रो परियोजना के लिए 23 हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों में से 19 वितरित किए हैं। इसके अतिरिक्त, हमने नॉर्वे को दो स्वायत्त विद्युत पोत वितरित किए हैं और वर्तमान में यूरोपीय ग्राहकों के लिए जलयानों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल, जीरो एमिशन फीडर कंटेनर वेसल और हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल शामिल हैं। इसके अलावा, हम आईडब्ल्यूएआई के लिए आठ हाइब्रिड विद्युत कैटामारन हल जलयानों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें से दो पहले ही वितरित किए जा चुके हैं। इन सभी जलयानों को विद्युत प्रणोदन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उनका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, सीएसएल लगभग 14 मेगावाट की कुल क्षमता वाला पवन-सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्र स्थापित कर रहा है। यह परियोजना हमारी वर्तमान औसत वार्षिक खपत से अधिक हरित ऊर्जा उत्पन्न करेगी, जिससे सीएसएल पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने में सक्षम होगी और हमारे कार्बन पदचिह्न को काफी कम करेगी।

ये प्रयास टिकाऊ प्रथाओं के प्रति सीएसएल के समर्पण और समुद्री उद्योग के हरित परिवर्तन को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका को दर्शाते हैं।

8. व्यापार उत्तरदायित्व नीति के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।

श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएनः 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

9. क्या इकाई के पास स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हां / नहीं). यदि हां, तो विवरण प्रदान करें।

जी हां, श्री मधु शंकुण्णी नायर (डीआईएन : 07376798), अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक स्थिरता संबंधी मुद्दों के संबंध में निर्णय लेनेवाले प्राधिकारी हैं।

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण

विवरण	नियम	उपर्युक्त नीतियों के अनुसार कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार
बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी	पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9	आईएसओ प्रमाणपत्रों की समीक्षा बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है। इसकी समीक्षा संबंधित कार्यात्मक निदेशक द्वारा की जाती है। अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण संबंधी भारत सरकार के निर्देशों की समीक्षा सीएसएल के मानव संसाधन विभाग द्वारा प्रत्येक भर्ती के समय की जाती है, जिसकी देखरेख सीएसएल के मानव संसाधन कार्यों के प्रभारी निदेशक द्वारा की जाती है।	सीएसएल लागू मौजूदा विनियमों का अनुपालन करता है।

विवरण	नियम	उपर्युक्त नीतियों के अनुसार कार्य निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	सिद्धांतों से संबंधित सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन और किसी भी गैर-अनुपालन का सुधार
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ तिमाही/ कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	पी1 पी2 पी3 पी4 पी5 पी6 पी7 पी8 पी9	बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आदर्श व्यापार आचार संहिता और नैतिकता का अनुपालन प्रतिवर्ष किया जाता है। मानव संसाधन विभाग द्वारा आचरण अनुशासन और अपील नियमों के अनुरूप कार्य निष्पादन की निरंतर निगरानी की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों और नियमावली के अनुरूप कार्य निष्पादन की समीक्षा मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है। सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं और गतिविधियों की निगरानी के लिए एक अलग बोर्ड स्तरीय समिति है। सीएसएल के सीएसआर प्रदर्शन पर सीएसआर समिति और निदेशक मंडल द्वारा तिमाही आधार पर विचार किया जाता है।	निदेशक मंडल को तिमाही आधार पर सीएमडी एवं निदेशक (वित्त) द्वारा लागू कानूनों पर एक सांविधिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है।

11. क्या इकाई ने किसी बाहरी अभिकरण द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन कराया है ? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो अभिकरण का नाम बताएं।

पी 1	जी हां, सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा नियुक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी की अध्यक्षता वाले सतर्कता विभाग द्वारा किया जाता है।
पी 2	जी हां, आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों का मूल्यांकन डीएनवी-जीएल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 3	जी हां, आईएसओ 45001 : 2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक का मूल्यांकन डीएनवी-जीसल द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 4	सीएसएल, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुसूचित जाति (अ.जा.)/अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) और दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरक्षण संबंधी राष्ट्रपति के निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। हालाँकि, किसी भी बाहरी एजेंसी ने इसका स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन नहीं किया है।
पी 5	सीएसएल मानवाधिकारों से संबंधित सभी लागू राष्ट्रीय कानूनों, सिद्धांतों और मानदंडों का अनुपालन करता है। हालाँकि, किसी भी बाहरी एजेंसी ने इसका स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन नहीं किया है।
पी 6	जी हां, आईएसओ 14001:2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानका का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।
पी 7	लागू नहीं।
पी 8	जी हां, सीएसएल की सीएसआर परियोजनाओं की लेखापरीक्षा कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के साथ-साथ भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाता है।
पी 9	जी हां, आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001 : 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानकों का मूल्यांकन डीएनवी द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है।

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर नहीं है अर्थात् सभी सिद्धांत किसी नीति में शामिल नहीं है, तो कारण बताया जाना चाहिए :

सिद्धांत 7 को लागू नहीं माना जाता है क्योंकि कंपनी ने ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लिया है जो सार्वजनिक और सरकारी नीतियों को प्रभावित करती हो।

प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
संस्था सिद्धांतों को अपने व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानती (हाँ/नहीं)	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	जी नहीं	जी नहीं
संस्था उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो (हाँ/नहीं)	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी हां	जी नहीं	जी नहीं
संस्था के पास इस कार्य के लिए वित्तीय या/और मानव एवं तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं (हाँ/नहीं)	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है (हाँ/नहीं)	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं	जी नहीं

भाग-ग : सिद्धांतवार प्रदर्शन प्रकटीकरण

सिद्धांत 1

व्यापारों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और शासन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज :

खंड	आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों की कुल सं.	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर की गई संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिशत
निदेशक मंडल	7	सिद्धांत 1 [1 to 6] और सिद्धांत [9]	41.66
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक।	1	सिद्धांत 1 [5] सिद्धांत 3 [7] और सिद्धांत 5 [8]	100.00
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	1	सिद्धांत 1 [5] और सिद्धांत 5 [8]	100.00
कामगार	1	सिद्धांत 1 [5] और सिद्धांत 5 [8]	100.00

*दोहराव से बचने के लिए केवल कंपनी सचिव को ही प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (के एमपी) में शामिल किया गया है, क्योंकि शेष केएमपी अर्थात अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण पहले से ही निदेशक मंडल में शामिल है।

1. सिद्धांत 1 - 'जीएसटी के अंतर्गत मूल्यांकन, न्यायनिर्णयन और अपील', दिनांक 04 मई, 2024 को कोच्ची में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम जीएसटी ढांचे के अंतर्गत नियामक अनुपालन और विवाद समाधान की समझ में सुधार, पारदर्शिता, नैतिक शासन और वित्तीय प्रथाओं में जवाबदेही को मजबूत करने पर केंद्रित था।
2. सिद्धांत 1 - लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 13 और 14 जून, 2024 को लेह में आयोजित 'कार्यात्मक निदेशक की क्षमता निर्माण'। कार्यक्रम का उद्देश्य शासन और नैतिक जिम्मेदारियों की बेहतर समझ प्रदान करना, बोर्ड-स्तरीय निगरानी को बढ़ाना और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के साथ संरेखण प्रदान करना था।
3. सिद्धांत 1 - 'कार्यात्मक निदेशक की क्षमता निर्माण' कार्यक्रम दिनांक 02 और 03 सितंबर, 2024 को कोच्ची में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का ध्यान शासन और नैतिक जिम्मेदारियों की बेहतर समझ प्रदान करने, बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण को बढ़ाने और जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के साथ संरेखण पर केंद्रित था।
4. सिद्धांत 1 - भारत सरकार के निगमित मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय निगमित मामलों के संस्थान द्वारा संचालित 'निदेशक प्रमाणन मास्टर क्लास कार्यक्रम'। यह कार्यक्रम दिनांक 4 से 6 सितंबर, 2024 तक गांगटोक में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में निगमित प्रशासन, नियामक अनुपालन, ईएसजी ज़िम्मेदारियों और स्थायी एवं ज़िम्मेदार व्यापार आचरण को बढ़ावा देने में बोर्ड की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।
5. सिद्धांत 1 - सीएसएल में दिनांक 28 अक्तूबर, 2024 से 3 नवंबर, 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के आयोजन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कर्मचारियों और हितधारकों को पारदर्शिता, भ्रष्टाचार-विरोधी प्रथाओं और उत्तरदायी आचरण के महत्व के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह पहल संगठन के भीतर सतर्कता, जवाबदेही और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देकर एनजीआरबीसी के सिद्धांत 1 का समर्थन करती है।
6. सिद्धांत 1 - 13 फरवरी, 2025 को कोच्ची में सीएसएल द्वारा आयोजित 'अनुकूलित ईएसजी प्रशिक्षण - ईएसजी कार्य समूह'। कार्यक्रम का ध्यान ईएसजी जोखिमों और अवसरों की पहचान, निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए ईएसजी कार्य समूह की क्षमता को मजबूत करने; स्थिरता ढांचे, हितधारक अपेक्षाओं और जिम्मेदार शासन प्रथाओं की समझ में सुधार करने पर केंद्रित था।
7. सिद्धांत 1 और 3 - 'कंपनी में श्रम कानून अनुपालन, ऋण प्रतिभूतियां - एनबीएफसी के लिए ऋण पत्र जारी करने और संसाधन जुटाने में एक अंतर्दृष्टि - व्यावहारिक पहलू' दिनांक 25 मार्च, 2025 को भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का ध्यान श्रम कानून अनुपालन और नैतिक, पारदर्शी ऋण संसाधन जुटाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने, नियामक जोखिम को कम करने और शासन को मजबूत करने पर केंद्रित था।
8. सिद्धांत 5 - कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा अपने कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए 'पोश अधिनियम पर जागरूकता सत्र' आयोजित किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य पोश अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों के अधिकारों, दायित्वों और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना और एक सुरक्षित एवं अधिक सम्मानजनक कार्यस्थल को बढ़ावा देना था।
9. सिद्धांत 6 - 'संसाधन दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता' दिनांक 01 मार्च, 2025 को हैदराबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का ध्यान स्थायी संसाधन प्रबंधन की समझ को बेहतर बनाने पर केंद्रित था।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/ कानून प्रवर्तन अभिकरणों/ न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही (इकाई द्वारा या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान की गई जुर्माना/दंड/कार्य /शमन शुल्क/प्रशमन शुल्क/समाधान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में विवरण

(नोट : इकाई सेवी के आधार पर प्रकटीकरण करेगी जैसा कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियमन 30 में निर्दिष्ट है और जैसा कि इकाई की वेबसाइट पर बताया गया है) :

मुद्रा					
विवरण	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन अभिकरणो/ न्यायिक संस्थानों का नाम**	**राशि (रुपये में)**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)**
जुर्माना/दंड	1	बीएसई	11,800 (जीएसटी सहित)	कंपनी के 8.51% कर-मुक्त, सुरक्षित मोचनीय गैर-परिवर्तनीय बांड पर ब्याज के भुगतान के लिए नवंबर 2021 में निर्धारित रिकॉर्ड तिथि की सूचना देने में एक कार्यदिवस की देरी। कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर जुर्माना अदा कर दिया है।	जी नहीं
		बीएसई और एनएसई	12,59,060 प्रत्येक (जीएसटी @ 18% सहित)	निदेशक मंडल की संरचना और सांविधिक समितियों के गठन के संबंध में गैर-अनुपालन, साथ ही सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमों के तहत संबंधित गैर-अनुपालन*	जी नहीं।
निपटान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
समापक शुल्क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

* नोटः सीएसएल, एक सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है और कंपनी ने एक महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए भारत सरकार को उचित अनुरोध प्रेषित किए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त गैर-अनुपालन न तो कंपनी की लापरवाही/चूक के कारण थे और न ही कंपनी के प्रबंधन के नियंत्रण में थे, लगाए गए जुर्माने की माफी के लिए उचित अनुरोध, जुर्माना माफी की मौजूदा नीति के अनुसार, यथासमय स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएँगे। स्टॉक एक्सचेंजों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माने माफ किए हैं।

गैर-मौद्रिक				
विवरण	**एनजीआरबीसी सिद्धांत**	**नियामक/प्रवर्तन अभिकरणो/न्यायिक संस्थानों का नाम**	**मामले का संक्षिप्त विवरण**	**क्या कोई अपील दायर की गई है? (जी हां/नहीं)**
कैद	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में बताए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर-मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है :

क्र.सं.	मामले का विवरण	नियामक/प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों का नाम
1.	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब-लिंक प्रदान करें।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड का सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय सतर्कता के संबंध में विभिन्न गतिविधियां करता है, दंडात्मक सतर्कता से संबंधित मामलों में जांच करता है और निगरानी एवं पता लगाने की पहल करता है। सतर्कता विभाग सभी खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। महत्वपूर्ण सीवीसी दिशानिर्देशों के सख्त अनुपालन के लिए विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की जाती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित वेब लिंक https://cochinshipyard.in/Vigilance/integrity-pact।

5. ऐसे निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन अभिकरण द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई:

वर्ग	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
निदेशक	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	0	0
कर्मचारीगण	0	0
कामगार	0	0

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	अभ्युक्तियां	संख्या	अभ्युक्तियां
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0	-	0	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या।	0	-	0	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन अभिकरणों/न्यायिक संस्थानों द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

लागू नहीं, क्योंकि हमारे पास निदेशकों और केएमपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार/हितों के टकराव का कोई मामला नहीं है।

8. देय खातों के दिनों की संख्या ((देय खाता *365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या	71	95

9. व्यापार की स्पष्टता

ट्रेडिंग हाउस, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री की एकाग्रता का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम और निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
खरीद का संकेंद्रण	क. कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में ट्रेडिंग हाउस से खरीद	46.79	6.05
	ख. उन ट्रेडिंग हाउसों की संख्या, जिनसे खरीद की गई	10997	8470
	ग. शीर्ष 10 ट्रेडिंग हाउस से खरीद, ट्रेडिंग हाउसों से कुल खरीद के प्रतिशत के रूप में	75.75	50.13
बिक्री का संकेंद्रण	क. डीलरों/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में	शून्य	शून्य
	ख. डीलरों/वितरक की संख्या जिन्हें बिक्री की जाती है	लागू नहीं	लागू नहीं
	ग. डीलरों/वितरक को बिक्री, कुल बिक्री के प्रतिशत के रूप में शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री	लागू नहीं	लागू नहीं
आरपीटी का हिस्सा	क. खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/कुल खरीद)	0.84%	0.68%
	ख. बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/कुल बिक्री)	0.00%	0.00%
	ग. ऋण और अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण और अग्रिम/कुल ऋण और अग्रिम)	42.92%	42.83%
	घ. निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/कुल किया गया निवेश)	99.95%	99.96%

सिद्धांत 2

व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेशों में शामिल है।

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)	पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आरएंडडी	36.86%	68.13%	हरित शिपिंग पहल से उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है।
कैपेक्स	0.18%	0.14%	उल्लेखनीय ऊर्जा बचत हासिल की गई।

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी स्रोत के लिए प्रक्रियाएं हैं?

जी हां

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट टिकाऊ तरीके से प्राप्त किए गए?

100 प्रतिशत

कंपनी स्थायी सोर्सिंग सुनिश्चित करने के लिए विक्रेताओं के चयन के लिए स्वीकृत मानदंडों का पालन कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आईएसओ 9000 प्रमाणन वाले विक्रेता, नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित विक्रेता, निर्माता के विभिन्न अधिकृत डीलर, निर्धारित विनिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सामग्री प्रदान करने की क्षमता, निर्धारित डिलीवरी अवधि के अनुसार सामग्री की आपूर्ति करने की क्षमता शामिल है। औसत प्रदर्शन तय करने के लिए विक्रेता को दिए गए ऑर्डर का वार्षिक मूल्यांकन पूरा किया जाता है। मूल्यांकन की अवधि में उसके औसत प्रदर्शन के आधार पर विक्रेता को अनुमोदित विक्रेता सूची से हटाया/निलंबित किया जाता है। विक्रेता सूची की समीक्षा की जाती है और वर्ष में एक बार उसे अद्यतन किया जाता है।

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें : (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई-कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत मरम्मत का काम करती है। इसके व्यापार की प्रकृति उपभोक्ता वस्तुओं या उपकरणों के उत्पादन से संबंधित नहीं है जो अपने जीवन चक्र के अंत में निर्माता को वापस कर दिए जाते हैं। इसके बजाय, सीएसएल द्वारा निर्मित पोतों का स्वामित्व, प्रचालन और अंततः सेवामुक्ति ग्राहकों द्वारा अधिकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के माध्यम से लागू राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियमों, जिनमें पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पुनर्चक्रण हेतु हांगकांग कन्वेंशन भी शामिल है, के अनुपालन में की जाती है।

इस उद्योग-विशिष्ट संदर्भ को देखते हुए, सीएसएल सुपुर्दगी के बाद अपने उत्पादों का सीधे तौर पर पुनः प्राप्ति या पुनर्चक्रण नहीं करता है, इसलिए, इस प्रकटीकरण के अंतर्गत उत्पाद जीवन-अंत पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाएँ सीएसएल पर लागू नहीं होती हैं।

हालाँकि, अपनी प्रचालन ज़िम्मेदारी के तहत, कंपनी सरकार द्वारा अनुमोदित बाहरी एजेंसियों के माध्यम से निर्माण और मरम्मत गतिविधियों के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का सुरक्षित और अनुपालनपूर्ण निपटान सुनिश्चित करती है।

4. क्या विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व इकाई की गतिविधियों पर लागू है (जी हां / जी नहीं). यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम प्रदान करें।

जी नहीं। विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व सीएसएल पर लागू नहीं है।

सिद्धांत 3

व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की कल्याण हेतु उपायों का विवरण :

श्रेणी	शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(क)	सं.(क)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)	सं.(घ)	%(घ/क)	सं.(ड.)	%(ड./क)	सं.(च)	%(च/क)
स्थायी कर्मचारीगण											
पुरुष	605	605	100.00	605	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	605	100.00	605	100.00
महिला	90	90	100.00	90	100.00	90	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	90	100.00
कुल	**695**	**695**	**100.00**	**695**	**100.00**	**90**	**100.00**	**605**	**100.00**	**695**	**100.00**
स्थायी कर्मचारीगण के अलावा											
पुरुष	152	152	100.00	152	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	152	100.00	152	100.00
महिला	47	47	100.00	47	100.00	47	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	47	100.00
कुल	**199**	**199**	**100.00**	**199**	**100.00**	**47**	**100.00**	**152**	**100.00**	**199**	**100.00**

ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण :

श्रेणी	शामिल कर्मचारियों का प्रतिशत %										
	कुल	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
	(क)	सं.(क)	%(ख/क)	सं.(ग)	%(ग/क)	सं.(घ)	%(घ/क)	सं.(ड.)	%(ड./क)	सं.(च)	%(च/क)
स्थायी कामगार											
पुरुष	1317	1317	100.00	1317	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	1317	100.00	1317	100.00
महिला	128	128	100.00	128	100.00	128	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	128	100.00
कुल	**1445**	**1445**	**100.00**	**1445**	**100.00**	**128**	**100.00**	**1317**	**100.00**	**1445**	**100.00**
स्थायी कामगारों के अलावा											
पुरुष	1153	1153	100.00	1153	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	1153	100.00	1153	100.00
महिला	49	49	100.00	49	100.00	49	100.00	लागू नहीं	लागू नहीं	49	100.00
कुल	**1202**	**1202**	**100.00**	**1202**	**100.00**	**49**	**100.00**	**1153**	**100.00**	**1202**	**100.00**

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर-स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	0.25	0.15

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण

लाभ	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में शामिल किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)	कुल कर्मचारियों के % के रूप में शामिल किए गए कर्मचारियों की सं.	कुल श्रमिकों के % के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकारी के पास जमा की गई (जी हां/जी नहीं/लागू नहीं)
पी एफ	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां
उपदान	100.00	100.00	लागू नहीं	100.00	100.00	लागू नहीं
ईएसआई	0.00	0.00	लागू नहीं	0.00	0.00	लागू नहीं
बीमा से जुडी सेवानिवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा योजना	100.00	100.00	जी हां	100.00	100.00	जी हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार इकाई के परिसर/कार्यालय दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या इकाई द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाया जा रहा है?

जी हां

4. क्या इकाई के पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है ? यदि हां, तो नीति के लिए एक वेब लिंक प्रदान करें।

जी हां वेबलिंक: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

5. माता-पिता की छुट्टी लेनेवाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी कामगार	
	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	काम पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100	95.24	100	100
महिला	100	100	100	100
कुल	**100**	**95.45**	**100**	**100**

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और कामगारों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें।

श्रेणी	जी हां/जी नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)
स्थायी कामगार	जी हां, सीएसएल में 5 चरण की शिकायत निवारण तंत्र है, जो पहले चरण में रिपोर्टिंग अधिकारी से शुरू होकर पाचवें चरण में कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तक है और शिकायत को हल करने के लिए प्रत्येक चरण में विशिष्ट समय-सीमा है। इस तंत्र की विस्तृत रूपरेखा सीएसएल इंट्रानेट में उपलब्ध है।
स्थायी कामगारों के अलावा	
स्थायी कर्मचारी	
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और कामगारों की सदस्यता :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/ कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या, जो संघ या संघ (ख) का हिस्सा हैं	% (ख/क)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी/ कामगार	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/ कामगारों की संख्या जो संघ या यूनियन(घ) संबंधित है	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	**695**	**695**	**100.00**	**637**	**637**	**100.00**
पुरुष	605	605	100.00	558	558	100.00
महिला	90	90	100.00	79	79	100.00
कुल स्थायी कामगार	**1445**	**1445**	**100.00**	**1496**	**1496**	**100.00**
पुरुष	1317	1317	100.00	1363	1363	100.00
महिला	128	128	100.00	133	133	100.00

8. कर्मचारियों एवं कामगारों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कुशलता उन्नयन पर	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं.(ङ.)	% ङ./घ	सं.(च)	% च/घ
कर्मचारीगण										
पुरुष	757	269	35.54	402	53.10	691	72	10.42	417	60.35
महिला	137	34	24.82	62	45.26	114	18	15.79	70	61.40
कुल	**894**	**303**	**33.89**	**464**	**51.90**	**805**	**90**	**11.18**	**487**	**60.50**
कामगार										
पुरुष	2470	210	8.50	483	19.55	2407	312	12.96	175	7.27
महिला	177	26	14.69	47	26.55	188	59	31.38	24	12.77
कुल	**2647**	**236**	**8.92**	**530**	**20.02**	**2595**	**371**	**14.30**	**199**	**7.67**

9. कर्मचारियों और कामगारों के प्रदर्शन और वृत्ति विकास की समीक्षा का विवरण :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	सं. (ख)	% ख/क	कुल (ग)	सं. (घ)	% घ/ग
कर्मचारीगण						
पुरुष	757	757	100.00	691	691	100.00
महिला	137	137	100.00	114	114	100.00
कुल	**894**	**894**	**100.00**	**805**	**805**	**100.00**
कामगार						
पुरुष	2470	2470	100.00	2407	2407	100.00
महिला	177	177	100.00	188	188	100.00
कुल	**2647**	**2647**	**100.00**	**2595**	**2595**	**100.00**

10. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

क. क्या इकाई द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/ नहीं)। यदि हां, तो ऐसी का कवरेज।

जी हां, सीएसएल को कोच्ची स्थित मुख्य सुविधा के लिए आईएसओ 45001:2018 स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली मानक से प्रमाणित किया गया है।

ख. कार्य-संबंधी खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर-नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए उपयोग की जानेवाली प्रक्रियाएं क्या हैं?

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा यार्ड में किए जाने वाले नियमित और गैर-नियमित कार्यों से जुड़े खतरों और जोखिमों की पहचान और आकलन के लिए खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन एक उपकरण है। इस प्रक्रिया में सभी गतिविधियों को सूचीबद्ध करना और प्रत्येक गतिविधि को खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्यपत्रक के माध्यम से दर्ज करना शामिल है। खतरा पहचान और जोखिम मूल्यांकन कार्यपत्रक जोखिम गणना के मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करता है और जोखिम मूल्य के आधार पर गतिविधियों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में प्राथमिकता देता है। जोखिमों को कम करने और जोखिम के स्तर को उच्च और मध्यम से निम्न जोखिम में कम करने के लिए नियंत्रण उपायों का वर्णन मानक संचालन प्रक्रियाओं और प्रत्येक गतिविधि से जुड़ी परिचालन नियंत्रण प्रक्रियाओं में किया गया है। कार्य सुरक्षा विश्लेषण सभी गैर-नियमित कार्यों के लिए निष्पादन एजेंसी और संबंधित सीएसएल निष्पादन अधिकारी के समन्वय में किया जाएगा। कार्य सुरक्षा विश्लेषण पर सुरक्षा टीम के साथ चर्चा की जाएगी, श्रमिकों को सूचित किया जाएगा और उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और खुद को ऐसे जोखिमों से दूर करने की प्रक्रियाएं हैं। (जी हां/ जी नहीं)

जी हां।

घ. क्या इकाई के कर्मचारियों/ कामगारों को गैर-व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं? (जी हां/ जी नहीं)

जी हां, सीएसएल का कोच्ची में एक पूर्ण चिकित्सा केंद्र है, जिसका नेतृत्व एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है *इसके अलावा, सीएसएल के पास सीएसएल कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए एर्णाकुलम जिले में विभिन्न अस्पतालों (सूपर स्पेशियालिटी/मल्टी-स्पेशियालिटी/ स्पेशियालिटी और अन्य-स्पेशियालिटी अस्पताल) को सूचीबद्ध करके कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा सहायता योजना है। इन सूचीबद्ध अस्पतालों में प्राप्त किए गए रोगी/दिवसीय देखभाल उपचार के खर्च का भुगतान सीएसएल द्वारा सीधे अस्पताल को किया जाएगा। सूचीबद्ध अस्पतालें में पहचान के उद्देश्य से सभी कर्मचारियों को कर्मचारियों और आश्रितों के विवरण के साथ चिकित्सा पहचान पत्र जारी किए गए हैं। एर्णाकुलम जिले के बाहर के अस्पतालों के मामले में, कर्मचारियों को स्वीकार्य उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना / संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
खोए समय की चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति-घंटे काम)	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0.0648	0.2777
कुल रिकॉर्ड करने योग्य कार्य-संबंधी चोटें	कर्मचारी	18	8
	कामगार	403	354
मरनेवालों की संख्या	कर्मचारी	0	0
	कामगार	0	0
उच्च-परिणाम कार्य संबंधी चोट या खराब स्वास्थ्य (मृत्यु को छोडकर)	कर्मचारी	0	1
	कामगार	0	4

* नोटः उपरोक्त तालिका में अनुबंध कार्यबल सहित डेटा शामिल है।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए इकाई द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

कोचीन शिपयार्ड में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली, जिसे एचएसई शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य पद्धतियों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक सकारात्मक सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देती है। इस प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए, कर्मचारियों को उनके सुरक्षित कार्यों के लिए मासिक और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पर पुरस्कृत किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी समूह कार्यस्थल सुरक्षा की देखरेख के लिए एक क्षेत्र सुरक्षा प्रतिनिधि का चयन करता है। इसके अतिरिक्त, लगभग 250 सुरक्षा और अग्निशमन कर्मचारियों की एक समर्पित टीम लगातार जलयानों, कार्यशालाओं और स्किड्स पर गतिविधियों की निगरानी करती है। ये कर्मचारी सदस्य आवश्यकतानुसार कार्य परमिट जारी करने और असुरक्षित प्रथाओं का पालन किए जाने पर उल्लंघन टोकन जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं।

सुरक्षा के प्रति शीर्ष प्रबंधन की प्रतिबद्धता अनुभाग प्रमुखों, महाप्रबंधकों और मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा कार्यस्थलों पर मासिक उत्साहवर्धक वार्ता के माध्यम से और अधिक प्रदर्शित होती है। सीएसएल अपने उपठेकेदारों का उनके एचएसई निष्पादन के आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करता है और हमारी कठोर एचएसई नीतियों और मानकों का पालन करने का आदेश देता है। हम अपने उपठेकेदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने कार्यों को सुरक्षित रूप से निष्पादित करने के लिए आवश्यक संसाधनों और प्रशिक्षण से लैस हैं। उनके एचएसई निष्पादन की निरंतर निगरानी करते हुए, हम सुधार की सुविधा के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं।

उपठेकेदारों के एचएसई निष्पादन के महत्व को पहचानते हुए, हमने अपने एचएसई मानकों और विनियमों के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत मूल्यांकन प्रक्रिया लागू की है। एचएसई स्टार रेटिंग स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पहलुओं के संदर्भ में सीएसएल उपठेकेदारों के वार्षिक निष्पादन का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त, आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक एचएसई और स्थिरता प्रबंधन आपूर्तिकर्ता आचार संहिता प्रकाशित की गई है।

13. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या :

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
कार्य स्थिति	2444	130	नीचे दिए गए नोट का संदर्भ लें	1532	291	नीचे दिए गए नोट का संदर्भ लें
स्वास्थ्य और सुरक्षा	0	0	-	0	0	-

नोटः ये अवलोकन कार्यबल द्वारा सुरक्षित कार्य वातावरण को बेहतर बनाने और बनाए रखने के हमारे निरंतर प्रयासों के तहत प्रस्तुत किए गए हैं। इन अवलोकनों का सीएसएल में एक मज़बूत एचएसई गवर्नेंस सिस्टम के माध्यम से उचित समाधान किया जाता है।

14. वर्ष के लिए आकलन :

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या सांविधिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा कार्य	100
कार्य स्थिति	100

15. सुरक्षा-संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कामकाजी परिस्थितियों केआकलन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं के समाधान के लिए की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा-संबंधी घटनाओं के लिए सुधारात्मक कार्रवाई 3 सदस्यीय समिति (उस क्षेत्र के संबंधित अधिकारी, उस क्षेत्र के सुरक्षा समिति के सदस्य और उस क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी सहित समिति) या सुरक्षा संबंधी घटनाओं के जांच बोर्ड (महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए अधिभोगी/ कारखाना प्रबंधक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित सदस्य) से की जाएगी। एचएसई टिप्पणियों/सुझावों से अन्य सुधारात्मक कार्रवाइयां एचएसई समन्वयक/विशेष क्षेत्र के सुरक्षा अधिकारी द्वारा तैयार की जाएंगी।

सिद्धांत 4

व्यापारों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

पहचाने गए प्रमुख हितधारक हैं : ग्राहक, कर्मचारी, शेयरधारक, शैक्षणिक संस्थान, आपूर्तिकर्ता, उद्योग निकाय जैसे भारतीय पोत निर्माता संघ, इंडो जापान चैंबर ऑफ कॉमर्स, भारतीय उद्योग परिसंघ, कोचीन चैंबर ऑफ कॉमर्स और उद्योग, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, सरकारें, गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, नियामक और समग्र समाज। हितधारकों की पहचान की प्रक्रिया स्वयं का आंतरिक मूल्यांकन है।

2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति बताएं।

क्र. सं.	हितधारक समूह	क्या इसकी पहचान कमज़ोर और अधिकारहीन समूह के रूप में की गई है (जी हां/नहीं)	संचार के चैनल (ई-मेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पैम्फलेट, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	नियुक्ति की आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/ त्रैमासिक/अन्य-कृपया निर्दिष्ट करें)	ऐसे सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित सहभागिता का उद्देश्य और दायरा
1	ग्राहक	जी नहीं	परियोजना से संबंधित कॉल, ई-मेल और बैठक, परियोजना प्रबंधन समीक्षा, शीर्ष कार्यकारी बैठकें और ब्रीफिंग, ग्राहक का दौरा, आरएफपी और अन्य निविदाओं आदि समाचार पत्रों पर प्रतिक्रियाएं, ब्रोशर	सतत आधार	पोत निर्माण और पोत मरम्मत परियोजना निष्पादन
2	शेयरधारक	जी नहीं	प्रेस विज्ञप्ति, ई-मेल सलाह, व्यक्तिगत बैठकें, निवेशक कॉन्फ्रेरन्स कॉल आदि	तिमाही : भारतीय लेखा मानक में वित्तीय विवरण, विनिमय अधिसूचना। • सतत : सीएसएल वेबसाइट पर निवेशक पृष्ठ • वार्षिक : वार्षिक आम बैठक, वार्षिक रिपोर्ट • आय कॉल; आवश्यकतानुसार निवेशक बैठकें	• निवेशकों को कंपनी की नीतियों, रिपोर्टिंग, कार्यनीति आदि के संबंध में उनकी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद करना। • शेयरधारक की अपेक्षाओं को समझना।
3	कर्मचारी	जी नहीं	इंट्रानेट, ई-मेल और बैंठकें	सतत आधार	विभिन्न आदेशों, निदेशों, योजनाओं आदि की जानकारी देना।
4	अकादमी संस्थान	जी नहीं	शैक्षणिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम और बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	प्रशिक्षण एवं विकास
5	उद्योग निकाय, सरकार और नियामक	जी नहीं	सम्मेलन और सेमिनार ; सर्वेक्षण; और अन्य बैठकें	जब भी ज़रूरत हो	सभी लागू कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें
6	गैर-सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय और बडे पैमाने पर समाज	जी नहीं	मीडिया, सोशल मीडिया, सर्वेक्षण; और प्रेस प्रकाशनी	जब भी ज़रूरत हो	सीएसआर परियोजना का निष्पादन, महत्वपूर्ण घटनाओं और घटनाओं की शुरुआत

सिद्धांत 5

व्यापारों को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और कामगार जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानवाधिकार मुद्दों और इकाई की नीतियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	कुल (क)	शामिल कर्मचारियों की सं./ कामगार (ख)	% (ख / क)	कुल (ग)	शामिल कर्मचारियों/ कामगारों (घ)	% (घ / ग)
कर्मचारीगण						
स्थायी	695	88	12.66	637	73	11.46
स्थायी के अलावा	199	0	0	168	0	0
कुल	**894**	**88**	**9.84**	**805**	**73**	**9.07**
कामगार						
स्थायी	1445	1	0.07	1496	12	0.80
स्थायी के अलावा	1202	0	0	1099	0	0
कुल	**2647**	**1**	**0.04**	**2595**	**12**	**0.46**

2. कर्मचारियों और कामगारों को भुगतान की जानेवाली न्यूनतम मज़दूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में है :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं.(ख)	% ख/क	सं.(ग)	% ग/क		सं.(ङ)	% ङ/घ	सं.(च)	% च/घ
कर्मचारीगण										
स्थायी	**695**	**0**	**0**	**695**	**100**	**637**	**0**	**0**	**637**	**100**
पुरुष	605	0	0	605	100	558	0	0	558	100
महिला	90	0	0	90	100	79	0	0	79	100
स्थायी के अलावा	**199**	**0**	**0**	**199**	**100**	**168**	**0**	**0**	**168**	**100**
पुरुष	152	0	0	152	100	133	0	0	133	100
महिला	47	0	0	47	100	35	0	0	35	100
कामगार										
स्थायी	**1445**	**0**	**0**	**1445**	**100**	**1496**	**0**	**0**	**1496**	**100**
पुरुष	1317	0	0	1317	100	1363	0	0	1363	100
महिला	128	0	0	128	100	133	0	0	133	100
स्थायी के अलावा	**1202**	**0**	**0**	**1202**	**100**	**1099**	**0**	**0**	**1099**	**100**
पुरुष	1153	0	0	1153	100	1044	0	0	1044	100
महिला	49	0	0	49	100	55	0	0	55	100

3. निम्नलिखित प्रारूप में पारिश्रमिक/ वेतन / मज़दूरी का विवरण :

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी:

विवरण	पुरुष		महिला	
	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी (लाख रुपए में)	सं.	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक/वेतन/मज़दूरी (लाख रुपए में)
निदेशक मंडल	6	64.51	0	-
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	5	62.54	0	-
निदेशक मंडल और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को छोडकर अन्य कर्मचारी	752	13.19	137	11.02
कामगार	2470	6.38	177	6.84

ख. संस्था द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं को भुगतान की गई सकल मजदूरी	9.18	10.69

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/ समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

सीएसएल ने व्यापक मानव संसाधन नीतियाँ स्थापित की हैं जो इसके कर्मचारियों और इसके संचालन से जुड़े लोगों, जिसमें सहायक कंपनियाँ भी शामिल हैं, के मानवाधिकारों के सभी पहलुओं को संबोधित करती हैं। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए एक नीति लागू की है, जिसमें रोकथाम और निवारण के लिए तंत्र शामिल हैं।

सीएसएल सभी सहायक कंपनियों और हितधारकों में मानवाधिकार प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है। शिकायत निवारण प्रणाली की देखरेख एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा की जाती है, जो यह सुनिश्चित करता है कि ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से संबंधित शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाए। समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए एक समर्पित शिकायत पोर्टल उपलब्ध है, जिसे सीएसएल शिकायत पोर्टल (https://cochinshipyard.in/grievance-cell) पर एक्सेस किया जा सकता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान फाइल किया गया	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
यौन उत्पीडन	3	1	सीएसएल की आंतरिक शिकायत समिति मामले की जाँच कर रही है।	2	1	एक लंबित मामला बंद कर दिया गया है।
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल श्रम	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
वेतन	0	0	-	0	0	-
मानवाधिकार संबंधी अन्य मुद्दे	0	0	-	0	0	-

7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज की गई शिकायतें:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पोश) के अंतर्गत दर्ज की गई कुल शिकायतें	3	2
महिला कर्मचारियों/श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में पोश पर शिकायतें	0.97	0.66
पोश पर शिकायतों को सही ठहराया गया	2	2

8. भेदभाव और उत्पीडन के मामलों में शिकायतकर्ता पर प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।

भेदभाव और उत्पीडन पर चिंताओं को गोपनीय रूप से निपटाया जाता है। सीएसएल सद्भावना संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट करनेवाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी प्रकार की प्रतिशोध को बर्दाश्त नहीं करता है। ऐसी शिकायतें करनेवाले ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाने में शामिल कोई भी व्यक्ति अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा।

9. क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (जी हां/जी नहीं)

जी हां।

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन

विवरण	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया (इकाई या वैधानिक प्राधिकारियों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100
जबरन श्रम /अनैच्छिक श्रम	100
यौन उत्पीडन	100
कार्यस्थल पर भेदभाव	100
वेतन	100

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में मूल्यांकन से उत्पन्न होनेवाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

लागू नहीं, क्योंकि हमें अपनी सुविधाओं पर कोई महत्वपूर्ण चिंता नहीं मिली है।

सिद्धांत 6

व्यापारों को पर्यावरण सम्मान करना चाहिए और उसे सुरक्षित रखने तथा पुनर्स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. निम्नलिखित प्रारूप में कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण :

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
नवीकरणीय स्रोतों से			
कुल बिजली खपत (क)	जीजे	23078.04	9852.94
कुल ईंधन खपत (ख)	जीजे	0	0
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (ग)	जीजे	0	0
नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (क+ख+ग)	जीजे	**23078.04**	**9852.94**

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से			
कुल बिजली खपत (घ)	जीजे	142298.17	114729.02
कुल ईंधन खपत (ड़)	जीजे	15026.95	16598.63
अन्य स्रोतों से ऊर्जा खपत (च)	जीजे	0	0
गैर-नवीकरणीय स्रोतों से खपत की गई कुल ऊर्जा (घ+ड़+च)	जीजे	**157325.12**	**131327.65**
कुल खपत ऊर्जा (क+ख+ग+घ+ड़+च)	जीजे	**180403.16**	**141180.59**
कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (कुल खपत ऊर्जा/ संचालन से राजस्व)	जीजे/रुपए करोड़	39.84	38.73
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल ऊर्जा खपत/ संचालन से राजस्व)	जीजे/ एमआईओ यूएसडी	82.32	80.02
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	-	लागू नहीं*	लागू नहीं*

* ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: चालू वित्तीय वर्ष 2025 और गत वित्तीय वर्ष 2024 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.662 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से ऊर्जा खपत की निगरानी करता है।

2. **क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिए गए हैं। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किए गए हैं, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, प्रदान करें।**

जी नहीं। संस्था के पास भारत सरकार की पीएटी योजना के अंतर्गत नामित उपभोक्ता के रूप में चिन्हित कोई स्थल/सुविधा नहीं है।

3. **जल से संबंधित निम्नलिखित खुलासों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
स्रोत द्वारा जल निकासी (कि.लि.में)		
(i) सतही जल	-	-
(ii) भूजल	886	6228.2
(iii) तृतीय पक्ष जल	570652	616776.4
(iv) समुद्री जल / अलवणीकृत जल	300	452.02
(v) अन्य	2116	-
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	573954	623456.62
जल की खपत की कुल मात्रा (किलोलीटर में)	557920	609744.62
प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (कुल जल खपत/ प्रचालन से राजस्व)	123.22	167.27
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार पर जल तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल जल खपत/ प्रचालन से राजस्व)	254.60	345.61
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में जल तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

* ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: चालू वित्तीय वर्ष 2025 और गत वित्तीय वर्ष 2024 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.662 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से जल खपत की निगरानी करता है।

4. रिसाव जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल रिसाव (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल के लिए	620	20
- कोई उपचार नहीं	0	20
- उपचार के साथ	620	0
- प्राथमिक उपचार	0	0
- द्वितीयक उपचार	620	0
- तृतीयक उपचार	0	0
(ii) भूजल के लिए	5400	6200
- कोई उपचार नहीं	0	0
- उपचार के साथ	5400	6200
- प्राथमिक उपचार	5400	6200
- द्वितीयक उपचार	0	0
- तृतीयक उपचार	0	0
(iii) समुद्री जल के लिए	10014	7512
- कोई उपचार नहीं	0	0
- उपचार के साथ	10014	7512
- प्राथमिक उपचार	0	0
- द्वितीयक उपचार	10014	7512
- तृतीयक उपचार	0	0
(iv) तीसरे पक्ष को प्रेषित	0	0
- कोई उपचार नहीं	0	0
- उपचार के साथ	0	0
- प्राथमिक उपचार	0	0
- द्वितीयक उपचार	0	0
- तृतीयक उपचार	0	0
(v) अन्य	0	0
- कोई उपचार नहीं	0	0
- उपचार के साथ	0	0
- प्राथमिक उपचार	0	0
- द्वितीयक उपचार	0	0
- तृतीयक उपचार	0	0
कुल छोड़ा गया जल (किलोलीटर में)	**16034**	**13732**

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (जी हां/जी नहीं)। यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से पानी के रिसाव की निगरानी करता है।

5. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

जी नहीं

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
एनओएक्स	एमटी	0	0
एसओएक्स	एमटी	0	0
पार्टिकुलेट मैटर	एमटी	0	0
लगातार जैविक प्रदूषक	एमटी	0	0
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक	एमटी	0	0
खतरनाक वायु प्रदूषक	एमटी	0	0

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है? (जी हां/जी नहीं) यदि हां, तो बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल में जीएचजी उत्सर्जन के अलावा कोई महत्वपूर्ण वायु उत्सर्जन नहीं होता है।

7. निम्नलिखित प्रारूप में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	यूनिट	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
कुल क्षेत्र 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन	2687.63	2211.21
CO_2	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन	685.13	662.97
CH_4	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन	7.33	0.3021
N_2O	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन	1517.35	5.1
कुल क्षेत्र 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन	28736.33	28920.51
प्रति रुपया कारोबार पर कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता (कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन/ प्रचालन से राजस्व)	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ करोड़ रुपया	6.94	8.54
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया कारोबार के लिए कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता (पीपीपी के लिए समायोजित कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 जीएचजी उत्सर्जन / प्रचालन से राजस्व)	CO_2 के समतुल्य मेट्रिक टन/ एमआईओ यूएसडी	14.34	17.65
प्रत्यक्ष आउटपुट के संदर्भ में कुल क्षेत्र 1 और क्षेत्र 2 उत्सर्जन तीव्रता	-	लागू नही *	लागू नहीं *

* ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोट: चालू वित्तीय वर्ष 2025 और गत वित्तीय वर्ष 2024 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.662 है।

नोट: बताएँ कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र मूल्यांकन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बाहरी अभिकरण का नाम बताएँ।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से जीएचजी उत्सर्जन की निगरानी करता है।

8. क्या इकाई के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण उपलब्ध कराएं।

सीएसएल लगभग 14 मेगावाट की कुल क्षमता वाले एक पवन-सौर हाइब्रिड पावर प्लांट को लागू करके और चरणबद्ध तरीके से सीएसएल के अंदर रूफटॉप सौर प्रतिष्ठानों को 1.8 मेगावाट से बढ़ाकर 4 मेगावाट तक विस्तारित करके पूरी तरह से हरित ऊर्जा पर काम करने की योजना बना रहा है। इन पहलों से सालाना लगभग 40 मिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो सीएसएल की वर्तमान औसत वार्षिक ऊर्जा खपत से अधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करके, सीएसएल का लक्ष्य अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को समाप्त करना है, जिससे स्थायी ऊर्जा प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। यह रणनीति सीएसएल के कार्बन पदचिह्न को काफी कम करेगी और एक स्थायी भविष्य की दिशा में और अधिक योगदान देगी।

9. इकाई द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें :

क. कुल उत्पन्न अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मेट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट	20.20	5.87
ई-कचरा	15.70	47.37
बायोमेडिकल कचरा	0.045	0.0306
निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	1669.63	740
बैटरी बर्बाद	28.09	784.19
रेडियोऐक्टीव कचरे	0	0
अन्य खतरनाक अपशिष्ट		
कांच का कचरा	0.01	0.032
प्रयुक्त या व्ययित तेल	20.99	0.60
तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष	0	175.9
तेल एवं ग्रीस स्किमिंग	0.005	0
उपकरण रिटायरल अपशिष्ट	65	2.04
पेंट कीचड	5.85	0.12
एनोड	2.90	1.51
बेकार तेल	631.52	2.40
तांबे का लावा	12.46	10
प्रयुक्त तांबे का लावा	5593	6916.50
खाली पेंट टिन	41.97	10.21
खाली तेल बैरल	11.10	0
अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट		
खाद्य अपशिष्ट	334.23	220.02
धातु अपशिष्ट	0	0
कागज़ और कार्डबोर्ड अपशिष्ट	0.111	0.4014
एल्युमीनियम अपशिष्ट	3.42	4.20
विविध अपशिष्ट	0	40
स्टील अपशिष्ट	1114.95	4016.39
औद्योगिक अपशिष्ट	3050	2909.47
कुल उत्पन्न अपशिष्ट	**12621.19**	**15887.25**
प्रति रुपया कारोबार में अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/ प्रचालन से राजस्व)	2.79 / करोड़ रुपए	4.36 / करोड़ रुपए
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपए कारोबार पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल उत्पन्न अपशिष्ट/पीपीपी के लिए समायोजित प्रचालन से राजस्व)	5.76 / करोड़ रुपए	9.01 / करोड़ रुपए
प्रत्यक्ष उत्पादन के संदर्भ में अपशिष्ट तीव्रता	लागू नहीं *	लागू नहीं *

* ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग में काम करती है, जहाँ उत्पादन की प्रकृति - जैसे पोत और अपतटीय संरचनाएँ - परियोजना दर परियोजना प्रकार, आकार, जटिलता और दायरे में काफ़ी भिन्न होती है। परिणामस्वरूप, भौतिक उत्पादन का कोई एक समान या तुलनीय माप नहीं है जिससे तीव्रता अनुपातों की सार्थक गणना संभव हो सके।

नोटः चालू वित्तीय वर्ष 2025 और गत वित्तीय वर्ष 2024 के लिए क्रय शक्ति समता (पीपीपी) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से प्राप्त की गई है। 2025 के अद्यतन के अनुसार लागू पीपीपी कारक 20.662 है।

ख. उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल कचरा (मेट्रिक टन में)

कुल अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : कुल अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	15	6.32
(ii) पुनः उपयोग	334.23	219.88
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	349.23	**226.20**

श्रेणीवार विभाजन

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : प्लास्टिक अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	15	5.72
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	15	**5.72**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियोएक्टीव अपशिष्ट।		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	**0**

अन्य खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : प्रयुक्त या व्ययित तेल		
(i) पुनर्चक्रित	0	0.6
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	**0.6**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : कांच का अपशिष्ट, अपशिष्ट या अवशेष युक्त तेल, तेल और ग्रीस स्किमिंग, उपकरण रिटायरल अपशिष्ट, पेंट स्लज, एनोड, अपशिष्ट तेल, तांबे के केबल, प्रयुक्त तांबे का स्लैग, खाली पेंट टिन और खाली तेल बैरल।		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	**0**

अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : खाद्य अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग	334.23	219.82
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	334.23	**219.82**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : कागज़ और कार्डबोर्ड अपशिष्ट		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग	0	0.06
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	**0.06**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : धातु अपशिष्ट, एल्युमीनियम अपशिष्ट, विविध अपशिष्ट, स्टील स्क्रैप और औद्योगिक अपशिष्ट।		
(i) पुनर्चक्रित	0	0
(ii) पुनः उपयोग	0	0
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य	0	0
कुल	0	**0**

ग. उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)

कुल अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : कुल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	1467.30	719
(iii) अन्य निपटान कार्य	14883.42	20963.94
कुल	**16350.72**	**21682.94**

श्रेणीवार विभाजन

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : ई-अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	18.37	47.37
कुल	**18.37**	**47.37**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : बयोमेडिकल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0.045	0.0306
कुल	**0.045**	**0.0306**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	1467.30	719
(iii) अन्य निपटान कार्य	179.33	0
कुल	**1646.63**	**719**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : प्लास्टिक अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट और रेडियोएक्टीव अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	**0**	**0**

अन्य खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : उपकरण रिटायरल अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	65	2.04
कुल	65	**2.04**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : पेंट कीचड		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	6.19	0.12
कुल	6.19	**0.12**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : एनोड		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	18.50	0.12
कुल	18.50	**0.12**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : अपशिष्ट तेल		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	820.04	2.40
कुल	820.04	**2.40**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : प्रयुक्त कॉपर स्लैग		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	7366.52	6916.50
कुल	7366.52	**6916.50**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : खाली पेंट टिन		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	48.24	9099.13
कुल	48.24	**9099.13**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : खाली तेल बैरल		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	7.42	500
कुल	7.42	**500**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : कांच का अपशिष्ट, प्रयुक्त या व्ययित तेल, तेल युक्त अपशिष्ट या अवशेष, तेल और ग्रीस स्किमिंग और तांबे के केबल।		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	**0**

अन्य गैर-खतरनाक अपशिष्ट

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी: खाद्य अपशिष्ट, कागज और कार्डबोर्ड अपशिष्ट, एल्युमीनियम अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	0
कुल	0	**0**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : धातु अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	0	8.35
कुल	0	**8.35**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : विविध अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	113.84	0
कुल	113.84	**0**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : स्टील स्क्रैप		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	3193.63	1262.20
कुल	3193.63	**1262.20**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटान किया गया कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी : औद्योगिक अपशिष्ट		
(i) भस्मीकरण	0	0
(ii) लैंडफिलिंग	0	0
(iii) अन्य निपटान कार्य	3046.29	2909.47
कुल	3046.29	**2909.47**

नोट : बताएं कि क्या किसी बाहरी अभिकरण द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन दिया गया है ? (जी हां/जी नहीं) तो, बाहरी अभिकरण का नाम।

जी नहीं, सीएसएल आंतरिक रूप से अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी करता है।

10. आपके प्रतिष्ठानों में अपनाई गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। आपके उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और ज़हरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति और ऐसे अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

सीएसएल का केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अधिकृत अभिकरण, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ एक प्रचालन समझौता ज्ञापन है। सीएसएल समय-समय पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लागू सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के माध्यम से अपने औद्योगिक अपशिष्ट का निपटान कर रहा है।

11. यदि इकाई के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिज़र्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र इत्यादि) में/आसपास संचालन/कार्यालय हैं, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता होती है, तो कृपया विवरण निम्नलिखित प्रारूप में निर्दिष्ट करें :

क्र. सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय स्वीकृति/अनुमति की शर्तों का पालन किया जा रहा है? (जी हां/जी नहीं) यदि नहीं, तो उसके कारण और यदि कोई हो तो ली गई सुधारात्मक कार्रवाई
1.	सीएसएल, पेरुमानूर, कोच्ची, केरल	पोत निर्माण एवं पोत मरम्मत	जी हां
2.	आईएसआरएफ, विल्लिंडन द्वीपसमूह, कोच्ची, केरल	पोत मरम्मत	जी हां
3.	सीएमएसआरयू, मुंबई, महाराष्ट्र	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है
4.	सीकेएसआरयू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है
5.	सीएएनएसआरयू, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	पोत मरम्मत	जी नहीं किसी पर्यावरणीय अनुमोदन/अनुमति की आवश्यकता नहीं है

12. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण :

क्र. सं.	परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाहरी अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां/ जी नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमैन में संप्रेषित (जी हां /जी नहीं)	संगत वेब लिंक
शून्य						

13. क्या इकाई भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है, जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (जी हां/जी नहीं)।

यदि नहीं, तो निम्नलिखित प्रारूप में ऐसे सभी गैर-अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	उस कानून / विनियम/ दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करें जिनका अनुपालन नहीं किया गया	गैर-अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक अभिकरणों द्वारा किया गया कोई भी जुर्माना/कार्रवाई	यदि कोई हो, तो की गई सुधारात्मक कार्रवाई
लागू नहीं				

सिद्धांत 7

व्यापारों को जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में शामिल किया जाता है, तो उन्हें ऐसा जिम्मेदार और पारदर्शी तरीके से करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

9

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चैंबरों/संघों की सूची बनाएं (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) जो इकाई सदस्य /संबद्ध है

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग चैंबर संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों तक पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	इंडियन शिपबिल्डर्स एसोसिएशन	राष्ट्रीय
2	भारतीय समुद्री केंद्र	राष्ट्रीय
3	भारतीय उद्योग परिसंघ	राष्ट्रीय
4	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन	राष्ट्रीय
5	भारतीय रक्षा निर्माताओं का समाज	राष्ट्रीय
6	भारतीय वेल्डिंग संस्थान	राष्ट्रीय
7	एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय
8	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री	राष्ट्रीय
9	राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद	राष्ट्रीय

2. नियामक अधिकारियों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चालू सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

वर्ष के दौरान, प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण से संबंधित विनियामक प्राधिकरणों से कोई प्रतिकूल आदेश नहीं आया।

प्राधिकारी का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	की गई सुधारात्मक कार्रवाई
शून्य		

सिद्धांत 8

व्यापारों को समावेशी विकास और समान विकास को बढावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन का विवरण।

क्र. सं.	परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	क्या स्वतंत्र बाहरी अभिकरण द्वारा संचालित किया गया है (जी हां / जी नहीं)	सार्वजनिक डोमैन में संप्रेषित किया परिणाम (जी हां / जी नहीं)	संगत वेब लिंक
शून्य						

2. निम्नलिखित प्रारूप में उन परियोजनाओं की जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी इकाई द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापन का कार्य किया जा रहा है :

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, हमने ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं की है जिसके लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) की आवश्यकता हो।

क्र. सं.	परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आर जारी है	राज्य	जिला	परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) की संख्या	पीएएफ का % आरएंडआर द्वारा कवर किया गया	वित्त वर्ष में पीएएफ को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपए में)
लागू नहीं						

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें :

सीएसएल की शिकायत निवारण प्रणाली का नेतृत्व एक पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाता है और सीएसएल के साथ व्यवहार में ईमानदारी, निष्पक्षता और पारदर्शिता से जुड़ी शिकायतों का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। इसके लिए कंपनी ने एक शिकायत पोर्टल बनाया है जिसे https://cochinshipyard.in/grievance-cell पर देखा जा सकता है।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य के आधार पर कुल इनपुट में इनपुट) :

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
सीधे एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से प्राप्त	27.53	9.87
सीधे भारत के भीतर से	45.06	18.32

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन - निम्नलिखित स्थानों में कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर-स्थायी/अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें।

स्थान	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)
ग्रामीण	0.00	0.00
अर्ध-शहरी	0.00	0.00
शहरी	95.74	70.22
महानगरीय	4.26	29.78

सिद्धांत 9

व्यापारों को जिम्मेदार तरीके से अपने उपभोक्ताओं के साथ जुडना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और प्रतिक्रिया को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करें:

सभी अनुबंधित जलयानों के लिए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है और अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक मालिकों से फीडबैक लिया जाता है। ग्राहकों से खुली और वास्तविक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए ये सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष फर्म द्वारा किए जाते हैं।

2. सभी उत्पादों / सेवाओं के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और /सेवाओं का कारोबार, जिनके बारे में जानकारी होती है :

श्रेणी	कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मानदंड	100
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	100
पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान	लागू नहीं

3. निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2025 (चालू वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2024 (गत वित्तीय वर्ष)		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	अभ्युक्तियां
डाटा प्राइवसी	0	0	-	0	0	-
विज्ञापन	0	0	-	0	0	-
साइबर सुरक्षा	0	0	-	0	0	-
आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी	0	0	-	0	0	-
प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं	0	0	-	0	0	-
अनुचित व्यापार आचरण	0	0	-	0	0	-
अन्य	0	0	-	0	0	-

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वास मंगाए जाने की घटनाओं का विवरण:

विवरण	संख्या	वापस बुलाने का कारण
स्वैच्छिक वापस बुलवा	0	लागू नहीं
जबरन वापस बुलवा	0	लागू नहीं

5. क्या इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (जी हां/जी नहीं)। यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का एक वेब लिंक प्रदान करें।

सीएसएल संवेदनशील जानकारी और साइबर-लचीलेपन की सुरक्षा के लिए 'सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली' से संबंधित आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन के अनुरूप है।

प्रमाणपत्र के लिए वेबलिंक: https://cochinshipyard.in/uploads/ISO-IEC_27001-ENG-C718609-0-20250324.pdf

6. विज्ञापन, और आवश्यक सेवाओं की सुपुर्दगी, ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवसी, उत्पाद वापसी की घटनाओं की पुनरावृत्ति, उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा जुर्माना/कार्रवाई संबंधित मुद्दों पर की गई या चालू किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें :

वर्ष के दौरान कोई महत्वपूर्ण चिंता/शिकायत/दंड/नियामक कार्रवाई की पहचान नहीं की गई।

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों के मामलों की संख्या

शून्य

ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत

शून्य

ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हा

शून्य

वित्तीय विवरण

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हम ने मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (कंपनी के रूप में संदर्भित) के संलग्न स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों जिसमें दि. 31 मार्च 2025 के तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, तथा वित्तीय विवरण की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का संक्षिप्त विवरण, अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, की लेखापरीक्षा की है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दि. 31 मार्च 2025 को ग्रूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित),इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व :

1. **2 संख्या 1200 यात्री पोतों के लिए निर्धारित क्षति का गैर-लेनदारी लेखाक्रय**

   2 संख्या 1200 यात्री पोतों के निर्माण के लिए पोत निर्माण अनुबंध पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32.5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दोनों पोतों के लिए अनुबंधात्मक सुपुर्दगी तिथि (जैसा कि बढ़ाया गया है) पहले ही समाप्त हो चुकी है। अन्य संभावित खरीदारों के लिए पोतों के पुनः आबंटन के लिए ग्राहक के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोत की सुपुर्दगी को रोक दिया गया है। कंपनी ने इन पोतों के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल, 2023 और 30 अक्तूबर, 2023 तक की देरी के लिए परिसमाप्त क्षति का प्रावधान किया है। चूंकि कंपनी के पास एक वैध अनुबंध है, इसलिए इसने ऊपर उल्लिखित तिथियों से परे वित्तीय विवरणों में आगे परिसमाप्त क्षति को मान्यता नहीं दी है।

2. **अनुसंधान एवं विकास परियोजना-हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक पोत और स्वायत्त सतह पोत**

   स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 (सी) और (डी) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत (नौवहन) पूर्ण स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक पोत और स्वायत्त सतह पोत परियोजनाओं के डिज़ाइन, विकास और निर्माण और प्रदर्शन के लिए 1,312.50 लाख रुपए और 2,000 लाख रुपए की निधि स्वीकृत की है।

   संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी की शर्तों के अनुसार, कंपनी को प्रमुख परियोजनाओं के विकास के लिए कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नामित किया गया है और निधि से प्राप्त सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार की संपत्ति होंगी।

   इसके अलावा, कंपनी जारी की गई धनराशि को खर्च करते समय, समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के प्रावधानों का पालन करने के लिए बाध्य है।

जीएफआर 2017 के अनुसार, चालू परियोजनाओं के मामले में, कंपनी को लेखा बही में अपनी संपत्ति के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि वित्तीय विवरणों के टिप्पण में ऐसी संपत्तियों को अपने पास रखने और उपयोग करने के बारे में खुलासा करना चाहिए। कंपनी द्वारा वापसी, बिक्री या बनाए रखने का निर्णय मंत्रालय द्वारा संबंधित परियोजनाओं के पूरा होने पर लिया जाएगा।

दिनांक 31.03.2025 तक, हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक पोत परियोजना प्रदर्शन चरण में है और स्वायत्त सतह पोत परियोजना विकास / निर्माण चरण में है।

तदनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय/ व्यय की गई शेष राशि 966.34 लाख रुपए को लाभ और हानि खाते के विवरण दर्ज किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

1. राजस्व की पहचान - पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियां

(स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.10 (क), 32 और 43 देखें)

कंपनी ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंध करती है, जहां राजस्व को आउटपुट विधि के अनुसार समय के साथ मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों पर मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय शामिल हैं, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का निर्धारण भी शामिल है।

प्रबंधन द्वारा विकसित इन-हाउस प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का पता लगाया जाता है। प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के तकनीकी विभागों से मिले इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक प्रत्यक्ष समापन का पता लगाने में प्रबंधन का अनुमान भी शामिल होता है।

अपेक्षित नुकसान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जब अपेक्षित कुल अनुबंध लागत के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। प्रत्येक अनुबंध के भीतर उत्पन्न होनेवाली कंपनी के सामने अनिश्चितताओं या विवादित दावों के विशिष्ट जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए इन अनुमानों में लागत आकस्मिकताओं को शामिल किया जाता है। इन आकस्मिकताओं की प्रबंधन द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां उपयुक्त हो समायोजित किया जाता है। अनुबंधों पर राजस्व में परिवर्तनीय विचार (विविधताएं और दावे) भी शामिल हो सकते हैं। परिवर्तनीय प्रतिफल को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रतिफल की वसूली अत्यधि संभावित हो।

अनुबंधों की प्रकृति के कारण, राजस्व मान्यता में पूर्णता विधि के प्रतिशत का उपयोग शामिल है (यानी, पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति) जो प्रदर्शन किए गए कार्य के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, महत्वपूर्ण निर्णय, अनुबंधात्मक दायित्वों की पहचान शामिल है और आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार, दायरे में बदलाव और परिणामी संशोधित अनुबंध मूल्य और घाटेवाले अनुबंधों/कठिन दायित्वों के लिए दायित्वों की पहचान शामिल है।

समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व के लेखापरीक्षा प्रबंधन के मापन में पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति को मापने में किया गया महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल होता हैं, हम मानते है कि राजस्व की मान्यता में अंतर्निहित लेखापरीक्षा जोखिम हैं और इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- आउटपुट विधि और उसमें अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग करते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की पहचान करने में कंपनी द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की।
- भारतीय लेखा मानक 115-ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के साथ तुलना करके कंपनी की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें परिवर्तनीय विचारों से संबंधित नीतियां भी शामिल थीं।
- निष्पादन दायित्वों के मूल्यांकन और पृथक दायित्वों की पहचान से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता, प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए लागत का अनुमान, जिसमें उसके संबंध में आकस्मिकताएं भी शामिल है, जैसे-जैसे कार्य आगे बढता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप उस पर प्रभाव पडता है, संबंधित अनुबंधों के लेनदेन

मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव और लेनदेन मूल्य पर परिवर्तनीय विचार के प्रभाव का मूल्यांकन का जांच किया गया।

- ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं :
  - प्रत्येक चयन, परिवर्तन आदेश और अन्य दस्तावेज़ों के लिए अनुबंध दस्तावेज़ प्राप्त किया, जो समझौते/व्यवस्था का हिस्सा था।
  - (i) विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान (ii) जैसे-जैसे काम आगे बढता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप लागत में परिवर्तन होता है, (iii) लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव, और (iv) परिवर्तनीय प्रतिफल के आधार पर लेनदेन मूल्य में समायोजन का मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और प्रदेयों की पहचान की गई।
  - महत्वपूर्ण विविधताओं की पहचान करने के लिए आज तक की गई लागतों के कंपनी के अनुमानों के साथ तुलना की गई और मूल्यांकन किया गया कि क्या अनुबंध को पूरा करने के लिए शेष लागतों का अनुमान लगाने में उन विविधताओं पर उचित रूप से विचार किया गया है।
  - महत्वपूर्ण उपलब्धियों की स्थिति और ग्राहक स्वीकृति के साथ स्थिरता के लिए अनुमान का जांच किया गया ताकि महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान की जा सके, जिसके लिए शेष प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत या प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता होती है।
- सेवा के प्रकार और प्रकृति द्वारा प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं।
- प्रत्यक्ष प्रगति पूर्णता के प्रतिशत के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी और गतिविधि-आधारित मूल्यांकन पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई तथा प्रबंधन की धारणाओं और अनुमानों की तर्कसंगतता का आकलन किया गया।
- भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए प्रासंगिक खुलासों की उपयुक्तता का आकलन किया गया।

हमने निष्कर्ष निकाला कि ऊपर निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाने और राजस्व मान्यता के समय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं मिला।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के रूप में परियोजनाओं का पूंजीकरण

(स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 3.1, 3.5 और 4 (एम) देखें)

कंपनी के पास पर्याप्त चालू अवसंरचना और विकास परियोजनाएं हैं, जो पूरी होने और इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने पर, पूंजी कार्य-प्रगति से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में अंतरित की जाती हैं।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नए ड्राई डॉक के व्यावसायीकरण / संचालन के कारण 2,11,283.18 लाख रुपए की परियोजनाओं को पूंजीकृत किया है।

पूंजीकरण की प्रक्रिया में प्रबंधन को किसी परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि निर्धारित करने, यह आकलन करने कि क्या सभी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतों को उचित रूप से शामिल किया गया है, परिसंपत्तियों को पीपीई की उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत करने, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

पूंजीकृत राशियों की मात्रा और इसमें शामिल प्रबंधन निर्णयों को देखते हुए, हमने सीडब्ल्यूआईपी से पीपीई तक परियोजनाओं के पूंजीकरण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य :

- भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप पूंजीकरण के लिए कंपनी की लेखा नीति का मूल्यांकन किया।
- पूंजीकरण प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रणों के डिज़ाइन और कार्यान्वयन का परीक्षण किया।
- इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों की तत्परता का पता लगाने के लिए परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र, आंतरिक कमीशनिंग दस्तावेज़ और प्रबंधन अनुमोदन की समीक्षा की।
- पूंजीकृत व्ययों के नमूनों का सत्यापन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सीधे विशिष्ट परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं।
- परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों के निर्धारण के लिए इंजीनियरिंग टीम द्वारा तकनीकी आकलन की जांच की।
- परिसंपत्तियों को उचित पीपीई वर्गों में वर्गीकृत करने का मूल्यांकन किया

- व्यावसायीकरण के पश्चात् बाद की लागतों की समीक्षा की गई ताकि उन्हें गलत तरीके से पूंजीकृत न किया जाए।
- पूंजीकृत परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।

उपर्युक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पूंजीकरण से संबंधित प्रबंधन के निर्णय को उचित पाया तथा संबंधित प्रकटीकरण पर्याप्त थे।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी :

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से असंगत है या अन्य प्रत्यक्ष रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है जिन पर शासन का आरोप है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, प्रबंधन द्वारा हमें अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां:

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन सहित अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों जो सही और निष्पक्ष रूप प्रस्तुत करता है और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारीकरने केलिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

क. वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

ख. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

ग. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

घ. लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

ड. खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले :

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, कंपनी ने शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करना शुरू कर दिया है, जबकि हमें व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और बैंक शेष से शेष राशि की कुछ पुष्टि प्राप्त हुई है। जहां कहीं भी हमें पुष्टि नहीं मिली है, हमने अनुबंध दस्तावेज़ों, उठाए गए चालानों और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए किए गए संचार आदि का सत्यापन करके वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की हैं।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के तहत आवश्यक है, हम अपनी रिपोर्ट **'अनुलग्नक क'** में संलग्न कर रहे हैं।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) के अनुसार आवश्यक है। हम अनुलग्नक में आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं, जहां तक लागू हो हमारी रिपोर्ट **'अनुलग्नक ख'** के रूप में संलग्न है।

3. बोर्ड की संरचना का गैर-अनुपालन - कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015:

   वर्ष के दौरान, बोर्ड के सभी 6 गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों ने अपना पद छोड दिया, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की सभी आवश्यक समितियां अस्तित्व में नहीं रहीं।

   आज की तिथि तक, आकस्मिक रिक्ति के कारण बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। परिणामस्वरूप, कंपनी लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य अन्य समितियों के गठन के साथ गैर-शिकायत जारी रखती है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

   यह बताया गया कि कंपनी एक सीपीएसई होने के नाते, निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत सरकार के पास है और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उचित अनुरोध भारत सरकार को भेज दिए गए हैं।

   दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इस स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन संख्या 18 (3) के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी।

4. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से हम रिपोर्ट करते हैं कि :

क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है।

ख. हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की बहियां रखी गई हैं और कंपनी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से उचित पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हुए हैं,

ग. कंपनी का तुलन पत्र, लाभ और हानि स्टैंडअलॉन विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण और स्टैंडअलॉन नकद प्रवाह विवरणलेखा बहियों के अनुसार है ;

घ. हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढा जाता है, जैसा कि इसमें संशोधन किया गया है,

ङ भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के संदर्भ में एक सरकारी कंपनी होने के नाते निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **अनुलग्नक ग** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर **असंशोधित राय** व्यक्त करती है,

छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में :

प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ञ के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होते हैं,

ज. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार,

i. कंपनी ने अपनी स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमें के प्रभाव का खुलासा किया है - स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 का संदर्भ लें;

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है, और

iv. क. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अन्यथा लेखे के लिए नोट में प्रकट किए अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में कोई निधि उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के निधि से), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि

- मध्यस्थ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से (अंतिम लाभार्थी) किसी भी तरह से पहचाने जाते हैं या अंतिम लाभार्थियों की ओर से
- कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

ख. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, अन्यथा लेखे के लिए नोट में प्रकट किए अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित, इस समझ के साथ कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देना या निवेश करना,
- वित्तपोषण पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या उसकी ओर से, या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना; और

ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जो इन परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी जाती हैं, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे उन्हें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत बयान है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

vi. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(छ) के अंतर्गत लेखा सत्यापन पर रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार किए गए हमारे परीक्षण के आधार पर, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर नमूना जांच शामिल था, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर यानी एसएपी एस/4 एचएएनए का उपयोग किया है, जिसमें सुरक्षा ऑडिट लॉग की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) की सुविधा है:

क. लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने के लिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) के अनुरक्षण की सुविधा सक्षम की गई थी। हालाँकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है;

ख. 2022 से ईआरपी में सुरक्षा ऑडिट लॉग सक्षम किया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर की लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा का रिकॉर्ड करने की सुविधा मार्च, 2024 को सक्षम की गई;

इसके अलावा, जिस अवधि में लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा सक्षम और संचालित थी, हमारे लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा सत्यापन सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा कोई रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखापरीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

लेखा सत्यापन की हमारी जांच, लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से परे लेखा सत्यापन की कोई लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा सत्यापन की कोई स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा या जांच की है।

कृते आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
FRN000111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं . 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक : 15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNV9785

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर रिपोर्ट

भाग - I - दिशानिर्देश

1. **क्या कंपनी के पास सू.प्रौ. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की अखंडता पर सू.प्रौ.प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण को निहितार्थ, यदि कोई हो, तो वर्णित किया जा सकता है?**

   जी हां। कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की एक प्रणाली है। परीक्षण जांच के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जहां भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन होता है, वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ लेखे की प्रामाणिकता की कमी का कोई उदाहरण नोट नहीं किया गया है।

2. **क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों / उधारों / ब्याज आदि के किसी भी मौजूदा ऋण का पुनर्गठन या छूट के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को वर्णित किया जाए।**

   क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू होता है)

   जी नहीं। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। इस प्रकार, इसमें कोई वित्तीय निहितार्थ शामिल नहीं है।

3. **क्या केंद्रीय / राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त करने योग्य निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति आदि) को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।**

   हां। कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, निधियों (अनुदान/अनुवृत्ति) का उचित तरीके से लेखा-जोखा किया गया और उनका उपयोग, जहां भी लागू हो, संबंधित योजनाओं की शर्तों और नियमों के अनुसार किया गया और हमें कोई विचलन नहीं मिला।

   विशिष्ट योजनाओं के अनुसार प्राप्त होनेवाली निधियों का विवरण नीचे दिया गया है :

   क. अनुसंधान एवं विकास नौवहन योजना :

   कंपनी को अनुसंधान एवं विकास नौवहन योजना के तहत पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय से दो अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए वर्ष के दौरान 1,135.06 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। विवरण नीचे सारणीबद्ध है :

परियोजना का नाम विवरण		हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जलयान राशि (₹ लाख में)	स्वायत्त सतह जलयान	कुल राशि (₹ लाख में)
स्वीकृत राशि		1,312.50	2,000.00	3,312.50
दिनांक 31.03.2024 तक प्राप्त		1,102.39	-	1,102.39
वर्ष के दौरान प्राप्त		210.00	925.06	1,135.06
दि 31.03.2025 तक कुल प्राप्त राशि	**(क)**	**1,312.39**	**925.06**	**2,237.45**
दि 31.03.2024 तक उपयोग की गई राशि		1,015.88	-	1,015.88
वर्ष के लिए उपयोग		296.51	314.28	610.79
दि 31.03.2025 तक कुल उपयोग	**(ख)**	**1,312.39**	**314.28**	**1,626.67**
दि 31.03.2025 तक अप्रयुक्त भाग	**(क-ख)**	**-**	**610.78**	**610.78**

   दिनांक 31 मार्च 2025 तक 610.78 लाख रुपए का अप्रयुक्त हिस्सा सागरमाला विकास निगम लिमिटेड द्वारा बनाए गए केंद्रीय नोडल खाते के तहत निधि सीमा के रूप में पडा हुआ है।

ख. पोत निर्माण वित्तीय सहायता

1. **सुपुर्द किए जलयान :** पहली और दूसरी कोविड लहर से प्रभावित पोतों के लिए वितरण और निर्माण समय के विस्तार के लिए मंत्रालय की अधिसूचना के बदले में, कंपनी ने वर्ष के लिए आय की पहचान की है और 822.29 लाख रुपए की अनुवृत्ति का दावा किया है। जिसमें से, कंपनी ने भारत सरकार से 404.03 लाख रुपए वसूल किए हैं।

   418.26 लाख रुपए की राशि, जो वसूली लंबित होने तक प्राप्त करने योग्य है।

2. **निर्माणाधीन जलयान :** वर्ष के दौरान, कंपनी ने जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के लिए भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता के लिए 10,309.45 लाख रुपए की अनुवृत्ति आय को मान्यता दी है। इसके अलावा, पोतों की अपेक्षित सुपुर्दगी तिथियों में संशोधन के कारण कंपनी ने 890.01 लाख रुपए वापस कर दिए हैं।

   रिपोर्टिंग तिथि तक, कुल अर्जित अनुवृत्ति आय 13,456.03 लाख रुपए है, जिसका दावा समय-समय पर संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन किया जाएगा।

कृते आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
FRN000111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं . 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक : 15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNV9785

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 2 में संदर्भित

निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में,

क. कंपनी ने पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है

i. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जिसमें मात्रात्मक विवरण और उस पर स्थिति और उपयोग के अधिकार की संपत्ति के प्रासंगिक विवरण शामिल हैं,

ii. अमूर्त संपत्ति ;

ख. कंपनी की प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन करने की प्रथा है, जो प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रम पर आधारित है, जो हमारी राय में कंपनी के आर और परिमाण को देखते हुए उचित है।

तदनुसार, प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का कोई प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। इसलिए, हमने इस खंड के तहत प्रत्यक्ष विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं की है।

ग. कंपनी के नाम पर कुल मिलाकर 75.92 हेक्टर अचल संपत्तियों के स्पष्ट स्वामित्व विलेख हैं, हालांकि, पट्टेदारी संपत्तियों के संबंध में, जहां कंपनी पट्टेदार है, जिसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है, वहां पट्टे समझौतों का पंजीकरण/निष्पादन लंबित है।

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	..के नाम पर	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि (वर्ष)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
पट्टे पर दी गई भूमि - संपत्तियों के उपयोग का अधिकार						
आईएसआरएफ परियोजना भूमि - चरण I	भूमि- 8.12 निकटवर्ती जल निकाय-15	27,261.53	कोचीन पोर्ट प्राधिकरण	जी नहीं	2012	'विकास और संचालन का अधिकार-आईएसआरएफ' के एक भाग के रूप में लिया गया। पंजीकरण लंबित। चरण-II के लिए, पट्टा समझौता निष्पादित किया जाना है।
आईएसआरएफ परियोजना भूमि - चरण II	भूमि -8.134			जी नहीं	2017	
बैकवाटर्स का तल - पुनर्प्राप्त भूमि	भूमि/जल क्षेत्र - 1.914			जी नहीं	1977	अभी तक पट्टा करार निष्पादित नहीं हुआ है।
सीएसएल-मुंबई पोत मरम्मत यूनिट (सीएमएस आरयू) - इंदिरा डॉक बर्थ सं. 5,6,7 एंड 8।	एचडीडी- 2.961 खुला भूमि क्षेत्र -1.135 जल क्षेत्र -1.8	21,014.01	मुंबई पोट प्राधिकरण	जी नहीं	2018	पंजीकरण लंबित।
सीएसएल -कोलकाता पोत मरम्मत यूनिट(सीकेएसआरयू)- नेताजी सुभाष डॉक में बर्थ सं. 6।	भूमि एवं ड्राई डॉक क्षेत्र -2.532	10.92	श्यामाप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट (पूर्व में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था)	जी नहीं	2019	कंपनी की राय में, रियायत व्यवस्था/समझौते के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है
कोलकाता में स्टाफ क्वार्टर	-	29.74		जी नहीं	2018	आबंटित। अभी तक पट्टा समझौता निष्पादित नहीं नहीं हुआ है।

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	सकल वहन मूल्य (लाख रुपए में)	..के नाम पर	चाहे संस्थापक हों, निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	अवधि (वर्ष)	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
नई दिल्ली में ट्रांजिट हाउस	2,200 वर्ग फुट	74.96	श्रीमती अनिता सिंघल	जी नहीं	2020	पंजीकरण लंबित है।
पार्किंग स्थान	3.80 एरेस	5.99	श्री के प्रदीप कुमार	जी नहीं	2023	
कोच्ची में सीवीओ अतिथि गृह	3,721 वर्ग फीट	11.11	श्री श्रीकुमार नायर	जी नहीं	2024	
काक्कनाड में आवृत्त भंडारण स्थान	10,887 वर्ग फीट 14,854 वर्ग फीट	56.23 74.51	केंद्रीय भंडारण निगम	जी नहीं	2024	

*पट्टा किराए को रियायती अनुबंध में निर्धारित वार्षिक शुल्क में शामिल किया जाता है।

घ. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, इस खंड के अंतर्गत रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।

ड़. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ii. मालसूची के संबंध में :

क. कंपनी के पास मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन का नियमित कार्यक्रम है, जो सालाना किया जाता है। वर्ष के दौरान प्रबंधन ने प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है।

हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेज़ों और रिपोर्टों के आधार पर और उद्योग के आकार एवं प्रकृति पर विचार करते हुए, प्रबंधन द्वारा किया गया प्रत्यक्ष सत्यापन और उस पर अपनाई गई नीतियां उचित हैं। हालांकि, हमें इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण कमी (यानी, 10% से अधिक) नहीं मिली है,

ख. कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपए से अधिक की कुल गैर-निधि आधारित सीमाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पडने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपए से अधिक की कुल निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई त्रैमासिक विवरणी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निवेशकों को कंपनी के अन्य कर्मचारियों के समान, समान शर्तों पर अग्रिम प्रदान करने के अलावा, किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या किसी भी प्रकार का ऋण या अग्रिम, सुरक्षित या असुरक्षित, कंपनियों, फर्मों और सीमित देयता भागीदारी या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर के अंतर्गत आनेवाले अन्य पक्षों प्रदान नहीं किया है।

क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों तथा सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों के अलावा अन्य पार्टियों को दिए गए ऐसे ऋणों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में वर्ष के दौरान कुल राशि और तुलन पत्र की तारीख पर बकाया शेष राशि निम्नानुसार है :

(₹ लाख में)

विवरण	गारंटी	प्रतिभूति	ऋण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि				
- सहायक कंपनियां	-	-		-
- संयुक्त उद्यम	-	-		-
- सहयोगी	-	-		-
- अन्य	-	-		0.60
उपरोक्त मामलों के संबंध में तुलन पत्र की तारीख पर बकाया शेष (सकल)				
- सहायक कंपनियां	-	-	500.00	-
- संयुक्त उद्यम	-	-		-
- सहयोगी	-	-		-
- अन्य	-	-		0.18

ख. वर्ष के दौरान किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति और उपरोक्त सभी ऋणों और प्रदान की गई गारंटी, दी गई प्रतिभूति के नियम और शर्तें, हमारी राय में, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं है,

ग. ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के संबंध में कंपनी ने मूलधन के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की है और पुनर्भुगतान या रसीदें नियमित हैं ;

घ. कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति के ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कोई भी अतिदेय राशि बकाया नहीं है ;

ड़. कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति का कोई भी ऋण या अग्रिम, जो वर्ष के दौरान देय हो, नवीनीकृत या विस्तारित नहीं किया गया हो या समान पार्टियों को दिए गए मौजूदा ऋणों के अतिदेय का निपटान करने के लिए नए ऋण दिए गए हों ;

च. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (76) में निर्धारित अनुसार प्रमोटरों, संबंधित पक्ष को मांग पर चुकाने योग्य या पुनर्भुगतान की कोई शर्तों या अवधि निर्दिष्ट किए बिना ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है;

iv. कंपनी ने दिए गए ऋणों, किए गए निवेशों और प्रदान की गई गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, जैसा लागू हो, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

v. कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधान और उनके तहत बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

vi. कंपनी, कंपनी अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड बनाए रख रही है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और उनकी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित लागत रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं।

हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

vii. सांविधिक बकाया के संबंध में :

क. कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर और सेवा कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद रूप से लागू वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित रही है ;

दिनांक 31 मार्च 2025 तक उपरोक्त सांविधिक देय राशि देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि तक कोई बकाया नहीं था।

ख. जीएसटी, आयकर, मूल्यवर्धित कर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर का कोई बकाया नहीं था जिसे **अनुलग्नक - घ** के रूप में प्रदान किए गए मामलों को छोडकर किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है

viii. हमें ऐसा कोई लेनदेन नहीं मिला है जो लेखे की बहियों में दर्ज नहीं है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया है। इसलिए, लेखे बहियों में अलिखित आय की रिकॉर्डिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ix. क. कंपनी ने किसी भी ऋणदाता (जैसे, बैंक, वित्तीय संस्थान, सरकार और अन्य ऋणदाता) को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख. जहां तक हमारी जानकारी है, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, इस खंड के लिए रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

घ. कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है। इसलिए, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए धन के उपयोग पर रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता।

ड़. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

इसके अलावा, कंपनी का कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए धन उधार लेने के संबंध में रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

च. कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है।

इसके अलावा, कंपनी का कोई सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, अपने सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण जुटाने के संबंध में रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

x. क. कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

ख. वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई तरजीही आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसलिए इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xi. हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार,

क. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई धोखाधडी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है,

ख. जैसा कि वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट के जारी होने की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के अनुसार केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित किया गया है कि हमारे या कंपनी के पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों या लागत लेखापरीक्षक सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा प्रपत्र एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

ग. जैसा कि प्रबंधन ने बताया है, वर्ष के दौरान कंपनी को कोई मुखबिर नीति शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड (xii) (क), (ख) और (ग) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

xiii. हमारी राय में, वित्तीय वर्ष के दौरान सभी संबंधित पक्ष लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और उक्त लेनदेन का विवरण लागू भारतीय लेखा मानक के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रकट किया गया है।

xiv. क. हमारी राय में, कंपनी के पास व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है। हालांकि, कंपनी अपने प्रचालन के विकसित पैमाने और जटिलता के साथ अधिक निकटता से जुडने के लिए प्रणाली के कुछ पहलुओं को और मज़बूत करने पर विचार कर सकती है।

ख. हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट समय पर प्राप्त कर ली है और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में हमारे द्वारा विधिवत् विचार किया गया है।

xv. हमारी राय में, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या अपने निदेशकों से जुडे व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xvi. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1935 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार आदेश के खंड (xvi) (ख) और (ग) के प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग उत्पन्न नहीं होती है।

इसके अलावा, हमारी राय में, समूह के भीतर कोई मुख्य निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में निर्धारित किया गया है) और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार इस खंड के तहत रिपोर्टिंग का सवाल ही नहीं उठता।

xix. वित्तीय अनुपात, काल प्रभावन और वित्तीय संपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ जुडी अन्य जानकारी के आधार पर, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारा ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करनेवाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी तुलन पत्र की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब भी वे तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं।

हालांकि, हम बताते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे बताते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियां कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने पर चुकाई जाएंगी।

xx. कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दायित्व के संबंध में, हमारी राय में,

क. चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य के संबंध में कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह

महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची ज्क्ष्ः में निर्दिष्ट निधियों में अंतरित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) के तहत रिपोर्टिंग वर्ष के लिए लागू नहीं है।

ख. चालू परियोजनाओं के संबंध में, इसके वैधानिक दायित्व की सीमा तक कोई राशि खर्च नहीं की गई है। इसके अलावा, कंपनी को चालू परियोजनाओं के संबंध में खर्च न की गई शेष राशि को अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (6) के तहत अनुमति के अनुसार एक विशेष लेखे में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं है।

xxi. इस खंड के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस खंड के संबंध में इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

कृते आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
FRN000111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं . 074736

स्थानः कोच्ची
दिनांक : 15.05.2025
यूडीआईएनः 25074736BMIYNV9785

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक - ग

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को हमारी रिपोर्ट 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत अनुच्छेद 4 (एफ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने दिनांक 31 मार्च 2025 को, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षितानुसार, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटि यों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीननिर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिं ग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटिके कारण, स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं :

क. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है :

ख. उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं, और

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

राय

हमारी राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, कंपनी सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखती है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

कृते आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
FRN000111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं . 074736

स्थानः कोच्ची
दिनांक : 15.05.2025
यूडीआईएनः 25074736BMIYNV9785

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक घ - सीएआरओ 2020

सदस्यों को हमारी रिपोर्ट की लेखापरीक्षों की रिपोर्ट के अनुलग्नक-ख के खंड vii (ख) में संदर्भित

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति		राशि (लाख में)		वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
			विवादित	जमा		
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	अंशदान		35.82	-	अप्रैल 2008 से मई 2010	माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुष़ा
	विलंबित प्रेषण के लिए क्षति और ब्याज का दावा		19.84	1.00	जून 2010 से जुलाई 2013	
वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	आईएसी के डिज़ाइन और विकास के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि	सेवा कर	1,647.47	123.56	2004-05	
		ब्याज	6,014.06			
		जुर्माना	1,647.57			
	आईएसी के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त राशि को आईएसी पी -71 पर प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क के अंतर्गत शामिल किया गया है।	सेवा कर	323.04	24.23	2009-10	
		ब्याज	969.16			
		जुर्माना	323.14			
	1. प्रतिभूति सेवाओं के साथ बार्ज टोइंग पर आरसीएम :	सेवा कर	279.46	20.96	2012-13 से 2016-17	सीईएसटीएटी, बैंगलूर
	2. बचाव प्रचालन	ब्याज	514.27			
	3. वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि के लिए गारंटीकृत मरम्मत दायित्वों पर आरसीएम	जुर्माना	279.56			
	1. पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए विभेदक कुल कारोबार (कम मूल्यांकन योग्य मूल्य)	सेवा कर	150.57	11.29	2015-16	आयुक्त (अपील)
	2. प्राप्त और उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति	ब्याज	205.92			
		जुर्माना	15.06			
	कंपनी द्वारा संचालित समुद्री इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान से यार्ड द्वारा प्राप्त प्रशिक्षण शुल्क पर सेवा कर।	सेवा कर	51.24	3.87	2016-17 से 2017-18 (जून 2017 तक)	
		ब्याज	58.12			
		जुर्माना	5.10			
केरल मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2003 $	करयोग्य कारोबार में वृद्धि	कर	787.32	-	मू.व. 2015-16	राज्य कर उपायुक्त, एर्णाकुलम
		ब्याज	582.62			

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति		राशि (लाख में)		वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
			विवादित	जमा		
सीमाशुल्क अधिनियम, 1962	स्वदेशी वायुयान वाहक के लिए चित्र और योजना का वर्गीकरण	शुल्क	269.30	323.67	मार्च 2016 से दिसंबर 2016 तक	सीईएसटीएटी, बैंगलूर
		शुल्क	103.97	104.79	अप्रैल 2017	
		शुल्क	306.97	309.37	अप्रैल 2017	
		शुल्क	789.71	795.88	अप्रैल 2017	
		शुल्क	762.48	768.43	अप्रैल 2017	
		शुल्क	1,790.93	293.46	अप्रैल 2017	
		शुल्क	230.54	526.81	नवंबर 2017	
		कर	296.26			
		शुल्क	89.59	198.07	जून 2018	
		कर	108.48			
		शुल्क	262.86	581.88	दिसंबर 2018	
		कर	318.30			
		शुल्क	191.22	187.43	जून 2018	
		कर	231.55			
	अधिसूचना संख्या 50/2017 के माध्यम से मूल सीमा शुल्क छूट का गलत दावा और 5% आईजीएसटी इनपुट कर क्रेडिट का गलत दावा	शुल्क	5,857.03	5,857.03	जुलाई 2017	
		ब्याज	2,424.43			
		शुल्क	629.34	607.23	अगस्त 2017 से अक्तूबर 2017 तक	
		ब्याज	128.97			
		जुर्माना	230.00			
केंद्रीय माल व सेवा कर अधिनियम, 2017#	अयोग्य इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया गया और उसका उपयोग किया गया	कर	83.75	8.38	अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक	आयुक्त (अपील), केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचीन
		जुर्माना	8.38			
आयकर अधिनियम, 1961	व्यय/प्रावधान/कटौतियों की अस्वीकृति		126.26	126.26	मू.व. 2010-11	आयकर आयुक्त (अपील)
			911.07	928.89	मू.व. 2014-15	
			331.77	331.77	मू.व. 2017-18	
			20.76	22.01	मू.व. 2018-19	
विभागीय अपील						
वित्तीय अधिनियम, 1994 (सेवा कर)	भारतीय नौसेना से प्राप्त प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क की राशि पर सेवा कर का गलत प्रेषण	सेवा कर	376.67	-	2004-05 से 2008-09 तक	सीईएसटीएटी, बैंगलूर
	1. पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए विभेदक कुल कारोबार (कम मूल्यांकन योग्य मूल्य को अपनाने सहित); 2. प्राप्त और उपयोग किए गए सेनवैट क्रेडिट की अस्वीकृति ;	सेवा कर	2,339.64	-	2012-13 से 2014-15 तक	

* सेवा कर मामलों पर ब्याज, जहां कंपनी ने अपील की है, लगभग गणना की गई।

विभाग ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1961 की धारा 111 (m) & (o) और तहत माल की जब्ती न करने और धारा 112 (क) के तहत जुर्माना न लगाने के लिए अपील दायर की है।

$ कंपनी द्वारा सुधार याचिका दायकर की गई।

कृते आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
FRN000111S

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं . 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक : 15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNV9785

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्षों के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। दिनांक 15.05.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधन के मद्देनजर, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(8) में दर्शाया गया है, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी देने या उसे पूरक करने के लिए नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं
महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. वेल्लियांगिरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 05.08.2025

दि. 31 मार्च 2025 का

स्टैंडअलॉन तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	2,79,303.10	70,473.77
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	51,078.79	2,18,869.75
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	1,077.91	1,734.60
(घ) विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	7	68.06	60.64
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	35,852.42	35,524.95
(ii) ऋण	9	551.52	1,037.50
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	374.87	1,998.44
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	11	2,946.83	6,486.87
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	7,295.94	5,963.94
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	2,211.43	6,738.16
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**3,80,760.87**	**3,48,888.62**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	14	1,75,119.70	95,893.98
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	15	22,945.97	29,355.09
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	16	31,083.37	24,583.27
(iii) उपर्युक्त (ii) को छोडकर बैंक शेष	17	2,71,038.29	3,53,812.08
(iv) ऋण	18	644.33	115.11
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	22,411.03	12,922.95
(ग) वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	11	-	144.96
(घ) अन्य कर परिसंपत्तियां	20	4,00,545.67	3,22,311.05
कुल चालू परिसंपत्तियां		**9,23,788.36**	**8,39,138.49**
कुल परिसंपत्तियां		**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	22	5,47,911.16	4,89,433.05
कुल इक्विटी		**5,61,065.20**	**5,02,587.09**
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	2,302.20	2,302.20
(ii) पट्टा देयताएं	24	44,755.75	43,698.28
(ख) प्रावधान	25	5,229.78	4,449.96
(ग) अन्य अप्रचलित देयताएं	26	5.72	6.87
कुल अप्रचलित देयताएं		**52,293.45**	**50,457.31**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) पट्टा देयताएं	27	3,025.42	2,879.63
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि	28	9,503.92	7,973.25
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोडकर लेनदारों के कुल बकाया राशि		28,789.43	34,227.39
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	29	19,481.25	15,455.69
(ख) अन्य चालू देयताएं	30	5,22,613.50	5,11,852.71
(ग) प्रावधान	31	1,05,129.26	62,594.04
(घ) वर्तमान कर देयताएं (निवल)	11	2,647.80	-
कुल चालू देयताएं		**6,91,190.58**	**6,34,982.71**
कुल इक्विटी और देयताएं		**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 70		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या: A25337)

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन,
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा		टिप्पणी सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	आय			
	प्रचालनों से आय	32	452784.15	364527.97
	अन्य आय	33	38044.61	30738.25
	कुल आय		490828.76	395266.22
II	व्यय :			
	उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	34	198159.38	162593.46
	कार्य प्रगति की सूची में परिवर्तन	35	(76.26)	0.00
	उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	36	79265.04	51886.91
	कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	37	40373.69	37152.57
	वित्तीय मूल्य	38	3644.93	3154.60
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्त व्यय	39	8364.37	5693.48
	अन्य व्यय	40	35099.66	22581.74
	प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	41	12613.41	2841.06
	कुल व्यय		377444.22	285903.82
III	आसाधारण मदों और कर पूर्व लाभ		113384.54	109362.40
IV	आसाधारण मदे		0.00	0.00
V	कर पूर्व लाभ		113384.54	109362.40
VI	कर व्यय:			
	(1) चालू कर	11	29550.79	25016.34
	(2) पिछले वर्षों का आयकर	11	875.11	3307.72
	(3) आस्थगित कर	11	(1332.00)	(272.00)
VII	वर्ष का लाभ		84290.64	81310.34
VIII	अन्य ब्योरेदार आय			
	(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे			
	i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		65.96	3554.38
	ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(16.60)	(894.24)
	(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नही किए जाएंगे			
	i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(291.60)	(65.74)
	ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		6.71	1.23
	iii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		73.39	16.58
	वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		(162.14)	2612.21
IX	अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)		84128.50	83922.55
X	प्रति ₹ 5 इक्विटी शेयर की आय:	42		
	(1) मूल (₹)		32.04	30.91
	(2) तनुकृत (₹)		32.04	30.91
	निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3		
	स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 70		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या: A25337)

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन,
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**1,13,384.54**	**1,09,362.40**
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
आसाधारण मदें		-
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय	8,364.37	5,693.48
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	151.97	124.48
वित्त लागत	3,644.93	3,154.60
ब्याज आय	(19,203.15)	(23,895.62)
प्रत्याशित हानि और व्यय के लिए प्रावधान	12,613.41	2,841.06
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है	(14,054.34)	(2,399.95)
व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता	659.59	1,639.20
म्यूचअल फंड से लाभांश आय	(72.78)	(7.49)
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	(331.74)	(316.58)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि	5.65	0.87
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ	(23.90)	-
आस्थगित सरकारी सहायता	(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)	530.62	724.89
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ) /हानि	(1,321.38)	(1,927.77)
बुरे ऋणों को बट्टे खातें में डालना	8,614.55	96.98
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह	**1,12,961.20**	**95,089.41**
कार्यशील पूंजी में चलन :		
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती	(79,225.72)	(60,848.96)
व्यापार, अन्य प्राप्यों और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / घटती	(86,853.34)	(1,70,535.58)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)	40,824.55	1,37,792.40
	(12,293.31)	**1,497.27**
प्रदत्त आयकर वापसी निवल	(14,611.78)	(18,780.00)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड (क)	**(26,905.09)**	**(17,282.73)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद और अमूर्त संपत्तियां	(38,502.02)	(373.06)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(7.42)	-
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी	(9,531.97)	(61,215.86)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी	82,773.79	82,270.66
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी	4,371.92	11,078.97
प्राप्त लाभांश	72.78	7.49
सहायक के इक्विटी शेयरों में निवेश	-	(6,200.00)
सहायक के एनएसडी में निवेश	-	4,400.00
पीपीई से बिक्री आय	35.72	1.75
प्राप्त ब्याज	22,135.78	17,935.30
(उधार)/ ऋणों का पुनर्भुगतान	(43.24)	(64.96)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ख)	**61,305.34**	**47,840.29**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड		
कर मुक्त बांड का मोचन	-	(10,000.00)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ)	878.38	864.95
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान	(2,926.97)	(3,207.96)
प्रदत्त लाभांश	(25,650.38)	(23,677.27)
वित्तीय लागत	(201.18)	(1,051.79)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह (ग)	**(27,900.15)**	**(37,072.07)**
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि (क)+(ख)+(ग)	**6,500.10**	**(6,514.51)**
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक	**24,583.27**	**31,097.78**
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक	**31,083.37**	**24,583.27**

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह स्टैंडअलॉन विवरण

नकदी प्रवाह समाधान:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य शामिल हैं		
बैंक के पास शेष		
चालू खाता	1,483.37	883.27
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	29,600.00	23,700.00
कुल	**31,083.37**	**24,583.27**
नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्य	**31,083.37**	**24,583.27**

1. नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, जिसके तहत कर से पहले लाभ/ हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेन-देन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है, और निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से जुडी पिछली या भविष्य की नकदी प्राप्तियों या भुगतानों और आय या व्यय की मदों के किसी भी आस्थगन या उपार्जन के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

2. नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं (ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा के अलावा), जो बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को छोडकर मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई गो, तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर प्रकट किए जाते हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 70

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या: A25337)

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन,
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2025 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2024 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

ख. अन्य इक्विटी

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	
01 अप्रैल 2024 को शेष	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**
वर्ष का लाभ				84,290.64				84,290.64
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(211.50)			49.36	(162.14)
वर्ष के कुल व्यापक आय				**84,079.14**	**-**	**-**	**49.36**	**84,128.50**
लाभांश				(25,650.38)				(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण							-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.01)						(0.01)
31 मार्च 2025 को शेष	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलॉन विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	
01 अप्रैल 2023 को शेष	**263.56**	**93,151.96**	**6,322.75**	**3,19,005.76**	**12,353.76**	**1,668.44**	**(3,578.40)**	**4,29,187.83**
वर्ष का लाभ				81,310.34				81,310.34
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(47.93)			2,660.14	2,612.21
वर्ष के कुल व्यापक आय				**81,262.41**			**2,660.14**	**83,922.55**
लाभांश (कर सहित)				(23,677.27)				(23,677.27)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				1,668.44		(1,668.44)	-	0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.06)						(0.06)
31 मार्च 2024 को शेष	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें।

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना	1 - 3
स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां	4 - 70

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या: A25337)

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन,
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, दिनांक मई 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ सूचना

1.1 निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल या कंपनी के रूप में संदर्भित) भारत के अग्रणी शिपयार्डों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत मरम्मत में लगी हुई है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी एक मिनीरत्न, अनुसूची-ए, श्रेणी-1 सीपीएसई है, जो भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पेरूमानूर, कोच्ची, केरल है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को, भारत सरकार कंपनी की 67.91% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

दिनांक मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक मई 15, 2025 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंडएजी) द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और शेयरधारकों के अंतिम अनुमोदन के अधीन हैं।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय- समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची iii के प्रभाग में ii में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 नकदी प्रवाह का विवरण के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची iii में निर्धारितानुसार, तुलन पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे नोट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं, जो अधिसूचित लेखांकन मानकों और संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के तहत खुलासा किए जाने के लिए आवश्यक अन्य नोटों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनता है।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपए (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कंपनी की प्रस्तुति है और कार्यात्मक मुद्रा और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमति के अनुसार निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) तक पूर्णांकित किया जाता है, सिवाय इसके कि जब अन्यथा संकेत दिया गया हो।

2.3 माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है:

i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;

iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है ;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ;

vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

ख) पट्टे

कंपनी मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी पट्टे अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करती है।

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण, कई कारकों के मूल्यांकन पर आधारित है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन यह सीमित नहीं है, पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार का विकल्प खरीदने और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान लगाना का कार्य, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टा अवधि का अनुपात, पट्टे पर दी गई संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा आदि।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में मूल्यवर्गित पट्टों के लिए, कंपनी वृद्धिशील उधार दर को कंपनी के लिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानती है।

ग) गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावे की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावे वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

घ) मुकदमे

समय-समय पर, कंपनी कानूनी कार्यवाही के अधीन होती है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए संशोधन किए जाते हैं।

ङ) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या मौजूदा बाज़ार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाज़ार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जिनका वर्णन निम्नानुसार है:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाज़ार विवरण या बाज़ार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में कंपनी धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। इसमें बाजार सहभागियों द्वारा उपकरण का मूल्य निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, इसके अनुरूप अनुमान और धारणाएं विकसित करना शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नही होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

च) परिनिर्धारित नुकसान

कंपनी की परिनिर्धारित नुकसान के सामने दावे वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

छ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

आउटपुट पद्धति के तहत आज तक किए गए कार्य को मापकर या पूर्ण किए गए प्रदर्शन का सर्वेक्षण करके समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है। इस पद्धति के तहत, प्रत्येक अनुबंध में आज तक पूर्ण किए गए कार्य राजस्व को मापने और पहचानने का आधार है। प्रत्येक परियोजना टीम द्वारा रिपोर्टिंग तिथि तक तकनीकी प्रगति के आधार पर मात्रा की गणना की जाती है। मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित अनुबंधों में निर्धारित विचार के अनुरूप आज तक पूर्ण / मापे गए कार्यों के मूल्य को दर्शाता है।

ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

ज) निश्चित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निश्चित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना

कंपनी ने इस वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अवधि के लिए सभी लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है, सिवाय इसके कि जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक शुरू में अपनाया गया है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

कंपनी इस नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां प्रस्तुत करती है, जिन्हें इन स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के अंतर्गत संदर्भित प्रासंगिक नोटों में प्रस्तुत और प्रकट की गई जानकारी के साथ पढा जाना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना माना जाना चाहिए।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पहचान और माप :

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाया जाता है। 01 अप्रैल 2015 को मौजूद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं के लिए, यानी कंपनी के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि, उस तिथि के अनुसार मानी गई लागत यानी वहन राशि पर ले जाया गया।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग-अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

स्पेयर पार्ट्स को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे पीपीई की परिभाषा को पूरा करते हैं, यानी, जब कंपनी इन्हें 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए उपयोग करने का इरादा रखती है, जिसका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है (सीमित आवश्यकताएं प्रबंधन द्वारा तय की जानी हैं) जो कि हो सकती है कि इसका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के संबंध में किया जाता है और जिनका उपयोग अनियमित होने की उम्मीद है, उन्हें संबंधित परिसंपत्तियों के अतिरिक्त या मूल मद के उपयोगी जीवन पर, जो भी कम हो, पूंजीकृत और मूल्यह्रास किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय :

आगामी लागतों को परिसंपत्ति की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मदों की लागत महत्वपूर्ण है और इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (एक परियोजना सहित) पर किया गया व्यय पूंजीगत कार्य प्रगति के तहत लागत पर किया जाता है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकासः डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रूप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयरः सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

दिनांक 01 अप्रैल 2015 को विद्यमान अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए, अर्थात् कंपनी की भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि को, उसे तिथि की मानी गई लागत अर्थात् वहन राशि पर वहन किया गया।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकासाधीन है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसे मदों पर होनेवाली संचित लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

3.4 पट्टे

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करती है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात् यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

i) पट्टेदार के रूप में:

पट्टा शुरू होने की तारीख में, कंपनी एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोडकर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियां

उपयोग के अधिकार-वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में, उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयताएं

पट्टा देयताएं को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है यानी, प्रभावी ब्याज पद्धति के तहत परिशोधित लागत। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके।

पट्टा देयताएं पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके तथा किए गए पट्टा भुगतानों को दर्शाने के लिए वहन राशि में कमी करके पट्टा दायित्व को बाद में पुनः मापा जाता है।

पट्टा देयता को कुछ घटनाओं के घटित होने पर पुनः मापा जाता है, जैसे कि पट्टा अवधि में परिवर्तन या पट्टा भुगतान निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जानेवाले सूचकांक या दर में परिवर्तन। जब पट्टा देयता को पुनः मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की वहन राशि में एक संगत समायोजन किया जाता है, या लाभ और हानि के विवरण में दर्ज किया जाता है, यदि उपयोग के अधिकार-वाली परिसंपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा दायित्व के पुनर्माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि, लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंडअलॉन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोडकर पट्टे के दायरे को बढाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है। पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा दायित्व और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जानेवाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

कंपनी तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टा देनदारियों को अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत करती है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में:

पट्टे जिसके लिए कंपनी एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यह्रास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II भाग ग में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नई ड्राई डॉक परियोजना के लिए निर्मित विकसित की गई परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- कोचीन पत्तन न्यास से अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए, तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए शेष उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।
- पट्टे पर दिए गए परिसर की परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति/पट्टे पर दिए गए परिसर की परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टे की अवधि की समाप्ति में से जो भी कम हो, उस पर सीधी रेखा के आधार पर आरंभ तिथि से किया जाता है।
- कुछ प्रकार के भवनों और उपकरणों के लिए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन का अनुमान अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न लगाया गया है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/हटाने पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे परिवर्धन की तिथि से और ऐसे विलोपन की तिथि तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यह्रास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों के लिए प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन डबल पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण क अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यदि कोई हानि हो तो उनका जांच की जाती है।

3.6 परिसंपत्तियों का हानिकरण - गैर वित्तीय संपत्ति

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि जांच की आवश्यकता

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करनेवाली इकाई के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। हानि क्षति तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उपयोग मूल्य का आकलन करते समय, अनुमानित भावी नकदी प्रवाहों को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है, जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति से संबंधित जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है। निपटान लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करते समय, हाल के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

कंपनी अपनी हानि की गणना विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर आधारित करती है, जो कंपनी के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग-अलग तैयार किए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्तियाँ आवंटित की जाती हैं। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा कवर की गई अवधि से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए, कंपनी आगामी वर्षों के लिए स्थिर या घटती वृद्धि दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाती है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित न ठहराया जा सके। सद्भावना को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या ऐसा कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उल्टा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने हेतु उपयोग की जानेवाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई वहन राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास को छोडकर, यदि पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.7 माल सूची

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। जब उनका उपयोग परियोजना के लिए किया जाता है, तो मूल्यांकन परियोजना विशिष्ट भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

प्रगति पर कार्य का मूल्यांकन लगात और निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया गया है।

भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है

पारगमन में माल का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

3.8 वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देनदारी या इक्विटी साधन को सृजित कर देता है।

जब कंपनी साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

क) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होनेवाली लेनदेन लागत को भी मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर होनेवाली लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

आगामी माप

आगामी माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वितीतय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

iii) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्चक्रण/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

एक ऋण साधन में निवेश को परिमाप्य लागत पर मापा जाता है यदि दोनों निम्न शर्तें पूरी होती है : संपत्ति एक व्यावसायिक नमूने के भीतर संभाली जाती है, जिसका उद्देश्य है-

(1) संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्रित करने के लिए संपत्ति रखने, और

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर सृजित करती है जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान बकाया राशि पर होती हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और क्रेडिट जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि मॉडल लागू करती है :

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है।

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य।

सरलीकृत दृष्टिकोण

कंपनी व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन करती है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

व्यापार प्राप्तियां

कंपनी डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मानक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छूट के माध्यम से मापा जाना।

कंपनी सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

प्रावधान मैट्रिक्स व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, महत्वपूर्ण रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाती है।

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय संपत्तियों ओर जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने हेतु 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम काफी बढ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि बाद की अवधि में, साधन की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होनेवाली अपेक्षित क्रेडिट हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है : ईसीएल के भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में। भत्ता निवल वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति राइट-ऑफ मानदंडों को पूरा नहीं करती, कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध : ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देनदारी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण : चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियां पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है। इसके बजाय, ईसीएल राशि को ओसीआई में संचित हानि राशि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ग) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों और परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियों के रूप में जैसा उपयुक्त हो वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देनदारियों के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के निवल रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देनदारियों के मामले में, वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

आगामी माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित हैं :

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां ;
- वित्तीय गारंटी अनुबंध;

i) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ एवं हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयता

वित्तीय देनदारियां जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, उन्हें आगामी लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देनदारियों की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है। लाभ और हानि को लाभ एवं हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देनदारियों की पहचान रद्द कर दी जाती है और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

iii) वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होनेवाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देनदारी को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

घ) वित्तीय साधनों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक अंतरित कर दिया है या कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफल को न तो अंतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण अंतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देनदारी को उसी ऋणदाता से काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देनदारी की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देनदारी की मान्यता को रद्द करने और एक नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ङ) वित्तीय साधनों का ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

च) व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए क्रमशः वायदा मुद्रा अनुबंध जैसे व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। इस तरह के व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर पुनः मापा जाता है। व्युत्पन्न के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन हेजिंग उपकरणों के रूप में व्युत्पन्न के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर व्युत्पन्न को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देनदारियों के रूप में ले जाया जाता है।

व्युत्पन्न जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध करती है। कंपनी आम तौर पर पूरे वायदा अनुबंध को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करती है।

ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, कंपनी औपचारिक रूप से हेज संबंध को नामित और दस्तावेज़ित करती है, जिस पर कंपनी हेज लेखांकन और हेज करने के लिए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और कार्यनीति को लागू करना चाहती है। व्यापार प्राप्य के अलावा सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शूरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होनेवाली लेनदेन लागत को भी मान्यता दी जाती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण सीधे तौर पर होनेवाली लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ऐसी हेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय में पहचाना जाता है और इक्विटी के अंतर्गत नकदी प्रवाह हेज रिज़र्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः व्युत्पन्न पर लाभ या व्युत्पन्न हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से पहचानी गई और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनःवर्गीकृत किया जाता है जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज मद के समान पंक्ति वस्तु में या आधार समायोजन के रूप में माना जाता है यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप बाद में गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है। जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में अंतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

छ) अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

ज) अनुबंध देयताएं

जहां कंपनी को विचार प्राप्त होता है, या कंपनी के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि कंपनी ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित

करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, कंपनी को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस प्रकार के प्रावधानों में शामिल वारंटी दायित्वों को अलग से निष्पादन दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से अनुबंधित करने का विकल्प न हो, इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्यता दी जाती है। इन प्रावधानों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप प्रचालन निर्माण परियोजनाओं के चक्र से संबंधित हैं।

दिए गए पोतों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोतों के लिए गांरटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अनुबंध को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल लागतें अपेक्षित अनुबंध राजस्व से अधिक हैं। जहां उपयुक्त हो, प्रावधान की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से, बजट अनुबंध राजस्व में पूर्वानुमानित राजस्व शामिल होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 37 के साथ-साथ वृद्धिशील लागतों के अनुरूप संभावित माना जाता है। सामान्य लागतें सीधे अनुबंध के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं और इसलिए बजट लागत से बाहर रखा जाता है जब तक कि उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 68 के अनुरूप अनुबंध के अनुसार प्रतिपक्ष को स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आसस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। कंपनी आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिथली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तत्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तत्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.10 राजस्व मान्यता

क) परिचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् लेनदेन मूल्य, जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है।)

प्रथमतः राजस्व मान्यता प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुबंधों की पहचान तथा उनमें निहित निष्पादन दायित्वों का तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है।

पोत निर्माण और / या पोत मरम्मत खंडों में प्रत्येक जलयान के लिए एक एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एकीकरण और अनुकूलन का उच्च स्तर एक संयुक्त आउटपुट बनाता है, जिसे समय के साथ ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

कंपनी समय के साथ राजस्व की पहचान करने के लिए अनुबंध के आरंभ में पूर्णता की प्रगति को मापने के लिए उपयुक्त विधि का चयन करती है, और संबंधित खंडों और/या उस पर किए गए कार्यों के तहत समान प्रदर्शन दायित्वों के लिए लगातार लागू होती है।

समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब कंपनी प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकती है।

कंपनी द्वारा किए गए पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरे किए जाते हैं, न कि किसी समय पर, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोगवाली कोई परिसंपत्ति नहीं बनाता है, अर्थात् संविदात्मक प्रतिबंध और व्यावहारिक सीमाएं उस परिसंपत्ति को किसी अन्य उपयोग के लिए आसानी से

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्देशित करने हेतु (यहां तक कि कुछ मामलों में यह ऐसा करने में सक्षम होगा, यह केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों और महत्वपूर्ण लागत के बाद ही किया जा सकता है) और इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब कंपनी स्वदेशी वायुयान वाहक को छोडकर पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंध के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन के आधार पर उत्पादन पद्धति का उपयोग करके ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो कि आंशिक रूप से कीमत निश्चित मूल्य आधार 'और आंशिक रूप से आंशिक लागत प्लस आधार' है,

- निश्चित मूल्य भाग से प्राप्त राजस्व को ऊपर बताए अनुसार मान्यता प्राप्त है।
- सामग्री और डिजाइन आउटसोर्सिंग की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत से अधिक भाग के निशान के माध्यम से राजस्व को मान्यता दी जाती है, जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर पूरा किया जाता है।
- सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और पोत के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पोत मरम्मत अनुबंधों के मामले में जिसमें निरंतर कई वर्षों तक रखरखाव सहायता/आवर्ती और नियमित सेवाएं शामिल हैं, कंपनी ने समय-व्यतीत आउटपुट विधि का विकल्प चुना है, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि तक बीते समय के आधार पर प्रगति को मापना, जो माल और/या सेवाओं के बदले में प्रतिफल के हकदारी के अधीन प्रदर्शन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

कंपनी को उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई विधि में प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापना निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतित किया जाएगा।

किसी अनुबंध के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जहां कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकती है और कंपनी प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में हुई लागतों को वसूलने की उम्मीद करती है, राजस्व को केवल उस समय तक की लागतों की सीमा तक मान्यता दी जाएगी जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकती है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

कंपनी आम तौर पर अतिरिक्त कार्य से किसी भी राजस्व को तब तक मान्यता नहीं देती है जब तक कि ग्राहक द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती है। जब कार्य का दायरा स्वीकृत हो गया हो लेकिन राजस्व पर प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया हो, तो परिवर्तनीय विचार आवश्यकता (जैसा कि नीचे बताया गया है) लागू होगी। इसमें राजस्व को उस राशि में मान्यता देना शामिल है जिसे वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

यदि किसी अनुबंध में दिए गए विचार में छूट, धनवापसी, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान वस्तुओं जैसे परिवर्तनीय राशि शामिल हैं, तो कंपनी उस अनुमानित निवल राशि का अनुमान लगाती है जिसके लिए कंपनी वादा किए गए सामानों को या ग्राहक के लिए सेवाएं और उसी के लिए खाते में स्थानांतरित करने के बदले में हकदार है। भुगतान शर्तें ग्राहकों के साथ संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य पर आधारित है। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण कार्य को प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

बेस एवं डिपो स्पेयर्स की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहक से माल की प्राप्ति के प्रमाण पर किसी समय पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर की जाती है।

राजस्व मान्यता के विपरीत, ग्राहक को बिल की गई राशि अनुबंध के तहत प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित होती है और ग्राहक द्वारा प्रगति बिलिंग प्रमाणपत्र के रूप में संदर्भित अनुबंध दस्तावेज़ के माध्यम से इसकी पावती पर आधारित होती है। इसलिए, किसी दिए वर्ष के लिए राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां आवश्यक रूप से ग्राहक को बिल की गई या प्रमाणित

की गई राशियों से मेल नहीं खातीं। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से अधिक है, अंतर को अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जबकि ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से कम है,अंतर को 'अन्य चालू देयताओं' के अंतर्गत 'अनुबंध देयता' के रूप में मान्यता दी जाती है।

स्टॉक वस्तुओं और स्क्रैप की बिक्री के संबंध में अन्य प्रचालन राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब कंपनी निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेती है और ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प्रबंधन शुल्क भी एक निश्चित समयावधि में निर्धारित किया जाता है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुडे शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता को समय-समय पर किए गए खर्चों/ लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और 'अन्य परिचालन राजस्व' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान दो पहले से किए गए व्यय या हानियों के लिए मुआवजे के रूप में प्राप्य है या कोई भविष्य संबंधी लागत न होने वाले कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है, जिस अवधि में वे प्राप्य हो जाते हैं।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए अग्रिम ब्याज असर जुटाना अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, जुटाना अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा आधार पर होता है।

ii) बीमा दावे के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा नीतियों के तहत पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए लिए बीमा पॉलसियाँ, संरक्षित गारंटी दोषों अथवा बिल्डरों की जोखिम बीमा नीति के तहत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को उस वर्ष के खातों में पहचाना जाएगा जिसमें सर्वेक्षण पूरा हो गया है और बीमा कंपनी द्वारा सूचित निपटान की संभाव्य राशि।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

आय की अन्य मदों का लेखा तब किया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.11 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, दो प्रकृति में दीर्घकालीक है, शामिल है।

पोस्ट - रोजगार लाभ योजना

i) निर्धारित योगदान योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किया जाता है और देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को,

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं होता है।

कंपनी, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी म्युचुअल पब्लिक वेल्फेयर ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान देती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

ii) निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

कंपनी उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। इस निधि को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ग्रूप उपदान न्यास के न्यासी संचालित करता है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

भविष्य निधि और पेंशन योजना

कंपनी एक निर्धारित अंशदान सेवानिवृत्ति लाभ योजना के तत्व में, अंशदायी भविष्य निधि की ओर अंशदान भी किया जाता है। भविष्य निधि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के न्यासियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित कंपनी के भविष्य निधि के नियमों अपेक्षित करते हैं कि यदि निवेश पर आय कम है या किसी अन्य कारण से कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 60 के तहत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा घोषित दर पर ब्याज देने में असमर्थ है तो, तब कंपनी द्वारा कमी दूर की जाएगी। निधि की परिसंपत्तियों और निवेशों पर आय के संबंध में, कंपनी वर्ष के अंत में किसी भी कमी की उम्मीद नहीं करती है। कमी, अगर कंपनी द्वारा किसी भी आकलन के लिए खातों में प्रदान की जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

कंपनी को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.12 आय पर कर

क) आय कर

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है।

वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमशःअन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।.

कंपनी ने निर्धारित किया है कि अनिश्चित कर उपचारों सहित आयकर से संबंधित ब्याज और दंड,आयकर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों के तहत हिसाब में लिया गया है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख) चालू कर

वर्तमान कर की गणना वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य होने की अपेक्षित कर राशि और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किसी भी समायोजन के आधार पर की जाती है। वर्तमान देय या प्राप्य कर की राशि, भुगतान या प्राप्त होने की अपेक्षित कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है, यदि कोई हो। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

ग) आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.13 परिचालन खंड

परिचालन खंड किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

कंपनी ने व्यापार सेग्मेन्टों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेन्टों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेन्ट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोत मरम्मत शामिल है।

सेगमेंट राजस्व, सेगमेंट व्यय, सेगमेंट परिसंपत्तियां और सेगमेंट देयता को सेगमेंट की परिचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेगमेंट में पहचाना गया है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयता जो पूरी कंपनी से संबंधित हैं और उचित आधार पर सेगमेंट में आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अनाबंटित राजस्व / व्यय / परिसंपत्तियां / देयता के तहत शामिल किया गया है।

3.14 हाल की अधिसूचनाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत नए मानकों या मौजूदा मानकों में संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एमसीए ने भारतीय लेखा मानक 117- बीमा अनुबंध और भारतीय लेखा मानक 116-पट्टे में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो बिक्री और पट्टा बैंक लेनदेन से संबंधित हैं, जो 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

दिनांक 09 मई 2025 को एमसीए भारतीय लेखा मानक 21 - विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और मुद्राओं के आसानी से विनिमय योग्य न होने पर विनिमय दरों का अनुमान लगाने पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संशोधन 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। कंपनी वर्तमान में अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के संभावित प्रभाव का आकलन कर रही है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
इमारतें	18,450.18	3,328.56	-	21,778.74	4,701.94	577.36	-	5,279.30	16,499.44	13,748.24
प्लांट और मशीनरी	21,692.45	28,440.77	10.08	50,123.14	14,201.34	1,534.47	5.43	15,730.38	34,392.76	7,491.11
फर्नीचर और जुडाव	1,865.12	115.63	0.82	1,979.93	983.55	150.77	0.17	1,134.15	845.78	881.57
वाहन	643.29	277.66	14.23	906.72	467.08	57.72	12.21	512.59	394.13	176.21
कार्यालय उपस्कर	675.19	267.78	0.69	942.28	433.17	111.47	0.41	544.23	398.05	242.02
अन्य					-					-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,919.04	814.20	160.25	3,572.99	1,970.55	374.88	150.38	2,195.05	1,377.94	948.49
गोदी और घाट	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
रेलवे साइडिंग	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,280.77	291.88	-	2,572.65	1,362.38	162.91	-	1,525.29	1,047.36	918.39
नाली और जलपूर्ति	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
यानें	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
उप कुल	**53,661.10**	**1,36,393.20**	**186.07**	**1,89,868.23**	**26,874.47**	**3,372.21**	**168.60**	**30,078.08**	**1,59,790.15**	**26,786.63**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,589.68	178.83	-	2,768.51	911.39	148.30	-	1,059.69	1,708.82	1,678.29
प्लांट और मशीनरी	2,712.28	79,501.17	-	82,213.45	273.21	2,223.49	-	2,496.70	79,716.75	2,439.07
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	579.83	80.55	-	660.38	308.17	50.90	-	359.07	301.31	271.66
उप कुल	**5,891.41**	**79,760.55**	**-**	**85,651.96**	**1,501.12**	**2,422.69**	**-**	**3,923.81**	**81,728.15**	**4,390.29**
कुल (क)+(ख)	**59,552.51**	**2,16,153.75**	**186.07**	**2,75,520.19**	**28,375.59**	**5,794.90**	**168.60**	**34,001.89**	**2,41,518.30**	**31,176.92**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	41,352.45	173.81		41,526.26	7,089.97	1,464.51	-	8,554.48	32,971.78	34,262.48
उपयोग का अधिकार- इमारतें	175.48	11.11		186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
उपयोग का अधिकारी - पोत मरम्मत सुविधा	7,000.00			7,000.00	2,004.33	210.34		2,214.67	4,785.33	4,995.67
उप कुल	**48,527.93**	**184.92**	**-**	**48,712.85**	**9,231.08**	**1,696.97**	**-**	**10,928.05**	**37,784.80**	**39,296.85**
कुल (क+ख+ग)	**1,08,080.44**	**2,16,338.67**	**186.07**	**3,24,233.04**	**37,606.67**	**7,491.87**	**168.60**	**44,929.94**	**2,79,303.10**	**70,473.77**

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल वहन राशि				मूल्यह्रास				निवल वहन राशि	
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान जोड़/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
इमारतें	18,269.68	181.15	0.65	18,450.18	4,119.21	583.17	0.44	4,701.94	13,748.24	14,150.47
प्लांट और मशीनरी	21,028.49	669.88	5.92	21,692.45	12,612.01	1,594.96	5.63	14,201.34	7,491.11	8,416.48
फर्नीचर और जुडाव	1,664.35	204.75	3.98	1,865.12	841.54	145.79	3.78	983.55	881.57	822.81
वाहन	642.54	7.55	6.80	643.29	422.53	51.03	6.48	467.08	176.21	220.01
कार्यालय उपस्कर	591.22	84.73	0.76	675.19	358.12	75.78	0.73	433.17	242.02	233.10
अन्य					-					-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,694.00	233.49	8.45	2,919.04	1,686.23	291.20	6.88	1,970.55	948.49	1,007.77
गोदी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	2,440.78	299.41	-	2,740.19	1,726.26	2,025.67
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,072.04	208.73	-	2,280.77	1,223.02	139.36	-	1,362.38	918.39	849.02
नाली और जलपूर्ति	23.55	-	-	23.55	0.98	1.07	-	2.05	21.50	22.57
यानें	21.88	34.54	-	56.42	9.80	2.42	-	12.22	44.20	12.08
उप कुल	**52,062.84**	**1,624.82**	**26.56**	**53,661.10**	**23,714.22**	**3,184.19**	**23.94**	**26,874.47**	**26,786.63**	**28,348.62**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें	2,508.79	80.89	-	2,589.68	768.88	142.51	-	911.39	1,678.29	1,739.91
प्लांट और मशीनरी	937.73	1,774.55	-	2,712.28	209.27	63.94	-	273.21	2,439.07	728.46
गोदी और घाट	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
विद्युत संस्थापन	536.35	43.48	-	579.83	261.29	46.88	-	308.17	271.66	275.06
उप कुल	**3,992.49**	**1,898.92**	**-**	**5,891.41**	**1,247.79**	**253.33**	**-**	**1,501.12**	**4,390.29**	**2,744.70**
कुल (क)+(ख)	**56,055.33**	**3,523.74**	**26.56**	**59,552.51**	**24,962.01**	**3,437.52**	**23.94**	**28,375.59**	**31,176.92**	**31,093.32**
(ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	39,738.84	1,613.61	-	41,352.45	5,418.93	1,671.04	-	7,089.97	34,262.48	34,319.91
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07	2.41	-	175.48	118.34	18.44	-	136.78	38.70	54.73
उपयोग का अधिकारी - पोत मरम्मत सुविधा	7,000.00	-	-	7,000.00	1,793.99	210.34	-	2,004.33	4,995.67	5,206.01
उप कुल	**46,911.91**	**1,616.02**	**-**	**48,527.93**	**7,331.26**	**1,899.82**	**-**	**9,231.08**	**39,296.85**	**39,580.65**
कुल (क+ख+ग)	**1,02,967.24**	**5,139.76**	**26.56**	**1,08,080.44**	**32,293.27**	**5,337.34**	**23.94**	**37,606.67**	**70,473.77**	**70,673.97**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क) भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045 हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्टस को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।)

ख) भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्यह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिराने की संभावना है।

ग) फ्रीहोल्ड भूमि में कंपनी की 197.12 एकड (487.00 सेंट) की कंपनी की भूमि संपत्तियां शामिल हैं जो सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड, सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18, सर्वे सं.714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और 714/5 में 10.93 एकड में बना हुआ है। ये सभी एलमकुलम गांव, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिला, केरल में एक पडे हुए हैं, जिन्हें कर मुक्त बांड जारी करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रदान किया गया है।

घ) कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर बियरर प्लांट है जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे बियरर प्लांट की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन्हें पूंजीकृत नहीं किया गया था।

ङ) सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

च) निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत् निष्पादित किए जाते हैं:

1. कंपनी ने 12 अप्रैल 2013 को (प्रथम चरण) कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.12 हेक्टेयर भूमि (8.1164 हेक्टेयर के रूप पुनः मापी गई) और 15 हेक्टेयर जल निकाय पट्टे पर लिया है। सीएसएल ने 16 नवंबर 2017 को (द्वितीय चरण) को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.134 हेक्टर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी पट्टे पर लिया है। सीएसएल और सीओपीए के बीच दो पट्टा समझौते (अर्थात् भूमि/जल निकाय का प्रथम चरण आबंटन और भूमि का द्वितीय चरण आबंटन) किए गए थे और दोनों पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

2. कंपनी ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक पर पोत मरम्मत सुविधा को उन्नत करने, संचालित करने और प्रबंधित करने तथा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इंदिरा डॉक और एसएमपीटी के नेताजी सुबाष डॉक के बर्थ सं. 6 पर निर्दिष्ट बर्थों के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

   एमबीपीटी में परियोजना स्थल को 29 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टांप शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

   श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए एसएमपीटी के साथ रियायत समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है।

छ) भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम शुल्क का प्रतिनिधित्व करता है। पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधन किया जाना था जिसे पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की तिथि के आधार पर आगे बढाया गया था। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी दिनांक 09 जनवरी 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

ज) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर कोलकाता में स्टाफ क्वार्टर सीएसएल को आबंटित कर दिया गया है। पट्टा समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है।

झ) निम्नलिखित पट्टा आधारित संपत्तियों के मामले में पंजीकरण लंबित है:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	के नाम पर रखा गया
नई दिल्ली में ट्रांजिट हाउस	2,200 वर्ग फुट	श्रीमती अनिता सिंघल
पार्किंग स्थान	3.80 एरेस	श्री के प्रदीप कुमार
कोच्ची में मु.स.अ. का अतिथि गृह	3,721 वर्ग फुट	श्री श्रीकुमार नायर
काक्कनाड में बंद स्टोरेज जगह	10,887 वर्ग फुट	केंद्रीय भंडारण निगम
	14,854 वर्ग फुट	

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ञ) दिनांक 31 मार्च 2025 तक, 403.40 लाख रुपए (पिछले साल 465.55 लाख रुपए) की वहन राशिवाले संयंत्र और उपकरण अस्थायी रूप से निष्क्रिय थे, लेकिन कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2025-26 में परिसंपत्तियों को संचालित करने की है।

ट) 17918.81 लाख रुपए (पिछले साल 12938.36 लाख रुपए) की परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका है, लेकिन वे अभी भी उपयोग में है।

ठ) संयंत्र एवं उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय में अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर 2.83 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। (पिछले वर्ष वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित 25.95 लाख रुपए था)।

ड) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रमुख परियोजनाओं अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और नई ड्राई डॉक को क्रमश: 79344.26 लाख रुपए और 131938.92 लाख रुपए की राशि से पूंजीकृत किया है।

इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रबंधन द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए की गई है। अपनाई गई उपयोगी जीवन अवधि नीचे दी गई तालिका विस्तृत रूप से दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा — **उपयोगी जीवन वर्षो में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन*
क. शिप लिफ्ट घटक			
विंच, कंट्रोल टॉवर, शिन इनहॉल/मूरिंग, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनर	15	28
प्लेटफॉर्म स्टील वर्क	संयंत्र और मशीनरी	15	55
व्हील फेंडर	संयंत्र और मशीनरी	15	17
ख. पोत अंतरण घटक			
ट्रेस्टल, बोगी, स्पेयर पार्ट्स, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	15	28
ग. अन्य संपत्तियां			
फ्लैट टॉप टावर क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	15	40
पोत लिफ्ट और अंतरण से संबंधित सुविधा			
जेटी 1, जेटी 2, कनेक्शन जेटी, वर्कस्टेशन उत्तर, वर्कस्टेशन दक्षिण	संयंत्र और मशीनरी	15	28

* उपयोगी जीवन आईएसआरएफ की शेष पट्टा अवधि तक सीमित है, अर्थात् 23 वर्ष

नया ड्राई डॉक — **उपयोगी जीवन वर्षो में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन*
सूखी गोदी सिविल	डॉक और घाट	15	60
पंप हाउस	इमारत	60	60
कैसन गेट	संयंत्र और मशीनरी	15	60
600 टी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	15	40

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्लांट और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	37,288.51	1,85,942.50
जोड़ें : निर्माण के दौरान व्यय	1,924.08	12,141.82
पूंजी यार्ड मद	11,865.81	20,784.15
मार्गस्थ वस्तुएं	0.39	1.28
कुल	**51,078.79**	**2,18,869.75**

निर्माण के दौरान व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्रारंभिक जमा	12,141.82	9,570.95
जोड : वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	205.27	364.32
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यह्रास	169.49	545.32
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्तीय लागत	544.61	1,661.23
पीपीई में स्थानांतरित	(11,137.11)	
कुल	**1,924.08**	**12,141.82**

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय शामिल है जिसकी राशि शून्य है। (पिछले वर्ष- 24.78 लाख रुपए)।

दिनांक 31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	47,158.04	2,827.58	981.63	111.54	51,078.79
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर	63,872.05	33,114.16	16,434.84	1,05,448.70	2,18,869.75
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
सूखी गोदी	28,150.79	-	-	-
आईएसआरएफ	17,772.57	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
सीएमएसआरयू टवर क्रैन	563.77	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	393.22	-	-
सीएनसी प्लाज्मा सह ऑक्सी ईंधन प्लेट काटने की मशीन	315.48	-	-	-
सीकेएसआरयू में टवर क्रैन	264.58	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	204.68	-	-	-
व्यापार विकास के लिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	117.75	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	107.59	-	-	-
ईडब्ल्यूएसबी सॉकेट आउटलेट के साथ 4 एचसी बीबीटी एचसी बे	102.01	-	-	-
एसएसडी में ब्लॉक निर्माण के लिए स्किड का निर्माण	71.27	-	-	-
जनरल स्टोर के पास 300 केडब्ल्यूपी सोलार पावर प्लांट	68.66	-	-	-
एचसी बे ऑफ हल में 5/एचसी बीबीटी का प्रतिस्थापन	46.01	-	-	-
लोड सेल 150 टन क्रेन	38.02	-	-	-
ईओटी क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	36.20	-	-	-
इंजन शॉप और मशीन शॉप में स्विच बोर्ड	25.56	-	-	-
बीडी पंप पिट में ग्रेटिंग की फिक्सिंग	20.47	-	-	-
50 टन क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	20.11	-	-	-
गेट्स, विजिटर्स सेंटर, गोल्डन प्लाज़ा का रीमॉडलिंग	6.90	-	-	-
सीएमएसआरयू में एचडीडी बिल्डिंग में मेजेनाइन फ्लोर	2.50	-	-	-
गतिशील शेड का डिज़ाइन	2.31	-	-	-

दिनांक 31.03.2024 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
कैसॉन गेट - कोलकाता यूनिट	1503.61	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	923.67	-	-	-
व्यापार विकास के लिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	36.81	-	-	-
बेसिक डिज़ाइन के लिए कार्यालय स्थान	19.37	-	-	-
डॉक आर्म उपकरण	352.78	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	88.10	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	162.25	-	-
क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	56.30	-	-	-
परियोजना प्रबंधन अनुभाग के लिए कार्यालय	52.15	-	-	-
बीबीटी और टैप ऑफ बॉक्स	54.82	-	-	-
हल शॉप पर विद्युत स्थापना	23.48	-	-	-

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 6 : अगोचर परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4,579.26	385.30	-	4,964.56	2,844.66	1,041.99	-	3,886.65	1,077.91	1,734.60
कुल	**4,606.93**	**385.30**	**-**	**4,992.23**	**2,872.33**	**1,041.99**	**-**	**3,914.32**	**1,077.91**	**1,734.60**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ (आहरण)	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	2,888.58	1,690.68	-	4,579.26	1,943.20	901.46	-	2,844.66	1,734.60	945.38
कुल	**2,916.25**	**1,690.68**	**-**	**4,606.93**	**1,970.87**	**901.46**	**-**	**2,872.33**	**1,734.60**	**945.38**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 7 : विकासाधीन अगोचर परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
विकासाधीन अगोचर परिसंपत्तियां	68.06	60.64
कुल	68.06	60.64

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2025 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	7.43	-	32.18	28.45
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

विकासाधीन अगोचर संपत्तियां दिनांक 31.03.2024 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अगोचर संपत्तियां	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं - प्रगति पर	0.00	32.18	28.46	0.00
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2025 तक विकासाधीन अतिदेय अगोचर संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06			

दिनांक 31.03.2024 तक विकासाधीन अतिदेय अगोचर संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	60.64			

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 8 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	मार्च 31,2025 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2024 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अनकोट्ड (पूर्णतया प्रदत्त)					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
क) लागत पर					
सहायक कंपनी में इक्विटी शेयर					
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	10	14,00,00,000	14,00,00,000	13,935.34	13,935.34
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड)	10	10,80,00,000	10,80,00,000	10,800.00	10,800.00
ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्त समिति लिमिटेड में निवेश के 2175 पूर्णतया प्रदत्त बी क्लास शेयर	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	10	70,000	70,000	17.08	10.37
कोचीन वेस्ट टू एनर्जी प्राइवेट लिं.	10	1,00,000	1,00,000	0.00	0.00
ऋण साधनों में निवेश					
क) परिशोधित लागत पर					
मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के 6% संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयर (कंपनी के विकल्प पर किसी भी समय प्रतिदान लेकिन आबंटन की तारीख से 10 साल बाद नहीं।)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	6,880.46	6,548.73
मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की सहायक कंपनी के 6.15% गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) (आबंटन की तारीख से 5 साल बाद रिडीम करने के विकल्प के साथ डिबेंचर की अवधि 120 महीने हैं।)	1000	3,10,000	3,10,000	3,198.72	3,209.69
मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड्स लिमिटेड) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की एक सहायक कंपनी 6% गैर- परिवर्तनीय डिबेंचर (84 महीनों के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय।)	1000	1,00,000	100000	1,018.64	1,018.64
कुल				35,852.42	35,524.95
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाज़ार मूल्य				-	-
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				35,852.42	35,524.95
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				10.00	10.00

क) निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

ख) कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आमतौर पर इसमें कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है। इसलिए कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है।

ग) कंपनी ने 2017 से 2024 की अवधि के दौरान हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली- सीएसएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में 13,935.34 लाख रुपए का निवेश किया था, जिसमें 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 14,00,00,000 शेयर शामिल थे। इनमें से 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 11,80,00,000 शेयर राइट्स शेयर के माध्यम से हासिल किए गए थे।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

घ) कंपनी ने एनसीएलटी के एक आदेश द्वारा टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड, जिसे अब उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड नाम दिया गया है, का अधिग्रहण 6500.00 लाख रुपए का निवेश करके किया था, जिसमें प्रत्येक 10 रुपए के 6,50,00,000 शेयर शामिल थे। कंपनी ने वर्ष 2022-23 के दौरान 10 रुपए प्रति शेयर के 2,50,0,000 शेयरों के साथ 25,00,00,000 रुपए का और निवेश किया है, और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10 रुपए प्रति शेयर के 1,80,00,000 शेयरों के साथ 18,00,00,000 रुपए का निवेश किया है, दोनों ही निवेश यूसीएसएल में राइट्स के आधार पर किए गए हैं।

ङ) अधिकार के आधार पर जारी किए गए इक्विटी शेयर सभी मामलों में कंपनी के मौजूदा इक्विटी शेयरों के बराबर रैंक के होंगे। उपरोक्त निवेश को भारतीय लेखा मानक 27-अलग वित्तीय विवरण के अनुसार लागत पर दर्ज किया गया है।

नोट 9: ऋण-गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।	-	513.22
(ख) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टिया	-	-
अन्य	551.52	524.28
कुल	**551.52**	**1037.50**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

* नोट सं. 18 का संदर्भ लें।

नोट 10: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्रतिभूति जमा	122.81	137.32
पोत निर्माण वित्तीय सहायता*	214.14	1,859.81
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	37.92	1.31
कुल	**374.87**	**1,998.44**

* विवरण के लिए नोट सं. 32 देखें

नोट 11: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
आयकर परिसंपत्तियां प्रावधानों के बाद	2,946.83	6,486.87
चालू कर परिसंपत्तियां / (देयता)		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(2,647.80)	144.96

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 31,2024 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर:		
चालू आयकर प्रभार	29,550.79	25,016.34
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	875.11	3,307.72
कुल (क)	**30,425.90**	**28,324.06**
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(1,332.00)	(272.00)
कुल (ख)	**(1,332.00)**	**(272.00)**
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क+ख)	**29,093.90**	**28,052.06**

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 31,2024 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व लाभ	1,13,384.54	1,09,362.40
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	28,536.62	27,524.33
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	7,932.16	5,214.97
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(7,343.52)	(7,306.73)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	393.76	348.42
अन्य	31.77	(764.65)
	29,550.79	**25,016.34**
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	875.11	3,307.72
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(1,332.00)	(272.00)
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	**29,093.90**	**28,052.06**

नोट 12: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च 31,2024 को समाप्त वर्ष के लिए
आस्थगित कर दायित्व	(6,952.68)	(1,812.44)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	14,248.62	7,776.38
कुल	**7,295.94**	**5,963.94**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वर्ष 2024-25 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(6,187.27)	(5,580.30)		(11,767.57)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	1,551.39	5,373.07		6,924.46
अगोचर परिसंपत्तियां	258.36	(228.41)		29.95
पट्टा परिसंपत्तियां	(2,287.08)	(527.76)		(2,814.84)
पट्टा देयताएं	670.46	63.16		733.62
अन्य	30.20	(431.76)		(401.56)
कुल	**(5,963.94)**	**(1,332.00)**	**-**	**(7,295.94)**

2023-24 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	इक्विटी के विवरण में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(5,372.00)	(815.27)		(6,187.27)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,404.65	(853.26)		1,551.39
अगोचर परिसंपत्तियां	32.67	225.69		258.36
पट्टा परिसंपत्तियां	(2,630.90)	343.82		(2,287.08)
पट्टा देयताएं	1,231.45	(560.99)		670.46
अन्य	(1,357.81)	1,388.01		30.20
कुल	**(5,691.94)**	**(272.00)**	**-**	**(5,963.94)**

नोट 13: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम*	1,004.51	5,376.43
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	230.20	269.43
ढीला उपकरण	976.72	708.44
अनुसंधान एवं विकास पोत- पोत की लागत **	-	1399.74
घटाएं : मंत्रालय /भारत सरकार को देय राशि **	-	(1015.88)
कुल * **	**2,211.43**	**6,738.16**

* इसमें सहायक कंपनियों को दिए गए 484 लाख रुपए का अग्रिम शामिल है । (पिछले वर्ष- 484.00 लाख रुपए)

** विवरण के लिए नोट संख्या 40 देखें।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 14 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
कच्चे माल और घटक	1,53,773.13	76,161.61
कार्य प्रगति पर	76.26	-
मार्गस्थ माल	11,359.87	17,601.09
	1,65,209.26	**93,762.70**
भंडार व पूर्जे	1,255.36	1,656.81
मार्गस्थ माल	8,655.08	474.47
	9,910.44	**2,131.28**
कुल *	**1,75,119.70**	**95,893.98**

स्टोर और स्पेयर्स सामान्य प्रकृति के स्पेयर्स को दर्शाते हैं और किसी विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं है।

* दिनांक 31 मार्च 2025 तक निरीक्षण के लिए लंबित सामग्री को शामिल करते हुए, यह राशि 14426.93 लाख रुपए (पिछले वर्ष 15,364.25 लाख रुपए) है।

नोट 15 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत		
वसूलीयोग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	22,945.97	29,355.09
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	2,546.47	12,125.92
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,546.47)	(12,125.92)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-
कुल *	**22,945.97**	**29,355.09**

* इसमें सहायक कंपनियों से प्राप्त होनेवाले व्यापार शामिल हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 114.78 लाख रूपए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 14.26 लाख रुपए है।

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

व्यापार प्राप्य में बिना बिलवाले व्यापार प्राप्य शामिल हैं 418.26 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य)।

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	418.26	18,730.00	1,725.78	1,889.17	182.73	0.03	22,945.97
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	71.71	31.11	2,309.10	2,411.92
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।	-	-	-	-	-	-	-
	418.26	**18,730.00**	**1,725.78**	**1,960.88**	**213.84**	**2,443.68**	**25,492.44**
घटाव : दिनांक 31.03.2025 को ईसीएल प्रावधान							2,546.47
दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य							**22,945.97**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2024 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
		6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) अविवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।		19,540.87	4,984.06	2,119.52	2710.64	-	29355.09
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	111.12	476.18	2,525.07	3112.37
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य।	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	-	-	-	-	27.86	8,985.69	9,013.55
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट।	-	-	-	-	-	-	-
	0.00	**19540.87**	**4984.06**	**2230.64**	**3214.68**	**11510.76**	**41481.01**
घटाव : दिनांक 31.03.2024 को ईसीएल प्रावधान							12125.92
दिनांक 31.03.2024 को व्यापार प्राप्य							**29355.09**

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्रारंभिक शेष	12,125.92	11,030.93
जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन	631.61	1,575.03
घटाइए: वर्ष के दौरान उत्क्रमण/निकासी	10,211.06	480.04
जमा शेष	2,546.47	12,125.92

नोट 16 : रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
हाथ में रोकड		
बैंक शेष		
चालू खाते में	1,483.37	883.27
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	29,600.00	23,700.00
कुल	31,083.37	24,583.27

प्रमुख स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पहल निधि के लिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। सीएसएल के स्टार्ट-अप एंगेजमेंट नीति फ्रेमवर्क के तहत उषस परियोजना को 5000 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए बोर्ड की मंजूरी भी दी गई है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 17 : रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
ग्रहणाधिकार जमा अवधि *	2,030.72	46,103.75
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	-	22,093.13
भारतीय नौसेना की ओर से **	2,68,583.42	2,76,092.29
यूटीएलए की ओर से रखी गई शेष राशि***	77.04	432.68
अं. व नि. की ओर से शेष ***	155.24	1,897.80
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	-	7,050.00
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	191.87	142.43
कुल	**2,71,038.29**	**3,53,812.08**

* ग्रहणाधिकार चिन्हित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिन्हित किया जाता है और ₹ 113.57 लाख (पिछले वर्ष ₹ 106.87 लाख) का ग्रहणाधिकार केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित किया गया।

** स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण और अगली पीढी के मिसाइल जहाजों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है। इसमें संबंधित खातों से बनाए गए ₹ 2,68,075.81 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉजिट शामिल हैं।

*** यूटीएलए और अंडमान व निकोबार खाते द्वारा जमा की गई निधि में क्रमशः ₹ 50 लाख और ₹ 130 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉज़िट शामिल हैं।

नोट 18 : ऋण-चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
(क)संबंधित पार्टियों को ऋण		
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड।	513.22	
(ख)अन्य ऋण		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों	0.18	0.14
अन्य	130.93	114.97
कुल	**644.33**	**115.11**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

*कंपनी ने प्रचालन चरण के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को 500 लाख रुपए का अप्रतिभूत ऋण दिया, जिस पर 5.5 % प्रति वर्ष की ब्याज दर है। मूल राशि का भुगतान संवितरण की तिथि से 5 वर्ष (यानी 17 सितंबर 2025) के अंत में किया जाना है। ब्याज का भुगतान संवितरण की तिथि से वार्षिक आधार पर किया जाना है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
बैंक जमे पर अर्जित ब्याज	6,415.82	9,383.87
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां	-	-
अन्य	157.42	111.03
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	13,331.89	2,266.78
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	2,505.90	1,161.27
कुल	**22,411.03**	**12,922.95**

नोट 20 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम*	3,526.92	3,527.06
अन्य अग्रिम	1,73,966.02	1,58,346.69
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	1,77,493.01	**1,61,873.82**
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	1,77,492.94	**1,61,873.75**
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां *	-	24,765.33
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	89,630.82	49,719.57
अप्रयुक्त स्टॉक	316.79	281.41
कमः अप्रचलन के लिए प्रावधान	(316.79)	(281.41)
राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	1,768.40	1,167.99
विविध जमाराशियां	39.07	85.00
पूर्वदत्त व्यय	1,515.38	2,294.33
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,25,337.85	78,997.15
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	2,635.97	1,984.50
विविध चालू परिसंपत्तियां ***	2,125.24	1,423.43
कुल	**4,00,545.67**	**3,22,311.05**

* नोट सं. 30 का संदर्भ लें।

** इसमें सहायक कंपनियों से दिए गए अग्रिम / प्राप्तियां शामिल हैं, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 3526.92 लाख रुपए और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 3558.94 लाख रुपए।

*** निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार भविष्य के वर्षों में समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक किसी भी राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और ऐसी अतिरिक्त राशि को विविध चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 21 : इक्विटी शेयर पूंजी

ब्योरा	मार्च 31,2025 को		मार्च 31,2024 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रदत्त प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
कुल	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

21.1 शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समन्वय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को		मार्च 31,2024 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	263080780	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	-131540390	-
जोड: वर्ष के दौरान विभाजन पर जारी किए गए 5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	263080780	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

इक्विटी शेयर के साथ नियम व अधिकार संलग्न: कंपनी को ₹ 5 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

उप विभाग एवं अन्य जानकारी:

दिनांक 10 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले दो इक्विटी शेयरों मं उप-विभाजित किया।

अक्तूबर 2024 में, भारत सरकार ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में रखे गए अपने 19,16,86,928 (72.86%) इक्विटी शेयरों में से 1,30,15,689 (4.95%) इक्विटी शेयर बेचे। नतीजतन, दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 17,86,71,239 (67.91%) इक्विटी शेयर है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

21.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

ब्योरा	मार्च 31,2025 को		मार्च 31,2024 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	191686928	72.86

21.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	4.95

नोट 22 : अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
पूंजी आरक्षण	263.56	263.56
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.89	93,151.90
ऋणपत्र मोचन आरक्षण	-	-
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	(868.90)	(918.26)
प्रतिधारित कमाई	4,36,688.10	3,78,259.34
कुल	**5,47,911.16**	**4,89,433.05**

अन्य इक्विटी में प्रत्येक आइटम का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षण: पूंजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व : ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षण : सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक (इंडएएस) 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि : : सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व : नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्जिंग उप करणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 45 देखें।)

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अंतरिम लाभांश : वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5 रुपए अंकित मूल्य के 4.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 5/-रुपए के अंकित मूल्य के 3.5 /- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 7 नवंबर 2024 और फरवरी 06,2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश : कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 15, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹ 5 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2.25 /- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

नोट 23 : उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
बांड- (प्रतिभूति)		
परिशोधित लागत पर		
कर मुक्त रिडीमेबल गैर-परिवर्तनीय बांड - श्रृंखला 2013-14	2,302.20	2,302.20
कुल	**2,302.20**	**2,302.20**

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड से 197.12 एकड (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पडे है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 24: पट्टा देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	44,755.75	43,698.28
कुल	**44,755.75**	**43,698.28**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 25: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 37 का संदर्भ लें)	5,034.20	4,276.76
उपदान का प्रावधान	195.58	173.20
कुल	**5,229.78**	**4,449.96**

नोट 26: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	5.72	6.87
कुल	**5.72**	**6.87**

नोट 27: पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	3,025.42	2,879.63
कुल	**3,025.42**	**2,879.63**

नोट 28 : व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	9,503.92	7,973.25
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	28,789.43	34,227.39
कुल	**38,293.35**	**42,200.64**

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	9,503.92	7,973.25
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीददार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	9,503.92					9,503.92
(ii) अन्य	26,080.31	2,709.12				28,789.43
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई						-
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य						-
कुल	35,584.23	2,709.12	-	-	-	38,293.35

दिनांक 31.03.2024 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	7,881.32	91.93				7,973.25
(ii) अन्य	30,747.03	3,463.54	7.07		9.75	34,227.39
(iii) विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई						-
(iv) विवादग्रस्त बकाया- अन्य						-
कुल	38,628.35	3,555.47	7.07	-	9.75	42,200.64

नोट 29 : अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अवैतनिक लाभांश	191.87	142.43
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	3,667.47	2,388.81
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	3,139.38	1,840.95
पट्टादाता को देय लाभ का हिस्सा	834.50	202.13
अन्य देय	11,648.03	10,881.37
कुल	19,481.25	15,455.69

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 30 : अन्य वर्तमान देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों के लिए अनुबंध देयता (निवल)*	32,746.10	-
आईएसी व्यापार देयताएं **	8,184.24	11,184.64
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	4,53,959.75	4,87,527.27
पोत निर्माण,पोत मरम्मत और अन्य ठेको के लिए अग्रिम	21,379.72	9,532.63
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	3,451.97	1,259.55
सांविधिक देय	2,890.58	2,347.48
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	**5,22,613.50**	**5,11,852.71**

*कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियों में से बुनियादी ढांचे की सुविधा बढाने के लिए दिनांक 31 मार्च 2025 तक 40690.02 लाख रुपए (दिनांक 31 मार्च 2024 तक 40,057.28 लाख रुपए) खर्च किए हैं। उक्त निधियों से बनाई गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व भारतीय नौसेना के पास है।

भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखे गए आईएसी अनुबंध के लागत प्लस भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों का स्टॉक ₹ 4956.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5601.25 लाख) है, जिसे स्वदेशी वायुयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी पी-71) को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने पर 1915000 लाख रुपए का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार कार्य का शेष दायरा बाद में पूरा किया जाएगा।

कंपनी ने आईएसी परियोजना पी-71 के विरुद्ध दिनांक 31.03.2025 तक 18,99,557.25 लाख रुपए की सीमा तक राजस्व मान्यता प्राप्त की है और शेष राजस्व आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को प्राप्त करने पर मान्यता प्राप्त होगी। परियोजना पर अब तक मान्यता प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 लाख रुपए में	वित्त वर्ष 2023-24 लाख रुपए में
वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त राजस्व	18,61,114.01	17,40,844.14
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	38,443.24	1,20,269.87
वर्ष के अंत में आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	18,99,557.25	18,61,114.01

भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व पर नोट संख्या 43 देखें

**आईएसी व्यापार देय राशि में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 1351.93 लाख रुपए (पिछले वर्ष - 2072.12 लाख रुपए) शामिल हैं, जो दिनांक 31 मार्च 2025 तक देय नहीं है।

नोट 31 : चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	808.12	459.83
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 37)	446.66	350.06
	1,254.78	**809.89**
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए	2,682.22	2,672.32
पोत निर्माण घटाने के लिए	16,692.00	5,936.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए*	84,500.26	53,175.83
	1,03,874.48	**61,784.15**
कुल	**1,05,129.26**	**62,594.04**

* इसमें सहायक कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 4070.31 लाख रुपए और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1121.67 लाख रुपए का व्यय का प्रावधान शामिल है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

31.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2024 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	459.83	808.11	399.76	60.06	808.12
क्षतिपूरण अवधि	350.06	96.60	-	-	446.66
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,672.32	9.90	-		2,682.22
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,936.00	11,297.00		541.00	16,692.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	53,175.83	1,28,374.54	94,402.34	2,647.77	84,500.26

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2023 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	530.06	605.72	501.50	174.45	459.83
क्षतिपूरण अवधि	275.36	74.70	-	-	350.06
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,668.99	3.33	-	-	2,672.32
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,465.00	1,587.00	-	1,116.00	5,936.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	29,426.70	2,14,309.02	1,89,173.62	1,386.27	53,175.83

नोट 32 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24	1,20,269.87
देशी वायुयान वाहक को छोडकर अन्य यानें	2,12,185.06	1,39,398.80
सी-एसएएस से आय	1,143.03	686.90
बीएंडडी स्पेयर्स से आय	3,553.98	-
	2,55,325.31	**2,60,355.57**
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	1,83,455.74	98,683.23
	1,83,455.74	**98,683.23**
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	3.30	0.68
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	10,241.73	3,073.81
रद्दी माल की बिक्री	1,115.58	838.74
परामर्श आय	1,027.15	-
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	1,575.94
	14,003.10	**5,489.17**
कुल	**4,52,784.15**	**3,64,527.97**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा किए गए सामान और सेवाओं को ग्राहक को समय-समय पर हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। इसके लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के माप पर आधारित होती है। आउटपुट पद्धति कंपनी के प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की एक स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन को दर्शाने के लिए अपनाया जा रहा है।

2. भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 43 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

3. प्रचालन से राजस्व में से, 53,436.82 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 23140.03 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

4. कंपनी ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाइन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

5. कंपनी दो 1200 यात्री जलयानों (यार्ड संख्या एसएच 0023 और एसएच 0024) के निर्माण के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध निष्पादित कर रही है। अनुबंध की सुपुर्दगी की तिथि, जिसे बढा दिया गया है, दोनों पोतों के लिए एसएच 0023 के लिए 29 अप्रैल 2023 और एसएच 0024 के लिए 30 अक्तूबर 2023 को समाप्त हो गई है।

   दोनों जलयानों को अंडमान द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच विशिष्ट संचालन के लिए अनुकूलित और डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध के आधार पर, कंपनी ने सुपुर्दगी गतिविधि को रोक दिया है, क्योंकि प्रशासन ने अन्य संभावित खरीदारों को जलयानों का पुनः आबंटन करने की मांग की है। हालांकि, इस तरह के पुनः आबंटन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी संशोधनों और लागत की आवश्यकता होगी, और जलयानों को, उनकी वर्तमान स्थिति में, कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं माना जाता है।

   यह देखते हुए कि कंपनी के पास अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध और लागू करने योग्य अनुबंध जारी है, और अनुबंध का कोई वर्तमान पारस्परिक समाप्ति या नवीकरण नहीं है, खरीदार के अनुरोध पर विलंबित सुपुर्दगी के कारण एसएच 0023 और एसएच 0024 के लिए क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्तूबर 2023 से आगे एलडी के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार और विवेक पूर्ण अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने उपर्युक्त तिथियों तक परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान को मान्यता दी है।

   कंपनी इस अनुबंध से संबंधित घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है तथा आगामी अवधि में अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर अपने लेखांकन अनुमानों और प्रावधान आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी।

   दिनांक 31.03.2025 तक दोनों जलयानों के लिए पूर्णता का संचयी प्रतिशत एसएच.0023 के लिए 54.84 प्रतिशत और एसएच.0024 के लिए 55.19 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एसएच.0023 के लिए कुल परिसमाप्त क्षति 11814.08 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 9756.34 लाख रुपये है।

   परिसमाप्त क्षति पर विचार करने के बाद कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक एसएच.0023 के लिए 16943.66 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 17156.89 लाख रुपये का राजस्व मान्यता दी है।

6. भारत सरकार देशीय पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जलयानों के निर्माण में होने वाली लागत की भरपाई करना है, न कि किसी प्रचालन घाटे के लिए।

   एसबीएफए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता केवल उन जलयानों के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित अवधि के भीतर निर्मित और वितरित किए जाते हैं और नौवहन महानिदेशालय से प्राप्त सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं। कंपनी पात्र जलयानों के निर्माण की अवधि के दौरान एसबीएफए आय को लागत के अनुपात में मान्यता देती है, बशर्ते कि नीति के तहत शर्तें पूरी हों या पूरी होने की उचित उम्मीद हो।

   जहाँ किसी भी नीतिगत शर्त के अनुपालन के बारे में अनिश्चितता है, जैसे कि निर्माण में देरी या सुपुर्दगी की समयसीमा जिसके परिणामस्वरूप पात्रता मानदंड पूरा नहीं हो पाता है, तो कंपनी या तो एसबीएफए आय को मान्यता नहीं देती है या पहले से मान्यता प्राप्त आय को मान्यता नहीं देती है, जैसा कि उचित हो। ऐसी आकस्मिकताओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और संशोधित अपेक्षाओं को दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाते हैं।

   चालू वित्त वर्ष के दौरान, कोविड महामारी से प्रभावित जलयानों की सुपुर्दगी के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर, कंपनी ने चालू वर्ष के लिए आय के रूप में वितरित जलयानों के संबंध में 822.29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि को फिर से मान्यता दी है। सरकार को पुनः मान्यता प्राप्त 822.29 लाख रुपये के दावे में से, कंपनी ने 404.03 लाख रुपये वसूल किए हैं और 418.26 लाख रुपये की शेष राशि अभी वसूल की जानी है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में, कंपनी ने जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के लिए भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता के लिए 10,309.45 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आय को मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने जलयानों की अपेक्षित सुपुर्दगी तिथियों में संशोधन के कारण 890.01 लाख रुपये वापस कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एसबीएफए नीति के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं हुई। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, वित्तीय सहायता के खाते में 13546.03 लाख रुपये की संचयी आय अर्जित हुई है, जो समय-समय पर संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

7. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना प्रचालन शुरू करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन शुल्क के अलावा, मराइन डॉकयार्ड के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण योजना से संबंधित डीपीआर की तैयारी में तकनीकी सहायता के लिए परामर्श शुल्क भी अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौते के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में प्रशासन की सहायता करेगा। सीएसएल द्वीप समूह में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

8. **नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महालेखा अवलोकन के अनुसार प्रकटीकरण**

कंपनी हर रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय लेखा मानक 115 के तहत ज़रूरी आउटपुट रीति के तहत अपनी निष्पादन जिम्मेदारी की माप प्रगति का फिर से मूल्यांकन करती है। साल के दौरान, कंपनी ने देखा कि भारतीय लेखा मानक 21 के इस्तेमाल पर, मौजूदा माप के कारण विदेशी मुद्रा में नामित निर्यात अनुबंध के मामले में राजस्व के सही प्रतिनिधित्व में बदलाव आया। इसे ठीक करने के लिए, कंपनी ने इन अनुबंध के लिए अपने परिमाणन दृष्टिकोण को बेहतर बनाया। राजस्व को कुल लेन-देन मूल्य पर व्यक्तिगत समापन प्रतिशतता लगाकर पहचाना जाता है, जिसकी कंपनी हकदार है, बिना सामग्री और सेवा हिस्सों को बांटे। इस साल परिमाणन माप में बदलाव के असर से प्रचालन से राजस्व में लगभग 11808.65 रुपए लाख की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का इरादा है कि एक जैसे निष्पादन ज़िम्मेदारियों वाले अनुबंध के लिए राजस्व पहचानने में यह माप तकनीक लगातार अपनाई जाए।

नोट 33 : अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	663.79	501.57
रद्दी माल और भंडार से आय	341.46	54.06
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	23.90	-
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	15.53	23.08
किराए से आय	241.85	253.30
बैंक जमाओं पर ब्याज	18,762.65	22,724.97
अन्यों से ब्याज	440.50	1,170.65
वरीयता शेयरों से लाभांश आय	331.74	316.58
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	72.78	7.49
सोसाइटी से लाभांश आय	0.54	0.54
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	1,321.38	1,927.77
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	14,054.34	2,399.95
विविध आय*	1,774.15	1,358.29
कुल	**38,044.61**	**30,738.25**

* विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 34 : उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	12,452.43	11,893.44
पाइप	1,927.75	1,206.10
पेंन्ट	2,641.17	2,127.39
खरीदे गए घटक	1,81,138.03	1,47,366.53
कुल	**1,98,159.38**	**1,62,593.46**

नोट 35 : कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता दी गई है)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर:		
वर्ष की शुरुआत में	-	-
कमः वर्ष के अंत में	(76.26)	-
कुल	**(76.26)**	**-**

समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, कंपनी के निदेशक मंडल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के हिस्से के रूप में दो 60-टन ग्रीन टग हल्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस सक्रिय कदम में प्रारंभिक डिजाइन और खरीद शामिल है, और इसका उद्देश्य कंपनी की तत्परता को प्रदर्शित करना, सुपुर्दगी की समयसीमा में सुधार करना और ग्रीन टग निर्माण में नेतृत्व स्थापित करना है।

नोट 36 : उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	50,375.25	34,060.03
हल बीमा	2,540.85	799.22
डिज़ाइन व्यय	5,805.07	8,063.56
प्रचालन खर्च	20,543.87	8,964.10
कुल	**79,265.04**	**51,886.91**

नोट 37 : कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेशिया और भत्ते	33,727.05	31,108.47
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,284.86	1,644.11
उपदान	478.84	352.67
कर्मचारी कल्याण खर्च	4,088.21	4,411.64
	40,578.96	**37,516.89**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(205.27)	(364.32)
कुल	**40,373.69**	**37,152.57**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 28.07 लाख (पिछले साल ₹ 27.92 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 103.82 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 65.87 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों की भुनाई के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोडकर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है।

कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2024-25 के लिए 2076.29 लाख रुपए (वर्ष 2023-24के लिए 1693.55 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करें और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	24747.34	23,514.49
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	24781.17	23,581.18
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	33.83	66.69
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	6.78%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.20	9.30

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	270.62	245.58
निवल ब्याज मूल्य	303.84	283.51
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	815.00	453.72
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	**1,389.46**	**982.81**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	5,480.86	4,626.82
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**5,480.86**	**4,626.82**

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	446.66	350.06
पीवीओ के गैर चालू घटक	5,034.20	4,276.76
कुल पीवीओ	**5,480.86**	**4,626.82**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	4626.82	4,198.71
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	270.62	245.58
चालू ब्याज मूल्य	303.84	283.51
बीमांकिक (लाभ)/हानि	815.00	453.72
प्रदत्त लाभ	(535.42)	(554.70)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	**5,480.86**	**4,626.82**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय		-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)		-
नियोक्ता से अंशदान	535.42	554.70
प्रदत्त लाभ	(535.42)	(554.70)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	140.34	87.59
वर्ष 2	286.62	249.14
वर्ष 3	177.73	177.05
वर्ष 4	137.19	157.34
वर्ष 5	147.08	120.14
अगले 5 वर्ष	799.80	708.03

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	140.34	87.59
वर्ष 2	286.62	249.14
वर्ष 3	177.73	177.05
वर्ष 4	137.19	157.34
वर्ष 5	147.08	120.14
अगले 5 वर्ष	799.80	708.03

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,609.86	3,889.26
वर्तमान सेवा लागत	193.41	168.06
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,016.23	4,234.29
वर्तमान सेवा लागत	212.98	185.38
ग. वेतन वृद्धि दर+ 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,023.15	4,240.52
वर्तमान सेवा लागत	213.32	185.70
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,601.99	3,882.28
वर्तमान सेवा लागत	193.03	167.72

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,609.86	3,889.26
वर्तमान सेवा लागत	193.41	168.06
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,016.23	4,234.29
वर्तमान सेवा लागत	212.98	185.38
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,023.15	4,240.52
वर्तमान सेवा लागत	213.32	185.70
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,601.99	3,882.28
वर्तमान सेवा लागत	193.03	167.72

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.78%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.78%	6.97%

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	11.3	11.20

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	423.10	295.69
पिछली सेवा लागत		-
निवल ब्याज खर्च	13.93	18.13
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**437.03**	**313.82**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	337.96	308.76
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(46.72)	(222.81)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**291.24**	**85.95**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	5,529.24	4,799.46
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,800.96	4,399.69
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	728.28	399.77

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों म)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,799.46	4,319.66
चालू सेवा मूल्य	423.10	295.69
चालू ब्याज मूल्य	322.20	297.07
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	337.96	308.76
प्रदत्त लाभ	(353.48)	(421.72)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**5,529.24**	**4,799.46**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,399.68	3,818.15
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	308.27	278.94
बीमांकिक लाभ / (हानि)	46.72	222.81
नियोक्ता से अंशदान	399.77	501.50
प्रदत्त लाभ	(353.48)	(421.71)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**4,800.96**	**4,399.69**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	286.14	143.68
वर्ष 2	665.64	629.58
वर्ष 3	384.19	450.06
वर्ष 4	321.02	352.83
वर्ष 5	266.76	287.11
अगले 5 वर्ष	1,583.72	1,347.44

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,251.13	4,560.01
वर्तमान सेवा लागत	345.63	314.70
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,830.27	5,058.74
वर्तमान सेवा लागत	397.00	361.87
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,779.52	5,019.28
वर्तमान सेवा लागत	390.11	354.30
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,288.36	4,582.95
वर्तमान सेवा लागत	353.54	323.51

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	28.95%	39.59%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	25.24%	24.56%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	31.49%	28.37%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.32%	0.31%
अन्य	14.00%	7.17%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.व.) - आईएसआरएफ	6.40%	7.10%
छूट दर (प्र.व.) - सीएमएसआरयू	6.40%	7.10%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	25.24	23.18
पिछली सेवा लागत		-
निवल ब्याज खर्च	16.55	15.66
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**41.79**	**38.84**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.35	(20.20)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**0.35**	**(20.20)**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	275.42	233.26
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**275.42**	**233.26**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	233.26	214.62
चालू सेवा मूल्य	25.25	23.18
चालू ब्याज मूल्य	16.56	15.66
पिछली सेवा लागत		
बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.35	(20.20)
प्रदत्त लाभ		
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**275.42**	**233.26**

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	63.01	8.03
वर्ष 2	46.94	6.20
वर्ष 3	25.86	3.15
वर्ष 4	10.25	-
वर्ष 5	5.99	-
अगले 5 वर्ष	95.80	10.15

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	46.67	5.53
वर्ष 2	28.57	-
वर्ष 3	39.88	4.06
वर्ष 4	18.71	2.14
वर्ष 5	2.99	-
अगले 5 वर्ष	78.26	6.41

दिनांक 31.03.2025 को संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.40%	7.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	239.07	26.73
परिवर्तन	(3.55%)	(2.96%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.40%	5.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	257.45	28.42
परिवर्तन	3.86%	3.18%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	256.44	28.30
परिवर्तन	3.45%	2.76%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	239.88	26.82
परिवर्तन	(3.23%)	(2.60%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2024 को संवेदनशीलता विश्लेषण

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	8.10%	8.10%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	207.27	17.54
परिवर्तन	(3.64%)	(3.36%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.10%	6.10%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	223.62	18.81
परिवर्तन	3.96%	3.63%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	222.80	18.74
परिवर्तन	3.58%	3.24%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	207.91	17.60
परिवर्तन	(3.34%)	(3.05%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

नोट 38 : वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	3,988.37	4,043.88
कर मुक्त बांड पर ब्याज	201.17	771.70
अन्य ब्याज	-	0.25
	4,189.54	**4,815.83**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(544.61)	(1,661.23)
कुल	3,644.93	**3,154.60**

नोट 39 : मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	5,794.90	3,437.52
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,696.97	1,899.82
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,041.99	901.46
कुल	8,533.86	**6,238.80**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(169.49)	(545.32)
कुल	8,364.37	**5,693.48**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 40 : अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भंडार और पुर्जों का उपभोग	3,539.14	2,882.79
ढीले औजारों के मूल्य में कमी	151.97	124.48
दर और कर	129.21	55.16
बिजली	3,433.40	2,669.20
ईंधन	835.99	383.66
जल	363.40	419.19
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	852.29	731.97
संयंत्र और मशीनरी	152.59	307.57
अन्य	2,462.68	1,757.53
अनुरक्षणा ड्रेजिंग	914.07	243.93
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	113.47	95.99
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,172.64	1,185.92
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	107.50	98.14
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	66.72	62.18
विज्ञापन और प्रचार	605.64	1,062.37
पट्टे किराया	26.10	0.65
भाडे	1,112.41	1,176.53
बीमा	590.82	592.04
प्रतिभूति व्यय	2,320.93	2,265.70
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	29.85	30.25
प्रशिक्षण खर्चा	944.90	810.42
विधि खर्चा	165.68	46.67
परामर्श	86.24	115.79
बैंक प्रभार	1,269.74	1,062.56
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	530.62	724.89
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 50 का संदर्भ ले)	1,564.51	1,384.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	5.65	0.87
बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	8,614.55	96.98
अनुसंधान एवं विकास और नई पहल	2,043.17	626.18
विविध खर्च	893.78	1,567.75
कुल	**35,099.66**	**22,581.74**

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	20.00	19.00
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	8.75	8.25
प्रमाणीकरण हेतु	1.10	3.00
कुल	**29.85**	**30.25**

*अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क) उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढाने के लिए आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी। आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास, सीएसएल द्वारा निवेश के लिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 26.50 लाख रूपए (पिछले वर्ष 7.00 लाख रुपए) है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीड फंडिंग योजना के तहत आईआईएम के द्वारा पहचाने गए 9 स्टार्ट अप को 105.00 लाख रुपए वितरित किए गए हैं।

ख) मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रूप को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अनुरूप कोच्ची में भारत पोत मरम्मत क्लस्टर की स्थापना के लिए 686.00 लाख रुपए की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रूप को 137.00 लाख रुपए की राशि के लिए भारत में वाडिनार, गुजरात में पोत मरम्मत व्यवसाय की स्थापना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। चालू वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते से 686.00 लाख रुपए शुल्क लिया गया हैं।

ग) आत्मनिर्भर भारत प्रापण मॉडल के तहत पूर्ण स्वदेशी स्वायत्त सतह पोत (एएसवी) पायलट परियोजना की डिजाइन, विकास, निर्माण गतिविधियाँ। इस परियोजना को 4000.00 लाख की कुल अनुमानित परियोजना लागत के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास (नौवहन) योजना के तहत इस परियोजना के डिजाइन और विकास के लिए ₹2000.00 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है।

कंपनी को वर्ष के दौरान 925.07 लाख रूपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से 314.28 लाख रूपए एएसवी परियोजना के लिए उपयोग किए गए और शेष 610.78 लाख रूपए सागरमाला विकास निगम लिमिटेड (एसडीसीएल) द्वारा बनाए गए केंद्रीय नोडल खाते में पड़े हैं। उपयोग की गई 314.28 लाख रूपए की अनुदान राशि के अलावा, कंपनी ने परियोजना के लिए 41.20 लाख रूपए का ओवरहेड और अन्य व्यय भी किया है। इसलिए वर्ष के लिए एएसवी परियोजना के लिए संचयी लागत 355.48 लाख रूपए है और इसे दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

घ) कंपनी भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसरण में हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत जलयान के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक अनुसंधान और विकास परियोजना में लगी हुई है। कंपनी को एक कार्य आदेश जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और आत्मनिर्भर भारत पहल के दायरे में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा परियोजना लागत का 75% वित्त पोषित किया जा रहा है। अनुदान से प्राप्त सभी परिसंपत्तियाँ भारत सरकार की संपत्ति होंगी और ऐसी परियोजनाओं या योजनाओं के लिए एक या अधिक किस्तों में जारी की गई धनराशि को कार्यान्वयन अभिकरण की पुस्तकों में अनुदान सहायता के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसके समानांतर, कंपनी ने जलयान के विकास, डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य एक अलग समझौते के माध्यम से नाम और स्वामित्व को हस्तांतरित करना है।

पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान, प्रबंधन की आईडब्ल्यूएआई को निकट अवधि में बिक्री की अपेक्षाओं के आधार पर, व्यय की गई लागत (प्राप्त अनुदान का शुद्ध) को गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, दिनांक 31 मार्च 2025 तक, बिक्री व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में कोई और प्रगति नहीं हुई है, और जलयान अभी भी प्रदर्शन चरण में बना हुआ है। आईडब्ल्यूएआई से आय के समय और प्राप्ति के बारे में उचित निश्चितता के अभाव को देखते हुए, प्रबंधन ने लेखांकन उपचार का पुनर्मूल्यांकन किया है।

तदनुसार, विवेक के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में 925.14 लाख रूपए की निवल लागत (यानी लागत में से प्राप्त अनुदान को घटाकर) को मान्यता दी है। वर्ष 2024-25 के दौरान लागत 837.78 लाख रूपए है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 41 : प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता	659.59	1,639.20
खर्च और फुटकर खर्च	354.60	520.00
पट्टेदार को लाभ का हिस्सा	843.22	210.86
पोत निर्माण पर घाटा	10,756.00	471.00
कुल	12,613.41	2,841.06

नोट 42 : प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कर के बाद निवल लाभ (₹ लाखों में)	84,290.64	81,310.34
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (₹ में)	32.04	30.91
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	5.00	5.00

नोट सं. 21.1 का संदर्भ लें।

नोट 43: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

क. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष			
	राजस्व के अनुसार भारतीय लेखा मानक 115	प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24		38,443.24	38,443.24
आईएसी के अलावा अन्य जलयान	2,13,328.09		2,13,328.09	2,13,328.09
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	10,241.73	10,241.73		10,241.73
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
अन्य परिचालन राजस्व				
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	756.61	-	-	756.61
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	358.97	-	-	358.97
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	3,553.98			3,553.98
परामर्श आय	1,027.15			1,027.15
स्टॉक मद की बिक्री	3.30	-	-	3.30
कुल				4,52,784.15

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष			
	राजस्व के अनुसार भारतीय लेखा मानक 115	प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	1,20,269.87	-	1,20,269.87	1,20,269.87
आईएसी के अलावा अन्य जलयान	1,40,085.70	-	1,40,085.70	1,40,085.70
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	3,073.81	3,073.81		3,073.81
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	98,683.23	-	98,683.23	98,683.23
अन्य परिचालन राजस्व				
प्रबंधन शुल्क	1,575.94	-	1,575.94	1,575.94
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
अन्य परिचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	461.86	-		461.86
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	376.88	-		376.88
स्टॉक मद की बिक्री	0.68	-		0.68
कुल				**3,64,527.97**

ख. अनुबंध शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
व्यापार प्राप्य	22,945.97	29,355.09
अनुबंध परिसंपत्ति	89,630.82	74,484.90
अनुबंध देयताएं	4,86,705.85	4,87,527.27

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार- चढाव

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	74,484.90	50,902.08
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	89,630.82	74,484.90
निवल वृद्धि/ कमी	(15,145.92)	(23,582.82)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध परिसंपत्ति	4,87,527.27	3,85,917.58
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	4,86,705.85	4,87,527.27
निवल वृद्धि/ कमी	821.42	(1,01,609.69)

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग. असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 1444757.52 लाख रुपए (आईएसी अनुबंध की लागत प्लस भाग को छोडकर) है। असंतुष्ट प्रदर्शन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य की राशि जो एक अनुबंध का हिस्सा है जिसकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है, को उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है जैसा कि भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमति है। इसके अलावा ऊपर दिए गए लेन-देन मूल्य के अनुमान में परिवर्तनीय प्रतिफल की कोई भी अनुमानित मात्रा शामिल नहीं होगी जो बाधित है। प्रबंधन को उम्मीद है कि दिनांक 31.03.2025 तक असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों को आबंटित लेनदेन मूल्य का 35.78% जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान और शेष उसके बाद राजस्व के रूप में पहचाना जाएगा।

मार्च 31, 2025 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने अनुबंध देयता को अप्रैल 01, 2024 के रूप में खोलने से उत्पन्न होने वाले 1,16,990.11 लाख रुपए के राजस्व को मान्यता दी।

घ. वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	**25,33,712.74**	**24,45,315.68**
जोड :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	73,036.72	56,701.90
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	28,036.33	40,139.48
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	19.34	3,375.79
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	23,918.90	4,367.32
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	5,204.48	7,452.79
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	**26,05,681.75**	**25,33,712.74**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	2,34,238.27	1,92,060.73
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	2,481.73	2,233.99
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	2,31,756.54	1,89,826.74
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	9,29,167.69	7,43,827.27
विनिमय दर संचलनों के कारण कमी (निवल) (III)	-	-
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	14,44,757.52	16,00,058.73
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	**26,05,681.75**	**25,33,712.74**

नोट 44: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 1138.51 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1177.18 लाख रुपए) की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 3085.66 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3358.98 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2025 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	3,025.42	2,879.93
एक से पांच साल तक	14,306.38	13,091.39
पांच वर्ष से अधिक	1,07,281.20	1,11,388.69
कुल	**1,24,613.00**	**1,27,360.01**

एक निर्विवाद आधार पर दिनांक 31 मार्च 2024 तक की पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	39.05	37.40
एक से पांच साल तक	174.89	167.18
पांच वर्ष से अधिक	112.93	159.69
कुल	**326.87**	**364.27**

पट्टा देनदारियों का संचलन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	46,577.91	44,125.96
जोड: अतिरिक्त	141.86	1,616.03
जोड : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	3,988.37	4,043.88
कमी : किए गए भुगतान	2,926.97	3,207.96
जमा शेष	**47,781.17**	**46,577.91**

नोट 45: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 25 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31-मार्च -25			31-मार्च -24		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)
यूरो	88	137643.91	96.45	46	92532.20	(479.68)
एनओके	5	7676.66	(30.49)	6	7824.95	(747.84)
कुल	**93**	**145320.57**	**65.96**	**52**	**100357.15**	**(1227.52)**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेड्ज रिजर्व में उतार- चढाव इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरूआत में शेष सीआर/(डीआर)	(918.26)	(3,578.40)
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	49.36	2,660.14
वर्ष के अंत में शेष राशि	**(868.90)**	**(918.26)**

नोट 46: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

	ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क	**आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)**			
क	**कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया**			
i	उप-ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	27,312.93	-	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए दावे जो वर्तमान में विवाद में हैं और जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है, और किसी भी संभावित देयता की अपेक्षा करता है, यदि कोई हो, तो दावा की गई राशि से काफी कम होगी। हालाँकि, मामला समाधान के अधीन है।
ख	**गारंटी**			
i	ऋणपत्र	19,279.09	38,207.74	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए ऋणपत्र का प्रतिनिधित्व करता है।
ii	बैंक गारंटी	2,01,613.65	71,329.37	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी का मूल्य नोट 47 में शामिल है।
iii	पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (यूसीएसएल) की ओर से दी गई गारंटी	6,093.74	-	कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मेसर्स ओशन स्पार्कल के साथ 11 जलयानों के लिए पोत निर्माण अनुबंध के तहत एक संयुक्त और कई गारंटी प्रदान की है। सहायक कंपनी को 6093.74 लाख रुपए का वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त हुआ है। कंपनी की देयता केवल सहायक कंपनी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न होगी। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सहायक कंपनी की वित्तीय और प्रचालन क्षमता के आकलन के आधार पर, कंपनी से संसाधनों के किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूर माना जाता है।
ग	**अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है**			
i	विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 भूमि अधिग्रहण पुनरीक्षण दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लंबित है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
ii सीमाशुल्क	12,726.96	10,543.96	बांड के तहत सामग्री के लिए सीमा शुल्क 6393 लाख रुपए है। इसमें स्टील स्क्रैप की बिक्री और उस पर ब्याज के लिए अंतर शुल्क 285.62 लाख रुपए, अंतर आईजीएसटी पर जुर्माना 230 लाख रुपए और विरोध के तहत भुगतान किए गए शुल्क के लिए 5752.16 लाख रुपए और केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पर 66.18 लाख रुपए के लिए एफडीआर ग्रहणाधिकार भी शामिल है।
iii आय कर	1,389.86	2,209.37	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - ₹ 126.26 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - ₹ 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - ₹ 331.77 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 - ₹ 20.76 लाख विस्तृत टिप्पणियां 46.1 (I) में दिया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन कंसल्टेंसी) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	1,885.49	1,885.49	यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 का लाभ देने से इनकार किया गया है। कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा रोक दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	513.71	513.71	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
सेवा कर	734.93	734.93	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के प्रधान आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई और सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
	286.85	286.85	वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई तथा सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोचीन के आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	279.46	279.46	संविदात्मक वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने पर सेवा कर का भुगतान न करने और कोचीन से अबु धाबी तक बजरे के परिवहन के लिए प्रदान की गई सुरक्षा लागत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा मांग की पुष्टि की गई। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
v केरल मूल्यवर्धित कर (केवीएटी)	787.32	787.32	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग। मूल्यांकन कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध कर योग्य टर्नओवर में वृद्धि की और मांग उठाई। वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
vi वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग और उस पर जुर्माना	92.13	92.13	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
vii एलेक्ट्रन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-	305.57	याचिकाकर्ता (दावेदार) ने आरेखण प्रस्तुत करने और माल की आपूर्ति में देरी के लिए सीएसएल द्वारा काटे गए एलडी के संबंध में ब्याज सहित परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के लिए एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मामले को मध्यस्थता के लिए मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुहृथ पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा याचिका दायर की गई। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रतिवादी (सीएसएल) के पक्ष में आदेश पारित किया गया।
viii मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस	2,065.17	1,951.50	वर्ष 2004 में मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस ने एटीसीओ टग के आदेश जीतने के लिए देय एजेंसी कमीशन के लिए दावे किए। मध्यस्थता कार्यवाही 10 अक्तूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की जांच और जिरह पूरी हो गई और मामले को बहस के लिए 01 और 02 फरवरी 2014 को पोस्ट किया गया। मध्यस्थ ने कार्यवाही पूरी की और कंपनी को मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस को एटीसीओ अनुबंध मूल्य 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5% की दर से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अपना निर्णय पारित किया। इस पर व्यथित सीएसएल ने उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 दायर किया और कार्य के निष्पादन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश प्राप्त किया। कार्य राशि के लिए बैंक गारंटी राशि की प्राप्ति की तिथि से कार्य की तारीख तक ब्याज के साथ (1305 लाख रुपए) माननीय उच्च न्यायालय को प्रतिभूति के रूप में जमा की गई है और इसे नोट 47 में शामिल किया गया है।
ix कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई निगम ने अप्रैल 2008 - मार्च 2012 की अवधि के लिए उच्च प्रशिक्षार्थियों के योगदान के लिए 62.28 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि के लिए 26.46 लाख रुपए और अप्रैल 2012-जुलाई 2013 की अवधि के लिए 25.95 लाख रुपए का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि के लिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज के लिए 19.84 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुष़ा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा कराने पर स्टे दे दिया है।
x संपत्ति कर	0.00	68.24	कंपनी ने कोच्ची निगम द्वारा संपत्ति कर में 4000% की वृद्धि (2013-2014 से प्रभावी) को रिट याचिका संख्या 12758/2023 के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसके कारण 14 इमारतों के लिए कुल 68.24 लाख रुपए की मांग नोटिस जारी की गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से नोटिस पर रोक लगा दी, इस शर्त पर कि सीएसएल याचिका के परिणाम के अधीन भविष्य में संशोधित दरों पर कर भुगतान करेगा। दिनांक 10 अप्रैल 2025 के अपने अंतिम निर्णय में, न्यायालय ने संशोधित दर को बरकरार रखा, लेकिन बकाया वसूली को मार्च 2023 की मांग से तीन साल तक सीमित कर दिया, यानी 2019 से। सीएसएल ने तदनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अपनी बहियों में संशोधित देयता की गणना और रिकॉर्ड किया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	31 मार्च 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
xi मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण हटाने के लिए सीमा शुल्क बांड	100.00	0.00	सीएमएसआरयू के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण को हटाने के लिए सीमा शुल्क निवारक मैनुअल (अध्याय 20) के अनुसार जारी किया गया सीमा शुल्क बांड।
xii सीमाशुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	19,203.00	14,950.00	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बांड
xiii भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30,415.00	30,415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के लिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 47 में शामिल है।
xiv पेंट संदूषण का दावा	863.83	863.83	कारों पर देखे गए पेंट संदूषण के धब्बों के लिए कंपनी के सामने दावे किए गए - घमाडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।
xv सीओपीए द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूल की गई वेतन राशि का आईएसआरएफ से दावा।	1.67	-	सीओपीए के 6 कर्मचारियों ने सीओपीए द्वारा मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित समय के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के एवज में वसूले गए वेतन की वापसी के लिए दावा किया है। सीएसएल को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण से सम्मन प्राप्त हो गया है। मामले की सुनवाई जून 2025 में तय की गई है।
xvi सेबी एलओडीआर विनियमों के कुछ निगमित शासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर शेयर बाज़ारों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाया गया जुर्माना।	21.34	-	शेयर बाज़ारों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की समितियों का गठन न करने सहित संबंधित आवश्यकताओं के लिए सीएसएल पर जुर्माना लगाया है। चूंकि गैर-अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से परे थे और इसकी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थे, इसलिए सीएसएल आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद शेयर बाज़ारों से जुर्माने में छूट का अनुरोध करेगा। शेयर बाज़ारों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माने में छूट दी है।
ख प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए :	31,539.56	40,329.32	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

46.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2023-24 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2018-19 और 2017-18 के लिए कुल ₹ 1,389.86 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांगे आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाई गई हैं और मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार किए जाने के कारण हैं। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

47. रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 1032503.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 961771.39 लाख रुपए)।

48. मुकदमा :

कंपनी साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नही करता है कि इन कानूनी कार्रवाइयों का जब अंततः समाप्त और निर्धारित किया जाएगा, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

49. अनुसंधान एवं विकास/नई पहल व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
क) राजस्व व्यय	2270.08	626.18
ख) पूंजी व्यय	2.83	1450.47
	2272.91	**2076.65**

नोट सं. 4 और 40 का संदर्भ लें।

मुख्य स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पहल निधि के लिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षो के लिए सीएसएल के स्टैंडअलॉन वित्तीय परिणामों के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर औसत कारोबार का 1% सीएसएल के अनुसंधान और विकास /नवाचार पहल के लिए वार्षिक बजट के रूप में अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने सीएसएल के स्टार्ट-अप नियुक्ति पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, उषस परियोजना कलिए 5000 लाख रुपए से अधिक की फंडिंग सहायता की मंजूरी दे दी है।

50. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची vii में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(क)वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि	1557.68	1369.01
(ख)वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1789.51	1444.38

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1419.72	-	1,419.72
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,096.17	-	1,096.17
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	348.21	-	348.21
	1,444.38	**-**	**1,444.38**

(₹ लाखों में)

धारा 135(5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(i) पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	170.00	110.00
(ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1789.51	1444.38
(iii) सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	1564.51	1384.38
(iv) आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि	395.00	170.00

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 401.83 लाख रुपए अधिक खर्च किए, जिसमें से 6.83 लाख रुपए लाभ और हानि के लिए प्रभारित किए जाते हैं और 395 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्षों में अग्रेषित किए जाते हैं।

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	1558.68	1369.01
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1789.51	1444.38
(iii) वर्ष के अंत में कमी,	0.00	0.00
(iv) पिछले वर्षों की कुल कमी,	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi) सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची vii में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।		
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य	शून्य

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

51. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2024-25	2023-24
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश कुमार सिंहा सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजु प्रभाकर सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक , केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (नवंबर 21,2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नाहर सिंह माहेश्धरी (नवंबर 21,2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अशोक शर्मा (नवंबर 21,2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (मई 01,2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशन एम (नवंबर 21,2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अभिजीत बिस्वास (नवंबर 21,2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थानः कोलकाता)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (व्यापार का प्रमुख स्थानः मालपे)	सहायक कंपनी	सहायक कंपनी
कार्यपालक और पर्यवेक्षक के लिए सीएसएल सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ग्रूप उपदान ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल म्युचअल और सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल अधिकारी और पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति लाभ ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीएसएल बीमा से जुडे चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल कामगार पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सीएसएल की ओर से एचसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2025 को शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर (अध्यक्ष)	10.00	10.00
श्री बिजोय भास्कर (निदेशक)	10.00	10.00
श्री जोस वी जे (निदेशक)	10.00	10.00
श्री श्रीजित के नारायणन (निदेशक)	10.00	10.00

सीएसएल की ओर से यूसीएसएल के नामांकित निदेशकों द्वारा रखे शेयर	31 मार्च 2025 को शेयरों की संख्या	31 मार्च 2024 को शेयरों की संख्या
श्री मधु एस नायर (अध्यक्ष)	10.00	10.00
श्री बिजोय भास्कर (निदेशक)	10.00	10.00
श्री जोस वी जे (निदेशक)	10.00	10.00
श्री श्रीजित के नारायणन (निदेशक)	10.00	10.00

मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के साथ लेनदेन:

लेनदेन की प्रकृति - मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
अल्पकालीन लाभ	282.66	282.12
रोजगार के बाद के लाभ	46.81	43.89
कुल	329.47	326.01

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2024 को खुला शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2025 को शेष	दिनांक 31.03.2025 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोस वी जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2023 को खुला शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2024 को शेष	दिनांक 31.03.2024 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
जोस वी जे	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.60	0.58	0.14	0.00

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के बैठक शुल्क

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	3.00	2.90
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	3.60	2.40
श्री अशोक शर्मा	3.30	2.60
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	0.30	2.40
श्री वेंकटेशन एम	2.10	1.80
श्री अभिजीत बिस्वास	3.60	2.60
कुल	15.90	14.70

संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन और शेष राशि- सहायक कंपनी

i) लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सहायक कंपनियों में विशेष रूप से नियुक्ति	59.18	19.56	117.94	92.01
वरीयता शेयरों पर लाभांश	331.73	316.59		-
सहायक कंपनियों द्वारा किए गए उप अनुबंध कार्य	2,998.32	1,536.17		(12.33)
सहायक कंपनियों को प्रदान की गई सेवाएं	1.79	2.96	7.14	7.50
स्टॉक मदों की बिक्री	3.30	1.27		-
एनएसडी पर ब्याज	190.64	323.07	60.00	60.00
इक्विटी शेयरों में निवेश	-	4,400.00		1,800.00
एनसीडी का पुनर्भुगतान	-	4,400.00		-
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम		3,526.92		-
ऋण पर ब्याज	-	-	27.50	27.50

ii) संबंधित पार्टियों के साथ शेष राशि- सहायक कंपनी

(₹ लाखों में)

विवरण	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड		उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	
	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
सहायक कंपनी द्वारा जारी एनसीडी में निवेश	3,100.00	3,100.00	1,000.00	1,000.00
सहायक कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश (राइट इश्यू शामिल है)	14,000.00	14,000.00	10,800.00	10,800.00
सहायक कंपनी में संचयी प्रतिदेय वरीयता शेयरों में निवेश	5,600.00	5,600.00		-
सहायक कंपनी को ऋण		-	500.00	500.00
एनसीडी पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	98.72	109.69	31.86	31.86
अधिमान्य शेयरों पर देय लाभांश	1,280.45	948.73		-
सहायक कंपनियों से प्राप्य	95.03	18.32	19.75	26.72
सहायक कंपनियों को देय	211.75	-	1.10	-
सहायक कंपनियों को दिए गए अग्रिम	152.36	3,526.92		-
सहायक कंपनियों के लिए दी गई प्रतिबद्धताएं और गारंटी:		-		-
निवेश के कारण		-		-
पूंजीगत परियोजनाओं के कारण	30.25	435.60		-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और शेष (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ ट्रस्ट/योजनाएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
i) लेनदेन		
रोजगार पश्चात योजनाओं में योगदान (वर्ष के लिए)	3444.90	1917.62
ii) शेष राशि		
ट्रस्ट को देय (निवल)	104.12	1505.56

सरकार और उसी सरकार के नियंत्रणवाली संस्थाओं के साथ लेनदेन और शेष

दिनांक 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार के पास कंपनी के 67.91% इक्विटी शेयर हैं जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

कंपनी ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखनेवाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं।

i) भारत सरकार के साथ लेनदेन / शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार को देय राशि	234.19	234.19
वर्ष के दौरान भारत सरकार को लाभांश के रूप में भुगतान की गई राशि	17,713.30	17,251.82

ii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भुगतान किए पट्टा किराया	2,615.20	3,561.80
बिजली एवं जल आपूर्ति शुल्क	1,354.38	988.27
वार्षिक लाभ शेयर भुगतान	227.73	299.51
कर्मचारी संबंध खर्च	596.68	349.39
आईएसआरएफ क्षेत्र की ड्रेजिंग	429.73	
टग्स और मार्गदर्शन प्रभार	360.99	
प्रत्याभूत राशि	233.04	
शिफ्टिंग एवं कोल्ड मूवमेंट व्यय	-	80.16
किराया एवं भाडा सेवाएं	-	860.84
ली गई विविध सेवाएं	-	232.05
प्रचालन से राजस्व	4,130.17	17,679.73

iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संतुलन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
देय	26.46	47.66
आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम राशि	72.09	35.20
प्राप्य	2787.77	9,050.19
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	4260.63	4,400.00

उपरोक्त के अलावा, कंपनियों के कुल कारोबार का लगभग 87.63% (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों और ग्राहक अग्रिम का 91.96% (लगभग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

52. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर 1 इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर ॥ इनपुट, स्तर 1 में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।.

स्तर ॥। इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	35,852.42	35,524.95	स्तर ॥।
(ii) ऋण	551.52	1,037.50	स्तर ॥।
(iii) अन्य	374.87	1,998.44	स्तर ॥।
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	22,945.97	29,355.09	स्तर ॥।
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	31,083.37	24,583.27	स्तर ॥।
(iii) बैंक शेष (ii) को छोडकर	2,71,038.29	3,53,812.08	स्तर ॥।
(iv) ऋण	644.33	115.11	स्तर ॥।
(v) अन्य	22,411.03	12,922.95	स्तर ॥।
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,84,901.80**	**4,59,349.39**	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2,302.20	2,302.20	स्तर ॥।
(ii) पट्टा देयताएं	44,755.75	43,698.28	स्तर ॥।
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	स्तर ॥।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को	
चालू			
(i) उधार	-	-	स्तर III
(ii) देय व्यापार	38,293.35	42,200.64	स्तर III
(iii) पट्टा देयताएं	3,025.42	2,879.63	स्तर III
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	19,481.25	15,455.69	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	**1,07,857.97**	**1,06,536.44**	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। कंपनी ने सहायक कंपनी के इक्विटी उपकरणों में इन निवेशों को लागत पर (भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार) और अन्य इक्विटी उपकरणों को एफवीटीओसीआई (भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार) पर नामित करने का विकल्प चुना है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि यह लाभ या हानि में उचित मूल्य में परिवर्तनों को तुरंत प्रतिबिंबित करने की तुलना में मध्यम या दीर्घकालिक रणनीतिक निवेशों की अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है। डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

   अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

   इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः कैरीइंग मूल्य, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

   बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	मार्च 31,2025 को			मार्च 31,2024 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		19.26	24,735.34	-	12.55	24,735.34
- ऋण साधन			11,097.82	-	-	10,777.06
- वरीयता शेयर						
निवेश (चालू)						
- म्यूचवल फंड						
प्राप्य व्यापार			22,945.97	-	-	29,355.09
नकद एवं नकद समतुल्य			31,083.37	-	-	24,583.27
बैंक शेष			2,71,038.29	-	-	3,53,812.08
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			23,981.75	-	-	16,074.00
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**19.26**	**3,84,882.54**	**-**	**12.55**	**4,59,336.84**

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

	मार्च 31,2025 को			मार्च 31,2024 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवीटीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय देयताएं						
ऋण			2,302.20	-	-	2,302.20
प्राप्य व्यापार			38,293.35	-	-	42,200.64
पूंजीगत लेनदारों						
अन्य वित्तीय देयताएं			67,262.42	-	-	62,033.60
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**1,07,857.97**	**-**	**-**	**1,06,536.44**

53. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोडकर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोज़र प्राथमिक रूप से नोट 23 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 45 में दिया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां					
31 मार्च 2025	6057.16	22567.71	0.00	11813.30	40438.17
31 मार्च 2024	544.41	46229.69	0.00	7276.80	54050.90
वित्तीय देयताएं					
31 मार्च 2025	7665.48	11024.90	64.24	0.48	18755.10
31 मार्च 2024	5718.27	19377.16	47.12	133.84	25276.39

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5 % परिवर्तन के लिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवदेनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
प्राप्तिया		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.00	0.00
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.00	0.00
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(383.27)	(285.91)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	383.27	285.91
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(551.25)	(968.86)
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	551.25	968.86
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(3.21)	(2.36)
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	3.21	2.36
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(0.02)	(6.69)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	0.02	6.69
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	383.27	285.91
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(383.27)	(285.91)
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	551.25	968.86
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	(551.25)	(968.86)
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	3.21	2.36
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(3.21)	(2.36)
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.02	6.69
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(0.02)	(6.69)

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाज़ार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी का लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कमोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कमोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
स्टील	622.62	594.67	(622.62)	(594.67)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुडे दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पडेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	31.03.2025 को			मार्च 31,2024 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश	117.36	-	35,735.06	128.33	4,100.00	31,296.62
ऋण (गैर चालू)	-	228.43	323.09	13.22	776.84	247.44
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		252.06	122.81		1,861.12	137.32
प्राप्य व्यापार	22,945.97	-	-	29,355.09		
रोकड और रोकड समतुल्य	31,083.37	-	-	24,583.27		
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	2,71,038.29	-	-	3,53,812.08		
ऋण	644.33	-	-	115.11		
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22,411.03	-	-	10,656.17	2,266.78	
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,48,240.35**	**480.49**	**36,180.96**	**4,18,663.27**	**9,004.74**	**31,681.38**
वित्तीय देयताएं						
उधार	2.20		2,300.00	-		2,302.20
पट्टा देयताएं (गैर चालू)		6,477.61	38,278.14		9,370.13	34,328.15
पट्टा देयताएं	3,025.42	-		2,879.63		
प्राप्य व्यापार	38,293.35	-		42,200.64		
अन्य वित्तीय देयताएं	18,974.62	506.63		15,448.73	6.96	
कुल वित्तीय देयताएं	**60,295.59**	**6,984.24**	**40,578.14**	**60,529.00**	**9,377.09**	**36,630.35**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम, एक जोखिम है जो काउंडर पार्टी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढाव का खुलासा नोट 15 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 और दिनांक 31 मार्च 2024 के रूप में तुलन पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोज़र नोट संख्या 15 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 51 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 87.63%और व्यापार प्राप्तियों का 91.96% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोज़र का खुलासा क्रमशः नोट 45 और नोट 46 में किया गया है।

54. भारतीय लेखा मानक 1 "वित्तीय विवरण की प्रस्तुति" के अनुसार प्रकटीकरण

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2025 को			मार्च 31,2024 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
माल सूची	1,75,119.70		1,75,119.70	95,893.98		95,893.98
प्राप्य व्यापर	22,945.97		22,945.97	29,355.09		29,355.09
रोकड और रोकड तुल्यांक	31,083.37		31,083.37	24,583.27		24,583.27
बैंक शेष	2,71,038.29		2,71,038.29	3,53,812.08		3,53,812.08
ऋण	644.33		644.33	115.11		115.11
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	22,411.03		22,411.03	10,656.17	2,266.78	12,922.95
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	-		-	144.96		144.96
अन्य चालू परिसंपत्तियां	3,91,036.81	9,508.86	4,00,545.67	2,35,524.77	86,786.28	3,22,311.05

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है :

(₹ लाखों म)

विवरण	मार्च 31,2025 को			मार्च 31,2024 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
पट्टा देयता	3,025.42		3,025.42	2,879.63		2,879.63
व्यापार देय	38,293.35		38,293.35	42,200.64		42,200.64
अन्य वित्तीय देयता	18,974.62	506.63	19,481.25	15,448.73	6.96	15,455.69
अन्य वर्तमान देयता	1,17,714.10	4,04,899.40	5,22,613.50	29,229.34	4,82,623.37	5,11,852.71
प्रावधान	1,04,770.06	359.20	1,05,129.26	62,234.84	359.20	62,594.04
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	2,647.80		2,647.80	-		-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

55. सेग्मेंट रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आबंटित किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
सेंगमेंट परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	8,22,323.58	5,70,597.30
पोत मरम्मत	3,48,784.30	3,03,008.95
अनाबंटित	1,33,441.35	3,14,420.86
कुल	**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
सेंगमेंट देयता		
पोत निर्माण	4,36,865.61	4,14,480.77
पोत मरम्मत	1,01,917.29	47,383.19
अनाबंटित	2,04,701.13	2,23,576.06
कुल	**7,43,484.03**	**6,85,440.02**
सेंगमेंट राजस्व		
पोत निर्माण	2,66,326.95	2,63,891.24
पोत मरम्मत	1,86,457.20	1,00,636.73
अनाबंटित	38,044.61	30,738.25
कुल	**4,90,828.76**	**3,95,266.22**
सेंगमेंट परिणाम		
पोत निर्माण	43,421.67	59,920.68
पोत मरम्मत	72,919.61	36,320.76
अनाबंटित	688.19	16,275.56
कुल	**1,17,029.47**	**1,12,517.00**

खंड के समाधान से निरंतर संचालन से कर पूर्व लाभ प्राप्त होता है :

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
सेंगमेंट परिणामों के अनुसार राशि	1,17,029.47	1,12,517.00
घटाएं : वित्तीय लागत	3,644.93	3,154.60
जोडें विशेष मदें	-	-
निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ	1,13,384.54	1,09,362.40

कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं - 'पोत निर्माण' और 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण के अंतर्गत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: एक ग्राहक) से 206665.27 लाख रुपए (पिछले वर्ष: ₹ 230672.72 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत निर्माण राजस्व का 78% राजस्व है, और पोत मरम्मत के लिए दो ग्राहकों (पिछले वर्ष: दो ग्राहक) से 153005.55 लाख रुपए (पिछले वर्ष: ₹ 63351.17 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत मरम्मत राजस्व का 82% है।

*प्रचालन से खंड राजस्व में से, 53,436.82 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 23140.03 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

56. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
दीर्घकालीन उधार	2,302.20	2,302.20
निवल ऋण	2,302.20	2,302.20
इक्विटी शेयर पूंजी	13,154.04	13,154.04
अन्य इक्विटी	5,47,911.16	4,89,433.05
कुल इक्विटी	5,61,065.20	5,02,587.09
गियरिंग अनुपात	0.41%	0.46%

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

अनुपात	अंश	भाजक	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क)वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	1.34	1.32	1.14%	-
(ख)ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.00	0.00	(10.42%)	-
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	* ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	14.32	12.41	15.40%	-
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.16	0.17	(7.55%)	-
(ङ)वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	3.34	5.57	(39.99%)	परियोजना-विशिष्ट सामग्रियों और उपकरणों के कारण जलयानों का भंडार वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में है।
(च) व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	13.52	8.52	58.63%	कुल कारोबार में वृद्धि और व्यापार प्राप्य में कमी के कारण।
(छ) व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	6.89	7.09	(2.83%)	-
(ज)निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	1.95	1.79	9.02%	-
(झ)निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.19	0.22	(16.54%)	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुपात	अंश	भाजक	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.21	0.23	(6.82%)	-
ट) निवेश पर वापसी :						
(1) इक्विटी निवेश पर आरओआई- गैर सूचीबद्ध सहायक कंपनी	लाभांश	सहायक कंपनियों की इक्विटी में औसत निवेश	-	-	-	-
(2) इक्विटी निवेश पर आरओआई- अन्य	लाभांश	इक्विटी शेयरों में औसत निवेश	3.40%	4.52%	(24.89%)	-

*ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

57. कंपनी ने अपने लेखा बहियों में बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में ईआरपी, एसएपी एस/4हाना का उपयोग किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोडकर संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग और पूरे वर्ष रिकॉर्डिंग लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) की सुविधा है।

i. लेखा बहियों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जानेवाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने के लिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं के लिए लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम की गई थी। हालांकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

ii. ईआरपी में प्रतिभूति लेखापरीक्षा लॉग को वर्ष 2022 से सक्षम किया गया था। लेखा सॉफ्टवेयर के लेखा सत्यापन (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा मार्च, 2024 को सक्षम की गई थी।

इसके अलावा, लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में लेखा सत्यापन की सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला सामने नहीं आया तथा रिकॉर्ड को सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में संरक्षित किया गया है।

58. वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/सेवाओं की खपत 80419.32 लाख रुपए (पिछले वर्ष 78495.68 लाख रुपए)

59. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के सामने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

60. कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपए से अधिक की कुल गैर-निधि आधारित सीमाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पडने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड रुपऐ से अधिक की कुल निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई तिमाही विवरणी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

61. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है,

62. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

63. कंपनी ने मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा के विकास, डिज़ाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नवंबर 2019 से 30 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक लाइसेंस के आधार पर अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौता किया है, जिसे सीएसएल-अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू) नाम दिया गया है।

64. वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

65. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेशी करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

66. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।

67. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

68. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानि नहीं है।

69. कोष्ठक के आंकडे शून्य आंकडे को दर्शाता है।

70. पिछले वर्ष के आंकडे को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद और पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

सी कृष्णन मेनन,
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई 15, 2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
(सदस्यता संख्या: A25337)

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई 15, 2025

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सदस्य

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी'** के रूप में संदर्भित) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों और इसके नियंत्रित कंपनी हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सम्मिलित रूप से **'ग्रूप'** के रूप में संदर्भित है) जिसमें दिनांक 31 मार्च 2025 के समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), रोकड प्रवाह संबंधी समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण, और समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां, महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति सूचना का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारी राय में तथा हमारी सही जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण, अपेक्षित तरीके में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में अपेक्षित सूचना देती है और दिनांक 31 मार्च 2025 को ग्रूप के समेकित लाभ (अन्य व्यापक आय सहित),इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकद प्रवाह, समेकित मामलों की स्थिति, आमतौर पर संशोधित (भारतीय लेखा मानक), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढित अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्धारित भारतीय लेखा मानक के अनुरूप एक सच्चे और निष्पक्ष विचार देता है।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी के भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी आवश्यकताओं से अलग हैं, जो कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके प्रावधानों और नियम के तहत समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों का महत्व

1. **2 संख्या 1200 यात्री जलयानों के लिए निर्धारित क्षति का गैर-फैक्ट रिंग:**

   2 संख्या 1200 यात्री पोतों के निर्माण के लिए पोत निर्माण अनुबंध पर समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 34.5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। दोनों पोतों के लिए अनुबंधात्मक सुपुर्दगी तिथि (जैसा कि बढ़ाया गया है) पहले ही समाप्त हो चुकी है। अन्य संभावित खरीदारों के लिए पोतों के पुनः आबंटन के लिए ग्राहक के अनुरोध पर, मामूली प्रगति के साथ पोत की सुपुर्दगी को रोक दिया गया है। कंपनी ने इन पोतों के संबंध में दिनांक 29 अप्रैल, 2023 और 30 अक्तूबर, 2023 तक की देरी के लिए परिसमाप्त क्षति का प्रावधान किया है। चूंकि कंपनी के पास एक वैध अनुबंध है, इसलिए इसने ऊपर उल्लिखित तिथियों से परे वित्तीय विवरणों में आगे परिसमाप्त क्षति को मान्यता नहीं दी है।

2. **कुलपी में भूमि:**

   समेकित वित्तीय विवरण के नोट संख्या 4(पी) के फुट नोट की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) का है, जिसे भौगोलिक क्षेत्र और मूल्यांकन के सत्यापन के लंबित रहने तक समूह और संबंधित सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ समेकित वित्तीय विवरणों में भी इसे मान्यता नहीं दी गई है।

3. **अनुसंधान एवं विकास परियोजना-हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक पोत:**

   समेकित वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 42 (ग) और (घ) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अनुसंधान एवं विकास (नौवहन) योजना के तहत पूरी तरह से स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत जलयान और स्वायत्त सतह जलयान परियोजनाओं के डिजाइन, विकास, निर्माण और प्रदर्शन के लिए 1,312.50 लाख रुपये और 2,000.00 लाख रुपये की निधि मंजूर की है।

संबंधित परियोजनाओं को मंजूरी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार, नियंत्रण कंपनी को उक्त प्रारंभिक परियोजनाओं के विकास के लिए 'कार्यान्वयन अभिकरण' के रूप में नामित किया गया है और निधि से अर्जित सभी परिसंपत्तियां भारत सरकार की संपत्ति होंगी।

इसके अलावा, कंपनी जारी की गई धनराशि को खर्च करते समय समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है।

जीएफआर 2017 के अनुसार, चालू परियोजनाओं के मामले में, नियंत्रण कंपनी को खातों की पुस्तकों में अपनी संपत्ति के रूप में नहीं मानना चाहिए, बल्कि वित्तीय विवरणों के नोट्स में अपनी नियंत्रण और ऐसी संपत्तियों के उपयोग के बारे में खुलासा करना चाहिए। नियंत्रण कंपनी द्वारा वापसी, बिक्री या बनाए रखने का निर्णय मंत्रालय द्वारा संबंधित परियोजनाओं के पूरा होने पर लिया जाएगा।

दिनांक 31.03.2025 तक, हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत पोत परियोजना प्रदर्शन चरण में है और स्वायत्त सतह जलयान परियोजना विकास/निर्माण चरण में है।

तदनुसार, नियंत्रण कंपनी ने वर्ष के दौरान नियंत्रण कंपनी द्वारा खर्च/व्यय की गई शेष राशि 966.34 लाख रुपये को लाभ और हानि खाते के विवरण में दर्ज किया है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला:

मुख्य लेखा परीक्षा मामला वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जानेवाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

1. राजस्व की पहचान - पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियां

(समेकित वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 3.10 (क), 34 और 45 देखें)

ग्रूप ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंध करती है, जहां राजस्व को आउटपुट विधि के अनुसार समय के साथ मान्यता दी जाती है।

ग्राहकों के साथ पोत निर्माण और पोत मरम्मत अनुबंधों पर मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व का अनुमान लगाने में महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय शामिल हैं, जिसमें रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का निर्धारण भी शामिल है।

प्रबंधन द्वारा विकसित इन-हाउस प्रक्रियाओं के अनुसार पूरा होने की प्रत्यक्ष प्रगति का पता लगाया जाता है। प्रक्रिया और उसमें मौजूद धारणाएं कंपनी के तकनीकी विभागों से मिले इनपुट के आधार पर प्रबंधन द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों पर आधारित हैं। इसके अलावा, रिपोर्टिंग तिथि पर प्रत्येक उप-गतिविधि के वास्तविक प्रत्यक्ष समापन का पता लगाने में प्रबंधन का अनुमान भी शामिल होता है।

अपेक्षित नुकसान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल होते हैं, जब अपेक्षित कुल अनुबंध लागत के आधार पर ऐसे नुकसान संभावित हो जाते हैं। प्रत्येक अनुबंध के भीतर उत्पन्न होनेवाली कंपनी के सामने अनिश्चितताओं या विवादित दावों के विशिष्ट जोखिमों को ध्यान में रखने के लिए इन अनुमानों में लागत आकस्मिकताओं को शामिल किया जाता है। इन आकस्मिकताओं की प्रबंधन द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है और जहां उपयुक्त हो समायोजित किया जाता है। अनुबंधों पर राजस्व में परिवर्तनीय विचार (विविधताएं और दावे) भी शामिल हो सकते हैं। परिवर्तनीय प्रतिफल को तब मान्यता दी जाती है जब ऐसे प्रतिफल की वसूली अत्यधिक संभावित हो।

अनुबंधों की प्रकृति के कारण, राजस्व मान्यता में पूर्णता विधि के प्रतिशत का उपयोग शामिल है (यानी, पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति) जो प्रदर्शन किए गए कार्य के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित की जाती है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता, महत्वपूर्ण निर्णय, अनुबंधात्मक दायित्वों की पहचान शामिल है और आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार, दायरे में बदलाव और परिणामी संशोधित अनुबंध मूल्य और घाटेवाले अनुबंधों/कठिन दायित्वों के लिए दायित्वों की पहचान शामिल है।

समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व के लेखापरीक्षा प्रबंधन के मापन में पूर्णता की प्रत्यक्ष प्रगति को मापने में किया गया महत्वपूर्ण निर्णय और अनुमान शामिल होता हैं, हम मानते है कि राजस्व की मान्यता में अंतर्निहित लेखापरीक्षा जोखिम हैं और इसलिए इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना गया।

हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल है, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है:

- आउटपुट विधि और उसमें अंतर्निहित मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग करते हुए, ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की पहचान करने में ग्रूप द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की।

- भारतीय लेखा मानक 115- ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व के साथ तुलना करके ग्रूप की राजस्व मान्यता नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें परिवर्तनीय विचारों से संबंधित नीतियां भी शामिल थीं।

- निष्पादन दायित्वों के मूल्यांकन और पृथक दायित्वों की पहचान से संबंधित नियंत्रणों की प्रभावशीलता, प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए लागत का अनुमान, जिसमें उसके संबंध में आकस्मिकताएं भी शामिल है, जैसे-जैसे कार्य आगे बढता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप उस पर प्रभाव पडता है, संबंधित अनुबंधों के लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव और लेनदेन मूल्य पर परिवर्तनीय विचार के प्रभाव का मूल्यांकन का जांच किया गया।

- ग्राहकों के साथ अनुबंधों का एक नमूना चुना और निम्नलिखित प्रक्रियाएं निष्पादित कीं :

    - प्रत्येक चयन, परिवर्तन आदेश और अन्य दस्तावेज़ों के लिए अनुबंध दस्तावेज़ प्राप्त किया, जो समझौते/व्यवस्था का हिस्सा था।

    - (i) विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान (ii) जैसे-जैसे काम आगे बढता है और परिवर्तन आदेशों के परिणामस्वरूप लागत में परिवर्तन होता है, (iii) लेनदेन मूल्य पर परिवर्तन आदेशों का प्रभाव, और (iv) परिवर्तनीय प्रतिफल के आधार पर लेनदेन मूल्य में समायोजन का मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन के निष्कर्षों का आकलन करने के लिए अनुबंध में महत्वपूर्ण शर्तों और प्रदेयों की पहचान की गई।

    - महत्वपूर्ण विविधताओं की पहचान करने के लिए आज तक की गई लागतों के ग्रूप के अनुमानों के साथ तुलना की गई और मूल्यांकन किया गया कि क्या अनुबंध को पूरा करने के लिए शेष लागतों का अनुमान लगाने में उन विविधताओं पर उचित रूप से विचार किया गया है।

    - महत्वपूर्ण उपलब्धियों की स्थिति और ग्राहक स्वीकृति के साथ स्थिरता के लिए अनुमान का जांच किया गया ताकि महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान की जा सके, जिसके लिए शेष प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने के लिए अनुमानित लागत या प्रयासों में बदलाव की आवश्यकता होती है।

- सेवा के प्रकार और प्रकृति द्वारा प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित की गई।

- संबंधित कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में घटक (अर्थात सहायक) लेखापरीक्षकों द्वारा प्रत्यक्ष प्रगति पूर्णता और निष्पादित कार्य के प्रतिशत के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी और गतिविधि-आधारित मूल्यांकन पर पर्याप्त निर्भरता रखी गई थी।

- भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार ग्रूप द्वारा किए गए प्रासंगिक खुलासों की उपयुक्तता का आकलन किया गया।

हमने निष्कर्ष निकाला कि ऊपर निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर, हमें भारतीय लेखा मानक 115 को अपनाने और राजस्व मान्यता के समय के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अपवाद नहीं मिला।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के रूप में परियोजनाओं का पूंजीकरण

(समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 3.1, 3.5 और 4(एम) देखें)

नियंत्रण कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में चालू अवसंरचना और विकास परियोजनाएं हैं, जो पूर्ण होने और इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने पर, पूंजीगत कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित कर दी जाती हैं।

दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, नियंत्रण कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नई सूखी गोदी के व्यावसायीकरण/प्रचालन के कारण 2,11,283.18 लाख रुपये की परियोजनाओं को पूंजीकृत किया है।

पूंजीकरण की प्रक्रिया में प्रबंधन को परिसंपत्ति के अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, यह आकलन करना होता है कि क्या सभी प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लागतें उचित रूप से शामिल हैं, परिसंपत्तियों को पीपीई की उपयुक्त श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत करना, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का निर्धारण करना होता है।

पूंजीकृत राशियों की मात्रा और इसमें शामिल प्रबंधन निर्णयों को देखते हुए, हमने सीडब्ल्यूआईपी से पीपीई तक परियोजनाओं के पूंजीकरण को एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना।

हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल थे:

- भारतीय लेखा मानक 16 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप पूंजीकरण के लिए लेखांकन नीति का मूल्यांकन किया।

- पूंजीकरण प्रक्रिया पर प्रमुख नियंत्रणों के डिजाइन और कार्यान्वयन का परीक्षण किया।
- इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्तियों की तत्परता का पता लगाने के लिए परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्रों, आंतरिक कमीशनिंग दस्तावेजों और प्रबंधन अनुमोदनों की समीक्षा की।
- पूंजीकरण किए गए व्ययों के नमूने का सत्यापन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे विशिष्ट परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।
- परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों के निर्धारण के लिए अभियांत्रिकी टीम द्वारा तकनीकी आकलन की जांच की गई।
- परिसंपत्तियों को उपयुक्त पीपीई वर्गों में वर्गीकृत करने का मूल्यांकन किया गया।
- आगामी लागतों की समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यावसायीकरण के बाद उन्हें गलत तरीके से पूंजीकृत नहीं किया गया है।
- पूंजीकृत परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया गया।

उपरोक्त प्रक्रियाओं के आधार पर, हमने पूंजीकरण से संबंधित प्रबंधन के निर्णय को उचित और संबंधित प्रकटीकरण को पर्याप्त पाया।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी :

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट, निगमित शासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ प्रत्यक्ष रूप से असंगत है या अन्य प्रत्यक्ष रूप से गलत बताई गई प्रतीत होती है।

जब हम अन्य सूचना पढते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, हमें इस मामले को उन लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है जिन पर शासन का आरोप है।

इस रिपोर्ट की तिथि तक, प्रबंधन द्वारा हमें अन्य जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तदनुसार, हम इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां :

नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार ग्रूप की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ग्रूप में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल ग्रूप की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और कपट तथा अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव उचित लेखा नीतियों के चयन और प्रयोग, उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान करने, और कपट अथवा त्रुटि के कारण अयथार्थ विवरण से मुक्त है, की तैयारी के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों के सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, ग्रूप में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने हेतु ग्रूप की क्षमता का मूल्यांकन करने, प्रकटीकरण जैसा कि लागू होता है, जब तक निदेशक मंडल ग्रूप को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है, तब तक सुनाम प्रतिष्ठान को जारी रखने से संबंधित मामले और लेखांकन को जारी रखने के आधार का उपयोग करने से संबंधित है, इन सब के लिए ज़िम्मेदार है।

निदेशक मंडल ग्रूप की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी ज़िम्मेदार है।

वित्तीय विवरण के लिए लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी :

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से समेकित वित्तीय विवरण वस्तुगत मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटी के कारण, और एक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है,

लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद होने पर किसी वस्तुगत मिथ्या कथन का पता लगाएगा। गलतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और उन्हें भौतिक तब माना जाता है अगर व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय वक्तव्यों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी:

क. समेकित वित्तीय विवरणों की उपादान गलतियों के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहें वे धोखाधड़ी या त्रुटि का कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करें, और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली उपादान गलतियों का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण को कुचल देना शामिल हो सकती है।

ख. लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

ग. उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।

घ. लेखांकन के सुनाम प्रतिष्ठान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालना है, और प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत के आधार पर, क्या यह घटना या शर्तों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू करने हेतु ग्रूप की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि हमारी राय को संशोधित करने हेतु इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं। हमारा निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा के सबूत पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होनेवाली घटनाओं या स्थितियों से ग्रूप एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने से स्थगित हो सकती है।

ङ खुलासे सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, यह संभव बनाती है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपनी लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक विवरण के साथ अधिकार प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए एवं हमारी स्वतंत्रता पर, जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर यथोचित रूप से विचार करने हेतु अन्य मामलों पर विचार किया जा सकता है।

अधिकार के साथ प्रभारित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों को पछाड़ने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य मामले :

1. हमने दो सहायक कंपनियों अर्थात "मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड" और "मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)" के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा नहीं किया, जिनके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कुल संपत्ति 83,134.88 लाख रुपए (गत वर्ष - 58,071.57 लाख रुपये) दर्शायी गई है, कुल आय 34,101.75 लाख रुपये (गत वर्ष - 21,050.05 लाख रुपए) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निवल नकदी प्रवाह (619.69) लाख रुपए (गत वर्ष -771.47 लाख रुपए) दर्शाया गया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है।

इन वित्तीय विवरणों को अन्य लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है और उस समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण पर हमारी राय है कि जहां तक इस सहायक कंपनी में शामिल राशि और प्रकटीकरण के संबंध में और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट के अनुसार, जहां तक उपर्युक्त सहायक कंपनी से संबंधित है, यह पूरी तरह से अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी एवं नियामक अपेक्षाओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखापरीक्षक द्वारा किए गए कार्यों और उनकी रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपर्युक्त मामले के वास्ते संशोधित नहीं की गई है।

अन्य वैध और नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') की आवश्यकता के अनुसार, हम देते हैं **'अनुलग्नक- क'**, लागू सीमा तक आदेश के अनुच्चेद 3 (xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।

2. बोर्ड की संरचना का गैर-अनुपालन- कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं (एलओडीआर) विनियम, 2015:

   वर्ष के दौरान, बोर्ड के सभी 6 गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों ने अपना पद छोड़ दिया, जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड की सभी आवश्यक समितियां अस्तित्व में नहीं रहीं।

   आज की तारीख तक, आकस्मिक रिक्ति के कारण बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। परिणामस्वरूप, ग्रूप लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य अन्य समितियों के गठन के साथ गैर-शिकायत जारी रखता है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

   यह बताया गया कि चूंकि ग्रूप एक सीपीएसई है, इसलिए निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत सरकार के पास है तथा एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए उचित अनुरोध भारत सरकार को भेज दिया गया है।

   31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इस समेकित वित्तीय विवरण की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन संख्या 18 (3) के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारे ऑडिट के आधार पर और उपरोक्त 'अन्य मामले' अनुभाग में संदर्भित सहायक कंपनियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों और अन्य जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर , हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. जहां तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमने उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगा है और प्राप्त कर लिया है।

   ख. हमारी राय में बहियों की परीक्षा करने से और अन्य लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से मालूम होता है कि उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षितानुसार लेखे के उचित बहियों को सही तरीके से रखी गई है।

   ग. इस रिपोर्ट में शामिल समेकित तुलन पत्र, लाभ और हानि का समेकित विवरण, नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित वित्तीय विवरण की तैयारी के उद्देश्य से बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के साथ मेल खाता है।

   घ. हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण समय-समय पर संशोधित कंपनी (खाता) नियम, 2016 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जो निगमित कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 463 (ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी है।

   च. ग्रूप की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **'अनुलग्नक ख'** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक **असंशोधित राय** व्यक्त करती है;

   छ. संशोधित अधिनियम की धारा 197(16) की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में: प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची ञ के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान निगमित मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 463(ई) दिनांक 5 जून 2015, जी.एस.आर. के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

ज. हमारी राय और हमारी सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जानेवाले अन्य विषय के संबंध में:

i. अपनी समेकित वित्तीय विवरणों में अपनी समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमें के प्रभाव का खुलासा किया है। (*समेकित वित्तीय विवरणों के नोट सं. 48 का संदर्भ लें।*)

ii. ग्रूप ने व्युत्पन्न ठेके सहित दीर्घकालिक ठेके पर सामग्री के पूर्वाभासी हानियों, यदि कोई हो, के लिए लागू नियम या लेखा मानकों के तहत अपेक्षितानुसार प्रावधान किया है।

iii. ग्रूप द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए हस्तांतरित करने हेतु कोई राशि नहीं है।

iv. क. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, ने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी किसी भी सहायक कंपनी या किसी अन्य द्वारा कोई निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित व्यक्ति(व्यक्तियों) या इकाई(ओं) को, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी में पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा। होल्डिंग कंपनी या ऐसी किसी सहायक कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या कुछ भी प्रदान करें।

ख. नियंत्रक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षा अधिनियम के तहत किया गया है, उसने क्रमशः हमें और ऐसी सहायक कंपनियों के अन्य लेखा परीक्षकों को सूचित किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, नियंत्रक कंपनी या ऐसी सहायक कंपनियों में से किसी भी व्यक्ति या इकाई (ओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं, से कोई फंड (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण हैं) प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ , चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि नियंत्रक कंपनी या ऐसी कोई भी सहायक कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करें।

ग. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जो हमारे द्वारा और सहायक कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए परिस्थितियों में उचित और उत्कृष्ठ माना गया है, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, जिनके वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा किए गए हैं, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षक को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक ग़लतबयानी शामिल हैं।

v. नियंत्रक कंपनी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान नियंत्रक कंपनी द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुपालन में है।

सहायक कंपनियों ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

vi. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित 2024 संस्करण) के नियम 11(छ) के अंतर्गत लेखा सत्यापन पर

रिपोर्टिंग पर कार्यान्वयन मार्गदर्शन के अनुसार किए गए हमारे परीक्षण के आधार पर, जिसमें नमूना जांच शामिल था और सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए परीक्षण, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं जिनके वित्तीय विवरणों का अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा किया गया है, उसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोड़कर नमूना जांच शामिल था, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपने लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक लेखा सॉफ्टवेयर यानी एसएपी एस/4 एचएएनए का उपयोग किया है, जिसमें सुरक्षा ऑडिट लॉग की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) की सुविधा है:

क. लेखा पुस्तकों को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ़्टवेयर के लिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने के लिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं के लिए लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) के अनुरक्षण की सुविधा सक्षम की गई थी। हालाँकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है;

ख. 2022 से ईआरपी में सुरक्षा ऑडिट लॉग सक्षम किया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर की लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा मार्च, 2024 को सक्षम की गई;

इसके अलावा, जिस अवधि में लेखा सत्यापन (संपादन लॉग) सुविधा सक्षम और संचालित थी, हमें और उपर्युक्त सहायक कंपनियों के संबंधित लेखा परीक्षकों को हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमें लेखा सत्यापन सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, रिकार्ड संरक्षण हेतु वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा लेखा परीक्षा ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

लेखा सत्यापन की हमारी जांच, लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार किए गए वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संदर्भ में थी और केवल कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित सीमा तक थी। हमने उक्त नियम 11(छ) द्वारा अपेक्षित मामलों से परे लेखा सत्यापन की कोई लेखा परीक्षा या जांच नहीं की है और न ही हमने लेखा सत्यापन की कोई स्टैंडअलोन लेखापरीक्षा या जांच की है।

कृते **आनंद और पोन्नप्पन**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000111एस

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं.: 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक:15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNW8187

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक क

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुभाग 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत अनुच्छेद 1 में संदर्भित।

सीएआरओ 2020 के अनुच्छेद 3(xxi) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि निम्नलिखित कंपनियों के लेखा परीक्षकों ने नियंत्रक कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल संबंधित कंपनियों के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर अपनी सीएआरओ रिपोर्ट में योग्यता या प्रतिकूल टिप्पणियां दी हैं। :

क्र. सं	कंपनी का नाम	सीआईएन	संबंध	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख	संबंधित सीएआरओ रिपोर्ट में अनुच्छेद संख्या
1.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	L63032KL1972GOI002414	नियंत्रक कंपनी	15 मई, 2025	शून्य
2.	हुगली शिपयार्ड लिमिटेड	U35900WB2017GOI223197	सहायक कंपनी	25 अप्रैल, 2025	शून्य
3.	उडुपी शिपयार्ड लिमिटेड	U27209TN1984GOI010994	सहायक कंपनी	25 अप्रैल, 2025	i(a)(A) & i(c)

कृते **आनंद और पोन्नप्पन**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000111एस

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं.: 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक:15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNW8187

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक- ख

सम दिनांक की कंपनी के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 3(छ) में संदर्भित।

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (**'कंपनी'** के रूप में संदर्भित) और इसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखा परीक्षा किया है, जो कि कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षा के साथ मिलकर दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत में शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी और इसके नियंत्रित कंपनी जो भारत में निगमित किया है, के संबंधित निदेशक मंडल, भारतीय सनदी लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट में बताए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, अधिनियम के अधीन अपेक्षितानुसार, संबंधी कंपनी की नीतियों का अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखाधडी और त्रुटियों का निरोध और खोज, लेखांकन अभिलेख की सटीकता और संपूर्णता और यथार्थ वित्तीय सूचना के सामयिक तैयारी सहित अपने व्यापार के व्यवस्थित और प्रभावी आयोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर ग्रूप के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू, और दोनों भारत के सनदी लेखाकार के संस्थान द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे अनुसार और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग ("दिशानिर्देश नोट") के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश नोट के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा की है। मानकों और दिशानिर्देश नोट यह अपेक्षा करता है कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया है और ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी प्रचालित किया है, के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन तथा नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता और उनके प्रचालन प्रभावशीलता के संबंध में लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादित प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, एक महत्वपूर्ण कमी जो मौजूद है के जोखिम के मूल्यांकन करना और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल किया है। चुनी हुई प्रक्रियाएं, धोखाधडी या त्रुटि के कारण, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण के जोखिमों के मूल्यांकन सहित, लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर है।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के यथार्थता और वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किए एक प्रक्रिया है।

एक कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

(क) रिकॉर्डों के रखरखाव से संबंधित है जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान में उचित विस्तार में, यथार्थ और निष्पक्ष रूप से प्रभावित करता है।

(ख) जो एक उचित आश्वासन प्रदान करता है कि साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यकतानुसार लेनदेन रिकॉर्ड किया जाता है और कंपनी के प्राप्तियों और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार ही किया जा रहा है, और

(ग) जो कंपनी की परिसंपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान के निरोध या यथासमय खोज से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करता है, जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन

अभिसंधि की संभावना या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन उल्लंघन सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंतर्निहित परिसीमन के कारण, कपट या धोखधडी के कारण महत्वपूर्ण अयथार्थ विवरण घटित हो सकता है और पता नहीं लगाया है। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन के अनुमान भी जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाएगा, या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन के स्तर बिगड जाएगा।

राय

हमारी राय में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली बनाए रखती हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

अन्य मामले

जहां तक सहायक कंपनी, जो भारत में निगमित किया है, के संबंध में, वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता और प्रचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3) (i) के अधीन हमारे उपर्युक्त रिपोर्ट उस कंपनी के लेखापरीक्षक की संबंधित रिपोर्ट के आधार पर है।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

कृते **आनंद और पोन्नप्पन**
सनदी लेखाकार
एफआरएन 000111एस

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
सदस्यता सं.: 074736

स्थान: कोच्ची
दिनांक:15.05.2025
यूडीआईएन: 25074736BMIYNW8187

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए ज़िम्मेदार है। दिनांक 15.05.2025 की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उन्होंने यह कार्य किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा-परीक्षण किया है। यह अनुपूरक लेखा-परीक्षण, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य-पत्रों तक पहुँच के बिना, स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जाँच तक सीमित है।

प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों में किए गए संशोधन के मद्देनजर, जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32(8) में दर्शाया गया है, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी देने या उसे पूरक करने के लिए नहीं है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(एस. वेल्लियांगिरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान: चेन्नई
दिनांक: 05.08.2025

दि. 31 मार्च 2025 का

समेकित तुलन पत्र

(रु. लाखों में)

ब्योरा	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
परिसंपत्तियां			
अप्रचलित परिसंपत्तियां			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	4	3,03,410.09	94,945.10
(ख) पूंजीगत प्रगतिशील कार्य	5	51,499.36	2,19,526.87
(ग) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	6	1,292.27	1,811.09
(घ) विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	7	68.06	60.64
(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	19.26	12.55
(ii) ऋण	9	551.52	524.28
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	10	569.19	2,004.19
(च) आयकर परिसंपत्तियां (निवल)	11	2,946.83	6,486.87
(छ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	12	10,964.80	10,425.45
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	13	1,948.41	6,429.65
कुल अप्रचलित परिसंपत्तियां		**3,73,269.79**	**3,42,226.69**
चालू परिसंपत्तियां			
(क) मालसूची	14	1,88,510.72	1,02,609.40
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) प्राप्य व्यवहार	15	22,903.17	30,344.98
(ii) रोकड व रोकड तुल्यांक	16	31,667.12	30,641.30
(iii) उपयुक्त (ii) को छोडकर बैंक शेष	17	2,79,595.10	3,55,759.25
(iv) ऋण	18	131.10	115.11
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	19	27,044.51	15,191.73
(ग) चालू कर संपत्ति (निवल)	11	-	323.10
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	20	4,16,801.22	3,27,010.97
कुल चालू परिसंपत्तियां		**9,66,652.94**	**8,61,995.84**
कुल परिसंपत्तियां		**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी :			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	21	13,154.04	13,154.04
(ख) अन्य इक्विटी	22	5,44,771.99	4,87,179.63
कुल इक्विटी		**5,57,926.03**	**5,00,333.67**
देयताएं:			
अप्रचलित देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	23	2,302.20	2,302.20
(ii) पट्टा देयताएं	24	46,013.72	44,925.88
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	19.99	18.27
(ख) प्रावधान	26	5,329.32	4,488.93
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	12	614.76	520.62
(घ) अन्य अप्रचलित देयताएं	27	8.08	11.00
कुल अप्रचलित देयताएं		**54,288.07**	**52,266.90**
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	28	4,599.11	-
(ii) पट्टा देयताएं	29	3,125.68	2,991.88
(iii) व्यापार देय			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के लिए कुल बकाया राशि	30	10,461.36	8,879.21
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों को छोडकर लेनदारों के कुल बकाया राशि		39,676.98	37,632.80
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	31	23,187.60	18,255.60
(ख) अन्य चालू देयताएं	32	5,41,551.97	5,20,982.79
(ग) प्रावधान	33	1,02,645.68	62,879.68
(घ) चालू कर कर (निवल)	11	2,460.25	0.00
कुल चालू देयताएं		**7,27,708.63**	**6,51,621.96**
कुल इक्विटी और देयताएं		**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
निर्गमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना		1 - 3	
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां		4 - 75	

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के

लाभ और हानि का समेकित विवरण

(रु. लाखों में)

ब्योरा		टिप्पणी सं.	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
I	**आय**			
	प्रचालनों से आय	34	481995.88	383045.42
	अन्य आय	35	38906.50	31018.09
	कुल आय		**520902.38**	**414063.51**
II	**व्यय :**			
	उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य	36	213404.08	173444.78
	प्रगतिरत कार्य की सूची में परिवर्तन	37	(532.85)	67.40
	उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय	38	87928.42	55876.42
	कर्मचारियों के भत्ताओं के लिए व्यय	39	42436.89	38628.40
	वित्तीय मूल्य	40	3857.55	3324.11
	मूल्यह्रास और ऋणमुक्त व्यय	41	10317.64	7457.82
	अन्य व्यय	42	38169.27	24882.91
	प्रत्याशित हानि तथा व्यय के लिए प्रावधान	43	12804.33	3287.91
	कुल व्यय		**408385.33**	**306969.75**
III	**आसाधारण मदों और कर पूर्व लाभ**		**112517.05**	**107093.76**
IV	**आसाधारण मदें**		0.00	0.00
V	**कर पूर्व लाभ**		**112517.05**	**107093.76**
VI	**कर व्यय:**			
	(1) चालू कर	11	29550.79	25016.34
	(2) पिछले वर्षों का आयकर	11	875.11	3307.72
	(3) आस्थगित कर	11	(641.90)	441.92
VII	**वर्ष का लाभ**		**82733.05**	**78327.78**
VIII	**अन्य ब्योरेदार आय**			
	(क) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत किए जाएंगे			
	i) नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा उपकरणों पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग		865.28	3988.03
	ii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामन पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		(225.90)	(1003.38)
	(ख) मदें जो लाभ या हानि के सामने पुन:वर्गीकृत नही कए जाएंगे			
	i) निर्धारित कर्मचारी के लाभ दायित्वों का पुनः मापन		(337.82)	(90.26)
	ii) एफवीटीओसीआई इक्विटी उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन		6.71	1.23
	iii) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के सामने पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		86.01	22.96
	वर्ष के लिए अन्य ब्योरेदार आय		**394.28**	**2918.58**
IX	**अवधि के लिए कुल अन्य ब्योरेदार आय (अवधि के लिए लाभ और अन्य ब्योरेदार आय शामिल है)**		**83127.33**	**81246.36**
X	**प्रति ₹ 5 इक्विटी शेयर की आय:**	44		
	(1) मूल (₹ में)		31.45	29.77
	(2) तनुकृत (₹ में)		31.45	29.77
निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना		1 - 3		
समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां		4 - 75		

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा		31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
क. प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**1,12,517.05**	**1,07,093.76**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः			
मूल्यह्रास एवं ऋण परिशोधन व्यय		10,317.64	7,457.82
ढीले औजारों के मूल्य में कमी		192.03	150.49
वित्त लागत		3,857.55	3,324.11
ब्याज आय		(19,781.17)	(24,054.71)
प्रत्याशित हानि और व्यय के लिए प्रावधान		12,804.33	3,287.91
प्रावधान की अब आवश्यकता नहीं है		(14,054.34)	(2,426.41)
व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता		662.83	1,659.04
म्यूचअल फंड से लाभांश आय		(72.78)	(7.49)
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री/ बट्टे खाते में डालने पर हानि		5.65	0.87
संपत्ति संयंत्र और उपस्कर की बिक्री पर लाभ		(23.90)	(13.25)
आस्थगित सरकारी सहायता		(1.14)	(1.14)
व्युत्पन्न अनुबंधों पर हानि/(लाभ) (निवल)		248.46	724.89
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल (लाभ) /हानि		(1,405.58)	(2,004.65)
बुरे ऋणों को बट्टे खातें में डालना		8,614.55	96.98
कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व प्रचालन रोकड प्रवाह		**1,13,881.18**	**95,288.22**
कार्यशील पूंजी में चलन :			
मालसूचियों में (वृद्धि) / घटती		(85,901.32)	(65,309.69)
व्यापार, अन्य प्राप्य और परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी		(98,887.39)	(1,73,929.75)
व्यापार और अन्य देयों में वृद्धि / (घटती)		55,864.02	1,45,557.70
		(15,043.51)	**1,606.48**
प्रदत्त आयकर वापसी निवल		(14,621.19)	(18,765.84)
प्रचालन गतिविधियों से प्रजनित निवल रोकड	**(क)**	**(29,664.70)**	**(17,159.36)**
ख. निवेश गतिविधियों से रोकड प्रवाह			
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों की खरीद और अमूर्त संपत्तियां		(40,313.73)	(3,043.42)
विकासाधीन अमूर्त संपत्तियों में (वृद्धि) / कमी		(7.42)	-
पूंजीगत काम की प्रगति में (वृद्धि)/ कमी		(9,295.43)	(60,338.52)
अन्य बैंक शेष में (वृद्धि)/ कमी		76,164.15	82,540.31
पूंजी अग्रिम में (वृद्धि)/ कमी		4,371.92	11,078.97
लाभांश प्राप्त हुआ		72.78	7.49
पीपीई से बिक्री आय		120.63	19.18
प्राप्त ब्याज		22,690.37	17,905.34
(उधार)/ ऋणों का पुनर्भुगतान		(43.05)	(64.96)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह	**(ख)**	**53,760.22**	**48,104.39**
ग. वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड			
कर मुक्त बांड का मोचन		-	(10,000.00)
विदेशी मुद्रा के लेन- देन पर हानि/ (लाभ		1,243.98	942.59
पट्टा देयता का पुनर्भुगतान		(2,970.05)	(3,264.62)
प्रदत्त लाभांश		(25,650.38)	(23,677.27)
वित्तीय लागत		(292.36)	(1,101.64)
वित्तीय गतिविधियों से निवल रोकड प्रवाह	**(ग)**	**(27,668.81)**	**(37,100.94)**
घ. रोकड व रोकड तुल्यांको में निवल वृद्धि	**(क) + (ख) + (ग)**	**(3,573.29)**	**(6,155.91)**
वर्ष के आरंभ में रोकड और रोकड तुल्यांक		30,641.30	36,797.21
वर्ष के अंत में रोकड और रोकड तुल्यांक		**27,068.01**	**30,641.30**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

रोकड प्रवाह समेकित विवरण

नकदी प्रवाह समाधान:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.03.2024 को समाप्त वर्ष
रोकड और रोकड तुल्यांक		
बैंक के पास शेष		
चालू खाता	1,617.12	951.82
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा	30,050.00	29,689.48
कुल	**31,667.12**	**30,641.30**
घटाएं : बैंक ऑवरड्राफ्ट	4,599.11	-
नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजन के लिए नकदी और नकदी समतुल्य	**27,068.01**	**30,641.30**

1. नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार और प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कर से पहले लाभ/हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और, अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या संचय और निवेश या वित्तीय नकदी प्रवाह से जुडी आय या व्यय की मदों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से होनेवाले नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

2. नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य से, नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं (ग्रहणाधिकार चिह्नित जमा के अलावा), जो बकाया बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, को छोडकर मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। बैंक ऑवरड्राफ्ट, यदि कोई गो, तुलनपत्र में चालू देनदारियों में उधार के भीतर प्रकट किए जाते हैं।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

समेकित - वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 75

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2024 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2025 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

अप्रैल 01,2023 को शेष	पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरूआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	मार्च 31, 2024 को
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ख. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल		
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के लिए जिम्मेदार	एन सी आई के लिए जिम्मेदार	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2024 को शेष	**7,024.25**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,68,920.72**	**12,353.76**	**-**	**(593.75)**	**4,87,179.63**	**-**	**4,87,179.63**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ*				115.42				115.42		115.42
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,69,036.14	12,353.76	-	(593.75)	4,87,295.05		4,87,295.05
वर्ष का लाभ				82,733.05				82,733.05		82,733.05
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(245.10)			639.38	394.28		394.28
वर्ष के कुल व्यापक आय				**82,487.95**	**-**	**-**	**639.38**	**83,127.33**		**83,127.33**
लाभांश				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				-		-	-	-		0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.01)						(0.01)		(0.01)
31 मार्च 2025 को शेष	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**		**5,44,771.99**

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें *

* परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय साधन के लिए ईआईआर समायोजन

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

ख. अन्य इक्विटी

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आरक्षण व अधिशेष						अन्य व्यापक आय	कुल		
	पूंजी आरक्षण	प्रतिभूति प्रीमियम	सामान्य आरक्षण	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन आरक्षण	ऋण मोचन आरक्षण	नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा का प्रभावी भाग	मूल कंपनी के लिए जिम्मेदार	एन सी आई के लिए जिम्मेदार	अन्य इक्विटी
01 अप्रैल 2023 को शेष	**7,024.25**	**93,151.96**	**6,322.75**	**3,12,667.84**	**12,353.76**	**1,668.44**	**(3,578.40)**	**4,29,610.60**		**4,29,610.60**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पिछली अवधि की त्रुटियाँ										-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनः घोषित शेष राशि	7,024.25	93,151.96	6,322.75	3,12,667.84	12,353.76	1,668.44	(3,578.40)	4,29,610.60		4,29,610.60
पिछली अवधि के समायोजन				-						-
वर्ष का लाभ				78,327.78				78,327.78		78,327.78
वर्ष के अन्य व्यापक आय				(66.07)			2,984.65	2,918.58		2,918.58
वर्ष के कुल व्यापक आय				**78,261.71**			**2,984.65**	**81,246.36**		**81,246.36**
लाभांश (कर सहित)				(23,677.27)				(23,677.27)		(23,677.27)
प्रतिधारित कमाई से अंतरण				1,668.44		(1,668.44)	-	-		0.00
प्रीमियम की ऋणमुक्ति		(0.06)						(0.06)		(0.06)
31 मार्च 2024 को शेष	**7,024.25**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,68,920.72**	**12,353.76**	**-**	**(593.75)**	**4,87,179.63**	**-**	**4,87,179.63**

अधिक जानकारी के लिए नोट 22 देखें।

निगमित समीक्षा और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां सूचना 1 - 3

समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां 4 - 75

इसके साथ की टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों के एक अनिवार्य भाग है।

मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

1. निगमित समीक्षा और मुख्य लेखाकरण नीतियाँ सूचना

1.1 निगमित जानकारी

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल या कंपनी के रूप में संदर्भित) भारत के अग्रणी शिपयार्डों में से एक है, जो दक्षिणी राज्य केरल में स्थित है। कंपनी की स्थापना 1972 में हुई थी और इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास है। कंपनी मुख्य रूप से पोत निर्माण और पोत की मरम्मत में लगी हुई है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में सेवाएं प्रदान करती है।

कंपनी एक मिनीरत्न, अनुसूची-ए, श्रेणी-1 सीपीएसई है, जो भारत में निगमित और अधिवासित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पेरूमानूर, कोच्ची, केरल है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को, भारत सरकार कंपनी की 67.91% इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा रखता है। कंपनी की इक्विटी शेयर व्यापार के लिए एनएसई लिमिटेड और भारत के बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है और बीएसई लिमिटेड पर व्यापार के लिए कर मुक्त बॉन्ड में सूचीबद्ध है।

समेकित वित्तीय विवरण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके सहायक कंपनी,हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे आगे हुगली-सीएसएल कहा जाएगा) और उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (जिसे आगे यूसीएसएल कहा जाएगा) (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) से संबंधित है।

हॉल्डिंग कंपनीऔर उसकी सहायक कंपनी को एक साथ "ग्रूप" कहा जाता है।

दिनांक मार्च 31, 2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और दिनांक मई 15, 2025 को जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंडएजी) द्वारा पूरक लेखापरीक्षा और शेयरधारकों के अंतिम अनुमोदन के अधीन हैं।

सहायक कंपनियों का विवरण	शेयर धारण
दिनांक 23 अक्तूबर 2017 को निगमित हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (आगे चलकर हुगली-सीएसएल के रूप में संदर्भित) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%
एनसीएलटी प्रक्रिया के जरिए दिनांक 15 सितंबर 2020 को अधिग्रहित उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड) को मुख्य रूप से सभी प्रकार के पोत निर्माण और मरम्मत व्यवसाय में शामिल होने का प्रस्ताव है।	100%

2. समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

इन वित्तीय विवरणों को समय- समय पर संशोधित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पढी गई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (जिसे 'इन्ड एएस' कहा जाता है।) के अनुसार और भारत में आमतौर पर स्वीकृत अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अनुसूची III के प्रभाग II में निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक 7 'नकदी प्रवाह का विवरण' के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। अधिनियम की अनुसूची III में निर्धारित, तुलन पत्र और लाभ और हानि के विवरण में मदों के संबंध में खुलासे, वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले टिप्पणी के साथ-साथ प्रकट किए जाने वाले अन्य नोटों के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखांकन मानकों और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 को संशोधित रूप में अधिसूचित किया गया।

2.2 कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण भारतीय रूपये (₹) में प्रस्तुत किए जाते हैं जो समूह की प्रस्तुतिकरण और कार्यात्मक मुद्रा है और सभी मूल्यों को अधिनियम की अनुसूची III द्वारा अनुमत निकटतम लाख (दो दशमलव तक पूर्णांकित) अन्यथा इंगित किए जाने को छोड़कर तक पूर्णांकित किया जाता है।

2.3 माप का आधार

कुछ वित्तीय साधनों जो प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों पर मापा जाता है, को छोडकर ये समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित लेखाकरण नीतियों में बताए अनुसार ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं। ऐतिहासिक लागत सामान्य रूप से माल और सेवाओं के बदले में दिए गए विचार के उचित मूल्य पर आधारित है। उचित मूल्य एक ऐसी कीमत है जिसे किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाता है या मापन की तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए दिया जाता है।

2.3.1 वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण

एक परिसंपत्ति/दायित्व को चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित में से किसी भी शर्त को पूरा करती है :

i. कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है,

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ii. संपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिप्रेत है ;

iii. संपत्ति/देयता मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से रखी जाती है ;

iv. रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति/देयता की वसूली/निपटान होने की उम्मीद है ;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समकक्ष है जब तक कि रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए इसे एक्सचेंज करने या देयता को निपटाने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ;

vi. एक देयता के मामले में, कंपनी के पास रिपोर्टिंग तिथि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी संपत्तियों और देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संपत्ति और देनदारियों के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने निम्नानुसार विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के अपने सामान्य संचालन चक्र का पता लगाया है।

(i) पोत निर्माण और पोत की मरम्मत के मामले में, अनुबंध की प्रभावी तिथि से पोत की सुपुर्दगी की तारीख तक की समयावधि के रूप में सामान्य परिचालन चक्र को पोतवार माना जाता है।

(ii) अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में, सामान्य परिचालन चक्र 12 महीने है।

2.3.2 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सीएसएल और उसकी सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण शामिल हैं।

सहायक कंपनियां ऐसी इकाइयां (संरचित इकाइयां सहित) हैं जिन पर होल्डिंग कंपनी का नियंत्रण होता है। होल्डिंग कंपनी किसी इकाई को तब नियंत्रित करती है जब होल्डिंग कंपनी इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तशील रिटर्न के संपर्क में होती है या उसके पास इसके अधिकार होते हैं और इकाई की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की अपनी शक्ति के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।

किसी सहायक कंपनी का एकीकरण तब शुरू होता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है और तब बंद हो जाता है जब समूह सहायक कंपनी पर नियंत्रण खो देता है। वर्ष के दौरान अर्जित या निपटाई गई किसी सहायक कंपनी की संपत्ति, देनदारियां, आय और व्यय को समूह द्वारा नियंत्रण हासिल करने की तारीख से लेकर समूह द्वारा सहायक कंपनी को नियंत्रित करना बंद करने की तारीख तक वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है।

समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। यदि समूह का कोई सदस्य समान परिस्थितियों में लेनदेन और घटनाओं के लिए वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करता है, तो समूह की लेखांकन नीतियों की अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में उस समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किया जाता है।

समेकन के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली सभी संस्थाओं के वित्तीय विवरण नियंत्रण कंपनी की रिपोर्टिंग तिथि यानी दिनांक 31 मार्च को समाप्त वर्ष के समान रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं। निम्नलिखित समेकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

क) नियंत्रण कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की वस्तुओं को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलाएं। इस प्रयोजन के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त संपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित होते हैं।

ख) प्रत्येक सहायक कंपनी में नियंत्रण कंपनी के निवेश की वहन राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी के होल्डिंग कंपनी के हिस्से को ऑफसेट (समाप्त) करना।

ग) समूह की संस्थाओं के बीच लेनदेन से संबंधित इंट्राग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से हटा दें (इंट्राग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों में पहचाने जाते हैं, जैसे कि मालसूची और अचल संपत्तियां, पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं)। इंट्रा ग्रुप हानियाँ एक हानि का संकेत दे सकती हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 12 आयकर उन अस्थायी अंतरों पर लागू होता है जो इंट्राग्रुप लेनदेन के परिणामस्वरूप होने वाले लाभ और हानि के उन्मूलन से उत्पन्न होते हैं।

कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर-नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर-नियंत्रित हितों में घाटे का संतुलन हो। जब आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखांकन नीतियों को समूह की

लेखांकन नीतियों के अनुरूप लाने के लिए उनके वित्तीय विवरणों में समायोजन किया जाता है। समूह के सदस्यों के बीच लेनदेन से संबंधित सभी अंतर-समूह संपत्तियां और देनदारियां, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं।

2.3.3 व्यापार संयोजन

अधिग्रहण पद्धति उपयोग करने हेतु व्यावसायिक संयोजनों का हिसाब लगाया गया है। अधिग्रहण की लागत को अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्य पर हस्तांतरित किए गए प्रतिफल और अधिग्रहणिति में किसी भी गैर-नियंत्रित हितों की राशि के योग के रूप में मापा जाता है।अधिग्रहण से संबंधित लेन-देन की लागत को जब खर्च किया जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

अधिग्रहण की तारीख पर, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को उनके अधिग्रहण की तारीख पर उचित मूल्यों पर मान्यता दी जाती है। इस प्रयोजन के लिए, अनुमानित देनदारियों में वर्तमान दायित्व का प्रतिनिधित्व करने वाली आकस्मिक देनदारियां शामिल हैं और उन्हें इस तथ्य के बावजूद उनके अधिग्रहण के उचित मूल्यों पर मापा जाता है कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों का बहिर्वाह संभावित नहीं है। हालांकि, व्यावसायिक संयोजन में अर्जित निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों को नीचे बताए गए आधार पर मापा जाता है:

*आस्थगित कर संपत्ति या देनदारियां, और कर्मचारी लाभ व्यवस्था से संबंधित संपत्ति या देनदारियों को क्रमशः भारतीय लेखा मानक 12 आयकर और भारतीय लेखा मानक 19 कर्मचारी लाभ के अनुसार पहचाना और मापा जाता है।

परिसंपत्तियाँ (या निपटान समूह) जिन्हे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार बिक्री के लिए रखी गई और बंद किए गए संचालन के लिए रखी गई गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें उस मानक के अनुसार मापा जाता है।

पहचाने जाने योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित से अधिक हस्तांतरित प्रतिफल (खरीद प्रतिफल) की कुल राशि को सद्भावना के रूप में मान्यता दी जाती है। क्रय विचार पर अधिग्रहणिति की पहचान योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य में समूह के हित की अधिकता को पूंजी रिजर्व में मान्यता दी गई है।

अनियंत्रित ब्याज

अनियंत्रित ब्याज सहायक कंपनियों में आय, अन्य व्यापक आय और शुद्ध संपत्ति के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है जो समूह के शेयरधारकों के लिए जिम्मेदार नहीं है। अनियंत्रित ब्याज को प्रारंभ में अधिग्रहणिति की पहचान योग्य शुद्ध संपत्तियों की मान्यता प्राप्त मात्रा के आनुपातिक हिस्से पर मापा जाता है। अधिग्रहण के बाद, अनियंत्रित ब्याज की वहन राशि प्रारंभिक मान्यता पर ब्याज की राशि और इक्विटी में बाद के परिवर्तनों में अनियंत्रित हितों की हिस्सेदारी है।

लाभ या हानि और अन्य व्यापक आय का श्रेय होल्डिंग कंपनी के मालिकों और अनियंत्रित हितों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय विवरणों में अलग से दिखाया गया है।

2.4 अनुमानित खर्चों और निर्णयों का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को लेखा नीतियों के प्रयोग को प्रभावित करने और वित्तीय विवरणों की तिथि पर परिसंपत्तियों, देयताओं और प्रकटीकरण रिपोर्ट की गई राशियाँ और प्रस्तुत की गई वर्षों के लिए राजस्व एवं खर्चों की रिपोर्ट की गई राशियों का निर्णय, आकलन और अनुमान बनाने की आवश्यकता हैं। आकलनों और संबद्ध अनुमानों ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों पर आधारित है जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम विभिन्न अनुमानों और शर्तों के अधीन इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

इन अनुमानों में बदलाव के कारण भविष्य के परिणाम भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणाम और अनुमान के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिक रूप में सामने आते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

2.5 समीक्षात्मक लेखांकन आकलन और निर्णय:

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रयोग जो जटिल लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है जिसमें जटिल और व्यक्तिपरक निर्णय शामिल होते हैं और वित्तीय विवरणों में अनुमानों का उपयोग नीचे दिया गया है:

क) आस्थगित कर परिसंपत्तियों /देयता का मूल्यांकन

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर परिसंपत्तियों/ देयता की बकाया राशि की समीक्षा करती है। आस्थगित कर वस्तुओं के तत्वों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।

ख) पट्टा

ग्रूप मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था भारतीय लेखा मानक 116 की आवश्यकताओं के अनुसार एक पट्टा होने के योग्य है। पट्टे की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। ग्रूप पट्टे अवधिक (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग करता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे की व्यवस्था का वर्गीकरण कई कारकों, लेकिन इस हद तक सीमिति नहीं है, जैसे कि पट्टे की अवधि के अंत में पट्टे पर दी गई संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण, पट्टेदार के खरीद का विकल्प और इस तरह के विकल्प की निश्चितता का अनुमान, संपत्ति के आर्थिक जीवन के लिए पट्टे की अवधि का अनुपात, पट्टे की संपत्ति के उचित मूल्य के लिए न्यूनतम पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य का अनुपात और पट्टे की संपत्ति की विशेष प्रकृति की सीमा के मूल्यांकन पर आधारित है।

पट्टा दायित्व की गणना के लिए, भारतीय लेखा मानक 116 में पट्टेदार को अपनी वृद्धिशील उधार दर को छूट दर के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता होती है यदि पट्टा अनुबंध में निहित दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है।

समूह की कार्यात्मक मुद्रा में नामित पट्टों के लिए, समूह वृद्धिशील उधार दर को समूह के लिए उपलब्ध बैंकों से उधार पर ब्याज दर मानता है।

ग) गारंटी मरम्मतों की ओर प्रावधान

गारंटी मरम्मत/ नए निर्मित पोतों/ सुपुर्द किए गए छोटे यानों और मरम्मत किए गए पोतों के संबंध में दावाओं की ओर कंपनी द्वारा किए गए तकनीकी आकलन के आधार पर एक प्रावधान किया गया है। पोत स्वामियों से प्राप्त गारंटी दावाएं वही के निपटान तक प्रत्येक वर्ष में समीक्षा की जाती है। पहले किए गए प्रावधान में कमी के मामले में, अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है।

घ) अभियोग

समय-समय पर, समूह कानूनी कार्यवाही के अधीन होता है और प्रत्येक का अंतिम परिणाम हमेशा मुकदमेबाजी में निहित कई अनिश्चितताओं के अधीन होता है। मुकदमेबाजी का प्रावधान तब किया जाता है जब यह संभावित माना जाता है कि भुगतान किया जाएगा और नुकसान की राशि का उचित अनुमान लगाया जा सकता है। अन्य कारकों के अलावा, प्रतिकूल परिणाम की संभावना और संभावित नुकसान की मात्रा का उचित अनुमान लगाने की जिम्मेदारी का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में मुकदमेबाजी के प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और तथ्यों और परिस्थितियों में बदलाव के लिए संशोधन किए जाते हैं।

ङ) उचित मूल्य मापन

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त की जाएगी या वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

ग्रूप उचित मूल्य पर मापी गई संपत्तियों और देनदारियों को उनके माप में नियोजित इनपुट का निरीक्षण करने की क्षमता के आधार पर तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करता है जो निम्नानुसार वर्णित हैं:

(क) स्तर 1 इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2 इनपुट ऐसे इनपुट हैं जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य होते हैं।

(ग) स्तर 3 इनपुट परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अप्राप्य इनपुट हैं जो देखने योग्य संबंधित बाजार डेटा या बाजार सहभागियों द्वारा मूल्य निर्धारण के बारे में समूह की धारणाओं में महत्वपूर्ण संशोधनों को दर्शाते हैं।

प्रबंधन वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्य (जहाँ सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) और गैर वित्तीय संपत्तियों के निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है। बाजार प्रतिभागियां उपकरण का दाम कैसे सगाएगा के साथ संगत विकासोन्मुख अनुमान और धारणाएं इसमें शामिल है। प्रबंधन अपने धारणाओं के लिए यथासंभव प्रत्यक्ष डेटा को आधार बनाता है लेकिन यह हमेशा उपलब्ध नही होता है। उस स्थिति मे प्रबंधन उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी का उपयोग करता है। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर एक हाथ की लंबाई लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

च) परिनिर्धारित क्षति

कंपनी की परिनिर्धारित क्षतियों के सामने दावाएं वित्तीय विवरणों में समान लेनदेनों के अनुभव द्वारा पूर्ति की गई उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में संभावित परिणाम के, प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है।

छ) राजस्व मान्यता

कंपनी ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की मान्यता के लिए समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्वों की प्रगति को मापने में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है।

आउटपुट विधि के तहत आज तक किए गए कार्य को मापकर या पूर्ण कि गए प्रदर्शन का सर्वेक्षण करके समय के साथ राजस्व

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

की पहचान की जाती है। इस विधि के तहत, प्रत्येक अनुबंध में आज तक पूर्ण किए गए कार्य राजस्व को मापने और पहचानने का आधार हैं। प्रत्येक परियोजना टीम द्वारा रिपोर्टिंग तिथि तक तकनीकी प्रगति के आधार पर मात्रा की गणना की जाती है। मान्यता प्राप्त राजस्व संबंधित अनुबंधों में निर्धारित विचार के अनुरूप आज तक पूर्ण/मापे गए कार्यों के मूल्य को दर्शाता है।

ठेकों के अपूर्ण भाग पर अनुमानित हानियों के लिए इस अवधि में यदि कोई प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसी हानियां रिपोर्टिंग तिथि पर अनुमानित ठेका अनुमानों के आधार पर संभाव्य हो जाता है।

ज) निर्धारित लाभ दायित्वों की मान्यता और मापन

निर्धारित लाभ योजना से उत्पन्न होनेवाले दायित्व बीमांकिक पूर्वानुमानों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मुख्य बीमांकिक पूर्वानुमानों में छूट की दर, वेतन वृद्धि का प्रचलन और निहित भविष्य लाभ और जीवन प्रत्याशा शामिल है। सरकारी बॉन्ड पर छूट की दर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार आय के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। अंतर्निहित बॉन्ड की परिपक्वता अवधि रोजगार बाद लाभ दायित्वों की संभाव्य परिपक्वता के अनुरूप है।

3. सामग्री लेखांकन नीति जानकारी

ग्रुप ने समेकित वित्तीय विवरण में प्रस्तुत अवधि के लिए सभी लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया है, सिवाय इसके कि जहां एक नव जारी लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया है या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में आनेवाली लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता है।

ग्रुप इस नोट के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां प्रस्तुत करता है, जिन्हें इन समेकित वित्तीय विवरणों के अंतर्गत संदर्भित प्रासंगिक नोटों में प्रस्तुत और प्रकट की गई जानकारी के साथ पढा जाना चाहिए और उन्हें महत्वपूर्ण लेखांकन नीति सूचना माना जाना चाहिए।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पहचान और मापन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं को लागत पर मापा जाता है, जिसमें पूंजीकृत उधार लागत, संचित मूल्यह्रास और किसी भी संचित हानि को घटाया जाता है। 01 अप्रैल 2015 को मौजूद संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मदों के लिए, अर्थात् ग्रुप के भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि, उस तिथि पर मानी गई लागत अर्थात् वहन राशि पर वहन किया गया था। हालांकि, यूसीएसएल के मामले में, उचित मूल्य को भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन की तिथि पर मानी गई लागत के रूप में अपनाया गया है।

यदि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के महत्वपूर्ण भागों का उपयोगी जीवन अलग अलग है, तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अलग-अलग वस्तुओं (प्रमुख घटकों) के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

स्पेयर पार्ट्स को तब पूंजीकृत किया जाता है जब वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं, अर्थात् जब समूह इनका उपयोग 12 महीने से अधिक अवधि के लिए करने का इरादा रखता है, इनका मूल्य 5 लाख रुपए से अधिक है और जिनका उपयोग केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मद के संबंध में किया जा सकता है और जिनके उपयोग के अनियमित होने की उम्मीद ह, उन्हें पूंजीकृत किया जाता है और स्पेयर पार्ट्स या संबंधित परिसंपत्तियों के मुख्य मद के उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है, जो भी कम हो।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के निपटान पर किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती व्यय :

अनुवर्ती लागतों को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा भी उपयुक्त हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि मद से जुडे भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और मदों की लागत महत्वपूर्ण हो तथा उसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके।

3.2 प्रगतिशील पूंजी कार्य

प्रगतिशील पूंजी कार्य और विकासाधीन अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण है जो रिपोर्टिंग तिथि पर उनके नियत उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं है जो लागत पर लाई जाती है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित प्रासंगिक आकस्मिक खर्च और आरोप्य उद्धार लागत शामिल है।

निर्माणाधीन परिसंपत्तियों (किसी परियोजना सहित) पर किए गए व्यय को प्रगतिरत पूंजीगत कार्य ("सीडब्ल्यूआईपी") के अंतर्गत लागत पर दर्शाया जाता है।

3.3 अगोचर परिसंपत्ति

डिजाइन विकास: डिजाइन विकास के लिए किए गए खर्च जो उत्पाद पर सीधे आदेश नहीं किया है, वह अगोचर परिसंपत्ति के रुप में छपाया है और 5 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार ऋण परिशोधित है।

सोफ्टवेयर: सॉफ्टवेयर का मूल्य जो आंतरिक उपयोग के लिए उपार्जित संबंधित हार्डवेयर के अभिन्न भाग है, अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीगत किया है और 3 वर्ष की अवधि के लिए सीधी लाइन आधार पर ऋण परिशोधित है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

आंतरिक रूप से प्रजनित प्रक्रिया : भीतरी तौर पर उत्पन्न किए सोफ्टवेयर की लागत अगोचर परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत और तीन साल की अवधि के परे एक सीधी लाइन के आधार पर ऋण परिशोधन किया है।

ग्रूप ने परिवर्तन तिथि यानी 1 अप्रैल, 2015 को भारतीय लेखा मानक के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन लागत पर विचार करने की एकमुश्त परिवर्तन छूट के लिए आवेदन किया था।

शेष मूल्यों, उपयोगी जीवन और अमूर्त संपत्तियों के परिशोधन के तरीकों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर/लाइसेंस विकासाधीन है या अभी तक उपयोग के लिए तैयार नहीं है, ऐसी वस्तुओं पर होने वाली संचित लागत को 'विकासाधीन अमूर्त संपत्ति' के रूप में गिना जाता है।

3.4 पट्टे

ग्रूप अनुबंध की शुरुआत में यह आकलन करता है कि अनुबंध एक पट्टा है या इसमें शामिल है। अर्थात, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

ग्रूप के पट्टा परिसंपत्ति वर्गों में मुख्य रूप से भूमि और भवनों के पट्टे शामिल हैं।

i) पट्टेदार के रूप में :

पट्टा शुरू होने की तारीख में, ग्रूप एक पट्टा देनदारी और सभी पट्टा व्यवस्था के लिए एक संगत राइट-टु-यूज परिसंपत्ति को मान्यता देती है, जिसमें यह पट्टेदार होता है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि (कम अवधि के पट्टे) वाले पट्टे को छोडकर और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे। इन अल्पावधि और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे के लिए कंपनी पट्टे भुगतान को सीधे आधार पर या पट्टे की अवधि के दौरान किसी अन्य व्यवस्थित आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पहचानती है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें पट्टे की शुरुआत की तारीख पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित पट्टा दायित्व की प्रारंभिक राशि और किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत को घटाकर किसी भी पट्टा प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। बाद में उन्हें संचित मूल्यह्रास और हानि , यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर मापा जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का पट्टा अवधि के कम होने और अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोगी अवधि पर सीधी रेखा के आधार पर प्रारंभ तिथि से मूल्यह्रास किया जाता है।

पट्टा देयता

पट्टा देयता को प्रारंभ में भविष्य के पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान में पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है।

बाद में पट्टा देयता पर ब्याज को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को बढ़ाकर और किए गए पट्टे के भुगतान को प्रतिबिंबित करने के लिए वहन राशि को कम करके पट्टे की देनदारी को फिर से मापा जाता है।

कुछ घटनाओं के घटित होने पर पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है जैसे कि पट्टे की अवधि में बदलाव या पट्टे के भुगतान को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में बदलाव। जब पट्टा देयता का पुनर्मापन किया जाता है, तो उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में संगत समायोजन किया जाता है, या यदि उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि शून्य हो गई है, तो उसे लाभ-हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

मूल नियमों और शर्तों से परे एक पट्टा समझौते में संशोधन को आम तौर पर आरओयू परिसंपत्ति के अनुरूप समायोजन के साथ पट्टा देयता के पुन: माप के रूप में माना जाता है। संशोधन पर कोई भी लाभ या हानि होने पर उसे लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। हालाँकि, ऐसे संशोधन जो स्टैंड-अलोन बिक्री मूल्य के अनुरूप मूल्य पर एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों का उपयोग करने का अधिकार जोड़कर पट्टे के दायरे को बढ़ाते हैं, उन्हें एक अलग नए पट्टे के रूप में ध्यान में रखा जाता है।पट्टा संशोधनों के मामले में, पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्तियों के माप के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरों को भी उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाता है।

ग्रूप तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में उपयोग के अधिकारवाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों को अन्य देनदारियों से अलग प्रस्तुत करता है।

ii) एक पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए ग्रूप एक पट्टेदार है, को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रचालन पट्टे के लिए, किराए की आय को एक सीधी रेखा के आधार पर या संबंधित पट्टे की अवधि में एक और व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है। पट्टा किराए आय के रूप में मान्यता प्राप्त राशि और पट्टा समझौते के रूप में देय वास्तविक नकदी प्रवाही के बीच के अंतर को 'अर्जित पट्टा किराया परिसंपत्ति' में समायोजित किया जाता है।

3.5 मूल्यह्रास

नीचे वर्णित सीमा तक, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर सीधी लाइन पद्धति पर प्रदान किया है।:

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) और नई ड्राई डॉक परियोजना के लिए निर्मित विकसित की गई परिसंपत्तियों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किए गए उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से उपार्जित परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित शेष उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया है।

- पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति के उपयोग की तारीख से शुरू होनेवाली तारीख के आधार पर मूल्य संपत्ति के अधिकार/ पट्टे के परिसर में परिसंपत्ति जीवन के अंत या पट्टे की अवधि के अंत में छोटी रेखा के आधार पर मूल्यह्रास से हटा दिया जाता है।

- कुछ प्रकार के भवनों और उपकरणों के लिए, तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, उपयोगी जीवन का अनुमान अधिनियम की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न लगाया गया है।

सकल ब्लॉक में परिवर्धन/विलोपन पर मूल्यह्रास की गणना ऐसे परिवर्धन की तारीख से और ऐसे विलोपन की तारीख तक आनुपातिक आधार पर की जाती है।

मूल्यह्रास योग्य राशि एक परिसंपत्ति की लागत है, या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, इसका अवशिष्ट मूल्य घटा है। सभी श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए मूल लागत का अधिकतम 5% अवशिष्ट मूल्य माना जाता है।

मूल्यह्रास पद्धति, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपयोगी जीवन और बकाया मूल्यों की समीक्षा की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

प्रबंधन के तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, संयंत्र और मशीनरी की कुछ श्रेणियों के लिए, उपयोगी अवधि दोहरा पारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल प्रगति में पूंजीगत कार्य का मूल्यह्रास नहीं किया गया है क्योंकि ये संपत्तियां अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं। हालाँकि, यदि कोई हानि हो तो उनका परीक्षण किया जाता है।

3.6 परिसंपत्तियों का हानिकरण-गैर वित्तीय संपत्ति

ग्रूप प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि कोई संकेत मौजूद है, या जब किसी संपत्ति के लिए वार्षिक हानि परीक्षण की आवश्यकता होती है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि किसी परिसंपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के उचित मूल्य से निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के ग्रूपों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है।

हानि तब मानी जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को कर-पूर्व छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल ही के बाजार लेनदेन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी लेनदेन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का उपयोग किया जाता है। इन गणनाओं की पुष्टि मूल्यांकन गुणकों, सार्वजनिक कारोबार वाली कंपनियों के लिए उपलब्ध उद्धृत बाजार मूल्यों या अन्य उपलब्ध उचित मूल्य संकेतकों द्वारा की जाती है।

ग्रूप अपनी हानि गणना को विस्तृत बजट और पूर्वानुमान गणनाओं पर आधारित करता है, जो ग्रूप के प्रत्येक सीजीयू के लिए अलग से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें व्यक्तिगत संपत्ति आवंटित की जाती है। नवीनतम बजट/पूर्वानुमानों द्वारा शामिल की गई अवधियों से परे नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाने के लिए, ग्रूप बाद के वर्षों के लिए स्थिर या घटती विकास दर का उपयोग करके बजट में नकदी प्रवाह अनुमानों का अनुमान लगाता है, जब तक कि बढ़ती दर को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सद्भावना को छोड़कर परिसंपत्तियों के लिए, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह संपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलटा किया जाता है जब अंतिम हानि की पहचान के बाद से परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाओं में कोई बदलाव हुआ हो। उत्क्रमण सीमित है ताकि परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक न हो, न ही निर्धारित की गई अग्रणीत राशि से अधिक हो, मूल्यह्रास के शुद्ध में पिछले वर्षों में परिसंपत्ति के लिए कोई हानि हानि नहीं पहचानी गई थी।

3.7 माल सूची

कच्चे मालों और घटकों का भारित औसत लागत पद्धति के अनुसरण में लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।. जब उनका उपयोग परियोजना के लिए किया जाता है, तो मूल्यांकन परियोजना-विशिष्ट भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

भंडार और पुर्जों का मूल्यांकन भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है।

मार्गस्थ मालों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

निर्माण अनुबंधों के अलावा कार्य प्रगति (डब्ल्यूआईपी) का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर रखा गया है।

3.8 वित्तीय साधन

वित्तीय लिखत एक अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी लिखत को जन्म देता है।

जब ग्रूप साधन के संविदात्मक प्रावधानों का एक पार्टी बनती है वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को मान्य किया जाता है।

क) इक्विटी उपकरण

इक्विटी उपकरण एक ठेका है जो अपनी सभी देयताओं को घटाने के बाद कंपनी की संपत्तियों में बचत ब्याज का प्रमाण देता है। इक्विटी उपकरणों को समायोजित सीधे जारी लागत से प्राप्त आय पर मान्य किया जाता है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

व्यापार प्राप्य के अलावा अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, साथ ही, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में, लेनदेन लागत जो वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के उद्देश्य से, वित्तीय संपत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधन लागत पर वित्तीय संपत्ति;
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;
- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति;

i) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है आगर ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया हैं, जिसका उद्देश्य संविदात्मक रोकड प्रवाह को एकत्र करने के लिए इन परिसंपत्तियों को प्रतिरक्षा करना है और वित्तीय परिसंपत्ति के संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर रोकड प्रवाहों उत्कर्ष होता है जो केवल बकाया मूलधन राशि पर ब्याज और मूल धन के भुगतान है।

ii) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीओसीआई)

वित्तीय परिसंपत्तियों को अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक व्यवसाय में लगा दिया है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्र करने से प्राप्त होता है जो निर्दिष्ट तिथियों को केवल मूलधन और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज के भुगतान करने के लिए और वितीतय परिसंपत्तियों की बिक्री के जरिए।

iii) लाभ या हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां(एफवीटीपीएल)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित दर पर मापा जाता है जब तक यह प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे आरोप्य लेनदेन लागत तत्काल से लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है।

निवेश

भारतीय लेखाकरण मानक 109 वित्तीय उपकरणों के क्षेत्र में सभी इक्विटी निवेश, उचित मूल्य पर मापा जाता है। इक्विटी उपकरण जो व्यापार के लिए धारित है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी अन्य इक्विटी उपकरणों के लिए, कंपनी उचित मूल्य में अन्य व्यापक आय के बाद उचित मूल्य में परिवर्तनों में प्रस्तुत करने के लिए एक अपरिवर्तनीय चयन कर सकती है। कंपनी ऐसे चयन उपकरण से उपकरण के आधार पर बनाती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय है।

उक्त इक्विटी निवेश की बिक्री/निपटान पर भी, ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण में राशि का कोई पुनर्चक्रण/पुनर्वर्गीकरण नहीं होता है।

सहायक कंपनियों की वरीयता शेयरों/ ऋणपत्र में निवेश को इक्विटी उपकरणों के रूप में माना जाता है यदि वे इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय है। पूर्वोक्त शर्तों को पूरा नहीं करने वाले वरीयता शेयरों/ ऋणपत्रों में निवेश को परिशोधन लागत पर ऋण उपकरणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण साधन में निवेश को निम्न दोनों स्थितियों के पूरा होने पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है: परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य है -

(1) संविदात्मक नकदी प्रवाह इकट्ठा करने के लिए संपत्ति रखने के लिए, और

(2) परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान करती हैं जो मूल राशि पर बकाया हैं।

अमूर्त लागत की गणना किसी भी छूट या प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में शामिल है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, ग्रूप निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और साख जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित साख हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है:

क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं जैसे, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष

ख) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें बाद में एफवीटीपीएल के अनुसार नहीं मापा जाता है

ग) भारतीय लेखा मानक 116 के तहत पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण

व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए ग्रूप 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है।

व्यापार प्राप्तियां

ग्रूप डिलिवरेबल्स के बदले प्राप्य या अनुबंध परिसंपत्तिके रूप में विचार करने के अधिकार को वर्गीकृत करती है। प्राप्य एक विचार का अधिकार है जो बिना शर्त है और उस विचार के भुगतान से पहले केवल समय की आवश्यकता है।

ग्रूप प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में आकलन करती है कि क्या कोई वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय परिसंपत्ति का समूह बिगडा हुआ है। भारतीय लेखा मैनक 109 अपेक्षा करती है कि प्रत्याशित हानि एक हानि छट के माध्यम से मापा जाना।

ग्रूप सभी व्यापार प्राप्तियों के लिए आजीवन अपेक्षित उधार हानियों को पहचानती है जो एक वित्त पोषण लेनदेन नहीं बना देती हैं। नुकसान हानि छूट इन्ड ए एस 109 द्वारा अनुमत अनुसार एक सरलीकृत दृष्टिकोण पर आधारित है। एक व्यवहारिक उपाय के रूप में कंपनी अपने व्यापार प्राप्तियों की श्रेणी पर हानि का निर्धारण करने के लिए प्रावधान मैट्रिक्स का उपयोग करती है।

प्रावधान मैट्रिक्स, व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफ़ॉल्ट दरों पर आधारित है और इसे भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, ऐतिहासिक देखी गई डिफ़ॉल्ट दरों को अद्यतन किया जाता है और भविष्योन्मुखी अनुमानों में परिवर्तनों का विश्लेषण किया जाता है। उस आधार पर, ग्रूप रिपोर्टिंग तिथि पर व्यापार प्राप्तियों पर प्रावधान का अनुमान लगाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क्षतिपूर्ति हानि (या उलटाव) जो कि रिपोर्टिंग तिथि पर मान्य किया जाना है, लाभ और हानि लेखा के विवरण में एक हानि या लाभ के रूप में मान्य किया जाता है।

सामान्य दृष्टिकोण

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, ग्रूप यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि प्रदान करने के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है। हालाँकि, यदि साख जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, उपकरण की साख गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से साख जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो इकाई 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देने पर वापस लौट आती है।

आजीवन ईसीएल एक वित्तीय लिखत के अपेक्षित जीवन के दौरान सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपेक्षित साख हानि है। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं के परिणामस्वरूप होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। विभिन्न वित्तीय लिखतों के लिए तुलन पत्र प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधन लागत के रूप में मापा जाता है: ईसीएल को भत्ते के रूप में अर्थात, तुलन पत्र में उन परिसंपत्तियों के माप के एक अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भत्ता शुद्ध वहन राशि को कम कर देता है। जब तक परिसंपत्ति बट्टे खाते में डालने के मानदंडों को पूरा नहीं करती, ग्रूप सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करता है।
- वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को तुलन पत्र में एक प्रावधान के रूप में, यानी देयता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियां पहले से ही उचित मूल्य पर परिलक्षित होती हैं, इसलिए हानि भत्ता इसके मूल्य से और कम नहीं किया जाता है। बल्कि, ईसीएल राशि को ओसीआई में 'संचित हानि राशि' के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ग) वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक पहचान और माप

वित्तीय देयताओं को प्रारंभिक मान्यता में, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं और परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं के रूप में, जैसा उपयुक्त हो, वर्गीकृत किया जाता है।

सभी वित्तीय देयताओं को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और देयताओं के मामले में बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, उन्हें सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत के निवल रूप में मापा जाता है। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय देयताओं के मामले में, वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागत को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

ग्रूप की वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देय, ऋण और उधार शामिल हैं जिनमें वित्तीय गारंटी अनुबंध और व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण शामिल हैं।

अनुवर्ती माप

वित्तीय देयताओं का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- लाभ और हानि विवरण (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं;
- परिशोधन लागत पर वित्तीय देयताएं;
- वित्तीय गारंटी अनुबंध;

i) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देयताएं शामिल हैं। वित्तीय देयताओं को व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च की जाती हैं।इस श्रेणी में ग्रूप द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा निर्धारित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है।

व्यापार के लिए रखी गई देयताओं पर लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ii) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताएं जो व्यापार के लिए नहीं रखी गई हैं और एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं हैं, उन्हें बाद की लेखांकन अवधि के अंत में परिशोधन लागत पर मापा जाता है। वित्तीय देयताओं की वहन राशि जिसे बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है, प्रभावी ब्याज पद्धति के आधार पर निर्धारित की जाती है।फायदा और नुकसान को लाभ और हानि के विवरण में तब पहचाना जाता है जब देयताओं की पहचान और साथ ही ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी रद्द कर दी जाती है।

परिशोधन लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

iii) वित्तीय गारंटी अनुबंध

ग्रूप द्वारा जारी किए गए वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनके लिए धारक को होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान की आवश्यकता होती है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है, लेनदेन लागत के लिए समायोजित किया जाता है जो सीधे गारंटी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि से अधिक पर मापा जाता है और शुरुआत में मान्यता प्राप्त राशि को भारतीय लेखा मानक 115 के सिद्धांतों के अनुसार संचयी आय से कम माना जाता है।

घ) वित्तीय लिखतों की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- ग्रूप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या ग्रूप ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व का निर्वहन, रद्द या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा तुलन पत्र से अमान्य हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के आदान-प्रदान या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द करने और नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित वहन राशि में अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

ङ) वित्तीय साधनों का ऑफ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियां और वित्तीय देयताएं ऑफसेट है और निवल राशि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट की जाती है यदि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए लागू करने योग्य वैध अधिकार है और परिसंपत्तियों को वसूल करने और एक ही समय पर देयताओं को निपटान करने के लिए एक निवल आधार पर निपटान करने की उम्मीद है।

च) व्युत्पन्न साधन और प्रतिरक्षा लेखांकन:

ग्रूप अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए क्रमशःफॉरवर्ड मुद्रा अनुबंध जैसे गौण वित्तीय लिखतों का उपयोग करता है। इस तरह के गौण वित्तीय लिखतों को शुरू में उस तारीख पर उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है जिस दिन एक गौण अनुबंध दर्ज किया जाता है और बाद में उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है। गौण के उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों के लिए लेखांकन बचाव उपकरणों के रूप में ग़ौण के पदनाम या गैर-पदनाम पर निर्भर करता है। उचित मूल्य सकारात्मक होने पर गौण को वित्तीय संपत्ति के रूप में और उचित मूल्य नकारात्मक होने पर वित्तीय देयताओं के रूप में ले जाया जाता है।

गौण जिन्हें हेज उपकरण के रूप में नामित किया गया है

ग्रूप विदेशी मुद्रा जोखिमों से बचाव के लिए विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड कॉनट्रेक्ट करता है। ग्रूप आम तौर पर पूरे फॉरवर्ड कॉनट्रेक्ट को हेजिंग उपकरण के रूप में नामित करता है।

ये हेजिंग उपकरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ग्रूप की विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा शासित होते हैं।

हेज संबंध की शुरुआत में, समूह उस हेज संबंध को औपचारिक रूप से नामित और प्रलेखित करता है, जिस पर वह हेज लेखांकन लागू करना चाहता है, तथा हेज करने के लिए अपनाए गए जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और रणनीति को भी दर्ज करता है। इस प्रलेखन

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

में समूह के जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और हेज करने की रणनीति, हेजिंग/आर्थिक संबंध, हेज की गई मद या लेन-देन, हेज किए जा रहे जोखिम की प्रकृति, हेज अनुपात, और यह विवरण शामिल होता है कि संस्था किस प्रकार यह आकलन करेगी कि हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में हुए परिवर्तनों की प्रभावशीलता किस प्रकार हेज की गई मद के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में हेज किए गए जोखिम से संबंधित परिवर्तनों की भरपाई करती है।

ऐसी हेजेज से उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में ऑफसेटिंग परिवर्तनों को प्राप्त करने में अत्यधिक प्रभावी होने की उम्मीद की जाती है और यह निर्धारित करने के लिए निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया जाता है कि हेज वास्तव में वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के दौरान अत्यधिक प्रभावी रही है जिसके लिए इसे नामित किया गया था।

निर्दिष्ट हेजिंग उपकरण के उचित मूल्य में परिवर्तन का प्रभावी हिस्सा अन्य व्यापक आय ("ओसीआई") में पहचाना जाता है और इक्विटी के भीतर नकदी प्रवाह हेज रिजर्व शीर्षक के तहत जमा किया जाता है। अप्रभावी हिस्से से संबंधित लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है और अन्य आय या अन्य व्यय में क्रमशः डेरिवेटिव पर लाभ या डेरिवेटिव पर हानि के रूप में शामिल किया जाता है।

ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त और प्रभावी हिस्से से संबंधित इक्विटी में जमा की गई राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज मद लाभ या हानि को प्रभावित करता है, मान्यता प्राप्त हेज मद के समान लाइन आइटम में या यदि हेज पूर्वानुमान लेनदेन के परिणामस्वरूप गैर-वित्तीय परिसंपत्ति या गैर-वित्तीय दायित्व की पहचान होती है तो इसे आधार समायोजन के रूप में माना जाता है। जब पूर्वानुमानित लेनदेन होने की उम्मीद नहीं रह जाती है, तो इक्विटी में संचित संचयी लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

प्रतिरक्षा साधन समाप्त हो जाने पर या बिना किसी प्रतिस्थापन का रोलओवर (हेडजिंग रणनीति के भाग के रूप में) बेचा, समाप्त या प्रयोग किया जाता है या यदि प्रतिरक्षा के रूप में उसका पदनाम रद्द किया जाता है, या जब तक प्रतिरक्षा लेखांकन के मानदेडों को पीरा नहीं करते हैं प्रतिरक्षा लेखांकन समाप्त करता है।

छ) अनुबंध परिसंपत्तियां

जहां कंपनी ग्राहक पर विचार करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को किसी ग्राहको हस्तांतरित करके प्रदर्शन करती है, कंपनी अनुबंध को संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध संपत्ति कंपनी के सामान या सेवाओं के बदले में विचार करने का अधिकार है जिसे कंपनी ने किसी ग्राहक को हस्तांतरित किया है। अनुबंध परिसंपत्तियों की समीक्षा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार हानि के लिए की जाती है।

ज) अनुबंध देयताएं

जहां ग्रूप को विचार प्राप्त होता है, या ग्रूप के पास विचार की राशि का अधिकार है जो बिना शर्त (यानी प्राप्य) है, या भुगतान देय है (जो भी पहले हो), इससे पहले कि ग्रूप ग्राहक को एक अच्छी या सेवा हस्तांतरित करती है, भुगतान के समय कंपनी अनुबंध, अनुबंध के रूप में प्रस्तुत करती है। एक अनुबंध देयता कंपनी का दायित्व है कि वह किसी ग्राहक को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करे, जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार (या विचार की राशि देय है) प्राप्त की है।

3.9 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) प्रावधान

यदि कोई पिछली घटना के परिणामस्वरूप, ग्रूप को एक मौजूदा कानूनी दायित्व है जिसका विश्वासनीय रूप से अनुमान लगाया जा सकता है और यह संभाव्य है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह की आवश्यकता होगी।

प्रावधान (सेवा निवृत्ति लाभ और क्षतिपूर्ति की गई छुट्टी को छोडकर) अपने मौजूदा मूल्य से छूट नहीं दी गई है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्वाह के सबसे अच्छा अनुमान से निर्धारित किया गया है। इन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षित किया जाता है ताकि वर्तमान उत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित किया जा सके।

इस प्रकार के प्रावधानों में शामिल वारंटी दायित्वों को अलग से निष्पादन दायित्व के रूप में नहीं माना जाता है, जब तक कि ग्राहक के पास वारंटी को अलग से अनुबंधित करने का विकल्प न हो, इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार मान्यता दी जाती है। इन प्रावधानों को चालू देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि वे भारतीय लेखा मानक 1 के अनुरूप परिचालन निर्माण परियोजनाओं के चक्र से संबंधित है।

दिए गए पोतों/ छोटे यानों पर गारंटी दावे के लिए प्रावधान तकनीकी अनुमान के आधार पर किया जाता है। जहाँ भी आवश्यक हो, मामले के आधार पर सुपुर्द पोतों के लिए गांरटी दावाएँ, गारंटी अवधि को संरक्षण करते हुए बीमा पॉलिसियों के जरिए संरक्षित किया जाता है।

प्रत्याशित हानियों के लिए प्रावधान तब पहचाने जाते हैं जब यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी अनुबंध को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल लागतें अपेक्षित अनुबंध राजस्व से अधिक हैं। जहां उपयुक्त हो, प्रावधान की राशि निर्धारित करने के उद्देश्य से बजट अनुबंध राजस्व में पूर्वानुमानित राजस्व शामिल होगा जिसे भारतीय लेखा मानक 37 के साथ-साथ वृद्धिशील लागतों के अनुरूप संभावित माना जाता है। सामान्य लागतें सीधे अनुबंध के लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं और इसलिए उन्हें बजट लागत से बाहर रखा जाता है जब तक कि उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 के अनुच्छेद 68 के अनुरूप अनुबंध के अनुसार प्रतिपक्ष को स्पष्ट रूप से पारित नहीं किया जाता है।

ख) आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

व्यापार के सामान्य क्रम में ग्रूप के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएं उत्पन्न हो सकती है। जहाँ संभावित देयताओं में क्रिस्टलाइजिंग की कम संभावना होती है अथवा विश्वसनीय रूप से मापना बहुत मुश्किल होती है, हम उन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है। ऐसी देयताएं टिप्पणियों में प्रकट किया गया है लेकिन वित्तीय विवरणों में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यद्यपि कानूनी कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम के संबंध में कोई आश्वासन नही हो सकता है, हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वे हमारी वित्तीय स्थिति या लाभप्रदता पर असल में प्रतिकूल प्रभाव डालें। ग्रूप आकस्मिक देयता को मान्य नहीं करती है लेकिन वित्तीय विवरणों में इसका अस्तित्व प्रकट करती है।

एक आकस्मिक संपत्ति एक संभावित संपत्ति है दो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। कंपनी एक आकस्मिक संपत्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन वित्तीय विवरणों में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जहां आर्थिक लाभ का अंतर्वाह संभव है।

3.10 राजस्व मान्यता

क) प्रचालन से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है (अर्थात् लेनदेन मूल्य जो प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल का उचित मूल्य है)

प्रथमतः राजस्व मान्यता प्रक्रिया में प्रासंगिक अनुबंधों की पहचान तथा उनमें निहित निष्पादन दायित्वों का तकनीकी मूल्यांकन शामिल होता है।

पोत निर्माण और/या पोत मरम्मत खंडों में प्रत्येक पोत के लिए एक एकल निष्पादन दायित्व की पहचान की जाती है, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के एकीकरण और अनुकूलन का उच्च स्तर एक संयुक्त आउटपुट बनाता है, जिसे समय के साथ ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

समूह समय के साथ राजस्व की पहचान करने के लिए अनुबंध के आरंभ में पूर्णता की प्रगति को मापने के लिए उपयुक्त विधि का चयन करता है, और संबंधित खंडों और/या उस पर किए गए कार्यों के तहत समान प्रदर्शन दायित्वों के लिए लगातार लागू होता है।

समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व की मान्यता केवल तभी की जाती है जब ग्रूप निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को उचित रूप से माप सकता है।

कंपनी द्वारा किए गए पोत निर्माण और पोत मरम्मत गतिविधियों के लिए प्रदर्शन दायित्वों को एक समय बिंदु पर पूरा करने के बजाय समय के साथ पूरा किया जाता है क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए वैकल्पिक उपयोग के साथ एक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है, अर्थात् उस परिसंपत्ति को किसी अन्य उपयोग के लिए आसानी से निर्देशित करने के लिए संविदात्मक प्रतिबंध और व्यावहारिक सीमाएं (यहां तक कि कुछ मामलों में यह ऐसा करने में सक्षम होगा, यह केवल महत्वपूर्ण परिवर्तनों और महत्वपूर्ण लागत के बाद ही किया जा सकता है) और इसे आज तक पूरा किए गए प्रदर्शन के लिए भुगतान का एक लागू करने योग्य अधिकार है।

राजस्व की पहचान तब की जाती है जब समूह स्वदेशी वायुयान वाहक के अलावा पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए ग्राहकों के साथ अनुबंधों के संबंध में आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के मापन पर आधारित आउटपुट पद्धति का उपयोग करके समयावधि में ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करता है।

स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध के संबंध में, जो आंशिक रूप से निश्चित मूल्य आधार और आंशिक रूप से लागत प्लस आधार पर है, राजस्व

- निश्चित मूल्यवाले भाग को आउटपुट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

- सामग्री की खरीद और आपूर्ति के लिए अनुबंध के लागत प्लस भाग से मार्क अप के रूप में और डिज़ाइन आउटसोर्सिंग को तब मान्यता दी जाती है जब आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को पूरा किया जाता है।
- सामग्री की लागत, डिज़ाइन आउटसोर्सिंग के मूल्य और जलयान के लिए किए गए अन्य खर्च जो नौसेना से अलग करने योग्य हैं, लाभ और हानि के बयान के लिए शुल्क लिया जाता है जब सामग्री का उपभोग किया जाता है / गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाता है / खर्च किए जाते हैं और एक साथ सकल होते हैं काम के मूल्य और आय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

पोत मरम्मत अनुबंधों के मामले में, जिसमें निरंतर कई वर्षों तक रखरखाव सहायता/आवर्ती और नियमित सेवाएं शामिल हैं, समूह ने समय-व्यतीत आउटपुट विधि को चुना, अर्थात् रिपोर्टिंग तिथि तक बीते समय के आधार पर प्रगति को मापना, जो माल और/या सेवाओं के बदले में प्रतिफल की पात्रता के अधीन निष्पादन दायित्व की संतुष्टि का प्रतिनिधि है।

समूह के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, अपनाई गई पद्धति में निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापने को निरंतर आधार पर संशोधित/अद्यतन किया जाएगा।

किसी अनुबंध के प्रारंभिक चरणों के दौरान, जहां समूह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं हो सकता है और समूह निष्पादन दायित्व को पूरा करने में हुई लागतों की वसूली की उम्मीद करता है, राजस्व को केवल उस लागत की सीमा तक ही मान्यता दी जाएगी, जब तक कि वह निष्पादन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकता है।

जब अनुबंध, विलोपन या परिवर्तन को अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत के लिए अनुमोदित किया जाता है, तो अनुबंध संशोधनों को ध्यान में रखा जाता है। अनुबंध के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग-अलग हैं और मूल्य निर्धारण अकेले बिक्री मूल्य पर है या नहीं। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग नहीं हैं, राजस्व में समायोजन संचयी कैच अप के आधार पर किया जाता है। जहां जोड़े गए सामान या सेवाएं अलग-अलग हैं, और ऐसे अतिरिक्त सामान या सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन की बिक्री की कीमतों पर होती है, अनुबंध संशोधन को एक अलग अनुबंध के रूप में जाना जाता है; हालांकि यदि संशोधन स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य नहीं है, तो इसे मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और नए अनुबंध के निर्माण के रूप में जाना जाता है।

समूह आम तौर पर अतिरिक्त कार्य से किसी भी राजस्व को तब तक मान्यता नहीं देता जब तक कि ग्राहक द्वारा इसे मंजूरी नहीं दे दी जाती। जब कार्य का दायरा स्वीकृत हो गया हो लेकिन राजस्व पर प्रभाव का मूल्यांकन अभी नहीं किया गया हो, तो परिवर्तनीय विचार आवश्यकता (जैसा कि नीचे बताया गया है) लागू होगी। इसमें राजस्व को उस राशि में मान्यता देना शामिल है जिसे वापस लिए जाने की संभावना नहीं है।

यदि अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में छूट, रिबेट, रिफंड, क्रेडिट, मूल्य रियायतें, परिसमाप्त क्षति या अन्य समान मदें जैसी परिवर्तनीय राशियां शामिल हैं, तो समूह प्रतिफल की निवल राशि का अनुमान लगाता है, जिसका समूह वादा किए गए सामान या सेवाओं को ग्राहक को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार है और उसका हिसाब रखता है। भुगतान की शर्तें ग्राहकों के सभी संबंधित अनुबंधों में निर्दिष्ट महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित होती हैं। निर्दिष्ट महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने पर ये भुगतान जारी किए जाते हैं।

बेस एवं डिपो स्पेयर्स की आपूर्ति से प्राप्त राजस्व की पहचान ग्राहक से माल की प्राप्ति के प्रमाण पर किसी समय पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर की जाती है।

राजस्व मान्यता के विपरीत, ग्राहक को बिल की गई राशि अनुबंध के तहत प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों पर आधारित होती है और ग्राहक द्वारा प्रगति बिलिंग प्रमाणपत्र के रूप में संदर्भित अनुबंध दस्तावेज़ के माध्यम से इसकी पावती पर आधारित होती है। इसलिए किसी दिए गए वर्ष के लिए राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त राशियां आवश्यक रूप से ग्राहक को बिल की गई या प्रमाणित की गई राशियों से मेल नहीं खाती हैं। ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से अधिक है, अंतर को अन्य चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जबकि ऐसे अनुबंधों के लिए जिनमें मान्यता प्राप्त राजस्व बिल की गई या प्रमाणित राशि से कम है, अंतर को अन्य चालू देयताओं के अंतर्गत अनुबंध देयता के रूप में मान्यता दी जाती है।

स्टॉक वस्तुओं के स्क्रैप की बिक्री के संबंध में अन्य प्रचालन राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है, जब समूह निष्पादन दायित्वों को पूरा कर लेता है और ग्राहक को वादा किए गए सामान और सेवाओं को हस्तांतरित करके अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प्रबंधन शुल्क भी एक निश्चित समयावधि में निर्धारित किया जाता है।

एचसीएसएल लागत पूर्णता के % के आधार पर प्रबंधन शुल्कय एजेंसी शुल्क के राजस्व की पहचान कर रहा है।

ख) सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तब पहचाने जाते हैं जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुडे शर्तों का पालन करेगा और अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को बहुतायत अवधियों जिसमें कंपनी संबंधित लागतों जिसके लिए अनुदान क्षतिपूर्ति करने का इरादा है, को व्ययों के रूप में मान्य करते हैं, लाभ और हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता देती है। जहाँ अनुदान संपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है, और संपत्ति के प्रत्याशित उपयोगी जीवन पर अमूर्त किया जाता है। अन्य अनुदान, लाभ और हानि विवरण में व्ययों जिसके लिए ऐसे अनुदान संबंधित / कवर करने का इरादा है, के समवर्ती मान्यता दी जाती है।

पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) को समय-समय पर किए गए खर्चों/लागत के अनुपात में मान्यता दी जाती है और 'अन्य प्रचालन राजस्व' के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

सरकारी अनुदान जो पहले से हुए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या भविष्य में संबंधित लागत के बिना समूह को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए उद्देश्य से प्राप्त होते हैं, उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे प्राप्य होते हैं।

ग) अन्य आय

i) परिसंपत्ति क्षति और अग्रिमों पर ब्याज

(क) अग्रिमों पर ब्याज (ख) और परिसंपत्ति क्षतियों के कारण कोई आय को स्वीकार नहीं किया गया जहां ये उगाहियां, करार के विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन निर्णय पर रहती है। करार पूरे होने पर अथवा इस पर अंतिम निर्णय होते वक्त इन्हें खाते में लिखा जाता है।

लंबी अवधि की अवधि वाले पूंजी कार्यों के निष्पादन के लिए दर्ज किए गए अनुबंधों के मामले में, जहां अनुबंध की मौजूदा वाणिज्यिक शर्तों में समय पर अमल के लिए विभिन्न संसाधनों को जुटाने के लिए सेवा प्रदाता के लिए ब्याज युक्त मोबिलाइज़ेशन अग्रिम प्रदान करने का प्रावधान है, मोबिलाइज़ेशन अग्रिमों का भुगतान किया जाता है और ब्याज का लेखा-जोखा प्रोद्भवन आधार पर होता है।

ii) बीमा दावे के लिए लेखांकन

(i) वारंटी/ बिल्डर जोखिम दावे

वारंटी बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत कवर किए गए गारंटी दोषों या पोत निर्माण और पोत मरम्मत कार्यों के लिए ली गई बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत दावों के मामले में, दर्ज किए गए बीमा दावों को सर्वेक्षण पूरा होने वाले वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाती है और बीमा कंपनी द्वारा निपटान की संभावित राशि की सूचना दी जाती है।

(ii) अन्य बीमा नीतियां

परिसंपत्ति बीमा, ट्रांसिट बीमा, समुद्री बीमा, रोकड बीमा आदि जैसी अन्य बीमा नीतियों के मामले में, बीमा कंपनी से राशि की प्राप्ति के जरिए दावों के निपटान पर लेखाओं में दावों को मान्यता दी जाती है।चिकित्सा ग्रूप के मामले में, दावों को बीमा कंपनी के साथ प्रस्तुत दावों के आधार पर, उचित आधार पर मान्यता प्राप्त है।

चिकित्सा बीमा के मामले में, बीमा कंपनी के पास प्रस्तुत दावों के आधार पर, दावों की पहचान उचित आधार पर की जाती है।

आय की अन्य मदों का लेखा तब किया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और यह संभावना होती है कि आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होगा और आय की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

3.11 कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ में वेतन और मजदूरी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, उपदान निधि, चिकित्सा सहायता की ओर अंशदान जो ह्रस्वकालीन प्रकृति का है और मुआवजा अनुपस्थितियों की ओर अंशदान, जो प्रकृति में दीर्घकालिक है, शामिल है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

रोज़गार-पश्चात् लाभ योजना

i) निर्धारित योगदान योजनाएं

पात्र कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना में निर्धारित अंशदान राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में किया जाता है और देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को, निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए अंशदान के अलावा कोई अन्य दायित्व नहीं होता है।

कंपनी, कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी म्युचुअल पब्लिक वेल्फेयर ट्रस्ट और कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट में योगदान देती है, जिसे देय होने पर व्यय के रूप में लिया जाता है। ऐसे लाभों को निर्धारित अंशदान योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि कंपनी द्वारा किए गए योगदानों के अलावा कोई और दायित्व नहीं लेता है।

सहायक कंपनियों के मामले में, भविष्य निधि में योगदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को दिया जाता है और लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है। कंपनियों के पास अपने मासिक योगदान के अलावा भविष्य के भविष्य निधि लाभों के लिए कोई और दायित्व नहीं है।

ii) निर्धारित लाभ योजनाएं

उपदान

ग्रूप उपदान के लिए, पात्र कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए एक निर्धारित लाभ सेवानिवृत्ति योजना प्रदान करती है। निर्धारित लाभ योजना के संबंध में तुलन पत्र में पहचान की गई, देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य निर्धारित लाभ दायित्व प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक द्वारा प्रतिवर्ष गणना की जाती है।

उक्त दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित रोकड बहिर्वाहों को कटौती करके निर्धारित किया जाता है, जो संबंधित दायित्वों के कार्यकाल का अनुमान लगानेवाले कार्यकाल के सरकारी बांड के बाजार आय का उपयोग करते हैं।

ब्याज आय/(व्यय) की गणना निर्धारित लाभ देयता या परिसंपत्ति के निवल को छूट दर के प्रयोग द्वारा की जाती है। निवल निर्धारित लाभ देयता या संपत्ति पर निवल ब्याज आय/ (व्यय) लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियां उस अवधि में पहचानते हैं जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में घटित होते है। इन्हें इक्विटी में परिवर्तन के विवरण में और तुलन पत्र में प्रतिधारित आय में शामिल किया गया है।

योजना में संशोधनों या कटौतियों से परिणत निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन तत्काल से लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में मान्य किया जाता है।

यूसीएसएल ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बनाए गए समूह अनुदान नकद संचय योजना में योगदान दिया।

भविष्य निधि एवं पेंशन योजना

ग्रूप भविष्य निधि में भी योगदान देता है। भविष्य निधि का प्रबंधन कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के ट्रस्टियों द्वारा किया जाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रशासित ग्रूप के भविष्य निधि के नियमों की आवश्यकता है कि यदि ट्रस्टी बोर्ड कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 60 के तहत सरकार द्वारा घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कमी होल्डिंग कंपनी द्वारा पूरी की जाएगी। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर होल्डिंग कंपनी द्वारा यदि कोई कमी का आकलन किया जाता है, तो उसका लेखा-जोखा प्रदान किया जाएगा।

अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा दी गई अनुपस्थितियां

ग्रूप को मुआवजा दी गई अनुपस्थिति पर एक नीति है, जो प्रकृति में दोनों संचित और गैर संचित है। मुआवजा दी गई अनुपस्थिति संचित करने के लिए प्रत्याशित लागत अनुपयोगित पात्रता जो प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर संचित है के फलस्वरूप प्रत्याशित अतिरिक्त राशि जो प्रदत्त करना है/ लाभ उठाना है पर एक स्वतंत्र लेखक द्वारा प्रस्तावित यूनिट क्रेडिट पद्धति के प्रयोग से निष्पादित बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है। गैर संचित मुआवजा की गई अनुपस्थिति उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुपस्थिति होती है।

3.12 आय पर कर

क) आय कर

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

आयकर व्यय में चालू कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परसंपत्ति या देयता में निवल परिवर्तन शामिल है।

वर्तमान और आस्थगित करों को जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्य जो मदों से संबंधित हों, जिस मामले में, चालू और आस्थगित कर क्रमश:अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में भी मान्य किया जाता है को छोडकर, लाभ और हानि के विवरण में मान्य किया जाता है।

समूह ने निर्धारित किया है कि आयकर से संबंधित ब्याज और दंड, जिसमें अनिश्चित कर उपचार भी शामिल है, आयकर की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें भारतीय लेखा मानक 37 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसपंत्तियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।

ख) चालू कर

वर्तमान कर की गणना वर्ष के लिए कर योग्य आय या हानि पर देय या प्राप्य होने की अपेक्षित कर राशि और आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित पिछले वर्षों के संबंध में देय या प्राप्य कर में किसी भी समायोजन के आधार पर की जाती है। वर्तमान देय या प्राप्य कर की राशि, भुगतान या प्राप्त होने की अपेक्षित कर राशि का सबसे अच्छा अनुमान है जो आयकर से संबंधित अनिश्चितता को दर्शाता है, यदि कोई हो। इसे रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों का उपयोग करके मापा जाता है।

चालू कर परिसंपत्तियां और चालू कर देयताएं सेट ऑफ किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट ऑफ करने के लिए कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और एक निवल आधार पर परिसंपत्ति और देयता को निपटान करने का उद्देश्य है।

ग) आस्थगित कर

आस्थगित आयकर तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दिया जाता है। जब आस्थगित आयकर एक लेनदेन में एक परिसंपत्ति या देयता की मान्यता से उत्पन्न होता है वह एक व्यापार संयोजन नहीं है और लेनदेन के समय पर न लेखांकन न तो कर योग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता है के सिवाय आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देयताएं, परिसंपत्तियों और देयताओं के कर आधार और उनकी कैरियिंग राशि के बीच होनेवाले कटौती योग्य और कर योग्य अस्थायी अंतर के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियां केवल उस हद तक मान्य किया जाता है कि यह संभाव्य है कि भविष्य कर योग्य लाभ के साथ साथ आस्थगित कर देयताओं के उलटाव उपलब्ध होंगे, जिसके सामने कटौती योग्य अस्थायी भिन्नताएं, और अग्रनीत का अनुपयोगित कर क्रेडिट तथा अनुपयोगित कर हानियों उपयोग किया जा सकता है।

एक आस्थगित कर परिसंपत्ति की कैरियिंग राशि प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाएगी और उस हद तक कम की जाएगी ज्योंही यह अब संभावित नहीं है कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या हिस्से का उपयोग करने के लिए अनुमति देने हेतु पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।गैर-मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस हद तक पहचाना जाता है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्तियों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आस्थगित कर को लाभ या हानि (या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में) के बाहर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों औ देयताओं को कर की दरें और कर नियमों जो अधिनियमित या रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्वतंत्र रूप से अधिनियमित और जब संबंधित आस्थगित कर परिसंपत्ति एहसास हो जाता है या आस्थगित कर देयता का निपटारा होता है तब लागू करने अपेक्षित है, का उपयोग करके मापा जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को ऑफ सेट किया जाता है जब चालू कर और परिसंपत्तियों को ऑफ सेट करने के लिए वैध प्रवर्तनीय अधिकार है और जब आस्थगित कर शेषों को उसी कराधान प्राधिकरण से संबंधित होते हैं।

3.13 ऑपरेटिंग सेग्मेन्टस

ऑपरेटिंग सेग्मेन्टस किसी ऐसे उद्यम के घटकों के रूप में निर्धारित किया जाता है जिसके लिए असतत वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है जो मुख्य संचालन निर्णायक द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन करती है, जिसमें संसाधनों को कैसे आबंटन करना और निष्पादन का मूल्यांकन करने का निर्णय करने में। कंपनी के मुख्य संचालन निर्णायक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है।

ग्रूप ने व्यापार सेग्मेन्टों (उद्योग प्रथा) को रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेन्टों के रूप में पहचान की है। व्यापार सेग्मेन्ट में: 1) पोत निर्माण और 2) पोत मरम्मत शामिल है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

सेग्मेन्ट राजस्व, सेग्मेन्ट व्यय, सेग्मेन्ट परिसंपत्तियां और सेग्मेन्ट देयताएं सेग्मेन्ट की संचालन गतिविधियों से उनके संबंध के आधार पर सेग्मेन्ट के रूप में पहचान की गई है। राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं जो संपूर्ण कंपनी से संबंधित है और एक तर्क संगत आधार पर सेग्मेन्टों के लिए आबंटन योग्य नहीं है 'अनाबंटित राजस्व/ व्यय/ परिसंपत्तियां/ देयताएं' के अधीन शामिल किया गया है।

3.14 आसाधारण मदें

आय या व्यय का वह मद जिसके आकार, प्रकार या घटना के कारण कंपनी के प्रदर्शन की समझ में सुधार करने के लिए प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है, उसे अपवादात्मक मद माना जाता है तथा समेकित वित्तीय विवरणों में और प्रभाग II - भारतीय लेखा मानक अनुसूची III के मार्गदर्शन नोट के अनुसार भी उसका प्रकटीकरण किया जाता है।

3.15 बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति

समाधान योजना और 04 मार्च 2020 के एनसीएलटी आदेश के अनुसार, नीचे उल्लिखित पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड की निम्नलिखित परिसंपत्तियों/मामलों की पहचान सीओसी या समाधान पेशेवर द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर बहिष्कृत वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में की गई है।

1) वैट वापसी;

2) टग को हुए नुकसान के लिए बीमा कंपनी के पास बीमा दावा दायर किया गया;

3) बीमा कंपनी के साथ चोरी और सेंधमारी के लिए बीमा दावा;

4) भारतीय नौसेना से व्यापार प्राप्य, तथा

5) भारत सरकार द्वारा सब्सिडी दावे की राशि का 50% (अर्थात् पोत निर्माण वित्त सहायता/सब्सिडी)।

इन मदों का लेखा प्राप्ति के आधार पर किया जाएगा।

3.16 हाल ही के अधिसूचनाएं

निगमित मामलों का मंत्रालय ('एमसीए') समय-समय पर जारी किए गए कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानकों या संशोधनों को अधिसूचित करता है। दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, एमसीए ने भारतीय लेखा मानक 117- बीमा अनुबंध और भारतीय लेखा मानक 116 – पट्टे में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो बिक्री और पट्टा बैंक लेनदेन से संबंधित हैं, जो 01 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। कंपनी ने मूल्यांकन किया है कि इसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

दिनांक 09 मई 2025 को एमसीए भारतीय लेखा मानक 21- विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव में संशोधनों को अधिसूचित करता है। इन संशोधनों का उद्देश्य मुद्रा विनिमय योग्यता का आकलन करने और मुद्राओं के आसानी से विनिमय योग्य न होने पर विनिमय दरों का अनुमान लगाने पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। ये संशोधन 01 अप्रैल 2025 को या उसके बाद शुरू होनेवाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। कंपनी वर्तमान में अपने वित्तीय विवरणों पर इन संशोधनों के संभावित प्रभाव का आकलन कर रही है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी 4 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यहास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,267.86	-	-	3,267.86	-	-	-	-	3,267.86	3,267.86
इमारतें	10,523.68	3,562.13	-	14,085.81	5,262.89	691.28	-	5,954.17	8,131.64	5,260.79
संयंत्र और मशीनरी	26,506.35	29,106.98	10.08	55,603.25	16,699.50	2,293.96	5.43	18,988.03	36,615.22	9,806.85
फर्नीचर और जुडाव	1,989.37	135.31	0.82	2,123.86	1,021.31	167.11	0.17	1,188.25	935.61	968.06
गाडियां	678.62	289.84	14.23	954.23	479.58	63.54	12.21	530.91	423.32	199.04
कार्यालय उपस्कर	756.77	297.89	0.69	1,053.97	451.56	124.98	0.41	576.13	477.84	305.21
अन्य	-	-	-		-	-	-			-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	3,064.32	881.89	160.25	3,785.96	2,033.27	414.57	150.41	2,297.43	1,488.53	1,031.05
गोदी और घाट	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,315.28	480.35	-	2,795.63	1,377.20	180.47	-	1,557.67	1,237.96	938.08
नाली और जलपूर्ति	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
जलयान	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
उप कुल	**53,649.77**	**1,37,611.11**	**186.07**	**1,91,074.81**	**30,079.77**	**4,338.54**	**168.63**	**34,249.68**	**1,56,825.13**	**23,570.00**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें और सडक	23,961.79	254.86	79.56	24,137.09	3,059.09	567.46	-	3,626.55	20,510.54	20,902.70
संयंत्र और मशीनरी	8,984.57	79,669.26	4.31	88,649.52	960.70	2,622.86	-	3,583.56	85,065.96	8,023.87
गोदी और घाट	22.05	140.26	-	162.31	9.55	8.98	-	18.53	143.78	12.50
विद्युत संस्थापन	1,408.60	80.55	1.07	1,488.08	357.59	75.91	-	433.50	1,054.58	1,051.01
स्लिप वे	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	14.20	-	864.94	253.05	267.25
उप कुल	**35,495.00**	**80,144.93**	**84.94**	**1,15,554.99**	**5,237.67**	**3,289.41**	**-**	**8,527.08**	**1,07,027.91**	**30,257.33**
कुल (क) + (ख)	**89,144.77**	**2,17,756.04**	**271.01**	**3,06,629.80**	**35,317.44**	**7,627.95**	**168.63**	**42,776.76**	**2,63,853.04**	**53,827.33**
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	42,725.73	173.81	-	42,899.54	7,173.41	1,503.01	-	8,676.42	34,223.12	35,552.32
उपयोग का अधिकार- इमारतें	175.48	11.11	-	186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
पोत मरम्मत को सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	2,004.33	210.34	-	2,214.67	4,785.33	4,995.67
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज और सालकिया में भूमि	575.00	-	-	575.00	43.92	10.17	-	54.09	520.91	531.08
उप कुल	**50,476.21**	**184.92**	**-**	**50,661.13**	**9,358.44**	**1,745.64**	**-**	**11,104.08**	**39,557.05**	**41,117.77**
कुल (क) + (ख) + (ग)	**1,39,620.98**	**2,17,940.96**	**271.01**	**3,57,290.93**	**44,675.88**	**9,373.59**	**168.63**	**53,880.84**	**3,03,410.09**	**94,945.10**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				मूल्यह्रास				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) स्वामित्व संपत्ति										
भूमि (पूर्ण स्वामित्व)	3,267.86			3,267.86	-			-	3,267.86	3,267.86
इमारतें और सडक़	10,286.02	238.31	0.65	10,523.68	4,575.00	688.33	0.44	5,262.89	5,260.79	5,711.02
संयंत्र और मशीनरी	24,814.37	1,711.28	19.30	26,506.35	14,420.54	2,293.79	14.83	16,699.50	9,806.85	10,393.83
फर्नीचर और जुडाव	1,777.45	215.90	3.98	1,989.37	864.45	160.64	3.78	1,021.31	968.06	913.00
गाडियां	677.87	7.55	6.80	678.62	430.23	55.83	6.48	479.58	199.04	247.64
कार्यालय उपस्कर	657.30	100.23	0.76	756.77	368.46	83.83	0.73	451.56	305.21	288.84
अन्य	-			-	-			-	-	-
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	2,773.54	299.23	8.45	3,064.32	1,720.06	320.09	6.88	2,033.27	1,031.05	1,053.48
गोदी और घाट	4,466.45	-	-	4,466.45	2,440.78	299.41	-	2,740.19	1,726.26	2,025.67
रेलवे साइडिंग	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
विद्युत संस्थापन	2,018.12	297.16	-	2,315.28	1,227.65	149.55	-	1,377.20	938.08	790.47
नाली और जलपूर्ति	23.55	-	-	23.55	0.98	1.07	-	2.05	21.50	22.57
जलयान	21.88	34.54	-	56.42	9.80	2.42	-	12.22	44.20	12.08
उप कुल	**50,785.51**	**2,904.20**	**39.94**	**53,649.77**	**26,057.95**	**4,054.96**	**33.14**	**30,079.77**	**23,570.00**	**24,727.56**
ख) पट्टे परिसर की संपत्तियां										
इमारतें और सडक	23,232.33	729.46	-	23,961.79	2,488.59	570.50	-	3,059.09	20,902.70	20,743.74
संयंत्र और मशीनरी	6,543.03	2,441.54	-	8,984.57	492.78	467.92	-	960.70	8,023.87	6,050.25
गोदी और घाट	22.05	-	-	22.05	8.76	0.79	-	9.55	12.50	13.29
विद्युत संस्थापन	1,365.12	43.48	-	1,408.60	286.16	71.43	-	357.59	1,051.01	1,078.96
स्लिप वे	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	-	-	850.74	267.25	267.25
उप कुल	**32,280.52**	**3,214.48**	**-**	**35,495.00**	**4,127.03**	**1,110.64**	**-**	**5,237.67**	**30,257.33**	**28,153.49**
कुल (क) + (ख)	**83,066.03**	**6,118.68**	**39.94**	**89,144.77**	**30,184.98**	**5,165.60**	**33.14**	**35,317.44**	**53,827.33**	**52,881.05**
ग) परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार										
उपयोग का अधिकार- भूमि	41,111.01	1,614.72	-	42,725.73	5,463.55	1,709.86	-	7,173.41	35,552.32	35,647.46
उपयोग का अधिकार- इमारतें	173.07	2.41	-	175.48	118.34	18.44	-	136.78	38.70	54.73
भूमि और पोत मरम्मत सुविधा का उपयोग करने का अधिकार	7,000.00	-	-	7,000.00	1,793.99	210.34	-	2,004.33	4,995.67	5,206.01
उपयोग का अधिकार- नजीरगंज और सालकिया में भूमि	575.00	-	-	575.00	34.43	9.49	-	43.92	531.08	540.57
उप कुल	**48,859.08**	**1,617.13**	**-**	**50,476.21**	**7,410.31**	**1,948.13**	**-**	**9,358.44**	**41,117.77**	**41,448.77**
कुल (क) + (ख) + (ग)	**1,31,925.11**	**7,735.81**	**39.94**	**1,39,620.98**	**37,595.29**	**7,113.73**	**33.14**	**44,675.88**	**94,945.10**	**94,329.82**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(क) भूमि में पट्टे के आधार पर दी गई (i) भारतीय विद्या भवन को (0.69045हेक्टर) (ii) मै.इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को पाइप लगाने के लिए (0.620 हेक्टर) (iii) मै. कोचीन एयर प्रोडक्टस को (0.30 हेक्टर) और (ख) केरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा धारित (0.47 हेक्टर) भूमि की मूल्य भी शामिल है।

(ख) भूमि के मूल्य में उसके साथ ली गई इमारतों का मूल्य भी शामिल है जिसके लिए मूल्य ह्रास का प्रावधान न किया गया क्योंकि इनका अलग मूल्य प्राप्त नहीं तथा कारखाने की सुविधाओं के लिए इन्हें गिरी देने की संभावना है।

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में कंपनी की 197.12 एकड़ (487.00 सेंट) भूमि संपत्ति शामिल है, जो सर्वे नंबर 713/11में 34.30 एकड़, सर्वे नंबर 713/12 में 23.57 एकड़, सर्वे नंबर 713/13 में 59.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/06 में 50.18 एकड़ है, सर्वे नंबर 714/2 में 10.12 एकड़, सर्वे नंबर 714/4 में 8.90 एकड़ और सर्वे नंबर 714/5 में 10.93 एकड़ जमीन में ये सभी एलमकुलम गांव, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिला, केरल में एक साथ पड़ी हुई हैं। जिन्हें सुरक्षा के तौर पर कर मुक्त बांड जारी करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

(घ) कंपनी के परिसर और अन्य स्थानों पर वाहक संयंत्र हैं जिनसे नाममात्र की आय होती है। ऐसे वाहक संयंत्रों की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है और इसलिए इन संयंत्रों को पूंजीकृत नहीं किया गया था।

(ङ) सभी अचल संपत्तियों का स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर रखा जाता है।

निम्नलिखित संपत्तियों के मामले में जहां कंपनी पट्टेदार है, पट्टा समझौते निम्नलिखित अपवादों के साथ पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं:

1. ग्रुप ने 12 अप्रैल 2013 को (प्रथम चरण) कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.12 हेक्टेयर भूमि (8.1164 हेक्टेयर के रूप पुनः मापी गई) और 15 हेक्टेयर जल निकाय पट्टे पर लिया है। सीएसएल ने 16 नवंबर 2017 को (द्वितीय चरण) को कोचीन पोर्ट अथॉरिटी से 8.134 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि क्षेत्र भी पट्टे पर लिया है। सीएसएल और सीओपीए के बीच दो पट्टा समझौते (अर्थात् भूमि/जल निकाय का प्रथम चरण आबंटन और भूमि का द्वितीय चरण आबंटन) किए गए थे और दोनों पट्टा विलेख पंजीकृत नहीं किए गए हैं।
2. ग्रुप ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के साथ ह्यूजेस ड्राई डॉक पर पोत मरम्मत सुविधा को उन्नत करने, संचालित करने और प्रबंधित करने तथा एमबीपीटी के इंदिरा डॉक और एसएमपीटी के नेताजी सुभाष डॉक के बर्थ नंबर 6 पर निर्दिष्ट बर्थों के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

एमबीपीटी में परियोजना स्थल को 29 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। लाइसेंस समझौते को अभी तक पंजीकृत नहीं किया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार को स्टांप शुल्क की छूट के लिए प्रस्तुत अनुरोध विचाराधीन है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर परियोजना स्थल को 30 वर्षों के लिए लाइसेंस पर लिया गया है। चूंकि लाइसेंस समझौते पर पश्चिम बंगाल में स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है, इसलिए केओपीटी के साथ रियायत समझौता पंजीकृत नहीं किया गया है।

च) भूमि और पोत मरम्मत सुविधा के उपयोग का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) परियोजना की स्थापना के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को भुगतान की गई अग्रिम फीस का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पट्टे की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाना था, जिसे पर्यावरण मंजूरी की प्राप्त करने की तारीख के आधार पर आगे बढ़ाया गया था। चूंकि आईएसआरएफ के लिए सभी पर्यावरण मंजूरी 09 जनवरी, 2018 को प्राप्त हो चुकी है, इसलिए 30 साल की पट्टे की अवधि प्रभावी रूप से इसी तारीख से शुरू होती है।

छ) श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट प्राधिकरण के नाम पर कोलकाता में स्टाफ क्वार्टर सीएसएल को आबंटित कर दिया गया है। पट्टा समझौते पर अभी हस्ताक्षर होना बाकी है।

i) निम्नलिखित पट्टा आधारित संपत्तियों के मामले में पंजीकरण लंबित है:

संपत्ति का विवरण	क्षेत्र	के नाम पर आयोजित
नई दिल्ली में ट्रांजिट हाउस	2,200 वर्ग फुट	श्रीमती अनिता सिंघल
पार्किंग स्थान	3.80 एरेस	श्री के प्रदीप कुमार
कोच्ची में मुख्य सतर्कता अधिकारी का अतिथि गृह	3,721 वर्ग फुट	श्री श्रीकुमार नायर
काक्कनाड में बंद स्टोरेज जगह	10,887 वर्ग फुट	केंद्रीय भंडारण निगम
	14,854 वर्ग फुट	

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

छ) दिनांक 31 मार्च 2025 तक, 403.40 लाख रुपए (पिछले साल 465.55 लाख रुपए) की वहन राशिवाले संयंत्र और उपकरण अस्थायी रूप से निष्क्रिय थे, लेकिन कंपनी की योजना वित्त वर्ष 2025-26 में परिसंपत्तियों को संचालित करने की है।

ज) 28298.24 लाख रुपए (पिछले साल 12,938.36 लाख रुपए) की परिसंपत्तियों का सकल वहन मूल्य पूरी तरह से मूल्यह्रास हो चुका है, लेकिन वे अभी भी उपयोग में है।

झ) संयंत्र एवं उपकरणों पर अतिरिक्त व्यय में अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर 2.83 लाख रुपए का पूंजीगत व्यय शामिल है। (पिछले वर्ष वेल्डिंग प्रौद्योगिकी से संबंधित 25.95 लाख रुपए था)।

ञ) वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रमुख परियोजनाओं अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और नई ड्राई डॉक को क्रमशः 79344.26 लाख रुपए और 131938.92 लाख रुपए की राशि से पूंजीकृत किया है।

इन परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास की गणना प्रबंधन द्वारा तकनीकी अनुमानों के आधार पर निर्धारित उपयोगी जीवन को ध्यान में रखते हुए की गई है। अपनाई गई उपयोगी जीवन अवधि नीचे दी गई तालिका विस्तृत रूप से दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा — **उपयोगी जीवन वर्षो में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन*
क. शिप लिफ्ट घटक			
विंच, कंट्रोल टॉवर, शिन इनहॉल/मूरिंग, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	15	28
प्लेटफॉर्म स्टील वर्क	संयंत्र और मशीनरी	15	55
व्हील फेंडर	संयंत्र और मशीनरी	15	17
ख. पोत अंतरण घटक			
ट्रेस्टल, बोगी, स्पेयर पार्ट्स, विशेष टूल किट	संयंत्र और मशीनरी	15	28
ग. अन्य संपत्तियां			
फ्लैट टॉप टावर क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	15	40
पोत लिफ्ट और अंतरण से संबंधित सुविधा			
जेटी 1, जेटी 2, कनेक्शन जेटी, वर्कस्टेशन उत्तर, वर्कस्टेशन दक्षिण	संयंत्र और मशीनरी	15	28

*उपयोगी जीवन आईएसआरएफ की शेष पट्टा अवधि तक सीमित है, अर्थात् 23 वर्ष

नया ड्राई डॉक — **उपयोगी जीवन वर्षो में**

परिसंपत्तियों का विवरण	अनुसूची II के अनुसार परिसंपत्ति श्रेणी	कंपनी अधिनियम के अनुसार उपयोगी जीवन	प्रबंधन द्वारा अनुमानित उपयोगी जीवन*
सूखी गोदी सिविल	डॉक और घाट	15	60
पंप हाउस	इमारत	60	60
कैसन गेट	संयंत्र और मशीनरी	15	60
600 टी रेल माउंटेड गैंट्री क्रेन	संयंत्र और मशीनरी	15	40

ट) यूसीएसएल और कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड ने 23.12.2022 को मालपे और हैंगरकट्टा में पट्टे की भूमि के लिए 04.3.2020 से 30 साल की अवधि के लिए लीज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी; मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (तत्कालीन मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश की तारीख। इसके लिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कर्नाटक मैरीटाइम बोर्ड (केएमबी) को कुल 325.50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसमें सुरक्षा जमा, पट्टा बकाया, जुर्माना और बकाया के खिलाफ केएमबी को ब्याज का भुगतान शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ठ) वित्तीय वर्ष के दौरान प्रचालन पट्टे पर दी गई टीम 2 (12 टन बोलार्ड पुल टग) को संयंत्र एवं उपकरण में शामिल किया गया है।

ड) कुलपी (कोलकाता - 230 सेंट) में भूमि का मूल्य भौगोलिक क्षेत्र के सत्यापन और उसके मूल्यांकन के लंबित होने के कारण खातों में मान्यता नहीं दी गई है।

ढ) मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित भूमि, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ववर्ती 'टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड' और/या 'टेबमा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड' के नाम पर बनी हुई है। कंपनी ने 'उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड' के नाम पर स्वामित्व विलेख को बदलने के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है।

ण) जिन परिसंपत्तियों को अलग नहीं किया जा सकता है और मालपे यार्ड में पट्टे की भूमि पर निर्मित वैकल्पिक उपयोग ('गैर-हटाने योग्य संपत्ति') के लिए परिवहन नहीं किया जा सकता है, उन परिसंपत्तियों के पट्टे की अवधि और उपयोगी जीवन के निचले हिस्से में परिशोधन / मूल्यह्रास किया जाता है।

त) वर्ष के दौरान, यूसीएसएल की बहियों में शून्य रुपए (पिछले वर्ष 8.11 लाख रुपए) की उधार लागत पूंजीकृत की गई।

थ) यूसीएसएल की संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर कोई शुल्क नहीं लगाया गया है।

द) उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अनुमानित लागत के रूप में, संक्रमण तिथि पर परिसंपत्तियों के उचित मूल्य पर विचार करने का चुनाव किया था और तदनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का सकल ब्लॉक निकाला गया था।

ध) मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से संबंधित भवन, अस्थायी संरचना, कार्यालय भवन, कारखाना भवन और सडकों के स्वामित्व के दस्तावेज़ कंपनी के नाम पर नहीं है, क्योंकि भूमि भारत सरकार के नाम पर है, जिसे 59 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया गया था और कंपनी ने उस पर अचल संपत्तियों का निर्माण किया था।

न) एचसीएसएल के मामले में, कंपनी की आरंभिक इक्विटी शेयर पूंजी का छब्बीस प्रतिशत किसी भी मौद्रिक प्रतिफल की प्राप्ति के बिना भूमि के पट्टे के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए जारी किया गया था। ऐसे 26% इक्विटी शेयरो (रुपए 572.00 लाख) के मूल्य के साथ-साथ संबंधित व्यय कुल 575.00 लाख रूपए को उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति के रूप में पूंजीकृत किया गया और अधिकार प्रापत करने की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया गया, जो उस तिथि से शुरू होता है जिस दिन अधिकार प्रयोग करने योग्य हो जाता है।

नोट 5 : पूंजीगत प्रगतिशील कार्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31मार्च 2024 को
संयंत्र और मशीनरी, इमारतें और सिविल कार्य	37,373.06	1,86,531.68
जोड़ें: निर्माण के दौरान व्यय	1,924.08	12,141.82
पूंजी यार्ड मद	12,201.83	20,852.09
मार्गस्थ वस्तुएं	0.39	1.28
कुल	**51,499.36**	**2,19,526.87**

निर्माण के दौरान व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31मार्च 2024 को
प्रारंभिक जमा	12,141.82	9,570.95
जोड़ें: वर्ष के दौरान व्यय		
वेतन	205.27	364.32
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत मूल्यह्रास	169.49	545.32
भारतीय लेखा मानक 116 के तहत वित्त लागत	544.61	1,661.23
पीपीई में स्थानांतरित	(11,137.11)	
असाधारण मदें	-	
अंतिम शेष	**1,924.08**	**12,141.82**

प्रगतिरत पूंजीगत कार्य में अनुसंधान एवं विकास केंद्र से संबंधित अनुसंधान एवं विकास पर पूंजीगत व्यय शामिल है जिसकी राशि शून्य है। (पिछले वर्ष- 24.78 लाख रुपए)।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	47,784.52	2,920.59	619.47	174.78	51,499.36
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2024 को सीडब्ल्यूआईपी एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	64,679.21	33,924.80	16,434.84	1,04,488.02	2,19,526.87
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2025 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
सूखी गोदी	28,150.79	-	-	-
आईएसआरएफ	17,772.57	-	-	-
सीकेएसआरयू कैसॉन गेट	1,908.96	-	-	-
सीएमएसआरयू टवर क्रैन	563.77	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	393.22	-	-
सीएनसी प्लाज्मा सह ऑक्सी ईंधन प्लेट काटने की मशीन	315.48	-	-	-
सीकेएसआरयू में टवर क्रैन	264.58	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	204.68	-	-	-
व्यापार विकास के लिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	117.75	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	107.59	-	-	-
ईडब्ल्यूएसबी सॉकेट आउटलेट के साथ 4 एचसी बीबीटी एचसी बे	102.01	-	-	-
एसएसडी में ब्लॉक निर्माण के लिए स्किड का निर्माण	71.27	-	-	-
जनरल स्टोर के पास 300 केडब्ल्यूपी सोलार पावर प्लांट	68.66	-	-	-
एचसी बे ऑफ हल में 5/एचसी बीबीटी का प्रतिस्थापन	46.01	-	-	-
लोड सेल 150 टन क्रेन	38.02	-	-	-
ईओटी क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	36.20	-	-	-
इंजन शॉप और मशीन शॉप में स्विच बोर्ड	25.56	-	-	-
बीडी पंप पिट में ग्रेटिंग की फिक्सिंग	20.47	-	-	-
50 टन क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	20.11	-	-	-
गेट्स, विजिटर्स सेंटर, गोल्डन प्लाज़ा का रीमॉडलिंग	6.90	-	-	-
सीएमएसआरयू में एचडीडी बिल्डिंग में मेजेनाइन फ्लोर	2.50	-	-	-
गतिशील शेड का डिज़ाइन	2.31	-	-	-
एचसीएसएल गोदी और घाटी	63.24	-	-	-
एचसीएसएल शेड निर्माण	0.69	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2024 के सीडब्ल्यूआईपी अतिदेय

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	में पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
कैसॉन गेट – कोलकाता यूनिट	1,503.61	-	-	-
एकीकृत सुरक्षा प्रणाली	923.67	-	-	-
व्यापार विकास के लिए सम्मेलन हॉल का नवीनीकरण	36.81	-	-	-
बेसिक डिज़ाइन के लिए कार्यालय स्थान	19.37	-	-	-
डॉक आर्म उपकरण	352.78	-	-	-
फायर मेन सिस्टम	88.10	-	-	-
एलुमिनियम रूफिंग हल शॉप	-	162.25	-	-
क्रेन के लिए डीएसएल सिस्टम	56.30	-	-	-
परियोजना प्रबंधन अनुभाग के लिए कार्यालय	52.15	-	-	-
बीबीटी और टैप ऑफ बॉक्स	54.82	-	-	-
हल शॉप पर विद्युत स्थापना	23.48	-	-	-
निर्माणाधीन संपत्ति- गोदी और घाटी	63.24	-	-	-
निर्माणाधीन संपत्ति - कैपस्टन	30.84	-	-	-
यार्ड सुविधाओं का विस्तार-सिविल	36.41	-	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 6 : अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2025 को	01 अप्रैल 2024 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	4,680.85	594.72	-	5,275.57	2,869.76	1,113.54	-	3,983.30	1,292.27	1,811.09
	4,708.52	**594.72**	**-**	**5,303.24**	**2,897.43**	**1,113.54**	**-**	**4,010.97**	**1,292.27**	**1,811.09**

(₹ लाखों में)

ब्योरा	सकल कैरियिंग राशि				ऋणमुक्ति				निवल कैरियिंग राशि	
	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के दौरान जोड/ समायोजन	वर्ष के दौरान निपटान/ समायोजन	31 मार्च 2024 को	01 अप्रैल 2023 को	वर्ष के लिए	समायोजन/ आहरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
आंतरिक रूप से सृजित वेल्ड प्रक्रिया	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
कंप्यूटर सोफ्टवेयर	2,914.75	1,766.10	-	4,680.85	1,948.70	921.06	-	2,869.76	1,811.09	966.05
	2,942.42	**1,766.10**	**-**	**4,708.52**	**1,976.37**	**921.06**	**-**	**2,897.43**	**1,811.09**	**966.05**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 7 : विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
विकासाधीन अन्य अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	68.06	60.64
कुल	68.06	60.64

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2025 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं – प्रगति पर	7.43	-	32.18	28.45
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां दिनांक 31.03.2024 तक निर्धारण अनुसूची

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
परियोजनाएं – प्रगति पर	-	32.18	28.46	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-

दिनांक 31.03.2025 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	68.06	0.00	0.00	0.00

दिनांक 31.03.2024 तक विकासाधीन अतिदेय अमूर्त संपत्ति

(₹ लाखों में)

पूंजी कार्य - प्रगति पर	निम्नानुसार पूरा किया जाना है			
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक
आधार - सीएएनएसआरयू	60.64	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 8 : निवेश- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रति इकाई अंकित मूल्य	मार्च 31,2025 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31,2024 तक इकाईयों की संख्या	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अनकोट्ड (पूर्णतया प्रदत्त)					
इक्विटी उपकरणों में निवेश					
क) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर					
कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता समिति लिमिटेड में 2175 "बी क्लास"	100	2,175	2,175	2.18	2.18
केरल एन्विरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश	10	70,000	70,000	17.08	10.37
कोचीन वेस्ट टु एनर्जी प्राइवेट लिं.	10	1,00,000	1,00,000	-	-
कुल				**19.26**	**12.55**
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				19.26	12.55
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य और उसका बाज़ार मूल्य				-	-
अनकोटेड निवेश का कुल मूल्य				19.26	12.55
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि				10.00	10.00

क) निवेश के मूल्य के संकेतकों जैसे कि निवेशिती की संपत्ति, परिणाम आदि को ध्यान में रखते हुए कोचीन वेस्ट टू एनर्जी (पी) लिमिटेड में निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा अन्य गिरावट देखी गई है और तदनुसार उचित मूल्य को शून्य माना जाता है। इसी प्रकार, केरल एनवायरो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में वृद्धि देखी गई है और तदनुसार निवेश का उचित मूल्य निर्धारण किया गया है।

ख) कोचीन शिपयार्ड कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में कंपनी का निवेश गैर-भागीदारी शेयर है और आमतौर पर इसमें कोई वोटिंग अधिकार नहीं होता है। इसलिए कंपनी ने इस निवेश को उचित मूल्य मानते हुए अपने लेनदेन मूल्य पर किया है।

नोट 9: गैर चालू - ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य:		
(क) अन्य ऋण		
कर्मचारियों को ऋण		
संबंधित पार्टियों	-	-
अन्य	551.52	524.28
कुल	**551.52**	**524.28**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 10: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्रतिभूति जमा	129.11	143.07
पोत निर्माण वित्तीय सहायता योजना*	402.16	1,859.81
संप्राप्त किराया परिसंपत्ति	37.92	1.31
कुल	**569.19**	**2,004.19**

* विवरण के लिए नोट सं. 34 का संदर्भ लें।

प्रतिभूति जमे में भारतीय लेखा मानक 109 को भारतीय लेखा मानक 116 के साथ पढ़ने पर परिशोधित लागत पर पट्टे की भूमि के लिए भुगतान किया गया किराया जमा शामिल है

नोट 11: आयकर परिसंपत्तियां/देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
गैर चालू कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	2,946.83	6,486.87
चालू कर परिसंपत्तियां / (देयता)		
प्रावधान का अग्रिम आयकर निवल	(2,460.25)	323.10

यूसीएसएल ने उन जमाराशियों पर फॉर्म 26एएस में अपलोड की गई टीडीएस राशि का हिसाब नहीं लगाया है, जिन्हें ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) द्वारा जारी ग्रहणाधिकार चिह्न बैंक गारंटी के कारण यूसीएसएल की पुस्तकों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है

लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
चालू कर :		
चालू आयकर प्रभार	29,550.79	25,016.34
पूर्व वर्ष के संबंध में समायोजन	875.11	3,307.72
कुल (क)	**30,425.90**	**28,324.06**
आस्थगित कर :		
चालू वर्ष के संबंध में	(641.90)	441.92
कुल (ख)	**(641.90)**	**441.92**
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय (क + ख)	29,784.00	28,765.98

चालू वर्ष के लिए आयकर खर्च निम्नानुसार लेखा लाभ से मिल मिलाप किया जा सकता है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
कर पूर्व लाभ	**1,12,517.05**	**1,07,093.76**
संबंधित लागू दरों पर गणित आयकर खर्च	28,752.75	27,601.01
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य है	8,427.28	5,655.16
खर्च का प्रभाव जो कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में अनुमत है।	(7,758.64)	(7,578.04)
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर हुए खर्च का प्रभाव, कर योग्य लाभ को निर्धारित करने में काट देने योग्य नहीं है।	393.76	348.42

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
कर से छूट प्राप्त आय का प्रभाव	-	-
अनवशोषित व्यावसायिक हानि/मूल्यह्रास के संबंध में समायोजन	(296.13)	(245.56)
अन्य	31.77	(764.65)
	29,550.79	**25,016.34**
पूर्व वर्षों के चालू कर से संबंधित चालू वर्ष में पहचाने गए समायोजन	875.11	3,307.72
आस्थगित कर परिसंपत्तियों के अनुमानों में परिवर्तन के लिए समायोजन	(641.90)	441.92
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए आयकर खर्च	**29,784.00**	**28,765.98**

नोट 12: आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
आस्थगित कर दायित्व	(7,656.47)	(2,239.59)
आस्थगित कर परिसंपत्ति	18,621.27	12,665.04
कुल	**10,964.80**	**10,425.45**
हुगली- सीएसएल की आस्थगित कर देयताएं	614.76	520.62
कुल	**614.76**	**520.62**

2024-25 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(6,539.69)	(5,613.18)		(12,152.87)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2,500.61	5,529.75		8,030.36
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	258.36	(228.41)		29.95
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	(2,449.52)	(528.48)		(2,978.00)
पट्टे पर दी गई देयताएं	842.65	67.98		910.63
आगे बढाए हानि	(4,652.17)	549.60		(4,102.57)
नकदी प्रवाह हेज - समायोजन	109.14		209.30	318.44
अन्य	25.79	(419.15)	(12.62)	(405.98)
कुल	**(9,904.83)**	**(641.89)**	**196.68**	**(10,350.04)**

2023-24 के संबंध में आस्थगित कर देयता /(परिसंपत्ति)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	प्रारंभिक शेष	लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	जमा शेष
प्रावधान	(5,585.50)	(947.81)	(6.38)	(6,539.69)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3,033.55	(532.94)	-	2,500.61
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	32.67	225.69	-	258.36
पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां	(2,433.71)	(15.81)	-	(2,449.52)
पट्टे पर दी गई देयताएं	1,064.86	(222.21)	-	842.65
आगे बढाए हानि	(5,199.16)	546.99	-	(4,652.17)
नकदी प्रवाह हेज - समायोजन	-	-	109.14	109.14
अन्य	(1,362.22)	1,388.01	-	25.79
कुल	**(10,449.51)**	**441.92**	**102.76**	**(9,904.83)**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 13: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अप्रतिभूत, वसूली योग्य		
पूंजी अग्रिम	520.51	4,892.43
पूंजी अग्रिम के अलावा अग्रिम:		
प्रतिभूति जमा	289.04	312.88
अग्रिम पट्टा किराया	41.05	40.71
ढीला उपकरण	1,097.81	799.77
अनुसंधान एवं विकास पोत- पोत की लागत*		1,399.74
घटाएं : मंत्रालय /भारत सरकार को देय राशि	-	(1,015.88)
कुल	**1,948.41**	**6,429.65**

* विवरण के लिए नोट सं. 42 का संदर्भ लें।

नोट 14 : मालसूचियाँ

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
कच्चे माल और घटक	1,66,097.28	82,303.86
कार्य प्रगति पर	961.49	428.64
मार्गस्थ माल	11,388.32	17,612.61
	1,78,447.09	**1,00,345.11**
भंडार व पूर्जे	1,408.55	1,789.81
मार्गस्थ माल	8,655.08	474.48
	10,063.63	**2,264.29**
कुल*	**1,88,510.72**	**1,02,609.40**

भंडार एवं स्पेयर्स सामान्य प्रकृति के स्पेयर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा किसी विशेष परिसंपत्ति से संबंधित नहीं होते हैं।

* दिनांक 31 मार्च 2025 तक लंबित निरीक्षण सामग्री शामिल है, जो 14426.93 लाख रुपए (पिछले वर्ष 15,364.25 लाख रुपए) है।

यूसीएसएल के 11654.43 लाख रुपए मूल्य के संपूर्ण स्टॉक को बैंक से नकद ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए बंधक रखा गया है।

नोट 15 : प्राप्य व्यापार- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अप्रतिभूत		
वसूली योग्य		
वसूली योग्य व्यापार प्राप्य - अप्रतिभूत	22,903.17	30,344.98
क्रेडिट रिस्क में महत्वपूर्ण वृद्धिवाले व्यापार प्राप्य	2,569.56	12,145.76
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	(2,569.56)	(12,145.76)
व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट		-
घटाइए : प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	-	-
कुल	**22,903.17**	**30,344.98**

व्यापार प्राप्तियां सामान्य संचालन चक्र में गैर- ब्याज और प्राप्त है।

व्यापार प्राप्य में बिना बिल किए व्यापार प्राप्य शामिल है- 418.26 लाख रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	बिल देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य	418.26	-	18,682.14	1,725.78	1,890.85	186.71	22.52	22,926.26
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	71.71	31.11	2,309.10	2,411.92
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
	418.26	**-**	**18,682.14**	**1,725.78**	**1,962.56**	**217.82**	**2,466.17**	**25,472.73**
घटाव : दिनांक 31.03.2025 को ईसीएल प्रावधान								2,569.56
दिनांक 31.03.2025 को व्यापार प्राप्य								**22,903.17**

दिनांक 31.03.2024 को व्यापार प्राप्य एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

विवरण	बिल रहित व्यापार प्राप्य	बिल देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया कुल					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – विचारयोग्य	-	-	20,246.41	4,985.64	2,397.05	2,733.08	2.59	30,364.77
(ii) अविवादित व्यापार प्राप्तियां – जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	111.12	476.18	2,525.07	3,112.37
(iii) अविवादित व्यापार प्राप्य – भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - विचारयोग्य	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादित व्यापार प्राप्तियां -जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	27.91	8,985.69	9,013.60
(vi) विवादित व्यापार प्राप्य - भ्रष्ट क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**20,246.41**	**4,985.64**	**2,508.17**	**3,237.17**	**11,513.35**	**42,490.74**
घटाव : दिनांक 31.03.2024 को ईसीएल प्रावधान								12,145.76
दिनांक 31.03.2024 को व्यापार प्राप्य								**30,344.98**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अपेक्षित क्रेडिट हानि भत्ते में गतिविधि

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्रारंभिक शेष	12,145.76	11,030.93
जोडिए: वर्ष के दौरान परिवर्धन	634.86	1,594.87
घटाइए: वर्ष के दौरान उत्क्रमण/निकासी	10,211.06	480.04
जमा शेष	2,569.56	12,145.76

नोट 16: रोकड और रोकड तुल्यांक

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
हाथ में रोकड		
बैंक शेष		
चालू खाते में	1,617.12	951.82
आईपीओ आय में से चालू खाते में		-
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि	30,050.00	29,689.48
आईपीओ आय में से तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि		-
आईपीओ के उद्देश्यों के लिए निर्धारित तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा राशि		-
कुल	31,667.12	30,641.30

प्रमुख स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पहल निधि के लिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। सीएसएल के स्टार्ट-अप एंगेजमेंट नीति फ्रेमवर्क के तहत "उषस" परियोजना को 5000 लाख रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता के लिए बोर्ड की मंजूरी भी दी गई है।

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्ववर्ती टेबमा शिपयार्ड) के अधिग्रहण के लिए मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के अनुसार, स्वीकृत समाधान योजना के तहत बोली राशि बैंकों को भुगतान कर दी गई है और पूर्ववर्ती मेसर्स टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड को दी गई ऋण सुविधाओं के संबंध में बनाए गए या मौजूद रहनेवाले सभी प्रतिभूति शुल्क, भार, समाधान योजना के अनुसार मुक्त हो गए हैं। परिणामस्वरूप बैंक गारंटी समाप्त हो जाती है और मार्जिन मनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जारी कर दी जाएगी। हालांकि, मार्जिन मनी (कुल मिलाकर लगभग 351.12. लाख रुपए) अभी तक बैंकों द्वारा यूसीएसएल को जारी नहीं की गई है, क्योंकि वे इसे पहले जारी की गई बैंक गारंटियों के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में रखते हैं, जिस पर यूसीएसएल द्वारा विवाद किया गया है। इसलिए विवेकपूर्ण आधार पर, यूसीएसएल केवल उस अवधि में सावधि जमा, ब्याज आय और ब्याज आय के टीडीएस हिस्से को मान्यता देगा, जिसमें बैंक वास्तव में मार्जिन मनी जमा जारी करते हैं। तदनुसार, उपरोक्त राशि उपरोक्त में शामिल नहीं है।

नोट 17: रोकड और रोकड तुल्यांक के अलावा बैंक शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली ग्रहणाधिकार चिह्नित सावधि जमाराशि*	2,030.72	46,103.75
तीन महीने से ज्यादा और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता के साथ बैंकों में आवधि जमा	-	22,094.07
भारतीय नौसेना की ओर से **	2,68,583.42	2,76,092.29
यूटीएलए की ओर से रखी गई शेष राशि ***	77.04	432.68
अं. व नि. की ओर से शेष ***	155.24	1,897.80
आईडब्ल्यूएआई की ओर से चालू खाता ****	2.82	1,046.23
आईडब्ल्यूएआई की ओर से सावधि जमा ****	6,798.00	900.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा और आईपीओ के साधनों के लिए निर्धारित की आय से 12 महीने से कम	-	7,050.00
बैंकों में 12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशि (बैलेंस शीट की तिथि से 12 महीने की परिपक्वता अवधि वाली)	1,755.00	-
बैंकों में 3 महीने से अधिक और 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमाराशि	0.99	-
निर्धारित शेष राशि (अवैतनिक लाभांश खाता)	191.87	142.43
कुल	**2,79,595.10**	**3,55,759.25**

* ग्रहणाधिकार चिन्हित सावधि जमा उन जमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें कंपनी को दी गई गैर-निधि आधारित क्रेडिट सुविधाओं के लिए नकद मार्जिन बनाए रखने के लिए भारतीय स्टेट बैंक और आईडीबीआई के पक्ष में ग्रहणाधिकार चिन्हित किया जाता है और ₹ 113.57 लाख (पिछले वर्ष ₹ 106.87 लाख) का ग्रहणाधिकार केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पक्ष में अंकित किया गया।

** स्वदेशी वायुयान वाहक के निर्माण और अगली पीढी के मिसाइल जलयानों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना द्वारा जमा की गई धनराशि एक अलग खाते में रखी जाती है। इसमें संबंधित खातों से बनाए गए ₹ 2,68,075.81 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉजिट शामिल हैं।

*** यूटीएलए और अंडमान व निकोबार खाते द्वारा जमा की गई निधि में क्रमशः ₹ 50 लाख और ₹ 130 लाख के स्वीप-इन टर्म-डिपॉज़िट शामिल हैं।

**** पांडु परियोजना के लिए निर्धारित, आईडब्ल्यूएआई से प्राप्त तथा पृथक खाते में रखा गया।

नोट 18 : चालू ऋण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31,2024 को
अप्रतिभूत, वसूलीयोग्य		
कर्मचारी अग्रिम		
संबंधित पार्टियों	0.18	-
अन्य	130.92	115.11
कुल	**131.10**	**115.11**

क्रेडिट जोखिम या क्रेडिट हानि में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।

नोट 19: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31,2024 को
बैंक जमे पर अर्जित ब्याज	6,482.42	9,429.28
कर्मचारी अग्रिमों पर अर्जित ब्याज		
संबंधित पार्टियां		
अन्य	162.41	124.75
एफडी 12 महीने से अधिक	-	700.00
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	16,519.63	3,342.77
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न परिसंपत्तियां	3,880.05	1,594.93
कुल	**27,044.51**	**15,191.73**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 20: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अप्रतिभूत अग्रिम		
पूंजी अग्रिमों के अलावा अग्रिम		
संबंधित पार्टियों को अग्रिम		
अन्य अग्रिम	1,81,470.50	1,59,871.50
अग्रिम- वसूली संदिग्ध	0.07	0.07
	1,81,470.57	**1,59,871.57**
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.07	0.07
	1,81,470.50	**1,59,871.50**
अन्य		
आईएसी कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां *	-	24,765.33
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध परिसंपत्तियां	92,482.86	51,246.30
अप्रयुक्त स्टॉक	316.79	281.41
कम: अप्रचलन के लिए प्रावधान	(316.79)	(281.41)
राजस्व अधिकारियों के साथ संतुलन	1,721.31	1,167.99
विविध जमाराशियां	77.34	84.34
पूर्वदत्त व्यय	1,814.40	2,526.36
अन्य प्राप्य **	31.95	31.95
जीएसटी पर इनपुट कर क्रेडिट	1,34,386.35	83,885.69
चिकित्सा बीमा प्रीमियम	2,635.97	1,984.50
विविध चालू परिसंपत्तियां ***	2,180.54	1,447.01
कुल	**4,16,801.22**	**3,27,010.97**

* नोट सं. 32 का संदर्भ लें।

** अन्य प्राप्य राशि, बहिष्कृत पोतों के रखरखाव के लिए किए गए खर्चों के लिए ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) से वसूली जाने वाली राशि को दर्शाती है। उक्त राशि में समाधान पेशेवर द्वारा रखे गए सीआईआरपी खाते से उपयोग किए गए धन के साथ-साथ कंपनी के खाते से उपयोग किए गए धन शामिल हैं। कंपनी ने सीओसी को शेष राशि की वसूली के लिए डेबिट नोट जारी किया है, लेकिन अभी तक भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। ऋणदाताओं की समिति से कोई शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। विविध जमाराशियाँ व्यवसाय के सामान्य क्रम में रखी गई बयाना राशि जमा/प्रतिभूति जमा को दर्शाती हैं।

*** निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है जिसमें यह खर्च किया जाता है, सिवाय उस सीमा के जब कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (5) के साथ कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम, 2021 के अनुसार भविष्य के वर्षों में समायोजन के लिए न्यूनतम आवश्यक सीएसआर व्यय से अधिक किसी भी राशि को आगे ले जाने का निर्णय लेती है और ऐसी अतिरिक्त राशि को विविध चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

एचसीएसएल में, पांडु-गुवाहाटी में पांडु परियोजना-पोत मरम्मत सुविधा इकाई के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से जमा आधार पर प्राप्त निधि को 31.03.2025 तक पांडु परियोजना पर व्यय की गई राशि 10559.94 लाख रुपए के साथ समायोजित किया गया है।

नोट 21: इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को		मार्च 31, 2024 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
प्राधिकृत				
प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्ण रूप से प्रदत्त				
प्रदत्त प्रत्येक इक्विटी शेयर का मूल्य ₹ 5/-	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
कुल	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

21.1 शेयरों की संख्या और बकाया राशि का समन्वय

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को		मार्च 31, 2024 को	
	संख्या	₹ लाखों में	संख्या	₹ लाखों में
वर्ष के आरंभ में बकाया इक्विटी शेयर	263080780	13,154.04	131540390	13,154.04
जोड़: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	(131540390)	-
जोड़: वर्ष के दौरान विभाजन पर जारी किए गए 5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर (नीचे नोट देखे)	-	-	263080780	-
कम: वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयर	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

इक्विटी शेयर से जुडी शर्तें व अधिकार: कंपनी को ₹ 5 प्रति शेयर के प्रत्यक्ष मूल्य के इक्विटी शेयरों के केवल एक श्रेणी है जो पूर्ण रूप से प्रदत्त है। इक्विटी शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए योग्य है और जब कभी कंपनी घोषित करने पर लाभांश के लिए भी हकदार है। जब कभी बोर्ड द्वारा घोषित करने पर अंतरिम लाभांश अदा किया जाता है। वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड के निदेशकों द्वारा प्रस्तावित/ घोषित लाभांश शेयरधारकों के अनुमोदन/नियमितीकरण मिलने के बाद अदा किया जाएगा। भुगतान के समय, इक्विटी शेयरधारक अपने शेयर पूंजी के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी के शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए योग्य हैं।

उप विभाग एवं अन्य जानकारी :

दिनांक 10 जनवरी 2024 को कंपनी ने 10 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले प्रत्येक 1 इक्विटी शेयर को 5 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्यवाले दो इक्विटी शेयरों मं उप-विभाजित किया।

अक्तूबर 2024 में, भारत सरकार ने लागू सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में रखे गए अपने 19,16,86,928 (72.86%) इक्विटी शेयरों में से 1,30,15,689 (4.95%) इक्विटी शेयर बेचे। नतीजतन, दिनांक 31 मार्च 2025 तक कंपनी में भारत सरकार की हिस्सेदारी 17,86,71,239 (67.91%) इक्विटी शेयर है।

21.2 कंपनी में 5% ज्यादा शेयर पूंजी के शेयरधारको का विवरण

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को		मार्च 31, 2024 को	
	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %	शेयर की संख्या	होल्डिंग का %
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	191686928	72.86

21.3 वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% वर्ष के दौरान परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति	178671239	67.91	4.95

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 22: अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
पूंजी आरक्षण	7,024.25	7,024.25
पूंजी मोचन आरक्षण	12,353.76	12,353.76
प्रतिभूति प्रीमियम	93,151.89	93,151.90
सामान्य आरक्षण	6,322.75	6,322.75
नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व	45.63	(593.75)
प्रतिधारित कमाई	4,25,873.71	3,68,920.72
कुल	**5,44,771.99**	**4,87,179.63**

अन्य इक्विटी में प्रत्येक मद का मूवमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी में विस्तृत होता है।

पूंजी आरक्षित निधि: पूंजी निधि में कंपनी की जमीन के माध्यम से नल तंत्र लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से प्राप्त ₹ 263.56 लाख रुपए बहाली शुल्क शामिल है। इसमें सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड) के अधिग्रहण पर 6696.04 लाख रुपए का लाभ और सहायक कंपनी मेसर्स हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के गैर-नियंत्रित हित के अधिग्रहण पर 64.65 लाख रुपये का लाभ भी शामिल है।

कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व: ₹ 12353.76 रुपए के कैपिटल रिडेम्पशन रिज़र्व में ₹ 11914.20 लाख शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिकता वाले शेयरों के मोचन पर बनाया जा रहा है और ₹ 439.56 लाख वापस खरीदे गए शेयरों के मामूली मूल्य के बराबर राशि है, जिसका उपयोग कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

प्रतिभूति प्रीमियम: सीधे क्रम के आधार बांड की अवधि पर कर मुक्त बांड के प्रीमियम पर परिशोधन किया है। कंपनी ने वर्ष 2017-18 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) पूरा कर लिया था और प्रीमियम (₹ 93929.76 लाख) पर प्रत्येक ₹10 के 22656000 इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं। भारतीय लेखाकरण मानक 32- वित्तीय उपकरण की आवश्यकताओं के अनुसार 777.93 लाख के शेयरों के ऐसे आबंटन की ओर आस्थगित कर समायोजन का निवल व्यय को प्रतिभूति प्रीमियम में डेबिट किया गया है।

सामान्य आरक्षित निधि: सामान्य आरक्षित निधि मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 (1) की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए बनाया गया है। यह एक मुफ्त आरक्षित निधि है और किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है जैसे बोनस शेयर जारी करना, लाभांश का भुगतान, शेयरों को वापस खरीदना आदि। कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने पहले के वर्षों में एक सामान्य आरक्षित निधि बनाया जहां लाभांश घोषित करने से पहले मुनाफे के कुछ प्रतिशत को सामान्य रिज़र्व में अंतरित करना आवश्यक था। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, लाभ को सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित करने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है।

नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व: नकदी प्रवाह हेड्ज रिजर्व अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त नामित हेड्जिंग उप करणों के उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। (नोट संख्या 47 देखें।)

अंतरिम लाभांश: वर्ष के दौरान, कंपनी ने 5 रुपए अंकित मूल्य के 4.00 रुपए प्रति इक्विटी शेयर और 5/- रुपए के अंकित मूल्य के 3.5/- रुपए प्रति इक्विटी शेयर के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया, जैसा कि दिनांक 7 नवंबर 2024 और फरवरी 06,2025 को आयोजित बोर्ड बैठक में सिफारिश की गई थी।

प्रस्तावित लाभांश: कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 31 मार्च 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक में मई 15, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ₹ 5 अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 2.25/- का लाभांश सिफारिश की है। यह वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन/ नियमन के अधीन है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 23: उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
बांड- (प्रतिभूत)	-	
परिशोधन लागत पर		
कर मुक्त प्रतिभूत विमोचन गैर परिवर्तनीय बांड- श्रेणी 2013-14	2,302.20	2,302.20
कुल	**2,302.20**	**2,302.20**

कर मुक्त आधारिक संरचना बांड श्रेणी 2013-14

क) वित्तांश 1: प्रतिवर्ष देय 8.51% के ब्याज दर के साथ कुल 10000 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 1000 बांड दि. 2 दिसंबर 2023 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ख) वित्तांश 2: प्रतिवर्ष देय 8.72% के ब्याज दर के साथ कुल 2300 लाख रु. के 10 लाख रु. के अंकित मूल्य के 230 बांड दि. 28 मार्च 2029 को मोचन के लिए समतूल्य पर प्रतिदेय है।

ये बांड कंपनी के भू- संपत्ति के खिलाफ प्रतिभूत हैं। सर्वे सं. 713/11 में 34.30 एकड से 197.12 एकड (487.00 सेंट), सर्वे सं. 713/12 में 23.57 एकड, सर्वे सं. 713/13 में 59.12 एकड, सर्वे सं. 714/06 में 50.18 एकड, सर्वे सं. 714/2 में 10.12 एकड, सर्वे सं. 714/4 में 8.90 एकड और सर्वे सं. 714/5 में 10.93 एकड एलमकुलम ग्राम, कणयन्नूर तालुक, एर्णाकुलम जिले, केरल के समीप पडे है।

उपयोगिता : प्राप्त 12300 लाख रु. के मुद्दे आय में से, कंपनी ने अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा योजना पर हुए विविध खर्च की राशि उपयोग/ समायोजित किया।

उधार की वित्तीय देयताओं की कैरियिंग राशियों और उचित मूल्यों के बीच भिन्नता प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष में महत्वपूर्ण नहीं है।

नोट 24: पट्टा देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
पट्टा देयताएं- भारतीय लेखा मानक 116	46,013.72	44,925.88
कुल	**46,013.72**	**44,925.88**

नोट 25: अन्य वित्तीय देयताएं- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्रतिभूति जमा	19.99	18.27
कुल	**19.99**	**18.27**

प्रचालन पट्टे पर दिए गए जलयान के विरुद्ध प्राप्त किराया जमा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार परिशोधित लागत पर प्रकट किया गया – वित्तीय साधन

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 26: प्रावधान- गैर चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - अनुपस्थिति का मुआवजा (नोट 39 का संदर्भ लें)	5,124.67	4,302.61
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	204.65	186.32
कुल	**5,329.32**	**4,488.93**

नोट 27: अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
सरकारी सहायता से उत्पन्न स्थायी आय	5.72	6.87
अग्रिम पट्टा किराया	2.36	4.13
कुल	**8.08**	**11.00**

नोट 28: उधार

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्रतिभूत		
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	4,599.11	-
कुल	**4,599.11**	**-**

यूसीएसएल ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई से क्रमशः 9.05% और 9.20% / वर्ष की ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा (7500 लाख रुपये की स्वीकृति सीमा) का लाभ उठाया है। यूसीएसएल की इन्वेंट्री और प्राप्य सहित चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा ऋण सुविधा सुरक्षित है।

पुनर्भुगतान की शर्तें: वार्षिक समीक्षा / नवीकरण के अधीन मांग पर पुनर्भुगतान योग्य चालू खाता है। दिनांक 31.03.2025 तक यूसीएसएल द्वारा प्राप्त नकद ऋण सुविधा 4344.04 लाख रुपये है।

एचसीएसएल ने एसबीआई से 8.90% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर नकद ऋण सुविधा (8000 लाख रुपए की स्वीकृति सीमा) का लाभ उठाया है। एचसीएसएल की इन्वेंट्री और प्राप्तियों सहित चालू परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा ऋण सुविधा सुरक्षित है।

पुनर्भुगतान की शर्तें: चालू खाता वार्षिक समीक्षा/नवीनीकरण के अधीन मांग पर पुनर्भुगतान योग्य है।

एचसीएसएल द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक प्राप्त नकद ऋण सुविधा 255.07 लाख रुपए है।

नोट 29: पट्टा देयताएं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन पट्टा देयताएं	3,125.68	2,991.88
कुल	**3,125.68**	**2,991.88**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 30: व्यापार देय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
व्यापार देय (अप्रतिभूत)		
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के बकाया	10,461.36	8,879.21
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के बकाया	39,676.98	37,632.80
कुल	**50,138.34**	**46,512.01**

पांडु परियोजना-पांडु-गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा इकाई के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) से जमा आधार पर प्राप्त धनराशि को दिनांक 31.03.2025 तक पांडु परियोजना पर व्यय की गई राशि 10559.94 लाख रुपए के साथ समायोजित किया गया है।

इस हद तक, कंपनी को विक्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई है, व्यापार भुगतान का विवरण निम्नानुसार प्रदान किया गया है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को अवैतनिक शेष राशि;		
मूल धन	10,461.36	8,879.21
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ ;सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 के 27) की धारा 16 के संदर्भ में खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि।		
भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो भुगतान किया गया है (वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना;	-	-
प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष बकाया राशि पर ब्याज की राशि	-	-
सफल वर्षों में देय और देय शेष राशि , जब तक कि ऐसी तारीख जब तक कि ब्याज की बकाया राशि वास्तव में लघु उद्यम को भुगतान न हो जो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006; धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के निपटान के उद्देश्य से है,	-	-

दिनांक 31.03.2025 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	देय नही	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	10,461.36	-	-	-	-	10,461.36
(ii) अन्य	34,669.24	4,934.11	73.63	-	-	39,676.98
(iii)विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv)विवादग्रस्त बकाया- अन्य	-	-	-	-	-	-
बिल रहित लेनदार						-
कुल	**45,130.60**	**4,934.11**	**73.63**	**-**	**-**	**50,138.34**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2024 को व्यापार देय एजिंग अनुसूची

(₹ लाखों में)

ब्योरा	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				कुल
		एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 साल से अधिक	
(i) एमएसएमई	8,787.28	91.93				8,879.21
(ii) अन्य	33,626.83	3,979.19	17.03		9.75	37,632.80
(iii)विवादग्रस्त बकाया- एमएसएमई		-	-	-	-	-
(iv)विवादग्रस्त बकाया- अन्य		-	-	-	-	-
कुल	**42,414.11**	**4,071.12**	**17.03**	**-**	**9.75**	**46,512.01**

नोट 31: अन्य वित्तीय देयताएं- चालू

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अवैतनिक लाभांश	191.87	142.43
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न देयताएं	3,808.64	2,388.81
अन्य		
प्रतिभूति और अन्य जमा	4,605.30	2,422.86
पट्टादाता को देय लाभ का हिस्सा	834.50	202.13
अन्य देय	13,747.29	13,099.37
कुल	**23,187.60**	**18,255.60**

अन्य देय राशियों में ऋणदाताओं की समिति को देय 1253.84 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1253.84 लाख रुपए) शामिल हैं, अर्थात पोत निर्माण सब्सिडी योजना के तहत मंत्रालय से प्राप्त सब्सिडी। ऋणदाताओं की समिति से कोई शेष राशि की पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

नोट 32: अन्य वर्तमान देनदारियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
स्वदेशी वायुयान वाहक कार्यों के लिए अनुबंध देयता (निवल)*	32,746.10	-
आईएसी व्यापार देयताएं**	8,184.24	11,184.64
अन्य कार्यों के लिए अनुबंध देयता	4,72,382.06	4,96,202.62
पोत निर्माण, पोत मरम्मत और अन्य ठेको के लिए अग्रिम	21,637.22	9,609.09
अग्रिम के रूप में प्राप्त आय	3,451.97	1,259.55
सांविधिक देय	3,149.24	2,725.75
सरकारी सहायता से उत्पन्न होने वाली स्थाई आय	1.14	1.14
कुल	**5,41,551.97**	**5,20,982.79**

* कंपनी ने भारतीय नौसेना से प्राप्त निधियों में से बुनियादी ढांचे की सुविधा बढाने के लिए दिनांक 31 मार्च 2025 तक 40690.02 लाख रुपए (दिनांक 31 मार्च 2024 तक 40,057.28 लाख रुपए) खर्च किए हैं। उक्त निधियों से बनाई गई परिसंपत्तियों का स्वामित्व भारतीय नौसेना के पास है।

भारतीय नौसेना की ओर से कंपनी के पास रखे गए आईएसी अनुबंध के लागत प्लस भाग के तहत खरीदे गए कच्चे माल और खरीदे गए घटकों का स्टॉक ₹ 4956.42 लाख (पिछले वर्ष ₹ 5601.25 लाख) है, जिसे स्वदेशी वायुयान वाहक के लिए भारतीय नौसेना से प्राप्त अग्रिम राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने आईएसी पी-71 के निर्माण के अनुबंध के अनुसार स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी पी-71) को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। कंपनी ने अनुबंध के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने पर 1915000 लाख रुपए का चालान जारी किया है। निर्माण अनुबंध के अनुसार कार्य का शेष दायरा बाद में पूरा किया जाएगा।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी ने आईएसी परियोजना पी-71 के विरुद्ध दिनांक 31.03.2025 तक 18,99,557.25 लाख रुपए की सीमा तक राजस्व मान्यता प्राप्त की है और शेष राजस्व आईएसी पी-71 के निर्माण अनुबंध के अनुसार प्रदर्शन दायित्वों को प्राप्त करने पर मान्यता प्राप्त होगी। परियोजना पर अब तक मान्यता प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25 लाख रुपए में	वित्त वर्ष 2023-24 लाख रुपए में
वर्ष की शुरुआत में मान्यता प्राप्त राजस्व	18,61,114.01	17,40,844.14
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व	38,443.24	1,20,269.87
वर्ष के अंत में आईएसी पी-71 पर मान्यता प्राप्त कुल राजस्व	18,99,557.25	18,61,114.01

भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व" पर नोट संख्या 45 देखें

**आईएसी व्यापार देय राशि में एमएसएमई विक्रेताओं को देय 1351.93 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 2072.12 लाख रुपए) शामिल हैं, जो दिनांक 31 मार्च 2025 तक देय नहीं है।

नोट 33: चालू प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान		
उपदान	808.19	459.97
अनुपस्थिति का मुआवजा (संदर्भ : नोट सं. 39)	452.36	363.42
	1,260.55	**823.39**
अन्य प्रावधान		
कर और शुल्कों के लिए	2,682.22	2,672.32
पोत निर्माण घटाने के लिए	17,119.00	6,363.00
व्यय/ आकस्मिकों के लिए *	81,583.91	53,020.97
	1,01,385.13	**62,056.29**
कुल	**1,02,645.68**	**62,879.68**

व्यय/आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान

समाधान योजना के अनुसार सुविधा को चालू करने के लिए आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए, दिनांक 31/3/2020 तक यूसीएसएल की बहियों में 1250 लाख रुपए की आकस्मिकता का प्रावधान किया गया है। वर्ष के दौरान, यूसीएसएल ने शून्य रुपए (पिछले वर्ष 156.64 लाख रुपए) की राशि समायोजित की है और शेष राशि की समीक्षा की गई है और उसे बरकरार रखा गया है।

33.1 प्रावधानों के गतिविधियों के विवरण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	01.04.2024 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2025 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	459.97	808.04	399.76	60.06	808.19
क्षतिपूरण अवधि	363.42	88.94	-	-	452.36
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	6,363.00	11,297.00	-	541.00	17,119.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	53,020.97	1,26,069.08	94,858.37	2,647.77	81,583.91

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2023 को	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	अवधि के दौरान उपयोग राशि	अवधि के दौरान अप्रयुक्त राशि बदलना	31.03.2024 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - उपदान	530.54	607.54	501.50	176.61	459.97
क्षतिपूरण अवधि	275.69	87.86	0.13	-	363.42
कर और शुल्कों के लिए प्रावधान	2,668.99	3.33	-	-	2,672.32
पोत निर्माण हानि के लिए प्रावधान	5,465.00	2,014.00	-	1,116.00	6,363.00
व्यय / आकस्मिकों के लिए प्रावधान	30,066.72	2,14,143.06	1,89,780.27	1,408.54	53,020.97

नोट 34 : प्रचालन से आय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
उत्पादों की बिक्री		
पोत निर्माण:		
देशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24	1,20,271.77
देशी वायुयान वाहक को छोडकर अन्य यानें	2,37,177.93	1,55,460.79
सी-एसएएस से आय	1,143.03	686.90
बीएंडडी स्पेयर्स से आय	3,553.98	-
	2,80,318.18	**2,76,419.46**
सेवाओं की बिक्री		
पोत मरम्मत	1,83,455.74	98,681.23
सेवाओं से आय	168.10	
	1,83,623.84	**98,681.23**
अन्य परिचालन राजस्व		
स्टॉक मदों की बिक्री	337.01	123.43
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	13,854.70	5,302.36
रद्दी माल की बिक्री	1,219.66	943.00
परामर्श आय	1,027.15	-
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	1,575.94
	18,053.86	**7,944.73**
कुल	**4,81,995.88**	**3,83,045.42**

1. राजस्व की पहचान तब की जाती है जब कंपनी वादा किए गए सामान और सेवाओं को ग्राहक को समय-समय पर हस्तांतरित करके प्रदर्शन दायित्वों को पूरा करती है। इसके लिए आउटपुट पद्धति का उपयोग किया जाता है, जो आज तक पूरे किए गए भौतिक प्रदर्शन के माप पर आधारित होती है। आउटपुट पद्धति कंपनी के प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि के लिए कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है और कंपनी के प्रयासों की एक स्पष्ट तस्वीर देती है और इसलिए इसे आज तक पूरे किए गए प्रदर्शन को दर्शाने के लिए अपनाया जा रहा है।

2. भारतीय लेखा मानक 115 पर नोट सं. 45 का संदर्भ लें : 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

3. प्रचालन से राजस्व में से, 72,826.99 लाख रुपए (पिछले वर्ष में 26135.62 लाख रुपए) निर्यात आदेशों से राजस्व से संबंधित हैं।

4. ग्रूप ने दिनांक 13 मई 2020 को कोविड-19 और भारत सरकार के परिपत्र के कारण लॉकडाइन अवधि पर विचार किया है, जो कभी भी परियोजनाओं पर लागू होता है और केरल बाढ प्राकृतिक आपदा 2018 को प्रचालन से राजस्व की गणना करते समय परिसमाप्त नुकसान की गुणना के लिए अप्रत्याशित अवधि के रूप में माना जाता है।

5. कंपनी दो 1200 यात्री जलयानों (यार्ड संख्या एसएच 0023 और एसएच 0024) के निर्माण के लिए अंडमान व निकोबार प्रशासन के साथ पोत निर्माण अनुबंध निष्पादित कर रही है। अनुबंध की सुपुर्दगी की तिथि, जिसे बढा दिया गया है, दोनों पोतों के लिए एसएच 0023 के लिए 29 अप्रैल 2023 और एसएच 0024 के लिए 30 अक्तूबर 2023 को समाप्त हो गई है।

   दोनों जलयानों को अंडमान द्वीप समूह और मुख्य भूमि के बीच विशिष्ट संचालन के लिए अनुकूलित और डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अंडमान और निकोबार प्रशासन के अनुरोध के आधार पर, कंपनी ने सुपुर्दगी गतिविधि को रोक दिया है, क्योंकि प्रशासन ने अन्य संभावित खरीदारों को जलयानों का पुनः आबंटन करने की मांग की है। हालांकि, इस तरह के पुनः आबंटन के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी संशोधनों और लागत की आवश्यकता होगी, और जलयानों को, उनकी वर्तमान स्थिति में, कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं माना जाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

यह देखते हुए कि कंपनी के पास अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक वैध और लागू करने योग्य अनुबंध जारी है, और अनुबंध का कोई वर्तमान पारस्परिक समाप्ति या नवीकरण नहीं है, खरीदार के अनुरोध पर विलंबित सुपुर्दगी के कारण एसएच 0023 और एसएच 0024 के लिए क्रमशः 29 अप्रैल 2023 और 30 अक्तूबर 2023 से आगे एलडी के लिए कोई अतिरिक्त प्रावधान मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार और विवेक पूर्ण अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने उपर्युक्त तिथियों तक परिसमाप्त क्षति के लिए प्रावधान को मान्यता दी है।

कंपनी इस अनुबंध से संबंधित घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है तथा आगामी अवधि में अधिक जानकारी उपलब्ध होने पर अपने लेखांकन अनुमानों और प्रावधान आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी।

दिनांक 31.03.2025 तक दोनों जलयानों के लिए पूर्णता का संचयी प्रतिशत एसएच.0023 के लिए 54.84 प्रतिशत और एसएच.0024 के लिए 55.19 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक एसएच.0023 के लिए कुल परिसमाप्त क्षति 11814.08 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 9756.34 लाख रुपये है। परिसमाप्त क्षति पर विचार करने के बाद कंपनी ने दिनांक 31.03.2025 तक एसएच.0023 के लिए 16943.66 लाख रुपये और एसएच.0024 के लिए 17156.89 लाख रुपये का राजस्व मान्यता दी है।

6. भारत सरकार देशीय पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता (एसबीएफए) प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य जलयानों के निर्माण में होने वाली लागत की भरपाई करना है, न कि किसी प्रचालन घाटे के लिए। एसबीएफए नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय सहायता केवल उन जलयानों के लिए उपलब्ध है जो निर्धारित अवधि के भीतर निर्मित और वितरित किए जाते हैं और नौवहन महानिदेशालय से प्राप्त सैद्धांतिक अनुमोदन के अंतर्गत आते हैं। कंपनी पात्र जलयानों के निर्माण की अवधि के दौरान एसबीएफए आय को लागत के अनुपात में मान्यता देती है, बशर्ते कि नीति के तहत शर्तें पूरी हों या पूरी होने की उचित उम्मीद हो।

जहाँ किसी भी नीतिगत शर्त के अनुपालन के बारे में अनिश्चितता है, जैसे कि निर्माण में देरी या सुपुर्दगी की समयसीमा जिसके परिणामस्वरूप पात्रता मानदंड पूरा नहीं हो पाता है, तो कंपनी या तो एसबीएफए आय को मान्यता नहीं देती है या पहले से मान्यता प्राप्त आय को मान्यता नहीं देती है, जैसा कि उचित हो। ऐसी आकस्मिकताओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और संशोधित अपेक्षाओं को दर्शाने के लिए आवश्यक लेखांकन समायोजन किए जाते हैं।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, कोविड महामारी से प्रभावित जलयानों की सुपुर्दगी के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किए गए संशोधन के आधार पर, कंपनी ने चालू वर्ष के लिए आय के रूप में वितरित जलयानों के संबंध में 822.29 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि को फिर से मान्यता दी है। सरकार को पुनः मान्यता प्राप्त 822.29 लाख रुपये के दावे में से, कंपनी ने 404.03 लाख रुपये वसूल किए हैं और 418.26 लाख रुपये की शेष राशि अभी वसूल की जानी है।

निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में, कंपनी ने जलयानों के निर्माण में कंपनी द्वारा किए गए खर्च की भरपाई के लिए भारत सरकार से पोत निर्माण वित्तीय सहायता के लिए 13922.42 लाख रुपये की वित्तीय सहायता आय को मान्यता दी है। इसके अलावा, कंपनी ने जलयानों की अपेक्षित सुपुर्दगी तिथियों में संशोधन के कारण 890.01 लाख रुपये वापस कर दिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप एसबीएफए नीति के तहत निर्धारित शर्तों की पूर्ति नहीं हुई। रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, वित्तीय सहायता के खाते में 16921.79 लाख रुपये की संचयी आय अर्जित हुई है, जो समय-समय पर संशोधित पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) के दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।

7. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने पोर्ट ब्लेयर में मराइन डॉकयार्ड में अपना प्रचालन शुरू करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ एक समझौता किया है, जो वर्तमान में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सीधे संचालित किया जा रहा है। इस समझौते के आधार पर आनुपातिक आधार पर प्रबंधन शुल्क का हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन शुल्क के अलावा, मराइन डॉकयार्ड के लिए विस्तार और आधुनिकीकरण योजना से संबंधित डीपीआर की तैयारी में तकनीकी सहायता के लिए परामर्श शुल्क भी अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौते के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। दिनांक 28 नवंबर 2019 को हस्ताक्षरित इस समझौते के दायरे में, सीएसएल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोत मरम्मत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने में प्रशासन की सहायता करेगा। सीएसएल द्वीप समूह में स्थित प्रशासन और तकनीकी संस्थानों के परामर्श से द्वीपों में कौशल विकास की दिशा में प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

8. एचसीएसएल ने वित्त वर्ष 2024-25 में लागत पूर्णता पद्धति के प्रतिशत के आधार पर पांडु पोत मरम्मत सुविधा (एजेंसी शुल्क) के लिए राजस्व को मान्यता दी है।

9. सीएजी लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में प्रकटीकरण

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर भारतीय लेखा मानक 115 द्वारा निर्धारित आउटपुट पद्धति के अंतर्गत अपने निष्पादन दायित्व के मापन की प्रगति का पुनर्मूल्यांकन करता है। वर्ष के दौरान, समूह ने पाया कि भारतीय लेखा मानक 21 के अनुप्रयोग पर, विद्यमान मापन के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित निर्यात अनुबंधों के मामले में राजस्व के विश्वसनीय प्रतिनिधित्व में भिन्नताएँ आईं। इसी समस्या के समाधान हेतु, समूह ने उक्त अनुबंधों के लिए अपने परिमाणीकरण दृष्टिकोण को परिष्कृत किया। राजस्व की पहचान, समूह द्वारा प्राप्त कुल लेनदेन मूल्य पर भौतिक पूर्णता प्रतिशत लागू करके, सामग्री और सेवा भागों के बीच विभाजन किए बिना की जाती है। चालू वर्ष में परिमाणीकरण मापन में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिचालन से राजस्व में लगभग 11808.65 लाख रुपए रुपए की वृद्धि हुई है। समूह समान निष्पादन दायित्वों वाले अनुबंधों के लिए राजस्व की पहचान करने में इस मापन तकनीक को निरंतर अपनाने का इरादा रखता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 35: अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रशिक्षण सुविधाएं	663.79	501.57
रद्दी माल और भंडार से आय	519.57	147.94
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर लाभ	23.90	13.25
प्रयोगशाला सेवाओं से आय	15.53	23.00
किराए से आय	241.85	253.30
भाडा प्रभार	90.00	60.00
बैंक जमाओं पर ब्याज	19,258.45	23,220.58
अन्यों से ब्याज	522.72	834.13
म्युचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	72.78	7.49
सोसाइटी से लाभांश आय	0.54	0.54
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर निवल लाभ	1,405.58	2,004.65
प्रावधान की आवश्यकता नहीं है	14,054.34	2,426.41
विविध आय*	2,037.45	1,525.23
कुल	**38,906.50**	**31,018.09**

* विविध आय में कंपनी के अंतर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना संबंधी सहायधन के रूप में ₹ 1.14 लाख की आस्थगित सरकारी सहायता शामिल है। वही भारतीय लेखा मानक 20-सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण की अपेक्षाओं के अनुसार गणना की गई हैं।

समूह उन जमाराशियों पर फॉर्म 26 एएस में अपलोड की गई ब्याज राशि का हिसाब नहीं रख रहा है, जिन्हें एनसीएलटी आदेश से पहले ग्रहणाधिकार के कारण यूसीएसएल की बहियों में सावधि जमा के रूप में नहीं लिया गया है।

अन्य प्राप्त ब्याज में न्यायालय के आदेश के विरुद्ध चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त 283.76 लाख रुपए शामिल हैं।

नोट 36: उपभुक्त सामग्रियों का मूल्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कच्चे माल		
इस्पात	17,019.77	14,704.73
पाइप	2,054.30	1,556.61
पेंन्ट	3,008.08	2,300.28
खरीदे गए घटक	1,91,321.93	1,54,883.16
कुल	**2,13,404.08**	**1,73,444.78**

नोट 37: कार्य-प्रगति की सूची में परिवर्तन

(उनके अलावा जिन्हें प्रतिशत / आनुपातिक पूर्णता पद्धति पर आय के रूप में मान्यता दी गई है)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लागत पर कार्य प्रगति पर:		
वर्ष की शुरुआत में	428.65	496.05
कम: वर्ष के अंत में	(961.50)	(428.65)
कुल	**(532.85)**	**67.40**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, कंपनी के निदेशक मंडल ने ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (जीटीटीपी) के हिस्से के रूप में दो 60-टन ग्रीन टग हल्स का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस सक्रिय कदम में प्रारंभिक डिजाइन और खरीद शामिल है, और इसका उद्देश्य कंपनी की तत्परता को प्रदर्शित करना, सुपुर्दगी की समयसीमा में सुधार करना और ग्रीन टग निर्माण में नेतृत्व स्थापित करना है।

नोट 38: उप ठेका और अन्य प्रत्यक्ष व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
उप ठेका और किए गए कार्य	55,118.41	36,446.04
हल बीमा	2,615.62	835.21
डिज़ाइन व्यय	6,955.85	8,844.36
प्रचालन खर्च	23,238.54	9,750.81
कुल	**87,928.42**	**55,876.42**

नोट 39: कर्मचारियों के लाभों पर खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, बोनस/ एक्सग्रेशिया और भत्ते	35,418.24	32,349.42
भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि में अंशदान	2,405.58	1,719.37
उपदान	515.25	384.07
कर्मचारी कल्याण खर्च	4,303.09	4,539.86
	42,642.16	**38,992.72**
कम : निर्माण के दौरान व्यय	(205.27)	(364.32)
कुल	**42,436.89**	**38,628.40**

भविष्य निधि और परिवार पेंशन फंड में ₹ 30.34 लाख (पिछले साल ₹ 28.41 लाख) भविष्य निधि निरीक्षण तथा प्रशासन शुल्क की ओर शामिल है।

वेतन, मजदूरी, बोनस/अनुग्रह-अनुदान और भत्ते में ₹ 129.34 लाख रुपए (पिछले वर्ष ₹ 90.00 लाख रुपए) की राशि के कामगारों के लिए अर्ध वेतन क्षतिपूरित अनुपस्थितियों के नकदीकरण के लिए प्रावधान शामिल हैं।

कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्राप्त होनेवाले कर्मचारी लाभों को कंपनी कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के बीच त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार कोचीन पोर्ट ट्रस्ट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त मांगों के आधार पर हिसाब किया जा रहा है न कि बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर। उनकी अनुदान को छोडकर, जो बिल्कुल बीमांकिक किया जाता है।

रोज़गार पश्चात् दायित्व

भविष्य निधि

पात्र कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि का प्रबंधन कंपनी द्वारा भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के अनुरूप एक ट्रस्ट के माध्यम से किया जाता है। योजना भविष्य निधि प्राधिकरणों द्वारा अधिसूचित दर पर ब्याज की गारंटी देती है। कर्मचारियों और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन (महंगाई भत्ते सहित) के 12% की दर से योगदान, उस पर संचित ब्याज के साथ, कर्मचारियों को कंपनी से अलग होने या सेवानिवृत्ति के समय, जो भी पहले हो, देय है।

कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने पर तुरंत लाभ निहित होता है। योगदान उस वर्ष के लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है जब संबंधित निधियों में योगदान प्रासंगिक कानून के अनुसार देय होता है। भविष्य निधि और परिवार पेंशन कोश में नियोक्ता का योगदान वर्ष 2024-25 के लिए 2076.29 लाख रुपए (वर्ष 2023-24 के लिए 1693.55 लाख रुपए) है। प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों को ट्रस्ट द्वारा देय न्यूनतम ब्याज दर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। कंपनी का दायित्व है कि

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

वह ट्रस्ट के निवेश से रिटर्न (निवेश जोखिम में गिरावट सहित) के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करें और अधिसूचित ब्याज दर, जो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए छूट भविष्य निधि से संबंधित कर्मचारी लाभ के भारतीय लेखा मानक के 19 के अनुसार ब्याज दर गारंटी, परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्धारण और प्रकटीकरण पर रिपोर्ट प्राप्त की है।

बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निधि दायित्वों का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	2024-25	2023-24
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	24,747.34	23,514.49
वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	24,781.17	23,581.18
निवल देयता/ (निवल परिसंपत्ति)	33.83	66.69
अतिरिक्त प्रावधान	शून्य	शून्य

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूरित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं निम्नानुसार थी:

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रति महीने)	6.78%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर- अर्ध वेतन छुट्टी	0.70%	0.70%
संघर्षण दर- अर्जित छुट्टी	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.7% कामगार 0.7%
निर्धारित लाभ दायित्व की औसत अवधि (वर्षों में)	9.20	9.30

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि के विवरण में पहचान की गई राशि निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	270.62	245.58
निवल ब्याज मूल्य	303.84	283.51
वर्ष के दौरान मान्य बीमांकिक लाभ / (हानि)	815.00	453.72
लाभ और हानि के विवरण में पहचाने गए व्यय	**1,389.46**	**982.81**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया हैं:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य	5,480.86	4,626.82
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
तुलन पत्र में पहचाने गए निवल देयता/ (परिसंपत्तियां)	**5,480.86**	**4,626.82**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	446.66	350.06
पीवीओ के गैर चालू घटक	5,034.20	4,276.76
कुल पीवीओ	**5,480.86**	**4,626.82**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	4,626.82	4,198.71
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	270.62	245.58
चालू ब्याज मूल्य	303.84	283.51
बीमांकिक (लाभ)/हानि	815.00	453.72
प्रदत्त लाभ	(535.42)	(554.70)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	**5,480.86**	**4,626.82**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	535.42	554.70
प्रदत्त लाभ	(535.42)	(554.70)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	140.34	87.59
वर्ष 2	286.62	249.14
वर्ष 3	177.73	177.05
वर्ष 4	137.19	157.34
वर्ष 5	147.08	120.14
अगले 5 वर्ष	799.80	708.03

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	140.34	87.59
वर्ष 2	286.62	249.14
वर्ष 3	177.73	177.05
वर्ष 4	137.19	157.34
वर्ष 5	147.08	120.14
अगले 5 वर्ष	799.80	708.03

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - आधा वेतन छुट्टी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,609.86	3,889.26
वर्तमान सेवा लागत	193.41	168.06
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,016.23	4,234.29
वर्तमान सेवा लागत	212.98	185.38
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,023.15	4,240.52
वर्तमान सेवा लागत	213.32	185.70
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,601.99	3,882.28
वर्तमान सेवा लागत	193.03	167.72

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण - अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,609.86	3,889.26
वर्तमान सेवा लागत	193.41	168.06
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,016.23	4,234.29
वर्तमान सेवा लागत	212.98	185.38
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,023.15	4,240.52
वर्तमान सेवा लागत	213.32	185.70
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	4,601.99	3,882.28
वर्तमान सेवा लागत	193.03	167.72

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है : (मुख्य कार्यालय):	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.78%	6.97%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 3% कामगार 3%
संघर्षण दर	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%	अधिकारियों व पर्यवेक्षक 0.70% कामगार 0.70%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	6.78%	6.97%

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	11.30	11.20

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	423.10	295.69
पिछली सेवा लागत		-
निवल ब्याज खर्च	13.93	18.13
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**437.03**	**313.82**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	337.96	308.76
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	(46.72)	(222.81)
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**291.24**	**85.95**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	5,529.24	4,799.46
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,800.96	4,399.69
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	728.28	399.77

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,799.46	4,319.66
चालू सेवा मूल्य	423.10	295.69
चालू ब्याज मूल्य	322.20	297.07
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	337.96	308.76
प्रदत्त लाभ	(353.48)	(421.72)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**5,529.24**	**4,799.46**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4,399.68	3,818.15
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	308.27	278.94
बीमांकिक लाभ / (हानि)	46.72	222.81
नियोक्ता से अंशदान	399.77	501.50
प्रदत्त लाभ	(353.48)	(421.71)
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**4,800.96**	**4,399.69**

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	286.14	143.68
वर्ष 2	665.64	629.58
वर्ष 3	384.19	450.06
वर्ष 4	321.02	352.83
वर्ष 5	266.76	287.11
अगले 5 वर्ष	1,583.72	1,347.44

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 50 बीपी	7.28%	7.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,251.13	4,560.01
वर्तमान सेवा लागत	345.63	314.70
ख. छूट दर - 50 बीपी	6.28%	6.47%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,830.27	5,058.74
वर्तमान सेवा लागत	397.00	361.87
ग. वेतन वृद्धि दर + 50 बीपी	3.50%	3.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,779.52	5,019.28
वर्तमान सेवा लागत	390.11	354.30
घ. वेतन वृद्धि दर - 50 बीपी	2.50%	2.50%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	5,288.36	4,582.95
वर्तमान सेवा लागत	353.54	323.51

बीपी 'आधार अंक' को दर्शाता है।

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	28.95%	39.59%
राज्य सरकार की प्रतिभूति	25.24%	24.56%
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	0.00%	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	31.49%	28.37%
संपत्ति	0.00%	0.00%
विशेष जमा योजना	0.00%	0.00%
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	0.32%	0.31%
अन्य	14.00%	7.17%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा गठित अनुदान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा और सीएसएल मुंबई पोत मरम्मत यूनिट(सीएमएसआरयू) के वास्तविक मूल्यांकन के उद्देश्य से इस्तेमाल की जानेवाली प्रमुख धारणाएं इस प्रकार थीं :	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्र.म.) - आईएसआरएफ	6.40%	7.10%
छूट दर (प्र.म.) - सीएमएसआरयू	6.40%	7.10%
मुआवजे की स्तर में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%
संघर्षण दर	2.00%	2.00%
योजना परिसंपत्ति पर वापसी की अपेक्षित दर	0.00%	0.00%

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	25.24	23.18
पिछली सेवा लागत		-
निवल ब्याज खर्च	16.55	15.66
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**41.79**	**38.84**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	0.35	(20.20)
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि		
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**0.35**	**(20.20)**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	275.42	233.26
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**275.42**	**233.26**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	233.26	214.62
चालू सेवा मूल्य	25.25	23.18
चालू ब्याज मूल्य	16.56	15.66
पिछली सेवा लागत		
बीमांकिक लाभ / (हानि)	0.35	(20.20)
प्रदत्त लाभ		
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**275.42**	**233.26**

आईएसआरएफ एवं सीएमएसआरयू अनुदान को कंपनी द्वारा स्वयं प्रबंधित की जाती है।

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
वर्ष	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 2	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 3	लागू नहीं	लागू नहीं
वष 4	लागू नहीं	लागू नहीं
वर्ष 5	लागू नहीं	लागू नहीं
अगले 5 वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	63.01	8.03
वष 2	46.94	6.20
वष 3	25.86	3.15
वष 4	10.25	-
वर्ष 5	5.99	-
अगले 5 वर्ष	95.80	10.15

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित लाभ भुगतान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

ब्योरा ऋडुद्ध	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
वर्ष 1	46.67	5.53
वष 2	28.57	-
वष 3	39.88	4.06
वष 4	18.71	2.14
वर्ष 5	2.99	-
अगले 5 वर्ष	78.26	6.41

दिनांक 31.03.2025 को संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	7.40%	7.40%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	239.07	26.73
परिवर्तन	(3.55%)	(2.96%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.40%	5.40%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	257.45	28.42
परिवर्तन	3.86%	3.18%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	256.44	28.30
परिवर्तन	3.45%	2.76%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	239.88	26.82
परिवर्तन	(3.23%)	(2.60%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

दिनांक 31.03.2024 को संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	आईएसआरएफ	सीएमएसआरयू
क. छूट दर + 100 बीपी	8.10%	8.10%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	207.27	17.54
परिवर्तन	(3.64%)	(3.36%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	6.10%	6.10%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	223.62	18.81
परिवर्तन	3.96%	3.63%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	222.80	18.74
परिवर्तन	3.58%	3.24%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	2.00%	2.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	207.91	17.60
परिवर्तन	(3.34%)	(3.05%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

सीएसएल (सहायक कंपनी) की कर्मचारी लाभ योजनाएं

अन्य लाभ योजना - क्षतिपूर्ति सहित अनुपस्थिति

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है:

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.60%	7.20%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
क्षरण दर - अर्ध वेतन अवकाश		
क्षरण दर - अर्जित अवकाश		-
निर्धारित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	16.37	16.37

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	4.83	1.86
पिछली सेवा लागत	1.95	0.34
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	52.33	21.54
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त बीमांकिक (लाभ)/हानि	59.11	23.74

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में इकाई के दायित्व से उत्पन्न तुलन पत्र में शामिल राशि निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	84.89	28.31
वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		-
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**84.89**	**28.31**

(₹ लाखों में)

कर्मचारी लाभ के प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पीवीओ के वर्तमान घटक	5.44	2.46
पीवीओ के गैर चालू घटक	79.45	25.85
कुल पीवीओ	**84.89**	**28.31**

निर्धारित लाभ देयता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:-

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में निर्धारित लाभ देयता	28.31	4.70
वर्तमान और पिछले की सेवा मूल्य	4.83	1.86
चालू ब्याज मूल्य	1.95	0.34
बीमांकिक (लाभ)/हानि	52.33	21.54
प्रदत्त लाभ	(2.53)	(0.13)
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ देयता	**84.89**	**28.31**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	-	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	-	-
बीमांकिक लाभ/ (हानि)	-	-
नियोक्ता से अंशदान	-	-
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**-**	**-**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य- वर्ष नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	4.36	2.09
वर्ष 2		0.34
वर्ष 3	1.67	-
वर्ष 4	2.57	0.31
वर्ष 5	2.36	0.48
अगले 5 वर्ष	73.93	25.09

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण- अर्जित छुट्टी	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	7.60%	8.20%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	77.46	25.72
परिवर्तन	(8.75%)	(9.15%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.60%	6.20%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	93.55	31.36
परिवर्तन	10.20%	10.76%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	93.16	31.25
परिवर्तन	9.74%	10.37%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	77.66	25.77
परिवर्तन	(8.52%)	(8.97%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

निर्धारित लाभ योजना - अनुदान

बीमांकिक मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त मान्यताएं निम्नानुसार है :	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
छूट दर (प्रतिवर्ष)	6.60%	7.10%
क्षतिपूर्ति स्तरों में वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
योजनागत परिसंपत्तियों पर विवरणी के अपेक्षित दर	7.60%	7.00%

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
निश्चित लाभ दायित्वों की औसत अवधि (वर्षों में)	12.78	12.74

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय में पहचान की गई राशि:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
सेवा मूल्य:		
चालू सेवा मूल्य	25.59	22.44
पिछली सेवा लागत	-	-
निवल ब्याज खर्च	(0.04)	1.44
लाभ और हानि विवरण में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**25.55**	**23.88**
निवल निर्धारित लाभ देयता का पुनः मापन :		
योजना दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	(2.20)	3.82
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक विवरणी और ब्याज आय के बीच अंतर (लाभ)/हानि	-	-
अन्य व्यापक आय में पहचाने गए निर्धारित लाभ लागत का घटक	**(2.20)**	**3.82**

निर्धारित लाभ योजना के संबंध में संस्था के दायित्व से उत्पन्न हुई राशि को तुलन पत्र में शामिल किया गया है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में बाध्यताओं की वर्तमान मूल्य	75.26	47.58
घटाइए: वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	119.96	48.13
तुलन पत्र में मान्य निवल देयता/ परिसंपत्तियां	**(44.70)**	**(0.55)**

निर्धारित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है:-

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	47.58	19.79
चालू सेवा मूल्य	25.59	22.44
चालू ब्याज मूल्य	3.38	1.44
पिछली सेवा लागत	-	-
बीमांकिक लाभ / (हानि)	(1.28)	3.91
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	**75.26**	**47.58**

योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष के आरंभ में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	48.13	-
योजनागत परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित आय	3.42	-
बीमांकित लाभ / (हानि)	0.92	0.09
नियोक्ता से अंशदान	67.49	48.04
प्रदत्त लाभ	-	-
वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**119.96**	**48.13**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्नलिखित वर्षों में अपेक्षित योगदान (मध्य वर्ष के नकदी प्रवाह)

(₹ लाखों में)

वर्ष	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष 1	7.75	1.78
वर्ष 2	2.12	3.27
वर्ष 3	5.84	1.21
वर्ष 4	4.89	4.16
वर्ष 5	3.84	3.00
अगले 5 वर्ष	50.82	34.16

(₹ लाखों में)

संवेदनशीलता विश्लेषण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
क. छूट दर + 100 बीपी	7.60%	8.10%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	68.00	42.79
परिवर्तन	(9.66%)	(10.07%)
ख. छूट दर - 100 बीपी	5.60%	6.10%
निश्चित लाभ दायित्व (पीवीओ)	83.88	53.26
परिवर्तन	11.44%	11.94%
ग. वेतन वृद्धि दर + 100 बीपी	6.00%	6.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	83.54	53.07
परिवर्तन	10.98%	11.55%
घ. वेतन वृद्धि दर - 100 बीपी	4.00%	4.00%
निर्धारित लाभ दायित्व (पीवीओ)	68.15	42.86
परिवर्तन	(9.45%)	(9.91%)

बीपी 'मूल अंक' दर्शाता है।

योजना परिसंपत्तियों की मुख्य श्रेणियां (कुल योजना परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में)	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार की प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
राज्य सरकार की प्रतिभूति	लागू नहीं	लागू नहीं
उच्च गुणवत्ता के कॉर्पोरेट बांड	लागू नहीं	लागू नहीं
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	लागू नहीं	लागू नहीं
संपत्ति	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेष जमा योजना	लागू नहीं	लागू नहीं
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	100%	100%
कुल	**100%**	**100%**

योजना की परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह उपदान योजना के माध्यम से किया जाता है।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सहायक कंपनी) की कर्मचारी लाभ योजनाएं

निर्धारित लाभ योजनाएं/दीर्घावधि क्षतिपूर्ति की अनुपस्थिति

योजनाओं का विवरण:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों की उपदान के लिए कोई निधिबद्ध योजना नहीं लिया है।दायित्व का वर्तमान मूल्य अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए स्वतंत्र, व्यावसायिक रूप से योग्य बीमांकिकों की सलाह के अनुसार निर्धारित किया जाता है, जो सेवा की प्रत्येक अवधि में कर्मचारी लाभ पात्रता की अतिरिक्त इकाई को आगे बढ़ाने के रूप में मान्यता प्राप्त है और अंतिम दायित्व के निर्माण के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापता है। कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों में शुद्ध निर्धारित लाभ लागत को मान्यता दी गई है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

जोखिम:

निर्धारित लाभ योजनाएं कंपनी को ब्याज दर जोखिम, वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम और जनसांख्यिकीय जोखिम के लिए उजागर करती हैं।

ब्याज दर जोखिम: निर्धारित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य सरकारी बांडों पर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित बाज़ार प्राप्ति के आधार पर छूट दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।प्राप्ति में कमी से निधि की देनदारी बढ़ेगी और इसके विपरीत।

वेतन लागत मुद्रास्फीति जोखिम : निर्धारित लाभ योजना देयता के वर्तमान मूल्य की गणना योजना के तहत प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में की जाती है। वेतन में वृद्धि से देनदारी बढ़ सकती है।

जनसांख्यिकीय जोखिम: यह मृत्यु दर, निकासी, विकलांगता और सेवानिवृत्ति सहित घटते क्रम की प्रकृति के कारण परिणामों की परिवर्तनशीलता का जोखिम है। निर्धारित लाभ दायित्व पर इन कमियों का प्रभाव सीधे आगे नहीं है और वेतन वृद्धि, छूट दर और निहित मानदंड के संयोजन पर निर्भर करता है।यह महत्वपूर्ण है कि निकासी को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं दिखाया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक छोटे कैरियर कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ की लागत आमतौर पर लंबी सेवा वाले कर्मचारी की तुलना में प्रतिवर्ष कम होती है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
I. नियोक्ता व्यय का घटक				
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त:				
1 चालू सेवा लागत	5.92	4.87	4.81	3.42
2 पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
3 निवल ब्याज लागत	0.69	0.20	0.63	0.59
4 बीमांकिक लाभ/(हानि)		11.25	-	(0.48)
5 लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	**6.61**	**16.32**	**5.44**	**3.54**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुन: मापं				
6 योजना संपत्ति पर वापसी (अधिक)/छूट दर से कम	-	-	-	-
7 मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	0.16	-	0.55	-
8 अनुभव समायोजन का प्रभाव	(4.08)	-	(1.39)	-
9 अन्य व्यापक आय में शामिल कुल पुन: माप	**(3.91)**	**-**	**(0.84)**	**-**
10 लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण (5+9) में मान्यता प्राप्त कुल परिभाषित लाभ लागत	**2.69**	**16.32**	**4.60**	**3.54**

वर्तमान सेवा लागत, पिछली सेवा लागत और उपदान व्यय से संबंधित वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत को नोट 39 के तहत 'भविष्य और अन्य निधियों में योगदान' और 'कर्मचारी वेतन और भत्ते' में अवकाश नकदीकरण में मान्यता दी गई है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप अन्य व्यापक आय में शामिल है।

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
II. तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल संपत्ति/(देयता)				
निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.14	11.28	13.25	10.90
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
निवल देयता:				
- गैर-चालू	9.07	11.02	13.11	10.68
- चालू	0.07	0.26	0.14	0.22

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
III. निर्धारित लाभ दायित्व में परिवर्तन (डीबीओ)				
1 वर्ष की शुरुआत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	13.25	10.90	8.65	8.90
2 चालू सेवा लागत	5.92	4.87	4.81	3.42
3 पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
4 निवल ब्याज लागत	0.69	0.20	0.63	0.59
5 बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-	-	(0.48)
6 पुनर्माप लाभ / (हानि):				
क जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	-	-	-	-
ख वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन का प्रभाव	0.16	0.20	0.55	-
ग परिसंपत्ति सीमा में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	-	-	-	-
घ अनभव समायोजन का प्रभाव	(4.08)	11.05	(1.39)	-
7 कटौती लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
8 निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-	-	-
9 अधिग्रहण क्रेडिट/(लागत)	-	-	-	-
10 स्थानांतरण का प्रभाव अंदर/(बाहर)	-	-	-	-
11 भुगतान किया गया लाभ	(6.81)	(15.94)	-	(1.53)
12 वर्तमान अवधि के अंत में निवल निर्धारित लाभ संपत्ति/ (देयता)	9.14	11.28	13.25	10.90

(₹ लाखों में)

ब्योरा	मार्च 31,2025 को	मार्च 31,2024 को
IV. अगले वर्ष के लिए नियोक्ताओं के अपेक्षित योगदान का सर्वश्रेष्ठ अनुमान		
उपदान	9.14	13.25

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
V. संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन				
1 वर्ष की शुरुआत में योजना संपत्ति	-	-	-	-
2 अधिग्रहण समायोजन	-	-	-	-
3 योजना संपत्ति पर ब्याज आय	-	-	-	-
4 नियोक्ता योगदान	-	-	-	-
5 छूट दर से अधिक/(कम) योजना संपत्ति पर वापसी	-	-	-	-
6 भुगतान किया गया लाभ	-	-	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
7 वर्तमान अवधि के अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
VI. बीमांकिक अनुमान				
1 प्रति वर्ष छूट दर	6.90%	6.90%	7.30%	7.30%
2 वेतन में वृद्धि की दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 मृत्यु दर	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम	भारतीय बीमित जीवन मृत्यु दर (2006-08) अंतिम
4 निकासी	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

VII. संवेदनशीलता विश्लेषण

नीचे दिया गया संवेदनशीलता विश्लेषण अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखते हुए, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित मान्यताओं के यथोचित संभावित परिवर्तन के आधार पर निर्धारित किया गया है।ये संवेदनशीलता अलग-अलग सूचीबद्ध मान्यताओं में से प्रत्येक में परिवर्तन के काल्पनिक प्रभाव को दर्शाती है। जबकि इनमें से प्रत्येक संवेदनशीलता अन्य सभी मान्यताओं को स्थिर रखती है, व्यवहार में ऐसी धारणाएं अलगाव में शायद ही कभी बदलती हैं और परिसंपत्ति मूल्य परिवर्तन कुछ हद तक प्रभाव को पूरा कर सकते हैं। संवेदनशीलता को प्रस्तुत करने के लिए, परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि ऊपर प्रस्तुत परिभाषित लाभ दायित्व की गणना में लागू होने के समान है। पिछले वर्ष से संवेदनशीलता विश्लेषण की तैयारी में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं में कोई बदलाव नहीं आया है।

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
क छूट दर	6.90%	6.90%	7.30%	7.30%
छूट दर में 1% की बढ़ोतरी से डीबीओ पर असर	(1.48)	(1.79)	(1.07)	(1.13)
प्रतिशत प्रभाव	(16.20%)	(15.90%)	(12.40%)	(12.60%)
छूट दर में 1% की कमी से डीबीओ पर असर	1.84	2.22	1.29	1.35
प्रतिशत प्रभाव	20.10%	19.70%	14.90%	15.10%
ख वेतन वृद्धि दर	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
वेतन वृद्धि दर में 1% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	1.90	2.29	1.33	1.39
प्रतिशत प्रभाव	20.70%	20.30%	15.40%	15.70%
वेतन वृद्धि दर में 1% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	(1.55)	(1.87)	(1.12)	(1.18)
प्रतिशत प्रभाव	(16.90%)	(16.60%)	(13.00%)	(13.20%)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लाभ भुगतानों का परिपक्वता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	उपदान	छुट्टी नकदीकरण
वर्ष 1	0.07	0.27	0.14	0.20
वर्ष 2	0.06	0.21	0.16	0.21
वर्ष 3	0.15	0.22	1.25	0.21
वर्ष 4	0.17	0.23	0.25	0.22
वर्ष 5	0.20	0.24	0.27	0.23
अगले 5 वर्ष	1.14	1.37	5.41	2.60

निर्धारित योगदान योजनाओं की राशि को नोट 39 में 'भविष्य और अन्य निधियों में योगदान' के तहत मान्यता दी गई है: ₹42.14 लाख (2024 - ₹ 31.68 लाख)।

नोट 40: वित्तीय मूल्य

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पट्टा देनदारियों पर ब्याज खर्च	4,109.81	4,163.54
कर मुक्त बांड पर ब्याज	201.17	771.70
नकद ऋण पर ब्याज	34.69	29.36
अन्य ब्याज	56.49	20.74
	4,402.16	**4,985.34**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	(544.61)	(1,661.23)
कुल	**3,857.55**	**3,324.11**

नोट 41: मूल्यह्रास और ऋणमुक्ति व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास	7,627.95	5,165.60
आरओयू परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,745.64	1,948.13
अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास	1,113.54	921.06
कुल	**10,487.13**	**8,034.79**
घटाएं : निर्माण के दौरान व्यय	(169.49)	(576.97)
कुल	**10,317.64**	**7,457.82**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 42: अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
पुर्जों व भंडार का उपभोग	3,923.01	3,155.97
अनिश्चित औजारों के मूल्य में कमी	192.03	150.49
दर और कर	146.70	71.74
बिजली	3,769.70	2,847.29
ईंधन	1,160.87	573.66
जल	369.03	421.28
मरम्मत एवं अनुरक्षण:		
इमारते व सडकें	1,040.12	853.95
प्लान्ट और मशीनरी	376.84	385.77
अन्य	2,773.34	2,090.56
अनुरक्षणात्मक तल कर्षण	914.07	243.93
परिवहन और भंडार की चढाई उतराई	192.39	204.04
यात्रा तथा सवारी खर्च	1,304.54	1,282.76
छपाई तथा लेखन सामग्रियां	123.64	111.60
डाक, टेलिफोन और टेलेक्स	70.66	65.35
विज्ञापन और प्रचार	634.49	1,081.87
पट्टे किराया	26.87	1.58
भाडे	1,308.61	1,292.96
बीमा प्रभार	656.41	639.03
सुरक्षा व्यय	2,650.52	2,571.09
लेखापरीक्षकों के लिए भुगतान	39.20	39.19
प्रशिक्षण खर्चा	952.31	821.09
विधि खर्चा	182.70	48.43
परामर्श	154.29	150.70
बैंक प्रभार	1,662.91	1,298.35
विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न लेनदेन पर हानि	248.46	724.89
निगमित सामाजित उत्तरदायित्व (नोट सं. 52 का संदर्भ ले)	1,564.51	1,384.38
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का बिक्री और हानि पर राइट ऑफ	5.65	0.87
बुरे ऋणों को बट्टे खाते में डाला गया	8,614.55	96.98
अनसंधान एवं विकास और नई पहल।	2,043.17	626.18
विविध खर्च	1,067.68	1,646.93
कुल	38,169.27	24,882.91

लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक, अन्य सेवाओं और विविध खर्चों के लिए लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	25.75	24.50
सीमित समीक्षा / अन्य सेवाओं के लिए	12.35	11.69
प्रमाणीकरण हेतु	1.10	3.00
कुल	39.20	39.19

*अनुसंधान एवं विकास और नई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

क) उषस समुद्री स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए भारत सरकार की पहल को बढाने के लिए आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास के सहयोग से सीएसएल का एक स्टार्टअप समर्थन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समुद्री स्टार्टअप को सीएसएल से अनुदान/निवेश के रूप में प्रारंभिक निधि प्राप्त होगी। आईआईएमके लाइव और आईआईटी मद्रास, सीएसएल द्वारा निवेश के लिए इस योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा और सिफारिश करेंगे। उनकी सेवाओं का शुल्क 26.50 लाख रूपए (पिछले वर्ष 7.00 लाख रुपए) है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सीड फंडिंग योजना के तहत आईआईएम के द्वारा पहचाने गए 9 स्टार्ट अप को 105.00 लाख रुपए वितरित किए गए हैं।

ख) मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 के अनुरूप कोच्ची में भारत पोत मरम्मत क्लस्टर की स्थापना के लिए 343.00 लाख रुपए की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया था। मेसर्स बोस्टन कंसल्टिंग ग्रूप को 343.00 लाख रुपए की राशि के लिए भारत में वाडिनार, गुजरात में पोत मरम्मत व्यवसाय की स्थापना के लिए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का काम भी सौंपा गया है। चालू वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते से 686.00 लाख रुपए शुल्क लिया गया हैं।

ग) आत्मनिर्भर भारत प्रापण मॉडल के तहत पूर्ण स्वदेशी स्वायत्त सतह पोत (एएसवी) पायलट परियोजना की डिजाइन, विकास, निर्माण गतिविधियाँ। इस परियोजना को 4000.00 लाख की कुल अनुमानित परियोजना लागत के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अनुसंधान और विकास (नौवहन) योजना के तहत इस परियोजना के डिजाइन और विकास के लिए 2000.00 लाख की अनुदान सहायता मंजूर की है।

कंपनी को वर्ष के दौरान 925.07 लाख रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसमें से 314.28 लाख रुपऐ एएसवी परियोजना के लिए उपयोग किए गए और शेष 610.78 लाख रुपए सागरमाला विकास निगम लिमिटेड (एसडीसीएल) द्वारा बनाए गए केंद्रीय नोडल खाते में पड़े हैं। उपयोग की गई 314.28 लाख रुपए की अनुदान राशि के अलावा, कंपनी ने परियोजना के लिए 41.20 लाख रुपए का ओवरहेड और अन्य व्यय भी किया है। इसलिए वर्ष के लिए एएसवी परियोजना के लिए संचयी लागत 355.48 लाख रुपए है और इसे दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में अनुसंधान और विकास व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है।

घ) कंपनी भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुसंधान समिति द्वारा अनुमोदन के अनुसरण में हाइड्रोजन ईंधन सेल विद्युत जलयान के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक अनुसंधान और विकास परियोजना में लगी हुई है। कंपनी को एक कार्य आदेश जारी किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और आत्मनिर्भर भारत पहल के दायरे में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा परियोजना लागत का 75% वित्त पोषित किया जा रहा है। अनुदान से प्राप्त सभी परिसंपत्तियाँ भारत सरकार की संपत्ति होंगी और ऐसी परियोजनाओं या योजनाओं के लिए एक या अधिक किस्तों में जारी की गई धनराशि को कार्यान्वयन अभिकरण की पुस्तकों में अनुदान सहायता के रूप में नहीं माना जाएगा।

इसके समानांतर, कंपनी ने जलयान के विकास, डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किया, जिसका उद्देश्य एक अलग समझौते के माध्यम से नाम और स्वामित्व को हस्तांतरित करना है।

पिछले वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2023-24) के दौरान, प्रबंधन की आईडब्ल्यूएआई को निकट भविष्य में बिक्री की अपेक्षाओं के आधार पर, व्यय की गई लागत (प्राप्त अनुदान को घटाकर) को गैर-चालू परिसंपत्तियों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, दिनांक 31 मार्च 2025 तक, बिक्री व्यवस्था को औपचारिक रूप देने में कोई और प्रगति नहीं हुई है, और पोत अभी भी प्रदर्शन चरण में है। आईडब्ल्यूएआई से प्राप्त राशि के समय और प्राप्ति के संबंध में उचित निश्चितता के अभाव को देखते हुए, प्रबंधन ने लेखांकन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन किया है।

तदनुसार, विवेक के सिद्धांतों का पालन करते हुए, कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि विवरण में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) व्यय के रूप में 925.14 लाख (अर्थात प्राप्त अनुदान को घटाकर व्यय की गई लागत) की शुद्ध लागत को मान्यता दी है। 2024-25 के दौरान व्यय की गई लागत 837.78 लाख है।

नोट 43: प्रत्याशित हानि और खर्च के लिए प्रावधान

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
व्यापार प्राप्य के लिए हानि भत्ता	662.83	1,659.04
खर्च और फुटकर खर्च	542.28	520.01
पट्टेदार को लाभ का हिस्सा		210.86
पोत निर्माण पर घाटा	10,756.00	898.00
कुल	**12,804.33**	**3,287.91**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 44: प्रति इक्विटी शेयर कमाई

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
कर पश्चात निवल लाभ (₹ लाखों में)	82,733.05	78,327.78
प्रति शेयर मूल और तनुकृत कमाई (ईपीएस) (₹ में)	**31.45**	**29.77**
प्रति इक्विटी अंकित मूल्य (₹ में)	5.00	5.00

नोट सं. 21.1 का संदर्भ लें।

नोट 45: भारतीय लेखा मानक 115 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व'

क. भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व का प्रकटीकरण

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष			
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व	निष्पादन दायित्व मापने की विधि		लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण:				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	2,38,320.96	-	2,38,320.96	2,38,320.96
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	13,854.70	13,854.70		13,854.70
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
सेवाओं से आय	168.10		168.10	168.10
अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रबंधन शुल्क	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	860.69			860.69
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	358.97			358.97
व्यापार व विकास पुर्जों की बिक्री	3,553.98			3,553.98
परामर्श आय	1,027.15			1,027.15
स्टॉक मद की बिक्री	337.01			337.01
कुल				4,81,995.88

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

उत्पाद या सेवाओं का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष			
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व	निष्पादन दायित्व मापने की विधि		लाभ और हानि विवरण के अनुसार कुल
		इनपुट विधि	आउटपुट विधि	
क. समय के साथ अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
(i) उत्पादों की बिक्री				
पोत निर्माण :				
स्वदेशी वायुयान वाहक (आईएसी)	1,20,271.77	-	1,20,271.77	1,20,271.77
आईएसी के अलावा अन्य जहाज	1,56,147.69	-	1,56,147.69	1,56,147.69
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण वित्तीय सहायता	5,302.36	5,302.36	-	5,302.36
(ii) सेवाओं की बिक्री				
पोत मरम्मत	98,681.23	-	98,681.23	98,681.23
अन्य प्रचालन राजस्व				
प्रबंधन शुल्क	1,575.94	-	1,575.94	1,575.94
ख. एक समय में ग्राहकों को अंतरित वस्तुओं या सेवाओं से राजस्व				
अन्य प्रचालन राजस्व				
पोत निर्माण रद्दी माल की बिक्री	566.12	-		566.12
पोत मरम्मत रद्दी माल की बिक्री	376.88	-		376.88
स्टॉक मद की बिक्री	123.43	-		123.43
कुल				**3,83,045.42**

ख. अनुबंध शेष

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
व्यापार प्राप्य	22,903.17	30,344.98
अनुबंध देयताएं	92,482.86	76,011.63
अनुबंध देयताएं	5,05,128.16	4,96,202.62

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार- चढाव

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध देयताएं	76,011.63	51,119.32
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	92,482.86	76,011.63
निवल वृद्धि/ कमी	16,471.23	24,892.31

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
वर्ष की शुरूआत में अनुबंध देयताएं	4,96,202.62	3,87,207.41
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएं	5,05,128.16	4,96,202.62
निवल (वृद्धि)/ कमी	8,925.54	1,08,995.21

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ग. असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट निष्पादन दायित्वों के लिए आबंटित लेनदेन मूल्य का विवरण :

रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से असंतुष्ट) निष्पादन दायित्वों को आबंटित लेनदेन मूल्य की कुल राशि 1682347.88 लाख रुपए (लागत + आईएसी अनुबंध का हिस्सा छोडकर) है। असंतुष्ट निष्पादन दायित्व से संबंधित लेनदेन मूल्य की राशि जो एक अनुबंध का हिस्सा है जिसकी मूल अपेक्षित अवधि एक वर्ष या उससे कम है, को भारतीय लेखा मानक 115 के तहत अनुमत अनुसार उपरोक्त प्रकटीकरण में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त लेनदेन मूल्य के अनुमान में परिवर्तनीय विचार की कोई अनुमानित राशि शामिल नहीं होगी जो विवश है। प्रबंधन को उम्मीद है कि 31.03.2025 तक असंतुष्ट/आंशिक रूप से संतुष्ट अनुबंधों को आबंटित लेनदेन मूल्य का 33.96%, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व के रूप में मान्यता प्राप्त होगा और शेष उसके बाद होगा।

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान समूह ने 01 अप्रैल 2024 तक प्रारंभिक अनुबंध देयता से उत्पन्न 138639.05 लाख रुपए का राजस्व मान्यता दी।

घ. वर्ष के दौरान राजस्व के साथ अनुबंधित मूल्य की प्राप्ति

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
आदेशों की अनुबंधित मूल्य खोलना	26,12,071.63	24,68,756.76
जोड़ :		
प्राप्त नया आदेश/परिवर्तन आदेश (निवल)	2,46,621.52	1,15,430.02
पोत निर्माण वित्तीय सहायता सहित अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के कारण	50,950.30	47,439.91
विनिमय दर संचलनों के कारण वृद्धि (निवल)	1,285.83	3,566.65
कमी :		
विविध, परिवर्तन आदेश सहित अन्य कटौती	24,332.90	4,505.21
वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेश	15,971.70	18,616.49
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित मूल्य	**28,70,624.68**	**26,12,071.64**
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त कुल राजस्व :	2,62,656.09	2,10,351.28
कमी : वर्ष के दौरान पूरे किए गए आदेशों में से राजस्व	8,126.22	11,116.11
वर्ष के अंत में निष्पादन के अधीन आदेशों का राजस्व (I)	2,54,529.87	1,99,235.17
पिछले वर्ष तक मान्यता प्राप्त राजस्व (वर्ष के अंत में लंबित आदेशों से) (II)	9,33,368.15	7,44,014.81
राजस्व के प्रत्यावर्तन का प्रभाव (रद्द अनबंध)	378.78	
भविष्य में स्वीकृत किए जानेवाले शेष राजस्व जैसे आदेश पुस्तिका (IV)	16,82,347.88	16,68,821.65
आदेशों के समाप्ति अनुबंधित दर (I+II+III+IV)	**28,70,624.68**	**26,12,071.63**

नोट 46: भारतीय लेखा मानक 116 के अधीन अतिरिक्त प्रकटीकरण - 'पट्टे'

किराया और किराया शुल्क व्यय में दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय शामिल है, जो 1335.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1294.54 लाख रुपए) की राशि के लिए अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे से संबंधित है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु पट्टे के लिए कुल नकद बहिर्वाह, जिसमें अल्पावधि और कम मूल्य के पट्टे के लिए बहिर्वाह सहित, कुल 3191.59 लाख रुपए (पिछले वर्ष 3415.64 लाख रुपए) है।

कंपनी के पास पट्टा अवधि विस्तार विकल्प हैं, जो पट्टा देयताओं की माप में परिलक्षित नहीं होते हैं।

एक निर्विवाद आधार पर पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	3,130.75	2,943.93
एक से पांच साल तक	14,816.72	13,367.83
पांच वर्ष से अधिक	1,13,471.29	1,13,593.80
कुल	**1,31,418.76**	**1,29,905.56**

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

एक निर्विवाद आधार पर पट्टा देयताओं के अनुबंध की परिपक्वता का विवरण निम्नानुसार हैं

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
एक वर्ष से कम	129.05	127.40
एक से पांच साल तक	204.89	287.18
पांच वर्ष से अधिक	112.93	159.69
कुल	**446.87**	**574.27**

पट्टा देनदारियों का संचलन निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक जमा	47,917.76	45,445.85
जोड: अतिरिक्त	141.86	1,617.13
जोड : वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त ब्याज	4,109.81	4,163.54
घटाएँ: किए गए भुगतान	59.98	44.14
घटाएँ: किए गए भुगतान	2,970.05	3,264.62
जमा शेष	**49,139.40**	**47,917.76**

नोट 47: हेड्ज लेखांकन हेतु अतिरिक्त प्रकटीकरण

कंपनी भारतीय रुपए के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्यवर्गित राशियों से उत्पन्न होनेवाली विदेशी मुद्रा जोखिमों की भरपाई हेतु विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न अनुबंधों में प्रवेश करती है। कंपनी की विदेशी मुद्रा का प्रतिपक्ष अग्रेषित अनुबंध पर एक बैंक होता है।

कंपनी के पास निम्नलिखित बकाया अग्रिम अनुबंध हैं, जिन्हें दिनांक 31 मार्च 25 को नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित किया गया है:

मुद्रा	31-मार्च -25			31-मार्च -24		
	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)	अनुबंधों की संख्या	अनुबंधों की अनुमानित राशि	उचित मूल्य लाभ/(हानि)
यूरो	210	2,21,118.62	1,356.01	82	1,14,937.75	(46.02)
एनओके	5	7,676.66	(30.49)	6	7,824.95	(747.84)
यूएसडी	7	484.06	3.89			
जेपीवाई	1	1,766.90	(30.47)			
कुल	**223**	**2,31,046.24**	**1,298.94**	**88**	**1,22,762.70**	**(793.86)**

नकदी प्रवाह हेड्जेस के रूप में नामित व्युत्पन्न के लिए हेड्ज रिजर्व में उतार- चढाव इस प्रकार है:

(₹ लाखों में)

ब्योरा	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
वर्ष की शुरूआत में शेष सीआर/(डीआर)	(593.75)	(3,578.40)
बकाया नकदी प्रवाह व्युत्पन्न (निवल) के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	639.38	2,984.65
वर्ष के अंत में शेष राशि	**45.63**	**(593.75)**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 48: आकस्मिक देयताओं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क आकस्मिक देयता (प्रदान न की गई हद तक के लिए)			
क कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया			
i उप-ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	27,312.93	-	आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए दावे जो वर्तमान में विवाद में हैं और जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। मामले के तथ्यों के आधार पर, कंपनी का मानना है कि आर्थिक लाभ को शामिल करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम है, और किसी भी संभावित देयता की अपेक्षा करता है, यदि कोई हो, तो दावा की गई राशि से काफी कम होगी। हालाँकि, मामला समाधान के अधीन है।
ख गारंटी			
i ऋणपत्र	19,279.09	38,207.74	सामग्रियों/परिसंपत्तियों के प्रापण के लिए विविध बैंकों में कंपनी द्वारा खोले गए एलसी का प्रतिनिधित्व करता है।
ii बैंक गारंटी	2,01,613.65	71,329.37	बैंक गारंटी (निरंतरता गारंटी सहित) कंपनी की ओर से अपने ग्राहकों और अन्य लाभार्थियों को विभिन्न बैंकों द्वारा जारी गारंटियों तक प्रतिनिधित्व करती है। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी का मूल्य नोट 49 में शामिल है।
iii पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (यूसीएसएल) की ओर से दी गई गारंटी	6,093.74	-	नियंत्रक कंपनी ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मेसर्स उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ मेसर्स ओशन स्पार्कल के साथ 11 जलयानों के लिए पोत निर्माण अनुबंध के तहत एक संयुक्त और कई गारंटी प्रदान की है। सहायक कंपनी को 6093.74 लाख रुपए का वापसी योग्य अग्रिम प्राप्त हुआ है। कंपनी की देयता केवल सहायक कंपनी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न होगी। अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए सहायक कंपनी की वित्तीय और प्रचालन क्षमता के आकलन के आधार पर, कंपनी से संसाधनों के किसी भी बहिर्वाह की संभावना को दूर माना जाता है।
ग अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से देनदार है			
i विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण (जीसीडीए)	69.06	69.06	कंपनी के लिए उपार्जित भूमि के लिए विशाल कोच्ची विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए दावा निपटान किया है। यद्यपि निष्कासितों द्वारा पंजीकृत 8 दावे (69.06 लाख मूल्य निर्धारित) माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।
ii सीमाशुल्क	12,726.96	10,543.96	बांड के तहत सामग्री के लिए सीमा शुल्क 6393 लाख रुपए है। इसमें स्टील स्क्रैप की बिक्री और उस पर ब्याज के लिए अंतर शुल्क 285.62 लाख रुपए, अंतर आईजीएसटी पर जुर्माना 230 लाख रुपए और विरोध के तहत भुगतान किए गए शुल्क के लिए 5752.16 लाख रुपए और केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार पर 66.18 लाख रुपए के लिए एफडीआर ग्रहणाधिकार भी शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
iii आय कर	1,389.86	2,209.37	निर्धारण वर्षों से संबंधित मांग: वित्तीय वर्ष 2010-11 - 126.26 लाख वित्तीय वर्ष 2014-15 - 911.07 लाख वित्तीय वर्ष 2017-18 - 331.77 लाख वित्तीय वर्ष 2018-19 - 20.76 लाख विस्तृत टिप्पणियां 46.1 (।) में दिया है।
iv सेवा कर	1,647.47	1,647.47	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (डिजाइन कंसल्टेंसी) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
	376.67	376.67	आईएसी पर सेवा कर की वापसी दावा आयुक्त (अपील) द्वारा मंजूर की गई। फिर भी, आयुक्त (अपील) के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी के सामने विभाग ने अपील फाइल किया है।
	323.04	323.04	कारण बताओ नोटिस के अनुसार आईएसी (प्रबंधन शुल्क/हैंडलिंग शुल्क) पर सेवा कर की मांग। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त के आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील दायर की गई।
iv सेवा कर	2,339.64	2,339.64	सेनवैट क्रेडिट पर पाबंदी और सामग्रियों पर कटौती के बिना, जिसके लिए वैट का भुगतान किया गया, पोत मरम्मत पर सेवा कर वसूली के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केन्द्रीय कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही बंद कर दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	1,885.49	1,885.49	यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 का लाभ देने से इनकार किया गया है। कारण बताओ नोटिस के तहत कार्यवाही केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, तिरुवनंतपुरम द्वारा रोक दी गई है। विभाग ने सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की।
	513.71	513.71	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कोच्चि के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
	734.93	734.93	सरकारी विभागों के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत के लिए उपलब्ध अधिसूचना संख्या 25/2012-एसटी दिनांक 20-6-2012 के लाभ से इनकार करके वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान यूटीएलए के स्वामित्व वाले जलयानों की मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोच्चि के प्रधान आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
	150.57	150.57	2015-16 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई और सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। संयुक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
	286.85	286.85	वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान पोत मरम्मत पर सेवा कर लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसमें वैट भुगतान की गई सामग्री की कटौती की अनुमति नहीं दी गई तथा सेनवैट क्रेडिट की अनुमति नहीं दी गई। केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील), कोचीन के आयुक्त के समक्ष जवाब दाखिल किया गया।
iv सेवा कर	279.46	279.46	संविदात्मक वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए गैर-कर योग्य क्षेत्र में व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ उठाने पर सेवा कर का भुगतान न करने और कोचीन से अबु धाबी तक बजरे के परिवहन के लिए प्रदान की गई सुरक्षा लागत के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। केंद्रीय कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा मांग की पुष्टि की गई। सीईएसटीएटी के समक्ष अपील दायर की गई।
v केरल मूल्यवर्धित कर (केवीएटी)	787.32	787.32	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए मांग। मूल्यांकन कार्यालय ने संयुक्त आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध कर योग्य टर्नओवर में वृद्धि की और मांग उठाई। वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।
vi वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए आईजीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की मांग और उस पर जुर्माना	92.13	92.13	वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए में दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अतिरिक्त आयुक्त ने मांग की पुष्टि की। मूल आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की गई।
vii एलेकटन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड	-	305.57	याचिकाकर्ता (दावेदार) ने आरेखण प्रस्तुत करने और माल की आपूर्ति में देरी के लिए सीएसएल द्वारा काटे गए एलडी के संबंध में ब्याज सहित परिनिर्धारित नुकसानी की वसूली के लिए एमएसएमई परिषद से संपर्क किया। एमएसएमई परिषद, चेन्नई ने मामले को मध्यस्थता के लिए मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र को भेज दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय मध्यस्थता केंद्र ने श्री सुह्मथ पार्थसारथी को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दावा याचिका दायर की गई। एकमात्र मध्यस्थ द्वारा प्रतिवादी (सीएसएल) के पक्ष में आदेश पारित किया गया।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
viii मेसर्स विजिल मराइन सर्विसेस	2,065.17	1,951.50	वर्ष 2004 में मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस ने एटीसीओ टग के आदेश जीतने के लिए देय एजेंसी कमीशन के लिए दावे किए। मध्यस्थता कार्यवाही 10 अक्तूबर 2004 को शुरू हुई। गवाहों की जांच और जिरह पूरी हो गई और मामले को बहस के लिए 01 और 02 फरवरी 2014 को पोस्ट किया गया। मध्यस्थ ने कार्यवाही पूरी की और कंपनी को मेसर्स विजिल मराइन सर्वीसस को एटीसीओ अनुबंध मूल्य 18.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर के 5 % की दर से 8 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कमीशन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए अपना निर्णय पारित किया। इस पर व्यथित सीएसएल ने उप न्यायालय, एर्णाकुलम के समक्ष मूल मुकदमा सं. 187/2016 दायर किया और कार्य के निष्पादन पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश प्राप्त किया। कार्य राशि के लिए बैंक गारंटी राशि की प्राप्ति की तिथि से कार्य की तारीख तक ब्याज के साथ (1305 लाख रुपए) माननीय उच्च न्यायालय को प्रतिभूति के रूप में जमा की गई है और इसे नोट 49 में शामिल किया गया है।
ix कर्मचारी राज्य बीमा निगम	54.66	54.66	ईएसआई निगम ने अप्रैल 2008 - मार्च 2012 की अवधि के लिए उच्च प्रशिक्षार्थियों के योगदान के लिए 62.28 लाख रुपए का मांग पत्र जारी किया। कंपनी ने जून 2010-मार्च 2012 की अवधि के लिए 26.46 लाख रुपए और अप्रैल 2012-जुलाई 2013 की अवधि के लिए 25.95 लाख रुपए का योगदान देर से भुगतान किया है। बाद में, ईएसआई विभाग ने जून 2010-जुलाई 2013 की अवधि के लिए विलंबित भुगतान और क्षति पर ब्याज के लिए 19.84 लाख रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। कंपनी माननीय बीमा न्यायालय, आलप्पुझा के समक्ष की गई मांगों का विरोध कर रही है। इस बीच कोर्ट ने 1 लाख रुपए जमा कराने पर स्टे दे दिया है।
x संपत्ति कर	0.00	68.24	कंपनी ने कोच्ची निगम द्वारा संपत्ति कर में 4000% की वृद्धि (2013-2014 से प्रभावी) को रिट याचिका संख्या 12758/2023 के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसके कारण 14 इमारतों के लिए कुल ₹ 68.24 लाख की मांग नोटिस जारी की गई थी। केरल उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल 2023 के अंतरिम आदेश के माध्यम से नोटिस पर रोक लगा दी, इस शर्त पर कि सीएसएल याचिका के परिणाम के अधीन भविष्य में संशोधित दरों पर कर भुगतान करेगा। दिनांक 10 अप्रैल 2025 के अपने अंतिम निर्णय में, न्यायालय ने संशोधित दर को बरकरार रखा, लेकिन बकाया वसूली को मार्च 2023 की मांग से तीन साल तक सीमित कर दिया, यानी 2019 से आगे। सीएसएल ने तदनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अपनी पुस्तकों में संशोधित देयता की गणना और रिकॉर्ड किया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

	ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31, 2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
xi	मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण हटाने के लिए सीमा शुल्क बांड	100.00	0.00	सीएमएसआरयू के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना मरम्मत के अधीन पोत के गियर और उपकरण को हटाने के लिए सीमा शुल्क निवारक मैनुअल (अध्याय 20) के अनुसार जारी किया गया सीमा शुल्क बांड।
xii	सीमाशुल्क अधिकारियों को क्षतिपूर्ति बांड	19,203.00	14,950.00	सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम 2017 के तहत बांड
xiii	भारत सरकार को क्षतिपूर्ति बांड	30,415.00	30,415.00	आईएसी अनुबंध के तहत दायित्वों के प्रदर्शन के लिए कंपनी द्वारा भारत सरकार को दिए गए क्षतिपूर्ति बांड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुलन पत्र की तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य नोट 49 में शामिल है।
xiv	पेंट संदूषण का दावा	863.83	863.83	कारों पर देखे गए पेंट संदूषण के धब्बों के लिए कंपनी के सामने दावे किए गए – घमाडिया और मुंबई पत्तन पर 128 यार्ड।
xv	सीओपीए द्वारा प्रतिनियुक्त कर्मचारियों से वसूल की गई वेतन राशि का आईएसआरएफ से दावा।	1.67	-	सीओपीए के 6 कर्मचारियों ने सीओपीए द्वारा मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित समय के कारण ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के एवज में वसूले गए वेतन की वापसी के लिए दावा किया है। सीएसएल को केंद्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण से सम्मन प्राप्त हो गया है। मामले की सुनवाई जून 2025 में तय की गई है।
xvi	सेबी एलओडीआर विनियमों के कुछ निगमित शासन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर शेयर बाज़ारों (बीएसई और एनएसई) द्वारा लगाया गया जुर्माना।	21.34		शेयर बाज़ारों ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के तहत बोर्ड की समितियों का गठन न करने सहित संबंधित आवश्यकताओं के लिए सीएसएल पर जुर्माना लगाया है। चूंकि गैर-अनुपालन कंपनी के नियंत्रण से परे थे और इसकी लापरवाही या चूक के कारण नहीं थे, इसलिए सीएसएल आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति होने के बाद शेयर बाज़ारों से जुर्माने में छूट का अनुरोध करेगा। शेयर बाज़ारों ने अतीत में इसी तरह की स्थितियों में जुर्माने में छूट दी है।
ख	**प्रतिबद्धताएं (प्रदान न की गई हद तक के लिए)**			
क	पूंजी लेखा पर निष्पादन करने के लिए शेष ठेकाओं की अनुमानित राशि और प्रदान न की गई के लिए:	31,539.56	40,528.32	अनुबंधों की अनुमानित राशि पूंजी खाते पर निष्पादित की जानी बाकी है और इस के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
ख	भारत सरकार को देय पट्टा किराए पर ब्याज का प्रावधान नहीं किया	-	8.04	

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, सहायक कंपनी के संबंध में आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31,2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
क अधिग्रहण के बाद आकस्मिक देयटा (जिस सीमा तक प्रावधान नहीं किया गया है)			
क गारंटी			
i ऋण पत्र	6,419.41	1,714.34	कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
ii बैंक गारंटी	32,209.86	18,286.06	बैंक गारंटियां कंपनी की ओर से विभिन्न बैंकों द्वारा उसके ग्राहकों को जारी की गई गारंटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

कंपनी को अपनी वस्तुसूची और व्यापार प्राप्तियों सहित चालू परिसंपत्तियों के बंधक की सुरक्षा के बदले 108753.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष - 56853.00 लाख रुपए) की निधि आधारित और गैर निधि आधारित सीमाएं मंजूर की गई हैं।

ख पूर्ववर्ती टेबमा अवधि से संबंधित आकस्मिक देयताएं

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31,2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
i. कर संबंधी मामले (महानिदेशक विदेश व्यापार)			
- जहां कंपनी अपील में है (मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)। ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है।	437.01	425.71	कंपनी ने विदेश व्यापार अधिनियम के तहत जुर्माना, सीमा शुल्क और ब्याज लगाने वाले डीजीएफटी के आदेशों के खिलाफ रिट याचिका दायर की है, जिसमें यह बताने के लिए कारण बताए गए हैं कि याचिकाकर्ता का नाम विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के संदर्भ में आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। 03 अगस्त 2022 को अगले आदेश तक अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।
- जहां कंपनी अपील में है (मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)। ब्याज राशि सहित प्रकट की गई राशि, जो वसूल की जा सकती है।	804.70	749.43	कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण बताया गया कि क्यों न याचिकाकर्ता का नाम डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के अनुसार आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से मना करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में डाला जाए। अगले आदेश तक 03 अगस्त 2022 को अंतरिम स्थगन आदेश दिया गया।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31,2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
- जहां कंपनी अपील में है (कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका लंबित है)	प्रकृति और दायित्व कॉलम का विवरण देखें	प्रकृति और दायित्व कॉलम का विवरण देखें	कारण बताओ नोटिस जारी कर आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के संबंध में 918.90 लाख रुपए का सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) हासिल करने में विफलता रही और वर्ष 2016-17 के लिए मालपे ईओयू के संबंध में वार्षिक प्रगति रिपोर्ट (एपीआर) दाखिल करने में भी विफलता रही, जिसके परिणामस्वरूप गैर-पूर्ति हुई, जो एफटीपी का उल्लंघन है और इस प्रकार याचिकाकर्ता को एफटी (डी एंड आर) अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत जुर्माना लगाने के लिए उत्तरदायी बनाया गया। उक्त नोटिस को उच्च न्यायालय के दिनांक 27/3/25 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने कारण बताओ नोटिस के अनुसरण में सभी कार्यवाही पर 15 दिसंबर 2021 के आदेश के तहत अंतरिम रोक लगा दी है। प्रतिवादियों ने मामले में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया है और मामला याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए पोस्ट किया गया है।
- जहां विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, वहां प्रकट की गई राशि में ब्याज की राशि भी शामिल है, जो लगाई जा सकती है।	364.17	339.16	कारण बताओ नोटिस जारी कर कारण स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता का नाम डीजीएफटी द्वारा विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9(2) के अनुसार आगे लाइसेंस/प्राधिकरण और अन्य निर्यात लाभ जारी करने से इनकार करते हुए अस्वीकृत इकाई सूची में क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। यूसीएसएल प्रतिनिधि ने व्यक्तिगत सुनवाई में भाग लिया और जवाब प्रस्तुत किया। आदेश की प्रतीक्षा है।
अन्य			
प्रवेश कर	76.90	76.90	ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि आईबीसी के नियमों के अनुसार समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो प्रचालन लेनदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है।
केंद्रीय / राज्य उत्पाद शुल्क / सेवा कर / सीमा शुल्क / माल और सेवा कर / वैट	1,234.65	1,234.65	
कर्नाटक वैट	11.91	11.91	सितंबर से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए आईटीसी के गलत दावे के लिए आदेश संख्या ZD2900223010218S दिनांक 20/2/23। ये सभी मामले माननीय एनसीएलटी द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित हैं और समाधान योजना में शामिल नहीं हैं क्योंकि आईबीसी के नियमों के अनुसार समाधान पेशेवर द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के जवाब में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया था और जो परिचालन लेनदारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हालांकि, माननीय एनसीएलटी के दिनांक 04-03-2020 के आदेश के अनुसार, कंपनी को संबंधित अधिकारियों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निर्देश दिया गया है। कंपनी ने अधिकारियों को तदनुसार जवाब दिया।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ब्योरा	31 मार्च 2025 को (₹ लाखों में)	मार्च 31,2024 को (₹ लाखों में)	प्रकृति एवं बाध्यता का संक्षिप्त विवरण
आयकर मामले	21.69	-	यह मामला वार्षिक वर्ष 2018-19 के लिए शुरू किया गया था और लेखा अधिकारी ने आय को वापस जोड़े जाने पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिए बिना आय को वापस जोड़ दिया था। चूंकि कंपनी उस समय एनसीएलटी प्रक्रिया के तहत थी, इसलिए कंपनी अपील दायर नहीं कर सकी, लेकिन बाद में माफ़ी मांगी गई और अपील दायर की गई। मामला कर अधिकारियों के पास अपील में लंबित है।
ii) वित्तीय मामले			
वादी: लोकनाथ एंटरप्राइज	-	35.91	सितंबर 2020 से वसूली की तारीख तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 21,83,714 रुपए की वसूली के लिए, 2016 से सीआईआरपी अवधि तक उनके द्वारा की गई सेवाओं के लिए, जिसके लिए समाधान पेशेवर द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। पार्टी ने तब से कंपनी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है।
वादी: कोचीन पत्तन न्यास	262.76	262.76	पोर्ट ने 28/03/2014 को कोच्चि के माननीय उप न्यायालय में 105 लाख रुपए की राशि 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूलने के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया था, जो कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए टगों पर देखे गए विनिर्माण दोषों को ठीक करने के लिए सीओपीटी द्वारा खर्च किया गया था। मामला मध्यस्थता के लिए न्यायालय में लंबित है।

ऊपर बताए गए मुकदमों के अलावा कोई अन्य मुकदमा लंबित नहीं है।

नोट 48.1. आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(I) आयकर निर्धारण

कंपनी का आय कर निर्धारण, निर्धारण वर्ष 2023-24 तक पूरा किया गया है।

निर्धारण वर्ष 2014-15, 2018-19 और 2017-18 के लिए कुल 1,389.86 लाख के निर्धारण आदेशों के अनुसार उठाए गए मांगों को आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की गई अपीलों के निपटान के लिए लंबित आकस्मिक देयता के अधीन दर्शाया गया है। ये मांगे आकस्मिक देयता के अंतर्गत दर्शाई गई हैं और मुख्य रूप से कुछ वास्तविक दावों को अस्वीकार किए जाने के कारण हैं। फिर भी, उपर्युक्त मांग कंपनी को देय प्रतिदेय के सामने समायोजित की गई है।

नोट 49. रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया अग्रिम बैंक गारंटी/क्षतिपूर्ति बांड का मूल्य 1032503.48 लाख रुपए (पिछले वर्ष 980057.45 लाख रुपए)।

नोट 50. मुकदमा:

ग्रूप साधारण में कानूनी कार्यवाही और दावों के अधीन है। कंपनी के प्रबंधन यथोचित उम्मीद नही करता है कि इन कानूनी कार्रवाई जब अतत समाप्त और निर्धारित की है, कंपनी के प्रचालन परिणामों पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 51. अनुसंधान एवं विकास/नई पहल व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2023-24
क) राजस्व व्यय	2,270.08	626.18
ख) पूंजी व्यय	2.83	1,450.47
	2,272.91	**2,076.65**

नोट सं. 4 और 42 का संदर्भ लें।

मुख्य स्वायत्त सतह पोत परियोजना के विकास के लिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पहल निधि के लिए 3500 लाख रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीएसएल के स्टैंडअलॉन वित्तीय परिणामों के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के आधार पर औसत कारोबार का 1% सीएसएल के अनुसंधान और विकास /नवाचार पहल के लिए वार्षिक बजट के रूप में अलग रखा जाएगा। इसके अलावा बोर्ड ने सीएसएल के स्टार्ट-अप नियुक्ति पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत, उषस परियोजना कलिए 5000 लाख रुपए से अधिक की फंडिंग सहायता की मंजूरी दे दी है।

नोट 52. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी ने एक सीएसआर समिति गठित की गई है। सीएसआर की गतिविधियों के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, सामाजिक सशक्तिकरण आदि और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची में बचाए गए, शामिल है। सीएसआर निधि का उपयोग, सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रत्यक्ष खर्च के माध्यम से किया जाता है। खर्च करने के लिए अपेक्षित राशि और उपयोग की राशि का विवरण निम्नानुसार है

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए अपेक्षित कुल राशि	1557.68	1369.01
ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1789.51	1444.38

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,419.72	-	1,419.72
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय की गई राशि का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान करने की राशि	कुल
(i) किसी परिसंपत्ति का निर्माण/प्राप्ति	1,096.17	-	1,096.17
(ii) उपर्युक्त (i) को छोडकर उद्देश्य	348.21	-	348.21
	1,444.38	**-**	**1,444.38**

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

धारा 135 (5) के मामले में खर्च की गई अधिक राशि	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(i) पिछले वित्तीय वर्षों से अग्रेषित राशि	170.00	110.00
(ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	1,789.51	1,444.38
(iii)सीएसआर व्यय के रूप में पीएंडएल से प्रभारित राशि	1,564.51	1,384.38
(iv)आगामी वित्तीय वर्षों में अग्रेषित राशि	395.00	170.00

दिनांक 31 मार्च 2025 तक, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार खर्च की जानेवाली आवश्यक राशि से 401.83 लाख रुपए अधिक खर्च किए, जिसमें से 6.83 लाख रुपए लाभ और हानि के लिए प्रभारित किए जाते हैं और 395 लाख रुपए अगले वित्तीय वर्षों में अग्रेषित किए जाते हैं।

(₹ लाखों में)

सीएसआर पर अतिरिक्त प्रकटीकरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
(i) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली राशि	1558.68	1369.01
(ii) किए गए व्यय की राशि,	1789.51	1444.38
(iii)वर्ष के अंत में कमी,	0.00	0.00
(iv)पिछले वर्षों की कुल कमी,	0.00	0.00
(v) कमी का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)सीएसआर गतिविधियों की प्रकृति : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी द्वारा सीएसआर समिति का गठन किया गया है। सीएसआर गतिविधि के क्षेत्रों में स्वास्थ्य, देखभाल, शिक्षा, सामाजिक अधिकारिता आदि और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII में अनुमत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। सीएसआर निधि का उपयोग सीएसआर समिति की सिफारिशों के अनुसार किया जाता है।		
(vii) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखा मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान,	शून्य	शून्य
(viii) जहां एक संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके किए गए दायित्व के संबंध में प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में संचलनों को अलग दिखाया जाएगा।	शून्य	शून्य

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 53. भारतीय लेखा मानक 24 के अनुसार संबंधी पार्टी प्रकटीकरण

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2024-25	2023-24
श्री मधु एस नायर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजोय भास्कर निदेशक (तकनीकी)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्रीजित के नारायणन निदेशक (प्रचालन)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री जोस वी जे निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेश कुमार सिंहा सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, भारत सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री बिजु प्रभाकर सरकारी अंशकालिक (नामांकित) निदेशक, केरल सरकार	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे (नवंबर 21, 2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी (नवंबर 21, 2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अशोक शर्मा (नवंबर 21, 2024 तक), गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन (मई 01, 2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री वेंकटेशन एम (नवंबर 21, 2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अभिजीत बिस्वास (नवंबर 21, 2024 तक) गैर सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री श्यामकमल एन कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री नीलकंठन ए एन(यूसीएसएल) निदेशक (दिनांक मई 03, 2022 से अगस्त 31, 2024 तक)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री राजेष गोपालकृष्णन (यूसीएसएल) निदेशक (दिनांक मई 03, 2022 से जनवरी 05, 2024 तक)और अक्तूबर 30, 2024 से	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अंजना के आर निदेशक, यूसीएसएल (जनवरी 06,2024 से) नामांकित निदेशक, हुगली-सीएसएल (26.03.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री हरिकुमार ए (यूसीएसएल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शंकर नटराज (यूसीएसएल) मुख्य वित्तीय अधिकारी (दिनांक नवंबर 25,2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री अश्विन शर्मा एम (यूसीएसएल) कंपनी सचिव	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री शेखर चक्रवर्ती (हुगली- सीएसएल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दिनांक 22.12.2021 से 12.12.2023 तक)	-	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

संबंधी पार्टी	संबंध की प्रकृति	
	2024-25	2023-24
श्री सनिल पीटर (हुगली-सीएसएल) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (15.12.2023 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री सैबल चट्टोपाध्याय (हुगली-सीएसएल) मुख्य वित्तीय अधिकारी (14.02.2022 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
श्री किरण के ए (हुगली-सीएसएल) कंपनी सचिव (16.10.2020 से)	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक
कार्यपालक और पर्यवेक्षक के लिए सीएसएल सेवानिवृत्ति पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ग्रूप उपदान ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल म्युचअल और सार्वजनिक कल्याण ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल अधिकारी और पर्यवेक्षक सेवानिवृत्ति लाभ ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सीएसएल बीमा से जुडा चिकित्सा सहायता ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना
सीएसएल कामगार पेंशन ट्रस्ट	रोज़गारोत्तर लाभ योजना	रोज़गारोत्तर लाभ योजना

लेनदेन की प्रकृति - मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	मार्च 31, 2024 को
अल्पकालीन लाभ	413.37	430.30
रोजगार के बाद के लाभ	50.11	52.60
कुल	**463.48**	**482.90**

लेनदेन की प्रकृति -अग्रिम

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2024 को खुला शेष	वर्ष 2024-25 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2025 को शेष	दिनांक 31.03.2025 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोस वी जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

(₹ लाखों में)

संबंधी पार्टी का नाम	दिनांक 01.04.2023 को खुला शेष	वर्ष 2023-24 के दौरान ली गई ऋण / अग्रिम	चुकौती	दिनांक 31.03.2024 को शेष	दिनांक 31.03.2024 को अर्जित ब्याज
बिजोय भास्कर	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
जोस वी जे	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
श्रीजित के एन	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
श्यामकमल एन	0.12	0.60	0.58	0.14	0.00

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

लेनदेन की प्रकृति- स्वतंत्र निदेशक के सिट्टिंग शुल्क

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को	31 मार्च 2024 को
श्रीमती आम्रपाली प्रशांत साल्वे	3.00	2.90
श्री नाहर सिंह माहेश्वरी	3.60	2.40
श्री अशोक शर्मा	3.30	2.60
श्री पृथ्वीराज हरिचंदन	0.30	2.40
श्री वेंकटेशन एम	2.10	1.80
श्री अभिजीत बिस्वास	3.60	2.60
कुल	**15.90**	**14.70**

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन और शेष (सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ ट्रस्ट/योजनाएं)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
i) लेनदेन		
रोजगार पश्चात योजनाओं में योगदान (वर्ष के लिए)	3,444.90	1,917.62
ii) शेष राशि		
ट्रस्ट को देय (निवल)	104.12	1,505.56

सरकार और उसी सरकार के नियंत्रणवाली संस्थाओं के साथ लेनदेन और शेष

दिनांक 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार के पास कंपनी के 67.91% इक्विटी शेयर हैं जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत सरकार पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माध्यम से कंपनी को नियंत्रित करती है।

ग्रूप ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के साथ और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नियंत्रित या संयुक्त रूप से नियंत्रित या महत्वपूर्ण प्रभाव रखनेवाली संस्थाओं के साथ विभिन्न लेनदेन किए हैं।

i) भारत सरकार के साथ लेनदेन / शेष

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भारत सरकार को देय राशि	234.19	420.09
वर्ष के दौरान भारत सरकार को लाभांश के रूप में भुगतान की गई राशि	17,713.30	17,251.82
वर्ष 2024-25 के दौरान एचसीएसएल द्वारा भारत सरकार (एमओपीएसडब्ल्यू) को पट्टा किराया और सुरक्षा जमा के रूप में भुगतान की गई राशि	235.91	

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
भुगतान किए पट्टा किराया	2,675.87	3,561.80
बिजली एवं जल आपूर्ति शुल्क	1,613.37	988.27
वार्षिक लाभ शेयर भुगतान	227.73	299.51
कर्मचारी संबंध खर्च	596.68	349.39
आईएसआरएप क्षेत्र की ड्रेजिंग	429.73	-
टग्स और पायलटेज शुल्क	360.99	-
गारंटीकृत राशि	233.04	-
शिफ्टिंग एवं कोल्ड मूवमेंट व्यय	-	80.16
किराया एवं भाडा सेवाएं	-	860.84
ली गई विविध सेवाएं	-	232.75
पांडु- परियोजना और एजेंसी शुल्क के लिए आईडब्ल्यूएआई- फंड प्राप्त हुआ	12,539.00	3,600.00
प्रचालन से राजस्व	4,130.17	17,679.73

iii) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण संतुलन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष
देय	26.46	47.66
आपूर्तिकर्ताओं को प्रदत्त अग्रिम राशि	72.09	35.20
प्राप्य	2,787.77	9,050.19
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	4,260.63	6,348.32
आईडब्ल्यूएआई- पांडु परियोजना निधि	6,850.84	1,948.32

उपरोक्त के अलावा, कंपनियों के कुल कारोबार का लगभग 82.00% (लगभग) और व्यापार प्राप्तियों और ग्राहक अग्रिम का 89% (लगभग) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत सरकार और सरकार से संबंधित संस्थाओं के संबंध में है।

नोट 54. वित्तीय साधन

अंकित मूल्य पदानुक्रम मूल्यांकन मानकों के लिए इनपुट पर आधारित है जो अंकित मूल्य को मापने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो या तो सुस्पष्ट या असुस्पष्ट है और निम्नलिखित तीन स्तरों में शामिल हैं:

स्तर I इनपुट, समान परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिय बाजार में उद्धृत दर (असमायोजित) है जिससे कंपनी माप की तिथि तक उपयोग कर सकती है।

स्तर II इनपुट, स्तर I में शामिल उद्धृत दर को छोडकर इनपुट हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में परिसंपत्ति या देयता के लिए विचार योग्य है।.

स्तर III इनपुट, परिसंपत्ति या देयता के लिए अप्रभावी इनपुट है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

निम्न तालिका आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों तथा देयताओं का संक्षेप प्रस्तुत करती है और वित्तीय विवरणों को आवर्ती आधार पर अंकित मूल्य पर मापा नहीं जाता है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय परिसंपत्तियां/ वित्तीय देयताएं	अंकित मूल्य		अंकित मूल्य अनुक्रम
	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को	
वित्तीय परिसंपत्तियां			
गैर-चालू			
(i) निवेश	19.26	12.55	स्तर III
(ii) ऋण	551.52	524.28	स्तर III
(iii) अन्य	569.19	2,004.19	स्तर III
चालू			
(i) प्राप्य व्यापार	22,903.17	30,344.98	स्तर III
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	31,667.12	30,641.30	स्तर III
(iii) बैंक शेष (ii) को छोडकर	2,79,595.10	3,55,759.25	स्तर III
(iv) ऋण	131.10	115.11	स्तर III
(v) अन्य	27,044.51	15,191.73	स्तर III
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	3,62,480.97	4,34,593.39	
वित्तीय देयताएं			
गैर-चालू			
(i) उधार	2,302.20	2,302.20	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	46,013.72	44,925.88	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.99	18.27	स्तर III
चालू			
(i) उधार	4,599.11	-	स्तर III
(i) देय व्यापार	50,138.34	46,512.01	स्तर III
(ii) पट्टा देयताएं	3,125.68	2,991.88	स्तर III
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	23,187.60	18,255.60	स्तर III
कुल वित्तीय देयताएं	**1,29,386.64**	**1,15,005.84**	

नोट:

1. इक्विटी साधनों में निवेश व्यापार के लिए नहीं है। इसके बजाय, वे मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक उद्देश्यों के लिए हैं। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को एफवीटीओसीआई के रूप में इक्विटी साधनों में निर्दिष्ट करने के लिए चुना है, क्योंकि निदेशक का मानना है कि यह मध्यम या दीर्घकालिक सामरिक निवेश की एक अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है, जो कि लाभ और हानि में तुरंत अंकित मूल्य में बदलाव को दर्शाता है। डेबिट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश ट्रेडिंग के लिए नहीं होता है। भारतीय लेखा मानक 109 के अनुप्रयोग पर, कंपनी ने इन निवेशों को परिशोधित ऋण में नामित करने के लिए चुना है।

   अंकित मूल्य अनुक्रम के स्तर 3 में शामिल निवेश उनके अंकित मूल्य पर पहुँचने के लिए लागत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए मूल्यांकन किया गया है। उद्धृत न किए निवेशों की लागत अंकित मूल्य के अनुरूप है इसलिए कि जहां संभाव्य अंकित मूल्य माप के एक विस्तृत श्रृंखला होती है और लागत उस सीमा के भीतर अंकित मूल्य के अनुमान की ओर है।

   इस अवधि में स्तर 1 और 2 के बीच कोई अंतरण नहीं है।

2. ऋण, उधार बाजार दर पर है और अतः वहन राशि, अंकित मूल्य है।

3. प्राप्य व्यापार, व्यापार और अन्य देनदारियों, लघु अवधि के ऋण के कैरिइंग राशि को उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके अंकित मूल्य के समान माना जाएगा।

   बैंक जमाराशियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, अन्य वित्तीय देयताओं और ऋण के कैरिइंग राशि और अंकित मूल्यों के बीच के अंतर, आगे, परिशोधित लागत में मापा गया है जो प्रस्तुत प्रत्येक हर सालों में महत्वपूर्ण नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

श्रेणीवार वित्तीय साधन

(₹ लाखों में)

	मार्च 31, 2025 को			मार्च 31, 2024 को		
	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत / लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश (गैर चालू)						
- इक्विटी साधन		19.26		-	12.55	-
- ऋण साधन				-	-	-
- वरीयता शेयर				-	-	-
निवेश (चालू)				-	-	-
- म्यूचवल फंड				-	-	-
ऋण				-	-	-
प्राप्य व्यापार			22,903.17	-	-	30,344.98
नकद एवं नकद समतुल्य			31,667.12	-	-	30,641.30
बैंक शेष			2,79,595.10	-	-	3,55,759.25
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां			28,296.32	-	-	17,835.31
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**19.26**	**3,62,461.71**	**-**	**12.55**	**4,34,580.84**
वित्तीय देयताएं						
ऋण			6,901.31	-	-	2,302.20
प्राप्य व्यापार			49,139.40	-	-	47,917.76
पूंजीगत लेनदारों			50,138.34	-	-	46,512.01
अन्य वित्तीय देयताएं			23,207.59	-	-	18,273.87
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**-**	**1,29,386.64**	**-**	**-**	**1,15,005.84**

नोट 55. वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीति

वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और नीतियां:

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं, व्युत्पन्न को छोडकर, में ग्राहकों के ऋण और उधार, व्यापार और अन्य भुगतान और अग्रिम शामिल होते हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में निवेश, ऋण और अग्रिम, व्यापार और अन्य प्राप्य और नकद और बैंक शेष शामिल हैं जो सीधे इसके प्रचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और संपत्ति जोखिम के लिए उजागर है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ -साथ विदेशी मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम, क्रेडिट जोखिम, व्युत्पन्न वित्तीय साधनों और गैर-व्युत्पन्न वित्तीय साधनों के उपयोग और अतिरिक्त तरलता के निवेश जैसे विशिष्ट क्षेत्रों को कवर करनेवाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है। कंपनी सट्टा उद्देश्यों के लिए व्युत्पन्नों सहित वित्तीय साधनों में प्रवेश या व्यापार नहीं करती है।

बाजार जोखिम

बाजार जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। बाजार जोखिम में तीन प्रकार जोखिम शामिल हैं : ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम और अन्य कीमत जोखिम, जैसे कि सामग्री जोखिम। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण और उधार, जमा और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

क. ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम, एक जोखिम है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के भविष्य नकदी प्रवाह के अंकित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे । बाज़ार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के लिए कंपनी का जोखिम न्यूनतम है क्योंकि एक्सपोज़र प्राथमिक रूप से नोट 23 और 28 में बताए गए अनुसार निश्चित ब्याज दरों के साथ रिडीम करने योग्य गैर-परिवर्तनीय बांड के कंपनी के दीर्घकालिक ऋण दायित्वों से संबंधित है। स्थायी दर उधारी के मौजूदा प्रोफाइल के साथ, कंपनी ब्याज दर में उतार-चढाव के प्रति संवेदनशील नहीं है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

ख. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम, एक जोखिम है जो ऋण जोखिम के भविष्य नकदी प्रवाह या अंकित मूल्य बाजार विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण बदलते रहेंगे। विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन जोखिम की ओर कंपनी के ऋण जोखिम, मुख्य रूप से कंपनी के प्रचालन गतिविधियों से संबंधित है (जब राजस्व या खर्च विदेशी मुद्रा में नामित करने पर)।

नियंत्रक कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम बोर्ड द्वारा अनुमोदित उचित रूप से प्रलेखीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के माध्यम से प्रबंध किया जाता है। निदेशक मंडल तिमाही आधार पर कंपनी के विदेशी मुद्रा खुलासा की भी समीक्षा करता है। कंपनी मुख्य रूप से काउंटर पार्टी के रूप में बैंक के साथ वायदा अनुबंध करके शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम का प्रबंधन करती है। रिपोर्टिंग तिथि को बकाया वायदा संविदा का प्रकटीकरण नोट 47 में दिया गया है।

आईएनआर (विदेशी मुद्रा राशि को समापन दर से गुणा किया गया) में व्यक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत में हेज किए गए एक्सपोजर के शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र निम्नानुसार है :

(₹ लाखों में)

विवरण	एसजीडी	एईडी	यूएसडी	यूरो	जीबीपी	एनओके	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियां							
31 मार्च 2025			6,057.16	22,567.71	-	11,813.30	40,438.17
31 मार्च 2024			544.41	46,229.69	-	7,276.80	54,050.90
वित्तीय देयताएं							
31 मार्च 2025	1.22	1.42	7,742.59	12,488.41	69.93	307.91	20,611.48
31 मार्च 2024			5,915.16	19,494.53	47.12	133.84	25,590.65

विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रति लाभ/हानि की संवेदनशीलता मुख्यतः विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तिय लिखतों से उत्पन्न होती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग की मौद्रिक मदें शामिल हैं जो हेज अकाउंटिंग प्रभाव के शुद्ध हैं और वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन के लिए उनके अनुवाद को समायोजित करते हैं, अन्य सभी चर स्थिर रहते हैं। संवेदनशीलता दर विदेशी विनिमय दरों में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करती है।

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
प्राप्तियां		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
एनओके - ₹ 5% का सुदृढीकरण	-	-
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	-	-
देय		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(387.13)	(295.75)
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	387.13	295.75
यूरो - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(624.43)	(974.73)
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	624.43	974.73
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(3.49)	(2.36)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	विदेशी मुद्रा दरों में 5% परिवर्तन	
	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	3.49	2.36
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(0.07)	-
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.07	-
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	(0.06)	-
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	0.06	-
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	(15.39)	(6.69)
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	15.39	6.69
कर पूर्व लाभ		
यूएसडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	387.13	295.75
यूएसडी - ₹ 5% की कमजोरी	(387.13)	(295.75)
यूरो -₹ 5% का सुदृढीकरण	624.43	974.73
यूरो - ₹ 5% की कमजोरी	(624.43)	(974.73)
जीबीपी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	3.49	2.36
जीबीपी - ₹ 5% की कमजोरी	(3.49)	(2.36)
एईडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.07	-
एईडी - ₹ 5% की कमजोरी	(0.07)	-
एसजीडी - ₹ 5% का सुदृढीकरण	0.06	-
एसजीडी - ₹ 5% की कमजोरी	(0.06)	-
एनओके- ₹ 5% का सुदृढीकरण	15.39	6.69
एनओके - ₹ 5% की कमजोरी	(15.39)	(6.69)

ग. सामग्री कीमत जोखिम

कंपनी कुछ सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता से प्रभावित है। इसके प्रचालन गतिविधियों के लिए स्टील, मुख्य मशीनरियां, उपकरण आदि खरीदने की आवश्यकता है। कंपनी मुख्य रूप से अपने कच्चे माल को खुले बाज़ार में तीसरे पक्ष से खरीदती है। इसलिए कंपनी स्टील की खरीद के लिए कीमतों में उतार-चढाव के अधीन है, जोकि प्राथमिक कच्चा माल इनपुट है। कंपनी कस लक्ष्य तैयार उत्पादों को फर्म अनुबंध के आधार पर बेचना है, जिस पर अपेक्षित कच्चे माल की कीमतों पर विचार करने के बाद बातचीत की जाती है। अतः कंपनी को कीमत अनुकूल बनाने के लिए निकटता से खरीदने हेतु योजना है। इसके अलावा, चूंकि उत्पाद एक विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, जो प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं और इसके विनिर्देशों के कारण प्रकृति में विषम है, कंपनी के कमोडिटी जोखिम के लिए जोखिम न्यूनतम है।

निम्नलिखित तालिका स्टील के इनपुट मूल्य में 5% की गति के प्रति कंपनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। संवेदनशीलता विश्लेषण में वर्ष के दौरान उपभोग की गई मात्रा के लिए कमोडिटी की कीमतों में केवल 5% परिवर्तन शामिल है, अन्य सभी चर स्थिर हैं।

(₹ लाखों में)

वस्तु	5 % की वृद्धि		5 % की कमी	
	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
स्टील	850.99	735.24	(850.99)	(735.24)

चल निधि जोखिम

जोखिम है कि एक इकाई को वित्तीय देनदारियों से जुडे दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पडेगा जो नकद या किसी अन्य वित्तीय संपत्ति को वितरित करके तय किए जाते हैं। चलनिधि जोखिम किसी वित्तीय आस्ति को उसके उचित मूल्य के निकट की दर पर शीघ्रता से बेचने में असमर्थता के कारण उत्पन्न हो सकता है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

कंपनी को अल्पकालिक परिचालन आवश्यकताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक पूंजीगत व्यय वृद्धि परियोजनाओं दोनों के लिए धन की आवश्यकता होती है। कंपनी संचालन के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करती है, जो उपलब्ध नकदी और नकद समकक्षों के साथ अल्पकालिक और लंबी अवधि में चल निधि प्रदान करती है और पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी करके और परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चल निधि जोखिम का प्रबंधन करती है। वित्तीय आस्तियों और देनदारियों जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को			मार्च 31, 2024 को		
	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष	< 1 वर्ष	1-3 वर्ष	> 3 वर्ष
वित्तीय परिसंपत्ति						
गैर चालू निवेश			19.26	-	-	12.55
ऋण (गैर चालू)		228.43	323.09	-	231.17	293.11
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5.75	440.63	122.81	-	1,906.79	97.40
प्राप्य व्यापार	22,903.17	-	-	30,344.98		-
रोकड और रोकड समतुल्य	31,667.12	-	-	30,641.30	-	
रोकड और रोकड समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष	2,79,595.10	-	-	3,55,759.25	-	
ऋण	131.10	-	-	115.11	-	
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	26,724.33	320.18		11,712.30	3,457.23	22.20
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**3,61,026.57**	**989.24**	**465.16**	**4,28,572.94**	**5,595.19**	**425.26**
वित्तीय देयताएं						
उधार	2.20	-	2,300.00	2.20		2,300.00
पट्टा देयताएं (गैर चालू)	594.37	6,675.05	38,744.30	-	10,005.17	34,920.71
अन्य वित्तीय देयताएं	0.00	19.99	-	-	18.27	-
उधार	4,599.11	-	-	-	-	-
पट्टा देयताएं	3,125.68	-	-	2,991.88		
प्राप्य व्यापार	50,138.34	-	-	46,512.01		
अन्य वित्तीय देयताएं	22,680.97	506.63	-	18,248.64	6.96	
कुल वित्तीय देयताएं	**81,140.67**	**7,201.67**	**41,044.30**	**67,754.73**	**10,030.40**	**37,220.71**

ऋण जोखिम

ऋण जोखिम, एक जोखिम है जिसमें प्रतिपक्ष किसी वित्तीय साधन या ग्राहक ठेके के अधीन अपने दायित्वों को पूरा नहीं करेंगे जो वित्तीय नुकसान के कारक है। कंपनी अपनी प्रचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम) से ऋण जोखिम के संपर्क में है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों, व्युत्पन्न उपकरणों और अन्य वित्तीय साधनों के साथ जमा सहित अन्य वित्तीय संपत्तियों के संपर्क में है। कंपनी ने केवल उन प्रतिपक्षकारों से निपटने की नीति अपनाई है जिनके पास क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त रूप से उच्च क्रेडिट रेटिंग है। व्यापार प्राप्य में मुख्य रूप से सरकारी संस्थाएं शामिल होती हैं और नकद और नकद समक्ष और व्युत्पन्न उपकरण बैंकों और उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थानों के पास बनाए जाते हैं।

व्यापार प्राप्तियों के लिए एक व्यावहारिक सुविधा के रूप में कंपनी एक प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर क्रेडिट हानि भत्ता की गणना करती है जो व्यापार प्राप्तियों के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से देखी गई डिफॉल्ट दरों पर विचार करती है, जो आगे के अनुमानों के लिए समायोजित होती है। अपेक्षित ऋण हानि भत्ते में उतार-चढाव का खुलासा नोट 15 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 और दिनांक 31 मार्च 2024 के रूप में तुलन पत्र के घटकों के लिए क्रेडिट जोखिम हेतु कंपनी का अधिकतम एक्सपोज़र नोट संख्या 15 में उल्लिखित अग्रणी राशि है और जैसा कि नोट 53 में कहा गया है, कंपनी के कारोबार का लगभग 82.00% और व्यापार प्राप्तियों का 89.00% (लगभग) और ग्राहक इसे सरकार और सरकार द्वारा विनियमित संस्थाओं के संबंध में अग्रिम करते हैं। वित्तीय व्युत्पन्न लिखतों और वित्तीय गारंटियों से संबंधित अधिकतम एक्सपोज़र का खुलासा क्रमशः नोट 47 और नोट 48 में किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 56. भारतीय लेखा मानक 1 वित्तीय विवरण की प्रस्तुति के अनुसार प्रकटीकरण

क. चालू परिसंपत्तियों की वसूली बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को			मार्च 31, 2024 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
माल सूची	1,88,510.72	-	1,88,510.72	1,02,609.40	-	1,02,609.40
प्राप्य व्यापार	22,903.17	-	22,903.17	30,344.98		30,344.98
रोकड और रोकड तुल्यांक	31,667.12	-	31,667.12	30,641.30	-	30,641.30
बैंक शेष	2,79,595.10	-	2,79,595.10	3,55,759.25	-	3,55,759.25
ऋण	131.10	-	131.10	115.11	-	115.11
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	26,724.33	320.18	27,044.51	11,712.30	3,479.43	15,191.73
वर्तमान कर संपत्ति (निवल)	-	-	-	323.10	-	323.10
अन्य चालू परिसंपत्तियां	4,01,214.68	15,586.54	4,16,801.22	2,36,983.12	90,027.85	3,27,010.97

ख. वर्तमान देनदारियों का निपटान बारह महीनों के भीतर और रिपोर्टिंग तिथि से बारह महीनों के बाद होने की उम्मीद है :

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को			मार्च 31, 2024 को		
	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल	बारह महीने के अंदर	बारह महीने के बाद	कुल
उधार	4,599.11	-	4,599.11	-	-	-
पट्टा देयता	3,125.68	-	3,125.68	2,991.88	-	2,991.88
व्यापार देय	50,138.34	-	50,138.34	46,512.01	-	46,512.01
अन्य वित्तीय देयता	21,280.82	1,906.78	23,187.60	17,184.49	1,071.11	18,255.60
अन्य वर्तमान देयता	1,20,195.23	4,21,356.74	5,41,551.97	32,330.05	4,88,652.74	5,20,982.79
प्रावधान	1,02,286.48	359.20	1,02,645.68	62,520.48	359.20	62,879.68
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	2,460.25	-	2,460.25	-	-	-

नोट 57. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्रमुख प्रचालन खंडों को पहचान किया है : पोत निर्माण और पोतों की मरम्मत/अपतटीय संरचना। खंडवार विश्लेषण उपर्युक्त आधार पर किया गया है और एक उचित आधार पर राशि को आबंटित किया गया है।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
खंड परिसंपत्तियां		
पोत निर्माण	8,69,295.75	6,07,070.02
पोत मरम्मत	3,48,802.99	3,03,047.43
अनाबंटित	1,21,823.99	2,94,105.08
कुल	**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
खंड देयता		
पोत निर्माण	4,47,070.26	4,27,954.21
पोत मरम्मत	1,01,937.09	47,378.09
अनाबंटित	2,32,989.35	2,28,556.56
कुल	**7,81,996.70**	**7,03,888.86**
खंड राजस्व		
पोत निर्माण*	2,95,538.68	2,82,408.69
पोत मरम्मत*	1,86,457.20	1,00,636.73
अनाबंटित	38,906.50	31,018.09
कुल	**5,20,902.38**	**4,14,063.51**
खंड परिणाम		

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
पोत निर्माण	46,134.73	58,920.72
पोत मरम्मत	72,919.61	36,320.76
अनाबंटित	(2,679.74)	15,176.39
कुल	**1,16,374.60**	**1,10,417.87**

निरंतर परिचालन से कर पूर्व लाभ के लिए खंड परिणाम :

(₹ लाखों में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
खंड परिणामों के अनुसार राशि	1,16,374.60	1,10,417.87
घटाएं : वित्तीय लागत	3,857.55	3,324.11
जोड़ः विशेष मदें	-	-
निरंतर परिचालन से कर से पहले लाभ	1,12,517.05	1,07,093.76

कंपनी के दो प्रमुख व्यवसाय खंड हैं - 'पोत निर्माण' और 'पोत मरम्मत'। पोत निर्माण के अंतर्गत राजस्व में दो ग्राहकों (पिछले वर्षः एक ग्राहक) से 206665.27 लाख रुपए (पिछले वर्षः ₹230672.72 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत निर्माण राजस्व का 69.93% राजस्व है, और पोत मरम्मत के लिए दो ग्राहकों (पिछले वर्षः दो ग्राहक) से 153005.55 लाख रुपए (पिछले वर्षः ₹63351.17 लाख) शामिल हैं, जो कुल पोत मरम्मत राजस्व का 82.06% है।

* प्रचालन से प्राप्त राजस्व में से 72,826.99 लाख रुपए (पिछले वर्ष 26135.62 लाख रुपए) निर्यात ऑर्डर से प्राप्त राजस्व से संबंधित हैं।

नोट 58. पूंजी प्रबंधन

जब पूंजी के प्रबंध कर रहे हैं, तब चालू विचार के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना कंपनी का उद्देश्य है, ताकि वे पूंजी की लागत को कम करने के लिए शेयरधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रखें और इष्टतम पूंजी संरचना को बनाए रखें।

पूंजी प्रबंधन के इस उद्देश्य के लिए, पूंजी में उत्पादक के इक्विटीधारकों के लिए सभी अन्य इक्विटी आरक्षण कारणों और जारी इक्विटी पूंजी शामिल हैं। कंपनी किसी भी विदेशी लगाए गए पूंजी अपेक्षाओं के अधीन नहीं है।

पूंजी संरचना को बनाए रखने और समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को लाभांश भुगतान, शेयरधारकों को वापसी पूंजी या नए शेयर जारी कर सकते हैं। कंपनी एक गियरिंग अनुपात जो कुल इक्विटी द्वारा विभाजित निवल ऋण है, का उपयोग करते हुए पूंजी की जांच करती है। कंपनी में निवल ऋण, ब्याज ऋण और उधार (बांड सहित) शामिल हैं।

(₹ लाखों में)

विवरण	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को
दीर्घकालीन उधार	2,302.20	2,302.20
निवल ऋण	2,302.20	2,302.20
इक्विटी शेयर पूंजी	13,154.04	13,154.04
अन्य इक्विटी	5,44,771.99	4,87,179.63
कुल इक्विटी	5,57,926.03	5,00,333.67
गियरिंग अनुपात	0.41%	0.46%

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्षों के दौरान, पूंजी प्रबंधन के लिए लक्ष्यों, नीतियों या प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुपात	अंश	भाजक	मार्च 31, 2025 को	मार्च 31, 2024 को	% परिवर्तन	यदि परिवर्तन 25% से अधिक है तो टिप्पणियाँ
(क)वर्तमान अनुपात	चालू परिसंपत्तियां	चालू देयताएं	1.33	1.33	(0.12%)	-
(ख)ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.01	0.00	1.69	
(ग) ऋण सेवा कवरेज अनुपात	* ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	13.85	11.89	16.47%	
(घ) इक्विटी अनुपात पर वापसी	कर पश्चात निवल लाभ - वरीयता लाभांश (यदि कोई हो)	औसत शेयरधारक इक्विटी	0.16	0.17	(5.87%)	
(ङ)वस्तुसूची कुल बिक्री अनुपात	प्रचालन से राजस्व	औसत सूची	3.31	5.48	(39.53%)	वर्तमान में निर्माण के विभिन्न चरणों में जलयानों के लिए स्टॉक मे रखी गई परियोजना-विशिष्ट सामग्रियों और उपकरणों के कारण-
(च)व्यापार प्राप्य कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री	औसत प्राप्य खाता	14.18	8.77	61.75%	कुल कारोबार में वृद्धि और व्यापार प्राप्तियों में कमी के कारण
(छ)व्यापार देय कुल बिक्री अनुपात	निवल क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	6.19	7.01	(12%)	-
(ज)निवल पूंजी कुल बिक्री अनुपात	कुल बिक्री	कार्यशील पूंजी	2.02	1.82	10.79%	
(झ)निवल लाभ अनुपात,	कुल लाभ	कुल बिक्री	0.17	0.20	(16.06%)	
(ञ)नियोजित पूंजी पर वापसी	ब्याज और करों से पहले कमाई	गोचर निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.21	0.22	(6.47%)	
ट) निवेश पर वापसी : इक्विटी निवेश पर आरओआइ	लाभांश	इक्विटी शेयरों में औसत निवेश	0.03	0.05	(24.89%)	

*ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद प्रचालन व्यय जैसे मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि।

*ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती

नोट 59. सहायक कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	व्यवसाय का मुख्य स्थान	दिनांक 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 तक आनुपातिक स्वामित्व %
1	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक कंपनी	विभिन्न प्रकार के जलयानों का निर्माण और उनकी मरम्मत	कोलकाता, भारत	100%
2	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सहायक कंपनी	विभिन्न प्रकार के पोतों का निर्माण और उनकी मरम्मत	माल्पे, भारत	100%

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

नोट 60. सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है :

सहायक कंपनी के लिए बताई गई राशि अंतर-कंपनी उन्मूलन से पहले की है।

क. हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

(₹ लाखों में)

संक्षेपित तुलन पत्र	2024-25	2023-24
गैर-चालू परिसंपत्तियां	16374.32	16,732.33
वर्तमान परिसंपत्तियां	14188.60	9,226.46
कुल परिसंपत्तियां	**30562.92**	**25,958.79**
गैर-चालू देयताएं	9998.45	9,868.78
चालू देयताएं	14387.43	8,146.92
कुल देयताएं	**24385.88**	**18,015.70**
निवल परिसंपत्तियां	**6177.04**	**7,943.09**
संचित एनसीआई	-	-

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2024-25	2023-24
राजस्व	5775.32	2,071.68
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	(1737.67)	(3,005.81)
अन्य व्यापक आय	(28.38)	0.84
कुल व्यापक आय	**(1766.05)**	**(3,004.97)**
एनसीआई के लिए लाभ/(हानि)	-	-

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	2024-25	2023-24
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	1472.35	547.54
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	39.18	94.69
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(370.37)	(715.12)
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी	**1141.16**	**(72.89)**

ख. उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड)

(₹ लाखों में)

संक्षेपित तुलन पत्र	2024-25	2023-24
गैर-चालू परिसंपत्तियां	14251.02	14,982.24
चालू परिसंपत्तियां	38320.94	17,130.54
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां	0.00	-
कुल परिसंपत्तियां	**52571.96**	**32,112.78**
गैर-चालू देयताएं	1696.16	2,140.80
चालू देयताएं	33745.69	13,689.45
कुल देयताएं	**35441.85**	**15,830.25**
निवल परिसंपत्तियां	**17130.11**	**16,282.53**
संचित एनसीआई	-	-

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

(₹ लाखों में)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	2024-25	2023-24
राजस्व	26563.60	17,971.62
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	262.78	111.38
अन्य व्यापक आय	584.80	305.54
कुल व्यापक आय	847.58	416.92
एनसीआई के लिए लाभ/(हानि)	-	-

(₹ लाखों में)

संक्षेपित नकदी प्रवाह	2024-25	2023-24
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(4329.04)	427.99
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(1931.83)	(579.36)
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह	4500.02	995.73
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि/कमी	(1760.85)	844.36

नोट 61. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

(₹ लाखों में)

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसंपत्ति			लाभ या (हानि) में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	दिनांक 31 मार्च 2025 तक स्वामित्व %	आनुपातिक हिस्सा	समेकित निवल परिसंपत्ति के % के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ/हानि के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में शेयर	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सा	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	561065.20	101%	84290.64	101.88%	(162.14)	(41.12%)	84128.50	101.20%
सहायक कंपनी									
हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	6177.04	1.11%	(1737.67)	(2.10%)	(28.38)	(7.20%)	(1766.05)	(2.12%)
उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	100.00%	17130.11	3.07%	262.78	0.32%	584.80	148.32%	847.58	1.02%
समेकित समायोजन		(26446.32)	(4.74%)	(82.70)	(0.10%)	0.00	0%	(82.70)	(0.10%)
कुल योग		**557926.03**	**100%**	**82733.05**	**100.00%**	**394.28**	**100.00%**	**83127.33**	**100.00%**

नोट 62. वर्ष के लिए आयातित वस्तुओं/ सेवाओं की खपत 90542.96 लाख रुपए है (पिछले वर्ष 85639.89 लाख रुपए)

नोट 63. कंपनी ने अपने खाता बही को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर के रूप में ईआरपी, एसएपी एस/4 हाना का उपयोग है, जिसमें नीचे उल्लिखित उदाहरणों को छोडकर संबंधित सॉफ्टवेयरों में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष सुरक्षा लेखापरीक्षा लॉग और रिकॉर्डिंग लेखापरीक्षा ट्रेल (संपादित लॉग) की सुविधा है।

i. लेखा बहियों के रखरखाव के लिए उपयोग किए जानेवाले लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए डेटा परिवर्तनों को लॉग करने के लिए पहचाने गए डेटाबेस तालिकाओं के लिए लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम की गई थी। हालांकि, एसएपी डेटाबेस तालिकाओं में कोई भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

ii. ईआरपी में वर्ष 2022 से सुरक्षा लेखापरीक्षा सक्षम किया गया। लेखांकन सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्डिंग की सुविधा मार्च 2024 में सक्षम की गई।

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

इसके अलावा, लेखांकन सॉफ्टवेयर के संबंध में लेखापरीक्षा ट्रेल सुविधा के साथ छेडछाड का कोई मामला सामने नहीं आया और रिकॉर्ड सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में संरक्षित है।

नोट 64. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के सामने कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

नोट 65. नियंत्रक कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। कंपनी को कई बैंकों द्वारा 5 करोड रूपए से अधिक की कुल गैर-निधि आधारित सीमाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनका आवश्यकता पडने पर लाभ उठाया जाता है। कई बैंकों द्वारा 5 करोड रूपऐ से अधिक की कुल निधि आधारित सीमा भी स्वीकृत की गई है, जिसका कंपनी ने लाभ नहीं उठाया है। कंपनी को बैंकों के साथ कोई तिमाही विवरणी या विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

हुगली- सीएसएल की सहायक कंपनी ने चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से उधार लिया है। कंपनी ने बैंक या वित्तीय संस्थानों के साथ चालू परिसंपत्तियों के मासिक/तिमाही विवरणी /विवरण दाखिल करने की आवश्यकता अनुपालन किया है, और ये रिटर्न दिनांक 31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा बहियों के अनुरूप थे।

यूसीएसएल की सहायक कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड रुपए से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल तिमाही रिटर्न या विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

नोट 66. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है,

नोट 67. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कंपनी का कोई लेनदेन नहीं है।

नोट 68. कंपनी ने मौजूदा पोत मरम्मत सुविधा के विकास, डिज़ाइन, निर्माण, आधुनिकीकरण, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए नवंबर 2019 से 30 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक लाइसेंस के आधार पर अंडमान और निकोबार प्रशासन के साथ समझौता किया है, जिसे सीएसएल-अंडमान व निकोबार पोत मरम्मत यूनिट (सीएएनएसआरयू) नाम दिया गया है।

नोट 69. वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत होने के लिए अभी तक कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है।

नोट 70. कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या इकाई को कोई भी धनराशि अग्रिम या उधार या निवेश नहीं की गई है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी प्रकार के निधि से), समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगा। कंपनी को विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टियां) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थी की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान करेगी।

कंपनी को समझ के साथ विदेशी संस्थाओं (निधिकरण पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या इकाई से कोई निधि प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनी (i) निधिकरण पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या निवेशी करेगी या (ii) अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह की गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, चेन्नई (एनसीएलटी) ने 25 सितंबर, 2018 के अपने आदेश के जरिए दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आईबीसी) के तहत उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) पूर्व में टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड (टीएसएल) की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू की। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने अक्तूबर 2019 में लेनदारों की समिति (सीओसी) को टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए समाधान योजना प्रस्तुत

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

की। माननीय एनसीएलटी ने 04 मार्च, 2020 के अपने आदेश के जरिए सीएसएल को सफल समाधान आवेदक घोषित किया। सीएसएल द्वारा 65 करोड़ रुपए की बोली राशि का भुगतान किया गया और समाधान योजना का एक बड़ा हिस्सा लागू किया गया और वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में लेखा पुस्तकों में इसका लेखा-जोखा रखा गया।

एनसीएलटी के आदेश से पहले की अवधि से संबंधित विभिन्न वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए मांग नोटिस के संबंध में, कंपनी को संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष कार्यवाही को समाप्त करने के लिए आवेदन दायर करने का निदेश दिया गया है।

नोट 71. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या आभासी मुद्रा में व्यापार या निवेश नहीं किया। इसलिए इससे संबंधित खुलासे लागू नहीं होते।

नोट 72. ठेके/उप ठेके के मामले में, वर्ष के अंत में किए गए काम के लिए ठेकेदारों द्वारा अंतिम बिलों को प्रस्तुत न करने पर, किए गए काम के आधार पर देयता अनुमानित और प्रदान किया जाता है।

नोट 73. कंपनी ने दीर्घकालिक ठेके के संबंध में, जहां भी आवश्यक हो, महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों की ओर पर्याप्त प्रावधान किया गया है। कंपनी को कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न ठेके नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि नहीं है।

नोट 74. कोष्ठक के आंकडे शून्य आंकडे को दर्शाता है।

नोट 75. पिछले वर्ष के आंकडे को जहां भी आवश्यक हो, वर्तमान वर्ष के प्रस्तुतीकरण की पुष्टि के लिए एकजुट और वर्गीकृत किया गया है।

निगमित अवलोकन और सामग्री लेखांकन नीतियाँ	1 - 3
समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स	4 - 75

साथ में दिए गए नोट्स इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

अनुलग्नक

प्रपत्र एओसी 1

सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण (कंपनियां (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग 'क' : सहायक कंपनियां

क्रम संख्या	ब्योरा	विवरण	विवरण
1	क्रम संख्या	1	2
2	सहायक कंपनी का नाम	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
3	सहायक कंपनी के अधिग्रहण की तिथि	23 अक्तूबर 2017	15 सितंबर, 2020
4	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से भिन्न हो	नहीं	नहीं
5	विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
6	शेयर पूंजी	14000 लाख रुपए	10800 लाख रुपए
7	रिजर्व और अधिशेष	(7822.96) लाख रुपए	6330.11 लाख रुपए
8	कुल संपत्ति	30562.92 लाख रुपए	52571.96 लाख रुपए
9	कुल देयताएं	30562.92 लाख रुपए	52571.96 लाख रुपए
10	निवेश	शून्य	शून्य
11	कुल कारोबार	5775.32 लाख रुपये	26563.60 लाख रुपये
12	कर से पूर्व लाभ	(1643.53) लाख रुपये	858.74 लाख रुपये
13	कर के लिए प्रावधान		
	(i) चालू कर		
	(ii) स्थगित कर	94.14 लाख रुपये	595.96 लाख रुपये
14	कर पश्चात लाभ	(1737.67) लाख रुपये	262.78 लाख रुपये
15	प्रस्तावित लाभांश	शून्य	शून्य
16	शेयरधारिता की सीमा (% में)	100%	100%

भाग 'ख': सहयोगी और संयुक्त उद्यम: लागू नहीं

साथ में दिए गए नोट्स इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते मेसर्स आनंद व पोन्नप्पन
सनदी लेखाकार
(फर्म पंजीकरण संख्या.000111S)

सी कृष्णन मेनन
साझेदार
(सदस्यता संख्या: 074736)
कोच्ची, मई, 15, 2025

कृते निदेशक मंडल और उनके पक्ष में

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. A25337

जोस वी जे
निदेशक (वित्त) व मुख्य वित्तीय अधिकारी
डीआईएन - 08444440
कोच्ची, मई, 15, 2025

बिजोय भास्कर
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08103825

मधु एस नायर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 07376798

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
निगमित पहचान संख्या: L63032KL1972GOI002414
पंजीकृत कार्यालय: प्रशासनिक भवन, कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल- 682015
दूरभाष : +91 (484) 2501306 **फैक्स:** +91 (484) 2384001
ईमेल: secretary@cochinshipyard.in **वेबसाइट:** www.cochinshipyard.in

सूचना

सूचना एतद्द्वारा दी जाती है कि कोचीन शिपयार्ड की सदस्यों की 53 वीं वार्षिक साधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों ('ओएवीएम') के जरिए गुरुवार, सितंबर 29, 2025 को पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित व्यापार कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

सामान्य व्यापार

1. दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित स्टैंडअलॉन वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।

2. दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कंपनी के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरण, जिसके साथ-साथ इसमें निदेशक मंडल और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल हैं, को स्वीकृत करना, विचार करना और अपनाना।

3. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रति इक्विटी शेयर ₹ 4.00 (80%) के प्रथम अंतरिम लाभांश और प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3.50 (70%) के द्वितीय अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना तथा प्रति इक्विटी शेयर (₹ 5 का अंकित मूल्य) ₹ 2.25 (45%) के अंतिम लाभांश की घोषणा करना।

4. श्री जोस वी जे (डीआईएन: 08444440) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।

5. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यापार

6. **श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन : 09576336) की निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

'संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (उनमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17, कंपनी के उपविधियों तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 21 अगस्त, 2025 को जारी पत्र क्रमांक 01/04/2025-ईओ (एसीसी), जिसे 27 अगस्त, 2025 को पोत, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कंपनी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया, के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति द्वारा श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336) को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (तकनीकी) के रूप में पाँच (5) वर्ष की अवधि हेतु, उनके पदभार ग्रहण की तिथि अर्थात 27 अगस्त, 2025 से अथवा उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, अथवा भारत सरकार के अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं वेतनमान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे तथा उनका पद सेवानिवृत्ति द्वारा अवकाश-प्राप्ति के अधीन रहेगा।'

7. **डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएन: 10221559) की निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

'संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और नियमों (उनमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17, कंपनी के उपविधियों तथा मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 21 अगस्त, 2025 को जारी पत्र क्रमांक 01/03/2025-ईओ(एसीसी), जिसे 27 अगस्त, 2025 को पोत, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कंपनी को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया गया, के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति द्वारा डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएनः 10221559) को कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण की तिथि अर्थात् 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी और यह 31 मई, 2029 को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा भारत सरकार के अन्य किसी आदेश तक, जो भी पहले हो, मान्य रहेगी। उनकी नियुक्ति की शर्तें एवं वेतनमान भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे तथा उनका पद सेवानिवृत्ति द्वारा अवकाश-प्राप्ति के अधीन रहेगा।'

8. **श्री वेंकटेशपति एस, आईएएस (डीआईएन : 07407879) को सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और यदि उपयुक्त समझा जाए तो पारित किया जाए:

'संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (उनमें समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति द्वारा श्री वेंकटशपति एस, आईएएस (डीआईएनः 07407879), संयुक्त सचिव, पोत, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, को कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी अंशकालिक (नार्मित) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति श्री राजेश कुमार सिन्हा, आईएएस (डीआईएनः 05351383) के स्थान पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा पोत, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एसबाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 07 अगस्त, 2025 के माध्यम से, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) तथा कंपनी के उपविधियों के अनुच्छेद 21(क) और 21(ग) के अंतर्गत की गई है। यह नियुक्ति 07 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अधीन होगी।'

9. **श्री पी. बी. नूह, आईएएस (डीआईएन : 09701541) को सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो पारित करने हेतु:

"संकल्प किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रासंगिक धाराओं और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति श्री पी. बी. नूह, आईएएस (डीआईएनः 09701541), विशेष सचिव, परिवहन विभाग, केरल सरकार, को कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है, जो श्री बिजू प्रभाकर, आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएन : 03093072) के स्थान पर भारत सरकार के पोत, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई - 11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) तथा कंपनी के उपबंधपत्र के अनुच्छेद 21(क) और 21(ग) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए हैं, जो 20 जून, 2025 से प्रभावी होंगे और भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक अन्य आदेश न दिए जाएँ।"

10. **डॉ. सीमा सूरी (डीआईएन : 11117145) को गैर-सरकारी(स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो पारित करने हेतु:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 और 152 तथा अन्य प्रासंगिक धाराओं और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित), कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 और 25(2ए) तथा कंपनी के उपबंधपत्र के प्रावधानों के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति डॉ. सीमा सूरी (डीआईएनः 11117145) को कंपनी के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है, जिन्हें भारत सरकार, पोत, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 द्वारा नियुक्त किया गया है, और जिनकी नियुक्ति 21 मई, 2025 से प्रभावी होगी तथा 19 मई, 2028 तक अथवा भारत सरकार के अन्य आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।"

11. **मे. एसईपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, कोच्ची को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो पारित करने हेतु:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य प्रासंगिक धाराओं (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए(समय-समय पर संशोधित) के अनुसार, शेयरधारकों की स्वीकृति मे. एस.ई.पी. एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज़, कोच्ची (आईसीएसआई यूनिक कोडः P2019KE075600, पीयर रिव्यू प्रमाणपत्र संख्याः 6780/2025) को कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करने हेतु प्रदान की जाती है, जिनका कार्यकाल पाँच (5) लगातार वित्तीय वर्षों का होगा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रारंभ होकर वित्तीय वर्ष 2029-30 तक चलेगा, और जिनका पारिश्रमिक तथा शर्तें-नियम निदेशक मंडल और सचिवीय लेखापरीक्षक के परस्पर परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किए जाएँगे।"

12. **लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक की पुष्टि**

निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में विचार करने और यदि उपयुक्त लगे तो पारित करने हेतु:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के अंतर्गत तथा कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अन्य प्रासंगिक धाराओं (समय-समय पर किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अनुसार, निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त मे. राजेन्द्रन मणि एंड वारियर, लागत लेखाकार, कोच्ची (फर्म पंजीकरण संख्याः 000006) को कंपनी के लागत अभिलेखों के लिए कंपनी (लागत अभिलेख और लेखापरीक्षा) नियम, 2014 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, और उन्हें देय ₹ 1,50,000/- (रुपए एक लाख पचास हजार मात्र) प्रतिवर्ष तथा लागू करों का पारिश्रमिक, इस प्रकार, यहाँ पुष्टि की जाती है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
स.सं. : A25337

कोच्ची
सितंबर 02, 2025

टिप्पण :

1. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 19 सितंबर, 2024 के अपने सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 को 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और समय-समय पर जारी किए गए अन्य सभी प्रासंगिक परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित, एक सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग /अन्य ऑडियो विज़ुअल साधनों के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई। कंपनी अधिनियम, 2013, एमसीए परिपत्रों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सेबी सूचीबद्धता विनियम') और सेबी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 53 वीं वार्षिक आम बैठक हो रही है, जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को वार्षिक आम बैठक का स्थान माना जाएगा।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शेयरधारकों की उपस्थिति की गणना की जाएगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार नोटिस में निर्धारित विशेष व्यापार के संबंध में विवरण संलग्न है और यह नोटिस का एक अभिन्न अंग है।

4. इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति/विस्तार चाहने वाले निदेशकों के संबंध में सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(3) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों के अनुसार संगत विवरण इस नोटिस के साथ संलग्न है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए हकदार एक सदस्य को अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक परोक्षी को नियुक्त करने का हकदार है और परोक्षी कंपनी का एक सदस्य नहीं होना चाहिए। चूंकि इस वार्षिक आम बैठक को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है और तदनुसार सदस्यों की प्रत्यक्ष उपस्थिति तिरस्कृत की गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा परोक्षी को नियुक्त करने की सुविधा वार्षिक आम बैठक में उपलब्ध नहीं होगी और अतः परोक्षी प्रपत्र और उपस्थिति पर्ची इस नोटिस के साथ नहीं संलग्न किया है। फिर भी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल या निकास कॉर्पोरेट जैसे सदस्यों के प्रतिनिधियां वीसी/ओएवीएम के जरिए वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं और ई-वोटिंग जरिए अपना वोट डाल सकते हैं।

6. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी के आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, सदस्यों के अनुरोध करने पर इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी। सदस्य हार्ड कॉपी के लिए अपना अनुरोध secretary@cochinshipyard.in पर भेज सकते हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

7. जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ई-मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कर लें ताकि कंपनी/आरटीए ई-मेल के माध्यम से संचार भेज सकें।

8. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, मुख्तारनामा, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना केवल अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को दें।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्यों को उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नया नामांकन दर्ज करने या पूर्व नामांकन को रद्द करके नया नामांकन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध है। जिन सदस्यों ने अभी तक अपना नामांकन पंजीकृत नहीं कराया है या जो नामांकन बदलने के इच्छुक हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें और उनके द्वारा बताई गई प्रक्रिया का पालन करें।

10. सेबी ने भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल स्थापित किया है। कंपनी/आरटीए के साथ सीधे और स्कोर्स पोर्टल के माध्यम से शिकायतों को हलने के विकल्प को समाप्त करने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान शुरू कर सकते हैं, जिसे https://smartodr.in/login पर एक्सेस किया जा सकता है।

11. **लाभांश**

    i. निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होता है, तो स्रोत पर कर कटौती के अधीन, 28 अक्तूबर 2025 तक, अर्थात् अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। कंपनी ने लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने हेतु, यदि वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित होता है, शुक्रवार, 12 सितंबर, 2025 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में निर्धारित किया है।

ii. कंपनी जहां तक संभव हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा और अन्य मामलों में लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा लाभांश का भुगतान करेगी। सदस्य ध्यान दें कि उनके संबंधित डिपॉजिटरी खातों के खिलाफ पंजीकृत बैंक विवरण का उपयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान के लिए किया जाएगा। कंपनी या उसका आरटीए बैंक विवरण या बैंक अधिदेश में किसी भी बदलाव के लिए सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी भी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। ऐसे परिवर्तनों को केवल सदस्यों के डिपॉजिटरी प्रतिभागी को सूचित किया जाना है। जिन सदस्यों ने डीमैट खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता बदल दिया है और डीमैट खाता खोलते समय निर्दिष्ट खाते के अलावा किसी अन्य खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने बैंक खाते के विवरण (नौ अंकों के बैंक कोड सहित) को तुरंत बदल दें / सही कर लें।

iii. वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, कंपनी द्वारा भुगतान और वितरित लाभांश 01 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के हाथों में कर योग्य होगा। इसलिए, कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक श्रेणी के शेयरधारक पर लागू दरों पर स्रोत पर कर (टीडीएस) में कटौती करनी होगी। हमें लागू टीडीएस दर निर्धारित करने में सक्षम बनाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित दस्तावेज 22 सितंबर, 2025 तक कंपनी के आरटीए, एमयूएफजी इंनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के पोर्टल https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html पर जमा करें। लाभांश पर टीडीएस के बारे में विस्तृत संचार, अन्य बातों के साथ-साथ जमा किए जाने वाले दस्तावेजों सहित, कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58 लिंक पर उपलब्ध है। **ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।**

iv. **दिनांक 22 सितंबर, 2025 के बाद कर निर्धारण/कटौती पर किसी भी संचार पर विचार नहीं किया जाएगा।**

12. **अदावी लाभांश :**

(i) सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी अवैतनिक लाभांश खाते में पड़ी किसी भी राशि को, जो अवैतनिक लाभांश खाते में ऐसे अंतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा रहित रहती है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि ('आईईपीएफ') में जमा करने के लिए बाध्य है। ऐसे अवैतनिक लाभांशों का विवरण जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने योग्य हैं, कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58 पर उपलब्ध हैं।

(ii) इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016, जैसा कि संशोधित किया गया है ('आईईपीएफ नियम'), सभी शेयरों जिन पर लाभांश लगातार सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए अवैतनिक/अदावा किया गया है, उन्हें निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किया जाएगा। इसलिए, कंपनी सभी शेयरधारकों से निर्धारित अवधि के भीतर अपने संबंधित लाभांश को नकद बनाने/दावा करने का आग्रह करती है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए घोषित अंतिम लाभांश 15 सितंबर, 2025 की नियत तारीख से 30 दिनों के भीतर आईईपीएफ में जमा किया जाना है। संबंधित शेयर, जिन पर लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें भी आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे उक्त अवैतनिक लाभांश का दावा 08 सितंबर, 2025 को या उससे पहले एक अनुरोध पत्र के साथ क्लाइंट मास्टर सूची के साथ करें, जिसमें अद्यतन बैंक खाता विवरण (आईएफएस कोड सहित) हो, जिसमें उक्त लाभांश जमा किया जाना है, कंपनी के आरटीए एमयूएफजी इंनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इंनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) को, ऐसा न करने पर संबंधित शेयरों के साथ उक्त लाभांश बिना किसी और सूचना के उचित तिथि पर आईईपीएफ में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिन शेयरधारकों के शेयर/लाभांश आईईपीएफ में स्थानांतरित होने वाले हैं, उनकी सूची कंपनी की वेबसाइट https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58 लिंक पर उपलब्ध है।

(iv) कृपया ध्यान दें कि शेयरधारक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों का दावा कर सकते हैं।

13. **'सक्षम निवेशक' अभियान - शेयरधारक संपर्क पहल**

(i) निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 16 जुलाई, 2025 के पत्र के अनुसरण में, कंपनी ने 28 जुलाई, 2025 से 6 नवंबर, 2025 तक 'सक्षम निवेशक' नामक 100-दिवसीय विशेष संपर्क पहल शुरू की है। इस अभियान का उद्देश्य शेयरधारकों को बैंक खाता अधिदेश, नामांकित व्यक्ति पंजीकरण और संपर्क जानकारी (ई-मेल, मोबाइल नंबर, पता) सहित केवाईसी विवरण अपडेट करने में मदद करना और लाभांश और शेयरों को आईईपीएफ में स्थानांतरित होने से रोकने के लिए उनके अवैतनिक/अदावा किए गए लाभांश का दावा करने में मदद करना है।

(ii) जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे जल्द से जल्द कंपनी के आरटीए से संपर्क करें।

शेयरधारक स्वयं पोर्टल https://swayam.in.mpms.mufg.com के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं और अपने अनुरोधों को ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा, अपूर्ण केवाईसी रिकॉर्ड वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें और अपने केवाईसी रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

(iii) कृपया ध्यान दें कि लागू प्रावधानों के अनुसार, लगातार 7 वर्षों तक दावा न किए गए लाभांश, और संबंधित शेयर, यदि कोई हों, आईईपीएफ में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसलिए, हम सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अभियान अवधि के दौरान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शीघ्र कार्रवाई करें और वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के अनुसार बनाए गए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों या व्यवस्थाओं का रजिस्टर जिसमे निदेशक रुचि रखते हैं, एजीएम के दौरान सदस्यों के निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज इस नोटिस की प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होंगे। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य secretary@cochinshipyard.in पर ईमल भेज सकते हैं।

15. सदस्यों से अनुरोध है कि वे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता को निम्नलिखित पते पर शेयरों से संबंधित सभी संचार भेजें:

एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड
(पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड)
सूर्या, 35, मईफ्लवर अवन्यू
सेंथिल नगर के पीछे, सोवरीपालयम रोड
कोयंबत्तूर, तमिलनाडु- 641028
दूरभाषः +91 (422) 2314792, 2315792
ई-मेलः coimbatore@in.mpms.mufg.com

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 20, सेबी लिस्टिंग विनियमन (संशोधित) के विनियमन 44 और एमसीए परिपत्रों के अनुसार, कंपनी वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले लेनदेन के संबंध में अपने सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इस उद्देश्य के लिए, कंपनी ने अधिकृत एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ समझौता किया है। वार्षिक आम बैठक की तिथि पर सदस्य द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के साथ-साथ ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने की सुविधा सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जाएगी।

17. कंपनी के निदेशक मंडल ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सी.एस. श्रीकुमार पी.एस. (एफसीएस सं. 8130, सीपी सं. 8067) भागीदार, मेसर्स एसवीजेएस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, कोच्ची को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है।.

18. **रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को निदेश**

(i) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को 09:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 28 सितंबर, 2025 को 17:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि, सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को सदस्यों/डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दे सकते हैं। शेयरधारकों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि, सोमवार, 22 सितंबर, 2024 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके हिस्से के अनुपात में होगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से समझना चाहिए।

(ii) जिन शेयरधारकों ने बैठक की तारीख से पहले ही मतदान कर दिया है, वे बैठक स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की प्रक्रिया और तरीका

क. डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 09 दिसंबर, 2020 के अनुसार, सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली ई-वोटिंग सुविधा' के अनुसार, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है। व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता (ईएसपी) के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा मिलेगी बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने की आसानी और सुविधा भी बढ़ेगी। शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन करें।

उक्त सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
सीडीएसएल निक्षेपागार के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल ईसी/ईसियस्ट सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज तक पहुँचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। ईसी/ईसियस्ट में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सीडीएसएल की वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएँ और लॉगिन आइकन और न्यू सिस्टम मैईसी टैब पर क्लिक करें। 2. सफल लॉगिन के बाद, ईसी/ईसियस्ट उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा, जहाँ कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ई-वोटिंग चल रही है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक पहुँचने के लिए लिंक भी दिए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सके। 3. यदि उपयोगकर्ता ईसी/ईसियस्ट के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com पर उपलब्ध है और लॉगिन और न्यू सिस्टम मैईसी टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता सीडीएसएल वेबसाइट www.cdslindia.com के होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख पाएगा जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की प्रणाली तक सीधे पहुंच भी पाएगा।
एनएसडीएल निक्षेपागार के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. यदि आप पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएएस सुविधा के लिए पंजीकृत हैं, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ। अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://eservices.nsdl.com टाइप करके वेब ब्रउज़र खोलें। ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'लॉगिन' के अंतर्गत 'लाभार्थी स्वामी' आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई-वोटिंग सेवाएँ देख पाएँगे। ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत 'ई-वोटिंग तक पहुँच' पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएँगे। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। 2. यदि उपयोगकर्ता आईडीईएएस ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण करने का विकल्प उपलब्ध है। "आईडीईएएस के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। 3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्रउज़र खोलें। ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, 'शेयरहोल्डर/सदस्य' सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध 'लॉगिन' आइकन पर क्लिक करें। एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी (यानी, एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनःनिदेशित किया जाएगा।

शेयरधारकों के प्रकार	लॉगिन विधि
	4. ओटीपी आधारित लॉगिन के लिए आप https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp पर क्लिक कर सकते हैं। आपको अपनी 8 अंकों की डीपी आईडी, 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, पैन, सत्यापन कोड दर्ज करना होगा और ओटीपी जनरेट करना होगा। पंजीकृत ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा जहाँ आप ई-वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।
व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियां धारण करने वाले) अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों (डीपी) के माध्यम से लॉगिन करते हैं	आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। एक बार जब आप ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा, जहाँ आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और बैठक के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर पुनःनिर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूज़र आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार यानी सीडीएसएल और एनएसडीएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

ख. प्रत्यक्ष रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारकों और डीमैट रूप में गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि

(i) शेयरधारकों को ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना चाहिए।

(ii) "शेयरधारक" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

(iii) अब अपना यूजर आईडी दर्ज करें

(क) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

(ख) एनएसडीएल के लिए: 8 अक्षरों की डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी

(iv) इसके बाद प्रदर्शित छवि सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।

(v) यदि आप डीमैट मोड में शेयर रखते हैं और www.evotingindia.com पर लॉग इन करके किसी कंपनी के पहले के ई-वोटिंग पर वोट किया है, तो आपको अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करना होगा।

(vi) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन दर्ज करें • जिन शेयरधारकों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अपना पैन अद्यतन नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण **या** जन्म तिथि	लॉग इन करने के लिए अपने डीमैट खाते या कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (दिनांक/माह/वर्ष प्रारूप में) दर्ज करें। • यदि दोनों विवरण निक्षेपागार या कंपनी के पास दर्ज नहीं हैं, तो कृपया लाभांश बैंक विवरण फ़ील्ड में सदस्य आईडी/फोलियो नंबर दर्ज करें।

(vii) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

(viii) डीमैट रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अब 'पासवर्ड क्रियेशन' मेनू पर जाना होगा, जहाँ उन्हें नए पासवर्ड फ़ील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। कृपया ध्यान दें कि डीमैट धारकों को इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के प्रस्तावों पर मतदान के लिए भी करना होगा, जिस पर वे मतदान के पात्र हैं, बशर्ते कि वह कंपनी सीडीएसएल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प चुनती हो। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने का पूरा ध्यान रखें।

(ix) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें।

(x) वोटिंग पेज पर आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा और उसके सामने मतदान के लिए "हाँ/नहीं" विकल्प दिखाई देगा। इच्छानुसार हाँ या नहीं विकल्प चुनें। हाँ विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और नहीं विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से असहमत हैं।

(xi) यदि आप संपूर्ण समाधान विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ॉल्यूशन फ़ाइल लिंक" पर क्लिक करें।

(xii) जिस प्रस्ताव पर आपने वोट देने का फैसला किया है, उसे चुनने के बाद, "सबमिट" पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "ओके" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "कैंसल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।

(xiii) एक बार जब आप प्रस्ताव पर अपना वोट "पुष्टि" कर देंगे, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xiv) आप मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट करने के लिए यहां क्लिक करें" विकल्प पर क्लिक करके डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

(xv) यदि कोई डीमैट खाताधारक लॉगिन पासवर्ड भूल गया है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड दर्ज करें और पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा पूछे गए विवरण दर्ज करें।

(xvi) यदि कोई अपलोड किया गया है तो बीआर/पीओए अपलोड करने का वैकल्पिक प्रावधान भी है, जिसे सत्यापन के लिए जांचकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा।

(xvii) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों और संरक्षकों के लिए अतिरिक्त सुविधा - केवल रिमोट ई-वोटिंग के लिए

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लॉग ऑन करना होगा और स्वयं को 'कॉरपोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मुहर और हस्ताक्षर युक्त पंजीकरण फॉर्म की स्कैन की गई प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल की जानी चाहिए।
- लॉगिन विवरण प्राप्त करने के बाद एडमिन लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक कंप्लायंस यूजर बनाया जाना चाहिए। कंप्लायंस यूजर उस अकाउंट को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वह वोट करना चाहता है।

- लॉगिन में लिंक किए गए खातों की सूची स्वचालित रूप से मैप हो जाएगी और किसी भी गलत मैपिंग के मामले में उसे डीलिंक किया जा सकता है।

- यह अनिवार्य है कि बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की स्कैन की गई प्रति, जो उन्होंने अभिरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे पीडीएफ प्रारूप में सिस्टम में अपलोड किया जाना चाहिए ताकि जांचकर्ता उसे सत्यापित कर सके।

- वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों को प्रासंगिक बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट देने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जांचकर्ता को ईमेल द्वारा sreekumar@svjs.in पर और कंपनी को ईमेल पते secretary@cochinshipyard.in पर भेजना आवश्यक है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से वोट किया है और इसे सीडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में अपलोड नहीं किया है, ताकि स्क्रूटिनाइजर इसे सत्यापित कर सके।

19. **बैठक के दौरान वीसी/ओएवीएम और ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों के लिए अनुदेश**

(i) वार्षिक आम बैठक के दिन बैठक में भाग लेने एवं ई-वोटिंग की प्रक्रिया ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए अनुदेशों के समान ही है।

(ii) बैठक में भाग लेने के लिए वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जहां ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार सफल लॉगिन के बाद कंपनी का ईवीएसएन प्रदर्शित किया जाएगा।

(iii) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के लिए निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और शेयरधारकों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

(iv) जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे बैठक मे भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे एजीएम में मतदान करने के पात्र नही होंगे।

(v) शेयरधारकों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप/आईपैड के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(vi) इसके अलावा, शेयरधारकों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए कैमरा और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देनी होगी।

(vii) कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।

(viii) जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल पते से अपना नाम, डीमैट खाता संख्या और मोबाइल नंबर बताते हुए secretary@cochinshipyard.in पर 21 सितंबर, 2025 (सुबह 8:00 बजे) से 23 सितंबर, 2025 (16:00 घंटे) तक अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत करा सकते हैं। कंपनी पर वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार निर्भर है।

(ix) जिन शेयरधारकों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। प्रश्न की प्रासंगिकता और वक्ताओं का क्रम अध्यक्ष द्वारा तय किया जाएगा।

(x) बैठक के समय वार्षिक खातों के संबंध में कोई भी जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक की तारीख से कम से कम सात दिन पहले कंपनी को अपने प्रश्न भेजें ताकि प्रबंधन को जानकारी तैयार रखने में मदद मिल सके।

(xi) केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हैं और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट देने के पात्र होंगे।

(xii) **उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनका ई-मेल/मोबाइल नंबर कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है**

(क) डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें।

(ख) **व्यक्तिगत डीमैट शेयरधारकों के लिए: कृपया अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर अद्यतन करें, जो ई-वोटिंग और निक्षेपागार के माध्यम से वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के दौरान अनिवार्य है।.**

20. यदि आपके पास वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और सीडीएसएल ई-वोटिंग प्रणाली से ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकते हैं।

21. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25 वीं मंजिल, मैराथन फ्यूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई - 400013 को संबोधित की जा सकती हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकती हैं या टोल फ्री नंबर 1800 21 09911 पर संपर्क कर सकती हैं।

22. अन्य अनुदेश

(i) जिन व्यक्तियों ने नोटिस भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं और दिनांक 22 सितंबर, 2025 की कट-ऑफ तारीख तक शेयर रखते हैं, वे कंपनी के आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को उनके ईमेल पते coimbatore@in.mpms.mufg.com पर अनुरोध भेजकर नोटिस और ई-वोटिंग निर्देश प्राप्त कर सकते हैं या www.evotingindia.com या कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in से नोटिस और ई-वोटिंग निदेश डाउनलोड कर सकते हैं।

(ii) अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत व्यक्ति द्वारा परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद घोषित किए गए परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.cochinshipyard.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर डाल दिए जाएँगे। परिणाम तुरंत उन स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजे जाएँगे जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, जैसे कि बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किए जाएँगे।

23. कृपया ध्यान दें कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के सभी इक्विटी शेयर डीमैट (अमूर्त) रूप में हैं। तदनुसार, प्रत्यक्ष शेयरधारिता से संबंधित निर्देश और जानकारी, जिसमें केवाईसी विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया, हस्तांतरण का पंजीकरण, मतदान, वार्षिक आम बैठक में भाग लेना और अन्य संबंधित मामले शामिल हैं, लागू नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें इस सूचना में शामिल नहीं किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण

मद संख्या. 6

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। तदनुसार, श्री राजेश गोपालकृष्णन (डीआईएन: 09576336), पूर्व कार्यकारी निदेशक (पोत मरम्मत), को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी पत्र संख्या 01/04/2025-ईओ (एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के अनुसार कंपनी के बोर्ड में निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को ई-मेल के माध्यम से कंपनी को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 27 अगस्त, 2025 से प्रभावी पाँच वर्षों की अवधि के लिए या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक, या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए की गई है। श्री राजेश गोपालकृष्णन को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा आयोजित और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित एक संरचित और कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशक (तकनीकी) के पद पर नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए उम्मीदवार के रूप में श्री राजेश गोपालकृष्णन का नाम प्रस्तावित करने की उनकी मंशा व्यक्त की गई है। साथ ही, उन्होंने केवल एक लाख रुपए की जमा राशि भी जमा की है, जो उन्हें निदेशक चुने जाने या ऐसे प्रस्ताव पर डाले गए कुल वैध मतों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने पर वापस कर दी जाएगी।

श्री राजेश गोपालकृष्णन को सेबी के किसी आदेश या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

श्री राजेश गोपालकृष्णन और उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में उनकी नियुक्ति से संबंधित सीमा तक रुचि रखते हैं। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी, वित्तीय या अन्य रूप से, नोटिस की मद संख्या 6 में दिए गए प्रस्ताव से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 6 में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 7

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। तदनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी पत्र संख्या 01/03/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के अनुसार, डॉ. हरिकृष्णन एस (डीआईएन: 10221559) को कंपनी के बोर्ड में निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को ई-मेल के माध्यम से कंपनी को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात 27 अगस्त, 2025 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 31 मई, 2029 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। डॉ. हरिकृष्णन एस. को लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) द्वारा आयोजित और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदित एक संरचित और कठोर चयन प्रक्रिया के माध्यम से निदेशक (प्रचालन) के पद पर नियुक्त किया गया।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार, कंपनी को एक सदस्य से लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें निदेशक पद के लिए उम्मीदवार के रूप में डॉ. हरिकृष्णन एस. का नाम प्रस्तावित करने की उनकी मंशा व्यक्त की गई है। साथ ही, केवल एक लाख रुपये की जमा राशि भी जमा की गई है, जो उन्हें निदेशक चुने जाने या ऐसे प्रस्ताव पर डाले गए कुल वैध मतों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने पर वापस कर दी जाएगी।

डॉ. हरिकृष्णन एस. को सेबी के किसी आदेश या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

डॉ. हरिकृष्णन एस. और उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में उनकी नियुक्ति से संबंधित सीमा तक रुचि रखते हैं। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से किसी का भी, वित्तीय या अन्य रूप से, नोटिस के मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्ताव से कोई संबंध या रुचि नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 7 में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या. 8

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट पति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पत्र संख्या एसवाई -11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 7 अगस्त, 2025) के माध्यम से, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव, श्री वेंकटेशपति एस. आईएएस (डीआईएन: 07407879) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत, श्री राजेश कुमार सिन्हा आईएएस (डीआईएन: 05351383) के स्थान पर, 7 अगस्त, 2025 से अगले आदेश तक, कंपनी के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक नियुक्त किया है।

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस को सेबी के किसी आदेश या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, इसके प्रथम परंतुक के साथ पठित, कंपनी को अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री वेंकटेशपति एस आईएएस और उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में उनकी नियुक्ति से संबंधित सीमा तक रुचि रखते हैं। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, सूचना के मद संख्या 8 में दिए गए प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड मद संख्या में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है। कंपनी के शेयरधारकों के साधारण प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन के लिए नोटिस की धारा 8 को प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या. 9

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार है। तदनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 20 जून, 2025) के माध्यम से केरल सरकार के परिवहन विभाग के विशेष सचिव, श्री पी बी नूह आईएएस (डीआईएन : 09701541) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत, 20 जून, 2025 से अगले आदेश तक, श्री बिजु प्रभाकर आईएएस (सेवानिवृत्त) (डीआईएनः 03093072) के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक नियुक्त किया है।

श्री पी बी नूह आईएएस को सेबी के किसी आदेश या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसार, इसके प्रथम परंतुक के साथ पठित, कंपनी को अगली आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

श्री पी बी नूह आईएएस और उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में उस सीमा तक रुचि रखते हैं, जहाँ तक यह उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, सूचना के मद संख्या 9 में दिए गए प्रस्ताव से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, बोर्ड मद संख्या में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है। कंपनी के शेयरधारकों के साधारण प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन के लिए नोटिस की धारा 9 को प्रस्तुत किया गया।

मद संख्या. 10

कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 21 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार है। तदनुसार, डॉ. सीमा सूरी (डीआईएनः 11117145) को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 द्वारा कंपनी के गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति चयन और नियुक्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए 21 मई, 2025 से 19 मई, 2028 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी।

डॉ. सीमा सूरी ने बोर्ड को घोषणा पत्र दिया है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें सेबी के किसी आदेश या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निदेशक का पद धारण करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है और न ही कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निदेशक का पद धारण करने के लिए अयोग्य ठहराया गया है। उनकी योग्यता, विशेषज्ञता आदि से संबंधित संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न है।

डॉ. सीमा सूरी और उनके रिश्तेदार इस प्रस्ताव में उनकी नियुक्ति से संबंधित सीमा तक रुचि रखते हैं। कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी नोटिस की मद संख्या 10 में दिए गए प्रस्ताव से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं है।

डॉ. सीमा सूरी निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क की हकदार होंगी, जहाँ वे सदस्य हैं।

तदनुसार, बोर्ड मद संख्या में दिए गए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है। विशेष प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस की धारा 10 को प्रस्तुत किया गया है।

मद संख्या. 11

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (तत्समय प्रवृत्त किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के प्रावधानों के अनुसार, सीएसएल को अपने बोर्ड की रिपोर्ट के साथ एक कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

इसके अतिरिक्त, समय-समय पर संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को एक सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा करानी होगी, जो एक समकक्ष समीक्षित कंपनी सचिव होगा और ऐसे सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाएगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, फर्म के प्रोफाइल और भागीदारों के अनुभव पर विचार करने के बाद, मेसर्स को नियुक्त किया। एसईपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज, कोच्ची (आईसीएसआई यूनिक कोडः P2019KE075600, पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट संख्या 6780/2025) को कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक लगातार पाँच (5) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों

के अनुमोदन के अधीन होगी। इस नियुक्ति पर निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर सचिवीय लेखा परीक्षकों के परामर्श से पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा।

मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स, कोच्ची स्थित प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज की एक प्रतिष्ठित फर्म है, जिसकी शाखाएँ तिरुवनंतपुरम, चेन्नई और मुंबई में हैं। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या 6780/2025) द्वारा समीक्षित यह फर्म कॉर्पोरेट कानून, सचिवीय अनुपालन, एनसीएलटी मामले, सेबी और आरबीआई विनियम, सचिवीय लेखा परीक्षा, उचित परिश्रम और प्रबंधन परामर्श में पेशेवर सेवाएँ प्रदान करती है। मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स का नेतृत्व सीएमए सीएस पी. शिवकुमार करते हैं, जो उद्योग जगत के एक अनुभवी व्यक्ति हैं और जिनके पास सचिवीय, कानूनी, वित्तीय प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों में व्यापक अनुभव सहित लगभग 40 वर्षों का अनुभव है। उन्हें योग्य कंपनी सचिवों और गहन विशेषज्ञता वाले पेशेवरों की एक टीम का समर्थन प्राप्त है।

मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स और इसके साझेदारों ने ईमानदारी और अनुपालन का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड बनाए रखा है। फर्म या साझेदारों को किसी भी बैंक, वैधानिक प्राधिकरण या नियामक निकाय जैसे आईआरडीए, आरबीआई, सेबी, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए), कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा प्रतिबंधित, बैकलिस्ट या दंडित नहीं किया गया है।

मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स ने सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए सहमति दे दी है और पुष्टि की है कि वे सेबी, आईसीएसआई और कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के सचिवीय लेखापरीक्षा हेतु मेसर्स एसईपी एंड एसोसिएट्स को भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक ₹2,00,000/- (केवल दो लाख रुपये) + लागू कर, या समय-समय पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित अन्य पारिश्रमिक होगा।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार, नोटिस के मद संख्या 11 में दिए गए प्रस्ताव से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस के मद संख्या 11 में दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद सं. 12

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को अपने लागू उत्पादों के लागत अभिलेखों का लेखापरीक्षा करने के लिए एक लागत लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है।

उपरोक्त के मद्देनजर, कंपनी के निदेशक मंडल ने 12 अगस्त, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में मेसर्स राजेंद्रन मणि एंड वैरियर, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या: 000006) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में ₹1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष + लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन आवश्यक है।

मे. राजेंद्रन मणि और वारियर ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की है और पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। उन्होंने पिछले वर्षों के कंपनी के लागत अभिलेखों का लेखा-परीक्षण किया है और लागत लेखा-परीक्षण के क्षेत्र में प्रासंगिक अनुभव रखते हैं। पिछले कार्यकाल के दौरान उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी/उनके रिश्तेदार, नोटिस की मद संख्या 12 में दिए गए प्रस्ताव से किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्यथा, संबंधित या इच्छुक नहीं हैं।

तदनुसार, बोर्ड एक साधारण प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु नोटिस की मद संख्या 12 में दिए गए प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

श्यामकमल एन
कंपनी सचिव
एम. नं. A25337

कोच्ची
02 सितंबर, 2025

पंजीकृत कार्यालय
प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, एर्णाकुलम, केरल - 682015
सीआईएन: L63032KL1972GOI002414
दूरभाष: +91 (484) 2501306
ई-मेल: secretary@cochinshipyard.in
वेबसाइट: www.cochinshipyard.in

52वीं वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति मांगनेवाले निदेशकों का विवरण (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध देयता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनिमय, 2015 के विनिमय 36 (3) और आम बैठक में सचिवीय मानक-2 के अनुसार)

नाम और डीआईएन	**श्री जोस वी जे (डीआईएन : 08444440)**
आयु और जन्म तिथि	58 वर्ष, फरवरी 04, 1967
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 01, 2019
योग्यता	श्री जोस वी.जे. भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के सदस्य हैं और उन्होंने एर्णाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से विधि की उपाधि भी प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री जोस वी.जे. को वित्तीय प्रबंधन, रणनीतिक योजना, जोखिम प्रबंधन, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, बजट और लागत नियंत्रण जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग 34 वर्षों का कार्य अनुभव है। वे कंपनी के सूचना प्रणाली विभाग के भी प्रमुख हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री जोस वी जे को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक 15 जुलाई, 2019 के अनुसार 01 अगस्त, 2019 को सीएसएल के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, भारत सरकार ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/2/2018-सीएसएल दिनांक 03 जुलाई, 2024 के माध्यम से निदेशक (वित्त) के रूप में श्री जोस वी जे का कार्यकाल 01 अगस्त, 2024 से आगे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 28 फरवरी, 2027 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया। पारिश्रमिक सहित उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)	₹ 58.42 लाख
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में निदेशकता	• हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल): और • उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	सदस्य, प्रतिभूति प्रस्ताव, आवंटन और हस्तांतरण समिति, हुगली-सीएसएल
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	6/6
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री राजेष गोपालकृष्णन (डीआईएन : 09576336)
आयु और जन्म तिथि	54 वर्ष, जुलाई 05, 1971
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 27, 2025
योग्यता	श्री राजेष गोपालकृष्णन के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विशेषज्ञता के साथ व्यापार प्रशासन में मास्टर डिग्री है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री राजेष गोपालकृष्णन को कंपनी में पोत निर्माण, पोत मरम्मत और रूपांतरण के क्षेत्र में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता व्यावसायिक रणनीति, व्यवसाय निर्माण, अनुमान, अनुबंध प्रबंधन, खरीद, योजना, परियोजना प्रबंधन, चालान, बिक्री के बाद और ग्राहक संबंधों से लेकर संपूर्ण क्षेत्र में फैली हुई है।
नियुक्ति एवं पुन:नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री राजेष गोपालकृष्णन को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी पत्र संख्या 01/04/2025-ईओ (एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के अनुसार 27 अगस्त, 2025 को सीएसएल के निदेशक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसे 27 अगस्त, 2025 को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से कंपनी को सूचित किया गया था। पारिश्रमिक सहित उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)	सीएसएल के कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹58.02 लाख आहरित किए।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में निदेशकता	• हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) और • उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	400
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नाम और डीआईएन	डॉ हरिकृष्णन एस (डीआईएन : 10221559)
आयु और जन्म तिथि	56 वर्ष, मई 29, 1969
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 27, 2025
योग्यता	डॉ. हरिकृष्णन एस. के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री, इंटरनेशनल बिजनेस में एमबीए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट (पीएचडी) की डिग्री है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. हरिकृष्णन एस. को कंपनी में लगभग तीन दशकों का अनुभव है, जिसमें वे पोत निर्माण और पोत मरम्मत के विभिन्न कार्यों में शामिल रहे हैं, जिनमें डिज़ाइन, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, खरीद, योजना और परियोजना प्रबंधन शामिल हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	डॉ. हरिकृष्णन एस. को 27 अगस्त, 2025 को सीएसएल के निदेशक (प्रचालन) के रूप में नियुक्त किया गया था। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी पत्र संख्या 01/03/2025-ईओ(एसीसी) दिनांक 21 अगस्त, 2025 के अनुसार की गई थी। यह नियुक्ति पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 27 अगस्त, 2025 को ई-मेल के माध्यम से कंपनी को भेजी गई थी। पारिश्रमिक सहित उनकी नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा लागू डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)	सीएसएल के कार्यकारी निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक के रूप में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ₹50.36 लाख आहरित किए।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	• हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (हुगली-सीएसएल) और • उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (उडुपी-सीएसएल) (सीएसएल द्वारा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां)
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्याः	
क. स्वयं	240
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री वेंकटेशपति एस (डीआईएन : 07407879)
आयु और जन्म तिथि	43 वर्ष, मार्च 10, 1982
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	अगस्त 07, 2025
योग्यता	श्री वेंकटेशपति एस. केरल कैडर के 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं और उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अन्ना विश्वविद्यालय से प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री वेंकटेशपति एस. भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। अपनी प्रशासनिक सेवा के दौरान, उन्होंने केरल सरकार में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें उप-कलेक्टर (इडुक्की, देवीकुलम और कासरगोड), सचिव (तिरुवनंतपुरम निगम), प्रबंध निदेशक (सप्लाईको), जिला कलेक्टर (मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम), निदेशक (मत्स्य विभाग) और प्रबंध निदेशक (केरल जल प्राधिकरण) शामिल हैं। अपनी वर्तमान भूमिका से पहले, वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर निदेशक (पोत परिवहन) के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में शामिल हुए थे।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री वेंकटेशपति एस को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 7 अगस्त, 2025 के माध्यम से, 7 अगस्त, 2025 से अगले आदेश तक, श्री राजेश कुमार सिन्हा के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)	शून्य। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में निदेशकता	• भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, • भारतीय भूमि और संपत्ति नौवहन निगम लिमिटेड, और • सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नाम और डीआईएन	श्री पी बी नूह (डीआईएन : 09701541)
आयु और जन्म तिथि	46 वर्ष, मई 29, 1979
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	जून 20, 2025
योग्यता	श्री पी. बी. नूह केरल कैडर के 2012 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी हैं। उन्होंने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, केरल से प्राणि विज्ञान में स्नातक की उपाधि, केरल कृषि विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक की उपाधि और कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर से कृषि में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री पी. बी. नूह केरल सरकार के परिवहन विभाग में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं और केरल परिवहन विकास वित्त निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने केरल सरकार में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है, जिनमें केरल राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (सप्लाईको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पर्यटन विभाग के निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, पथानामथिट्टा के जिला कलेक्टर, ओट्टापलम के उप कलेक्टर, लाइफ मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अट्टापडी के एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के परियोजना अधिकारी शामिल हैं।
नियुक्ति एवं पुन:नियुक्ति के नियम एवं शर्तें	श्री पी. बी. नूह को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(3) के अंतर्गत, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या एसवाई -11012/1/2017-सीएसएल दिनांक 20 जून, 2025 के माध्यम से, 20 जून, 2025 से अगले आदेश तक, श्री बिजु प्रभाकर के स्थान पर कंपनी के बोर्ड में सरकारी अंशकालिक (नामिति) निदेशक नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाएँगी।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2023-24)	शून्य। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में निदेशकता	• केरल परिवहन विकास वित्त निगम लिमिटेड; • मलबार अंतर्राष्ट्रीय पत्तन एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड; और • केरल पर्यटन अवसंरचना लिमिटेड
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्या:	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

नाम और डीआईएन	डॉ सीमा सूरी (डीआईएन : 11117145)
आयु और जन्म तिथि	54 वर्ष, सितंबर 05, 1971
बोर्ड पर प्रथम नियुक्ति की तिथि	मई 21, 2025
योग्यता	डॉ. सीमा सूरी दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से कला में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से बी.एड. की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, भागलपुर द्वारा 'विद्या सागर' की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, और साहित्य मंडल श्री नाथ द्वारा समाज भूषण - पीएचडी (विद्यावाचस्पति) की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	डॉ. सीमा सूरी, सर्व सेवा संस्थान की संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समाज कल्याण के लिए समर्पित एक संस्था है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित कई पहलों का नेतृत्व किया है। इनमें बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों को गोद लेना, स्वास्थ्य शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित करना, मीडिया कार्यशालाओं का आयोजन करना, मासिक स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करना, वृक्षारोपण करना और बेटी बचाओ अभियान के तहत वंचित बच्चों की सहायता और लड़कियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम चलाना शामिल है। उनके योगदान को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। उन्होंने 1999 से 2016 तक दिल्ली पब्लिक स्कूल, वसंत कुंज में शिक्षिका और ब्लॉक प्रभारी के रूप में कार्य किया। वे रेडियो और दूरदर्शन पर विभिन्न शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों की प्रस्ततकर्ता भी रहीं। इसके अतिरिक्त, वे वर्तमान में फिल्म सेंसर बोर्ड सलाहकार समिति, दिल्ली की सदस्य भी हैं।
नियुक्ति एवं पुनःनियुक्ति के नियम एवं शर्तें	डॉ. सीमा सूरी (डीआईएनः 11117145) को भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के पत्र संख्या एसवाई-11012/1/2016-सीएसएल दिनांक 20 मई, 2025 द्वारा कंपनी का गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति 21 मई, 2025 से 19 मई, 2028 तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। उनकी नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं।
निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के बीच आपसी संबंधों का खुलासा	शून्य
भूमिका के लिए आवश्यक कौशल और क्षमताएँ और प्रस्तावित व्यक्ति इन आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा करता है	कृपया निगमित शासन रिपोर्ट में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/योग्यता अनुभाग देखें।
अंतिम प्राप्त पारिश्रमिक का विवरण (वित्त वर्ष 2024-25)	लागू नहीं स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क और ऐसी बैठकों में भाग लेने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में निदेशकता	शून्य
सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों से निदेशक पद से इस्तीफ दे दिया है	शून्य
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों (विदेशी कंपनियों, निजी कंपनियों एवं धारा 8 कंपनियों को छोडकर) में सदस्यता/अध्यक्षता	शून्य
वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भाग लेने वाली बोर्ड बैठकों की संख्या	लागू नहीं
कंपनी में धारित इक्विटी शेयरों की संख्याः	
क. स्वयं	शून्य
ख. लाभकारी आधार पर अन्य व्यक्तियों के लिए	शून्य

टिप्पण

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय

प्रशासनिक भवन
कोचीन शिपयार्ड परिसर
पेरुमानूर, कोच्चि - 682 015
केरल, भारत
सीआईएनः L63032KL1972GOI002414
वेबसाइटः www.cochinshipyard.in

a K&A creation | www.kalolwala.com

Annual Report
2024-25

Cochin Shipyard Limited



Leading with Excellence
Innovating for the Future

Leading with **Excellence** Innovating for the **Future**

For over five decades, Cochin Shipyard Limited (CSL) has stood at the helm of India's maritime journey, anchored in engineering excellence, propelled by innovation and guided by an unswerving commitment to nation-building.

From building the country's first Indigenous Aircraft Carrier to delivering world-class hybrid and electric-powered vessels, CSL has consistently pushed the boundaries in shipbuilding, repair and marine engineering.

As we navigate a dynamic global maritime landscape, our focus remains on crafting future-ready solutions that are smart, sustainable and strategic. Whether it is investing in cutting-edge infrastructure, delivering complex defence projects or adopting green technologies, we are reimagining shipbuilding to meet future needs.

Driven by a skilled workforce and empowered by a culture of continuous learning and collaboration, CSL continues to chart bold new courses at home and across international waters. We are building capabilities, partnerships and a resilient maritime future for India and the world.



Read inside

02-38 Corporate Overview

02	Terramaris: The Eternal Symbol of CSL's Legacy
04	About us
06	Our presence
08	Our portfolio
12	Chairman's message
16	Key milestones reached in FY 2024-25
18	Financial performance
20	Operational excellence
24	Infra Project highlights
26	Awards and recognition
27	Our people
30	Environment
31	Social
34	Governance
35	Board of Directors
38	Corporate Information

39-149 Statutory Reports

39	Directors' Report
74	Report on Corporate Governance
98	Management Discussion and Analysis Report
113	Business Responsibility and Sustainability Report

150-367 Financial Statements

151	Independent Auditors' Report (Standalone)
169	Comments of the C&AG (Standalone)
170	Standalone Financial Statements
254	Independent Auditors' Report (Consolidated)
265	Comments of the C&AG (Consolidated)
266	Consolidated Financial Statements

368-387 Notice

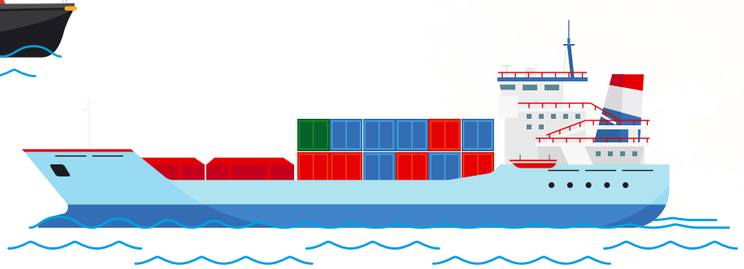
368	53rd Annual General Meeting

Scan QR Code or click the link below to visit our website:
www.cochinshipyard.in

Forward-looking statements

Some information in this report may contain forward-looking statements which include statements regarding Company's expected financial position and results of operations, business plans and prospects and so on and are generally identified by forward-looking words such as 'believe', 'plan', 'anticipate', 'continue', 'estimate', 'expect', 'may', 'will' or other similar words. Forward-looking statements are dependent on assumptions or basis underlying such statements. We have chosen these assumptions or basis in good faith, and we believe that they are reasonable in all material respects. However, we caution that actual results, performances or achievements could differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. We undertake no obligation to update or revise any forward-looking statement, whether as a result of new information, future events, or otherwise.





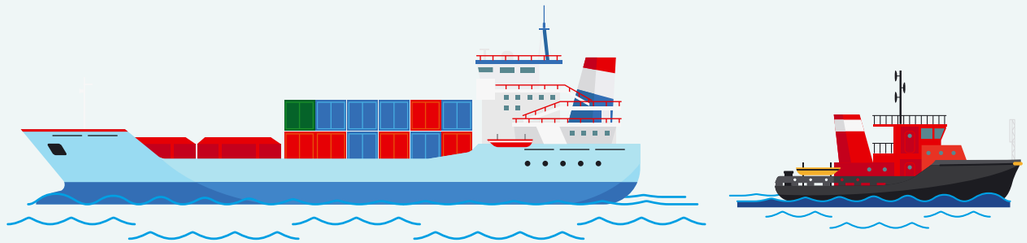
Terramaris: The Eternal Symbol of CSL's Legacy

As Cochin Shipyard Limited celebrated its Golden Jubilee, a grand vision was set in motion—one that would transcend time, inspire generations, and stand as a testament to the indomitable spirit of the Shipyard. This vision materialized in the form of a magnificent sculpture named Terramaris, an awe-inspiring tribute to the workforce that has propelled CSL's journey of excellence.

Conceived as an energy point within CSL, the sculpture represents the progressive evolution of the Shipyard, embracing change, harnessing the power of its people, and embodying the essence of the sea and shipbuilding. Designed to endure for the next 1000 years, this monumental structure is more than an artistic marvel—it is a beacon of inspiration, igniting internal energy and fueling CSL's ambitions for the future.

A Vision Cast in Metal and Stone

Crafted under the artistic genius of Shri P V Ramachandran, also known as Maraprabhu Ramachandran, the sculpture captures the convergence of kinetic and potential energies, symbolizing the creative and constructive spirit of CSL's workforce. It also serves as a solemn homage to the maritime pioneers, whose innovations have shaped the modern shipping industry. This sculpture has been designed in accordance with the Golden Ratio and has been vetted by Professor Sunny Kuriakose. Standing 28.5 feet tall, the sculpture features a stainless steel (SS 316) framework, covered with exquisite copper sheeting, meticulously handcrafted by the master artisans of Venkala Paithruka Gramam, Ezhimala, Kannur. The granite-clad foundation, the intricately designed podium, and the ornamental copper embellishments elevate its grandeur, making it an unparalleled masterpiece in CSL's history. Strategically positioned on the western side of CSL's Main Office building, the sculpture commands visibility, ensuring that its symbolism remains etched in the hearts of every employee, visitor, and maritime enthusiast who walks through the Shipyard.



A Legacy Set in Stone and Copper

The realization of this historic project was marked by three key milestones:

- **April 30, 2022** – Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, inaugurated CSL's Golden Jubilee celebrations by digitally unveiling the sculpture's design.
- **November 30, 2024** – The sculpture was successfully completed, earning prestigious recognition in the Asia Book of Records and India Book of Records for its grandeur and unique craftsmanship
- **April 07, 2025** – Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbananda Sonowal, dedicated the sculpture, commemorating the 50th anniversary of CSL.

A Timeless Symbol of Progress

With Terramaris, CSL has not only immortalized its past but has also laid the foundation for the future—a future where tradition meets innovation, art meets engineering, and history meets eternity. This monumental sculpture stands as an unwavering testament to CSL's commitment to excellence, echoing the Shipyard's motto: Always Moving Forward, Always Evolving.



About us

Charting India's Maritime Future with Excellence and Innovation

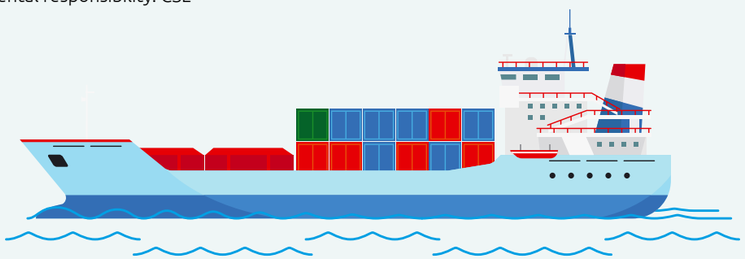
With over five decades of maritime legacy, Cochin Shipyard has emerged as a national leader in shipbuilding and ship repair, driven by engineering excellence and a strong commitment to innovation. Incorporated in 1972, we have consistently responded to the evolving needs of the industry, delivering a wide array of vessels to both defence and commercial sectors. Our state-of-the-art infrastructure, backed by a skilled and dedicated workforce, enables us to execute complex projects with precision and reliability.

Over the years, we have built and repaired some of the largest and most advanced ships in India, including the construction of country's first Indigenous Aircraft Carrier, INS Vikrant. Our reputation extends globally, having exported vessels to some of the most demanding clients in countries such as Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Bahamas, Saudi Arabia, Liberia and UAE. We have collaborated with global firms including Rolls Royce Marine (Norway), GTT (France), Vard Group (Norway), IHC Holland BV (Netherlands), Robert Allan Limited (Canada), and Conoship International BV (Netherlands). We have also delivered sustainable solutions like hybrid and electric vessels to domestic and international clients, reinforcing our commitment to environmental responsibility. CSL is also actively engaged in repairs, upgrades, and maintenance of various vessel types, including ships in the oil exploration sector.

As a Schedule A CPSE (Central Public Sector Enterprise) under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we are proud of our growing international presence, collaborations with leading global players, and our ability to adapt to market shifts. Our unswerving focus on R&D, clean energy transition and indigenisation positions us to contribute meaningfully to the Government's maritime ambitions under the Maritime India Vision (MIV) 2030 and the Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047.

Vision

- Emerge as an internationally preferred shipyard to construct world class Merchant and Naval ships, offshore vessels and structures.
- Be the market leader in India for ship repairs, including conversions and upgradation.
- To be admired for our achievements, respected for our ethics and trusted for our service excellence by our valued customers.



Mission

- To build and repair ships and offshore structures to international standards and provide value added quality engineering services.
- Sustain corporate growth in competitive environment.
- To adopt and undertake practices towards becoming a responsible corporate citizen.

Objectives

- To sustain and enhance shipbuilding and ship repair activities through technology up-gradation and capacity augmentation.
- To continuously endeavour to expand/diversify activities of the shipyard including setting up new facilities.
- To carry out research and development in existing and emerging technologies in shipbuilding processes.
- To move towards international benchmarking, benchmark with the best shipbuilding standards followed in India.
- To motivate employees through improved specific training programmes.
- To adopt best practices for clean and safe environment.
- Ride the down time with aggressive bidding and secure orders to maximise capacity.
- To ensure positive customer-oriented initiatives.
- To build a responsible corporate citizen image through CSR and sustainability projects and compliance to corporate governance principles.

Key highlights (FY 2024-25)

₹4,820 Crs.
Highest ever Turnover

₹1,125 Crs.
Highest ever Profit Before Tax (PBT)

26%
EBITDA Margin

17%
PAT Margin

₹827 Crs.
Highest ever Profit After Tax (PAT)

₹1,267 Crs.
Highest ever EBITDA

₹5,579 Crs.
Highest ever Net Worth

23%
PBT Margin



Our presence

Sailing Strong. Docking Global Trust.





Export countries

Country	Number of vessels exported
UAE	2
Bahamas	6
Cyprus	8
Germany	4
Saudi Arabia	9
Netherlands	4
Norway	6
USA	4
Liberia	4

Vessels Built and Delivered (Total as on March 31, 2025)

22 Large Vessels

35 Offshore Support vessels

106 Small & medium vessels

31 Defence vessels

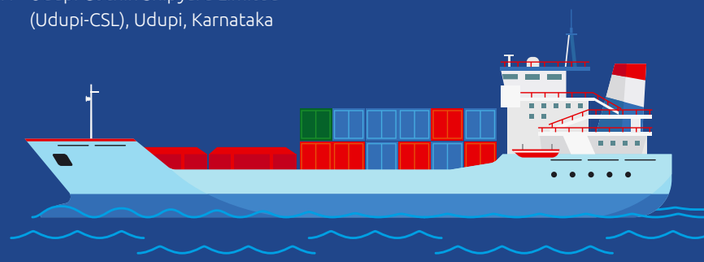
Map not to scale, for representation purposes only

Units

1. CSL Main Shipyard at Kochi with 3 Dry Docks (a new large Dry Dock was recently inaugurated in January 2024)
2. International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port, Kochi (recently inaugurated in January 2024)
3. CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) at Mumbai Port, Mumbai
4. CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) at Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata
5. CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU) at Marine Dockyard, Port Blair

Wholly owned subsidiaries

6. Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) Howrah, West Bengal
7. Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), Udupi, Karnataka



Our portfolio

Defining Maritime Strength Through a Diversified Fleet

Shipbuilding

₹2,955 Crs.

Highest ever total shipbuilding income during FY 2024-25

Defence


Aircraft Carriers


Next Generation Missile Vessels


Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts


Technology Demonstration Vessel


Floating Border Out-Post Vessels



Fast Patrol Vessels


Hydrographic Survey Vessels


Offshore Patrol Vessels


Pollution Control Vessels

Commercial


Oil Tankers

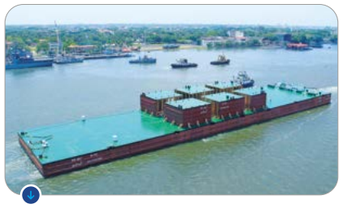

Bulk Carriers


Dredgers


Pax Vessels


Tugs


Special Purpose Vessels


Deck Cargo/ Jacket Launch Barges


Electric Autonomous Vessels


Electric Passenger Ferries


Ro-Pax Vessels


Specialised Fishing Vessels


Marine Ambulance


Commissioning Service Operation Vessels


Hybrid Service Operation Vessels


Zero Emission Feeder Container Vessels

Offshore



Platform Supply Vessels



Anchor Handling/ Tug Supply Vessels

Ship Repair



Maintenance and Repairs of Aircraft Carriers and other Defence Vessels.



Oil Rig Upgrades, Repair Projects, and Conversions





Repairs and Maintenance of Tankers, Bulk Carriers, all kinds of Commercial and Specialised Vessels

₹1,865 Crs.

Highest ever total ship repair income during FY 2024-25.

Marine Engineering Training Institute

CSL's Marine Engineering Training Institute (METI) has been offering one year Graduate Marine Engineering (GME) Course since 1993, as per the guidelines of the Directorate General of Shipping, Government of India and continues to play a vital role in developing skilled workforce for the maritime industry. The course equips cadets with advanced technical skills and practical knowledge for maritime careers. In addition, METI offers a range of specialized training programs such as Basic Fire Fighting Practical Training, Oil and Chemical Tanker Familiarization, Fitter Enhancement Training, Welder's Bridging Training, Marine Structural Fitter Training, Rigger Training etc. Leading industry players like Maersk A/S, Denmark, BSM India and the Government of Kerala's ASAP has partnered with METI to ensure industry-relevant training. METI's consistent excellence has earned it several awards and recognitions.

102

Graduate Marine Engineering cadets successfully trained during FY 2024–25

650+

Participants benefitted from specialised trainings during FY 2024–25







Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

To diversify our revenue streams beyond traditional shipbuilding and ship repair, we have established a dedicated vertical – CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS). This division focuses on leveraging strategic and knowledge-driven technologies to explore emerging opportunities in the maritime domain. Through C-SAS, we are working towards shaping future-ready, sustainable business models that align with evolving industry dynamics.





Chairman's message



Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director

I am pleased to share that CSL achieved its highest-ever turnover, PBT and PAT both in terms of standalone and consolidated basis in the financial year 2024–25, marking another significant milestone in the Company's growth journey.

Dear shareholders,

It is with immense pleasure that I present to you the performance highlights of Cochin Shipyard Limited (CSL) for the financial year 2024–25, a year marked by record turnover, Profit Before Tax (PBT) and Profit After Tax (PAT), good execution and significant progress across strategic priorities. We strengthened our presence in defence, commercial and green vessel segments, while expanding our international footprint through key collaborations. The commencement of operations at major infrastructure projects viz., the New Dry Dock and the International Ship Repair Facility has enhanced our capacity to execute complex and high-value assignments. With a diversified order book and a clear focus on operational excellence, CSL continues to contribute meaningfully to the nation's maritime growth story.

Financial performance

I am pleased to share that CSL achieved its highest-ever turnover, PBT and PAT both in terms of standalone and consolidated basis in the financial year 2024–25, marking another significant milestone in the Company's growth journey. On a consolidated basis CSL recorded a turnover of ₹4,820 Crores in FY 2024-25 compared to ₹3,830 Crores in FY 2023–24. Shipbuilding income reported was ₹2,955 Crores, while the ship repair income was ₹1,865 Crores. Profit Before Tax increased to ₹1,125 Crores from ₹1,071 Crores in the previous year. Profit After Tax for the year was ₹827 Crores compared to ₹783 Crores in FY 2023–24. The Company's net worth increased to ₹5579 Crores as on March 31, 2025.

The Board has recommended a final dividend of ₹2.25 per equity share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. Earlier, interim dividends of ₹4.00 and ₹3.50 per equity share, aggregating to ₹7.50 per equity share, had been paid to the shareholders during the year. This takes the total dividend for FY 2024–25 to ₹9.75 per equity share (195%), amounting to ₹256.50 Crores.

Further, the Government of India in October 2024, divested 4.95% of its stake in CSL through Offer for Sale (OFS), increasing the public float to 32.09% with Government of India retaining the balance 67.91%.

Operational performance

During FY 2024-25, CSL maintained steady operational performance. In shipbuilding, CSL received an order from a European client to design and build a Hybrid Service Operation Vessel (SOV). This vessel, equipped with hybrid battery systems, is aimed at improving energy efficiency and reducing emissions, and will support the service and maintenance needs of offshore wind farms in the European market, where sustainable energy solutions are gaining momentum. CSL also signed an agreement with Kochi Municipal Corporation for constructing a Ro-Ro Vessel. While the project may not be large in financial terms, it has great value for society by helping reduce traffic, save travel time, and encourage eco-friendly transport in Kochi.

During the year, CSL delivered five Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi water metro project. Further, India's first indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel was sailed off to Varanasi from CSL, marking a major milestone in the country's journey towards sustainable maritime solutions.

Coming to the ship repair segment, CSL successfully handled a total of 187 projects across its five ship repair units located along the west and east coasts of India. Notably, CSL completed the short refit and dry docking of INS Vikramaditya, Indian Navy's aircraft carrier and signed the Master Ship Repair Agreement (MSRA) with the United States Navy, enabling CSL to undertake repairs of US Naval Vessels under the Military Sealift Command.

During the year, CSL organised the Ship Design Conclave 'SANKALP' under the theme 'Design in India, Design for the World', with the objective of strengthening India's ship design ecosystem and promoting indigenous capabilities.

CSL's Strategic & Advanced Solutions Division (C-SAS)

In keeping with industry trends, CSL through its Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) division is trying to tap into emerging opportunities. The C-SAS division has made good progress during 2024-25. The first indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel has now been deployed at Varanasi along with the allied H2 fueling infrastructure. After the maiden surface run of the HEAUV for DRDO, which met all mission parameters, C-SAS is now concentrating on development of an autonomous vessel, for which we have secured 50% funding under the MoPSW's R&D scheme. By focusing on cutting-edge technologies, specialized services, and strategic partnerships, C-SAS is diversifying CSL's portfolio and strengthening our competitive edge.

C-SAS is also spearheading CSL's 'USHUS' Maritime Startup Scheme, driving innovation by identifying and supporting promising startups in the maritime sector. IIM Kozhikode LIVE and IIT Madras serve as the Review and Recommending Agencies for selection, monitoring, and stakeholder coordination. To date, ₹5.1 Crores have been committed to 11 startups specializing in deep tech, AI, renewable energy, and eco-materials.

Subsidiary companies

Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL)

Hooghly-CSL, our wholly owned subsidiary at Nazirgunge, West Bengal, continued to strengthen its operations during the year. The Yard secured an order for two 40T ASD Bollard Pull Tugs from Industrial Handling Private Limited. This is in addition to the previous order for two similar vessels awarded during FY 2024. Further, Hooghly-CSL is also building six Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessels for the Inland Waterways Authority of India (IWAI) and a 2,200T Multi-Purpose Vessel for JAK Maritime & Logistics India Private Limited. Alongside these projects, Hooghly-CSL is serving as consultant to IWAI for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam.

During FY 2024–25, Hooghly-CSL reported a turnover of ₹5,775 Lakhs as against ₹2,072 Lakhs in the previous year. The Company recorded a loss of ₹1,738 Lakhs compared to a loss of ₹3,006 Lakhs in FY 2023–24. With the ongoing execution of these projects, the Company remains focused on improving operational performance and enhancing revenue realisation in the coming years.

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL)

Udupi-CSL, our wholly owned subsidiary based in Udupi, Karnataka, deepened its foothold in the small and medium-sized vessel segment during FY 2024–25. The Yard's strong execution capabilities led to repeat orders from satisfied clients, including twelve 70T Bollard Pull Tugs; eleven from Ocean Sparkle Limited and one from Polestar Maritime Limited and eight 6,300 TDW Dry Cargo Vessels from Wilson ASA, Norway. With consistent performance and customer confidence, Udupi-CSL has built a healthy order book of approximately ₹2,200 Crores.

Udupi-CSL's strong execution capabilities led to repeat orders from satisfied clients, including twelve 70T Bollard Pull Tugs; eleven from Ocean Sparkle Limited and one from Polestar Maritime Limited and eight 6,300 TDW Dry Cargo Vessels from Wilson ASA, Norway.

For the year ended March 31, 2025, Udupi-CSL reported a turnover of ₹26,564 Lakhs, compared to ₹17,972 Lakhs in the previous year. The Company recorded a profit of ₹263 Lakhs, against ₹111 Lakhs in the previous year.

Corporate governance

The Company is committed to comply with good corporate governance practices. The Company complies with the applicable corporate governance regulations of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises except w.r.t the appointment of Independent Directors and related non-compliances.

As on March 31, 2025, the Board of CSL did not have Independent Directors, including a Woman Director, against the statutory requirement of six. This situation arose following the resignation of Shri Prithiviraj Harichandan, Independent Director, with effect from May 02, 2024, to contest in the Odisha Legislative Assembly elections, and the completion of tenure of the remaining five Independent Directors on November 21, 2024. CSL being a CPSE, the power to appoint Directors on the Board vests with

the Government of India. Accordingly, these vacancies were duly reported to the Government of India along with following up the matter regularly for ensuring compliance. Consequently, in May 2025, the Government appointed Dr. Seema Suri as an Independent Director on CSL's Board. With this appointment, CSL has been able to constitute the Stakeholders Relationship Committee, Risk Management Committee, and the Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, as these committees can be constituted with one Independent Director. The Company still awaits the appointment of five more Independent Directors, following which the other statutory committees will be reconstituted in full compliance with applicable regulations.

CSL's efforts in safety management were recognised at multiple forums during the year. The Company won the Kerala Industrial Safety Award 2024 from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala. CSL was also honoured with the 'Sreshta Suraksha Puraskar' for Outstanding Safety Performance in the Very Large Factories – Engineering category by the National Safety Council.

Human resource

At CSL, we view our people as the foundation of our success. As on March 31, 2025, our total manpower stood at 3,542, complemented by 1,083 trainees who are undergoing structured on-the-job training at the Yard. During the year, 1,310 new hires were onboarded across categories including trainees, in line with our growing operational footprint. To build capabilities across all levels, we conducted over 200 training programmes totaling around 4,650 mandays, both in house and at premier institutions. These programmes focused on technical, safety, functional and leadership domains benefitting more than 3,350 participants. It is worthwhile to note that a total of 40 employees attended a customized training program in Japan, conducted in two batches during April 2024 and February 2025, with 50% women participation in the second batch, reflecting our strong focus on up-skilling and promoting gender diversity in the workforce. Emphasizing the need for continuous learning and leadership development, CSL introduced its leadership talk series, Prajyoti and Prajnan. These sessions are designed to inspire and engage the workforce through short talks delivered by reputed personalities from various fields. As part of this initiative, 4 sessions of Prajyoti and 3 sessions of Prajnan were conducted during the financial year 2024-25. CSL also implemented progressive HR reforms this year, including provisions for Child Care Leave and Critical Illness Leave, reaffirming our commitment to building a caring and inclusive workplace. CSL also continued its employee welfare efforts through schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Industrial relations

CSL maintained a harmonious industrial relations environment during FY 2024–25, with no loss of man-hours due to labour unrest attributable to the Company. Employees across all levels, including executives, non-unionised supervisors and workmen, continued to demonstrate dedication, discipline and alignment with the Company's objectives. Mutually respectful relationship between Management, Trade Unions, associations and various stakeholders, always making sure that CSL will be at the core of our thinking, has been a hallmark of CSL.

CSL also cares deeply for its retired employees, continuing to provide cashless medical benefits to over 2,000 retired employees and their eligible dependents and additionally providing medicines to about 850. In addition to the medical scheme, CSL also provides financial support to retired employees through various schemes. This includes support to 33 retired employees under the 'Shipyard Aswasa Kiranam' and 'Shipyard Santhwana Sparsham' schemes. Further, to honour the invaluable services of those who retired before 2007, CSL introduced the 'Sayam Prabha' scheme, under which cash gifts are presented to retired employees on their 75th birthday and every five years thereafter. A total of 307 employees have been honoured with cash gifts under this scheme.

Through its ongoing engagement and support measures, the Company upheld a stable and collaborative work environment that enabled progress across its operations.

Sustainability

At CSL, our aim is to embed sustainability into every facet of our operations. We recognise that the future of shipbuilding lies in adopting practices that are both environmentally responsible and operationally efficient. In addition to building green ships, CSL is also working towards switching to 100% clean energy for its operations soon, aiming to become the first Indian shipyard run entirely by green power. Our leadership in sustainability is further recognized with an upgrade to the 'Gold' rating in the CII GreenCo framework. Beyond green energy, CSL's focus on Environmental, Social, and Governance (ESG) principles is integral to our future strategy.

CSL remains fully aligned with the nation's broader sustainability goals and we will continue to invest in cleaner technologies, renewable energy and eco-efficient infrastructure to ensure our operations remain future-ready and environmentally responsible.

Safety

Safety remains a core organisational priority at CSL, reflected in our structured systems, continuous training and commitment to international standards. The Company maintains an Integrated Management System (IMS) in line with ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environmental Management and ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management, ensuring compliance with best-in-class HSE practices. In March 2025, CSL further strengthened its framework by obtaining ISO 27001:2022 certification for establishing and maintaining an Information Security Management System (ISMS).

To strengthen safety awareness and capacity-building, CSL operates a dedicated HSE Competency Development Centre that offers structured training to our workforce. The Company continued to invest in various HSE initiatives across all operational areas during FY 2024–25. CSL also conducts regular safety audits, inspections and risk assessments as part of its commitment to proactively identifying and mitigating potential hazards at all levels. During the year, CSL also organised a two-day HSE Conclave 'SAMSRAYA' under the theme 'Leading Indian Shipyards to Global Best Practices', inaugurated by Shri T K Ramachandran IAS, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The conclave brought together leading shipyards from across the country to share best practices and strengthen the culture of safety in shipbuilding and ship repair.

CSL's efforts in safety management were recognised at multiple forums during the year. The Company won the Kerala Industrial Safety Award 2024 (Sub Category II) from the Department of Factories and Boilers, Government of Kerala. CSL was also honoured with the 'Sreshta Suraksha Puraskar' for Outstanding Safety Performance in the Very Large Factories – Engineering category by the National Safety Council (Kerala Chapter). In addition, the Company secured the second prize from the National Safety Council (Kerala Chapter) for excellence in contractor safety management systems.

CSR

CSL remains committed to its role as a responsible corporate citizen, aligning its Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives with national priorities. A structured CSR framework is in place, supported by a dedicated CSR Cell that ensures proper planning, execution, and monitoring of projects approved by the Board. Over the years, CSL has implemented more than 900 projects across India, with a cumulative CSR spent of over ₹140 Crores, focusing on healthcare, education, skilling, environmental sustainability, and community development. During the financial year, the Company spent ₹17.90 Crores against the mandated budget of ₹13.88 Crores, implementing 108 CSR projects with Health & Nutrition and PM Internship Scheme as the central theme. In line with DPE directives, Wayanad, an aspirational district with a significant tribal population, was a key focus area. CSR projects were undertaken not only in Kerala but also in other parts of the country, including the north-eastern states. I am happy to report that CSL was honoured with two awards for its CSR performance—one by the National Institute of Personnel Management (NIPM), Kochi Chapter, and another by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) in recognition of its impactful CSR initiatives.

Looking ahead

As we look ahead, CSL enters the new financial year with a strong order book of around ₹21,000 Crores, providing visibility and stability across defence, commercial, and green vessel segments in both domestic and international markets. Across the CSL group, we have a total of 75 vessels on order, with 50 currently under construction which includes 28 at CSL, and 11 each at Hooghly–CSL and Udupi–CSL respectively.

Our enhanced infrastructure, including the new Dry Dock and International Ship Repair Facility, has strengthened our ability to execute large and complex projects, positioning CSL as a reliable partner of choice for global clients.

To effectively implement the Government's maritime vision under Maritime India Vision (MIV) 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has established over 20 ViBhaS and NAVIC Cells. CSL, plays an active role, with its officers involved in 21 such cells—contributing strategically to the nation's maritime roadmap. In alignment with national initiatives such as the MIV 2030, MAKV 2047, and India's goal of becoming a developed nation by 2047, CSL has drawn up a strategic roadmap viz., CRUISE 2030$^{2.0}$ to reinforce its role in this transformative journey. Leveraging our five decades of experience in shipbuilding and ship repair, together with expanded infrastructure, emerging global maritime trends and the Government 's policy support, CSL is poised to deliver sustainable, technologically advanced, and globally competitive solutions in the maritime sector.

Our strategy CRUISE 2030$^{2.0}$ is built on two pillars – revenue generation and operational excellence. Key initiatives identified under this roadmap include establishing strategic partnerships in large vessel construction, establishment of ship repair clusters, advancing marine electrification technologies, and exploring international collaborations in ship design. These initiatives, some of which are already at advanced stages of discussion, reflect our focus on building capabilities that will not only strengthen our competitiveness but also contribute meaningfully to the growth of India's maritime sector.

Closing remarks

In closing, I extend my sincere gratitude to the entire team of CSL group for their dedication, professionalism and ability to deliver excellence across all areas of our operations. I would also like to thank our valued customers, business partners and investors for their trust and continued association with the Company.

I sincerely appreciate the cooperation and encouragement extended by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Ministry of Defence, various Government of India departments, and the State Governments of Kerala, West Bengal, Maharashtra, Karnataka, as well as the Andaman and Nicobar Administration, who have been instrumental in realizing our aspirations.

As we move forward, we remain consistent in our mission to strengthen India's maritime capabilities through innovation, sustainability and operational excellence. Backed by our robust order book, modern infrastructure and skilled workforce, CSL is confident of navigating the opportunities and challenges of the future, delivering long-term value to our stakeholders and contributing meaningfully to the nation's growth story.

Thank You, Jai Hind.

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director

Key milestones reached in FY 2024-25

Keel to Crest: Achievements That Define Our Journey



April 04, 2024

CSL signed the Master Ship Repair Agreement (MSRA) with United States Navy. This will facilitate repair of US Naval vessels under Military Sealift Command in CSL.

April 11, 2024

Udupi-CSL secured an order for construction of one 70T Bollard Pull Tug from Polestar Maritime Limited.

April 15, 2024

Delivered the fourteenth vessel out of the total order for 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi Metro.

May 09, 2024

Udupi-CSL delivered one 70T Bollard Pull Tug 'Konna Star' to Polestar Maritime Limited.

May 09 & 10, 2024

CSL organised a two days HSE Conclave 'SAMSRAYA' under the theme 'Leading Indian Shipyards to Global Best Practices'. The summit brought together India's top shipyards to enhance their Health, Safety and Environment practices and excellence in shipbuilding and ship repair.

May 13, 2024

CSL bagged an order from a European Client, for the design and construction of a Hybrid Service Operation Vessel (Hybrid SOV).

May 18, 2024

India's first indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel designed and developed by CSL sailed off to Varanasi.

May 30, 2024

Udupi-CSL bagged an order for construction of three 70T Bollard Pull Tugs from Ocean Sparkle Limited.

June 27, 2024

Udupi-CSL bagged an order for construction of four 6300 TDW Dry Cargo Vessels from Wilson ASA, Norway.

July 15, 2024

Hooghly-CSL bagged an order for construction of two ASD Bollard Pull Tugs from Industrial Handling Private Limited.

July 20, 2024

Delivered the fifteenth vessel out of the total order for 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi Metro.

August 12, 2024

Commenced commercial operations at International Ship Repair Facility (ISRF), by successful docking of 'HSC Parali' of Lakshadweep Administration.

August 30, 2024

Delivered the sixteenth vessel out of the total order for 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi Metro.

September 07, 2024

Launched two HS Eco Freighter 7000 DWT Vessel being built for HS Service GMBH & CO.KG, Germany.



September 09, 2024

Launched two Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts (ASW SWC) being built for the Indian Navy.

September 11, 2024

Udupi-CSL delivered one 70T Bollard Pull Tug 'Mogra Star' to Polestar Maritime Limited.

September 13, 2024

Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Union Minister of Ports, Shipping and Waterways laid the keel (in virtual mode) for 12000 Cu.M capacity Tailing Suction Hopper Dredger being built for Dredging Corporation of India (DCI).

September 27, 2024

Udupi-CSL bagged an order for construction of four 6300 TDW Dry Cargo Vessels from Wilson ASA, Norway.

October 24, 2024

CSL organised a one-day Ship Design Conclave 'SANKALP' under the theme 'Design in India, Design for the World'. The event focused on building up a strong ship design ecosystem in India & incentivize 'design in India' to reduce global dependency.

November 12, 2024

CSL awarded seed funding worth ₹90 Lakhs to three promising start-ups under its Start-up support programme 'USHUS'.

November 13, 2024

CSL signed an order with Kochi Municipal Corporation for construction of a RO-RO Vessel.

November 22, 2024

CSL signed MOU with Seatrium Letourneau USA, Inc. (SLET) to develop Jack-Up Rig Design for the Indian market.

November 25, 2024

Delivered the seventeenth vessel out of the total order for 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi Metro.

November 30, 2024

- Signed contract with Indian Navy for Short Refit and Dry Docking of INS Vikramaditya.
- Terramaris received prestigious recognition from both the Asia Book of Records and the India Book of Records for its grandeur and unique craftsmanship.

December 12, 2024

Keel laying of one Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) being built for a European client.

December 16, 2024

Steel cutting of one Next Generation Missile Vessel being built for Indian Navy.

December 17, 2024

Keel laying of one Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC) being built for Indian Navy.

December 27, 2024

Udupi-CSL bagged an order for construction of eight 70T Bollard Pull Tugs from Ocean Sparkle Limited.

January 09, 2025

Delivered the eighteenth vessel out of the total order for 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels to Kochi Metro.

January 29, 2025

Keel laid for the 7th ASW SWC in the series of 8 vessels being built for Indian Navy.

March 22, 2025

CSL obtained certification according to ISO 27001:2022 for establishing, implementing, maintaining and continually improving an Information Security Management System (ISMS).

February 25, 2025

Steel cutting of a Hybrid Service Operation Vessel (Hybrid SOV) being built for a European client.

February 18, 2025

CSL won Industrial safety award, among big industries in the engineering, automobile repairing and servicing, textile and coir sectors, instituted by the Department of Factories and Boilers under the State Government for the year 2024.

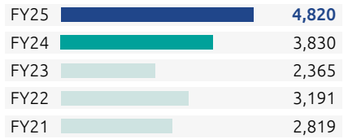


Financial performance

Navigating Growth with Financial Prudence

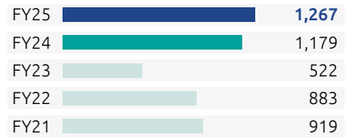
Turnover

(₹ in Crores) 26% YoY



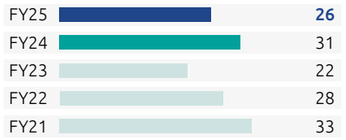
EBITDA

(₹ in Crores) 7% YoY



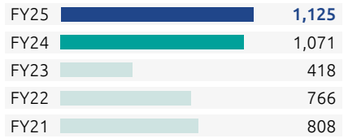
EBITDA Margin

(%) (16%) YoY



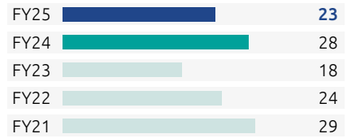
Profit Before Tax (PBT)

(₹ in Crores) 5% YoY



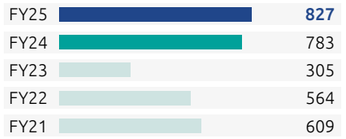
PBT Margin

(%) (18%) YoY



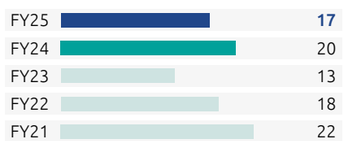
Profit After Tax (PAT)

(₹ in Crores) 6% YoY



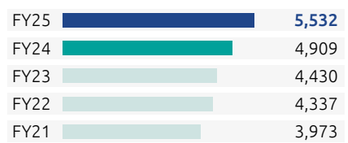
PAT Margin

(%) (15%) YoY



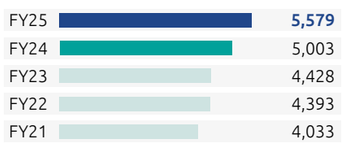
Capital Employed

(₹ in Crores) 13% YoY



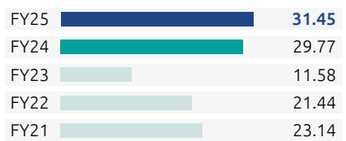
Net Worth

(₹ in Crores) 12% YoY



EPS

(₹) 6% YoY



Note: EPS figures presented above is based on the new face value of shares consequent to the stock split in January 2024. Previous years' figures have been adjusted for ease of comparability.

10-year performance review

Key Indicators	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
EPS (₹ per share)	31.45	29.77	23.16	42.87	46.27	48.05	35.47	31.00	28.44	24.28
Face Value per Share (₹)	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
EBITDA / Gross Turnover (%)	26.28	30.77	22.09	27.66	32.61	27.80	26.87	27.73	26.38	23.71
Net Profit Margin (%)	17.16	20.45	12.89	17.67	21.59	18.47	16.13	16.83	15.65	13.78
Return on Net Worth (%)	14.83	15.66	6.88	12.84	15.09	16.98	14.35	12.17	15.86	15.88
Return on Capital Employed (%)	21.04	22.49	10.24	18.75	21.63	24.16	22.93	18.82	24.47	24.93

(₹ in Crores unless otherwise stated)

Particulars	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
Turnover	4819.95	3830.45	2364.55	3190.95	2818.90	3422.49	2962.16	2355.12	2058.87	1995.89
Total income	5209.02	4140.64	2571.57	3453.76	3009.72	3667.58	3188.97	2544.35	2222.45	2109.77
Profit Before Tax (PBT)	1125.17	1070.94	418.44	765.94	808.13	857.72	747.52	604.24	494.00	424.08
Depreciation & write offs	103.18	74.58	68.84	69.66	59.83	48.94	34.20	37.51	38.51	37.19
Profit After Tax (PAT)	827.33	783.28	304.71	563.96	608.66	632.01	477.79	396.26	322.15	275.03
Equity Share Capital	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	131.54	135.94	113.28	113.28
Reserves & Surplus	5447.72	4871.80	4296.11	4261.64	3901.91	3591.34	3197.10	3119.54	1917.83	1618.87
Net Worth	5579.26	5003.34	4427.65	4393.18	4033.45	3722.88	3328.64	3255.47	2031.11	1732.15
Gross Fixed Assets	3572.91	1396.21	1319.25	1197.61	1035.31	857.96	426.93	369.79	599.97	662.18
Net Fixed Assets	3034.10	949.45	943.30	905.44	803.98	700.48	313.24	284.47	302.85	370.22
Number of Employees of CSL (permanent)	2140	2133	1883	1756	1727	1710	1744	1781	1829	1671

Key Indicators – MoU with the Government of India

Key Indicators (Consolidated)	2024-25	2023-24
Value of Production (₹ in Crores)	4825.29	3829.78
Capex (₹ in Crores)	461.44	561.58
Export/Income from Overseas (₹ in Crores)	728.27	261.36
Reduction in total imports consumed as % of Revenue from Operations over previous year (%)	15.98	28.68
EBITDA as a percentage of Revenue (%)	24.32	28.47
Return on Net Worth (%)	15.84	16.80
Asset Turnover Ratio (%)	38.88	34.38
Trade Receivables as number of days of Revenue from Operations (No. of Days)	17.03	28.92
Expenditure on R&D/ Innovations Initiatives as % of PBT (%)	2.02	1.94

Operational excellence

Engineering Efficiency Below Deck and Beyond

We operate strategically located shipbuilding and repair facilities across India, each aligned to meet specific customer and segment requirements. Our infrastructure footprint is tailored to handle complex naval platforms, large commercial ships and inland/coastal vessels, supported by a strong emphasis on productivity, quality and delivery timelines. These facilities continue to reinforce our position as a dependable partner for maritime stakeholders.

Kochi, Kerala

Our Kochi operations form the core of our shipbuilding and repair capabilities. Equipped with state-of-the-art infrastructure, the unit has a proven track record, having delivered over 175 vessels of different types and executed more than 2,500 ship repair projects. The successful construction and delivery of India's first Indigenous Aircraft Carrier 'INS Vikrant' stands as a testimony to our technical excellence. The recently added New Large Dry Dock and the International Ship Repair Facility (ISRF), has significantly expanded our capabilities. The New Large Dry Dock equips us to handle strategic assets like future aircraft carriers upto 70,000T displacement as also large commercial vessels including Capesize & Suezmax vessels, Jack-up rigs, LNG vessels etc. The ISRF is expected to modernise and expand our existing ship repair capabilities and aspires to transform Kochi as a global ship repair hub. We cater to a wide range of domestic and global clients across defence, commercial and offshore segments.

Cochin Shipyard Limited (CSL), Kochi

Dry Dock 1: 255 × 43 × 9 Mtr

Dry Dock 2: 270 × 45 × 12 Mtr

Dry Dock 3: 310 × 75/60 × 13 Mtr (New)

Berth: 1.3 KM

International Ship Repair Facility (ISRF), Kochi

Ship-lift: 6000T (130 × 25 Mtr)

6 Workstations

Dedicated Shops and Maritime Park

Berth: 1.4 KM



Mumbai, Maharashtra

Our operations in Mumbai are anchored by the CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU), located at Mumbai Port. Since commencing operations in January 2019, the facility has successfully completed repair works for over 125 vessels. With its growing capabilities, CMSRU has strengthened our presence along the western coast, reinforcing our reputation for reliable and timely ship repair services. CMSRU undertook a total of 22 ship repair projects and generated a revenue of ₹177 Crores during the financial year 2024-25.

CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)

Dry Dock: 300 × 30 × 9 Mtr

Berth: 1 KM (for afloat repairs)





Kolkata, West Bengal

The CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) caters to the ship repair needs of the eastern coast, serving both commercial and defence segments. Strategically located at Syama Prasad Mookerjee Port, the facility commenced operations in October 2019 and has since completed several significant projects. CKSRU continues to deliver consistent, high-quality repair solutions with a commitment to operational excellence. During the financial year 2024-25, CKSRU has handled 6 refit projects and earned a revenue of ₹41 Crores.

CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)

Dry Dock: 172 × 23 × 8 Mtr (2 numbers)

Sri Vijaya Puram, Andaman and Nicobar Islands

The CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU), located at the Marine Dockyard in Sri Vijaya Puram (formerly, Port Blair), began operations in November 2021. The unit has been instrumental in building a robust ship repair ecosystem for the region, offering modern, efficient services to meet local maritime requirements. During the financial year 2024-25, CANSRU handled around 25 major repair projects along with numerous emergency minor repair activities, generating a revenue of ₹186 Crores.

CSL Andaman and Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU)

Dry Dock 1: 88 × 20 × 7 Mtr

Dry Dock 2: 68 × 16 × 5 Mtr

Slipways: 25 × 8 Mtr (5 numbers)



Howrah, West Bengal

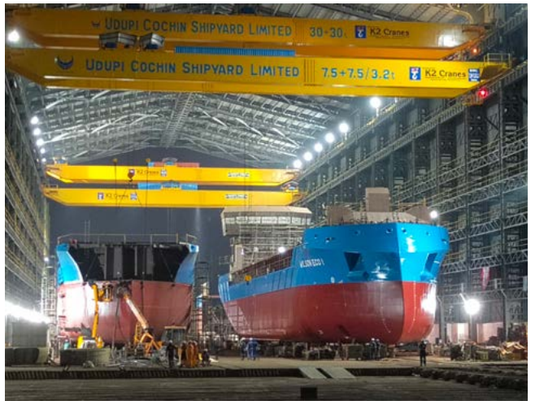
Established in Nazirgunge on the banks of the Hooghly River, Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) is a specialised facility dedicated to building high-quality inland and coastal vessels. Operational since August 2022, the facility addresses increasing demand for such vessels and leverages its compact layout and strategic positioning to deliver exceptional output. Hooghly-CSL has reported a total income of ₹62 Crores during the financial year 2024-25 and has an order book of approximately ₹150 Crores.



Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL)

Slipway: 136 × 40 Mtr

3 Outfitting Jetties

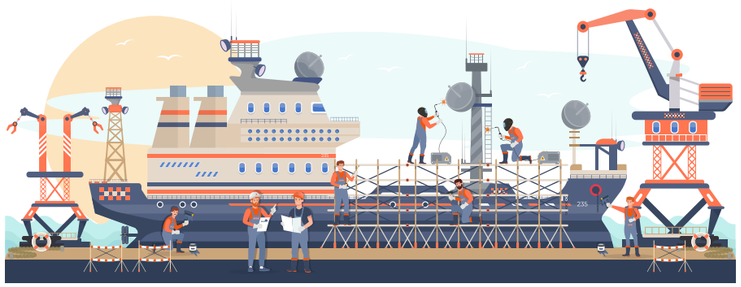


Udupi, Karnataka

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), a wholly owned subsidiary of CSL, was acquired in 2020 and began operations in July 2021. Located in Udupi, this facility caters to the construction of smaller and mid-sized vessels for domestic and international clients. With advanced infrastructure and strategic focus, Udupi-CSL plays a key role in our diversified of ₹279 Crores with a net profit of ₹3 Crores during the financial year 2024-25. Udupi-CSL has a robust order book of approximately ₹2,200 Crores.

Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL)

Slipway: 96 × 22 Mtr



Infra Project highlights

Strategic Assets & Engineering Marvels on a Sea of Progress

During the year, we added two mega infrastructure facilities that mark a transformative step in our capacity expansion journey. Both the **New Large Dry Dock** and the **International Ship Repair Facility (ISRF)** were inaugurated in **January 2024** by the Hon'ble Prime Minister of India, reinforcing our role in advancing India's maritime capabilities and supporting national self-reliance in shipbuilding and ship repair.

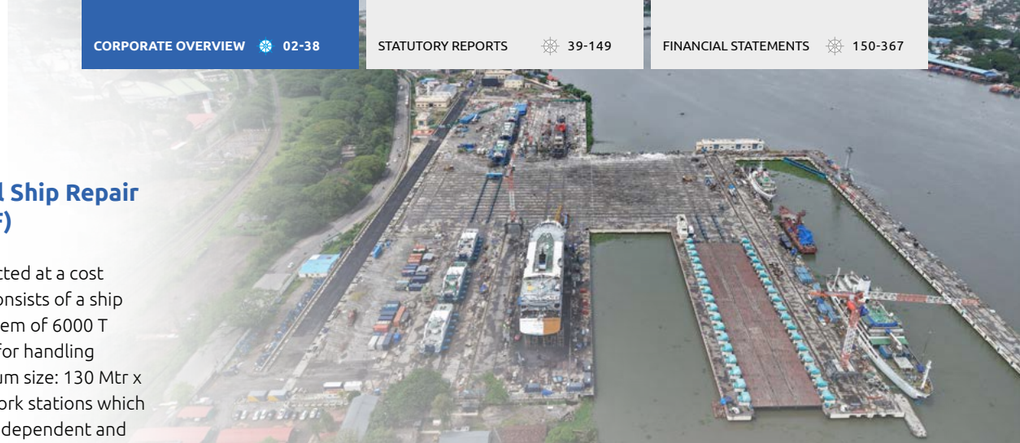
New Large Dry Dock

Located within our existing premises, this dry dock facility is engineered to handle construction and repairs of some of the largest vessel classes, thereby significantly strengthening our infrastructure readiness for handling future defence and commercial vessels. Constructed at a cost of ₹1,799 Crores, it is 310 Mtr long with a width of 75/60 Mtr, depth of 13 Mtr and is equipped with a heavy-duty 600 T Gantry Crane and two 75 T/ 40 T LLTT Cranes. It has a design life of 100 years and can comfortably handle aircraft carriers of 70,000 T docking displacement, large commercial vessels including Capesize & Suezmax vessels, Jack-up rigs, LNG vessels etc.



Analogy and tidbits about the Project

- 70,000 MT of steel forms used – 10 times the quantity of steel used in Eiffel Tower.
- 7.2 Lakh Tonnes of concrete used – 1.25 times concrete quantity used in Bandra Worli Sea Link.
- Can hold 242 Million litres of water – Equivalent to 95 Nos. of Olympic size swimming pools.
- Massive Dewatering Pumps which can dewater the dock in 3.5 hrs.
- 5,000 Nos. of RCC piles – Almost 26 times the number of piles installed in Burj Khalifa.
- 5,50,000 cu.m. of excavated material disposed to sea – Equivalent to relaying 300 Nos. of football fields.
- Electrical Cables runs almost 80 Kms.
- Service Pipe Lines runs almost 20 Kms.
- Achieved more than 22 million safe manhours.



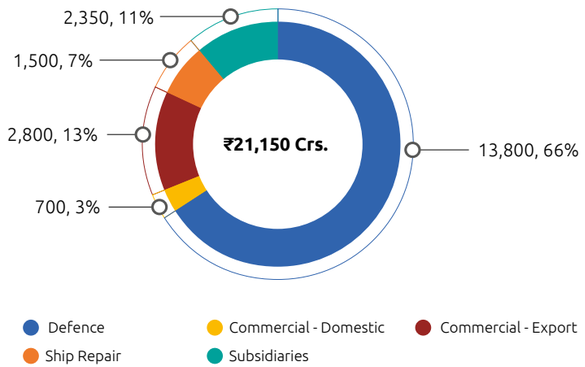
International Ship Repair Facility (ISRF)

The ISRF, constructed at a cost of ₹970 Crores, consists of a ship lift & transfer system of 6000 T capacity suitable for handling vessels of maximum size: 130 Mtr x 26 Mtr. It has 6 Work stations which would facilitate independent and simultaneous repair of six vessels, thereby enabling the facility to handle repairs of around 82 ships a year. The ISRF is expected to augment our ship repair capacity as well as in establishing Kochi as a global destination for ship repairs.

Order Book Position (As on March 31, 2025)

Project Category	No. of Vessels	Order Value (₹ in Crs.)*
Cochin Shipyard Limited		
Shipbuilding		
Defence	14	13,800
Commercial – Domestic	15	700
Commercial – Export	14	2,800
Total	**43**	**17,300**
Ship Repair	-	1,500
Total		**18,800**
Subsidiaries		
Hooghly-CSL	5	150
Udupi-CSL	26	2,200
Grand Total	**74**	**21,150**

Note: *The order value given in the above table is the balance amount of orders (rounded off to the nearest 50 Crs.) to be recognised as on March 31, 2025.





Awards and recognition

Setting the Gold Standard at Sea and Shore

Winner, Best Productivity Performance Award 2024 (FACT MKK Nayar Memorial Productivity Award) by Kerala State Productivity Council.

Winner, Kerala Industrial Safety Awards 2024 – Sub Category II.

'Sreshta Suraksha Puraskar' – Award for Outstanding Safety Performance under the category Very Large Factories – Engineering from the National Safety Council (Kerala Chapter).

Second prize from National Safety Council (Kerala Chapter) under the category Award for factories having contractor safety management system.

Rajbhasha Kirti Award (highest) from Ministry of Home Affairs, Government of India for outstanding implementation of Official Language Hindi in 'C' Sector for the year 2023-24.

First Prize for the implementation of Official Language from Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) among the companies having more than 200 administrative employees.

First Prize for the Hindi Home Magazine 'Sagar Ratna' from Kochi TOLIC (PSUs).

First Runner-up for the Overall Champion for the Joint Hindi Fortnight celebrations, 2024.

Best Participant Award and Overall Champion's Rolling Trophy for Sports and Best Paper Award (Students sessions) in seminar for METI on National Maritime Day Celebrations (NMDC) by MMD, Kochi.

A1 Grade (Outstanding Grade) for METI by LR Class on behalf of the Directorate General of Shipping in the CIP Audit for the year 2025. METI has received the A1 Outstanding Grade for three consecutive years.

Special Performance Award by FICCI in recognition of CSL's inclusive CSR initiatives.

Best CSR performance award by NIPM Kochi in recognition of CSL's overall CSR performance.





Our people

The True Navigators of Our Progress

We believe that our people are central to driving innovation, efficiency and long-term success. Our approach focuses on strengthening our talent pool, investing in skill development and cultivating a safe, inclusive and performance-led workplace culture. Through structured engagement and capacity-building initiatives, we aim to create an environment where individuals grow in alignment with organisational goals.

HR vision

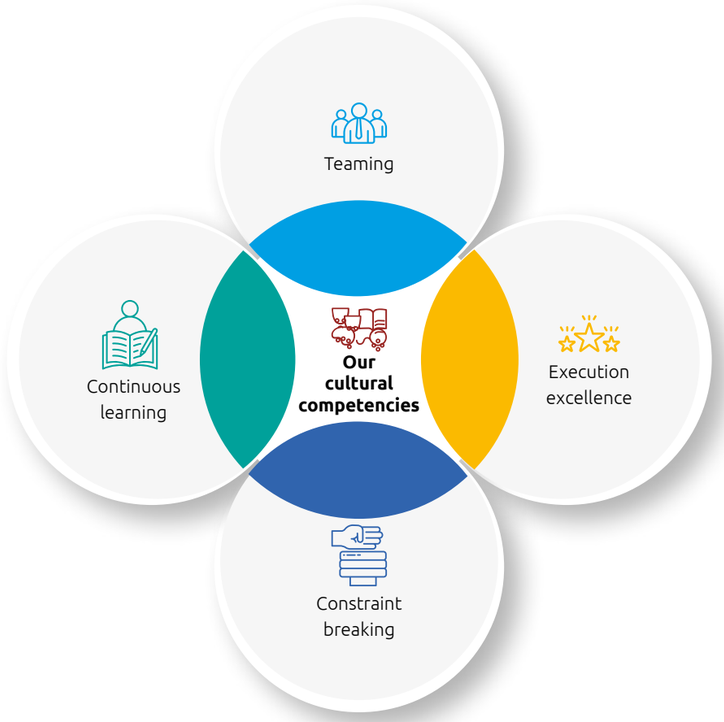
Emanating from the goals and objectives enshrined in the corporate mission statement, the strategic HR vision of CSL is to strive and create a unique institution that integrates creativity, innovation, technology, business and good corporate governance practices for all round improvement in the quality of work life of the Yard's workforce.

HR mission

To provide a vibrant platform for all those working in the Yard to give their best and ensure all round growth both for the individual and organisation.

HR policy

HR policies are oriented towards providing the right mix of human resources, their empowerment and enrichment so as to meet organisational targets and results.



Workforce profile

Our workforce is a balanced mix of executives, supervisors, workmen and contract personnel deployed across functions and facilities. In addition, we are actively engaged in training future talent through structured apprenticeship and internship programmes. We continue to promote a culture of inclusion, merit and fairness in all aspects of workforce management.

3,542
Total workforce as on March 31, 2025

1,083
Trainees engaged

1,310
New personnel recruited during the year including trainees

Learning and development

We continue to prioritise skill enhancement and knowledge building through customised training programmes. These cover functional, technical and leadership domains, with content delivered by in-house experts and external partners. Employees are encouraged to participate in up-skilling initiatives that prepare them for future roles and technological advancements in the shipbuilding industry.

To reinforce a culture of continuous learning, we also launched our leadership talk series, Prajyoti and Prajnan, featuring thought leaders from diverse fields. These sessions aim to broaden employee perspectives and foster holistic development.

200+
Training programmes conducted in FY 2024–25

4,650+
Training man-days completed during the year

3,350+
Participants benefited from training programmes

Performance and talent management

Our Performance Management System (PMS) helps in aligning individual aspirations with business outcomes through structured goal-setting and regular feedback. High-performing and high-potential employees are identified for developmental interventions and succession planning. We aim to retain talent by offering challenging assignments, career growth pathways and recognition-based rewards.



Well-being and engagement

Our employee well-being framework covers physical, mental and emotional wellness. Health check-ups, safety training, counselling, and recreational events form a regular part of employee engagement. Programmes are designed to strengthen organisational belonging and ensure a healthy, motivated workforce. We also deeply care for our retired employees by continuing to offer cashless medical facilities for them and their eligible dependents, along with other targeted schemes designed to support them in their later years.

Championing Women's Potential

We strongly believe that empowering women is essential for building a more equitable and progressive society. Our organization is committed to creating an inclusive environment where women are encouraged to lead, contribute, and thrive. Reflecting this commitment, one of our key initiatives included ensuring 50% representation of women in the batch of employees sent for AOTS training in Japan. Understanding the unique needs of our women employees, CSL has implemented the first phase of the Child Care Leave policy, offering greater flexibility and support. Additionally, the appointment of a dedicated Woman Welfare Officer ensures focused efforts toward women-centric welfare measures and empowerment activities tailored to their specific requirements. In March 2025, CSL celebrated International Women's Day with a series of inclusive events that encouraged active participation and recognition of women's contributions across the organization. We continue to promote gender equity, not just as a policy objective, but as a core value that strengthens our workforce and drives sustainable growth.



314
Women employees as on March 31, 2025

CSL remains deeply committed to upholding the highest standards of Health, Safety, and Environment (HSE), embedding safety as a core organizational value. In 2024, we achieved an 8.9% improvement in our Organizational HSE Index, reflecting the effectiveness of our proactive HSE governance system and strong safety culture. Our frequency rate for the year 2024 stood at a commendable 0.13, underscoring our focus on prevention and enhanced reporting. Through initiatives like the 'SAMSRAYA' Safety Conclave and the launch of a dedicated Competency Development Centre (CDC) for HSE training, we reinforced industry collaboration and internal capacity building. We also maintained a rigorous subcontractor evaluation framework, awarding CSL HSE Star Ratings to subcontractors, ensuring continued alignment with our high safety standards.

CSL, with IMS accreditation under ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards, has become the first company in the shipbuilding sector to achieve ISO 27001:2022 certification for its Information Security Management System. This achievement underscores our commitment to quality, safety, environmental stewardship, and cyber-resilience.



Environment

Eco-Stewardship: Our Compass to the Future

We are committed to advancing environmental sustainability across our operations by adopting cleaner energy alternatives, improving efficiency and encouraging eco-conscious behaviour within our workforce. Our focus remains on reducing emissions, optimising resource consumption and investing in technologies that support a greener future.

Energy conservation initiatives

To drive meaningful improvements in energy efficiency, we implemented a range of targeted interventions across our facilities. These included the in-house conversion of a diesel-powered platform truck into an electric variant, alongside the procurement of electric forklifts to replace older conventional models. Our operations also benefited from the installation of IoT-based remote energy monitoring systems, enabling real-time optimisation and minimisation of energy waste.

We installed sensor-based lighting in our Ship Repair Service Tunnel, electrified new buildings with high-efficiency LED lighting, and replaced conventional air conditioning units with inverter-based systems. Additional initiatives included installing BLDC motor-based fans and man coolers, fixing compressed air and gas leaks, maintaining near-unity power factor and switching off air compressors during idle periods.

We also promoted energy awareness across the organisation through posters, seminars, and competitions, fostering a culture of responsibility and sustainability.

2.60 Lakh units

Estimated energy savings from conservation measures

₹82 Lakhs

Capital investment in energy conservation equipment



Renewable energy usage

We continued to reduce our dependency on conventional energy sources by expanding the use of solar power. Our existing rooftop solar plants generated clean energy during the year, and we additionally procured green power through Open Access mechanisms. As part of our long-term sustainability vision, we are actively working towards transitioning to 100% green energy, with the goal of becoming the first Indian shipyard powered entirely by green energy. To achieve this, we are planning a hybrid renewable energy project—combining wind and solar along with expanding our rooftop solar capacity, enabling us to generate sufficient green energy to suffice our consumption.

16.83 Lakh units

Energy generated from installed solar capacity of 1672 kWp (installed capacity as on March 2025)

49.34 Lakh units

Renewable energy purchased via Open Access (Green Day Ahead Market)

Social

People First: Building Inclusive and Resilient Communities

Corporate Social Responsibility is an integral part of our value system, guided by a well-defined policy aligned with statutory guidelines and global sustainability goals. Over time, our policy has evolved to reflect emerging priorities, emphasising inclusivity, innovation and measurable outcomes. We remain committed to advancing social equity, environmental sustainability and community development through thoughtful and transparent initiatives.



CSR vision

Cochin Shipyard Limited, in consonance with its Corporate Vision, looks forward to continue in the best tradition of being a responsible Corporate Citizen recognised for the quality of its products and services and respected for its ethical way of conducting business through the path of shared inclusive growth, thereby distributing the fruits of its prosperity towards improved quality of life of the society and contributing to environment and nature for sustainable development.





CSR mission

CSL wishes:

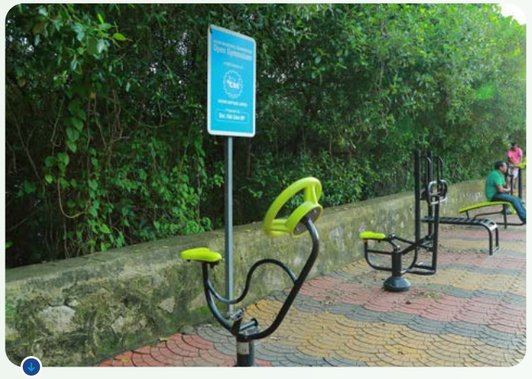
- To share part of its prosperity and resources to people and environment through the CSR outreach programmes.
- To improve the quality of life and make the world around it a better place to live.
- To handhold the marginalised sections of citizens to bring them to mainstream of life by economic and social empowerment.
- To project a positive and people and planet-friendly corporate image.
- To ensure tangible and measurable impact on the target population and place through asset creation, infrastructure development, etc.
- To work hand-in-hand with other corporate entities, Government organs, People's Representatives, other like-minded agencies to synergise the engine for Nation building.
- To adopt CSR as a way of conducting business and make it part of its organisational culture.
- To take all stakeholders of CSL such as its employees and contractors on board to further its CSR objectives.
- To leverage CSL's core competencies and resources, including its strengths in ship building and ship repair services, governance, human resources, business operations and development, facilities and networks towards improving the society and the environment on shared value principle.
- To adopt and implement corporate social responsibility policy and plans within the frame work of the relevant Statutes, Guidelines etc including measuring, monitoring, evaluating and reporting of CSR interventions of CSL.

Key CSR highlights of the year

₹13.88 Crs.
CSR Budget

₹17.90 Crs.
CSR Spent

108
CSR Projects Undertaken



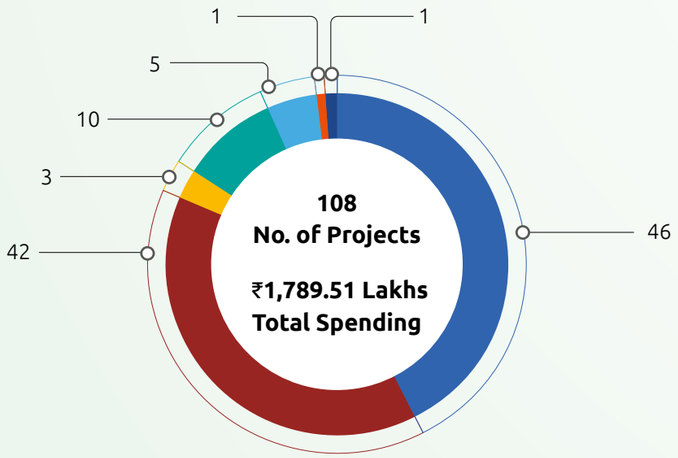
Promoting Healthy Living: Open Air Gyms Across Kochi Municipal Corporation



Preserving Green Spaces: Maintenance of Subhash Bose Park at the Heart of Kochi City.

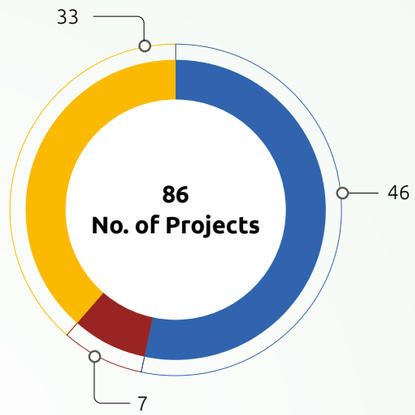
Health & Nutrition and Prime Minister's Internship Scheme

Theme for the year



- Health & Nutrition - **₹836.22 Lakhs**
- Education - **₹630.08 Lakhs**
- Empowerment - **₹20.06 Lakhs**
- Environment - **₹140.87 Lakhs**
- Culture & Heritage - **₹87.91 Lakhs**
- Armed Forces fund - **₹5.00 Lakhs**
- Sports - **₹11.80 Lakhs**
- Admin. Expenses - **₹57.57 Lakhs**

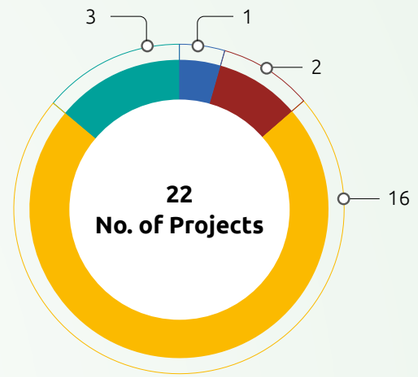
Total Spending: ₹1,344.12 Lakhs



Kerala

- Ernakulam - **₹605.06 Lakhs**
- Wayanad - **₹86.40 Lakhs**
- Other Districts - **₹652.66 Lakhs**

Total Spending: ₹387.82 Lakhs



Other States

- North East - **₹11.80 Lakhs**
- Island Territories - **₹53.10 Lakhs**
- Other States - **₹282.52 Lakhs**
- Pan India - **₹40.40 Lakhs**

CSR So Far

900+
Projects Undertaken

₹140+ Crs.
Amount Spent



Governance

Anchored in Ethics, Guided by Responsibility

Our governance philosophy is built on the pillars of transparency, integrity, accountability and fairness. As a listed Central Public Sector Enterprise under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, we maintain high standards of ethical conduct while adhering strictly to statutory and regulatory requirements. Our governance architecture is designed to support long-term value creation for all stakeholders.

To reinforce our commitment to good governance, CSL has implemented several key policies and initiatives:

- Code of Conduct for Board and Senior Management
- Corporate Social Responsibility (CSR) Policy
- IT and Cybersecurity Governance Framework
- Board Diversity Policy
- Policy on Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace
- Ethics & Integrity Training Programs
- Whistleblower and Fraud Prevention Policy
- Insider Trading Code
- Policy on Related Party Transactions
- Equal Opportunity Policy for Persons with Disabilities
- Risk Management Policy
- Nomination and Remuneration Policy

These policies reflect CSL's proactive approach in aligning with evolving regulatory frameworks and stakeholder expectations. We remain committed to evolving our governance practices to meet the needs of a dynamic business environment while ensuring responsible corporate citizenship.

Board of Directors



Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director



Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)
(up to May 31, 2025)



Shri Jose V J
Director (Finance) &
Chief Financial Officer



Shri Sreejith K Narayanan
Director (Operations)
(up to May 31, 2025)



Shri Rajesh Gopalakrishnan
Director (Technical)
(w.e.f August 27, 2025)



Dr. Harikrishnan S
Director (Operations)
(w.e.f August 27, 2025)



Shri Rajesh Kumar Sinha IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(up to August 07, 2025)



Shri Venkatesapathy S IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f August 07, 2025)



Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.)
Part-time Official (Nominee) Director
(up to May 31, 2025)



Shri P B Nooh IAS
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f June 20, 2025)



Dr. Seema Suri
Non-official (Independent) Director
(w.e.f May 21, 2025)

Shri Madhu Sankunny Nair

Chairman & Managing Director

Shri Madhu Sankunny Nair assumed charge as the Chairman & Managing Director of the Company on January 01, 2016. He holds a degree of Bachelor of Technology (Naval Architecture and Ship Building) from Cochin University of Science & Technology in first class and Masters in Engineering (Naval Architecture and Ocean Engineering) from Osaka University, Japan. He is trained in shipbuilding systems at IHI Shipyard at Kure, Japan and undergone JICA Specialized training at Overseas Vocational Training Centre (OVTA), Tokyo and Osaka International Centre, Osaka, Japan and did research in Joining & Welding Research Institute, during Masters in Engineering at Osaka University, Japan. He has more than 37 years of professional experience with the Company since joining as Executive Trainee in June 1988 in the entire gamut of Shipyard management. He was the driving force behind the Company's successful collaborations with international technology partners and bagging of significant international orders. During his tenure, CSL became a listed company after a successful Initial Public Offer and was also upgraded to a 'Schedule A' CPSE, the highest categorisation a CPSE can attain. Under his leadership, CSL has significantly transformed from a single unit company to a multi-unit company with seven units – main yard active in shipbuilding and ship repair, four ship repair units and two subsidiaries, spread across South, West & East coast of India. He is a strong believer in power of people and the "people first policy" conceived by him is aimed at steering CSL into a knowledge organization. He is a fellow member of The Royal Institution of Naval Architects, UK (RINA) and Institution of Naval Architects, India. As a recognition for his valuable contributions, he has been bestowed with several accolades; 2024 Management Leadership Award, Rotary Icon 2023 Award, CUSAT Distinguished Alumni Award 2022, Samudra Manthan Prof K R Bhandarkar Award 2022, Pride of KMA Award, to name a few. He is also the Chairman of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

Shri Bejoy Bhasker

Director (Technical)
(up to May 31, 2025)

Shri Bejoy Bhasker served as Director (Technical) of the Company from April 05, 2018, until his retirement on superannuation on May 31, 2025. He holds a degree of Bachelor of Technology (Mechanical) from the University of Kerala with First Rank and Gold Medal. He also holds a degree of Master of Technology (Mechanical) from the Indian Institute of Technology, Madras. He has completed Advanced Diploma in Management from Indira Gandhi National Open University. He joined the Company on June 29, 1988 as an executive trainee. He was awarded the "Manager of the Year" award in 2014 by Kerala Management Association. He has more than 37 years of work experience in the Company wherein he was involved in Ship Design, Ship Building, Outfit and Ship Repair divisions of the Company. He also served as a Director on the Boards of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL, until May 31, 2025.

Shri Jose V J

Director (Finance) &
Chief Financial Officer

Shri Jose V J assumed charge as Director (Finance) and Chief Financial Officer of the Company from August 2019. He is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam. He was honoured with the Best CFO Award 2024 in Best Returns (Large Cap) category by Dalal Street Investment Journal. He has approximately 34 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL.

Shri Sreejith K Narayanan

Director (Operations)
(up to May 31, 2025)

Shri Sreejith K Narayanan served as Director (Operations) of the Company from July 21, 2022, until his retirement on superannuation on May 31, 2025. He holds a degree in Bachelor of Technology (Mechanical) from Regional Engineering College, Calicut & Master of Business Administration from School of Management Studies, Cochin University of Science and Technology. He joined the Company on June 16, 1988 as an executive trainee and he has more than 37 years of work experience spanning across Ship Building, Ship Design and Ship Repair. He also served as a Director on the Boards of Hooghly Cochin Shipyard Limited and Udupi Cochin Shipyard Limited, the wholly owned subsidiaries of CSL, until May 31, 2025.

Shri Rajesh Gopalakrishnan

Director (Technical)
(w.e.f August 27, 2025)

Shri Rajesh Gopalakrishnan assumed charge as the Director (Technical) of the Company on August 27, 2025. He joined the Company on December 30, 1995 as an executive trainee and rose through the ranks to become Executive Director (Ship Repair) before being appointed as Director (Technical). He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering and a Master's degree in Business Administration with specialisation in International Marketing. He has close to three decades of experience in the Company spanning ship building, ship repairs & conversion. His expertise covers the entire spectrum from business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales & customer relations. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), the wholly owned subsidiaries of CSL.

Dr. Harikrishnan S

Director (Operations)
(w.e.f August 27, 2025)

Dr. Harikrishnan S assumed charge as the Director (Operations) of the Company on August 27, 2025. He began his career with the Company on December 30, 1995, as an executive trainee and rose through the ranks to become Executive Director (Ship Building) before being appointed as Director (Operations). He holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, an MBA in International Business and a Doctorate (PhD) in Mechanical Engineering. With nearly three decades of experience in the Company, he has been involved in a wide range of functions in ship building and ship repair including design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management. He is also a Director in Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), the wholly owned subsidiaries of CSL.

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS

Part-time Official (Nominee) Director
(up to August 07, 2025)

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS served as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company from November 21, 2022 to August 07, 2025. Shri Rajesh Kumar Sinha (IAS-1994-Kerala Cadre), presently holds the position of Special Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India and also holds the additional charge of Chief Vigilance Officer of MoPSW. He has performed as District Collector; Secretary, Finance Department & Principal Secretary in Power, Forest/Wildlife in the Government of Kerala. He has also worked in Urban Development, HRD and Energy Sectors in Government of India.

Shri Venkatesapathy S IAS

Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f August 07, 2025)

Shri Venkatesapathy S IAS was appointed as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company on August 07, 2025. He is a 2009-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre, currently serving as Joint Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. He holds a Degree of Bachelor of Technology in Production Engineering from Madras Institute of Technology, Anna University. In the span of his administrative service, he has held various key positions in the Government of Kerala including Sub Collector (Idukki, Devikulam and Kasargod), Secretary (Thiruvananthapuram Corporation), Managing Director (Supplyco), District Collector (Malappuram and Thiruvananthapuram), Director (Fisheries Department) and Managing Director (Kerala Water Authority). Prior to his current role, he joined the MoPSW on central deputation as Director (Shipping). He is also a Government Nominee Director in Shipping Corporation of India Limited, Shipping Corporation of India Land and Assets Limited and Sagarmala Finance Corporation Limited.

Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.)

Part-time Official (Nominee) Director
(up to May 31, 2025)

Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) served as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company from January 02, 2023 to May 31, 2025. He was an IAS officer, retired as Secretary (Industries & Transport), Government of Kerala on April 30, 2025. He holds a Bachelor's degree in Technology (Chemical Engineering) and a Master's degree in Business Administration. He is also a Law graduate. He has held various key positions in the Government of Kerala viz., Secretary, Local Self Government (Urban) Department, Secretary, Department of Social Justice and Women & Child Development, Secretary, Public Works Department, District Collector, Trivandrum, Commissioner of Food Safety, Director of State Lotteries, Director of Public Instruction, Executive Director of IT @ School – Victers Channel etc. He has also held the position of Chairman & Managing Director in Kerala State Electricity Board, Kerala State Road Transport Corporation (KSRTC) and KSRTC – SWIFT Limited. In addition, he has served as a Director in various companies including Konkan Railway Corporation Limited, Kochi Metro Rail Limited, Kochi Water Metro Limited, Kerala Rail Development Corporation Limited, Malabar International Port & SEZ Limited, Renewable Power Corporation of Kerala Limited and Baitarni West Coal Company Limited.

Shri P B Nooh IAS

Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f June 20, 2025)

Shri P B Nooh IAS was appointed as the Part-time Official (Nominee) Director of the Company on June 20, 2025. A 2012-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre, he currently serves as the Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala and also holds the position of Chairman & Managing Director of Kerala Transport Development Finance Corporation Ltd. He holds a Bachelor's degree in Zoology from Mahatma Gandhi University, Kerala, a Bachelor's degree in Agriculture from Kerala Agricultural University, and a Master's degree in Agriculture from the University of Agricultural Sciences, Bangalore. Over the course of his career, Shri Nooh has served in several prominent positions in the Government of Kerala, including: Chairman & Managing Director, Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd. (Supplyco), Director, Tourism Department, Director, Social Justice & Empowerment Department, Registrar of Cooperative Societies, District Collector, Pathanamthitta, Sub Collector, Ottapalam, Chief Executive Officer, LIFE Mission and Project Officer, Integrated Tribal Development Project, Attappady. He is known for his dynamic leadership, people-centric approach and impactful contributions to governance, particularly in areas of social development, public service delivery and tribal welfare.

Dr. Seema Suri

Non-official (Independent) Director
(w.e.f May 21, 2025)

Dr. Seema Suri is a Non-official (Independent) Director of the Company from May 21, 2025. She is a Post Graduate in Arts from Ramjas College, University of Delhi and holds a B. Ed. degree from Maharshi Dayanand University, Rohtak. She has been awarded an Honorary Doctor of Literature (D.Litt.), titled Vidya Sagar, by Vikramshila Hindi Vidyapeeth, Bhagalpur, and the title Samaj Bhushan – Ph.D. (Vidyavachaspati) by Sahitya Mandal Shri Nath. She served as a Teacher and Block Incharge at Delhi Public School, Vasant Kunj from 1999 to 2016. She was also presenter of various educational and social programs on Radio and Doordarshan. Dr. Seema Suri is the Founder and National President of Sarva Seva Sansthan, an organization committed to social welfare. She has led several initiatives focused on education, health, environment and women empowerment. These include adopting government schools to enhance infrastructure, organizing health camps and awareness drives, conducting media workshops, leading monthly cleanliness drives, planting trees and running programs under Beti Bachao Abhiyan to support underprivileged children and train girls in self-defense. Her contributions have been recognized through multiple awards and honors from various national and international institutions. In addition, she is currently serving as the Member of Film Censor Board Advisory Committee, Delhi.

Corporate Information

Board of Directors

Shri Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director

Shri Bejoy Bhasker
Director (Technical)
(up to May 31, 2025)

Shri Jose V J
Director (Finance) and
Chief Financial Officer

Shri Sreejith K Narayanan
Director (Operations)
(up to May 31, 2025)

Shri Rajesh Gopalakrishnan
Director (Technical)
(w.e.f August 27, 2025)

Dr. Harikrishnan S
Director (Operations)
(w.e.f August 27, 2025)

Shri Rajesh Kumar Sinha IAS
Special Secretary
MoPSW, Govt. of India
Part-time Official (Nominee) Director
(up to August 07, 2025)

Shri Venkatesapathy S IAS
Joint Secretary
MoPSW, Govt. of India
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f August 07, 2025)

Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.)
Part-time Official (Nominee) Director
(up to May 31, 2025)

Shri P B Nooh IAS
Special Secretary, Transport
Department, Govt. of Kerala
Part-time Official (Nominee) Director
(w.e.f June 20, 2025)

Dr. Seema Suri
Non-official (Independent) Director
(w.e.f May 21, 2025)

Chief Vigilance Officer

Dr. C Pandi Selva Durai, IOFS

Company Secretary & Compliance Officer

Shri Syamkamal N

Leadership Team

Shri Eldho John
Chief General Manager (Technical)

Shri Shiraz V P
Chief General Manager (Planning & PM)

Shri Deepu Surendran
Chief General Manager (C-SAS)

Smt. Anjana K R
Chief General Manager (Design)

Shri Sivakumar A
General Manager (Ship Repair)

Shri Sunil Kumar K R
General Manager (IAC &
Defence Projects)

Shri Jayan K Thampi
General Manager (Ship Building)

Shri Sivaram Narayana Swamy
General Manager (Business
Development-Ship Building)

Shri Subash A K
General Manager (HR & LD)

Shri Santhosh Philip
General Manager (Materials)

Shri Shibu John
General Manager (Finance)

Shri Harikumar K
General Manager
(Strategy & New Initiatives)

Registered Office

Cochin Shipyard Limited
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India

Bankers

State Bank of India
Canara Bank
Union Bank of India
IDBI Bank Limited
Axis Bank Limited
Bank of Baroda
Indusind Bank Limited
HDFC Bank Limited
ICICI Bank Limited
UCO Bank
Federal Bank Limited
South Indian Bank Limited

Statutory Auditors

M/s. Anand and Ponnappan
Chartered Accountants
Paramalaya-Karimpetta Road
Kochi – 682 016

Secretarial Auditors

M/s. SEP & Associates
Company Secretaries
Building No. CC 31/1590
Felix Road, Thammanam
Cochin – 682 032

Cost Auditors

M/s. Rajendran Mani and Varier
Cost Accountants
Alappat Buildings
Alappat Road, Ravipuram
Kochi – 682 016

Debenture Trustees

SBICAP Trustee Company Ltd.
4th Floor, Mistry Bhavan
122 Dinshaw Vachha Road
Churchgate, Mumbai – 400 020

Registrar & Transfer Agents

MUFG Intime India Pvt. Ltd.
(Formerly Link Intime India Pvt. Ltd.)
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road
Coimbatore – 641 028

Directors' Report

Dear Shareholders,

1. Your Directors have immense pleasure in presenting the 53rd Annual Report of your Company along with the audited financial statements for the year ended March 31, 2025.

Financial Performance

2. Diversified operational segments and product profile helped the Company to achieve a turnover of ₹4,527.84 Crores for the year as compared to ₹3,645.28 Crores in the year 2023-24. The profit before tax is ₹1,133.85 Crores for the year as against ₹1,093.62 Crores in the previous year. The net profit is ₹842.91 Crores as compared to ₹813.10 Crores for the previous year.

3. The authorised share capital of the Company is ₹2,50,00,00,000 divided into 50,00,00,000 equity shares of face value of ₹5 each. The paid-up share capital of the Company is ₹1,31,54,03,900 divided into 26,30,80,780 equity shares of face value of ₹5 each.

Financial Highlights

(₹ Crores)

Sl. No.	Particulars	2024-25	2023-24
(i)	Gross Income	4,908.29	3,952.66
(ii)	Profit before finance cost, depreciation, tax & exceptional items	1,253.94	1,182.10
(iii)	Finance costs	36.45	31.55
(iv)	Depreciation & write off	83.64	56.93
(v)	Profit Before Tax	1,133.85	1,093.62
(vi)	Tax Expense	290.94	280.52
(vii)	Net profit	842.91	813.10

Dividend

4. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated November 18, 2024 issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 4% of the networth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹2.25 per share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. Earlier, interim dividends of ₹4 and ₹3.50, aggregating to ₹7.50 per equity share had been paid to the shareholders during 2024-25. Thus, the total dividend for the year 2024-25 is ₹9.75 per equity share (195%), amounting to ₹256.50 Crores. No unclaimed dividends (previous years') were due to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) during the reporting period.

Offer for Sale (OFS)

5. During October 2024, the Government of India had carried out Offer for Sale (OFS) of equity shares of the Company, divesting 4.95% of its stake, equivalent to 1,30,15,689 equity shares, through the stock exchange mechanism, in accordance with the applicable SEBI Regulations. Consequently, the shareholding of the Government of India in CSL came down to 67.91%.

Dividend Distribution Policy

6. As per Regulation 43A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 the top 1000 listed entities shall formulate a dividend distribution policy. Accordingly, dividend distribution policy has been adopted to set out the parameters and circumstances that will be taken into account by the Board in determining the distribution of dividend to its shareholders and/ or retaining the profit into the business. The policy is available on the website of the Company at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Raising funds through Blue Bonds

7. To support the Company's commitment to a 100% green transition, CSL plans to raise funds through the issuance of blue bonds – a first-of-its-kind initiative by an Indian Public Sector Undertaking (PSU). The Board at its meeting held on November 07, 2024 approved the proposal for raising funds by way of issuance of US$ denominated non-convertible senior unsecured fixed rate notes ("Notes") for an aggregate amount up to US$ 50 million, primarily to finance Company's eligible sustainable projects or other permissible end uses in accordance with applicable law. CSL plans to list the same in any one or more exchanges overseas or in Gujarat International Finance Tec-City. The proposal is currently pending with the Administrative Ministry for approval.

Transfer to Reserves

8. The details of amount transferred to reserves is given at Note 22 of the Standalone Financial Statements of the Company for the year ended March 31, 2025 which forms part of the Annual Report. As on March 31, 2025, the Company has Reserves and Surplus amounting to ₹5,479.11 Crores which reflects the inherent financial strength of the Company. As per the amendment made to the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 notified vide Notification No. G.S.R. 574(E) by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is not required to create Debenture Redemption Reserve in respect of the bonds issued by it. As on March 31, 2025, 8.72% Tax Free, Secured, Redeemable, Non-Convertible Bonds of only ₹23 Crores is outstanding for CSL, which will be matured in March 2029.

Shipbuilding

9. The Company achieved a total shipbuilding income of ₹2,663.27 Crores during 2024-25 as against ₹2,638.91 Crores in 2023-24. During the year CSL successfully delivered five nos. of Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL). Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways laid the keel (in virtual mode) for 12000 Cu.M capacity Tailing Suction Hopper Dredger being built for Dredging Corporation of India (DCI).

Ship Repair

10. During the year, the Company achieved a total ship repair income of ₹1,864.57 Crores, compared to ₹1,006.37 Crores in the previous year. Major Vessels repaired during the year in CSL Kochi yard include SRDD of Air Craft Carrier 'INS Vikramaditya', 'INS Jyoti', 'INS Sujata', 'INS Sunayna', 'INS Sudarshini', 'INS Nireekshak', 'Vishva Uday', 'Sagar Yuvraj', 'Sagar Samraj', 'INS Beas' and 'INS Nashak'.

11. Major vessels repaired during the year in International Ship Repair Facility (ISRF) include Indian Navy vessel 'INS Sharda' and UTLA vessels like 'Cheriyapani', 'Valiyapani', 'M V Thinnakkara', 'HSC Black Marlin', 'HSC Blue Marlin', 'HSC Parali' and 'M V Lakshadweep Sea'. The revenue from ISRF for FY25 is ₹124.24 Crores.

12. CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) has successfully undertaken repairs of around 126 vessels since operationalization. During the financial year 2024-25, CMSRU undertook the dry dock and afloat repairs of 22 ships, including normal refits, short refits for various government agencies and Indian Coast Guard, as well as minor/ major repairs for various commercial clients totaling a revenue of ₹177.04 Crores.

13. Since commencing operations in October 2019 at Netaji Subhas Dock (NSD), Kolkata, CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) has successfully completed 27 refit projects. During the financial year 2024-25, six refits have been undertaken, of which emergency repairs for'DCI Dredge XVI', refits of DSS Vessel 'MV Sentinel', Tug 'Zen Pride' and the NSD No. 1 Box Caisson from Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata have been successfully completed. Other major projects that continued post financial year 2024-25 include the dry dock repair of DSS Vessel 'MV Swaraj Dweep' and the short refit of the first Coast Guard vessel at CKSRU, 'ICGS Samudra Paheredar'. CKSRU earned a total revenue of ₹41.11 Crores for FY25. A comprehensive ₹50 Crores upgrade plan for the repair facility at NSD has been developed and implemented over a five-year duration since its commencement. Key infrastructure enhancements, including the installation of an intermediate dock gate, a tower crane and a ring main fire system, have already been completed during the financial year 2024-25.

14. During the financial year 2024-25, CANSRU completed dry dock repairs for 14 vessels and undertook 11 afloat repairs, in addition to numerous emergency minor repair activities. These efforts resulted in a remarkable turnover of ₹185.58 Crores.

15. To further enhance the ship repair facilities and strengthen the ship repair ecosystem, CANSRU, in collaboration with M/s. KITCO, prepared a Detailed Project Report (DPR) for the modernization of the Marine Dockyard, which has been submitted to the Andaman Administration for consideration.

Shipbuilding Order Book Position

16. During the year 2024-25, CSL secured a shipbuilding order for construction of 1 no. of Hybrid Service Operation Vessel (SOV) for a European client. Further, CSL also received an order for construction of 1 no. of RO-RO Vessel for Kochi Municipal Corporation. The order book position as on March 31, 2025 is as follows:

Vessel Type	Nos.
Post Commission works of Indigenous Aircraft Carrier – Phase III for Indian Navy	01
Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft for Indian Navy	08
Next Generation Missile Vessel for Indian Navy	06
HS Eco Freighter 7000 DWT Vessel for a European Client	08

Vessel Type	Nos.
Commissioning Service Operation Vessel for a European Client	02
Zero Emission Feeder Container Vessel for a European Client	02
Hybrid Service Operation Vessel for a European Client	02
Trailer Suction Hopper Dredger for Dredging Corporation of India Limited (DCI)	01
1200 Passenger cum 1000 MT Cargo Vessel for A & N Administration	02
Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessel for Inland Waterways Authority of India (IWAI)	06
Hybrid Electric Catamaran Hull Vessel for KMRL	05
RO-RO Vessel for Kochi Municipal Corporation	01

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

17. In order to tap new revenue generation streams beyond the current Shipbuilding & Ship Repair portfolios, a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) was formed to enable the Company to venture into the arena of strategic and knowledge driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future oriented business models. Various innovative initiatives undertaken by C-SAS Division during the financial year 2024-25 are more specifically covered in the Management Discussion and Analysis Report.

'SANKALP' – Design Conclave

18. CSL organised a one-day Design Conclave 'SANKALP' in October 2024 under the theme 'Design in India, Design for the World', aimed at fostering a robust ship design ecosystem in India. Shri T K Ramachandran IAS, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, virtually inaugurated the event.

19. The Conclave served as a vital platform for bringing together key stakeholders from across the ship design ecosystem, including major shipyards, ship design houses, classification societies, the Indian Navy, statutory authorities, and esteemed academic and research institutions such as CEMS, IITs, and IMU. Through focused sessions and collaborative discussions, the Conclave explored various key initiatives to drive innovation, strengthen indigenous capabilities, and shape the future of ship design in India. The valuable insights and actionable recommendations that emerged from the Conclave have been compiled and submitted to the Ministry for further consideration and action.

Expansion Projects

20. The status of major projects and initiatives are as follows:

(i) International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Premises

Hon'ble Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated the ISRF project on January 17, 2024. 6000 T lifting capacity shiplift system supplied by Syncrolift AS, Norway was commissioned and the first vessel docking on the shiplift platform was carried out. The ISRF is equipped with 6000 T shiplift, six workstations and approximately 1400 metre of berths; suitable for handling vessels of maximum 130 metre length. The Facility can repair six such vessel at the dry-workstations simultaneously. As on March 31, 2025, 10 ships were taken at ISRF for repair works.

Further, ten globally renowned firms in the maritime industry have already partnered with CSL for setting up their units in the Maritime Park in first phase, and five firms started their operations. CSL expects to position Kochi as a major ship repair hub with the commissioning of the ISRF.

(ii) New Dry Dock

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the New Dry Dock on January 17, 2024. This state-of-the-art facility, measuring 310 x 75/60 x 13 meters and equipped with a 600-Ton gantry crane, is situated at the northern end of the existing premises of the Company at Kochi. The New Dry Dock will augment the Company's shipbuilding and ship repair capacity essentially required to tap the market potential of building specialized and technologically advanced vessels such as LNG carriers, aircraft carriers of higher capacity, jack up rigs, drill ships, large dredgers and repairing of offshore platforms and larger vessels. The testing and commissioning of the 600-Ton gantry crane were successfully completed on February 11, 2025. The Company carries out the shipbuilding activities simultaneously in grand assembly area and dock floor of the New Dry Dock.

Subsidiary Companies

(i) Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL)

Hooghly-CSL was initially set up as a joint venture between CSL and Hooghly Dock & Port Engineers Limited (HDPEL) on October 23, 2017. Pursuant to the approval of the Union Cabinet, CSL acquired the shares held by HDPEL and with effect from November 01, 2019, Hooghly-CSL became a wholly owned subsidiary of CSL.

The Company set up a new state-of-the-art ship building and repair facility at Nazirgunge and on August 16, 2022, the Facility was dedicated to the nation by Shri Sarbananda Sonowal, the Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. The Facility has been set up in an area of 15.76 acres on the banks of river Hooghly at a cost of ₹175.20 Crores with an intention to position itself as a premier shipbuilding/ repair yard in the east coast of India for inland and coastal vessels.

Hooghly-CSL entered the Electric Hybrid Catamaran segment by signing an agreement with CSL on March 23, 2024 for construction of 6 nos. of Electric Hybrid Catamaran Vessels for Inland Waterways Authority of India (IWAI). Hooghly-CSL also had the privilege to sign contract for 4 nos. of 40T ASD Bollard Pull Tugs with Industrial Handling Private Limited. Further, the Company is building 1 MPV (2200T) for JAK Maritime & Logistics India Private Limited and is also serving as consultants with IWAI for setting up a new ship repair facility at Pandu, Assam. The Yard is also working towards the completion of the order for design, construction, installation and commissioning of Box Caisson Gate from CSL to be positioned and commissioned at Netaji Subash Dock at Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata.

Hooghly-CSL has reported a total income of ₹6,239.63 Lakhs for FY25 as against ₹2,404.47 Lakhs for the previous year. The Company has reported a loss of ₹1,737.67 Lakhs for FY25 as against a loss of ₹3,005.81 Lakhs for the previous year.

(ii) Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL) [Formerly known as Tebma Shipyards Limited]

Udupi-CSL is a wholly owned subsidiary of CSL based in Udupi and is primarily engaged in building small and medium sized vessels. During the financial year 2024-25, Udupi-CSL demonstrated strong performance, both in terms of project execution and securing orders. Udupi-CSL's robust execution capabilities lead to follow up orders from satisfied clients, which included eleven 70T Bollard Pull Tugs from Ocean Sparkle Limited and eight 6300 TDW Dry Cargo Vessels from Wilson ASA, Norway. Supported by its consistent performance and customer confidence, Udupi-CSL has built a healthy order book of approximately ₹2,200 crore.

Coming to the financials, Udupi-CSL reported a total income of ₹27,862.12 Lakhs for the year ended March 31, 2025, compared to ₹18,646.58 Lakhs in the previous year. The revenue from operations increased to ₹26,563.60 Lakhs in FY 2024-25, up from ₹17,971.62 Lakhs in FY 2023-24. The company reported a profit of ₹262.78 Lakhs in FY 2024-25, compared to a profit of ₹111.38 Lakhs in FY 2023-24.

Manpower Status

21. The manpower strength of the Company as on March 31, 2025 was 3,542 consisting of 515 executives, 180 supervisors, 1,445 workmen and 1,402 on contract employees (199 officers and 1203 workmen). Further, as on March 31, 2025, the Company also had 1,083 trainees including 467 under the Apprentices Act, 1961, 5 from the Centre of Excellence in Maritime and Shipbuilding (CEMS), a high-end skill development centre set up by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India and 8 under the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS).

22. During the year 2024-25, CSL recruited a total of 1,310 personnel comprising of 36 executives, 2 supervisors, 14 workmen, 693 on contract employees (98 officers and 595 workmen), 565 trainees including 431 trainees under the Apprentices Act, 1961, 6 trainees from CEMS and 10 under PMIS.

Industrial Relations

23. CSL continued to maintain and foster cordial industrial relation atmosphere during the year. There was no loss of man hours on account of labour unrest due to reasons attributable to the Company exclusively.

24. The executives and non-unionised supervisors also continued to contribute their best to the Company during the year.

25. The joint management forums like joint councils, shop council, central safety committee, shop level safety committees, contract worker safety committee, canteen management committee, employees' contributory provident fund trust etc., continued to function effectively.

26. Employees and their dependents welfare and wellbeing are well taken care through various voluntary schemes like Employees Medical Assistance Scheme, Employees Pension Scheme, Shipyard Parivar Prathibha Puraskar Scheme, Employees Educational Assistance Scheme etc.

Human Resource Development

27. CSL gives utmost importance in empowering employees' growth and developing their knowledge, skills and capabilities to drive better business performance. Acknowledging this fact, CSL has defined continuous learning as one of its cultural competencies and is constantly engaged in up-skilling the workforce.

28. In line with the above, several learning and development activities were carried out during the year 2024-25 spanning across sectors covering technical as well as non-technical

workforce. The Company has promulgated a training scheme 'Igniting Minds' wherein the senior executives of the Company were nominated for various programmes on divergent topics like, Strategic Analysis for Competitive Advantage, Project, Program & Portfolio Management, Finance Master Class for Business Leadership, Mindfulness for effective leadership by IIM Bangalore, Transformational Leadership, Project Management, Strategies for Winning in International Markets, The Winning Edge: Communication Strategies for Leaders by IIM Ahmedabad, MDP on Strategic Leadership, MDP on Finance for Non-Finance Executives by MDI Gurgaon, Leadership Development, Analytics for Managers: Data Driven Decision Making by IIM Lucknow etc.

AOTS (Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships) Training in Japan

29. A total of 40 employees attended a customized training program in Japan, conducted in two batches of 20 participants each in April 2024 and February 2025. Each batch comprised one Executive, two Supervisors, and 17 Workmen. To encourage greater gender representation in skill development initiatives, 50% of the participants in the second batch held in February 2025, were women employees. The training programme was a combination of class room coaching and factory visits including Shipyards in Japan. The training programme covered areas such as Japanese work culture, workplace management, social behavior, culture displayed by Japanese in public places and included visits to a shipbuilding company and other major industries to get a feeling of latest technology in use, safety management practices, robotics technology in action, productivity improvement practices through 5S and Kaizen.

30. One senior executive attended two weeks AOTS training titled as Program on Information and Communication Technology Utilization to Overcome DX-related Strategic Management Challenges during September 2024 in Japan.

Other Foreign Training

31. Three senior executives attended two weeks Advanced Management Programme (AMP) – 2024 focusing on themes Leadership, Change Management and Innovation. The programme had Indian and European Components. The Indian component was delivered by faculty of ASCI, Hyderabad from August 05 to 16, 2024 and the European component of the programme was delivered through a synergetic collaboration of ASCI with SDA Bocconi, a leading business school in Milan from September 07 to 21, 2024.

Customized Internal Trainings

32. In the financial year 2024-25, CSL organized various customized in-house training programs to enhance the competencies of its executives, supervisors, and employees. These programs were designed to cater to the specific needs and requirements of the organization and the major programs include the following:

- An in-house training on Advanced Business Application Programming (ABAP) was conducted for ISD personnel.
- Customized three-day MDP on General Management by the Indian Institute of Management, Kozhikode for two batches comprising Managers and Senior Managers.
- Orientation sessions for retiring employees covering financial planning and health.
- Programs on Effective Communication Skills, Problem Solving & Decision-Making Skills, Cross Functional Teaming and Liaisoning skills.
- Training session on First aid, POSH Act (Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013).
- Safety related trainings like HSE Refresher training, HSE Leadership & Cultural Interventions and importance of Safety leadership.
- Sessions on Model CDA Rules, Procurement from Vigilance angle, Vigilance Administration, Preventive Vigilance, Cyber Hygiene & Security, CSL Internal Audit Compliance Requirements, and Service Conditions were conducted in connection with Vigilance Awareness Week 2024.
- A specialized six days Marine HVAC training workshop conducted by Indian Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ISHRAE), New Delhi.
- In-house training on Hazardous area installations onboard vessels conducted by M/s. DNV.
- Certification course on Competence development and assessment program on Project Management (IPMA Level D Certification).
- Young Officers Competency Development Program (YOCDP) for junior-level executives and Supervisors Competency Development Program (SCDP) for supervisors.
- In-house sessions on Mentoring Scheme for mentors and mentees.

33. During the financial year 2024-25, CSL conducted over 200 training programs totaling around 4,650 mandays both

inhouse and at premier institutions, benefiting more than 3,350 participants. Emphasizing the need for continuous learning and leadership development, CSL introduced its leadership talk series, Prajyoti and Prajnan. These sessions are designed to inspire and engage the workforce through short talks delivered by reputed personalities from various fields. As part of this initiative, four sessions of Prajyoti and three sessions of Prajnan were conducted during the financial year 2024-25.

Educational Scholarships to Wards of Employees

34. "Shipyard Pariwar Prathibha Puraskar", an educational scholarship scheme introduced from the year 2016 aims to reward and promote the star performers among the wards of regular employees of CSL. A scholarship of ₹25,000 per year for a maximum period of 5 years shall be bestowed in the order of highest marks scored by the wards in class XII final examination. During the year 2024-25, sixteen eligible students have been granted scholarship under the said scheme.

Recognising Excellence

35. CSL has introduced the Employee Excellence Awards Scheme envisaging reward and recognition for innovative ideas and practices among the employees below the level of AGMs. The highest award under the scheme is Chairman's award with a citation and cash price of ₹15,000. During the Independence Day celebrations in 2024-25, 31 employees (Executives – 5, Supervisors – 4, Workmen – 16, On-contract personnel – 6) were honored with Chairman's Commendation, which carries ₹2,000 cash prize.

36. During the Republic Day celebrations in 2025, a total of 36 employees (Executives – 8, Supervisors – 1, Workmen – 19, On-contract personnel – 8) were bestowed with Chairman's Commendation and cash prize of ₹2,000.

International Yoga Day

37. Employees and their family members were encouraged to observe international day of Yoga. As a part of this, CSL conducted common Yoga protocol practice on June 21, 2024, in order to promote Yoga with an aim to relieve stress, support good health habits and improve mental/ emotional health. Further, live streaming of the event was also made available for participation by family members of the employees.

Constitution Day

38. Constitution day was celebrated in CSL with reading of Preamble to the Indian Constitution. Honourable Justice N Nagaresh, High Court of Kerala was the Chief Guest of the function who readout the preamble to the Constitution of India and addressed the gathering.

Marine Engineering Training Institute (METI)

39. METI successfully trained a total of 102 Graduate Marine Engineering (GME) cadets, who completed the one-year course as per the guidelines of the Directorate General of Shipping, Government of India. Additionally, 140 GMEs are currently pursuing the course. DG Shipping has approved METI for increasing the intake capacity to 160 GMEs from existing 140 GMEs.

40. METI also facilitated the 6-month afloat training for 16 students of the 4-year Marine Engineering program from Sree Venketeswara College of Engineering (SVCE), Chennai. A total of 18 SVCE students are currently pursuing the course.

41. During the year 2024-25, METI conducted 23 batches (395 students) of the 1-day/ 3-day Basic Fire Fighting Practical Training Program for outside candidates. METI actively participated in the National Maritime Day Celebrations 2024 organized by Mercantile Marine Department (MMD), Kochi, for which it received appreciation awards from the MMD, Kochi, on April 05, 2025. METI also observed World Blood Donors Day and conducted in-house seminars for the 49th and 50th batches of GMEs. Additionally, the students participated in Shramadhan for Swachata in October 2024.

42. METI conducted 4 batches of the Oil and Chemical Tanker Familiarization course for 61 students and 2 batches of Gas Tanker course for 27 students from September 2024 to January 2025. On March 03, 2025, METI organized a "Meet and Greet the Candidates 2.0" program, which was attended by 100 students from various engineering colleges, aspiring for GME-sponsored seats from reputed shipping companies. Several shipping company officials including IMEC, UK also visited METI and interacted with students.

43. In alignment with IMO regulations and Amrit Kaal Vision of the Government of India, CSL METI and Bernhard Schulte Ship Management (India) Pvt. Ltd. (BSM) have signed an MoU to conduct one-day practical firefighting and IGF (basic and advanced) training courses for BSM seafarers. These DGS-approved courses are designed to meet the international code of safety for ships using gas or other low flash point fuels. CSL has successfully trained 54 seafarers across 4 batches under this program.

44. CSL and Maersk A/S, Denmark have signed an MoU for collaboration in various key areas. The MoU inter alia promotes knowledge exchange on global standards to build world-class capabilities in line with the Government of India's Maritime India Vision (MIV) 2030 and Maritime Amrit Kaal Vision (MAKV) 2047, which together envision India as a premier global maritime hub.

45. CSL METI has developed skill-enhancement programs viz., "5 days Fitter Enhancement Training Programme" and "5 days Welder's Bridging Training Programme" for the seafarers of Maersk. So far CSL has completed the above up-skilling training programme for 4 batches of 40 seafarers of Maersk. CSL has also scheduled the next batch of training, with at least one training program per month from April 2025 to September 2025.

46. The Training Institute provided various training programs on Employability, Communication Skills, Soft Skill for Hard Situations and Anti-Drug Abuse and Cyber Security for Act apprentices and trainees completing their apprenticeship programs. Moreover, CSL Training Institute provided internships for a total of 1,104 Degree and Management students from various colleges across the country. During the year 2024-25, the Training Institute imparted apprentice training for a total of 271 ITI trainees, 94 Diploma trainees and 79 Degree trainees. Moreover, CSL Training Institute has started 2 batches of 2 years Rigger Training course under Skill Development Program.

47. ASAP Kerala Collaboration – As per Government of India's skilling, re-skilling and up-skilling manpower for the growing maritime industry, CSL and the Additional Skill Acquisition Programme (ASAP) Kerala, a Section 8 company under the Higher Education Department, Government of Kerala, have signed an MoU to provide multi-skill training in shipbuilding, ship repair and marine engineering for ITI-certified youth. As per the MoU, ASAP provides 2 months of theory training. CSL offers 3 months of practical training and 9 months of on-the-job training. CSL provides one-year contract employment post-training. A Joint certification is awarded by CSL and ASAP.

48. CSL developed the "Marine Structural Fitter Training Programme", a multi-skilling initiative that began in February 2022. To date, five batches of about 190 candidates have completed the program, with 63 candidates currently undergoing training.

49. During the financial year 2024-25, METI received the following awards and recognitions:

    (i) Best Participant Award and Overall Champion's Rolling Trophy for Sports and Best Paper Award (Students sessions) in seminar for METI on National Maritime Day Celebrations (NMDC) by MMD, Kochi.

    (ii) A1 Grade (Outstanding Grade) by LR Class on behalf of the Directorate General of Shipping in the CIP Audit for the year 2025. METI has received the A1 Outstanding Grade for three consecutive years.

Prime Minister's Internship Scheme (PMIS)

50. CSL remains committed to nurturing future professionals by supporting national initiatives aimed at building a skilled and competent workforce. As part of the pilot phase of the Prime Minister's Internship Scheme (PMIS), CSL has provided hands-on experience to 8 interns. CSL expects to expand the number of internships under the PMIS, with the objective of bridging the gap between academic learning and professional work and thereby promoting skill development and employability among youth.

Employee Welfare Measures

51. Child Care Leave – From the calendar year 2025, those employees (Executives, Supervisors or Workmen) with two (2) years of regular service in CSL shall be eligible for Child Care Leave (CCL) up to two (2) years (i.e. 730 days). All women employees with dependent disabled children (40% or more disability) are eligible for CCL without age restrictions. All single parents (male or female) with minor dependent children (up to 18 years old) are also eligible for CCL for purposes such as exams or sickness during the entire service.

52. Employee Welfare Crowd Funding Scheme – CSL has launched an Employee Welfare Crowd Funding Scheme "Cochin Shipyard Employees Parivar Parirakshan Yojana (SEPPY)" in order to support the bereaved family of an employee at the event of death of an employee. The scheme operates in such a way that an amount of ₹600 will be collected from each employee on the rolls of the Company in the event of death of a regular employee. As per the scheme, the Company will provide financial support at the rate of 1.5 times of fund collected through employee crowd funding, subject to a limit of ₹15,00,000 in the event of each natural death case. The maximum benefit provided to the dependents through the scheme shall be ₹25,00,000.

53. Enhancement of relief under Cochin Shipyard Employees Mutual and Public Welfare Trust (CSEMPWT) – CSL enhanced the financial death relief to ₹8,00,000 and funeral expenses to ₹25,000 to the dependents of the members of the trust at the event of death of an employee.

54. Welfare assistance & special casual leave for the care of differently abled children – CSL is granting monthly welfare assistance of ₹4,500 to all permanent employees who are having differently abled wards. They are also given time off for taking care of the ward in emergency situations limited to a maximum of 5 special casual leaves in a calendar year.

55. Modified CSL Medical Assistance Scheme – CSL has modified the medical assistance scheme for employees by empanelling 34 hospitals (Super-specialty/ multi-specialty/ specialty

and other-specialty hospitals) in Ernakulam District for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/ day care treatment availed at these 34 empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.

56. CSL Rudder Actionable Insights, Informed Decisions – As a part of the new digital transformation initiatives, a new mobile application had been developed and launched. The application is offering a bunch of new facilities to CSL users. The application can be used by both internal users like all permanent staff including officers, supervisors and workmen and external users like retired employees etc. Employee profile, attendance details, salary slips, leave details, medical claims status, dependents information, loan details, PF data, capture reporting time etc., are some of the features included in Rudder application.

57. Infertility treatment scheme was launched in the year 2020 for providing reimbursement of medical expenses incurred for infertility treatment for all permanent employees. An amount not exceeding ₹1,00,000 per cycle or the actual cost whichever is lower is permitted for reimbursement and the same will be allowed up to maximum of three fresh cycles with prior approval. Special Leave for maximum 10 days in a year and maximum of 20 days are being granted during the service of an employee who undergo procedures as part of infertility treatment. A total of 27 employees were granted permission to avail the benefits under this scheme as on March 2025.

58. National Pension System (NPS) was introduced in CSL in order to facilitate contributory pension scheme for all permanent employees. CSL is contributing 10% of the wages (Basic + DA) to the individual account of the employees, as employer contribution from April 2021 onwards. The scheme provides attractive income tax benefits to the employees and also ensures a hassle-free life post retirement.

59. CSL introduced paternity leave in the year 2019 to male employees of the Company including for valid adoption of a child below the age of one year.

60. CSL as a 'people first and people caring organisation' felt the necessity to support the employees availing leaves owing to rare and extra ordinary circumstances such as treatment for cancer, organ failure and organ transplantation. From the calendar year 2023, 180 days of Special Leave during the service period has been sanctioned to all regular employees for undergoing treatment of cancer like surgery, chemotherapy or organ failure or donation of organ. There are also cases reported where the dependents of employees are in the similar situation and the employees have to avail leave to take care of them. As a support for the ailing family members, special leave can also be availed by employees for the days required for chemotherapy, organ transplantation of their dependents.

61. It has also been noted that a number of CSL employees are donating blood to the needy as a noble act and a life-saving gesture. All regular employees are also allowed to avail Special Leave for one day for donating blood, subject to a maximum of three occasions in a year.

Encouraging Thought Provoking Ideas

62. 'Nethruthwa Samvriddhi Yojana' – Leadership Acceleration Programme (LEAP) was launched in the year 2016 to encourage and motivate executives in the grades E1 to E4 for pursuing higher studies in premier institutes both in India and abroad. The core benefit under the scheme is not only a grant of study leave for two years, but reimbursement of tuition fees, in installments after they come back and join for duty. A maximum of three applicants are considered on a yearly basis under LEAP scheme.

63. Mentor-Mentee scheme was launched in the year 2016 for ensuring personalized special attention by a senior executive. This collaboration gives junior executives, who are freshers, a feeling of engagement, belongingness and significant improvement in the inter and intra personal relationship in the organisation which lead to better retention.

Professional Assessments

64. Through an elaborate competency mapping exercise, four cultural competencies namely teaming, execution excellence, constraint breaking and continuous learning have been identified for CSL. These cultural competencies have been incorporated in all HR sub systems like recruitment, training, performance management, career development etc.

Status on Affirmative Action to Implement Presidential Directives on Reservations

65. Cochin Shipyard has been strictly complying with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. The Company has appointed separate liaison officers for SC/ ST/ OBC/ EWS/ and Ex-Servicemen/ PwBD to oversee the implementation of reservation policies. Reservation percentage is ensured through the maintenance of post-based roster system as prescribed by the Government of India.

Representation of SC/ ST/ OBC/ EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority Employees

66. The representation of SC, ST, OBC, EWS, Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) and Minority employees in various groups of posts as on March 31, 2025 is given below:

Category	Total Strength	SC	ST	OBC	EWS	PwBD	Minority
Group A	388	51	21	111	0	9	107
Group B	186	20	9	85	3	1	46
Group C	1,171	155	15	613	1	29	282
Group D	395	49	5	273	1	11	100
Total	**2,140**	**275**	**50**	**1,082**	**5**	**50**	**535**

Provision for Safeguard of Women

67. The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) and Rules framed thereunder are strictly complied with, including constitution of Internal Complaints Committees, which are chaired by senior woman executives. The Company has taken various initiatives for spreading awareness for prevention of sexual harassment including conducting sensitization programs across the organisation. The Committee has received three complaints during the financial year 2024-25, of which two has been disposed-off and one is pending as on March 31, 2025.

68. CSL has a woman Welfare Officer specifically to promote women empowerment activities and to formulate and implement welfare measures according to the needs of women employees of the Company. CSL celebrated International Women's Day in March 2025 with inclusive events that encouraged active participation.

Integrated Management System (IMS)

69. Cochin Shipyard maintained its Integrated Management System (IMS) under the ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System standards. It is proposed to implement quality management systems in all the ancillary units of CSL in the forthcoming years.

Information Security Management Systems (ISMS)

70. Cochin Shipyard has achieved a significant milestone by obtaining certification according to ISO 27001:2022 for establishing, implementing, maintaining and continually improving an information security management system (ISMS). This accomplishment underscores CSL's dedication to safeguarding sensitive information, bolstering cyber-resilience and driving operational excellence. CSL is the first company in the shipbuilding sector to implement ISMS, setting a new standard for information security in the industry.

Facility Upgrade and Capital Expenditure

71. The total capital expenditure incurred in 2024-25 amounted to ₹461.44 Crores. This related to modernisation and expansion, renewals and replacements, new dry dock, ISRF, CMSRU, CKSRU, CANSRU, subsidiaries etc.

Implementation of Official Language Policy

72. In pursuance of sub rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use for the Official Purposes of the Union) Rules, 1976, Government of India have notified, in the Gazette of India, that 80% of ministerial staff of the Company have acquired working knowledge/ proficiency in Hindi.

73. Cochin Shipyard Limited has been awarded the highest Rajbhasha Kirti Award from Ministry of Home Affairs, Government of India for outstanding implementation of Official Language Hindi in 'C' Sector for the year 2023-24. Cochin Shipyard has been ranked third among the Public Sector Undertakings in C-Sector across India, and this is the fourth time Cochin Shipyard has received this prestigious award.

74. The Hindi Fortnight celebrations were held with great enthusiasm and pomp in CSL from September 14 to 28, 2024. Various competitions such as Hindi calligraphy, Hindi typing, word puzzle, poem recitation, poem writing, news reading, administrative terminology, quiz, memory test, film songs, essay writing, noting and drafting, and translation etc. were organized for the employees of CSL. As a special program in connection with the Hindi Fortnight celebrations, dictation, poem recitation, calligraphy, Hindi film songs, speech and quiz competitions were organized for the children of the employees. More than 60 employees/ children participated enthusiastically in each competition. The Ship Repair Department won the Overall Championship Rolling Trophy by securing the

highest marks in the competitions held as part of the Hindi Fortnight celebrations.

75. In connection with Hindi Fortnight celebrations, a short film competition in Hindi was organized for all the colleges of Ernakulam district. The short films were primarily based on themes such as 'The effect of social media on relationships', 'Commitment to nature and environment as a human being', 'Quitting bad habits: A story of positive lifestyle changes to overcome bad habits and avoid drug abuse', and 'Promoting cleanliness and hygiene under Swachh Bharat Abhiyan' etc. A total of 15 colleges actively participated in the competition.

76. To commemorate the completion of 75 years of declaring Hindi as the official language, the Company organized an Official Language Seminar on November 22, 2024, at CSL, Kochi, involving non-Hindi employees of all the three (Banks, Central Government, Public Sector Undertakings) Town Official Language Implementation Committees of Kochi. The objective of this seminar was to create awareness about the Hindi language among non-Hindi-speaking personnel and to promote its maximum use in the workplace. More than 100 participants actively engaged in the seminar.

77. Cochin Shipyard Limited celebrated World Hindi Day on January 10, 2025 with great enthusiasm in two schools (Chottanikara VHSS and Sacred Heart U.P. School, Karttedam) located in Ernakulam district. On this occasion, various programmes were organized to promote the Hindi language and raise awareness of its importance among students. To cultivate interest in Hindi literature and enhance understanding, Hindi books were distributed among the students. In the poem recitation competition, students delivered Hindi poems expressively and with heartfelt manner. In the speech competition, they shared their thoughts on the significance of the Hindi language, its cultural heritage and its role in daily life. A total of 26 students actively participated in these competitions, showcasing their enthusiasm and talent.

78. The fifth batch of spoken Hindi training was conducted for CSL employees. The classes were held for one hour twice a week. The session concluded successfully in May 2024. A total of 23 employees actively participated in the training session.

79. The 16th issue of the Hindi house magazine 'Sagar Ratna' was released during the Independence Day celebrations on August 15, 2024, at CSL, Kochi. The 17th issue of Hindi house magazine 'Sagar Ratna' was released by Shri Madhu Sankunny Nair, Chairman and Managing Director, by handing over a copy to Shri Sreejith K Narayanan, Director (Operations) on March 04, 2025.

80. Five students from Maharajas College, Ernakulam and five students from Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Ernakulam successfully completed internship work in Hindi during April – May 2024. Additionally, two students of MA Hindi and Translation Diploma from Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha, Ernakulam and two students from CUSAT have successfully completed the internship training.

81. Four Hindi Workshops and four Official Language Implementation Committee meetings (OLIC) were conducted during the year. Further, In-service training in Hindi Parangath Course (July–November 2024) commenced in the month of July 2024 under the Hindi Teaching Scheme. The course was conducted over 5 months. A total of 22 employees from the office appeared in the examination held on November 10, 2024 after successfully completing the course. All the employees passed the examination and became eligible for a cash prize of ₹10,000 each.

82. To create an understanding of Official Language among the senior officers, an Official Language Management Programme was organized for officers up to the level of Assistant General Manager on May 30, 2024. The programme was conducted by Dr. Madhusheel Ayillath, Senior Manager (Official Language), Reserve Bank of India, Kochi. He provided an in-depth explanation of the Official Language Policy, Annual Programme, Reports related to the Parliamentary Official Language Committee, Unicode and more. The main aspects related to the role, responsibilities and other related topics for senior officers in the field of Official Language implementation were also discussed.

Particulars of Employees and Related Disclosures

83. In accordance with Ministry of Corporate Affairs notification no. G.S.R. 463(E) dated June 05, 2015, government companies are exempt from Section 197 of the Companies Act, 2013 and its rules thereof.

Conservation of Energy, Technology Absorption and Foreign Exchange Earnings and Outgo

84. Details are placed at **Annexure I**.

Risk Management

85. CSL has put in place a comprehensive Risk Management Policy, approved by the Board of Directors at their 214th meeting held on September 16, 2014 and later amended at the 259th Board Meeting held on February 12, 2021. The Company's risk management policy aims to establish a structured and defined process for the identification, assessment, response, monitoring and reporting of risks.

86. As per the Policy, the CSL Board undertakes overall oversight of the risk management system. The Board periodically reviews the risk management process to ensure that key risks are being properly identified and effectively managed. The CSL management, comprising both Board-level and below-Board-level executives, has been entrusted with the implementation of the risk management process. To this end, CSL has set up functional Risk Management Committees and a Board-level Risk Management Committee to implement the Risk Management Policy across the organization. These committees regularly review the risk management process and the Policy to ensure their continued effectiveness. In line with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, CSL had a Board-level Risk Management Committee (RMC) to oversee the Company's overall corporate risk management till November 21, 2024. However, the Committee could not be reconstituted thereafter due to the absence of Independent Directors on the Board. The Committee will be reconstituted once sufficient number of Independent Directors are appointed by the Government of India.

87. The diversified product mix of CSL, which includes both defense and commercial shipbuilding, as well as ship repair, provides the Company with a natural hedge against market risks. This diversification helps to mitigate the Company's exposure to fluctuations in any particular market segment, thereby enhancing the overall resilience of the business.

Health, Safety & Environment (HSE)

88. At CSL, our dedication to exemplary Health, Safety and Environment (HSE) standards remains paramount, ensuring the safety and well-being of our employees, customers and stakeholders. We cultivate a proactive HSE culture, underpinned by a meticulously designed management system focused on identifying and mitigating potential hazards. We recognize that a secure and healthy work environment is integral to the overall welfare and success of all our stakeholders.

89. We are delighted to announce a significant increase of 8.9% in our Organizational HSE Index percentage compared to the preceding year of 2023. Efforts towards Health, Safety and Environment (HSE) continued to yield significant positive outcomes, demonstrating the effectiveness of our robust HSE governance system in proactively mitigating incidents and accidents. This dedication to proactive measures, rather than reactive responses, is clearly reflected in our overall and departmental level HSE Index, which serves as a key benchmark for our HSE performance and reinforces our commitment to safety at all functional levels within the organization.

90. In May 2024, CSL organized 'SAMSRAYA', a significant two-day Safety Conclave focused on fortifying safety standards within India's shipbuilding and ship repair sector. Inaugurated by Shri T K Ramachandran IAS, Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, the event aimed to advance HSE practices in the maritime domain and explore frameworks for Indian shipyards. Featuring dignitaries and experts from India and abroad, including representatives from DGFASLI, F&B (Government of Kerala), PESO, BIS, Indian Navy, classification societies and leading shipyards, the conclave facilitated knowledge exchange and collaboration, aligning with the Maritime Amrit Kaal Vision 2047. The successful event underscored CSL's commitment to championing safety excellence and driving positive change in the industry.

91. The frequency rate of CSL for the year 2024 stands at 0.13. This metric is closely monitored as a pivotal indicator of the Company's HSE performance. CSL attributes this achievement to the Company's proactive approach and the enhancements in overall reporting culture.

92. CSL's collaborative approach involves ensuring subcontractors are well-resourced and trained for safe task execution. Continuous HSE performance monitoring and constructive feedback remain integral to fostering improvement. Recognizing the critical role of subcontractors in maintaining high safety standards, CSL's robust evaluation process ensures ongoing alignment with CSL's HSE benchmarks and regulatory requirements.

93. The HSE Star rating system, which evaluates the annual HSE performance of subcontractors employing 20 or more personnel within the Yard on a calendar year basis, remained a key mechanism in this endeavor. This rating system allows CSL to monitor and encourage continuous improvement in HSE standards across stakeholders. These ratings, ranging from three star to five star, are a testament to the rigorous standards upheld by CSL's subcontractors. 23 subcontractors were awarded with CSL HSE Ratings. CSL has a dedicated Competency Development Centre (CDC) for HSE to achieve HSE learning objectives via streamlined training delivery.

Industrial Security

94. CSL is a vital organisation with national importance and is classified as special security zone by both State and Central Government as the security of establishment has got national importance. Overall security of the Company continued to be robust without causing any serious security concern during the year. The primary security of the establishment is entrusted with Central Industrial Security Force (CISF) unit under the command of Dy. Commandant,

CISF. CSL has instituted Twenty-four hours waterfront patrolling with armed CISF personnel in addition to QRT team. CSL has installed a state-of-the-art surveillance system (CCTV) covering the entire perimeter including all critical locations and installations. All security systems and measures introduced and installed in the Company are of international standards. Periodic mock drill exercises are conducted in coordination with Intelligence Bureau, State Police, State Fire Department, Bomb Squad and Navy to assess the readiness of CISF force to counter any security threat, security breach, crisis or calamities.

95. CSL has been accorded status of Sub-AUA under C-DAC, Mumbai by UIDAI in October 2023 and has commenced the process of Aadhaar based verification under Aadhaar Act for identification of persons prior to issuing of entry passes. This process helps in eliminating the impersonations from gaining access to CSL.

96. CSL has implemented an integrated security system through Bharat Electronics Limited (BEL), Bangalore aimed at enhancing surveillance, central command and control room, electrical smart power fence, access control system and visitor management within the Yard. The system is anticipated to become fully operational in the fiscal year 2025-26.

97. CSL has also engaged DGR sponsored ex-servicemen security agency for supplementing existing forces mainly catering to external properties of CSL and also internal specific locations.

Awards and Recognitions

98. During the financial year 2024-25 CSL received the following awards and recognitions:

    (i) Winner, Kerala Industrial Safety Awards 2024 – Sub Category II.

    (ii) 'Sreshta Suraksha Puraskar' – Award for Outstanding Safety Performance under the category Very Large Factories – Engineering from the National Safety Council (Kerala Chapter).

    (iii) Second prize from National Safety Council (Kerala Chapter) under the category Award for factories having contractor safety management system.

    (iv) Rajbhasha Kirti Award (highest) from Ministry of Home Affairs, Government of India for outstanding implementation of Official Language Hindi in 'C' Sector for the year 2023-24.

    (v) First Prize for the implementation of Official Language from Kochi Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) among the companies having more than 200 administrative employees.

    (vi) First Prize for the Hindi Home Magazine 'Sagar Ratna' from Kochi TOLIC (PSUs).

    (vii) First Runner-up for the Overall Champion for the Joint Hindi Fortnight celebrations, 2024.

99. Further, CSL officials and sub-contractors received awards from the National Safety Council (Kerala Chapter) in the categories of 'Tool Box Talk' and 'Contractors having HSE Management systems', respectively.

Board of Directors' & Key Managerial Personnel

100. During the financial year 2024-25, the Board of CSL comprised 12 Directors, including 6 Non-official (Independent) Directors. However, effective May 02, 2024, Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) ceased to serve as a Non-official (Independent) Director following his resignation to contest in the Odisha Legislative Assembly election. Furthermore, the remaining five Non-official (Independent) Directors vacated their positions upon completion of their tenure on November 21, 2024.

101. Accordingly, as on March 31, 2025 the Board of CSL comprised of 6 Directors consisting of a Chairman & Managing Director, 3 Whole Time Directors and 2 Part-time Official Directors (Government Nominees).

102. Details of changes in Key Managerial Personnel during the financial year 2024-25 are given below:

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman & Managing Director	January 01, 2016	Continuing	No Change
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)	April 05, 2018	Continuing	No Change
3.	Shri Jose V J [(1)]	08444440	Director (Finance)	August 01, 2019	Continuing	No Change
			Chief Financial Officer	August 13, 2019		

Sl. No.	Name	DIN	Designation	Date of Appointment	Date of Cessation	Remarks
4.	Shri Sreejith K Narayanan [2]	09543968	Director (Operations)	July 21, 2022	Continuing	No Change
5.	Shri Syamkamal N	N.A.	Company Secretary & Compliance Officer	February 01, 2020	Continuing	No Change

[1]The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 03, 2024 extended the tenure of Shri Jose V J (DIN: 08444440) as Director (Finance) for a further period from August 01, 2024 till February 28, 2027, i.e. up to the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier. The shareholders of the Company at the 52nd Annual General Meeting (AGM) held on September 30, 2024 approved the same.

[2]Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 30, 2024.

Declaration and Meeting of Independent Directors

103. During the financial year 2024-25, the Company has received declarations from all the Independent Directors of the Company confirming that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013. Separate meetings of Independent Directors were held during the financial year on July 15, 2024 and November 07, 2024 which was attended by all the Independent Directors of the Company.

Details of Board Meetings held during 2024-25

104. Six Board Meetings were held during the year 2024-25 and the gap between two meetings did not exceed the statutory period. The dates on which the Board Meetings were held along with the attendance of Directors therein, are as follows:

Sl. No.	Date	Board Strength	No. of Directors present
1.	April 22, 2024	12	12
2.	May 24, 2024	11	10
3.	August 08, 2024	11	10
4.	November 07, 2024	11	09
5.	February 06, 2025	06	04
6.	March 28, 2025	06	05

105. For more details with respect to the Directors, Board and Committee meetings held during the year and attendance of these meetings, refer Corporate Governance Report which forms part of Directors' Report.

Remuneration Policy/ Evaluation of Board's Performance

106. Cochin Shipyard is a Government of India company under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. Presently, the Directors of the Company are presidential appointees and their remuneration is fixed in accordance with the DPE guidelines. Accordingly, Article 21(a) of the Articles of Association of CSL states that, President will appoint Directors and determine their remuneration. Since, the Board level appointments are made by President of India, the evaluation of performance of such appointees is also done by the Government of India. However, during the year, Non-official (Independent) Directors had separately met on July 15, 2024 and November 07, 2024 without the attendance of non-independent directors and members of management. All Non-official (Independent) Directors were present at the meeting. The meeting evaluated the performance of the Chairperson, Non-Executive Directors and the Board as a whole and expressed full satisfaction for the same. The Board also evaluated the Non-official (Independent) Directors of the Company vis-à-vis their performance and fulfilment of the independence criteria and found the same to be satisfactory.

Report of the Nomination & Remuneration Committee on Company's Policy on Directors' Remuneration

107. Presently, the remuneration of Board level appointees is determined in accordance with DPE guidelines. CSL at its 228th Board meeting held on December 14, 2016 adopted the Nomination and Remuneration Policy in compliance with the provisions of Section 178 of the Companies Act, 2013. CSL in its 241st Board meeting held on May 24, 2018 and further in its 245th Board meeting held on October 31, 2018 amended the Policy. The Policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Directors Responsibility Statement

108. Your Directors state that:

(i) in the preparation of the annual accounts for the year ended March 31, 2025, the applicable accounting standards read with requirements set out under Schedule III to the Companies Act, 2013

have been followed and there are no material departures from the same;

(ii) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2025 and of the profit of the Company for the year ended on that date;

(iii) the Directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

(iv) the Directors have prepared the annual accounts on a 'going concern' basis;

(v) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and are operating effectively; and

(vi) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems are adequate and operating effectively.

Contracts and arrangements with related parties

109. In line with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has put in place a Policy for dealing with the related party transactions and the same is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

110. During the year under review, all transactions entered into with related parties were approved by the Audit Committee. Prior omnibus approval of the Audit Committee and the Board is obtained for the transactions which are foreseeable and of a repetitive nature. All related party transactions are placed on a quarterly basis before the Audit Committee/ Board for review.

111. All contracts, arrangements and transactions entered into by the Company with related parties during the financial year 2024-25 were in the ordinary course of business and on an arm's length basis. No related party transactions have been entered into by the Company during the year under review which attracted the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013. Therefore, the disclosure of related party transactions as required under Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 in Form AOC-2 is not applicable for the financial year 2024-25 and hence does not form part of this Report. Further, your Directors draw attention of the members to Note 51 to the standalone financial statements which set out related party disclosures as per Indian Accounting Standard (Ind AS) 24.

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee (CSR & SD Committee)

112. CSL had a Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board with Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members till November 21, 2024. The Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Consequently, due to the non-appointment of Independent Directors by the Government of India, CSL could not reconstitute the CSR & SD Committee with effect from November 22, 2024. In the absence of CSR & SD Committee, CSR proposals were considered directly by the Board based on the recommendations of below Board level CSR Executive Committee.

113. The CSR & SD Committee has formulated and recommended to the Board, a Corporate Social Responsibility Policy (CSR Policy) indicating the activities to be undertaken by the Company, which has been approved by the Board. The CSR Policy can be accessed on the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3.

114. Cochin Shipyard started CSR activities in the year 2010-11 based on the guidelines issued by the Department of Public Enterprises (DPE) applicable to Government Companies. CSL has put in place an effective CSR Policy and implementation machinery. The CSR implementation machinery consists of a three tier system; Tier I CSL Board, Tier II CSL Board Level CSR Committee consisting of four members of the Board, chaired by an Independent Director and Tier III CSL CSR Executive Committee consisting of senior level executives across various departments of the Company.

115. During the year 2024-25, the Company could engage in meaningful CSR initiatives that received appreciation both within Kerala and also nationally.

116. The Company has spent ₹17.90 Crores against the target mandatory CSR spending of ₹13.88 Crores for the financial year 2024-25. "Health & Nutrition and PM Internship Scheme" have been adopted as common theme for undertaking CSR activities by CSL for the year 2024-25.

117. The Annual Report on CSR activities is placed at **Annexure II**.

Audit Committee

118. The Audit Committee of CSL comprised of Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as members. Consequent to the resignation of Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) on May 02, 2024, the Audit Committee was reconstituted with Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as Chairperson and Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as members.

119. The Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India. Therefore, due to the non-appointment of Independent Directors, CSL could not reconstitute the Committee with effect from November 22, 2024. During the year, for the period when the Audit Committee was in existence, all the recommendations of the Audit Committee were accepted by the Board of Directors.

120. Particulars regarding the Audit Committee are provided under the section 'Board Committees' in the Report on Corporate Governance.

Corporate Governance

121. The Company is committed to maintaining the highest standards of corporate governance and has put in place an effective corporate governance system. The Company complies with the applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and also the Guidelines on Corporate Governance issued by the Department of Public Enterprises. The Company submits its progress reports on corporate governance within 15 days from the close of each quarter to the Administrative Ministry viz., Ministry of Ports, Shipping and Waterways as recommended by the DPE in this regard. The Report on Corporate Governance forms part of the Directors' Report.

Management Discussion and Analysis

122. A separate section 'Management Discussion and Analysis Report' has been included in the Annual Report and the same forms part of the Directors' Report.

Internal Financial Controls

123. The Company has in place adequate internal financial controls with reference to financial statements. During the financial year 2023-24, the Company engaged M/s. Varma & Varma, Chartered Accountants for reviewing the adequacy of the Internal Financial Controls and to ensure that proper and adequate systems are in place for compliance with the provisions of all applicable laws. During the financial year 2024-25, such controls were tested and no reportable material weakness was observed, with no major variation in the control environment during the year.

124. In order to provide for functional autonomy, the Company has a system wherein financial powers of the Board of Directors are delegated to the CMD. These powers are further sub-delegated to officers at various levels for smooth and efficient day to day functioning. An independent internal audit mechanism is in place for conducting extensive audit of various operational and financial matters. Compliance Audits are also being carried out by C&AG on a yearly basis.

125. The Board of Directors/ Audit Committee also looked into the internal control system, Company procedures and internal audit performance and reports. The Company has implemented an integrated ERP System (SAP) since July 2014 and upgraded the same to the latest version S/4HANA from April 2022, which is enabling better management control.

Statutory Auditors

126. M/s. Anand & Ponnappan (Firm Registration No. 000111S), Chartered Accountants, Kochi were appointed as the Statutory Auditors of the Company by the Comptroller & Auditor General of India for the year 2024-25. The shareholders have delegated the power to fix the remuneration of Statutory Auditors to the Board and accordingly, the same has been fixed by the Board.

Auditors Report

127. M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors have submitted their report on the standalone and consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2025, on May 15, 2025. The Report does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Comments of C&AG

128. The comments of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) under Section 143(6)(b) of the Companies Act, 2013 forms part of the Annual Report.

Cost Auditors

129. The Company maintains cost records with respect to its shipbuilding activities as required under Section 148(1) of the Companies Act, 2013. The Board has appointed M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants (Firm Registration No. 000006), Kochi, as the Cost Auditors for conducting the audit of cost records of the Company for the financial year 2024-25. The remuneration of Cost Auditor for the financial year 2024-25 was ratified by the shareholders at the 52nd AGM held on September 30, 2024.

Secretarial Auditor

130. The Board has appointed M/s. SEP & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi to conduct Secretarial Audit of the Company for the financial year 2024-25. The Secretarial Audit Report for the financial year ended March 31, 2025 is placed at **Annexure III**. The Secretarial Auditors in their Report observed the following:

    (i) There was no sufficient number of independent directors (one short) on the board of the Company with effect from May 02, 2024 as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations and Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs. Further, there were no independent directors on the board of the Company with effect from November 22, 2024 as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations; Section 149 of the Act; and Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs.

    (ii) There was no woman independent director on the board of the Company as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations; and a woman director as mandated under Section 149 of the Act with effect from November 22, 2024.

    (iii) The Company does not have a duly constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI LODR Regulations; Section 177 of the Act; and Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Audit Committee as mandated under Regulation 18(2)(a) of SEBI LODR Regulations and Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs.

    (iv) The Company does not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI LODR Regulations; Section 178 of the Act; and Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024.

    (v) The Company does not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI LODR Regulations and Section 178 of the Act with effect from November 22, 2024.

    (vi) The Company does not have a duly constituted Corporate Social Responsibility Committee as required under Section 135 of the Act with effect from November 22, 2024.

    (vii) The Company does not have a duly constituted Risk Management Committee as required under Regulation 21 of SEBI LODR Regulations with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Risk Management Committee as mandated under Regulation 21 of SEBI LODR Regulations.

    (viii) The requirement of quorum of at least one independent director as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations was not met in the Board Meetings of the Company held on February 06, 2025 and March 28, 2025 as there were no independent directors with effect from November 22, 2024.

131. The explanation of the Board to the observations in the Secretarial Audit Report is given below:

    Cochin Shipyard Limited (CSL) is a Central Public Sector Enterprise under the administrative control of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India. Accordingly, the appointment of Directors on the Board of CSL is done by the Government of India by following due procedure of selection. The Company has forwarded necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the posts of Independent Directors including a Woman Director and frequent follow ups are also being done. However, the filling up of vacancies of the Independent

Directors and Woman Director remains pending with the Government of India. Further, the Company could not reconstitute the aforesaid Statutory Committees and conduct its meetings due to the non-appointment of Independent Directors, which will be done once the requisite number of Independent Directors are appointed.

Internal Auditor

132. The Board has appointed M/s. Elias George & Co., Chartered Accountants, Kochi, to conduct Internal Audit for the financial year 2024-25.

Annual Return

133. The annual return of the Company as required under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/55.

Investor Services

134. The shares of the Company are listed in BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"). CSL has paid listing fees to BSE and NSE on time. MUFG Intime India Private Limited (formerly, Link Intime India Private Limited) are the Registrar & Transfer Agents in respect of these equity shares.

135. As on March 31, 2025, 8.72% Tax Free, Secured, Redeemable, Non-Convertible Bonds of only ₹23 Crores is outstanding for CSL, which will be matured in March 2029. The said bonds are fully dematerialized with both the depositories, NSDL and CDSL and are listed on Wholesale Debt Market ("WDM") segment of BSE. During the year India Ratings and Research (Ind-Ra) and Care Ratings reaffirmed its ratings of CSL instruments of IND AAA/ Stable and CARE AAA/ Stable respectively. CSL has paid the listing fees to BSE on time in respect of the bonds. MUFG Intime India Private Limited (formerly, Link Intime India Private Limited) is the Registrar & Transfer Agents and SBICAP Trustee Company Limited is the Debenture Trustees in respect of the bonds.

Vigilance

136. The Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various preventive vigilance activities, promotes vigilance awareness among all employees, engages in proactive vigilance measures, conducts investigations in cases related to punitive vigilance and carries out surveillance and detection initiatives. The vigilance department strives to ensure transparency and equity, bringing efficiency to the system and competitiveness in all procurements. The vital Central Vigilance Commission (CVC) guidelines are discussed with the heads of departments for strict compliance. For preventive vigilance, emphasis is given to vigilance sensitization among the officers and supervisors.

137. Strengthening Vigilance Capabilities – Dr. C. Pandi Selva Durai, IOFS, is the full-time Chief Vigilance Officer, leading the Vigilance Department. The department also includes a Vigilance Officer (DySP rank police officer from Kerala Police) on deputation to CSL, two CSL officers, and three supporting staff. The Chief Vigilance Officer also oversees the vigilance functions of CSL's wholly owned subsidiaries, Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL).

138. Systemic Improvements and Inspections – The Vigilance Department conducted intensive type examinations and recommended various systemic improvements based on the findings. CTE-type inspections were carried out on select major works and procurements in the Civil Department, Ship Building, and Ship Repair divisions. During the financial year, the department monitored various contracts and audit reports and conducted surprise/ periodic inspections in different operational areas, suggesting corrective actions wherever necessary. All reports to the CVC were submitted on time.

139. Vigilance Awareness Initiatives – As a prelude to Vigilance Awareness Week 2024, a three-month campaign was organized from August 16, 2024 to November 15, 2024, focusing on various activities to enhance vigilance awareness and sensitization among officers and supervisors. The Vigilance Awareness Week was also observed in a befitting manner during October – November 2024.

Right to Information Act

140. In order to promote transparency and accountability, your Company has implemented the provisions of the Right to Information (RTI) Act, 2005 in its true letter and spirit and an appropriate mechanism has been set up in the Company with a dedicated centralised RTI Cell to provide information to the citizens under the provisions of this Act. All the RTI requests and the appeals received both online and offline during the year 2024-25 have been processed and information was provided in a time bound manner as stipulated in the Act.

141. There have been no instances of non-compliance by the Company. No penalties or strictures were imposed on the

Company by any statutory authority during the last three years with respect to RTI.

Vigil Mechanism

142. The Cochin Shipyard Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy of CSL adopted by the Board of Directors at their 228th Meeting held on December 14, 2016 was functioning as the Vigil Mechanism of CSL. Further, in line with the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The Whistle Blower and Fraud Prevention Policy of CSL is available at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Details of frauds reported by Auditors under Section 143

143. Nil.

Particulars of loans, guarantees or investments

144. During the year under Report, the Company has not

(a) given any loan to any person or other body corporate;

(b) given any guarantee or provided security in connection with a loan to any other body corporate or person; and

(c) acquired by way of subscription, purchase or otherwise, the securities of any other body corporate, as prescribed under Section 186 of the Companies Act, 2013.

Material changes and commitments

145. No material changes and commitments, affecting the financial position of the Company, have occurred between the end of the financial year of the Company and the date of this Report.

Details of change in nature of business

146. There has been no change in the nature of business of the Company during the year under report.

Deposits

147. Your Company has not accepted any deposits from the public under Chapter V of the Companies Act, 2013.

Secretarial Standards

148. The Company has complied with the applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

Significant and Material orders

149. No significant and material orders were passed by the regulators or any courts or tribunals impacting the going concern status of the Company and affecting its operations.

Proceedings under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016

150. There was no application made or proceeding pending against the Company under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) during the year under review.

Business Responsibility and Sustainability Report

151. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated inclusion of Business Responsibility and Sustainability Report ("BRSR") as part of the Annual Report for top 1000 listed entities based on market capitalization. The Company has provided BRSR in the prescribed format which forms part of the Annual Report. BRSR indicates the Company's performance against the principles of the 'National Guidelines on Responsible Business Conduct'. This would enable the Members to have an insight into environmental, social and governance initiatives of the Company.

Other Statutory Disclosures

152. No disclosure or reporting is made with respect to the following items, as there were no transactions during FY 2024-25.

- There was no issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise;
- There was no issue of equity shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under Employees Stock Option Scheme;
- The Company does not have any scheme or provision of money for the purchase of its own shares by employees or by trustees for the benefits of employees;

- There was no instance of one-time settlement with any Bank or Financial Institution;
- Directors of the Company have not received any remuneration or commission from any of its subsidiaries;
- The Company has not failed to implement any corporate action; and
- There was no revision of financial statements and/ or Directors' Report of the Company under Section 131 of the Companies Act, 2013.

Acknowledgement

153. The Board of Directors places on record their deep appreciation for the unwavering support and guidance extended by the Hon'ble Union Minister for Ports, Shipping and Waterways and all officials of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways. The Board would also like to express its heartfelt gratitude for the co-operation and assistance received from various offices of the Government of India, Government of Kerala, Government of West Bengal, Government of Karnataka, Government of Maharashtra, Andaman and Nicobar Administration, various local bodies, the Comptroller & Auditor General of India, Statutory Auditors, Secretarial Auditors, Cost Auditors, Internal Auditors and the Bankers.

154. Further, the Board extends sincere thanks to our valued Shareholders, Investors, Customers, Suppliers and Sub-contractors for their continued support. The Board also recognize and appreciate the dedication and commitment of all employees of Cochin Shipyard Limited and its subsidiaries.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Annexure I

A. Conservation of Energy

a.	Steps taken or impact on conservation of energy during the year 2024-25:	**Steps Taken** • In-house conversion of a diesel-powered Platform Truck (Jumbo) into an electric powered one to reduce greenhouse gas emissions, lower operating costs and minimizes noise pollution while improving overall performance and reliability. Materials and components available in the Yard were used for the same. • Procured two electric forklifts to replace conventional diesel models, offering significant advantages such as reduced greenhouse gas emissions, lower maintenance costs, quieter operation and enhanced energy efficiency. • Implemented an IoT-based remote energy monitoring system to optimize energy utilization, enabling real-time tracking that helps minimize energy waste. • Installed sensor-based lighting controls in the Ship Repair Service Tunnel to improve energy efficiency by automatically adjusting lighting based on occupancy, reducing energy consumption while enhancing safety and convenience. • Completed the electrification of new buildings with the installation of high-efficiency LED lighting, significantly reducing energy consumption, lowering maintenance costs. • Replaced old air conditioning units with inverter-based AC systems which ensure more efficient utilisation of compressors, thus offering more efficient cooling. • Installed BLDC motor-based and 5-star rated ceiling fans and man coolers, leveraging the efficiency of BLDC technology over traditional induction motors, which reduces energy consumption by eliminating mechanical brushes, minimizing heat generation and ensuring smoother, more reliable performance. • Regularly monitored and repaired leakages in compressed air distribution and industrial gas lines to ensure system efficiency, reduce energy loss, and maintain operational reliability. • Monitored and maintained the power factor close to unity, ensuring optimal energy performance and efficiency by minimizing losses and improving overall system stability. • Implemented energy conservation by switching off the main air compressor during lunch breaks, maintaining pressure in the receiver tank to prevent unnecessary energy consumption during re-pressurization when the compressor is restarted. • Promoted energy awareness through various initiatives including posters, stickers, seminars and quiz competitions, to encourage responsible electricity usage and foster a culture of sustainability across the Yard. **Impact** Energy saving is approx. 2.60 Lakhs units per annum with the implementation of measures specified above.
b.	Steps taken for utilizing alternate sources of energy:	• 16.83 Lakhs units of energy were generated from existing solar power plants of capacity 1672 kWp during the year 2024-25. • Purchased 49.34 Lakhs units of renewable energy through Open Access (Green Day Ahead Market).
c.	Capital investment on energy conservation equipments:	• An amount of approximately ₹82 Lakhs have been invested for implementation of energy conservation measures specified above.

B. Technology Absorption, Adaptation and Innovation

a. Efforts made towards technology absorption:

- Carried out seakeeping and maneuvering model test program of NGMV project at NSTL, Vishakhapatnam using indigenously manufactured water-jet models.
- Shipflow basic solver based on panel methods procured, which will be useful for evaluating hull forms with respect to wave resistance quickly. The solver can be coupled to the CAESES software for hull form optimization for wave resistance.
- Engaged CUSAT for the basic research on hydrodynamics using OpenFOAM software for enhancing the in-house CFD capability using open-source software.
- M. Tech Project Guidance:
  - Guided five (5) M. Tech students on industry-relevant topics from NIT Calicut and CUSAT, enhancing inhouse capability in the domain of structural design and CFD analysis. Respective conference papers presented in OSICON-25 conducted by National Institute of Oceanography Goa and RAID 2024 conducted by NIT Calicut.
- Under Graduate Project Guidance:
  - Guided eight (8) B. Tech students on industry-relevant topics from IIT Madras and CUSAT, enhancing inhouse capability in the domain of ship design and CFD analysis.
  - Guided one (1) B. Des student from NID, Andhra Pradesh on aesthetics and product design for inland passenger ferries.
- Delivered technical presentation on Launching and Recovery System for AUV at Continuing Education Programme on Advances in AUV Technologies held at NSTL, Visakhapatnam.
- Delivered technical presentation on Shallow Water Vessel Design at the workshop organized by IWAI on Technologies and Applications of Shallow Draft Vessels in National Waterways held at Delhi.
- Delivered technical presentation on Engine Propeller Matching in CUSAT.
- Workshops/ training sessions attended:
  - 2-day session on installation of Cell Guides by MacGregor;
  - 1-day technical session on Hazardous Area Installation Onboard Vessel by DNV;
  - 1-day session by DNV on Cybersecurity Notation for Ships;
  - 5-day Continuing Education Programme on Advances in AUV Technologies at NSTL, Vishakhapatnam;
  - General user and admin training on Cadmatic Hull and Outfitting; and
  - 6-days Marine HVAC training workshop conducted by Indian Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ISHRAE), New Delhi.
- Organized a 1-day Design Conclave at Kochi to bring together major yards, design houses, class societies and other stakeholders of the country with a view to improve ship building eco system in line with MIV 2030 & MAKV 2047.
- Detailed 3D modelling and production drawings for Yard projects being implemented in Dassault 3DEXPERIENCE platform.
- Preliminary design of control station for AUV.
- Acquired AUV hardware and software integration skills by closely working with DRDO.
- Implementation of Digital Twin for predictive maintenance of Gas Turbines of INS Vikrant.
- Engagement of various strategic technology partners including startups for the development of indigenous radar technology, vision system and navigation systems for unmanned domain.

	• Collaborated with IITM and NSTL for the model testing and mathematical model derivation of the ASV vessel. • Developed a customized centre of gravity measurement device for AUV. • Patent filing in progress for LARS (Launch and Recovery System) design. • Indigenous development of an advanced welding process in progress in collaboration with a technology partner. • Conferences/ workshops attended by team members on Autonomous Systems, Power to X, Decarbonization, Energy Efficiency and New Green Solutions in physical, online and hybrid mode.

b. Efforts made towards technology innovation:	• Developed basic design for Workboat for Udupi-CSL.
	• Development of bid design for 15 nos. Electric Catamaran Ferry for KMRL.
	• Development of bid design for River Cruise Vessel.
	• Development of bid design for Coastal Patrol Vessel.
	• Development of concept design for 250 Pax Hybrid Electric Ferry for IN.
	• Development of concept design for 250 Pax Electric Ferry for A&N Administration.
	• Assisted in development of Standard Specification for ASTDS GTTP (Green Tug Transition Program).
	• Performed finite element analysis on following projects in 3DEXPERIENCE SIMULIA:
	  • Vibration analysis of electro optic device foundation for ASW-SWC;
	  • Strength analysis of interface support for EOT crane for 12k Dredger;
	  • Strength analysis of structure in way of painter boom of CSOV;
	  • Design and strength analysis of helideck support structure for CSOV; and
	  • Design and analysis of spreader beams for elevator tower lifting for CSOV.
	• Performed benchmark studies for ship resistance in OpenFOAM for ITTC benchmark cases (JBC, KCS, DTMB).
	• Participated and carried out CFD studies for the blind CFD workshop conducted by JoRes (open workshop on Ship Scale Resistance Prediction).
	• Presented technical paper titled 'Optimizing Electric Catamaran Ferry Design for Inland River Navigation in India: An Efficient Parametric Approach' in RINA ICCAS 2024 held at Genoa, Italy.
	• Development of launch and recovery system for HEAUV.
	• Successfully submitted one Doctoral Thesis on 'Welding of Marine Grade Stainless Steel and Aluminium Alloy'.
	• Submitted one research paper on 'Flux Bounded TIG Welding on UNS S32760 Super Duplex Stainless Steel' on Welding International Journal.
	• Design and development of various critical systems for Autonomous Surface Vessel including command and control station, radar technology, camera technology and autonomy stack.
	• Design of an active load stabilization system for marine and non-marine cargo handling operations.
	• In-house design, development and implementation of DC switch board through technology partners.
	• High level concept design of a ground control station for AUV.
	• Development of launch and recovery system for a compact ASV.
	• Design of an innovative sensor aided docking system.
	• Indigenous development of an advanced welding process in progress in collaboration with a technology partner.

Disclosure of particulars in respect of absorption

a.	Benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitutions:	Indigenous development of critical marine vehicles and related subsystems by collaborating with specialized and leading firms.
b.	In case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year)	
i.	The details of technology imported:	(i) Shipflow (ii) VME based automation system training kit, Italy. (iii) NUPAS Cadmatic. (iv) NavCad Premium.
ii.	The year of import:	(i) 2024-25 (ii) 2023-24 (iii) 2023-24 (iv) 2023-24
iii.	Whether the technology been fully absorbed:	Yes, in the year of import itself.
iv.	If not fully absorbed, areas where absorption has not taken place and the reasons thereof:	Not Applicable.
c.	Expenditure incurred on Research and Development/ Innovation initiatives:	₹2,272.91 Lakhs

C. Foreign Exchange Earnings and Outgo

(₹ in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Earnings in Foreign Exchange		
From Shipbuilding	45,080.77	28,069.00
From Ship repair	72.27	274.38
Total	**45,153.04**	**28,343.38**
Expenditure in Foreign Exchange		
Materials (CIF Value)	94,358.80	1,64,624.62
Design & Documentation	4,066.78	6,513.85
Service Charge & Others	9,747.50	25,193.18
Total	**1,08,173.08**	**1,96,331.65**

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Annexure II

Report On Corporate Social Responsibility

1. Brief outline on CSR Policy of the Company

The CSR activities in the Company for the year 2024-25 were undertaken in line with the statutory provisions under the CSR Rules, the guidelines issued by the Department of Public Enterprises for Central PSUs and the CSR Policy of the Company.

As per the CSR Policy of the Company, for administrative convenience, the Company operates the projects under the categories of Minor projects, which are urgent in nature having value of ₹10 Lakhs or less with the approval of Chairman & Managing Director, limited to 10% of total spent. All other projects are categorised as Major projects. 5% of the total spent is earmarked towards administrative overheads, which includes salary, expenditure on training and travel by CSR staff working in the Department.

Theme for the year: Health & Nutrition and PM Internship Scheme

2. Composition of CSR Committee

The Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee of the Board recommends the CSR projects from time to time for the approval of the Board. However, effective November 22, 2024, the CSR & SD Committee ceased to exist due to the completion of tenure of the Independent Directors and the subsequent non-appointment of new incumbents by the Government of India. Accordingly, from November 22, 2024 onwards, the CSR proposals were considered directly by the Board of Directors of the Company based on the recommendations of the below Board level CSR Executive Committee. The Composition of the CSR & SD Committee as on November 21, 2024 is given below:

Sl. No.	Name of Director	Designation/ Nature of Directorship	Number of meetings of CSR & SD Committee	
			held during the year	attended during the year
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082)	Non-official (Independent) Director – Chairperson	3	3
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405)	Non-official (Independent) Director – Member	3	3
3.	Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825)	Director (Technical) – Member	3	3
4.	Shri Jose V J (DIN: 08444440)	Director (Finance) – Member	3	3

3. Web-link where Composition of CSR & SD Committee, CSR Policy and CSR projects approved by the Board are disclosed on the website of the Company

Composition of CSR & SD Committee	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab4
CSR Policy	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab3
CSR projects approved by the Board	https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab10

4. Executive summary along with web-link(s) of Impact assessment of CSR Projects carried out in pursuance of sub-rule (3) of rule 8 of the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014

No impact assessment were required to be carried out during the financial year 2024-25.

The full report of the impact assessments carried out during the previous years can be accessed from the link https://cochinshipyard.in/csr/aboutus#parentVerticalTab8.

5. (a) Average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Companies Act, 2013 ("Act") ₹77,884.04 Lakhs

(b) Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act : ₹1,557.68 Lakhs

(c) Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years : Nil

(d) Amount required to be set-off for the financial year, if any : ₹170.00 Lakhs

(e) Total CSR obligation for the financial year [(b) + (c) – (d)] : ₹1,387.68 Lakhs

6. (a) Amount spent on CSR Projects (both Ongoing Project and other than Ongoing Project) : ₹1,731.94 Lakhs

(b) Amount spent in Administrative Overheads : ₹50.77 Lakhs

(c) Amount spent on Impact Assessment, if applicable : ₹6.80 Lakhs (carried out during FY24, paid during FY25)

(d) Total amount spent for the financial year [(a) + (b) + (c)] : ₹1,789.51 Lakhs

(e) CSR amount spent or unspent for the financial year:

Total Amount Spent for the financial year (in ₹)	Amount Unspent (in ₹)				
	Total Amount transferred to Unspent CSR Account as per sub-section (6) of section 135 of the Act		Amount transferred to any fund specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act		
	Amount	Date of transfer	Name of the Fund	Amount	Date of transfer
1,789.51 Lakhs	Nil	NA	NA	Nil	NA

(f) Excess amount for set-off, if any:

Sl. No.	Particular	Amount (in ₹)
(1)	(2)	(3)
(i)	Two percent of average net profit of the Company as per sub-section (5) of section 135 of the Act*	1,387.68 Lakhs
(ii)	Total amount spent for the financial year	1,789.51 Lakhs
(iii)	Excess amount spent for the financial year [(ii) - (i)]	401.83 Lakhs
(iv)	Surplus arising out of the CSR projects or programmes or activities of the previous financial years, if any	Nil
(v)	Amount available for set-off in succeeding financial years [(iii)-(iv)]	401.83 Lakhs

*The CSR obligation for the financial year 2024-25 after adjusting the excess spent during the financial year 2023-24.

7. Details of Unspent Corporate Social Responsibility amount for the preceding three financial years:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
Sl. No.	Preceding financial year(s)	Amount transferred to Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Balance Amount in Unspent CSR Account under sub-section (6) of section 135 of the Act (in ₹)	Amount spent in the financial year (in ₹)	Amount transferred to a Fund as specified under Schedule VII as per second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act, if any		Amount remaining to be spent in succeeding financial years (in ₹)	Deficiency, if any
					Amount (in ₹)	Date of transfer		
1.	2023-24	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
2.	2022-23	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil
3.	2021-22	Nil	Nil	Nil	Nil	NA	Nil	Nil

8. Whether any capital assets have been created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

◉ Yes No

If Yes, enter the number of Capital assets created/ acquired 42

Furnish the details relating to such asset(s) so created or acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year:

Please refer **Annexure IIA**

9. Specify the reason(s), if the Company has failed to spend two per cent of the average net profit as per sub-section (5) of section 135 of the Act:

Not Applicable.

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Annexure IIA

Details relating to the capital assets created/ acquired through Corporate Social Responsibility amount spent in the financial year 2024-25

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Support for purchase of patient care equipment for A P Varkey Mission Hospital, Arakkunnam, Ernakulam.	682313	10.07.2024	35,39,941	CSR00024800	A P Varkey Mission Hospital	Arakkunnam, Ernakulam – 682313
2.	Support for Sarvasudhi Ravipuram - at Division 61 for setting up semi-automated 5 TPD RRF for disposal of dry waste.	673005	05.10.2024	14,34,606	CSR00003721	Serve Rural	1/99, Temple Road, West Hill, Kozhikode – 673005
3.	Support for procurement of a vehicle for differently abled children at Neuro Developmental Centre by CEFEE, Ernakulam.	682016	06.03.2024	47,011	CSR00054567	Centre for Empowerment & Enrichment (CEFEE)	DH Road, Jose Junction, Ernakulam – 682016
4.	Support for purchase of a vehicle for palliative care home care programmes to Pain and Palliative Care Society, Thrissur.	680001	21.03.2024	62,540	CSR00018532	Pain and Palliative Care Society	Pain and Palliative Care Society, Old District Hospital Building, Round East, Thrissur – 680001
5.	Support for purchase of a school bus for differently abled children of Sanjoe Sadan School for the Mentally Retarded, Thuravoor, Alappuzha.	688532	15.03.2024	1,77,000	CSR00052432	St. Joseph's Social Centre	Sanjoe Sadan, South Thuravoor P O, Alappuzha – 688532
6.	Capacity Building for Thejus Special School, Vechoor, Vaikom.	686144	02.11.2023	1,77,000	CSR00000283	Society for Action in Community Health (SACH)	253, 2nd Floor, Shahpur Jat, New Delhi – 110049
7.	Support for installation of on grid roof top solar power plant at Adarsh Centre for Empowerment, the special vocational training centre of Adarsh Charitable Trust located at Udayamperoor, Ernakulam.	682305	30.01.2024	4,34,515	CSR0001511	Adarsh Charitable Trust	Adarsh Charitable Trust, Kureekkad, Ernakulam – 682305
8.	Support for installation of tube well in south Sundarban area, West Bengal.	743374	06.11.2024	10,62,000	CSR00001189	South Sundarban Jana Kalyan Sangha	Raghunathpur, P O – Madhabnagar, Dist. – South 24 Parganas, West Bengal – 743374
9.	Support for setting up of advanced oncology rehabilitation unit at Government Tribal Specialty Hospital, Nalloornad, Wayanad.	670645	03.06.2024	19,23,400	CSR00068596	District Nirmithi Kendra	RD Office Premises, Mananthawady, Wayanad – 670645
10.	Support for setting up of mathematics lab in Government Girls Higher Secondary School, Ernakulam.	682016	29.02.2024	2,95,000	CSR00022791	Centre for Heritage, Environment and Development (C – HED)	Corporation Building, Kacherippady, Kochi – 682018
11.	Support for drinking water facilities for Government Arts & Science College, Vypin, Ernakulam.	682503	30.03.2024	6,66,700	CSR00063863	Government Arts & Science College Ernakulam District	Vypin, Ernakulam – 682503

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
12.	Support for purchase of an ambulance for Sevabharathi Kottayam.	686001	05.08.2024	8,85,000	CSR00011962	Sevabharathi Kottayam	Thirunakkara, Kottayam – 686001
13.	Support for purchase of a school bus for autistic children of Kusumagiri Mental Health Centre, Kakkanad, Ernakulam.	682030	22.11.2024	11,80,000	CSR00017954	Kusumagiri Mental Health Centre	Kusumagiri P O, Kakkanad, Ernakulam – 682030
14.	Support for sanitary pad manufacturing unit for reusable sanitary pads, using natural resources, providing employment to more than 200 rural women in coastal area in Kerala by Ayurarogya Saukhyam Foundation.	690546	26.01.2024	4,72,000	CSR00026582	Ayurarogya Saukhyam Foundation	Saukhyam Reusable Pads, Mata Amritanandamayi Math, Amritapuri P O, Kollam – 690546
15.	Support for installation of play equipments for Rotary Institute for children in need of special care at Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram.	695010	25.06.2024	2,95,000	CSR00015553	Rotary Institute for Children in Need of Special Care	Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram – 695010
16.	Support for Assistive Technology Experience Centre at IIT Madras.	600004	21.08.2024	59,00,000	CSR00000434	Indian Institute of Technology Madras (IITM)	No.82, Dr. Radhakrishnan Salai, Mylapore, Chennai – 600004
17.	Support for digital classroom for Sanskrit language learning through computer peripherals at Kerala Vyasa Samskritha Vidyapeetham, Sarada Gurukulam, Chemmanda, Irinjalakkuda, Thrissur.	680711	15.07.2024	2,36,000	CSR00016273	Kerala Vyasa Samskritha Vidyapeetham	Sarada Guurukulam, Chemmanda, Karalam P O, Thrissur – 680711
18.	Support for purchase of a vehicle for outreach educational programmes in Tripura by Franciscan Clarist Educational and Social Welfare Society, Tripura.	799143	19.11.2024	11,80,000	CSR00061036	Franciscan Clarist Educational and Social Welfare Society	St. Alphonsa Convent, Sindukpathar, P O, Manubazar, South Tripura – 799143
19.	Support for purchase of two medical ambulances for dialysis centers in Lakshadweep (Amini and Androth Islands) run by Thanal Charitable Organization, Kavaratti, Lakshadweep.	682555	02.11.2024	17,70,000	CSR00035963	Thanal Charitable Organaization	Administrative Office, Kavaratti, UT of Lakshadweep – 682555
20.	Support for purchase of a vehicle for distribution of medicines and to provide treatment by Sree Sarada Seva Medical Clinic, Vellamunda, Wayanad District run by Wayanad Girijana Seva Trust.	670731	24.09.2024	7,57,370	CSR00011224	Wayanad Girijana Seva Trust	Mattilayam P O, Vellamunda, Wayanad – 670731
21.	Support for purchase of a school bus for Vimukthi Special School, Kalamassery, Ernakulam.	683503	11.11.2024	11,80,000	CSR00067262	Mar Gregorious Charitable Society.	Hidayath Nagar Road, HMT Colony P O, Kalamassery, Ernakulam – 683503
22.	Support for setting up of advanced blood storage unit at Government Tribal Speciality Hospital, Nalloornad, Wayanad.	670645	05.09.2024	11,80,000	CSR00068596	District Nirmithi Kendra	RD Office Premises, Mananthawady, Wayanad – 670645

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
23.	Support for purchase of a vehicle, medical equipments and consumables for Arike Palliative Care Service, Ernakulam.	682025	13.12.2024	11,00,680	CSR00016600	Arike Day Care Nurses	43/707, P K Nair Road, Palarivattom, Ernakulam – 682025
24.	Support for Nutri Food Lab at St. Teresa's College, Ernakulam.	682011	03.08.2024	17,70,000	CSR00027592	St. Teresa's College Welfare Society	St. Teresa's College, Park Avenue Road, Marine Drive, Ernakulam – 682011
25.	Support for Divyangjan Yatra - purchase of an ambulance for disabled persons (divyangjans) at Gandhi Bhavan, Pathanapuram, Kollam.	689695	21.11.2024	8,85,000	CSR00012601	Gandhi Bhavan International Trust	Post Box No.39, Kundayam P O, Pathanapuram, Kollam – 689695
26.	Support for establishment of audiology lab in special school run by Akkara Foundation, Kasaragod.	671318	19.02.2025	21,24,000	CSR00035359	Akkara Foundation	Bakel, XVI, 16/485, Akkara Guest House, Kottikulam P O, Bakel, Kasaragod – 671318
27.	Support for Yuvathi – rehabilitation and empowerment programme for cancer affected women/ families by Butterfly Cancer Care Foundation, Ernakulam.	682024	18.10.2024	2,95,000	CSR00025950	Butterfly Cancer Care Foundation	Brindavan Business Centre, Edappally P O, Ernakulam – 682024
28.	Support for robotic kits for schools in Ernakulam and neighboring districts.	695012	28.09.2024	38,58,600	CSR00011888	Kerala Infrastructure and Technology for Education (KITE)	State Office, Poojapura, Thiruvananthapuram – 695012
29.	Support for purchase of a vehicle for palliative care home care programme at Ayyampuzha Grama Panchayat.	683581	22.10.2024	5,11,000	CSR00052141	Secretary, Ayyampuzha Grama Panchayat	Ayyampuzha P O, Angamaly, Ernakulam – 683581
30.	Support for purchase of a school bus for Assisi Asha Bhavan Special School for the mentally handicapped, Thalayolaparambu, Kottayam.	683105	30.01.2025	20,36,000	CSR00075265	Assisi Asha Bhavan Special School for the Mentally Challenged.	Thalayolaparambu P O, Kottayam – 683105
31.	Support for setting up a computer lab at Mahatma Gandhi College of Mass Communication, Chalappuram, Kozhikode.	673002	24.03.2025	8,85,000	CSR00072156	Hindustan Prakashan Trust	Kesari Bhavan, Chalappuram P O, Kozhikode – 673002
32.	Support for procurement of a vehicle for distribution of food to various wards in the hospital at Mental Health Centre, Perurkada, Thiruvananthapuram.	695043	04.12.2024	4,97,016	CSR00074709	The District Collector, Thiruvananthapuram	Civil Station, Kudappanakunnu P O, Thiruvananthapuram – 695043
33.	Support for renovation of OT and OP Block at Government Dental College, Thrissur.	680596	22.11.2024	23,59,740	Direct	Superintendent, Government Dental College	Medical College P. O, Thrissur – 680596
34.	Support for solarization in the main campus at Adi Sankara Nilayam, Chinamaya Viswa Vidyalaya, Peppathy, Ernakulam.	682313	19.11.2024	63,72,000	CSR00019852	Chinmaya International Foundation	Adi Sankara Nilayam, Adi Sankara Marg, Veliyanad PO, Ernakulam – 682313
35.	Support for setting up of computer skill development centre at Ramakrishna Math, Kayamkulam.	690502	04.12.2024	2,95,000	CSR00002806	Adhyaksha, Ramakrishna Math	Kayamkulam P O, Alappuzha – 690502

Sl. No.	Short particulars of the property or asset(s) [including complete address and location of the property]	Pincode of the property or asset(s)	Date of creation	Amount of CSR amount spent (₹)	Details of entity/ Authority/ beneficiary of the registered owner		
					CSR Registration Number, if applicable	Name	Registered address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
36.	Support for installation of smart class rooms with interactive digital board at Don Bosco Thattazham L P School, Vaduthala, Ernakulam.	682006	14.01.2025	5,90,000	CSR00001435	Don Bosco Welfare Centre Society	Palluruthy, Cochin – 682006
37.	Support to build a park to develop, design and maintain recreational space for children at Nazareth House, Karukutty, Ernakulam.	683582	07.11.2024	5,90,000	CSR00059721	Institute of the Sisters of Nazareth and the House of Refuge	Paduapuram P O, Karukutty, Ernakulam – 683582
38.	Support for construction of a day care centre for differently abled and procurement of a Maruti Eeco vehicle.	680312	03.01.2025	25,96,000	CSR00071228	Sevabharathi Pudukkad	Chengaloor P O, Thrissur – 680312
39.	Support for installation of solar lighting in University premises at CUSAT, Kalamassery, Ernakulam.	682022	27.01.2025	2,36,000	CSR00027765	The Registrar, Cochin University of Science and Technology	Cochin University P O, Kalamassery, Kochi – 682022
40.	Support for infrastructure development of palliative care training centre at District Hospital, Aluva.	683101	06.02.2025	11,21,000	CSR00073918	HMC Aluva District Hospital CSR Fund	District Hospital, Aluva – 683101
41.	Support for setting up of kids park at Government L P School, Kakkoor, Koothattukulam, Ernakulam.	686662	14.02.2025	3,03,260	CSR00049582	Secretary, Thirumarady Grama Panchayat	Thirumarady P O, Koothattukulam – 686662
42.	Support for improved mathematics lab at Government Model Higher Secondary School, Cheruvattoor, Ernakulam.	682030	24.02.2025	5,89,991	CSR00018797	Secretary, Ernakulam District Panchayat	Kakkanad P O, Ernakulam – 682030

Note: The table above contains only the details of capital assets created or acquired under CSR during FY 2024-25. Projects currently under development or in progress have been excluded to provide an accurate representation of completed and acquired assets.

Annexure III

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31.03.2025

[Pursuant to Section 204 (1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

We have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **COCHIN SHIPYARD LIMITED (CIN: L63032KL1972GOI002414)** (hereinafter called the "Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us with a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/ statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the **Company's** books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, the explanations and clarifications given to us and the representations made by the Management, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2025**, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have conducted verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed, and other records maintained by the Company for the financial year ended on 31st March, 2025 according to the provisions of:

(i) The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder.

(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder.

(iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings (not applicable during the audit period).

(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):

a) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.

b) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations").

c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (not applicable during the audit period).

d) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018.

e) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011.

f) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 (not applicable during the audit period).

h) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

i) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (not applicable during the audit period).

j) The Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations, 2018 (not applicable during the audit period).

(vi) As informed to us, the following other laws are specifically applicable to the Company:

a) The Factories Act,1948 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

b) The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemical Rules, 1989.

c) Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) Rules, 2008.

d) Batteries (Management and Handling) Rules, 2001.

e) The Industries (Development and Regulation) Act, 1951 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

f) The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Regulations and Bye-laws framed there under.

g) The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Regulations and Bye-laws framed there under.

h) The Environment (Protection) Act, 1986 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder.

i) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and the Rules framed thereunder.

j) The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 and the Rules framed thereunder.

k) The Right to Information Act, 2005 and the Rules framed thereunder.

l) The Electricity Act, 2003 and the Rules framed thereunder.

m) Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 ("CG Guidelines for CPSEs"); and

n) Guidelines on Corporate Social Responsibility and Sustainability for Central Public Sector Enterprises.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standard relating to Board (SS 1) and General Meetings (SS 2) issued by the Institute of Company Secretaries of India.

(ii) The Listing Agreement entered into by the Company with National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE").

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

(i) There was no sufficient number of independent directors (one short) on the board of the Company with effect from May 02, 2024 as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations and Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs. Further, there were no independent directors on the board of the Company with effect from November 22, 2024 as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations; Section 149 of the Act; and Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs.

(ii) There was no woman independent director on the board of the Company as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations; and a woman director as mandated under Section 149 of the Act with effect from November 22, 2024.

(iii) The Company does not have a duly constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of SEBI LODR Regulations; Section 177 of the Act; and Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Audit Committee as mandated under Regulation 18(2)(a) of SEBI LODR Regulations and Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs.

(iv) The Company does not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of SEBI LODR Regulations; Section 178 of the Act; and Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024.

(v) The Company does not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of SEBI LODR Regulations and Section 178 of the Act with effect from November 22, 2024.

(vi) The Company does not have a duly constituted Corporate Social Responsibility Committee as required under Section 135 of the Act with effect from November 22, 2024.

(vii) The Company does not have a duly constituted Risk Management Committee as required under Regulation 21 of SEBI LODR Regulations with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Risk Management Committee as mandated under Regulation 21 of SEBI LODR Regulations.

(viii) The requirement of quorum of at least one independent director as mandated under Regulation 17 of SEBI LODR Regulations was not met in the Board Meetings of the Company held on February 06, 2025 and March 28, 2025 as there were no independent directors with effect from November 22, 2024.

We have noticed that such non-compliances have been duly noted by the Board and appropriate requests for appointing sufficient number of independent directors including a woman independent director have been forwarded to the Government of India. The Company being a Central Public Sector Enterprise (CPSE), the power to appoint the Directors vests with the Government of India.

Shri Prithiviraj Harichandan, Non-Official (Independent) Director (DIN: 01351097) of the Company has resigned from the post vide his letter dated May 01, 2024, received by the Company on May 02, 2024 and the resignation was effective from the date of receipt of the same by the Company i.e., May 02, 2024. His resignation was on account of him contesting for the Odisha Legislative Assembly.

It is hereby informed that the tenure of the Non-Official (Independent) Directors of CSL viz., Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Shri Ashok Sharma (09414565), Shri Venkatesan M (DIN: 07667728) and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), who were appointed by the Ministry of Ports, Shipping & Waterways vide letter No. SY11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, for a period of three years have come to an end on November 21, 2024.

We further report that during the audit period fine has been levied by BSE for delay in record date intimation and by both BSE and NSE for Non-Compliance of Corporate Governance conditions as prescribed under SEBI LODR Regulations as follows:

Sl. No.	Particulars	Fine Amount	Levied by
1*	Non-Compliance with Regulation 60(2) of SEBI LODR Regulations viz., delay of one working day in intimating the record date fixed in November 2021 for payment of interest on the Company's 8.51% Tax Free, Secured Redeemable Non-Convertible Bonds (ISIN: INE704P07014).	Rs. 11,800/- (including GST)	BSE
2#	Non-Compliance with Regulation 17(1) of SEBI LODR Regulations w.r.t composition of Board of Directors (short of one independent director), during the quarter ended September 30, 2024.	Rs. 3,48,100/- each (including GST)	BSE and NSE
3#	Non-compliance with Regulation 17(1) (Composition of Board of Directors – Insufficient/ no independent directors including a woman director) and Regulations 18, 19, 20 & 21 (Non-compliance with the constitution of audit committee, nomination and remuneration committee, stakeholders' relationship committee and risk management committee) of the SEBI LODR Regulations during the quarter ended December 31, 2024.	Rs. 9,10,960/- each (including GST)	BSE and NSE

*Paid by the Company on May 15, 2024.

#The Company being a CPSE, the power to appoint the Directors vests with the Government of India. It is seen that appropriate requests for appointing sufficient number of independent directors including a woman independent director have been forwarded to the Government of India. It has been informed that since the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, appropriate requests for waiver of fines imposed will be filed with the stock exchanges in due course as per the extant Policy for Exemption of Fines.

We further report that:

The Board of Directors of the Company is constituted without proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors including Independent Directors as mentioned above with effect from November 22, 2024, due to non-appointment of Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act except as reported above.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings in compliance with the provisions of Section 173(3) of the Companies Act, 2013, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting except in the case of Shorter Notice.

Decisions at the meetings of the Board of Directors of the Company were carried out on the basis of majority and the same was captured and recorded as part of the minutes. There were no dissenting views by any member of the Board of Directors during the period under review.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with its size and the operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period there were no instances of:

(i) Issuance of securities including Public/ Right/ Preferential issue.

(ii) Major decisions taken by the members in pursuance to Section 180 of the Act.

(iii) Redemption of securities.

(iv) Buy-back of securities.

(v) Merger/amalgamation/ reconstruction.

(vi) Foreign technical collaborations.

This report is to be read with **Annexure A** of even date and the same forms an integral part of this report.

Yours faithfully,

For SEP & Associates
M. No.: 3050 COP No.: 2210.
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 3693/2023)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
M. No.: 3050 COP No.: 2210
UDIN: F003050G000296310

Place: Ernakulam
Date: 08.05.2025

ANNEXURE A TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT OF EVEN DATE

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

Our Secretarial Audit Report of even date is to be read along with this letter.

1. The compliance of the provisions of all laws, rules, regulations, and standards applicable to **COCHIN SHIPYARD LIMITED** (hereinafter called the "Company") is the responsibility of management of the Company. Our examination was limited to the verification of the records and procedures on test check basis for the purpose of issue of the Secretarial Audit Report.

2. Maintenance of the Secretarial and other records of applicable laws is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility as Secretarial Auditors is to issue a Secretarial Audit Report, based on the audit of the relevant record maintained and furnished to us by the Company, along with explanations where so required.

3. During the audit, we have followed the practices and process as were appropriate, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial and other records, legal compliance mechanism and corporate conduct. We believe that the process and practices we followed provide a reasonable basis for our Secretarial Audit Report.

4. The correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company have not been verified.

5. We have obtained the Management representation about the Compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc., wherever required. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

6. While forming an opinion on compliance and issuing the Secretarial Audit Report, we have also taken into consideration the compliance related actions taken by the Company after 31st March 2025 but before issue of the Report.

7. We have considered actions carried out by the Company based on independent legal/professional opinion as being in compliance with law, wherever there was scope for multiple interpretations.

For SEP & Associates
M. No.: 3050 COP No.: 2210.
Company Secretaries
(The Peer Review Certificate no. 3693/2023)

CS Puzhankara Sivakumar
Managing Partner
M. No.: 3050 COP No.: 2210
UDIN: F003050G000296310

Place: Ernakulam
Date: 08.05.2025

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Report on Corporate Governance

Company's Philosophy on Corporate Governance

1. Cochin Shipyard recognizes the importance of Corporate Governance to emerge as a model corporate. The Company has adopted policies and procedures which are aimed at effectively discharging its responsibilities to various stakeholders, viz., shareholders, creditors, customers, employees and society at large. CSL strongly believes that the Company can emerge as a strong global leader only by following good & sound Corporate Governance principles. The Company has been rated 'Excellent' in Corporate Governance practices as per the evaluation criteria prescribed by the Department of Public Enterprises consistently for the last several years.

Board of Directors

2. The Board of Directors of Cochin Shipyard Limited (CSL) plays a pivotal role in ensuring good Corporate Governance. The composition of the Board of the Company is governed by the provisions of the Companies Act, 2013, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) and the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises. The composition of the Board during the financial year ended March 31, 2025 is as follows:

Sl. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Category of Directorship
1.	Shri Madhu Sankunny Nair	07376798	Chairman & Managing Director
2.	Shri Bejoy Bhasker	08103825	Director (Technical)
3.	Shri Jose V J[1]	08444440	Director (Finance)
4.	Shri Sreejith K Narayanan[2]	09543968	Director (Operations)
5.	Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	05351383	Part-time Official Director (Government Nominee)
6.	Shri Biju Prabhakar IAS	03093072	Part-time Official Director (Government Nominee)
7.	Smt. Amrapali Prashant Salve[3]	09415405	Non-official (Independent) Director
8.	Shri Nahar Singh Maheshwari[3]	09419082	Non-official (Independent) Director
9.	Shri Ashok Sharma[3]	09414565	Non-official (Independent) Director
10.	Shri Prithiviraj Harichandan[4]	01351097	Non-official (Independent) Director
11.	Shri Venkatesan M[3]	07667728	Non-official (Independent) Director
12.	Shri Abhijit Biswas[3]	09419083	Non-official (Independent) Director

[1]The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, vide letter F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 03, 2024 extended the tenure of Shri Jose V J (DIN: 08444440) as Director (Finance) for a further period from August 01, 2024 till February 28, 2027, i.e. up to the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[2]Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), whose office as Director was liable to retire by rotation and being eligible was reappointed as the Director of the Company at the 52nd Annual General Meeting (AGM) of the Company held on September 30, 2024.

[3]The tenure of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Shri Venkatesan M (DIN: 07667728) and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), who were appointed as Non-official (Independent) Directors on the Board of CSL for a period of three years vide MoPSW letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated November 22, 2021, came to an end on November 21, 2024.

[4]Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) ceased to be a Non-official (Independent) Director of the Company w.e.f. May 02, 2024, consequent to his resignation on account of him contesting for the Odisha Legislative Assembly. He has confirmed that there is no other material reason for his resignation apart from the one stated above.

3. The profile of the Directors, including the nature of their expertise in specific functional areas, who are holding the Director post as on the date of this report is given in the first part of the Annual Report. The details of directorships and committee positions held by the Directors are provided under the heading 'Other Directorships and Committee positions' below.

4. Disclosure of relationship between Directors inter-se: Nil

5. None of the Directors of the Company served as members in more than ten committees or as Chairpersons in more than five committees across all listed companies in which they hold directorships. None of the Directors of the Company held Directorships in more than seven listed companies. Further, the Whole Time Directors, including the Chairman & Managing Director, did not hold directorships in any other listed companies. Also, none of the Independent Directors of the Company served as a Whole Time Director/ Managing Director in any listed company during their tenure as Independent Directors of the Company.

6. The Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, facilitates the participation of the Director in the Board/ Committee meetings through electronic mode. During the year under review, the Company has made the necessary arrangements for the Directors to attend the meetings through electronic mode and the Directors have made use of the said facility wherever required.

7. The meetings of the Board of Directors and Committees have been conducted in the manner as specified in SEBI Listing Regulations and the Companies Act, 2013.

Attendance of Directors at Board Meetings and Annual General Meeting (AGM)

8. Six Board Meetings were held during the year under review. Details of attendance of Directors at the Board Meetings and AGM are given below:

Name of Director	Board Meetings						AGM#
	2024				2025		2024
	Apr 22	May 24	Aug 08	Nov 07	Feb 06	Mar 28	Sep 30
Shri Madhu Sankunny Nair	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Bejoy Bhasker	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Jose V J	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Sreejith K Narayanan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	✓*	✓*	✓*	⊗	⊗	✓*	✓
Shri Biju Prabhakar IAS	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Smt. Amrapali Prasant Salve	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓
Shri Nahar Singh Maheshwari	✓	✓	✓	✓	N.A.	N.A.	✓
Shri Ashok Sharma	✓*	✓	✓*	✓	N.A.	N.A.	✓
Shri Prithiviraj Harichandan	✓*	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Shri Venkatesan M	✓*	✓*	✓*	✓	N.A.	N.A.	✓
Shri Abhijit Biswas	✓*	✓*	✓*	✓	N.A.	N.A.	✓

*attended through electronic mode.

#AGM held through electronic mode.

N.A. – Not Applicable.

Other Directorships and Committee positions

9. The total number of other Directorship(s) held by Directors and other positions of Membership/ Chairmanship on Committees, as on March 31, 2025 are given below:

Name of Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Madhu Sankunny Nair	2	2	-	-	-	-
Shri Bejoy Bhasker	-	2	-	-	-	-
Shri Jose V J	-	2	-	-	-	-
Shri Sreejith K Narayanan	-	2	-	-	-	-

Name of Director	No. of Directorship in other public limited companies		Board Committee positions held in other public limited companies		Name of other Listed Entity where the person is a Director	Category of Directorship in the Listed Entity
	Chairman	Member	Chairman	Member		
Shri Rajesh Kumar Sinha IAS	-	3	-	-	(i) Shipping Corporation of India Limited (ii) Shipping Corporation Of India Land And Assets Limited	Nominee Director
Shri Biju Prabhakar IAS	-	8	-	1	Konkan Railway Corporation Limited	Director

Notes

(i) The Directorships held by Directors as mentioned above does not include Alternate Directorships, Directorships in Private Limited Companies, Foreign Companies and Companies registered under Section 8 of the Companies Act, 2013.

(ii) Memberships/ Chairmanships of only the Audit Committees and Stakeholders Relationship Committees of all Public Limited Companies and Government Companies have been considered.

10. None of the Directors except the following hold any shares in the Company as on March 31, 2025:

Name of the Director	No. of Equity Shares Held
Shri Madhu Sankunny Nair	2,000

Skills/ expertise/ competence of the Board

11. CSL being a Government Company, all of its Directors are appointed/ re-appointed by the President of India through the Administrative Ministry. The skills/ expertise/ competency of the Board as required in the context of the business pertaining to the Company are identified by the Government of India and accordingly selection of Directors on the Board of the Company is made by the Government. As such, all the Board Members of the Company have expertise and competency as per the industry requirement.

Independent Directors

12. CSL had six Independent Directors, including a Woman Director, in compliance with Regulation 17 of the SEBI Listing Regulations till May 01, 2024. However, Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097) ceased to be a Non-official (Independent) Director of the Company w.e.f. May 02, 2024, consequent to his resignation on account of him contesting for the Odisha Legislative Assembly. Further, the remaining five Independent Directors vacated their office on November 21, 2024, consequent to the completion of their tenure of appointment prescribed by the Government of India. CSL has provided necessary intimations to the Administrative Ministry for filling up the post of Independent Directors including a Woman Director.

13. Being a Central Public Sector Undertaking, the Independent Directors of the Company are appointed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India, initially for a term of 3 years or until further orders whichever is earlier. The main terms of appointment can be accessed at https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

14. Familiarization programme for Independent Directors generally form part of the Board process. The Independent Directors are updated on an ongoing basis at the Board/ Committee meetings, inter alia, on the following:

- Nature of industry in which the Company operates;
- Business environment and operational model of various business divisions of the Company including important developments thereon; and
- Important changes in regulatory framework having impact on the Company.

15. Details of the familiarization programme for Independent Directors can be accessed at https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

16. In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfilled the conditions specified in the SEBI Listing

Regulations and were independent of the management during their term of appointment.

Meetings of Independent Directors

17. According to Schedule IV to the Companies Act, 2013 separate meetings of the Independent Directors of the Company was held during the financial year 2024-25 on July 15, 2024 and November 07, 2024 and all the Independent Directors were present in these meetings.

Availability of information to the members of the Board

18. The Board has complete access to any information within the Company and to any employee of the Company. The Board welcomes the presence of executives in the Board meetings, who can provide additional insights into the issues being discussed in the meeting. The information normally required to be placed before the Board include the following:

    (a) To make calls on shareholders in respect of money unpaid on shares.

    (b) To authorize buy-back of securities.

    (c) To issue securities including debentures, in India or abroad.

    (d) To borrow monies.

    (e) To invest funds of the Company.

    (f) To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans.

    (g) To approve financial statement and Board's Report.

    (h) To diversify the business of the Company.

    (i) To approve amalgamation, merger or reconstruction.

    (j) To take over a company or acquire a controlling interest or substantial stake in another company.

    (k) To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP).

    (l) To appoint internal auditor and secretarial auditor.

    (m) General notices of interest of Directors.

    (n) Terms of reference of Board Committees.

    (o) Minutes of meetings of Audit Committee and other Committees of the Board, resolutions passed by circulation and also the minutes of Board meetings of subsidiary companies.

    (p) Annual operating plans of businesses, capital budgets and any updates.

    (q) Quarterly results of the Company and its operating divisions or business segments.

    (r) Declaration of dividend.

    (s) Sale of investments, subsidiaries and assets which are material in nature and not in normal course of business.

    (t) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by the management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

    (u) Internal audit findings and external audit reports (through the Audit Committee).

    (v) Status of business risk exposures, its management and related action plans.

    (w) Details of any joint venture or collaboration agreement.

    (x) Show cause, demand, prosecution notices and penalty notices which are materially important.

    (y) Fatal or serious accidents, dangerous occurrences, any material effluent or pollution problems.

    (z) All policy matters deliberated and introduced for implementation.

    (aa) Any material default in financial obligations to and by the Company, or substantial non-payment for goods sold by the Company.

    (bb) Any issue which involves possible public or product liability claims of substantial nature, including any judgment or order, which may have passed strictures on the conduct of the Company or taken an adverse view regarding another enterprise that can have negative implications on the Company.

    (cc) The information on recruitment and remuneration of senior officers just below the Board level including appointment or removal of Chief Financial Officer and the Company Secretary.

    (dd) Non-compliance of any regulatory, statutory or listing requirements and shareholders service such as non-payment of dividend, delay in share transfer etc.

    (ee) Significant labour problems and their proposed solutions. Any significant development in human resources/industrial relations front like implementation of Voluntary Retirement Scheme (VRS) etc.

(ff) Capital budgets and any updates.

(gg) Transactions that involve substantial payment towards goodwill, brand equity or intellectual property.

(hh) Quarterly details of foreign exchange exposures and the steps taken by management to limit the risks of adverse exchange rate movement, if material.

Board material distributed in advance

19. Notice of each Board meeting and Committee meeting is sent to all the members not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting. The agenda notes for each Board/ Committee meeting is drafted in consultation with the Chairman and are circulated to the Directors not less than seven days in advance except when it is convened as emergency meeting with the concurrence of all Board/ Committee members. All material information is incorporated in the agenda papers for facilitating meaningful and focused discussions at the meeting. Where it is not practicable to attach any document to the agenda, the same is tabled at the meeting with specific reference to the subject in the agenda. In special and exceptional circumstances, additional or supplementary item(s) on the agenda are permitted with the consent of all Directors present at the meeting.

20. CSL digitalised its meetings by introduction of a Board Management software viz., Dess Digital Meetings, which enables to securely create, distribute and manage meeting documents in digital format. It ensures that the Board and the Committee members get the communication at the right time and securely. This Board management software will streamline the entire meeting process right from the preparation of agenda papers till the finalisation of minutes of the meetings, which will in turn save time, effort & cost and improve governance.

Recording Minutes of proceedings at Board and Committee meeting

21. The Company Secretary records the minutes of the proceedings of each Board and Committee meetings. Draft minutes are circulated to all the members of the Board/ Committee for their comments within fifteen days from the conclusion of the meeting. The final minutes are entered in the minutes book within 30 days from the conclusion of the meeting.

Post Meeting Follow up Mechanism

22. The important decisions taken at the Board/ Committee meetings are promptly communicated to the departments/ divisions concerned. The status of implementation of major decisions are apprised to the Board/ Committee in the ensuing meetings, wherever required.

Compliance

23. The Company Secretary while preparing the agenda notes, minutes etc. of the meeting(s) is responsible for and is required to ensure adherence to all the applicable laws and regulations including the Companies Act, 2013 read with the Rules issued thereunder and also the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India and notified by the Government of India.

Board Committees

24. During the financial year 2024-25, the Board of CSL had five statutory Committees viz., Audit Committee, Nomination & Remuneration Committee, Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Committee, Stakeholders Relationship Committee and Risk Management Committee.

25. Consequent to vacation of all Independent Directors with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Statutory Committees with effect from November 22, 2024. Accordingly, until the Committees are reconstituted with sufficient number of Independent Directors, the proposals are being directly considered by the Board.

Audit Committee

26. The Audit Committee of CSL was formed on August 21, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on May 02, 2024. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Audit Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

27. The following are the terms of reference of the Audit Committee:

(i) Oversight of the listed entity's financial reporting process and the disclosure of its financial information to ensure that the financial statement is correct, sufficient and credible;

(ii) Recommendation for appointment, remuneration and terms of appointment of auditors of our

Company based on the order of Comptroller & Auditor General of India;

(iii) Approval of payment to statutory auditors for any other services rendered by the statutory auditors;

(iv) Reviewing, with the management, the annual financial statements and auditor's report thereon before submission to the Board for approval, with particular reference to:

(a) Matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the Board's report in terms of clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013;

(b) Changes, if any, in accounting policies and practices and reasons for the same;

(c) Major accounting entries involving estimates based on the exercise of judgment by management;

(d) Significant adjustments made in the financial statements arising out of audit findings;

(e) Compliance with listing and other legal requirements relating to financial statements;

(f) Disclosure of any related party transactions; and

(g) Modified opinion(s) in the draft audit report.

(v) Reviewing, with the management, the quarterly financial statements before submission to the Board for approval;

(vi) Reviewing, with the management, the statement of uses/ application of funds raised through an issue (public issue, rights issue, preferential issue, etc.), the statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice and the report submitted by the monitoring agency, monitoring the utilisation of proceeds of a public or rights issue, and making appropriate recommendations to the Board to take up steps in this matter;

(vii) Reviewing and monitoring the auditor's independence and performance, and effectiveness of audit process;

(viii) Approval or any subsequent modification of transactions of our Company with related parties;

(ix) Scrutiny of inter-corporate loans and investments;

(x) Valuation of undertakings or assets of our Company, wherever it is necessary;

(xi) Evaluation of internal financial controls and risk management systems;

(xii) Reviewing, with the management, performance of statutory and internal auditors, adequacy of the internal control systems;

(xiii) Reviewing the adequacy of internal audit function, if any, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure coverage and frequency of internal audit;

(xiv) Discussion with internal auditors of any significant findings and follow up there on;

(xv) Reviewing the findings of any internal investigations by the internal auditors into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and reporting the matter to the Board;

(xvi) Discussion with statutory auditors before the audit commences, about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;

(xvii) To look into the reasons for substantial defaults in the payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;

(xviii) To review the functioning of the whistle blower mechanism;

(xix) Approval of appointment of chief financial officer after assessing the qualifications, experience and background, etc. of the candidate;

(xx) Review the following information:

(a) Management discussion and analysis of financial condition and results of operations;

(b) Statement of significant related party transactions (as defined by the audit committee), submitted by management;

(c) Management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the statutory auditors;

(d) Internal audit reports relating to internal control weaknesses;

(e) The appointment, removal and terms of remuneration of the chief internal auditor shall be subject to review by the Audit Committee; and

(f) Statement of deviations:

(i) Quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency, if applicable, submitted to stock exchange(s) in terms of Regulation 32(1) of the SEBI Listing Regulations;

(ii) Annual statement of funds utilized for purposes other than those stated in the offer document/ prospectus/ notice in terms of Regulation 32(7) of the SEBI Listing Regulations;

(xxi) To review the follow up action on the audit observations of the C&AG audit;

(xxii) Recommend the appointment, removal and fixing of remuneration of Cost Auditors and Secretarial Auditors;

(xxiii) Audit Committee shall also review the utilization of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding Rupees 100 crores or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision;

(xxiv) Review of compliance with the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended, at least once in a financial year;

(xxv) Verify that the systems for internal control required to be maintained pursuant to the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 as amended are adequate and are operating effectively; and

(xxvi) Carrying out any other function as specified by the Board from time to time.

Powers of the Audit Committee

28. The Committee is entrusted with the following powers:

(a) To investigate any activity within its terms of reference;

(b) To seek information on and from any employee;

(c) To obtain outside legal or other professional advice, subject to the approval of the Board of Directors; and

(d) To secure attendance of outsiders with relevant expertise, if it considers necessary.

29. The recommendations of the Audit Committee on any matter relating to the financial management, including the audit report, shall be binding on the Board.

30. If the Board does not accept the recommendations of the Audit Committee, it shall record the reasons thereof and communicate such reasons to the shareholders.

Constitution

31. As on November 21, 2024, the Audit Committee of CSL comprised of Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director and Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as members. Since all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Audit Committee with effect from November 22, 2024. Further, during the year, the Committee was reconstituted once on May 02, 2024, consequent to the resignation of Shri Prithiviraj Harichandan (DIN: 01351097), the then Chairperson of Audit Committee. Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083) was designated as the new Chairperson and Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082) was inducted as a member of the Committee alongside Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565).

32. Audit Committee meetings are also attended by Director (Finance), representatives of Secretarial Auditors, Statutory Auditors and Internal Auditors of the Company as invitees. The Internal audit function has been outsourced to a firm of Chartered Accountants. The Company Secretary acts as the Secretary to the Committee.

Audit Committee meetings held during 2024-25 and attendance

33. The Committee met three times during the year 2024-25. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	2024		
		May 24	Aug 08	Nov 07
1.	Shri Prithiviraj Harichandan	N.A.	N.A.	N.A.
2.	Shri Abhijit Biswas	✓*	✓*	✓
3.	Shri Ashok Sharma	✓	✓*	✓
4.	Shri Nahar Singh Maheshwari	✓	✓	✓

*attended through electronic mode.

N.A. – Not Applicable.

Nomination & Remuneration Committee

34. The Nomination & Remuneration Committee of CSL was constituted vide Circular Resolution adopted on December 13, 2008. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on January 02, 2023. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Nomination & Remuneration Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

35. Following are the terms of reference of the Nomination & Remuneration Committee:

    (i) Decide on the annual bonus/ performance pay/ variable pay pool and policy for its distribution across the executives and non-unionized supervisors of our Company;

    (ii) Formulation and modification of schemes for providing perks and allowances for officers and non-unionized supervisors;

    (iii) Any new scheme of compensation like medical scheme, pension etc. to officers, non-unionized supervisors and the employees as the case may be; and

    (iv) Exercising such other roles assigned to it by the provisions of the SEBI Listing Regulations and any other laws and their amendments from time to time.

Constitution

36. As on November 21, 2024, the Nomination & Remuneration Committee comprised of Shri Ashok Sharma (DIN: 09414565), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Biju Prabhakar (DIN: 03093072), Part-time Official Director (Government Nominee) and Shri Abhijit Biswas (DIN: 09419083), Non-official (Independent) Director as members. Since all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Committee with effect from November 22, 2024.

Nomination & Remuneration Committee meetings held during 2024-25 and attendance

37. The Committee met twice during the year 2024-25. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Apr 22, 2024	Aug 08, 2024
1.	Shri Ashok Sharma	✓*	✓*
2.	Shri Biju Prabhakar	✓	⊗
3.	Shri Abhijit Biswas	✓*	✓*

*attended through electronic mode.

Remuneration Policy

38. Under Article 21(a) of the Articles of Association of the Company, the Directors shall be paid such remuneration as the President of India may from time to time determine. The pay and allowances of Board level executives are paid in accordance with the terms of appointment, Department of Public Enterprises (DPE) Guidelines on the above subject and other benefits and perquisites in accordance with the rules of CSL. The remuneration of below Board level executives and non-unionized supervisors is as per DPE guidelines and as approved by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways). The remuneration of workers is as per the Long-Term Settlement between the management and recognized trade unions.

39. Details of remuneration paid to the Whole Time Directors is given below:

(₹ Lakhs)

Sl. No.	Name and Designation	Total of Basic Pay, DA, HRA & other Perks & Allowances	Performance Related Payment (PRP)	Total
1.	Shri Madhu Sankunny Nair Chairman & Managing Director	58.50	15.99	74.49
2.	Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	55.79	10.69	66.48
3.	Shri Jose V J Director (Finance)	48.63	9.79	58.42
4.	Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations)	53.31	9.22	62.53

Notes

(i) The PRP mentioned in the above table pertains to the period 2022-23, paid during 2024-25. The PRP paid to the Whole Time Directors is as per the Performance Payment Scheme applicable to all executives and non-unionized supervisors of the Company, framed in line with the DPE Guidelines.

(ii) The remuneration, tenure and other terms and conditions of appointment of Whole Time Directors are as per the letter issued by the Administrative Ministry (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) in line with the government guidelines. The Whole Time Directors are appointed for a period of 5 years with effect from the date of assumption of charge of the post or till the date of superannuation or until further orders whichever event occurs the earliest. Notice period in case of leaving service before the contractual term is 3 months or in the absence of notice period, 3 months' pay may be remitted.

(iii) During the year, no Stock Options were issued by the Company to Whole Time Directors.

Sitting fees

40. The Non-official (Independent) Directors are paid sitting fees at the rate of ₹30,000 for attending each meeting of the Board or Committee thereof. The Part-time Official Directors (Government Nominees) are not paid any remuneration. The criteria for making payment to Non-Executive Directors is available in the Company's website at the following link: https://cochinshipyard.in/board-of-directors/independent.

41. Sitting fees paid to the Non-official (Independent) Directors for 2024-25 are as follows:

Sl. No.	Name	Fees (in ₹)
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	3,00,000.00
2.	Shri Nahar Singh Maheshwari	3,60,000.00
3.	Shri Ashok Sharma	3,30,000.00
4.	Shri Prithiviraj Harichandan	30,000.00
5.	Shri Venkatesan M	2,10,000.00
6.	Shri Abhijit Biswas	3,60,000.00

42. Since the Non-official (Independent) Directors are appointed by the President of India, the evaluation of performance of such Directors are also done by the Government of India. However, during the year the Board had evaluated the Non-official (Independent) Directors of the Company vis-à-vis their performance and fulfilment of the independence criteria and found the same to be satisfactory.

Stakeholders' Relationship Committee

43. The Stakeholders' Relationship Committee of CSL was constituted on September 20, 2016. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on December 20, 2021. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Stakeholders' Relationship Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

44. Following are the terms of reference of the Stakeholders' Relationship Committee:

(i) Resolving the grievances of the security holders of the company including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of annual report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.;

(ii) Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;

(iii) Review of adherence to the service standards adopted by the listed entity in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent; and

(iv) Review of the various measures and initiatives taken by the listed entity for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ annual reports/ statutory notices by the shareholders of the company.

Constitution

45. As on November 21, 2024, the Stakeholders' Relationship Committee comprised of Shri Venkatesan M (DIN: 07667728), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members. Since all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Committee with effect from November 22, 2024.

Stakeholders' Relationship Committee meetings held during 2024-25 and attendance

46. One meeting of the Stakeholders' Relationship Committee was held during 2024-25. The necessary quorum was present at this meeting. The attendance during this meeting was as follows:

Sl. No.	Name of the Member	Nov 07, 2024
1.	Shri Venkatesan M	✓
2.	Shri Bejoy Bhasker	✓
3.	Shri Jose V J	✓

Name, designation and address of the Compliance Officer

Shri Syamkamal N
Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Status of Investor Complaints as on March 31, 2025 reported under Regulation 13(3) of the SEBI Listing Regulations

Complaints as on April 01, 2024	2
Received during the financial year	35
Resolved during the financial year	37
Not solved to the satisfaction of shareholders	0
Pending as on March 31, 2025	0

Risk Management Committee

47. The Risk Management Committee of CSL was constituted in line with the SEBI Listing Regulations on February 08, 2019. Since then the Committee has been reconstituted a few times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on October 14, 2022. Prior to the constitution of the Committee, the risks had been periodically reviewed by the Board and the Audit Committee. As all Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Risk Management Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

48. Following are the terms of reference of Risk Management Committee:

(i) Monitoring and reviewing of the risk management plans including steps taken for ensuring cyber security;

(ii) Ensure required risk documentation is done on quarterly basis;

(iii) Provide updates and seek approval from Board of Directors on risk management; and

(iv) Such other functions as may be specified by the Board from time to time.

Constitution

49. As on November 21, 2024, the Risk Management Committee comprised of Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical), Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) and Shri Sreejith K Narayanan (DIN: 09543968), Director (Operations) as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Committee with effect from November 22, 2024.

Risk Management Committee meetings held during 2024-25 and attendance

Sl. No.	Name of the Member	Sep 20, 2024
1.	Smt. Amrapali Prashant Salve	✓
2.	Shri Bejoy Bhasker	✓
3.	Shri Jose V J	✓
4.	Shri Sreejith K Narayanan	✓

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee

50. A sub-committee of the Board was constituted vide resolution no. 181/09 at the 181st meeting of the Board held on September 05, 2008 to decide on the matters relating to Corporate Social Responsibility.

51. The Sustainable Development Committee was constituted at the 197th Board Meeting held on November 23, 2011. The DPE vide OM No.3(9)/2010-DPE(MoU) dated

September 23, 2011 has issued detailed guidelines on Sustainable Development in CPSEs.

52. Company decided to merge the Corporate Social Responsibility Committee and Sustainable Development Committee to decide the matters relating to CSR activities in line with the guidelines laid down under Schedule VII of the Companies Act, 2013. Accordingly, the aforesaid two committees were merged into Corporate Social Responsibility and Sustainable Development (CSR & SD) Committee pursuant to the circular resolution dated March 08, 2013. Since then the Committee has been reconstituted several times on account of change in Directors and the latest reconstitution was on December 20, 2021. As all the Independent Directors vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the CSR & SD Committee with effect from November 22, 2024.

Terms of reference

53. The following are the terms of reference of the CSR & SD Committee:

    (i) Recommend CSR and sustainability development policy to the Board;

    (ii) Recommend plan of action and projects to be initiated in the short, medium and long term for CSR and sustainability development;

    (iii) To recommend the annual CSR and sustainability development plan and budget; and

    (iv) Periodic review of CSR and sustainability development policy, plans and budgets.

Constitution

54. As on November 21, 2024, the CSR & SD Committee comprised of Shri Nahar Singh Maheshwari (DIN: 09419082), Non-official (Independent) Director as Chairperson, Smt. Amrapali Prashant Salve (DIN: 09415405), Non-official (Independent) Director, Shri Bejoy Bhasker (DIN: 08103825), Director (Technical) and Shri Jose V J (DIN: 08444440), Director (Finance) as members. Since all the Independent Directors had vacated their office with effect from November 22, 2024 on completion of tenure of their appointment prescribed by the Government of India, CSL could not reconstitute the Committee with effect from November 22, 2024.

CSR & SD Committee meetings held during 2024-25 and attendance

55. Three meetings of the CSR & SD Committee were held during the year 2024-25. The necessary quorum was present at these meetings. The attendance during these meetings were as follows:

Sl. No.	Name of Director	2024		
		Apr 17	Aug 08	Nov 07
1.	Shri Nahar Singh Maheshwari	✓*	✓	✓
2.	Smt. Amrapali Prashant Salve	✓*	✓	✓
3.	Shri Bejoy Bhasker	✓*	✓	✓
4.	Shri Jose V J	✓	✓	✓

*attended through electronic mode.

General Body Meetings

56. The date, time and venue of the last three Annual General Meetings are given below:

Year	Date	Time	Venue	Special resolution passed
2023-24	Sep 30, 2024	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil
2022-23	Sep 28, 2023	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	Nil
2021-22	Sep 29, 2022	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting was held through electronic mode	7

Postal Ballot

57. During the financial year 2024-25, no resolution was put through by postal ballot.

58. None of the business proposed to be transacted in the ensuing AGM requires the passing of a special resolution by way of postal ballot.

59. Further, there is no immediate proposal for passing any resolution through postal ballot. However, if required, the same shall be passed in compliance with the applicable statutory provisions.

Particulars of Senior Management Personnel

60. CSL has categorized the executives of the Company in the rank of General Managers and above, Unit Heads, Head of Internal Audit and the Company Secretary as the Senior Management personnel as required under Regulation 16(1)(d) of the SEBI Listing Regulations. The particulars of Senior Management personnel during the financial year ended March 31, 2025 are as follows:

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri Rajesh Gopalakrishnan	ED (Ship Repair)
2.	Dr. Harikrishnan S	ED (Ship Building)
3.	Shri Eldho John	CGM (Technical)
4.	Shri Shiraz Villantekathu Puthiyapurayil	CGM (Planning & PM)
5.	Shri Deepu Surendran	CGM (C-SAS)
6.	Smt. Anjana K R	CGM (Design)
7.	Shri Sivakumar A	GM (Ship Repair)
8.	Shri Sunil Kumar K R	GM (IAC & Defence Projects)
9.	Shri Jayan K Thampi	GM (Ship Building)
10.	Shri Sivaram Narayana Swamy	GM (BD–SB)
11.	Shri Subash A K	GM (HR & LD)
12.	Shri Santhosh Philip	GM (Materials)
13.	Shri Shibu John	GM (Finance)
14.	Shri Harikumar K	GM (Strategy & New Initiatives)
15.	Smt. Mary Ranjit Abraham	DGM (Internal Audit) – Head of Internal Audit
16.	Shri Sanil Peter	DGM (CKSRU) – Unit Head
17.	Shri Shyamkumar G	DGM (CMSRU) – Unit Head
18.	Shri Sreekanth Veerappan	DGM (CANSRU) – Unit Head
19.	Shri Syamkamal N	Company Secretary

61. During the financial year 2024-25, there were no changes in the Senior Management personnel except as stated below.

Sl. No.	Name	Remarks
(i)	Shri Neelakandhan A N	Retired from the services of the Company on account of superannuation on August 31, 2024.

Means of Communication

62. All price-sensitive information and matters that are material to shareholders are disclosed to the respective Stock Exchanges, where the securities of the Company are listed. All submission to the Exchanges is made through the respective electronic filing systems.

63. The financial results for the quarter/ half-year/ year were published as under:

Quarter/ half-year/ year	In the month of
Quarter ending June 30, 2024	August, 2024
Quarter/ half-year ending September 30, 2024	November, 2024
Quarter ending December 31, 2024	February, 2025
Year ending March 31, 2025	May, 2025

64. Quarterly/ half-yearly/ annual results, notices and information relating to General Meetings etc. are published in leading newspapers viz., Business Line/ Business Standard (all editions), Mathrubhumi (Kochi edition) and Jansatta (all editions) and are notified to the Stock Exchanges as required under the SEBI Listing Regulations.

65. The quarterly/ half-yearly/ annual financial results and other communication to shareholders and Stock Exchanges, inter alia including presentations to institutional investors & analysts, press releases etc., are made available in the Company's website www.cochinshipyard.in under 'INVESTORS' section. They are also filed with the National Stock Exchange of India Limited (NSE) through NSE Electronic Application Processing System (NEAPS) and with BSE Limited (BSE) through BSE online portal.

General Shareholder Information

66. Annual General Meeting for FY 2025

Date	Time	Venue
September 29, 2025	11:00 hrs.	Not Applicable since the meeting is being held through electronic mode

67. Financial Year: April 01, 2024 to March 31, 2025.

Dividend Payment

68. The final dividend for the year ended March 31, 2025, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, on or before October 28, 2025. The Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/ demand drafts in other cases.

69. The particulars of total dividend declared in the previous three financial years are given below:

(₹)

Financial Year	Final Dividend per Equity Share		Interim Dividend per Equity Share			
			01st		02nd	
	Amount	Face Value	Amount	Face Value	Amount	Face Value
2024-25	2.25	5	4.00	5	3.50	5
2023-24	2.25	5	8.00	10	3.50	5
2022-23	3.00	10	7.00	10	7.00	10

Unclaimed Dividend and Shares – Transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

70. Pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, dividend which remains unpaid/ unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to unpaid dividend account shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), a Fund constituted by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. Further, all the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more shall also be transferred in the name of IEPF.

71. The Company sends reminder letters to the shareholders, advising them to lodge their claim for unpaid dividend. Until the financial year 2024-25, no unpaid dividend or shares were due for transfer to IEPF. The first transfer of unpaid/ unclaimed dividend (Final Dividend for the year 2017-18) and eligible equity shares to IEPF is due on September 15, 2025. The list of shareholders whose shares/ dividend are due for transfer to IEPF are available in the Company's website at the link: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

72. Please note that the shareholders can claim the dividend/ shares transferred to IEPF by following the procedure prescribed under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

Listing of shares

73. The Company's equity shares are listed at the following Stock Exchanges and the listing fees for the year 2024-25 has been paid to the Stock Exchanges.

    (i) BSE Limited
    Phiroze Jeejeebhoy Tower
    Dalal Street, Mumbai – 400001

    (ii) National Stock Exchange of India Limited
    Exchange Plaza, C-1, Block G
    Bandra Kurla Complex
    Bandra (E)
    Mumbai – 400051

74. The International Securities Identification Number (ISIN) for the Company's shares is INE704P01025.

Details of securities suspended

Not applicable.

Registrar and Transfer Agents (RTA)

MUFG Intime India Private Limited
(Formerly known as Link Intime India Private Limited)
Surya, 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar
Sowripalayam Road, Coimbatore
Tamil Nadu – 641028
Tel: +91 (422) 2314792, 2315792
E-mail: coimbatore@in.mpms.mufg.com

Share Transfer System

75. The Company's shares being in the compulsory demat list, are transferable through the depository system.

Distribution of Shareholding

76. Distribution of shareholding based on number of folios as on March 31, 2025.

No. of shares held	Members		Shares	
	No.	%	No.	%
1-500	1026179	98.84	37770774	14.35
501-1000	7580	0.73	5528814	2.10
1001-2000	2771	0.27	4074570	1.55
2001-3000	684	0.07	1705993	0.65
3001-4000	311	0.03	1125110	0.43
4001-5000	196	0.02	911323	0.35
5001-10000	260	0.02	1849741	0.70
>10000	253	0.02	210114455	79.87
Total	**1038234**	**100.00**	**263080780**	**100.00**

Dematerialization of shares and liquidity

77. The Company's shares are compulsorily traded in dematerialized form and are available on both the depositories viz., NSDL and CDSL.

Percentage of shares held in

Physical form	:	0.00
Electronic form with NSDL	:	84.54
Electronic form with CDSL	:	15.46

78. The Company's equity shares are regularly traded on the BSE and NSE.

Outstanding Global Depository Receipts (GDRs) or American Depository Receipts (ADRs) or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity

None.

Foreign exchange risk and hedging of activities

79. The Company has formulated a Forex Risk Management Policy duly approved by the Board and the forex exposures are being hedged depending upon the market conditions.

80. The Company is also keeping a constant watch on the forex market fluctuations and has been exploring various options of foreign currency borrowings like buyer's credit etc. as part of effective working capital management. Status of the forex exposure and the hedging position is reviewed by the Audit Committee, Risk Management Committee and the Board, wherever applicable.

Plant locations

- CSL Kochi Main Unit – Shipbuilding & Ship Repair facility at Perumanoor P O, Kochi – 682015
- CSL International Ship Repair Facility (ISRF) at Cochin Port Premises, Willingdon Island, Kochi – 682003
- CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) at Mumbai Port Premises, Mumbai – 400001
- CSL Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU) at Syama Prasad Mookerjee Port Premises, Kolkata – 700024
- CSL Andaman & Nicobar Ship Repair Unit (CANSRU) at Marine Dockyard, Port Blair – 744101

Address for Correspondence

Company Secretary & Compliance Officer
Cochin Shipyard Limited
Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306
Email: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

Credit Ratings

Instrument	ISIN	Rating	Revisions, if any, during FY 2024-25
8.72% Tax Free Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	INE704P07030	AAA by India Ratings and Research (Ind-Ra) and Care Ratings	Nil

Other Disclosures

Related Party Transactions

81. During the year under review, there were no materially significant related party transactions that had or may have conflict with the interest of the Company at large. The Company has a policy for related party transactions, which can be accessed at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Non-compliance by the Company

82. No penalties/ strictures have been imposed on the Company by the Stock Exchanges or Securities and Exchange Board of India (SEBI) or any other statutory authority on any matter relating to capital markets during the last three years except the following:

Year	Name of Authority	Nature of non-compliance	Period of non-compliance	Amount of fine/ penalty imposed	Remarks
2024-25	BSE	Delay of one working day in intimating the record date fixed in November 2021 for payment of interest on the Company's 8.51% Tax Free, Secured Redeemable Non-Convertible Bonds	Quarter ended Dec 31, 2021	₹11,800 (incl. GST)	The Company has paid the fine within the prescribed time.
	BSE & NSE	Non-compliance w.r.t composition of Board of Directors (short of one Independent Director)	Quarter ended Sep 30, 2024	₹3,48,100 each (including GST @ 18%)	CSL, being a CPSE, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company has forwarded appropriate requests to the Government of India for filling up the vacancies of Independent Directors including a Woman Director. In view of the fact that the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, appropriate requests for waiver of fines imposed will be filed with the stock exchanges in due course as per the extant Policy for Exemption of Fines. The stock exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
	BSE & NSE	Non-compliance w.r.t composition of Board of Directors (insufficient/ no Independent Directors including a Woman Director) and constitution of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee and Risk Management Committee	Quarter ended Dec 31, 2024	₹9,10,960 each (incl. GST @18%)	

83. As on March 31, 2025, there are no Independent Directors (including Woman Director) on the Board of CSL as against the statutory requirement of six. Shri Prithiviraj Harichandan ceased to serve as a Non-official (Independent) Director w.e.f. May 02, 2024 following his resignation to contest in the Odisha Legislative Assembly election and the remaining five Non-official (Independent) Directors vacated their positions on November 21, 2024 upon completion of their tenure prescribed by the Government of India. The said vacancies have been intimated to the Government of India. Further, the Statutory Committees will also be reconstituted on appointment of sufficient number of Independent Directors.

Vigil Mechanism and Whistle Blower Policy

84. CSL had adopted a Whistle Blower Policy approved by the Board at its 198th meeting held on February 22, 2012, which was amended at the 228th Board meeting held on December 14, 2016. Further, in line with the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises issued by the Department of Public Enterprises, CSL had adopted a Fraud Prevention and Detection Policy at the 214th Board Meeting held on September 16, 2014. Since the larger objective of both policies was similar, CSL adopted a combined policy viz., Whistle Blower and Fraud Prevention Policy at the 252nd Board Meeting held on November 12, 2019. The said policy is available in the website of the Company at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68. CSL is a Government of India undertaking and follows Government guidelines on reporting of any illegal or unethical practices. Directors/ employees/ stakeholders/ representative bodies of employees are given freedom to report to their immediate Supervisor/ Chief Vigilance Officer or Chairman & Managing Director, details of any violation of rules, regulations and unethical conduct. The Directors and Senior Management are bound to maintain confidentiality of such reporting and ensure that the whistle blowers are afforded protection against any harassment and not subjected to any discriminatory practices. During the period under report no personnel has been denied access to the Audit Committee.

Code of Conduct for Prevention of Insider Trading

85. The Company has in place a Code of Conduct for Prevention of Insider Trading in compliance with the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015. The Code lays down guidelines, which advise on procedures to be followed and disclosures to be made, while dealing with the shares of the Company, and cautioning them of the consequences of violations. The Code of Conduct for Prevention of Insider Trading is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Mandatory Requirements

86. A comprehensive report on the status of compliance with all the applicable corporate laws, rules and regulations by the Company is placed before the Board on a quarterly basis for their information and review. The Company has complied with all the mandatory requirements of the Code of Corporate Governance as specified in Regulations 17 to 27 and Clauses (b) to (i) of Sub-regulation (2) of Regulation 46 of the SEBI Listing Regulations, except with respect to the composition of Board of Directors viz., appointment of Independent Directors including a Woman Director and consequent compliances related to Statutory Committees.

Non-Mandatory Requirements

87. The Company has complied with the following non-mandatory requirements of the SEBI Listing Regulations relating to Corporate Governance. The status of compliance with the non-mandatory requirements listed in Regulation 27(1) read with Part E of Schedule II of the SEBI Listing Regulations is as under:

- During the year under review, there is no audit qualification in the Company's financial statements. The Company continues to adopt best practices to ensure regime of unmodified audit position.
- Separate meetings of Independent Directors, without the presence of Non-independent Directors and members of the management, were held during the financial year on July 15, 2024 and November 07, 2024 which was attended by all the Independent Directors of the Company.

Subsidiary Company

88. Regulation 16 of the SEBI Listing Regulations defines a 'material subsidiary' as subsidiary, whose income or net worth exceeds 10% of the consolidated income or net worth respectively, of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Under this definition, the Company does not have any unlisted material subsidiary incorporated in India.

89. Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) is a wholly owned subsidiary company of Cochin Shipyard Limited (CSL) which was incorporated as a Joint Venture Company on October 23, 2017, venturing with Hooghly Dock & Port Engineers Limited. However, since November 01, 2019, Hooghly-CSL is a wholly owned subsidiary of CSL. Further, CSL acquired Tebma Shipyards Limited through the statutory insolvency resolution process on September 15, 2020, thereby making it a wholly owned subsidiary of CSL. Subsequently, on April 22, 2022, Tebma Shipyards Limited was renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited.

90. Pursuant to the explanation under Regulation 16(1)(c) of the SEBI Listing Regulations, the Company has formulated a policy for determining 'material subsidiaries' which is disclosed on the Company's website at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

Details of compliance with the requirement of Corporate Governance guidelines

91. In terms of SEBI Listing Regulations and DPE Guidelines on Corporate Governance, certificate regarding Compliance of Corporate Governance Guidelines from Practicing Company Secretary is placed at **Annexure I** to this report.

Details of Presidential Directives issued by Central Government and their compliance during the year and also in the last three years

92. The Company has complied with all presidential directives issued by the Central Government regarding the operation of PSUs.

93. Items of expenditure debited in the books of accounts, which are not for the purposes of the business: Nil

94. Expenses incurred which are personal in nature and incurred for the Board of Directors and Top Management: Nil

95. The administrative and office expenditure of the Company for the year 2024-25 was 1.69% of the total expenditure as against 2.52% in 2023-24. Financial expenditure stood at 0.97% of the total expenditure in 2024-25, against 1.10% in the previous year.

96. A certificate from a Company Secretary in Practice, that none of the Directors on the Board of the Company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by SEBI/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority, is placed at **Annexure II** to this report.

97. The Company has paid an amount of ₹29.85 Lakhs to M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors for the services provided to the Company and its subsidiaries.

Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

Number of complaints filed during the financial year 2024-25	3
Number of complaints disposed of during the financial year 2024-25	2
Number of complaints pending as on the end of the financial year 2024-25	1

Code of Conduct

98. The Board has prescribed a Code of Conduct for all the Board members and Senior Management of the Company. All Board members and Senior Management personnel have confirmed compliance with the Code of Conduct for the year 2024-25. The Code of Conduct is hosted on the website of the Company and can be accessed at https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68.

99. A declaration signed by the Chairman & Managing Director of the Company is given below:

I hereby declare that all the members of the Board of Directors and Senior Management personnel have affirmed compliance with the Code of Conduct of the Board of Directors and Senior Management personnel in respect of the financial year 2024-25.

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

CEO/ CFO Certification

100. The CEO/ CFO certification of the financial statements for the year is placed at **Annexure III** to this report.

Risk Management Process

101. CSL has put in place a comprehensive Risk Management Policy, approved by the Board of Directors at their 214th meeting held on September 16, 2014 and later amended at the 259th Board Meeting held on February 12, 2021. The salient features of the said policy are as follows:

(i) Risk Management Vision Statement: Minimize the organizational risks to an acceptable level and adopt risk management practices which would help the Company to attain its goals and objectives while at the same time ensuring minimization of risks.

(ii) Risk Management Policy:

(a) The risk management process is implemented to improve the Company's ability to prevent risks and ensure timely detection of risk.

(b) To identify risks and its mitigation.

(c) Risk management process to be standardized.

(d) Facilitate sharing of risk information.

102. The risk management policy intends to put in place an effective risk management framework and an appropriate reporting mechanism. The management of Cochin Shipyard would periodically identify the various risks and assess/ analyze their impact on the Company. Risk mitigation and management measures would be put in place to effectively manage these risks. The Board may approve changes to the policy from time to time in order to align it with the changes in business environment.

Risk Management System and Structure

103. The Board has constituted a Risk Management Committee to review the risk management system within CSL. The Board also discharge its responsibility of risk oversight by ensuring the review at periodical intervals. The CSL management comprising of CSL Board level and below Board level executives are entrusted with the implementation of the risk management process. In this respect, Risk Management Steering Committee and Functional Risk Management Committees have been constituted to implement the policy in CSL.

104. Due to the peculiar nature of business carried on by CSL, it avoids the risk relating to its commodities.

105. Exposure of the listed entity to commodity and commodity risks faced by the entity throughout the year:

(a) Total exposure of the listed entity to commodities in INR: ₹124.52 Crores.

(b) Exposure of the listed entity to various commodities:

Commodity Name	Exposure in INR towards the particular commodity	Exposure in Quantity terms towards the particular commodity	% of such exposure hedged through commodity derivatives				
			Domestic market		International market		Total
			OTC	Exchange	OTC	Exchange	
Steel	₹124.52 Crores	14,763.60 Tonnes	-	-	-	-	-

(c) In order to avoid risk relating to increase in input cost, the Company places order for all major inputs with staggered delivery at the time of signing of shipbuilding contract. The offers are checked with the estimates taken for arriving at the estimated cost. In the case of ship repair, major components are normally supplied to ship owners at cost plus basis as the components are normally of the owner's preference.

Shareholding pattern

106. The Company has 26,30,80,780 equity shares of face value of Rs. 5 each, details of which as on March 31, 2025 are as follows:

Category of shareholders	Number of shareholders	Total number of shares	Percentage (%)
Central Government	1	17,86,71,239	67.9150
Clearing Members	11	616	0.0002
Other Bodies Corporate	1419	32,26,310	1.2263
Directors, Key Managerial Personnel & Relatives of Directors	3	3,001	0.0011
Hindu Undivided Family	8,819	11,77,284	0.4475
Mutual Funds	63	89,90,815	3.4175
Nationalised Banks	1	5,000	0.0019
Non-Nationalised Banks	1	220	0.0001
Non-Resident Indians	7,213	14,52,112	0.5520
Non-Resident (Non Repatriable)	5,659	8,52,252	0.3240
Public	10,14,737	5,19,78,393	19.7576
Trusts	12	28,613	0.0109
Insurance Companies	14	89,15,578	3.3889
Body Corporate – Limited Liability Partnership	143	1,96,674	0.0748
Foreign Portfolio Investors (Corporate)	126	75,60,476	2.8738
NBFCs registered with RBI	8	19,296	0.0073
Alternate Investment Funds – III	4	2,901	0.0011
Total	**10,38,234**	**26,30,80,780**	**100.0000**

Offer for Sale (OFS)

107. During October 2024, the Government of India had carried out Offer for Sale (OFS) of equity shares of the Company, divesting 4.95% of its stake, equivalent to 1,30,15,689 equity shares, through the stock exchange mechanism, in accordance with the applicable SEBI Regulations. Consequently, the shareholding of the Government of India in CSL came down to 67.91%.

Means of Communication

108. The quarterly/ half-yearly/ yearly financial results are posted on the websites of the BSE, NSE and the Company, after consideration and approval by the Board and are also published in one English national daily having all India circulation and at least in one Malayalam national daily, Kochi edition within 48 hours of its approval. These results have also been published in one Hindi national daily having all India circulation. The Annual Report of the Company is posted in the website viz., www.cochinshipyard.in. The website of the Company also displays all official news releases.

Audit Qualifications

109. The Report submitted by M/s. Anand & Ponnappan, Statutory Auditors of the Company does not contain any qualification, reservation or adverse remark or disclaimer.

Training Board Members

110. The Board members of CSL are senior executives who have a very vast, wide and varied experience in the areas of education, industry, defence, management, human resource management and administration. CSL has benefited from their vision and knowledge. Presentations are made to the Board members on the Company's performance, business model, corporate plan and future outlook, on their induction in the Board. In addition, at the Board/ Committee/ other meetings, detailed presentations are made by the senior management personnel/ professionals/ consultants on business related issues, risk assessment, risk policy etc. The Directors are encouraged to identify and attend specific training programmes to improve their effectiveness. Further, the newly appointed Independent Directors are nominated for structured training programs organized by the DPE. The Board has also adopted a policy regarding training of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Annexure I

CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH THE CONDITIONS OF CORPORATE GOVERNANCE UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

To the Members

COCHIN SHIPYARD LIMITED

1. The accompanying Corporate Governance Report prepared by **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** and having registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala, India, 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), contains details as required by the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("the Listing Regulations") ('Applicable criteria') with respect to Corporate Governance for the year ended March 31, 2025.

Management's Responsibility

2. The preparation of the Corporate Governance Report is the responsibility of the Management of the Company including the preparation and maintenance of all relevant supporting records and documents. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation and presentation of the Corporate Governance Report.

3. The Management along with the Board of Directors are also responsible for ensuring that the Company complies with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations, issued by the Securities and Exchange Board of India.

Our Responsibility

4. The procedures for verification that have been selected depend on judgement, including the assessment of the risks associated in compliance of the Corporate Governance Report with the applicable criteria. The key procedures performed include:

   i. Reading and understanding of the information prepared by the Company and included in its Corporate Governance Report;

   ii. Obtained and verified that the composition of the Board of Directors w.r.t. executive and non-executive directors has been met throughout the reporting period;

   iii. Obtained and read the Directors' Register as on March 31, 2025 and verified that at least one independent woman director was on the Board during the year;

   iv. Obtained and read the minutes of the annual general meeting held on September 30, 2024;

   v. Obtained and read the minutes of the Board of Directors and the committees of the Board of Directors, held from April 1, 2024 to March 31, 2025;

   vi. Obtained necessary representations and declarations from directors of the Company including the independent directors; and

   vii. Performed necessary inquiries with the management and also obtained necessary specific representations from management.

   The above-mentioned procedures include examining evidence supporting the particulars in the Corporate Governance Report on a test basis. Further, our scope of work under this certificate did not involve us performing audit tests for the purposes of expressing an opinion on the fairness or accuracy of any of the financial information or the financial statements of the Company taken as a whole.

Opinion

5. Based on the procedures performed by us, and according to the information and explanations given to us, we are of the opinion that the Company has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the Listing Regulations, as applicable for the year ended March 31, 2025 except as follows:

   a) There was no sufficient number of independent directors (one short) on the board of the Company with effect from May 02, 2024 as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations. Further,

there were no independent directors on the board of the Company with effect from November 22, 2024 as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations;

b) *There was no woman independent director on the board of the Company with effect from November 22, 2024 as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations;*

c) *The Company does not have a duly constituted Audit Committee as required under Regulation 18 of the Listing Regulations with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Audit Committee as mandated under Regulation 18(2)(a) of the Listing Regulations;*

d) *The Company does not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Regulation 19 of the Listing Regulations with effect from November 22, 2024;*

e) *The Company does not have a duly constituted Stakeholders Relationship Committee as required under Regulation 20 of the Listing Regulations with effect from November 22, 2024;*

f) *The Company does not have a duly constituted Risk Management Committee as required under Regulation 21 of the Listing Regulations with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Risk Management Committee as mandated under Regulation 21 of the Listing Regulations; and*

g) *The requirement of quorum of at least one independent director as mandated under Regulation 17 of the Listing Regulations was not met in the Board Meetings of the Company held on February 06, 2025 and March 28, 2025 as there were no independent directors with effect from November 22, 2024.*

Other matters and Restriction on Use

6. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

7. This certificate is addressed to and provided to the members of the Company solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose.

We have no responsibility to update this certificate for events and circumstances occurring after the date of this certificate.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067G000303301

Kochi
08th May, 2025

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

(As stipulated in the guidelines on Corporate Governance for CPSES issued by the Department of Public Enterprises, Government of India)

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** (the Company) for the financial year ended 31.03.2025, as stipulated in the Guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises (CPSEs) issued by the Department of Public Enterprises (DPE), Government of India ('CG Guidelines for CPSEs').

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the company for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the company.

In our opinion and to the best of our information and according to our examination of the relevant records and the explanations given to us, We certify that the company has complied with the conditions of Corporate Governance, wherever applicable, as stipulated in the CG Guidelines for CPSEs except as follows:

a) *There was no sufficient number of independent directors (one short) on the board of the Company with effect from May 02, 2024 as mandated under Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs. Further, there were no independent directors on the board of the Company with effect from November 22, 2024 as mandated under Clause 3.1 of CG Guidelines for CPSEs;*

b) *The Company does not have a duly constituted Audit Committee as required under Clause 4.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024. Consequently, the Company is non-compliant with the provisions w.r.t the meetings of Audit Committee as mandated under Clause 4.4 of the CG Guidelines for CPSEs; and*

c) *The Company does not have a duly constituted Nomination and Remuneration Committee as required under Clause 5.1 of the CG Guidelines for CPSEs with effect from November 22, 2024.*

We further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the company nor the efficiency or the effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067G000303323

Kochi
08th May, 2025

Annexure II

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To
The Members
COCHIN SHIPYARD LIMITED
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Cochin
Ernakulam, Kerala, India, 682015

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **COCHIN SHIPYARD LIMITED [CIN: L63032KL1972GOI002414]** and having its registered office at Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Cochin, Ernakulam, Kerala, India, 682015 (hereinafter referred to as 'the Company'), produced before us by the Company for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in) as considered necessary and explanations furnished to us by the Company and its officers, the representations made by the Management and considering the relaxations granted by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Company as stated below for the Financial Year ending on **31st March, 2025** have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sl. No.	Name of Director	DIN	Date of appointment in Company
1	Madhu Sankunny Nair	07376798	01/01/2016
2	Valiyaparambil Jacob Jose	08444440	01/08/2019
3	Bejoy Bhasker	08103825	05/04/2018
4	Rajesh Sinha Kumar	05351383	21/11/2022
5	Biju Prabhakar	03093072	02/01/2023
6	Sreejith Katayamkot Narayanan	09543968	21/07/2022

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

For SVJS & Associates
Company Secretaries

Vincent P D
Managing Partner
FCS. 3067
CP. No. 7940
Peer Review Certificate No. 6215/2024
UDIN: F003067G000303312

Kochi
08th May, 2025

Annexure III

CEO/CFO Certificate

To
The Board of Directors
Cochin Shipyard Limited
Kochi – 682015

Dear Sirs,

1. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2025 and that to the best of our knowledge and belief:

   (i) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   (ii) these statements together present a true and fair view of the Company's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

2. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Company during the year which are fraudulent or illegal or violative of the Company's code of conduct.

3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting. We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Company pertaining to financial reporting and we have disclosed to the Auditors, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies, if any.

4. We have indicated to the Auditors that:

   (i) There has not been any significant change in internal control over financial reporting during the year;

   (ii) There has not been any significant change in accounting policies during the year requiring disclosure in the notes to the financial statements; and

   (iii) We are not aware of any instance during the year of significant fraud with involvement therein of the management or an employee having a significant role in the Company's internal control system over financial reporting.

5. We further certify that the funds disbursed for Corporate Social Responsibility (CSR) activities have been utilised by the Company for the purposes and in the manner as approved by the Board of Directors from time to time and also in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013 and the Rules made there under.

Kochi
May 15, 2025

Jose V J
Director (Finance) and CFO
DIN: 08444440

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Management Discussion and Analysis Report

Forward Looking Statements

1. Statements in this Management Discussion and Analysis of financial condition and results of operations of the Company describing the Company's objectives, expectations or predictions may be forward looking within the meaning of applicable securities laws and regulations. Forward looking statements are based on certain assumptions and expectations of future events. The Company cannot guarantee that these assumptions and expectations are accurate or will be realised. The Company assumes no responsibility to publicly amend, modify or revise forward looking statements on the basis of any subsequent developments, information or events. Actual results may differ materially from those expressed in the statement. Important factors that could influence the Company's operations include government's strategy relating to acquisition of naval platforms, changes in government regulations, tax laws, economic developments within the country and such other factors globally. The financial statements are prepared under historical cost convention, on accrual basis of accounting and in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 and comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the said Act. The Company has used estimates and judgements relating to the financial statements on a prudent and reasonable basis, in order that the financial statements reflect in a true and fair manner, the state of affairs for the year.

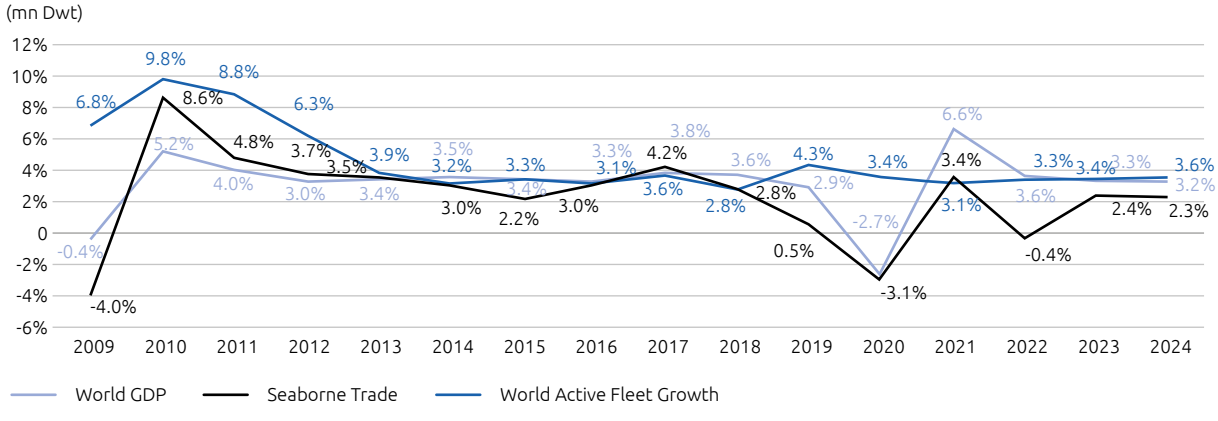
2. The following discussions on our financial condition and result of operations should be read together with our audited financial statements and the notes to these statements included in the annual report.

Shipbuilding Industry

Global Shipbuilding Industry

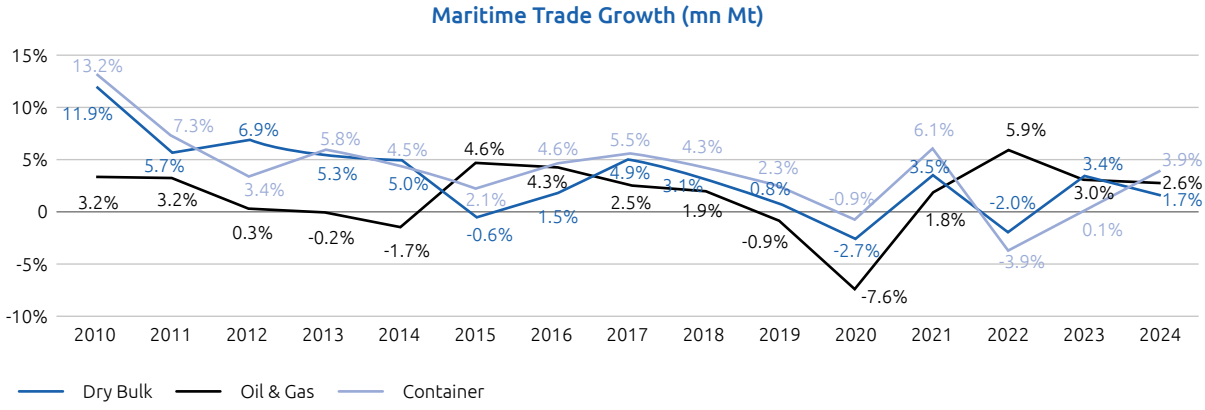
3. Global GDP was reported to be 3.2% which is slightly better than the forecasted figure of 3.1% as per IMF report. Indian GDP growth is reported to be 6.4% against 6.8% as projected. Similarly, the trade volume which increased at 2.9% as expected in 2024 which was expected to grow in similar lines may get heavily impacted by the new tariffs and trade wars across the spectrum which may impact the vessel occupancy and demand negatively impacting the shipping demand in the coming year.

Global Trade, World GDP and Active Fleet Growth



Source: BRS Annual Review 2025

4. Regarding cargo volumes, last year brought varied performances across different segments. Dry bulk and oil & gas trades both decelerated as their growth declined from 3.4% to 1.7% and from 3% to 2.6%, respectively. However, the container liner segment saw a significant rebound of 3.8%, approaching levels not seen since 2021 when the world was exiting COVID. The global landscape remained unpredictable in 2024 as the Ukrainian war persisted and conflicts in the Middle East continued unabated. Houthi attacks in the Red Sea have essentially cut off one of the world's most crucial and busy waterways between East and West. Meanwhile, the US presidential election and declarations of increased tariffs that could lead to economic warfare sparked interrogations, although the full impact on shipping markets remains hard to predict and brings uncertainty to the future market.



Source: BRS Annual Review 2025

5. Last year, the shipbuilding market continued to flourish despite increasing delivery times and higher prices that showed no signs of weakening. New orders surged by more than 50% (DWT basis) compared with 2023, which had already seen a 37% increase on 2022. One striking feature of 2024 was that China significantly grew its order book, boosting its share of the global shipbuilding market by 9.7%, further solidifying its dominant position at the expense of Japan (-4.3%) and South Korea (-5.1%). Meanwhile, robust market conditions discouraged owners from recycling their older tonnage.

Summary		2022	2023	2024
Orders	mn Dwt	93.6	128.4	193.1
	ships	1,698	2,045	2,488
Deliveries	mn Dwt	80.1	83.6	86.0
	ships	1,377	1,388	1,564
Orderbook	mn Dwt	239.1	281.7	387.3
	ships	3,958	4,560	5,468
Active Fleet	mn Dwt	2,146	2,219	2,298
	ships	42,242	43,321	44,607
Orderbook/Active Fleet	mn Dwt	11.1%	12.7%	16.9%
	ships	9.4%	10.5%	12.3%

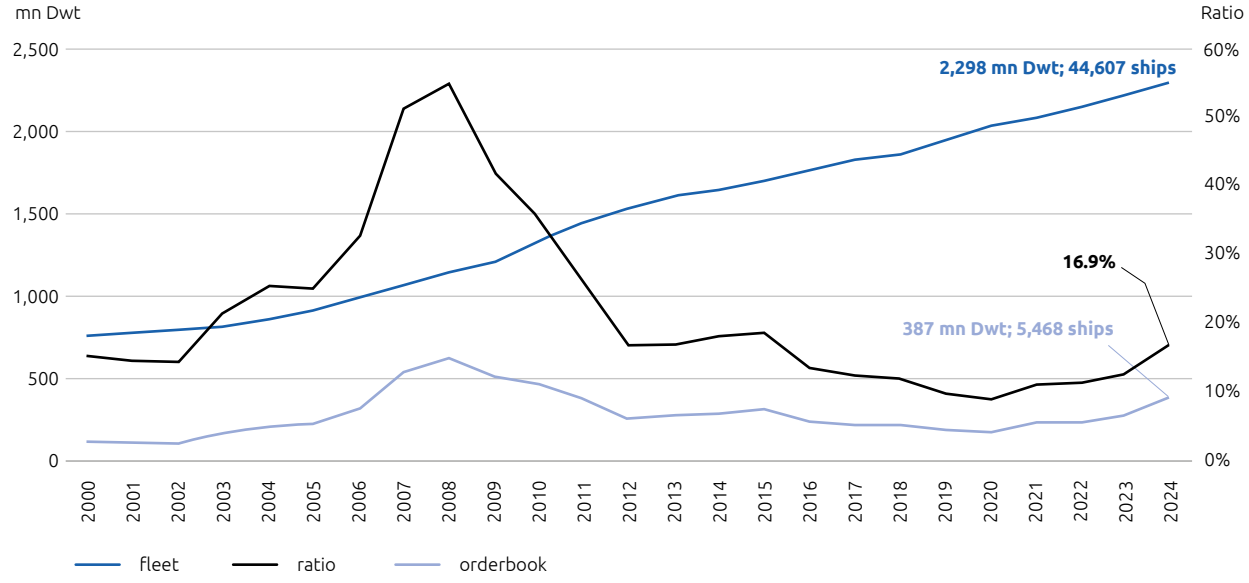
Only Bulk, Tankers and Containers

Source: BRS Annual Review 2025

6. Standard vessels (bulkers, tankers, container carriers) in 2024 observed dramatic growth in newbuilding orders from already-elevated levels, rising from 128.4 MN DWT to 193.1 MN DWT. However, deliveries, which reflect the prevailing shipbuilding output, only slightly increased from 2023. Container liners saw the largest rise in new orders last year as they more than doubled to 49.8 MN DWT from 20.6 MN DWT in 2023. The major container lines have continued their large vessel ordering spree. Many yards, which had begun to focus on other segments due to the contraction in container orders in 2023, shifted their attention back to containerships. However, container carriers were not alone in contributing more orders; the tanker segment grew

substantially, jumping from 37.7 MN DWT in 2023 to 63 MN DWT in 2024. In particular, demand was strong for large crude oil tankers. Meanwhile, the bulk segment rose by 14% to reach 59.1 MN DWT – a record high for the decade.

Fleet and Orderbook Evolution



Source: BRS Annual Review 2025

7. Specialised vessels segment for the third consecutive year, new building activity for specialised tonnage remained strong with around 20 MN DWT ordered. This was broadly on par with 2022 and 2023 when 18.6 MN DWT and 15.3 MN DWT were ordered, respectively. For comparison, the 2012-21 annual average was 7.5 MN DWT. Similarly, new orders were seen in small numbers for the Oil and Gas support vessels (AHTs/ PSVs) after a long gap in the market indicating ageing replacement market making a comeback.

World Fleets & Orderbooks

Total Cargo	Year End				01-Mar-25		Orderbook & Delivery Schedule					
Fleet, m. Dwt	2021	2022	2023	2024	No.	m.Dwt	No.	m.Dwt	% Fleet	2025	2026	2027+
CRUDE TANKERS	434.9	453.1	461.6	462.5	2,327	462.4	242	49.9	10.8%	6.4	16.8	26.7
PRODUCTS TANKERS	196.0	199.5	203.5	206.9	10,339	208.6	691	40.2	19.3%	10.7	13.6	15.8
CHEMICAL TANKERS	48.9	50.4	51.5	53.2	4,299	53.4	484	9.2	17.2%	2.5	3.5	3.1
OTHER TANKERS	1.0	1.0	1.1	1.1	429	1.1	0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0
BULKERS	947.8	975.3	1,005.2	1,035.0	14,204	1,040.3	1,356	108.8	10.5%	32.6	40.3	36.0
COMBOS	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.1	0	0.0	0.0%	0.0	0.0	0.0
LPG CARRIERS	28.4	30.2	33.2	35.0	1,686	35.1	298	13.1	37.3%	1.7	3.7	7.8
LNG CARRIERS	55.6	58.1	60.7	65.6	817	66.4	341	31.8	47.9%	8.5	8.6	14.8
CONTAINERSHIPS	296.0	307.7	331.6	363.8	6,838	367.9	793	93.8	25.5%	19.5	16.4	57.9
MULTI-PURPOSE	30.3	31.1	31.3	31.6	3,365	31.8	202	4.2	13.1%	1.6	1.0	1.5
GENERAL CARGO	43.0	44.4	45.5	46.6	16,921	46.5	436	3.1	6.6%	1.5	1.2	0.4
RO-RO	7.2	7.4	7.5	7.7	837	7.7	21	0.2	2.6%	0.2	0.0	0.0
CAR CARRIERS	12.4	12.5	12.7	13.6	829	13.8	201	4.4	32.0%	1.3	1.3	1.9
REEFERS	4.5	4.5	4.4	4.4	1,551	4.4	31	0.4	8.0%	0.2	0.1	0.1
OFFSHORE (AHTS/PSV)	9.2	9.2	9.2	9.2	4,349	9.2	138	0.4	4.5%	0.1	0.2	0.1
WORLD CARGO FLEET	**2,116.4**	**2,185.5**	**2,260.0**	**2,337.3**	**68,803**	**2,349.8**	**5,234**	**359.4**	**15.3%**	**86.8**	**106.6**	**165.9**
TOTAL WORLD FLEET	**2,203.8**	**2,275.6**	**2,352.5**	**2,431.9**	**112,812**	**2,444.7**	**6,890**	**366.4**	**15.0%**	**88.9**	**108.5**	**169.0**
TOTAL WORLD FLEET ($bn)*	**1,310.2**	**1,290.6**	**1,375.6**	**1,523.2**		**1,510.9**		**488.4**	**32.3%**	**116.2**	**133.5**	**238.7**

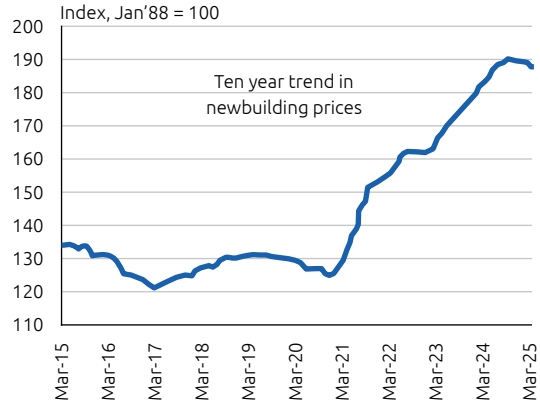
Source: Clarksons Report

8. Currently, there are about 348 operational shipyards worldwide, having either secured new contracts or completed deliveries in the past year. This is roughly 50% of 2007's peak of around 700 active yards. It is noteworthy that recent years have seen significant consolidation among shipyards. This has reduced the total number of active yards but increased overall production capacity, while dormant yards are being revitalised and brought back into operation.

9. Regarding order book position, China continues to dominate the shipbuilding industry, accounting for nearly three-quarters of global shipbuilding orders. This dominance has raised concerns in other nations, prompting discussions on revitalizing domestic shipbuilding capabilities. India has reaffirmed its presence in the international shipbuilding market, climbing in the group of countries other than big three (China, Korea, Japan) and Europe from sixth to fourth place with 68 ships on order, up from 48 in 2023 and 30 in 2022. Main contributions being Chowgule Shipyard secured six contracts for 10,740 DWT general cargo ships for Dutch company Vertom at its new Mangalore facility. State-owned Cochin Shipyard won orders for eight 6,375 DWT general cargo ships for Norway's Wilson. Mazagon Shipyard is building six 7,500 DWT general cargo ships for Denmark's Navi Merchants, while Garden Reach Shipyard (GRSE) has four 7,800 DWT dry cargo ships.

10. New building prices for bulkers, tankers and container carriers saw only modest increases in 2024. The Chinese New building Price Index (CNPI), produced by a panel of shipbuilders and shipbrokers, strengthened by 6% in 2024. Individual indices related to bulkers, tankers and container carriers, meanwhile, rose by 7%, 7% and 3%, respectively. After a slight uptick in the first and second quarters, prices stabilised. The booming container market played a key role in driving prices up, with second-hand vessel values also rising considerably. Meanwhile, shipyard costs have been steadily rising. Salaries are up, but the more significant factor has been price hikes from suppliers, driven by inflation and higher demand. Despite the apparent "boom in the market, shipyards are still facing difficulties. Growing construction costs seem to be outpacing the rise in new building prices, leaving shipyards less satisfied than one might expect.

Newbuilding Price Index



Source: Clarksons Report

11. Similar to 2024, which was a strong year for ordering (second only to 2007), with order books for some segments already stretching to 2028 and beyond, 2025 may not be as buoyant but there are several factors such as the need to meet new environmental rules and regulations, the need to replace an ageing fleet and the need to reduce speed to comply with intermediate requirements like the CII can keep the order book build up to continue. However, there remains potential for a new super-cycle in the shipbuilding industry to replace the large number of vessels that were delivered between 2005 and 2010.

Indian Shipbuilding Industry and Government Initiatives

12. India's shipbuilding and shipping sectors are undergoing strategic transformation under the Government of India's long-term maritime vision. Through the Maritime India Vision 2030 (MIV 2030) and Maritime Amrit Kaal Vision 2047 (MAKV 2047), the Government has set ambitious targets to elevate India's position to the 10th largest globally in ship owning and shipbuilding by 2030, and 5th by 2047. These targets are supported by targeted policy interventions and infrastructure development programs.

13. The Government estimates that an addition of 4–5 million gross tonnes (GT) of annual shipbuilding capacity over the next 23 years. The cumulative shipbuilding output is projected to be valued at USD 237 billion to carry Indian cargo, with an additional USD 142 billion in potential value addition from ancillary suppliers. Realizing this scale will require an estimated investment of approximately USD 18 billion across shipbuilding, repair, and ancillary sectors. Key policy measures include the Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP) 2.0, which provides financial support to promote domestic ship construction, with enhanced incentives for larger, technologically advanced, and green vessels operating on alternative fuels like ammonia, methanol, hydrogen, and hybrid propulsion systems.

14. The Government is also fostering the development of integrated shipbuilding clusters in potential coastal states such as Gujarat, Odisha, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. The factors such as deep-draft coastal land, industrial and social infrastructure, skilled workforce, and state backed ecosystem makes these locations worthy of consideration to establish shipbuilding clusters.

15. To address capital cost barriers, a dedicated Maritime Development Fund (MDF) of ₹25,000 crore has been announced in the Union Budget 2025–26. The MDF aims to provide long-term financing for vessel acquisition, shipyard development, ship repair infrastructure, and inland/ coastal transport systems.

16. The Shipbreaking Credit Note scheme further incentivizes ship recycling in India. It allows ship owners to receive a credit equivalent to 40% of a ship's scrap value, redeemable against the cost of constructing a new vessel at an Indian shipyard. Over the next decade, approximately 17 million tonnes (LDT) of foreign vessels and 5,71,000 tonnes (LDT) of Indian vessels are expected to be scrapped.

17. To boost internal demand, the Government has initiated demand aggregation across key user ministries. This includes the procurement of 80 ships by 2035 with an estimated value of ~USD 2.8 billion, 200 green tugs under the Green Tug Transition Programme (GTTP) by 2036 (~USD 2.6 billion), and 1,000 inland vessels under the Harit Nauka programme by 2035 (~USD 1.2 billion). In addition, a projected requirement of 40 dredgers by 2030 has been identified, representing a market opportunity of approximately USD 2.3 billion.

18. In ship repair, significant progress has been made with the operationalization of the International Ship Repair Facility (ISRF) in Kochi. A second ship repair cluster is planned at Vadinar, with a project report under review and a projected investment of approximately USD 200 million.

19. Other enabling measures include the extension of import duty exemptions on shipbuilding materials and infrastructure status for large vessels, both aimed at reducing cost and enhancing competitiveness.

20. To facilitate global cooperation, India has engaged with leading friendly shipbuilding nations such as Japan and South Korea to attract foreign investment and promote joint ventures in the maritime sector. Additionally, international shipping lines have been encouraged to flag vessels in India, which is expected to further stimulate domestic shipbuilding activity. The Government has also formulated attractive tax framework for ship owning and leasing in GIFT City which is further expected to boost shipbuilding industry.

21. Overall, the government is showing a clear intent to position India as a major global hub for shipbuilding and ship ownership and towards this laying the groundwork for a globally competitive and resilient maritime ecosystem.

Constitution of ViBhaS and NAVIC Functional Cells at MoPSW

22. Identifying the need for a theme based focused approach towards effective monitoring and implementation of Government's broad objectives as enlisted in the 'Maritime India Vision 2030 (MIV 2030)' and 'Maritime AmritKaal Vision 2047 (MAKV 2047)' to work towards a Viksit Bharat, the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) constituted a total of 20+ Viksit Bharat Sankalp (ViBhaS) Cells and Neel Arth Vision Implementation Cells (NAVIC).

23. These Cells cover key areas such as Traffic-Cargo, Projects Schemes & PPP, Shipbuilding-Repair-Recycling, Maritime Finance, Technology, Legal, HR, etc. and have a two-tiered framework with ViBhaS members primarily being senior officers from MoPSW for review, monitoring & coordination whereas NAVIC members being from various organizations under MoPSW (Major Ports, DGS, IWAI, etc.) focused on implementation.

24. The MIV 2030 & MAKV 2047 initiatives are organized into two broad categories for implementation and monitoring: one under the ViBhaS Cells and the other under the NAVIC Cells. The ViBhaS Cells are primarily responsible for overseeing the policies, legislation and Government of India level solutions and initiatives. They also provide guidance/ inputs to the NAVIC Cells. The NAVIC Cells focus on implementation of MIV/ MAKV initiatives and provides inputs/ feedback to ViBhaS Cells where Government's intervention is required.

25. The ViBhaS and NAVIC Cells have played a pivotal role in advancing key reforms and initiatives across the maritime sector. Notable contributions include the revamping of the Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP) 2.0, launch of the Credit Note Scheme to incentivize ship recycling in India, establishment of the Maritime Development Fund, and facilitation of import duty exemptions to support industry growth. Further, active engagement is underway with leading friendly shipbuilding nations to foster partnerships in areas such as shipbuilding, repair, and maritime skilling. In parallel, several initiatives have been launched and are on the anvil to promote indigenisation in ship technology, aimed at strengthening domestic capabilities and fostering self-reliance in the sector.

26. CSL a key Public Sector Undertaking under MoPSW, plays a vital role in this institutional mechanism with active involvement of its Officers in 21 ViBhaS and NAVIC Cells. The Chairman & Managing Director of CSL serves as the Nodal Officer for the Shipbuilding-Repair-Recycling Cell, while other Senior Officers including the Whole-time Directors act as conveners of five critical Cells, contributing significantly to the strategic and operational goals of the Government's maritime vision roadmap.

27. The ViBhaS and NAVIC Cells are set to play a central role in achieving the Government's vision outlined in the MIV 2030 and MAKV 2047. This institutional mechanism bridges the gap between vision and execution, enabling focused planning and seamless policy-to-practice translation.

Some Key Sectors focused by CSL which is in line with the International marker drivers coupled with Indian demand is:

Tugs and Port Crafts

28. The policy of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), under ASTDS continued to show improved demand for the building of harbour tugs and the Company through its wholly owned subsidiaries viz., Udupi-CSL and Hooghly-CSL are actively working to bag many more orders. Further, with the new GTTP program on green tugs, the Company is ready to roll its green tugs meeting the Green Tug Transition Program (GTTP) guidelines which is likely to bring many more orders to the Company.

Short sea/ Coastal

29. The new generation vessels with alternate fuels and green technologies are indicating huge potential in the replacement market of ageing short sea European shipping segment. The Company was successful in bagging such projects with innovative technologies to meet the new regulations. Further order intake is likely in the coming year as well.

Inland vessels

30. The government is focussed on improving the port and inland water infrastructure. This enhances the opportunity for the Indian yards to participate in this market with improved demands. The Company's pilot project of a hydrogen fuel cell powered catamaran vessel is ready for operationalisation in Varanasi. Similar projects are under discussion and it is expected to generate good demand. Further discussions are underway for water metro battery hybrid passenger ferries and likely to be implemented in various urban mobility Indian markets.

Renewables and Offshore Wind Segment

31. The renewable energy mix in the overall power generation continued in the world energy segment due to the compelling reasons to meet green energy mix targets. New large offshore wind farm infrastructure in deep ocean is expanding and the demand for various types of vessels to support the development, operations and maintenance of infrastructure for offshore wind farms such as Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) market where CSL has established footprint is likely to further enhance the order book on such projects.

Defence Shipbuilding

32. The Indian defence shipbuilding industry is well poised with huge outlay by the Government of India (GOI) and CSL is very much involved in many of the future projects which are under discussions.

Large Merchant vessels

33. Even though CSL in the past built merchant vessels for carrying liquid and bulk cargo, for the last 18 years, the Company could not make much inroads due to market conditions and stiff competition to offer large tonnage vessels meeting market expectations. However, with the new large dry dock coming into action coupled with the GOI policy to promote large tonnage vessels demand aggregation for Indian build Indian owned vessels, CSL is sensing a good opportunity to enter this market and bring better value to the Company.

Ship Repair Industry

India & the Global Ship Repair Industry

34. The current Global ship repair market is expected to reach $40 billion+ by 2030. Asia-Pacific (APAC) dominates the ship repair and maintenance services market because of the increased sea-borne trade activities within the region. Shipyards in China, Singapore, Korea and Middle East largely due to the availability of skilled workforce and latest technology has always been in the forefront of the Ship repair industry. The global market for ship repair and maintenance service is expected to witness significant growth, supported by developments in the markets in South East Asia and India. Europe is also expected to witness significant growth during the forecast period of 2024 to 2029 due to the improvements in region. Though India's share in global ship repair is currently less than 1%, the country is favourably located in respect of the major trade routes/ shipping routes with 7 to 9% of the global trade passing within 300 NM of the coastline. Additionally, India is poised well to offer repair services in the Defence segment

providing an array of ship repair services catering to both the Indian defence and the International Navies as more significance has been accorded to the Indian Ocean Region (IOR) being the important sea route to be protected.

35. India's annual ship repair market is estimated to be around ₹2,000 Crores, with an overall estimated potential of ₹6,000 Crores. However, more than 30% of the commercial ship repair is conducted outside India catering this market. Nevertheless, over the next 10 years, India has the potential to create ₹14,000+ Crores Ship repair market which is critical to indigenize the ship repair business in the country.

36. India has a strong workforce that can potentially cater to the labour-intensive ship repair industry. However, the untapped potential in the Indian ship repair market can be attributed to the presence of competing international ship repair yards on major trade routes and a capability gap of Indian yards in repairing certain types of vessels. Other reasons for the cost disadvantage include high financing costs, lack of readily available ship spares in India, insufficient ancillary support and technology-related issues that increase the ship repair execution cycle time.

37. To address these gaps, the Government of India, under the MIV 2030 initiative, is actively supporting the industry through multiple initiatives. These include channelising domestic demands by leveraging the 'AatmaNirbhar Bharat' (Self-Reliant India) policy, developing infrastructure through better access to financial instruments and providing better opportunities for overall development and enhanced business in the industry by creating free trade depots and maritime clusters.

CSL initiatives in Ship repair

38. With the new International Ship Repair Facility (ISRF), CSL ship repair infrastructure has been made world class enabling to take up additionally about 100 vessels a year. This facility at Willingdon Island, Kochi hosts a state-of-the-art ship lift system with six independent work stations. The Facility was commissioned on August 12, 2024 with the first vessel HSC Parali being docked for repairs. This new greenfield facility, in close proximity to the Southern Naval Command in Kochi would be capable of accommodating vessels up to 130 Mtr. length & 6000 T displacement.

39. In April 2024, CSL signed the prestigious Master Ship Repair Agreement (MSRA) with the US Navy, after a rigorous capability assessment enabling repairs to US Naval Vessels thus enhancing the Yard's global reputation.

40. CSL Ship repair business has grown leaps and bounds. In addition to the ship repair facilities at Kochi, the Company has also established ship repair units at Mumbai, Kolkata and Port Blair. The Ship Repair Division is focusing on increased business volumes. The Yard is also focussing on entering new areas of ship repair market such as weapons platforms, offshore fabrications, conversions etc.

41. In April 2025, CSL signed an MOU with Drydocks World, a DP World company, under the aegis of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, to enable development of Ship repair clusters, synergizing mutual strengths. This is expected to bring global best practices to the Ship repair ecosystem in the country and add significant capacities.

42. With GOI, MIV 2030 in place and fuelled with various initiatives including government's initiative for setting up of ship repair clusters in India, CSL is well poised for vibrant ship repair business times in the future.

Operations

43. The total turnover of the Company is ₹4,527.84 Crores as against the previous year of ₹3,645.28 Crores. The shipbuilding income during the year is ₹2,663.27 Crores as against the previous year income of ₹2,638.91 Crores. The ship repair income during the year is ₹1,864.57 Crores as against the previous year income of ₹1,006.37 Crores. During the year CSL successfully delivered five nos. of Hybrid Electric Catamaran Hull vessels to Kochi Metro Rail Limited (KMRL). Shri Sarbananda Sonowal, Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways laid the keel (in virtual mode) for 12000 Cu.M capacity Tailing Suction Hopper Dredger being built for Dredging Corporation of India (DCI).

Financial Information

44. The financial information of the Company pertaining to the last decade is given below:

(Amount in ₹ Crores unless otherwise stated)

Financial Year	Paid up capital	Nominal value of shares (₹ per share)	Capital employed	Net worth	Profit Before Tax	Tax on Profits	Net Profit	EPS (₹)	Dividend	Payout ratio
2024-25	131.54	5	5,549.91	5,610.65	1,133.85	290.94	842.91	32.04	256.50	0.30
2023-24	131.54	5	4,971.89	5,025.87	1,093.62	280.52	813.10	30.91	256.50	0.32
2022-23	131.54	10	4,480.05	4,423.42	448.51	114.02	334.49	25.43	223.62	0.67
2021-22	131.54	10	4,355.75	4,359.18	794.39	207.82	586.57	44.59	220.33	0.38
2020-21	131.54	10	3,964.27	3,977.57	810.59	200.49	610.10	46.38	203.89	0.33
2019-20	131.54	10	3,748.78	3,731.80	863.43	225.74	637.69	48.48	218.75	0.34
2018-19	131.54	10	3,327.72	3,332.08	751.38	270.20	481.18	35.72	171.00	0.35
2017-18	135.94	10	3,271.03	3,255.87	604.86	208.11	396.75	31.03	163.12	0.41
2016-17	113.28	10	2,062.02	2,028.58	493.40	171.85	321.55	28.39	101.61	0.32
2015-16	113.28	10	1,749.31	1,814.33	419.65	145.86	273.79	24.07	86.65	0.32

Key Financial Ratios

Sl. No.	Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24	Change (in %) as compared to FY 2023-24	Detailed explanation for change of 25% or more
1.	Debtors Turnover	13.52	8.52	58.69	Due to increase in turnover and reduction in trade receivables.
2.	Inventory Turnover	3.34	5.57	-40.04	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction.
3.	Interest Coverage	17.4	15.49	12.33	N.A.
4.	Current Ratio	1.34	1.32	1.52	N.A.
5.	Debt Equity Ratio	0.00	0.00	0.00	N.A.
6.	Operating Profit Margin (%)	25.85	30.87	-16.26	N.A.
7.	Net Profit Margin (%)	18.62	22.31	-16.54	N.A.

Return on Networth

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24	Change (in %) as compared to FY 2023-24	Detailed explanation for change
Return on Networth (%)	15.02	16.18	-7.17	Depreciation impact due to capitalization of major capex projects and reduction in interest income.

Proposed/ Declared Dividend

45. As per Office Memorandum F.No.5/2/2016-Policy dated November 18, 2024 issued by the Department of Investment and Public Asset Management (DIPAM), every CPSE have to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 4% of the networth, whichever is higher. Accordingly, your Directors are pleased to recommend a final dividend of ₹2.25 per share on the 26,30,80,780 fully paid equity shares of ₹5 each. Earlier, interim dividends of ₹4 and ₹3.50, aggregating to ₹7.50 per equity share had been paid to the shareholders during 2024-25. Thus, the total dividend for the year 2024-25 is ₹9.75 per equity share (195%), amounting to ₹256.50 Crores.

Segment-wise/ Product-wise Performance

46. The Company is engaged in two major activities viz., shipbuilding and repair of ships/ offshore rigs etc. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis. The segment wise performance is given below:

(₹ Lakhs)

Particulars	As at Mar 31, 2025	As at Mar 31, 2024
Segment Assets		
Shipbuilding	8,22,323.58	5,70,597.30
Ship Repair	3,48,784.30	3,03,008.95
Unallocated	1,33,441.35	3,14,420.86
Total	**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
Segment Liabilities		
Shipbuilding	4,36,865.61	4,14,480.77
Ship Repair	1,01,917.29	47,383.19
Unallocated	2,04,701.13	2,23,576.06
Total	**7,43,484.03**	**6,85,440.02**
Segment Revenue		
Shipbuilding	2,66,326.95	2,63,891.24
Ship Repair	1,86,457.20	1,00,636.73
Unallocated	38,044.61	30,738.25
Total	**4,90,828.76**	**3,95,266.22**
Segment Result		
Shipbuilding	43,421.67	59,920.68
Ship Repair	72,919.61	36,320.76
Unallocated	(2,956.74)	13,120.96
Total	**1,13,384.54**	**1,09,362.40**

47. The Company has two major business segments – "Shipbuilding" and "Ship Repair". Revenue under Shipbuilding includes ₹2,06,665.27 Lakhs (previous year: ₹2,30,672.72 Lakhs) from two customer (previous year: one customer) having around 78% of the total Shipbuilding revenue, and for Ship Repair includes ₹1,53,005.55 Lakhs (previous year: ₹63,351.17 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having around 82% of the total Ship Repair revenue.

SWOT

Strengths

(i) Diversified product portfolio in ship building and repair;

(ii) A very good product mix compatibility comprising of defence ships, commercial ships and offshore ships;

(iii) Highly trained, motivated and knowledgeable manpower with an average of 15 years of experience at all levels of hierarchy resulting in extremely high-quality workmanship;

(iv) State-of-the-art facilities with well-planned and laid out shipyard enabling smooth work flow and efficient production;

(v) Pan India presence with seven units spread across the country thus providing more flexibility to meet the market demands;

(vi) A modern state-of-the-art design centre manned by highly trained, experienced and competent naval architects/ engineers, draftsmen etc.;

(vii) Highly evolved shipbuilding processes and practices permitting modular construction of ships; and

(viii) Availability of quality sub-contractors and good supply chain network.

Weaknesses

(i) Virtually non-existent indigenous ancillary industries and consequently non-availability of major equipment/ raw materials in India;

(ii) Non-availability of standard designed products as a part of current product line;

(iii) Non-availability of visible domestic demand which makes company dependant on International Market;

(iv) Higher finance and logistics costs resulting in higher input costs for production;

(v) Comparatively higher social and employee overheads being a public sector enterprise; and

(vi) Governmental system induced procedural delays.

Opportunities

(i) Projected increase in requirement of ships for the domestic commercial segment, owing to the Government of India's policy towards demand aggregation and channelizing it for 'Make in India' policies;

(ii) Projected demand in the defence sector;

(iii) Geopolitical situations and India being seen as a favourable destination for the Industry;

(iv) New generation vessels with green technology to meet new regulations for International and domestic markets;

(v) The lead position and preparedness of the Company to meet the demand from green tug market;

(vi) First mover advantage for introducing complete indigenous solutions for hydrogen fuel cell technology integration in vessel building in collaboration with Indian partners;

(vii) Strategic partnerships with global technology segments in maritime space;

(viii) Vessels to support offshore renewable and return of Oil & Gas industry;

(ix) Huge demand – supply gap for the repair of commercial and defence ships and virtually no competition in India;

(x) Aging global fleet, increased maritime trade and stringent environmental regulations necessitating regular maintenance and retrofitting.

Threats

(i) Distress pricing policies of competitors;

(ii) Adverse reputational impact on the Indian shipbuilding industry due to under performance by Indian yards;

(iii) Rising cost of labour and materials;

(iv) Non-flexible government regulations on procurement policies delaying the product delivery timelines and cost;

(v) Difficulty to tap skilled manpower due to migration of experienced workforce to booming International market; and

(vi) Adverse geopolitical situations and trade war uncertainties.

CRUISE 2030$^{2.0}$

48. Over the past few years, CSL has made significant strides under its long-term transformation initiative, CRUISE 2030 (CSL Revenue Unlock through Integrated Strategic Excellence). This program laid a strong foundation for future growth through targeted expansion, modernization and capability building. Notable achievements include the establishment and operationalization of three new Ship Repair Units (SRUs) – CMSRU, CKSRU and CANSRU – and the operational strengthening of CSL's subsidiaries Hooghly-CSL and Udupi-CSL. Major investments were made in digital systems and infrastructure, including the implementation of SAP S/4HANA, integration of the Dassault 3DEXPERIENCE platform and deployment of state-of-the-art digital surveillance system. A dedicated Digital Centre of Excellence (DCoE) was also created to lead CSL's digital transformation across functions. Furthermore, CSL launched a third vertical – CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) – to tap into emerging technologies and deliver end-to-end maritime solutions.

49. Having largely achieved the objectives of the initial CRUISE 2030 roadmap, CSL initiated a strategic review to assess its current positioning and define the way forward in light of changing global maritime dynamics and new business opportunities. In October 2024, a Leadership Offsite was convened at Kumarakom, bringing together senior executives and strategy consultants, BCG. The two-day conclave led to a collective vision of scaling CSL to a ₹12,000 Crores company by FY31. The discussions focused on identifying actionable priorities and strategic enablers to support this growth.

50. Based on these deliberations, CSL has now launched CRUISE 2030$^{2.0}$ (CRUISE 2030 raised to 2.0), a refreshed and forward-looking roadmap that builds on the foundation laid over the past few years. Key initiatives under CRUISE 2030$^{2.0}$ include the establishment of ship repair clusters at Kochi and Vadinar, investment in marine electrification technologies to enhance design capabilities, development of a ship block-making facility to support scale and efficiency and the exploration of strategic partnerships with European shipyards to access advanced markets. To ensure effective implementation, a CRUISE 2030$^{2.0}$ Strategic Review Team has been constituted at the highest level to track progress monthly, provide strategic oversight, recommend course corrections and periodically report to the Board. These initiatives are aligned with national maritime goals under MIV 2030 and MAKV 2047 and reflect CSL's ambition to emerge as a globally competitive, innovation-led leader in the maritime sector.

CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS)

51. Expanding beyond our core Shipbuilding and Ship Repair portfolios, CSL has established a dedicated division named CSL Strategic & Advanced Solutions (C-SAS) to venture into the arena of strategic and knowledge-driven future technologies in the maritime sector. C-SAS has been actively engaged in identifying and developing sustainable and future-oriented business models. Some of the key initiatives undertaken by the C-SAS Division during the financial year 2024-25 are as follows:

- System Integration of India's first fully Indigenous High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV): C-SAS team successfully completed integration and trials of three carriers. The carrier-3 was successfully tested for the vehicle dynamics in both surface and submerged condition through multiple runs with perfect performance of sonars and communication systems. Additionally, C-SAS successfully delivered five sets of integration jigs and six sets of trussells. C-SAS also developed an innovative centre of gravity measurement device as part of the HEAUV project. The indigenous development of the launch and recovery system is currently in progress.

- C-SAS is presently undertaking the development of the Launch Control Station of the High Endurance Autonomous Underwater Vehicle (HEAUV), a fully integrated platform designed to manage the command, control and communication operations of HEAUV.

- India's first Indigenously Developed Hydrogen Fuel Cell-based Vessel has completed 100 Hrs. of field operations at Varanasi as per IR Class recommendation. A temporary hydrogen dispensing system and AC charging system was also successfully commissioned by C-SAS team at Varanasi. Further, C-SAS team contributed to the development of the control system, automation system and marine classification of the Fuel Cell System, working closely with the Indian Register of Shipping (IRS). The vessel will be handed over to Inland Waterways Authority of India (IWAI) shortly and will commence its commercial operations at Varanasi.

- The C-SAS team has completed the development and delivery of 40 Submersible Temperature Measurement Systems to the Naval Physical and Oceanographic Laboratory (NPOL), DRDO Kochi in December 2023 and the system is presently undergoing various induction and platform level trials.

- Digital Twin Implementation for INS Vikrant (IAC): C-SAS has undertaken the Digital Twin implementation on board INS Vikrant (IAC) for the Indian Navy. The Digital Twin software was procured from M/s. GE Vernova and necessary interfacing software with Gas Turbine controllers from M/s. L3 Harris. The data servers, hardware equipment and interfacing solutions, onboard and shore office implementation were provided by C-SAS team. The implementation of Digital Twin onboard INS Vikrant was completed in March 2025 and the system successfully went live in April 2025.

- C-SAS is currently working on the development of a fully indigenous Autonomous Surface Vessel (ASV) pilot project by collaborating with Indian development partner firms. In addition to the vessel building aspects, the ASV pilot project also involves indigenous co-development of maritime autonomy and its associated critical subsystems/ technologies by CSL and the identified Indian strategic partner firms including start-ups. In this context, five contracts were awarded and the vessel including related subsystems is advancing progressively. IR class contract is also underway for the development & certification of indigenous ASV and its key subsystems/ technologies.

ESG initiatives

52. Over the years, CSL has undertaken a range of proactive measures aimed at reducing its carbon footprints and conserving resources, reaffirming its commitment to environmental sustainability. Aligned with the global imperative to address climate change and mitigate greenhouse gas emissions, CSL has embarked on a comprehensive journey towards achieving net zero carbon emissions. The Company continues to drive improvements through initiatives focused on optimizing energy consumption, transitioning to renewable energy sources, and enhancing overall operational efficiency. Key initiatives undertaken in this regard are listed below:

(i) The current installed renewable energy capacity (solar) in CSL premises is 1972 kWp, which is proposed to be expanded to 3572 kWp soon.

(ii) Purchasing of renewable energy through Open Access (Green Day Ahead Market).

(iii) Recognizing the importance of clean transportation, 9 solar-powered electric two-wheeler charging docks supplying free of cost energy, have been installed at various locations across the Yard. This

not only supports the shift towards electric mobility but also encourages employees to adopt greener travel options.

(iv) The replacement of the conventional rotor resistance speed control with a Variable Frequency Drive (VFD) for the hoist of the 50 T OBE LLTT crane at the Building Dock Port Side has resulted in enhanced overall efficiency and substantial energy savings. VFD also enables smooth start and stop of the motor, thus improving operational reliability.

(v) A significant stride has been made through the installation of a Static Frequency Converter (SFC), serving as a sustainable alternative to the traditional motor generator sets. This provides reliable power at 60 Hz frequency to docks and quays, reducing energy losses and improving efficiency.

(vi) The Yard is also benefiting from solar-powered street lighting installed at the new parking area outside CSL and METI, showcasing a commitment to harnessing solar energy for facility operations.

53. The Company is also exploring the possibility of converting its existing equipments from non-renewable energy sources to green fuels and has undertaken modification of several Material Handling Equipment (MHEs), leading to significantly cutting down greenhouse gas emissions.

54. In addition, CSL has implemented several smart energy management and automation measures aimed at improving energy efficiency and reducing operational costs. These initiatives leverage advanced technologies to monitor, control and optimize energy usage in real time. Key measures include:

(i) To monitor energy utilization, an IoT-based remote energy monitoring system has been implemented, enabling real-time tracking and analytics for energy consumption/ generation.

(ii) In alignment with intelligent energy use, sensor-based lighting controls have been installed in critical areas like the ship repair store and service tunnel. These systems automatically adjust lighting based on occupancy, ensuring energy is used only when necessary.

(iii) VRF (Variable Refrigerant Flow) air conditioning systems have been installed to optimize cooling energy consumption. Additionally, BLDC 5-star rated ceiling fans and man coolers have been introduced, improving energy efficiency while maintaining comfort standards.

(iv) Significant upgrades also include the replacement of high-pressure mercury vapor light fittings with energy-efficient LED lights at various strategic locations such as shops, welding skids, LLTT and gantry cranes.

(v) Power factor is closely monitored and maintained near unity to ensure optimal electrical performance and reduce wastage.

55. As part of CSL's long-term sustainability vision, the Company has set an ambitious target of transitioning to 100% clean energy for its operations, making CSL the first Indian shipyard powered entirely by green energy. Towards this CSL is planning a combination of wind and solar hybrid power plant in a suitable location in the state of Kerala and an expansion of the rooftop solar capacity to 4 MWp. Collectively, these initiatives are expected to generate substantial amount of green energy annually, exceeding CSL's current average energy consumption. A consultancy contract has been awarded to EMC, Kerala, to guide CSL's Renewable Energy Expansion Program, focusing on the development of a hybrid power plant integrating both wind and solar energy sources.

56. Beyond energy efficiency, CSL is actively pursuing a comprehensive range of Environmental, Social and Governance (ESG) initiatives aimed at driving sustainable growth and long-term value creation. These initiatives include:

(i) Gap Analysis, Materiality Assessment and ESG Roadmap.

(ii) Conversion of training institute centre to net zero/ green building.

(iii) Pilot conversion of diesel forklifts to CNG.

(iv) Purchase of battery-operated forklifts (2 nos., 3 T capacity).

(v) Implementation of micro-algae-based liquid tree systems at various locations.

(vi) Site dining facilities for subcontractor workmen (two locations).

(vii) Afforestation study for environmental protection with Kerala Forest Research Institute (KFRI).

57. Recognizing CSL's robust environmental management systems and proactive initiatives in sustainable practices, CSL earned the distinction of becoming the first company in the shipping sector to be certified with the "GreenCo Silver" ratings in October 2020 by the Confederation of

Indian Industry (CII). CSL was subsequently upgraded to "GreenCo Gold" ratings in December 2023.

Risks and Concerns

58. The risks for the Company arise from the inherent nature of the shipbuilding industry. An indispensable portion of the Company's revenue over the years is from the commercial shipbuilding which is highly cyclical in nature. The commercial shipbuilding industry prospects are dependent on world trade and the cyclicity of oil, natural gas, shipping, transportation and other trade related industries. The Yard, being located at coastal areas due to the inherent nature of the industry, may be affected by the rise in sea level due to change in climate conditions and global warming.

59. Substantial portion of the Company's activities involve the fabrication and refurbishment of large steel structures and its erection which would entail the operation of cranes and other heavy machinery and other operating hazards. The operational risks faced by the Company also could result in fires and explosions etc. Though the losses caused on such eventualities are covered under a standard fire and special perils policy, CSL do not have insurance for business interruption. These risks could expose the Company to substantial liability for personal injury, wrongful death, product liability, property damage, pollution and other environmental damages.

60. Another high risk area for the Company is the availability and price fluctuations of major raw materials. The major raw materials include steel (the grade and quality of which, in each project, depends on the applicable classification rules) and other materials, equipment and other components such as pumps, propellers and engines. In fiscals 2023, 2024 and 2025 respectively, the Company's material consumption costs constituted 51.29%, 56.87% and 52.50% of its total costs, respectively. In particular, bought out components accounted for around 91.41% of our total raw material cost in these recent fiscals.

61. Shortages in the supply of raw materials may result in an increase in the price of these raw materials. For example, there are supply-side constraints in relation to steel in India which we expect will continue in future. The Indian steel industry has been unable to compete globally due to which the GOI has imposed significant duties on the import of steel from other countries such as China to protect the domestic steel industry. This has adverse impacts when CSL is unable to source steel economically. In addition, the cost of certain raw materials, such as steel, aluminium, copper etc., may fluctuate in line with any changes in their global supply and demand and thus impacting the material cost.

62. In the event that the price of the Company's raw materials increases, the Company will not be able to pass these price increases to its customers on its existing fixed contracts and its business, financial condition and results of operations can be adversely affected.

63. Changes in currency exchange rates may influence our results of operations. Globally, a substantial part of all worldwide ship sales transactions and purchase of offshore structures is generally conducted in USD and Euro. To mitigate this risk, the Company hedges the net forex exposure on the export receivables. However, in the case of import components in respect of shipbuilding/ ship repair contracts denominated in Rupee terms, CSL is exposed to exchange rate fluctuation risk unless the contract with the ship owner provides for an exchange variation reimbursement clause. Currently, some of the shipbuilding contracts do not contain such provision. Hence, adverse fluctuation in the currency rates will affect and influence our results of operations.

Product Diversification

64. CSL is undertaking product diversification efforts to align with emerging technologies and sustainability goals. As part of this, CSL designed and built India's first fully indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel in collaboration with Indian partners with the assistance of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, supporting the National Green Hydrogen Mission. The Company is also constructing 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, of which 19 have been delivered, and 8 similar vessels for IWAI, with 2 delivered. CSL secured an international order for a Hybrid Service Operation Vessel for offshore wind farm support in Europe, where sustainable energy solutions are in high demand. In the autonomous space, CSL is developing the 'SWAYAT' Autonomous Surface Vessel and a High Endurance Autonomous Underwater Vehicle to enhance capabilities in emerging maritime space. Further, through CSL's Start-up Engagement Framework 'USHUS', launched with an initial ₹50 crore corpus, the Company aims to support maritime start-ups. So far, ₹5.1 Crores has been committed to 11 start-ups working in areas like deeptech, AI, renewable energy and eco-materials. The framework provides financial, technical and mentoring support, with Indian Institute of Management Kozhikode LIVE (IIMK LIVE) and Indian Institute of Technology Madras (IITM) serving as Review and Recommending Agencies for selection, monitoring and stakeholder coordination.

Internal Control

65. The Company has in place adequate internal control systems. The internal audit function is carried out by an independent firm of Chartered Accountants who carry out an in-depth review of internal control systems in critical areas based on the audit programme approved by the Board level Audit Committee headed by an Independent Director.

Human Resource Development and Industrial Relations

66. The details regarding Human Resource Development and Industrial Relations are more specifically covered in the Directors' Report.

Women Empowerment

67. CSL has constituted Internal Complaints Committees, chaired by senior women executives, in accordance with the guidelines and norms prescribed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Certified Standing Orders applicable to workmen include sexual harassment as an act constituting misconduct. The Internal Complaints Committees are empowered to enquire into such complaints as per the procedure laid down in the Certified Standing Orders and Industrial Employment (Standing Orders) Acts and Rules.

68. CSL has observed 'Sexual Harassment Prevention Week 2024' from December 09 to 13, 2024 by reiterating our commitment to providing a safe, respectful and inclusive work environment for all the women employees at CSL. The observance week encompass conducting sensitization workshops on POSH Act by external faculty, conducting competitions like essay writing, quiz and poster design for all CSL employees.

69. Yet another milestone in CSL's women empowerment initiative is introduction of Child Care Leave (CCL). Women employees with dependant disabled children (40% or more disability) are eligible for CCL up to 730 days without age restrictions. Single parents (male or female) with minor dependent children (up to 18 years old) are also eligible for CCL for purposes such as exams or sickness.

70. CSL has conducted the Early Cancer Detection Screening (ECDS) for female spouses of employees as a part of the periodic health check-up programme. Further, in order to educate CSL women community about safe and defensive driving, how their vehicle works, basic vehicle maintenance, dealing mechanical issues in emergencies etc., a hands-on workshop called 'KNOW YOUR VEHICLE' was conducted for all permanent women employees in different batches.

71. CSL celebrated International Women's Day on March 12, 2025 in a befitting manner. A full-day programme was organized, including inaugural session by the chief guest, followed by an awareness session on 'Parenting'. The talents of CSL women workforce were also showcased as part of celebration of the International Women's Day.

72. Further, the Company ensures the participation of women in various forum including Joint Council, Shop Council, Central Safety Council, Shop Safety Council, Employees Contributory Provident Fund Trust, Cochin Shipyard Recreation Club, Cochin Shipyard Consumer Society, Cochin Shipyard Officers Welfare Centre etc.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as per the Public Procurement Policy 2012

73. CSL is making sustained efforts to enhance the procurement of goods and services from MSEs. For the financial year 2024-25, the Company has achieved a total indigenous procurement of 59.6% from MSEs, 0.61% from SC/ ST and 4.72% from women entrepreneurs against the MoU targets of 25%, 4% and 3% respectively. CSL could successfully contribute business opportunities to more than 25 SC/ ST entrepreneurs and 100 women entrepreneurs during the year. Efforts are being continued to enhance the participation of SC/ ST and women MSEs, to meet the targets of 4% and 3% respectively.

74. During the year 2024-25, CSL has conducted various Vendor Development Programmes (VDPs) for MSEs including SC/ ST and women in association with MSME DFO, Thrissur, National Small Industries (NSIC), Kochi and agencies like Aerospace Industry Development Association of Tamil Nadu (AIDAT), Tamil Nadu Industrial Development Corporation (TIDCO), Facilitating MSMEs of Tamil Nadu (FaMeTN), India Boat & Marine Show (IBMS), Kochi etc. In addition to the above, 'Exposure visits to CSL' for various MSMEs were conducted during the period. The details of such programmes conducted and participated during the FY 2024-25 are given below:

    (i) VDP and B2B meetings for MSMEs of Kerala, conducted at Thrissur on December 04, 2024, in association with MSME DFO, Thrissur. More than 350 MSMEs including SC/ ST and women entrepreneurs attended the VDP session, visited CSL exhibition stall and had interactions with CSL officials on business possibilities in shipbuilding, ship repair and other general requirements of CSL.

(ii) VDP and B2B meetings were held on January 18, 2025, at Hotel Radisson Blue, Coimbatore in association with AIDAT and TIDCO, Chennai. This event could facilitate interaction with potential MSME vendors well established in the Aerospace/ Defence sector who are looking for opportunities in the Marine products/ services as well. There was a participation of around 90 MSMEs including SC/ ST and women entrepreneurs.

(iii) CSL conducted a session on Vendor Development and Awareness Programme in the exclusive VDP for 'Marine Products and Services' organized by FaMeTN, Chennai for the MSMEs of Tamil Nadu, targeting the opportunities with Indian shipbuilders & ship repairers. The programme held at Coimbatore on January 31, 2025 had a participation of around 85 MSMEs including SC/ ST and women category. All Govt./ Defence shipyards as well as few private shipyards in India had participated in the VDP and this was an opportunity to understand the good practices followed by the peer industries as well.

(iv) CSL organized exposure visits to the Yard for industrial associations like Tirupur Small Industries Cluster on May 03, 2024 and Tiruchirappalli Engineering & Technology Cluster (TREAT) on May 21, 2024, to familiarize the nature of material/ services required for CSL's ship building and repair activities. Through the visits of Tirupur and Trichy clusters, CSL could interact with about 15-20 MSEs. Upon subsequent discussions and tender process, CSL outsourcing cell could award work order to TREAT, Trichy for A-Frame fabrication as well.

(v) Another exposure visit/ familiarization programme was conducted for the Muvattupuzha Taluk Scheduled Caste Labour Contract Co-operative Society on October 07, 2024 to enable the members of the Society to understand practical aspects of labour requirements for shipbuilding/ ship repair. Subsequently, a skill development training session was arranged for their members in the welding and grinding work, through the Shipbuilding division.

(vi) Consequent to the VDPs and exposure visits, many suppliers from Tamil Nadu as well as within Kerala have started participating in CSL GeM tenders and about 49 MSEs within Kerala and 18 MSEs from Tamil Nadu have enlisted with CSL as permanent suppliers.

75. Other initiatives include, periodic updation of CSL website with MSME related information beneficial for the vendors, regular uploading of procurement data, payment data and other relevant information as per directives of MoMSME in the "MSME SAMBANDH" and "MSME SAMADHAAN" portals etc. CSL is promoting payment through TReDS platform and around 300 MSME vendors have already on-boarded in the TReDS portal and a few are utilizing the facility.

Other Information

76. The details regarding the Company's CSR activities, environment protection and conservation initiatives, technology absorption and upgradation efforts, forays into renewable energy, foreign exchange conservation etc., are provided in the Directors' Report and the Annexure thereon.

Cautionary statement

77. Statement in this 'Management Discussion and Analysis Report' describing the objectives, expectations, assumptions or predictions of the Company may be forward looking statements within the meaning of applicable rules and regulations. Actual results could differ materially from those expressed or implied. Important factors that could make a difference to the operations of the Company include economic conditions affecting demand/ supply, price conditions in the domestic and international markets, Government policies and regulations, statutes and other incidental factors.

For and on behalf of the Board of Directors

Madhu Sankunny Nair
Chairman & Managing Director
DIN: 07376798

Kochi
May 15, 2025

Business Responsibility and Sustainability Report

SECTION A: GENERAL DISCLOSURES

I. Details of the Listed Entity

1	Corporate Identity Number (CIN) of the Listed Entity	L63032KL1972GOI002414
2	Name of the Listed Entity	Cochin Shipyard Limited
3	Year of incorporation	1972
4	Registered office address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
5	Corporate address	Cochin Shipyard Limited, Administrative Building, Cochin Shipyard Premises, Perumanoor, Kochi – 682015, Kerala, India
6	E-mail	secretary@cochinshipyard.in
7	Telephone	+91 484 2501306
8	Website	www.cochinshipyard.in
9	Financial year for which reporting is being done	April 01, 2024 to March 31, 2025
10	Name of the Stock Exchange(s) where shares are listed	BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited
11	Paid-up Capital	₹1,31,54,03,900
12	Name and contact details (telephone, email address) of the person who may be contacted in case of any queries on the BRSR report	Shri Syamkamal N Tel: +91 484 2501306 E-mail: secretary@cochinshipyard.in
13	Reporting boundary - Are the disclosures under this report made on a standalone basis (i.e. only for the entity) or on a consolidated basis (i.e. for the entity and all the entities which form a part of its consolidated financial statements, taken together)	Standalone
14	Name of assessment or assurance provider	Not applicable*
15	Type of assessment or assurance obtained	Not applicable*

*Not mandatory as per extant Regulations.

II. Products/services

16. Details of business activities (accounting for 90% of the turnover)

Sl. No.	Description of Main Activity	Description of Business Activity	% of Turnover of the entity
1.	Manufacturing	Ship Building	58.82
2.	Service	Ship Repair	41.18

17. Products/Services sold by the entity (accounting for 90% of the entity's Turnover):

Sl. No.	Product/Service	NIC Code	% of total Turnover contributed
1.	Ship Building	301	58.82
2.	Ship Repair	331	41.18

III. Operations

18. Number of locations where plants and/ or operations/ offices of the entity are situated:

Sl. No.	Location	Number of plants	Number of offices	Total
1	National	5	0	5
2	International	0	0	0

19. Markets served by the entity:

a. Number of locations

Sl. No.	Locations	Number
1	National (No. of states)[1]	11
2	International (No. of countries)[2]	10

[1] Due to the inherent nature of our business of ship building/ship repair, the Company generally caters to the requirements of the Country's coastal states and states having national waterways as well as Country's defence requirements.

[2] The Company has provided its services across the world viz., Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Bahamas, Saudi Arabia, UAE, Liberia and UK.

b. What is the contribution of exports as a percentage of the total turnover of the entity?

11.80%

c. A brief on types of customers

Cochin Shipyard Limited (CSL) is a key player in the domestic and international ship building market. Our key shipbuilding clients on the domestic front include the Indian Navy, Ministry of Home Affairs, Dredging Corporation of India Limited, various Ports, Inland Waterways Authority of India (IWAI) and A&N Administration. On the international front, CSL has exported 47 vessels to some of the most demanding clients in Norway, Netherlands, Cyprus, USA, Germany, Bahamas, Saudi Arabia, UAE and Liberia. CSL has also undertaken repairs of various types of vessels including upgradation of ships of the oil exploration industry as well as periodical maintenance, repairs and life extension of ships.

IV. Employees

20. Details as at the end of Financial Year:

a. Employees and workers (including differently abled):

Sl. No.	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
	Employees					
1	Permanent (D)	695	605	87.05	90	12.95
2	Other than Permanent (E)	199	152	76.38	47	23.62
3	**Total employees (D+E)**	**894**	**757**	**84.68**	**137**	**15.32**
	Workers					
4	Permanent (F)	1445	1317	91.14	128	8.86
5	Other than Permanent (G)	1202	1153	95.92	49	4.08
6	**Total workers (F+G)**	**2647**	**2470**	**93.31**	**177**	**6.69**

b. Differently abled Employees and workers:

Sl. No.	Particulars	Total(A)	Male		Female	
			No.(B)	%(B/A)	No.(C)	%(C/A)
	Differently-abled Employees					
1	Permanent (D)	12	11	91.67	1	8.33
2	Other than Permanent (E)	0	0	0.00	0	0.00
3	**Total differently abled employees (D+E)**	**12**	**11**	**91.67**	**1**	**8.33**
	Differently-abled Workers					
4	Permanent (F)	38	34	89.47	4	10.53
5	Other than Permanent (G)	8	8	100.00	0	0.00
6	**Total differently abled workers (F+G)**	**46**	**42**	**91.30**	**4**	**8.70**

21. Participation/ Inclusion/ Representation of women:

Particulars	Total(A)	No. and percentage of Females	
		No.(B)	%(B/A)
Board of Directors*	12	1	8.33
Key Management Personnel	5	0	0

*The data given in the above table is the sanctioned strength of CSL's Board, which was available till May 01, 2025. As on March 31, 2025, the Board consisted of 6 Directors, of which all were male. The full details w.r.t Board composition and changes therein is given in the Corporate Governance Report forming part of the Annual Report.

22. Turnover rate for permanent employees and workers:

(Disclose trends for the past 3 years)

Particulars	FY 2025 (Turnover rate in current FY)			FY 2024 (Turnover rate in previous FY)			FY 2023 (Turnover rate in the year prior to the previous FY)		
	Male	Female	Total	Male	Female	Total	Male	Female	Total
Permanent Employees	4.13	1.18	3.75	5.63	2.65	5.27	5.78	4.00	5.56
Permanent Workers	0.90	3.83	1.16	1.27	0.78	1.22	2.09	1.83	2.06

V. Holding, Subsidiary and Associate Companies (including joint ventures)

23. a. Names of holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures

Sl. No.	Name of the holding/ subsidiary/ associate companies/ joint ventures (A)	Indicate whether holding/ Subsidiary/ Associate/ Joint Venture	% of shares held by listed entity	Does the entity indicated at column A, participate in the Business Responsibility initiatives of the listed entity? (Yes/No)
1.	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No
2.	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	100	No

VI. CSR Details

24. i. Whether CSR is applicable as per section 135 of Companies Act, 2013: **Yes**

ii. Turnover (in ₹) **: 4,527.84 Crores**

iii. Net worth (in ₹) **: 5,610.65 Crores**

VII. Transparency and Disclosures Compliances

25. Complaints/ Grievances on any of the principles (Principles 1 to 9) under the National Guidelines on Responsible Business Conduct

Stakeholder group from whom complaint is received	Grievance Redressal Mechanism in Place (Yes/No) (If Yes, then provide web-link for grievance redress policy)	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
		Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks	Number of complaints filed during the year	Number of complaints pending resolution at close of the year	Remarks
Communities	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	8	0	-	14	0	-
Investors (other than shareholders)	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0	-	0	0	-
Shareholders	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	35	0	-	17	2	-
Employees and workers	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0	*	0	0	*
Customers	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	0	0	-	0	0	-
Value Chain Partners	Yes, https://cochinshipyard.in/grievance-cell	2	1	Complaint raised without sufficient details/ supporting documents.	0	0	-

* Excluding the grievance covered under sl. no. 6 of Essential Indicators under Principle 5 of this report.

26. Overview of the entity's material responsible business conduct issues

Please indicate material responsible business conduct and sustainability issues pertaining to environmental and social matters that present a risk or an opportunity to your business, rationale for identifying the same, approach to adapt or mitigate the risk along-with its financial implications, as per the following format

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
1	Climate Change	Risk	Majority of the ship building projects undertaken by CSL are fuelled by fossil fuels. The increasing awareness of climate change across the globe will reduce the demand for such vessels and affect the operations of CSL.	CSL has embarked on Green Shipping initiatives. CSL has already built and delivered India's first indigenously built Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel. Further, CSL has also built and delivered 2 Autonomous Electric Vessels for ASKO Maritime AS, Norway. The 67 Mtr. Long vessels were delivered as Full-Electric Transport Ferries powered by 1846 kWh capacity battery. CSL has built and delivered 19 out of 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project, which is one of its kind, modern, technologically advanced, energy efficient and environment friendly vessel. CSL has built and delivered 2 out of 8 Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessels for Inland Waterways Authority of India. Further, CSL is also building 2 Commissioning Service Operation Vessels, 2 Zero Emission Feeder Container Vessels and 2 Hybrid Service Operation Vessels for various European clients.	Negative implication
2	Climate Change	Opportunity	Increase in demand for zero emission vessels	Aligned with the global shift towards maritime green transitions, the Company has developed and built India's first indigenous Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel, a pioneering project funded by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW). This pilot project, based on Low Temperature Proton Exchange Membrane (LT-PEM) technology - also known as Fuel Cell Electric Vessel (FCEV) was spearheaded by CSL's C-SAS division in collaboration with KPIT Technologies Limited, which handled the technological aspects of the design, development, and construction. This initiative is part of India's broader efforts to embrace innovative, sustainable, and cost-effective alternative fuel technologies. The project was executed in collaboration with Indian partners.	Positive implication

Sl. No.	Material issue identified	Indicate whether risk or opportunity (R/O)	Rationale for identifying the risk/ opportunity	In case of risk, approach to adapt or mitigate	Financial implications of the risk or opportunity (Indicate positive or negative implications)
2	Climate Change	Opportunity	Increase in demand for zero emission vessels	The Ministry of Ports, Shipping and Waterways has already initiated several measures towards this objective, with CSL leading the charge in Green Shipping initiatives to reduce marine pollution. As part of these green initiatives, CSL is constructing 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project. This project represents a modern, technologically advanced, energy-efficient, and environmentally friendly solution that will enhance the urban water transport system, providing seamless transportation for Kochi's citizens. Further, CSL is also building 8 Hybrid Electric Catamaran Passenger Vessels for Inland Waterways Authority of India. CSL's dedication to green initiatives is further evidenced by its delivery of two Autonomous Electric Vessels to ASKO Maritime AS, Norway. Additionally, CSL is building two Commissioning Service Operation Vessels, two Zero Emission Feeder Container Vessels, and two Hybrid Service Operation Vessels for various European clients.	Positive implication

SECTION B: MANAGEMENT AND PROCESS DISCLOSURES

Policy and Management Processes

1. a. **Whether your entity's policy/ policies cover each principle and its core elements of the NGRBCs. (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

b. **Has the policy been approved by the Board? (Yes/No)**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

The Policies have been approved by the Board/ relevant Competent Authority as per the delegated powers of the Board.

c. **Web Link of the Policies, if available**

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68								

2. Whether the entity has translated the policy into procedures. (Yes/No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

3. Do the enlisted policies extend to your value chain partners? (Yes/No)

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	-	Yes	Yes

4. Name of the national and international codes/ certifications/ labels/ standards (e.g. Forest Stewardship Council, Fairtrade, Rainforest Alliance, Trustea) standards (e.g. SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) adopted by your entity and mapped to each principle.

P1	The ISO/IEC 27001:2022 standard for Information Security Management Systems (ISMS), Model Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management, Conduct Discipline and Appeal Rules, Central Vigilance Commission Guidelines and Manual.
P2	ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards.
P3	ISO 45001:2018 Health and Safety Management System Standards, Employee Welfare and Skill Development Measures as more specifically mentioned in Directors' Report.
P4	The Government of India's directives on reservation for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD). For further information, please refer to the Directors' Report.
P5	CSL is aligned with all the applicable national laws, principles and norms with regard to human rights. CSL's commitment to human rights is incorporated in the Code of Business Conduct & Ethics for Board Members and Senior Management, which explicitly addresses adherence to human rights principles.
P6	ISO 14001:2015 Environmental Management System.
P7	Not Applicable.
P8	CSL's CSR projects aim at benefitting the community from low socio-economic strata across the nation. For more details please refer to CSR section annexed to Directors' Report.
P9	ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards.

5. Specific commitments, goals and targets set by the entity with defined timelines, if any.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9

CSL is planning to operate entirely on green energy by implementing a wind-solar hybrid power plant with a total capacity of approximately 14 MW and expanding rooftop solar installations inside CSL from 1.8 MWp to 4 MWp in a phased manner.

The implementation of wind-solar hybrid power plant is currently dependent on the acquisition of land, which is inherently time-consuming due to procedural complexities. As a result, at present, a definitive timeline for completion of the project cannot be ascertained. Further, the aforesaid expansion of rooftop solar installations inside CSL is expected to be completed by 2029.

These initiatives are expected to generate around 40 million units of renewable electricity annually, exceeding CSL's current average annual energy consumption.

By transitioning to renewable energy sources, CSL aims to eliminate its Scope 2 emissions, reaffirming its commitment to sustainable energy practices. This strategy will significantly reduce CSL's carbon footprint and contribute more towards a sustainable future.

6. Performance of the entity against the specific commitments, goals and targets along-with reasons in case the same are not met.

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9

The Company had reported its commitment to set up a wind-solar hybrid power plant. While the project has been approved by the Board of Directors, its execution is dependent on procurement of suitable land parcel. Since land acquisition is typically a time-intensive process due to procedural and regulatory complexities, at present, a definitive timeline for completion of the project cannot be ascertained.

Governance, Leadership & Oversight

7. Statement by director responsible for the business responsibility report, highlighting ESG related challenges, targets and achievements

CSL is committed to addressing the Environmental, Social and Governance (ESG) challenges facing the industry and aligning with India's goal of achieving carbon neutrality by 2070. As a CPSU under the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, CSL has taken significant steps to contribute to sustainable development.

CSL is advancing sustainable maritime solutions through various initiatives. We have delivered India's first Hydrogen Fuel Cell Catamaran Vessel to the Inland Waterways Authority of India (IWAI) and have so far delivered 19 out of 23 Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for the Kochi Water Metro Project. Additionally, we have delivered two Autonomous Electric Vessels to Norway and are currently constructing vessels for European clients, including Commissioning Service Operation Vessels, Zero Emission Feeder Container Vessels, and Hybrid Service Operation Vessels. Furthermore, we are building eight Hybrid Electric Catamaran Hull Vessels for IWAI, of which two have already been delivered. All these vessels are designed for electric propulsion, reducing their environmental impact.

In our commitment to renewable energy, CSL is setting up a wind-solar hybrid power plant with a total capacity of about 14 MW. This project will generate more green energy than our current average annual consumption, enabling CSL to operate entirely on renewable energy and significantly reduce our carbon footprint.

These efforts reflect CSL's dedication to sustainable practices and our role in driving the maritime industry's green transition.

8. Details of the highest authority responsible for implementation and oversight of the Business Responsibility policy(ies).

Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director.

9. Does the entity have a specified Committee of the Board/ Director responsible for decision making on sustainability related issues? (Yes/ No). If yes, provide details.

Yes, Shri Madhu Sankunny Nair (DIN: 07376798), Chairman and Managing Director is the decision making authority with regard to sustainability related issues.

10. Details of Review of NGRBCs by the Company

Particulars	Principles	Performance against above policies and follow up action	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and, rectification of any non-compliances
Indicate whether review was undertaken by Director / Committee of the Board/ Any other Committee	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	The ISO certifications are reviewed annually by the external agencies. The review of which is overseen by the concerned functional Director. The Government of India's directives on reservation for Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribes (ST), Other Backward Classes (OBC), Economically Weaker Sections (EWS), and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) are reviewed at the time of every recruitment by HR Department of CSL which is overseen by the Director in charge of HR function of CSL.	CSL is in compliance with the extant regulations as applicable.

Particulars	Principles	Performance against above policies and follow up action	Compliance with statutory requirements of relevance to the principles and, rectification of any non-compliances
Frequency (Annually/ Half yearly/ Quarterly/ Any other – please specify)	P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9	Affirmation of the Model Code of Business Conduct and Ethics for Board Members and Senior Management are taken annually. Performance against Conduct Discipline and Appeal Rules are monitored on a continuous basis by the HR Department. Performance against Central Vigilance Commission Guidelines and Manual are reviewed by the Chief Vigilance Officer on an ongoing basis. CSL has a separate Board level Committee to monitor the CSR projects and activities. The CSR performance of CSL is considered on a quarterly basis by the CSR Committee as well as the Board of Directors.	A Statutory Compliance Certificate on applicable laws is provided by the CMD & Director (Finance) on a quarterly basis to the Board of Directors.

11. Has the entity carried out independent assessment/ evaluation of the working of its policies by an external agency? (Yes/ No). If yes, provide name of the agency.

P1	Yes, the compliance with the CVC Guidelines are evaluated by the Vigilance Department headed by a Chief Vigilance Officer, appointed by the Government of India.
P2	Yes, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards are evaluated by DNV on an annual basis.
P3	Yes, ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standard is evaluated by DNV on an annual basis.
P4	CSL is in compliance with the Presidential directives and guidelines on reservation for Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribes (ST)/ Other Backward Classes (OBC)/ Economically Weaker Sections (EWS) and Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) issued by the Government of India from time to time. However, no external agency has carried out an independent assessment/ evaluation of the same.
P5	CSL is in compliance with all the applicable national laws, principles and norms with regard to Human Rights. However, no external agency has carried out an independent assessment/ evaluation of the same.
P6	Yes, ISO 14001:2015 Environmental Management System standard is evaluated by DNV on an annual basis.
P7	Not Applicable.
P8	Yes, CSL's CSR projects are audited by both statutory auditors of the Company as well as the Comptroller and Auditor General of India.
P9	Yes, ISO 9001:2015 Quality Management System, ISO 14001:2015 Environmental Management System and ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standards are evaluated by DNV on an annual basis.

12. If answer to question (1) above is "No" i.e. not all Principles are covered by a policy, reasons to be stated

Principle 7 is considered as not applicable since the Company has not engaged in any activities which influence the public and government policies.

Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
The entity does not consider the Principles material to its business (Yes/No)	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No
The entity is not at a stage where it is in a position to formulate and implement the policies on specified principles (Yes/No)	No	No	No	No	No	No	Yes	No	No
The entity does not have the financial or/human and technical resources available for the task (Yes/No)	No	No	No	No	No	No	No	No	No
It is planned to be done in the next financial year (Yes/No)	No	No	No	No	No	No	No	No	No

SECTION C: PRINCIPLE WISE PERFORMANCE DISCLOSURE

Principle 1

Businesses should conduct and govern themselves with integrity, and in a manner that is Ethical, Transparent and Accountable.

Essential Indicators

1. Percentage coverage by training and awareness programmes on any of the principles during the financial year

Category	Total number of training and awareness programmes held	Topics/ principles covered under the training and its impact	% of persons in respective category covered by the awareness programmes
Board of Directors	7	Principle 1 [1 to 6] and Principle 6 [9]	41.66
Key Managerial Personnel*	1	Principle 1 [5] Principle 3 [7] and Principle 5 [8]	100.00
Employees other than BoD and KMPs	1	Principle 1 [5] and Principle 5 [8]	100.00
Workers	1	Principle 1 [5] and Principle 5 [8]	100.00

*Company Secretary alone is included in Key Managerial Personnel (KMP) to avoid duplication, since the training provided to rest of the KMPs viz., CMD & Whole-time Directors are already covered in Board of Directors.

1. Principle 1 - 'Assessments, Adjudication & Appeals Under GST' conducted by The Institute of Cost Accountants of India at Kochi on May 04, 2024. The programme focused on improving the understanding of regulatory compliance and dispute resolution under the GST framework, strengthening transparency, ethical governance, and accountability in financial practices.
2. Principle 1 - 'Capacity Building of Functional Director' conducted by Department of Public Enterprises held at Leh on June 13 & 14, 2024. The programme focused on providing improved understanding of governance and ethical responsibilities, enhancing board-level oversight and alignment with responsible business practices.
3. Principle 1 – 'Capacity Building of Functional Director' conducted by Department of Public Enterprises held at Kochi on September 02 & 03, 2024. The programme focused on providing improved understanding of governance and ethical responsibilities, enhancing board-level oversight and alignment with responsible business practices.
4. Principle 1 - 'Directors' Certification Master Class Program' conducted by the Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), under the Ministry of Corporate Affairs, Government of India. The program was held at Gangtok from September 04 to 06, 2024. The training focused on corporate governance, regulatory compliance, ESG responsibilities, and the role of boards in promoting sustainable and responsible business conduct.
5. Principle 1 - Awareness programs were provided as part of observance of Vigilance Awareness Week 2024 in CSL during October 28, 2024 to November 03, 2024. Awareness programs were conducted to sensitize employees and stakeholders on the importance of transparency, anti-corruption practices, and responsible conduct. This initiative supports Principle 1 of the NGRBC by fostering a culture of vigilance, accountability, and ethical behaviour within the organization.
6. Principle 1 - 'Customised ESG training – ESG Working Group' conducted by CSL at Kochi on February 13, 2025. The programme focused to strengthen the ESG Working Group's capability to identify, monitor, and report ESG risks and opportunities; to improve the understanding of sustainability frameworks, stakeholder expectations, and responsible governance practices.
7. Principle 1 & 3 - 'Labour Law Compliances in a Company, Debt Securities - An insight into Debenture Issuance and Resource Mobilisation for NBFCs-Practical aspects' organised by the Institute of Company Secretaries of India on March 25, 2025. The programme focused to improve awareness of labour law compliance and ethical, transparent debt resource mobilisation, reducing regulatory risk and strengthening governance.
8. Principle 5 - 'Awareness Session on POSH Act' was conducted by Cochin Shipyard Limited for its employees and workers. The session focused on enhancing the employee awareness on rights, responsibilities, and complaint mechanisms under the POSH Act, fostering a safer and more respectful workplace.
9. Principle 6 - 'Resource Efficiency & Environmental Sustainability' conducted by Confederation of Indian Industry at Hyderabad on March 01, 2025. The programme focused on improving the understanding of sustainable resource management.

2. Details of fines/ penalties/ punishment/ award/ compounding fees/ settlement amount paid in proceedings (by the entity or by directors/ KMPs) with regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, in the financial year, in the following format

(Note: the entity shall make disclosures on the basis of materiality as specified in Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as disclosed on the entity's website)

Monetary					
Particulars	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Amount (In INR)**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Penalty/ Fine	1	BSE	11,800 (incl. GST)	Delay of one working day in intimating the record date fixed in November 2021 for payment of interest on the Company's 8.51% Tax Free, Secured Redeemable Non-Convertible Bonds. The Company has paid the fine within the prescribed time.	No
		BSE & NSE	12,59,060 each (including GST @ 18%)	Non-compliance with respect to the composition of the Board of Directors and the constitution of statutory committees, along with related non-compliances under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations.*	No*
Settlement	Nil	Nil	Nil	Nil	Not applicable
Compounding Fee	Nil	Nil	Nil	Nil	Not applicable

*Note: CSL, being a CPSE, the power to appoint Directors vests with the Government of India and the Company has forwarded appropriate requests to the Government of India for filling up the vacancies of Independent Directors including a Woman Director. In view of the fact that the said non-compliances were neither due to the negligence/ default by the Company nor within the control of the management of the Company, appropriate requests for waiver of fines imposed will be filed with the stock exchanges in due course as per the extant Policy for Exemption of Fines. The stock exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.

Non-Monetary				
Particulars	**NGRBC Principle**	**Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions**	**Brief of the Case**	**Has an appeal been preferred? (Yes/No)**
Imprisonment	Nil	Nil	Nil	Not applicable
Punishment	Nil	Nil	Nil	Not applicable

3. Of the instances disclosed in Question 2 above, details of the Appeal/ Revision preferred in cases where monetary or non-monetary action has been appealed

Sl. No.	Case Details	Name of the regulatory/ enforcement agencies/ judicial institutions
1.	Nil	Nil

4. Does the entity have an anti-corruption or anti-bribery policy? If yes, provide details in brief and if available, provide a web-link to the policy.

The Vigilance Department of Cochin Shipyard Limited performs various activities with regard to preventive and pro-active vigilance, undertakes investigation in cases related to punitive vigilance and conducts surveillance and detection initiatives. Vigilance department strives to ensure transparency, equity and competitiveness in all procurement. Important CVC guidelines are discussed with Heads of Departments for its strict compliance. For more details, please refer to the following web-link. https://cochinshipyard.in/Vigilance/integrity-pact

5. Number of Directors/ KMPs/ employees/ workers against whom disciplinary action was taken by any law enforcement agency for the charges of bribery/ corruption

Category	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Directors	0	0
KMPs	0	0
Employees	0	0
Workers	0	0

6. Details of complaints with regard to conflict of interest

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)		FY 2024 (Previous Financial Year)	
	Number	Remarks	Number	Remarks
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the Directors	0	-	0	-
Number of complaints received in relation to issues of Conflict of Interest of the KMPs	0	-	0	-

7. Provide details of any corrective action taken or underway on issues related to fines/ penalties/ action taken by regulators/ law enforcement agencies/ judicial institutions, on cases of corruption and conflicts of interest.

Not applicable, as we do not have any instances of corruption/ conflicts of interest against Directors and KMPs.

8. Number of days of accounts payables ((Accounts payable *365) / Cost of goods/ services procured) in the following format

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Number of days of accounts payables	71	95

9. Openness of business

Provide details of concentration of purchases and sales with trading houses, dealers, and related parties along-with loans and advances & investments, with related parties, in the following format

Parameter	Metrics	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Concentration of Purchases	a. Purchases from trading houses as % of total purchases	46.79	6.05
	b. Number of trading houses where purchases are made from	10997	8470
	c. Purchases from top 10 trading houses as % of total purchases from trading houses	75.75	50.13
Concentration of Sales	a. Sales to dealers/ distributors as % of total sales	Nil	Nil
	b. Number of dealers/ distributors to whom sales are made	NA	NA
	c. Sales to top 10 dealers/ distributors as % of total sales to dealers/ distributors	NA	NA
Share of RPTs in	a. Purchases (Purchases with related parties/ Total Purchases)	0.84%	0.68%
	b. Sales (Sales to related parties/ Total Sales)	0.00%	0.00%
	c. Loans & advances (Loans & advances given to related parties/ Total loans & advances)	42.92%	42.83%
	d. Investments (Investments in related parties/ Total Investments made)	99.95%	99.96%

Principle 2

Businesses should provide goods and services in a manner that is sustainable and safe

Essential Indicators

1. **Percentage of R&D and capex investments in specific technologies to improve the environmental and social impacts of product and processes to total R&D and capex investments made by the entity, respectively**

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)	Details of improvements in environmental and social impacts
R&D	36.86%	68.13%	Green shipping initiatives expected to result in reduction of emissions.
Capex	0.18%	0.14%	Considerable energy savings achieved.

2. a. **Does the entity have procedures in place for sustainable sourcing?**

   Yes

   b. **If yes, what percentage of inputs were sourced sustainably?**

   100 percent.

   The Company has been following approved criteria for the selection of vendors to ensure sustainable sourcing which inter alia includes vendors having ISO 9000 certification, vendors approved by regulatory bodies, various authorized dealers of the manufacturer, ability to provide materials as per laid down specification and other requirements, and the ability to supply materials as per stipulated delivery period. Annual evaluation of the orders placed on a vendor is completed to decide the average performance. A vendor is removed/ suspended from approved vendor list based on his average performance over the period of evaluation. Vendors list is reviewed and updated once in a year.

3. **Describe the processes in place to safely reclaim your products for reusing, recycling and disposing at the end of life, for (a) Plastics (including packaging) (b) E-waste (c) Hazardous waste and (d) other waste**

   Cochin Shipyard Limited (CSL) is primarily engaged in shipbuilding and ship repair. The nature of its business does not involve the production of consumer goods or equipment that return to the manufacturer at the end of their life cycle. Instead, the ships built by CSL are owned, operated, and ultimately decommissioned by customers through authorised ship recycling facilities in compliance with applicable national and international regulations, including the Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships.

   Given this industry-specific context, CSL does not directly reclaim or recycle its products after delivery and, therefore, the end-of-life product reclamation processes under this disclosure is not applicable to CSL.

   However, as part of its own operational responsibility, the Company ensures safe and compliant disposal of various categories of waste generated during construction and repair activities through government-approved external agencies.

4. **Whether Extended Producer Responsibility (EPR) is applicable to the entity's activities (Yes / No). If yes, whether the waste collection plan is in line with the Extended Producer Responsibility (EPR) plan submitted to Pollution Control Boards? If not, provide steps taken to address the same.**

   No. Extended Producer Responsibility (EPR) is not applicable to CSL.

Principle 3

Businesses should respect and promote the well-being of all employees, including those in their value chains

Essential Indicators

1. a. **Details of measures for the well-being of employees:**

Category	Total (A)	% of employees covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		No. (A)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)	No. (D)	%(D/A)	No. (E)	%(E/A)	No. (F)	%(F/A)
Permanent employees											
Male	605	605	100.00	605	100.00	N.A.	N.A.	605	100.00	605	100.00
Female	90	90	100.00	90	100.00	90	100.00	N.A.	N.A.	90	100.00
Total	**695**	**695**	**100.00**	**695**	**100.00**	**90**	**100.00**	**605**	**100.00**	**695**	**100.00**
Other than Permanent employees											
Male	152	152	100.00	152	100.00	N.A.	N.A.	152	100.00	152	100.00
Female	47	47	100.00	47	100.00	47	100.00	N.A.	N.A.	47	100.00
Total	**199**	**199**	**100.00**	**199**	**100.00**	**47**	**100.00**	**152**	**100.00**	**199**	**100.00**

b. **Details of measures for the well-being of workers:**

Category	Total (A)	% of workers covered by									
		Health insurance		Accident insurance		Maternity Benefits		Paternity Benefits		Day Care facilities	
		No. (A)	%(B/A)	No. (C)	%(C/A)	No. (D)	%(D/A)	No. (E)	%(E/A)	No. (F)	%(F/A)
Permanent workers											
Male	1317	1317	100.00	1317	100.00	N.A.	N.A.	1317	100.00	1317	100.00
Female	128	128	100.00	128	100.00	128	100.00	N.A.	N.A.	128	100.00
Total	**1445**	**1445**	**100.00**	**1445**	**100.00**	**128**	**100.00**	**1317**	**100.00**	**1445**	**100.00**
Other than Permanent employees											
Male	1153	1153	100.00	1153	100.00	N.A.	N.A.	1153	100.00	1153	100.00
Female	49	49	100.00	49	100.00	49	100.00	N.A.	N.A.	49	100.00
Total	**1202**	**1202**	**100.00**	**1202**	**100.00**	**49**	**100.00**	**1153**	**100.00**	**1202**	**100.00**

c. **Spending on measures towards well-being of employees and workers (including permanent and other than permanent) in the following format:**

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Cost incurred on wellbeing measures as a % of total revenue of the company	0.25	0.15

2. Details of retirement benefits, for Current FY and Previous FY

Benefits	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)	No. of employees covered as a % of total employees	No. of workers covered as a % of total workers	Deducted and deposited with the authority (Y/N/N.A.)
PF	100.00	100.00	Y	100.00	100.00	Y
Gratuity	100.00	100.00	N.A.	100.00	100.00	N.A.
ESI	0.00	0.00	N.A.	0.00	0.00	N.A.
Insurance Linked Post Retirement Medical Scheme	100.00	100.00	Y	100.00	100.00	Y

3. Accessibility of workplaces

Are the premises/ offices of the entity accessible to differently abled employees and workers, as per the requirements of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If not, whether any steps are being taken by the entity in this regard.

Yes

4. Does the entity have an equal opportunity policy as per the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016? If so, provide a web-link to the policy.

Yes. Weblink: https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/68

5. Return to work and Retention rates of permanent employees and workers that took parental leave.

Gender	Permanent employees		Permanent workers	
	Return to work rate	Retention rate	Return to work rate	Retention rate
Male	100	95.24	100	100
Female	100	100	100	100
Total	**100**	**95.45**	**100**	**100**

6. Is there a mechanism available to receive and redress grievances for the following categories of employees and worker? If yes, give details of the mechanism in brief.

Category	Yes/No (If Yes, then give details of the mechanism in brief)
Permanent Workers	Yes, CSL has a 5 stage grievance redressal mechanism, beginning from the reporting officer at the first stage till the CMD of the Company at the fifth stage with specific timelines at each stage to resolve the grievance. The detailed framework of this mechanism is available in CSL intranet.
Other than Permanent Workers	
Permanent Employees	
Other than Permanent Employees	

7. Membership of employees and workers in association(s) or Unions recognised by the listed entity:

Category	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Total employees/ workers in respective category(A)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union(B)	% (B/A)	Total employees/ workers in respective category(C)	No. of employees/ workers in respective category, who are part of association(s) or Union(D)	% (D/C)
Total Permanent Employees	**695**	**695**	**100.00**	**637**	**637**	**100.00**
Male	605	605	100.00	558	558	100.00
Female	90	90	100.00	79	79	100.00
Total Permanent Workers	**1445**	**1445**	**100.00**	**1496**	**1496**	**100.00**
Male	1317	1317	100.00	1363	1363	100.00
Female	128	128	100.00	133	133	100.00

8. Details of training given to employees and workers:

Category	FY 2025 (Current Financial Year)					FY 2024 (Previous Financial Year)				
	Total (A)	On Health and safety measures		On Skill upgradation		Total (D)	On Health and safety measures		On Skill upgradation	
		No.(B)	% B/A	No.(C)	% C/A		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Male	757	269	35.54	402	53.10	691	72	10.42	417	60.35
Female	137	34	24.82	62	45.26	114	18	15.79	70	61.40
Total	**894**	**303**	**33.89**	**464**	**51.90**	**805**	**90**	**11.18**	**487**	**60.50**
Workers										
Male	2470	210	8.50	483	19.55	2407	312	12.96	175	7.27
Female	177	26	14.69	47	26.55	188	59	31.38	24	12.77
Total	**2647**	**236**	**8.92**	**530**	**20.02**	**2595**	**371**	**14.30**	**199**	**7.67**

9. Details of performance and career development reviews of employees and workers:

Category	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Total (A)	No.(B)	% B/A	Total (C)	No.(D)	% D/C
Employees						
Male	757	757	100.00	691	691	100.00
Female	137	137	100.00	114	114	100.00
Total	**894**	**894**	**100.00**	**805**	**805**	**100.00**
Workers						
Male	2470	2470	100.00	2407	2407	100.00
Female	177	177	100.00	188	188	100.00
Total	**2647**	**2647**	**100.00**	**2595**	**2595**	**100.00**

10. Health and safety management system:

a. Whether an occupational health and safety management system has been implemented by the entity? (Yes/ No). If yes, the coverage such system?

Yes, CSL is certified to ISO 45001:2018 Health and Safety Management System standard for the main facility at Kochi.

b. What are the processes used to identify work-related hazards and assess risks on a routine and non-routine basis by the entity?

Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) is the tool used by Cochin Shipyard Limited to identify and assess the hazards and risks associated with routine and non-routine works carried out in the Yard. This process include listing out all the activities and taking each activities through the HIRA work sheet. The HIRA Work sheet perform quantitative approach of risk calculation and prioritising the activities based on risk value to Low, Medium and High risk activities. Control measures for mitigating the risks and reducing the risk levels from high and medium to low risk is described in standard operating procedures and operational control procedures tagged to each activities. Job Safety Analysis (JSA) will be carried out for all Non-routine jobs in co-ordination with the performing agency and the concerned CSL executing officer. The JSA will be discussed with the Safety Team, communicated to the workers and properly documented.

c. Whether you have processes for workers to report the work related hazards and to remove themselves from such risks? (Yes/ No)

Yes

d. Do the employees/ worker of the entity have access to non-occupational medical and healthcare services? (Yes/ No)

Yes, CSL has a full-fledged medical centre premised at Kochi, headed by a Chief Medical Officer. Further, CSL has a medical assistance scheme for employees by empanelling various hospitals (Super-speciality/ Multi-speciality/ Speciality and other-speciality hospitals) in Ernakulam District for the treatment of CSL employees and their eligible dependent family members. The expenses towards the inpatient/ day care treatment availed at these empanelled hospitals shall be settled directly by CSL to the hospital. Medical ID Cards with details of employees and dependents has been issued to all employees for the purpose of identification at empanelled hospitals. In the case of hospitals outside Ernakulam district, the admissible treatment expenses shall be reimbursed to the employees.

11. Details of safety related incidents, in the following format:

Safety Incident/ Number	Category	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR) (per one million person-hours worked)	Employees	0	0
	Workers	0.0648	0.2777
Total recordable work-related injuries	Employees	18	8
	Workers	403	354
No. of fatalities	Employees	0	0
	Workers	0	0
High-consequence work-related injury or ill health (excluding fatalities)	Employees	0	1
	Workers	0	4

Note: The data in the above table is including the contract workforce

12. Describe the measures taken by the entity to ensure a safe and healthy work place.

The Occupational Health and Safety Management System at Cochin Shipyard, known as the HSE Governance System, fosters a positive safety culture by encouraging employees to adhere to safe work practices. To reinforce this commitment, employees are rewarded monthly and on National Safety Day for their safe actions. Each employee group selects a Field Safety Representative (FSR) to oversee workplace safety. Additionally, a dedicated team of approximately 250 Safety and Fire staff continuously monitor activities on vessels, workshops, and skids. These staff members are responsible for issuing work permits as needed and issuing violation tokens when unsafe practices are observed.

The commitment of top management to safety is further demonstrated through weekly walk-throughs and monthly pep talks at worksites by Section Heads, General Managers, and Chief General Managers. CSL meticulously evaluates its subcontractors based on their HSE performance and mandates adherence to CSL's rigorous HSE policies and standards. CSL collaborate closely with our subcontractors, ensuring they are equipped with the requisite resources and training to execute their tasks safely. Continuously monitoring their HSE performance, CSL provide constructive feedback to facilitate improvement.

Recognizing the significance of subcontractors' HSE performance, CSL has implemented a robust evaluation process to ensure alignment with CSL's HSE standards and regulations. The HSE Star rating represents the annual performance of CSL subcontractors in terms of Health, Safety, and Environment aspects. Additionally, an HSE and sustainability management supplier code of conduct has been published for suppliers.

13. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Working Conditions	2444	130	Refer note below	1532	291	Refer note below
Health & Safety	0	0	-	0	0	-

Note: These are the observations reported by the workforce as part of our ongoing efforts to improve and uphold a safe working environment. The observations are appropriately addressed through a robust HSE Governance System at CSL.

14. Assessments for the year:

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Health and safety practices	100
Working Conditions	100

15. Provide details of any corrective action taken or underway to address safety-related incidents (if any) and on significant risks/ concerns arising from assessments of health & safety practices and working conditions.

Corrective actions will arise from 3 member committee (Committee including concerned officer of that area, Safety committee member of that area and Safety officer of that area) or board of enquiry (members nominated by occupier/ factory manager/ CSO for critical incidents) for safety related incidents. Other corrective actions from HSE observations/ suggestions will be generated by HSE Coordinator/ Safety Officer of particular area.

Principle 4

Businesses should respect the interests of and be responsive to all its stakeholders

Essential Indicators

1. Describe the processes for identifying key stakeholder groups of the entity.

The key stakeholders identified are: customers, employees, shareholders, academic institutions, suppliers, industry bodies such as Indian Shipbuilders' Association, Confederation of Indian Industry (CII), The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE) and Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM), governments, NGOs, local communities, regulators and society at large. The process for identification of stakeholders is own internal assessment.

2. List stakeholder groups identified as key for your entity and the frequency of engagement with each stakeholder group.

Sl. No.	Stakeholder Group	Whether identified as Vulnerable & Marginalized Group (Yes/ No)	Channels of communication (Email, SMS, Newspaper, Pamphlets, Advertisement, Community Meetings, Notice Board, Website, Other)	Frequency of engagement (Annually/ Half yearly/ Quarterly / others – please specify)	Purpose and scope of engagement including key topics and concerns raised during such engagement
1	Customers	No	Project-related calls, e-mails and meetings; project management reviews; top executive meetings and briefings; customer visits; responses to RFPs and other tenders etc. newsletters; brochures	Continuous basis	Shipbuilding and Ship Repair Project execution
2	Shareholders	No	Press releases; email advisories; in-person meetings; investor conference calls etc	Quarterly: Financial results in IndAS; exchange notifications; Continuous: Investors page on the CSL website; Annual: Annual General Meeting; Annual Report Earnings call; investor meets on need basis	Helping investors voice their concerns regarding company policies, reporting, strategy, etc. Understanding shareholder expectations
3	Employees	No	Intranet, e-mail and meetings	Continuous basis	Informing about various orders, directives, schemes etc.
4	Academic Institutions	No	Academic and Training Programs; and meetings	As and when needed	Training and development
5	Industry bodies, government and Regulators	No	Conferences and seminars; surveys; and other meetings	As and when needed	Ensure 100% compliance to all applicable laws.
6	NGOs, local communities and society at large	No	Meetings; social media; surveys; and press releases	As and when needed	Execution of CSR project, intimation of important events and happenings.

Principle 5

Businesses should respect and promote human rights

Essential Indicators

1. Employees and workers who have been provided training on human rights issues and policy(ies) of the entity, in the following format:

Category	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Total (A)	No. of employees/ workers covered (B)	% B/A	Total (C)	No. of employees/ workers covered (D)	% D/C
Employees						
Permanent	695	88	12.66	637	73	11.46
Other than permanent	199	0	0	168	0	0
Total	**894**	**88**	**9.84**	**805**	**73**	**9.07**
Workers						
Permanent	1445	1	0.07	1496	12	0.80
Other than permanent	1202	0	0	1099	0	0
Total	**2647**	**1**	**0.04**	**2595**	**12**	**0.46**

2. Details of minimum wages paid to employees and workers, in the following format:

Category	FY 2025 (Current Financial Year)					FY 2024 (Previous Financial Year)				
	Total (A)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage		Total (D)	Equal to Minimum Wage		More than Minimum Wage	
		No.(B)	% B/A	No.(C)	% C/A		No.(E)	% E/D	No.(F)	% F/D
Employees										
Permanent	**695**	**0**	**0**	**695**	**100**	**637**	**0**	**0**	**637**	**100**
Male	605	0	0	605	100	558	0	0	558	100
Female	90	0	0	90	100	79	0	0	79	100
Other than permanent	**199**	**0**	**0**	**199**	**100**	**168**	**0**	**0**	**168**	**100**
Male	152	0	0	152	100	133	0	0	133	100
Female	47	0	0	47	100	35	0	0	35	100
Workers										
Permanent	**1445**	**0**	**0**	**1445**	**100**	**1496**	**0**	**0**	**1496**	**100**
Male	1317	0	0	1317	100	1363	0	0	1363	100
Female	128	0	0	128	100	133	0	0	133	100
Other than permanent	**1202**	**0**	**0**	**1202**	**100**	**1099**	**0**	**0**	**1099**	**100**
Male	1153	0	0	1153	100	1044	0	0	1044	100
Female	49	0	0	49	100	55	0	0	55	100

3. Details of remuneration/ salary/ wages, in the following format:

a. Median remuneration/ wages:

Particulars	Male		Female	
	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (in ₹ Lakhs)	Number	Median remuneration/ salary/ wages of respective category (in ₹ Lakhs)
Board of Directors (BoD)	6	64.51	0	-
Key Managerial Personnel	5	62.54	0	-
Employees other than BoD and KMP	752	13.19	137	11.02
Workers	2470	6.38	177	6.84

b. Gross wages paid to females as % of total wages paid by the entity:

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Gross wages paid to females as % of total wages	9.18	10.69

4. Do you have a focal point (Individual/ Committee) responsible for addressing human rights impacts or issues caused or contributed to by the business? (Yes/ No)

Yes

5. Describe the internal mechanisms in place to redress grievances related to human rights issues.

CSL has established comprehensive human resource policies that address all aspects of human rights for its employees and those associated with its operations, including subsidiaries. The Company is committed to upholding the dignity of women employees and has implemented a policy to protect against sexual harassment in the workplace, including mechanisms for prevention and redressal.

CSL ensures compliance with human rights practices across all subsidiaries and stakeholders. The grievance redressal system is overseen by a Whole Time Director, ensuring that complaints related to integrity, fairness, and transparency are addressed promptly. A dedicated grievance portal is available for reporting issues, accessible at CSL Grievance Portal (https://cochinshipyard.in/grievance-cell).

6. Number of Complaints on the following made by employees and workers:

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks	Filed during the year	Pending resolution at the end of year	Remarks
Sexual Harassment	3	1	CSL's Internal Complaints Committee is examining the matter.	2	1	1 case which was pending is closed.
Discrimination at workplace	0	0	-	0	0	-
Child Labour	0	0	-	0	0	-
Forced Labour/ Involuntary Labour	0	0	-	0	0	-
Wages	0	0	-	0	0	-
Other human rights related issues	0	0	-	0	0	-

7. Complaints filed under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, in the following format:

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Total Complaints reported under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH)	3	2
Complaints on POSH as a % of female employees/ workers	0.97	0.66
Complaints on POSH upheld	2	2

8. Mechanisms to prevent adverse consequences to the complainant in discrimination and harassment cases.

Concerns on discrimination and harassment are dealt with confidentially. CSL does not tolerate any form of retaliation against anyone reporting good faith concerns. Anyone involved in targeting such a person raising such complaints will be subject to disciplinary action.

9. Do human rights requirements form part of your business agreements and contracts? (Yes/ No)

Yes

10. Assessments for the year

Particulars	% of your plants and offices that were assessed (by entity or statutory authorities or third parties)
Child Labour	100
Forced Labour/ Involuntary Labour	100
Sexual Harassment	100
Discrimination at Workplace	100
Wages	100

11. Provide details of any corrective actions taken or underway to address significant risks / concerns arising from the assessments at Question 10 above.

Not applicable, as we have not come across any significant concerns at our facilities.

Principle 6

Businesses should respect and make efforts to protect and restore the environment

Essential Indicators

1. Details of total energy consumption (in Joules or multiples) and energy intensity, in the following format:

Parameter	Unit	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
From renewable sources			
Total electricity consumption (A)	GJ	23078.04	9852.94
Total fuel consumption (B)	GJ	0	0
Energy consumption through other sources (C)	GJ	0	0
Total energy consumed from renewable sources (A+B+C)	GJ	**23078.04**	**9852.94**

Parameter	Unit	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
From non-renewable sources			
Total electricity consumption (D)	GJ	142298.17	114729.02
Total fuel consumption (E)	GJ	15026.95	16598.63
Energy consumption through other sources (F)	GJ	0	0
Total energy consumed from non-renewable sources (D+E+F)	GJ	**157325.12**	**131327.65**
Total energy consumed (A+B+C+D+E+F)	GJ	**180403.16**	**141180.59**
Energy intensity per rupee of turnover (Total energy consumed/ Revenue from operations)	GJ/ rupee crore	39.84	38.73
Energy intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total energy consumed/ Revenue from operations adjusted for PPP)	GJ/ Mio USD	82.32	80.02
Energy intensity in terms of physical output	-	Not applicable*	Not applicable*

* This is because the Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for the current FY 2025 and the previous FY 2024 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.662 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the energy consumption.

2. **Does the entity have any sites/ facilities identified as designated consumers (DCs) under the Performance, Achieve and Trade (PAT) Scheme of the Government of India? (Y/N) If yes, disclose whether targets set under the PAT scheme have been achieved. In case targets have not been achieved, provide the remedial action taken, if any.**

No. The entity does not have any sites/ facilities identified as Designated Consumers under the PAT Scheme of the Government of India.

3. **Provide details of the following disclosures related to water, in the following format:**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Water withdrawal by source (in kilolitres)		
(i) Surface water	-	-
(ii) Groundwater	886	6228.2
(iii) Third party water	570652	616776.4
(iv) Seawater/ desalinated water	300	452.02
(v) Others	2116	-
Total volume of water withdrawal (in kilolitres) (i + ii + iii + iv + v)	573954	623456.62
Total volume of water consumption (in kilolitres)	557920	609744.62
Water intensity per rupee of turnover (Total water consumption/ Revenue from operations) (in Kilolitres/rupee crore)	123.22	167.27
Water intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total water consumption/ Revenue from operations adjusted for PPP) (in Kilolitres/ Mio USD)	254.60	345.61
Water intensity in terms of physical output	Not applicable*	Not applicable*

* This is because the Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for the current FY 2025 and the previous FY 2024 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.662 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the water consumption.

4. **Provide the following details related to water discharged:**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Water discharge by destination and level of treatment (in kilolitres)		
(i) To surface water	620	20
- No treatment	0	20
- With treatment	620	0
- Primary treatment	0	0
- Secondary treatment	620	0
- Tertiary treatment	0	0
(ii) To Groundwater	5400	6200
- No treatment	0	0
- With treatment	5400	6200
- Primary treatment	5400	6200
- Secondary treatment	0	0
- Tertiary treatment	0	0
(iii) To Seawater	10014	7512
- No treatment	0	0
- With treatment	10014	7512
- Primary treatment	0	0
- Secondary treatment	10014	7512
- Tertiary treatment	0	0
(iv) Sent to third-parties	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment	0	0
- Primary treatment	0	0
- Secondary treatment	0	0
- Tertiary treatment	0	0
(v) Others	0	0
- No treatment	0	0
- With treatment	0	0
- Primary treatment	0	0
- Secondary treatment	0	0
- Tertiary treatment	0	0
Total water discharged (in kilolitres)	**16034**	**13732**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency

No, CSL internally monitors the water discharge.

5. **Has the entity implemented a mechanism for Zero Liquid Discharge? If yes, provide details of its coverage and implementation:**

No

6. **Please provide details of air emissions (other than GHG emissions) by the entity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
NOx	MT	0	0
SOx	MT	0	0
Particulate matter (PM)	MT	0	0
Persistent organic pollutants (POP)	MT	0	0
Volatile organic compounds (VOC)	MT	0	0
Hazardous air pollutants (HAP)	MT	0	0

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL does not have significant air emissions other than GHG emissions.

7. **Provide details of greenhouse gas emissions (Scope 1 and Scope 2 emissions) & its intensity, in the following format:**

Parameter	Unit	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Total Scope 1 Emissions (Break-up of the GHG into CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF_6, NF_3, if available)	Metric tonnes of CO_2 equivalent	2687.63	2211.21
CO_2	Metric tonnes of CO_2 equivalent	685.13	662.97
CH_4	Metric tonnes of CO_2 equivalent	7.33	0.3021
N_2O	Metric tonnes of CO_2 equivalent	1517.35	5.1
Total Scope 2 Emissions (Break-up of the GHG into CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, if available)	Metric tonnes of CO_2 equivalent	28736.33	28920.51
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations)	Metric tonnes of CO_2 equivalent/ rupee crore	6.94	8.54
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total Scope 1 and Scope 2 GHG emissions / Revenue from operations adjusted for PPP)	Metric tonnes of CO_2 equivalent/Mio USD	14.34	17.65
Total Scope 1 and Scope 2 emission intensity in terms of physical output	-	Not applicable*	Not applicable*

* This is because the Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for the current FY 2025 and the previous FY 2024 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.662 as per the 2025 update.

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the GHG emissions.

8. Does the entity have any project related to reducing Green House Gas emission? If yes, then provide details

CSL is planning to operate entirely on green energy by implementing a wind-solar hybrid power plant with a total capacity of approximately 14 MW and expanding rooftop solar installations inside CSL from 1.8 MWp to 4 MWp in a phased manner. These initiatives are expected to generate around 40 million units of renewable electricity annually, exceeding CSL's current average annual energy consumption. By transitioning to renewable energy sources, CSL aims to eliminate its Scope 2 emissions, reaffirming its commitment to sustainable energy practices. This strategy will significantly reduce CSL's carbon footprint and contribute more towards a sustainable future.

9. Provide details related to waste management by the entity, in the following format:

a. Total Waste generated

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Total Waste generated (in metric tonnes)		
Plastic waste	20.20	5.87
E-waste	15.70	47.37
Biomedical waste	0.045	0.0306
Construction and demolition waste	1669.63	740
Battery waste	28.09	784.19
Radioactive waste	0	0
Other Hazardous waste		
Glass Waste	0.01	0.032
Used or Spent Oil	20.99	0.60
Waste or Residue Containing Oil	0	175.9
Oil & Grease skimming	0.005	0
Equipment Retiral Waste	65	2.04
Paint Sludge	5.85	0.12
Anode	2.90	1.51
Waste Oil	631.52	2.40
Copper Cables	12.46	10
Used Copper Slag	5593	6916.50
Empty Paint Tin	41.97	10.21
Empty Oil Barrel	11.10	0
Other Non-hazardous waste		
Food Waste	334.23	220.02
Metal Waste	0	0
Paper and Cardboard Waste	0.111	0.4014
Aluminium Waste	3.42	4.20
Miscellaneous Waste	0	40
Steel Scrap	1114.95	4016.39
Industrial Waste	3050	2909.47
Total Waste Generated	**12621.19**	**15887.25**
Waste intensity per rupee of turnover (Total waste generated/ Revenue from operations)	2.79 per rupee crore	4.36 per rupee crore
Waste intensity per rupee of turnover adjusted for Purchasing Power Parity (PPP) (Total waste generated/ Revenue from operations adjusted for PPP)	5.76 per Mio USD	9.01 per Mio USD
Waste intensity in terms of physical output	Not applicable*	Not applicable*

* This is because the Company operates in the shipbuilding and ship repair industry, where the nature of output - such as ships and offshore structures - varies significantly in type, size, complexity, and scope from project to project. As a result, there is no uniform or comparable measure of physical output that would enable meaningful calculation of intensity ratios.

Note: The Purchasing Power Parity (PPP) for the current FY 2025 and the previous FY 2024 are sourced from the International Monetary Fund (IMF). The PPP factor applied is 20.662 as per the 2025 update.

b. For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)

Total Waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Total Waste		
(i) Recycled	15	6.32
(ii) Re-used	334.23	219.88
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**349.23**	**226.20**

Category-wise breakdown

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Plastic waste		
(i) Recycled	15	5.72
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**15**	**5.72**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: E-waste, Biomedical waste, Construction and demolition waste, Battery waste and Radioactive waste.		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**0**	**0**

Other Hazardous waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Used or Spent Oil		
(i) Recycled	0	0.6
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**0**	**0.6**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Glass Waste, Waste or Residue Containing Oil, Oil & Grease skimming, Equipment Retiral Waste, Paint Sludge, Anode, Waste Oil, Copper Cables, Used Copper Slag, Empty Paint Tin and Empty Oil Barrel.		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**0**	**0**

Other Non-hazardous waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Food Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	334.23	219.82
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**334.23**	**219.82**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Paper and Cardboard Waste		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0.06
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**0**	**0.06**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste recovered through recycling, re-using or other recovery operations (in metric tonnes)		
Category of waste: Metal Waste, Aluminium Waste, Miscellaneous Waste, Steel Scrap and Industrial Waste.		
(i) Recycled	0	0
(ii) Re-used	0	0
(iii) Other recovery operations	0	0
Total	**0**	**0**

c. For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)

Total Waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Total Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	1467.30	719
(iii) Other disposal operations	14883.42	20963.94
Total	**16350.72**	**21682.94**

Category-wise breakdown

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: E-waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	18.37	47.37
Total	**18.37**	**47.37**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Biomedical waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0.045	0.0306
Total	**0.045**	**0.0306**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Construction and demolition waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	1467.30	719
(iii) Other disposal operations	179.33	0
Total	**1646.63**	**719**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Plastic waste, Battery waste and Radioactive waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	**0**	**0**

Other Hazardous waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Equipment Retiral Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	65	2.04
Total	**65**	**2.04**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Paint Sludge		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	6.19	0.12
Total	**6.19**	**0.12**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Anode		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	18.50	0.12
Total	**18.50**	**0.12**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Waste Oil		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	820.04	2.40
Total	**820.04**	**2.40**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Used Copper Slag		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	7366.52	6916.50
Total	**7366.52**	**6916.50**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Empty Paint Tin		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	48.24	9099.13
Total	**48.24**	**9099.13**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Empty Oil Barrel		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	7.42	500
Total	**7.42**	**500**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Glass Waste, Used or Spent Oil, Waste or Residue Containing Oil, Oil & Grease skimming and Copper Cables.		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	**0**	**0**

Other Non-hazardous waste

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Food Waste, Paper and Cardboard Waste, Aluminium Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	0
Total	**0**	**0**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Metal Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	0	8.35
Total	**0**	**8.35**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Miscellaneous Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	113.84	0
Total	**113.84**	**0**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Steel Scrap		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	3193.63	1262.20
Total	**3193.63**	**1262.20**

Parameter	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
For each category of waste generated, total waste disposed by nature of disposal method (in metric tonnes)		
Category of waste: Industrial Waste		
(i) Incineration	0	0
(ii) Landfilling	0	0
(iii) Other disposal operations	3046.29	2909.47
Total	**3046.29**	**2909.47**

Note: Indicate if any independent assessment/ evaluation/ assurance has been carried out by an external agency? (Y/N) If yes, name of the external agency.

No, CSL internally monitors the waste management.

10. **Briefly describe the waste management practices adopted in your establishments. Describe the strategy adopted by your company to reduce usage of hazardous and toxic chemicals in your products and processes and the practices adopted to manage such wastes**

CSL has an operating Memorandum of Understanding (MoU) with Kerala Enviro Infrastructure Limited (KEIL), an authorized agency of Kerala State Pollution Control Board (KSPCB). CSL is disposing its industrial wastes through Kerala Enviro Infrastructure Limited in compliance with applicable statutory requirements promulgated by Pollution Control Board from time to time.

11. If the entity has operations/ offices in/ around ecologically sensitive areas (such as national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, wetlands, biodiversity hotspots, forests, coastal regulation zones etc.) where environmental approvals/ clearances are required, please specify details in the following format:

Sl. No.	Location of operations/ offices	Type of operations	Whether the conditions of environmental approval/ clearance are being complied with? (Y/N) If no, the reasons thereof and corrective action taken, if any.
1.	CSL, Perumanoor, Kochi, Kerala	Shipbuilding and Ship Repair	Y
2.	ISRF, Willingdon Island, Kochi, Kerala	Ship Repair	Y
3.	CMSRU, Mumbai, Maharashtra	Ship Repair	N- No environmental approval/ clearance is required.
4.	CKSRU, Kolkata, West Bengal	Ship Repair	N- No environmental approval/ clearance is required.
5.	CANSRU, Andaman & Nicobar Islands	Ship Repair	N- No environmental approval/ clearance is required.

12. Details of environmental impact assessments of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year:

Sl. No.	Name and brief details of project	EIA Notification No.	Date	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web link
Nil						

13. Is the entity compliant with the applicable environmental law/ regulations/ guidelines in India; such as the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, Air (Prevention and Control of Pollution) Act, Environment Protection Act and rules thereunder (Y/N): Yes

If not, provide details of all such non-compliances, in the following format:

Sl. No.	Specify the law/ regulation/ guidelines which was not complied with	Provide details of the non-compliance	Any fines/ penalties/ action taken by regulatory agencies such as pollution control boards or by courts	Corrective action taken, if any
Not applicable				

Principle 7

Businesses, when engaging in influencing public and regulatory policy, should do so in a manner that is responsible and transparent

Essential Indicators

1. a. Number of affiliations with trade and industry chambers/ associations.

9

b. List the top 10 trade and industry chambers/ associations (determined based on the total members of such body) the entity is a member of/ affiliated to

Sl. No.	Name of the trade and industry chambers associations	Reach of trade and industry chambers/ associations (State/ National)
1	Indian Shipbuilders' Association (ISBA)	National
2	Indian Maritime Centre	National
3	Confederation of Indian Industry (CII)	National
4	Standing Conference of Public Enterprises (SCOPE)	National
5	Society of Indian Defence Manufacturers (SIDM)	National
6	Indian Institute of Welding	National
7	Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM)	National
8	Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI)	National
9	National Safety Council	National

2. Provide details of corrective action taken or underway on any issues related to anti-competitive conduct by the entity, based on adverse orders from regulatory authorities

During the year, there were no adverse orders from regulatory authorities relating to anti-competitive conduct.

Name of authority	Brief of the case	Corrective action taken
Nil		

Principle 8

Businesses should promote inclusive growth and equitable development

Essential Indicators

1. Details of Social Impact Assessments (SIA) of projects undertaken by the entity based on applicable laws, in the current financial year.

Sl. No.	Name and brief details of project	SIA Notification No	Date of notification	Whether conducted by independent external agency (Yes/ No)	Results communicated in public domain (Yes/ No)	Relevant Web link
Nil						

2. Provide information on project(s) for which ongoing Rehabilitation and Resettlement (R&R) is being undertaken by your entity, in the following format:

During financial year 2024-25, we have not undertaken any projects that require Rehabilitation and Resettlement (R&R).

Sl. No.	Name of Project for which R&R is ongoing	State	District	No. of Project Affected Families(PAFs)	% of PAF covered by R&R	Amounts paid to PAFs in the FY (In INR)
Not applicable						

3. **Describe the mechanisms to receive and redress grievances of the community**

CSL's grievance redressal system is headed by a Whole Time Director and the complaints involving issues of integrity, fairness and transparency in dealing with CSL will be addressed and attended to in a time bound manner. Towards this the Company has put in place a grievance portal which can be accessed at https://cochinshipyard.in/grievance-cell

4. **Percentage of input material (inputs to total inputs by value) sourced from suppliers:**

Catergory	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Directly sourced from MSMEs/ small producers	27.53	9.87
Directly from within India	45.06	18.32

5. **Job creation in smaller towns – Disclose wages paid to persons employed (including employees or workers employed on a permanent or non-permanent/ on contract basis) in the following locations, as % of total wage cost**

Location	FY 2025 (Current Financial Year)	FY 2024 (Previous Financial Year)
Rural	0.00	0.00
Semi-urban	0.00	0.00
Urban	95.74	70.22
Metropolitan	4.26	29.78

Principle 9

Businesses should engage with and provide value to their consumers in a responsible manner

Essential Indicators

1. **Describe the mechanisms in place to receive and respond to consumer complaints and feedback.**

All the contracted vessels are conducted with a customer satisfaction survey and feedbacks are taken from owners willing to share their experience. The surveys are conducted by an independent third party firm in order to have open & genuine feedback from the customer.

2. **Turnover of products and/ services as a percentage of turnover from all products/ service that carry information about:**

Category	As a percentage to total turnover
Environmental and social parameters relevant to the product	100
Safe and responsible usage	100
Recycling and/or safe disposal	NA

3. Number of consumer complaints in respect of the following:

Particulars	FY 2025 (Current Financial Year)			FY 2024 (Previous Financial Year)		
	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks	Received during the year	Pending resolution at end of year	Remarks
Data privacy	0	0	-	0	0	-
Advertising	0	0	-	0	0	-
Cyber-security	0	0	-	0	0	-
Delivery of essential services	0	0	-	0	0	-
Restrictive Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Unfair Trade Practices	0	0	-	0	0	-
Other	0	0	-	0	0	-

4. Details of instances of product recalls on account of safety issues:

Particulars	Number	Reasons for recall
Voluntary recalls	0	N.A.
Forced recalls	0	N.A.

5. Does the entity have a framework/ policy on cyber security and risks related to data privacy? (Yes/No) If available, provide a web-link of the policy.

CSL conforms to the ISO 27001:2022 certification relating to 'Information Security Management Systems' to safeguard sensitive information and cyber-resilience.

Weblink for certificate: https://cochinshipyard.in/uploads/ISO-IEC_27001-ENG-C718609-0-20250324.pdf

6. Provide details of any corrective actions taken or underway on issues relating to advertising, and delivery of essential services; cyber security and data privacy of customers; re-occurrence of instances of product recalls; penalty/ action taken by regulatory authorities on safety of products/ services

No significant concerns/ complaints/ penalties/ regulatory actions were identified during the year.

7. Provide the following information relating to data breaches:

a. Number of instances of data breaches

Nil

b. Percentage of data breaches involving personally identifiable information of customers

Nil

c. Impact, if any, of the data breaches

Nil

Financial Statements

Independent Auditors' Report

To
The Members of **Cochin Shipyard Limited**

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Company") which comprises the Balance Sheet as at March 31,2025, the Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), Statement of Cash Flows and Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the standalone financial statements, including material accounting policy information and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the aforesaid standalone financial statements give the information, in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the company as at March 31,2025, the Profit including other comprehensive income, changes in equity and its cashflows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters:

1. **Non-Factoring of Liquidated Damages for 2 Nos 1200 Passenger Ships:**

   Attention is drawn to Note No. 32.5 to the Standalone Financial Statements, on shipbuilding contract for construction of 2 Nos 1200 Passenger Ships. The contractual delivery date (as extended) for both the ships are already expired. At the request of the customer for reallocation of the ships for other prospective buyers, the delivery of ship has been abated with minor progress. The Company has provided for the liquidated damages for the delay upto 29th April,2023 and 30th Oct,2023 in respect of these ships. Since the Company has a valid contract, it has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.

2. **Research and Development Project-Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel & Autonomous Surface Vessel:**

   Attention is invited to Note No.40 (c) & (d) to the Standalone Financial Statements, wherein, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has sanctioned fund of ₹1,312.50 lakhs & ₹ 2,000.00 lakhs for Design, Development, Construction and Demonstration of Fully Indigenous Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel & Autonomous Surface Vessel projects under R&D (Shipping) Scheme.

   As per the terms & conditions of the sanction to respective projects, company is nominated as 'Implementing Agency' for the development of said pilot projects and all the assets acquired from the fund shall be the property of Govt. of India.

   Further, the company is bound to comply with provisions of General Financial Rules (GFR), 2017 as amended from time to time, while spending the funds released.

   As per the GFR 2017, in case of ongoing projects, the company should not treat as its own assets in the books of accounts but should disclose about its holding and using such assets in the Notes to the Financial Statements. The decision of return, sale or retain by the company will be decided by the Ministry on completion of respective projects.

As on 31.03.2025, the Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel project is under demonstration phase & Autonomous Surface Vessel project is under Development/ Construction Phase.

Accordingly, the company has charged of the balance amount of ₹966.34 lakhs, incurred/spent by the company to the Statement of Profit and Loss Account during the year.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the standalone financial statements for the year ended March 31,2025. These matters were addressed in the context of our audit of the standalone financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. **Recognition of Revenue- Ship Building and Ship Repair activities:**

   (Refer Note No.3.10(a),32 and 43 to the Standalone Financial Statements)

   The Company enters into shipbuilding and ship repair contracts with customers, where revenue is recognised over time in accordance with the Output Method.

   There are significant accounting judgements involved in estimating contract revenue to be recognised on shipbuilding and ship repair contracts with customers, including determination of physical progress of completion as on the reporting date.

   The physical progress of completion is ascertained as per the in-house procedures developed by the management. The procedure and the assumptions therein are based on certain judgements made by the management based on inputs from the technical departments of the company. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date also involves management estimation.

   Significant judgements are involved in determining the expected losses, when such losses become probable based on the expected total contract cost. Cost contingencies are included in these estimates to take into account specific risks of uncertainties or disputed claims against the Company, arising within each contract. These contingencies are reviewed by the Management on a regular basis throughout the life of the contract and adjusted where appropriate. The revenue on contracts may also include variable consideration (variations and claims). Variable consideration is recognised when the recovery of such consideration is highly probable.

   Due to the nature of the contracts, revenue recognition involves usage of percentage of completion method (ie., physical progress of completion) which is determined by survey of work performed , which involves technical expertise, significant judgments, identification of contractual obligations and the Company's rights to receive payments for performance completed till date, changes in scope and consequential revised contract price and recognition of the liability for loss making contracts/onerous obligations.

   Auditing management's measurement of revenue recognised over time involves significant judgements and estimations made in measuring the physical progress of completion, we presumed there are inherent audit risks in the recognition of revenue and therefore determined this to be a key audit matter.

   Our Audit approach and procedures included but were not limited to:

   - Obtained an understanding of the policies and procedures that the company applies in recognising revenue from contract with customers, using the output method and the underlying assumptions and estimates thereon.
   - Evaluated the appropriateness of the Company's revenue recognition policies, including those related to variable considerations by comparing with the Ind AS 115-Revenue from Contract with Customers.
   - Tested the effectiveness of controls relating to the evaluation of performance obligations and identification of those that are distinct; estimation of costs to complete each of the performance obligations including the contingencies in respect thereof, as work progresses and the impact thereon as a consequence of change orders; the impact of change orders on the transaction price of the related contracts; and evaluation of the impact of variable consideration on the transaction price.
   - Selected of sample of contracts with customers and performed the following procedures:
     - Obtained and read contract documents for each selection, change orders and other documents that were part of the agreement/arrangement.

- Identified significant terms and deliverables in the contract to assess management's conclusions regarding the (i) identification of distinct performance obligations; (ii) changes to costs to complete as work progresses and as a consequence of change orders; (iii) the impact of change orders on the transaction price; and (iv) the evaluation of the adjustment to the transaction price on account of variable consideration.
- Compared costs incurred with Company's estimates of costs incurred to date to identify significant variations and evaluated whether those variations have been considered appropriately in estimating the remaining costs to complete the contract.
- Tested the estimate for consistency with the status of delivery of milestones and customer acceptance to identify possible delays in achieving milestones, which require changes in estimated costs or efforts to complete the remaining performance obligation.

- Performed analytical audit procedures for reasonableness of revenues disclosed by type and nature of service.
- Substantial reliance was placed on the technical and activity-based assessment made by the management in determination of percentage of physical progress completion and assessed the reasonableness of management's assumptions and estimates.
- Assessed appropriateness of the relevant disclosures made by the company in accordance with Ind AS 115.

We concluded that based on the procedures performed above, we did not find any material exceptions with regards to compliance of Ind AS 115 and timing of revenue recognition.

2. Capitalisation of Projects as Property, Plant and Equipment (PPE)

(Refer Note No.3.1,3.5 & 4(m) to the Standalone Financial Statements)

The Company has substantial ongoing infrastructure and development projects which, upon completion and readiness for intended use, are transferred from Capital Work-in-Progress (CWIP) to Property, Plant and Equipment (PPE).

During the year ended 31st March,2025, the Company has capitalised projects amounting to ₹2,11,283.18 lakhs on account of commercialisation/ operationalisation of International Ship Repair Facility (ISRF) & New Dry Dock.

The process of capitalisation requires management to exercise significant judgment in determining the date when an asset is ready for its intended use, assessing whether all directly attributable costs are appropriately included, categorising the assets under appropriate classes of PPE, determining the useful life and residual value based on technical evaluation.

Given the magnitude of the capitalised amounts and the management judgments involved, we considered the capitalisation of projects from CWIP to PPE as a Key Audit Matter.

Our audit procedures included, among others:

- Evaluated the Company's accounting policy for capitalisation in line with Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment.
- Tested the design and implementation of key controls over the capitalisation process.
- Reviewed the project completion certificates, internal commissioning documents, and management approvals to ascertain the readiness of assets for intended use.
- Verified a sample of expenditures capitalised to ensure they are directly attributable to the construction or acquisition of the specific asset.
- Examined technical assessments by the engineering team for the determination of useful life and residual values of the assets.
- Assessed the categorisation of assets into appropriate PPE classes.
- Reviewed subsequent costs to ensure they are not incorrectly capitalised post commercialisation.
- Evaluated the appropriateness of disclosures in the financial statements relating to capitalised projects.

Based on the above procedures, we found the management's judgement relating to capitalisation to be reasonable and the related disclosures to be adequate.

Information Other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon:

The Company's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Directors' Report and Management Discussion and Analysis, but does not include the consolidated financial statements, standalone financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the standalone financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the standalone financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the standalone financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

As on the date of this report, the other information was not made available to us by the management. Accordingly, we are unable to comment on this matter.

Responsibility of Management for the Standalone Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance including other comprehensive income, cash flows and changes in equity of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Indian Accounting Standards specified under section 133 of the Act. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those Board of Directors are also responsible for overseeing the company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Standalone Financial Statements:

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the standalone financial statements as a whole are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these standalone financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

a. Identify and assess the risks of material misstatements of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;

c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;

d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast

significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the standalone financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern;

e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the standalone financial statements, including the disclosures, and whether the standalone financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation;

Materiality is the magnitude of misstatements in the standalone financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the standalone financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work: and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the standalone financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the standalone financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

For the year ended 31st March,2025, the company has initiated the obtaining of balance confirmations. We have received only a few confirmations of balances from Trade receivables, Trade Payables and Bank balances. Wherever confirmations not received by us, we have performed alternative audit procedures by verifying the contract documents, invoices raised and communications made for follow up action etc.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. As required under the directions and sub-directions issued by the Comptroller and Auditor General of India in terms of Sub-section (5) of Section 143 of the Companies Act 2013, we are enclosing our report in **"Annexure A"**.

2. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order") as amended, issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable our report thereon is enclosed as **"Annexure B"**.

3. Non-Compliance of Composition of Board- Companies Act,2013 & SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:

   During the year, all the 6 Non-Official (Independent) Directors on the Board vacated their office, leading to non-existence all the committees of board as required.

   As on the date, there were no Independent Directors on the Board due to a casual vacancy. As a result, the Company continues to be non-complaint with the constitution of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and other committees mandated as per the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

   It was informed that the Company being a CPSE, the power to appoint the Directors vests with the Government of India and appropriate requests for appointing sufficient number of independent directors including a woman independent director have been forwarded to the Government of India.

This Standalone Financial Statements for the year ended 31st March,2025, were not reviewed by the Audit Committee in accordance with the provisions of Sec.177 of the Companies Act,2013 and Regulation No.18(3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

4. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b. In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as it appears from our examination of those books and proper adequate returns have been received from all the regional offices of the company;

   c. The Company's Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss (incl. Other Comprehensive income), the Statement of Cash Flows and the Statement of Changes in Equity dealt with by this report are in agreement with the books of accounts;

   d. In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Indian Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with The Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended thereon.

   e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Company, being a Government Company in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

   f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure C". Our report expresses unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

   g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended:

      The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Company, being a Government Company, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015;

   h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its standalone financial statements- Refer Note No.46 to the Standalone Financial Statements;

      ii. The company has made provision, as required under applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any on long-term contracts including derivative contracts;

      iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Company;

      iv. a. The management has represented that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall,

         - directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company ("Ultimate Beneficiaries") or

         - provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries;

      b. The management has represented, that, to the best of it's knowledge and belief, other than as disclosed in the notes to the accounts, no funds have been received by the company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the company shall,

- directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or
- on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries; and

c. Based on such audit procedures as considered reasonable and appropriate in these circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) contain any material mis-statement.

v. The dividend declared/paid by the Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013;

vi. Based on our examination carried out in accordance with the Implementation Guidance on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014 (Revised 2024 Edition) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which included test checks, except the instances mentioned below, we report that the company has used an accounting software ie.,SAP S/4HANA, for maintaining its books of accounts, which has a feature of security audit log and recording audit trail (edit log) facility for all relevant transactions recorded in the software:

a. The feature of recording audit trail (edit log) facility were enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out;

b. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards. The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024;

Further, for the periods where audit trail (edit log) facility was enabled and operated, we did not come across any instance of audit trail feature being tampered with during the course of our audit. Additionally, the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

Our examination of the audit trail was in the context of an audit of financial statements carried out in accordance with the Standard of Auditing and only to the extent required by Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014. We have not carried out any audit or examination of the audit trail beyond the matters required by the aforesaid Rule 11(g) nor have we carried out any standalone audit or examination of the audit trail.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNV9785

Annexure – A to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated

Report on Directions issued by the Comptroller and Auditor General of India under section 143(5) of the Companies Act, 2013

PART-I- DIRECTIONS

1. **Whether the company has system in place to process all the accounting transactions through IT system? If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any, may be stated**

   Yes. The company has a system in place to process all the accounting transactions through IT system. Based on our audit procedures on test check basis, wherever accounting transactions arises outside the IT system, no instances of lack of integrity of the accounts along with the financial implications has been noted.

2. **Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver/write off of debts/loans/interest etc. made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.**

   Whether such cases are properly accounted for? (In case, lender is a government company, then this direction is also applicable for statutory auditor of Lender Company).

   No. According to the information & explanations given to us, there is no restructuring of an existing loan or cases of waiver/ write off of debts/loans/interest etc. made by a lender. As such, there is no financial implication involved.

3. **Whether funds (grants/subsidy etc.) received/receivable for specific schemes from Central/State Government or its agencies were properly accounted for/utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.**

   Yes. Based on our examination of Books of Accounts of the company and as per the information & explanations given to us, the funds (grant/subsidy) were properly accounted and utilized, wherever applicable as per the terms and conditions of respective schemes and no deviations are observed by us.

   Details of the funds received/receivable as per specific schemes are given below:

   A. **Research and Development (R&D) Shipping Scheme:**

   The company has received ₹1,135.06 lakhs during the year for the two Research and Development Projects from Ministry of Ports, Shipping and Waterways under Research and Development (R&D) Shipping Scheme. Details are tabulated below:

Name of the Project		Hydrogen Fuel Cell Ferry Vessel	Autonomous Surface Vessel	Total Amount (₹ in lakhs)
Particulars		**Amount (₹ in Lakhs)**		
Sanctioned Amount		1,312.50	2,000.00	3,312.50
Received till 31.03.2024		1,102.39	-	1,102.39
Received during the year		210.00	925.06	1,135.06
Total amount received till 31.03.2025	**(A)**	**1,312.39**	**925.06**	**2,237.45**
Amount utilised till 31.03.2024		1,015.88	-	1,015.88
Utilisation for the year		296.51	314.28	610.79
Total utilisation till 31.03.2025	**(B)**	**1,312.39**	**314.28**	**1,626.67**
Unutilized Portion as on 31.03.2025	**(A-B)**	**-**	**610.78**	**610.78**

   The unutilized portion of ₹610.78 lakhs as on 31st March,2025, lying as 'fund limits' under Central Nodal Account maintained by the Sagarmala Development Corporation Limited (SDCL).

B. Ship Building Financial Assistance:

1. **Delivered Vessels:** In lieu of the Ministry's notification for extension of delivery & construction of time for vessels affected by 1st & 2nd Covid wave, the Company has recognized income for the year and claimed the subsidy amounting to ₹822.29 Lakhs. Out of which, the company has realized ₹404.03 Lakhs from Govt. of India.

   A sum of ₹ 418.26 lakhs, which is receivable pending realization.

2. **Vessels under Construction:** During the year, the Company has recognized subsidy income of ₹10,309.45 lakhs towards Ship Building Financial Assistance from Govt. of India, in order to compensate the cost incurred by the company in building the vessels. Further, the Company has reversed ₹890.01 lakhs due to revision in expected delivery dates of the vessels.

   As on the reporting date, total subsidy income accrued is ₹13,546.03 lakhs, which will be claimed subject to fulfillment of conditions stipulated in the Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP), as amended from time to time.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNV9785

Annexure - B to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 2 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated

Based on the audit procedures performed and information and explanations given to us, we report that:

i. In respect of the Company's Property, Plant and Equipment,

a. The company has maintained proper records showing full particulars w.r.t

A. Property, Plant and Equipment including quantitative details and situation thereon and relevant details of right-of-use assets;

B. Intangible Assets;

b. The company has a practice of conducting physical verification of property, plant and equipment's once in every three years, based on a program designed by the management, which in our opinion are reasonable, having regard to the size and the magnitude of the company.

Accordingly, no physical verification of Property, Plant and Equipment was carried out by the management. Hence, we have not commented on the material discrepancies under this clause.

c. The company has clear tittle deeds of immovable properties held in its name, measuring 75.92 Hectares in aggregate; However, with regard to leasehold properties, where company is lessee which are tabulated below are pending registration/ execution of lease agreements:

Description of Property	Area	Gross carrying Value (₹in Lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in name of company
Leasehold lands/premises- Right to Use Assets						
ISRF Project Land-Phase-I	Land- 8.12'ha Adjoin Water body- 15'ha	27,261.53	Cochin Port Authority	No	2012	Taken as a Part of "Right to Develop & Operate- ISRF". Pending Registration.
ISRF Project Land-Phase-II	Land-8.134'ha			No	2017	
Bed of backwaters-Reclaimed Land	Land/Water Area-1.914'ha			No	1977	Yet to executed Lease Agreement.
CSL-Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU)-Berth No.5,6,7 & 8 of Indira Docks*	HDD- 2.961'ha Open Land Area-1.135'ha Water Area-1.8'ha	21,014.01	Mumbai Port Authority	No	2018	Pending Registration
CSL-Kolkata Ship Repair Unit (CKSRU)-Berth No.6 at Netaji Subhas Dock*	Land & Dry Dock Area-2.532'ha	10.92	Syama Prasad Mookerjee Port Authority (Formerly Known as Kolkata Port Trust)	No	2019	In the opinion of the company, the Concessionaire Arrangement/ Agreements does not require registration
Staff Quarters at Kolkata	-	29.74		No	2018	Allotted. Yet to executed Lease Agreement.

Description of Property	Area	Gross carrying Value (₹in Lakhs)	Held in the name of	Whether promoter, director or their relative or employee	Period held since (year)	Reason for not being held in name of company
Transit House at New Delhi	2,200 Sq.ft	74.96	Mrs.Anita Singhal	No	2020	Pending Registration.
Parking Space	3.80 Ares	5.99	Mr.K.Pradeep Kumar	No	2023	
CVO Guest House at Kochi	3,721 Sq.ft	11.11	Mr.Sree Kumar Nair	No	2024	
Covered Storage Space at Kakkanad	10,887 Sq.ft 14,854 Sq.ft	56.23 74.51	Central Warehousing Corporation	No	2024	

*Lease Rentals are factored in the Annual Fees as determined in Concessionaire Agreement

d. During the year, the company has not revalued its Property, Plant and Equipment (Inc. Right to Use assets) or Intangible Assets or both. Accordingly reporting under this clause does not arise.

e. The Company does not hold any benami property. Accordingly, reporting under this clause does not arise.

ii. In respect of the Inventories:

a. The company has regular program in physical verification of inventories, which is carried out annually. During the year, the management has formed a technical committee for carrying out the physical verification.

Based on documents and reports made available to us and considering the size and nature of industry, the physical verification conducted by the management and policies adopted thereon are reasonable. However, we have not come across any significant deficiencies (ie., more than 10%) in this regard;

b. The Company has been sanctioned aggregate Non-Fund based limits in excess of ₹5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required. It has also been sanctioned aggregate Fund Based limits in excess of ₹5 Crores by multiple banks which have not been availed by the Company. The Company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks.

iii. During the year, the company has not made any investments in, provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms and limited liability partnerships or other parties covered under the register maintained under section 189 of the Companies Act, 2013 other than grant of advance to its directors on the same terms and conditions at par with other employees of the company.

a. The aggregate amount during the year and the balance outstanding at the balance sheet date with respect to such loans, guarantees and securities to subsidiaries, joint ventures and associates and to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	Guarantees	Security	Loans	Advance in nature of loans
Aggregate amount granted/provided during the year				
- Subsidiaries	-	-		-
- Joint Ventures	-	-		-
- Associates	-	-		-
- Others	-	-		0.60
Balance outstanding (gross) as at the balance sheet date in respect of the above cases				
- Subsidiaries	-	-	500.00	-
- Joint Ventures	-	-		-
- Associates	-	-		-
- Others	-	-		0.18

b. The investments made, guarantees provided, security given and the terms and conditions of the grant of all the above-mentioned loans and guarantees provide/ security given are in our opinion, prima facie, not prejudicial to the Company's interest;

c. In respect of loans and advances in the nature of loans, the company has stipulated the schedule of repayment of principal and payment of interest and the repayments or receipts are regular;

d. In respect of loans and advances in the nature of loans granted by the Company, there is no overdue amount remaining outstanding as at the balance sheet date;

e. No loan or advance in the nature of loan granted by the Company which has fallen due during the year, has been renewed or extended or fresh loans granted to settle the overdue of existing loans given to the same parties;

f. The company has not granted the any loans or advances in the nature of loans either repayable on demand or without specifying any terms or period of repayment to Promoters, related parties as defined in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013;

iv. The company has complied with the provisions of section 185 and 186 of the Companies Act 2013 in respect of loans granted, investments made and guarantees and securities provided, as applicable.

v. The company has not accepted any deposits from the public, hence the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013 and the rules framed there under, are not applicable.

vi. The company is maintaining the cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act.

We have broadly reviewed the cost records maintained by the Company pursuant to the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014, as amended prescribed by the Central Government under sub-section (1) of Section 148 of the Companies Act, 2013 and are of the opinion that, prima facie, the prescribed cost records have been made and maintained.

We have, however not made a detailed examination of the cost records with a view to determine whether they are accurate or complete.

vii. In respect of statutory dues:

a. The company is generally been regular in depositing undisputed applicable statutory dues including provident fund, employees' state insurance, income-tax, sales tax, and service tax, duty of customs, duty of excise, GST, cess and any other statutory dues applicable to it with the appropriate authorities;

There were no outstanding of aforesaid statutory dues as on March 31,2025 for a period of more than six months from the date they became payable.

b. There were no dues of GST, Income Tax, value added tax, duty of customs, duty of excise and cess which have not been deposited on account of any dispute except in the cases provided as Annexure-D;

viii. We have not come across any transactions that are not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961. Hence, the recording of unrecorded income in the books of accounts does not arise.

ix. a. The company has not defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender (ie., banks, financial institutions, Government and other lenders).

b. To the extent of our knowledge, the company has not been declared willful defaulter by any bank or financial institution or government or any government authorities.

c. The company has not availed any term loans during the year. Accordingly, reporting for this clause does not arise.

d. On overall examination of the financial statements of the company, during the year no funds has been raised the company on short term basis. Hence, the point of reporting on utilization and usage of funds for long term purposes by the company will not arise.

e. The Company has not taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its subsidiaries.

Further, the company does not have any associates or joint ventures. Accordingly, reporting with regard to borrowal of money in order to meet the obligations of associates or joint ventures does not arise.

f. The Company has not raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries.

Further, the company does not have any associates or joint ventures. Accordingly, reporting with relating to raising loans on pledge of securities held in its associates or joint ventures does not arise.

x. a. The Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instrument) during the year. Accordingly, reporting under this clause does not arise.

b. During the year, company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures. Therefore, reporting under this clause is not applicable to the company.

xi. To the best of our knowledge,

a. No fraud by the company or on the company has been noticed or reported during the year.

b. No report has been filed by us or the predecessor auditors of the company or cost auditors secretarial auditors in Form ADT-4 as prescribed under rule 13 of Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 with the Central Government in accordance with section 143(12) of the Companies Act,2013 during the year and upto the date of issuance of this report.

c. As represented to us by the management, there are no whistle blower complaints received by the company during the year.

xii. The company is not a Nidhi company. Hence, the reporting under the provisions of clause (xii) (a), (b) and (c) of the order are not applicable.

xiii. In our opinion, all the related party transactions during the financial year are in compliance with Section 177 and 188 of Companies Act, 2013 and the details of the said transactions have been disclosed appropriately in the standalone financial statements in accordance with applicable Ind AS.

xiv. a. In our opinion, the company has an adequate internal audit system commensurate with the size and nature of the business. However, the company may consider to further strengthen certain aspects of the system to align more closely with the evolving scale and complexity of its operations.

b. We have obtained the internal audit reports for the period under audit on a timely manner and duly considered by us, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.

xv. In our opinion, the company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with its directors during the year and hence provisions of Section 192 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the company.

xvi. The company is not required to be registered under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1935.

Accordingly, the reporting under the provisions of clause (xvi) (b) and (c) of the order does not arise.

Further, in our opinion, there is no core investment company within the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under this clause is not applicable to the company.

xvii. The company has not incurred any cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year.

xviii. There has been no resignation of the statutory auditors during the year and accordingly reporting under this clause does not arise.

xix. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements of the company, our knowledge of the Board of Directors and management plans and based on our examination of the evidences supporting the assumptions, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report that company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of one year from the balance sheet date.

We, however, state that this is not an assurance as to the future viability of the company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the balance sheet date, will get discharged by the company as and when they fall due.

xx. With regard to Corporate Social Responsibility obligation of the company, In our opinion:

a. There are no unspent amount in respect of other than ongoing projects, required to be transferred to the Funds specified in Schedule VII to the Companies Act, 2013 within a period of six months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso to sub-section (5) of section 135 of the Act. Accordingly, reporting under clause 3(xx)(a) of the Order is not applicable for the year.

b. There are no amount remaining unspent to the extent of its statutory obligation, in respect of ongoing projects. Further, the company is not required to transferred the amount remaining unspent in respect of ongoing projects, to a Special Account as permitted under the sub-section (6) of section 135 of the Act.

xxi. The reporting under this clause is not applicable in respect of audit of standalone financial statements. Accordingly, no comment in respect of this clause has been included in this report.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNV9785

Annexure – C to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 4(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the Internal Financials Controls over Financial Reporting of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "Company") for the year ended March 31,2025, in conjunction with our audit of the Standalone Financial Statements of the company.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide us for our audit opinion on the company's internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

a. Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

b. Provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

c. Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company has in all material respects, maintains adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31,2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNV9785

Annexure – D to the Auditors' Report- CARO 2020

Referred to in Clause vii (b) of Annexure-B to the Auditors' Report of our report to the Members of the Company of even dated.

Name of the Statute	Nature of Dues		Amount (In Lakhs)		Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
			Disputed	Deposited		
Employees State Insurance Act, 1948	Contribution		35.82	-	April 2008 to May 2010	Hon'ble Insurance Court, Alappuzha
	Claim for Damages & Interest for belated remittance		19.84	1.00	June 2010 to July 2013	
Finance Act,1994 (Service Tax)	Amount received from Indian Navy for Design and Development of IAC	Service Tax	1,647.47	123.56	2004-05	
		Interest	6,014.06			
		Penalty	1,647.57			
	Amount received from Indian Navy for construction of IAC accounted under the head Management Fee/handling charges on IAC P-71	Service Tax	323.04	24.23	2009-10	CESTAT, Bangalore
		Interest	969.16			
		Penalty	323.14			
	1.RCM on towing the barge along with security services; 2.Salavge operations; 3.RCM on guaranteed Repairs obligations for the period 2012-13 to 2016-17	Service Tax	279.46	20.96	2012-13 to 2016-17	
		Interest	514.27			
		Penalty	279.56			
	1. Differential Turnover for Ship Repair activities (incl. adoption of lesser assessable value); 2.Disallowance of CENVAT credit availed and utilized;	Service Tax	150.57	11.29	2015-16	Commissioner (Appeals)
		Interest	205.92			
		Penalty	15.06			
	Levy of Service Tax on the Training fee received by the yard from the Marine Engineering Training Institute (METI) run by the Company	Service Tax	51.24	3.87	2016-17 to 2017-18 (upto June 2017)	
		Interest	58.12			
		Penalty	5.10			
Kerala Value Added Tax Act,2003 $	Additions in Taxable Turnover	Tax	787.32	-	AY 2015-16	Deputy Commissioner of State Tax, Ernakulam
		Interest	582.62			

Name of the Statute	Nature of Dues		Amount (In Lakhs)		Period to which the amount relates	Forum where dispute is pending
			Disputed	Deposited		
The Customs Act,1962	Classification of Drawings & Plan for Indigenous Aircraft Carrier	Duty	269.30	323.67	March 2016 to Dec 2016	CESTAT, Bangalore
		Duty	103.97	104.79	April 2017	
		Duty	306.97	309.37	April 2017	
		Duty	789.71	795.88	April 2017	
		Duty	762.48	768.43	April 2017	
		Duty	1,790.93	293.46	April 2017	
		Duty	230.54	526.81	Nov 2017	
		Tax	296.26			
		Duty	89.59	198.07	June 2018	
		Tax	108.48			
		Duty	262.86	581.88	Dec 2018	
		Tax	318.30			
		Duty	191.22	187.43	June 2018	
		Tax	231.55			
	Wrong claim of basic customs Duty Exemption Vide Notification No.50/2017 and Incorrect claim of 5% IGST Input Tax Credit	Duty #	5,857.03	5,857.03	July,2017	
		Interest	2,424.43			
		Duty	629.34	607.23	August 2017 to October 2017	
		Interest	128.97			
		Penalty	230.00			
Central Goods and Service Tax Act,2017 #	Ineligible Input Tax Credit availed and utilised	Tax	83.75	8.38	April 2018 to March 2019	Commissioner (Appeals), Central Tax & Central Excise, Cochin
		Penalty	8.38			
Income Tax Act,1961	Disallowance of Expenditures/Provisions/ Deductions		126.26	126.26	AY 2010-11	Commissioner of Income Tax (Appeals)
			911.07	928.89	AY 2014-15	
			331.77	331.77	AY 2017-18	
			20.76	22.01	AY 2018-19	
Department Appeal's						
Finance Act,1994 (Service Tax)	Erroneous remittance of service tax on the amount of Management fee/handling charges received/accounted from Indian Navy	Service Tax	376.67	-	2004-05 to 2008-09	CESTAT, Bangalore
	1. Differential Turnover for Ship Repair activities (incl. adoption of lesser assessable value);	Service Tax	2,339.64	-	2012-13 to 2014-15	
	2. Disallowance of CENVAT credit availed and utilized;					

* Interest on Service Tax cases, where company has gone for appeal worked out approximately.

Department has filed an appeal for non-confiscation of goods u/s 111(m) & (o) and non-levy of penalty u/s 112(a) of the Customs Act,1961.

$ Rectification petition filed by the Company.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNV9785

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(B) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15.05.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2025 under Section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision made in the financial statements by the management, as indicated in Note No. 32(8) of the financial statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date: 05.08.2025

Standalone Balance Sheet

as at March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	2,79,303.10	70,473.77
(b) Capital Work-In-Progress	5	51,078.79	2,18,869.75
(c) Intangible Assets	6	1,077.91	1,734.60
(d) Intangible Assets Under Development	7	68.06	60.64
(e) Financial Assets			
(i) Investments	8	35,852.42	35,524.95
(ii) Loans	9	551.52	1,037.50
(iii) Other Financial Assets	10	374.87	1,998.44
(f) IncomeTax Assets (net)	11	2,946.83	6,486.87
(g) Deferred Tax Assets (net)	12	7,295.94	5,963.94
(h) Other Non-current Assets	13	2,211.43	6,738.16
Total Non-Current Assets		**3,80,760.87**	**3,48,888.62**
Current Assets			
(a) Inventories	14	1,75,119.70	95,893.98
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	15	22,945.97	29,355.09
(ii) Cash and Cash Equivalents	16	31,083.37	24,583.27
(iii) Bank balances other than (ii) above	17	2,71,038.29	3,53,812.08
(iv) Loans	18	644.33	115.11
(v) Other Financial Assets	19	22,411.03	12,922.95
(c) Current Tax Assets (net)	11	-	144.96
(d) Other Current Assets	20	4,00,545.67	3,22,311.05
Total Current Assets		**9,23,788.36**	**8,39,138.49**
Total Assets		**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share Capital	21	13,154.04	13,154.04
(b) Other Equity	22	5,47,911.16	4,89,433.05
Total Equity		**5,61,065.20**	**5,02,587.09**
Liabilities :			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	23	2,302.20	2,302.20
(ii) Lease Liabilities	24	44,755.75	43,698.28
(b) Provisions	25	5,229.78	4,449.96
(c) Other Non Current Liabilities	26	5.72	6.87
Total Non-Current Liabilities		**52,293.45**	**50,457.31**
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Lease Liabilities	27	3,025.42	2,879.63
(ii) Trade Payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	28	9,503.92	7,973.25
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		28,789.43	34,227.39
(iii) Other Financial Liabilities	29	19,481.25	15,455.69
(b) Other Current Liabilities	30	5,22,613.50	5,11,852.71
(c) Provisions	31	1,05,129.26	62,594.04
(d) Current tax liabilities (net)	11	2,647.80	-
Total Current Liabilities		**6,91,190.58**	**6,34,982.71**
Total Equity and Liabilities		**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 70		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnapan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
(Membership Number: A25337)

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi dated May 15, 2025

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Profit & Loss

For the Year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
I Income			
Revenue From Operations	32	452784.15	364527.97
Other Income	33	38044.61	30738.25
Total Income		**490828.76**	**395266.22**
II Expenses:			
Cost of Materials Consumed	34	198159.38	162593.46
Changes in Inventories of Work-in-Progress	35	(76.26)	0.00
Sub Contract and Other Direct Expenses	36	79265.04	51886.91
Employee Benefits Expenses	37	40373.69	37152.57
Finance Costs	38	3644.93	3154.60
Depreciation and Amortisation Expenses	39	8364.37	5693.48
Other Expenses	40	35099.66	22581.74
Provision for Anticipated Losses and Expenditure	41	12613.41	2841.06
Total expenses		**377444.22**	**285903.82**
III Profit Before Exceptional items and tax		**113384.54**	**109362.40**
IV Exceptional Items		0.00	0.00
V Profit Before Tax		**113384.54**	**109362.40**
VI Tax Expense:			
(1) Current Tax	11	29550.79	25016.34
(2) Income Tax of prior years	11	875.11	3307.72
(3) Deferred Tax	11	(1332.00)	(272.00)
VII Profit For The Year		**84290.64**	**81310.34**
VIII Other Comprehensive Income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		65.96	3554.38
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		(16.60)	(894.24)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(291.60)	(65.74)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		6.71	1.23
iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		73.39	16.58
Other Comprehensive Income for the year		**(162.14)**	**2612.21**
IX Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		**84128.50**	**83922.55**
X Earnings per Equity Share of ₹ 5 each :	42		
(1) Basic (₹)		32.04	30.91
(2) Diluted (₹)		32.04	30.91
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 70		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnapan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
(Membership Number: A25337)

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi dated May 15, 2025

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	**1,13,384.54**	**1,09,362.40**
Adjustments for :		
Exceptional items		-
Depreciation and amortisation expense	8,364.37	5,693.48
Dimunition in value of Loose tools	151.97	124.48
Finance cost	3,644.93	3,154.60
Interest income	(19,203.15)	(23,895.62)
Provision for anticipated losses and expenditure	12,613.41	2,841.06
Provision no longer required	(14,054.34)	(2,399.95)
Loss allowance for Trade Receivables	659.59	1,639.20
Dividend income from Mutual Funds	(72.78)	(7.49)
Dividend income from preference shares	(331.74)	(316.58)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	5.65	0.87
Profit on sale of PPE	(23.90)	-
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	530.62	724.89
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(1,321.38)	(1,927.77)
Bad Debts written off	8,614.55	96.98
Operating cash flow before working capital changes	**1,12,961.20**	**95,089.41**
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(79,225.72)	(60,848.96)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(86,853.34)	(1,70,535.58)
Increase / (decrease) in trade and other payables	40,824.55	1,37,792.40
	(12,293.31)	**1,497.27**
Income tax paid net of refunds	(14,611.78)	(18,780.00)
Net cash flows from operating activities (A)	**(26,905.09)**	**(17,282.73)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	(38,502.02)	(373.06)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	(7.42)	-
(Increase) / decrease in capital work In progress	(9,531.97)	(61,215.86)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	82,773.79	82,270.66
(Increase) / decrease in Capital advance	4,371.92	11,078.97
Dividend received	72.78	7.49
Investment in equity shares of subsidiaries	-	(6,200.00)
Redemption of NCDs of Subsidiaries	-	4,400.00
Sale proceeds from PPE	35.72	1.75
Interest received	22,135.78	17,935.30
(Borrowings)/ Repayment of loans	(43.24)	(64.96)
Net cash flows from investing activities (B)	**61,305.34**	**47,840.29**
C. Cash flow from financing activities		
Redemption of tax free bond	-	(10,000.00)
Net gain /(loss) on foreign currency transactions	878.38	864.95
Repayment of lease liability	(2,926.97)	(3,207.96)
Dividend paid	(25,650.38)	(23,677.27)
Finance cost	(201.18)	(1,051.79)
Net cash flows from financing activities (C)	**(27,900.15)**	**(37,072.07)**
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**6,500.10**	**(6,514.51)**
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	**24,583.27**	**31,097.78**
Cash and cash equivalent at the end of the year	**31,083.37**	**24,583.27**

Standalone Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2025

Cash Flow Reconciliation:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Cash and cash equivalents at the Balance sheet consists of		
Balance with Banks		
In current account	1,483.37	883.27
Term deposits with original maturity of less than three months	29,600.00	23,700.00
Total	**31,083.37**	**24,583.27**
Cash and cash equivalents for the purpose of Statement of Cash flows	**31,083.37**	**24,583.27**

1. Statement of Cash Flows are prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and , any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

2. For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

Corporate overview and Material Accounting Policy Information 1 - 3

Notes to the Standalone Financial Statements 4 - 70

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnapan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
(Membership Number: A25337)

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi dated May 15, 2025

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Standalone Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2025

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2024	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2025
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2023	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2024
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

B. Other Equity

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2024	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**
Profit for the year				84,290.64				84,290.64
Other comprehensive income for the year				(211.50)			49.36	(162.14)
Total comprehensive income for the year				**84,079.14**	**-**	**-**	**49.36**	**84,128.50**
Dividends				(25,650.38)				(25,650.38)
Transfer to retained earnings							-	0.00
Amortisation of premium		(0.01)						(0.01)
Balance as at March 31, 2025	**263.56**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,36,688.10**	**12,353.76**	**-**	**(868.90)**	**5,47,911.16**

Refer Note 22 for further details

Standalone Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2025

B. Other Equity (Contd..)

Standalone Statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	
Balance as at April 01, 2023	**263.56**	**93,151.96**	**6,322.75**	**3,19,005.76**	**12,353.76**	**1,668.44**	**(3,578.40)**	**4,29,187.83**
Profit for the year				81,310.34				81,310.34
Other comprehensive income for the year				(47.93)			2,660.14	2,612.21
Total comprehensive income for the year				**81,262.41**			**2,660.14**	**83,922.55**
Dividends (including taxes)				(23,677.27)				(23,677.27)
Transfer to retained earnings				1,668.44		(1,668.44)	-	0.00
Amortisation of premium		(0.06)						(0.06)
Balance as at March 31, 2024	**263.56**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,78,259.34**	**12,353.76**	**-**	**(918.26)**	**4,89,433.05**

Refer Note 22 for further details

Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3
Notes to the Standalone Financial Statements	4 - 70

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnapan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
(Membership Number: A25337)

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

1. CORPORATE OVERVIEW AND MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

1.1 Corporate Information:

Cochin Shipyard Limited (referred to as "CSL" or "the Company") is one of the leading shipyards in India, located in the southern state of Kerala. The company was founded in 1972 and is owned by the Government of India. The Company is primarily engaged in shipbuilding and ship repair, catering to both the domestic and international markets.

The Company is a "Miniratna", Schedule-"A", Category-I CPSE, which is also a public limited company incorporated and domiciled in India. The registered office of the Company is Perumanoor, Kochi, Kerala.

As at March 31, 2025, the Government of India holds 67.91% of the Company's equity share capital. The Company's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax-free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The financial statements for the year ended March 31,2025 were approved by the Board of Directors and authorized for issue on May 15, 2025 which are subject to the supplementary audit by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and final approval of the shareholders.

2. Basis of preparation and presentation of Financial Statements

2.1 Statement of compliance

These financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

2.2 Functional and Presentation Currency

The financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Company's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3 Basis of Measurement

These financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Company's normal operating cycle;

ii. the asset is intended for sale or consumption;

iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;

v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

vi. in the case of a liability, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the company has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

(i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of expiry of warranty period.

(ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.4 Use of estimates and judgments

The preparation of the financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgments:

The application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in the financial statements have been disclosed below:

a) Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Company reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgments are involved in determining the elements of deferred tax items.

b) Leases

The Company evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment.

The Company uses significant judgments in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialized nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

For leases denominated in Company's functional currency, the Company considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the company.

c) Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Company. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall / surplus in the provision made earlier, necessary adjustments are made.

d) Litigations

From time to time, the Company is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavorable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss. Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

e) Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Company categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

(a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

(b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.

(c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Company's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f) Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Company are recognized in the financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

g) Revenue Recognition

The Company exercises significant judgment in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers.

Revenue is recognized over time by measuring the work carried out or survey of performance completed to date under output method. Under this method, works completed to date in each contract are the basis to measure and recognize revenue. The quantum is calculated by each project team based on the technical progress up to the reporting date. The revenue recognized reflects the value of works completed/ measured to date in line with the consideration as determined in the respective contracts.

Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

h) Recognition and measurement of defined benefit obligations

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Material Accounting Policy Information

The Company has consistently applied all the accounting policies to the period presented in this financial statements except where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Company presents the material accounting policies under this note, which should be read in conjunction with the information presented and disclosed in the relevant notes referred under these standalone financial statements and are considered to be "Material Accounting Policy Information".

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Recognition and Measurement:

Items of Property, Plant and Equipment are measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated depreciation and any accumulated

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

impairment losses. For the items of Property, Plant and Equipment existing as on April 1, 2015 i.e company's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

If significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of Property, Plant and Equipment, i.e., when the Company intends to use these for a period exceeding 12 months, have value of more than ₹5 Lakhs and that can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

Any gain or loss on disposal of an item of Property, Plant and Equipment is recognized in the statement of profit and loss account.

Subsequent Expenditure:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the items is material and can be measured reliably.

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP').

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which is not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalized as intangible asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

For the intangible assets existing as on April 1, 2015 i.e company's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development".

3.4 Leases

The Company assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Company's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

i) As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Company recognizes a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use (RoU) Assets

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments ie., amortised cost under effective interest method.The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. When a lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of right of use asset, or is recorded in statement of profit and loss, if carrying amount of the right of use asset has been reduced to nil.

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and RoU assets is also suitably adjusted.

The Company presents right of use assets in 'property, plant and equipment' and the lease liabilities separately from other liabilities in the Balance Sheet.

ii) As a lessor:

Leases for which the Company is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognized as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

- For the assets constructed/developed for International Ship Repair Facility (ISRF) and New Dry Dock Project, depreciation is provided on the basis of useful life as assessed by technical experts.
- For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.
- Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.
- For certain types of buildings and equipments, based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and up to the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all categories of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipments are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

3.6 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Company assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators.

The Company bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Company extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified.

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Company estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.7 Inventories

Raw materials and components are valued at weighted average cost method . When they are intended to project use, valuation is done at project specific weighted average cost method

Work in progress have been valued at lower of cost and net realisable value

Stores and spares are valued at weighted average cost method.

Goods in transit are valued at cost.

3.8 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a) Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the company after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognized at the proceeds received net of direct issue cost.

b) Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

- Financial assets at amortized cost;
- Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);
- Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

i) Financial assets at amortized cost

Financial assets are subsequently measured at amortized cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

ii) Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

iii) Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognized in statement of profit and loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Company had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Company makes such election on an instrument-by- instrument basis. The classification is made on initial recognition/ transition and is irrevocable.

There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures of the subsidiaries are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortized cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortized cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

(1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and

(2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortization is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Company applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance

b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL

c) Lease Receivables under Ind AS 116

Simplified Approach

The Company follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Trade Receivables

The Company classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Company assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Company recognizes lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the company uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed. On that basis, the Company estimates provision on trade receivables at the reporting date.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognized at the reporting date is recognized as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Company determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

- Financial Assets measured as at amortized cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Company does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.
- Financial Guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.
- Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

c) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortized cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Company's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

- Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);
- Financial liabilities at amortized cost;
- Financial Guarantee Contracts;

i) Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Company that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

ii) Financial Liabilities at amortized cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortized cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

iii) Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts issued by the Company are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

d) De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognized when:

- The rights to receive cash flows from the asset have expired, or
- the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognized from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

e) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f) Derivative instruments and hedge accounting:

The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non- designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Company undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Company generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Company's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Company formally designates and documents the hedge relationship to which the Company wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Company's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk.

Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognized in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively.

Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

g) Contract Assets

Where the Company performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Company presents the contract as a contract asset. A contract asset is Company's right to consideration in exchange for goods or services that the Company has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

h) Contract Liabilities

Where the Company receives consideration, or the Company has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Company transfers a good or service to the customer, the Company presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Company's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Company has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.9 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

a) Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Company has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Warranty obligations included in this type of provisions are not treated as a separate performance obligation, unless the customer has the option of contracting the warranty separately, therefore they are recognized in accordance with Ind AS 37. These provisions are classified as current liabilities since they relate to the operating construction projects cycle, in line with Ind AS 1.

Provision towards guarantee claims in respect of ships delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case-to-case basis, wherever required.

Provisions for anticipated losses are recognized when it becomes apparent that the total costs expected to fulfil a contract exceed expected contract revenues. For the purpose of determining, where appropriate, the amount of the provision, budgeted contract revenue will include the forecast revenue that is considered probable, in line with Ind AS 37 as well as incremental costs. General costs are not directly attributable to a contract and are therefore excluded from the Budgeted cost unless they are explicitly passed on to the counterparty in accordance with the contract, in line with paragraph 68 of Ind AS 37.

b) Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Company. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Company treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Company does not expect them to have a materially adverse impact on the financial position or profitability. The Company does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Company does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.10 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers are measured based on the consideration specified in a contract with a customer (ie., transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable)

At the first instance, revenue recognition process involves identifying the relevant contracts and technical evaluation of the performance obligations, contained therein.

A single performance obligation is identified in shipbuilding and/or ship repair segments for each vessel, due to the high degree of integration and customization of the various goods and services forming a combined output that is transferred to the customer over time.

The company choses the appropriate method of measuring the progress of the completion at the contract inception for recognizing revenue over time, and are applied consistently to similar performance obligations under the respective segments and/or activities carried out thereon.

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time is made only if the company can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

The performance obligations for the shipbuilding and Ship repair activities carried out by the company are satisfied over time rather than at a point in time since the Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company ie contractual restrictions and practical limitations to readily direct that asset for another use (Even in some cases it will be able to do so, it can only be done after significant changes and at significant cost) and it has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue:

- from fixed price portion is recognized using output method .
- by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers.
- The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as revenue.

In the case of ship repair contracts involving continuous multiple years maintenance support/ recurring and routine services, the company opted for time-elapsed output method, i.e, measuring the progress based on time elapsed to reporting date, which is representative of the satisfaction of performance obligation subject to entitlement of consideration in exchange of goods and/or services.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the company, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

During the initial stages of a contract, where the company may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the company expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognized only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

The Company generally does not recognize any revenue from additional work until it has been approved by the customer. When the scope of work has been approved but the impact on revenue is yet to be valued, the "variable consideration" requirement (as explained below) will apply. This entails recognizing revenue in an amount that is unlikely to be reversed.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Company estimates the net amount of consideration to which the Company is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

Revenue from Supply of Base & Depot Spares is recognized based on the satisfaction of performance obligation at a point in time on proof of receipt of goods from customer.

Unlike revenue recognition, amounts billed to the customer are based on the various milestones reached under the contract and on acknowledgement thereof by the customer by means of a contractual document referred to as a progress billing certificate. Therefore, the amounts recognized as revenue for a given year do not necessarily match those billed to or certified by the customer. For contracts in which the revenue recognized exceeds the amount billed or certified, the difference is recognized in as "Contract Asset" under "Other Current Assets", while for contracts in which the revenue recognized is lower than the amount billed or certified, the difference is recognized as "Contract Liability" under "Other Current Liabilities".

Other Operating Revenue with respect to sale of stock items ,scrap and consultancy income is recognized at a point in time when the company satisfies performance obligations and right to receive the income is established as per terms of the contract by transferring promised goods and services to the customer.

Management fee is also recognized over a period of time.

b) Government Grants

Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the Company will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognized in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Company recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognized as deferred income, and amortized over the expected useful life of the asset. Other grants are recognized in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Ship Building Financial Assistance (SBFA) is recognized over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "other operating revenue".

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Company with no future related costs are recognized in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement is intimated by the insurance Company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the the financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance Company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

Other items of income are accounted as and when the right to receive such income arises and it is probable that the economic benefits will flow to the company and the amount of income can be measured reliably.

3.11 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

i) Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees is made to National Pension Scheme (NPS) and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense, as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Company does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

ii) Defined benefit plans

Gratuity

The Company provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The fund is managed by the trustees of the Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust .The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

Provident Fund and Pension Scheme

The Company also makes contribution towards provident fund. The provident fund is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the Company's provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Company. The deficiency, if any assessed by the Company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Company has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.12 Taxes on Income

a) Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Current and deferred taxes are recognized in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The Company has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore accounted for them under Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

b) Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using the tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset, when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

c) Deferred tax

Deferred tax is recognized using the Balance Sheet approach. Deferred tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.13 Operating Segments

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Company's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Company has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship Repair.

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Company as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.14 Recent Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. During the year ended March 31, 2025, MCA has notified Ind AS 117 - Insurance Contracts and amendments to Ind As 116 – Leases , relating to sale and lease back transactions, applicable from April 1, 2024. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

On May 9, 2025, MCA notifies the amendments to Ind AS 21- Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Company is currently assessing the probable impact of these amendments on its financial statements.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2025	As at 1st Apr 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54			587.54	-			-	587.54	587.54
Buildings	18,450.18	3,328.56	-	21,778.74	4,701.94	577.36	-	5,279.30	16,499.44	13,748.24
Plant and equipment	21,692.45	28,440.77	10.08	50,123.14	14,201.34	1,534.47	5.43	15,730.38	34,392.76	7,491.11
Furniture and fixtures	1,865.12	115.63	0.82	1,979.93	983.55	150.77	0.17	1,134.15	845.78	881.57
Vehicles	643.29	277.66	14.23	906.72	467.08	57.72	12.21	512.59	394.13	176.21
Office equipments	675.19	267.78	0.69	942.28	433.17	111.47	0.41	544.23	398.05	242.02
Others					-					-
Data Processing Equipments	2,919.04	814.20	160.25	3,572.99	1,970.55	374.88	150.38	2,195.05	1,377.94	948.49
Docks and quays	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
Railway sidings	1.10			1.10	-			-	1.10	1.10
Electrical installations	2,280.77	291.88	-	2,572.65	1,362.38	162.91	-	1,525.29	1,047.36	918.39
Drainage and water supply	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
Vessels	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
Sub Total	**53,661.10**	**1,36,393.20**	**186.07**	**1,89,868.23**	**26,874.47**	**3,372.21**	**168.60**	**30,078.08**	**1,59,790.15**	**26,786.63**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,589.68	178.83	-	2,768.51	911.39	148.30	-	1,059.69	1,708.82	1,678.29
Plant and equipment	2,712.28	79,501.17	-	82,213.45	273.21	2,223.49	-	2,496.70	79,716.75	2,439.07
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	579.83	80.55	-	660.38	308.17	50.90	-	359.07	301.31	271.66
Sub Total	**5,891.41**	**79,760.55**	**-**	**85,651.96**	**1,501.12**	**2,422.69**	**-**	**3,923.81**	**81,728.15**	**4,390.29**
Total (a)+(b)	**59,552.51**	**2,16,153.75**	**186.07**	**2,75,520.19**	**28,375.59**	**5,794.90**	**168.60**	**34,001.89**	**2,41,518.30**	**31,176.92**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	41,352.45	173.81		41,526.26	7,089.97	1,464.51	-	8,554.48	32,971.78	34,262.48
Right of Use - Buildings	175.48	11.11		186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
Right to use ship repair facility	7,000.00			7,000.00	2,004.33	210.34		2,214.67	4,785.33	4,995.67
Sub Total	**48,527.93**	**184.92**	**-**	**48,712.85**	**9,231.08**	**1,696.97**	**-**	**10,928.05**	**37,784.80**	**39,296.85**
Total(a+b+c)	**1,08,080.44**	**2,16,338.67**	**186.07**	**3,24,233.04**	**37,606.67**	**7,491.87**	**168.60**	**44,929.94**	**2,79,303.10**	**70,473.77**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2023	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2024	As at 1st Apr 2023	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2023
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	587.54	-	-	587.54	-	-	-	-	587.54	587.54
Buildings	18,269.68	181.15	0.65	18,450.18	4,119.21	583.17	0.44	4,701.94	13,748.24	14,150.47
Plant and equipment	21,028.49	669.88	5.92	21,692.45	12,612.01	1,594.96	5.63	14,201.34	7,491.11	8,416.48
Furniture and fixtures	1,664.35	204.75	3.98	1,865.12	841.54	145.79	3.78	983.55	881.57	822.81
Vehicles	642.54	7.55	6.80	643.29	422.53	51.03	6.48	467.08	176.21	220.01
Office equipment	591.22	84.73	0.76	675.19	358.12	75.78	0.73	433.17	242.02	233.10
Others					-					-
Data Processing Equipments	2,694.00	233.49	8.45	2,919.04	1,686.23	291.20	6.88	1,970.55	948.49	1,007.77
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	2,440.78	299.41	-	2,740.19	1,726.26	2,025.67
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	2,072.04	208.73	-	2,280.77	1,223.02	139.36	-	1,362.38	918.39	849.02
Drainage and water supply	23.55	-	-	23.55	0.98	1.07	-	2.05	21.50	22.57
Vessels	21.88	34.54	-	56.42	9.80	2.42	-	12.22	44.20	12.08
Sub Total	**52,062.84**	**1,624.82**	**26.56**	**53,661.10**	**23,714.22**	**3,184.19**	**23.94**	**26,874.47**	**26,786.63**	**28,348.62**
b) Assets on leased premises										
Buildings	2,508.79	80.89	-	2,589.68	768.88	142.51	-	911.39	1,678.29	1,739.91
Plant and equipment	937.73	1,774.55	-	2,712.28	209.27	63.94	-	273.21	2,439.07	728.46
Docks and quays	9.62	-	-	9.62	8.35	-	-	8.35	1.27	1.27
Electrical installation	536.35	43.48	-	579.83	261.29	46.88	-	308.17	271.66	275.06
Sub Total	**3,992.49**	**1,898.92**	**-**	**5,891.41**	**1,247.79**	**253.33**	**-**	**1,501.12**	**4,390.29**	**2,744.70**
Total (a)+(b)	**56,055.33**	**3,523.74**	**26.56**	**59,552.51**	**24,962.01**	**3,437.52**	**23.94**	**28,375.59**	**31,176.92**	**31,093.32**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	39,738.84	1,613.61	-	41,352.45	5,418.93	1,671.04	-	7,089.97	34,262.48	34,319.91
Right of Use - Buildings	173.07	2.41	-	175.48	118.34	18.44	-	136.78	38.70	54.73
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,793.99	210.34	-	2,004.33	4,995.67	5,206.01
Sub Total	**46,911.91**	**1,616.02**	**-**	**48,527.93**	**7,331.26**	**1,899.82**	**-**	**9,231.08**	**39,296.85**	**39,580.65**
Total(a+b+c)	**1,02,967.24**	**5,139.76**	**26.56**	**1,08,080.44**	**32,293.27**	**5,337.34**	**23.94**	**37,606.67**	**70,473.77**	**70,673.97**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

a) Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Kochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

b) Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

c) Freehold land includes landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

d) The company has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income .Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

e) Title deeds of all immovable properties (ie freehold land) are held in the name of the Company.

f) In the case of following properties where the Company is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

1. The Company has taken 8.12 HA of land (re-measured as 8.1164HA) and 15 HA of water body on lease from Cochin Port Authority (CoPA) on 12 April 2013 (1st phase) .CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from CoPA on 16 Nov 2017 (2nd phase).Two lease agreements (ie 1st phase allotment of land/waterbody and 2nd phase allotment of land) were entered between CSL & CoPA and both lease deeds have not been registered.

2. The company has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Trust(MBPT) and Syama Prasad Mukherjee Port (SMPT) to Upgrade,Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MBPT and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of SMPT respectively.

   The project site at MBPT is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

   The project site at Syama Prasad Mukherjee Port is taken on license for 30 years .As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal ,Concession Agreement with SMPT has not been registered .

g) The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

h) Staff quarters at Kolkata held in the name of Syama Prasad Mookerjee Port Authority has been allotted to CSL. Lease agreement is yet to be executed.

i) Registration is pending in case of following leasehold properties:

Description of Property	Area	Held in the name of
Transit House at New Delhi	2,200 Sq.ft	Mrs.Anita Singhal
Parking Space	3.80 Ares	Mr.K.Pradeep Kumar
CVO Guest House at Kochi	3,721 Sq.ft	Mr.Sree Kumar Nair
Covered Storage Space at Kakkanad	10,887 Sq.ft	Central Warehousing
	14,854 Sq.ft	Corporation

j) As at 31 March 2025, plant and equipment with a carrying amount of ₹403.40 lakhs (previous year ₹465.55 lakhs) were temporarily idle, but the company plans to operate the assets in FY 2025-26.

k) The Gross carrying value of assets of ₹17918.81 lakhs (previous year ₹12,938.36 Lakhs) have been fully depreciated, but still are in use.

l) Additions on Plant & Equipments includes capital expenditure on Research & development relating to R&D centre amounting to ₹2.83 lakhs (previous year ₹25.95 lakhs relating to welding technology)

m) During the financial year the Company has capitalised major Projects "International Ship Repair Facility " and "New Dry Dock" for an amount of ₹79344.26 lakhs and ₹131938.92 lakhs respectively.

Depreciation on these assets has been calculated considering the useful lives as determined by the management based on technical estimates made. The adopted useful lives are detailed in the table below;

International Ship Repair Facility **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management *
A. Ship lift Components			
Winches ,Control Tower,Ship inhaul/Mooring,Special Tool Kit	Plant & Machinery	15	28
Platform steel work	Plant & Machinery	15	55
Wheel fender	Plant & Machinery	15	17
B. Ship Transfer Components			
Trestles,Bogies,Spare Parts,Special Tool kit	Plant & Machinery	15	28
C. Other assets			
Flat top tower cranes	Plant & Machinery	15	40
Ship lift & Transfer related facility			
Jetty 1,Jetty 2,Connection Jetty,Workstation North,Workstation South	Plant & Machinery	15	28

* Useful life restricted to remaining lease period of ISRF , ie; 23 years

New Dry Dock **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
Dry Dock Civil	Docks & Quays	15	60
Pump House	Building	60	60
Caisson Gate	Plant & Machinery	15	60
600T Rail Mounted Gantry Crane	Plant & Machinery	15	40

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 5 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Plant and machinery, Buildings and Civil works	37,288.51	1,85,942.50
Add: Expenditure during construction	1,924.08	12,141.82
Capital yard items	11,865.81	20,784.15
Goods in Transit	0.39	1.28
Total	**51,078.79**	**2,18,869.75**

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Opening Balance	12,141.82	9,570.95
Add:Expenses during the year		
Salaries	205.27	364.32
Depreciation under Ind AS116	169.49	545.32
Finance cost under Ind AS116	544.61	1,661.23
Transferred to PPE	(11,137.11)	
Total	**1,924.08**	**12,141.82**

Capital work -in -progress (CWIP) includes capital expenditure on Research & development relating to R&D centre amounting to Nil (Previous year -₹24.78 lakhs)

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	47,158.04	2,827.58	981.63	111.54	51,078.79
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	63,872.05	33,114.16	16,434.84	1,05,448.70	2,18,869.75
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Dry Dock	28,150.79	-	-	-
ISRF	17,772.57	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
CMSRU Tower Crane	563.77	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	393.22	-	-
CNC Plasma Cum Oxy Fuel Plate Cutting Machine	315.48	-	-	-
Tower Crane At CKSRU	264.58	-	-	-
Integrated Security System	204.68	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	117.75	-	-	-
Fire Main System	107.59	-	-	-
EWSB With Socket Outlet 4 Hc Bbt Hc Bay	102.01	-	-	-
Construction Of Skid For Block Fabrication At SSD	71.27	-	-	-
300KWP Solar Power Plant Near General Store	68.66	-	-	-
Replacement Of 5/Hc Bbt At Hc Bay Of Hull	46.01	-	-	-
Load Cell 150 T Crane	38.02	-	-	-
DSL System For Eot Crane	36.20	-	-	-
Switch Boards At Engine Shop And Machine Shop	25.56	-	-	-
Fixing Of Gratings In BD Pump Pit	20.47	-	-	-
DSL System For 50T Crane	20.11	-	-	-
Remodelling Gates,Visitors Centre,Golden Plaza	6.90	-	-	-
Mezzanine Floor In Hdd Building at CMSRU	2.50	-	-	-
Designing Of Movable Shed	2.31	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Caisson Gate - Kolkata unit	1503.61	-	-	-
Integrated Security System	923.67	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	36.81	-	-	-
Office Space For Basic Design	19.37	-	-	-
Dock Arm Accessories	352.78	-	-	-
Fire Main System	88.10	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	162.25	-	-
DSL System For Crane	56.30	-	-	-
Office for Project Management Section	52.15	-	-	-
BBT and Tap Off Box	54.82	-	-	-
Electrical installation at Hull Shop	23.48	-	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 6 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2025	As at 1st Apr 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	4,579.26	385.30	-	4,964.56	2,844.66	1,041.99	-	3,886.65	1,077.91	1,734.60
Total	**4,606.93**	**385.30**	**-**	**4,992.23**	**2,872.33**	**1,041.99**	**-**	**3,914.32**	**1,077.91**	**1,734.60**

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2023	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2024	As at 1st Apr 2023	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2023
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	2,888.58	1,690.68	-	4,579.26	1,943.20	901.46	-	2,844.66	1,734.60	945.38
Total	**2,916.25**	**1,690.68**	**-**	**4,606.93**	**1,970.87**	**901.46**	**-**	**2,872.33**	**1,734.60**	**945.38**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 7 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Intangible assets under development	68.06	60.64
Total	**68.06**	**60.64**

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	7.43	-	32.18	28.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Intangible assets under development	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	0.00	32.18	28.46	0.00
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
REPOSITORY - CANSRU	68.06			

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
REPOSITORY - CANSRU	60.64			

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 8 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on Mar 31, 2025	Number of units as on Mar 31, 2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unquoted (Fully Paid up)					
Investment in equity instruments					
a) At Cost					
Equity shares in subsidiary companies					
Hooghly Cochin Shipyard Ltd	10	14,00,00,000	14,00,00,000	13,935.34	13,935.34
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd)	10	10,80,00,000	10,80,00,000	10,800.00	10,800.00
b) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class' shares	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited	10	70,000	70,000	17.08	10.37
Cochin Waste 2 Energy Private Limited	10	1,00,000	1,00,000	0.00	0.00
Investment in Debt Instruments					
a) At AmortisedCost					
6% Cumulative Redeemable Preference Shares of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd, (Redemption at any time at the option of the Company but not later than 10 years from the date of allotment.)	10	5,60,00,000	5,60,00,000	6,880.46	6,548.73
6.15% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd (The duration of the debentures is 120 months with an option to redeem after 5 years from the date of allottment)	1000	3,10,000	3,10,000	3,198.72	3,209.69
6% Non Convertible Debentures (NCD) of M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd. (Formerly Tebma Shipyards Limited) a subsidiary of Cochin Shipyard Ltd (Redeemable at par at the end of 84 months)	1000	1,00,000	100000	1,018.64	1,018.64
Total				**35,852.42**	**35,524.95**
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggregate value of unquoted investment				35,852.42	35,524.95
Aggreagate amount of impairment in value of investments				10.00	10.00

a) Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste 2 Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil. Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

b) The Company's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the company has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value.

c) The Company had invested in the equity share capital of Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL), a sum of ₹ 13,935.34 Lakhs, comprising of 14,00,00,000 shares of ₹ 10 each, during the period from 2017 to 2024. Out of the above 11,80,00,000 shares of ₹ 10 each were acquired through rights share.

d) The Company had acquired Tebma Shipyards Limited, now renamed as Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL), by an Order of NCLT, Chennai by investing ₹ 6500.00 Lakhs comprising of 6,50,00,000 shares of ₹10 each.The Company had made further investment of ₹25,00,00,000 comprising of 2,50,00,000 shares of ₹ 10 each during FY 2022-23 and ₹18,00,00,000 comprising of 1,80,00,000 shares of ₹ 10 each during FY 2023-24 both on a rights basis in UCSL.

e) The equity shares issued on rights basis shall rank pari passu with the existing equity shares of the Company in all respects.The above investment are accounted at cost in accordance with IND AS 27-Separate Financial Statement.

Note 9: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd*	-	513.22
(b) Other Loans		
Loan to employees		
Related parties	-	-
Others	551.52	524.28
Total	**551.52**	**1037.50**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

*Refer Note No.18

Note 10: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Security deposits	122.81	137.32
Ship Building Financial Assistance *	214.14	1,859.81
Accrued Lease Rental Asset	37.92	1.31
Total	**374.87**	**1,998.44**

*Refer note no.32 for details

Note 11: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	2,946.83	6,486.87
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(2,647.80)	144.96

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2025	For the year ended March 31,2024
Current tax:		
Current income tax charge	29,550.79	25,016.34
Adjustment in respect of prior years	875.11	3,307.72
Total (A)	**30,425.90**	**28,324.06**
Deferred tax:		
In respect of current year	(1,332.00)	(272.00)
Total (B)	**(1,332.00)**	**(272.00)**
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	**29,093.90**	**28,052.06**

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31,2025	For the year ended March 31,2024
Profit before tax	1,13,384.54	1,09,362.40
Income tax expense calculated at respective applicable rates	28,536.62	27,524.33
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	7,932.16	5,214.97
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(7,343.52)	(7,306.73)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	393.76	348.42
Others	31.77	(764.65)
	29,550.79	**25,016.34**
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	875.11	3,307.72
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	(1,332.00)	(272.00)
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	**29,093.90**	**28,052.06**

Note 12: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Deferred tax liabilities	(6,952.68)	(1,812.44)
Deferred tax assets	14,248.62	7,776.38
Total	**7,295.94**	**5,963.94**

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to FY 2024-25

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(6,187.27)	(5,580.30)		(11,767.57)
Property, plant and equipment	1,551.39	5,373.07		6,924.46
Intangible assets	258.36	(228.41)		29.95
Leased Assets	(2,287.08)	(527.76)		(2,814.84)
Leased Liabilities	670.46	63.16		733.62
Others	30.20	(431.76)		(401.56)
Total	**(5,963.94)**	**(1,332.00)**	**-**	**(7,295.94)**

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to FY 2023-24

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in Statement of Equity	Closing Balance
Provisions	(5,372.00)	(815.27)		(6,187.27)
Property, plant and equipment	2,404.65	(853.26)		1,551.39
Intangible assets	32.67	225.69		258.36
Leased Assets	(2,630.90)	343.82		(2,287.08)
Leased Liabilities	1,231.45	(560.99)		670.46
Others	(1,357.81)	1,388.01		30.20
Total	**(5,691.94)**	**(272.00)**	**-**	**(5,963.94)**

Note 13: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good		
Capital advances*	1,004.51	5,376.43
Advances other than capital advances:		
Security deposits	230.20	269.43
Loose tools	976.72	708.44
Research & Development vessel- Cost of the vessel **	-	1399.74
Less : Amount payable to Ministry/GoI**	-	(1015.88)
Total	**2,211.43**	**6,738.16**

* Includes advance given to subsidiaries ₹ 484 lakhs (previous year - ₹484.00 lakhs)

** Refer note no 40 for details

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 14 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Raw Materials and components	1,53,773.13	76,161.61
Work in Progress	76.26	-
Goods-in transit	11,359.87	17,601.09
	1,65,209.26	**93,762.70**
Stores & Spares	1,255.36	1,656.81
Goods-in transit	8,655.08	474.47
	9,910.44	**2,131.28**
Total *	**1,75,119.70**	**95,893.98**

Stores & Spares represents spares of general nature and are not related to a particular asset.

* Includes Materials Pending Inspection as on 31 March 2025 comes to ₹14426.93 lakhs (previous year ₹15,364.25 lakhs)

Note 15 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	22,945.97	29,355.09
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	2,546.47	12,125.92
Less: Allowance for Expected credit loss	(2,546.47)	(12,125.92)
Trade Receivables - Credit impaired	-	-
Total *	**22,945.97**	**29,355.09**

* Includes Trade receivable from subsidiaries ₹114.78 lakhs for FY 2024-25 and ₹14.26 lakhs for FY 2023-24

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade receivables include unbilled trade receivables ₹418.26 Lakhs (previous year Nil)

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	418.26	18,730.00	1,725.78	1,889.17	182.73	0.03	22,945.97
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	71.71	31.11	2,309.10	2,411.92
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
	418.26	**18,730.00**	**1,725.78**	**1,960.88**	**213.84**	**2,443.68**	**25,492.44**
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2025							2,546.47
Trade receivable as on 31.03.2025							**22,945.97**

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) UndisputedTrade receivables – considered good		19,540.87	4,984.06	2,119.52	2710.64	-	29355.09
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	111.12	476.18	2,525.07	3112.37
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	27.86	8,985.69	9,013.55
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-
	0.00	**19540.87**	**4984.06**	**2230.64**	**3214.68**	**11510.76**	**41481.01**
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2024							12125.92
Trade receivable as on 31.03.2024							**29355.09**

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Opening balance	**12,125.92**	**11,030.93**
Add: Additions during the year	631.61	1,575.03
Less: Reversals/withdrawals during the year	10,211.06	480.04
Closing Balance	**2,546.47**	**12,125.92**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 16 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Cash on hand		
Balance with Banks		
In current account	1,483.37	883.27
Term deposits with original maturity of less than three months	29,600.00	23,700.00
Total	**31,083.37**	**24,583.27**

₹ 3500 lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project. Also Board approval granted for funding support not exceeding ₹ 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Note 17 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lien Marked Term deposits*	2,030.72	46,103.75
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	-	22,093.13
Balance held on behalf of Indian Navy**	2,68,583.42	2,76,092.29
Balance held on behalf of UTLA***	77.04	432.68
Balance held on behalf of A&N***	155.24	1,897.80
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	-	7,050.00
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	191.87	142.43
Total	**2,71,038.29**	**3,53,812.08**

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company & ₹ 113.57 lakhs (previous year ₹ 106.87 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

**Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier and Next generation Missile Vessels are held in separate accounts.It includes Sweep-In Term-deposits of ₹ 2,68,075.81 lakhs created from the respective accounts.

***Sweep-In Term-deposits of ₹ 50 lakhs and ₹ 130 lakhs are included in the funds parked by UTLA and A&N account respectively.

Note 18 : Loans - Current

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good:		
(a) Loans to related parties		
Udupi Cochin Shipyard Ltd*	513.22	
(b) Other Loans		
Employee advances		
Related parties	0.18	0.14
Others	130.93	114.97
Total	**644.33**	**115.11**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

*The Company infused ₹500 lakhs as unsecured loan to Udupi Cochin Shipyard Ltd , the Subsidiary company for meeting expenses during its operational phase, carrying an interest rate of 5.5% p.a. The principal amount is to be repaid at the end of 5 years (i.e; on 17th September 2025) from the date of disbursement. Interest repayments are to be made on yearly basis from the date of disbursal.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 19 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Interest accrued on Bank Deposits	6,415.82	9,383.87
Interest accrued on employee advances		
Related parties	-	-
Others	157.42	111.03
Ship Building Financial Assistance	13,331.89	2,266.78
Foreign Exchange Derivatives Assets	2,505.90	1,161.27
Total	**22,411.03**	**12,922.95**

Note 20 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured advances		
Advances other than Capital advances		
Advances to related party**	3,526.92	3,527.06
Other advances	1,73,966.02	1,58,346.69
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	1,77,493.01	**1,61,873.82**
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	1,77,492.94	**1,61,873.75**
Others		
Contract Assets for IAC works *	-	24,765.33
Contract Assets for other works	89,630.82	49,719.57
Obsolete stock	316.79	281.41
Less: Provision for obsolesence	(316.79)	(281.41)
Balance with Revenue authorities	1,768.40	1,167.99
Miscellaneous deposits	39.07	85.00
Prepaid expenditure	1,515.38	2,294.33
Input Tax Credit on GST	1,25,337.85	78,997.15
Medical Insurance Premium	2,635.97	1,984.50
Miscellaneous current assets***	2,125.24	1,423.43
Total	**4,00,545.67**	**3,22,311.05**

*Refer Note No 30

** Includes advance given/receivables from subsidiaries ₹ 3526.92 lakhs for FY 2024-25 and ₹3558.94 lakhs for FY 2023-24

***The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Company decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and such excess amount is classified under Miscellaneous Current Assets.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 21 : Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 5/- each	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 5/- each fully paid up	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
Total	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

21.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	263080780	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Less: Shares extinguished on splitting of shares (refer note below)	-	-	-131540390	-
Add : Equity shares of ₹5/- each issued during the year on splitting (Refer note below)	-	-	263080780	-
Less : Shares bought back during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹5 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Sub-division & Other information:

On 10 Jan 2024, the Company sub-divided every 1 (one) Equity Share of the nominal/face value of ₹10/- each into 2 (Two) Equity Share of the nominal/face value of ₹5/- each.

In October 2024, the Government of India sold 1,30,15,689 (4.95%) equity shares out of its 19,16,86,928 (72.86%) equity shares held in Cochin Shipyard Limited (CSL) by way of Offer for Sale (OFS) through the Stock Exchange mechanism in accordance with the applicable SEBI guidelines. Consequently, the Government of India's shareholding in Company stands at 17,86,71,239 (67.91%) equity shares as on March 31, 2025.

21.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	178671239	67.91	191686928	72.86

21.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
The President of India	178671239	67.91	4.95

Note 22 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Capital Reserves	263.56	263.56
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.89	93,151.90
Debenture Redemption Reserve	-	-
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	(868.90)	(918.26)
Retained Earnings	4,36,688.10	3,78,259.34
Total	**5,47,911.16**	**4,89,433.05**

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity

Capital Reserve: Capital reserve includes ₹263.56 lakhs being restoration charges received from M/s. Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Company's land.

Capital Redemption Reserve: Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 lakhs includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium: Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

General Reserve: General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Company created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act,1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Cash flow Hedge Reserve: Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 45)

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹4.00 per equity share of face value of ₹5 and ₹3.5 per equity share of face value of ₹5, as recommended at the board meetings held on November 7, 2024 and February 06, 2025 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹2.25 per equity share of face value of ₹5 for the financial year ended March 31, 2025 at the Board meeting held on May 15, 2025. This is subject to approval/ regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Note 23 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Bonds - (Secured)		
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	2,302.20
Total	**2,302.20**	**2,302.20**

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

a) Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually , redeemable at par, redeemed on 02nd December 2023.

b) Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029 .

These bonds are secured against the landed properties of the Company admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Company has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 24: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lease Liabilities under Ind AS 116	44,755.75	43,698.28
Total	**44,755.75**	**43,698.28**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 25: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 37)	5,034.20	4,276.76
Provision for gratuity	195.58	173.20
Total	**5,229.78**	**4,449.96**

Note 26: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Deferred Income arising from Government Assistance	5.72	6.87
Total	**5.72**	**6.87**

Note 27: Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,025.42	2,879.63
Total	**3,025.42**	**2,879.63**

Note 28 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	9,503.92	7,973.25
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	28,789.43	34,227.39
Total	**38,293.35**	**42,200.64**

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro,Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	9,503.92	7,973.25
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	9,503.92					9,503.92
(ii) Others	26,080.31	2,709.12				28,789.43
(iii) Disputed dues – MSME						-
(iv) Disputed dues – Others						-
Total	**35,584.23**	**2,709.12**	**-**	**-**	**-**	**38,293.35**

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	7,881.32	91.93				7,973.25
(ii) Others	30,747.03	3,463.54	7.07		9.75	34,227.39
(iii) Disputed dues – MSME						-
(iv) Disputed dues – Others						-
Total	**38,628.35**	**3,555.47**	**7.07**	**-**	**9.75**	**42,200.64**

Note 29 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unpaid Dividend	191.87	142.43
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	3,667.47	2,388.81
Others		
Security and other deposits	3,139.38	1,840.95
Profit share payable to lessor	834.50	202.13
Others Payables	11,648.03	10,881.37
Total	**19,481.25**	**15,455.69**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 30 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)*	32,746.10	-
IAC Trade payables**	8,184.24	11,184.64
Contract Liability for other works	4,53,959.75	4,87,527.27
Advances for ship building , ship repair and other contracts	21,379.72	9,532.63
Income received in advance	3,451.97	1,259.55
Statutory dues	2,890.58	2,347.48
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	**5,22,613.50**	**5,11,852.71**

*The company has incurred ₹40690.02 Lakhs till 31 March 2025 (₹ 40,057.28 Lakhs till 31st March 2024) towards augmentation of infrastructure facility out of funds received from Indian Navy. The ownership of the assets created out of the said funds vests with Indian Navy.

Stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 4956.42 lakhs (previous year ₹ 5601.25 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IAC P-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹ 1915000 Lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work will be completed subsequently as per the construction contract. The company has recognised revenue to the extent of ₹ 18,99,557.25 Lakhs as on 31.03.2025 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows

(₹ in lakhs)

Description	FY 2024-25 ₹ in Lakhs	FY 2023-24 ₹ in Lakhs
Revenue Recognised as at beginning of the year	18,61,114.01	17,40,844.14
Revenue recognised during the year	38,443.24	1,20,269.87
Total revenue recognised on IAC P-71 as at year end	18,99,557.25	18,61,114.01

Refer Note No 43 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers"

**IAC Trade Payables include ₹ 1351.93 lakhs (previous year -₹ 2072.12 lakhs) payable to MSME vendors which are not due as on 31 March 2025

Note 31 : Provisions - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Provision for Employee benefits		
Gratuity	808.12	459.83
Compensated absences (Refer Note No 37)	446.66	350.06
	1,254.78	**809.89**
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,682.22	2,672.32
For Shipbuilding loss	16,692.00	5,936.00
For Expenditure / contingencies*	84,500.26	53,175.83
	1,03,874.48	**61,784.15**
Total	**1,05,129.26**	**62,594.04**

* Includes provision for expenditure due to Subsidiaries ₹ 4070.31 lakhs for FY 2024-25 and ₹ 1121.67 lakhs for FY 2023-24

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

31.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2024	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2025
Provision for employee benefits- Gratuity	459.83	808.11	399.76	60.06	808.12
Compensated absences	350.06	96.60	-	-	446.66
Provision for taxes and duties	2,672.32	9.90	-		2,682.22
Provision for shipbuilding loss	5,936.00	11,297.00		541.00	16,692.00
Provision for expenditure / contingencies	53,175.83	1,28,374.54	94,402.34	2,647.77	84,500.26

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2023	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2024
Provision for employee benefits- Gratuity	530.06	605.72	501.50	174.45	459.83
Compensated absences	275.36	74.70	-	-	350.06
Provision for taxes and duties	2,668.99	3.33	-	-	2,672.32
Provision for shipbuilding loss	5,465.00	1,587.00	-	1,116.00	5,936.00
Provision for expenditure / contingencies	29,426.70	2,14,309.02	1,89,173.62	1,386.27	53,175.83

Note 32 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24	1,20,269.87
Vessels other than IAC	2,12,185.06	1,39,398.80
Income from C- SAS	1,143.03	686.90
Income from B&D spares	3,553.98	-
	2,55,325.31	**2,60,355.57**
Sale of services		
Ship repairs	1,83,455.74	98,683.23
	1,83,455.74	**98,683.23**
Other operating revenue		
Sale of stock items	3.30	0.68
Ship Building Financial Assistance	10,241.73	3,073.81
Sale of scrap	1,115.58	838.74
Consultancy Income	1,027.15	-
Management fee	1,615.34	1,575.94
	14,003.10	**5,489.17**
Total	**4,52,784.15**	**3,64,527.97**

1. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives a clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date

2. Refer Note No 43 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

3. Out of the Revenue from Operations, ₹ 53,436.82 lakhs (₹ 23140.03 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

4. The Company has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.

5. The Company is executing shipbuilding contracts with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration for the construction of two 1200-passenger vessels (yard nos. SH.0023 and SH.0024). The contractual delivery dates, as extended, have expired for both vessels as on 29 April 2023 for vessel SH.0023, and 30 October 2023 for vessel SH.0024.

   The two vessels are customized and designed for specific operations between Andaman Islands and Main Land. Subsequently based on a request from the A&N Administration, the Company has abated delivery activity, as the Administration has sought reallocation of the vessels to other prospective buyers. However, such reallocation would necessitate significant technical modifications and cost, and the vessels, in their current state, are considered to have no alternative use.

   Given that the Company continues to have a valid and enforceable contract with the A&N Administration, and there is no current mutual termination or novation of the contract, no additional provision for LD has been recognized beyond 29 April 2023 and 30 October 2023, respectively, for SH.0023 and SH.0024 for reason of abated delivery at the request of the buyer. In accordance with the terms of the contract and based on prudent estimates, the Company has recognized provision for liquidated damages (LD) up to the aforementioned dates.

   The Company continues to monitor developments related to this contract and will review its accounting estimates and provisioning requirements in subsequent periods as more information becomes available.

   The cumulative percentage of completion for the two vessels as on 31.03.2025 is 54.84 percent for SH.0023 and 55.19 percent for SH.0024. The total liquidated damages for SH.0023 is ₹. 11814.08 lakhs and for SH.0024 is ₹. 9756.34 lakhs up to the financial year 2024-25. The Company has recognized revenue to the tune of ₹. 16943.66 lakhs towards SH.0023 and ₹. 17156.89 lakhs towards SH.0024 upto 31.03.2025 after considering the liquidated damages.

6. The Government of India provides Ship Building Financial Assistance (SBFA) to promote domestic shipbuilding. This scheme is aimed at compensating the cost incurred in the construction of vessels and not for any operational losses.

   In accordance with the SBFA policy guidelines, financial assistance is available only for vessels that are constructed and delivered within the stipulated period and are covered under an in-principle approval obtained from the Directorate General of Shipping. The Company recognizes SBFA income over the construction period of the eligible vessels, in proportion to the cost incurred, provided the conditions under the policy are met or are reasonably expected to be met.

   Where there is uncertainty regarding compliance with any of the policy conditions, such as delays in construction or delivery timelines resulting in non-fulfilment of eligibility criteria, the Company either does not recognize the SBFA income or derecognizes the income previously recognized, as appropriate. Such contingencies are assessed regularly, and necessary accounting adjustments are made to reflect the revised expectations.

   During the current financial year based on the amendment by MoPSW granting additional time for delivery of vessels affected by the Covid pandemic, the Company has re-recognised the financial assistance amounting to ₹.822.29 Lakhs in respect of delivered vessels as income for the current year. Out of claim made to the Government of the re-recognised of ₹. 822.29 lakhs, the Company has realized ₹.404.03 Lakhs and the balance amount of ₹. 418.26 lakhs is yet to be realised.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

With regard to vessels under construction, the Company has recognized financial assistance income of ₹.10,309.45 lakhs towards Ship Building Financial Assistance from Govt. of India, in order to compensate the cost incurred by the company in building the vessels. Further, the Company has reversed ₹. 890.01 lakhs due to revision in expected delivery dates of the vessels which resulted in non-fulfilment of the stipulated conditions under the SBFA policy. As on the reporting date, the cumulative income accrued amounting to ₹. 13546.03 lakhs account of financial assistance is subject to the fulfilment of conditions stipulated in the Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP), as amended from time to time.

7. Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. In addition to Management fee, Consultancy fee for technical assistance in preparation of DPR relating to Augmentation & Modernisation plan for Marine Dockyard is also accounted as per the agreement with A&N Administration. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

8. Disclosure pursuant to CAG audit observation

The company reassesses the measurement progress of its performance obligation under the output method as mandated by Ind AS 115 at every reporting date. During the year, the company noticed that on application of Ind AS 21, the existing measurement resulted in variations in faithful representation of revenue in the case of export contracts denominated in foreign currency. In order to address the same, the Company refined its quantification approach for the said contracts. Revenue is recognised by applying the physical completion percentage on the total transaction price, which the company is entitled to, without bifurcating between material and service portions. The effect of change in the quantification measure in the current year has resulted in increase in revenue from operations of about Rs. 11808.65 lakhs. The Company intends to consistently adopt this measurement technique in recognising revenue for contracts involving similar performance obligations.

Note 33 : Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Training facilities	663.79	501.57
Income from sale of scrap and stores	341.46	54.06
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	23.90	-
Income from laboratory services	15.53	23.08
Rental income	241.85	253.30
Interest on bank deposits	18,762.65	22,724.97
Interest from others	440.50	1,170.65
Dividend income from Preference shares	331.74	316.58
Dividend income from Mutual Funds	72.78	7.49
Dividend income from Society	0.54	0.54
Net gain on foreign currency transactions	1,321.38	1,927.77
Provision no longer required	14,054.34	2,399.95
Miscellaneous income*	1,774.15	1,358.29
Total	**38,044.61**	**30,738.25**

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 34 : Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Raw Materials		
Steel	12,452.43	11,893.44
Pipe	1,927.75	1,206.10
Paint	2,641.17	2,127.39
Bought out components	1,81,138.03	1,47,366.53
Total	**1,98,159.38**	**1,62,593.46**

Note 35 : Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	-	-
Less: at the end of the year	(76.26)	-
Total	**(76.26)**	**-**

As a significant initiative introduced by the Government of India focusing on the reduction of carbon emissions in the maritime sector, the Board of Directors of the Company has decided to construct two 60-ton green tug hulls as part of Green Tug Transition Programme (GTTP). This proactive step, includes preliminary designs and procurement, and aims to demonstrate Company's readiness, improve delivery timelines, and establish leadership in green tug construction.

Note 36 : Sub Contract and Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Sub contract and off loaded jobs	50,375.25	34,060.03
Hull insurance	2,540.85	799.22
Design Expenses	5,805.07	8,063.56
Operating expenses	20,543.87	8,964.10
Total	**79,265.04**	**51,886.91**

Note 37 : Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	33,727.05	31,108.47
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,284.86	1,644.11
Gratuity	478.84	352.67
Staff welfare expenses	4,088.21	4,411.64
	40,578.96	**37,516.89**
Less:Expenditure during construction	(205.27)	(364.32)
Total	**40,373.69**	**37,152.57**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 28.07 lakhs (previous year ₹ 27.92 lakhs).

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 103.82 lakhs (previous year ₹ 65.87 lakhs).

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act,1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier.

The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Pension fund is ₹.2076.29 Lakhs for the year 2024-25 (₹.1693.55 Lakhs for the year 2023-24). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2025.

(₹ in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets	24747.34	23,514.49
Present value of benefit obligation at year end	24781.17	23,581.18
Net liability / (Net asset)	33.83	66.69
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Discount Rate (p.a)	6.78%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.20	9.30

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Service Cost:		
Current Service Cost	270.62	245.58
Net Interest expense	303.84	283.51
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	815.00	453.72
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1,389.46**	**982.81**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,480.86	4,626.82
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**5,480.86**	**4,626.82**

(₹ in lakhs)

Type of employee benefit	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Current Component of PVO	446.66	350.06
Non-Current Component of PVO	5,034.20	4,276.76
TOTAL PVO	**5,480.86**	**4,626.82**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4626.82	4,198.71
Current & Past Service Cost	270.62	245.58
Current Interest Cost	303.84	283.51
Actuarial (Gain)/ Loss	815.00	453.72
Benefits paid	(535.42)	(554.70)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,480.86**	**4,626.82**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year		-
Expected Return on Plan Assets		-
Actuarial (Gain)/ Loss		-
Contributions from the employer	535.42	554.70
Benefits paid	(535.42)	(554.70)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Year 1	140.34	87.59
Year 2	286.62	249.14
Year 3	177.73	177.05
Year 4	137.19	157.34
Year 5	147.08	120.14
Next 5 Years	799.80	708.03

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Year 1	140.34	87.59
Year 2	286.62	249.14
Year 3	177.73	177.05
Year 4	137.19	157.34
Year 5	147.08	120.14
Next 5 Years	799.80	708.03

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,609.86	3,889.26
Current Service Cost	193.41	168.06
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,016.23	4,234.29
Current Service Cost	212.98	185.38
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,023.15	4,240.52
Current Service Cost	213.32	185.70
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,601.99	3,882.28
Current Service Cost	193.03	167.72

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,609.86	3,889.26
Current Service Cost	193.41	168.06
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,016.23	4,234.29
Current Service Cost	212.98	185.38
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,023.15	4,240.52
Current Service Cost	213.32	185.70
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,601.99	3,882.28
Current Service Cost	193.03	167.72

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Discount Rate (p.a)	6.78%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.78%	6.97%

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	11.3	11.20

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Service Cost:		
Current Service Cost	423.10	295.69
Past Service Cost		-
Net Interest expense	13.93	18.13
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**437.03**	**313.82**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	337.96	308.76
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(46.72)	(222.81)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**291.24**	**85.95**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,529.24	4,799.46
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,800.96	4,399.69
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	728.28	399.77

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,799.46	4,319.66
Current Service Cost	423.10	295.69
Current Interest Cost	322.20	297.07
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	337.96	308.76
Benefits paid	(353.48)	(421.72)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,529.24**	**4,799.46**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,399.68	3,818.15
Expected Return on Plan Assets	308.27	278.94
Actuarial Gain/(Loss)	46.72	222.81
Contributions from the employer	399.77	501.50
Benefits paid	(353.48)	(421.71)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**4,800.96**	**4,399.69**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

NA " denoted " Not Available

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Year 1	286.14	143.68
Year 2	665.64	629.58
Year 3	384.19	450.06
Year 4	321.02	352.83
Year 5	266.76	287.11
Next 5 Years	1,583.72	1,347.44

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,251.13	4,560.01
Current Service Cost	345.63	314.70
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,830.27	5,058.74
Current Service Cost	397.00	361.87
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,779.52	5,019.28
Current Service Cost	390.11	354.30
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,288.36	4,582.95
Current Service Cost	353.54	323.51

BP denotes "Basis Points"

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Government of India Securities	28.95%	39.59%
State Government Securities	25.24%	24.56%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	31.49%	28.37%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.32%	0.31%
Others	14.00%	7.17%
Total	**100.00%**	**100.00%**

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.40%	7.10%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	6.40%	7.10%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Service Cost:		
Current Service Cost	25.24	23.18
Past Service Cost		-
Net Interest expense	16.55	15.66
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**41.79**	**38.84**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	0.35	(20.20)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss		
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**0.35**	**(20.20)**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	275.42	233.26
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year		-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**275.42**	**233.26**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	233.26	214.62
Current Service Cost	25.25	23.18
Current Interest Cost	16.56	15.66
Past Service Cost		
Actuarial (Gain)/ Loss	0.35	(20.20)
Benefits paid		
Defined Benefit Obligation at end of the year	**275.42**	**233.26**

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	
Year	**ISRF**	**CMSRU**
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

“NA " denoted " Not Available”

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2024	
Year	**ISRF**	**CMSRU**
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

“NA " denoted " Not Available”

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	63.01	8.03
Year 2	46.94	6.20
Year 3	25.86	3.15
Year 4	10.25	-
Year 5	5.99	-
Next 5 Years	95.80	10.15

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	46.67	5.53
Year 2	28.57	-
Year 3	39.88	4.06
Year 4	18.71	2.14
Year 5	2.99	-
Next 5 Years	78.26	6.41

Sensitivity Analysis as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.40%	7.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	239.07	26.73
Variation	(3.55%)	(2.96%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.40%	5.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	257.45	28.42
Variation	3.86%	3.18%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	256.44	28.30
Variation	3.45%	2.76%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	239.88	26.82
Variation	(3.23%)	(2.60%)

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on 31.03.2024

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	8.10%	8.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	207.27	17.54
Variation	(3.64%)	(3.36%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.10%	6.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	223.62	18.81
Variation	3.96%	3.63%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	222.80	18.74
Variation	3.58%	3.24%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	207.91	17.60
Variation	(3.34%)	(3.05%)

BP denotes "Basis Points"

Note 38 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Interest expense on lease liabilities	3,988.37	4,043.88
Interest on tax free bonds	201.17	771.70
Interest others	-	0.25
	4,189.54	**4,815.83**
Less:Expenditure during construction	(544.61)	(1,661.23)
Total	**3,644.93**	**3,154.60**

Note 39 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Depreciation on property, plant and equipments	5,794.90	3,437.52
Depreciation on Right Of Use Assets	1,696.97	1,899.82
Amortisation of intangible asset	1,041.99	901.46
Total	**8,533.86**	**6,238.80**
Less:Expenditure during construction	(169.49)	(545.32)
Total	**8,364.37**	**5,693.48**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 40 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Consumption of stores & spares	3,539.14	2,882.79
Dimunition in value of Loose tools	151.97	124.48
Rates and taxes	129.21	55.16
Power	3,433.40	2,669.20
Fuel	835.99	383.66
Water	363.40	419.19
Repairs and maintenance:		
Building and roads	852.29	731.97
Plant and machinery	152.59	307.57
Others	2,462.68	1,757.53
Maintenance dredging	914.07	243.93
Transport and stores handling	113.47	95.99
Travelling and conveyance expenses	1,172.64	1,185.92
Printing and stationery	107.50	98.14
Postage, telephone and telex	66.72	62.18
Advertisement and publicity	605.64	1,062.37
Lease rent	26.10	0.65
Hire charges	1,112.41	1,176.53
Insurance charges	590.82	592.04
Security expenses	2,320.93	2,265.70
Payments to Auditors	29.85	30.25
Training expenses	944.90	810.42
Legal expenses	165.68	46.67
Consultancy	86.24	115.79
Bank charges	1,269.74	1,062.56
Loss on Forex Derivative Transactions	530.62	724.89
Corporate social responsibility (Refer Note no.50)	1,564.51	1,384.38
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	5.65	0.87
Bad debts written off	8,614.55	96.98
R&D and New initiatives *	2,043.17	626.18
Miscellaneous expenses	893.78	1,567.75
Total	**35,099.66**	**22,581.74**

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
For Audit Fees	20.00	19.00
For Limited Review/other services	8.75	8.25
For Certifications	1.10	3.00
Total	**29.85**	**30.25**

*R&D and New initiatives includes the following:

a) USHUS is a start-up support program of CSL in association with Indian Institute of Management Kozhikode (IIM K) & Indian Institutes of Technology Madras (IIT) to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Start-ups. As part of this program maritime start-ups will receive seed funds from CSL as grants/ investments. IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for investment by CSL. Fee for their services amounts to ₹.26.50 lakhs current year (Previous Year - ₹ 7.00 lakhs). ₹.105.00 Lakhs has been disbursed to 9 start ups identified by IIM K under seed funding scheme during the F.Y 2024-25.

b) M/s Boston Consulting group was entrusted with preparation of detailed report for Setting up of Ship repair cluster in Kochi (Phase-II) with MoPSW's Maritime India Vision-2030 for an amount of ₹ 343.00 lakhs. M/s Boston Consulting group is also entrusted for preparation of detailed report for Setting up of Ship repair business in Vadinar, Gujrat in India for an amount of ₹ 343.00 lakhs.₹ 686.00 lakhs has been charged to Profit and loss account during current year.

c) Design, development, Construction activities of Fully Indigenous Autonomous Surface Vessel (ASV) Pilot Project under the Aatma Nirbhar Bharat procurement model. The project is being executed with a total estimated project cost of ₹4000.00 lakhs. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has sanctioned a grant-in-aid of ₹2000.00 lakhs towards the design and development of this project under R&D (Shipping) Scheme.

Company has received grant of ₹ 925.07 lakhs during the year, out of which ₹ 314.28 lakhs was utilized towards ASV project and balance ₹ 610.78 lakhs is lying under Central Nodal Account maintained by the Sagarmala Development Corporation Limited(SDCL). In addition to the grant amount utilised ₹ 314.28 lakhs, Company has also incurred overhead and other expenditure of ₹ 41.20 lakhs towards the project .Hence the cumulative cost incurred towards ASV project for the year is ₹ 355.48 lakhs and same has been charged as Research & development expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2025.

d) The Company is engaged in a pilot Research and Development project for construction of a Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel (HFCEV), pursuant to approval by the Research Committee of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. A work order was issued to the Company wherein 75% of the project cost being funded by the MoPSW, under the ambit of the National Hydrogen Mission and Atmanirbhar Bharat initiative. All the assets acquired from the grant will be the property of the Government of India and the funds released for such projects or schemes in one or more installments are not treated as Grants-in-aid in the books of the implementing agency.

In the parallel, the Company also entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Inland Waterways Authority of India (IWAI) to develop, design, construct, and supply the vessel, with an intention to transfer title and ownership through a separate agreement.

During the previous financial year (FY 2023–24), based on management's expectations of an near-term sale to IWAI, the cost incurred (net of grant received) was presented under Non-Current Assets. However, as of 31 March 2025, no further progress has been made in formalizing the sale arrangement, and the vessel continues to remain under demonstration phase. Given the absence of reasonable certainty regarding the timing and realisation of the proceeds from IWAI , the management has reassessed the accounting treatment.

Accordingly, in compliance with the principles of prudence the Company has recognized the net cost incurred ₹ 925.14 lakhs (ie. cost incurred less grant received) as Research and Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2025.Cost incurred during 2024-25 is ₹ 837.78 lakhs.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 41 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Loss allowance for Trade Receivables	659.59	1,639.20
Expenses and contingencies	354.60	520.00
Profit share to lessor	843.22	210.86
Loss on Ship Building	10,756.00	471.00
Total	**12,613.41**	**2,841.06**

Note 42 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	84,290.64	81,310.34
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	32.04	30.91
Face value per share (in ₹)	5.00	5.00

Refer Note No:21.1

Note 43: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

A. Disclosures of Disaggregated revenue as per Ind AS 115

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	Year ended 31 March 2025			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		InputMethod	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24		38,443.24	38,443.24
Vessels other than IAC	2,13,328.09		2,13,328.09	2,13,328.09
Other operating revenue:				
Ship Building Financial Assistance	10,241.73	10,241.73		10,241.73
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
Other operating revenue				
Management fee	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	756.61	-	-	756.61
Sale of Ship Repair Scrap	358.97	-	-	358.97
Sale of B&D Spares	3,553.98			3,553.98
Consultancy income	1,027.15			1,027.15
Sale of stock items	3.30	-	-	3.30
Total				**4,52,784.15**

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	Year ended 31 March 2024			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		InputMethod	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	1,20,269.87	-	1,20,269.87	1,20,269.87
Vessels other than IAC	1,40,085.70	-	1,40,085.70	1,40,085.70
Other operating revenue				
Ship Building Financial Assistance	3,073.81	3,073.81		3,073.81
(ii) Sale of services				
Ship repairs	98,683.23	-	98,683.23	98,683.23
Other operating revenue				
Management fee	1,575.94	-	1,575.94	1,575.94
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
Sale of Ship Building Scrap	461.86	-		461.86
Sale of Ship Repair Scrap	376.88	-		376.88
Sale of stock items	0.68	-		0.68
Total				**3,64,527.97**

B. Contract balances

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Trade Receivables	22,945.97	29,355.09
Contract Assets	89,630.82	74,484.90
Contract Liabilities	4,86,705.85	4,87,527.27

Movement in contract balances during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract asset at the beginning of the year	74,484.90	50,902.08
Contract asset at the end of the year	89,630.82	74,484.90
Net (increase)/decrease	(15,145.92)	(23,582.82)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract liabilities at the beginning of the year	4,87,527.27	3,85,917.58
Contract liabilities at the end of the year	4,86,705.85	4,87,527.27
Net (increase)/decrease	821.42	(1,01,609.69)

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

C. Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹ 1444757.52 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract).The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 35.78% of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2025, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2025-26 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31,2025 the Company recognised revenue of ₹ 1,16,990.11 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01,2024.

D. Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Opening contracted price of orders	**25,33,712.74**	**24,45,315.68**
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	73,036.72	56,701.90
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	28,036.33	40,139.48
Increase due to exchange rate movements (net)	19.34	3,375.79
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	23,918.90	4,367.32
Orders completed during the year	5,204.48	7,452.79
Closing contracted price of orders	**26,05,681.75**	**25,33,712.74**
Total Revenue recognised during the year:	2,34,238.27	1,92,060.73
Less: Revenue out of orders completed during the year	2,481.73	2,233.99
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	2,31,756.54	1,89,826.74
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	9,29,167.69	7,43,827.27
Decrease due to exchange rate movements (net) (III)	-	-
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	14,44,757.52	16,00,058.73
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	**26,05,681.75**	**25,33,712.74**

Note 44: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2025 on Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹ 1138.51 lakhs (Previous year ₹ 1177.18 lakhs)

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31,2025 including outflow on short term and low value leases is ₹ 3085.66 lakhs (Previous year ₹ 3358.98 lakhs)

The Company has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities as at March 31, 2025 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Less than one year	3,025.42	2,879.93
One to five years	14,306.38	13,091.39
More than five years	1,07,281.20	1,11,388.69
Total	**1,24,613.00**	**1,27,360.01**

The details of the contractual maturities of leased assets as at March 31, 2024 on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Less than one year	39.05	37.40
One to five years	174.89	167.18
More than five years	112.93	159.69
Total	**326.87**	**364.27**

Movement of Lease Liabilities are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Opening Balance	46,577.91	44,125.96
Add:Additions	141.86	1,616.03
Add:Interest recognised during the year	3,988.37	4,043.88
Less:Payment made	2,926.97	3,207.96
Closing Balance	**47,781.17**	**46,577.91**

Note 45: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The company enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the company's foreign currency forward contracts is a bank.

The company has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 25:

(₹ in lakhs)

Particulars	31-Mar-25			31-Mar-24		
	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
EURO	88	137643.91	96.45	46	92532.20	(479.68)
NOK	5	7676.66	(30.49)	6	7824.95	(747.84)
Total	**93**	**145320.57**	**65.96**	**52**	**100357.15**	**(1227.52)**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	(918.26)	(3,578.40)
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	49.36	2,660.14
Balance at the end of the year	**(868.90)**	**(918.26)**

Note 46: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

	Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A	**CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)**			
a	**Claims against the company not acknowledged as debt**			
i	Sub- Contractors & Suppliers	27,312.93	-	Claims made by suppliers which are currently under dispute and has not been acknowledged as debt. Based on the facts of the case, the company believes that the likelihood of outflow of resources embodying economic benefits is remote, and expects any potential liability, if at all, to be significantly lower than the amount claimed. However, the matter is under conciliation.
b	**Guarantees**			
i	Letters of Credit	19,279.09	38,207.74	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii	Bank Guarantees	2,01,613.65	71,329.37	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on Balance sheet date is included in Note 47.
iii	Guarantee given on behalf of wholly owned subsidiary company (UCSL)	6,093.74	-	The Company has provided a joint and several guarantee along with its wholly owned subsidiary,M/s Udupi Cochin Shipyard Limited,under a ship building contract with M/s Ocean Sparkle for 11 vessels.The subsidiary has received a refundable advance of ₹ 6093.74 lakhs. The Company's liability would arise only in the event of default by the subsidiary.Based on the asessment of the subsidiary's financial and operational capability to fulfil its obligations,the likelihood of any outflow of resources from the Company is considered remote.
c	**Other money for which the company is contingently liable**			
i	Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹ 69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
ii Customs duties	12,726.96	10,543.96	Customs duty for materials under Bond for ₹. 6393 Lakhs. This also includes differential duty towards steel scrap sales and interest thereon amounting to ₹ 285.62 Lakhs, penalty on differential IGST for ₹ 230 lakhs and ₹ 5752.16 lakhs towards duty paid under protest & FDR lien marked on Registrar of High Court of Kerala for ₹ 66.18 lakhs.
iii Income Tax	1,389.86	2,209.37	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹. 126.26 Lakhs AY 2014-15 - ₹. 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹. 331.77 Lakhs AY 2018-19 - ₹. 20.76 Lakhs Detailed notes in Note no. 46.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT against the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise .
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner of Central Excise (Appeals) . However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals).
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/ Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT aganst the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise .
	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal before CESTAT.
	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central GST and Central Excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal before CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
Service Tax	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner confirmed demand. Appeal filed before Commissioner (Appeals) against the Order in Original.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Cochin.
	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Demand confirmed by Commissioner of Central Tax & Central Excise . Appeal filed before CESTAT.
v Kerala Value Added Tax (KVAT)	787.32	787.32	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand. Writ petition filed before High Court of Kerala for stay on recovery proceedings.
vi Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 and penalty thereon	92.13	92.13	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original
vii Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	-	305.57	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods . MSME Council , Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator . Claim petition filed by the petitioner. Order passed by the Sole Arbitrator in favour of the respondent (CSL).

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
viii M/s. Vigil Marine Services	2,065.17	1,951.50	M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. Bank guarantee for the award amount along with interest from the date of receipt of the amount till the date of award (₹ 1305 lakhs) has been deposited as security to Hon'ble High Court and and the same is included in Note 47.
ix Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹ 62.28 lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹ 26.46 Lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012 and ₹ 25.95 lakhs for the period Apr 2012- Jul 2013 belatedly. Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹ 19.84 lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹ 1 lakh.
x Property Tax	0.00	68.24	The company had challenged the Kochi Corporation's 4000% property tax hike (effective from 2013–2014) vide, Writ Petition No. 12758/2023, which led to demand notices totaling ₹68.24 lakhs for 14 buildings. The Kerala High Court, through an interim order dated 10 April 2023, stayed the notices,on condition that CSL would make future tax payments at revised rates, subject to the petition's outcome. In its final judgment dated 10 April 2025, the Court upheld the revised rate but limited the arrear recovery to three years from the March 2023 demand, i.e., from 2019 onwards. CSL has accordingly computed and recorded the revised liability in its books as of 31.03.2025.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Particulars		As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
xi	Customs bond for removing gear and equipment of ship under repair	100.00	0.00	Customs bond issued as per customs preventive manual (Chapter 20) for removing gear and equipment of ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU.
xii	Indemnity Bond to Customs Authorities	19,203.00	14,950.00	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017.
xiii	Indemnity Bond to Govt of India	30,415.00	30,415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to GoI towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 47.
xiv	Paint contamination claims	863.83	863.83	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.
xv	Claim for the salary amount recovered from CoPA deputed employees to ISRF	1.67	-	6 employees of CoPA has made a claim for the refund of salary recovered against their absence from duty , due to the revised timings issued by CoPA for the ministerial staff. CSL is in receipt of the summons from the Central Govt Industrial Tribunal. The case have been posted for hearing in June 2025.
xvi	Fine levied by the Stock Exchanges (BSE and NSE) for non-compliance with certain Corporate Governance provisions of the SEBI LODR Regulations	21.34	-	The Stock Exchanges have levied fines on CSL for non-appointment of Independent Directors and related requirements including non-constitution of committees of the Board as required under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As the non-compliances were beyond the company's control and not due to its negligence or default, CSL will request a waiver of the fines from the Stock Exchanges once the required independent directors are appointed. The Stock Exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
B	**COMMITMENTS (To the extent not provided for)**			
a	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	31,539.56	40,329.32	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for.

46.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company has been completed up to AY 2023-24.

Demands raised as per the assessment orders totaling ₹ 1389.86 lakhs for the Assessment Years 2014-15, 2018-19 and 2017-18 are pending for disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) . The demands are shown under Contingent Liability and are mainly due to the disallowance of certain genuine claims. However, the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

Note 47. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on reporting date is ₹ 1032503.48 lakhs (Previous year ₹ 961771.39 lakhs)

Note 48. Litigations :

The Company is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Company's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Company's results of operation.

Note 49. Research & Development/New Initiative Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
a) Revenue Expenditure	2270.08	626.18
b) Capital Expenditure	2.83	1450.47
	2272.91	**2076.65**

Refer Note No.4 and 40

₹. 3500 lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project.1% of average turnover based on the audited financial results of the standalone financial results of CSL for the last three financial years will be set aside as yearly budget for the Research and Development/Innovation initiatives of CSL. Further the Board has granted approval for funding support not exceeding ₹. 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Note 50. Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
(a) Gross amount required to be spent by the Company during the year	1557.68	1369.01
(b) Amount spent during the year	1789.51	1444.38

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Details of amount spent for year ended 31 March 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1419.72	-	1,419.72
(ii) On purposes other than (i) above	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

Details of amount spent for year ended 31 March 2024

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,096.17	-	1,096.17
(ii) On purposes other than (i) above	348.21	-	348.21
	1,444.38	**-**	**1,444.38**

(₹ in lakhs)

In case of Sec.135(5) Excess amount spent	As at March 31,2025	As at March 31,2024
(i) Amount carry forwarded from previous financial years	170.00	110.00
(ii) Amount spent during the year	1789.51	1444.38
(iii) Amount charged to P&L as CSR expenses	1564.51	1384.38
(iv) Amount carry forwarded to succeding financial years	395.00	170.00

As on 31 March 2025, the Company spent ₹ 401.83 lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹ 6.83 lakhs is charged to Profit and Loss and Rs 395 Lakhs is carried forwarded to succeding financial years

(₹ in lakhs)

Additional Disclosures on CSR	As at March 31,2025	As at March 31,2024
(i) Amount required to be spent by the company during the year,	1558.68	1369.01
(ii) Amount of expenditure incurred,	1789.51	1444.38
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00	0.00
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00	0.00
(v) Reason for shortfall	NA	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.		
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil	Nil

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 51. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2024-25	2023-24
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Kumar Sinha Part-time Official (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Biju Prabhakar Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Amrapali Prashant Salve (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Prithiviraj Harichandan (Up to May 01, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesan M (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Hooghly Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Kolkata)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
Udupi Cochin Shipyard Limited (Principal place of business:Malpe)	Subsidiary Company	Subsidiary Company
CSL Superannuation Pension Trust For Executives And Supervisors	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Retired Employees Medical Assistance Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Mutual And Public Welfare Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Employees Contributory Provident Fund Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Officers And Supervisors Retirement Benefit Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Insurance Linked Medical Assistance Trust For Retired Workmen	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Workmen Pension Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Shares held by Nominee Directors in Hooghly-CSL on behalf of CSL	As at March 31,2025	As at March 31,2024
	No of Shares	
Shri Madhu S Nair (Chairman)	10.00	10.00
Shri Bejoy Bhasker (Director)	10.00	10.00
Shri Jose V J (Director)	10.00	10.00
Shri Sreejith K Narayanan (Director)	10.00	10.00

Shares held by Nominee Directors in UCSL on behalf of CSL	As at March 31,2025	As at March 31,2024
	No of Shares	
Shri Madhu S Nair (Chairman)	10.00	10.00
Shri Bejoy Bhasker (Director)	10.00	10.00
Shri Jose V J (Director)	10.00	10.00
Shri Sreejith K Narayanan (Director)	10.00	10.00

Transactions with Key Managerial Personnel:

Nature of transaction:- Remuneration to Key Managerial Person

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Short term benefit	282.66	282.12
Post employment Benefit	46.81	43.89
Total	**329.47**	**326.01**

Nature of transaction-Advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2024	Loans/advances Taken during 2024-25	Repay ment	Balance as on 31/03/25	Interest accrued as on 31/03/25
Bejoy Bhasker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose V J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sreejith K N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Syamkamal N	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2023	Loans/advances Taken during 2023-24	Repay ment	Balance as on 31/03/24	Interest accrued as on 31/03/24
Bejoy Bhasker	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
Jose V J	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
Sreejith K N	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
Syamkamal N	0.12	0.60	0.58	0.14	0.00

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Smt. Amrapali Prashant Salve	3.00	2.90
Shri Nahar Singh Maheshwari	3.60	2.40
Shri Ashok Sharma	3.30	2.60
Shri Prithiviraj Harichandan	0.30	2.40
Shri Venkatesan M	2.10	1.80
Shri Abhijit Biswas	3.60	2.60
Total	**15.90**	**14.70**

Transactions and Balances with Related Parties-Subsidiaries

i) Transactions

(₹ in lakhs)

Particulars	Hooghly Cochin Shipyard Ltd		Udupi Cochin Shipyard Ltd	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Secondment to subsidiary	59.18	19.56	117.94	92.01
Dividend on preference shares	331.73	316.59		-
Sub contract works undertaken by Subsidiaries	2,998.32	1,536.17		(12.33)
Services provided to subsidiaries	1.79	2.96	7.14	7.50
Sales of stock items / assets	3.30	1.27		-
Interest on NCD	190.64	323.07	60.00	60.00
Investment in Equity shares	-	4,400.00		1,800.00
Repayment of NCD	-	4,400.00		-
Advances given to Subsidiaries		3,526.92		-
Interest on loan	-	-	27.50	27.50

ii) Balances with Related Parties-Subsidiaries

(₹ in lakhs)

Particulars	Hooghly Cochin Shipyard Ltd		Udupi Cochin Shipyard Ltd	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Investment in NCDs issued by subsidiary	3,100.00	3,100.00	1,000.00	1,000.00
Investment in Equity shares of Subsidiary (includes right issue)	14,000.00	14,000.00	10,800.00	10,800.00
Investment in Cumulative Redeemable Preference Shares in subsidiary	5,600.00	5,600.00		-
Loans to subsidiary		-	500.00	500.00
Interest accrued but not due on NCD	98.72	109.69	31.86	31.86
Dividend payable on preference shares	1,280.45	948.73		-
Receivable from subsidiaries	95.03	18.32	19.75	26.72
Payable to subsidiaries	211.75	-	1.10	-
Advances given to Subsidiaries	152.36	3,526.92		-
Commitments and guarantees given for Subsidiaries :		-		-
On account of investment		-		-
On account of capital projects	30.25	435.60		-

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Transactions and Balances with other Related Parties (Post- Retirement Benefits Trust/Plans)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
i) Transactions		
Contribution to Post employment plans (for the year)	3444.90	1917.62
ii) Balances		
Payable to trust (Net)	104.12	1505.56

Transactions & Balances with Government and entities under the control of same Government

Government of India (GOI) as on 31st March 2025 is holding 67.91% equity shares of the Company, which is held by President of India through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW). GOI controls the Company through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

The Company has made various transactions with the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW) and with entities being controlled or jointly controlled or having significant influence of the Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

i) Transactions/Balances with GoI

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Amount payable to Government of India	234.19	234.19
Amount as paid as dividend during the year to Government of India	17,713.30	17,251.82

ii) Significant transactions with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Lease rent paid	2,615.20	3,561.80
Power & water supply charges	1,354.38	988.27
Annual Profit share payment	227.73	299.51
Employee related expenses	596.68	349.39
Dredging of ISRF area	429.73	
Tugs & Pilotage charges	360.99	
Guaranteed amt	233.04	
Shifting & Cold movement expenses	-	80.16
Hiring & rent services	-	860.84
Miscellaneous services taken	-	232.05
Revenue from operations	4,130.17	17,679.73

iii) Significant balances with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Payables	26.46	47.66
Advances given to suppliers	72.09	35.20
Receivables	2787.77	9,050.19
Advance received from customers	4260.63	4,400.00

In addition to the above, around 87.63 % (approx) of the companies turnover and 91.96% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities including those under MoPSW.

Note 52. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis.

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	35,852.42	35,524.95	Level III
(ii) Loans	551.52	1,037.50	Level III
(iii) Others	374.87	1,998.44	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	22,945.97	29,355.09	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	31,083.37	24,583.27	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,71,038.29	3,53,812.08	Level III
(iv) Loans	644.33	115.11	Level III
(v) Others	22,411.03	12,922.95	Level III
Total Financial Assets	**3,84,901.80**	**4,59,349.39**	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2,302.20	2,302.20	Level III
(ii) Lease liabilities	44,755.75	43,698.28	Level III
(iii) Other financial liabilities	-	-	Level III

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	
Current			
(i) Borrowings	-	-	Level III
(ii) Trade Payables	38,293.35	42,200.64	Level III
(iii) Lease liabilities	3,025.42	2,879.63	Level III
(iv) Other financial liabilities	19,481.25	15,455.69	Level III
Total Financial Liabilities	**1,07,857.97**	**1,06,536.44**	

Note:

1. The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose.The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the company believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

   Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value.The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

   There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

2. Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.

3. The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

   Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets,other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	31st March 2025			31st March 2024		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		19.26	24,735.34	-	12.55	24,735.34
- Debt instruments			11,097.82	-	-	10,777.06
- Preference shares						
Investments (Current)						
- Mutual Funds						
Trade receivables			22,945.97	-	-	29,355.09
Cash & Cash equivalents			31,083.37	-	-	24,583.27
Bank Balances			2,71,038.29	-	-	3,53,812.08
Other Financial Assets			23,981.75	-	-	16,074.00
Total Financial Assets	**-**	**19.26**	**3,84,882.54**	**-**	**12.55**	**4,59,336.84**

(₹ in lakhs)

	31st March 2025			31st March 2024		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial liabilities						
Borrowings			2,302.20	-	-	2,302.20
Trade payables			38,293.35	-	-	42,200.64
Capital creditors						
Other financial liabilties			67,262.42	-	-	62,033.60
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**1,07,857.97**	**-**	**-**	**1,06,536.44**

53. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Company's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Note 23 . With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 45.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The company's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets					
31st March 2025	6057.16	22567.71	0.00	11813.30	40438.17
31st March 2024	544.41	46229.69	0.00	7276.80	54050.90
Financial Liabilities					
31st March 2025	7665.48	11024.90	64.24	0.48	18755.10
31st March 2024	5718.27	19377.16	47.12	133.84	25276.39

The sensitivity of profit/ loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
USD - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
EURO - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
GBP - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.00	0.00
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.00	0.00
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(383.27)	(285.91)
USD - Weakening of ₹ by 5%	383.27	285.91
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(551.25)	(968.86)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	551.25	968.86
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(3.21)	(2.36)
GBP - Weakening of ₹ by 5%	3.21	2.36
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(0.02)	(6.69)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	0.02	6.69
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	383.27	285.91
USD - Weakening of ₹ by 5%	(383.27)	(285.91)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	551.25	968.86
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(551.25)	(968.86)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	3.21	2.36
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(3.21)	(2.36)
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	0.02	6.69
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(0.02)	(6.69)

C. Commodity Price Risk

The Company is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Company's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Steel	622.62	594.67	(622.62)	(594.67)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

The Company requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long- term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments	117.36	-	35,735.06	128.33	4,100.00	31,296.62
Loans (Non Current)	-	228.43	323.09	13.22	776.84	247.44
Other Financial Assets		252.06	122.81		1,861.12	137.32
Trade Receivables	22,945.97	-	-	29,355.09		
Cash and Cash Equivalents	31,083.37	-	-	24,583.27		
Bank Balances other than cash and cash equivalents	2,71,038.29	-	-	3,53,812.08		
Loans	644.33	-	-	115.11		
Other Financial Assets	22,411.03	-	-	10,656.17	2,266.78	
Total Financial Assets	**3,48,240.35**	**480.49**	**36,180.96**	**4,18,663.27**	**9,004.74**	**31,681.38**
Financial Liabilities						
Borrowings	2.20		2,300.00	-		2,302.20
Lease Liabilities (Non Current)		6,477.61	38,278.14		9,370.13	34,328.15
Lease Liabilities	3,025.42	-		2,879.63		
Trade payables	38,293.35	-		42,200.64		
Other financial liabilities	18,974.62	506.63		15,448.73	6.96	
Total Financial Liabilities	**60,295.59**	**6,984.24**	**40,578.14**	**60,529.00**	**9,377.09**	**36,630.35**

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Company is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The company has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 15.

The Company's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as 31st March 2025 and 31st March 2024 is the carrying amounts mentioned in Note no 15 and as stated in Note 51, around 87.63%(approx) of company's turnover and 91.96% (approx.) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 45 and Note 46 respectively.

Note 54. Disclosure pursuant to Ind AS 1 "Presentation of financial statements":

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	1,75,119.70		1,75,119.70	95,893.98		95,893.98
Trade receivables	22,945.97		22,945.97	29,355.09		29,355.09
Cash and cash equivalents	31,083.37		31,083.37	24,583.27		24,583.27
Bank balances	2,71,038.29		2,71,038.29	3,53,812.08		3,53,812.08
Loans	644.33		644.33	115.11		115.11
Other Financial assets	22,411.03		22,411.03	10,656.17	2,266.78	12,922.95
Current tax assets (net)	-		-	144.96		144.96
Other current assets	3,91,036.81	9,508.86	4,00,545.67	2,35,524.77	86,786.28	3,22,311.05

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Lease Liabilities	3,025.42		3,025.42	2,879.63		2,879.63
Trade payables	38,293.35		38,293.35	42,200.64		42,200.64
Other financial liabilities	18,974.62	506.63	19,481.25	15,448.73	6.96	15,455.69
Other current liabilities	1,17,714.10	4,04,899.40	5,22,613.50	29,229.34	4,82,623.37	5,11,852.71
Provisions	1,04,770.06	359.20	1,05,129.26	62,234.84	359.20	62,594.04
Current tax liabilities (net)	2,647.80		2,647.80	-		-

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 55. Segment Reporting

The Company has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Ship repair. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Segment Assets		
Ship building	8,22,323.58	5,70,597.30
Ship Repair	3,48,784.30	3,03,008.95
Unallocated	1,33,441.35	3,14,420.86
Total	**13,04,549.23**	**11,88,027.11**
Segment Liability		
Ship building	4,36,865.61	4,14,480.77
Ship Repair	1,01,917.29	47,383.19
Unallocated	2,04,701.13	2,23,576.06
Total	**7,43,484.03**	**6,85,440.02**
Segment Revenue		
Ship building*	2,66,326.95	2,63,891.24
Ship Repair*	1,86,457.20	1,00,636.73
Unallocated	38,044.61	30,738.25
Total	**4,90,828.76**	**3,95,266.22**
Segment Result		
Ship building	43,421.67	59,920.68
Ship Repair	72,919.61	36,320.76
Unallocated	688.19	16,275.56
Total	**1,17,029.47**	**1,12,517.00**

Reconciliation of segment results to profit before tax from continuing operations:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Amount as per segment results	1,17,029.47	1,12,517.00
Less: Finance Costs	3,644.93	3,154.60
Add: Exceptional items	-	-
Profit before tax from continuing operations	1,13,384.54	1,09,362.40

The Company has two major business segments -"shipbuilding" and "ship repair". Revenue under shipbuilding includes ₹ 206665.27 Lakhs (previous year: ₹230672.72 Lakhs) from two customers (previous year: one customer) having 78% revenue of the total Shipbuilding revenue, and for ship repair includes ₹ 153005.55 Lakhs (previous year: ₹63351.17 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 82% in total of the total ship repair revenue.

*Out of segment Revenue from Operations, ₹ 53,436.82 lakhs (₹ 23140.03 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 56. Capital Management

The company's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Long term borrowings	2,302.20	2,302.20
Net Debt	2,302.20	2,302.20
Equity Share Capital	13,154.04	13,154.04
Other equity	5,47,911.16	4,89,433.05
Total Equity	5,61,065.20	5,02,587.09
Gearing Ratio	0.41%	0.46%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2025 and March 31, 2024.

Ratios	Numerator	Denominator	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.34	1.32	1.14%	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.00	0.00	(10.42%)	-
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	14.32	12.41	15.40%	-
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.16	0.17	(7.55%)	-
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	3.34	5.57	(39.99%)	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	13.52	8.52	58.63%	Due to increase in Turnover and reduction in trade receivables
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	6.89	7.09	(2.83%)	-
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	1.95	1.79	9.02%	-
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.19	0.22	(16.54%)	-

Ratios	Numerator	Denominator	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024	% change	Remarks if change is more than 25%
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.21	0.23	(6.82%)	-
(k) Return on investment:						
(1) ROI on Equity Investment - unlisted subsidiaries	Dividend	Average investment in Equity of subsidiaries	-	-	-	-
(2) ROI on Equity Investment - others	Dividend	Average investment in Equityshares	3.40%	4.52%	(24.89%)	-

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Note 57. The Company has used the ERP, SAP S/4HANA as the accounting software for maintaining its books of account, which has a feature of Security audit log and recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective software except for the instances mentioned below.

i. The feature of recording audit trail (edit log) facility was enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out.

ii. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards.The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024.

Further no instance of audit trail feature being tampered with was noted in respect of the accounting software and records are preserved in compliance with statutory requirements.

Note 58. Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹ 80419.32 lakhs (₹ 78495.68 lakhs in previous year).

Note 59. No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder.

Note 60. The Company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. The company has been sanctioned aggregate Non –Fund based limits in excess of ₹. 5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required . It has also been sanctioned aggregate fund based limits in excess of ₹. 5 Crores by multiple banks which has not been availed by the company . The company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks .

Note 61. The company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

Note 62. The company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

Notes to the Standalone Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 63. The Company has entered agreement with Andaman & Nicobar Administration on a long term license basis for a period of 30 years from November 2019 onwards for developing, designing, constructing, modernising, operating, maintaining and managing the existing shiprepair facility which is named as CSL-AN Ship Repair Unit (CANSRU).

Note 64. There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

Note 65. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

Note 66. The company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.

Note 67. In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 68. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 69. Figures in brackets denote negative figures.

Note 70. Previous year figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to conform to the current year presentation.

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnapan
Chartered Accountants
(Firm Registration No.000111S)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number: 074736)
Kochi dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
(Membership Number: A25337)

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN - 08103825

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN - 08444440
Kochi dated May 15, 2025

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN - 07376798

Independent Auditors' Report

To
The Members of **Cochin Shipyard Limited**

Report on Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated financial statements of **Cochin Shipyard Limited** (referred to as the "**Holding Company**") and its subsidiaries (Holding Company and its subsidiaries together referred as "**Group**") which comprises the Consolidated Balance Sheet as at March 31,2025, the Consolidated Statement of Profit and Loss (including other comprehensive income), Consolidated Statement of Cash Flows, and Consolidated Statement of Changes in Equity for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid consolidated financial statements give the information, in the manner so required, and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, as amended, ("Ind AS") and other accounting principles generally accepted in India, of the consolidated state of affairs of the Group as at March 31,2025, the consolidated Profit including other comprehensive income, consolidated changes in equity and its consolidated cashflows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the financial statements.

Emphasis of Matters:

1. **Non-Factoring of Liquidated Damages for 2 Nos 1200 Passenger Vessels:**

   Attention is drawn to Note No.34.5 to the Consolidated Financial Statements, on shipbuilding contract with Andaman & Nicobar Administration for construction of 2 Nos 1200 Passenger Vessels. The contractual delivery date (as extended) for both the ships are already expired. At the request of the customer for reallocation of the ships for other prospective buyers, the delivery of ship has been abated with minor progress. The Holding Company has provided for the liquidated damages for the delay upto 29th April,2023 and 30th Oct,2023 in respect of these ships. Since the Holding Company has a valid contract, it has not recognized further liquidated damages in the financials beyond the dates mentioned above.

2. **Land at Kulpi:**

   Attention is drawn to Note No. 4(p) to the Consolidated Financial Statements, wherein it is mentioned that the value of land at Kulpi (Kolkata-230 cents) belongs to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly, known as Tebma Shipyards Limited) has not been recognized in the Group's and respective subsidiary's financial statements as well as in the consolidated financial statements, pending verification of geographical area and valuation.

3. **Research and Development Project-Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel & Autonomous Surface Vessel:**

   Attention is invited to Note No. 42 (c) & (d) to the Consolidated Financial Statements, wherein, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has sanctioned fund of ₹1,312.50 lakhs & ₹ 2,000.00 lakhs for Design, Development, Construction and Demonstration of Fully Indigenous Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel & Autonomous Surface Vessel projects under R&D (Shipping) Scheme.

   As per the terms & conditions of the sanction to respective projects, the Holding Company is nominated as 'Implementing Agency' for the development of said pilot projects and all the assets acquired from the fund shall be the property of Govt. of India.

Further, the company is bound to comply with provisions of General Financial Rules (GFR), 2017 as amended from time to time, while spending the funds released.

As per the GFR 2017, in case of ongoing projects, the Holding Company should not treat as its own assets in the books of accounts but should disclose about its holding and using such assets in the Notes to the Financial Statements. The decision of return, sale or retain by the holding company will be decided by the Ministry on completion of respective projects.

As on 31.03.2025, the Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel project is under demonstration phase & Autonomous Surface Vessel project is under Development/ Construction Phase.

Accordingly, the Holding Company has charged of the balance amount of ₹966.34 lakhs, incurred/spent by the holding company to the Statement of Profit and Loss Account during the year.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

Key Audit Matters:

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements for the year ended March 31,2025. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole and in forming our opinion thereon, we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters of the group described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

1. **Recognition Revenue- Ship Building and Ship Repair activities:**

(Refer Note No.3.10(a),34 and 45 to the Consolidated Financial Statements)

The Group enters into shipbuilding and ship repair contracts with customers, where revenue is recognised over time in accordance with the Output Method.

There are significant accounting judgements involved in estimating contract revenue to be recognised on shipbuilding and ship repair contracts with customers, including determination of physical progress of completion as on the reporting date.

The physical progress of completion is ascertained as per the in-house procedures developed by the Group. The procedure and the assumptions therein, are based on certain judgements made by the management, on inputs from the technical departments of the Group. Further, the ascertainment of the actual physical completion of each sub-activity on reporting date, also involves management estimation.

Significant judgements are involved in determining the expected losses, when such losses become probable based on the expected total contract cost. Cost contingencies are included in these estimates to take into account specific risks of uncertainties or disputed claims against the Group, arising within each contract. These contingencies are reviewed by the Management on a regular basis throughout the life of the contract and adjusted where appropriate. The revenue on contracts may also include variable consideration (variations and claims). Variable consideration is recognised when the recovery of such consideration is highly probable.

Due to the nature of the contracts, revenue recognition involves usage of percentage of completion method (ie., physical progress of completion) which is determined by survey of work performed , which involves technical expertise, significant judgments, identification of contractual obligations and the Group's rights to receive payments for performance completed till date, changes in scope and consequential revised contract price and recognition of the liability for loss making contracts/onerous obligations.

Auditing management's measurement of revenue recognised over time involves significant judgements and estimations made in measuring the physical progress of completion, we presumed there are inherent audit risks in the recognition of revenue and therefore determined this to be a key audit matter.

Our Audit approach and procedures included but were not limited to:

- Obtained an understanding of the policies and procedures that the Group applies in recognising revenue from contract with customers, using the output method and the underlying assumptions and estimates thereon.
- Evaluated the appropriateness of the Group's revenue recognition policies, including those related to variable considerations, by comparing with the Ind AS 115-Revenue from Contract with Customers.
- Tested the effectiveness of controls relating to the evaluation of performance obligations and identification of those that are distinct; estimation of costs to complete each of the performance obligations including the contingencies in respect thereof, as work progresses and the impact thereon

as a consequence of change orders; the impact of change orders on the transaction price of the related contracts; and evaluation of the impact of variable consideration on the transaction price.

- Selected a sample of contracts with customers and performed the following procedures:
    - Obtained and read contract documents for each selection, change orders, and other documents that were part of the agreement/arrangement.
    - Identified significant terms and deliverables in the contract to assess management's conclusions regarding the (i) identification of distinct performance obligations; (ii) changes to costs to complete as work progresses and as a consequence of changed orders; (iii) the impact of changed orders on the transaction price; and (iv) the evaluation of the adjustment to the transaction price on account of variable consideration.
    - Compared costs incurred with Group's estimates of costs incurred to date to identify significant variations and evaluate whether those variations have been considered appropriately in estimating the remaining costs to complete the contract.
    - Tested the estimate for consistency with the status of delivery of milestones and customer acceptance to identify possible delays in achieving milestones, which require changes in estimated costs or efforts to complete the remaining performance obligations.
- Performed analytical audit procedures for reasonableness of revenues disclosed by type and nature of service.
- Substantial reliance was placed on the technical and activity-based assessment made by the management in determination of percentage of physical progress completion and work performed by the Component (ie., Subsidiaries) Auditors in the audit of respective company's financial statements.
- Assessed appropriateness of the relevant disclosures made by the Group in accordance with Ind AS 115.

We concluded that based on the procedures performed above, we did not find any material exceptions with regards to compliance of Ind AS 115 and timing of revenue recognition.

2. Capitalisation of Projects as Property, Plant and Equipment (PPE)

(Refer Note No.3.1, 3.5 & 4(m) to the Consolidated Financial Statements)

The Holding Company has substantial ongoing infrastructure and development projects which, upon completion and readiness for intended use, are transferred from Capital Work-in-Progress (CWIP) to Property, Plant and Equipment (PPE).

During the year ended 31st March,2025, the Holding Company has capitalised projects amounting to ₹2,11,283.18 lakhs on account of commercialisation/ operationalisation of International Ship Repair Facility (ISRF) & New Dry Dock.

The process of capitalisation requires management to exercise significant judgment in determining the date when an asset is ready for its intended use, assessing whether all directly attributable costs are appropriately included, categorising the assets under appropriate classes of PPE, determining the useful life and residual value based on technical evaluation.

Given the magnitude of the capitalised amounts and the management judgments involved, we considered the capitalisation of projects from CWIP to PPE as a Key Audit Matter.

Our audit procedures included, among others:

- Evaluated the accounting policy for capitalisation in line with Ind AS 16 – Property, Plant and Equipment.
- Tested the design and implementation of key controls over the capitalisation process.
- Reviewed the project completion certificates, internal commissioning documents, and management approvals to ascertain the readiness of assets for intended use.
- Verified a sample of expenditures capitalised to ensure they are directly attributable to the construction or acquisition of the specific asset.

- Examined technical assessments by the engineering team for the determination of useful life and residual values of the assets.
- Assessed the categorisation of assets into appropriate PPE classes.
- Reviewed subsequent costs to ensure they are not incorrectly capitalised post commercialisation.
- Evaluated the appropriateness of disclosures in the financial statements relating to capitalised projects.

Based on the above procedures, we found the management's judgement relating to capitalisation to be reasonable and the related disclosures to be adequate.

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexures to Board's Report, Business Responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the Consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

As on the date of this report, the other information was not made available to us by the management. Accordingly, we are unable to comment on this matter.

Responsibility of Management for the Consolidated Financial Statements

The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these Consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the accounting Standards specified under section 133 of the Act. The respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate implementation and maintenance of accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that are operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statement that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, the respective Board of Directors of the companies included in the Group are responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Board of Directors of the companies in the Group are also responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

a. Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive

to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors as in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters:

1. We did not audit the financial statements of two Subsidiary companies namely "M/s Hooghly Cochin Shipyard Limited" & "M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (formerly known as Tebma Shipyards Limited)", whose standalone financial statements reflects total assets of ₹ 83,134.88 lakhs (PY- ₹ 58,071.57 lakhs) as at March 31,2025, total income of ₹ 34,101.75 lakhs (PY- ₹ 21,050.05 lakhs) and the net cashflows of ₹ (619.69) lakhs (PY- ₹ 771.47 lakhs) for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements.

   These financial statements have been audited by other auditor whose report have been furnished to us by the management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary and our report in terms of sub-section (3) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the reports of the other auditor.

   Our opinion on the consolidated financial statements, and our report on the "Other Legal and Regulatory Requirements" below, is not modified in respect of the above matter with respect to our reliance on the work done and the reports of the other auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2020 ("the Order"), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "**Annexure-A**", a statement on the matters specified in paragraphs 3 (xxi) of the Order, to the extent applicable.

2. Non-Compliance of Composition of Board- Companies Act,2013 & SEBI Listing Obligation and Disclosure Requirements (LODR) Regulations, 2015:

   During the year, all the 6 Non-Official (Independent) Directors on the Board vacated their office, leading to non-existence all the committees of board as required.

   As on the date, there were no Independent Directors on the Board due to a casual vacancy. As a result, the Group continues to be non-complaint with the constitution of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, and other committees mandated as per the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended from time to time.

   It was informed that the Group being a CPSE, the power to appoint the Directors vests with the Government of India and appropriate requests for appointing sufficient number of independent directors including a woman independent director have been forwarded to the Government of India.

   This Consolidated Financial Statements for the year ended 31st March,2025, were not reviewed by the Audit Committee in accordance with the provisions of Sec.177 of the Companies Act,2013 and Regulation No.18(3) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.

3. As required by Section 143(3) of the Act, based on our audit and on the consideration of the report of the other auditors on the separate financial statements and other information of the subsidiaries referred to in the "Other Matters" section above, we report that:

   a. We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit of the aforesaid consolidated financial statements;

   b. In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books, returns and the reports of the other auditors;

   c. The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss, the Consolidated Statement of Cash Flows and the Consolidated Statement of Changes in Equity dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the consolidated financial statements;

   d. In our opinion, the aforesaid Consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2016 as amended from time to time;

   e. The provisions of Section 164(2) of the Act in respect of disqualification of directors are not applicable to the Holding Company and its Subsidiaries, being a Government Company/ies in terms of notification no. G.S.R.463 (E) dated 5th June, 2015 issued by Ministry of Corporate Affairs, Government of India;

   f. With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "**Annexure B**". Our report expresses an **unmodified opinion** on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

   g. With respect to the other matters to be included in the Auditors' Report in accordance with the requirements of section 197(16) of the Act, as amended: The provisions of Section 197 read with Schedule V of the Act, relating to managerial remuneration are not applicable to the Holding Company and its Subsidiaries, being a Government Company/ies, in terms of Ministry of Corporate Affairs Notification no. G.S.R. 463 (E) dated 5th June, 2015;

   h. With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

      i. The consolidated financial statements disclose the impact of pending litigations on the consolidated financial position of the Group- Refer Note No. 48 to the Consolidated Financial Statements;

      ii. The Group Provision has been made in the consolidated financial statements, as required under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long-term contracts including derivative contracts;

iii. There were no amounts which were required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group;

iv. a. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Holding Company or any of such subsidiaries or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Holding Company or any of such subsidiaries ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

b. The respective Managements of the Holding Company and its subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act have represented to us and the other auditors of such subsidiaries respectively that, to the best of their knowledge and belief, no funds (which are material either individually or in the aggregate) have been received by the Holding Company or any of such subsidiaries from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Holding Company or any of such subsidiaries shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

c. Based on the audit procedures, that has been considered reasonable and appropriate in the circumstances, performed by us and those performed by the auditors of the subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act, nothing has come to our or other auditor's notice that has caused us or the other auditors to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) contain any material misstatement.

v. In respect of the holding company, we report that the dividend declared/paid by the holding Company during the year is in compliance with section 123 of the Companies Act, 2013.

The subsidiaries have not declared or paid any dividends during the year.

vi. Based on our examination carried out in accordance with the Implementation Guidance on Reporting on Audit Trail under Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014 (Revised 2024 Edition) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, which included test checks and that performed by the respective auditors of the subsidiaries, which are companies incorporated in India whose financial statements have been audited under the Act, except the instances mentioned below, we report that the company and the above referred subsidiaries have used an accounting software ie.,SAP S/4HANA, for maintaining its books of accounts, which has a feature of security audit log and recording audit trail (edit log) facility for all relevant transactions recorded in the software:

a. The feature of recording audit trail (edit log) facility were enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out;

a. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards. The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024;

Further, for the periods where audit trail (edit log) facility was enabled and operated, we and respective auditors of the above referred subsidiaries did not come across any instance of audit trail feature being tampered with during the course of our audit. Additionally, the audit trail has been preserved by the company as per the statutory requirements for record retention.

Our examination of the audit trail was in the context of an audit of financial statements carried out in accordance with the Standard of Auditing and only to the extent required by Rule 11(g) of the Companies (Audit and Auditors) Rules,2014. We have not carried out any audit or examination of the audit trail beyond the matters required by the aforesaid Rule 11(g) nor have we carried out any standalone audit or examination of the audit trail.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNW8187

Annexure A to Independent Auditors' Report

Referred to in paragraph 1 under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements" Section of our Report of even date.

As required by paragraph 3(xxi) of the CARO 2020, we report that the auditors of the following companies have given qualification or adverse remarks in their CARO report on the standalone financial statements of the respective companies included in the Consolidated Financial Statements of the Holding Company:

S.No	Name of the Company	CIN	Relation	Date of Auditor's Report	Paragraph number in the respective CARO reports
1.	Cochin Shipyard Limited	L63032KL1972GOI002414	Holding Company	15th May,2025	Nil
2.	Hooghly Cochin Shipyard Limited	U35900WB2017GOI223197	Subsidiary	25th April,2025	Nil
3.	Udupi Cochin Shipyard Limited	U27209TN1984GOI010994	Subsidiary	25th April,2025	i(a)(A) & i(c)

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNW8187

Annexure – B to the Auditors' Report

Referred to in Paragraph 3(f) under "Report on Other Legal and Regulatory Requirements' section of our report to the Members of the Company of even dated.

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the Internal Financials Controls over Financial Reporting of Cochin Shipyard Limited (referred to as the "**Company**") and its subsidiary companies, which are incorporated in India for the year ended March 31,2025, in conjunction with our audit of the Consolidated Financial Statements of the company.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective Board of Directors of the Company and its Subsidiaries are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the company's and its subsidiaries internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting (the "Guidance Note") issued by the ICAI and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide us for our audit opinion on the company's and its subsidiaries internal financial controls system over financial reporting.

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of standalone financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles.

A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that:

a. pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

b. provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of standalone financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the company; and

c. provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the standalone financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the company and its subsidiaries has in all material respects, maintains adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31,2025, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under Section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the internal financial controls over financial reporting in so far as it relates to the subsidiary companies incorporated in India is based on the corresponding reports of the auditors of the subsidiary companies incorporated in India.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

For **Anand and Ponnappan**
Chartered Accountants
FRN000111S

C. Krishnan Menon
Partner
Membership No :074736

Place: Kochi
Date: 15.05.2025
UDIN: 25074736BMIYNW8187

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143 (6) (B) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF COCHIN SHIPYARD LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2025

The preparation of consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2025 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) read with Section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 read with Section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under Section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15.05.2025.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Cochin Shipyard Limited for the year ended 31 March 2025 under Section 143(6)(a) read with Section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Cochin Shipyard Limited, Hooghly Cochin Shipyard Limited but did not conduct supplementary audit of the financial statements of Udupi Cochin Shipyard Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

In view of the revision(s) made in the consolidated financial statements by the management, as indicated in Note No.34 (9) of the financial statements, to give effect to some of my audit observations raised during supplementary audit, I have no further comments to offer upon or supplement to the statutory auditors' report, under section 143 (6) (b) read with section 129(4) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(S. Velliangiri)
Principal Director of Commercial Audit

Place: Chennai
Date: 05.08.2025

Consolidated Balance Sheet

as at March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
ASSETS			
Non-current assets			
(a) Property, Plant and Equipment	4	3,03,410.09	94,945.10
(b) Capital Work-In-Progress	5	51,499.36	2,19,526.87
(c) Intangible Assets	6	1,292.27	1,811.09
(d) Intangible Assets Under Development	7	68.06	60.64
(e) Financial Assets			
(i) Investments	8	19.26	12.55
(ii) Loans	9	551.52	524.28
(iii) Other Financial Assets	10	569.19	2,004.19
(f) Income Tax Assets (net)	11	2,946.83	6,486.87
(g) Deferred Tax Assets (net)	12	10,964.80	10,425.45
(h) Other Non-Current Assets	13	1,948.41	6,429.65
Total Non-Current Assets		**3,73,269.79**	**3,42,226.69**
Current Assets			
(a) Inventories	14	1,88,510.72	1,02,609.40
(b) Financial Assets			
(i) Trade Receivables	15	22,903.17	30,344.98
(ii) Cash and Cash Equivalents	16	31,667.12	30,641.30
(iii) Bank Balances Other than (ii) above	17	2,79,595.10	3,55,759.25
(iv) Loans	18	131.10	115.11
(v) Other Financial Assets	19	27,044.51	15,191.73
(c) Current Tax Assets (net)	11	-	323.10
(d) Other Current Assets	20	4,16,801.22	3,27,010.97
Total Current Assets		**9,66,652.94**	**8,61,995.84**
Total Assets		**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
EQUITY AND LIABILITIES			
Equity :			
(a) Equity Share Capital	21	13,154.04	13,154.04
(b) Other Equity	22	5,44,771.99	4,87,179.63
Total Equity		**5,57,926.03**	**5,00,333.67**
Liabilities :			
Non-Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	23	2,302.20	2,302.20
(ii) Lease Liabilities	24	46,013.72	44,925.88
(iii) Other Financial Liabilities	25	19.99	18.27
(b) Provisions	26	5,329.32	4,488.93
(c) Deferred Tax Liabilities (Net)	12	614.76	520.62
(d) Other Non Current Liabilities	27	8.08	11.00
Total Non-Current Liabilities		**54,288.07**	**52,266.90**
Current Liabilities			
(a) Financial Liabilities			
(i) Borrowings	28	4,599.11	-
(ii) Lease Liabilities	29	3,125.68	2,991.88
(iii) Trade Payables			
Total outstanding dues of Micro Enterprises and Small Enterprises	30	10,461.36	8,879.21
Total outstanding dues of creditors other than Micro Enterprises and Small Enterprises		39,676.98	37,632.80
(iv) Other Financial Liabilities	31	23,187.60	18,255.60
(b) Other Current Liabilities	32	5,41,551.97	5,20,982.79
(c) Provisions	33	1,02,645.68	62,879.68
(d) Current tax liabilities (net)	11	2,460.25	0.00
Total Current Liabilities		**7,27,708.63**	**6,51,621.96**
Total Equity and Liabilities		**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
Corporate overview and Material Accounting Policy Information		1 - 3	
Notes to the Consolidated Financial Statements		4 - 75	

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

Consolidated Statement of Profit & Loss

For the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Note No.	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
I Income			
Revenue From Operations	34	481995.88	383045.42
Other Income	35	38906.50	31018.09
Total Income		**520902.38**	**414063.51**
II Expenses:			
Cost of Materials Consumed	36	213404.08	173444.78
Changes in Inventories of Work-in-Progress	37	(532.85)	67.40
Sub Contract and Other Direct Expenses	38	87928.42	55876.42
Employee Benefits Expenses	39	42436.89	38628.40
Finance Costs	40	3857.55	3324.11
Depreciation and Amortisation Expenses	41	10317.64	7457.82
Other Expenses	42	38169.27	24882.91
Provision for anticipated losses and expenditure	43	12804.33	3287.91
Total Expenses		**408385.33**	**306969.75**
III Profit Before Exceptional items and tax		**112517.05**	**107093.76**
IV Exceptional items		0.00	0.00
V Profit BeforeTax		**112517.05**	**107093.76**
VI Tax expense:			
(1) Current tax	11	29550.79	25016.34
(2) Income tax of prior years	11	875.11	3307.72
(3) Deferred tax	11	(641.90)	441.92
VII Profit for the year		**82733.05**	**78327.78**
VIII Other comprehensive income			
A) Items that will be reclassified to profit or loss			
i) Effective portion of gains/losses on cash flow hedging instruments		865.28	3988.03
ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss		(225.90)	(1003.38)
B) Items that will not be reclassified to profit or loss			
i) Remeasurements of defined employee benefit obligations		(337.82)	(90.26)
ii) Changes in fair value of FVTOCI equity instruments		6.71	1.23
iii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss		86.01	22.96
Other comprehensive income for the year		**394.28**	**2918.58**
IX Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit and Other Comprehensive Income for the period)		**83127.33**	**81246.36**
X Earnings per equity share of ₹5 each :	44		
(1) Basic (₹)		31.45	29.77
(2) Diluted (₹)		31.45	29.77
Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3		
Notes to the Consolidated Financial Statements	4 - 75		

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

Consolidated Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
A. Cash flow from operating activities		
Profit before tax	**1,12,517.05**	**1,07,093.76**
Adjustments for :		
Depreciation and amortisation expense	10,317.64	7,457.82
Dimunition in value of Loose tools	192.03	150.49
Finance cost	3,857.55	3,324.11
Interest income	(19,781.17)	(24,054.71)
Provision for anticipated losses and expenditure	12,804.33	3,287.91
Provision no longer required	(14,054.34)	(2,426.41)
Loss allowance for Trade Receivables	662.83	1,659.04
Dividend income from Mutual Funds	(72.78)	(7.49)
Loss on sale/write off of property, plant and equipment	5.65	0.87
Profit on sale of PPE	(23.90)	(13.25)
Deferred Govt. Assistance	(1.14)	(1.14)
Loss/(gain) on derivative contracts (net)	248.46	724.89
Net (gain) /loss on foreign currency transactions	(1,405.58)	(2,004.65)
Bad Debts written off	8,614.55	96.98
Operating cash flow before working capital changes	**1,13,881.18**	**95,288.22**
Movements in working capital :		
(Increase) / decrease in inventories	(85,901.32)	(65,309.69)
(Increase) / decrease in trade, other receivables and assets	(98,887.39)	(1,73,929.75)
Increase / (decrease) in trade and other payables	55,864.02	1,45,557.70
	(15,043.51)	**1,606.48**
Income tax paid net of refunds	(14,621.19)	(18,765.84)
Net cash flows from operating activities (A)	**(29,664.70)**	**(17,159.36)**
B. Cash flow from investing activities		
Purchase of property, plant and equipment and intangible assets	(40,313.73)	(3,043.42)
(Increase) / decrease in Intangible assets under development	(7.42)	-
(Increase) / decrease in capital work In progress	(9,295.43)	(60,338.52)
(Increase) / decrease in Other Bank balances	76,164.15	82,540.31
(Increase) / decrease in Capital advance	4,371.92	11,078.97
Dividend received	72.78	7.49
Sale proceeds from PPE	120.63	19.18
Interest received	22,690.37	17,905.34
(Borrowings)/ Repayment of loans	(43.05)	(64.96)
Net cash flows from investing activities (B)	**53,760.22**	**48,104.39**
C. Cash flow from financing activities		
Redemption of tax free bond	-	(10,000.00)
Net gain /(loss) on foreign currency transactions	1,243.98	942.59
Repayment of lease liability	(2,970.05)	(3,264.62)
Dividend paid	(25,650.38)	(23,677.27)
Finance cost	(292.36)	(1,101.64)
Net cash flows from financing activities (C)	**(27,668.81)**	**(37,100.94)**
D. Net Increase in Cash & Cash Equivalents (A)+(B)+(C)	**(3,573.29)**	**(6,155.91)**
Cash and cash equivalent at the beginning of the year	30,641.30	36,797.21
Cash and cash equivalent at the end of the year	**27,068.01**	**30,641.30**

Consolidated Statement of Cash Flows

for the Year ended March 31, 2025

Cash Flow Reconciliation:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended March 31, 2025	For the year ended March 31, 2024
Cash and cash equivalents		
Balance with Banks		
In current account	1,617.12	951.82
Term deposits with original maturity of less than three months	30,050.00	29,689.48
Total	**31,667.12**	**30,641.30**
Less : Bank Overdrafts	4,599.11	-
Cash and cash equivalents for the purpose of Statement of Cash flows	**27,068.01**	**30,641.30**

1. Statement of Cash Flows are prepared and presented using the Indirect Method, whereby profit/loss before tax is adjusted for the effect of transactions of non-cash nature and , any deferrals or accruals of past or future cash receipts or payments and items of income or expenses associated with investing or financial cash flows. The cash flows from operating, investing and financial activities of the Company are segregated based on the available information.

2. For the purpose of statement of cash flow, Cash and cash equivalent comprise cash at banks and on hand and short-term deposits with an original maturity of three months or less (other than lien marked deposits), which are subject to an insignificant risk of changes in value, net of outstanding bank overdrafts, if any. Bank overdrafts, if any, are disclosed within borrowings in current liabilities in the Balance Sheet

Corporate overview and Material Accounting Policy Information 1 - 3

Notes to the Consolidated Financial Statements 4 - 75

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

Consolidated Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2025

A. Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2024	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2025
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

Consolidated statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs)

Balance as at April 01,2023	Changes in Equity Share Capital due to prior period errors	Restated balance at the beginning of the current reporting period	Changes in equity share capital during the year	As at March 31, 2024
13,154.04	0.00	0.00	0.00	13,154.04

B. Other Equity

Consolidated statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Other Equity
Balance as at April 01, 2024	**7,024.25**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,68,920.72**	**12,353.76**	**-**	**(593.75)**	**4,87,179.63**	**-**	**4,87,179.63**
Changes in accounting policy or prior period errors*				115.42				115.42		115.42
Restated balance at the beginning of the reporting period	7,024.25	93,151.90	6,322.75	3,69,036.14	12,353.76	-	(593.75)	4,87,295.05		4,87,295.05
Profit for the year				82,733.05				82,733.05		82,733.05
Other comprehensive income for the year				(245.10)			639.38	394.28		394.28
Total comprehensive income for the year				**82,487.95**	**-**	**-**	**639.38**	**83,127.33**		**83,127.33**
Dividends				(25,650.38)				(25,650.38)		(25,650.38)
Transfer to retained earnings				-		-	-	-		0.00
Amortisation of premium		(0.01)						(0.01)		(0.01)
Balance as at March 31, 2025	**7,024.25**	**93,151.89**	**6,322.75**	**4,25,873.71**	**12,353.76**	**-**	**45.63**	**5,44,771.99**		**5,44,771.99**

Refer Note 22 for further details

*EIR adjustment for financial instrument measured at amortised cost

Consolidated Statement of Changes in Equity

for the year ended March 31, 2025

B. Other Equity

Consolidated statement of Changes in Equity for the year ended March 31, 2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Reserves and Surplus						Other Comprehensive Income	Total		
	Capital Reserve	Securities Premium	General Reserve	Retained Earnings	Capital Redemption Reserve	Debenture Redemption Reserve	Effective portion of Cash Flow Hedges	Attributable to the Parent Company	Attributable to NCI	Other Equity
Balance as at April 01, 2023	**7,024.25**	**93,151.96**	**6,322.75**	**3,12,667.84**	**12,353.76**	**1,668.44**	**(3,578.40)**	**4,29,610.60**		**4,29,610.60**
Changes in accounting policy or prior period errors										-
Restated balance at the beginning of the reporting period	7,024.25	93,151.96	6,322.75	3,12,667.84	12,353.76	1,668.44	(3,578.40)	4,29,610.60		4,29,610.60
Prior period adjustments				-						-
Profit for the year				78,327.78				78,327.78		78,327.78
Other comprehensive income for the year				(66.07)			2,984.65	2,918.58		2,918.58
Total comprehensive income for the year				**78,261.71**			**2,984.65**	**81,246.36**		**81,246.36**
Dividends (including taxes)				(23,677.27)				(23,677.27)		(23,677.27)
Transfer to retained earnings				1,668.44		(1,668.44)	-	-		0.00
Amortisation of premium		(0.06)						(0.06)		(0.06)
Balance as at March 31, 2024	**7,024.25**	**93,151.90**	**6,322.75**	**3,68,920.72**	**12,353.76**	**-**	**(593.75)**	**4,87,179.63**	**-**	**4,87,179.63**

Refer Note 22 for further details

Corporate overview and Material Accounting Policy Information	1 - 3
Notes to the Consolidated Financial Statements	4 - 75

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

1. CORPORATE OVERVIEW AND MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

1.1 Corporate Information:

Cochin Shipyard Limited (referred to as "CSL" or "Holding Company" or "the Group") is one of the leading shipyards in India, located in the southern state of Kerala. The Company was founded in 1972 and is owned by the Government of India. The Group is primarily engaged in shipbuilding and ship repair, catering to both the domestic and international markets.

The Holding Company is a "Miniratna", Schedule-"A", Category-I CPSE, which is also a public limited Group incorporated and domiciled in India. The registered office of the Holding Company is Perumanoor, Kochi, Kerala.

As at March 31, 2025, the Government of India holds 67.91% of the Group's equity share capital. The Group's equity shares are listed for trading on NSE Limited and BSE Limited in India and tax-free bonds are listed for trading on BSE Limited.

The consolidated financial statements relate to Cochin Shipyard Limited (Holding Company) and its Subsidiaries, Hooghly Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as Hooghly-CSL) and Udupi Cochin Shipyard Limited (hereinafter referred to as UCSL) (Formerly Tebma Shipyards Ltd).

The Holding Company and its Subsidiaries are together referred to as "Group".

The Consolidated financial statements for the year ended March 31,2025 were approved by the Board of Directors and authorized for issue on May 15, 2025 which are subject to the supplementary audit by the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) and final approval of the shareholders.

Details of Subsidiaries	Share holding
Hooghly Cochin Shipyard Ltd. (hereinafter referred to as Hooghly-CSL) incorporated on October 23, 2017 is mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%
Udupi Cochin Shipyard Limited (Formerly Tebma Shipyards Ltd), acquired on September 15, 2020 through NCLT process, is mainly engaged in the business of construction and repair of vessels of all types.	100%

2. Basis of preparation and presentation of consolidated financial statements

2.1 Statement of compliance

These consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended from time to time and other Accounting Principles generally accepted in India.

The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Changes in Equity are prepared and presented in the format prescribed in the Division II of Schedule III to the Companies Act, 2013 (the Act). The Statement of Cash Flows has been prepared and presented in accordance with Ind AS 7 "Statement of Cash Flows". The disclosures with respect to items in the Balance Sheet and Statement of Profit and Loss, as prescribed in the Schedule III to the Act, are presented by way of notes forming part of the consolidated financial statements along with the other notes required to be disclosed under the notified Accounting Standards and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended.

2.2 Functional and Presentation Currency

The consolidated financial statements are presented in Indian Rupees (₹) which is Group's presentation and functional currency and all values are rounded to the nearest lakhs (rounded off to two decimals) as permitted by Schedule III of the Act except when otherwise indicated.

2.3 Basis of Measurement

These consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for certain financial instruments which are measured at fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services. Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2.3.1 Current/ Non-Current Classification

An Asset/ liability is classified as current if it satisfies any of the following conditions:

i. the asset/ liability is expected to be realized/ settled in the Group's normal operating cycle;

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

ii. the asset is intended for sale or consumption;

iii. the asset/ liability is held primarily for the purpose of trading;

iv. the asset/ liability is expected to be realized/ settled within twelve months after the reporting period;

v. the asset is cash or cash equivalent unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least twelve months after the reporting date;

vi. in the case of a liability, the Group does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other assets and liabilities are classified as non-current.

For the purpose of current/ non-current classification of assets and liabilities, the Group has ascertained its normal operating cycle of different business activities as follows:

(i) In case of ship building and ship repair, normal operating cycle is considered vessel wise, as the time period from the effective date of contract to the date of expiry of warranty period.

(ii) In the case of other business activities, normal operating cycle is 12 months.

2.3.2 Basis of consolidation

The Consolidated financial statements comprise the financial statements of the CSL and its subsidiaries as at March 31, 2025.

Subsidiaries are entities (including structured entities) over which the Holding Company has control. The Holding Compnay controls an entity when the Holding Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power to direct the relevant activities of the entity.

Consolidation of a subsidiary begins when the Holding Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Holding Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the Consolidated Financial Statements from the date the Holding Company gains control until the date the Holding Company ceases to control the subsidiary.

Consolidated Financial Statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. If a member of the Group uses accounting policies other than those adopted in the Consolidated Financial Statements for like transactions and events in similar circumstances, appropriate adjustments are made to that Group member's financial statements in preparing the Consolidated Financial Statements to ensure conformity with the Group's accounting policies.

The Financial Statements of all entities used for the purpose of consolidation are drawn up to same reporting date as that of the Holding Company, i.e., year ended on March 31. Following consolidation procedure is followed:

a) Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the Holding Company with those of its subsidiaries. For this purpose, income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the consolidated financial statements at the acquisition date.

b) Offset (eliminate) the carrying amount of the Holding Company's investment in each subsidiary and the Holding Company's portion of equity of each subsidiary.

c) Eliminate in full Intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the Group (profits or losses resulting from Intra-group transactions that are recognized in assets, such as inventory and fixed assets, are eliminated in full). Intra-group losses may indicate an impairment that requires recognition in the consolidated financial statements. Ind AS 12 Income Taxes applies to temporary differences that arise from the elimination of profits and losses resulting from Intra-group transactions.

Profit or loss and each component of other comprehensive income (OCI) are attributed to the equity holders of the Holding Company of the Group and to the non-controlling interests,

even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies. All intra-Group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

2.3.3 Business Combinations

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred measured at acquisition date fair value and the amount of any non-controlling interests in the acquiree. Acquisition related transaction costs are recognised as expense in the statement of profit and loss as and when incurred.

At the acquisition date, the identifiable assets acquired and the liabilities assumed are recognized at their acquisition date fair values. For this purpose, the liabilities assumed include contingent liabilities representing present obligation and they are measured at their acquisition fair values irrespective of the fact that outflow of resources embodying economic benefits is not probable. However, the following assets and liabilities acquired in a business combination are measured at the basis indicated below:

* Deferred tax assets or liabilities, and the assets or liabilities related to employee benefit arrangements are recognized and measured in accordance with Ind AS 12 Income Tax and Ind AS 19 Employee Benefits respectively.

* Assets (or disposal Groups) that are classified as held for sale in accordance with Ind AS 105 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations are measured in accordance with that standard.

Aggregate amount of consideration transferred (Purchase consideration) in excess of the Group's interest in the acquiree's net fair value of identifiable assets and liabilities is recognised as Goodwill. Excess of the Group's interest in the net fair value of the acquiree's identifiable assets and liabilities over the purchase consideration is recognised in the Capital Reserve.

Non-Controlling Interest

Non-controlling interest represent the proportion of income, other comprehensive income and net assets in subsidiaries that is not attributable to the Group's shareholders. Non-controlling interest is initially measured at the proportionate share of the recognized amounts of the acquiree's identifiable net assets. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interest is the amount of the interest at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and other comprehensive income are attributed to the owners of the Holding Company and to the non-controlling interests, shown separately in the consolidated financial statements.

2.4 Use of estimates and judgments

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with the Ind AS requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities and disclosures as at date of the consolidated financial statements and the reported amounts of the revenues and expenses for the years presented. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions.

Future results could differ due to changes in these estimates and the difference between the actual result and the estimates are recognized in the period in which the results are known/materialize.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis.

2.5 Critical Accounting estimates and judgments:

The application of accounting policies that require critical accounting estimates involving complex and subjective judgments and the use of assumptions in the consolidated financial statements have been disclosed below:

a) Valuation of deferred tax assets / liabilities

The Group reviews the carrying amount of deferred tax assets / liabilities at the end of each reporting period. Significant judgments are involved in determining the elements of deferred tax items.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

b) Leases

The Group evaluates if an arrangement qualifies to be a lease as per the requirements of Ind AS 116. Identification of a lease requires significant judgment. The Group uses significant judgments in assessing the lease term (including anticipated renewals) and the applicable discount rate.

The classification of the leasing arrangement as a finance lease or operating lease is based on an assessment of several factors, including, but not limited to, transfer of ownership of leased asset at end of lease term, lessee's option to purchase and estimated certainty of exercise of such option, proportion of lease term to the asset's economic life, proportion of present value of minimum lease payments to fair value of leased asset and extent of specialized nature of the leased asset.

For computation of lease liability, Ind AS 116 requires lessee to use their incremental borrowing rate as discount rate if the rate implicit in the lease contract cannot be readily determined.

For leases denominated in Group's functional currency, the Group considers the incremental borrowing rate to be the interest rate on borrowings from banks available to the Group.

c) Provision towards Guarantee repairs

A provision is made towards guarantee repairs/claims in respect of newly built ships/small crafts delivered and repaired ships on the basis of the technical estimation done by the Group. The guarantee claims received from the ship owners are reviewed every year till settlement of the same. In case of a shortfall / surplus in the provision made earlier, necessary adjustments are made.

d) Litigations

From time to time, the Group is subject to legal proceedings and the ultimate outcome of each being always subject to many uncertainties inherent in litigation. A provision for litigation is made when it is considered probable that a payment will be made and the amount of the loss can be reasonably estimated. Significant judgment is made when evaluating, among other factors, the probability of unfavorable outcome and the liability to make a reasonable estimate of the amount of potential loss.

Provision for litigations are reviewed at the end of each accounting period and revisions made for the changes in facts and circumstances.

e) Fair value measurements

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date under current market conditions.

The Group categorizes assets and liabilities measured at fair value into one of three levels depending on the ability to observe inputs employed in their measurement which are described as follows:

(a) Level 1 inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.

(b) Level 2 inputs are inputs that are observable, either directly or indirectly, other than quoted prices included within level 1 for the asset or liability.

(c) Level 3 inputs are unobservable inputs for the asset or liability reflecting significant modifications to observable related market data or Group's assumptions about pricing by market participants.

Management applies valuation techniques to determine the fair value of financial instruments (where active market quotes are not available) and non-financial assets. This involves developing estimates and assumptions consistent with how market participants would price the instrument. Management bases its assumptions on observable data as far as possible but this is not always available. In that case management uses the best information available. Estimated fair values may vary from the actual prices that would be achieved in an arm's length transaction at the reporting date.

f) Liquidated Damages

Claims for liquidated damages against the Group are recognized in the consolidated financial statements based on the management's assessment of the probable outcome with reference to the available information supplemented by experience of similar transactions.

g) **Revenue Recognition**

The Group exercises significant judgment in measuring progress of performance obligations satisfied over time for recognition of revenue from contracts with customers.

Revenue is recognized over time by measuring the work carried out or survey of performance completed to date under output method. Under this method, works completed to date in each contract are the basis to measure and recognize revenue. The quantum is calculated by each project team based on the technical progress up to the reporting date. The revenue recognized reflects the value of works completed/ measured to date in line with the consideration as determined in the respective contracts.

Provision for estimated losses if any, on the uncompleted part of the contracts are provided in the period in which such losses become probable based on the expected contract estimates at the reporting date.

h) **Recognition and measurement of defined benefit obligations**

The obligation arising from defined benefit plan is determined on the basis of actuarial assumptions. Key actuarial assumptions include discount rate, trends in salary escalation and vested future benefits and life expectancy. The discount rate is determined with reference to market yields at the end of the reporting period on the Government bonds. The period to maturity of the underlying bonds correspond to the probable maturity of the post employment benefit obligations.

3. Material Accounting Policy Information

The Group has consistently applied all the accounting policies to the period presented in this consolidated financial statements except where a newly issued Accounting Standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use.

The Group presents the material accounting policies under this note, which should be read in conjunction with the information presented and disclosed in the relevant notes referred under these consolidated financial statements and are considered to be "Material Accounting Policy Information".

3.1 Property , Plant and Equipment (PPE)

Recognition and Measurement:

Items of Property, Plant and Equipment are measured at cost, which includes capitalized borrowing costs, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses. For the items of Property, Plant and Equipment existing as on April 1, 2015 i.e Group's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date. However in case of UCSL, fair value has been adopted as deemed cost on the transition date to Ind AS.

If significant parts of an item of Property, Plant and Equipment have different useful lives, then they are accounted for as separate items (major components) of Property, Plant and Equipment.

Spare Parts are capitalized when they meet the definition of Property, Plant and Equipment, i.e., when the Group intends to use these for a period exceeding 12 months, have value of more than ₹5 Lakhs and that can be used only in connection with an item of property, plant and equipment and whose use is expected to be irregular are capitalized and depreciated over the useful life of the spares or principal item of the relevant assets, whichever is lower.

Any gain or loss on disposal of an item of Property, Plant and Equipment is recognized in the statement of profit and loss account.

Subsequent Expenditure:

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognized as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the items is material and can be measured reliably.

3.2 Capital work in progress

Capital work in progress are property, plant and equipment that are not yet ready for their intended use at the reporting date, which are carried at cost, comprising direct cost, related incidental expenses and attributable borrowing cost.

Expenditure incurred on assets under construction (including a project) is carried at cost under Capital work in Progress ('CWIP').

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

3.3 Intangible Assets

Design development: Cost incurred on Design Development which is not directly chargeable on a product are capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of five years.

Software: Cost of software which is not an integral part of the related hardware acquired for internal use is capitalized as intangible asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

Internally generated procedure: Cost of internally generated weld procedure is capitalized as Intangible Asset and amortized on a straight-line basis over a period of three years.

For the intangible assets existing as on April 1, 2015 i.e Group's date of transition to Ind AS, was carried at deemed cost ie carrying amount as at that date.

The residual values, useful lives and methods of amortization of intangible assets are reviewed at each financial year end and adjusted prospectively, if appropriate.

Computer software/ license is under development or is not yet ready for use, accumulated cost incurred on such items are accounted as "Intangible Assets Under Development".

3.4 Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

The Group's lease asset classes primarily consist of leases for Land and Buildings.

i) As a Lessee:

At the date of commencement of the lease, the Group recognizes a lease liability and a corresponding right-of-use ("RoU") asset for all lease arrangements in which it is a lessee, except for leases with a term of twelve months or less (short term leases) and leases of low value assets. For these short term and leases of low value assets, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis or another systematic basis over the term of the lease.

Right of Use (RoU) Assets

The right-of-use assets are initially recognized at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or prior to the commencement date of the lease plus any initial direct costs less any lease incentives. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Right-of-use assets are depreciated from the commencement date on a straight-line basis over the shorter of the lease term and useful life of the underlying asset.

Lease Liabilities

The lease liability is initially measured at the present value of the future lease payments ie., amortised cost under effective interest method.The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease or, if not readily determinable, using the incremental borrowing rates.

The lease liability is subsequently remeasured by increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability and reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

A lease liability is remeasured upon the occurrence of certain events such as a change in the lease term or a change in an index or rate used to determine lease payments. When a lease liability is remeasured, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of right of use asset, or is recorded in statement of profit and loss, if carrying amount of the right of use asset has been reduced to nil.

Modifications to a lease agreement beyond the original terms and conditions are generally accounted for as a re-measurement of the lease liability with a corresponding adjustment to the RoU asset. Any gain or loss on modification is recognized in the Statement of Profit and Loss. However, the modifications that increase the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets at a price commensurate with the stand-alone selling price are accounted for as a separate new lease. In case of lease modifications, discounting rates used for measurement of lease liability and RoU assets is also suitably adjusted.

The Group presents right of use assets in 'property, plant and equipment' and the lease liabilities separately from other liabilities in the Balance Sheet.

ii) As a lessor:

Leases for which the Group is a lessor is classified as a finance or operating lease.

For operating leases, rental income is recognized on a straight line basis or another systematic basis over the term of the relevant lease .The difference between the amount recognized as lease rental income and actual cashflows receivable as per the lease agreement is adjusted in ("Accrued Lease Rental asset").

3.5 Depreciation

Depreciation on property, plant and equipment is provided on straight-line method based on useful life of the asset as prescribed in part C of Schedule II to the Companies Act, 2013 except to the extent described below:

* For the assets constructed/developed for International Ship Repair Facility (ISRF) and New Dry Dock Project, depreciation is provided on the basis of useful life as assessed by technical experts.

* For the assets acquired from Cochin Port Trust for International Ship Repair Facility (ISRF), depreciation is provided on the basis of remaining useful life as assessed by technical experts.

* Assets on leased premises are depreciated from the commencement date on a straight line basis over the shorter of its the end of the useful life of the Right Of Use asset/ Assets on leased premises or the end of the lease term.

*For certain types of buildings and equipments ,based on technical evaluation, useful life has been estimated to be different from that prescribed in Schedule II of the Act.

Depreciation on additions/deletions to Gross Block is calculated on pro-rata basis from the date of such additions and up to the date of such deletions.

Depreciable amount is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its residual value. A maximum residual value of 5% of original cost is considered for all categories of assets.

Depreciation method, useful lives and residual values are reviewed at each reporting date and adjusted prospectively, if appropriate.

Based on the technical evaluation of the management, for few categories of plant and machinery, the useful life is determined on double shift basis.

Capital Work in Progress included under Property, Plant and equipments are not depreciated as these assets are not yet available for use. However, they are tested for impairment if any.

3.6 Impairment of Assets -Non Financial Assets

The Group assesses, at each reporting date, whether there is an indication that an asset may be impaired. If any indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group estimates the asset's recoverable amount. An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or cash-generating unit's (CGU) fair value less cost of disposal and its value in use. Recoverable amount is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Groups of assets.

Impairment loss is recognized when the carrying amount of anasset exceeds recoverable amount. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less cost of disposal, recent market transactions are taken into account. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used. These calculations are corroborated by valuation multiples, available quoted market prices for public traded companies or other available fair value indicators.

The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations, which are prepared separately for each of the Company's CGUs to which the individual assets are allocated. To estimate cash flow projections beyond periods covered by the most recent budgets/forecasts, the Company extrapolates cash flow projections in the budget using a steady or declining growth rate for subsequent years, unless an increasing rate can be justified.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date to determine whether there is an indication that previously recognized impairment losses no longer exist or have decreased. If such indication exists, the Group estimates the asset's or CGU's recoverable amount. A previously recognized impairment loss is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

3.7 Inventories

Raw materials and components are valued at weighted average cost method . When they are intended to project use, valuation is done at project specific weighted average cost method

Stores and spares are valued at weighted average cost method.

Goods in transit are valued at cost.

Work In Progress (WIP) and Finished goods have been valued at lower of cost and net realisable value.

3.8 Financial instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial assets and financial liabilities are recognized when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

a) Equity Instruments

An equity instrument is a contract that evidences residual interest in the assets of the Group after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recognized at the proceeds received net of direct issue cost.

b) Financial Assets

Initial recognition and measurement

All Financial Assets other than trade receivables are recognized initially at fair value plus, in the case of financial assets not recorded at fair value through profit or loss, transaction cost that are attributable to the acquisition of the Financial Asset. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets measured at fair value through profit or loss are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

Subsequent measurement

For the purpose of subsequent measurement, Financial Assets are classified in three categories:

* Financial assets at amortized cost;

* Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI);

* Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

i) Financial assets at amortized cost

Financial assets are subsequently measured at amortized cost if these financial assets are held within a business whose objective is to hold these assets in order to collect contractual cash flows and the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

ii) Financial assets at Fair Value through other comprehensive income (FVTOCI)

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if these financial assets are held within a business whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows that give rise on specified dates to solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding and by selling financial assets.

iii) Financial assets at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL)

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless it is measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income on initial recognition. The transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets and liabilities at fair value through profit or loss are immediately recognized in statement of profit and loss.

Investments

All equity investments in scope of Ind AS 109 Financial Instruments are measured at fair value. Equity instruments which are held for trading are classified as at FVTPL. For all other equity instruments, the Group had made an irrevocable election to present the subsequent changes in the fair value in other comprehensive income. The Group makes such election on an instrument-by-instrument basis. The classification is made on initial recognition/transition and is irrevocable.

There is no recycling/reclassification of the amounts from OCI to the Statement of Profit and Loss, even on sale/disposal of the said equity investments.

Investment in preference shares/debentures are treated as equity instruments if the same are convertible into equity shares. Investment in preference shares/debentures not meeting the aforesaid condition is classified as debt instruments at amortized cost.

Investment in a 'debt instrument' is measured at the amortized cost if both the following conditions are met: The asset is held within a business model whose objective is -

(1) To hold assets for collecting contractual cash flows, and

(2) Contractual terms of the asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium and fees or costs that are an integral part of the Effective Interest Rate (EIR). The EIR amortization is included in other income in the Statement of Profit and Loss.

Impairment of Financial Assets

In accordance with Ind AS 109, the Group applies Expected Credit Loss (ECL) model for measurement and recognition of impairment loss on the following financial assets and credit risk exposure:

a) Financial Assets that are Debt Instruments, and are measured at amortized cost e.g., loans, debt securities, deposits, trade receivables and bank balance.

b) Financial guarantee contracts which are not subsequently measured as at FVTPL.

c) Lease Receivables under Ind AS 116.

Simplified Approach

The Group follows 'simplified approach' for recognition of impairment loss allowance on Trade Receivables.

Trade Receivables

The Group classifies the right to consideration in exchange for deliverables as either a receivable or as contract asset. A receivable is a right to consideration that is unconditional and only the passage of time is required before the payment of that consideration is due.

The Group assesses at each Balance Sheet date whether a financial asset or a Group of financial asset is impaired. Ind AS 109 requires expected credit loss to be measured through a loss allowance.

The Group recognizes lifetime expected credit losses for all trade receivables that do not constitute a financing transaction. Impairment loss allowance is based on a simplified approach as permitted by Ind AS 109. As a practical expedient, the Group uses a provision matrix to determine the impairment loss on the portfolio of its trade receivables.

The provision matrix is based on its historically observed default rates over the expected life of the trade receivables and is adjusted for forward-looking estimates. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed. On that basis, the Group estimates provision on trade receivables at the reporting date.

Impairment loss allowance (or reversal) that is required to be recognized at the reporting date is recognized as an impairment loss or gain in the Statement of Profit & Loss Account.

General Approach

For recognition of impairment loss on other financial assets and risk exposure, the Group determines that whether there has been a significant increase in the credit risk since initial recognition. If credit risk has

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

not increased significantly, 12-months ECL is used to provide for impairment loss. However, if credit risk has increased significantly, lifetime ECL is used. If, in a subsequent period, credit quality of the instrument improves such that there is no longer a significant increase in credit risk since initial recognition, then the entity reverts to recognizing impairment loss allowance based on 12-months ECL.

Lifetime ECL are the expected credit losses resulting from all possible default events over the expected life of a financial instrument. The 12-months ECL is a portion of the lifetime ECL which results from default events that are possible within 12 months after the reporting date.

ECL impairment loss allowance (or reversal) recognized during the period is recognized in the Statement of Profit and Loss. The Balance Sheet presentation for various financial instruments is described below:

* Financial Assets measured as at amortized cost: ECL is presented as an allowance, i.e., as an integral part of the measurement of those assets in the Balance Sheet. The allowance reduces the net carrying amount. Until the asset meets write-off criteria, the Group does not reduce impairment allowance from the gross carrying amount.

* Financial Guarantee contracts: ECL is presented as a provision in the Balance Sheet, i.e. as a liability.

* Debt instruments measured at FVTOCI: Since financial assets are already reflected at fair value, impairment allowance is not further reduced from its value. Rather, ECL amount is presented as 'accumulated impairment amount' in the OCI.

c) Financial liabilities

Initial recognition and measurement

Financial Liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at fair value through profit or loss and financial liabilities at amortized cost, as appropriate.

All Financial Liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of liabilities subsequently measured at amortized cost, they are measured net of directly attributable transaction cost. In case of Financial Liabilities measured at fair value through profit or loss, transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities are recognized immediately in the Statement of Profit and Loss.

The Group's Financial Liabilities include trade and other payables, loans and borrowings including financial guarantee contracts and derivative financial instruments.

Subsequent measurement

The measurement of financial liabilities depends on their classification, as described below:

* Financial liabilities at Fair Value through statement of profit and loss (FVTPL);

* Financial liabilities at amortized cost;

* Financial Guarantee Contracts;

i) Financial Liabilities at fair value through profit or loss

Financial Liabilities at fair value through profit or loss include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at fair value through the Statement of Profit and Loss. Financial Liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by Ind AS 109.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the Statement of Profit and Loss.

ii) Financial Liabilities at amortized cost

Financial Liabilities that are not held-for-trading and are not designated as at FVTPL are measured at amortized cost at the end of subsequent accounting periods. The carrying amounts of financial liabilities that are subsequently measured at amortized cost are determined based on the effective interest method. Gains and losses are recognized in the Statement of Profit and Loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or cost that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included as finance costs in the Statement of Profit and Loss.

iii) Financial Guarantee Contracts

Financial guarantee contracts issued by the Group are those contracts that require a payment to be made to reimburse the holder for a loss it incurs because the specified debtor fails to make the payment when due in accordance with the terms of a debt instrument. Financial guarantee contracts are recognized initially as a liability at fair value, adjusted for transaction costs that are directly attributable to the issuance of the guarantee. Subsequently, the liability is measured at the higher of the amount of loss allowance determined as per impairment requirements of Ind AS 109 and the amount initially recognized less cumulative income recognized in accordance with principles of Ind AS 115.

d) De-recognition of Financial Instruments

A financial asset is de-recognized when:

* The rights to receive cash flows from the asset have expired, or

* the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

A financial liability or a part of financial liability is de-recognized from the Balance Sheet when the obligation specified in the contract is discharged, cancelled or expired. When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as the de-recognition of the original liability and the recognition of a new liability. The difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit or loss.

e) Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in consolidated financial statements if there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

f) Derivative instruments and hedge accounting:

The Group uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts, to hedge its foreign currency risks respectively. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. The accounting for subsequent changes in fair value of derivatives depends on the designation or non-designation of derivative as hedging instruments. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

Derivative that are designated as Hedge Instrument

The Group undertakes foreign exchange forward contracts for hedging foreign currency risks. The Group generally designates the whole forward contract as hedging instrument.

These hedging instruments are governed by the Group's foreign exchange risk management policy approved by the Board of Directors.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designates and documents the hedge relationship to which the Group wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge. The documentation includes the Group's risk management objective and strategy for undertaking hedge, the hedging/ economic relationship, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged, hedge ratio and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that the hedge is actually have been highly effective throughout the financial reporting periods for which it was designated.

The effective portion of change in the fair value of the designated hedging instrument is recognized in the Other Comprehensive Income ('OCI') and accumulated under the heading Cash Flow Hedge Reserve within Equity. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognized immediately in the Statement of Profit and Loss and included in the Other Income or Other Expenses as Gain on Derivatives or Loss on Derivatives respectively.

Amounts previously recognized in OCI and accumulated in equity relating to effective portion are reclassified to Statement of Profit and Loss in the periods when the hedged item affects profit or loss, in the same line item as the recognized hedged item or treated as basis adjustment if a hedged forecast transaction subsequently results in the recognition of a non-financial asset or non-financial liability. When a forecasted transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss accumulated in equity is transferred to the Statement of Profit and Loss.

Hedge accounting is discontinued when the hedging instrument expires or is sold, terminated or exercised without replacement or rollover (as part of hedging strategy), or if its designation as a hedge is revoked, or when the hedge no longer meets the criteria for hedge accounting.

g) Contract Assets

Where the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, the Group presents the contract as a contract asset. A contract asset is Group's right to consideration in exchange for goods or services that the Group has transferred to a customer, when that right is conditioned on something other than the passage of time. Contract assets are reviewed for impairment in accordance with Ind AS 109.

h) Contract Liabilities

Where the Group receives consideration, or the Group has a right to an amount of consideration that is unconditional (ie a receivable), before the Group transfers a good or service to the customer, the Group presents the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). A contract liability is Group's obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer.

3.9 Provisions , Contingent Liabilities and Contingent assets

a) Provisions

A provision is recognized if, as a result of a past event, the Group has a present legal obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the obligation.

Provisions (excluding retirement benefits and compensated leave) are not discounted to its present value and are determined by the best estimate of the outflow of economic benefits required to settle the obligation at the reporting date. These are reviewed at each reporting date adjusted to reflect the current best estimates.

Warranty obligations included in this type of provisions are not treated as a separate performance obligation, unless the customer has the option of contracting the warranty separately, therefore they are recognized in accordance with Ind AS 37. These provisions are classified as current liabilities since they relate to the operating construction projects cycle, in line with Ind AS 1.

Provision towards guarantee claims in respect of ships delivered wherever provided/ maintained is based on technical estimation. For the ships delivered, guarantee claims are covered by way of insurance policies covering the guarantee period on case-to-case basis, wherever required.

Provisions for anticipated losses are recognized when it becomes apparent that the total costs expected to fulfil a contract exceed expected contract revenues. For the purpose of determining, where appropriate, the amount of the provision, budgeted contract revenue will include the forecast revenue that is considered probable, in line with Ind AS 37 as well as incremental costs. General costs are not directly attributable to a contract and are therefore excluded from the Budgeted cost unless they are explicitly passed on to the counterparty in accordance with the contract, in line with paragraph 68 of Ind AS 37.

b) Contingent Liabilities and Contingent Assets

In the normal course of business, contingent liabilities may arise from litigations and other claims against the Group. Where the potential liabilities have a low probability of crystallizing or are very difficult to quantify reliably, the Group treats them as contingent liabilities. Such liabilities are disclosed in the notes but are not provided for in the consolidated financial statements. Although there can be no assurance regarding the final outcome of the legal proceedings, Group does not expect them to have a materially adverse impact on the financial position or profitability. The Group does not recognize a contingent liability but discloses its existence in the consolidated financial statements.

A contingent asset is a possible asset that arises from past events and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the entity. The Group does not recognize a contingent asset but discloses its existence in the consolidated financial statements where an inflow of economic benefits is probable.

3.10 Revenue Recognition

a) Revenue from Operations

Revenue from contracts with customers are measured based on the consideration specified in a contract with a customer (ie., transaction price, which is the fair value of consideration received or receivable).

At the first instance, revenue recognition process involves identifying the relevant contracts and technical evaluation of the performance obligations, contained therein.

A single performance obligation is identified in shipbuilding and/or ship repair segments for each vessel, due to the high degree of integration and customization of the various goods and services forming a combined output that is transferred to the customer over time.

The Group choses the appropriate method of measuring the progress of the completion at the contract inception for recognizing revenue over time, and are applied consistently to similar performance obligations under the respective segments and/or activities carried out thereon.

Recognition of Revenue for a performance obligation satisfied over time is made only if the Group can reasonably measure its progress towards complete satisfaction of the performance obligation.

The performance obligations for the shipbuilding and Ship repair activities carried out by the company are satisfied over time rather than at a point in time since the Company's performance does not create an asset with an alternative use to the Company ie contractual restrictions and practical limitations to readily direct that asset for another use(Even in some cases it will be able to do so, it can only be done after significant changes and at significant cost) and it has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Revenue is recognized when the Group satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date in respect of contracts with customers for ship building and ship repair other than Indigenous Aircraft Carrier (IAC).

In respect of contract with Indian Navy for construction of Indigenous Aircraft Carrier, which is partly 'fixed price basis' and partly 'cost plus basis', the revenue

- from fixed price portion is recognized using output method .
- by way of mark up from cost plus part of the contract for procuring and supply of materials and design outsourcing is recognized when

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

performance obligations as per the terms of the contract are fulfilled upon making payments to the suppliers.

- The cost of materials, value of design outsourcing and other expenses incurred for the vessel which are recoverable separately from Navy are charged off to the statement of Profit and Loss when materials are consumed/ activities are performed/expenses are incurred and are simultaneously grossed up with the value of work done and recognized as revenue.

In the case of ship repair contracts involving continuous multiple years maintenance support/ recurring and routine services, the Group opted for time-elapsed output method, i.e, measuring the progress based on time elapsed to reporting date, which is representative of the satisfaction of performance obligation subject to entitlement of consideration in exchange of goods and/or services.

Based on the technical assessment considering the latest available information to the Group, measuring the progress towards complete satisfaction of a performance obligation in the method adopted will be revised/updated on an ongoing basis.

During the initial stages of a contract, where the Group may not be able to reasonably measure the outcome of a performance obligation and the Group expects to recover the costs incurred in satisfying the performance obligation, revenue will be recognized only to the extent of the costs incurred until such time that it can reasonably measure the outcome of the performance obligation.

Contract modifications are accounted when additions, deletions or changes are approved either to the contract scope or contract price. The accounting for modifications of contracts involves assessing whether the services added to an existing contract are distinct and whether the pricing is at the stand alone selling price. Where the goods or services added are not distinct, adjustment to revenue is made on a cumulative catch up basis. Where the goods or services added are distinct, and such additional goods or services are priced at standalone selling prices, the contract modification is accounted for as a separate contract; whereas if the modification is not priced at standalone selling price, the same is accounted as a termination of the existing contract and creation of a new contract.

The Group generally does not recognize any revenue from additional work until it has been approved by the customer. When the scope of work has been approved but the impact on revenue is yet to be valued, the "variable consideration" requirement (as explained below) will apply. This entails recognizing revenue in an amount that is unlikely to be reversed.

If the consideration promised in a contract includes variable amounts like discounts, rebates, refunds, credits, price concessions, liquidated damages or other similar items, the Group estimates the net amount of consideration to which the Group is entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer and accounts for the same. The payment terms are based on milestones specified in the respective contracts with customers. On achieving the specified milestones these payments are released.

Revenue from Supply of Base & Depot Spares is recognized based on the satisfaction of performance obligation at a point in time on proof of receipt of goods from customer.

Unlike revenue recognition, amounts billed to the customer are based on the various milestones reached under the contract and on acknowledgement thereof by the customer by means of a contractual document referred to as a progress billing certificate. Therefore, the amounts recognized as revenue for a given year do not necessarily match those billed to or certified by the customer. For contracts in which the revenue recognized exceeds the amount billed or certified, the difference is recognized in as "Contract Asset" under "Other Current Assets", while for contracts in which the revenue recognized is lower than the amount billed or certified, the difference is recognized as "Contract Liability" under "Other Current Liabilities".

Other Operating Revenue with respect to sale of stock items,scrap and consultancy income is recognized at a point in time when the Group satisfies performance obligations and right to receive the income is established as per terms of the contract by transferring promised goods and services to the customer.

Management fee is also recognized over a period of time.

HCSL is recognising Revenue of Management Fees/ Agency Fees on the basis of % of Cost completion.

b) Government Grants

Government grants are recognized when there is reasonable assurance that the Group will comply with the conditions attaching to them and that the grants will be received.

Government grants are recognized in Statement of Profit and Loss on a systematic basis over the periods in which the Group recognizes as expenses, the related costs for which the grants are intended to compensate. Where the Grant relates to an asset value, it is recognized as deferred income, and amortized over the expected useful life of the asset. Other grants are recognized in the statement of Profit & Loss concurrent to the expenses to which such grants relate/ are intended to cover.

Ship Building Financial Assistance (SBFA) is recognized over a period of time in proportion to the expenses / cost incurred and classified under "other operating revenue".

Government grants that are receivable as compensation for expenses or losses already incurred or for the purpose of giving immediate financial support to the Group with no future related costs are recognized in statement of profit & loss in the period in which they become receivable.

c) Other income

i) Liquidated damages and interest on advances

No income is recognized on (a) interest on advances given and (b) liquidated damages, where the levies depend on decisions regarding force majeure condition of contract. These are accounted for on completion of contracts and / or when final decisions are taken.

In the case of contracts entered into for execution of capital works having long gestation period, where the extant commercial terms of the contract provides for provision of extending interest bearing mobilisation advance to the service provider for mobilising various resources for timely execution, mobilisation advances are paid and interest is accounted on accrual basis.

ii) Accounting for insurance claims

(i) Warranty/Builder Risk claims

In the case of guarantee defects covered under warranty insurance policies or claims under Insurance Policies taken for ship building and ship repair works, the insurance claims lodged are recognized in the consolidated financial statements in the year in which the survey is completed and the probable amount of settlement is intimated by the insurance company.

(ii) Other Insurance Policies

In the case of other Insurance Policies like Asset Insurance, Transit Insurance, Marine Insurance, Cash Insurance etc., the claims are recognized in the consolidated financial statements on settlement of the claims by way of receipt of the amount from the Insurance company.

In the case of Medical insurance, claims are recognized on due basis, based on the claims submitted with the insurance company.

Other items of income are accounted as and when the right to receive such income arises and it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably.

3.11 Employee benefits

Employee benefits consist of salaries and wages, contribution to provident fund, superannuation fund, gratuity fund, towards medical assistance, which are short term in nature and contribution towards compensated absences, which is long term in nature.

Post-employment benefit plans

i) Defined Contribution plans

Defined contribution to Employees Pension scheme for eligible employees is made to National Pension Scheme (NPS) and are charged as expense as they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

The Holding Company makes contributions to the Cochin Shipyard Employees Mutual Public Welfare

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Trust and Employees Medical Assistance Trusts, which are charged as expense, as and when they fall due. Such benefits are classified as Defined Contribution Schemes as the Group does not carry any further obligations, apart from the contributions made.

In respect of subsidiaries ,contributions to Providend Fund are made to the Regional Providend Fund Commisioner and are charged to the Profit and Loss account. The companies have no further obligations for future Providend Fund benefits other than its monthly contributions.

ii) Defined benefit plans

Gratuity

The Group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering eligible employees. The fund of Holding Company is managed by the trustees of the Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust .The liability or asset recognized in the balance sheet in respect of its defined benefit plan is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated periodically by actuaries using the projected unit credit method.

The present value of the said obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows, using market yields of government bonds that have terms approximating the terms of the related liability.

The interest income / (expense) are calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. The net interest income / (expense) on the net defined benefit liability or asset is recognised in the Statement of Profit and loss.

Remeasurement gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognised in the period in which they occur, directly in other comprehensive income. They are included in retained earnings in the Statement of Changes in Equity and in the Balance Sheet.

Changes in the present value of the defined benefit obligation resulting from plan amendments or curtailments are recognised immediately in Statement of profit and loss as past service cost.

UCSL makes contribution to Group Gratuity Cash Accumulation plan maintained with Life Insurance Corporation of India (LIC).

Provident Fund and Pension Scheme

The Group also makes contribution towards provident fund. The provident fund of Holding Company is administered by the Trustees of the Cochin Shipyard Limited Employees Contributory Provident Fund Trust. The rules of the provident fund administered by the Trust, require that if the Board of Trustees are unable to pay interest at the rate declared by the Government under para 60 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, then the deficiency shall be made good by the Holding Company. The deficiency, if any assessed by the holding company based on actuarial valuation will be provided for in the accounts.

Other employee benefits

Compensated absences

The Group has a policy on compensated absence which are both accumulating and non-accumulating in nature. The expected cost of accumulating compensated absence is determined by Actuarial valuation performed by an independent actuary at each Balance Sheet date using projected unit credit method on the additional amount expected to be paid/availed as a result of unused entitlement that has accumulated at the Balance Sheet date. Expense on non-accumulating compensated absence is recognised in the period in which the absences occur.

3.12 Taxes on Income

a) Income tax

Income tax expense comprises current tax expense and the net change in the deferred tax asset or liability during the year.

Current and deferred taxes are recognized in Statement of Profit and Loss, except when they relate to items that are recognized in other comprehensive income or directly in equity, in which case, the current and deferred tax are also recognized in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The Group has determined that interest and penalties related to income taxes, including uncertain tax treatments, do not meet the definition of income taxes, and therefore accounted for them under Ind AS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets.

b) Current tax

Current tax is measured at the amount of tax expected to be payable or receivable on the taxable income or loss for the year and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years as determined in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961. The amount of current tax payable or receivable is the best estimate of the tax amount expected to be paid or received that reflects uncertainty related to income taxes, if any. It is measured using the tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current tax assets and current tax liabilities are offset, when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an intention to settle the asset and the liability on a net basis.

c) Deferred tax

Deferred tax is recognized using the Balance Sheet approach. Deferred tax assets and liabilities are recognised for deductible and taxable temporary differences arising between the tax base of assets and liabilities and their carrying amount, except when the deferred tax arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and affects neither accounting nor taxable profit or loss at the time of the transaction.

Deferred tax assets are recognised only to the extent that it is probable that either future taxable profits or reversal of deferred tax liabilities will be available, against which the deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax credits and unused tax losses can be utilised.

The carrying amount of a deferred tax asset shall be reviewed at the end of each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred income tax asset to be utilised. Unrecognized deferred tax assets are re-assessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profits will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss (either in other comprehensive income or in equity).

Deferred tax assets and liabilities are measured using the tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets and liabilities are off set when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority.

3.13 Operating Segments

Operating segments are defined as components of an enterprise for which discrete financial information is available that is evaluated regularly by the chief operating decision maker, in deciding how to allocate resources and assessing performance. The Group's chief operating decision maker is the Chairman & Managing Director.

The Group has identified business segments (industry practice) as reportable segments. The business segments comprise: 1) Ship Building and 2) Ship Repair

Segment revenue, segment expenses, segment assets and segment liabilities have been identified to segments on the basis of their relationship to the operating activities of the segment. Revenue, expenses, assets and liabilities which relate to the Group as a whole and are not allocable to segments on a reasonable basis have been included under "unallocated revenue / expenses / assets / liabilities".

3.14 Exceptional Items

An item of income or expense which by its size, type or incidence requires disclosure in order to improve an understanding of the performance of the Company is treated as an exceptional item and disclosed as such in the consolidated financial statements and also as per Guidance note on Division II - Ind AS Schedule III.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

3.15 Excluded Financial Asset

Pursuant to resolution plan and NCLT Order dated 4th March 2020, the following assets/matters of Erstwhile Tebma shipyards mentioned below are identified as excluded financial asset based on information provided by the COC or Resolution Professional.

1) VAT refund;
2) Insurance claim for damages to Tug lodged with an insurance company;
3) Insurance claim for theft and burglary with an insurance company;
4) Trade receivables from Indian Navy; and
5) 50% (fifty percent) of the amount of subsidy claim (ie., Shipbuilding Finance Assistance/subsidy) form Government of India.

These items will be accounted on realization basis.

3.16 Recent Pronouncements

Ministry of Corporate Affairs ("MCA") notifies new standards or amendments to the existing standards under Companies (Indian Accounting Standards) Rules as issued from time to time. During the year ended March 31, 2025, MCA has notified Ind AS 117 - Insurance Contracts and amendments to Ind As 116 – Leases , relating to sale and lease back transactions, applicable from April 1, 2024. The Company has assessed that there is no significant impact on its financial statements.

On May 9, 2025, MCA notifies the amendments to Ind AS 21 - Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. These amendments aim to provide clearer guidance on assessing currency exchangeability and estimating exchange rates when currencies are not readily exchangeable. The amendments are effective for annual periods beginning on or after April 1, 2025. The Company is currently assessing the probable impact of these amendments on its financial statements.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 4 : Property, Plant and Equipment

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2025	As at 1st Apr 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	3,267.86	-	-	3,267.86	-	-	-	-	3,267.86	3,267.86
Buildings & Roads	10,523.68	3,562.13	-	14,085.81	5,262.89	691.28	-	5,954.17	8,131.64	5,260.79
Plant and equipment	26,506.35	29,106.98	10.08	55,603.25	16,699.50	2,293.96	5.43	18,988.03	36,615.22	9,806.85
Furniture and fixtures	1,989.37	135.31	0.82	2,123.86	1,021.31	167.11	0.17	1,188.25	935.61	968.06
Vehicles	678.62	289.84	14.23	954.23	479.58	63.54	12.21	530.91	423.32	199.04
Office equipments	756.77	297.89	0.69	1,053.97	451.56	124.98	0.41	576.13	477.84	305.21
Others	-	-	-		-	-	-			-
Data Processing Equipments	3,064.32	881.89	160.25	3,785.96	2,033.27	414.57	150.41	2,297.43	1,488.53	1,031.05
Docks and quays	4,466.45	1,02,191.94	-	1,06,658.39	2,740.19	396.94	-	3,137.13	1,03,521.26	1,726.26
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installations	2,315.28	480.35	-	2,795.63	1,377.20	180.47	-	1,557.67	1,237.96	938.08
Drainage and water supply	23.55	625.78	-	649.33	2.05	1.67	-	3.72	645.61	21.50
Vessels	56.42	39.00	-	95.42	12.22	4.02	-	16.24	79.18	44.20
Sub Total	**53,649.77**	**1,37,611.11**	**186.07**	**1,91,074.81**	**30,079.77**	**4,338.54**	**168.63**	**34,249.68**	**1,56,825.13**	**23,570.00**
b) Assets on leased premises										
Buildings & Roads	23,961.79	254.86	79.56	24,137.09	3,059.09	567.46	-	3,626.55	20,510.54	20,902.70
Plant and equipment	8,984.57	79,669.26	4.31	88,649.52	960.70	2,622.86	-	3,583.56	85,065.96	8,023.87
Docks and quays	22.05	140.26	-	162.31	9.55	8.98	-	18.53	143.78	12.50
Electrical installation	1,408.60	80.55	1.07	1,488.08	357.59	75.91	-	433.50	1,054.58	1,051.01
Slip way	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	14.20	-	864.94	253.05	267.25
Sub Total	**35,495.00**	**80,144.93**	**84.94**	**1,15,554.99**	**5,237.67**	**3,289.41**	**-**	**8,527.08**	**1,07,027.91**	**30,257.33**
Total (a)+(b)	**89,144.77**	**2,17,756.04**	**271.01**	**3,06,629.80**	**35,317.44**	**7,627.95**	**168.63**	**42,776.76**	**2,63,853.04**	**53,827.33**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	42,725.73	173.81	-	42,899.54	7,173.41	1,503.01	-	8,676.42	34,223.12	35,552.32
Right of Use - Buildings	175.48	11.11	-	186.59	136.78	22.12	-	158.90	27.69	38.70
Right to use ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	2,004.33	210.34	-	2,214.67	4,785.33	4,995.67
Leased Land at Nazirgunge & salkia -Right to use	575.00	-	-	575.00	43.92	10.17	-	54.09	520.91	531.08
Sub Total	**50,476.21**	**184.92**	**-**	**50,661.13**	**9,358.44**	**1,745.64**	**-**	**11,104.08**	**39,557.05**	**41,117.77**
Total(a+b+c)	**1,39,620.98**	**2,17,940.96**	**271.01**	**3,57,290.93**	**44,675.88**	**9,373.59**	**168.63**	**53,880.84**	**3,03,410.09**	**94,945.10**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Depreciation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2023	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2024	As at 1st Apr 2023	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2023
a) Owned Assets										
Land (Freehold)	3,267.86			3,267.86	-			-	3,267.86	3,267.86
Buildings & Roads	10,286.02	238.31	0.65	10,523.68	4,575.00	688.33	0.44	5,262.89	5,260.79	5,711.02
Plant and equipment	24,814.37	1,711.28	19.30	26,506.35	14,420.54	2,293.79	14.83	16,699.50	9,806.85	10,393.83
Furniture and fixtures	1,777.45	215.90	3.98	1,989.37	864.45	160.64	3.78	1,021.31	968.06	913.00
Vehicles	677.87	7.55	6.80	678.62	430.23	55.83	6.48	479.58	199.04	247.64
Office equipment	657.30	100.23	0.76	756.77	368.46	83.83	0.73	451.56	305.21	288.84
Others	-			-	-			-	-	-
Data Processing Equipments	2,773.54	299.23	8.45	3,064.32	1,720.06	320.09	6.88	2,033.27	1,031.05	1,053.48
Docks and quays	4,466.45	-	-	4,466.45	2,440.78	299.41	-	2,740.19	1,726.26	2,025.67
Railway sidings	1.10	-	-	1.10	-	-	-	-	1.10	1.10
Electrical installation	2,018.12	297.16	-	2,315.28	1,227.65	149.55	-	1,377.20	938.08	790.47
Drainage and water supply	23.55	-	-	23.55	0.98	1.07	-	2.05	21.50	22.57
Vessels	21.88	34.54	-	56.42	9.80	2.42	-	12.22	44.20	12.08
Sub Total	**50,785.51**	**2,904.20**	**39.94**	**53,649.77**	**26,057.95**	**4,054.96**	**33.14**	**30,079.77**	**23,570.00**	**24,727.56**
b) Assets on leased premises										
Buildings & Roads	23,232.33	729.46	-	23,961.79	2,488.59	570.50	-	3,059.09	20,902.70	20,743.74
Plant and equipment	6,543.03	2,441.54	-	8,984.57	492.78	467.92	-	960.70	8,023.87	6,050.25
Docks and quays	22.05	-	-	22.05	8.76	0.79	-	9.55	12.50	13.29
Electrical installation	1,365.12	43.48	-	1,408.60	286.16	71.43	-	357.59	1,051.01	1,078.96
Slip way	1,117.99	-	-	1,117.99	850.74	-	-	850.74	267.25	267.25
Sub Total	**32,280.52**	**3,214.48**	**-**	**35,495.00**	**4,127.03**	**1,110.64**	**-**	**5,237.67**	**30,257.33**	**28,153.49**
Total (a)+(b)	**83,066.03**	**6,118.68**	**39.94**	**89,144.77**	**30,184.98**	**5,165.60**	**33.14**	**35,317.44**	**53,827.33**	**52,881.05**
c) Right Of Use Assets										
Right of Use - Land	41,111.01	1,614.72	-	42,725.73	5,463.55	1,709.86	-	7,173.41	35,552.32	35,647.46
Right of Use - Buildings	173.07	2.41	-	175.48	118.34	18.44	-	136.78	38.70	54.73
Right to use - land and ship repair facility	7,000.00	-	-	7,000.00	1,793.99	210.34	-	2,004.33	4,995.67	5,206.01
Leased Land at Nazirgunge & salkia -Right to use	575.00	-	-	575.00	34.43	9.49	-	43.92	531.08	540.57
Sub Total	**48,859.08**	**1,617.13**	**-**	**50,476.21**	**7,410.31**	**1,948.13**	**-**	**9,358.44**	**41,117.77**	**41,448.77**
Total(a+b+c)	**1,31,925.11**	**7,735.81**	**39.94**	**1,39,620.98**	**37,595.29**	**7,113.73**	**33.14**	**44,675.88**	**94,945.10**	**94,329.82**

a) Freehold Land includes the value of (a) land allotted on lease basis to (i) Bharatiya Vidya Bhavan (0.69045 hectare) (ii) M/s Indian Oil Corporation Ltd (0.620 hectare) for laying pipeline (iii) land leased to M/s Kochin Air Products (0.30 hectare) and (b) land leased to Kerala State Electricity Board (0.47 hectare).

b) Value of land includes value of buildings acquired along with the land for which depreciation has not been provided as the value is not separately available and most of these buildings are likely to be demolished for putting up facilities for the factory.

c) Freehold land includes landed properties of the Group admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala provided as security for issue of Tax free bonds.

d) The Group has bearer plants in its premises and other sites which generates nominal income .Cost of such bearer plants cannot be reliably measured and hence these plants were not capitalized.

e) Title deeds of all immovable properties are held in the name of the Group.

f) In the case of following properties where the Group is the lessee, lease agreements are duly executed in favour of the lessee with the following exceptions:

1. Group has taken 8.12 HA of land (re-measured as 8.1164HA) and 15 HA of water body on lease from Cochin Port Authority (CoPA) on 12 April 2013 (1st phase) .CSL has also taken 8.134 HA of additional land area on lease from CoPA on 16 Nov 2017 (2nd phase).Two lease agreements (ie 1st phase allotment of land/waterbody and 2nd phase allotment of land) were entered between CSL & CoPA and both lease deeds have not been registered.

2. The group has executed concessionaire agreements with the Mumbai Port Trust(MBPT) and Syama Prasad Mukherjee Port (SMPT) to Upgrade,Operate and Manage Ship Repair facility at Hughes Dry Dock and specified berths at Indira Dock of MBPT and two dry docks and Berth No.6 of Netaji Subash Dock of SMPT respectively.

The project site at MBPT is taken on license for 29 years. The license agreement is yet to be registered, as a request submitted for waiver of the stamp duty to the Government of Maharashtra is under consideration.

The project site at Syama Prasad Mukherjee Port is taken on license for 30 years .As license agreement does not attract stamp duty and registration charges in West Bengal ,Concession Agreement with SMPT has not been registered .

g) The Right to use of land and ship repair facility represents the upfront fee paid to Cochin Port Trust towards setting up of International Ship Repair Facility (ISRF) project, to be amortised over the period of lease which was further extended based on the date of obtaining of Environmental Clearance. As all environmental clearances for ISRF are obtained as on January 09, 2018, the lease period of 30 years effectively starts from this date.

h) Staff quarters at Kolkata held in the name of Syama Prasad Mookerjee Port Authority has been allotted to CSL.Lease agreement is yet to be executed.

i) Registration is pending in case of following leasehold properties:

Description of Property	Area	Held in the name of
Transit House at New Delhi	2,200 Sq.ft	Mrs.Anita Singhal
Parking Space	3.80 Ares	Mr.K.Pradeep Kumar
CVO Guest House at Kochi	3,721 Sq.ft	Mr.Sree Kumar Nair
Covered Storage Space at Kakkanad	10,887 Sq.ft	Central Warehousing
	14,854 Sq.ft	Corporation

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

j) As at 31 March 2025, plant and equipment with a carrying amount of ₹403.40 lakhs (previous year ₹465.55 lakhs) were temporarily idle, but the company plans to operate the assets in FY 2025-26.

k) The Gross carrying value of assets of ₹28298.24 lakhs (previous year ₹12,938.36 Lakhs) have been fully depreciated, but still are in use.

l) Additions on Plant & Equipments includes capital expenditure on Research & development relating to R&D centre amounting to ₹2.83 lakhs (previous year ₹25.95 lakhs relating to welding technology).

m) During the financial year Company has capitalised major Projects "International Ship Repair Facility " and "New Dry Dock" at an amount of ₹79344.26 lakhs and ₹131938.92 lakhs respectively.

Depreciation on these assets has been calculated considering the useful lives as determined by the management based on technical estimates made. The adopted useful lives are detailed in the table below;

International Ship Repair Facility **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management *
A. Ship lift Components			
Winches ,Control Tower,Ship inhaul/Mooring,Special Tool Kit	Plant & Machinery	15	28
Platform steel work	Plant & Machinery	15	55
Wheel fender	Plant & Machinery	15	17
B. Ship Transfer Components			
Trestles,Bogies,Spare Parts,Special Tool kit	Plant & Machinery	15	28
C. Other assets			
Flat top tower cranes	Plant & Machinery	15	40
Ship lift & Transfer related facility			
Jetty 1,Jetty 2,Connection Jetty,Workstation North,Workstation South	Plant & Machinery	15	28

* Useful life restricted to remaining lease period of ISRF , ie; 23 years

New Dry Dock **Useful life in years**

Particulars of Assets	Asset Category as per Schedule II	Useful life as per Companies Act	Useful life estimated by the management
Dry Dock Civil	Docks & Quays	15	60
Pump House	Building	60	60
Caisson Gate	Plant & Machinery	15	60
600T Rail Mounted Gantry Crane	Plant & Machinery	15	40

n) UCSL and Karnataka Maritime Board have signed the Lease Agreement for the Leasehold land at Malpe & Hangarkatta on 23.12.2022, for a period of 30 years w.e.f 04.3.2020,i.e;the date of NCLT order approving the take over of M/s Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile M/s TEBMA Shipyards Ltd) by M/s Cochin Shipyard Ltd. Towards this, Group made a total payment of ₹ 325.50 lakhs to Karnataka Maritime board(KMB) during FY 2022-23 which consists of payment towards security deposit, lease dues, penalty and interests to the KMB against the dues.

o) Team 2 (12T BollardPull Tug) given on operating lease during the previous financial year has been included in "Plant & Equipments".

p) The value of Land at Kulpi (Kolkata- 230 cents) have not been recognized in accounts due to pending valuation & mutation of the same.

q) Some parcel of lands belonging to UCSL continue to be in the name of erstwhile "Tebma Shipyards Ltd" and/or "Tebma Engineering Pvt Ltd" in the land records. Group has already initiated action to change the title deed in the name of "Udupi Cochin Shipyard Limited".

r) Assets which cannot be detached and transported for alternate use ("Non Removable Assets") constructed on leasehold land at Malpe yard are amortized/ depreciated over the lower of the period of lease and useful life of those assets.

s) During the year, borrowing cost of ₹Nil (PY ₹8.11 lakhs) capitalised in the books of UCSL.

t) No charge has been created on Property,Plant & Equipments of UCSL.

u) M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd had elected to consider the fair value of the assets as on the transition date, as the deemed cost of the property, plant and equipment and accordingly the gross block of property, plant and equipment arrived at.

v) The title deeds of Building ,Temporary Structure, Office Building, Factory Building and Roads belonging to M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd are not held in the name of Company, as the land is in the name of Government of India which were taken on lease for a period of 59 years and the Company had constructed immovable properties on the same.

w) In case of Hooghly-CSL,Twenty-six percent (26%) of initial Equity Share capital of the company was issued to secure leasehold right of the land without receipt of any monetary consideration. Value of such 26% equity shares (₹572.00 Lakhs) along with related expenses totalling ₹575.00 Lakhs was capitalized as Right to Use asset and amortized on a straight line basis over the period for which the right is acquired, commencing from the date on which the right becomes capable of being exercised.

Note 5 : Capital work -in -progress

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Plant and machinery, Buildings and Civil works	37,373.06	1,86,531.68
Add: Expenditure during construction	1,924.08	12,141.82
Capital yard items	12,201.83	20,852.09
Goods in Transit	0.39	1.28
Total	**51,499.36**	**2,19,526.87**

Expenditure during construction

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Opening Balance	12,141.82	9,570.95
Add:Expenses during the year		
Salaries	205.27	364.32
Depreciation under Ind AS116	169.49	545.32
Finance cost under Ind AS116	544.61	1,661.23
Transferred to PPE	(11,137.11)	
Exceptional items	-	
Closing Balance	**1,924.08**	**12,141.82**

Capital work -in -progress (CWIP) includes capital expenditure on Research & development relating to R&D centre amounting to Nil (Previous year -₹24.78 lakhs)

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	47,784.52	2,920.59	619.47	174.78	51,499.36
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

CWIP Ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	64,679.21	33,924.80	16,434.84	1,04,488.02	2,19,526.87
Projects temporarily suspended	-	-	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Dry Dock	28,150.79	-	-	-
ISRF	17,772.57	-	-	-
CKSRU Caisson Gate	1,908.96	-	-	-
CMSRU Tower Crane	563.77	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	393.22	-	-
CNC Plasma Cum Oxy Fuel Plate Cutting Machine	315.48	-	-	-
Tower Crane At CKSRU	264.58	-	-	-
Integrated Security System	204.68	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	117.75	-	-	-
Fire Main System	107.59	-	-	-
EWSB With Socket Outlet 4 Hc Bbt Hc Bay	102.01	-	-	-
Construction Of Skid For Block Fabrication At SSD	71.27	-	-	-
300KWP Solar Power Plant Near General Store	68.66	-	-	-
Replacement Of 5/Hc Bbt At Hc Bay Of Hull	46.01	-	-	-
Load Cell 150 T Crane	38.02	-	-	-
DSL System For Eot Crane	36.20	-	-	-
Switch Boards At Engine Shop And Machine Shop	25.56	-	-	-
Fixing Of Gratings In BD Pump Pit	20.47	-	-	-
DSL System For 50T Crane	20.11	-	-	-
Remodelling Gates,Visitors Centre,Golden Plaza	6.90	-	-	-
Mezzanine Floor In Hdd Building at CMSRU	2.50	-	-	-
Designing Of Movable Shed	2.31	-	-	-
HCSL Docks & Quay	63.24	-	-	-
HCSL Shed Construction	0.69	-	-	-

Overdue CWIP as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in'			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Caisson Gate - Kolkata unit	1,503.61	-	-	-
Integrated Security System	923.67	-	-	-
Conference Hall Renovation Of Business Development	36.81	-	-	-
Office Space For Basic Design	19.37	-	-	-
Dock Arm Accessories	352.78	-	-	-
Fire Main System	88.10	-	-	-
Aluminium Roofing Hull Shop	-	162.25	-	-
DSL System For Crane	56.30	-	-	-
Office for Project Management Section	52.15	-	-	-
BBT and Tap Off Box	54.82	-	-	-
Electrical installation at Hull Shop	23.48	-	-	-
Asset under Construction- Docks & Quay	63.24	-	-	-
Asset under Construction-Capstan	30.84	-	-	-
Augmentation of yard facilities-civil	36.41	-	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 6 : Intangible assets

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2024	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2025	As at 1st Apr 2024	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	4,680.85	594.72	-	5,275.57	2,869.76	1,113.54	-	3,983.30	1,292.27	1,811.09
	4,708.52	**594.72**	**-**	**5,303.24**	**2,897.43**	**1,113.54**	**-**	**4,010.97**	**1,292.27**	**1,811.09**

(₹ in lakhs)

Particulars	Gross carrying amount				Amortisation				Net Carrying amount	
	As at 1st Apr 2023	Additions/ adjustments during the year	Disposal/ adjustments during the year	As at 31st Mar 2024	As at 1st Apr 2023	For the year	Adjustment/ (withdrawal)	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2024	As at 31st Mar 2023
Internally generated weld procedure	27.67	-	-	27.67	27.67	-	-	27.67	-	-
Computer software	2,914.75	1,766.10	-	4,680.85	1,948.70	921.06	-	2,869.76	1,811.09	966.05
	2,942.42	**1,766.10**	**-**	**4,708.52**	**1,976.37**	**921.06**	**-**	**2,897.43**	**1,811.09**	**966.05**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 7 : Intangible assets under development

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Intangible assets under development	68.06	60.64
Total	**68.06**	**60.64**

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	7.43	-	32.18	28.45
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Intangible assets under development Ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Projects in progress	-	32.18	28.46	-
Projects temporarily suspended	-	-	-	-

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	To be completed in			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	68.06	0.00	0.00	0.00

Overdue Intangible assets under development as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Capital Work in Progress	Amount in CWIP for a period of			
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years
Repository - CANSRU	60.64	-	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 8 : Investments-Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	Face value per unit	Number of units as on Mar 31, 2025	Number of units as on Mar 31, 2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unquoted (Fully Paid up)					
Investment in equity instruments					
a) At Fair Value Through Other Comprehensive Income					
Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited 2175 'B Class'	100	2,175	2,175	2.18	2.18
Kerala Enviro Infrastructure Limited	10	70,000	70,000	17.08	10.37
Cochin Waste 2 Energy Private Limited	10	1,00,000	1,00,000	-	-
Total				**19.26**	**12.55**
Aggregate value of unquoted investment				19.26	12.55
Aggregate value of quoted investments and market value thereof				-	-
Aggregate value of unquoted investment				19.26	12.55
Aggreagate amount of impairment in value of investments				10.00	10.00

a) Considering the indicators of the value of an investment such as investee's assets, results etc. a decline, other than temporary, in the value of investment in Cochin Waste 2 Energy (P) Ltd is noticed and accordingly fair value is considered as Nil .Similarly, increase in value of investment in Kerala Enviro Infrastructure Limited is noticed and accordingly investment is fair valued.

b) The Group's Investment in Cochin Shipyard Employees Consumer Co-operative Society Limited are non-participative shares and normally does not carry any voting rights. Hence, the group has carried this investment at its transaction value considering to be its fair value.

Note 9: Loans - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good:		
(a) Other Loans		
Loan to employees		
Related parties	-	-
Others	551.52	524.28
Total	**551.52**	**524.28**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 10: Other Financial Assets - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Security deposits	129.11	143.07
SB Financial Assitstance scheme*	402.16	1,859.81
Accrued Lease Rental Asset	37.92	1.31
Total	**569.19**	**2,004.19**

*Refer note no.34 for details

Security deposits includes rent deposits paid towards lease land at amortised cost under Ind AS 109 read with Ind AS 116.

Note 11: Income tax assets / liability (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Non current tax assets		
Income Tax Assets net of provisions	2,946.83	6,486.87
Current tax assets / (liabilities)		
Advance income tax net of provisions	(2,460.25)	323.10

UCSL has not accounted the TDS amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien mark bank guarantee issued by Committe of Creditors (Coc).

Income tax recognised in the Statement of profit and loss

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Current tax:		
Current income tax charge	29,550.79	25,016.34
Adjustment in respect of prior years	875.11	3,307.72
Total (A)	**30,425.90**	**28,324.06**
Deferred tax:		
In respect of current year	(641.90)	441.92
Total (B)	**(641.90)**	**441.92**
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss (A+B)	29,784.00	28,765.98

The income tax expense for the year can be reconciled to the accounting profit as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Profit before tax	**1,12,517.05**	**1,07,093.76**
Income tax expense calculated at respective applicable rates	28,752.75	27,601.01
Effect of expenses that are not deductible in determining taxable profit	8,427.28	5,655.16
Effect of expenses that are allowable in determining taxable profit	(7,758.64)	(7,578.04)
Effect of expenses incurred on Corporate Social Responsibility not deductible in determining taxable profit	393.76	348.42

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Effect of income that is exempt from taxation	-	-
Adjustments with respect to unabsorbed business loss / Depreciation	(296.13)	(245.56)
Others	31.77	(764.65)
	29,550.79	**25,016.34**
Adjustments recognised in the current year in relation to the current tax of prior years	875.11	3,307.72
Adjustments for changes in estimates of deferred tax assets	(641.90)	441.92
Income tax expense recognised in the Statement of Profit and Loss	**29,784.00**	**28,765.98**

Note 12: Deferred tax assets (net)

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Deferred tax liabilities	(7,656.47)	(2,239.59)
Deferred tax assets	18,621.27	12,665.04
Total	**10,964.80**	**10,425.45**
Deferred tax liabilities of Hooghly-CSL	614.76	520.62
Total	**614.76**	**520.62**

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2024-25

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in OCI	Closing Balance
Provisions	(6,539.69)	(5,613.18)		(12,152.87)
Property, plant and equipment	2,500.61	5,529.75		8,030.36
Intangible assets	258.36	(228.41)		29.95
Leased Assets	(2,449.52)	(528.48)		(2,978.00)
Leased Liabilities	842.65	67.98		910.63
Carry forward losses	(4,652.17)	549.60		(4,102.57)
Cashflow Hedge-Adjustment	109.14		209.30	318.44
Others	25.79	(419.15)	(12.62)	(405.98)
Total	**(9,904.83)**	**(641.89)**	**196.68**	**(10,350.04)**

Deferred tax liabilities/(assets) in relation to 2023-24

(₹ in lakhs)

Particulars	Opening balance	Recognised in Statement of Profit and Loss	Recognised in OCI	Closing Balance
Provisions	(5,585.50)	(947.81)	(6.38)	(6,539.69)
Property, plant and equipment	3,033.55	(532.94)	-	2,500.61
Intangible assets	32.67	225.69	-	258.36
Leased Assets	(2,433.71)	(15.81)	-	(2,449.52)
Leased Liabilities	1,064.86	(222.21)	-	842.65
Carry forward losses	(5,199.16)	546.99	-	(4,652.17)
Cashflow Hedge-Adjustment	-	-	109.14	109.14
Others	(1,362.22)	1,388.01	-	25.79
Total	**(10,449.51)**	**441.92**	**102.76**	**(9,904.83)**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 13: Other non-current assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good		
Capital advances	520.51	4,892.43
Advances other than capital advances:		
Security deposits	289.04	312.88
Advance lease rentals	41.05	40.71
Loose tools	1,097.81	799.77
Research & Development vessel- Cost of the vessel *		1,399.74
Less : Amount payable to Ministry/GoI	-	(1,015.88)
Total	**1,948.41**	**6,429.65**

* Refer note no 42 for details

Note 14 : Inventories

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Raw Materials and components	1,66,097.28	82,303.86
Work in Progress	961.49	428.64
Goods-in transit	11,388.32	17,612.61
	1,78,447.09	**1,00,345.11**
Stores & Spares	1,408.55	1,789.81
Goods-in transit	8,655.08	474.48
	10,063.63	**2,264.29**
Total*	**1,88,510.72**	**1,02,609.40**

Stores & Spares represents spares of general nature and are not related to a particular asset.

* Includes Materials Pending Inspection as on 31 March 2025 comes to ₹14426.93 lakhs (previous year ₹15,364.25 lakhs)

Entire stock of inventories of UCSL valuing ₹11654.43 lakhs are hypothecated towards availing cash credit facility from the bank.

Note 15 : Trade Receivables-Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured		
Considered good:		
Trade Receivables considered good - Unsecured	22,903.17	30,344.98
Trade Receivables which have significant increase in Credit Risk	2,569.56	12,145.76
Less: Allowance for Expected credit loss	(2,569.56)	(12,145.76)
Trade Receivables - Credit impaired		-
Less: Allowance for Expected credit loss	-	-
Total	**22,903.17**	**30,344.98**

Trade receivables are non-interest bearing and receivable in normal operating cycle.

Trade receivables include unbilled trade receivables ₹418.26 Lakhs (previous year Nil).

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Billed Not due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
			Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	418.26	-	18,682.14	1,725.78	1,890.85	186.71	22.52	22,926.26
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	71.71	31.11	2,309.10	2,411.92
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	-	134.55	134.55
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	418.26	**-**	**18,682.14**	**1,725.78**	**1,962.56**	**217.82**	**2,466.17**	**25,472.73**
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2025								2,569.56
Trade receivable as on 31.03.2025								**22,903.17**

Trade Receivables ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Unbilled trade receivables	Billed Not due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
			Less than 6 Months	6 Months to 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
(i) Undisputed Trade receivables – considered good	-	-	20,246.41	4,985.64	2,397.05	2,733.08	2.59	30,364.77
(ii) Undisputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	111.12	476.18	2,525.07	3,112.37
(iii) Undisputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed Trade Receivables– considered good	-	-	-	-	-	-	-	-
(v) Disputed Trade Receivables – which have significant increase in credit risk	-	-	-	-	-	27.91	8,985.69	9,013.60
(vi) Disputed Trade Receivables – credit impaired	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**20,246.41**	**4,985.64**	**2,508.17**	**3,237.17**	**11,513.35**	**42,490.74**
Less: Expected Credit Loss provision as on 31.03.2024								12,145.76
Trade receivable as on 31.03.2024								**30,344.98**

Movement in the expected credit loss allowance

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Opening balance	**12,145.76**	**11,030.93**
Add: Additions during the year	634.86	1,594.87
Less: Reversals/withdrawals during the year	10,211.06	480.04
Closing Balance	**2,569.56**	**12,145.76**

Note 16 : Cash and Cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Cash on hand		
Balance with Banks		
In current account	1,617.12	951.82
In current account out of IPO Proceeds		-
Term deposits with original maturity of less than three months	30,050.00	29,689.48
Term deposits with original maturity of less than three months from IPO Proceeds		-
Term deposits with original maturity of less than three months earmarked for objects of IPO		-
Total	**31,667.12**	**30,641.30**

₹ 3500 lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project. Also Board approval granted for funding support not exceeding ₹ 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Pursuant to resolution plan submitted by the M/s Cochin Shipyard Limited for takeover of Udupi Cochin Shipyard Limited (Erstwhile Tebma shipyards), the bid amounts have been paid to the banks under the approved resolution plan and all security charges, encumbrances, created or suffered to exist in relation to credit facilities extended to erstwhile M/s Tebma Shipyards Limited, stands released, discharged in terms of the resolution plan.Consequently the Bank guarantees stands discharged and margin money shall be released to M/s Udupi Cochin Shipyard Limited. However, the margin monies (aggregating approx. ₹351.12 lakhs) have not yet been actually released by the banks to the Company as they hold the same as lien for the Bank Guarantees issued by them earlier which has been disputed by the UCSL. Therefore, on a prudent basis, the company will recognize the Fixed deposits, Interest income and TDS portion of interest income only in the period in which the banks actually release the margin money deposits. Accordingly the aforesaid amount is not included in the above.

Note 17 : Bank balances other than cash and cash equivalents

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lien Marked Term deposits with original maturity of less than three months*	2,030.72	46,103.75
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	-	22,094.07
Balance held on behalf of Indian Navy **	2,68,583.42	2,76,092.29
Balance held on behalf of UTLA***	77.04	432.68
Balance held on behalf of A&N***	155.24	1,897.80
Current account on behalf of IWAI****	2.82	1,046.23
Term deposit on behalf of IWAI****	6,798.00	900.00

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months earmarked for objects of IPO	-	7,050.00
Term Deposits with banks with original maturity more than 12 months (Maturing with 12 months from the date of balance sheet)	1,755.00	-
Term Deposits with banks with original maturity more than 3 months and less than 12 months	0.99	-
Earmarked balances (Unpaid Dividend account)	191.87	142.43
Total	**2,79,595.10**	**3,55,759.25**

*Lien Marked Term deposits represents deposits in which lien is marked in favour of State Bank of India & IDBI for maintaining cash margin towards the Non-Fund based credit facilities granted to the Company & ₹ 113.57 lakhs (previous year ₹ 106.87 lakhs) lien marked in favour of The Registrar of High Court of Kerala.

**Funds parked by Indian Navy for the construction of Indigenous Aircraft Carrier and Next generation Missile Vessels are held in separate accounts.It includes Sweep-In Term-deposits of ₹ 2,68,075.81 lakhs created from the respective accounts.

***Sweep-In Term-deposits of ₹ 50 lakhs and ₹ 130 lakhs are included in the funds parked by UTLA and A&N account respectively.

****Earmarked to PANDU Project, received from IWAI and kept in Separate A/C.

Note 18 : Loans - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured, considered good		
Employee advances		
Related parties	0.18	-
Others	130.92	115.11
Total	**131.10**	**115.11**

No signficant increase in credit risk or credit impairment

Note 19 : Other Financial Assets - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Interest accrued on Bank Deposits	6,482.42	9,429.28
Interest accrued on employee advances		
Related parties		
Others	162.41	124.75
FD More than 12 months	-	700.00
Ship Building Financial Assistance	16,519.63	3,342.77
Foreign Exchange Derivatives Assets	3,880.05	1,594.93
Total	**27,044.51**	**15,191.73**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 20 : Other Current Assets

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unsecured advances		
Advances other than capital advances		
Advances to related party		
Other advances	1,81,470.50	1,59,871.50
Advances considered doubtful	0.07	0.07
	1,81,470.57	**1,59,871.57**
Less: Provision for doubtful advances	0.07	0.07
	1,81,470.50	**1,59,871.50**
Others		
Contract Assets for IAC works*	-	24,765.33
Contract Assets for other works	92,482.86	51,246.30
Obsolete stock	316.79	281.41
Less: Provision for obsolesence	(316.79)	(281.41)
Balance with Revenue authorities	1,721.31	1,167.99
Miscellaneous deposits	77.34	84.34
Prepaid expenditure	1,814.40	2,526.36
Other receivables**	31.95	31.95
Input Tax Credit on GST	1,34,386.35	83,885.69
Medical Insurance Premium	2,635.97	1,984.50
Miscellaneous current assets ***	2,180.54	1,447.01
Total	**4,16,801.22**	**3,27,010.97**

*Refer Note No 32

**Other receivables represents the amount to be recovered from Committee of Creditors (CoC) for the costs incurred for maintenance of excluded ships. Said sum consisted of funds utilized from the CIRP account kept by the resolution professional as well as funds used from the company's account. The company has raised debit note for recovery of balance amount to CoC but has not yet received the payment. No Balance confirmation is available from Committee of Creditors. Misc deposits represents Earnest Money Deposit / security deposit kept in ordinary course of business.

*** The Corporate Social responsibility (CSR) expenditure is charged to the Statement of Profit & Loss in the period in which it is incurred, except to the extent the Group decides to carry forward any amount in excess of the minimum required CSR expenditure for adjustment in future years in terms of Sec 135(5) of the Companies Act 2013 read with Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Amendment Rules, 2021 and such excess amount is classified under Miscellaneous Current Assets.

In HCSL, Fund received from Inland Waterways Authority of India (IWAI) for Pandu Project-Ship Repair Facility Unit at Pandu-Guwahati, on Deposit basis has been adjusted with amount incurred on Pandu Project till 31.03.2025 of ₹10559.94 lakhs.

Note 21 : Equity Share Capital

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Authorised				
Equity shares of ₹ 5/- each	500000000	25,000.00	500000000	25,000.00
Issued, Subscribed and Fully paid up				
Equity shares of ₹ 5/- each fully paid up	263080780	13,154.04	263080780	13,154.04
Total	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

21.1 Reconciliation of number of shares and amounts outstanding

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number	₹ in lakhs	Number	₹ in lakhs
Equity Shares outstanding at the beginning of the year	263080780	13,154.04	131540390	13,154.04
Add : shares issued during the year	-	-	-	-
Less: Shares extinguished on splitting of shares (refer note below)	-	-	(131540390)	-
Add : Equity shares of ₹5/- each issued during the year on splitting (Refer note below)	-	-	263080780	-
Less : Shares bought back during the year	-	-	-	-
Equity Shares outstanding at the end of the year	**263080780**	**13,154.04**	**263080780**	**13,154.04**

Terms & Rights attached to Equity shares: The Company has only one class of equity shares having a face value of ₹5 per share which is fully paid up. Equity shareholders are eligible for one vote per share held, and are entitled to dividends as and when declared by the Company. Interim dividend is paid as and when declared by the Board. Final dividend proposed by the Board of Directors is subject to approval/regularisation by the share holders in the Annual General meeting. In the event of liquidation, the equity shareholders are eligible to receive the remaining assets of the company after distribution of all preferential amounts, in proportion to their shareholding.

Sub-division & Other information:

On 10 Jan 2024, the Company sub-divided every 1 (one) Equity Share of the nominal/face value of ₹10/- each into 2 (Two) Equity Share of the nominal/face value of ₹5/- each.

In October 2024, the Government of India sold 1,30,15,689 (4.95%) equity shares out of its 19,16,86,928 (72.86%) equity shares held in Cochin Shipyard Limited (CSL) by way of Offer for Sale (OFS) through the Stock Exchange mechanism in accordance with the applicable SEBI guidelines. Consequently, the Government of India's shareholding in Company stands at 17,86,71,239 (67.91%) equity shares as on March 31, 2025.

21.2 Details of shareholders holding more than 5% shares in the company

Particulars	As at March 31, 2025		As at March 31,2024	
	Number of Shares held	% of holding	Number of Shares held	% of holding
The President of India	178671239	67.91	191686928	72.86

21.3 Shares held by promoters at the end of the year

Promoter name	No. of Shares	%of total shares	% Change during the year
The President of India	178671239	67.91	4.95

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 22 : Other Equity

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Capital Reserves	7,024.25	7,024.25
Capital Redemption Reserve	12,353.76	12,353.76
Securities Premium	93,151.89	93,151.90
General Reserve	6,322.75	6,322.75
Cash flow Hedge Reserve	45.63	(593.75)
Retained Earnings	4,25,873.71	3,68,920.72
Total	**5,44,771.99**	**4,87,179.63**

Movement of each item in Other Equity is detailed in Statement of Changes in Equity.

Capital Reserve : Capital reserve includes ₹263.56 lakhs being restoration charges received from M/s Indian Oil Corporation Ltd for laying pipe line through the Group's land. It also includes gain on acquisition of subsidiary M/s Udupi Cochin Shipyard Ltd (Formerly Tebma Shipyards Ltd) ₹6696.04 lakhs and acquisition of Non controlling interest of subsidiary M/s Hooghly Cochin Shipyard Ltd ₹64.65 lakhs.

Capital Redemption Reserve : Capital Redemption Reserve of ₹ 12353.76 lakhs includes ₹ 11914.20 lakhs being reserves created on redemption of preference shares and ₹ 439.56 lakhs being a sum equal to the nominal value of the shares bought back, which will be utilised for the purpose defined under the Companies Act 2013.

Securities Premium : Premium on tax free bonds is amortised on straight line basis over the period of bonds. The company had completed the Initial Public Offer (IPO) during 2017-18 and had allotted 22656000 equity shares of ₹10 each at premium (₹93929.76 lakhs). Expenses incurred net of deferred tax adjustment towards such allotment of shares amounting ₹777.93 lakhs has been debited in Securities Premium in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard (Ind AS) 32- Financial Instruments.

General Reserve : General reserve is primarily created to comply with the requirements of section 123(1) of the Companies Act, 2013. This is a free reserve and can be utilised for any general purpose like issue of bonus shares, payment of dividend, buy back of shares etc. The Group created a General reserve in earlier years pursuant to the provisions of the Companies Act,1956 where in certain percentage of profits were required to be transferred to General reserve before declaring dividends. As per the Companies Act 2013, the requirements to transfer profits to General reserve is not mandatory.

Cash flow Hedge Reserve : Cash flow hedge reserve represents the effective portion of change in the fair value of designated hedging instruments recognised in the Other Comprehensive Income. (Refer Note No. 47)

Interim dividend : During the year, the Company paid interim dividends of ₹4.00 per equity share of face value of ₹5 and ₹3.5 per equity share of face value of ₹5, as recommended at the board meetings held on November 7, 2024 and February 06, 2025 respectively.

Proposed dividend : The Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of ₹2.25 per equity share of face value of ₹5 for the financial year ended March 31, 2025 at the Board meeting held on May 15, 2025. This is subject to approval/ regularisation by the share holders in the Annual General meeting.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 23 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Bonds - Secured	-	
At amortised cost		
Tax Free Redeemable Non Convertible Bonds -Series 2013-14	2,302.20	2,302.20
Total	**2,302.20**	**2,302.20**

Tax Free Infrastructure Bond Series 2013-14

a) Tranche 1: 1000 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹10000 lakhs with interest rate of 8.51% payable annually , redeemable at par, redeemed on 02nd December 2023.

b) Tranche 2: 230 bonds of face value of ₹10 lakhs totalling ₹ 2300 lakhs with interest rate of 8.72% payable annually, redeemable at par, due for redemption on 28th March 2029.

These bonds are secured against the landed properties of the Group admeasuring 197.12 ares (487.00 cents) made up of 34.30 ares in Sy No. 713/11, 23.57 ares in Sy No. 713/12, 59.12 ares in Sy No. 713/13, 50.18 ares in Sy No. 714/06, 10.12 ares in Sy No. 714/2, 8.90 ares in Sy No. 714/4 and 10.93 ares in Sy No. 714/5 of land all are lying contiguously in Elamkulam village, Kanayannur taluk, Ernakulam Dist, Kerala.

Utilisation : Out of the issue proceeds of ₹12300 lakhs received, the Group has fully utilised/adjusted funds towards various expenditure incurred on International Ship Repair Facility (ISRF) project.

Difference between carrying amounts and fair values of financial liabilities of borrowings is not significant in each of the year presented.

Note 24: Lease Liabilities-Non current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lease Liabilities under Ind AS 116	46,013.72	44,925.88
Total	**46,013.72**	**44,925.88**

Note 25 : Other Financial liabilities - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Security deposit	19.99	18.27
Total	**19.99**	**18.27**

Rent Deposit received against vessel given on operating lease disclosed at amortised cost as per Ind AS 109 - Financial Instruments.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 26: Provisions - Non Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Provision for employee benefits - Compensated absences (Refer Note No 39)	5,124.67	4,302.61
Provision for employee benefits - Gratuity	204.65	186.32
Total	**5,329.32**	**4,488.93**

Note 27: Other non current liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Deferred Income arising from Government Assistance	5.72	6.87
Advance lease rental	2.36	4.13
Total	**8.08**	**11.00**

Note 28 : Borrowings

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Secured		
Loan from banks repayable on demand	4,599.11	-
Total	**4,599.11**	**-**

UCSL has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹7500 Lakhs) from Union Bank of India and SBI at the interest rate 9.05% & 9.20% / annum respectively. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of UCSL. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.Cash credit facility availed as on 31.03.2025 by UCSL is ₹4344.04 lakhs.

HCSL has availed Cash Credit facility (Sanction limit of ₹8000 Lakhs) from SBI at the interest rate 8.90% / annum. Credit facility is secured by hypothecation of current assets including inventory and receivables of HCSL. Terms of Repayment: Running account repayable on demand subject to annual review/ renewal.

Cash credit facility availed as on 31.03.2025 by HCSL is ₹255.07 lakhs.

Note 29 : Lease liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Lease Liabilities under Ind AS 116	3,125.68	2,991.88
Total	**3,125.68**	**2,991.88**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 30 : Trade Payables

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Trade payables (Unsecured)		
Outstanding dues of Micro enterprises and Small enterprises	10,461.36	8,879.21
Outstanding dues of creditors other than Micro enterprises and Small enterprises	39,676.98	37,632.80
Total	**50,138.34**	**46,512.01**

Fund received from Inland Waterways Authority of India (IWAI) for Pandu Project-Ship Repair Facility Unit at Pandu-Guwahati, on Deposit basis has been adjusted with amount incurred on Pandu Project till 31.03.2025 of ₹10559.94 lakhs.

To the extent, the Company has received intimation from the vendors regarding their status under the Micro,Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the details of trade payables are provided as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Amount remaining unpaid to supplier at the end of each accounting year;		
Principal	10,461.36	8,879.21
Interest on above Principal	-	-
The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006 (27 of 2006), along with the amount of the payment made to supplier beyond the appointed day during each accounting year;		
The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which has been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-
The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year	-	-
The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date when the interest dues above are actually paid to the small enterprise, for the purpose of disallowance of a deductible expenditure under section 23 of the Micro, Small, and Medium Enterprises Development Act,2006;	-	-

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	10,461.36	-	-	-	-	10,461.36
(ii) Others	34,669.24	4,934.11	73.63	-	-	39,676.98
(iii) Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others	-	-	-	-	-	-
Unbilled Creditors						-
Total	**45,130.60**	**4,934.11**	**73.63**	**-**	**-**	**50,138.34**

Trade Payables ageing schedule as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
		Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
(i) MSME	8,787.28	91.93				8,879.21
(ii) Others	33,626.83	3,979.19	17.03		9.75	37,632.80
(iii) Disputed dues – MSME		-	-	-	-	-
(iv) Disputed dues – Others		-	-	-	-	-
Total	**42,414.11**	**4,071.12**	**17.03**	**-**	**9.75**	**46,512.01**

Note 31 : Other Financial Liabilities - Current

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Unpaid Dividend	191.87	142.43
Foreign Exchange Derivatives Liabilities	3,808.64	2,388.81
Others		
Security and other deposits	4,605.30	2,422.86
Profit share payable to lessor	834.50	202.13
Others Payables	13,747.29	13,099.37
Total	**23,187.60**	**18,255.60**

Other payables includes ₹1253.84 lakhs (PY ₹1253.84 Lakhs) payable to Committee of Creditors i.e; Subsidy received from Ministry under Ship Building Subsidy Scheme. No Balance confirmation is available from Committee of Creditors.

Note 32 : Other Current Liabilities

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract Liability for Indigenous Aircraft Carrier works (Net)*	32,746.10	-
IAC Trade payables**	8,184.24	11,184.64
Contract Liability for other works	4,72,382.06	4,96,202.62
Advances for ship building , ship repair and other contracts	21,637.22	9,609.09
Income received in advance	3,451.97	1,259.55
Statutory dues	3,149.24	2,725.75
Deferred Income arising from Government Assistance	1.14	1.14
Total	**5,41,551.97**	**5,20,982.79**

*The company has incurred ₹40690.02 Lakhs till 31 March 2025 (₹ 40,057.28 Lakhs till 31st March 2024) towards augmentation of infrastructure facility out of funds received from Indian Navy. The ownership of the assets created out of the said funds vests with Indian Navy.

Stock of raw materials and bought out components procured under "Cost Plus" part of the IAC contract amounting to ₹ 4956.42 lakhs (previous year ₹ 5601.25 lakhs) held on behalf of Indian Navy lying with the Company is adjusted against Advances from Indian Navy for Indigenous Aircraft Carrier.

During the Financial Year 2022-23, the Company has handed over the Indigenous Aircraft Carrier (IAC P-71) to Indian Navy in accordance with the contract for the construction of IAC P-71. The Company has raised Invoice for ₹ 1915000 Lakhs on achievement of the delivery milestone of the contract. The balance scope of work will be completed subsequently as per the construction contract.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The company has recognised revenue to the extent of ₹ 18,99,557.25 Lakhs as on 31.03.2025 against the IAC project P-71 and the balance revenue would be recognised as and when the performance obligations are achieved in accordance with the construction contract of IAC P-71. The details of revenue recognised so far on the project are as follows:

Description	FY 2024-25 ₹ in Lakhs	FY 2023-24 ₹ in Lakhs
Revenue Recognised as at beginning of the year	18,61,114.01	17,40,844.14
Revenue recognised during the year	38,443.24	1,20,269.87
Total revenue recognised on IAC P-71 as at year end	18,99,557.25	18,61,114.01

Refer Note No 45 on Ind AS 115 "Revenue from Contract with Customers".

**IAC Trade Payables include ₹1351.93 lakhs (previous year -₹2072.12 lakhs) payable to MSME vendors which are not due as on 31 March 2025.

Note 33 : Provisions - Current

(₹ in Lakhs)

Description	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
Provision for Employee benefits		
Gratuity	808.19	459.97
Compensated absences (Refer Note No 39)	452.36	363.42
	1,260.55	**823.39**
Other Provisions		
For Taxes and duties	2,682.22	2,672.32
For Shipbuilding loss	17,119.00	6,363.00
For Expenditure / contingencies	81,583.91	53,020.97
	1,01,385.13	**62,056.29**
Total	**1,02,645.68**	**62,879.68**

Provision for Expenses / Contingencies

In order to meet the contingent expenditure to operationalise the facility as per the resolution plan, a provision for contingency of ₹1250 lakhs has been provided in books of UCSL as on 31/3/2020. During the year, UCSL has adjusted an amount of ₹ Nil (PY ₹156.64 lakhs) and the balance has been reviewed and retained.

33.1 Details of movement of provisions

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2024	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2025
Provision for employee benefits- Gratuity	459.97	808.04	399.76	60.06	808.19
Compensated absences	363.42	88.94	-	-	452.36
Provision for taxes and duties	2,672.32	9.90	-	-	2,682.22
Provision for shipbuilding loss	6,363.00	11,297.00	-	541.00	17,119.00
Provision for expenditure / contingencies	53,020.97	1,26,069.08	94,858.37	2,647.77	81,583.91

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 01.04.2023	Provision made during the period	Amounts used during the period	Unused amounts reversed during the period	As at 31.03.2024
Provision for employee benefits- Gratuity	530.54	607.54	501.50	176.61	459.97
Compensated absences	275.69	87.86	0.13	-	363.42
Provision for taxes and duties	2,668.99	3.33	-	-	2,672.32
Provision for shipbuilding loss	5,465.00	2,014.00	-	1,116.00	6,363.00
Provision for expenditure / contingencies	30,066.72	2,14,143.06	1,89,780.27	1,408.54	53,020.97

Note 34 : Revenue from operations

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Sale of products		
Ship building:		
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24	1,20,271.77
Vessels other than IAC	2,37,177.93	1,55,460.79
Income from Csas	1,143.03	686.90
Income from B&D spares	3,553.98	-
	2,80,318.18	**2,76,419.46**
Sale of services		
Ship repairs	1,83,455.74	98,681.23
Income from services	168.10	
	1,83,623.84	**98,681.23**
Other operating revenue		
Sale of stock items	337.01	123.43
Ship Building Financial Assistance	13,854.70	5,302.36
Sale of scrap	1,219.66	943.00
Consultancy Income	1,027.15	-
Management fee	1,615.34	1,575.94
	18,053.86	**7,944.73**
Total	**4,81,995.88**	**3,83,045.42**

1. Revenue is recognized when the company satisfies performance obligations by transferring promised goods and services to the customer over a period of time using output method based on measurement of physical performance completed to date. Output method faithfully depicts the Company's performance towards complete satisfaction of the performance obligation and gives a clear picture of Company's efforts and hence the same is being adopted to depict the performance completed to date.
2. Refer Note No 45 on Ind AS 115 'Revenue from Contract with Customers'.
3. Out of the Revenue from Operations, ₹72,826.99 lakhs (₹26135.62 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.
4. The Group has considered the lock down period due to COVID 19 & GoI circular dated May 13, 2020, which ever is applicable to the projects and Kerala Flood natural calamity 2018 as Force Majeure period for computation of Liquidated Damages while calculating Revenue from operations.
5. The Company is executing shipbuilding contracts with the Andaman & Nicobar (A&N) Administration for the construction of two 1200-passenger vessels (yard nos. SH.0023 and SH.0024). The contractual delivery dates, as extended, have expired for both vessels as on 29 April 2023 for vessel SH.0023, and 30 October 2023 for vessel SH.0024.

   The two vessels are customized and designed for specific operations between Andaman Islands and Main Land. Subsequently based on a request from the A&N Administration, the Company has abated delivery activity, as the Administration has sought reallocation of the vessels to other prospective buyers. However, such reallocation would necessitate significant technical modifications and cost, and the vessels, in their current state, are considered to have no alternative use.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Given that the Company continues to have a valid and enforceable contract with the A&N Administration, and there is no current mutual termination or novation of the contract, no additional provision for LD has been recognized beyond 29 April 2023 and 30 October 2023, respectively, for SH.0023 and SH.0024 for reason of abated delivery at the request of the buyer. In accordance with the terms of the contract and based on prudent estimates, the Company has recognized provision for liquidated damages (LD) up to the aforementioned dates.

The Company continues to monitor developments related to this contract and will review its accounting estimates and provisioning requirements in subsequent periods as more information becomes available.

The cumulative percentage of completion for the two vessels as on 31.03.2025 is 54.84 percent for SH.0023 and 55.19 percent for SH.0024. The total liquidated damages for SH.0023 is ₹ 11814.08 lakhs and for SH.0024 is ₹ 9756.34 lakhs up to the financial year 2024-25. The Company has recognized revenue to the tune of ₹ 16943.66 lakhs towards SH.0023 and ₹ 17156.89 lakhs towards SH.0024 upto 31.03.2025 after considering the liquidated damages.

6. The Government of India provides Ship Building Financial Assistance (SBFA) to promote domestic shipbuilding. This scheme is aimed at compensating the cost incurred in the construction of vessels and not for any operational losses. In accordance with the SBFA policy guidelines, financial assistance is available only for vessels that are constructed and delivered within the stipulated period and are covered under an in-principle approval obtained from the Directorate General of Shipping. The Company recognizes SBFA income over the construction period of the eligible vessels, in proportion to the cost incurred, provided the conditions under the policy are met or are reasonably expected to be met.

   Where there is uncertainty regarding compliance with any of the policy conditions, such as delays in construction or delivery timelines resulting in non-fulfilment of eligibility criteria, the Company either does not recognize the SBFA income or derecognizes the income previously recognized, as appropriate. Such contingencies are assessed regularly, and necessary accounting adjustments are made to reflect the revised expectations.

   During the current financial year based on the amendment by MoPSW granting additional time for delivery of vessels affected by the Covid pandemic, the Company has re-recognised the financial assistance amounting to ₹822.29 Lakhs in respect of delivered vessels as income for the current year. Out of claim made to the Government of the re-recognised of ₹ 822.29 lakhs, the Company has realized ₹404.03 Lakhs and the balance amount of ₹ 418.26 lakhs is yet to be realised.

   With regard to delivered/vessels under construction, the Company has recognized financial assistance income of ₹13922.42 lakhs towards Ship Building Financial Assistance from Govt. of India, in order to compensate the cost incurred by the company in building the vessels. Further, the Company has reversed ₹ 890.01 lakhs due to revision in expected delivery dates of the vessels which resulted in non-fulfilment of the stipulated conditions under the SBFA policy. As on the reporting date, the cumulative income accrued amounting to ₹ 16921.79 lakhs account of financial assistance is subject to the fulfilment of conditions stipulated in the Guidelines for Shipbuilding Financial Assistance Policy (SBFAP), as amended from time to time.

7. Cochin Shipyard Ltd (CSL) has entered into an Agreement with the Andaman and Nicobar Administration to commence its operations at Marine Dockyard, at Port Blair, a facility that is currently being operated directly by the A&N Administration. Management fee on pro rata basis is accounted based on this agreement. In addition to Management fee, Consultancy fee for technical assistance in preparation of DPR relating to Augmentation & Modernisation plan for Marine Dockyard is also accounted as per the agreement with A&N Administration. Under the ambit of this Agreement signed on 28 Nov 2019, CSL shall assist the Administration to set up a Ship repair ecosystem at A&N islands. CSL shall also focus efforts towards Skill Development in the Islands in consultation with the Administration and Technical Institutions located in the Islands.

8. HCSL has recognised Revenue for PANDU Ship Repair Facility (Agency Fees) on the basis of % of Cost completion method in the FY 2024-25.

9. Disclosure pursuant to CAG audit observation

   The Group reassesses the measurement progress of its performance obligation under the output method as mandated by Ind AS 115 at every reporting date. During the year, the group noticed that on application of Ind AS 21, the existing measurement resulted in variations in faithful representation of revenue in the case of export contracts denominated in foreign currency. In order to address the same, the group refined its quantification approach for the said contracts. Revenue is recognised by applying the physical completion percentage on the total transaction price, which the group is entitled to, without bifurcating between material and service portions. The effect of change in the quantification measure in the current year has resulted in increase in revenue from operations of about Rs. 11808.65 lakhs. The group intends to consistently adopt this measurement technique in recognising revenue for contracts involving similar performance obligations.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 35: Other Income

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Training facilities	663.79	501.57
Income from sale of scrap and stores	519.57	147.94
Profit on sale of Property, Plant & Equipment	23.90	13.25
Income from laboratory services	15.53	23.00
Rental income	241.85	253.30
Hire charges	90.00	60.00
Interest on bank deposits	19,258.45	23,220.58
Interest from others	522.72	834.13
Dividend Income from Mutual funds	72.78	7.49
Dividend income from Society	0.54	0.54
Net gain on foreign currency transactions	1,405.58	2,004.65
Provision no longer required	14,054.34	2,426.41
Miscellaneous income*	2,037.45	1,525.23
Total	**38,906.50**	**31,018.09**

*Miscellaneous income includes ₹ 1.14 lakhs being deferred government assistance in the form of subsidy relating to installation of Solar Power plant inside the yard. The same has been accounted as per the requirements of Ind AS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance.

The Group is not accounting the Interest amount uploaded in Form 26AS on those deposits which are not taken as fixed deposits in the books of UCSL due to lien marked before NCLT order.

Other Interest received includes ₹283.76 lakhs received from Chidambaram Port Trust against Court Order.

Note 36: Cost of Materials Consumed

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Raw Materials		
Steel	17,019.77	14,704.73
Pipe	2,054.30	1,556.61
Paint	3,008.08	2,300.28
Bought out components	1,91,321.93	1,54,883.16
Total	**2,13,404.08**	**1,73,444.78**

Note 37: Changes in Inventories of Work-in-Progress

(Other than those which are recognised as income on percentage / proportionate completion method)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Work -in-progress at cost:		
At the beginning of the year	428.65	496.05
Less: at the end of the year	(961.50)	(428.65)
Total	**(532.85)**	**67.40**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Group is constructing two 60-ton green tug hulls as part of Green Tug Transition Programme (GTTP), a significant initiative introduced by the Government of India focusing on the reduction of carbon emissions in the maritime sector & Small fishing vessels – on a 'productised mode' as ready-to-buy vessels for Indian Fishing Community.

Note 38: Sub Contract and Direct Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Sub contract and off loaded jobs	55,118.41	36,446.04
Hull insurance	2,615.62	835.21
Design Expenses	6,955.85	8,844.36
Operating expenses	23,238.54	9,750.81
Total	**87,928.42**	**55,876.42**

Note 39: Employee Benefits Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Salaries, wages, bonus/exgratia and allowances	35,418.24	32,349.42
Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund	2,405.58	1,719.37
Gratuity	515.25	384.07
Staff welfare expenses	4,303.09	4,539.86
	42,642.16	**38,992.72**
Less:Expenditure during construction	(205.27)	(364.32)
Total	**42,436.89**	**38,628.40**

Contribution to Provident Fund and Family Pension Fund includes provident fund inspection and administration charges ₹ 30.34 lakhs (previous year ₹ 28.41 lakhs)

Salaries, Wages, bonus/exgratia and allowances includes provision for encashment of half pay compensated absences for workmen amounting to ₹ 129.34 lakhs (previous year ₹ 90.00 lakhs)

The employee benefits accruing to the employees on deputation from Cochin Port Trust and Mumbai Port Trust are being accounted based on demands received from Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust as per tripartite agreement between the Holding Company, Cochin Port Trust & Mumbai Port Trust and the recognised Trade unions of the Port and not based on actuarial valuation except for gratuity which is actuarially valued.

Post-employment obligations

Provident fund

Provident Fund for eligible employees is managed by the Company through a trust in line with the Provident Fund and Miscellaneous Provision Act,1952. The plan guarantees interest at the rate notified by the Provident Fund Authorities. The contribution by the employees and employer @12% of basic salary (including Dearness Allowance) together with the interest accumulated thereon are payable to employees at the time of separation from the Company or retirement whichever is earlier.

The benefits vests immediately on rendering of the services by the employee. The contribution is charged to Statement of Profit and Loss of the year when the contributions to the respective funds are due in accordance with relevant statute. Employer's contribution to Provident Fund & Pension fund is ₹2076.29 Lakhs for the year 2024-25 (₹1693.55 Lakhs for the year 2023-24). The minimum interest rate payable by the trust to the beneficiaries every year is notified by the Government. The Company has an obligation to

make good the shortfall, if any, between the return from the investments of the trust (including investment risk fall) and the notified interest rate, which is determined on the basis of actuarial valuation.

The Company has obtained report on the determination and disclosure of interest rate Guarantee, valuation of Assets & Liabilities as per Ind AS 19 of Employees Benefits relating to Exempt Provident Fund for the period ended 31st March 2025.

The details of fund obligations as per actuarial valuation are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	2024-25	2023-24
Fair value of plan assets	24,747.34	23,514.49
Present value of benefit obligation at year end	24,781.17	23,581.18
Net liability / (Net asset)	33.83	66.69
Additional provision	Nil	Nil

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Discount Rate (p.a)	6.78%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate- Half Pay Leave	0.70%	0.70%
Attrition Rate- Earned Leave	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%	Officers &Supervisors 0.7% Workers 0.7%
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	9.20	9.30

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Service Cost:		
Current Service Cost	270.62	245.58
Net Interest expense	303.84	283.51
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	815.00	453.72
Expenses recognised in the statement of profit and loss	**1,389.46**	**982.81**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,480.86	4,626.82
Fair Value of Plan Assets at the end of the year	-	-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**5,480.86**	**4,626.82**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Current Component of PVO	446.66	350.06
Non-Current Component of PVO	5,034.20	4,276.76
TOTAL PVO	**5,480.86**	**4,626.82**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,626.82	4,198.71
Current & Past Service Cost	270.62	245.58
Current Interest Cost	303.84	283.51
Actuarial (Gain)/ Loss	815.00	453.72
Benefits paid	(535.42)	(554.70)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,480.86**	**4,626.82**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	535.42	554.70
Benefits paid	(535.42)	(554.70)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	140.34	87.59
Year 2	286.62	249.14
Year 3	177.73	177.05
Year 4	137.19	157.34
Year 5	147.08	120.14
Next 5 Years	799.80	708.03

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	140.34	87.59
Year 2	286.62	249.14
Year 3	177.73	177.05
Year 4	137.19	157.34
Year 5	147.08	120.14
Next 5 Years	799.80	708.03

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Half Pay Leave	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,609.86	3,889.26
Current Service Cost	193.41	168.06
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,016.23	4,234.29
Current Service Cost	212.98	185.38
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,023.15	4,240.52
Current Service Cost	213.32	185.70
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,601.99	3,882.28
Current Service Cost	193.03	167.72

BP denotes "Basis Points"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,609.86	3,889.26
Current Service Cost	193.41	168.06
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,016.23	4,234.29
Current Service Cost	212.98	185.38
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,023.15	4,240.52
Current Service Cost	213.32	185.70
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	4,601.99	3,882.28
Current Service Cost	193.03	167.72

BP denotes "Basis Points"

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows (Head office):	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Discount Rate (p.a)	6.78%	6.97%
Rate of increase in compensation levels	Officers &Supervisors 3% Workers 3%	Officers &Supervisors 3% Workers 3%
Attrition Rate	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%	Officers &Supervisors 0.70% Workers 0.70%
Expected Rate of Return on Plan Asset	6.78%	6.97%

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	11.30	11.20

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:- (in Lakhs)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Service Cost:		
Current Service Cost	423.10	295.69
Past Service Cost		-
Net Interest expense	13.93	18.13
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**437.03**	**313.82**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	337.96	308.76
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	(46.72)	(222.81)
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**291.24**	**85.95**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	5,529.24	4,799.46
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	4,800.96	4,399.69
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	728.28	399.77

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	4,799.46	4,319.66
Current Service Cost	423.10	295.69
Current Interest Cost	322.20	297.07
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	337.96	308.76
Benefits paid	(353.48)	(421.72)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**5,529.24**	**4,799.46**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	4,399.68	3,818.15
Expected Return on Plan Assets	308.27	278.94
Actuarial Gain/(Loss)	46.72	222.81
Contributions from the employer	399.77	501.50
Benefits paid	(353.48)	(421.71)
Fair Value of the Assets at the end of the year	**4,800.96**	**4,399.69**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	286.14	143.68
Year 2	665.64	629.58
Year 3	384.19	450.06
Year 4	321.02	352.83
Year 5	266.76	287.11
Next 5 Years	1,583.72	1,347.44

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
A. Discount Rate + 50 BP	7.28%	7.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,251.13	4,560.01
Current Service Cost	345.63	314.70
B. Discount Rate - 50 BP	6.28%	6.47%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,830.27	5,058.74
Current Service Cost	397.00	361.87
C. Salary Escalation Rate + 50 BP	3.50%	3.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,779.52	5,019.28
Current Service Cost	390.11	354.30
D. Salary Escalation Rate - 50 BP	2.50%	2.50%
Defined Benefit Obligation [PVO]	5,288.36	4,582.95
Current Service Cost	353.54	323.51

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Government of India Securities	28.95%	39.59%
State Government Securities	25.24%	24.56%
High Quality Corporate Bonds	0.00%	0.00%
Equity shares of listed companies	31.49%	28.37%
Property	0.00%	0.00%
Special Deposit Scheme	0.00%	0.00%
Funds managed by Insurer	0.32%	0.31%
Others	14.00%	7.17%
Total	**100.00%**	**100.00%**

The plan assets are managed by the Gratuity Trust formed by the Company.

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation of International Ship Repair Facility (ISRF) and CSL Mumbai Ship Repair Unit (CMSRU) were as follows:	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Discount Rate (p.a)-ISRF	6.40%	7.10%
Discount Rate (p.a)-CMSRU	6.40%	7.10%
Rate of increase in compensation levels	3.00%	3.00%
Attrition Rate	2.00%	2.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	0.00%	0.00%

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Service Cost:		
Current Service Cost	25.24	23.18
Past Service Cost		-
Net Interest expense	16.55	15.66
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**41.79**	**38.84**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	0.35	(20.20)
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss		
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**0.35**	**(20.20)**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	275.42	233.26
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year		-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**275.42**	**233.26**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	233.26	214.62
Current Service Cost	25.25	23.18
Current Interest Cost	16.56	15.66
Past Service Cost		
Actuarial (Gain)/ Loss	0.35	(20.20)
Benefits paid		
Defined Benefit Obligation at end of the year	**275.42**	**233.26**

ISRF & CMSRU gratuity is self managed by the Company.

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2024	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	NA	NA
Year 2	NA	NA
Year 3	NA	NA
Year 4	NA	NA
Year 5	NA	NA
Next 5 Years	NA	NA

"NA " denoted " Not Available"

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	63.01	8.03
Year 2	46.94	6.20
Year 3	25.86	3.15
Year 4	10.25	-
Year 5	5.99	-
Next 5 Years	95.80	10.15

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2024	
Year	ISRF	CMSRU
Year 1	46.67	5.53
Year 2	28.57	-
Year 3	39.88	4.06
Year 4	18.71	2.14
Year 5	2.99	-
Next 5 Years	78.26	6.41

Sensitivity Analysis as on 31.03.2025

(₹ in lakhs)

Year	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	7.40%	7.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	239.07	26.73
Variation	(3.55%)	(2.96%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.40%	5.40%
Defined Benefit Obligation [PVO]	257.45	28.42
Variation	3.86%	3.18%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	256.44	28.30
Variation	3.45%	2.76%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	239.88	26.82
Variation	(3.23%)	(2.60%)

BP denotes "Basis Points"

Sensitivity Analysis as on 31.03.2024

(₹ in lakhs)

Particulars	ISRF	CMSRU
A. Discount Rate + 100 BP	8.10%	8.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	207.27	17.54
Variation	(3.64%)	(3.36%)
B. Discount Rate - 100 BP	6.10%	6.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	223.62	18.81
Variation	3.96%	3.63%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	222.80	18.74
Variation	3.58%	3.24%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	2.00%	2.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	207.91	17.60
Variation	(3.34%)	(3.05%)

BP denotes "Basis Points"

Employee Benfit Plans of UCSL (subsidiary)

Other Benefit Plan - Compensated absences

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Discount Rate (p.a)	6.60%	7.20%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Attrition Rate- Half Pay Leave		
Attrition Rate- Earned Leave		-
Average Duration of Defined Benefit Obligation (In years)	16.37	16.37

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Service Cost:		
Current Service Cost	4.83	1.86
Net Interest expense	1.95	0.34
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	52.33	21.54
Acturial (Gain)/Loss recognised during the period	59.11	23.74

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	84.89	28.31
Fair Value of Plan Assets at the end of the year		-
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**84.89**	**28.31**

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Current Component of PVO	5.44	2.46
Non-Current Component of PVO	79.45	25.85
TOTAL PVO	**84.89**	**28.31**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	28.31	4.70
Current & Past Service Cost	4.83	1.86
Current Interest Cost	1.95	0.34
Actuarial (Gain)/ Loss	52.33	21.54
Benefits paid	(2.53)	(0.13)
Defined Benefit Obligation at end of the year	**84.89**	**28.31**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Type of Employee Benefit	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	-	-
Expected Return on Plan Assets	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	-	-
Contributions from the employer	-	-
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	**-**	**-**

Expected Contributions in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	4.36	2.09
Year 2		0.34
Year 3	1.67	-
Year 4	2.57	0.31
Year 5	2.36	0.48
Next 5 Years	73.93	25.09

"NA " denoted " Not Available"

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis - Earned Leave	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
A. Discount Rate + 100 BP	7.60%	8.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	77.46	25.72
Variation	(8.75%)	(9.15%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.60%	6.20%
Defined Benefit Obligation [PVO]	93.55	31.36
Variation	10.20%	10.76%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	93.16	31.25
Variation	9.74%	10.37%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	77.66	25.77
Variation	(8.52%)	(8.97%)

BP denotes "Basis Points"

Defined Benefit Plan-Gratuity

The principal assumptions used for the purpose of actuarial valuation were as follows:	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Discount Rate (p.a)	6.60%	7.10%
Rate of increase in compensation levels	5.00%	5.00%
Expected Rate of Return on Plan Asset	7.60%	7.00%

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Average Duration of Defined Benefit Obligations (In years)	12.78	12.74

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Amount recognised in the Statement of Profit and Loss/Other comprehensive income in respect of defined benefit plans are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Service Cost:		
Current Service Cost	25.59	22.44
Past Service Cost	-	-
Net Interest expense	(0.04)	1.44
Components of defined benefit costs recognised in statement of profit and loss	**25.55**	**23.88**
Remeasurement of the net defined benefit liability:		
Actuarial (Gain)/Loss on Plan Obligations	(2.20)	3.82
Difference between Actual Return and Interest income on Plan assets (gain)/loss	-	-
Components of defined benefit costs recognised in Other Comprehensive Income	**(2.20)**	**3.82**

The amount included in the Balance Sheet arising from the entity's obligation in respect of its defined benefit plan is as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Present Value of Defined Benefit Obligation at end of the year	75.26	47.58
Less: Fair Value of Plan Assets at the end of the year	119.96	48.13
Net Liabilities /(Assets) recognized in the Balance Sheet	**(44.70)**	**(0.55)**

Movements in present value of the defined benefit obligation are as follows:-

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Defined Benefit Obligation at beginning of the year	47.58	19.79
Current Service Cost	25.59	22.44
Current Interest Cost	3.38	1.44
Past Service Cost	-	-
Actuarial (Gain)/ Loss	(1.28)	3.91
Benefits paid	-	-
Defined Benefit Obligation at end of the year	**75.26**	**47.58**

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Fair Value of Plan Assets at the beginning of the year	48.13	-
Expected Return on Plan Assets	3.42	-
Actuarial Gain/(Loss)	0.92	0.09
Contributions from the employer	67.49	48.04
Benefits paid	-	-
Fair Value of the Assets at the end of the year	**119.96**	**48.13**

Expected Benefit Payments in Following Years [mid-year cash flows]

(₹ in lakhs)

Year	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Year 1	7.75	1.78
Year 2	2.12	3.27
Year 3	5.84	1.21
Year 4	4.89	4.16
Year 5	3.84	3.00
Next 5 Years	50.82	34.16

(₹ in lakhs)

Sensitivity Analysis	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
A. Discount Rate + 100 BP	7.60%	8.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	68.00	42.79
Variation	(9.66%)	(10.07%)
B. Discount Rate - 100 BP	5.60%	6.10%
Defined Benefit Obligation [PVO]	83.88	53.26
Variation	11.44%	11.94%
C. Salary Escalation Rate + 100 BP	6.00%	6.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	83.54	53.07
Variation	10.98%	11.55%
D. Salary Escalation Rate - 100 BP	4.00%	4.00%
Defined Benefit Obligation [PVO]	68.15	42.86
Variation	(9.45%)	(9.91%)

BP denotes "Basis Points"

MAJOR CATEGORIES OF PLAN ASSETS (AS PERCENTAGE OF TOTAL PLAN ASSETS)	For the year ended Mar 31, 2025	For the year ended Mar 31, 2024
Government of India Securities	NA	NA
State Government Securities	NA	NA
High Quality Corporate Bonds	NA	NA
Equity shares of listed companies	NA	NA
Property	NA	NA
Special Deposit Scheme	NA	NA
Funds managed by Insurer	NA	NA
Others (Life Insurance Corporation of India)	100%	100%
Total	**100%**	**100%**

The plan assets are managed through Group Gratuity Scheme of Life Insurance Corporation of India.

Employee Benfit Plans of HCSL (Subsidiary)

Defined Benefit Plans/Long Term Compensated Absences

Description of Plans:

The Company has not taken any funded plan for gratuity of its employees. The present value of obligation is determined in accordance with the advice of independent, Professionally qualified actuaries using the projected unit credit method, which is recognised in each period of service as giving rise to additional unit of employee benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The net Defined Benefit cost is recognised by the company in the Financial Statements.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Risk:

The Defined Benefit Plans expose the Company to interest rate risk, salary cost inflation risk and Demographic risk.

Interest Rate Risk: The present value of Defined Benefit Plans liability is determined using the discount rate based on the market yields prevailing at the end of reporting period on Government bonds. A decrease in yields will increase the fund liabilities and vice-versa.

Salary Cost Inflation Risk: The present value of the Defined Benefit Plan liability is calculated with reference to the future salaries of participants under the Plan. Increase in salary might lead to higher liabilities.

Demographic risk : This is the risk of variability of results due to unsystematic nature of decrements that include mortality, withdrawal, disability and retirement. The effect of these decrements on the defined benefit obligation is not straight forward and depends upon the combination of salary increase, discount rate and vesting criteria. It is important not to overstate withdrawals because in the financial analysis the retirement benefit of a short career employee typically costs less per year as compared to a long service employee.

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended Mar 31, 2025		For the year ended Mar 31, 2024	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
I	**Components of Employer Expense**				
	Recognised in the Statement of Profit and Loss:				
1	Current Service Cost	5.92	4.87	4.81	3.42
2	Past Service Cost	-	-	-	-
3	Net Interest Cost	0.69	0.20	0.63	0.59
4	Actuarial gains/(losses)		11.25	-	(0.48)
5	**Total expense recognised in the Statement of Profit and Loss**	**6.61**	**16.32**	**5.44**	**3.54**
	Re-measurements recognised in Other Comprehensive Income				
6	Return on plan assets (greater)/less than discount rate	-	-	-	-
7	Effect of changes in assumptions	0.16	-	0.55	-
8	Effect of experience adjustments	(4.08)	-	(1.39)	-
9	**Total re-measurements included in Other Comprehensive Income**	**(3.91)**	**-**	**(0.84)**	**-**
10	**Total defined benefit cost recognised in the Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income (5+9)**	**2.69**	**16.32**	**4.60**	**3.54**

The current service cost, past service cost and net interest cost for the year pertaining to Gratuity expenses have been recognised in "Contribution to Provident and other funds" and Leave Encashment in "Employee Salaries & Allowances" under Note 39. The remeasurements of the net defined benefit liability are included in Other Comprehensive Income.

(₹ in lakhs)

Particulars		For the year ended Mar 31, 2025		For the year ended Mar 31, 2024	
		Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
II	**Net Liability/(Asset) recognised in Balance Sheet**				
	Present Value of Defined Benefit Obligation	9.14	11.28	13.25	10.90
	Fair Value of Plan Assets	-	-	-	-
	Net liability:				
	- Non-Current	9.07	11.02	13.11	10.68
	- Current	0.07	0.26	0.14	0.22

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025		For the year ended Mar 31, 2024	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
III. Change in Defined Benefit Obligation (DBO)				
1 Present Value of DBO at the beginning of the year	13.25	10.90	8.65	8.90
2 Current Service Cost	5.92	4.87	4.81	3.42
3 Past Service Cost	-	-	-	-
4 Net Interest Cost	0.69	0.20	0.63	0.59
5 Actuarial gains/(losses)	-	-	-	(0.48)
6 Remeasurement gains /(losses):				
a Effect of changes in demographic assumptions	-	-	-	-
b Effect of changes in financial assumptions	0.16	0.20	0.55	-
c Changes in asset ceiling (excluding interest income)	-	-	-	-
d Effect of experience adjustments	(4.08)	11.05	(1.39)	-
7 Curtailment Cost/(Credits)	-	-	-	-
8 Settlement Cost/(Credits)	-	-	-	-
9 Acquisitions credit/ (cost)	-	-	-	-
10 Effects of transfer In/(Out)	-	-	-	-
11 Benefits Paid	(6.81)	(15.94)	-	(1.53)
12 Net defined benefit liability/ (asset) at end of current period	9.14	11.28	13.25	10.90

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2025	As at March 31,2024
IV. Best Estimate of Employers' Expected Contribution for the next year		
Gratuity	9.14	13.25

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025		For the year ended Mar 31, 2024	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
V. Change in Fair Value of Assets				
1 Plan Assets at the beginning of the year	-	-	-	-
2 Acquisition adjustment	-	-	-	-
3 Interest income on plan assets	-	-	-	-
4 Employer contributions	-	-	-	-
5 Return on plan assets greater/(lesser) than discount rate	-	-	-	-
6 Benefits paid	-	-	-	-
7 Fair Value of assets at the end of current period	-	-	-	-

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended Mar 31, 2025		For the year ended Mar 31, 2024	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
VI. Actuarial Assumptions				
1 Discount rate per annum	6.90%	6.90%	7.30%	7.30%
2 Rate of Escalation in Salary	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
3 Mortality Rate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate	Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ultimate
4 Withdrawal	0.70%	0.70%	0.70%	0.70%

VII. Sensitivity Analysis

The Sensitivity Analysis below has been determined based on reasonably possible change of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant. These sensitivities show the hypothetical impact of a change in each of the listed assumptions in isolation. While each of these sensitivities holds all other assumptions constant, in practice such assumptions rarely change in isolation and the asset value changes may offset the impact to some extent. For presenting the sensitivities, the present value of the Defined Benefit Obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the Defined Benefit Obligation presented above. There was no change in the methods and assumptions used in the preparation of the Sensitivity Analysis from previous year.

Particulars	As at 31st March, 2025		As at 31st March, 2024	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
A Discount Rate	6.90%	6.90%	7.30%	7.30%
Effect on DBO due to 1% increase in Discount Rate	(1.48)	(1.79)	(1.07)	(1.13)
Percentage Impact	(16.20%)	(15.90%)	(12.40%)	(12.60%)
Effect on DBO due to 1% decrease in Discount Rate	1.84	2.22	1.29	1.35
Percentage Impact	20.10%	19.70%	14.90%	15.10%
B Salary Escalation Rate	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
Effect on DBO due to 1% increase in Salary Escalation Rate	1.90	2.29	1.33	1.39
Percentage Impact	20.70%	20.30%	15.40%	15.70%
Effect on DBO due to 1% decrease in Salary Escalation Rate	(1.55)	(1.87)	(1.12)	(1.18)
Percentage Impact	(16.90%)	(16.60%)	(13.00%)	(13.20%)

Maturity Analysis of the Benefit Payments

(₹ in lakhs)

Particulars	As at 31st March, 2025		As at 31st March, 2024	
	Gratuity	Leave Encashment	Gratuity	Leave Encashment
Year 1	0.07	0.27	0.14	0.20
Year 2	0.06	0.21	0.16	0.21
Year 3	0.15	0.22	1.25	0.21
Year 4	0.17	0.23	0.25	0.22
Year 5	0.20	0.24	0.27	0.23
Next 5 Years	1.14	1.37	5.41	2.60

Amounts towards Defined Contribution Plans have been recognised under "Contribution to Provident and other funds" in Note 39: ₹ 42.14 Lakh (2024 - ₹ 31.68 Lakh).

Note 40 : Finance Costs

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Interest expense on lease liabilities	4,109.81	4,163.54
Interest on tax free bonds	201.17	771.70
Interest on Cash credit	34.69	29.36
Interest others	56.49	20.74
	4,402.16	**4,985.34**
Less:Expenditure during construction	(544.61)	(1,661.23)
Total	**3,857.55**	**3,324.11**

Note 41 : Depreciation and Amortisation Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Depreciation on Property, plant and equipments	7,627.95	5,165.60
Depreciation on Right Of Use Assets	1,745.64	1,948.13
Amortisation of intangible asset	1,113.54	921.06
Total	**10,487.13**	**8,034.79**
Less:Expenditure during construction	(169.49)	(576.97)
Total	**10,317.64**	**7,457.82**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 42 : Other Expenses

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Consumption of stores & spares	3,923.01	3,155.97
Dimunition in value of Loose tools	192.03	150.49
Rates and taxes	146.70	71.74
Power	3,769.70	2,847.29
Fuel	1,160.87	573.66
Water	369.03	421.28
Repairs and maintenance:		
Building and roads	1,040.12	853.95
Plant and machinery	376.84	385.77
Others	2,773.34	2,090.56
Maintenance dredging	914.07	243.93
Transport and stores handling	192.39	204.04
Travelling and conveyance expenses	1,304.54	1,282.76
Printing and stationery	123.64	111.60
Postage, telephone and telex	70.66	65.35
Advertisement and publicity	634.49	1,081.87
Lease rent	26.87	1.58
Hire charges	1,308.61	1,292.96
Insurance charges	656.41	639.03
Security expenses	2,650.52	2,571.09
Payments to Auditors	39.20	39.19
Training expenses	952.31	821.09
Legal expenses	182.70	48.43
Consultancy	154.29	150.70
Bank charges	1,662.91	1,298.35
Loss on Forex Derivative Transactions	248.46	724.89
Corporate social responsibility (Refer Note no.52)	1,564.51	1,384.38
Loss on sale/write off of property, plant and equipments	5.65	0.87
Bad debts written off	8,614.55	96.98
R&D and New initiatives *	2,043.17	626.18
Miscellaneous expenses	1,067.68	1,646.93
Total	**38,169.27**	**24,882.91**

Auditors remuneration, Auditors remuneration for other services and Miscellaneous expenses include:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
For Audit Fees	25.75	24.50
For Limited Review/other services	12.35	11.69
For Certifications	1.10	3.00
Total	**39.20**	**39.19**

*R&D and New initiatives includes the following:

a) USHUS is a start-up support program of CSL in association with Indian Institute of Management Kozhikode (IIM K) & Indian Institutes of Technology Madras (IIT) to augment the Government of India's initiatives to encourage and develop an ecosystem in India to support Maritime Start-ups. As part of this program maritime start-ups will receive seed funds from CSL as grants/ investments. IIMK LIVE & IIT Madras will review and recommend the proposals received under this scheme for investment by CSL. Fee for their services amounts to ₹26.50 lakhs current year (Previous Year - ₹7.00 lakhs). ₹105.00 Lakhs has been disbursed to 9 start ups identified by IIM K under seed funding scheme during the F.Y 2024-25.

b) M/s Boston Consulting group was entrusted with preparation of detailed report for Setting up of Ship repair cluster in Kochi (Phase-II) with MoPSW's Maritime India Vision-2030 for an amount of ₹343.00 lakhs. M/s Boston Consulting group is also entrusted for preparation of detailed report for Setting up of Ship repair business in Vadinar, Gujrat in India for an amount of ₹343.00 lakhs.₹686.00 lakhs has been charged to Profit and loss account during current year.

c) Design, development, Construction activities of Fully Indigenous Autonomous Surface Vessel (ASV) Pilot Project under the Aatma Nirbhar Bharat procurement model. The project is being executed with a total estimated project cost of ₹4000.00 lakhs. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) has sanctioned a grant-in-aid of ₹2000.00 lakhs towards the design and development of this project under R&D (Shipping) Scheme.

Company has received grant of ₹925.07 lakhs during the year, out of which ₹314.28 lakhs was utilized towards ASV project and balance ₹610.78 lakhs is lying under Central Nodal Account maintained by the Sagarmala Development Corporation Limited(SDCL). In addition to the grant amount utilised ₹314.28 lakhs, Company has also incurred overhead and other expenditure of ₹41.20 lakhs towards the project .Hence the cumulative cost incurred towards ASV project for the year is ₹355.48 lakhs and same has been charged as Research & development expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2025.

d) The Company is engaged in a pilot Research and Development project for construction of a Hydrogen Fuel Cell Electric Vessel (HFCEV), pursuant to approval by the Research Committee of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. A work order was issued to the Company wherein 75% of the project cost being funded by the MoPSW, under the ambit of the National Hydrogen Mission and Atmanirbhar Bharat initiative. All the assets acquired from the grant will be the property of the Government of India and the funds released for such projects or schemes in one or more installments are not treated as Grants-in-aid in the books of the implementing agency.

In the parallel, the Company also entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Inland Waterways Authority of India (IWAI) to develop, design, construct, and supply the vessel, with an intention to transfer title and ownership through a separate agreement.

During the previous financial year (FY 2023–24), based on management's expectations of an near-term sale to IWAI, the cost incurred (net of grant received) was presented under Non-Current Assets. However, as of 31 March 2025, no further progress has been made in formalizing the sale arrangement, and the vessel continues to remain under demonstration phase. Given the absence of reasonable certainty regarding the timing and realisation of the proceeds from IWAI , the management has reassessed the accounting treatment.

Accordingly, in compliance with the principles of prudence the Company has recognized the net cost incurred ₹925.14 lakhs (ie. cost incurred less grant received) as Research and Development (R&D) expenditure in the Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2025.Cost incurred during 2024-25 is ₹837.78 lakhs.

Note 43 : Provision for Anticipated Losses and Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Loss allowance for Trade Receivables	662.83	1,659.04
Expenses and contingencies	542.28	520.01
Profit share to lessor	843.22	210.86
Loss on Ship Building	10,756.00	898.00
Total	**12,804.33**	**3,287.91**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 44 : Earnings per Equity Share

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Net Profit after tax (₹ in lakhs)	82,733.05	78,327.78
Basic and Diluted Earnings Per Share (EPS) (in ₹)	**31.45**	**29.77**
Face value per share (in ₹)	5.00	5.00

Refer Note No:21.1

Note 45: Additional Disclosures under Ind AS 115-"Revenue from Contract with Customers"

A. Disclosures of Disaggregated revenue as per Ind AS 115

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	Year ended 31 March 2025			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	38,443.24	-	38,443.24	38,443.24
Vessels other than IAC	2,38,320.96	-	2,38,320.96	2,38,320.96
Other operating revenue:				
Ship Building Financial Assistance	13,854.70	13,854.70		13,854.70
(ii) Sale of services				
Ship repairs	1,83,455.74	-	1,83,455.74	1,83,455.74
Income from services	168.10		168.10	168.10
Other operating revenue				
Management fee	1,615.34	-	1,615.34	1,615.34
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	860.69			860.69
Sale of Ship Repair Scrap	358.97			358.97
Sale of B&D Spares	3,553.98			3,553.98
Consultancy income	1,027.15			1,027.15
Sale of stock items	337.01			337.01
Total				4,81,995.88

(₹ in lakhs)

Type of Product or Services	Year ended 31 March 2024			
	Revenue as per Ind AS 115	Method for measuring performance obligation		Total as per Statement of Profit and Loss
		Input Method	Output Method	
A. Revenue from goods or services transferred over time				
(i) Sale of products				
Ship building:				
Indigenous Aircraft Carrier (IAC)	1,20,271.77	-	1,20,271.77	1,20,271.77
Vessels other than IAC	1,56,147.69	-	1,56,147.69	1,56,147.69
Other operating revenue				
Ship Building Financial Assistance	5,302.36	5,302.36	-	5,302.36
(ii) Sale of services				
Ship repairs	98,681.23	-	98,681.23	98,681.23
Other operating revenue				
Management fee	1,575.94	-	1,575.94	1,575.94
B. Revenue from goods or services transferred to customers at a point in time				
Other operating revenue				
Sale of Ship Building Scrap	566.12	-		566.12
Sale of Ship Repair Scrap	376.88	-		376.88
Sale of stock items	123.43	-		123.43
Total				**3,83,045.42**

B. Contract balances

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Trade Receivables	22,903.17	30,344.98
Contract Assets	92,482.86	76,011.63
Contract Liabilities	5,05,128.16	4,96,202.62

Movement in contract balances during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract asset at the beginning of the year	76,011.63	51,119.32
Contract asset at the end of the year	92,482.86	76,011.63
Net (increase)/decrease	16,471.23	24,892.31

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Contract liabilities at the beginning of the year	4,96,202.62	3,87,207.41
Contract liabilities at the end of the year	5,05,128.16	4,96,202.62
Net (increase)/decrease	8,925.54	1,08,995.21

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

C. Details of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied performance obligations:

Aggregate amount of the transaction price allocated to the performance obligations that are unsatisfied (or partially unsatisfied) as of the end of the reporting period amounts to ₹1682347.88 lakhs (excluding Cost Plus Part of IAC contract).The amount of transaction price relating to unsatisfied performance obligation that are part of a contract that has an original expected duration of one year or less has not been included in the above disclosure as permitted under Ind AS 115. Further the estimate of the transaction price as above would not include any estimated amounts of variable consideration that are constrained. Management expects that 33.96 % of transaction price allocated to unsatisfied/ partially satisfied contracts as of 31.03.2025, as stated above, will be recognised as revenue during FY 2024-25 and the remaining thereafter.

During the year ended March 31,2025 the Group recognised revenue of ₹138639.05 lakhs arising from opening Contract Liability as of April 01,2024.

D. Reconciliation of contracted price with revenue during the year

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Opening contracted price of orders	26,12,071.63	24,68,756.76
Add:		
Fresh orders/change orders received (net)	2,46,621.52	1,15,430.02
Increase due to additional consideration including Shipbuilding Financial assistance	50,950.30	47,439.91
Increase due to exchange rate movements (net)	1,285.83	3,566.65
Less:		
Other deductions including variations, change orders etc.	24,332.90	4,505.21
Orders completed during the year	15,971.70	18,616.49
Closing contracted price of orders	**28,70,624.68**	**26,12,071.64**
Total Revenue recognised during the year:	2,62,656.09	2,10,351.28
Less: Revenue out of orders completed during the year	8,126.22	11,116.11
Revenue out of orders under execution at the end of the year (I)	2,54,529.87	1,99,235.17
Revenue recognised upto previous year (from orders pending completion at the end of the year) (II)	9,33,368.15	7,44,014.81
Effect of reversal of revenue (cancelled contract)	378.78	
Balance revenue to be recognised in future viz. Order book (IV)	16,82,347.88	16,68,821.65
Closing contracted price of orders (I+II+III+IV)	**28,70,624.68**	**26,12,071.63**

Note 46: Additional Disclosures under Ind AS 116-"Leases"

Rent and Hire charges Expense includes expense incurred for the year ended 31.03.2025 on Short term leases and leases of low value assets amounting to ₹1335.48 lakhs (Previous year ₹1294.54 lakhs).

Total Cash outflow for leases for the year ended March 31,2025 including outflow on short term and low value leases is ₹ 3191.59 lakhs (Previous year ₹3415.64 lakhs).

The Group has lease term extension options that are not reflected in the measurement of lease liabilities.

The details of the contractual maturities of lease liabilities on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Less than one year	3,130.75	2,943.93
One to five years	14,816.72	13,367.83
More than five years	1,13,471.29	1,13,593.80
Total	**1,31,418.76**	**1,29,905.56**

The details of the contractual maturities of leased assets on an undiscounted basis are as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Less than one year	129.05	127.40
One to five years	204.89	287.18
More than five years	112.93	159.69
Total	**446.87**	**574.27**

Movement of Lease Liabilities are as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Opening Balance	47,917.76	45,445.85
Add:Additions	141.86	1,617.13
Add:Interest recognised during the year	4,109.81	4,163.54
Less: Deletion/ Disposal	59.98	44.14
Less: Payment made	2,970.05	3,264.62
Closing Balance	**49,139.40**	**47,917.76**

Note 47: Additional Disclosures for Hedge Accounting

The Group enters into foreign exchange derivative contracts to offset the foreign currency risks arising from the amounts denominated in currencies other than Indian Rupee. The counter party to the Group's foreign currency forward contracts is a bank.

The Group has the following outstanding forward contracts, which have been designated as Cash Flow Hedges, as on 31 Mar 25 (₹in Lakhs) :

Currency	31-Mar-25			31-Mar-24		
	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)	No. of contracts	Notional amount of contracts	Fair Value Gain/ (Loss)
Euro	210	2,21,118.62	1,356.01	82	1,14,937.75	(46.02)
NOK	5	7,676.66	(30.49)	6	7,824.95	(747.84)
USD	7	484.06	3.89			
JPY	1	1,766.90	(30.47)			
Total	**223**	**2,31,046.24**	**1,298.94**	**88**	**1,22,762.70**	**(793.86)**

The movement in Hedge reserve for derivatives designated as cash Flow Hedges is as follows

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31.03.2025	For the year ended 31.03.2024
Balance at the beginning of the year Cr/(Dr)	(593.75)	(3,578.40)
Changes in the fair value of effective portion of outstanding cash flow derivatives (Net)	639.38	2,984.65
Balance at the end of the year	**45.63**	**(593.75)**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 48: CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY (To the extent not provided for)			
a Claims against the company not acknowledged as debt			
i Sub- Contractors & Suppliers	27,312.93	-	Claims made by suppliers which are currently under dispute and has not been acknowledged as debt. Based on the facts of the case, the company believes that the likelihood of outflow of resources embodying economic benefits is remote, and expects any potential liability, if at all, to be significantly lower than the amount claimed. However, the matter is under conciliation.
b Guarantees			
i Letters of Credit	19,279.09	38,207.74	Represents Letter of Credit opened by the Company in various banks for procurement of materials/assets.
ii Bank Guarantees	2,01,613.65	71,329.37	Bank guarantees (including continuity guarantees) represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers and other beneficiaries. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on Balance sheet date is included in Note 49.
iii Guarantee given on behalf of wholly owned subsidiary company (UCSL)	6,093.74	-	The Holding Company has provided a joint and several guarantee along with its wholly owned subsidiary,M/s Udupi Cochin Shipyard Limited,under a ship building contract with M/s Ocean Sparkle for 11 vessels.The subsidiary has received a refundable advance of ₹6093.74 lakhs.The Holding Company's liability would arise only in the event of default by the subsidiary.Based on the asessment of the subsidiary's financial and operational capability to fulfil its obligations,the likelihood of any outflow of resources from the Company is considered remote.
c Other money for which the company is contingently liable			
i Greater Cochin Development Authority (GCDA)	69.06	69.06	Claim raised by GCDA for the land acquired for the Company is settled. However 8 land acquisition revision petition cases (Valued at ₹69.06 lakhs) filed by evictees is pending with the Hon'ble Supreme Court and High Court.
ii Customs duties	12,726.96	10,543.96	Customs duty for materials under Bond for ₹ 6393 Lakhs. This also includes differential duty towards steel scrap sales and interest thereon amounting to ₹285.62 Lakhs, penalty on differential IGST for ₹230 lakhs and ₹5752.16 lakhs towards duty paid under protest & FDR lien marked on Registrar of High Court of Kerala for ₹66.18 lakhs.

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
iii Income Tax	1,389.86	2,209.37	Demand relating to Assessment Years: AY 2010-11 - ₹ 126.26 Lakhs AY 2014-15 - ₹ 911.07 Lakhs AY 2017-18 - ₹ 331.77 Lakhs AY 2018-19 - ₹ 20.76 Lakhs Detailed notes in Note no. 46.1 (I)
iv Service Tax	1,647.47	1,647.47	Demand of Service Tax on IAC (Design Consultancy) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT against the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise.
	376.67	376.67	Refund claim of Service Tax on IAC granted by Commissioner of Central Excise (Appeals). However Department filed Appeal before CESTAT against the order of Commissioner(Appeals).
	323.04	323.04	Demand of Service Tax on IAC (Management Fee/ Handling Charges) as per Show Cause Notice issued. Appeal filed to CESTAT aganst the order of The Commissioner of Central Tax & Central Excise.
iv Service Tax	2,339.64	2,339.64	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central Tax and Central excise, Thiruvananthapuram . Department filed appeal before CESTAT.
	1,885.49	1,885.49	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Proceedings under the show cause has been dropped by the Commissioner of Central GST and Central Excise, Thiruvananthapuram. Department filed appeal before CESTAT.
	513.71	513.71	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2015-16 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi.
	734.93	734.93	Show Cause Notice issued for levy of Service Tax on the repair of vessels during FY 2016-17 owned by UTLA by denying the benefit of Notification No.25/2012-ST dt. 20-6-2012 available for the repair of vessels owned by Govt. Departments. Reply filed before Principal Commissioner of Central Tax & Central Excise, Kochi

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
	150.57	150.57	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2015-16 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Joint Commissioner confirmed demand. Appeal filed before Commissioner (Appeals) against the Order in Original.
	286.85	286.85	Show Cause Notice issued for levy of service tax on ship repair during the period 2016-17 without allowing deduction of materials for which VAT paid and disallowance of Cenvat Credit. Reply filed before Commissioner of Central Tax & Central Excise (Appeals), Cochin.
iv Service Tax	279.46	279.46	Show Cause Notice issued for non payment of service tax on availing services of persons in non-taxable territory for meeting contractual warranty obligations and on cost of security provided to the transportation of Barge from Cochin to Abu Dhabi. Demand confirmed by Commissioner of Central Tax & Central Excise . Appeal filed before CESTAT.
v Kerala Value Added Tax (KVAT)	787.32	787.32	Demand for FY 2015-16. Assessing office made additions to taxable turnover against the order of Joint Commissioner (Appeals) and raised demand. Writ petition filed before High Court of Kerala for stay on recovery proceedings.
vi Demand for Input Tax credit on IGST for the period 2018-19 and penalty thereon	92.13	92.13	Show Cause Notice issued for mismatch in input tax credit claimed in GSTR 3B and GSTR 2A for FY 2018-19. Additional Commissioner confirmed the demand. Appeal filed to Commissioner (Appeals) against the Order In Original.
vii Alekton Engineering Industries Pvt Ltd	-	305.57	The petitioner (claimant) approached MSME Council for recovery of Liquidated damages (LD) along with interest in respect of LD deducted by CSL for delay in submission of drawings and supply of goods . MSME Council , Chennai has referred the case to Madras High Court Arbitration Centre for arbitration. Madras High Court Arbitration Centre has appointed Mr. Suhrith Parthsarrathy as the sole arbitrator . Claim petition filed by the petitioner. Order passed by the Sole Arbitrator in favour of the respondent (CSL).

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
viii M/s. Vigil Marine Services	2,065.17	1,951.50	M/s. Vigil Marine Services in 2004 raised claims towards Agency Commission payable for winning orders for ATCO Tugs. The arbitration proceedings commenced on 10 Oct 2004. Examination and cross examination of witnesses completed and posted the matter for arguments on 01 and 02 Feb 2014. The Arbitrator completed the proceedings and passed his award directing the Company to pay commission to M/s Vigil Marine Services at the rate of 5% of the ATCO contract value of U S Dollar 18.25 Million with interest @ 8% per annum. Aggrieved on this CSL filed Original Suit No 187/2016 before Sub Court, Ernakulam and obtained an interim order staying execution of the award. Bank guarantee for the award amount along with interest from the date of receipt of the amount till the date of award (₹1305 lakhs) has been deposited as security to Hon'ble High Court and and the same is included in Note 49.
ix Employee State Insurance Corporation	54.66	54.66	ESI Corporation raised a demand notice for ₹62.28 lakhs towards contribution for advance trainees for the period Apr 2008- Mar 2012. Company has paid contribution of ₹26.46 Lakhs for the period Jun 2010- Mar 2012 and ₹25.95 lakhs for the period Apr 2012- Jul 2013 belatedly. Later on, ESI Department has raised a demand notice of ₹19.84 lakhs towards interest on delayed payments and damages for the period Jun 2010- Jul 2013. The Company is contesting the demands made before Honourable Insurance Court, Alappuzha. In the meantime, the court has granted a stay by depositing ₹1 lakh.
x Property Tax	0.00	68.24	The company had challenged the Kochi Corporation's 4000% property tax hike (effective from 2013–2014) vide, Writ Petition No. 12758/2023, which led to demand notices totaling ₹68.24 lakhs for 14 buildings. The Kerala High Court, through an interim order dated 10 April 2023, stayed the notices,on condition that CSL would make future tax payments at revised rates, subject to the petition's outcome. In its final judgment dated 10 April 2025, the Court upheld the revised rate but limited the arrear recovery to three years from the March 2023 demand, i.e., from 2019 onwards. CSL has accordingly computed and recorded the revised liability in its books as of 31.03.2025.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
xi Customs bond for removing gear and equipment of ship under repair	100.00	0.00	Customs bond issued as per customs preventive manual (Chapter 20) for removing gear and equipment of ship under repair with out payment of duty for a period of two years for CMSRU.
xii Indemnity Bond to Customs Authorities	19,203.00	14,950.00	Bond under Customs (Imports of Goods at Concessional Rate of Duty) rules 2017.
xiii Indemnity Bond to Govt of India	30,415.00	30,415.00	Represent Indemnity Bonds given by Company to GoI towards performance of obligations under the IAC contract. Value of advance Bank Guarantee/Indemnity Bond outstanding as on Balance sheet date is included in Note 49.
xiv Paint contamination claims	863.83	863.83	Claims raised against the Company for paint contamination spots observed on cars - Ghamadia & 128 yard at Mumbai Port.
xv Claim for the salary amount recovered from CoPA deputed employees to ISRF	1.67	-	6 employees of CoPA has made a claim for the refund of salary recovered against their absence from duty , due to the revised timings issued by CoPA for the ministerial staff. CSL is in receipt of the summons from the Central Govt Industrial Tribunal. The case have been posted for hearing in June 2025.
xvi Fine levied by the Stock Exchanges (BSE and NSE) for non-compliance with certain Corporate Governance provisions of the SEBI LODR Regulations	21.34		The Stock Exchanges have levied fines on CSL for non-appointment of Independent Directors and related requirements including non-constitution of committees of the Board as required under the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As the non-compliances were beyond the company's control and not due to its negligence or default, CSL will request a waiver of the fines from the Stock Exchanges once the required independent directors are appointed. The Stock Exchanges have in the past waived off the fines in similar situations.
B COMMITMENTS (To the extent not provided for)			
a Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for:	31,539.56	40,528.32	Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for
b Interest on Lease rent payable to GOI not provided for	-	8.04	

CONTINGENT LIABILITIES AND COMMITMENTS in respect Udupi Cochin Shipyard Ltd.,Subsidiary

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
A CONTINGENT LIABILITY AFTER TAKE OVER (To the extent not provided for)			
a Guarantees			
i Letters of Credit	6,419.41	1,714.34	Represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its overseas suppliers.
ii Bank Guarantees	32,209.86	18,286.06	Bank guarantees represent guarantees issued by various banks on behalf of the Company to its customers

The company has been sanctioned Fund based and Non Fund based limits of ₹108753.00 lakhs (PY - ₹56853.00 lakhs) as against the security of hypothication of current assets including inventory and trade receivables of the company.

B CONTINGENT LIABILITIES RELATED TO ERSTWHILE TEBMA PERIOD

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
i. Tax Matters Director General of Foreign Trade (DGFT)			
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras). The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	437.01	425.71	Company has filed Writ petition aganist impugned orders by DGFT imposing penalty, customs duty and Interest under Foreign Trade Act issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Madras) The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	804.70	749.43	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. Interim Stay Order granted on 03 August 2022 until further orders.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
- Where the Company is in appeal (Writ petition pending before Honourable High court of Karnataka)	Refer Description of the nature and obligation column	Refer Description of the nature and obligation column	Show cause notices issued alleging that there was failure to achieve positive net foreign exchange(NFE) of ₹918.90 lakhs in respect of the years 2011-12 to 2015-16 and also a failure to file the Annual Progress Report (APR) in respect of the Malpe EOU for the years 2016-17 onwards resulting in non-fulfilment amounted to a contravention of the FTP and thereby rendered the Petitioner liable to imposition of penalty under Sec. 11(2) of the FT (D&R) Act. The said Notice has been quashed by an Order of the High Court dt 27/3/25. The Hon'ble High court has granted an interim stay of all proceedings pursuant to the show cause notice vide order date 15 Dec 2021. The Respondents have filed their counter affidavit in the matter and the matter is posted for filing of rejoinder by the Petitioners.
- Where the Department has served Show cause notices The amount disclosed inclusive of Interest amount, that may be charged.	364.17	339.16	Show cause notices issued to explain the reasons as to why Petitioner's name should not be placed under Denied Entity List refusing issuance of further licences/authorizations and other export benefits in terms of Section 9(2) of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 by DGFT. UCSL representative has attended personal hearing and submitted reply. Order awaitied
Others			
Entry Tax	76.90	76.90	All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.
Central / State Excise / Service Tax / Customs / Goods and service tax / VAT	1,234.65	1,234.65	
Karnataka VAT	11.91	11.91	Order no ZD2900223010218S dtd 20/2/23 for Wrong claim of ITC for the period Sep to Dec 2017. All these cases pertain to the periods prior to the order of the Hon'ble NCLT approving the resolution plan and are not included in the Resolution Plan as no claims were submitted by the authorities concerned in response of the public notice issued by the Resolution Professional in terms of the regulations of IBC and who fall under the definition of operational creditors. However, as per the order of the Hon'ble NCLT dt. 04-03-2020, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities. Company replied to the authorities accordingly.

Particulars	As at March 31, 2025 (₹ in Lakhs)	As at March 31,2024 (₹ in Lakhs)	Brief Description of the nature and obligation
Income Tax Cases	21.69	-	This case was initiated for the AY 2018 19 and the AO had added back Income without an oppurtunity to have a response to the Income added back. Since the Company was under NCLT process at that time , the company could not file an appeal but subsequently a condonation was sought and appeal was filed. The case is pending in Appeal with the Tax Authorities.
ii) Money Suits			
Plaintiff: Lokenath Enterprises	-	35.91	For recovery of ₹ 21,83,714 together with interest @ 18% per annum from September 2020 till the date of realization, for the services performed by him from 2016 till CIRP Period for which payments were not made by Resolution professional. The party has since withdrawn the case against the Company.
Plaintiff: Cochin Port trust	262.76	262.76	Port had filed a civil suit on 28/03/2014 before the Honourable Sub Court at kochi to recover an amount of ₹105 lakhs with interest @ 15% p.a, which was incurred by CopT to rectify the manufacturing defects noticed on the tugs supplied by company. Matter pending before court for arbitration.

There are no other pending litigations, other than those disclosed above.

48.1. CONTINGENCIES AND COMMITMENTS

(I) Income Tax Assessments

The Income Tax Assessment of the company has been completed up to AY 2023-24.

Demands raised as per the assessment orders totaling ₹ 1389.86 lakhs for the Assessment Years 2014-15, 2018-19 and 2017-18 are pending for disposal of the appeals filed before the Commissioner of Income Tax (Appeals) . The demands are shown under Contingent Liability and are mainly due to the disallowance of certain genuine claims. However, the above demands have been adjusted against the refund due for the subsequent years.

Note 49. Value of advance Bank Guarantee outstanding as on reporting date is ₹1032503.48 lakhs (Previous year ₹980057.45 lakhs)

Note 50. Litigations :

The Group is subject to legal proceedings and claims, in the ordinary course of business. The Group's Management does not reasonably expect that these legal actions, when ultimately concluded and determined, will have material and adverse effect on the Group's results of operation.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 51. Research & Development /New Initiative Expenditure

(₹ in lakhs)

Particulars	FY 2024-25	FY 2023-24
a) Revenue Expenditure	2,270.08	626.18
b) Capital Expenditure	2.83	1,450.47
	2,272.91	**2,076.65**

Refer Note No.4 and 42

₹ 3500 lakhs has been allocated for R&D and innovation initiatives Fund, for development of pilot Autonomous Surface Vessel Project.1% of average turnover based on the audited financial results of the standalone financial results of CSL for the last three financial years will be set aside as yearly budget for the Research and Development/Innovation initiatives of CSL. Further the Board has granted approval for funding support not exceeding ₹ 5000 Lakhs to "USHUS" project under CSL's Start-up Engagement Policy Framework.

Note 52. Corporate Social Responsibility (CSR) : As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Holding Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee. Details of amount required to be spent and the amount utilised are given below:

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
(a) Gross amount required to be spent by the Company during the year	1557.68	1369.01
(b) Amount spent during the year	1789.51	1444.38

Details of amount spent for year ended 31 March 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,419.72	-	1,419.72
(ii) On purposes other than (i) above	369.79	-	369.79
	1,789.51	**-**	**1,789.51**

Details of amount spent for year ended 31 March 2024

(₹ in lakhs)

Particulars	In cash	Yet to be paid in cash	Total
(i) Construction/acquisition of any asset	1,096.17	-	1,096.17
(ii) On purposes other than (i) above	348.21	-	348.21
	1,444.38	**-**	**1,444.38**

(₹ in lakhs)

In case of Sec.135(5) Excess amount spent	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
(i) Amount carry forwarded from previous financial years	170.00	110.00
(ii) Amount spent during the year	1,789.51	1,444.38
(iii) Amount charged to P&L as CSR expenses	1,564.51	1,384.38
(iv) Amount carry forwarded to succeding financial years	395.00	170.00

As on 31 March 2025, the Company spent ₹401.83 lakhs in excess of amount required to be spent as per Companies Act, 2013 out of which ₹6.83 lakhs is charged to Profit and Loss and ₹395 Lakhs is carried forwarded to succeding financial years

(₹ in lakhs)

Additional Disclosures on CSR	As at March 31, 2025	As at March 31, 2024
(i) Amount required to be spent by the company during the year,	1558.68	1369.01
(ii) Amount of expenditure incurred,	1789.51	1444.38
(iii) Shortfall at the end of the year,	0.00	0.00
(iv) Total of previous years shortfall,	0.00	0.00
(v) Reason for shortfall	NA	NA
(vi) Nature of CSR activities: As per section 135 of the Companies Act 2013, CSR committee has been formed by the Company. The areas of CSR activity includes Health Care, Education, Social Empowerment, etc., and other areas permitted in Schedule VII to the Companies Act 2013. The utilisation of CSR funds are done as per the recommendations of CSR committee.		
(vii) Details of related party transactions, e.g., contribution to a trust controlled by the company in relation to CSR expenditure as per relevant Accounting Standard,	Nil	Nil
(viii) Where a provision is made with respect to a liability incurred by entering into a contractual obligation, the movements in the provision during the year shall be shown separately.	Nil	Nil

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 53. Related Party disclosure as per Ind AS 24

Related Party	Nature of Relationship	
	2024-25	2023-24
Shri Madhu S Nair Chairman & Managing Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Bejoy Bhasker Director (Technical)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Sreejith K Narayanan Director (Operations)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Jose V J Director (Finance) & Chief Financial Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Kumar Sinha Part-time Official (Nominee) Director, Government of India	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Biju Prabhakar Part-time Official (Nominee) Director, Government of Kerala	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Smt. Amrapali Prashant Salve (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Nahar Singh Maheshwari (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Ashok Sharma (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Prithiviraj Harichandan (Up to May 01, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Venkatesan M (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Abhijit Biswas (Up to Nov 21, 2024) Non-Official (Independent) Director	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Syamkamal N Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Neelakandhan A N (UCSL) Director, (w.e.f May 03, 2022 till Aug 31,2024)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Rajesh Gopalakrishnan (UCSL) Director, (w.e.f May 03, 2022 till Jan 05,2024) & from Oct 30,2024	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Anjana K R Director,UCSL (w.e.f Jan 06,2024) Nominee Director,Hooghly-CSL (from 26.03.2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Harikumar A (UCSL) Chief Executive Officer	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shankar Nataraj (UCSL) Chief Financial Officer, (w.e.f. November 25, 2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Aswin Sarma M (UCSL) Company Secretary	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Shekhar Chakravarthy (Hooghly-CSL) Chief Executive Officer (from 22.12.2021 till 12.12.2023)	-	Key Managerial Personnel
Shri Sanil Peter (Hooghly-CSL) Chief Executive Officer (from 15.12.2023)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri.Saibal Chattopadyay (Hooghly-CSL) Chief Financial Officer (from 14.02.2022)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel
Shri Kiran.K.A (Hooghly-CSL) Company Secretary (from 16.10.2020)	Key Managerial Personnel	Key Managerial Personnel

Related Party	Nature of Relationship	
	2024-25	2023-24
CSL Superannuation Pension Trust For Executives And Supervisors	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Group Gratuity Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Retired Employees Medical Assistance Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Mutual And Public Welfare Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
Cochin Shipyard Ltd Employees Contributory Provident Fund Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Officers And Supervisors Retirement Benefit Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Insurance Linked Medical Assistance Trust For Retired Workmen	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan
CSL Workmen Pension Trust	Post- Employment Benefit Plan	Post- Employment Benefit Plan

Nature of transaction-Remuneration to Key Managerial Person

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Short term benefit	413.37	430.30
Post employment Benefit	50.11	52.60
Total	**463.48**	**482.90**

Nature of transaction-Advances

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2024	Loans/advances Taken during 2024-25	Repayment	Balance as on 31/03/25	Interest accrued as on 31/03/25
Bejoy Bhasker	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jose V J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sreejith K N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Syamkamal N	0.14	0.60	0.56	0.18	0.00

(₹ in lakhs)

Name of Related Party	Opening Balance as on 1/4/2023	Loans/advances Taken during 2023-24	Repayment	Balance as on 31/03/24	Interest accrued as on 31/03/24
Bejoy Bhasker	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
Jose V J	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00
Sreejith K N	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00
Syamkamal N	0.12	0.60	0.58	0.14	0.00

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Nature of transaction-Sitting Fee to Independent Directors

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Smt. Amrapali Prashant Salve	3.00	2.90
Shri Nahar Singh Maheshwari	3.60	2.40
Shri Ashok Sharma	3.30	2.60
Shri Prithiviraj Harichandan	0.30	2.40
Shri Venkatesan M	2.10	1.80
Shri Abhijit Biswas	3.60	2.60
Total	**15.90**	**14.70**

Transactions and Balances with other Related Parties (Post- Retirement Benefits Trust/Plans)

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
i) Transactions		
Contribution to Post employment plans (for the year)	3,444.90	1,917.62
ii) Balances		
Payable to trust (Net)	104.12	1,505.56

Transactions & Balances with Government and entities under the control of same government

Government of India (GOI) as on 31st March 2025 is holding 67.91% equity shares of the Holding Company, which is held by President of India through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW). GOI controls the Group through Ministry of Ports,Shipping and Waterways (MoPSW).

The Group has made various transactions with the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW) and with entities being controlled or jointly controlled or having significant influence of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW).

i) Transactions/Balances with GoI

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Amount payable to Government of India	234.19	420.09
Amount as paid as dividend during the year to Government of India	17,713.30	17,251.82
Amount paid by HCSL as Lease Rent and Security Deposit during the Year 2024-25 to Govt. of India (MoPSW)	235.91	

ii) Significant transactions with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Lease rent paid	2,675.87	3,561.80
Power & water supply charges	1,613.37	988.27
Annual Profit share payment	227.73	299.51
Employee related expenses	596.68	349.39
Dredging of ISRF area	429.73	-
Tugs & Pilotage charges	360.99	-
Guaranteed amt	233.04	-
Shifting & Cold movement expenses	-	80.16
Hiring & rent services	-	860.84
Miscellaneous services taken	-	232.75
IWAI-Fund Received For PANDU-Project and Agency Fees	12,539.00	3,600.00
Revenue from operations	4,130.17	17,679.73

iii) Significant balances with Government related Entities under MoPSW

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended 31st March 2025	For the year ended 31st March 2024
Payables	26.46	47.66
Advances given to suppliers	72.09	35.20
Receivables	2,787.77	9,050.19
Advance received from customers	4,260.63	6,348.32
IWAI-Pandu Project Fund	6,850.84	1,948.32

In addition to the above, around 82.00 % (approx) of the group's turnover and 89% (approx) of trade receivables and customer advance is with respect to Government and Government related entities including those under MoPSW.

Note 54. FINANCIAL INSTRUMENTS

The fair value hierarchy is based on inputs to valuation techniques that are used to measure fair value that are either observable or unobservable and consist of the following three levels:

Level I inputs are quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that the entity can access at the measurement date.

Level II inputs are inputs other than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly.

Level III inputs are unobservable inputs for the asset or liability.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The following table summarises financial assets and liabilities measured at fair value on a recurring basis and financial assets that are not measured at fair value on a recurring basis

(₹ in lakhs)

Financial assets/ financial liabilities	Fair value as at		Fair Value hierarchy
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	
Financial Assets			
Non Current			
(i) Investments	19.26	12.55	Level III
(ii) Loans	551.52	524.28	Level III
(iii) Others	569.19	2,004.19	Level III
Current			
(i) Trade Receivables	22,903.17	30,344.98	Level III
(ii) Cash & Cash equivalents	31,667.12	30,641.30	Level III
(iii) Bank Balances other than (ii)	2,79,595.10	3,55,759.25	Level III
(iv) Loans	131.10	115.11	Level III
(v) Others	27,044.51	15,191.73	Level III
Total Financial Assets	3,62,480.97	4,34,593.39	
Financial Liabilities			
Non Current			
(i) Borrowings	2,302.20	2,302.20	Level III
(ii) Lease liabilities	46,013.72	44,925.88	Level III
(iii) Other financial liabilities	19.99	18.27	Level III
Current			
(i) Borrowings	4,599.11	-	Level III
(ii) Trade Payables	50,138.34	46,512.01	Level III
(iii) Lease liabilities	3,125.68	2,991.88	Level III
(iv) Other financial liabilities	23,187.60	18,255.60	Level III
Total Financial Liabilities	**1,29,386.64**	**1,15,005.84**	

Note:

1. The investments in equity instruments are not held for trading. Instead, they are held for medium or long term strategic purpose.The Company has chosen to designate these investments in equity instruments of Subsidiary at cost (as per Ind AS 27) and other equity instruments at FVTOCI (as per Ind AS 109), as the directors believe that this provides a more meaningful presentation of medium or long term strategic investments, than reflecting changes in fair value immediately in profit or loss. The investments in debt instruments are not held for trading. Upon the application of Ind AS 109, the Company has chosen to designate these investments at Amortised Cost.

   Investments included in level 3 of fair value hierarchy have been valued using the cost approach to arrive at their fair value.The cost of unquoted investments approximate the fair value because there is a wide range of possible fair value measurements and the cost represents estimate of fair value within that range.

   There were no transfers between Level 1 and 2 in the period.

2. Loans, Borrowings are at the market rates and therefore the carrying value is the fair value.

3. The carrying amount of trade receivables, trade and other payables and short term loans are considered to be the same as their fair value due to their short term nature.

   Difference between carrying amounts and fair values of bank deposits, other financial assets,other financial liabilities and borrowings subsequently measured at amortised cost is not significant in each of the years presented.

Financial Instruments by category

(₹ in lakhs)

	31st March 2025			31st March 2024		
	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost	FVTPL	FVTOCI	Amortised Cost/At Cost
Financial Assets						
Investments (Non-current)						
- Equity instruments		19.26		-	12.55	-
- Debt instruments				-	-	-
- Preference shares				-	-	-
Investments (Current)				-	-	-
- Mutual Funds				-	-	-
Loans				-	-	-
Trade receivables			22,903.17	-	-	30,344.98
Cash & Cash equivalents			31,667.12	-	-	30,641.30
Bank Balances			2,79,595.10	-	-	3,55,759.25
Other Financial Assets			28,296.32	-	-	17,835.31
Total Financial Assets	**-**	**19.26**	**3,62,461.71**	**-**	**12.55**	**4,34,580.84**
Financial liabilities						
Borrowings			6,901.31	-	-	2,302.20
Lease liabilities			49,139.40	-	-	47,917.76
Trade Payables			50,138.34	-	-	46,512.01
Other financial liabilties			23,207.59	-	-	18,273.87
Total Financial Liabilities	**-**	**-**	**1,29,386.64**	**-**	**-**	**1,15,005.84**

Note 55. Financial Risk Management Policy

Financial Risk Management Objective and Policies:

The Group's principal financial liabilities, other than derivatives, comprise of loans and borrowings, trade and other payables and advances from customers. The Company's principal financial assets include Investment, loans and advances, trade and other receivables and cash and bank balances that derive directly from its operations. The Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. The Company's senior management oversees the management of these risks. The Board provides written principles for overall risk management as well as policies covering specific areas such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, the use of derivative financial instruments and non-derivative financial instruments, and the investment of excess liquidity. The Company does not enter into or trade financial instruments, including derivatives for speculative purposes.

Market Risk

Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial assets will fluctuate because of changes in market prices. Market risk comprises three types of risk: interest rate risk, foreign currency risk and other price risk, being mainly commodity price risk. Financial Assets affected by market risk include loans and advances, deposits and derivative financial instruments.

A. Interest rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates is minimal since the exposure relates primarily to the Company's long-term debt obligations of redeemable non-convertible bonds with fixed interest rates as disclosed in Notes 23 and 28. With the current profile of fixed rate borrowing, the company is not sensitive to interest rate fluctuations.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

B. Foreign Currency Risk

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of an exposure will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to the risk of changes in foreign exchange rates relates primarily to the Company's operating activities (when revenue or expense is denominated in a foreign currency).

Foreign currency risk of the Holding company is managed through a properly documented risk management policy approved by the board. The Board of directors also reviews the foreign currency exposure of the Company on quarterly basis. The company manages the net foreign currency risk mainly by entering into forward contracts with the bank as the counter party. The disclosures of outstanding forward contract as on reporting date is given in Note 47.

The Group's exposure to foreign currency risk net of hedged exposure at the end of the reporting period expressed in INR (foreign currency amount multiplied by closing rate) are as follows:

(₹ in lakhs)

Particulars	SGD	AED	USD	EURO	GBP	NOK	Total
Financial Assets							
31st March 2025			6,057.16	22,567.71	-	11,813.30	40,438.17
31st March 2024			544.41	46,229.69	-	7,276.80	54,050.90
Financial Liabilities							
31st March 2025	1.22	1.42	7,742.59	12,488.41	69.93	307.91	20,611.48
31st March 2024			5,915.16	19,494.53	47.12	133.84	25,590.65

The sensitivity of profit/ loss to changes in the exchange rates arises mainly from foreign currency denominated financial instruments. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items net of hedge accounting impact and adjusts their translation at the year-end for a 5% change in foreign currency rates, with all other variables held constant. The sensitivity rate represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates.

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Receivables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
USD - Weakening of ₹ by 5%	-	-
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
EURO - Weakening of ₹ by 5%	-	-
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
GBP - Weakening of ₹ by 5%	-	-
AED - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
AED - Weakening of ₹ by 5%	-	-
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
SGD - Weakening of ₹ by 5%	-	-
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	-	-
NOK - Weakening of ₹ by 5%	-	-
Payables		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	(387.13)	(295.75)
USD - Weakening of ₹ by 5%	387.13	295.75
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	(624.43)	(974.73)
EURO - Weakening of ₹ by 5%	624.43	974.73
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	(3.49)	(2.36)

(₹ in lakhs)

Particulars	5% change in foreign currency rates	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
GBP - Weakening of ₹ by 5%	3.49	2.36
AED - Strengthening of ₹ by 5%	(0.07)	-
AED - Weakening of ₹ by 5%	0.07	-
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	(0.06)	-
SGD - Weakening of ₹ by 5%	0.06	-
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	(15.39)	(6.69)
NOK - Weakening of ₹ by 5%	15.39	6.69
Profit Before Tax		
USD - Strengthening of ₹ by 5%	387.13	295.75
USD - Weakening of ₹ by 5%	(387.13)	(295.75)
EURO - Strengthening of ₹ by 5%	624.43	974.73
EURO - Weakening of ₹ by 5%	(624.43)	(974.73)
GBP - Strengthening of ₹ by 5%	3.49	2.36
GBP - Weakening of ₹ by 5%	(3.49)	(2.36)
AED - Strengthening of ₹ by 5%	0.07	-
AED - Weakening of ₹ by 5%	(0.07)	-
SGD - Strengthening of ₹ by 5%	0.06	-
SGD - Weakening of ₹ by 5%	(0.06)	-
NOK - Strengthening of ₹ by 5%	15.39	6.69
NOK - Weakening of ₹ by 5%	(15.39)	(6.69)

C. Commodity Price Risk

The Group is affected by the price volatility of certain commodities. Its operating activities require the purchase of steel, major machineries, equipments etc. The Company primarily purchases its raw materials in the open market from third parties. The Company is therefore subject to fluctuations in prices for the purchase of steel, being the primary raw material inputs. The Company aims to sell the finished products based on firm contract which is negotiated after due consideration of the expected raw material prices. Therefore, the Company plans its purchases closely to optimise the price. Further since the products are of a specific nature which does not entail competition and is heterogeneous in nature due to its specification, the company's exposure to commodity risk is minimal.

The following table details the Group's sensitivity to a 5% movement in the input price of steel. The sensitivity analysis includes only 5% change in commodity prices for quantity consumed during the year, with all other variables held constant.

(₹ in lakhs)

Commodity	Increase of 5 %		Decrease of 5 %	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Steel	850.99	735.24	(850.99)	(735.24)

Liquidity Risk

The risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset. Liquidity risk may arise from an inability to sell a financial asset quickly at a rate close to its fair value.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

The Group requires funds both for short term operational needs as well as for long term capital expenditure growth projects. The Company generates sufficient cash flow for operations, which together with the available cash and cash equivalents provides liquidity in the short-term and long- term and manages the liquidity risk by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities as depicted below.

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	< 1 year	1-3 years	> 3 years	< 1 year	1-3 years	> 3 years
Financial Assets						
Non-current investments			19.26	-	-	12.55
Loans (Non Current)		228.43	323.09	-	231.17	293.11
Other Financial Assets	5.75	440.63	122.81	-	1,906.79	97.40
Trade Receivables	22,903.17	-	-	30,344.98		-
Cash and Cash Equivalents	31,667.12	-	-	30,641.30	-	
Bank Balances other than cash and cash equivalents	2,79,595.10	-	-	3,55,759.25	-	
Loans	131.10	-	-	115.11	-	
Other Financial Assets	26,724.33	320.18		11,712.30	3,457.23	22.20
Total Financial Assets	**3,61,026.57**	**989.24**	**465.16**	**4,28,572.94**	**5,595.19**	**425.26**
Financial Liabilities						
Borrowings	2.20	-	2,300.00	2.20		2,300.00
Lease Liabilities (Non Current)	594.37	6,675.05	38,744.30	-	10,005.17	34,920.71
Other financial liabilities	0.00	19.99	-	-	18.27	-
Borrowings	4,599.11	-	-	-	-	-
Lease Liabilities	3,125.68	-	-	2,991.88		
Trade payables	50,138.34	-	-	46,512.01		
Other financial liabilities	22,680.97	506.63	-	18,248.64	6.96	
Total Financial Liabilities	**81,140.67**	**7,201.67**	**41,044.30**	**67,754.73**	**10,030.40**	**37,220.71**

Credit Risk

Credit risk is the risk that a counter party will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is exposed to credit risk from its operating activities (primarily trade receivables and advances to suppliers) and from its exposure to other financial assets, including deposits with banks and financial institutions, derivative instruments, and other financial instruments. The Group has adopted a policy of only dealing with counterparties that have sufficiently high credit rating in order to manage the credit risk. Trade receivables mainly comprise of government entities and the cash and cash equivalents and derivative instruments are maintained with banks and recognised financial institutions with high credit rating.

For trade receivables, as a practical expedient the company computes credit loss allowance based on a provision matrix which considers historically observed default rates over expected life of trade receivables, adjusted for forward looking estimates. The movement in expected credit loss allowance is disclosed in Note 15.

The Group's maximum exposure to the credit risk for the components of Balance Sheet as 31st March 2025 and 31st March 2024 is the carrying amounts mentioned in Note no 15 and as stated in Note 53, around 82.00%(approx) of company's turnover and 89.00% (approx.) of trade receivables and customer advance it with respect to Government and Govt. regulated entities. The maximum exposure relating to financial derivative instruments and financial guarantees is disclosed in Note 47 and Note 48 respectively.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 56. Disclosure pursuant to Ind AS 1 "Presentation of financial statements":

a. Current assets expected to be recovered within twelve months and after twelve months from the reporting date

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Inventories	1,88,510.72	-	1,88,510.72	1,02,609.40	-	1,02,609.40
Trade receivables	22,903.17	-	22,903.17	30,344.98		30,344.98
Cash and cash equivalents	31,667.12	-	31,667.12	30,641.30	-	30,641.30
Bank balances	2,79,595.10	-	2,79,595.10	3,55,759.25	-	3,55,759.25
Loans	131.10	-	131.10	115.11	-	115.11
Other Financial assets	26,724.33	320.18	27,044.51	11,712.30	3,479.43	15,191.73
Current tax assets (net)	-	-	-	323.10	-	323.10
Other current assets	4,01,214.68	15,586.54	4,16,801.22	2,36,983.12	90,027.85	3,27,010.97

b. Current liabilities expected to be settled within twelve months and after twelve months from the reporting date:

(₹ in lakhs)

Particulars	As on 31.03.2025			As on 31.03.2024		
	Within twelve months	After twelve months	Total	Within twelve months	After twelve months	Total
Borrowings	4,599.11	-	4,599.11	-	-	-
Lease Liabilities	3,125.68	-	3,125.68	2,991.88	-	2,991.88
Trade payables	50,138.34	-	50,138.34	46,512.01	-	46,512.01
Other financial liabilities	21,280.82	1,906.78	23,187.60	17,184.49	1,071.11	18,255.60
Other current liabilities	1,20,195.23	4,21,356.74	5,41,551.97	32,330.05	4,88,652.74	5,20,982.79
Provisions	1,02,286.48	359.20	1,02,645.68	62,520.48	359.20	62,879.68
Current tax liabilities (net)	2,460.25	-	2,460.25	-	-	-

Note 57. Segment Reporting

The Group has identified two major operating segments viz, Shipbuilding and Ship Repair. Segment wise analysis has been made on the above basis and amounts allocated on a reasonable basis.

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Segment Assets		
Ship building	8,69,295.75	6,07,070.02
Ship Repair	3,48,802.99	3,03,047.43
Unallocated	1,21,823.99	2,94,105.08
Total	**13,39,922.73**	**12,04,222.53**
Segment Liability		
Ship building	4,47,070.26	4,27,954.21
Ship Repair	1,01,937.09	47,378.09
Unallocated	2,32,989.35	2,28,556.56
Total	**7,81,996.70**	**7,03,888.86**
Segment Revenue		
Ship building*	2,95,538.68	2,82,408.69
Ship Repair*	1,86,457.20	1,00,636.73
Unallocated	38,906.50	31,018.09
Total	**5,20,902.38**	**4,14,063.51**

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Segment Result		
Ship building	46,134.73	58,920.72
Ship Repair	72,919.61	36,320.76
Unallocated	(2,679.74)	15,176.39
Total	**1,16,374.60**	**1,10,417.87**

Reconciliation of segment results to profit before tax from continuing operations:

(₹ in lakhs)

Particulars	For the year ended	
	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Amount as per segment results	1,16,374.60	1,10,417.87
Less: Finance Costs	3,857.55	3,324.11
Add: Exceptional items	-	-
Profit before tax from continuing operations	1,12,517.05	1,07,093.76

The Group has two major business segments -"shipbuilding" and "ship repair". Revenue under shipbuilding includes ₹206665.27 Lakhs (previous year: ₹230672.72 Lakhs) from two customers (previous year: one customer) having 69.93% revenue of the total Shipbuilding revenue, and for ship repair includes ₹153005.55 Lakhs (previous year: ₹63351.17 Lakhs) from two customers (previous year: two customers) having 82.06% in total of the total ship repair revenue.

*Out of segment Revenue from Operations, ₹72,826.99 lakhs (₹26135.62 lakhs in previous year) pertain to revenue from export orders.

Note 58. Capital Management

The Group's objective when managing capital are to safeguard their ability to continue as a going concern so that they can continue to provide returns for shareholders and maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

For the purpose of capital management, capital includes issued equity capital and all other equity reserves attributable to the equity holders of the parent. The company is not subject to any externally imposed capital requirements.

To maintain or adjust the capital structure, the company may adjust the dividend payment to shareholders, return on capital to shareholders or issue new shares. The company monitors capital using a gearing ratio, which is net debt divided by total equity. The Company includes within net debt, interest bearing loans and borrowings (including bonds).

(₹ in lakhs)

Particulars	As at March 31, 2025	As at March 31,2024
Long term borrowings	2,302.20	2,302.20
Net Debt	2,302.20	2,302.20
Equity Share Capital	13,154.04	13,154.04
Other equity	5,44,771.99	4,87,179.63
Total Equity	5,57,926.03	5,00,333.67
Gearing Ratio	0.41%	0.46%

No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital during the years ended March 31, 2025 and March 31, 2024.

Ratios	Numerator	Denominator	As at 31st Mar 2025	As at 31st Mar 2024	% change	Remarks if change is more than 25%
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liabilities	1.33	1.33	(0.12%)	-
(b) Debt-Equity Ratio,	Total Debt	Shareholder's Equity	0.01	0.00	1.69	
(c) Debt Service Coverage Ratio,	*Earnings available for debt service	Debt Service	13.85	11.89	16.47%	
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profits after taxes – Preference Dividend (if any)	Average Shareholder's Equity	0.16	0.17	(5.87%)	
(e) Inventory turnover ratio,	Revenue from Operations	Average Inventory	3.31	5.48	(39.53%)	Due to project specific materials and equipment held in stock for the vessels currently at various stages of construction-
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Net Credit Sales	Avg. Accounts Receivable	14.18	8.77	61.75%	Due to increase in Turnover and reduction in trade receivables
(g) Trade payables turnover ratio,	Net Credit Purchases	Average Trade Payables	6.19	7.01	(12%)	-
(h) Net capital turnover ratio,	Net Sales	Working Capital	2.02	1.82	10.79%	
(i) Net profit ratio,	Net Profits	Net Sales	0.17	0.20	(16.06%)	
(j) Return on Capital employed,	Earning before interest and taxes	Tangible Net Worth + Total Debt + Deferred Tax Liability	0.21	0.22	(6.47%)	
(k) Return on investment:						
ROI on Equity Investment	Dividend	Average investment in Equityshares	0.03	0.05	(24.89%)	

*Earning for Debt Service = Net Profit after taxes + Non-cash operating expenses like depreciation and other amortizations + Interest + other adjustments like loss on sale of Fixed assets etc.

*Debt service = Interest & Lease Payments + Principal Repayments

Note 59.Details of Subsidiaries

Sl No	Name	Relationship	Nature of activity	Principal place of business	As at 31st March 2025 & 31st March 2024 Proportionate ownership in %
1	Hooghly Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Kolkata, India	100%
2	Udupi Cochin Shipyard Limited	Subsidiary	Construction of vessels of various types and repairs thereof	Malpe,India	100%

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 60.Summarised financial information of subsidiary company is as follows:

The amounts disclosed for subsidiary are before inter-company eliminations

A. HOOGHLY COCHINSHIPYARD LIMITED

(₹ in lakhs)

Summarised Balance sheet	2024-25	2023-24
Non-current assets	16374.32	16,732.33
Current assets	14188.60	9,226.46
Total Assets	**30562.92**	**25,958.79**
Non-current liabilities	9998.45	9,868.78
Current liabilities	14387.43	8,146.92
Total Liabilities	**24385.88**	**18,015.70**
Net Assets	**6177.04**	**7,943.09**
Accumulated NCI	-	-

(₹ in lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2024-25	2023-24
Revenue	5775.32	2,071.68
Profit/(Loss) for the year	(1737.67)	(3,005.81)
Other Comprehensive Income	(28.38)	0.84
Total Comprehensive Income	**(1766.05)**	**(3,004.97)**
Profit/(Loss) attributable to NCI	-	-

(₹ in lakhs)

Summarised Cashflows	2024-25	2023-24
Cashflows from operating activites	1472.35	547.54
Cashflows from investing activities	39.18	94.69
Cashflows from financing activities	(370.37)	(715.12)
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	**1141.16**	**(72.89)**

B. UDUPI COCHIN SHIPYARD LIMITED (Formerly Tebma Shipyard Limited)

(₹ in lakhs)

Summarised Balancesheet	2024-25	2023-24
Non-current assets	14251.02	14,982.24
Current assets	38320.94	17,130.54
Assets held for sale	0.00	-
Total Assets	**52571.96**	**32,112.78**
Non-current liabilities	1696.16	2,140.80
Current liabilities	33745.69	13,689.45
Total Liabilities	**35441.85**	**15,830.25**
Net Assets	**17130.11**	**16,282.53**
Accumulated NCI	-	-

(₹ in lakhs)

Summarised Statement of Profit & Loss	2024-25	2023-24
Revenue	26563.60	17,971.62
Profit/(Loss) for the year	262.78	111.38
Other Comprehensive Income	584.80	305.54
Total Comprehensive Income	847.58	416.92
Profit/(Loss) attributable to NCI	-	-

(₹ in lakhs)

Summarised Cashflows	2024-25	2023-24
Cashflows from operating activites	(4329.04)	427.99
Cashflows from investing activities	(1931.83)	(579.36)
Cashflows from financing activities	4500.02	995.73
Net increase/decrease in cash and cash equivalents	(1760.85)	844.36

Note 61. INFORMATION REQUIRED BY SCHEDULE III OF THE COMPANIES ACT 2013,WITH RESPECT TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

(₹ in lakhs)

Name of the entity in the group	Net Asset			Share in Profit or (Loss)		Share in Other Comprehensive Income		Share in Total Comprehensive Income	
	Ownership in % As at March 31, 2025	Proportionate Share	As % of Consolidated Net Asset	Share in Profit/ (Loss)	As % of Consolidated Profit/ (Loss)	Share in Other Comprehensive Income	As % of Consolidated Other Comprehensive Income	Share in Total Comprehensive Income	As % of Consolidated Total Comrpehensive income
Cochin Shipyard Limited	100.00%	561065.20	101%	84290.64	101.88%	(162.14)	(41.12%)	84128.50	101.20%
Subsidiary									
Hooghly Cochin Shipyard Limited	100.00%	6177.04	1.11%	(1737.67)	(2.10%)	(28.38)	(7.20%)	(1766.05)	(2.12%)
Udupi Cochin Shipyard Limited	100.00%	17130.11	3.07%	262.78	0.32%	584.80	148.32%	847.58	1.02%
Consolidation adjustments		(26446.32)	(4.74%)	(82.70)	(0.10%)	0.00	0%	(82.70)	(0.10%)
Grand Total		**557926.03**	**100%**	**82733.05**	**100.00%**	**394.28**	**100.00%**	**83127.33**	**100.00%**

Note 62. Consumption of imported goods/services for the year amounts to ₹90542.96 lakhs (₹85639.89 lakhs in previous year)

Note 63. The Company have used the ERP, SAP S/4HANA as the accounting software for maintaining its books of account, which have a feature of Security audit log and recording audit trail (edit log) facility throughout the year for all relevant transactions recorded in the respective softwares except for the instances mentioned below.

i. The feature of recording audit trail (edit log) facility were enabled for identified database tables to log data changes for the accounting software used for maintaining the books of account. However, any direct data change to SAP database tables are not being carried out.

ii. Security audit log was enabled in the ERP from 2022 onwards.The feature of recording audit trail (edit log) facility of the accounting software was enabled on March, 2024.

Further no instance of audit trail feature being tampered with was noted in respect of the accounting software and records are preserved in compliance with statutory requirements.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 64. No proceedings have been initiated or pending against the company for holding any benami property under the Benami Transactions (Prohibition) Act, 1988 (45 of 1988) and rules made thereunder,

Note 65. The holding company has no borrowings from banks or financial institutions on the basis of security of current assets. The company has been sanctioned aggregate Non –Fund based limits in excess of ₹ 5 Crores by the multiple banks, which are availed as and when required . It has also been sanctioned aggregate fund based limits in excess of ₹ 5 Crores by multiple banks which has not been availed by the company . The company is not required to file any quarterly returns or statements with the banks .

The Hooghly-CSL subsidiary has borrowings from banks on the basis of security of current assets. The company has complied with the requirement of filing of monthly / quarterly retuns/ statements of current assets with the bank or financial institutions as applicable, and these returns were in agreement with the books of accounts for the year ended March 31, 2025 and March 31, 2024.

The UCSL subsidiary has been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, from banks on the basis of security of current assets. The quarterly returns or statements filed by the Company with the banks or financial institutions are in agreement with the books of accounts.

Note 66. The company is not declared wilful defaulter by any bank or financial Institution or other lender.

Note 67. The company has no transactions with the companies struck off under section 248 of Companies Act, 2013 or section 560 of Companies Act, 1956.

Note 68. The Company has entered agreement with Andaman & Nicobar Administration on a long term license basis for a period of 30 years from November 2019 onwards for developing, designing, constructing, modernising, operating, maintaining and managing the existing shiprepair facility which is named as CSL-AN Ship Repair Unit (CANSRU).

Note 69. There are no charges or satisfaction yet to be registered with ROC beyond the statutory period.

Note 70. No funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries. No funds have been received by the Company from any person(s) or entity(ies), including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The Company has not received any fund from any person(s) or entity(ies), including foreign entities (Funding Party) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the company shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Party (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee, security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.

The National Company Law Tribunal, Chennai (NCLT) vide its Order dated September 25, 2018 initiated the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) of Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL) formerly Tebma Shipyards Limited (TSL) under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC). Cochin Shipyard Limited (CSL) submitted the Resolution Plan for acquisition of Tebma Shipyards Ltd to the Committee of Creditors (CoC) in October 2019. The Hon'ble NCLT declared CSL as the Successful Resolution Applicant vide its order dated March 04, 2020. The bid amount of ₹ 65 crs was paid by CSL and a major part of the resolution plan was implemented and accounted for the in the books of Account in FY 2019-20 & 2020-21.

With regard to demand notice issued by various statutory authorities pertaining to period prior to NCLT order, the Company has been directed to file applications for termination of the proceedings before the relevant authorities.

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Note 71. The company did not trade or invest in Crypto Currency or virtual currency during the financial year. Hence disclosures relating to it are not applicable.

Note 72. In the case of contracts/ sub-contracts, wherever final bills are not submitted by the contractors for the work done as at the close of the year, liability is estimated and provided based on the work done.

Note 73. The Company has made adequate provision towards material foreseeable losses wherever required, in respect of long term contracts. The Company do not have any long term derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

Note 74. Figures in brackets denote negative figures.

Note 75. Previous year figures have been regrouped and reclassified wherever necessary to conform to the current year presentation.

Corporate overview and Material Accounting Policies	1 - 3
Notes to the Consolidated Financial Statements	4 - 75

The accompanying notes are an integral part of these financial statements

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

Notes to the Consolidated Financial Statements

for the year ended March 31, 2025

Annexure

FORM AOC 1

Statement containing salient features of the financial statement of Subsidiaries/associate companies/joint ventures (Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014

Part "A" : Subsidiaries

Sl No	Particulars	Details	Details
1	Sl No	1	2
2	Name of the subsidiary	Hooghly Cochin Shipyard Ltd	Udupi Cochin Shipyard Ltd
3	The date since when subsidiary was acquired	October 23, 2017	September 15, 2020
4	Reporting Period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	No	No
5	Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant financial year in the case of foreign subsidiaries	Not Applicable	Not Applicable
6	Share Capital	₹4000 Lakhs	₹10800 Lakhs
7	Reserves and Surplus	₹(7822.96) Lakhs	₹6330.11 Lakhs
8	Total Assets	₹ 30562.92 Lakhs	₹52571.96 Lakhs
9	Total Liabilities	₹ 30562.92 Lakhs	₹52571.96 Lakhs
10	Investments	Nil	Nil
11	Turnover	₹5775.32 Lakhs	₹26563.60 Lakhs
12	Profit Before Taxation	₹(1643.53) Lakhs	₹858.74 Lakhs
13	Provision for taxation		
	(i) Current Tax		
	(ii) Deferred Tax	₹94.14 Lakhs	₹595.96 Lakhs
14	Profit after taxation	₹(1737.67) Lakhs	₹262.78 Lakhs
15	Proposed Dividend	Nil	Nil
16	Extent of shareholding (in %)	100%	100%

Part "B": Associates and Joint Ventures :Not applicable

As per our report attached

For M/s Anand & Ponnappan
Chartered Accountants
(Firm Registration No. 0001115)

C. Krishnan Menon
Partner
(Membership Number 074736)
Kochi, dated May 15, 2025

For and on behalf of Board of Directors

SYAMKAMAL N
Company Secretary
Membership Number-A25337

JOSE V J
Director (Finance) & Chief Financial Officer
DIN-08444440
Kochi, dated May 15, 2025

BEJOY BHASKER
Director (Technical)
DIN-08103825

MADHU S NAIR
Chairman and Managing Director
DIN-07376798

COCHIN SHIPYARD LIMITED
Corporate Identity Number: L63032KL1972GOI002414
Registered Office: Administrative Building, Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
Tel: +91 (484) 2501306 **Fax:** +91 (484) 2384001
E-mail: secretary@cochinshipyard.in **Website:** www.cochinshipyard.in

NOTICE

Notice is hereby given that, the 53rd Annual General Meeting (AGM) of Cochin Shipyard Limited (CSL) will be held on Monday, September 29, 2025 at 11:00 hrs. IST through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the following business:

Ordinary Business

1. To receive, consider and adopt the audited standalone financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2025, together with the Reports of the Board of Directors' and the Auditors' thereon.

2. To receive, consider and adopt the audited consolidated financial statements of the Company for the financial year ended March 31, 2025, together with the Report of the Auditors' thereon.

3. To confirm the payment of first interim dividend of ₹4.00 (80%) per equity share and second interim dividend of ₹3.50 (70%) per equity share and to declare final dividend of ₹2.25 (45%) per equity share (face value of ₹5) for the financial year 2024-25.

4. To appoint a Director in place of Shri Jose V J (DIN: 08444440), who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

5. To authorize the Board of Directors to fix the remuneration of the auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for the financial year 2025-26.

Special Business

6. **Approval of appointment of Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) as Director (Technical)**

   To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Regulation 17 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Articles of Association of the Company, and in accordance with the letter No.01/04/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025, the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336) as Director (Technical) on the Board of the Company for a period of five (5) years with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e., August 27, 2025 or till the date of his superannuation, or until further orders of the Government of India, whichever is the earliest, on such terms and conditions including remuneration as may be fixed by the Government of India from time to time and whose office is liable to retire by rotation."

7. **Approval of appointment of Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) as Director (Operations)**

   To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Regulation 17 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Articles

of Association of the Company, and in accordance with the letter No.01/03/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025, the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559) as Director (Operations) on the Board of the Company with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e., August 27, 2025 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2029, or until further orders of the Government of India, whichever is earlier, on such terms and conditions including remuneration as may be fixed by the Government of India from time to time and whose office is liable to retire by rotation."

8. **Approval of appointment of Shri Venkatesapathy S IAS (DIN: 07407879) as Part-time Official (Nominee) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri Venkatesapathy S IAS (DIN: 07407879), Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383), by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated August 07, 2025 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from August 07, 2025 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India."

9. **Approval of appointment of Shri P B Nooh IAS (DIN: 09701541) as Part-time Official (Nominee) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with Rules, if any, made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Shri P B Nooh IAS (DIN: 09701541), Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) (DIN: 03093072), by the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated June 20, 2025 under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 read with Articles 21(a) and 21(c) of the Articles of Association of the Company, with effect from June 20, 2025 until further orders and on the terms and conditions as stipulated by the Government of India."

10. **Approval of appointment of Dr. Seema Suri (DIN: 11117145) as Non-official (Independent) Director**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as special resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 149 and 152 and any other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), read with Schedule IV to the Companies Act, 2013, Regulation 17 and 25(2A) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and the Articles of Association of the Company, the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of Dr. Seema Suri (DIN: 11117145) as a Non-official (Independent) Director on the Board of the Company vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways,

Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, with effect from May 21, 2025 till May 19, 2028 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier."

11. **Approval of appointment of M/s. SEP & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi as Secretarial Auditors**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 read with Rule 9(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force) and in terms of Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the approval of the Shareholders be and is hereby accorded for the appointment of M/s. SEP & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi (ICSI Unique Code: P2019KE075600, Peer Review Certificate No. 6780/2025) as the Secretarial Auditors of the Company for a term of five (5) consecutive years, commencing from the financial year 2025–26 till the financial year 2029–30 on such remuneration and on such terms and conditions as may be decided by the Board of Directors in consultation with the Secretarial Auditors from time to time."

12. **Ratification of Remuneration of Cost Auditors**

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as ordinary resolution:

"**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 148 of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand Only) per annum plus applicable taxes payable to M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants, Kochi (Firm Registration No.: 000006), who are appointed by the Board of Directors as Cost Auditors of the Company to conduct audits relating to cost records of the Company under the Companies (Cost Records and Audit) Rules, 2014 for the financial year 2025–26, be and is hereby ratified."

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 02, 2025

Notes:

1. The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 read with General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all other relevant Circulars issued from time to time (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted the holding of the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, MCA Circulars, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and SEBI Circulars, the 53rd AGM of the Company is being held through VC/ OAVM. The Registered Office of the Company shall be deemed to be the venue for the AGM.

2. The attendance of the Shareholders in the AGM through VC/ OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

3. The statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 with respect to the special business set out in the Notice is annexed and forms part of the Notice.

4. The relevant details, pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI Listing Regulations and Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), in respect of Directors seeking appointment/ re-appointment at this AGM is annexed to this Notice.

5. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013, a Member entitled to attend and vote at the AGM is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/ her behalf and the proxy need not be a Member of the Company. Since, this AGM is being held pursuant to the MCA Circulars through VC/ OAVM, physical attendance of Members has been dispensed with and hence the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the AGM. Therefore, the proxy form, attendance slip and route map are not annexed to this Notice. However, in pursuance of Section 112 and 113 of the Companies Act, 2013, representatives of the Members such as the President of India or the Governor of a State or body corporate can attend the AGM through VC/ OAVM and cast their votes through e-voting.

6. Annual Report for the year 2024-25 including the audited financial statements for the year ended March 31, 2025, is being sent by e-mail to those Members whose e-mail addresses are registered with Company's RTA/ Depository Participants. For those Members who have not registered their e-mail addresses, a letter containing the web-link of the Annual Report is being sent by post. Further, the hard copies of the same would also be made available to the Members on request. Members may forward their request for hard copy to secretary@cochinshipyard.in. Members may note that the Notice and Annual Report 2024-25 will also be available on the Company's website www.cochinshipyard.in, websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com.

7. Members who have not yet registered/ updated their e-mail addresses are requested to register/ update the same with their Depository Participants to enable the Company/ RTA to send communications through e-mail.

8. Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/ mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC etc to their Depository Participants only.

9. As per the provisions of Section 72 of the Companies Act, 2013, the facility for recording a new nomination or a fresh nomination by cancelling the earlier nomination, is available to the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination or who are desirous of changing the nomination are requested to approach their Depository Participants and follow the procedure advised by them.

10. SEBI has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. After exhausting the option to resolve the grievances with the Company/ RTA directly and through the SCORES Portal, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal, which can be accessed at https://smartodr.in/login.

11. **Dividend**

    (i) The final dividend for the financial year 2024-25, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source, by October 28, 2025 i.e., within 30 days from the date of approval. The Company has fixed Friday, September 12, 2025 as the Record Date for determining entitlement of Members to receive the dividend, if approved at the AGM.

(ii) Company will be making the dividend payment by electronic mode wherever possible and by dividend warrants/ demand drafts in other cases. Members may note that the bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its RTA cannot act on any request received directly from the Members for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the demat account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the demat account, are requested to change/ correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant immediately.

(iii) As per the Finance Act, 2020, dividend paid and distributed by a Company will be taxable in the hands of Shareholders with effect from April 01, 2020. Therefore, the Company will be required to deduct taxes at source (TDS) at the rates applicable to each category of Shareholder under the provisions of the Income Tax Act, 1961. In order to enable us to determine the applicable TDS rate, members are requested to submit the relevant documents latest by September 22, 2025 at the portal of the Company's RTA, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) at https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. The detailed communication regarding TDS on dividend inter alia including the documents to be submitted is available in the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58. **Documents submitted through e-mail or any other form will not be considered**.

(iv) **No communication on the tax determination/ deduction shall be considered after September 22, 2025**.

12. **Unclaimed Dividend**

(i) Members are hereby informed that under the Companies Act, 2013, the Company is obliged to transfer any money lying in the Unpaid Dividend Account, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of such transfer to the Unpaid Dividend Account, to the credit of the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") established by the Central Government. The details of such unclaimed dividends that are liable to be transferred to IEPF are available at the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

(ii) Further, pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended ("IEPF Rules"), all the shares on which dividend remain unpaid/ unclaimed for a period of seven consecutive years or more shall be transferred to the demat account of the IEPF Authority as notified by the Ministry of Corporate Affairs. Hence, the Company urges all the Shareholders to encash/ claim their respective dividend within the prescribed period.

(iii) The Final Dividend declared for the financial year 2017-18, is due to be credited to the IEPF within 30 days from the due date of September 15, 2025. The corresponding shares on which dividends remain unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the demat account of the IEPF Authority. Hence, Members are requested to claim the said unpaid dividend on or before September 08, 2025 by forwarding a request letter along with the client master list having the updated bank account details (including the IFS code) to which the said dividend has to be credited, to the Company's RTA MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited), failing which the said dividend along with the corresponding shares shall be transferred to IEPF at an appropriate date without any further notice and no claims thereafter shall lie against the Company. The list of shareholders whose shares/ dividend are due for transfer to IEPF are available in the Company's website at the link https://cochinshipyard.in/investor/investor_titles/58.

(iv) Please note that the Shareholders can claim the dividend/ shares transferred to IEPF by following the procedure prescribed under the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016.

13. **"Saksham Niveshak" Campaign – Shareholder Outreach Initiative**

(i) Pursuant to Investor Education and Protection Fund Authority, Ministry of Corporate Affairs letter dated July 16, 2025, the Company has launched a 100-day special outreach initiative titled "Saksham Niveshak", from July 28, 2025 to November 06, 2025. This campaign aims to help shareholders in updating KYC details including Bank account mandates, Nominee Registration and Contact information (e-mail, mobile number, address) and to claim their unpaid/ unclaimed dividends to prevent transfer of dividends and shares to IEPF.

(ii) Shareholders who have not claimed their dividends are requested to contact the Company's RTA at the earliest. Shareholders can also register and track their requests through the SWAYAM portal https://swayam.in.mpms.mufg.com. Further, Shareholders with incomplete KYC records are advised to approach their Depository Participants and follow the prescribed procedure to update their KYC records.

(iii) Please note that as per applicable provisions, dividends unclaimed for 7 consecutive years, along with corresponding shares, if any, are liable to be transferred to IEPF. Hence, we urge all Shareholders to take prompt action during the campaign period to safeguard their entitlement and ensure compliance with statutory requirements.

14. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013 and the Register of Contracts or Arrangements in which the Directors are interested, maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 will be available electronically for inspection to the Members during the AGM. All documents referred to in the Notice will also be available for electronic inspection by the Members from the date of circulation of this Notice up to the date of AGM. Members seeking to inspect such documents can send an e-mail to secretary@cochinshipyard.in.

15. Members are requested to send all communications relating to shares to the Company's Registrar and Transfer Agents (RTA) at the following address:

MUFG Intime India Private Limited
(formerly Link Intime India Private Limited)
"Surya", 35, Mayflower Avenue
Behind Senthil Nagar, Sowripalayam Road
Coimbatore, Tamil Nadu – 641028
Phone: +91 (422) 2314792, 4958995
E-mail: coimbatore@in.mpms.mufg.com

16. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Regulation 44 of SEBI Listing Regulations (as amended) and MCA Circulars, the Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Company has entered into an agreement with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a Member using remote e-voting system as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

17. The Board of Directors of the Company has appointed CS Sreekumar P. S. (FCS No. 8130, CP No. 8067) Partner, M/s. SVJS & Associates, Practising Company Secretaries, Kochi, as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

18. **Instructions to Shareholders for remote e-voting**

(i) The remote e-voting period begins on Friday, September 26, 2025 at 09:00 hrs. and ends on Sunday, September 28, 2025 at 17:00 hrs. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. The Members whose names appear in the Depositories' records as on the cut-off date, Monday, September 22, 2025, may cast their vote electronically. The voting right of Shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date, being Monday, September 22, 2025. A person who is not a Member as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose only.

(ii) Shareholders who have already voted prior to the Meeting date would not be entitled to vote at the Meeting.

(iii) Process and manner of voting by electronic means

A. Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 09, 2020 on 'e-Voting Facility Provided by Listed Entities', e-Voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of a single login credential, through their demat accounts/ websites of Depositories/ Depository Participants in order to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the E-Voting Service Provider (ESP), thereby, not only facilitating seamless authentication but also enhancing ease and convenience of participating in e-Voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their Depository Participants to access e-Voting facility.

In terms of the said SEBI Circular, login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual Shareholders holding securities in demat mode is given below:

Type of Shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **CDSL Depository**	1. Users who have opted for CDSL Easi/ Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login to Easi/ Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab. 2. After successful login, the Easi/ Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the e-Voting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there is also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting Service Providers' website directly. 3. If the user is not registered for Easi/ Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option. 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat account number and PAN from the e-Voting link available on the home page of CDSL website www.cdslindia.com. The system will authenticate the user by sending OTP on registered mobile & e-mail as recorded in the demat account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-Voting is in progress and also able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with **NSDL Depository**	1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://eservices.nsdl.com either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be re-directed to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. 2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp 3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the URL https://www.evoting.nsdl.com/ either on a personal computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/ Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e., your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/ OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be redirected to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Type of Shareholders	Login Method
	4. For OTP based login you can click on https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/evoting/evotinglogin.jsp. You will have to enter your 8-digit DP ID, 8-digit Client Id, PAN, Verification Code and generate OTP. Enter the OTP received on registered e-mail id/ mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be re-directed to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their **Depository Participants (DP)**	You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/ CDSL for e-Voting facility. After Successful login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/ CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on company name or e-Voting Service Provider name and you will be redirected to e-Voting Service Provider website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned website(s).

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e., CDSL and NSDL

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact at 022 – 4886 7000 and 022 – 2499 7000.

B. Login Method for e-Voting and joining virtual meeting for non-individual Shareholders holding shares in demat mode

(i) The Shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.

(ii) Click on "Shareholders" module.

(iii) Now enter your User ID

(a) For CDSL: 16 digits Beneficiary ID

(b) For NSDL: 8 character DP ID followed by 8 digits Client ID

(iv) Next enter the Image Verification as displayed and click on Login.

(v) If you are holding shares in demat mode and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.

(vi) If you are a first-time user follow the steps given below:

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department • Shareholders who have not updated their PAN with the Depository Participant are requested to contact Company/ RTA.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account in order to login. • If both the details are not recorded with the Depository, please enter the Member ID in the Dividend Bank details field.

(vii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(viii) Shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(ix) Click on the EVSN for Cochin Shipyard Limited.

(x) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

(xi) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xii) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xiii) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xiv) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xv) If a demat account holder has forgotten the login password then enter the User ID and the Image Verification Code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xvi) There is also an optional provision to upload BR/POA if any uploaded, which will be made available to Scrutinizer for verification.

(xvii) Additional facility for Non-Individual Shareholders and Custodians – For Remote e-Voting only

- Non-Individual Shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be e-mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login will be mapped automatically & can be delinked in case of any wrong mapping.

- It is mandatory that, a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the Scrutinizer to verify the same.

- Alternatively, Non-Individual Shareholders are mandatorily required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sreekumar@svjs.in and to the Company at the e-mail address secretary@cochinshipyard.in, if they have voted from individual tab & not uploaded the same in the CDSL e-voting system for the Scrutinizer to verify the same.

19. **Instructions for Shareholders attending the AGM through VC/ OAVM & e-Voting during the meeting**

(i) The procedure for attending the meeting & e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for e-Voting.

(ii) The link for VC/ OAVM to attend the meeting will be available where the EVSN of the Company will be displayed after successful login as per the instructions mentioned above for e-Voting.

(iii) The facility for joining the AGM through VC/ OAVM shall open 30 minutes before the time scheduled for the AGM and will be available for the Shareholders on first come first serve basis.

(iv) Shareholders who have voted through remote e-Voting will be eligible to attend the meeting. However, they will not be eligible to vote at the AGM.

(v) Shareholders are encouraged to join the meeting through laptops/ iPads for better experience.

(vi) Further, Shareholders will be required to allow camera and use internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

(vii) Please note that participants connecting from mobile devices or tablets or through laptops connecting via mobile hotspot may experience audio/ video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

(viii) Shareholders who would like to express their views/ ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request from their registered e-mail address mentioning their name, demat account no. and mobile no. at secretary@cochinshipyard.in from September 21, 2025 (08.00 hrs.) to September 23, 2025 (16:00 hrs.). The Company reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

(ix) Those Shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ ask questions during the meeting. Relevancy of the question and the order of speakers will be decided by the Chairman.

(x) Members seeking any information with regard to annual accounts at the time of Meeting are requested to send their queries to the Company at least seven days before the date of Meeting so as to enable the management to keep the information ready.

(xi) Only those Shareholders, who are present in the AGM through VC/ OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

(xii) **Process for those Shareholders whose e-mail/ mobile no. are not registered with the Depositories**

(a) For Demat Shareholders: Please update your e-mail id & mobile no. with your respective Depository Participant.

(b) **For Individual Demat Shareholders: Please update your e-mail id & mobile no. with your respective Depository Participant which is mandatory while e-Voting & joining virtual meetings through Depository.**

20. If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

21. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, Central Depository Services (India) Limited,

A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai – 400013 or send an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800 21 09911.

22. Other Instructions

(i) Persons who have acquired shares and become Members of the Company after the dispatch of Notice and hold shares as on cut-off date of September 22, 2025, may obtain the Notice and e-voting instructions by sending request to the Company's RTA, MUFG Intime India Private Limited (formerly Link Intime India Private Limited) at their e-mail address coimbatore@in.mpms.mufg.com or download Notice and e-voting instructions from www.evotingindia.com or Company's website www.cochinshipyard.in.

(ii) The results declared along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the website of the Company www.cochinshipyard.in and on the website of CDSL www.evotingindia.com immediately after the declaration of results by the Chairman or a person authorised by him in writing. The results shall also be immediately forwarded to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed viz., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. The results shall also be displayed on the notice board at the Registered Office of the Company.

23. Please note that all the equity shares of Cochin Shipyard Limited are held in dematerialized (Demat) form. Accordingly, instructions and information relating to physical shareholding, including procedures for updating KYC details, registration of transfer, voting, attending the AGM and other related matters, are not applicable and have therefore not been included in this Notice.

STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Item No. 6

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336), former Executive Director (Ship Repair), was appointed as Director (Technical) on the Board of the Company pursuant to letter No.01/04/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025, for a period of five years with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e., August 27, 2025 or till the date of his superannuation, or until further orders of the Government of India, whichever is the earliest. Shri Rajesh Gopalakrishnan was appointed to the post of Director (Technical) through a structured and rigorous selection process conducted by the Public Enterprises Selection Board (PESB) and approved by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).

In terms of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a notice in writing from a Member signifying his intention to propose the name of Shri Rajesh Gopalakrishnan as a candidate for the office of Director, along with deposit of Rupees One Lakh Only, which shall be refunded, in case he is elected as director or gets more than twenty-five percent of total valid votes cast on such resolution.

Shri Rajesh Gopalakrishnan is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. His brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

Shri Rajesh Gopalakrishnan and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 6 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 6 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 7

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559), former Executive Director (Ship Building), was appointed as Director (Operations) on the Board of the Company pursuant to letter No.01/03/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025, with effect from the date of his assumption of charge of the post i.e., August 27, 2025 till the date of his superannuation i.e., May 31, 2029, or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. Dr. Harikrishnan S was appointed to the post of Director (Operations) through a structured and rigorous selection process conducted by the Public Enterprises Selection Board (PESB) and approved by the Appointments Committee of the Cabinet (ACC).

In terms of Section 160 of the Companies Act, 2013, the Company has received a notice in writing from a Member signifying his intention to propose the name of Dr. Harikrishnan S as a candidate for the office of Director, along with deposit of Rupees One Lakh Only, which shall be refunded, in case he is elected as director or gets more than twenty-five percent of total valid votes cast on such resolution.

Dr. Harikrishnan S is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. His brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

Dr. Harikrishnan S and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 7 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 7 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 8

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated August 07, 2025) appointed Shri Venkatesapathy S IAS (DIN: 07407879), Joint Secretary, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Rajesh Kumar Sinha IAS (DIN: 05351383), under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from August 07, 2025 until further orders.

Shri Venkatesapathy S IAS is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office

of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. His brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the Shareholders at the next general meeting.

Shri Venkatesapathy S IAS and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 8 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 8 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 9

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, the President of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated June 20, 2025) appointed Shri P B Nooh IAS (DIN: 09701541), Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala, as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Biju Prabhakar IAS (Retd.) (DIN: 03093072), under Section 161(3) of the Companies Act, 2013, with effect from June 20, 2025 until further orders.

Shri P B Nooh IAS is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. His brief resume containing qualification, expertise etc. is annexed herewith.

As per Regulation 17(1C) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the first proviso thereto, the Company is required to obtain the approval of the Shareholders at the next general meeting.

Shri P B Nooh IAS and his relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns his appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 9 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 9 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 10

As per Article 21 of the Articles of Association of the Company, the President of India has the power to appoint the Directors on the Board of the Company. Accordingly, Dr. Seema Suri (DIN: 11117145) was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, with effect from May 21, 2025 till May 19, 2028 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier, by following a prescribed procedure for selection and appointment.

Dr. Seema Suri has given a declaration to the Board that she meets the criteria of independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, she is not debarred from holding the office of Director by virtue of any SEBI order or any other such authority and also not disqualified from holding the office of Director under Section 164 of the Companies Act, 2013. Her brief resume containing qualification expertise etc. is annexed herewith.

Dr. Seema Suri and her relatives are interested in the resolution to the extent as it concerns her appointment. None of the other Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 10 of the Notice.

Dr. Seema Suri would be entitled to sitting fees for attending the Meetings of the Board of Directors and Committees thereof where she is a member.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 10 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of a special resolution.

Item No. 11

Pursuant to the provisions of Section 204 of the Companies Act, 2013 (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), CSL is required to annex with its Board's Report, a Secretarial Audit Report given by a Company Secretary in Practice.

Further, pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, every listed entity shall undertake Secretarial Audit by a Secretarial Auditor who shall be a Peer Reviewed Company Secretary and the appointment of such Secretarial Auditor shall be approved by the Shareholders of the Company at the Annual General Meeting.

In view of the above, the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 12, 2025, after considering the profile of the firm and experience of the partners, appointed

M/s. SEP & Associates, Practicing Company Secretaries, Kochi (ICSI Unique Code: P2019KE075600, Peer Review Certificate No. 6780/2025) as the Secretarial Auditors of the Company for a term of five (5) consecutive years, commencing from the financial year 2025–26 till the financial year 2029–30, subject to the approval of the Shareholders in the ensuing Annual General Meeting, on such remuneration as may be decided by the Board of Directors in consultation with the Secretarial Auditors from time to time.

M/s. SEP & Associates is a reputed firm of Practicing Company Secretaries based in Kochi, with branches in Trivandrum, Chennai, and Mumbai. The firm, peer reviewed by the Institute of Company Secretaries of India (Peer Review Certificate No. 6780/2025), offers professional services in corporate law, secretarial compliance, NCLT matters, SEBI and RBI regulations, secretarial audits, due diligence and management advisory. M/s. SEP & Associates is led by CMA CS P. Sivakumar, an industry veteran with nearly 40 years of experience including more than 30 years in practice, with extensive exposure across secretarial, legal, financial management, general management, and administrative functions. He is supported by a team of qualified Company Secretaries and professionals with deep domain expertise.

M/s. SEP & Associates and its partners maintain a strong track record of integrity and compliance. The firm or partners have not been barred, backlisted or penalised by any bank, statutory authority or regulatory body such as IRDA, RBI, SEBI, the Ministry of Corporate Affairs (MCA), the Registrar of Companies (RoC) or the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).

M/s. SEP & Associates have consented to their appointment as Secretarial Auditors and has confirmed that they satisfy the eligibility conditions as prescribed by SEBI, ICSI, and the Companies Act, 2013, as applicable.

The remuneration proposed to be paid to M/s. SEP & Associates for the Secretarial Audit of the Company for each financial year during the said term shall be ₹2,00,000/- (Rupees Two Lakhs Only) plus applicable taxes, or such other remuneration as may be approved by the Board from time to time.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 11 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 11 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

Item No. 12

In pursuance of Section 148 of the Companies Act, 2013 and Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the Company is required to appoint a Cost Auditor to audit the cost records of the applicable products of the Company.

In view of the above, the Board of Directors of the Company at their meeting held on August 12, 2025 has appointed M/s. Rajendran Mani and Varier, Cost Accountants (Firm Registration No.: 000006), as the Cost Auditors of the Company for the financial year 2025-26 at a remuneration of ₹1,50,000/- (Rupees One Lakh Fifty Thousand only) per annum plus applicable taxes. As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013, the remuneration of Cost Auditors is required to be ratified by the Shareholders.

M/s. Rajendran Mani and Varier have consented to their appointment as Cost Auditors of the Company for the financial year 2025-26 and has confirmed that they satisfy the eligibility conditions as prescribed under the Companies Act, 2013. They have conducted the audit of the cost records of the Company for previous years and have the relevant experience in the field of cost audit. Their performance during past engagements has been found to be satisfactory.

None of the Directors/ Key Managerial Personnel of the Company/ their relatives are in any way, concerned or interested, financially or otherwise, in the resolution at item no. 12 of the Notice.

The Board accordingly recommends the resolution set out in item no. 12 of the Notice for the approval of the Shareholders of the Company by way of an ordinary resolution.

By Order of the Board of Directors

Syamkamal N
Company Secretary
M. No. A25337

Kochi
September 02, 2025

Registered Office
Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Ernakulam, Kerala – 682015
CIN: L63032KL1972GOI002414
Tel: +91 (484) 2501306
E-mail: secretary@cochinshipyard.in
Website: www.cochinshipyard.in

DETAILS OF THE DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ RE-APPOINTMENT AT THE 53RD AGM [PURSUANT TO REGULATION 36(3) OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015 AND SECRETARIAL STANDARD – 2 ON GENERAL MEETINGS]

Name and DIN	**Shri Jose V J (DIN: 08444440)**
Age and Date of Birth	58 years, February 04, 1967
Date of first appointment on the Board	August 01, 2019
Qualifications	Shri Jose V J is a member of the Institute of Cost Accountants of India and also holds a degree in Law from Government Law College, Ernakulam.
Expertise in specific functional areas	Shri Jose V J has approximately 34 years of work experience across diverse field viz., financial management, strategic planning, risk management, forex management, budgeting and cost control. He is also heading the Information Systems Department of the Company.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Jose V J was appointed as Director (Finance) of CSL on August 01, 2019 pursuant to Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 15, 2019. Further, the Government of India through the Ministry of Ports, Shipping and Waterways letter F. No. SY-11012/2/2018-CSL dated July 03, 2024 extended the tenure of Shri Jose V J as Director (Finance) for a further period beyond August 01, 2024 till the date of his superannuation i.e., February 28, 2027, or until further orders, whichever is earlier. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	₹58.42 Lakhs
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	• Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL); and • Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL). (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Member, Securities Offer, Allotment & Transfer Committee, Hooghly-CSL
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	6/6
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Shri Rajesh Gopalakrishnan (DIN: 09576336)
Age and Date of Birth	54 years, July 05, 1971
Date of first appointment on the Board	August 27, 2025
Qualifications	Shri Rajesh Gopalakrishnan holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering and a Master's degree in Business Administration with specialisation in International Marketing.
Expertise in specific functional areas	Shri Rajesh Gopalakrishnan has close to three decades of experience in the Company spanning ship building, ship repairs & conversion. His expertise covers the entire spectrum from business strategy, business build, estimation, contract management, procurement, planning, project management, invoicing, after sales & customer relations.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Rajesh Gopalakrishnan was appointed as Director (Technical) of CSL on August 27, 2025 pursuant to letter No.01/04/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	₹58.02 Lakhs was drawn during the FY 2024-25, in the capacity of Executive Director/ Chief General Manager of CSL.
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	• Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL); and • Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL). (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	400
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Dr. Harikrishnan S (DIN: 10221559)
Age and Date of Birth	56 years, May 29, 1969
Date of first appointment on the Board	August 27, 2025
Qualifications	Dr. Harikrishnan S holds a Bachelor of Technology degree in Mechanical Engineering, a Master of Technology degree in Production Engineering, an MBA in International Business and a Doctorate (PhD) in Mechanical Engineering.
Expertise in specific functional areas	Dr. Harikrishnan S has nearly three decades of experience in the Company, wherein he was involved in a wide range of functions in ship building and ship repair including design, inspection & quality control, production, procurement, planning & project management.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Dr. Harikrishnan S was appointed as Director (Operations) of CSL on August 27, 2025 pursuant to letter No.01/03/2025-EO(ACC) dated August 21, 2025 issued by the Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet, Department of Personnel & Training, communicated to the Company through e-mail by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways on August 27, 2025. The terms and conditions of his employment including remuneration are prescribed by the Government of India, in line with the applicable DPE Guidelines.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	₹50.36 Lakhs was drawn during the FY 2024-25, in the capacity of Executive Director/ Chief General Manager of CSL.
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	• Hooghly Cochin Shipyard Limited (Hooghly-CSL); and • Udupi Cochin Shipyard Limited (Udupi-CSL). (wholly owned subsidiaries of CSL)
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	240
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Shri Venkatesapathy S (DIN: 07407879)
Age and Date of Birth	43 years, March 10, 1982
Date of first appointment on the Board	August 07, 2025
Qualifications	Shri Venkatesapathy S is a 2009-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre and holds a Degree of Bachelor of Technology in Production Engineering from Madras Institute of Technology, Anna University.
Expertise in specific functional areas	Shri Venkatesapathy S is serving as Joint Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW), Government of India. In the span of his administrative service, he has held various key positions in the Government of Kerala including Sub Collector (Idukki, Devikulam and Kasargod), Secretary (Thiruvananthapuram Corporation), Managing Director (Supplyco), District Collector (Malappuram and Thiruvananthapuram), Director (Fisheries Department) and Managing Director (Kerala Water Authority). Prior to his current role, he joined the MoPSW on central deputation as Director (Shipping).
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri Venkatesapathy S was appointed as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Rajesh Kumar Sinha, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated August 07, 2025, with effect from August 07, 2025 until further orders. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	• Shipping Corporation of India Limited; • Shipping Corporation of India Land and Assets Limited; and • Sagarmala Finance Corporation Limited.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Shri P B Nooh (DIN: 09701541)
Age and Date of Birth	46 years, May 29, 1979
Date of first appointment on the Board	June 20, 2025
Qualifications	Shri P B Nooh is a 2012-batch Indian Administrative Service (IAS) officer of the Kerala cadre. He holds a Bachelor's degree in Zoology from Mahatma Gandhi University, Kerala, a Bachelor's degree in Agriculture from Kerala Agricultural University, and a Master's degree in Agriculture from the University of Agricultural Sciences, Bangalore.
Expertise in specific functional areas	Shri P B Nooh is serving as the Special Secretary, Transport Department, Government of Kerala and also holds the position of Chairman & Managing Director, Kerala Transport Development Finance Corpn Ltd. Over the course of his career, he has served in several prominent positions in the Government of Kerala, including Chairman & Managing Director, Kerala State Civil Supplies Corporation Ltd. (Supplyco), Director, Tourism Department, Director, Social Justice & Empowerment Department, Registrar of Cooperative Societies, District Collector, Pathanamthitta, Sub Collector, Ottapalam, Chief Executive Officer, LIFE Mission and Project Officer, Integrated Tribal Development Project, Attappady.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Shri P B Nooh was appointed as a Part-time Official (Nominee) Director on the Board of the Company, in place of Shri Biju Prabhakar, under Section 161(3) of the Companies Act, 2013 by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India vide letter no. SY-11012/1/2017-CSL dated June 20, 2025, with effect from June 20, 2025 until further orders. The terms and conditions regulating his appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	Nil. No remuneration is paid to the Government Nominee Directors.
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	• Kerala Transport Development Finance Corpn Ltd.; • Malabar International Port & SEZ Limited; and • Kerala Tourism Infrastructure Limited.
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Name and DIN	Dr. Seema Suri (DIN: 11117145)
Age and Date of Birth	54 years, September 05, 1971
Date of first appointment on the Board	May 21, 2025
Qualifications	Dr. Seema Suri is a Post Graduate in Arts from Ramjas College, University of Delhi and holds a B. Ed. degree from Maharshi Dayanand University, Rohtak. She has been awarded an Honorary Doctor of Literature (D.Litt.), titled Vidya Sagar, by Vikramshila Hindi Vidyapeeth, Bhagalpur, and the title Samaj Bhushan – Ph.D. (Vidyavachaspati) by Sahitya Mandal Shri Nath.
Expertise in specific functional areas	Dr. Seema Suri is the Founder and National President of Sarva Seva Sansthan, an organization committed to social welfare. She has led several initiatives focused on education, health, environment and women empowerment. These include adopting government schools to enhance infrastructure, organizing health camps and awareness drives, conducting media workshops, leading monthly cleanliness drives, planting trees and running programs under Beti Bachao Abhiyan to support underprivileged children and train girls in self-defense. Her contributions have been recognized through multiple awards and honors from various national and international institutions. She served as a Teacher and Block Incharge at Delhi Public School, Vasant Kunj from 1999 to 2016. She was also presenter of various educational and social programs on Radio and Doordarshan. In addition, she is currently serving as the Member of Film Censor Board Advisory Committee, Delhi.
Terms and conditions of appointment/ re-appointment	Dr. Seema Suri (DIN: 11117145) was appointed as a Non-official (Independent) Director of the Company vide Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Government of India letter No. SY-11012/1/2016-CSL dated May 20, 2025, with effect from May 21, 2025 till May 19, 2028 or until further orders of the Government of India, whichever is earlier. The terms and conditions regulating her appointment are determined by the Government of India.
Disclosure of relationship between Directors and Key Managerial Personnel, inter-se	Nil
Skills and Capabilities required for the Role and the manner in which the proposed person meets such requirements	Please refer to the section on Skills/ Expertise/ Competencies of the Board of Directors in the Corporate Governance Report.
Details of remuneration last drawn (FY 2024-25)	N.A. Independent Directors are paid sitting fees for attending Board/ Committee Meetings and reimbursement of expenses incurred for attending such Meetings.
Directorships in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
Listed entities from which the Director has resigned from Directorship since last three years	Nil
Membership/ Chairmanship of Committees in other Companies including listed entities (excluding foreign companies, private companies & section 8 companies)	Nil
No. of Board Meetings attended during the Financial Year 2024-25	N.A.
No. of equity shares held in the Company:	
(a) Own	Nil
(b) For other persons on a beneficial basis	Nil

Notes



COCHIN SHIPYARD LIMITED

REGISTERED OFFICE

Administrative Building
Cochin Shipyard Premises
Perumanoor, Kochi – 682 015
Kerala, India
CIN: L63032KL1972GOI002414
Website: www.cochinshipyard.in

a K&A creation | www.kalolwala.com